मॉडर्न

राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा

(NATIONAL DEFENCE AND SECURITY)

डॉ. सुरेन्द्र कुमार मिश्र

मॉडर्न पब्लिशर्ज़

AN ISO 9001 : 2000 CERTIFIED COMPANY

मॉडर्न

राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा

(NATIONAL DEFENCE AND SECURITY)

बी० ए० तृतीय वर्ष

(हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के लिए)

लेखक

डॉ० सुरेन्द्र कुमार मिश्र

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता

एच० ई० एस०

(एम० ए० पी-एच० डी०)

अध्यक्ष

रक्षा अध्ययन विभाग,

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार

एवं

डॉ० माया मिश्र

2010

मॉडर्न पब्लिशर्ज़

(उच्चकोटि की पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशक)

ऐम बी डी हाउस, रेलवे रोड, जालन्धर शहर। Ph. 0181-2458388, 2455663	प्लाट नं० 203, सैक्टर 3, एच एस आई डी सी, समीप नमस्ते चौक (सामने न्यू वर्ल्ड) करनाल। Ph. 2220006, 2220009

Gulab Bhawan-6, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

PRICE Rs. 220.00

Our Addresses In India

- **New Delhi** : Gulab Bhawan, 6, Bahadur Shah Zafar Marg — *Ph. 23317931, 23318301*
- **Jalandhar City** : MBD House, Railway Road — *Ph. 2458388, 2459046, 2455663*
- **Delhi** : 1675, Nai Sarak — *Ph. 23264887*
- **Delhi(Shakarpur)** : MB 161, Street No. 4 — *Ph. 22518122, 22546557*
- **Delhi(Daryaganj)** : MBD House, 4587/15, Opp. Times of India — *Ph. 23245676*
- **Delhi (Patparganj)** : Plot No. 225, Industrial Area — *Ph. 22149691, 22147073*
- **Mumbai** : A-683, T.T.C. Industrial Area, M.I.D.C. Off. Thane-Belapur Road, Navi Mumbai — *Ph. 56136739, 56136740*
- **Pune** : Kaul Building No. 2, IInd Floor, Flat 'C', Guru Nanak Nagar, Shankar Sheth Road — *Ph. 26431413, 26435071*
- **Kolkata** : Satyam Building, 46-D, Rafi Ahmed Kidwai Marg — *Ph. 22296863, 22161670*
- **Chennai** : 26/1, Motilal Street, T. Nagar — *Ph. 24343171, 24332564*
- **Chennai** : No. 26 B/2 SIDCO Estate, North Phase, Pattravakkam Ambattur Industrial Estate, Ambattur — *Ph. 26356350, 26359376*
- **Chennai** : 17/16, Sundar Bans, 2nd Floor, 1st Avenue, Near Ashok Pillar, Ashok Nagar — *Ph. 52077808, 31067991*
- **Hyderabad** : 3-4-492, Varun Towers, Barkatpura — *Ph. 27564788, 26781808, 27560086*
- **Bangalore** : 124/31, 1st Main, Industrial Town (Near Chowdeshwari Kalyan Mantap), West of Chord Road, Rajajinagar — *Ph. 23103329, 23104667*
- **Ernakulam** : Surabhi Building, South Janatha Road, Palarivattom — *Ph. 2338107, 2347371*
- **Patna** : 1st Floor, Annapurna Complex, Naya Tola — *Ph. 2686994, 2672732*
- **Bhopal** : MBD House, 13, Hamidia Road — *Ph. 2741540, 2741103, 5240662*
- **Jabalpur** : 840, Palash Chamber, Malviya Chowk — *Ph. 2405854*
- **Lucknow** : 173/15, Dr. B.N. Verma Road, Old 30 Kutchery Road — *Ph. 2628062, 2759178*
- **Agra (U.P.)** : Vishnu Arcade 2, Gopal Kunj In Front of Tulsi Cinema, Bye Pass Road — *Ph. 2527420, 6532578*
- **Ahmedabad** : B-234, Electronic Zone, G.I.D.C. Sector-25, Gandhi Nagar — *Ph. 30986505, 23240766*
- **Guwahati** : Chancellor Commercial, Hem Baruah Road, Paan Bazaar — *Ph. 2510492, 2731008*
- **Goa** : H.No. 932, Plot No. 66, Kranti Nagar (Behind Azad Bhawan), Alto Porvorim, Bardez — *Ph. 2413982, 2414394*
- **Cuttack** : Badam Bari, Link Road — *Ph. 2312795, 2314767*
- **Sahibabad(U.P.)** : B-9 & 10, Site IV, Industrial Area — *Ph. 2896933, 2896939*
- **Nagpur** : Near N.I.T. Swimming Pool, North Ambazari Road, Ambazari Layout — *Ph. 2248106, 2248104*
- **Jaipur** : G-11, Kartarpura Industrial Area, Baees Godown — *Ph. 2210158, 2210159*
- **Raipur** : Behind Kailash Provision Store, Ravi Nagar — *Ph. 5067201, 5038006*
- **Shimla** : C-89, Sector-1, New Shimla - 9 (H.P.) — *Ph. 2670221, 2670618*
- **Jammu** : MBD OFFICE, H.No. 211/1, Street No. 7, Sanjay Nagar, Jammu. — *Ph. 0191-2432419, 2450088, (M) 9419104035*
- **Karnal** : Plot No. 203, Sector-3, HSIDC, Near Namaste Chowk, Opp. New World — *Ph. 2220006, 2220009*
- **Ranchi (Jharkhand)** : Shivani Complex, 2nd Floor, Jyoti Sangam Lane, Upper Bazaar
- **Dehradun**

OUR OUTSTANDING PUBLICATIONS FOR B.A. III

- Modern's **Comparative Government & Politics**
- Modern's **Political Science (Public Administration Opt-II)**
- Modern's **Public Administration**
- Modern's **Geography**
- Modern's **Physical Education**
- Modern's **Home Science**
- Modern's **Military Science**

We are committed to serve students with the best of our knowledge and resources. We have taken utmost care and attention while editing and printing this book but we would beg to state that Authors and Publishers should not be held responsible for unintentional mistake that might have crept in. However, errors brought to our notice, shall be gratefully acknowledged and attended to.

© All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the author and publisher. Any breach will entail legal action and prosecution without further notice.

Published by :
Balwant Sharma (G.M.)
MODERN PUBLISHERS,
Railway Road, Jalandhar.

Printed by :
Balwant Sharma (Executive Director)
MBD Printographics (P) Ltd.,
Ram Nagar, Industrial Area, Gagret, Distt. Una (H.P.)

JC

आमुख

बदलते वैश्विक परिवेश एवं बनते नये सामरिक समीकरणों को दृष्टि में रखते हुए इस नयी सदी की सुरक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। भौतिकता एवं आर्थिक होड़ की दौड़ में कोई भी देश, किसी भी देश का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं रह सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रक्षा तैयारी के अलावा आर्थिक सुदृढ़ता, आन्तरिक सम्बद्धता और प्रौद्योगिकी प्रगति भी आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि सुरक्षा एवं रक्षा किसी भी राष्ट्र की शक्ति के अनुमापन का एक प्रमुख आधार है। भारत का सुरक्षा परिक्षेत्र परम्परागत भौगोलिक भू-सीमाओं से काफ़ी आगे तक फैला हुआ है। हमारे देश का आकार, अवस्थिति, व्यापार सम्बन्धों और इसके व्यापक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को देखते हुए हमारे देश का सुरक्षा परिवेश पश्चिम में फ़ारस की खाड़ी से लेकर पूर्व दिशा में मलक्का जलडमरूमध्य के पार तक और उत्तर दिशा में मध्य एशियाई गणतन्त्रों से लेकर दक्षिण दिशा में भूमध्य रेखा तक फैला हुआ है।

व्यापक सुरक्षा परिवेश एवं नवीन विश्व व्यवस्था के आधार पर भारतीय सुरक्षा की आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतियों के सन्दर्भ में व्यापक चिन्तन, मनन एवं सजग रहने की सतत जरूरत है। भारत को इस सदी की एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है, जिससे भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के प्रति नये उत्तरदायित्व बढ़ने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। शक्ति के आधार पर उस राष्ट्र की क्षमता का मूल्यांकन किया जाने लगा है।

भारत की भू-सीमाएं 1500 किमी० से भी अधिक तक फैली हुई हैं। भारत की भू-सीमा सात देशों से लगी हुई है। प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण भारत की तटरेखा 7600 किमी० लम्बी है। भारत में बड़ी संख्या में द्वीपीय भाग हैं। इसके अतिरिक्त हमारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र दो मिलियन वर्ग किमी० से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्व में हमारे द्वीपीय भाग मुख्य भू-भाग से 1300 किमी० दूर है और वस्तुतः हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के साथ लगे हुए है। हमारे देश की समुद्री सीमायें पांच पड़ोसी देशों से मिलती हैं। भारत की दक्षिण एशिया एवं हिन्द महासागर में महत्त्वपूर्ण स्थिति होने के कारण बाहरी ताकतों की कातिर व शातिर निगाहें निरन्तर इस ओर लगी रहती हैं।

हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जहाँ एक ओर मित्रता की ओर हाथ बढ़ा रहा है, वहाँ दूसरी ओर अपनी आतंकवादी हरकतों को नियन्त्रित नहीं कर रहा है जिससे सुधार एवं तनाव की स्थिति से गुज़रना पड़ रहा है। बाह्य दृष्टिकोण बदला भले दिखाई दे किन्तु अभी भी विरोध की बू आती है। चीन अपनी राजनयिक चालों से हमें मात देने के निरन्तर प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका में आतंकवादी अड्डे स्थापित हो जाने के कारण जब कभी आपसी सम्बन्धों को तनावपूर्ण बनाने के प्रयास करते रहते हैं। इन देशों की आन्तरिक समस्याओं का प्रत्यक्ष प्रभाव भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है।

इस पुस्तक का नया संस्करण केवल एक पाठ्यक्रम को ही स्पष्ट नहीं करता है बल्कि हमारी सुरक्षा समस्याओं (आन्तरिक एवं बाह्य) एवं पड़ोसी राष्ट्रों के सम्बन्धों का भी उल्लेख करके प्रत्येक नागरिक को जागरूक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा दृढ़ विश्वास है। इस पाठ्यक्रम से जहाँ रक्षा अध्ययन/सैन्य विज्ञान विषय के स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को सामयिक जानकारी मिलेगी वहाँ पी०सी०एस० एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायक सिद्ध होगी। उन सभी सैनिकों एवं नागरिकों के लिए भी पर्याप्त उपयोगी सिद्ध होगी, जो देश की रक्षा व सुरक्षा के सन्दर्भ में गम्भीर एवं जागरूक हैं।

इस पुस्तक की रचना में जिन विद्वानों की कृतियों, लेखों/ग्रन्थों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग लिया गया है उनके प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता हूँ। पूज्य पिताजी, माताजी एवं सभी गुरुजनों के आशीर्वाद का ही यह प्रतिफल है। परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही प्रियजनों के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। अन्त में अपने प्रकाशन के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ पुस्तक को नये रूप में प्रकाशित करने में रुचि ली। पुस्तक के सन्दर्भ में पाठकों के सुझाव सादर आमन्त्रित हैं।

—सुरेश कुमार मिश्र

CONTENTS

1.	राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा (National Defence and Security)	1–21
2.	राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्व (Essentials of National Defence)	22–49
3.	भारत की रक्षा समस्याएं 1947 से अब तक (India's Defence Problems from 1947 to Date)	50–102
4.	भारतीय रक्षा नीति (Indian Defence Policy)	103–119
5.	भारतीय परमाणु नीति (Nuclear Policy of India)	120–140
6.	भारत में नागरिक-सैनिक सम्बन्ध (Civil-Military Relations in India)	141–151
7.	नागरिक रक्षा (Civil Defence)	152–158
8.	नागरीय प्रशासन में सेना की सहायता (Military Aid to Civil Power)	159–166
9.	भारत की भू-कूटियोजनात्मक स्थिति (Geo-Strategic Location of India)	167–177
10.	भारत की रक्षा में हिन्द महासागर का महत्त्व (Importance of Indian Ocean in India's Defences)	178–191
11.	भारत-पाक सम्बन्ध (Indo-Pak Relations)	192–227
12.	भारत-चीन सम्बन्ध (Indo-China Relations)	228–248
13.	भारत-बांग्ला देश सम्बन्ध (Indo-Bangla Desh Relations)	249–262
14.	भारत-श्रीलंका सम्बन्ध (Indo-Srilanka Relations)	263–272
15.	भारत-नेपाल सम्बन्ध (Indo-Nepal Relations)	273–288
16.	भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध (Indo-Afghanistan Relations)	289–300
17.	युद्धकालीन वित्त व्यवस्था (War Finance)	301–306
18.	युद्ध की लागत (Cost of War)	307–311
19.	युद्धकालीन आर्थिक गतिशीलता (Economic Mobilization in War)	312–317
20.	भारत-पाकिस्तान का तुलनात्मक रक्षा बजट (Comparative Defence Budget of India and Pakistan)	318–329
21.	सामयिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य (Current Security Perspective)	330–364
22.	रक्षा-विशेष (Defence Special)	365–416
	वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (Objective Type Questions & Answers)	**417–440**
	राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रश्न (Important Questions)	**441–443**
	यूनिवर्सिटी पेपर्ज़ (University Papers)	

1

राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा
(NATIONAL DEFENCE AND SECURITY)

प्रत्येक राष्ट्र की सभी नीतियों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा-नीति मानी जाती है। उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक एवं वैदेशिक नीतियां इस बात पर अधिक निर्भर करती हैं, कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं किन सन्दर्भों में परिभाषित की गई हैं ? किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा वहाँ के सुदृढ़ सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे पर निहित होती है। सुरक्षा एक व्यापक शब्दावली है, जिसका सम्बन्ध प्रादेशिक अखण्डता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा आन्तरिक मान्यताओं की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने से भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तावित करने के प्रयास किए जाते हैं जिनके आधार पर सम्भावित समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति प्राप्त की जा सके। वर्तमान परिवेश में इस शक्ति के रूप में नित्य नवीन व अत्याधुनिक शस्त्रों के जखीरे जमा किये जा रहे हैं। यह वास्तव में अनुत्पादक व्यय होने के बावजूद प्रत्येक राष्ट्र अपने कुल राष्ट्रीय व्यय अथवा कुल राष्ट्रीय आय (जी० एन० पी०) का अधिकांश भाग हथियारों के रूप में व्यय करने को मजबूर है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अध्ययन, मनन एवं चिन्तन के साथ ही उपयुक्त कार्यवाही करना भी अत्यन्त आवश्यक होता है। किसी भी राष्ट्र के सुरक्षा परिवेश को उस पर पड़ने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक एवं सामरिक दबाव भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी रक्षा एवं सुरक्षा का प्रश्न सर्वाधिक अहम् होता है। किसी भी देश की रक्षा नीति, विदेश नीति, परमाणु नीति एवं कूटनीति उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा पर आधारित होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति अथवा उसकी रक्षा करता होता है। राष्ट्रीय अखण्डता एवं अस्मिता की सुरक्षा हेतु देश का शक्तिशाली होना आवश्यक है। राष्ट्र तथा उसके हर हिस्से की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक तथा सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही समस्त विश्व में घटित घटनाओं और क्षेत्रीय समस्याओं का भी प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव प्रत्येक राष्ट्र के सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करता है। अपने सामयिक व सामरिक सुरक्षा परिवेश को दृष्टि में रख कर हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि भारत निश्चित रूप से अत्यन्त जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस समय भारत के भीतरी तथा बाह्य सीमा पर घातक तत्त्वों का गठजोड़ ऐसा परिवेश पैदा कर रहा है जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी व कड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

हम सभी जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के मामले को सदैव ही सर्वोपरि मानता है। 21वीं सदी में प्रवेश पाने के पश्चात् भी विश्व के सामरिक परिवेश में परिवर्तन की प्रक्रिया अनवरत जारी है। वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण एवं व्यापारीकरण के नाम पर अपना आर्थिक एवं सामाजिक वर्चस्व स्थापित करने की होड़ चल रही है। दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, रूस और अफ्रीका में अस्थिरता एवं अनिश्चितता और निश्चित रूप से कुछ न कहे जाने की स्थिति बराबर बरकरार है। शान्ति, विकास एवं नई विश्व व्यवस्था के स्थान पर आज हम नवीन संघर्ष और लगातार व्याप्त अव्यवस्थाएं अनुभव कर रहे हैं। आज भले ही अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं चल रहे हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय हिंसा, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, विद्रोह और बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप एवं इराक में जबरन जंग ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना राष्ट्र का स्वयं का उत्तरदायित्व है और इसके लिए राष्ट्र का स्वयं ही शक्ति जुटाना बेहद जरूरी है। किसी भी आक्रमण का प्रतिकार करने हेतु तथा अपने क्षेत्र में शान्ति स्थिरता के विकास के लिए रचनात्मक सहयोग प्रदान करने हेतु उपेक्षित स्तर की सैन्य क्षमता एवं सैन्य तैयारी बेहद जरूरी है।

प्रादेशिक अखण्डता को सुरक्षित रखना राष्ट्र का सर्वप्रथम और महत्त्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा उन मूल्यों एवं हितों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, जिन्हें राष्ट्र सुरक्षित रखने के साथ सम्बद्धित रखना चाहता है। प्रत्येक राष्ट्र की सभी नीतियों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील उसकी रक्षा नीति मानी जाती है। उसकी राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक रक्षा व विदेश नीतियां इस बात पर अधिक निर्भर करती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं

किन सन्दर्भों में परिभाषित भी गई हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा वहां के सुदृढ़ सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक ढांचे पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा मूल रूप से राष्ट्रीय हितों से जुड़ी होती है। राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल उद्देश्य होता है। यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र को अपनी एकता, अखण्डता व सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का आन्तरिक व बाह्य दृष्टि से अध्ययन, मूल्यांकन व मीमांसा करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। नि:सन्देह कोई भी राष्ट्र पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में अपना अस्तित्व व अखण्डता बनाए रखते हुए शान्तिपूर्ण ढंग से चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के द्वारा ही राष्ट्र अपने आन्तरिक व बाह्य खतरों के विरुद्ध अपने मार्मिक मूल्यों को परिलक्षित कर सकते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत ऐसी नीतियों एवं परिस्थितियों को प्रस्तावित करने के प्रयास किए जाते हैं, जिसके आधार पर सम्भावित सभी समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति प्राप्त की जा सके। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत सामरिक क्षमता के अतिरिक्त आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक , भौगोलिक एवं औद्योगिक तत्त्व भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा उसकी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती है। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम्, व्यापक एवं लचीला शब्द है। प्रत्येक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग प्रकार की होती है। यह भौगोलिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होती है। सुरक्षा समस्याओं के मूल देश के आन्तरिक परिवेश में उसी तरह से समाहित होते हैं, जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश के तहत निहित रहते हैं आन्तरिक परिवेश के अन्तर्गत देश के प्राकृतिक साधन प्रौद्योगिक प्रकृति, भौगोलिक बनावट, निवासियों की प्रकृति व प्रवृत्ति आदि का सुरक्षा समस्याओं से अभिन्न सम्बन्ध होता है। यद्यपि समय के परिवर्तन के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधारभूत तत्त्वों की स्थितियों में महत्ता के आधार पर परिवर्तन होता रहता है।

राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा की व्याख्या अलग-अलग किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है ताकि इसकी अवधारणा को भली-भान्ति समझा जा सके। राष्ट्रीय रक्षा वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक आवश्यक एवं अपरिहार्य आधारभूत तत्त्व है जिसको सुरक्षा की योजना के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। बदलती परिस्थितियों एवं उभरते हुए वैश्विक परिवेश के कारण रक्षा का दायित्व केवल सेनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, फिर भी सुरक्षा के सन्दर्भ में सेना की सर्वोपरि भूमिका के कारण राष्ट्रीय रक्षा का अपना एक विशेष महत्त्व है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार विश्व परिस्थितियों के परिवर्तन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश में भी परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ के विघटन एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो जाने के बावजूद विश्व में अधिक स्थिरता नहीं आयी है। सुरक्षा परिवेश का उल्लेख करने से पूर्व रक्षा (Defence) एवं सुरक्षा (Security) शब्दों का अलग-अलग विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि विषय का अध्ययन, चिन्तन एवं मनन सही अर्थों में किया जा सके।

रक्षा की अवधारणा
(Concept of Defence)

यद्यपि जन साधारण के लिए 'रक्षा' एवं 'सुरक्षा' दोनों शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है। रक्षा का उत्तरदायित्व निभाना मूल रूप से सशस्त्र सेवाओं का कर्त्तव्य है, परन्तु इसमें सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मन्त्रालय को समस्त राष्ट्र का सक्रिय सहयोग मिलना भी आवश्यक होता है। राष्ट्रीय रक्षा में सामरिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों को अपने अनुकूल बनाना एक प्रमुख बात है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि संघर्ष के लिए उन सशस्त्र सेनाओं को सुसज्जित कर प्रभावी ढंग से अपनी संक्रियाओं को पूरा कर सके। रक्षा के तहत यह सुनिश्चित किया जाना भी सामान्य रूप से आवश्यक है कि सेनाएं भविष्य में सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हों। राष्ट्रीय रक्षा के तहत सशस्त्र सेनाओं के साथ उनकी रक्षा क्षमता, रक्षा तैयारी, रक्षा उत्पादन, रक्षा तकनीकी व प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ-साथ राष्ट्र की आर्थिक व औद्योगिक व्यवस्था एवं उस राष्ट्र के नागरिकों का उत्साह भी आता है। रक्षा नीति के निर्धारण के समय सामरिक परिवेश में होने वाले लगातार परिवर्तन को दृष्टि में रखा जाता है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि तैनात की गई सशस्त्र सेनाएं सुसज्जित हों, उनमें कार्मिकों की तैनाती समुचित हो और उन्हें यथोचित रूप में सहायता प्रदान की जाए ताकि वे संक्रियाओं का कारगर ढंग से निष्पादन कर सकें। सुरक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुव्यवस्थित रक्षा नीति बनाना रक्षा योजना का सार है।

रक्षा योजना सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों के विशेषज्ञों की समन्वित अवधारणा के आधार पर सामरिक एवं प्रौद्योगिक परिवेश का आंकलन ही रणनीति के विकास का आधार है। रक्षा के लिए योजना तैयार करते हुए अनेक सामयिक पहलुओं को भी दृष्टि में रखा जाता है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश, विदेश नीति, राजनयिक चाल, आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और आन्तरिक सुरक्षा परिवेश जैसे आधारभूत तत्त्वों का आंकलन आवश्यक होता है। रक्षा का दायित्व सरकार का न केवल एक आवश्यक व महत्त्वपूर्ण कार्य है बल्कि प्रभुसत्ता का एक असंदिग्ध लक्षण है। रक्षा कार्य का सम्पादन सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की भूमिका का निर्वाह करना होता है। **जे० बन्दोपाध्याय** ने अपनी पुस्तक The Making of India's Foreign Policy में रक्षा के सन्दर्भ में लिखा है, "रक्षा के सन्दर्भ में यह सुरक्षा का एक साधन मात्र है।"

("As regards defence as an instrument of Security.")

वास्तव में रक्षा प्रत्यक्ष रूप से राजनय पर निर्भर अधिक करती है। ("Defence is dependent on diplomacy also in a more direct way.")

रक्षा विशेषज्ञ **एम० एस० खेरा** ने अपनी पुस्तक India's Defence Problem' में रक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया है—"किसी भी राष्ट्र की रक्षा में उसकी सशस्त्र सेनाएं, औद्योगिक व तकनीकी आधार, आर्थिक व्यवस्था तथा उस राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल मुख्य रूप से शामिल होता है।"

जोन जे० क्लार्क ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'The New Economics of National Defence' में लिखा है—

"रक्षा अवधारणा केवल राष्ट्रीय राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि कुछ हद तक सभी संस्थाओं से सम्बन्धित है।" ("The concept of Defence is not restricted to the National State, but applies in some degree to all institutions.")

एक विद्वान के अनुसार, "लक्ष्य प्राप्ति की बाधाओं को हटाना ही रक्षा है।") ("Defence is the process of removal of obstacles in the path of goal.")

जे० सी० टी० डोने (J.C.T. Downey) ने अपनी पुस्तक Management in the Armed Forces' में रक्षा को इस प्रकार से वर्णित किया है—"आज की चुनौतीपूर्ण दुनिया के सामने वस्तुत: रक्षा किसी प्रकार की लोकनीति की सबसे अधिक एक जटिल व्यवस्था है। इसका राष्ट्र की बाहरी नीतियों के साथ निकट सम्बन्ध है तथा कुछ देशों की आन्तरिक नीतियाँ भी इस पर निर्भर करती हैं।" ("Defence is probably the most intricate single branch of public policy of any kind, even in the complex world of today. It is closely related to a nation's external policies and, in some countries, internal policy may also depend on it.")

डॉ० नगेन्द्र सिंह ने अपनी पुस्तक 'आधुनिक राज्य का सुरक्षा बल' में रक्षा के सन्दर्भ में लिखा है, "रक्षा सरकार का सम्मानित समय राजनीतिक राज्य के उदय से ही प्रभुता का आवश्यक लक्ष्य रहा है। इसके कार्य सम्बन्धी मापदण्ड देश और काल के अनुसार बदलते रहे हैं पर वास्तविक तथ्य तो यह ही लिखित इतिहास के आरम्भ से ही प्रत्येक राज्य ने अपनी रक्षा हेतु सशस्त्र सेनाएं रखी हैं।"

इस सन्दर्भ में **वाल्टर लिपमैन** का यह कथन भी उल्लेखनीय है—

"कोई राष्ट्र उसी सीमा तक सुरक्षित है जितनी दूर तक उसे, यदि वह युद्ध से बचना चाहता है वो अपने आधारभूत मूल्यों को बलिदान करने के लिए मजबूर होने का खतरा नहीं है और उसे चुनौती दी जाए तो वह युद्ध के द्वारा इसे बनाए रखने के योग्य होता है"।

("A nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values, if it wishes to avoid war, and is able if challenged to maintain them by victory in such of war.")

राष्ट्रीय रक्षा देश की सामरिक शक्ति, सामरिक क्षमता, सामरिक योग्यता, सामरिक दक्षता, सामरिक विकास, सामरिक संसाधन एवं सामरिक मूल्यों का एक संगठित स्वरूप है। सामरिक क्षमता तथा योग्यता का निर्धारण सैनिकों व साज-सज्जा के साथ ही श्रेष्ठ शस्त्रों द्वारा किया जाता है। सामरिक विकास के अन्तर्गत रक्षा अनुसन्धान एवं विकास कार्यों की प्रगति के आधार पर सुनिश्चित होता है। इसी प्रकार सामरिक मूल्यों के अन्तर्गत सैनिकों के व्यक्तिगत गुण, चरित्र, प्रतिभा, प्रशिक्षण, दक्षता, योग्यता, प्रेरणा, कौशल, मनोवृत्ति व मनोबल के साथ ही राष्ट्र का गौरवशाली

इतिहास व परम्परा भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी राज्य सदैव अपनी रक्षा शक्ति को दूसरे राज्यों की तुलना में यथापूर्वक बनाए रखने और बढ़ाने का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं। ये सभी कार्य अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। राष्ट्रीय रक्षा राष्ट्र की वह सामरिक शक्ति है जिसके आधार पर दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियन्त्रण रखने का प्रयास किया जाता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा लेता है। अमेरिका द्वारा इराक में छेड़ी गई जबरन जंग इसी का एक उदाहरण है। राष्ट्रीय रक्षा राष्ट्र की सैन्य शक्ति का प्रतीक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय हित का एक साधन है।

सुरक्षा की अवधारणा
(Concept of Security)

राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा यह है कि किसी भी प्रकार के संकट से अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित रखना है। इसके लिए राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, राजनीतिक, राजनयिक, वैदेशिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्त्व पूर्ण रूप से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के सन्दर्भ में इन सभी तत्त्वों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है ताकि समस्त परिस्थितियां अपने पक्ष में रहें और विपक्षी पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा किसी राष्ट्र की वह क्षमता होती है जो अपने आन्तरिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। सही अर्थों में राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को हम संक्षिप्त में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं—

"**एक राष्ट्र की चेतावनी के प्रति बचाव रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है।** ("Nation Security is the protection against the threat of a nation.")

जे० बन्दोपाध्याय की प्रसिद्ध पुस्तक 'The Making of Indias's Foreign Policy' के अनुसार, "**राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा, आर्थिक विकास तथा राजनय भिन्न होते हुए भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।**" ("From the point of view of National Security, therefore, defence, economic development and diplomacy are inseparately inter connected.")

सुरक्षा का सर्वाधिक प्रचलित उत्तर सीमा क्षेत्र को अखण्ड बनाए रखना है अथवा दूसरे शब्दों में राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। किन्तु सम्पूर्ण सम्प्रभुत्ता के बिना न तो राज्य क्षेत्र की अखण्डता रह सकती है और न ही सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र की अखण्डता के बिना सम्प्रभुत्ता को सही सुरक्षा कहा जा सकता है। ("The most popular answer is that Security means preservation of the territorial integrity, or in other words, the boundaries of the state. But neither territorial integrity without full. Sovereignty nor Sovereignty without full territorial integrity can be considered to be true security.")

फ्रैंक टारजेन व फ्रैंक एल० साइमोन ने अपनी पुस्तक 'National Security and American Society : process and policy"में किया है—

राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की नीतियों का एक अंग है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा व पूर्ति हेतु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ऐसी परिस्थितियां बनाना है, जिसमें महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मान्यताओं का विस्तार करके उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। ("National Security may be defined as a part of the government policy having as its objectives the creation of nation and international conditions favourable to the protection or extention of vital national values against existing and potential adversaries.")

भारतीय सैन्य विशेषज्ञ **एयर कमोडोर जसजीत सिंह** ने राष्ट्रीय सुरक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया है—

"राष्ट्रीय सुरक्षा द्वारा ही राष्ट्र बाहरी एवं आन्तरिक खतरों के विरुद्ध अपने मार्मिक मूल्यों को परिलक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों एवं ढांचे का निर्माण करने से पहले किसी भी राष्ट्र को अपनी आन्तरिक व बाह्य संकटों का स्वरूप एवं प्रकृति का विश्लेषण अति आवश्यक है।"

प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक चिन्तक **प्रो० महेन्द्र कुमार** ने अपनी पुस्तक 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष' में लिखा है, "**आदर्श सुरक्षा नीति वह है जो मूल्यों का ऐसा वितरण करने में सहयोग देती है जो सब राष्ट्रों को सन्तुष्ट कर सके और इस प्रकार आक्रमण की सम्भावना को न्यूनतम करने में सहायक हो। राष्ट्रीय सुरक्षा की**

आवश्यकताओं और अन्य राष्ट्रों के हितों को निकटतम सीमा तक ध्यान में रखने पर ही आज के नीति निर्माता जोर देते हैं।"

वर्तमान परिवेश में युद्ध का स्वरूप सम्पूर्ण व सर्वव्यापक हो जाने के कारण युद्ध जन-साधारण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वही अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भागीदार भी बन जाता है। आज किसी राष्ट्र की सुरक्षा का अर्थ केवल उसकी सेना तक सीमित न होकर आर्थिक, औद्योगिक, भौगोलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्रौद्योगिक विकास एवं राजनैतिक पहलुओं तक विस्तृत है। वास्तव में सुरक्षा प्रत्येक सम्भव साधन द्वारा मानव अस्तित्व को स्थिरता व सुरक्षा प्रदान करने की एक सैन्य प्रक्रिया है। किसी राष्ट्र की सुरक्षा उसकी सुरक्षा और पूर्ण सुरक्षा के बीच किसी भी जगह हो सकती है। सुरक्षा के प्रयास निश्चय ही शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न बन जाते हैं क्योंकि सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि या तो आक्रमण का जबाव देने के लिए या सम्भावित विद्रोही को हमला करने से रोके रहने के लिए बल का संचय होना चाहिए। उदाहरण के लिए आज जो भारत का रक्षा व्यय बढ़ रहा है वह पड़ोसी पाकिस्तान की विद्रोही गतिविधियों के कारण ही नवीन शस्त्र प्रणाली सुरक्षा के नाम पर शक्ति जुटाने के कारण विवश है। इसीलिए कहा जाता है, **"शक्ति अपनी इच्छा के अनुकूल दूसरे के व्यवहार को नियन्त्रित करने की योग्यता है।"** ("Power is the ability to control the behaviour of others in accordance with one's own will.")

यद्यपि सुरक्षा में रक्षा शक्ति या सैनिक शक्ति का स्वरूप सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार है। इसलिए इस तत्त्व को प्राप्त करना प्रत्येक राष्ट्र का पहला कर्त्तव्य होता है। आक्रमण या युद्ध से किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा सुरक्षा को भंग करने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा प्राप्त करने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य साधन सैन्य शक्ति ही वास्तव में राष्ट्र की सुरक्षा एवं विकास परस्पर अन्तर्सम्बन्धित एवं एक-दूसरे के पूरक हैं। सार रूप में प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, जिसके लिए रक्षा एक सशक्त साधन है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिसकी कोई भी राष्ट्र अवहेलना नहीं कर सकता, किन्तु इसका एक बड़ा दोष यह भी है, कि सुरक्षा के नाम पर आक्रामक कार्यवाही को बढ़ावा तो मिलता ही है इसके साथ ही यदि हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है तो विनाश की ओर निरन्तर बढ़ने की आंशका बनी रहती है। इसके लिए जरूरी है राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के आधार पर बनाई गई नीति किसी हद तक अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा के हितों का भी ध्यान रखे। ऐसा होने पर ही दूसरे राष्ट्रों की शक्ति प्रयोग का सहारा लेने की इच्छा को न्यूनतम किया जा सकता है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र की पूर्ण सुरक्षा सम्भव नहीं है, चाहे वह संसार का सर्वशक्ति सम्पन्न राष्ट्र ही क्यों न हो। वर्तमान स्थिति में सोवियत संघ के पतन के साथ ही विश्व में अमेरिका का वर्चस्व अवश्य बढ़ गया है, किन्तु वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की पूर्ण गारण्टी नहीं दे सकता है। सर्वोच्च शक्ति अमेरिका भी अपनी सुरक्षा को लेकर निरन्तर चिन्तित है।

हम राष्ट्रीय रक्षा (National Defence) के अन्तर्गत जहां सामरिक एवं मनोवैज्ञानिक तैयारी करते हैं, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का स्तर राष्ट्रीय रक्षा की तुलना में अधिक व्यापक है और राष्ट्रीय रक्षा (National Defence), राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान परिस्थितियां इस प्रकार बन गई हैं कि प्रत्येक राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा हमेशा दांव पर लगी रहती है, यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा केवल एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या रही है, जिसके आधार पर ही राष्ट्र का बहुमुखी विकास के साथ सतर्कता सम्भव हो पाती है। यह आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था से अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था तक को अपने अनुकूल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्त्व को कोई नकार नहीं सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा को हम यदि मानव शरीर कहें तो राष्ट्रीय रक्षा की तुलना दाहिने हाथ के रूप में कर सकते हैं। अतः एक राष्ट्र को सफल एवं सतर्क रहने के लिए दोनों की ही महत्ता की अनदेखी नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षा, आर्थिक विकास एवं राजनय (Diplomacy) एक-दूसरे के अविभाज्य अंग हैं। रक्षा को सुरक्षा का यन्त्र भी कहा गया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ रखने के लिए राष्ट्रीय रक्षा नीति, आर्थिक विकास, राजनय आदि को उसी के अनुसार प्रयोग में लाना आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा देश का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक राष्ट्र को महसूस होती है और इसी के कारण साधन के रूप में रक्षा (Defence), राजनय एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा केवल सम्भावित आक्रमण से ही नहीं होता बल्कि राष्ट्र की आर्थिक दशा, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कट्टरता, अलगाववाद, उग्रवाद, जातीयता, मानसिक विघटन, भौगोलिक विभाजन, एकता व अखण्डता का अभाव, सांस्कृतिक पतन तथा सामान्य जन-जीवन में बिखराव आदि तत्त्वों से भी उतना ही खतरा बना रहता है। जहां तक रक्षा का प्रश्न है वह राष्ट्रीय सुरक्षा का क्रियात्मक साधन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जिस देश की रक्षा व्यवस्था, रक्षा नीति, रक्षा विकास एवं अनुसंधान तथा रक्षा तैयारी जितनी अधिक सुदृढ़ होती है, उतना ही अधिक वह राष्ट्र अपने को सुरक्षित अनुभव करता है किन्तु यह एक सफलता के प्रति मात्र एक ज़ोरदार आश्वासन अधिक है वास्तविकता में अन्य तत्त्वों का भी अपना ही महत्त्व है। सुरक्षा के सन्दर्भ में उनकी भी पूर्ण अवहेलना नहीं की जा सकती है।

इस प्रकार जब हम सुरक्षा (Security) एवं रक्षा (Defence) का विवेचन करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि राष्ट्र रूपी शरीर की सुरक्षा में रक्षा रूपी हाथों के द्वारा ही हम अपने आप को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) एक शरीर है तो राष्ट्रीय रक्षा (National Defence) उसके दोनों हाथ। जिस प्रकार एक शरीर की संरचना में प्रत्येक अंग का अपना ही महत्त्व है ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा में रक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी तत्त्वों की सक्रिय भूमिका रहती है। उन्हें कभी नकारा नहीं जा सकता।

किसी राष्ट्र की सुरक्षा उसकी सुरक्षा तथा पूर्ण असुरक्षा के बीच किसी भी स्थिति में हो सकती है। जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् फ्रांस ने अनुरोध किया था कि उन्हें जर्मन के परम्परागत भय के कारण सुरक्षा की अतिरिक्त गारण्टियां दी जाए, उस समय राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य शक्तियों ने यह विचार प्रकट किया था कि फ्रांस के अपतन्त्रक या असंगत आशंकाओं को बिना स्वीकार किए फ्रांस के लिए विद्यमान समस्याओं का सही-सही अनुमान लगाया जाए। यह सर्वविदित तथ्य है कि एक ही स्थिति में राष्ट्रों की तथा राष्ट्रों के मध्यस्थ समुदायों की प्रतिक्रियाओं में बड़ा अन्तर होता है। जैसे भारत को पाकिस्तान और चीन से सदैव संकट की आंशका रहती है।[1] जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का हवाला देकर निरन्तर नवीन व आधुनिक हथियार जुटाने में रहता है और इसी खतरे की आड़ लेकर परमाणु बम भी बना लिया। आधुनिक लड़ाकू विमान प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा समस्या के नाम पर ही जुटा रहा है। चीन का 30वां परमाणु परीक्षण तथा रूस के पतन के बाद उसका स्थान ग्रहण करने की ललक भी हमारी सुरक्षा समस्या का एक बड़ा संकट बन सकती है। यद्यपि उसने अब दोस्ती के हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं किन्तु उसकी दोस्ती 'नादान दोस्ती' एक बार सिद्ध हो चुकी है। अत: दोस्ती भी डर के साथ हो वह भी सुरक्षा की एक समस्या ही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा जहां एक व्यापक शब्दावली का बोध कराती है वहां राष्ट्रीय रक्षा इस बोध के प्रति सतर्कता रखने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन का सूचक है। राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा का अभिप्राय किसी राष्ट्र के आन्तरिक एवं बाह्य गड़बड़ियों पर पूर्ण नियन्त्रण, क्षमता और आपात्काल में शत्रु को करारा जवाब देने की सतर्कता एवं दक्षता से भी लिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा इतनी व्यापक है कि राष्ट्र के प्रत्येक पहलू पर पकड़ रखनी पड़ती है चाहे वह सैनिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी अथवा राजनीतिक पहलू हो। यह कारण है, कि आधुनिक युद्धों में केवल सैनिक कार्यवाही या दबाव को ही महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता बल्कि अन्य तत्त्वों का भी भरपूर सहयोग लिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचाने का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है, जैसा कि पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकार के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के समक्ष अपना प्रस्ताव पारित कराना चाहता था किन्तु हताश, निराश एवं असहाय होकर पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की एक कुटनीतिक सफलता का ही एक अंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ही सुरक्षा परिवेश में भी परिवर्तन करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश को सुदृढ़ बनाने के लिए जहां आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति की मूलभूत आवश्यकता होती है वहां आम लोगों में सुरक्षा-चेतना जागृत करना भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इसके लिए सामाजिक विकास एवं शिक्षित समूह का होना प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। जिस राष्ट्र के लोगों में सुरक्षा-चेतना आ गई है, वह राष्ट्र स्वयं स्वावलम्बी, विकसित एवं सुरक्षित होकर सुरक्षा परिवेश को भी सुदृढ़ कर लेता है। राष्ट्रीय सुरक्षा चेतना एक ऐसी धारणा है जोकि राज्य के सुरक्षा एवं रक्षा तन्त्र को मज़बूत बनाती है।

1. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष—महेन्द्र कुमार (1984) पेज—279

राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिप्राय जहां राष्ट्र को सतर्क, सबल एवं सुव्यवस्थित बनाना होता है वहां इसको सुदृढ़ करने के प्रयास शक्ति सन्तुलन बनाए रखने की लालसा में युद्ध की स्थिति को बढ़ावा देते हैं। आज सुरक्षा की अवधारणा में भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सुरक्षा की आड़ में निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए रक्षा साधनों, उत्पादनों एवं हथियारों से शक्ति-सन्तुलन के नाम पर शान्ति एवं सुरक्षा को ही आघात पहुंचाया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे पाकिस्तान अभी हाल में अमेरिका से आधुनिक लड़ाकू विमान एफ–16 की एक और खेप ले रहा है जिससे भारतीय उप-महाद्वीप का शक्ति सन्तुलन बिगड़ जाएगा और हथियारों की दौड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जोकि सुरक्षा व्यवस्था को रक्षा साधनों की वृद्धि से अव्यवस्थित करने की खतरनाक चाल है।

अतः सुरक्षा का अभिप्रायः जहां राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्र के गौरव एवं गरिमा को बनाए रखते हुए शान्तिपूर्ण तरीके से विकसित करना है, वहां रक्षा साधनों को जुटाये रखकर विपक्षी को युद्ध से भयभीत करना होता है, ताकि वह अपने नापाक इरादे न दिखा सके। जब कोई राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर कोई कार्य करता है तो इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि वह वास्तव में सुरक्षा उपाय अपना रहा है या अपने अन्य उद्देश्य को छिपाने के लिए सुरक्षा का पर्दा ढ़कना चाहता है। यही कारण है कि सुरक्षा की ऊँची आकांक्षा (मनोकामना) वाले राष्ट्रों पर अधिकतर शंका की जाने लगती है, कि वह अपने अधिक आक्रामक उद्देश्य छिपा रहा है। सुरक्षा के लिए मैत्री सम्बन्ध एवं तटस्थता की नीति सर्वोत्तम साधन है, किन्तु रक्षा साधनों के साथ हथियारों के विकास की भी अवहेलना नही की जा सकती है। अतः सुरक्षा व्यवस्था एक शारीरिक संरचना है तो रक्षा उसका महत्त्वपूर्ण दाहिना अंग है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्त्व

प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा नीति का निर्माण अपने देश की आन्तरिक एवं बाह्य समस्याओं को ध्यान में रखकर करता है। वर्तमान परिवेश में सभी देश अपनी शक्ति व सुरक्षा व्यवस्था को सदैव दूसरे देशों की तुलना में यथापूर्वक बनाये रखने और सुदृढ़ बनाने का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भावनात्मक, मौलिक एवं मार्मिक मूल्यों तथा मापदण्डों को सुरक्षित रखने का संकल्प करते हुए राष्ट्र के विकास की गति को निरंतरता बनाये रखना होता है। किसी राष्ट्र की रक्षा आज उसकी सशक्त सेवाओं तथा सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। सम्पूर्ण राष्ट्र के समस्त साधनों का सक्रिय सहयोग सुरक्षा व्यवस्था में होता है और प्रत्येक पहलू की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। एक राष्ट्र को सशक्त, सबल एवं प्रगतिशील बनाने के लिए रक्षा के साथ-साथ राष्ट्र के अन्य आवश्यक सुरक्षा तत्त्वों की कदापि अवहेलना नहीं की जा सकती है। एक राष्ट्र रूपी शरीर की सुरक्षा में प्रत्येक अंग का अपना-अपना महत्त्व है। सुरक्षा के लिए सेना रूपी सशक्त भुजाओं के अलावा अन्य अंगों को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सब के सहयोग से ही बाहुबल (सेना) सशक्त हो सकती है।

वर्तमान युग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने जहां युद्ध के स्वरूप को सम्पूर्ण बना दिया है, वहां सम्पूर्ण युद्ध के फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वरूप भी विस्तृत हो गया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सन्दर्भ में राष्ट्र की सामाजिक शक्ति के साथ-साथ उसकी आर्थिक, भौगोलिक, औद्योगिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी स्थिति का भी परीक्षण किया जाता है । अब राष्ट्रीय सुरक्षा भाव रक्षा साधनों एवं सामरिक शक्ति पर निर्भर नहीं करती बल्कि राष्ट्र की सम्पूर्ण प्रगति एवं समस्त साधनों से भी प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हो चुकी है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्त्वों का उल्लेख करना आवश्यक है, जिससे सुरक्षा की अवधारणा को सही रूप में समझा एवं अनुभव किया जा सके । राष्ट्रीय सुरक्षा के तत्त्व इतने अधिक अन्तर्निर्भर एवं परस्पर एक-दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं कि एक-दूसरे का उल्लेख किये बिना सही रूप में मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति का निर्धारण किसी एक या कुछ कारकों द्वारा नहीं वरन् अनेक कारकों के सम्मिश्रण द्वारा होता है, जो सुरक्षा नीति को अलग-अलग स्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं।

किसी राष्ट्र को सुरक्षा हेतु उसका आकार, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास, संस्कृति एवं इतिहास, विदेश नीति, बड़ी शक्तियों की संरचना, गठबन्धनों की स्थिति, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संरचना, जनमत, राजनीतिक उत्तरदायित्व, कूटनीति, सरकारी संरचना तथा आन्तरिक व बाह्य परिस्थितियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्धारक कारकों में स्थान दिया गया है। सामान्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्धारक के रूप में जिन कारकों पर विद्वानों की आम सहमति है वे हैं—

(1) भूगोल (Geography)
(2) आर्थिक विकास (Economic Development)
(3) राजनीतिक परम्परा (Political Tradition)
(4) स्वदेशी वातावरण (Domestic Milieu)
(5) अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण (International Milieu)
(6) मानवीय तत्त्व (Human Factor)
(7) सैनिक शक्ति (Military Strength)
(8) राष्ट्रीय चरित्र (National Character)
(9) प्रौद्योगिकी प्रगति (Technological Development)
(10) कूटनीति (Diplomacy)

1. भूगोल
(Geography)

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में वहाँ के भूगोल की सक्रिय भूमिका होती है, क्योंकि यह तत्त्व सबसे अधिक स्थिर, स्थायी, प्रत्यक्ष व प्राकृतिक होता है। एक राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और उसे शक्ति प्रदान करने में भूगोल के महत्त्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप भौगोलिक तत्वों में परिवर्तन क्षमता आ गई है, किन्तु इसकी वास्तविकता में परिवर्तन पूरी तरह करना आज भी संभव नहीं हो सका है। सुरक्षा के सन्दर्भ में आज भी भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख एवं निर्णायक भूमिका निभाती हैं। डॉ० ए० एन० सिन्हा के अनुसार "**सुरक्षा समस्याओं के मूल देश के आन्तरिक परिवेश में उसी प्रकार से निहित होते हैं, जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में । आन्तरिक परिवेश के अन्तर्गत देश के प्राकृतिक साधन, भौगोलिक विशेषतायें, निवसियों की प्रकृति आदि का सुरक्षा समस्याओं से अभिन्न सम्बन्ध होता है।**"

के ० एम० पणिक्कर के अनुसार—"**जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उसका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्त्व से हुआ करता है। यह समझाना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा सम्बन्ध है। क्योंकि प्रत्येक देश की भौगोलिक विशेषताओं में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए प्रत्येक देश की विदेश नीति के कुछ स्थायी पहलू होते है। वास्तव में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि विदेश नीति भूगोल द्वारा निर्धारित होती है।**"

इस सन्दर्भ में **डॉ० एयर्स** का यह कथन भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है—"**समझौते तोड़े जा सकते हैं, सन्धियां भी एक तरफा समाप्त की जा सकती हैं, परन्तु भूगोल अपने शिकार को जमकर पकड़े रखता है।**" प्रसिद्ध सेनापति **नेपोलियन बोनापार्ट** ने भी कहा था—"**किसी राष्ट्र की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित की जाती है।**" **निःसन्देह भूगोल राष्ट्र की सुरक्षा में सर्वाधिक सहायक तत्त्वों में से एक आवश्यक तत्त्व है।**"

भारत के सन्दर्भ में सुरक्षा के मामले में भूगोल की भूमिका अत्यधिक है। भारत की सुरक्षा नीति के निर्धारण में भारत का आकार, एशिया में उसकी स्थिति तथा दूर-दूर तक फैली स्थलीय एवं समुद्रीय सीमायें अत्यन्त संवेदनशील हैं। पड़ोसी पाक, चीन, नेपाल, बंगलादेश, म्यांमार एवं भूटान की स्थलीय सीमाओं के साथ हिन्द महासागर जैसे सामुद्रिक क्षेत्र भारत की सुरक्षा को सतत सतर्क रहने का संदेश देते हैं। हिन्द महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि वह स्वतन्त्र एवं शांति क्षेत्र बना रहे । अब हम भूगोल के उन प्रमुख महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का उल्लेख करते हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विशेष व सहायक अंग का कार्य करते हैं—

(*i*) स्थिति (Location)
(*ii*) आकार (Size)
(*iii*) जलवायु (Climate)
(*iv*) भू-आकृति (Topography)
(*v*) सीमायें (Bounderies)

(*i*) स्थिति (Location)—किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में सर्वप्रथम वहाँ की भौगोलिक स्थिति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि स्थलीय या समुद्रीय स्थिति के आधार पर ही रक्षा तैयारी एवं साधन जुटाये जाते हैं। उदाहरण के लिए नेपाल को समुद्री बेड़ा व नौ-सेना की जरूरत नहीं है, जबकि भारत के लिए स्थल, वायु एवं नौ-सेना सहित

1. डॉ० ए० एन० सिन्हा— राष्ट्र राज्यों में पर राष्ट्रनीति (पटना)

तीनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरी ओर समुद्री क्षेत्र में राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के कारण ब्रिटेन एवं जापान को नौ-सेना पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। भारत अपनी उपमहाद्वीपीय स्थिति के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अपनी शक्तिशाली भूमिका निभा रहा है, वहाँ पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही चीन एवं अमेरिका को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अमेरिका अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही पृथकतावाद की नीति पर चल सका था । मध्यपूर्व तथा यूरोप अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण ही शक्ति की प्रतिद्वन्द्वता के संभावित क्षेत्र हैं।

यह कटु सत्य है कि एक राष्ट्र अनुकूल भौगोलिक स्थिति से जहाँ शक्तिशाली एवं सम्पन्न बन सकता है वहाँ प्रतिकूल स्थिति उसकी राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने में सर्वाधिक सक्षम होती है। समुद्री सीमा पर स्थित राष्ट्र की शक्ति प्रबल हो सकती है जबकि थल क्षेत्र में स्थित राष्ट्र जैसे—अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाड़ माली तथा बोलीबिया आदि कभी भी आर्थिक, राजनैतिक तथा सामरिक शक्ति सम्पन्न नहीं हो सकते । इसके लिये भौगोलिक स्थिति एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। भौगोलिक स्थिति में पड़ोसी राष्ट्रों के सम्बन्ध भी बहुत हद तक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों की नीतियां, सम्बन्ध एवं उनके हित का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । इसके साथ उनकी रक्षा तैयारी, शस्त्र सज्जा एवं सामरिक परिवेश भी प्रभावित करता है। इसीलिए **कार्सन** (Carlson) ने लिखा है—"**भूगोलवेत्ता नहीं मानेंगे कि एक राष्ट्र के अध्ययन में उसकी स्थिति महत्त्वपूर्ण होती है।**"

(*ii*) आकार (Size)—राष्ट्रीय सुरक्षा के आधारभूत तत्त्वों में उस राष्ट्र का भौगोलिक आकार भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है। एक बड़े आकार वाले देश में जहाँ प्राकृतिक संसाधन, कच्चा माल तथा एक बड़ी संख्या समा सकती है वहाँ यह तत्त्व उस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आक्रमण की स्थिति में अपनी परिधि में रहकर पीछे हटते हुए देश की सुरक्षा भी की जा सकती है। एक बड़े क्षेत्र वाले राष्ट्र को पराजित करना एक कठिन कार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण है कि सोवियत संघ के बड़े आकार के कारण ही एडाल्फ हिटलर को पराजित होना पड़ा। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि जहाँ देश का भौगोलिक आकार उस राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में सहायक सिद्ध होता है वहाँ बड़े आकार के कारण सुरक्षा समस्याएं वृहद तथा जटिल हो जाती हैं। आकार वास्तव में सहायक एवं बाधक दोनों प्रकार का तत्त्व है। अपर्याप्त साधन, जंगल, पहाड़, दलदल, रेगिस्तान, बर्फीले क्षेत्र ग्लेशियर तथा घातक जलवायु वाला बड़ा आकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाधक होता है। उदाहरण के लिए उत्तर में बर्फीले क्षेत्र हिमालय तथा दक्षिण में लम्बी समुद्री सीमा का आकार भारतीय सुरक्षा को जटिल बनाता है। भौगोलिक दृष्टि से आकार में छोटे राष्ट्र कई बार सर्वशक्तिमान् बन जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन एवं जापान हैं। इजराइल भी एक अन्य उदाहरण है जो आकार में छोटा होने के बावजूद शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों में से एक है। अनेक आकार में बड़े राष्ट्र जैसे, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा सूडान आदि आकार की दृष्टि से शक्ति सम्पन्न नहीं हैं। किन्तु यह बात अवश्य सही है कि भौगोलिक दृष्टि से बड़े आकार वाले राष्ट्र ही अधिक बलशाली बन जाते है। अत: देश के भौगोलिक आकार के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है।

(*iii*) जलवायु (Climate)—राष्ट्रीय सुरक्षा के भौगोलिक तत्त्वों में उस देश की जलवायु का सक्रिय योगदान होता है, क्योंकि जलवायु के माध्यम से ही उस देश का खाद्य उत्पादन, अर्थव्यवस्था, रहन-सहन तथा राष्ट्र की संस्कृति सुनिश्चित की जाती है। जिन राष्ट्रों में अत्यधिक गर्मी, सर्दी, शुष्कता या उष्णता होती है, उन्हें अनेक प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक बार यह जलवायु परिस्थितियां उस देश की सुरक्षा एवं विकास के लिए एक बड़ी बाधा बन जाती हैं। वास्तव में अत्यधिक तापमान और कम तापमान ही, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव सामरिक योजना एवं सामरिक कार्यवाही पर भी पड़ता है। भारत की प्रगति में मानसून की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है, मानसून सफलता एवं असफलता के आधार पर ही भारत की अर्थव्यवस्था अधिक निर्भर करती है, जो कि सामरिक कार्यवाहियों को भी प्रभावित किये बिना नहीं रहती । पूर्व सोवियत संघ की जलवायु उसकी कूटियोजनात्मक कार्यवाही को व्यापक रूप में प्रभावित करती रही।

इस प्रकार किसी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में उस देश की जलवायु अनुकूल होने पर शक्ति का एक बड़ा स्रोत सिद्ध होती है, किन्तु प्रतिकूल जलवायु उसकी एक कमज़ोरी बन जाती है। जलवायु के प्रभाव के फलस्वरूप ही गर्म जलवायु के निवासी आलसी व उदासीन प्रवृत्ति के देखे जा सकते हैं, किन्तु ठण्डी जलवायु में रहने वाले लोग तुलनात्मक दृष्टि से अधिक कुशल एवं स्वस्थ होते हैं। इस प्रकार जलवायु सम्बन्धित राष्ट्र के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिससे इसका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी परिलक्षित होता है।

(*iv*) भू-आकृति (Topography)—राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्र की भौतिक सुरक्षा से सम्बन्धित निर्णयों को भू-आकृति ही निर्धारित करती है। वह सर्वविदित है कि भू-आकृति के आधार पर ही आक्रमण करने, रक्षा करने तथा विकास करने की गति राष्ट्र द्वारा प्रदान की जाती है। राष्ट्र की भौतिक सुरक्षा से सम्बन्धित निर्णयों को भू-आकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। समतल एवं अनुकूल भू-आकृति जहाँ राष्ट्र की शक्ति का काम करती है वही उबड़-खाबड़, पठारी व प्रतिकूल भू-आकृति उस राष्ट्र की कई बार कमजोरी सिद्ध होती है। इस सन्दर्भ में **मेजर भरुच** का यह कथन उल्लेखनीय है—

"Military Compaign of Land are strictly conditioned by the topography of the country in which they are sought."

("किसी राष्ट्र विशेष की भू-आकृति वहां पर लड़े जाने वाले अभियानों को निर्धारित करती है।")

इस सन्दर्भ में **जनरल वेवल** का कहना है—

"किसी भी प्रदेश में होने वाली लड़ाई का स्वरूप वहाँ की भू-आकृति द्वारा तय किया जाता है। सभी प्रकार की भू-आकृति तथा सभी प्रकार की जलवायु पर एक सी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है।"

उदाहरण के लिए भारत में स्थित हिमालय आज भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सहयोग दे रहा है क्योंकि इसका ढाल चीन की ओर अधिक होने के कारण आकस्मिक आक्रमण की संभावनायें कम हैं। यद्यपि तकनीकी विकास के कारण इसके प्रभावों को कम करने में अवश्य सफलता मिली है। ब्रिटेन की सुरक्षा में इंग्लिस चैनल ने सक्रिय सहयोग दिया है। इसी प्रकार अमेरिका की सुरक्षा हेतु अटलांटिक सागर तथा प्रशान्त महासागर शक्ति साधन के रूप में रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा एवं शक्ति निर्धारण में भू-स्थिति व भू-आकृति की भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण होती है।

(*v*) सीमायें (Boundaries)—किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के निर्धारण में उस देश की भौगोलिक सीमायें सक्रिय योगदान देती हैं। सीमायें सुनिश्चित न होने के कारण ही राष्ट्रों के मध्य आपसी विवाद एवं तनाव बढ़ जाते हैं,जबकि प्राकृतिक एवं निश्चित सीमायें राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग एवं शान्ति प्रक्रिया में साझेदारी निभाती हैं। सीमायें किसी भी क्षेत्र की परिधि का बोध करवाती हैं,जोकि उसकी सुरक्षा व्यवस्था की निर्धारक होती हैं। अनिश्चित सीमायें अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी बाधा का काम करती हैं, क्योंकि यह विरोध एवं विवाद का मुख्य आधार होती हैं। इसके सन्दर्भ में भारत-चीन विवाद, ईरान-इराक, इराक-कुवैत, भारत-पाक, चीन-वियतनाम तथा अरब-इज़राइल आदि अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं।

वास्तव में सीमायें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित भी होती हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर शेष सभी सीमायें मानव निर्धारित सीमायें हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच निर्धारित सीमायें आज भी विवादपूर्ण बनी हुई हैं। अब स्थलीय सीमाओं के साथ-साथ समुद्री सीमाओं का महत्त्व बढ़ गया है, क्योंकि समुद्री सीमा प्रादेशिक राज्य पद्धति का एक आवश्यक अंग है। समुद्र से सामान्यतया तटीय रेखा 12 मील की दूरी तक का क्षेत्र समुद्री सीमा के अन्तर्गत माना जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के निर्धारण में सीमाओं की उपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती है।

इस प्रकार किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति हेतु स्थिति, आकार, जलवायु, भू-आकृति एवं सीमायें आदि महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तत्त्व हैं। इनकी उपेक्षा करके कोई भी सशक्त सुरक्षा नीति निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी सम्बन्धित राष्ट्र की यातायात एवं संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, जोकि सुरक्षा का एक प्रमुख पहलू होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा में भूगोल की भूमिका बहुत बड़ी है, किन्तु अन्य तत्त्वों की अवहेलना करके इसके अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।

2. आर्थिक विकास
(Economic Development)

राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने में उस देश का आर्थिक विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है। चूंकि यह तत्त्व जहाँ राष्ट्र की सैनिक शक्ति का एक प्रबल साधन है, वहाँ आम नागरिकों के लिए हितकारी, समृद्धि एवं कल्याण का आधार होता है। आज संसार में उसी राष्ट्र को शक्तिशाली व सुरक्षित समझा जाता है, जिसकी अर्थव्यवस्था विकसित एवं मज़बूत होती है। वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर ही उसकी सशस्त्र सेनायें एवं रक्षा योजनायें पूर्ण रूप से आधारित होती हैं। आज संसार में वही राष्ट्र शक्तिशाली एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता है जिसकी अर्थव्यवस्था विकसित एवं ठोस होती है। आर्थिक विकास के महत्त्व को ध्यान में रखकर ही यह कहा जाने लगा

है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा में सेनाओं के प्रभाव से अधिक आर्थिक विकास का असर पड़ता है क्योंकि सेनायें भी इससे प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि आर्थिक विकास की दौड़ में विकासशील देश आर्थिक सम्पन्न एवं विकसित राष्ट्रों के साथ सहयोग के लिए निरन्तर आतुर व मजबूर रहते हैं।

एक राष्ट्र के आर्थिक विकास के अन्तर्गत उसके समस्त प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता, परिवहन एवं संचार, जनसंख्या, तकनीकी, आर्थिक विकास की विचारधारा, आर्थिक विज्ञान की कूटनीति तथा विदेशी सहायता आदि का भी सक्रिय सहयोग रहता है। वास्तव में यह सभी तत्त्व मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध विचारक व चिन्तक **एंजिल्स** का यह कथन उल्लेखनीय है—"**राष्ट्र के आर्थिक विकास पर जितनी अधिक सेनायें निर्भर होती हैं, उतनी कोई दूसरी वस्तु या तत्त्व नहीं। सैन्य संगठन सामरिकी, शस्त्रास्त्र व कूटयोजना का स्वरूप सबसे अधिक उत्पादन स्तर और उस समय उपलब्ध परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है।**" इसी प्रकार जर्मन के एक विचारक ने वर्णित किया है—"**किसी राष्ट्र की सैन्य पद्धति तथा उसकी सामाजिक कुशलता उसकी आर्थिक स्थिति पर अधिक निर्भर करती है। यदि किसी राष्ट्र की सरकार व शासक इसकी उपेक्षा करता है तो उस राष्ट्र को आपत्ति का सामना करना पड़ता है।**"[2] आर्थिक विकास के प्रभाव के फलस्वरूप ही आधुनिक युद्ध के स्वरूप को आर्थिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। आर्थिक विकास के महत्त्वपूर्ण तत्त्व निम्नलिखित हैं—

(*i*) प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)
(*ii*) ऊर्जा संसाधन (Energy Resources)
(*iii*) औद्योगिक क्षमता (Industrial Capacity)
(*iv*) वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी विकास (Science and Technological Development)
(*v*) परिवहन व संचार (Transport and Communication)
(*vi*) रक्षा उत्पादन व उद्योग (Defence Production and Industries)
(*vii*) विदेशी आर्थिक सम्बन्ध (Foreign Economic Relation)
(*viii*) आर्थिक विकास की विचारधारा (Ideology of Economic Development)
(*ix*) आर्थिक विकास की कूटनीति (Diplomacy of Economic Development)
(*x*) जनसंख्या (Population)

(*i*) प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)—किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु उस देश के प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति एवं दोहन क्षमता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक संसाधन के अन्तर्गत अनेक साधन आते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं जैसे मिट्टी, खनिज, वन व जल आदि । प्राकृतिक सम्पदा एक ऐसी आर्थिक सम्पत्ति है जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं और पुनः उसे वापिस नहीं देते हैं। **मागेन्थो** ने प्राकृतिक संसाधनों को प्रमुख रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया है—

(क) कच्चा माल (Raw Material)
(ख) खाद्य सामग्री (Food-grains)

कोई भी राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में अपने आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकता। आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु औद्योगिक विकास और औद्योगिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता आवश्यक होती है। कच्चा माल एवं खनिज पदार्थ वास्तव में आर्थिक विकास क्रम का एक बड़ा आधार होते हैं, यही कारण है कि जिन राष्ट्रों के पास अपने पर्याप्त खनिज पदार्थ व कच्चा माल है वे आर्थिक प्रगति पर है। उदाहरण के लिए तेल का महत्त्व शक्ति के साधन व आर्थिक आधार के रूप में माना जाता है। इराक में जबरन जंग को इस कारण तेल का खेल कहा जाता है। **ओपेक (OPEC) देश कच्चे तेल के उत्पादन में विश्व भर में एकाधिकार बनाये हैं और उनके विकास का यह एक ठोस आधार भी है।** इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका का उल्लेख करते हुए **पामर व पार्किन्स** ने प्रमुख रूप से पाँच भागों में विभक्त किया है— कच्चा माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक शक्ति के साधन, कृषि उपज एवं खाद्य सामग्री।

प्राकृतिक संसाधन के रूप में कच्चा माल (Raw Material) किसी राष्ट्र की शक्ति व सुरक्षा का बहुत बड़ा साधन होता है, किन्तु इसके साथ ही उस देश की कच्चे माल प्रयोग करने की क्षमता तथा कच्चे माल की विदेश नीति पर अधिक निर्भर करता है। खाद्यान्न सामग्री किसी राष्ट्र की सुरक्षा व सैनिक तैयारी का एक प्रमुख आधार माना गया

1. वारफेयर एण्ड टेक्टिस : टॉम विन्ट्रिघम
2. वारफेयर (दा रिलेशन ऑफ वार टू सोसाइटी) : लुडविग रेन

है। **नेपोलियन** का इस सन्दर्भ में कथन है कि **"सेना पेट के बल चलती है"** जो राष्ट्र खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं वह बेहतर स्थिति में आंके जाते हैं। खाद्य उत्पादन कृषि तकनीकी व उद्योग पर निर्भर है किन्तु मानव शक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आत्मनिर्भरता के साथ श्रेष्ठ खाद्य उत्पादन राष्ट्र की शक्ति का सूचक माना जाता है।

(*ii*) **उर्जा संसाधन (Energy Resources)**—एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में उस देश के उर्जा संसाधन जैसे—तेल, कोयला, जल विद्युत् तथा परमाणु ऊर्जा आदि प्रमुख रूप से सहयोगी होते हैं। आज के इस तेज़ी से बदलते विश्व में उर्जा संसाधनों के बिना औद्योगिक विकास ही नहीं अपितु आम आदमी का जीवन व्यतीत करना कठिन हो सकता है। आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में औद्योगिक व आर्थिक विकास हेतु ऊर्जा संसाधन एक आधार बिन्दु माने जाते हैं। सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोण कोयला, पैट्रोलियम, जल विद्युत् एवं परमाणु शक्ति का विशेष महत्त्व है। इसीलिए कहा गया है कि उर्जा संसाधन के अभाव में देश का औद्योगिक वृक्ष जहाँ सूख जाता है वहाँ आर्थिक विकास का पतझड़ शुरू हो जाता है। ऊर्जा शक्ति के महत्त्व को समझते हुए प्रसिद्ध शासक **क्लेमेन्शयू** ने कहा था—**"तेल की एक बूंद हमारे सिपाहियों के रक्त की एक बूंद के बराबर है।"** परमाणु ऊर्जा के रूप में युरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम आदि आज राष्ट्र की शक्ति एवं विकास के प्रमुख साधन की श्रेणी में गिने जाते हैं। विश्व की समस्याओं में ऊर्जा संकट को भी अब गिना जाने लगा है। ईराक में अमेरिका द्वारा आक्रमण (2003) 'तेल का खेल' इसी कारण कहा जाता है क्योंकि अमेरिका ऊर्जा स्रोत अपने अधीन करना चाहता है।

(*iii*) **औद्योगिक क्षमता (Industrial Capacity)**—किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उसकी वैज्ञानिक व तकनीकी विकास तथा औद्योगिक प्रगति के आधार पर आंका जाता है क्योंकि खाद्य सामग्री व सुरक्षा के साधनों के निर्माण की प्रक्रिया उद्योगों पर निर्भर करती है। आज के समय में राष्ट्र के आर्थिक विकास का सीधा सम्बन्ध उसकी औद्योगिक क्षमता से होता है। आज विश्व के अग्रणीय देशों में जिन राष्ट्रों को गिना जाता है, उसके पीछे उनकी औद्योगिक प्रगति एवं क्षमता है जिसके फलस्वरूप ही आर्थिक सम्पन्नता पा सके हैं। आर्थिक प्रगति का राष्ट्र की औद्योगिक क्षमता के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है। वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण एवं औद्योगिकीकरण के इस युग में केवल विकसित औद्योगिक क्षमता ही प्रभावशाली आर्थिक विकास का एक बड़ा साधन है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जापान, जर्मन एवं चीन आदि आर्थिक शक्ति सम्पन्न देश बन सके, क्योंकि उनके पास अपनी औद्योगिक क्षमता है जिसके बल पर वे अपना आर्थिक आधार स्थापित कर सके हैं।

यह बात निर्विवाद सत्य है कि अगर कोई राष्ट्र अपनी आर्थिक प्रगति करना चाहता है तो उसे अपना अतिरिक्त उत्पादन तकनीकी ढंग से करना होगा और यह तभी संभव है जब उसके पास नवीनतम वैज्ञानिक विधि एवं तकनीकी क्षमता होगी। प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता के इस युग में वही राष्ट्र आर्थिक प्रगति कर सकेगा, जो समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आर्थिक व्यवस्था के विकास हेतु औद्योगिक क्षमता बढ़ाने पर बल देगा। वास्तव में औद्योगिक विकास एवं औद्योगिक प्रगति राष्ट्रीय शक्ति के आधार बिन्दु हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी, वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक विकास एवं कार्य दक्षता आदि तत्त्वों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है।

(*iv*) **वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास (Science and Technological Development)**—आज का युग वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का युग कहा जाता है। विज्ञान के अदृश्य सूक्ष्म और व्यवहार के स्तर पर भी मानव-चेतना में अनेक प्रकार के परिवर्तन किये हैं। विज्ञान ने मानवता को निश्चय ही बहुत कुछ दिया है। यही कारण है कि अब कल्पना करना भी कठिन है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के बिना देश अपने आर्थिक ढांचे को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकेगा । औद्योगिक विकास का स्तर भी किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का मापदण्ड निर्धारित करने में सहायक होता है। इसीलिए तो कहा गया है— **"Science and Technology is the key to economic and industrial development."**

यह निर्विवाद सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार बिन्दु वहाँ की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति होती है। इससे ही राष्ट्र आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक विकास कर पाता है। जब तक कोई राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक अपनी प्रगति एवं प्रतिरक्षा सही रूप में नहीं कर सकता। आज दुनिया में जो शक्तिशाली एवं सम्पन्न देश कहे जाते हैं उनकी प्रगति का आधार वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ही है। प्रगतिशील विज्ञान व तकनीक के कारण ही जापान एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। किसी राष्ट्र को नये आयाम देकर नव-क्रान्ति ला देने वाली शक्ति आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी ही है। इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक **रोजेनो** (Rosenau) का यह कथन उल्लेखनीय है—**"तकनीकी बदलाव या परिवर्तन एक समाज की सैनिक तथा आर्थिक क्षमताओं को तथा इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से इसके स्तर और भूमिका को बदल सकता है।"**

(v) परिवहन एवं संचार (Transport and Communication)—किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास में उस देश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। जहाँ आवागमन के आधुनिक साधन जैसे—वायुयान, जलयान, सड़क के साधन तथा रेल आदि राष्ट्र को शक्ति प्रदान करते हैं वहाँ संचार के साधन जैसे—टेलीफोन, सेलफोन, इण्टरनेट, इ-मेल, दूरदर्शन, रेडियो आदि विचारों का आदान-प्रदान करके राष्ट्र को आर्थिक व व्यापारिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं। परिवहन एवं संचार तकनीकी के द्वारा राष्ट्र की शक्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होता है। आज वे राष्ट्र ही शक्तिशाली एवं विकसित श्रेणी में गिने जाते हैं, जो परिवहन एवं संचार तकनीकी दृष्टि से उन्नतिशील हैं। स्थल, जल एवं वायु क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था से व्यापार के आयात-निर्यात को जहाँ बल मिलता है वहाँ सूचनाओं के आदान-प्रदान के द्वारा अपने राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के निवासियों के मस्तिष्क पर नियन्त्रण स्थापित किया जाता है। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एडाल्फ हिटलर नें संचार माध्यमों से जर्मन शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि इंग्लैण्ड व फ्रांस जैसे देशों को तुष्टिकरण की नीति अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। आज अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रचार की बढ़ी हुई भूमिका, संचार तकनीकी में प्रगति के परिणामस्वरूप ही संभव हो सकी है। यही कारण है कि अब एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार उसकी परिवहन एवं संचार व्यवस्था को माना जाता है।

(vi) रक्षा उत्पादन एवं उद्योग (Defence Production and Industries)—किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में उसके रक्षा उत्पादन एवं रक्षा उद्योगों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। चूंकि जहाँ अधिकांश देशों का रक्षा व्यय रक्षा उत्पादन के क्रय में लग जाता है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। शस्त्रों के तकनीकी गुण, संख्या तथा सैनिक साधन व सामग्री आदि वे तत्त्व हैं जो राष्ट्र की सैनिक शक्ति के स्तर का निर्धारण करते हैं। विकसित रक्षा उत्पादन एवं रक्षा उद्योग किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। आज दुनिया में उन्हीं देशों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नज़र आ रही हैं जो कि रक्षा उत्पादन एवं रक्षा उद्योग के मामले में अग्रणीय देशों में गिने जाते हैं। रक्षा उत्पादन का निर्यात उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्रोत बन चुका है।

आधुनिक युद्ध व्यवस्था इतनी अधिक खर्चीली है कि साधारण राष्ट्र इसका भार सहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक प्रक्षेपास्त्र, विमान, पनडुब्बी एवं अन्तरिक्ष प्रणाली की लागत इतनी अधिक होती है कि इनके उत्पादन के अभाव में निरन्तर रक्षा साधनों के आयात पर निर्भर रहने वाला राष्ट्र अपना आर्थिक विकास कभी नहीं कर सकता है। जो राष्ट्र इस प्रकार के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं वे राष्ट्र ही अपने राष्ट्र की विकास दर को बढ़ा पाने में समर्थ हो पाते हैं।

(vii) विदेशी आर्थिक सम्बन्ध (Foreign Economic Relation)—किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु उसे अपने पड़ोसी व विदेशी राष्ट्रों के साथ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित रखना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्र को अपने समान हितों से प्रेरित होकर विदेशों से आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने होते हैं। अपने सहयोगी देशों के माध्यम से सम्बन्धित देश अपनी आर्थिक नीतियों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपसी आर्थिक सहयोग करते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, कॉमन फार्म और ग्रुप—8 आदि विदेशी आर्थिक सम्बन्धों के उदाहरण वाले संगठन हैं। विदेशी आर्थिक सम्बन्धों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ देशों से भेदभाव और अनुकूल राष्ट्रों को विशेष संरक्षण देकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मुक्त प्रवाह पर अंकुश लगा दिया जाता है। भूमण्डलीकरण, औद्योगिकीकरण एवं व्यापारीकरण के इस युग में देश के आर्थिक विकास हेतु विदेशी आर्थिक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। क्योंकि विदेशी आर्थिक सम्बन्धों के आधार पर ही आयात-निर्यात निर्भर करता है। अत: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक विकास के लिए सम्बन्धित देश के लिए सुदृढ़ विदेशी आर्थिक सम्बन्ध होना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो गया है।

(vi) आर्थिक विकास की विचारधारा (Ideology of Economic Development)—राष्ट्र की जो विचारधारा होती है वह एकता तथा लोगों के समर्थन का साधन होती है। विचारधारा के आधार पर अपने प्रभुत्व का विकास सरलता से संभव है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व के रूप में विचारधारा का विश्लेषण करते हुए **वी०वी० डाइक** ने लिखा है—**"शक्तिशाली बनने के लिए एक सरकार को ऐसे विचारों पर दृढ़ होना चाहिए जो कम से कम देश के अन्दर समर्थन प्राप्त कर सकें और अगर उन्हें समर्थन बाहर से मिले तो यह और अधिक शक्तिशाली होगी।"**[1] साम्यवाद और साम्राज्यवाद दो ऐसी विचारधारायें रहीं, जिसका विश्व भर में एक लम्बी अवधि तक बोलवाला रहा। राष्ट्रवाद की विचारधारा राष्ट्र की आन्तरिक शक्ति का साधन रही है। एक विचारधारा के बल पर

1. Vermon Van Dyke, International Politics, Page—92

ही अपने आर्थिक विकास एवं विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आर्थिक विकास की विचारधारा यदि मज़बूत होती है तो राष्ट्र के नागरिकों का सहयोग तो मिलता ही है इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में भी सहयोग मिलने की संभावनायें प्रबल हो जाती हैं। **स्नाइडर व विल्सन** ने लिखा है—"**एक विचारधारा जीवन, समाज एवं शासन के प्रति निश्चित विचारों का वह समूह है, जिसका प्रचार मुख्यता योजनाबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नारों के प्रतिपादन के रूप में निरन्तर उपदेशात्मक रूप में इस प्रकार किया जाता है कि वह एक विशिष्ट समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्र के विशिष्ट विश्वास ही बन गये हैं।**"[1]

(*ix*) आर्थिक विकास की कूटनीति (Diplomacy of Economic Development)—आर्थिक विकास की कूटनीति के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को भी नये आयाम देने में सक्रिय सहयोग मिलता है। इसके द्वारा जहाँ हम अपनी गिरती आर्थिक प्रगति पर अंकुश लगा सकते हैं वहाँ विकसित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को सुमधुर बनाये रखने के लिए आर्थिक विकास की कूटनति अपनाना सदैव लाभदायी रहता है। प्रसिद्ध राजनीतिक चिन्तक **मार्गेन्थू** का यह कथन उल्लेखनीय है—"**कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है जो राष्ट्र के समस्त शक्ति स्रोतों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि उसमें से अधिकांश का प्रयोग हो सके।**"[2] राष्ट्र शक्ति के निर्माण में कूटनीति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। किसी देश के पास उसे महाशक्ति बनाने के अन्य साधन जैसे उत्कृष्ट भौगोलिक स्थिति, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक उत्पादन की उन्नति, सैनिक तैयारी, जनसंख्या तथा आर्थिक सम्पन्नता होने पर भी वह इसका पूरा लाभ तब तक नहीं उठा सकता जब तक उसके कूटनीतिज्ञ विशेषज्ञ व अनुभवी न हों। इस प्रकार आर्थिक विकास की कूटनीति के द्वारा ही एक राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को आर्थिक शक्ति स्वतन्त्रता प्रदान की जा सकती है। आर्थिक शक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, क्योंकि यह सैनिक शक्ति का साधन है व देश के लोगों के हित, समृद्धि तथा प्रभुता का आधार बिन्दु है।

(*x*) जनसंख्या (Population)—प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी तथा अन्य संसाधनों की तुलना में उस राष्ट्र की जनसंख्या को कम महत्त्वपूर्ण नहीं अनुमानित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्त्वों में जनसंख्या को गिना जाता है। इस सन्दर्भ में **श्लीचर** का यह कथन उल्लेखनीय है—"**जब तक उत्पादन एवं मनुष्यों की आवश्यकता रहेगी, तब तक यदि अन्य तत्त्व समान रहे तो जिस राज्य के पास इन दो कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग होंगे वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान होगा।**"[3] वास्तव में जनसंख्या के द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा उन्हें पूरा करने वाली नीतियों का निर्धारण करना होता है। राष्ट्रों के साधनों का पूरा उपयोग करने के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता है और औद्योगिक विकास व उत्पादन जनसंख्या एवं मशीन के द्वारा संभव है। अर्थव्यवस्था को मज़बूत आधार प्रदान करने में गुणात्मक जनसंख्या निर्णयात्मक भूमिका अदा करती है। संख्यात्मक जनसंख्या के साथ गुणात्मक जनसंख्या का होना एक राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि वह सैनिक कार्यवाहियों तथा आर्थिक प्रगति हेतु जनशक्ति की व्यवस्था करती है। गुणात्मक जनसंख्या आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि को संभव बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सक्रिय योगदान देती है।

3. राजनीतिक परम्परा
(Political Condition)

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था एवं विदेश नीति के निर्धारण एवं सुदृढ़ बनाने में वहाँ की राजनीतिक परम्परा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सन्दर्भ में इसका अपना ही महत्त्व है। राजनीतिक स्वरूप चाहे कुछ भी हो परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्र में प्रशासनिक व्यवस्था उत्तम है अथवा नहीं। राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत के रूप में अच्छे शासन के तीन अर्थ होते हैं—सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय शक्ति देने वाले भौतिक तथा मानवीय तत्त्वों का संतुलन, द्वितीय इन तत्त्वों का विदेश नीति के संचालन में संतुलन और अन्त में विदेश नीतियों के समर्थन में लोक सम्मति की प्राप्ति। परम्परागत विचारधारा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध राजनीतिक इकाइयों द्वारा संचालित किये जाते हैं। भारत की लोकतान्त्रिक परम्परा में राजनीतिक

1. Richard Snyder & Hubert Wilson— **Roots of Political Behaviour** (Newyork 1949) Page 511
2. Hans J. Margenthau— Politics Among Nations, Page 139
3. Charles P.Schlicher— International Relation, Page 211

पार्टियों के परिवर्तन से निर्धारित योजना व विकास परियोजनायें अधर में लटक कर रह जाती हैं। यही कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में स्वस्थ राजनीतिक परम्परा सदैव महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राजनीतिक परम्परा अपने देश की सरकार को संगठित, सक्षम एवं संचालित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिज्ञों द्वारा गठित सरकार लोगों तथा साधनों के बीच समन्वय करने का प्रयास करती है। इसके साथ ही सरकार का कर्त्तव्य एवं प्रमुख कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने का हर संभव प्रयास करना होता है। इस सन्दर्भ में **वी०वी० डाईक** का यह कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है—

"राज्य के अन्दर सरकार के संगठन एवं प्रशासन का प्रभावशाली होना राष्ट्रीय शक्ति का एक और साधन है। साधनों के उचित प्रयोग तथा शक्ति उपयोग के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। केवल सरकार ही राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों को संगठित कर सकती है तथा इस तरह उसमें वृद्धि कर सकती है। अच्छी तरह से संगठित तथा प्रभावशाली सरकार का अभाव राष्ट्र की शक्ति को सीमित कर सकता है।" लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियां ही सरकार की भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार राजनीतिक परम्परा का प्रत्यक्ष प्रभाव उस राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। राजनीतिक परम्परा के द्वारा ही देश की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। राजनीतिक स्थिति दो प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाती है—

(*i*) राज्य की नीति का निर्धारण करके

(*ii*) विदेश नीति का निर्धारण करके।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक परम्परा एवं उसकी स्थिरता भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक होती है। राजनीतिक पार्टियों की अस्थिरता एवं परिवर्तन के कारण अनेक निर्धारित योजना एवं विकास परियोजनायें भी अधर में लटक कर रह जाती हैं। राजनीतिक परम्परा का लक्ष्य, परम्परा एवं यथास्थिति दोनों के द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना एवं अन्य राज्यों के व्यवहार को नियमित करना है। एक सुनिश्चित राजनीतिक परम्परा के निर्धारित मापदण्ड के अभाव में कोई राष्ट्र अपने आदर्शों एवं हितों की भली-भांति न तो रक्षा कर सकता है और न उनमें संवर्धन ही कर सकता है।

राजनीतिक स्थिति का राष्ट्रीय सुरक्षा से गहरा सम्बन्ध है। एक उपयुक्त तथा संतुलित राज्य की नीति राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करने, उसे न्यायसंगत सिद्ध करने तथा आवश्यक शक्ति व साधन जुटाने में सहायक होती है। यदि मानवीय प्रयत्नों का संचालन व समन्वय करने वाली एजेंसी अर्थात् राज्य की सरकार उचित रूप से संगठित, सक्षम एवं समर्थ न हो तो केवल भौतिक तथा मानवीय साधन राष्ट्रीय सुरक्षा के सशक्त साधन नहीं बन सकते। लोगों के साधनों का समन्वय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना उसकी राजनीतिक अवस्था पर बहुत हद तक निर्भर करता है।

विदेश नीति का सुरक्षा के साथ सीधा सम्बन्ध है। सुरक्षा एवं विदेश नीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें अलग-अलग रूप में देखना उचित नहीं है। विदेश नीति राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं एवं राष्ट्र शक्ति के मध्य संतुलन लाने के प्रयास की संज्ञा देती है। विदेश नीति का प्रमुख स्वरूप यह है कि वह शून्य में काम नहीं करती है। यह केवल हितों एवं उद्देश्यों के सन्दर्भ में कार्य करती है और हितों का निर्धारण राजनीतिक समुदाय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय विकास दो ऐसे हित हैं जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए **पेटियट व प्रेसी** ने लिखा है—**'कूटनीति एवं सैनिक शक्ति एक राष्ट्रीय नीति के प्रमुख तत्त्व हैं।'**

4. स्वदेशी वातावरण (Domestic Milieu)

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को उसका स्वदेशी वातावरण बहुत हद तक प्रभावित करता है। जिस देश का वातावरण समुचित रूप में संगठित, सक्षम एवं प्रभावशाली नहीं होता; वह देश अपने मानवीय एवं भौतिक साधनों का भी समुचित लाभ नहीं उठा पाता है। बलिदान, त्याग एवं परिश्रम करने की प्रबल इच्छा जिस देश के नागरिकों को अपने वातावरण में मिलती है वहां देश के लिए बाह्य संकट भी जल्दी से अपना धावा नहीं बोल पाते हैं। किसी भी देश के आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के साथ-साथ उसके वातावरण का स्वस्थ एवं संतुलित होना आवश्यक है। जो देश आन्तरिक कलह, विद्रोह, आपसी राज्यों के विवाद, गुटबाजी, जाति-धर्म के झगड़े, वर्ग भेद एवं अन्य आन्तरिक समस्याओं के वातावरण से जूझ रहा होगा वह राष्ट्र अपनी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था नहीं बना सकता है।

स्वदेशी वातावरण के तहत उस देश के लोगों का चरित्र, संस्कृति, परम्परा, परिस्थिति, प्रशासन एवं नेतृत्व का

विश्लेषण किया जाता है। किसी भी देश की शक्ति उसके वातावरण एवं व्यवस्था पर अधिक निर्भर करती है। जैसे जापान के लोग अपने राष्ट्रवाद के लिए तथा भारतीय लोग अपनी सहनशीलता के लिए विख्यात हैं। **फैंकले** ने वातावरण के सन्दर्भ में लिखा है—**"वातावरण वह सीमा निर्धारित करता है जहां तक लोग अपने नेताओं का समर्थन एवं सहयोग देते हैं, अपने राज्य की श्रेष्ठता तथा अपने उद्देश्य के औचित्य में विश्वास रखते हैं।"** नि:सन्देह किसी भी राष्ट्र की स्वस्थ परम्परा, समर्पण एवं बलिदान की भावना उसके वातावरण में वहां के निवासियों से ही मिलती है। अशान्त एवं अलगाववाद के घेरे में घिरा देश अपने राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को कभी भी संकट में डाल सकता है। इसके साथ ही प्रगति, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं शैक्षिक विकास में भी बाधा पड़ती है। अत: किसी भी राष्ट्र का आन्तरिक वातावरण उसकी सुरक्षा व्यवस्था को निर्धारित करने का एक बड़ा मापदण्ड माना जा सकता है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण
(International Milieu)

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में उसके आस-पास व अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को सुरक्षित बनाये रखने के लिए मित्रता एवं सहयोग की नीति को विशेष महत्त्व प्रदान करता है। जिसके लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बनाना होता है। सम्बन्धित राष्ट्र को विश्व भर में यह स्पष्ट करना होता है कि उसकी नीतियां उदारवादी, जनवादी, सहिष्णु, कल्याणकारी, विकासवादी एवं सहयोग पर आधारित हैं और उसी के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अपने पक्ष में करना होता है। एक ध्रुवीय व्यवस्था के बावजूद गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संघ (सीटो), कामनवेल्थ तथा यूरोपीय संगठन को अपने हितों के अनुसार अपने को जोड़ने के लिए प्रत्येक राष्ट्र तत्पर है, जैसे भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आपसी समझ को बढ़ावा देकर परस्पर सम्भव विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को साकार करने के प्रयास प्रत्येक राज्य द्वारा किये जाते हैं। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष खड़ी मुख्य चुनौतियों से निपटने के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन के देशों के साथ मिलकर कार्य करने एवं एशियान क्षेत्रीय मंच जैसे सहकारी सुरक्षा संगठनों में सहभागिता के प्रयास करता है।

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जहां शान्तिकालीन युग के पूर्व-पश्चिम संघर्ष व सुरक्षा के टकराव के अन्त के पश्चात् सामूहिक सुरक्षा, अन्तनिर्भरता एवं विश्व लोकतन्त्रीकरण जैसे तत्त्वों का महत्त्व बढ़ा है तो दूसरी ओर नवीन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। जनसंख्या, पर्यावरण, शरणार्थी समस्या, परमाणु हथियारों की होड़ एवं अन्तरिक्ष की बढ़ती दौड़ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए भी एक वातावरण बनाना होगा। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण न कभी स्थायी व स्थिर रहा है और न रहेगा, अत: सुरक्षा व्यवस्था के इस तत्त्व को आये हुए परिवर्तनों के साथ परिवर्तित करना होगा। इससे स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण से ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

6. मानवीय तत्त्व
(Human Factor)

प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मानवीय तत्त्व की भूमिका केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं होती बल्कि निर्णयात्मक व अहम् भी होती है। चूंकि सैनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक क्षमता की वृद्धि का कार्य मानवीय शक्ति द्वारा ही किया जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण मानव शक्ति का स्थान मशीनों ने ले लिया है, इसके बावजूद मशीनों के निर्माण, संचालित एवं व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का प्रणेता मानव ही है। मानव का स्थान मशीनें वास्तव में कभी भी नहीं प्राप्त कर सकेंगी, क्योंकि संवेदना, सहानुभूति, उत्साह आदि मनोवैज्ञानिक तत्त्व मानव ही अनुभव कर सकता है मशीनें नहीं। यही कारण है कि मानवीय गुणों का आज भी उतना महत्त्व है, जितना पहले था और भविष्य में भी रहेगा। **डॉ० बी० एल० फाड़िया** ने अपनी पुस्तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट रूप से लिखा है—**"न तो प्राकृतिक साधन, न तकनीकी और न कोई अन्य तत्त्व केवल जन साधारण ही किसी राष्ट्र की शक्ति के प्रमुख व निर्णायक स्रोत होते हैं।"** मानवीय तत्त्व ने समाज एवं राष्ट्र को नई दिशा दी है, क्योंकि इसके तहत बुद्धिजीवी, शासक, प्रशासन, वैज्ञानिक, इन्जीनियर, डॉक्टर तथा अनुसंधानकर्त्ता आदि आते हैं। मानवीय तत्त्व राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ आधार हेतु अग्र प्रकार से भी सहयोग प्रदान करता है—

(1) मानवीय मूल्यों की सुरक्षा हेतु।
(2) प्रशासनिक व्यवस्था को बनाये रखने में।
(3) कूटयोजना के निर्धारण हेतु।
(4) राष्ट्रीय चरित्र के विकास हेतु।
(5) नैतिकता एवं मनोबल की वृद्धि में।
(6) राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की वृद्धि में।
(7) राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में।
(8) सैनिक सफलता की परम्परा संजोए रखने के लिए।
(9) राष्ट्र का कुशल संचालन करने के लिए।
(10) राजनीतिक व राजनयिक समीकरण करने हेतु।
(11) आर्थिक प्रगति के लिए।
(12) मनोवैज्ञानिक तत्त्वों को बनाये रखने के लिए।
(13) आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए।
(14) एकता व प्रगति का परिवेश बनाने हेतु।
(15) विश्व शान्ति बनाये रखने के लिए।

एक राष्ट्र के जीवन में उसके निवासी सबसे महत्त्वपूर्ण होते हैं क्योंकि मानवीय तत्त्व राष्ट्र का चेतना तत्त्व होता है। राष्ट्र के निवासियों का चरित्र, स्वभाव, नीति, मानसिक स्तर तथा श्रमशीलता पर ही एक राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। यह वह प्रमुख तत्त्व हैं जो भौगोलिक, प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं तथा राष्ट्र के विशेष राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, प्रतिभा एवं नेतृत्व का मानदण्ड सुनिश्चित करते हैं। शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानवीय तत्त्वों की कभी भी अवहेलना नहीं की जा सकती है।

7. सैन्य शक्ति
(Military Strength)

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सैन्य शक्ति एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, जो कि राष्ट्रीय क्षमता, दक्षता एवं प्रभाव को बनाए रखने में योगदान देता है। विदेश नीति की सफलता के पीछे सैनिक शक्ति एवं उसकी तैयारी का तत्त्व समाहित रहता है। एक राष्ट्र की सैन्य शक्ति का अनुमान उसकी रक्षा तैयारी, रक्षा उत्पादन, तकनीकी, औद्योगिक क्षमता, आर्थिक विकास तथा रक्षा व विदेश नीति के आधार पर लगाया जा सकता है। सैन्य शक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही विदेश नीति को तय करने में सक्रिय सहयोग देती है। इस सन्दर्भ में **रोबिन्सन** महोदय ने लिखा है कि—

"Military preparedness is the most apparent and tangible factor capable of supporting the foreign policy and promoting national interest."

(सैन्य तैयारी का तत्त्व सबसे अधिक अप्रत्यक्ष तत्त्व है जो कि विदेश नीति का समर्थन तथा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन देने में सक्षम है।)

किसी भी राष्ट्र की सैन्य शक्ति का अनुमान निम्नलिखित तत्त्वों के आधार पर लगाया जा सकता है—

(1) सैनिक नेतृत्व (Military Leadership)
(2) सैनिक परम्परा (Military Tradition)
(3) युद्ध तकनीकी (War Technique)
(4) बौद्धिक क्षमता (Intellectual capability)
(5) सैनिक संख्या (Military Strength)
(6) सैनिक योग्यता (Military capability)
(7) रक्षा-नीति (Defence policy)
(8) सैन्य प्रशिक्षण (Military Training)
(9) बलिदान की भावना (Sacrifice Spirit)
(10) रक्षा विकास एवं आत्मनिर्भरता (Defence development & Self dependences)।

दुनिया के सभी देश अपनी सैन्य क्षमता में पर्याप्त वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्नरत रहते हैं। स्थल सेना, नौ सेना एवं वायुसेना की समाघात क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान पर विशेष बल देते हैं। विश्व के सभी देश औसत रूप से अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी० एन० पी०) का 5.48 प्रतिशत धन रक्षा पर व्यय कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सैन्य शक्ति के महत्त्व के कारण ही दुनिया भर के देश हथियारों की होड़ पर अपना अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं।

हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की सुरक्षा में उसकी सैन्य शक्ति का सक्रिय सहयोग रहता है और सैनिक तैयारी द्वारा ही राष्ट्र की शक्ति का आकलन किया जाता है। सैनिक दृष्टि से किसी राष्ट्र की शक्ति सैनिकों एवं शस्त्रों की संख्या तथा उनके सैन्य संगठन के विभिन्न अंगों के विवरण पर निर्भर करती है। यही कारण है कि दुनिया के सभी बड़े व शक्तिशाली देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में निरन्तर जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय संस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा सुदृढ़ रक्षा तत्त्व के निर्माण हेतु पर्याप्त रक्षा बजट उपलब्ध कराना प्रत्येक सरकार अपना प्रथम राष्ट्रीय दायित्व समझती है। वाशिंग्टन स्थित एक अध्ययन संस्थान वर्ल्ड-वाच की रिपोर्ट के अनुसार 2005 में अमेरिका का रक्षा व्यय 421 अरब डालर है, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 507 अरब डालर हो जायेगा। अमेरिका के बाद इस मद में सबसे अधिक व्यय करने वाले चार देश हैं—जापान, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। संयुक्त रूप से इनका रक्षा व्यय दुनिया के रक्षा व्यय का 17 प्रतिशत है। चीन के बाद रक्षा व्यय के लिहाज से जर्मनी, इटली, ईरान, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया का नम्बर आता है। इन सभी का रक्षा व्यय विश्व के रक्षा व्यय का 6 प्रतिशत है। अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.) का एक बड़ा हिस्सा रक्षा में व्यय कर रहा है।

इस समय विश्व का कुल रक्षा व्यय 900 अरब अमेरिकी डालर से अधिक है। आज विश्व में प्रति व्यक्ति 128 डालर सैन्य व्यय है। सैन्य खर्चों में वृद्धि का सबसे अधिक औसत अमेरिका का है। विश्व के सैन्य व्यय में अकेले अमेरिका का 43 प्रतिशत खर्च हो रहा है।

8. राष्ट्रीय चरित्र
(National Character)

राष्ट्रीय सुरक्षा के अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले तत्त्वों में राष्ट्रीय चरित्र को आंका जाता है। यह किसी भी राष्ट्र शक्ति का अमूर्त्त, सूक्ष्म एवं मानवीय तत्त्व है। प्रत्येक देश के लोगों में कुछ सामान्य गुण, अवगुण, स्वभाव, प्रकृति एवं कार्यशैली आदि विशेष रूप से समाहित होते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से राष्ट्रीय चरित्र के नाम से जानते हैं। इस सन्दर्भ में **प्रो० मार्गेन्थो** ने लिखा है—

"राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा पर राष्ट्रीय चरित्र का अनिवार्यतः प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति युद्ध तथा शान्ति के समय राष्ट्र की ओर से कार्य करते हैं, चुनते हैं अथवा चुने जाते हैं, जनमत पर निर्णयात्मक प्रभाव डालते हैं, उत्पादन तथा खपत बढ़ाते हैं। ये सभी लोग अधिक या कम स्तर पर उन बौद्धिक तथा नैतिक गुणों की छाप से मुक्त रहते हैं, जो राष्ट्रीय चरित्र को निर्मित करते हैं।"[1]

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था बहुत हद तक उसके अपने राष्ट्रीय चरित्र से प्रभावित होती है। यही कारण है कि किसी भी देश के मूल्यांकन के समय उसके राष्ट्रीय चरित्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए स्वाधीनता के बाद भारत को पाकिस्तान ने निरन्तर अपना निशाना बनाने का प्रयास किया और मौका पाने में आज भी कोई चूक नहीं करता चाहे कारगिल पर घुसपैठ हो या गुरेज पर घुसपैठ। इसके लिए बहुत हद तक हमारा भारतीय चरित्र भी उत्तरदायी रहा है। अपनी उदारवादी सहिष्णुता, शान्तिप्रियता, अहिंसा में आस्था, सामाजिक विषमता एवं अभाव आदि भारतीय चरित्र की विशेषताएं हैं। एक शक्तिशाली व सबल देश के नागरिकों में जो गुण व विशेषताएं होनी चाहिएं जैसे स्पष्टवादिता, अन्याय का प्रतिकार करने की भावना, पहल करने की क्षमता आदि भारतीय नागरिकों में आमतौर पर कम पायी जाती हैं। इसी कारण चीन ने 1962 में तथा चार बार घोषित रूप में (1948, 1965, 1971, तथा 1999) पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का साहस किया। इसके बावजूद शान्ति की पहल में भारत निरन्तर आगे की पंक्ति में खड़ा रहता है क्योंकि शान्तिप्रियता उसकी चारित्रिक पहचान है। अमेरिका के चरित्र की विशेषता है, व्यक्तिगत प्रेरणा तथा आविष्कार की क्षमता (The individual initiative and inventiveness) ब्रिटिश लोगों में कट्टरहीनता एवं साधारण सूझ-बूझ के गुण पाये जाते हैं। सैनिकवाद का विरोध, अनिवार्य सैनिक नौकरी तथा स्थायी सेना के प्रति विरक्ति अमेरिकन व ब्रिटिश राष्ट्रीय चरित्र के स्थायी तत्त्व हैं।

1. मार्गेन्थू—राष्ट्रों के मध्य राजनीति (कलकत्ता 1963) पेज 143

जर्मनी, जापान, रूस व इजराइल के राष्ट्रीय चरित्र ने शक्ति संघर्ष में प्रारम्भिक लाभ प्रदान कर रखा है क्योंकि वे शान्तिकाल में ही अपने राष्ट्रीय साधनों का एक बड़ा भाग युद्ध के यन्त्रों में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे परिवर्तन के प्रति अमेरिकी, ब्रिटिश एवं भारतीय जनता की उदासीनता, विशेष रूप से राष्ट्रीय संकट या आपदा के समय को छोड़कर विदेशिक नीतियों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। पाकिस्तान की सैनिकवादी सरकार अपने स्वयं के चुने हुए समय में ही युद्ध की योजना बना सकती है। इस प्रकार वहां के नागरिकों की सोच, विचारधारा एवं कार्यशैली उसके राष्ट्रीय चरित्र की पहचान के रूप में जाने जाते हैं। जैसे भारत की सहिष्णुता, अंग्रेज़ों की सहज सूझ-बूझ, फ्रांसीसियों का व्यक्तिवाद, रूसियों की दृढ़ता एवं अमेरिका की आविष्कारी क्षमता उसके राष्ट्रीय चरित्र को उजागर करती है। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में उसके राष्ट्रीय चरित्र की महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका रहती है।

9. प्रौद्योगिकी प्रगति (Technological Development)

किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी प्रौद्योगिकी प्रगति के आधार पर भी आंकी जाती है। विज्ञान के व्यावहारिक ज्ञान को प्रौद्योगिकी (Technology) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत आविष्कार वे सभी साधन आते हैं जिनसे राष्ट्र की भौतिक प्रगति में सहयोग मिलता है। उस देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ माना जाता है, जिसमें आर्थिक सुदृढ़ता, आन्तरिक सम्बद्धता और प्रौद्योगिकी प्रगति संतुलित तरीके से काम कर रही होती है। देश की रक्षा एवं सुरक्षा के सन्दर्भ में वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता का विशेष योगदान होता है। इसका जहां प्रत्यक्ष प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है, वहां सैनिक योजना (Military Strategy) व सैन्य सामरिकी (Military Tactics) पर भी पड़ता है। इस सन्दर्भ में **राइट** महोदय ने लिखा है—

"विज्ञान व तकनीक, यान्त्रिक पद्धतियों के विकास तथा युद्ध कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार यात्रा एवं संचार में उनके प्रयोग की कला है।"

आज विज्ञान एवं तकनीक ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे शिक्षा, चिकित्सा, संचार, उद्योग, कृषि, व्यापार, अर्थव्यवस्था तथा युद्ध संचालन आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। आरम्भ से ही तकनीक ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा व्यवस्था की स्थिति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दुनिया में आज वही देश ताकतवर या शक्तिशाली माना जाता है जिसकी तकनीकी प्रगति अधिक होती है। तकनीकी प्रगति से राष्ट्रीय सुरक्षा अनेक रूपों में प्रभावित होती है। तकनीकी प्रगति राष्ट्र के स्वरूप को बदल देती है। सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित अमेरिका की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रगति का प्रमुख कारण उसकी अपनी तकनीकी प्रगति ही है। जिसने अपनी तकनीकी ताकत से अफ़गानिस्तान एवं इराक पर संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की परवाह किये बिना ज़बरदस्त जंग की सफलता हासिल की। तकनीकी प्रगति के पांच क्षेत्रों ने विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से प्रभावित किया—

(1) सैनिक तकनीकी (Military Technology)
(2) औद्योगिक तकनीकी (Industrial Technology)
(3) संचार तकनीकी (Communication Technology)
(4) अन्तरिक्ष तकनीकी (Space Technology)
(5) परमाणु तकनीकी (Nuclear Technology)

पैडलफोर्ड एवं लिंकन राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व के रूप में तकनीकी पांच प्रकार से राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा को प्रभावित करती है। **प्रथम**—तकनीकी प्रगति के कारण एक देश अपनी मान्यताओं एवं लक्ष्यों में परिवर्तन कर लेता है। जैसा कि अपनी तकनीकी प्रगति के कारण ही अमेरिका ने अब अपनी आक्रामक नीति (Offencive policy) अपना रखी है। **दूसरा**—तकनीकी प्रगति से जनसंख्या मनोबल, आर्थिक तत्त्व एवं विचारधारा में भी बदलाव आता है। तकनीकी प्रगति के कारण ही चीन एवं भारत एशिया में बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हैं। **तीसरा**—तकनीकी प्रगति के कारण विदेश नीति प्रभावित होती है जैसा कि अमेरिका ने भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र होने की बात मानी है। **चौथा**—तकनीकी प्रगति राष्ट्र निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। औद्योगिक प्रगति एवं आर्थिक सम्पन्नता एक सहायक साधन है। **पांचवां**—तकनीकी प्रगति का विदेश नीति संचालन पर ज़ोरदार असर पड़ता है आज वही राष्ट्र शक्ति के उच्च शिखर पर हैं जिन्होंने तकनीकी दृष्टि से काफ़ी उन्नति कर ली है।

10. कूटनीति (Diplomacy)

राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व कूटनीति को माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालन विदेश नीति के द्वारा होता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र के हितों के लिए ज़रूरी है कि उसकी एक सुनिश्चित, सुसम्बद्ध एवं तर्कसंगत विदेश नीति हो। किसी भी देश की विदेश नीति को उचित ढंग से लागू करने का काम कूटनीति (Diplomacy) द्वारा किया जाता है। इसके महत्त्व के सन्दर्भ में **प्रो० मार्गेन्थो** ने स्पष्ट रूप से लिखा है--

उन तमाम तत्त्वों में से जो कि किसी राष्ट्र की शक्ति के निर्माण में योगदान देते हैं, सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व कूटनीति की उत्तमता है, भले ही यह तत्त्व कितना भी अस्थायी क्यों न हो। अन्य सभी वे तत्त्व जो कि राष्ट्रीय शक्ति को निश्चित करते हैं वास्तव में वे कच्चा माल है, जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति बढ़ाई जाती है। किसी राष्ट्र की कूटनीतिक उत्तमता ही इन तत्त्वों को एक लड़ी में पिरोती है, उन्हें दिशा व गुरुता प्रदान करती है तथा उनकी सुप्त सम्भावनाओं को वास्तविक शक्ति से सांसें प्रदान कर जागृत करती है।

किसी देश के विदेशी मामलों का उसके कूटनीतिज्ञों द्वारा संचालन करना राष्ट्रीय शक्ति के लिए शान्ति के समय उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि युद्धों के समय राष्ट्रीय शक्ति हेतु सैनिक नेतृत्व द्वारा चक्रव्यूह (Formation) तथा दांव-पेच का संचालन किया जाना। यह वह कला है जिसके द्वारा राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्त्वों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में उन मामलों में अधिक प्रभावशाली रूप में प्रयोग में लाया जाये, जो कि राष्ट्रीय हितों से सबसे स्पष्ट रूप से सम्बन्धित है। कूटनीति राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अस्थिर तत्त्व है। कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क है, जो राष्ट्र के समस्त शक्ति स्रोतों को इस तरह से प्रभावित करता है कि उनमें से अधिकांश का प्रयोग हो सके। इसे विदेश नीति का एक बड़ा एवं प्रभावशाली साधन माना जाता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विवेकपूर्ण परिश्रम तथा मनुष्य द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए यह विदेश नीति की सहायता करती है। उच्च स्तरीय कूटनीति ही विदेश नीति के साधनों एवं साध्यों तथा राष्ट्रीय शक्ति के उपलब्ध स्रोतों में एकरूपता ला सकती है। यह राष्ट्रीय शक्ति के दिये हुए स्रोतों को एकत्रित करके उनका राजनीतिक वास्तविकताओं में पूर्ण तथा सुरक्षित रूपान्तरण करती है।

संविधान में हम कह सकते हैं कि कूटनीति वह कला है, जिसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्त्वों को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रभावशाली रूप में निर्मित व प्रयुक्त किया जाता है। किसी भी देश के पास महाशक्ति बनने के अन्य साधन अच्छी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक उत्पादन, तकनीकी प्रगति, सैनिक शक्ति व क्षमता, अच्छी जनसंख्या एवं राष्ट्रीय चरित्र होने पर भी वह इसका पूरा लाभ तब तक नहीं उठा सकता जब तक उसके पास उच्च श्रेणी के कूटनीतिज्ञ न हों। इसीलिए कूटनीति को राष्ट्रीय शक्ति के मस्तिष्क की संज्ञा दी जाती है। अत: हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आवश्यक तत्त्वों में से एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व कूटयोजना भी है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने में उपर्युक्त तत्त्वों की ज़ोरदार साझेदारी होती है। अत: अपने राष्ट्र को सजग, सतर्क, सुसज्जित, सुसंगठित एवं सर्वोपरि रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख तत्त्वों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल्यांकन करते समय इन सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तत्त्वों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। भौतिक एवं मानवीय तत्त्व राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अत: अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए इन तत्त्वों को सही रूप से प्रयोग करके ही राष्ट्र का चहुमुखी विकास किया जा सकता है।

भारतीय सुरक्षा

प्रत्येक राष्ट्र की बुनियादी समस्या उसकी सुरक्षा से जुड़ी होती है। प्रत्येक आधारभूत लक्ष्य उसका बुनियादी राष्ट्रीय हित है। शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रीय हित के प्रतिपादन में तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में होता है। आज के परमाणु युग में सुरक्षा को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है, जिस कारण इसका महत्त्व सबसे अधिक माना जा रहा है। सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आन्तरिक एवं बाह्य समस्याओं की समीक्षा एवं समाधान हेतु अपेक्षित सैनिक व असैनिक तैयारियों पर गहनता से ध्यान देना ही राष्ट्रीय सुरक्षा का पहला कदम कहा जा सकता है। उभरते हुए वैश्विक परिवेश में भारत ने सुरक्षा के प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आर्थिक सुदृढ़ता, आंतरिक सम्बद्धता और

प्रौद्योगिकीय प्रगति भी शामिल है। तथापि, देश के समक्ष मौजूद सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों को देखते हुए भारत को किसी भी आक्रमण का जवाब देने तथा इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता को प्रोत्साहन देने के लिए रचनात्मक सहयोग देने के लिए अपेक्षित स्तर की सैन्य क्षमता और तैयारी बनाए रखनी होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी उद्देश्य

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति निम्नलिखित प्रकार से होती है—

- कानून द्वारा निर्धारित और संविधान में उल्लिखित देश की सीमाओं की रक्षा करना और उसके नागरिकों की जान-माल की आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों से सुरक्षा करना।
- भारत के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विध्वंस के हथियारों के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी के विरुद्ध न्यूनतम और विश्वसनीय निवारक का रख-रखाव। इस निवारक की रूपरेखा और स्टीक तथा उन्नत प्रक्षेपण प्रणाली का निर्धारण सम्प्रभुताधीन हमारा ही दायित्व है।
- सामग्री, उपस्कर तथा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर लगाए गए ऐसे प्रतिबन्धों से देश को सुरक्षित रखना जिनका प्रभाव भारत की सुरक्षा विशेषकर उसकी रक्षा तैयारियों पर पड़ता है। इसमें देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेश में ही अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन पर अधिक ध्यान देना भी शामिल है।
- पड़ोसी देशों के साथ सहयोग व आपसी समझ को बढ़ावा देना और परस्पर विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को लागू करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष खड़ी मुख्य चुनौतियों से निपटने के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन के देशों के साथ मिलकर कार्य करना और एशियन क्षेत्रीय मंच जैसे सहकारी सुरक्षा संगठनों में भाग लेना।
- बड़ी शक्तियों और मुख्य सहभागियों के साथ सुरक्षा व सामरिक विषयों पर बातचीत जारी रखना और,
- सर्वोच्च राष्ट्रीय हित, सार्वभौमिकता, अभेदभाव व सभी के लिए समान सुरक्षा के सिद्धान्तों के आधार पर निःशस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर एक संगत व सैद्धान्तिक नीति का पालन करना।

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा परिषद्

(Indian National Defence Council)

अध्यक्ष—प्रधानमन्त्री

सदस्य—प्रति रक्षा मन्त्री
प्रमुख केन्द्रीय मन्त्री
प्रसिद्ध वैज्ञानिक
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री
प्रसिद्ध अवकाश प्राप्त सेनाध्यक्ष
रक्षा सचिव

उपस्थिति—केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के प्रमुख सभी सदस्य
प्रमुख मुख्य मन्त्री
स्थल सेना अध्यक्ष
वायु सेना अध्यक्ष
नौ सेना अध्यक्ष
रक्षा मन्त्रालय के प्रतिनिधि
अन्य मन्त्रालयों के प्रतिनिधि

इस प्रसिद्ध संगठन की स्थापना 1962 में की गई थी। जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं पर केन्द्रीय सरकार को सुझाव देना था ताकि आपात्काल में अपनी स्थिति को अत्यन्त सुदृढ़ बनाए रखा जा सके और लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

2

राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्व
(ESSENTIALS OF NATIONAL DEFENCE)

एक राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सेनाओं एवं शस्त्रास्त्रों के अतिरिक्त अन्य तत्त्व भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्षा का दायित्व अब केवल सेनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उस राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां, आर्थिक विकास, राजनीतिक व सामाजिक वातावरण, तकनीकी कूटनीति, राष्ट्रीय चरित्र एवं परम्परा आदि तत्त्वों का सक्रिय सहयोग रहता है। अब शत्रु केवल सेनाओं से ही आक्रमण नहीं करता बल्कि आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा कूटनीतिक आक्रमण करने लगा है। वास्तविक युद्ध आरम्भ होने के पूर्व ही इस प्रकार के आक्रमण की पहल हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान **एडाल्फ हिटलर** ने इस सन्दर्भ में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये थे—

"Our real war in fact all be fought before military operation begin."

(हमारी वास्तविक लड़ाइयां तो सैनिक कार्यवाही के पूर्व ही लड़ी जा चुकी होती हैं।)

किसी राष्ट्र की सैन्य क्षमता के आधारभूत तत्त्वों में महत्त्वपूर्ण तत्त्व भौगोलिक होता है क्योंकि कोई भी सैनिक कार्यवाही मौलिक परिस्थितियों के अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकती। किसी भी राष्ट्र का भूगोल ही वहां की युद्ध सक्रिया का निर्धारण करता है तथा उसी के अनुरूप रक्षा व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसी सन्दर्भ में **जनरल वेवल** ने लिखा है कि—

"The Geography of land determines the course of battle."

(किसी स्थान का भूगोल वहां होने वाली लड़ाइयों के स्वरूप को सुनिश्चित करता है।)

एक राष्ट्र की सैन्य शक्ति का अनुमान उसके आर्थिक विकास के आधार पर किया जाने लगा है, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्वों में आर्थिक-तत्त्व को आंका जाने लगा है। आर्थिक व्यवस्था के अभाव में युद्धों में सफलता प्राप्त करना एक असम्भव-सा कार्य हो गया है। युद्ध काल में राष्ट्र के समस्त आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है। प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ जनरल **जे० एफ० सी० फुलर** ने आर्थिक तत्त्व के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए लिखा है—

"आधुनिक युद्ध रणक्षेत्र में न लड़े जाकर देश की खानों एवं कारखानों में लड़े जाने लगे हैं।"

इस प्रकार से **जी० क्रोथर** (G. Crowther) का यह कथन भी उल्लेखनीय है—

"War now a days is more influenced by science of Economics than by art of strategy."

(आधुनिक युद्ध कला की अपेक्षा अर्थ विज्ञान (आर्थिक तत्त्व) से अधिक प्रभावित होता है।)

किसी राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के आधार पर ही उसकी रक्षा योजना को तय किया जाता है। उसके आर्थिक स्रोत एवं तकनीकी स्रोत उसके विकास के स्वरूप को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही रक्षा-नीति बनायी जाती है जोकि आर्थिक विकास पर अधिक निर्भर होती है। अत: राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्वों में अर्थ-व्यवस्था का आधार सबसे ठोस एवं आवश्यक माना जाता है।

राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्वों में सम्बन्धित राष्ट्र की आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस राष्ट्र की आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां स्थिर एवं स्थायी नहीं होतीं वहां की रक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित नहीं हो पाती और उससे विदेश नीति तो प्रभावित होती ही है साथ ही रक्षा-परियोजना भी अधर में अटक कर रह जाती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप ही युद्ध का जन्म होता है। इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध सैन्य विचारक **क्लाज विट्ज** का यह कथन उल्लेखनीय है—

"War is only part of social totality and is nothing else than the continuation of state policy by different means."

(युद्ध समाज की समग्रता का एक अंग तथा राज्य की नीति का एक साधन मात्र ही है।)

जहां एक ओर राजनीति के द्वारा युद्धों को जन्म दिया जाता है, वहां दूसरी ओर युद्धों के कारण राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण करते समय सम्बन्धित राष्ट्र की रक्षा नीतियों को विशेष महत्त्व दिया जाता है। **के० एम० पाणिक्कर** ने भी इस सन्दर्भ में लिखा है कि—

"यदि विदेश नीति रक्षा का एक आवश्यक तत्त्व है तो आन्तरिक राजनीति भी युद्धों को नियमित करने में एक निर्णायक तत्त्व है।"

आधुनिक राज्य का रक्षातन्त्र राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्वों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने राष्ट्र के अस्तित्व को अक्षुण्ण एवं अखण्ड बनाये रखने में उस राष्ट्र के द्वारा निर्धारित रक्षा-तन्त्र की बहुत बड़ी भागेदारी होती है। इसके अन्तर्गत रक्षा एवं विकास नीतियों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। रक्षा नीति निर्धारण का उत्तरदायित्व राष्ट्र की केन्द्रीय सरकार पर निर्भर होता है। हमारे राष्ट्र में प्रजातान्त्रिक प्रणाली एवं राष्ट्रीय एकता के अनुकूल संविधान की धारा 53 के अनुसार राष्ट्रपति को समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है तथा संसद् द्वारा राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं को नियन्त्रित एवं निर्देशित करने का अधिकार है। इसमें सैनिक एवं असैनिक तत्त्वों का उचित समन्वय रखा गया है। *केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में रक्षा नीति निर्धारण के लिए रक्षा मन्त्रालय का अलग उत्तरदायित्व है।*

इस प्रकार राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्वों के आधार पर ही एक सशक्त एवं समृद्धशाली राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है। इसके आधारभूत तत्त्वों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही रक्षा परियोजनायें सुनिश्चित की जानी चाहिएं। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ रक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्त्वों का अलग-अलग विस्तृत विवेचन करते हैं—

1. भौगोलिक तत्त्व (Geographical Factors)
2. आर्थिक तत्त्व (Economic Factors)
3. आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां (Internal Political Conditions)
4. आधुनिक राज्य का रक्षा तन्त्र (Defence Machanism of Modern State)

(अ) भौगोलिक तत्त्व

(Geographical Factors)

राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्वों में भौगोलिक तत्त्व सबसे अधिक स्थिर, स्थायी, प्रत्यक्ष तथा प्राकृतिक तत्त्व माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा सम्बन्धित राष्ट्र की स्थिति, आकार, क्षेत्रफल, स्थलाकृति तथा सीमा व सीमान्त का विस्तृत विवेचन किया जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन तत्त्वों का उल्लेख करना अधिक उचित होगा, ताकि रक्षा अध्ययन के विद्यार्थियों को सरलता से समझ में आ सके। भौगोलिक तत्त्व के अन्तर्गत मुख्य रूप से स्थिति, सीमान्त, भू-क्षेत्र *तथा जलवायु का अध्ययन किया जाता है, जिससे इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रक्षा योजना,* रक्षा तैयारी, रक्षा उत्पादन एवं रक्षा विकास किया जा सके।

(i) **स्थिति (Location)**—किसी भी राष्ट्र की रक्षा के सन्दर्भ में उस राष्ट्र की *भौगोलिक स्थिति* महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके द्वारा ही रक्षा नीति एवं रक्षा तैयारी की जाती है। यही कारण है कि सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से उस राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। किसी भी राष्ट्र की स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित उप-तत्त्वों का भी उल्लेख करना होता है जैसे—

(क) खगोलीय स्थिति (Astronomical Location)
(ख) महाद्वीपीय तथा महासागरीय स्थिति (Continental an Ocean Location)
(ग) सीमावर्ती स्थिति (Vicinal Location)
(घ) केन्द्रीय तथा परिधीय स्थिति (Central and Peripheral Location)
(ङ) सामरिक स्थिति (Strategical Location)

भारत की खगोलीय स्थिति सहित अन्य *स्थितियां इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। भारत एशिया के दक्षिणी* भाग में 8° 4′ से 37° 6′ उत्तरी अक्षांश तथा 68° 7′ से 97° 25′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है। यह पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर में फैला है। इसकी समस्त स्थल सीमा 15200 किलोमीटर है तथा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सागर तट सहित कुल समुद्रीय तट की लम्बाई 75166 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है।

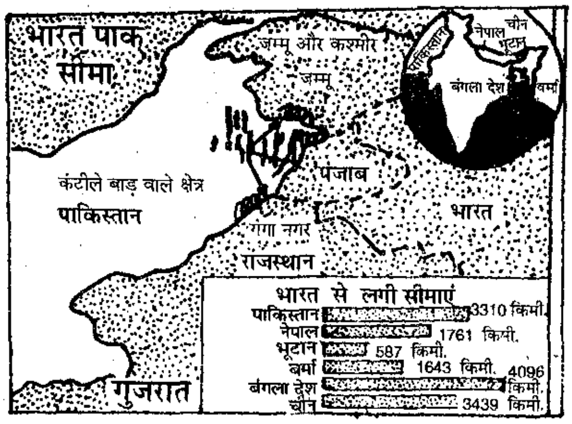

भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी है जिसके दूसरी ओर चीन, नेपाल तथा भूटान राष्ट्र स्थित है। पूर्व में पहाड़ों की श्रृंखला इसे म्यानमार (बर्मा) से अलग करती है। पूर्व में ही इसकी सीमा बंगलादेश के साथ है। पश्चिमी सीमा के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगे हुए हैं। इसके दक्षिण भाग में एक ओर अरब सागर स्थित है तथा दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है और बीच में हिन्द महासागर की स्थिति है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल डमरू मध्य इसे श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। सामरिक दृष्टिकोण से कश्मीर का **गिलगित** तथा सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र तथा महासागरीय स्थिति में हिन्दमहासागर के **चागोस** द्वीप भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत का सुरक्षा परिक्षेत्र स्पष्टत: इसकी परम्परागत भौगोलिक भू-सीमाओं से काफ़ी आगे तक फैला हुआ है। भारत के आकार, अवस्थिति, व्यापार-सम्बन्धों और इसके व्यापक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को देखते हुए इसका सुरक्षा परिवेश पश्चिम में फारस की खाड़ी से लेकर पूर्व में मलक्का जलडमरूमध्य के पार तक और उत्तर में मध्य एशियाई गणतंत्रों से लेकर दक्षिण में भूमध्य रेखा तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के अधिसंख्य देशों के साथ हमारे सम्बन्ध परम्परागत और साफ समाज वाले रहे हैं, जिनके साथ सदियों से हमारा समुद्री मार्ग से व्यापार होता रहा है और उनमें लोग देशान्तरण करते रहे हैं।

हमारी भू-सीमाएं 1500 कि०मी० से भी अधिक तक फैली हुई हैं। भारत की भू-सीमा सात देशों से लगी हुई है। प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण भारत की तटरेखा 7600 कि०मी० लम्बी है। भारत में बड़ी संख्या में द्वीपीय भू-भाग हैं। इसके अतिरिक्त हमारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र दो मिलियन वर्ग कि०मी० से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्व में हमारे द्वीपीय भू-भाग मुख्य भू-भाग से 1300 कि०मी० दूर हैं और वस्तुत: हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देशों के साथ लगे हुए हैं। हमारे देश की समुद्री सीमाएं पांच पड़ोसी देशों से मिलती हैं। भारत के इर्द-गिर्द के समुद्री क्षेत्र में, जब तक तेल के भण्डार मौजूद रहेंगे, यहां बाहरी ताकतों की उपस्थिति बनी रहने की सम्भावना है।

***(ii)* सीमान्त (Frontiers)**—राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तत्त्व के उप तत्त्व सीमान्त की उपयोगिता व्यक्त करने के पूर्व सीमान्त से क्या अभिप्राय है समझना अत्यन्त आवश्यक है। प्राकृतिक या मानव निर्मित भौगोलिक परिधि जिसके द्वारा विशेष प्रकार के राजनीतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र का ज्ञान होता है, उसे सीमा से सम्बोधित किया जाता है, जबकि सीमान्त उस व्यापक सीमा को कहा जाता है, जो दो राष्ट्रों के भौगोलिक विभाजन की जानकारी होती है। इस सन्दर्भ में सीमा एवं सीमान्त को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। **जे० आर० वी० प्रेस्कॉट** ने लिखा है कि—

"Boundary is a line, Frontier is a zone."

(सीमा एक रेखा है जबकि सीमान्त एक क्षेत्र है।)

भूगोलवेत्ता ए० ई० मूडी ने "Geography behinds Politics" में लिखा है—

"Frontiers are areal, Boundaries are linear, in character."

(सीमान्त क्षेत्र परक है और सीमायें रेखा परक।)

इस प्रकार से **पीयरसी** महोदय ने सीमा एवं सीमान्त को परिभाषित किया है—

"The Frontier is a zone of varying width on the periphery of the state's geographical area, An international boundary is laid down in this zone."

[सीमा क्षेत्र (सीमान्त) किसी भी राज्य की परिधि में अलग-अलग चौड़ाई वाले क्षेत्र होते हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय रेखा वह होती है जो उस क्षेत्र के भीतर निश्चित की जाती है।]

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीमा किसी भी क्षेत्र की परिधि का ज्ञान कराने वाली रेखा हो सकती है जबकि सीमान्त सीमा से लगा हुआ प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है। यद्यपि कुछ सीमायें भी प्राकृतिक होती हैं, परन्तु कुछ सीमायें कृत्रिम या मानव निर्मित होती हैं। सीमान्त क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्रों के साथ लगने वाले एरिया को कहा जाता है। सीमा-ब्लाक, तहसील, जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती हैं। सीमायें समझौतों के आधार पर भी तय की जाती हैं। उसका आधार सामरिक, राजनीतिक परिस्थिति एवं प्रभाव आदि के कारण कृत्रिम या मानव निर्मित होता है। उनको भौगोलिक अथवा प्राकृतिक तथ्यों पर आधारित होना अनिवार्य नहीं है। सीमान्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का प्राकृतिक तथा भौगोलिक भू-क्षेत्र कहलाता है। सीमा के अन्त में पड़ने वाला क्षेत्र ही सीमान्त से सम्बोधित किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का विभाजन हम मुख्य रूप से चार भागों में कर सकते हैं—

(1) समझौते के आधार पर तय सीमायें (मैक मोहन रेखा तथा डूरेण्ड रेखा)

(2) प्राकृतिक सीमायें (भारत-पाक के मध्य जम्मू तथा कश्मीर की सीमा रेखा)

(3) थलीय सीमायें (चीन-पाक, बंगला देश, बर्मा, अफगानिस्तान)

(4) समुद्रीय सीमायें (अरब सागर तथा हिन्दमहासागर)

इसके साथ ही सीमा एवं सीमान्त जलीय व थलीय स्थिति के आधार पर तय किये जाते हैं। समुद्री सीमा प्रादेशिक राज्य पद्धति एक महत्त्वपूर्ण अंग है। समुद्री सीमा रेखा से 12 मील की दूरी तक का क्षेत्र सीमान्त के अन्तर्गत माना जाने लगा है। भारत की सीमा के सन्दर्भ में भारत एवं पाक के मध्य कश्मीर को छोड़कर सभी सीमायें मानव निर्मित हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ डूरेण्ड रेखा तथा चीन के साथ मैक मोहन रेखा समझौते पर आधारित सीमायें हैं। सीमायें अधिकांश राष्ट्रों के मध्य विवादों को जन्म देती हैं जैसे—भारत-पाक युद्ध, भारत-चीन युद्ध, अरब-इज़राइल, चीन-वियतनाम, ईरान-इराक, इराक एवं कुवैत आदि। इसी कारण '**कर्जन**' महोदय ने लिखा है कि—

"सीमायें तलवार की धार के समान होती हैं, जिस पर राष्ट्रों की शान्ति या युद्ध तथा मृत्यु या जीवन की डोर लटकती रहती है।"

सीमान्त क्षेत्र सदैव युद्ध क्षेत्र का रूप लेते हैं। इसी कारण उस क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर ही रक्षा व्यवस्था एवं रक्षा तैयारी करनी पड़ती है। यही कारण है कि सीमा एवं सीमान्त भौगोलिक तत्त्व होते हुए भी सामरिक महत्त्व अधिक रखते हैं। सीमान्त भू-क्षेत्र भी बनावट के आधार पर ही होते हैं, अत: उसी के अनुरूप सामरिक तैयारी होनी चाहिए।

***(iii)* भू-क्षेत्र (Terrain)**—भू-क्षेत्र वह धरातलीय क्षेत्र कहलाता है, जिस पर वनस्पति एवं जलवायु का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्वों में सम्बन्धित राष्ट्र के भू-क्षेत्र का तत्त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भू-क्षेत्र ही उस राष्ट्र की शक्ति, आक्रामक क्षमता, रक्षा व्यवस्था, रक्षा तैयारी एवं विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। राष्ट्र की भौतिक सुरक्षा से सम्बन्धित सभी निर्णयों को भू-क्षेत्र ही निर्धारित करता है। सम्बन्धित राष्ट्र के भू-क्षेत्र जैसे—समतलीय, मैदानी, पर्वतीय, पठारी, रेगिस्तानी, दलदलीय, जंगली तथा नदी-नालों के आधार ही वहां की रक्षा तैयारी एवं रक्षा योजना बनायी जाती है।

किसी भू-क्षेत्र में जब हम रक्षा योजना बनाकर तैयारी करते हैं, तो उस क्षेत्र के सभी सामरिक पहलुओं को दृष्टि में रखना होता है, ताकि प्रत्येक कार्यवाही को सफलता का अंजाम दिया जा सके। जहां पर्वतीय क्षेत्रों में दृष्टिगोचरता बनाये रखने का प्रयास किया जाता है, वहां रेगिस्तानी, पठारी, दलदली तथा जंगली क्षेत्रों में गतिशीलता तथा यातायात व संचार व्यवस्था को बनाये रखना होता है। इसके साथ ही भू-क्षेत्र के आधार पर ही वहां सुविधा से प्रयोग किये जाने वाले हथियारों को तय किया जाता है। भू-क्षेत्र के आधार पर रक्षा योजना बनाते समय निम्नलिखित तत्त्वों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, जिससे बिना किसी बाधा के अपनी सैनिक कार्यवाही को संचालित किया जा सके।

(1) गतिशीलता (Mobility)

(2) दृष्टिगोचरता (Visibility)

(3) आड़ एवं आकृतिगोपन (Cover and Comouflage)

(4) यातायात एवं संचार व्यवस्था (Transport and Communication)

(5) केन्द्रीयकरण व्यवस्था (Concentration System)

(6) सुरक्षा व्यवस्था (Security System)

(7) आक्रमण पहल व्यवस्था (Offencive Action)
(8) शक्ति की मितव्ययता (Economy of Force)
(9) सहयोग (Co-operation)
(10) भारी हथियारों के प्रयोग की व्यवस्था (System for Use of heavy weapons)

भू-क्षेत्र के महत्त्व की सन्दर्भ में **डॉ० हरवीर शर्मा** ने अपनी पुस्तक 'युद्ध के मानवीय एवं भौतिक तत्त्व' में स्पष्ट किया है—**"भू-प्रदेश का मूल्यांकन सैन्य-भूगोल के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण अंग है। किसी क्षेत्र की भौगोलिक सत्यता का सैन्य दृष्टि से विश्लेषण करना एक राष्ट्र की रक्षा वे युद्ध नीतियों को प्रभावित करता है और वही सैन्य भूगोल है। भू-प्रदेश की सामरिक व सम्भरण समस्यायें सैनिक तकनीकी व समरतन्त्र के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान को विकसित कर सकती है।"**

किसी भी अभियान में सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित भू-क्षेत्र की बनावट का अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जाये। इसीलिए प्रसिद्ध सेनापति **फ्रेड्रिक महान** ने लिखा है—

"Take advantage of Terrain and then attack him brusquely and you should be able to hope for the most brilliant success."

(भू-क्षेत्र का लाभ उठाते हुए शत्रु पर कठोरता करके ही तुम्हें सर्वोत्तम सफलता की आशा करनी चाहिए।)

प्रसिद्ध सैन्य विचारक **सनतजू** (Sun-Tzu) ने युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए भू-क्षेत्र का विभाजन छ: भागों में किया है। उसका विचार था कि एक कुशल सेनापति को भू-क्षेत्र के आधार पर अपनी सैनिक तैयारी करके अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहिए। रोमन सैन्य विचारक **वैजीटियस** ने भी भू-क्षेत्र के महत्त्व का उल्लेख करते हुए लिखा है कि—

"Good Generals are acutely aware that victory depends much on the nature of the field of battle."

(कुशल सेनापति अच्छी तरह जानते हैं कि सफलता युद्ध भूमि की प्रकृति पर अधिक निर्भर करती है।)

उदाहरण के लिए 1962 के भारत-चीन युद्ध में चीन की सफलता का मुख्य कारण हिमालय के क्षेत्र के आधार पर सुनियोजित तैयारी करके आक्रमण किया था। इसी प्रकार 1971 के भारत-पाक युद्ध में हमारी सफलता का एक प्रभुत्व कारण यही था कि सम्बन्धित भू-क्षेत्र की समस्त परिस्थितियों को अपने पक्ष में बनाये रखा था। अत: राष्ट्रीय रक्षा तैयारी में भू-क्षेत्र की भूमिका को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रभूति के परिणामस्वरूप भौगोलिक तत्त्वों की उपयोगिता में परिवर्तन सम्भव हो गया है, किन्तु आज भी इनकी मौलिक विशेषताओं का महत्त्व कम नहीं हुआ है। यही कारण है कि रक्षा योजना एवं तैयारी में इस तत्त्व को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है।

***(iv)* जलवायु (Climate)**—*राष्ट्रीय रक्षा तैयारी में सम्बन्धित राष्ट्र की जलवायु के महत्त्व को कभी नकारा नहीं* जा सकता, क्योंकि जलवायु के द्वारा ही खाद्य उत्पादन, आर्थिक विकास तथा राष्ट्र की संस्कृति का निर्धारण होता है। किसी राष्ट्र की जलवायु उस राष्ट्र की रक्षा योजना, रक्षा तैयारी, रक्षा उत्पादन, शक्ति एवं समरतन्त्र को प्रत्यक्ष रूप से *प्रभावित करती है। सैनिकों को सम्बन्धित क्षेत्र की जलवायु को ध्यान में रखकर ही प्रशिक्षित एवं तैयार किया जाता है,* ताकि कुशलता एवं दक्षता के साथ कार्यवाही कर सके। जिन राष्ट्रों में अधिक शक्ति या ताप, उष्णता या शुष्कता पायी जाती है वहां अनेक समस्यायें पैदा हो जाती हैं और सैनिक योजनायें संकट में पड़ जाती हैं। अत्यधिक ताप वाले क्षेत्रों में जहां *खाद्य सामग्री पानी, हथियारों के गर्म होने की समस्या आती है, वहां अधिक शीत वाले क्षेत्रों में ठण्डी जलवायु* यातायात व संचार व्यवस्था को बर्फ से ढककर ठप्प कर देती है साथ ही शारीरिक सुरक्षा एवं पेट्रोल व डीज़ल भी जम जाने से आपूर्ति-व्यवस्था व कार्यवाही भी रोक देती है। इससे दृष्टिगोचरता भी पूर्ण तरह से बाधित होती है।

भारत की जलवायु अपने आप में विचित्र है। इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबन्ध में आता है जो सदैव गर्म रहता है। भारत के उत्तरी भाग में तीन प्रकार का मौसम पाया जाता है। पूर्वी भाग में अधिक ताप तथा वर्षा पाई जाती है। उत्तरी भाग हिमालय के ठण्डे प्रदेश से प्रभावित रहता है तथा पश्चिमी भाग वर्षा की कमी के कारण गर्म तथा शुष्क रहता है। भारतीय सैनिक जहां एक ओर सियाचिन ग्लेशियर में काम करने की क्षमता रखते हैं तो दूसरी ओर बीकानेर वे जैसलमेर के गर्म व शुष्क क्षेत्र में अपनी दक्षता का परिचय देते हैं। यही कारण है कि विश्व भर की स्थल सेनाओं में हमारी स्थल सेना अग्रणीय मानी जाती है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र की रक्षा तैयारी व विकास में वहां की जलवायु को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जलवायु के द्वारा ही उसकी कार्यवाही का निर्धारण किया जाता है। यही कारण है कि इसे रक्षा योजना का प्रमुख तत्त्व माना जाता है।

अत: उपरोक्त भौगोलिक विवेचन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की रक्षा तैयारी एवं उसके उत्पादन में इस तत्त्व की ज़ोरदार हिस्सेदारी होती है। अत: सम्बन्धित राष्ट्र के भूगोल के अनुसार ही रक्षा विकास करना लाभकारी सिद्ध होता है।

(ब) आर्थिक तत्त्व

(Economic Factors)

राष्ट्रीय रक्षा के प्रभुत्व तत्त्वों में आर्थिक तत्त्व को गिना जाता है क्योंकि इसके अभाव में आधुनिक युद्धों में सफलता प्राप्त करना असम्भव सा कार्य है। युद्धों के दौरान राष्ट्र के समस्त आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध के स्वरूप को आर्थिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान युद्धों के समय हम यही प्रयास करते हैं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था और अधिक मज़बूत हो जिसके लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ भौतिक महत्त्व की वस्तुओं को विश्व बाज़ार के द्वारा अधिक-से-अधिक मात्रा में जुटाना पड़ता है। आत्मनिर्भरता लाने के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का होना ज़रूरी होता है। आधुनिक रक्षा तैयारी में आर्थिक महत्त्व बहुत अधिक है जैसा कि प्रसिद्ध सैन्य विचारक **जे० एफ० सी० फुलर** ने लिखा है—

"आधुनिक युद्ध रणक्षेत्र में न लड़े जाकर देश की खानों तथा कारखानों में लड़े जाते हैं।"

इस सन्दर्भ में **जी० क्रोथर** महोदय ने लिखा है कि—

"War now a days is more influenced by science of economics than by art of strategy."

(आधुनिक युद्ध युद्ध कला की अपेक्षा अर्थ-विकास (आर्थिक-तत्त्व) से अधिक प्रभावित होता है।)

इसी प्रकार से **एंजिल्स** महोदय ने लिखा है कि—

"राष्ट्र के आर्थिक विकास पर जितनी अधिक सेनायें आधारित होती हैं, उतनी कोई दूसरी वस्तु नहीं।"

उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र की रक्षा तैयारी उसकी आर्थिक अवस्था पर मूल रूप से आधारित होती है। अब हम संक्षिप्त में उन आर्थिक तत्त्वों का उल्लेख करते हैं, जोकि एक राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को मज़बूत बनाने में अपना सक्रिय सहयोग देते हैं। साथ ही वर्ष 2005-06 के बजट में केन्द्रीय आयोजन का क्षेत्रवार परिव्यय इस बात का संकेत है, कि अर्थ-व्यवस्था रक्षा का एक मूलाधार है।

केन्द्रीय आयोजना का क्षेत्रवार व्यय (करोड़ रुपये)

बजट एक नज़र में	2004-05 बजट अनुमान	2004-05 संशोधित अनुमान	2005-06 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	309322	300904	351200
पूंजी प्राप्तियां	168507	204887	163144
कुल प्राप्तियां	477829	505791	514344
गैर-योजना व्यय	332239	360404	370847
योजना व्यय	145590	137387	143497
कुल व्यय	477829	505791	514344
राजस्व घाटा	76171	85165	95312
राजकोषीय घाटा	137407	139231	151144
प्रारम्भिक घाटा	7907	13326	17199

(*i*) प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)
(*ii*) ऊर्जा संसाधन (Energy Resources)
(*iii*) औद्योगिक विकास (Industrial Development)
(*iv*) तकनीकी विकास (Technological Development)
(*v*) परिवहन व संचार व्यवस्था (Transport and Communication)
(*vi*) विदेशी आर्थिक सम्बन्ध (Foreign Economic Relation)
(*vii*) रक्षा उत्पादन (Defence Production)
(*viii*) आर्थिक विकास की विचारधारा (Ideology of Economic Development)
(*ix*) आर्थिक विकास की कूटनीति (Diplomacy of Economic Development)
(*x*) जनसंख्या (Population)

अब हम पाठ्यक्रम के अनुसार दिये गये आर्थिक तत्त्वों का विस्तृत विवेचन करते हैं, जो इस प्रकार से है—

(*i*) संसाधन (Resources)

(*ii*) औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास (Industrial and Scientific Development)

(*iii*) यातायात एवं संचार व्यवस्था (Transport and Communication)

1. संसाधन
(Resources)

किसी राष्ट्र की रक्षा तैयारी का मूल मंत्र आर्थिक आधार होता है और अर्थ-व्यवस्था का विकास उसके संसाधन क्षमता पर अधिक निर्भर होता है। संसाधनों का मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकरण किया गया है—

(क) कच्चा माल (Raw Material)

(ख) खाद्य सामग्री (Foodgrain)

आधुनिक युद्धों में कच्चे माल और खाद्य सामग्री के अभाव में औद्योगिक क्षमता तथा आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। वही राष्ट्र अपने को विकसित करने में सफल हैं, जिनके पास अपने पर्याप्त खनिज पदार्थ के भण्डार हैं। संसाधनों को सरलता से समझने के लिए इन भागों में विभक्त कर सकते हैं—

(*i*) भू-संसाधन (Land Resources)

(*ii*) जल-संसाधन (Water Resources)

(*iii*) ऊर्जा संसाधन (Energy Resources)

(*iv*) वन संसाधन (Forest Resources)

(*v*) मत्स्य संसाधन (Fish Resources)

(*vi*) खनिज संसाधन (Mineral Resources)

(*i*) भू-संसाधन (Land Resources)—भू-संसाधन का अभिप्राय सम्बन्धित राष्ट्र के पास पर्याप्त मात्रा में भू-क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि भू-क्षेत्र ही उस राष्ट्र की शक्ति, आक्रामक क्षमता, रक्षा व्यवस्था, रक्षा तैयारी एवं रक्षा विकास का निर्धारण करता है। राष्ट्र की भौतिक सुरक्षा से सम्बन्धित सभी निर्णय भू-संसाधन ही निर्धारित करते हैं। पर्याप्त मात्रा में भू-क्षेत्र होने से जहां आर्थिक विकास प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकता है, वहां जनसंख्या को सभी रूप से समाहित किया जा सकता है। भू-संसाधनों के आधार पर ही वहां कृषि व औद्योगिक विकास एवं रक्षा योजना को सुनिश्चित किया जाता है। कृषि एवं उद्योगों का विकास ही आर्थिक व्यवस्था को शुद्ध करता है, जोकि प्रत्यक्ष रूप से रक्षा तैयारी व विकास को प्रभावित करता है। अत: आर्थिक तत्त्व के साथ ही रक्षा का भी अभिन्न सहयोगी भू-संसाधन को माना जाता है। इस दृष्टि से भारत के पास पर्याप्त भू-संसाधन हैं।

(*ii*) जल-संसाधन (Water Resources)—किसी भी राष्ट्र के विकास एवं आर्थिक प्रगति में जन-संसाधनों का सक्रिय सहयोग रहता है। कृषि कार्यों में सिंचाई के सहयोग से खाद्यान्न उत्पादनों में बढ़ौत्तरी की जा सकती है। इसके साथ ही उत्पादन एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी आर्थिक सम्पन्नता जल-संसाधनों से प्राप्त की जा सकती है। कृषि कार्यों के अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों के क्षेत्र में भी जल संसाधनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जल संसाधनों को हम मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—

(अ) आन्तरिक जल संसाधन

(ब) बाह्य जल संसाधन

आन्तरिक जल-संसाधनों में मुख्य रूप से नदी, नाले, झील, तालाब, नहरें आदि को गिना जाता है, जबकि बाह्य जल संसाधनों में समुद्री जल आता है।

(*iii*) ऊर्जा संसाधन (Energy Resources)—ऊर्जा संसाधन का सर्वाधिक महत्त्व केवल आर्थिक विकास के साथ ही नहीं जुड़ा है बल्कि आज रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी इसकी सक्रिय भूमिका है। विश्व में प्राकृतिक शक्ति के चार मुख्य साधन हैं—

(क) कोयला (Coal)

(ख) खनिज तेल (Petroleum)

(ग) जल शक्ति (Hydro Electric Power)

(घ) परमाणु शक्ति (Nuclear Power)

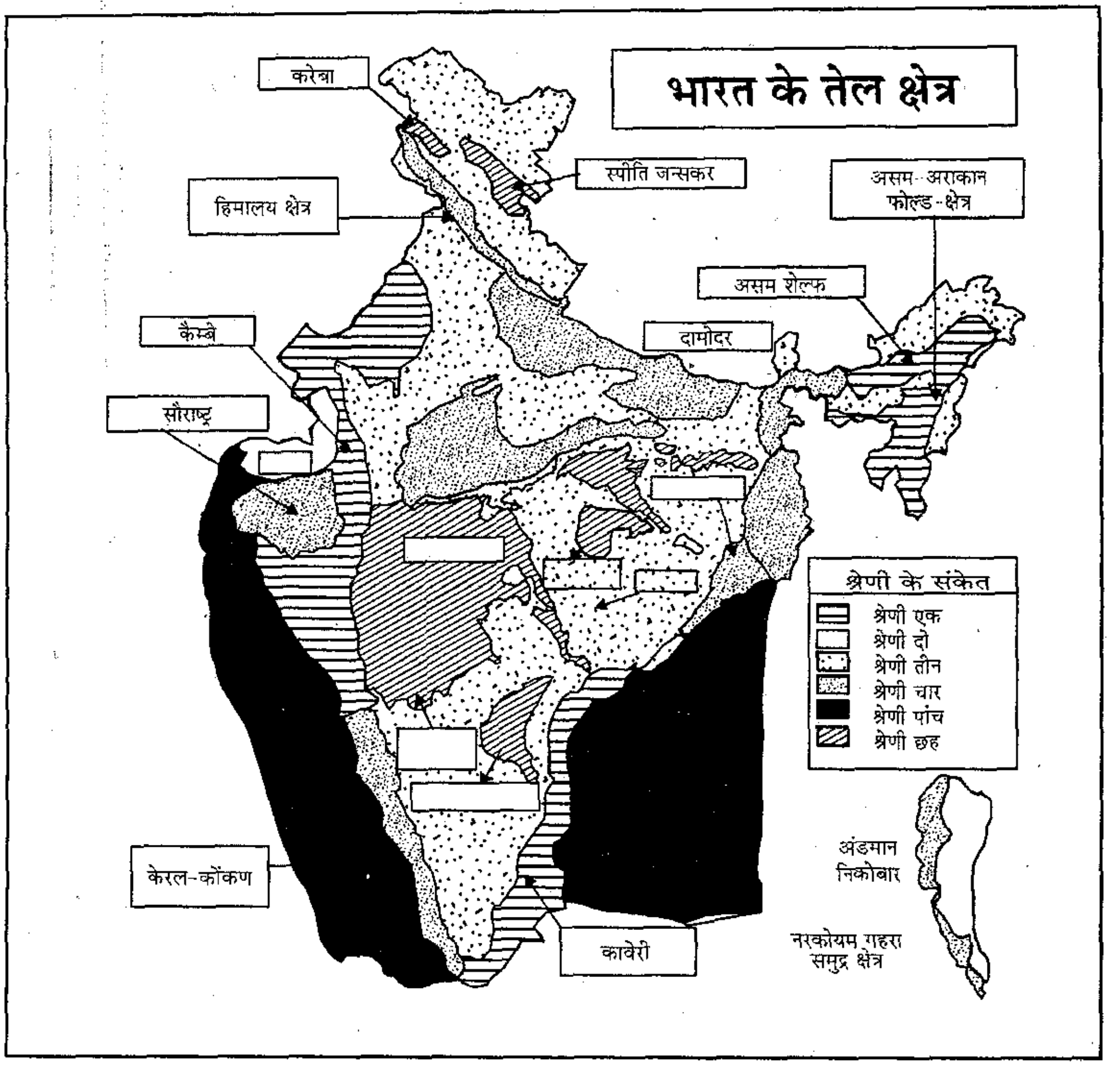

भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले द्वारा तापीय विद्युत् शक्ति (Thermal Electricity) का निर्माण किया जाता है। भारत में पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में समस्त देश का 90 प्रतिशत कोयला उत्पादन होता है, जबकि खनिज तेल असम, गुजरात, बम्बई हाई आदि में प्रमुख रूप से पाया जाता है, जबकि प्राकृतिक गैस असम व गुजरात से मिलती है। जल विद्युत् शक्ति का विकास प्राय: संसार के सभी राष्ट्रों ने किया और आज केवल उद्योगों एवं उत्पादन केन्द्रों का ही नहीं, अपितु आम आदमी की जिन्दगी की महत्त्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति के रूप में गिनी जाती है। यह शक्ति सस्ती एवं प्रदूषण रहित प्रक्रिया से बनती है। परमाणु ऊर्जा का वर्तमान समय में अत्यधिक महत्त्व है। अब परमाणु ऊर्जा केवल विद्युत् उत्पादन में ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि दूसरे कामों में भी प्रयोग किया जा रहा है। भारत में परमाणु ऊर्जा के केन्द्र निम्नलिखित क्षेत्रों में हैं—

(क) तारापुर (बम्बई के निकट)
(ख) कोटा (राजस्थान)
(ग) कल्पक्कम (मद्रास)
(घ) नरोरा (बुलन्द शहर, उत्तर प्रदेश)
(ङ) काकरपारा (राजस्थान)

परमाणु ऊर्जा सबसे सस्ता एवं शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत सिद्ध हो रहा है। ऊर्जा के नये साधन आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे हैं। यही कारण है कि ऊर्जा संसाधन अर्थ-व्यवस्था का आधार है।

(*iv*) वन संसाधन (Forest Resources)—राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को सहयोग देने में प्रत्यक्ष रूप से वन संसाधन की भूमिका है क्योंकि वनों से प्राप्त लकड़ी, कागज़, रबड़, दवा तथा रेशम आदि का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। लकड़ी जहां सुरक्षा के साधनों, वाहनों आदि में कहीं-न-कहीं प्रयोग होती है, वहां रबड़ यातायात साधनों का मूलाधार ही है क्योंकि इसका प्रयोग मोटर गाड़ी से विमानों तक में किया जाता है। वन संसाधन जहां अपनी सेना को आड़, छिपाव तथा सुविधा प्रदान करते हैं, वहां शत्रु के लिए प्राकृतिक बाधा भी पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण बर्मा अभियान है। वन संसाधन पारिस्थितिकी सन्तुलन (Ecological Balance) भी बनाये रखने में सक्रिय सहयोग देता है। वन वायुमण्डल एवं पर्यावरण को शुद्ध करने तथा ऊर्जा के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। परिवहन तथा आवास के लिए जंगलों को काटा जाता है। यही कारण है कि इस समय देश में केवल 22.7 प्रतिशत जमीन पर ही वन रह गये है, जबकि आर्थिक दृष्टि से कम-से-कम 33 प्रतिशत भूमि पर वनों का होना लाभप्रद है। वनों के अनेक आर्थिक लाभ हैं। वन ही मिट्टी के कटाव तथा बाढ़ को रोकते हैं, जो कृषि की उर्वरा शक्ति में सहायक होते हैं। यही कारण है कि आर्थिक तत्त्व का महत्त्वपूर्ण हिस्सा इसे माना जाता है।

(*v*) मत्स्य संसाधन (Fish Resources)—मछली मानव के भोजन का न केवल महत्त्वपूर्ण अवयव है बल्कि सबसे सस्ता, सुगम व पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी है। प्राचीन काल से ही मछली पकड़ना महत्त्वपूर्ण आर्थिक तत्त्व रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अन्य जीवन धारियों की अपेक्षा मछलियों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन 'डी', पौष्टिक लवण तथा आयोडीन की मात्रा मिलती है। कुल मछली उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत भोजन के रूप में, 15 प्रतिशत पशुओं को खिलाने में, 25 प्रतिशत चूर्ण व रासायनिक उर्वरक बनाने में तथा 10 प्रतिशत चर्बी तथा तेल प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। विश्व के जलाशयों में लगभग 40,000 किस्म की मछलियां हैं जिसमें लगभग 1000 किस्म की मछलियां आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। विश्व के अनेक देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए मत्स्य उद्योग विकसित कर रहे हैं।

(*vi*) खनिज संसाधन (Mineral Resources)—पृथ्वी के गर्भ (आन्तरिक भाग) से निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वह पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषतायें होती हैं और जिनकी बनावट को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। खनिज संसाधन वास्तव में एक राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था का एक ठोस आधार होते हैं।

खनिज पदार्थों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जो इस प्रकार से हैं—

(1) धात्विक खनिज (Metallic Minerals)

(2) अधात्विक खनिज (Non-Metallic Minerals)

(3) खनिज ईंधन (Mineral Fuel)

1. धात्विक खनिज (Metallic Minerals)—इसके अन्तर्गत लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी और सोना आदि आते हैं। धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा जा सकता है—

(क) लौह धात्विक खनिज (Ferrous Metallic Minerals)—जैसे—लोहा, मैंगनीज़ तथा कोबाल्ट आदि।

(ख) अलौह धात्विक खनिज (Non-Ferrous Metallic Minerals)—जैसे—तांबा, सीसा, जस्ता, सोना तथा चांदी आदि।

2. अधात्विक खनिज (Non-Metallic Minerals)—इसके अन्तर्गत नमक, गन्धक, जिप्सम, एस्बेटस, पोटाश आदि।

3. खनिज ईंधन (Mineral Fuel)—इसके अन्तर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा आती है।

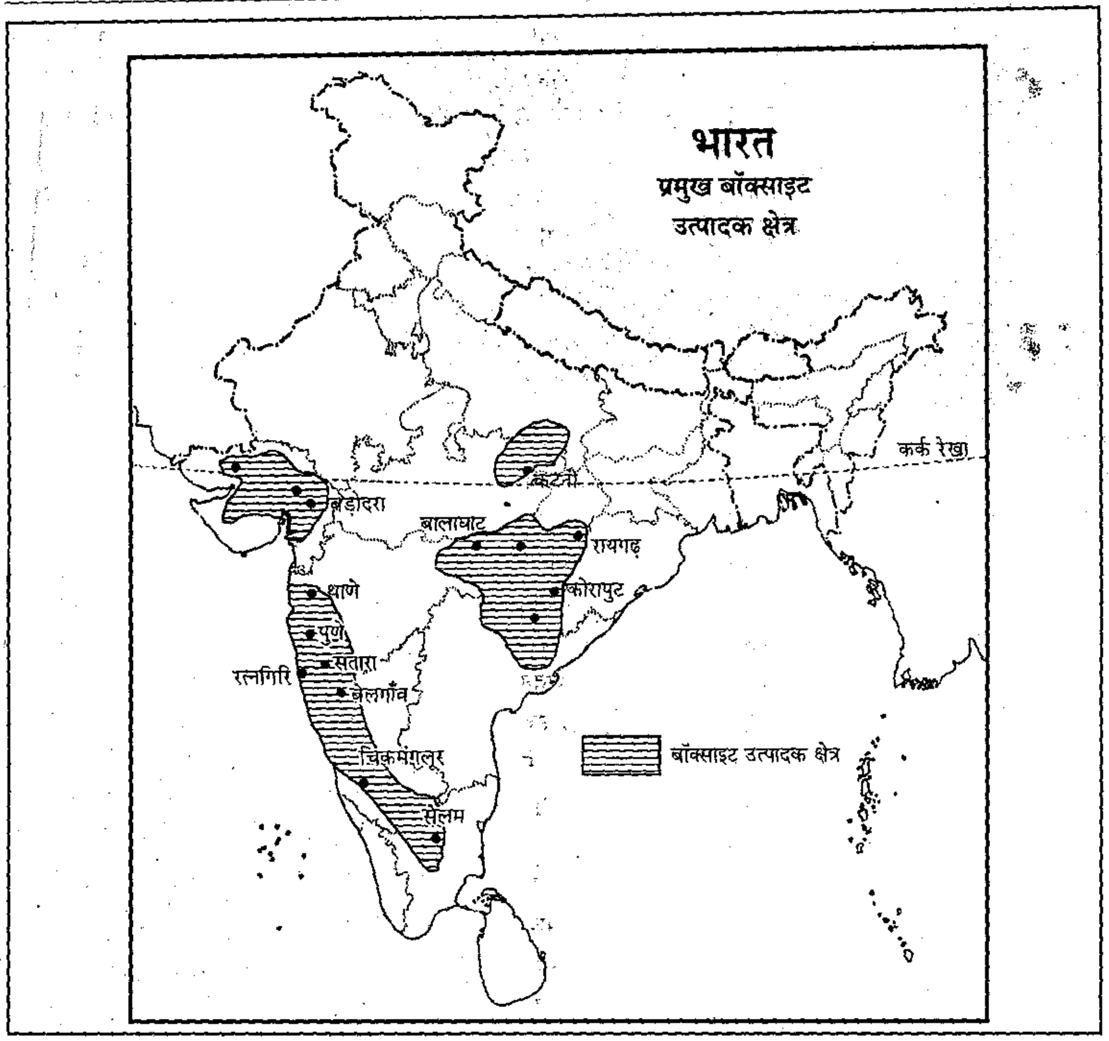

भारत के प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र

खनिज सम्पदा की दृष्टि से भारत एक सम्पन्न राष्ट्र है। यहां खनिजों के प्रचुर भण्डार हैं। खनिज सम्पदा किसी भी राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का ठोस आधार होती है क्योंकि अधिकांश उपयोगी वस्तुओं का निर्माण एवं उनका संचालन खनिज पदार्थों के बल पर ही निर्भर होता है। खनिज संसाधन राष्ट्रीय रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सक्रिय सहयोग प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते ही हैं साथ अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक स्थिति को सुधार कर विकसित करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। भारत में पाये जाने वाले खनिज संसाधनों का स्पष्ट अनुमान चित्रों के आधार पर लगाया जा सकता है।

2. औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास (Industrial and Scientific Development)

किसी भी राष्ट्र का विकास साहित्य-कला एवं संस्कृति से होता है। इसके साथ ही औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास राष्ट्र की आर्थिक जड़ों को मजबूत करते हैं। इसलिए कहा जाता है, कि जिन देशों की औद्योगिक एवं वैज्ञानिक व्यवस्था मजबूत होती है उनकी अर्थ-व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। जिस राष्ट्र के पास पर्याप्त प्राकृतिक साधन हैं और उसके पास उन्हें विकसित करने के लिए औद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्षमता का अभाव है, तो वे राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकते। आज की प्रथम आवश्यकता के रूप में औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास को माना जाता है—सर्वोत्तम उदाहरण विश्व भर में जापान का है। यद्यपि उसके

पास संसाधनों का अभाव है, किन्तु उसका औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास विश्व भर में श्रेष्ठ है और उसी का परिणाम है, कि मज़बूत अर्थ-व्यवस्था का मालिक बना है।

युद्ध के संचालन के लिए आर्थिक क्षमता प्राप्त करने का साधन किसी भी देश का उद्योग धन्धा तथा वैज्ञानिक विकास होता है। आधुनिक युद्ध इतने खर्चीले हैं कि उनकी व्यवस्था वैज्ञानिक एवं औद्योगि...
वहन कर सकते हैं। इसी कारण **जनरल जे० एफ० सी० फुलर** ने कहा है—

''आधुनिक युद्ध रणक्षेत्र में न लड़े जाकर देश की खानों एवं कारखानों में लड़े जाते हैं।''

भारत सरकार ने अपने आर्थिक विकास में वृद्धि करने के लिए तथा वर्तमान औद्योगिक पुनरुत्थान को वर्ष 1993-94 में एक सशक्त पुनरुद्धार में परिवर्तित करना और आने वाले वर्षों में तेज़ी लाने की योजना तय की है, ताकि भारत को विश्व अर्थ-व्यवस्था की बड़ी ताकत के रूप में देखा जा सके। उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के भारतीय प्रयास आखिर सफल होते नज़र आ रहे हैं। अब औद्योगिक विकास दर विश्व वर्ष के मुकाबले तीन गुणा हो जाने, मुद्रास्फीति की दर करीब-करीब स्थिर रहने और विदेशी मुद्रा का भण्डार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की उम्मीदें बढ़ गयी हैं।

भारत के लौह-अयस्क उत्पादक क्षेत्र

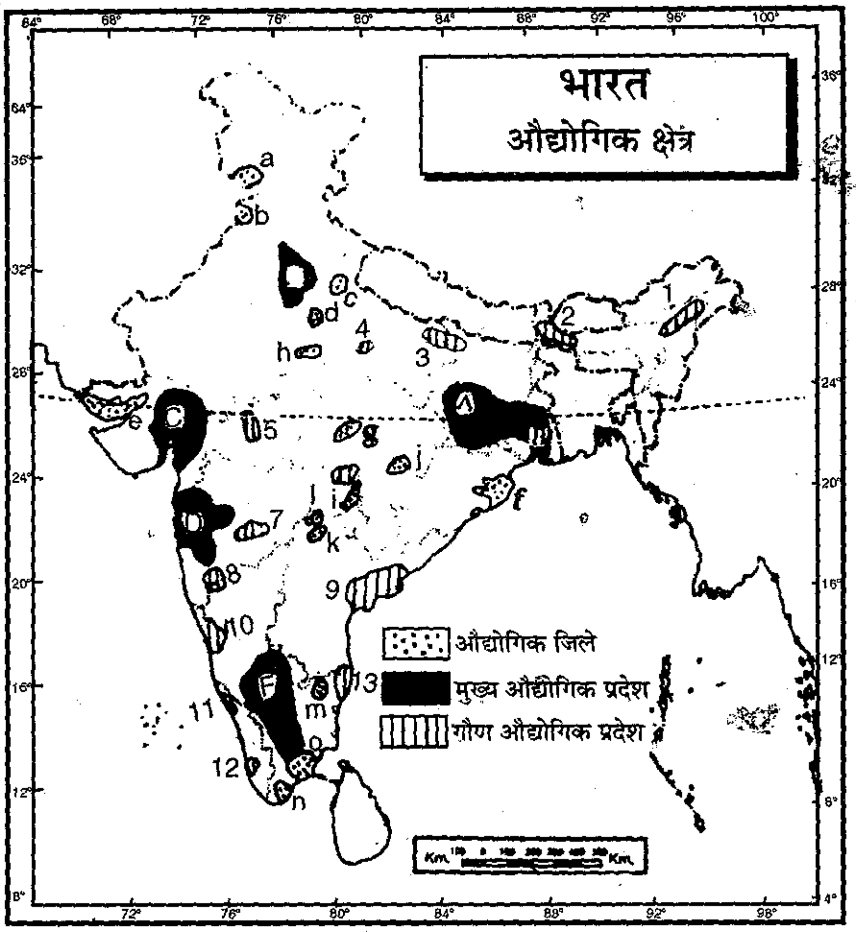

Based upon survey of India map with permission of the Surveyor General of India.

@Government of India Copyright 2005

The territorist water of India extend into the sea to a distance to twelve nutical miles neasured from the appropriate base line.

भारत—औद्योगिक क्षेत्र

मुख्य औद्योगिक प्रदेश—A. बिहार-प० बंगाल औद्योगिक पट्टी, B. हुगली क्षेत्र, C. अहमदाबाद-बड़ौदरा औद्योगिक पट्टी, D. बंबई-पुणे औद्योगिक पट्टी E. दिल्ली तथा निकटवर्ती क्षेत्र, F. बंगलौर-कोयम्बटूर-मदुराई औद्योगिक पट्टी।

गौण औद्योगिक प्रदेश—1. असम घाटी, 2. दार्जिलिंग दुआर, 3. उत्तर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश मैदान, 4. कानपुर, 5. इन्दौर-उज्जैन-नागड़ा, 6. नागपुर-वर्धा, 7. शोलापुर, 8. कोल्हापुर-सांगली, 9. गोदावरी-कृष्णा डेल्टा, 10. बेलगाम-धारवाड़, 11. मद्रास-त्रिचूर, 12. क्वीलोन, 13. मद्रास।

औद्योगिक ज़िले—a. जम्मू, b. अमृतसर c. रामपुर, d. आगरा, e. कच्छ, f. कटक, g. जबलपुर, h. ग्वालियर, i. भांडरा, j. रायपुर, k. निजामाबाद, l. अदीलाबाद, m. अर्काट n. तिरुनेलवली, o. रामनाथपुरम।

वैज्ञानिक एव तकनीकी प्रगति के बल पर ही उद्योगों को अति आधुनिक और विकासशील बनाया जा सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि—

"Science and Technology is the key to economic and Industrial development."
(विज्ञान एवं तकनीकी आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की कुंजी है।)

वास्तव में औद्योगिक विकास का स्तर उसकी तकनीकी योग्यता के आधार पर निर्भर करता है। यही कारण है, कि विश्व भर में आज जापानी तकनीकी की धाक है और आर्थिक व्यवस्था भी अत्यधिक सुदृढ़ एवं समृद्धशाली है। जहां उद्योग अर्थव्यवस्था का एक प्रत्यक्ष एवं ठोस आधार होते हैं, वहां उद्योगों को विकसित एवं समृद्धशाली बनाने में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का सक्रिय सहयोग रहता है। जिन राष्ट्रों का औद्योगिक विकास नहीं हुआ है और कच्चा माल उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपने कच्चे माल को सस्ती दर में अन्य राष्ट्रों को देना पड़ता है और तैयार माल को उन्हें अधिक कीमत देकर खरीदना पड़ता है। अब किसी देश के आर्थिक विकास का अनुमान वहां के औद्योगिक तथा वैज्ञानिक विकास के स्तर से लगाया जाता है।

भारत के उद्योगों का वर्गीकरण अनेक रूपों में किया गया है, जैसे उद्योगों की प्रकृति के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर तथा कच्चे माल की मात्रा के आधार पर आदि-आदि। आकार के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है—

(क) बड़े पैमाने के उद्योग
(ख) मध्यम पैमाने के उद्योग
(ग) छोटे पैमाने के उद्योग।

उद्योगों के वर्गीकरण का रेखाचित्र—

उद्योगों का वर्गीकरण

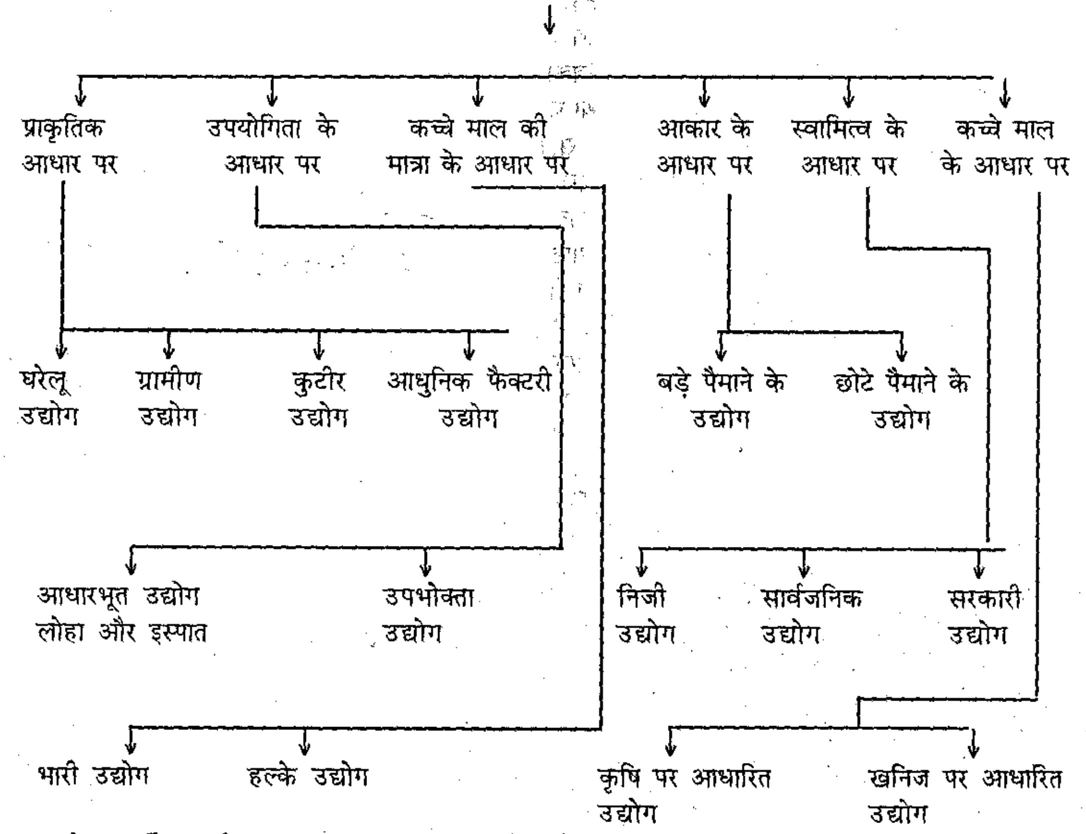

उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में उद्योगों की कितनी सांझेदारी होती है। राष्ट्रीय रक्षा के विकास में रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन (D.R.D.D.) अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और रक्षा के महत्त्वपूर्ण उपकरणों को स्वदेश में ही तैयार कर रहा है। 19 फरवरी, 1994 को चान्दीपुर (उड़ीसा) के अंतरिम परीक्षण से मध्यम मार की दूरी वाले 'अग्नि' प्रक्षेपास्त्र का तीसरा सफल परीक्षण किया गया। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण ही हमारा आधुनिक शस्त्र उद्योग विकसित हो सका है

और हम अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग और त्रिशूल प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण कर चुके हैं। निश्चय ही सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से हम आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

आधुनिक युद्ध अत्यन्त तकनीकी हो गया है। सम्पूर्ण युद्ध व्यवस्था का संचालन तकनीकी साधनों से किया जाने लगा है। यहां तक कि तीनों सेनाओं (जल, थल एवं वायु सेना) के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों एवं साधनों का निर्माण आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधि से किया जाता है। आज अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, वायुयान, नाभिकीय हथियार, जलयान, पनडुब्बी, आधुनिक संचार साधन, राडार, सोनार सभी वैज्ञानिक विकास एवं औद्योगिक प्रगति की देन है। अतः यह सुनिश्चित है कि वही राष्ट्र विकासशील रहेगा जिसकी अपनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति है और वही राष्ट्र आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ होगा।

3. यातायात एवं संचार
(Transport and Communication)

किसी भी राष्ट्र की रक्त धमनियों का कार्य वहां की यातायात व्यवस्था द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह उत्पादन क्षेत्र को उपभोक्ता से जोड़ने का काम करती है। यातायात व्यवस्था राष्ट्र का आर्थिक विकास ही नहीं करती बल्कि सामाजिक, राजनैतिक, सैनिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक चहुमुखी विकास करने में अग्रणीय एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बड़े एवं विस्तृत क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने में परिवहन एवं संचार व्यवस्था का सक्रिय सहयोग रहता है। यातायात एवं संचार व्यवस्था के बल पर आज अन्तर्राष्ट्रीय समूह एक परिवार की भान्ति एक दूसरे से जुड़ गया है। राष्ट्रों के मध्य दूरी समाप्त हो गई है। कहीं से कहीं सीमित समय में पहुंचा जा सकता है और अपने विचारों का आदान-प्रदान अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से भी सम्भव हो गया है।

यातायात अथवा परिवहन साधन व्यापार, उद्योग एवं विकास की आधारशिला है। देश के दूर-दूर स्थित भागों को यातायात साधनों द्वारा मिलाकर एक राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। यही कारण है कि यातायात के साधन राष्ट्रीय एकता एवं प्रगतिशीलता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। विभिन्न प्रदेशों में मानव तथा पदार्थों की गतिशीलता यातायात के साधनों पर निर्भर करती है। जिस प्रकार शरीर में नाड़ियों (रक्त कोशिकाओं) द्वारा रक्त प्रवाह होता है ठीक उसी प्रकार किसी राष्ट्र में सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों एवं वायुमार्गों द्वारा व्यापारिक वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है। यही कारण है कि यातायात व्यवस्था को राष्ट्र की जीवन रेखाएं भी कहा जाता है।

यातायात व्यवस्था का महत्त्व केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं है, अपितु सामरिक दृष्टि से भी बहुत अधिक है। यातायात के अभाव में सैनिक निर्धारित समय में न तो सरलता से सभी जगह स्वयं पहुंच सकता है और न ही उसका साज-सामान व आवश्यक वस्तुएं। यातायात आवागमन एवं आपूर्ति बनाए रखने का प्रमुख स्रोत बन चुका है। इसकी सैनिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए चर्चिल महोदय ने लिखा है कि—

"Victory is the beautiful bright coloured flower. Transport is the stem, without which it could never have blossomed."

(सफलता या विजय एक चमचमाता हुआ रंगीन फूल है तो यातायात एक वन है, जिसके बिना वह खिल नहीं सकता।)

यातायात एवं संचार व्यवस्था के महत्त्व को संक्षिप्त में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

1. राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए।
2. अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए।
3. आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए।
4. राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक विकास के लिए।
5. उत्पादन वृद्धि को बढ़ाने के लिए।
6. राजनैतिक जागरूकता लाने के लिए।
7. सामरिक गतिविधियों पर पकड़ रखने के लिए।
8. सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए।
9. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाए रखने के लिए।
10. राष्ट्रीय अस्मिता एवं अस्तित्व को विकसित करने के लिए।
11. प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए।

यातायात के साधन—भारत में यातायात व्यवस्था को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है—

(क) सड़क यातायात (Road Transport)

(ख) रेल यातायात (Rail Transport)

(ग) जल यातायात (Water Transport)

(घ) वायु यातायात (Air Transport)

(क) सड़क यातायात (Road Transport)—सड़क यातायात की आर्थिक एवं सैनिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी इस यातायात व्यवस्था को प्रयोग में लाया जाता है। सीमाओं एवं पहाड़ी दर्रों के साथ लगी सड़कें सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हैं। भारत में पांच प्रकार की सड़कें हैं—

(*i*) राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway)

(*ii*) प्रान्तीय राजमार्ग (State Highway)

(*iii*) जिलों की प्रमुख सड़कें (District Main Roads)

(*iv*) जिलों की छोटी सड़कें (District Small Roads)

(*v*) गांवों की सड़कें (Village Roads)

भारत में सड़क मार्ग 20,06,000 कि० मी०, आटोमोबाइल्स की संख्या 22,84,000 तथा ट्रक व बस संख्या 14,33,000 बतायी गई है। इसका स्रोत ब्रिटानिक इयर बुक 1992 है। सड़क यातायात से राष्ट्र की शक्ति एवं समृद्धि सीधा सम्बन्ध रखती है।

(ख) रेल-यातायात (Rail Transport)—भारत के रेल परिवहन यातायात का प्रमुख साधन है। यही कारण है कि भारतीय रेलों का एशिया में प्रथम तथा विश्व में दूसरा स्थान है। यह देश का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा उपक्रम है। भारतीय रेलों को नौ खण्डों (Zone) में विभाजित किया गया है—

रेलवे	**मुख्यालय**	**रेल मार्ग कि० मी०**
मध्य	बम्बई वी० टी०	6472
पूर्वी	कोलकाता	4270
उत्तरी	नई दिल्ली	10977
पूर्वोत्तर	गोरखपुर	5163
पूर्वोत्तर सीमान्त	मालेगांव (गोहाटी)	3739
दक्षिण	चेन्नई	6722
दक्षिण मध्य	सिकन्दराबाद	7137
दक्षिण पूर्व	कोलकाता	7075
पश्चिमी	मुम्बई (चर्चगेट)	10295

किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एवं विकास के साथ-साथ सामरिक प्रगति में रेल यातायात का अद्वितीय स्थान है जो भारी से भारी सामान ढोने में समर्थ है।

(ग) जल यातायात (Water Transport)—जल यातायात को आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण माना जाता है। भारत में लगभग 1400 किलोमीटर जलमार्ग है लेकिन अधिकांश का व्यावसायिक प्रयोग नहीं हो रहा है। भारत में 11 बड़े बन्दरगाह हैं। इसके अलावा देश के लगभग 6000 कि० मी० लम्बे समुद्र तट पर कुल 226 छोटे बन्दरगाह हैं जिनमें से 139 छोटे बन्दरगाह चालू स्थिति में हैं। पश्चिमी तट के बड़े बन्दरगाह है। बड़े बन्दरगाह हैं—कांडला, मुम्बई, मरमोगोवा, मंगलौर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और कोलकाता-हल्दिया।

विकासोन्मुख देशों में भारत के व्यावसायिक जलयानों का बेड़ा सबसे बड़ा बेड़ा है और जलयानों की क्षमता की दृष्टि से हमारा व्यावसायिक जलयानों का बेड़ा 16वें स्थान में आता है। भारत में चार बड़े और चार मध्यम आकार के शिपयार्ड है। निजी क्षेत्र में 32 छोटे शिपयार्ड हैं।

जल यातायात का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है—

(1) आन्तरिक जल यातायात

(2) समुद्री जल यातायात

व्यापारिक एवं समारिक दृष्टिकोण से जल यातायात विशेष रूप से समुद्री यातायात का भारत के लिए अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि हिन्दमहासागर दुनिया के लिए एक बड़ा व्यापार मार्ग है।

(घ) वायु यातायात (Air Transport)—वायु यातायात केवल भारत की अर्थ-व्यवस्था का मूल आधार ही नहीं है बल्कि इससे भी अधिक सामरिक महत्त्व का मूल केन्द्र है। अत्यन्त गतिशील तथा आधुनिक परिवहन व्यवस्था में इसे गिना जाता है। भारत में इस समय 5 अंतर्राष्ट्रीय तथा 84 अन्य हवाई अड्डे हैं। यह देश एवं विदेश को त्वरित गति से जोड़ने की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस प्रकार से हैं—

(1) इन्दिरा गान्धी हवाई अड्डा, दिल्ली
(2) सान्ताक्रुज हवाई अड्डा, मुम्बई
(3) दमदम हवाई अड्डा, कोलकाता
(4) मीनाबक्कम हवाई अड्डा, चेन्नई
(5) राजासांसी हवाई अड्डा, अमृतसर

इस प्रकार वायु परिवहन राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था तथा रक्षा तैयारी में सक्रिय सहयोग देता है और राष्ट्र के विकास में बल देता है।

संचार व्यवस्था (Communication System)—किसी राष्ट्र के विकास में कान और आंख का काम वहां की संचार व्यवस्था द्वारा किया जाता है। दूर संचार सेवायें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संचार व्यवस्था के अन्तर्गत समाचार पत्र, डाक,तार, टेलीफोन, बेतार, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि सम्मिलित हैं। 'मनोरमा' इयर बुक 1994 के अनुसार भारत में दैनिक समाचार पत्र 2856 प्रकाशित हो रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 245 रेडियो केन्द्र तथा 178 दूरदर्शन केन्द्र, लाखों की संख्या में टेलीफोन एवं डाकघर काम कर रहे हैं।

संचार प्रणाली के क्षेत्र में भारतीय सेना ने वैसी ही अति आधुनिक प्रणालियां हासिल करनी हैं जो खाड़ी युद्ध के दौरान देखने को मिली थीं। इन प्रणालियों में शत्रु की संचार व्यवस्था को ठप्प करने की क्षमता इलेक्ट्रॉनिक काउन्टर मेजर उपग्रह से जुड़ी संचार प्रणाली शामिल है। हमारी सेना के पास उपग्रह डिजिटल,ट्रोपोस्कैटर, एरिया ग्रिड संचार प्रणाली, आर्मी स्टेटिक कम्युनिकेशन नेटवर्क (एसकोन), आर्मी रेडियो इंजीनियरिंग नेटवर्क तथा फाइबर औप्टिक आदि प्रणाली भी है। इससे हमारी संचार व्यवस्था पूरी तरह भंग नहीं हो सकती और खराब से खराब स्थिति में भी बनी रहती है। युद्ध क्षेत्र में बेहतर संचार व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वहां इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, आटोमैटिक मैसेज स्वीचिंग सिस्टम तथा डिजिटल डेटा चैनल को कम्प्यूटरों से भी जोड़ा गया है। आधुनिक राजनीति को देखते हुए सीमाओं पर स्थापित लाइनर कम्यूनिकेशन प्रणाली को 'एरन' प्रणाली से भी जोड़ दिया गया है।

संचार माध्यम व्यापारिक दृष्टिकोण से इतना महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है कि इन पर विज्ञापन की बढ़त स्वयं देखी जा सकती है। सामरिक दृष्टि से इसलिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचा कर प्रभाव डाला जा सकता है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था का संचार-व्यवस्था एक सच्चा सहयोगी साधन है। सैनिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहायक हैं वहां नियन्त्रण व प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिलता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने टेलेक्स एवं टेलीप्रिंटर का स्थान अब फैक्स को दे दिया है जो कि अब-बड़े-बड़े समाचार-पत्र तक सीधे एक एक स्थान से दूसरे स्थान में छाप सकेंगे। अत: इस संचार व्यवस्था के योगदान से अर्थ-व्यवस्था का सुदृढ़ होना अनिवार्य ही है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्र के रक्षा पहलुओं में आर्थिक तत्त्व अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं आधार बिन्दु है जिसमें संसाधन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ यातायात एवं संचार व्यवस्था महत्त्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं।

(स) आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां

(Internal Political Condition)

किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था केवल हथियारों तक ही सीमित नहीं होती बल्कि उस राष्ट्र की भौगोलिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, सामरिक तैयारी के साथ ही आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। राजनीतिक परिस्थितियों की व्याख्या हम दो रूपों में कर सकते हैं—

(1) आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां
(2) बाह्य राजनीतिक परिस्थितियां

विकासशील राष्ट्रों की प्रगति एवं सुरक्षा व्यवस्था में वहां की आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि सम्बन्धित राष्ट्र की जब स्थिर एवं स्थायी सरकार होगी तो वहां का विकास तो होगा ही साथ ही साथ सुदृढ़ रक्षा नीति, आर्थिक नीति एवं विदेश नीति तय की जा सकेगी। राजनीतिक परिस्थितियां किसी राज्य एवं राष्ट्र के प्रशासन, शान्ति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की व्याख्या प्रस्तुत करती है। किसी विद्वान् ने इस सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से लिखा है कि—

"किसी राष्ट्र के द्वारा कोई प्रभावशाली कूटियोजना अपनाना तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि वहां का राजनैतिक आधार मज़बूत न हो। एक राज्य की राजनीतिक स्थिरता एवं सुदृढ़ शासन उस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में योगदान देते हैं।"

यह सभी जानते हैं कि देश में राजनीतिक आधार पर ही युद्ध एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखी जाती है। यदि देश के आन्तरिक हालात में विशेष रूप से राजनीतिक उथल-पुथल बनी रहती है तो उससे राष्ट्र का आर्थिक ढांचा अस्त-व्यस्त हो जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव रक्षा व्यवस्था एवं रक्षा तैयारी पर पड़ता है। जिस राष्ट्र की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति अस्थिर या डांवाडोल हो और क्षेत्रीय, भाषायी, सम्प्रदायी विचारधारा, संकीर्ण दृष्टिकोण का टकराव हो, तब एक सुदृढ़ एवं स्थिर रक्षा व्यवस्था तथा मज़बूत आर्थिक विकास की बात करना मात्र एक परिकल्पना ही होगी। राष्ट्र की राजनीतिक अस्थिरता के फलस्वरूप कानून व्यवस्था भंग हो जाती है और राष्ट्र हित समाप्त हो जाता है। जिस समय राष्ट्र हित समाप्त हो जाए तो रक्षा तैयारी, रक्षा विकास, आर्थिक सुधार एवं विदेश नीति का अर्थ ही बदल जाता है। राज्य सत्ता स्वयं में निर्गुण और निराकार होती है, परन्तु उसका सगुण प्रकटीकरण उसके सरकारी प्रशासन तन्त्र से होता है। यह प्रशासन तन्त्र जितना ही प्रभावी और कारगर रूप में प्रतिष्ठित होता है, उतनी ही राज्य-सत्ता की धाक जमती है। राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके प्रशासन में पड़ता है। जिस राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं होतीं उससे राज्य सत्ता की छवि ही धूमिल नहीं होती, बल्कि उन विद्रोही ताकतों का मनोबल बढ़ जाता है जो उसे कमज़ोर करना चाहती हैं। देश की एकता एवं अखंडता के साथ चहुमुखी विकास उसी स्थिति में होता है, जबकि राष्ट्र की आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां मज़बूत एवं कुशल प्रशासन होता है। राष्ट्रीय समस्याओं का सही समाधान राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति पर बहुत हद तक निर्भर करता है।

एक राष्ट्र की आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां ही उस देश की विदेश नीति को तय करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जैसा कि इस सन्दर्भ में **के० एम० पाणिक्कर** का यह कथन उल्लेखनीय है—

"यदि विदेश नीति रक्षा का एक आवश्यक तथ्य है तो आन्तरिक राजनीति भी युद्धों को नियन्त्रित करने में एक बड़ा निर्णयात्मक तत्त्व है।"

अब हम आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों को स्थायी तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक तत्त्वों का उल्लेख करते हैं—

(1) शासन या सत्ता का प्रशासनिक ढांचा (Administrative Structure of Govt.)
(2) राष्ट्रीय परम्परा (National Traditions)
(3) राष्ट्रीय विचारधारा (National Ideology)
(4) राष्ट्रीय नेतृत्व (National Leadership)
(5) राष्ट्रीय मनोबल (National Morale)
(6) आन्तरिक स्थायित्व (Internal Estatnity)
(7) जन चेतना एवं जागरूकता (Public Alertness and consciousness)
(8) राष्ट्रीय एकता (National Unity)

1. शासन या सत्ता का प्रशासनिक ढांचा—आन्तरिक एवं बाह्य राजनीतिक परिस्थितियां बहुत हद तक शासन अथवा सत्ता के प्रशासनिक ढांचे से प्रभावित होती हैं। जिस समय जनता अपनी तथा अपने राष्ट्र की सुरक्षा को सुदृढ़ देखती है तो शासन एवं सत्ता के कानून एवं व्यवस्था को स्वयं ही मानने लगती है। शासन के अनेक रूप हो सकते हैं जैसे—केन्द्रीयकृत शासन, विकेन्द्रित शासन तथा जनतन्त्र शासन। शासन या सरकार राष्ट्र के प्रशासनिक ढांचे को किस प्रकार तैयार करती है और उसका समस्त राष्ट्र की जनता पर किस प्रकार प्रभाव रहता है। जिस समय राष्ट्र में विरोधी ताकतें पैदा होती हैं जैसे—आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, जातिवाद, धर्मवाद तथा साम्प्रदायवाद आदि उस समय प्रशासन की परख होती है इन पर नियन्त्रण न होने पर उसकी साख गिरती है। इसे आन्तरिक राजनीतिक कमज़ोरी कहा जाता है। सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाये रखना प्रशासनिक कुशलता तथा श्रेष्ठ या उत्तम आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों का सूचक है।

2. राष्ट्रीय परम्परा—आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों को सुदृढ़ करने में सम्बन्धित राष्ट्र की परम्परा का भी सक्रिय सहयोग रहता है। शासन में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में किसी एक दल या पार्टी की प्रमुख भागेदारी होती है किन्तु राष्ट्रीय मुद्दों पर विरोधी गुटों का एक साथ मिलकर कार्यक्रम उसकी परम्परा का सूचक होता है। उदाहरण के लिए इसी वर्ष (1994) में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत द्वारा मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया तो विपक्ष में लोकसभा के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका एक साथ मिलकर विरोध ही नहीं किया बल्कि मजबूरन पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस प्रकार सम्बन्धित राष्ट्र की परम्परा वहां के आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों को सुदृढ़ करने में सहयोग देती है। यह केवल स्वस्थ प्रजातन्त्र प्रणाली में ही सम्भव हो पाता है।

3. राष्ट्रीय विचारधारा—विचारधारायें यह दावा करती हैं कि वे पूर्ण सत्य का रूप हैं और किसी विचारधारा में पूर्ण निष्ठा रखने को बुद्धि संगत और नैतिक दोनों दृष्टियों से उचित माना जाता है। एक विचारधारा में भी उसके वाद होते हैं जैसे—साम्राज्यवाद, साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद तथा जनतन्त्रवाद। जिन राष्ट्रों में एक विचारधारा के लोग होते हैं वहां राष्ट्रीय एकता सरलता के साथ कायम की जा सकती है। राष्ट्रीय जनमत के अभाव में रक्षा एवं आर्थिक नीतियों के निर्माण में अनेक समस्याएं आ जाती हैं जिसका लाभ दूसरा विरोधी राष्ट्र उठा सकता है।

राष्ट्रीय विचारधारा के बल पर ही सुदृढ़ आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण किया जा सकता है।

4. राष्ट्रीय नेतृत्व—किसी राष्ट्र की आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों को सुदृढ़ रखने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है। उसका जनता पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है जिसका लाभ उठाते हुए वह बड़ी से बड़ी समस्या का सरलता से सामना करने में सक्षम हो जाता है। नेता के चरित्र को समय तथा स्थान की परिस्थितियों से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसन **आर्डव टैड** ने अपनी पुस्तक 'Art of Leadership' में लिखा है—"Leadership is the activity of influencing people to co-operate towards some goal which they come to find desirable."

('नेतृत्व वह क्रिया है जो लोगों को किसी इच्छित उद्देश्य या लक्ष्य में सहयोग करने के लिए प्रभावित करती है।)

भारत के सन्दर्भ में पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी एवं श्री राजीव गान्धी के नेतृत्व की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की धाक थी। डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2005 के अमरीका दौरे के समय वहां की कांग्रेस को दिए गए साक्षात्कार में उनके नेतृत्व को एक ठोस आधार दिया। अतः राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है।

5. राष्ट्रीय मनोबल—किसी राष्ट्र की शक्ति एवं एकता का अनुमान उसके राष्ट्रीय मनोबल से लगाया जा सकता है। यह एक ऐसा मानवीय गुण है, जिसकी अपार शक्ति एवं क्षमता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोधी ताकतों का बाखूबी सामना करने में राष्ट्रीय मनोबल की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। मनोबल को फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम ने लिखा है कि—

"मनोबल किसी भी मानव की न छूने वाली भावना है। साहसी की तरह मानसिक स्थिति है भाव एवं तर्क का मिश्रण है। उच्च मनोबल का तात्पर्य है, कि समूह का हर एक व्यक्ति काम करेगा, लड़ेगा और आवश्यकता पड़ी तो वह अपने प्रयास के अन्तिम औन्स को भी अपने समूह की सेवा में अर्पित कर देगा। ऐसे विचारशील और कार्यशील व्यक्ति के मनोबल के कुछ आधारभूत तत्त्व होते हैं। मेरे विचार से,यह आधार सर्वप्रथम आध्यात्मिक, तत्पश्चात् मानसिक तथा अन्त में भौतिक है।"

एक राष्ट्र की प्रशासनिक राजनैतिक स्थिति एक जलयान की भान्ति होती है, यदि उसको नष्ट किया जाता है तो सभी का जीवन संकट में हो जाता है। आन्तरिक राजनैतिक परिस्थितियां यदि सुदृढ़ हैं तो राष्ट्र का विकास एवं रक्षा योजना सफल रहती है।

6. आन्तरिक स्थायित्व—राष्ट्रीय रक्षा एवं विकास की अनेकानेक, आवश्यक शर्तों में से आन्तरिक स्थायित्व एक नितान्त आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र अपने विकास कार्यों को उस समय तक पूरा नहीं कर सकता जब तक कि उस राष्ट्र में राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थायित्व न हो और राष्ट्र के नागरिक अपने आपको तथा अपने क्षेत्रीय एवं अन्य हितों को राष्ट्रीय हितों पर बलिदान कर देने की भावना से कार्य न करते हों। आज भारत में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जैसे—अलगाववाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदाय तथा भाषावाद आदि विघटनकारी तत्त्व हैं।

अत: भारत के सन्दर्भ में आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व लाने तथा केन्द्र को सुदृढ़ करने के लिए जनता को समान सामाजिक स्तर के आधार पर गठित रखना होगा और विघटनकारी तत्त्वों का मुकाबला स्वयं ही सम्बन्धित क्षेत्र के लोग करने में समर्थ हो सकें।

7. जन चेतना एवं जागरूकता—आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों को राष्ट्रीय हितों में लगाए रखने के लिए आवश्यक है कि सम्बन्धित राष्ट्र के लोगों में अपने राष्ट्र की रक्षा के प्रति जागरुकता एवं चेतना लाना अत्यन्त जरूरी है। जिस देश की जनता जागरूक है वह अपने शासन की उत्तम कानून व्यवस्था को कायम रखने में प्रत्येक रूप से सक्रिय सहयोग देती है। राष्ट्र विरोधी संकीर्ण विचारधाराएं इस वातावरण में पनप नहीं पाती हैं। आज भारत में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद तथा सम्प्रदायवाद शक्तियों का जो बोलबाला है, उसका प्रमुख कारण यही है, कि उस क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय भावना एवं विकास के प्रति जागरूक नहीं हैं और क्षुद्र एवं निजी स्वार्थों के लिए कार्य करते हैं। इससे समाज में विघटन बढ़ता है।

अत: जन चेतना एवं जागरूकता के द्वारा आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों को राष्ट्र के विकास में ज़ोरदारी से लगाया जा सकता है।

8. राष्ट्रीय-एकता—आज भारत की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति को अस्थिर बनाने के लिए जो कुचक्र चालें चली जा रही हैं और भारत के दुश्मन चारों ओर से घात लगाए बैठे हैं तथा अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है। हम सभी पहले भारतीय हैं इसके बाद हम जाति, धर्म, क्षेत्र एवं प्रान्त से जुड़े हैं। अत: हम सब मिलकर राष्ट्रीय एकता की ज्योति को निरन्तर प्रज्वलित होते रहने दें। इसी में राष्ट्र की भलाई है और हम सभी का कल्याण। अत: स्पष्ट है कि जिस राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता है वहां की राजनीतिक परिस्थितियां भी सुदृढ़ होंगी।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी राष्ट्र की रक्षा के तत्त्वों में सम्बन्धित राष्ट्र की आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां यदि ऐसी हैं, कि वहां की जनता एवं शासन के मध्य उचित दूरी है और कानून व्यवस्था उत्तम होने के साथ ही सरकार पर लोगों की आस्था है तो उसका भविष्य उज्जवल रहता है। किसी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ तथा अर्थ-व्यवस्था को उन्नतशील बनाने में राजनीतिक स्थिरता तथा कुशल प्रशासन की महत्त्वपूर्ण सांझेदारी होती है। यदि राष्ट्र के आन्तरिक राजनीतिक हालात अच्छे होते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक गतिविधियों को अपने पक्ष में करने के अवसर अधिक हो जाते हैं। राष्ट्र की आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियों में आस-पड़ोस एवं संसार के अन्य राष्ट्रों की राजनीति का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अत: रक्षा एवं विकास के लिए उस राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों का शासन के अनुकूल होना आवश्यक है।

यद्यपि रक्षा एवं विकास कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (International Politics) का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व परिदृश्य में बड़ी तेज़ी से बदलाव आए और विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई, अमेरिका विश्व राजनीति को अब अपने इशारों से चलाना चाहता है इसी कारण कश्मीर के मामले में पाक को थपथपी देता है, पंजाब में उसे मानवाधिकार याद आता है, पाक को एफ-16 विमान की अन्य खेप भेज रहा है। भारत से परमाणु अप्रसार सन्धि (N.P.T.) पर हस्ताक्षर करवाना चाहता है, जिससे हमें और अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। संक्षिप्त में कहने का अभिप्राय यही है कि जहां राष्ट्र की आन्तरिक राजनैतिक परिस्थितियां महत्त्वपूर्ण हैं, वहीं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भी पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ता है।

(द) आधुनिक राज्य का रक्षा तन्त्र

(Defence Machanism of Modern State)

आधुनिक राज्य का रक्षा-तन्त्र से अभिप्राय सम्बन्धित राज्य की रक्षा-व्यवस्था एवं उसके संगठन के स्वरूप से है। किसी भी राज्य की नीतियों का निर्धारण करते समय सम्बन्धित राज्य की सैनिक नीतियों को विशेष महत्त्व दिया जाता है। राज्य की सुरक्षा एवं चौकसी का उत्तरदायित्व उसकी सेनाओं का होता है। सेनायें राजनीतिक संस्था के एक आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण अंग की भान्ति कार्य करती हैं और देश की प्रादेशिक अखण्डता एवं प्रभुसत्ता को बनाये रखने में सक्रिय भूमिका निभाती है। आधुनिक समय में सेना रहित राज्य की राजनीति का कोई महत्त्व नहीं रह गया है।

संसार में जब से राज्यों की स्थापना हुई है, तभी से सैनिक शक्ति, राज्यों की रक्षा तथा शान्ति के लिए प्रमुख अंग

के रूप में मानी जाती रही है। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने राज्य के प्रमुख सात अंगों में सेना को स्थान दिया गया है। **आचार्य शुक्र** ने तो राज्य को सुखी सम्पन्न बनाने के लिए यहां तक कह दिया है कि—

"यत्र नीति बले चोभेतत्र श्रीस्सर्वतो मुखी"

(जिस [illegible] के पास नीति एवं **सैन्य** बल होता है **उसके पास लक्ष्मी चारों ओर से** दौड़क[illegible]

आचार्य **कौटिल्य** ने एक राज्य के लिए सेना के महत्त्व को वर्णन करते हुए लिखा है कि—

"सैन्य बल युक्त राजा के मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, परन्तु उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं।"

राज्य की नीतियों को लागू करने में सेनाओं का सक्रिय सहयोग रहता है। अरस्तु ने भी लड़ाकू बल (सेनाओं) को राज्य का एक आवश्यक अंग माना है। सैन्य बल को राज्य की रक्षा के साथ ही उसके विकास का भी सहयोगी माना गया है। **मैक्यावेली** राज्य की रक्षा के लिए राजा को सम्बोधित करते हुए लिखा है कि—

"A Prince ought to have no other aim than war and its rules and discipline....When princes have thought more of ease than of arms they have lost their states."

(शासकों को अन्य सभी उद्देश्य छोड़कर युद्ध, उसके नियम तथा अनुशासन को ही अपना लक्ष्य रखना चाहिए। जब भी शासकों ने शस्त्रास्त्रों के स्थान पर शान्ति तथा विलासिता को वरीयता प्रदान की तो उन्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा है।)

अत: स्पष्ट है कि राज्य की अखण्डता, संप्रभुता एवं अस्मिता को बनाये रखने में रक्षा-तंत्र के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता है। राज्य का अस्तिव उसी समय तक रहता है, जब तक कि वह अपनी आन्तरिक व्यवस्था को बनाये रखते हुए बाह्य आक्रमण से अपने नागरिकों की रक्षा करने में समर्थ रहता है।

किसी देश की विदेश नीति को उस देश की आन्तरिक आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति कहा जाता है। विदेश नीति के निर्धारण में उस राज्य का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवेश, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति एवं सैन्य क्षमताओं का आंकलन होता है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का मूल उद्देश्य सम्बद्ध राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उनकी अभिवृद्धि में ही मुख्य रूप से निहित रहता है। इस प्रकार किसी राज्य के संचालन एवं सुरक्षा के लिए रक्षा तंत्र ही मूल मंत्र है। यही कारण है कि रक्षा-तंत्र के निर्धारण में राजनीतिक सभी पहलुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। जब भी राष्ट्रों ने रक्षा-तंत्र के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई है उसके घातक परिणाम तुरन्त ही मिले हैं जैसे भारत ने स्वतन्त्रता के बाद अपने विकास पर विशेष बल दिया और रक्षा-व्यवस्था की अनदेखी की तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा था। इसके बाद भी भारत ने अपने रक्षा-तंत्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया है और आज भारतीय सेना विश्व की सर्वोत्तम सेना में एक मानी जाती है।

चूंकि हमारा सम्बन्ध विशेष रूप से भारतीय राज्य के रक्षा तंत्र से है इसी कारण सिर्फ भारत के आधुनिक रक्षा तन्त्र का उल्लेख कर रहा हूँ।

(द) आधुनिक राज्य का रक्षा तन्त्र

(Defence Machanism of Modern State)

किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वहां का रक्षातन्त्र बहुत हद तक निर्णायक होता है। राज्य का रक्षा तन्त्र उस देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर करता है। लोकतन्त्र में रक्षा व्यवस्था का नियन्त्रण निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाता है। अब हम इस रक्षा तन्त्र की व्याख्या भारत के सन्दर्भ में करते हैं।

विभिन्न रक्षा समितियां

(Various Defence Committees)

भारतीय स्वतन्त्रता के साथ ही राष्ट्रीय रक्षा एवं विकास के कार्य तत्कालीन सरकार की प्रथम ज़िम्मेदारी थी। अत:इस उत्तरदायित्व को सही रूप से निभाने के लिए अनेक ठोस एवं महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए ताकि जनतन्त्रीय व्यवस्था के साथ ही सैनिक एवं असैनिक सम्बन्धों को बनाये रखते हुए एक संतुलित कार्य-प्रणाली आरम्भ हो सके। राष्ट्रीय रक्षा एवं विकास सरकार का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसीलिए रक्षा नीति निर्धारण की ज़िम्मेवारी केन्द्रीय सरकार पर है। भारतीय संविधान की धारा 53 के अनुसार राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति

माना जाता है तथा संसद् द्वारा राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं को नियन्त्रित एवं निर्देशित करने का अधिकार है। यह व्यवस्था प्रजातान्त्रिक प्रणाली एवं राष्ट्रीय एकता के अनुकूल है। क्योंकि इससे सैनिक एवं असैनिक तत्त्वों का उचित समन्वय हो जाता है। राज्य की नीति को लागू करने का साधन युद्ध है और आधुनिक युद्ध सम्पूर्ण युद्ध है जिसमें सैनिक एवं असैनिक सभी तत्त्व आते हैं। अतः राज्य की नीति निर्धारण एवं नियन्त्रण के लिए वर्तमान समय में समितियों का गठन अनिवार्य है जिसको दृष्टि में रखते हुए भारतीय सरकार ने समितियों का गठन किया है। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में रक्षा नीति के निर्धारण के लिए रक्षा मन्त्रालय का अलग उत्तरदायित्व है। रक्षा राष्ट्र का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य/ज़िम्मेदारी है, इसलिए रक्षा नीति का निर्धारण करने के निर्मित निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है—

1. सर्वोच्च सेनापति या राष्ट्रपति—भारत में समस्त सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, अतः सेनाओं से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है, परन्तु वह मन्त्रिमण्डल एवं रक्षा विभाग की अनुशंसाओं पर ही आदेश देता है।

2. मन्त्रिमण्डल—रक्षा एवं राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय मन्त्रिमण्डल ही वास्तव में लेता है। इसलिए समस्त रक्षा नीतियां रक्षा समिति की अनुशंसाओं पर इसके द्वारा निर्धारण की जाती हैं। कैबिनेट स्तर के सभी मन्त्री इसके सदस्य होते हैं तथा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होता है।

भारत में उच्चस्तरीय रक्षा संगठन

(1) राष्ट्रपति (असैनिक, परन्तु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर)

(2) केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल (प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में)

(3) मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक अथवा रक्षा समिति

(4) रक्षा मन्त्री

- (अ) उप-रक्षा मन्त्री
- (ब) रक्षा उत्पादन मन्त्री
- (स) तीनों सेनाध्यक्षों की समिति
- (द) रक्षामन्त्री की अंतसेवा समिति
- (क) रक्षामन्त्री की थल, जल, व वायु सेना समितियां
- (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद्
- (ग) रक्षामन्त्री की उत्पादन समिति

(5) **रक्षा सचिव** (रक्षा मन्त्रालय)

- (अ) थल सेनाध्यक्ष
  - (क) थल सेना हैडक्वार्टस (H.Q.) (मुख्यालय)
- (ब) जल सेनाध्यक्ष (नौ सेना)
  - (ख) जल सेना हैडक्वार्टस (H.Q.) (मुख्यालय)
- (स) वायु सेनाध्यक्ष
  - (ग) वायु सेना हैडक्वार्टस (H.Q.) (मुख्यालय)

3. मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति—राष्ट्र की रक्षा नीति को अन्तिम रूप देकर मन्त्रिमण्डल के पास अनुशंसा के लिए भेजने का काम इस समिति का होता है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया है—

अध्यक्ष—प्रधानमन्त्री।

सदस्य—रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, विदेशमन्त्री, वित्तमन्त्री रक्षा उत्पादन मन्त्री (आवश्यकता पर) एवं परिवहन एवं यातायात मन्त्री।

उपस्थिति—रक्षा उपमन्त्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालय का सचिव, वैज्ञानिक सलाहकार (रक्षा) एवं वित्त सलाहकार (रक्षा)।

4. रक्षा मन्त्री की अन्तर्सेना समिति—दो या तीन सेनाओं से सम्बन्धित सभी विषयों पर विचार-विमर्श के लिए इस समिति का गठन किया गया है, जो कि उन बातों एवं निर्णयों को जिन्हें स्वयं निश्चित नहीं कर सकती, उन्हें मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करती है। इसका संगठन निम्न प्रकार से है—

अध्यक्ष—रक्षा मन्त्री।

सदस्य—रक्षा उपमन्त्री, रक्षा उत्पादन मन्त्री, रक्षा मन्त्रालय का सचिव, तीनों सेनाओं के सेनापति, वैज्ञानिक सलाहकार (रक्षा) एवं रक्षा वित्त सलाहकार।

5. रक्षा शोध एवं विकास परिषद्—इस परिषद् का कार्य रक्षा से सम्बन्धित वैज्ञानिक विभाग की नीति का निर्धारण करना है। इसका संगठन निम्न प्रकार से है—

अध्यक्ष—रक्षा मन्त्री।

सदस्य—रक्षा उपमन्त्री, रक्षा उत्पादन मन्त्री, तीनों सेनाओं के सेनापति, रक्षा मन्त्रालय का सचिव, रक्षा वित्त सलाहकार, रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विभाग का डायरेक्टर जनरल तथा सशस्त्र सेना की चिकित्सा सेवाओं का डायरेक्टर जनरल।

6. रक्षा मन्त्री की स्थल सेना समिति—इस समिति का कार्य स्थल सेना से सम्बन्धित समस्त प्रशासन, नियन्त्रण एवं निर्देशन आदि विषयों पर निर्णय लेना होता है। इस समिति का संगठन निम्न प्रकार से है—

अध्यक्ष—रक्षा मन्त्री।

सदस्य—रक्षा उपमन्त्री, रक्षा उत्पादन मन्त्री(आवश्यकता पर), रक्षा मन्त्रालय का सचिव, स्थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालय का वित्त सलाहकार।

7. रक्षा मन्त्री की नभ सेना समिति—इस समिति का कार्य नभ सेना से सम्बन्धित समस्त प्रशासन, नियन्त्रण एवं निर्देशन आदि विषयों पर निर्णय लेना होता है। इस समिति का संगठन रक्षा मन्त्री की स्थल सेना समिति की तरह ही होता है, परन्तु स्थल **सेनाध्यक्ष** की जगह इसका सदस्य नभ सेनाध्यक्ष होता है।

8. रक्षा मन्त्री की नौ सेना समिति—इस समिति का कार्य नौ सेना से सम्बन्धित समस्त प्रशासन, नियन्त्रण एवं निर्देशन आदि विषयों पर निर्णय लेना होता है। इस समिति का संगठन भी रक्षा मन्त्री की स्थल सेना समिति की भान्ति होता है। केवल, स्थल सेनाध्यक्ष से स्थान पर इसका सदस्य नौ सेनाध्यक्ष होता है।

9. रक्षा मन्त्री—रक्षा मन्त्री प्रतिरक्षा मन्त्रालय का अध्यक्ष होता है, साथ ही संसद् सदस्य भी। अतः संसद् के प्रति रक्षा मन्त्री नीति सम्बन्धी सभी बातों के लिए उत्तरदायी होता है। जिनमें प्रमुख विषय निम्न हैं—

(1) रक्षा सम्बन्धी नीति।

(2) संसद् से सशस्त्र सेनाओं से सम्बन्धित प्रशासन, नियन्त्रण, निर्देशन एवं कार्यक्षमता के प्रश्नों का उत्तर देना।

(3) रक्षा कार्यों एवं सेनाओं के लिए धन व्यवस्था करना।

(4) रक्षा शोध नीति का नियन्त्रण, निर्देशन एवं संचालन।

(5) रक्षा मन्त्रालय की शासन व्यवस्था।

10. रक्षा मन्त्रालय—इस मन्त्रालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रक्षा सचिव होता है। मन्त्रि-मण्डल की रक्षा समिति एवं रक्षा मन्त्री की समिति के निर्णयों को सम्बन्धित सेनाध्यक्ष तक पहुंचाना इस मन्त्रालय का उत्तरदायित्व है।

केन्द्रीय सरकार के अन्तिम निर्णय को कार्य रूप में परणित होने की समुचित सूचना के लिए तीनों सेनाओं के प्रधान कार्यालयों से निकटतम सम्बन्ध रखता है। यह रक्षा सचिव रक्षा विभाग से सम्बन्धित सभी उपविभाग के कर्मचारियों तथा उपविभाग के प्रशासन एवं नियन्त्रण के लिए रक्षा मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अधीन अग्रलिखित मुख्य विभाग हैं—

(1) सशस्त्र सेना सूचना कार्यालय।
(2) प्रादेशिक सेना विभाग।
(3) ऐतिहासिक विभाग।
(4) पेन्शन विभाग।
(5) विदेशी भाषा विभाग।
(6) सोल्जर्स,सेलर्स तथा एयर मैस बोर्ड।
(7) नेशनल कैडेट कोर (एन० सी० सी०)।
(8) राष्ट्रीय अकादमी सचिवालय।

11. प्रधान सेनापतियों की समिति—इस समिति में तीनों सेनाओं के सेनापति वरिष्टतम सेनापति की अध्यक्षता में सेनाओं से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करके उन्हें रक्षा मन्त्री की समिति को प्रेषित किया जाता है। मन्त्रि-मण्डल की रक्षा समिति तथा रक्षा मन्त्री की समिति के निर्णयों को सभी सेनाओं में लागू करने के लिए व्यावहारिक विधि निश्चित करने का कार्य भी इस समिति का है। सशस्त्र सेनाओं के सेनापति अपनी-अपनी सेनाओं को कुशल एवं अनुशासित रखने के साथ-साथ समस्त आवश्यकताओं की व्यवस्था के लिए अपनी सेना के विशिष्ट सैन्य अधिकारियों से अपेक्षित विचार-विमर्श करते हैं।

भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है इसलिए संसदीय प्रजातान्त्रिक ढांचे में केन्द्रीय मन्त्रि-मण्डल की मन्त्रणा के आधार पर ही राष्ट्रपति को कार्य करना चाहिए, परन्तु रक्षा में राष्ट्रीय नीति तथा योजना के निर्धारण में सर्वोच्च सेनापति (राष्ट्रपति) की महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। रक्षा मन्त्री की समिति में तीनों सेनाध्यक्ष सदस्य के रूप में होने के नाते अपना मताधिकार प्रयोग करते हैं, परन्तु मन्त्रि-मण्डल की रक्षा समिति में उन्हें सदस्य रूप में नहीं रखा गया। केवल उपस्थिति के फलस्वरूप उन्हें विचार को मनवाने का इस समिति में अधिकार नहीं है जिसमें निर्णय को सूक्ष्म ढंग से प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती है। मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सैन्य विशेषज्ञों की उपस्थिति भी होनी चाहिए। इस प्रकार से सैनिक एवं असैनिक तत्त्वों का उचित समन्वय करके राष्ट्रीय रक्षा एवं विकास को सही दिशा प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति के अधिकार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा समिति का गठन निम्न तरह से राष्ट्र हितकारी होगा—

अध्यक्ष—राष्ट्रपति

सदस्य—प्रधान मन्त्री, रक्षा मन्त्री, रक्षा उत्पादन मन्त्री, विदेश मन्त्री, वित्त मन्त्री, तीनों सेनाध्यक्ष।

उपसमिति—रक्षा सचिव, रक्षा वित्त सलाहकार, रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार, तीनों सेनाओं के अवकाश प्राप्त अन्तिम सेनाध्यक्ष।

रक्षा मन्त्रालय
(Ministry of Defence)

सुरक्षा मन्त्रालय भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों की तरह एक स्टैण्डिग कमेटी ऑफ लेजिसलेचर (Standing Committee of Legislature) रखता है, जो कि सुरक्षा से सम्बन्धित सभी नीति एवं निर्णय सरकार से प्राप्त करके सम्बन्धित व सेवा मुख्यालयों (Service H. Q.s) को पहुंचाता है ताकि सम्बन्धित नीति को कार्यवाहक अंगों द्वारा पूरी तरह से अपनाया जा सके। इस मन्त्रालय का सेवा मुख्यालयों से सदैव सम्पर्क स्थापित रहता है। इसके चार्टर का उद्देश्य अपने निर्णय को तीनों सेनाओं (जल, थल एवं वायु सेना) के चीफ तक पहुंचाना है। तीनों सेनाओं में समन्वय एवं सहयोग के लिए भी यह मन्त्रालय उत्तरदायी होता है। इस मन्त्रालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रक्षा सचिव होता है। मन्त्रि-मण्डल की रक्षा समिति तथा रक्षा मन्त्री की समिति के निर्णयों से सम्बन्धित सेनाध्यक्ष तक पहुंचने का उत्तरदायित्व इसी मन्त्रालय का है। यह मन्त्रालय भी देखता है कि सरकार की नीति एवं निर्णय को लागू किया जा रहा है अथवा नहीं।

रक्षा मन्त्रालय के कर्त्तव्य
Duty of Ministry of Defence

रक्षा मन्त्री रक्षा मन्त्रालय का अध्यक्ष होता है। रक्षा मन्त्री संसद् का सदस्य ही चुना जाता है। इसीलिए रक्षा मन्त्रालय नीति सम्बन्धी सभी बातों के लिए संसद् के प्रति उत्तरदायी होता है। रक्षा मन्त्रालय के अग्रलिखित कर्त्तव्य हैं—

(1) सशस्त्र सेनाओं के नियन्त्रण, निर्देशन, प्रशासन एवं कार्यक्षमता से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का संसद् में उत्तर देना।

(2) जल, थल एवं वायु सेना से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी है।

(3) रक्षा व्यवस्था एवं सशस्त्र सेनाओं के लिए समुचित धन व्यवस्था करना। रक्षा के अनुसार विभिन्न विभागों को वितरित करना भी इसका कार्य है।

(4) रक्षा शोध नीति का नियन्त्रण, निर्देशन एवं संचालन व्यवस्था करना।

(5) रक्षा मन्त्रालय की प्रशासनिक व्यवस्था श्रेष्ठ बनाये रखना।

(6) सुरक्षा से सम्बन्धित असैनिक एवं सैनिक विभागों में सम्बन्ध बनाये रखना।

रक्षा मन्त्रालय के विभाग

Dept. of Ministry of Defence

रक्षा मन्त्रालय का प्रमुख कार्य करने वाला अधिकारी रक्षा सचिव होता है। इस मन्त्रालय का नियन्त्रण, निर्देशन, प्रशासन एवं कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए यही उत्तरदायी होता है। इसीलिए तीनों सेनाओं के प्रधान कार्यालयों एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से निकटतम सम्बन्ध रखता है। रक्षा सचिव इस विभाग के अन्तर्गत सभी उपविभागीय कर्मचारियों तथा उपविभाग के शासन प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के लिए रक्षा मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है। इस मन्त्रालय के अधीन निम्नलिखित मुख्य विभाग होते हैं—

1. **सशस्त्र सूचना कार्यालय**—यह विभाग सशस्त्र सेनाओं से सम्बन्धित समस्त प्रकाशन, विज्ञापन, प्रचार एवं प्रसारण के प्रति उत्तरदायी होता है।

2. **ऐतिहासिक विभाग**—यह विभाग भारतीय सैन्य इतिहास से सम्बन्धित तथ्यों का लेखा-जोखा रखता है। यह विभाग सम्बन्धित सैन्य इतिहास के आरम्भ से वर्तमान समय तक का ऐतिहासिक विवरण रखता है।

3. **पेन्शन विभाग**—यह विभाग तीनों सेना के सैनिकों की पेन्शन के लिए उत्तरदायी है। उनकी पेन्शन की देख-रेख करना तथा पेन्शन से सम्बन्धित शिकायतों का निरीक्षण एवं व्यवस्था भी करना मुख्य कार्य है।

4. **प्रादेशिक सेना विभाग**—यह विभाग प्रादेशिक सेना (T.A.) से सम्बन्धित नियन्त्रण, निर्देशन, प्रशासन एवं कार्यक्षमता को बनाये रखने के प्रति उत्तरदायी होता है।

5. **विदेशी भाषा विभाग**—यह विभाग सैनिकों को विदेशी शिक्षा में निपुण एवं दक्ष बनाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। इस विभाग में एक डायरेक्टर होता है जो कि इसका प्रबन्ध एवं निर्देशन करता है।

6. **सोल्जर्स, सेलर तथा एयर मैस बोर्ड**—इन सभी विभागों में बोर्ड का संगठन होता है और बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग का प्रबन्ध बनाये रखने की ज़िम्मेदारी रहती है।

7. **नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.)**—यह विभाग एन० सी० सी० से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे—नियन्त्रण, निर्देशन, प्रबन्ध एवं कार्य कुशलता आदि बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।

8. **नेशनल अकादमी सेक्रेटेरिएट**—यह विभाग राष्ट्रीय अकादमी (National Academy) का प्रबन्ध बनाये रखने एवं उसके निर्देशन के लिए उत्तरदायी होता है।

रक्षा मन्त्री की समिति सैनिक शक्तियों से सम्बन्धित समस्त नीतियों एवं निर्णयों के प्रश्नों पर विचार के लिए रक्षा मन्त्रालय के अधीन ही रहती है। जिन समस्याओं का समाधान रक्षा मन्त्री की समिति नहीं कर पाती उसे मन्त्रिमण्डल की सुरक्षा समिति के पास भेज दिया जाता है। इस समिति (रक्षा मन्त्री की समिति) का संगठन निम्न प्रकार है—

अध्यक्ष—रक्षा मन्त्री।

सदस्य—(1) तीनों सेना अध्यक्ष

(2) रक्षा मन्त्रालय का सचिव।

(3) रक्षा मन्त्रालय का वित्तीय सलाहकार।

प्रधान सेनापतियों की समिति जिसमें तीनों सेनाध्यक्ष वरिष्ठतम सेनाध्यक्ष की अध्यक्षता में निर्णय करते हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि रक्षा मन्त्री की समिति को प्रेषित की जाती है। यह समिति युद्ध योजना विधिवत् बनाकर सुरक्षा मन्त्रालय के सम्मुख पेश करती है। इस प्रकार से सुरक्षा मन्त्रालय की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उसके लक्ष्य,कार्य एवं विभाग इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं।

रक्षा मन्त्रालय का संगठन और उसके कार्य

(Role and Organization of Defence Ministry)

(1) भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करने का उत्तरदायित्व रक्षा मन्त्रालय पर है। इसमें रक्षात्मक तैयारियों तथा ऐसे सभी काम शामिल हैं, जो युद्ध के समय उसे ठीक-ठाक चलाने तथा युद्धोपरान्त सेना को कम करने के लिए आवश्यक है। अतः राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं अर्थात् स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना और इन सेनाओं का प्रशासन इसका मुख्य काम है। दूसरे संगठनों जैसे कि प्रादेशिक सेना, तटरक्षक, सहायक वायु सेना, राष्ट्रीय कैडेट कोर से सम्बन्धित मामलों की देख-रेख भी यही मन्त्रालय करता है।

(2) सशस्त्र सेना से सम्बन्धित मामलों के प्रशासन में रक्षा कार्यों तथा विभिन्न सेवाओं और आर्डेनेन्स कारखानों से सम्बन्धित निर्माण-कार्यों के लिए भूमि तथा सम्पत्ति प्राप्त करना और उसका प्रबन्ध करना भी शामिल है। छावनियां स्थापित करने और स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था करने का काम भी इस मन्त्रालय के कार्यों के अन्तर्गत है।

(3) यद्यपि रक्षा सेवाओं की तीनों शाखाएं—स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना—मन्त्रालय के सामान्य नियन्त्रण में है। साधारणतया अपने सम्बन्धित चीफ ऑफ स्टाफ के अन्तर्गत कार्य करते हैं, जिनकी सहायता प्रिंसीपल स्टाफ अफसर करते हैं, परन्तु मन्त्रालय के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है कि तीनों सेवाओं के विकास तथा उनकी गतिविधियों में समन्वय तथा दूसरे मन्त्रालयों के साथ उनका सम्पर्क बना रहे। मन्त्रालय की यह ज़िम्मेदारी है कि नीति सम्बन्धी निर्णय सरकार से कराए, उन्हें तीनों सेनाओं के मुख्यालयों को भेजे और मुख्यालयों से कार्यान्वित कराए और विशेष रूप से रक्षा सम्बन्धी खर्च के लिए आवश्यक धन प्राप्त करे तथा रक्षा सेवाओं की तीनों शाखाओं में बांट दें। रक्षा मन्त्रालय में एक योजना प्रभाग है, जो तीनों सेनाओं और रक्षा उत्पादन एवम् पूर्ति विभाग तथा रक्षा अनुसंधान विभाग द्वारा सन्तुलित योजनाओं और कार्यक्रमों पर कार्यवाई करता है। योजना विभाग सम्पूर्ण रक्षा योजना तैयार करता है और इसका अनुमोदन हो जाने के बाद विभिन्न तरीकों से इसके क्रियान्वयन पर दृष्टि रखता है। आयोजन से विभिन्न योजनाओं की अग्रताएं और निधियों का अच्छा और समायोजित आबंटन करने में भी सहायता मिलती है।

परन्तु कुछ संगठन ऐसे हैं, जिनका स्वरूप अन्तरसेना के समान है। इन संगठनों के प्रशासन की सीधी ज़िम्मेदारी मन्त्रालय की है। यह सीधी ज़िम्मेदारी उन सरकारी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों पर भी लागू होती है जो मन्त्रालय के प्रशासकीय नियन्त्रण में आते हैं।

(4) अन्य मन्त्रालयों की तरह, अधिकांश कार्य टिप्पणी और चर्चा के द्वारा, सामान्य तरीके से ही हल किया जाता है, अधिक जटिल और कई विषयों से सम्बन्धित कार्य के तेज़ी और कुशलता से निपटाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक समितियों की स्थापना की गई है। रक्षा-मन्त्री की एक समिति है जो सेवाओं के बीच की अपनी-अपनी अधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं का निपटारा करती है। रक्षा मन्त्री समिति की दो उप समितियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—मुख्य कार्मिक अधिकारी समिति और मुख्य संभरण अधिकारी समिति। इनमें रक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय (वित्त) और सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि होते हैं जिनका स्तर कम-से-कम संयुक्त सचिव का होता है। सेवाओं के वरिष्ठतम प्रतिनिधि बारी-बारी से इन उप-समितियों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इन उप-समितियों की बैठकें रक्षा मन्त्री के निर्देश पर अथवा उप-समिति के किसी भी सदस्य के अनुरोध पर नियमित रूप से होती है। ये बैठकें अन्तर्सेना मामलों पर विचार करने और इस सम्बन्ध से रक्षा मन्त्री समिति अथवा सरकार को आवश्यक सुझाव देने के लिए होती हैं। इन उप-समितियों की सिफारिशों को रक्षा मन्त्री समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने से पहले सेनाध्यक्ष समितियों से विचार करने के लिए भेजा जाता है।

रक्षा मन्त्री (उत्पादन और पूर्ति) की समिति नामक एक दूसरी समिति रक्षा क्षेत्र में रक्षा भण्डारों, उपकरणों और आयात प्रतिस्थापन के लिए देसी वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करती है। यह रक्षा उत्पादन को सुदृढ़ करने की (मोबिलाइज़ेशन) योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करती है। उपयुक्त दो समितियों के अलावा अपंगता और पारिवारिक पेंशनों के दावों के लिए रक्षा मन्त्री की, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए अपीलीय समिति है।

(5) रक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद् रक्षा से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के समन्वय और नीति सम्बन्धी सामान्य निर्देशन देने तथा सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक पदार्थों में उन्नति और विकास के लिए उत्तरदायी है।

(6) प्रत्येक सर्विस के चीफ-ऑफ-स्टाफ का अपनी सेवा पर सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों, विनियमों,

प्रक्रियाओं और आदेशों के अधीन पूर्णाधिकार है। रक्षा को आधुनिक संकल्पना के अनुसार, विशेष रूप से तेज़ी से हो रहे औद्योगिक विकास के कारण यह स्पष्ट है कि देश की रक्षा के लिए तीनों सेवाएं मिल-जुल कर काम करें। अतः तीनों चीफ-ऑफ-स्टाफ की एक समिति बनाई जाती है,जिसकी अध्यक्षता वह सदस्य करता है जो अधिक-से-अधिक समय तक इस समिति का सदस्य रहा हो। इस समिति का काम रक्षा के सभी मुख्य विषयों, विशेष रूप में उन विषयों पर विचार करना है जिनका सम्बन्ध एक से अधिक सेवा से होता है। इस प्रकार चीफ-ऑफ-स्टाफ की समिति का काम सामान्य रक्षा नीति सैन्य बल बढ़ाने से सम्बन्धित मामलों तथा उन सभी प्रश्नों पर सलाह देना है, जो सरकार इस समिति को भेजती है।

7. रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के उत्पादन खण्ड का देश के आयुध कारखानों की शृंखला पर नियन्त्रण है, शस्त्र गोला-बारूद, लड़ाकू और परिवहन वाहन, कपड़े की मदें और सामान्य सामग्री आदि का उत्पादन करते हैं। आयुध कारखाना बोर्ड में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। इस बोर्ड के नियन्त्रण में सभी आयुध कारखाने हैं। अतिरिक्त आयुध उपकरण कारखानों के समूह पर आयुध कारखाना बोर्ड के समग्र नियन्त्रण में आयुद्ध कारखाना महा-निर्देशक के पद के अधिकारी द्वारा बक्तरबन्द वाहन कारखाने पर इसी पद के एक अन्य अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाती है। इस बोर्ड पर उत्पादन कार्यक्रम के आयोजन, नीति निर्धारण, संचालन तथा कार्यान्वयन की सम्पूर्ण ज़िम्मेवारी है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के 8 प्रतिष्ठान हैं, इनमें से 7 में उत्पादन हो रहा है, जहाज़ों नौ सैनिक जहाज़ों, इलैक्ट्रानिक्स और इंजीनियरिंग उपकरणों का उत्पादन किया जा रहा है और उनकी मुरम्मत की जा रही है। 8वें संस्थान अर्थात् मिश्रधातु निगम लिमिटेड (सुपर अलाय प्रोजेक्ट ने भी वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति खण्ड का काम कई तकनीकी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इस विभाग का सम्बन्ध ऐसी मदों के विकास और उत्पादन से है, जो अब तक आयात की जाती है अथवा जिन का उपयोग पहली बार आरम्भ किया जा रहा है। यह विभाग आयुध कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरणों और हिस्से पुर्जों (सब एसेम्बली) की भी खरीद करता है। ऐसी मदों का उत्पादन रक्षा क्षेत्र के बाहर ग़ैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के एककों में किया जाता है।

8. आयोजन और समन्वय निदेशालय को, तीनों अंगों के लिए रक्षा सम्बन्धी उत्पादनों विषयक सर्वांगीण (पास्पेक्टिव) योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में सहायता करने का काम सौंपा गया है। उसे ऐसे क्षेत्रों का भी पता लगाना है, जहां अधिवेष क्षमता है, ताकि उसका उपयोग असैनिक क्षेत्र से किया जा सके। इसके अलावा जिन सभी रक्षा फैक्ट्रियों के कम जटिल (सोफिस्टीकेटिड) कार्य ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपे जा सकते हैं, उनमें सहायक कारखाना (एस्टेट) की स्थापना में उसे सहायता करनी है।

इस विभाग के अन्तर्गत रक्षा प्रदर्शनी संगठन भारत और विदेशों में रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेने से सम्बन्धित मामलों को देखता है। नवम्बर, 1982 के नई दिल्ली के प्रगति मैदान मे एक स्थायी रक्षा प्रदर्शनी स्थापित की गई है। रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत मानकीकरण निदेशालय सभी रक्षा उपकरणों के मानकी करण के लिए उत्तरदायी है।

सभी रक्षा भण्डारों और उपस्करों, असैनिक व्यापार में देशी साधनों का विकास और भण्डारों के निरीक्षण और सेना और नौ सेना (नौ सैनिक हथियारों के अतिरिक्त) के लिए गुण निश्चय संगठन है जो कि महानिदेशालय निरीक्षण के नाम से जाना जाता है। तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (वायु सेना), रक्षा हवाई जहाज़, सहायक सामग्री आदि के निरीक्षण और आयातित किये जाने वाले वैमानिकीय सामान और सतही सहायता उपकरणों की कुछ श्रेणियों की पूर्ति के देशी स्रोतों के विकास और स्थापना के लिए ज़िम्मेवार है।

9. रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग सैनिक संचालन संभार-तंत्र (लोजिस्टक्स), शस्त्र प्रणाली और उपकरणों के सभी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं के बारे में रक्षा-मन्त्री और रक्षा मन्त्रालय के सभी संगठनों को सलाह देता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग शस्त्र-प्रणालियों, उपस्कर, सामग्री और भण्डारों के अनुसंधान, डिज़ाइन और विकास का काम भी करता है। यह विभाग सभी रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की प्रयोजना और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी प्रमुख अधिकरण है। यह कार्य पूरे देश में एक जाल के रूप में फैली ऐसी सुस्थापित रक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है, जिनके पास रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। इसके कार्य में शस्त्रों, विस्फोटकों, इलैक्ट्रानिक्स, गाइडिड मिसाइलों, गाड़ियों, एरोनाटिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और नौ सैनिक शस्त्र प्रणाली के क्षेत्रों और सशस्त्र सेनाओं के लिए भोजन, वस्त्र और चिकित्सा सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक

समस्याओं के मामले शामिल हैं। यह विभाग देश के विश्वविद्यालयों और उच्च प्रौद्योगिकी संस्थानों में भी रक्षा अनुसंधान कार्य को प्रभावित करता है और रक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और कार्य-अध्ययन के क्षेत्र में इसके अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं। यद्यपि अधिकतर रक्षा अनुसंधान परियोजनायें अन्तर-विभागीय हैं तो यह विभाग प्रमुख समाकलित अन्तर-विभागीय रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनेक बड़े और छोटे उद्योगों का सहयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। रक्षा प्रयोगशालाओं का कार्य नई दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय द्वारा देखा जाता है और सम्पूर्ण रूप से कार्यक्रम रक्षा अनुसंधान और विकास के निदेशानुसार समन्वित किया जाता है।[1]

राष्ट्रपति के अधिकार
(Powers of the President)

भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अधीन कार्यपालिका शक्ति होगी तथा राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग संवैधानिक आधार पर ही अपने या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। इस तरह राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका में एक अहम् भूमिका निभाता है। हमारे संविधान की धारा 53 (2) के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं को नियन्त्रित एवं निर्देशित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसी कारण तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति के पद से भी राष्ट्रपति को सम्बोधित किया जाता है।

हमारे रक्षा मन्त्रालय एवं मन्त्रि-मण्डल की अनुशंसा के आधार पर ही अन्तिम हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मन्त्रि-मण्डल के निर्णय को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परन्तु राष्ट्रपति भी मन्त्रि-मण्डल के द्वारा लिए गए निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य अवश्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अधिकारों को नियन्त्रित भी किया गया है। यही कारण है, कि संविधान की धारा 74 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के कार्यों के सम्पादन में परामर्श देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रि-मण्डल अवश्य गठित किया जाएगा। इस प्रकार जहां राष्ट्रपति के अधिकारों में अंकुश लगा है वहां उसके हस्ताक्षर के बिना न तो सेनाओं का प्रयोग किया जा सकता है, और न ही युद्ध की घोषणा की जा सकती है।

भारतीय संविधान के भाग 18 के अधीन भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग आपात्काल में निम्न लिखित स्थितियों के अन्तर्गत कर सकता है—

1. राष्ट्र पर आन्तरिक तथा बाह्य खतरे की स्थिति पर तथा आकस्मिक युद्ध की स्थिति पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
2. राष्ट्र पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाने की स्थिति पर।
3. जब भी कभी किसी प्रान्त अथवा राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया हो।
4. किसी भी राज्य में वहां के राज्यपाल के अनुरोध पर आपात्काल की घोषणा कर सकता है तथा निश्चित अवधि तक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू कर सकता है।
5. जिस समय देश आर्थिक संकट से ग्रसित हो तो राष्ट्रपति आर्थिक आपात्काल की घोषणा कर सकता है।

उपर्युक्त अधिकारों से स्पष्ट होता है, कि भारत के राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त हैं परन्तु वह इन अधिकारों का प्रयोग केवल सीमित एवं स्थिति के आधार पर ही मन्त्रि-मण्डल की अनुसंशा के अन्तर्गत ही कर सकता है। राष्ट्रपति के अधिकारों की कठपुतली से भी तुलना की गयी है, परन्तु यह बात सर्वथा प्रमाणित नहीं होती है। 'राष्ट्रपति के अधिकार एवं भूमिका' (Powers and Functions of the President) नामक पुस्तक में **के० एम० मुन्शी** ने लिखा है कि—

"भारतीय राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक निश्चित एवं सकारात्मक भूमिका प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के कुछ अधिकार उच्च मन्त्रि-मण्डलीय हैं और इनके सम्बन्ध में मन्त्रि-मण्डल किसी प्रकार का कोई परामर्श नहीं दे सकता है।"

इस प्रकार राष्ट्रपति के अधिकारों के सन्दर्भ में हम संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि यद्यपि राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश अवश्य लगाया गया है, परन्तु उसके अधिकारों को कभी नकारा नहीं जा सकता।

1. रक्षा मन्त्रालय के रक्षा सेवाओं के अनुमान (1989-90) से साभार।

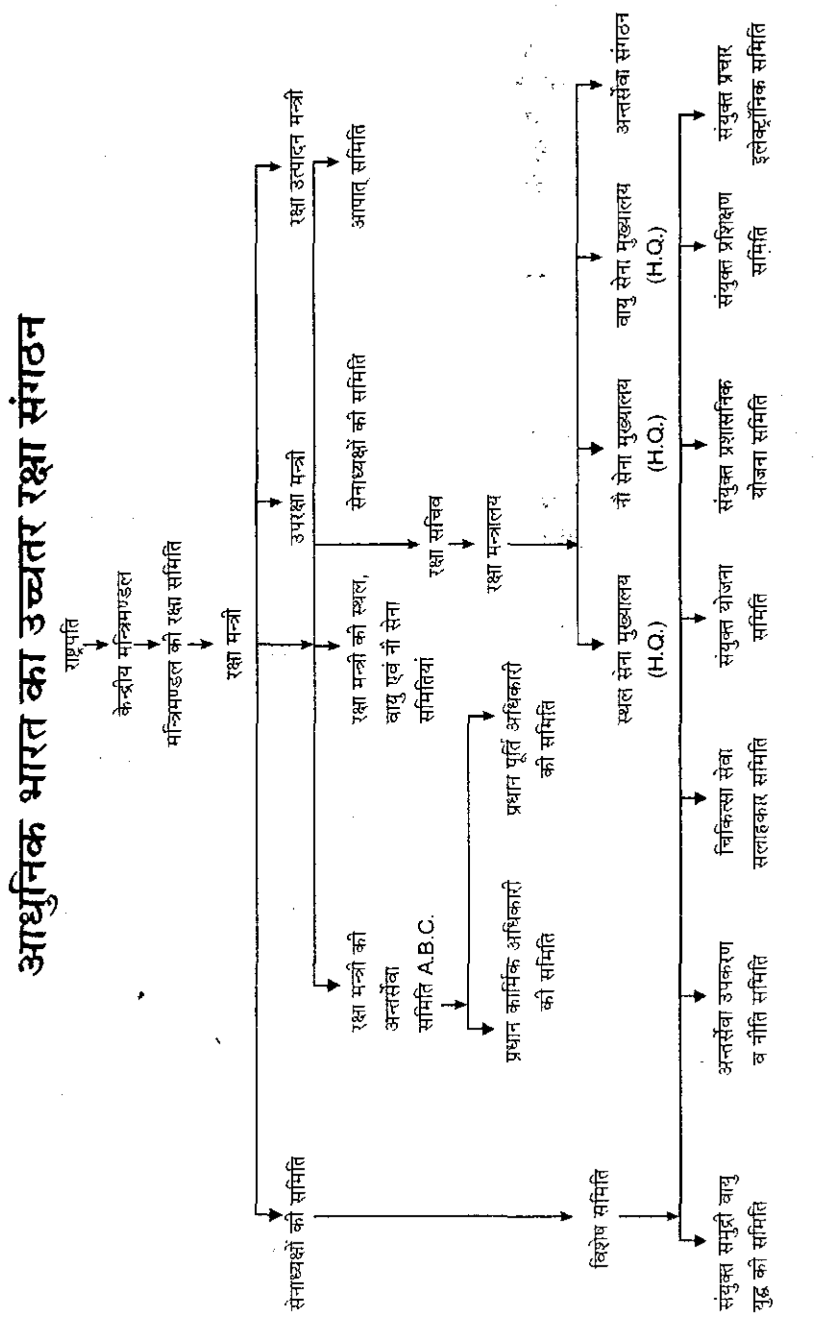

इस प्रकार एक राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्वों में सभी का समन्वित सहयोग, संतुलन एवं शक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रीय रक्षा के तत्त्वों में सेनाओं की भूमिका के साथ ही उस राष्ट्र के भौगोलिक तत्त्व, आर्थिक तत्त्व, आर्थिक तत्त्व, आर्थिक तत्त्व, आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितियां व आधुनिक राज्य का रक्षा तत्त्व के स्वरूप को सक्रिय साझेदारी को कदापि नकारा नहीं जा सकता है।

3

भारत की रक्षा समस्यायें 1947 से अब तक
(INDIA'S DEFENCE PROBLEMS FROM 1947 TO DATE)

15 अगस्त, 1947 को भारत को चिर प्रतीक्षित स्वाधीनता तो मिली, किन्तु इसी के साथ उसे देश के विभाजन का भारी आघात सहना पड़ा। इस राष्ट्रीय विभाजन के कारण भारत को प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक आदि अनेक समस्याओं का विकट सामना करना पड़ा। पाकिस्तान एवं हिन्दुस्तान दो स्वतन्त्र राज्यों के रूप में बांटने के साथ ही अंग्रेजों ने देश की लगभग 565 रियासतों को भी साथ-ही-साथ स्वतन्त्र कर दिया था। यह अंग्रेजों की एक बहुत सोची-समझी चाल थी कि स्वतन्त्र रियासतों को 'मिलाने की नीति' को अपनाकर अपने को स्वयं ही दोनों राष्ट्र खींचतान के चक्र-व्यूह में फंसा पायेंगे। पाकिस्तान एवं हिन्दुस्तान का बंटवारा भी ब्रिटिश शासन ने इस प्रकार किया, कि भारत पर पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र से पाक का दबाव बना रहे। सर्वप्रथम अविभाज्य एवं अखण्ड भारत को एकीकरण की समस्या से जूझना पड़ा, क्योंकि स्वतन्त्र रियासतों ने अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता एवं समुदाय के नाम पर अलग अस्तित्व रखना चाहा। 1950 में संविधान लागू होने पर भारत में चार प्रकार के राज्यों की व्यवस्था की गयी थी। यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। अत: राज्यों के पुनर्गठन का सिलसिला शुरू हुआ। सभी रजवाड़ों का उस क्षेत्र के राज्यों में विलय कर दिया, किन्तु स्वतन्त्रता की मांग को लेकर अनेक समस्याएं खड़ी हो गयीं।

स्वतन्त्र भारत की रक्षा समस्याओं का उल्लेख हम निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं—

(1) सेना के पुनर्गठन की समस्या।
(2) राष्ट्र के एकीकरण की समस्या।
(3) कश्मीर पर पाक आक्रमण (1948)।
(4) भारत-चीन सीमा युद्ध (1962)।
(5) भारत-पाक युद्ध (1965)।
(6) भारत-पाक युद्ध (1971)।
(7) कारगिल युद्ध (1999)।
(8) अलगाववाद की समस्या।
(9) आतंकवाद।
(10) नक्सलवाद।
(11) कट्टरतावाद की समस्या।
(12) आई० एस० आई० की बढ़ती गतिविधियां।
(13) सियाचिन समस्या
(14) गुरेज में घुसपैठ

1. सेना के पुनर्गठन की समस्या

स्वाधीन भारत से अंग्रेजों की वापसी के साथ ब्रिटिश सेना एवं अधिकारियों की वापसी भी स्वाभाविक थी। अत: सर्वप्रथम हमारी रक्षा समस्याओं में सेना के पुनर्गठन की समस्या आ गयी। भारत-पाक बंटवारे के साथ ही सेनाओं का विभाजन हुआ था। अत: अलग भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ विभाजन में पैदल सेना के रेजीमेंट का विभाजन 15 (भारत) तथा 8 (पाक) के अनुपात में किया गया। चूंकि रेजीमेंटों में बटालियन की संख्या भिन्न थी। इसलिए भारत के हिस्से में 65 बटालियन तथा पाकिस्तान के हिस्से में 45 बटालियन प्राप्त होनी थीं। सिक्ख और हिन्दू सैनिक को स्थानान्तरित कर देने के बाद भारत को 76 बटालियन तथा पाक को 33 बटालियन पैदल सेना मिली। इसके साथ ही भारतीय पैदल सेना की 76 बटालियन में 12 गोरखा बटालियन जोड़ करके 88 बटालियन पैदल सेना हो गयी। संक्षेप में सेनाओं एवं साज़-सामग्री का विभाजन इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।

सेनाओं के विभाजन का विवरण

1.	स्थल सेना की यूनिट (Army)	भारत	पाकिस्तान
	पैदल सेना रेजीमेन्ट	15	08
	कवचित (टैंक) सेना कोर	12	06
	तोपखाना रेजीमेन्ट	18.5	8.5
	इंजीनियरिंग दल	61	34
	सिगनल व सप्लाई यूनिटें	(जिसके क्षेत्र में जितनी मौजूद थीं)	
	इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल यूनिट	10	04
	पायोनियर कोर कम्पनियां	09	02
	यन्त्रीकृत परिवहन	34	17
	पशु परिवहन रेजीमेन्ट	04	03
	पर्वतीय रेजीमेन्ट	21	20
	ए० एम० सी० अस्पताल	82	34
	एम्बुलेंस प्लाटून	15	07
2.	नौ सेना (Navy)		
	स्लूप्स	09	03
	फ्रिगेट्स	02	02
	सुरंग साफ करने वाले जलयान	12	04
	कारवेट्स	01	00
	सर्वेपोत	01	00
	ट्रालर्स	04	02
	मोटर लांच	01	00
	मोटर सुरंग साफ करने वाली	04	02
	बन्दरगाह रक्षा मोटर लांच	04	04
3.	वायु सेना (Air Force)		
	लड़ाकू वायुयान स्कवाड्रन	07	03
	परिवहन वायुयान स्कवाड्रन	01	01

इस विभाजन के साथ ही एक बहुत बड़ी गम्भीर समस्या आर्डनेन्स फैक्ट्रियों को लेकर आयी, क्योंकि अधिकांश फैक्ट्रियां भारत की सीमा में आ गयी थीं। अत: इसके बदले भारत ने लगभग 6 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में देना मंजूर किया।

इस विभाजन के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या आयी, कि अपनी नवीन आवश्यकताओं एवं आदर्शों के अनुसार स्वतन्त्र भारत की सेना का प्रारूप किस प्रकार का बनाया जाये। विशेष रूप से सेना एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा नवीन तकनीकी ज्ञान हासिल करवाना था। इसमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग प्राप्त किया। यही कारण है कि भारतीय सेनाओं का संगठन, अनुशासन, प्रशिक्षण की व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर ही बनी। यद्यपि भारतीय सेनाएं अपनी वीरता, बलिदान, साहस एवं तत्परता के लिए विख्यात रही हैं किन्तु उस समय एक स्वतन्त्र राष्ट्र की एक स्वतन्त्र सेना के रूप में पुन: संगठित करना एक कठिन कार्य था।

2. राष्ट्र के एकीकरण की समस्या

स्वतन्त्र भारत के सामने राष्ट्र के एकीकरण की समस्या भस्मासुर की भान्ति मुंह बनाये खड़ी थी, क्योंकि ब्रिटिश

सरकार ने शायद भारतीय उपमहाद्वीप को भयंकर रक्तपात एवं खण्ड-खण्ड होने के बीज 565 देशी रियासतों की **संप्रभुता के नाम से बो दिये थे जिनके** अंकुरित होते ही रक्त-पात होना स्वाभाविक सा था किन्तु तत्कालीन स्वतन्त्र **भारत के प्रथम गृह मन्त्री एवं लौह पुरुष ने** बड़ी सूझ-बूझ से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर शेष सभी 562 रियासतों का विलय भारत व पाकिस्तान में कर दिया। इस सन्दर्भ में तत्कालीन गवर्नर जनरल **माउण्टबेटन** का यह कथन उल्लेखनीय है—

"यह मेरा सौभाग्य था कि उस नई सरकार के गृहमन्त्री सरदार पटेल बने और सत्ता हस्तांतरण के पूर्व जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतों का विलय भारत या पाकिस्तान में हो गया—यह कोई छोटी राजनयिक उपलब्धि नहीं थी।"

राष्ट्र के एकीकरण में भौगोलिक स्थिति एवं जनसंख्या का हिन्दू या मुस्लिम होना देशी रियासतों के विलय निर्णयों को प्रत्यक्ष प्रभावित करते थे। इसी सन्दर्भ में जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर विवाद के मुद्दे बने। जूनागढ़ और हैदराबाद का जैसे-तैसे निपटारा हुआ। कश्मीर "झगड़े की जड़" तथा आज तक विवाद का मुद्दा बना हुआ है।

(क) जूनागढ़ की समस्या—जूनागढ़ काठियावाड़ (गुजरात) की एक छोटी-सी रियासत थी, जिसका शासक मुस्लिम था किन्तु 80 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू थी। 1947 में जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान के साथ करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही जूनागढ़ की दो छोटी रियासतें-बाबरीबाद तथा मंगरोल 15 अगस्त से पूर्व ही भारत में विलय हो चुकी थीं। जूनागढ़ का पाकिस्तान में विधिवत् विलय हो जाने पर नवाब ने बाबरीबाद तथा मंगरोल में अपनी सशस्त्र सेनाएं भेजीं जोकि भारत पर ही एक आक्रमण था। भारत ने नवाब को इस कार्यवाही के लिए रोका किन्तु जब नवाब नहीं माना तो इसकी सूचना दिल्ली आते ही 1 नवम्बर, 1947 को एक नागरिक प्रशासन ने ब्रिगेडियर गुरुदयाल सिंह के नेतृत्व में एक छोटे सैन्य दल ने ही बाबरीबाद तथा मंगरोल का शासन अपने हाथों में ले लिया। स्थिति देखकर जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया और वहां के दीवान ने भारत सरकार से जूनागढ़ अपने अधिकार में करने का अनुरोध किया। इसके परिणामस्वरूप 9 नवम्बर, 1947 को जूनागढ़ की रियासत का शासन भारत ने संभाल लिया। 20 जनवरी, 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया जिसमें 180,000 मतदाताओं ने भाग लिया। पाकिस्तान ने इस मामले को सुरक्षा परिषद् में भी उठाने का प्रयास किया। फरवरी, 1949 को जूनागढ़ एवं उसके अन्य भाग सौराष्ट्र के भाग बना दिये गये, जो इस समय गुजरात का भाग है।

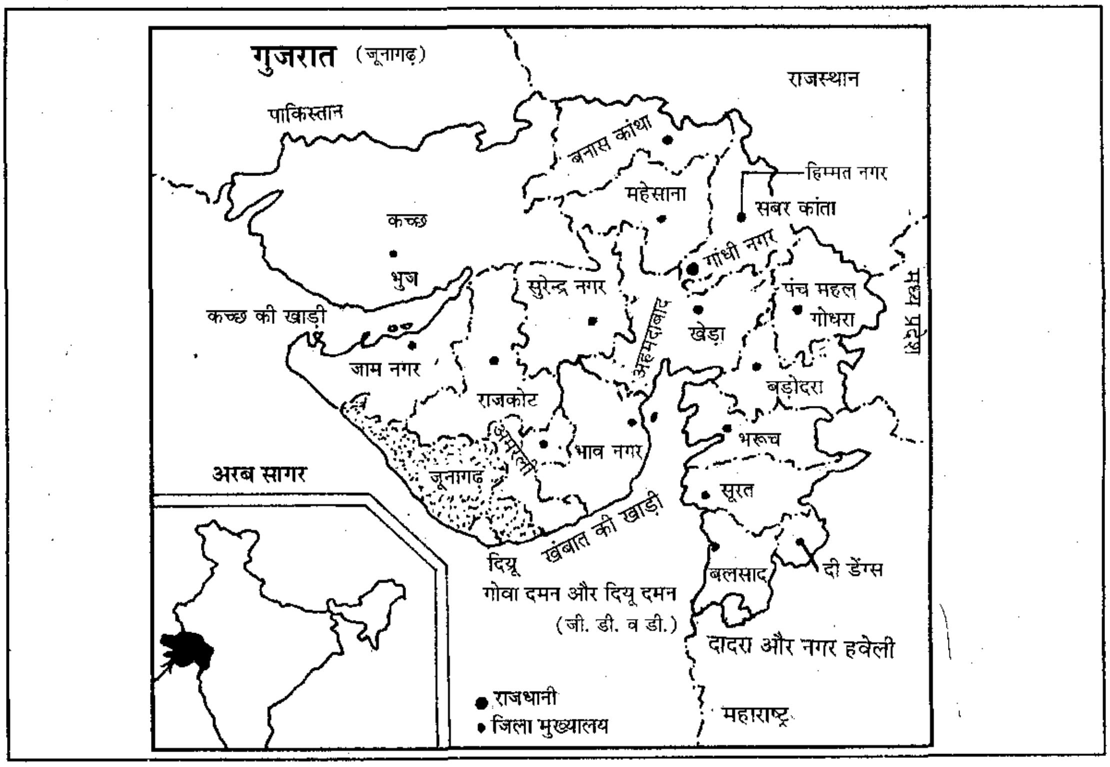

(ख) हैदराबाद की समस्या—हैदराबाद दक्षिण भारत में एक बहुत सम्पन्न रियासत थी। यह चारों ओर से भारतीय सीमाओं से जुड़ी थी जिसका शासक मुस्लिम था, किन्तु अधिकांश जनसंख्या हिन्दू थी। भारत सरकार की रक्षा व्यवस्था के लिए उसके मध्य भाग में एक स्वतन्त्र रियासत समस्या थी। अत: भारत ने वार्ता एवं समझौते के आधार पर विलय करने का अनुरोध किया, किन्तु वहां के निज़ाम पाकिस्तान के इशारे में चल रहे थे। इसी दौरान हैदराबाद रियासत तथा भारत के मध्य 29 नवम्बर, 1947 को एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत 1 वर्ष तक यथास्थिति रखनी थी और रक्षा, विदेश एवं संचार व्यवस्था भारत के सहयोग से पूर्ववत ही चलती थी। इसके साथ ही स्थानीय सेना में बढ़ौत्तरी भारत-सरकार की अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती थी। समझौते पर अमल करते हुए भारत ने अपनी 150 वर्ष पुरानी सेना की छावनी को सिकन्दराबाद से वापस बुला लिया। भारतीय सेना के वापस आते ही हैदराबाद के निज़ाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन एवं सहयोग से अपनी सैन्य संख्या में बढ़ौत्तरी करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही हैदराबाद के चारों ओर भारतीय सीमा में घुसकर लूट-पाट एवं आगजनी आरम्भ कर दी। अनेक अनुरोधों के बावजूद हैदराबाद की स्थिति निरन्तर तनावपूर्ण होती जा रही थी। इसका मामला संयुक्त राष्ट्र संघ तक पाक के माध्यम से पहुंचाया गया।

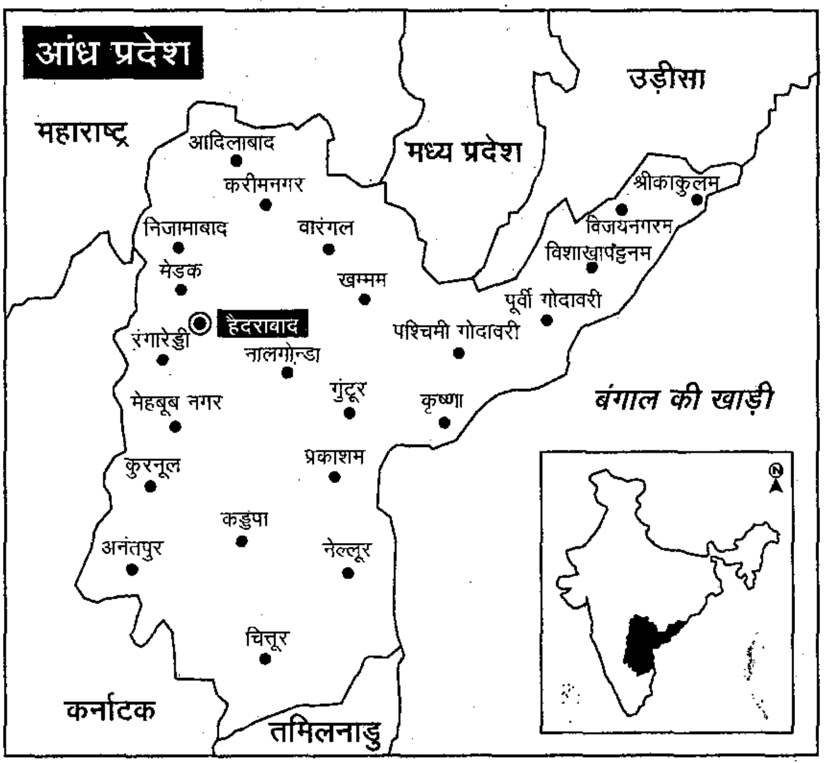

आखिरकार 11 सितम्बर, 1948 को भारतीय प्रतिनिधि के० एम० मुन्शी को हैदराबाद में ही बन्दी बना लिया तो भारत-सरकार ने हैदराबाद रियासत की आर्थिक नाकेबन्दी कर दी। 13 सितम्बर, 1948 को प्रात:काल 4 बजे प्रथम भारतीय टैंक दल के सैनिक, मेजर जनरल जे० एन० चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रवेश किया। वहां की सेना भारतीय सेना के सामने ठहर नहीं सकी और 18 सितम्बर को सायंकाल 4.30 बजे मेजर जनरल चौधरी के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। 22 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र संघ से निज़ाम ने अपना अनुरोध पत्र वापस ले लिया और नयी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया तथा सहयोग का भी वचन किया। 26 जनवरी, 1950 को हैदराबाद को विधिवत भारत में मिला लिया गया। राज्यों के पुनर्गठन में वर्ष 1956 में हैदराबाद राज्य का अस्तित्व समाप्त करके आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया।

(ग) कश्मीर की समस्या—कश्मीर रियासत की स्थिति जूनागढ़ एवं हैदराबाद की रियासत के विपरीत थी क्योंकि यहां का शासक हिन्दू तथा अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। स्वतन्त्रता के साथ ही पाकिस्तान कश्मीर पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह भी अपनी रियासत को स्वतन्त्र रखना

चाहते थे इसीलिए उन्होंने भारत एवं पाक के साथ आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए अन्तरिम समझौते भी किये। पाकिस्तान ने समझौते की आड़ में कश्मीर को मिलाने के लिए हजारों की संख्या में प्रशिक्षित कबाइली स्वयं सेवक तथा नागरिकों के रूप में नियमित सेना के अधिकारी एवं जवानों को भेजा। कबाइली लुटेरों तथा पाक सैनिकों ने कश्मीर की सेना को कुचल दिया और लूट-पाट, आगजनी, हत्या, बलात्कार एवं ताण्डव नृत्य करके कहर ढा दिया। महाराजा **हरी सिंह** ने विलय प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ कहा था—

"इस समय मेरे राज्य में उत्पन्न परिस्थिति और गम्भीर आपात् स्थिति को देखते हुए मेरे पास भारतीय अधिराज्य से सहायता मांगने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। स्वाभाविक है, कि मेरे राज्य का भारतीय अधिराज्य में विलय हुए बिना मेरे द्वारा मांगी गयी सहायता वे नहीं भेज सकते। तदनुसार मैंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है और मैं आपकी सरकार की स्वीकृति के लिए विलय पत्र संलग्न कर रहा हूं।"[1]

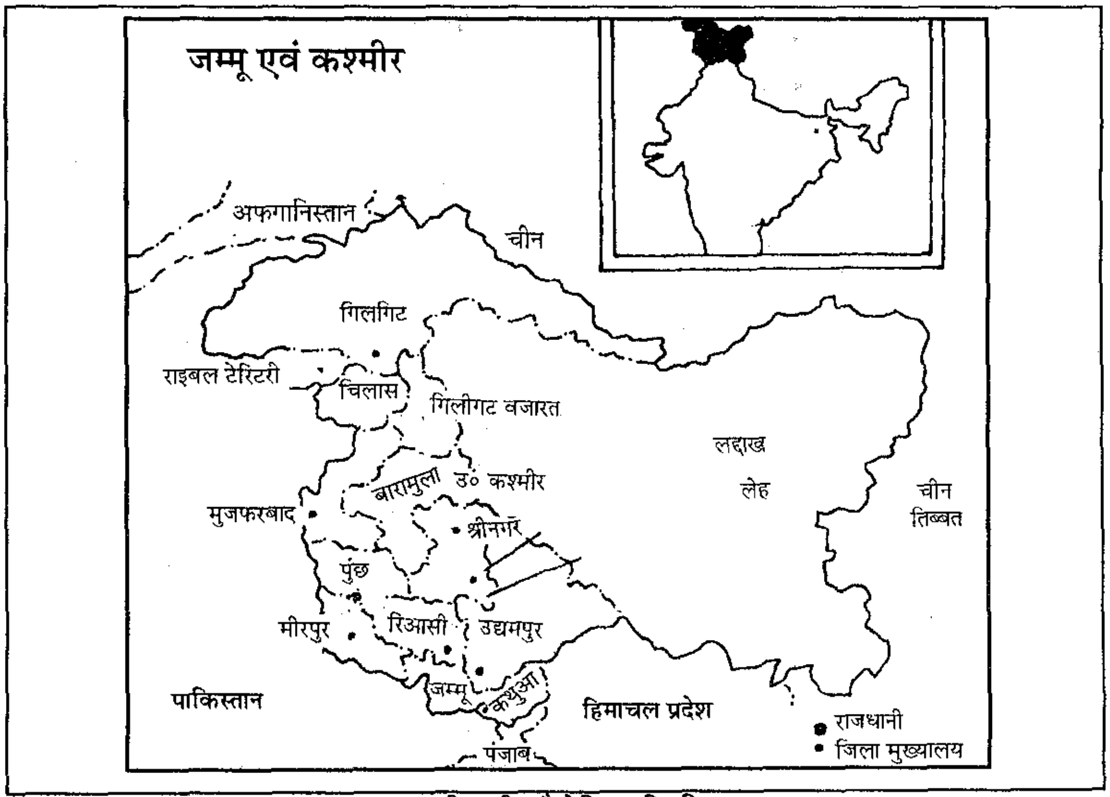

कश्मीर की भौगोलिक स्थिति

26 अक्तूबर, 1947 को विधिवत् कश्मीर के भारत में विलय हो जाने पर 27 अक्तूबर को भारतीय सेना की प्रथम सिक्ख बटालियन ले० कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में श्रीनगर के हवाई अड्डे में उतरी। इस समय स्थिति अत्यन्त गंभीर थी। पाकिस्तानी अनियमित सेनाएं एवं कबाइलियों का दल श्रीनगर के समीप तक पहुंच चुका था। भारतीय सेना ने अपनी गौरवशाली परम्परा का परिचय देते हुए पाकिस्तानी हमलावरों पर अंकुश लगाया और आगे बढ़ने से रोका। 31 अक्तूबर, 1947 को शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कश्मीर में आपात्कालीन प्रशासन की व्यवस्था कर दी गई। 31 दिसम्बर, 1947 को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) में कश्मीर में भारत के विरुद्ध किये गये पाक आक्रमण के विरोध में अपनी याचिका दायर की। जुलाई, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जांच आयोग इस स्थिति के लिए कश्मीर पहुंचा और इस आयोग ने युद्ध-विराम का प्रस्ताव रखा किन्तु

1. डॉ० गौरीनाथ रस्तोगी—हमारा कश्मीर, पृष्ठ—83

पाक ने उसे ठुकरा दिया। अनेक प्रयासों के बाद 1 जनवरी, 1949 को आखिर युद्ध-विराम समझौता हो गया, किन्तु समस्या का हल अभी तक नहीं निकला जिससे 1965, 1971 तथा 1999 के युद्ध के अलावा भी अनेक बार संघर्ष की स्थिति उठानी पड़ी है। कश्मीर में उग्रवाद, आतंकवाद एवं आई० एस० आई० (इण्टर सर्विस इण्टेलीजेन्स) का जाल फैला हुआ है।

(घ) गोआ की समस्या—अरब सागर में स्थित गोवा, दमन एवं दीव एक ऐसा उपनिवेश था, जोकि स्वतन्त्रता के पश्चात् भी एक लम्बी अवधि तक (14 वर्ष 4 माह) पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। इसका कारण यह नहीं था कि भारत उस पर अधिकार करने की शक्ति नहीं रखता था, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का रुख देखकर कार्यवाही करना उचित समझता था। इसका कारण यह था कि पुर्तगाल उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) का सदस्य था और ऐसी स्थिति में पश्चिमी राष्ट्र उसके पक्ष में खड़े हो जाते थे। भारत के लिए आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से परेशानी हो सकती थी। भारत ने अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए मिस्र, चीन एवं सोवियत संघ से मित्रता का हाथ बढ़ाया था और स्थिति नियन्त्रण में आते ही 18 दिसम्बर, 1961 में भारतीय सेना ने गोवा, दमन एवं दीव को घेर करके पुर्तगालियों को भागने के लिए मज़बूर कर दिया। 18 दिसम्बर की रात को मेजर जनरल के० पी० कैन्डेथ के नेतृत्व में आपरेशन विजय की कार्यवाही शुरू हुई और 19 दिसम्बर, 1961 को बड़ी लड़ाई के बिना ही गोवा को मुक्त करा दिया गया। गोवा को 30 मई, 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दमन एवं दीव केन्द्र शासित क्षेत्र बने रहे। 11 मई, 1987 को लोकसभा ने सर्वसम्मति से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी 56वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया।

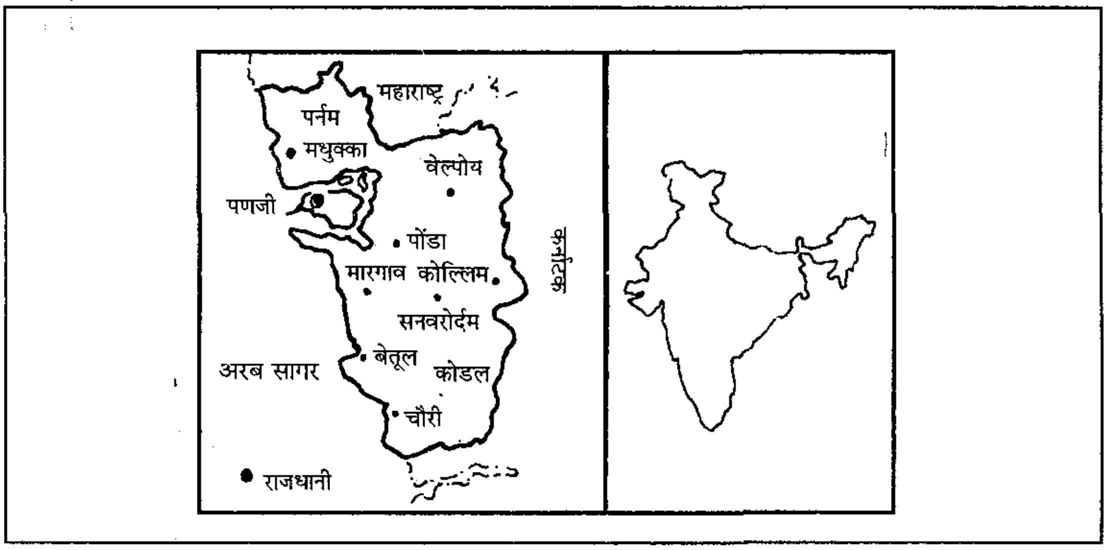

गोवा की भौगोलिक स्थिति

3. कश्मीर में पाक आक्रमण (1948)

जिस समय भारत अपने विभाजन के तीन माह भी पूरे नहीं कर पाया था, कि कश्मीर राज्य के विवाद को लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर सशस्त्र आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के पीछे अंग्रेज़ों की कूटनीतिक चालों की ही सक्रिय भूमिका रही। ब्रिटिश शासक सदैव से ही आपस में 'फूट डालो एवं शासन करो' की नीति का अनुसरण करते रहे। जिस समय मजबूरीवश भारत को दो उपनिवेशों में बांटकर स्वतन्त्र कर दिया था, उस समय कश्मीर जैसे अनेक मुद्दे अधूरे छोड़ दिये ताकि भारत इन्हीं उलझनों में उलझा रहे। भारत-पाक संघर्ष की नींव अंग्रेज़ों ने इसके जन्म के साथ ही रख दी थी। कश्मीर का मुद्दा आज भी अनिर्णीत स्थिति में इसी कारण बना

1. भारत की सुरक्षा—बलराज मधोक, नई दिल्ली, पृष्ठ 62

हुआ है। जिस आधार पर तथा जिन परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ उन्होंने ही भारत एवं पाकिस्तान को जन्मजात दुश्मन बना दिया। कम-से-कम पाकिस्तान तो यही समझता था और अपना अलग अस्तित्व कायम होने की घड़ी से ही उसने अपनी समस्त आन्तरिक एवं बाह्य नीतियों को भारत पर चोट करने की दृष्टि से ही गढ़ना शुरू किया।[1]

कश्मीर के इस संघर्ष को समझने के पूर्व संक्षिप्त रूप में इसका भौगोलिक तथा ऐतिहासिक विवेचन आवश्यक है, ताकि युद्ध के कारणों को सरलता के साथ समझा जा सके। भारत के दो उपनिवेशों में बंटवारे के साथ कश्मीर को एक स्वतन्त्र रियासत के रूप में रखा गया, परन्तु इसकी भौगोलिक स्थितियां ऐसी थीं, कि इसकी सीमाएं भारत एवं पाकिस्तान दोनों ही उपनिवेशों से मिलती थीं। पाकिस्तान के साथ जम्मू और लाहौर रेलवे लाइन कश्मीर को सीधा जोड़ती थीं, परन्तु भारत और जम्मू के मध्य पठानकोट से कठुआ होकर ही एक संकरा कच्चा रास्ता था जिसमें रास्ते में पड़ने वाली अनेक नदियों में पुल भी नहीं थे। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर थी। वहां के तत्कालीन शासक हिन्दू डोगरा महाराजा हरी सिंह थे जबकि अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। महाराजा हरी सिंह कश्मीर को नेपाल एवं भूटान की भान्ति एक स्वतन्त्र राष्ट्र रखना चाहते थे, किन्तु परिस्थितियां ऐसी बनीं, कि पाकिस्तान जहां धर्म एवं जाति के नाम पर जनता को उकसा रहा था, वहां कश्मीरी नेशनल कांफ्रेंस के नेता शेख मुहम्मद अब्दुल्ला राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अत: कश्मीर के राजा हरी सिंह ने स्थिति का अवलोकन करते हुए पाक के साथ यथास्थिति का समझौता किया और भारत से भी इसकी वार्ता चला रहे थे।

पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी और अपने नापाक इरादे को उजागर कर कश्मीर के यथा स्थिति समझौते का उल्लंघन करते हुए उसकी आर्थिक नाकेबन्दी कर दी और कश्मीर के अन्दर गिलगित तथा पुंछ के क्षेत्रों में जनता को भड़काकर महाराज हरी सिंह के विरुद्ध कार्यवाही भी शुरू कर दी। इसी कार्यवाही के साथ पाक एवं कश्मीर का मामला तेज़ हो उठा और 3 सितम्बर, 1947 को लगभग 5000 प्रशिक्षित तथा कुशल कबाइली अनियमित पाकिस्तानी सेना ने श्रीनगर पर विधिवत् आक्रमणात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। पाकिस्तान ने जेहाद (धर्म-युद्ध) के नाम पर मुस्लिम जनता को महाराजा हरी सिंह के विरुद्ध गुमराह करने का भी प्रयास किया, जिसमें पाक को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, क्योंकि महाराजा की महत्त्वपूर्ण अनेक सैनिक कम्पनियां भी विद्रोह में शामिल हो गईं। इस प्रकार पाकिस्तान ने आन्तरिक विद्रोह के साथ-साथ बाह्य आक्रमण करके कश्मीर पर दोहरा ज़ोरदार आक्रमण कर दिया, जिससे महाराजा हरी सिंह इस दोहरे आक्रमण के कारण शत्रु के घेरे में बुरी तरह घिर गये।

21 अक्तूबर, 1947 को कबाइली विशाल सेना के एक-दूसरे दल ने पाकिस्तान की एबटाबाद छावनी से आकर कश्मीर के मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया। कश्मीर की सेना की दो बटालियन सेनाएं भी इस अभियान के समय कट्टरपंथी धर्म भावना के कारण पाकिस्तान के कबाइली सेना के साथ हो ली जिससे कश्मीर का अस्तित्व लगातार खतरे में पड़ता जा रहा था। अब पाकिस्तान कबाइली सेना ने डोमेल की ओर बढ़कर बारामूला पर अधिकार करने की एक कूटियोजना निश्चित की। इस कूटियोजना के अन्तर्गत श्रीनगर पर सफलता प्राप्त करते ही पाकिस्तान के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्नाह की एक शोभा यात्रा को श्रीनगर की सड़कों पर निकाला जाना तय हुआ था। राजा हरी सिंह ने स्थिति का अध्ययन किया और पाक के इस इरादे को विफल करने के लिए अपनी वफादार सेना को उरी के पास झेलम नदी के पुल को तोड़ दिया, ताकि शत्रु सेना आगे न बढ़ सके। जब पाक सेना ने दूसरी ओर बारामूला से श्रीनगर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो महाराजा की सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह ने उन पर अंकुश लगाने का ज़ोरदार प्रयास किया, परन्तु दो दिन की सफलता के बाद अंतत: पाकिस्तानी सेना को बारामूला में प्रवेश पाने में सफलता मिल गई। 24 अक्तूबर, 1947 ई० को पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की रेडियो पर घोषणा कर दी।

वास्तविक संघर्ष—जिस समय तत्कालीन भारतीय सेना के मुख्य सेनापति (C-in-c) जनरल रोबर्ट को भारत के प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कश्मीर की सुरक्षा के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी थी। एक ओर पाकिस्तान की गतिविधियां निरन्तर तेज़ होती जा रही थीं। अत: 26 अक्तूबर, 1947 को कश्मीर का विधिवत् भारत के साथ विलय कर लिया गया। भारतीय सेनाओं का प्रथम दल 27 अक्तूबर को विमान द्वारा श्रीनगर पहुंचा जिसका नेतृत्व लेफ्टीनैण्ट कर्नल दीवान रंजीत राय कर रहे थे। भारतीय सेना ने स्थिति का जायजा लेते हुए तथा पाक की योजना का अनुमान लगाकर उसे विफल करने के लिए बारामूला पर आक्रमण कर दिया और शत्रु को पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया था। इसी के साथ श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भारतीय सेना ने अपना अधिकार जमा लिया।

अब युद्ध दूसरे मोर्चे पुंछ की ओर से भी तेजी के साथ संघर्ष शुरू हो गया। इस प्रकार संघर्ष का अब अत्यन्त तेज़ी के साथ सिलसिला आरम्भ हो चुका था। 8 नवम्बर, 1947 ई० को पाकिस्तानी सेना तथा कबाइली सेना से बारामूला को पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया। पुंछ के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना जब सफल नहीं हो सकी तो वह नौशेरा की ओर बढ़ गई। अत: 6 फरवरी, 1948 को नौशेरा के दुर्ग में ज़ोरदार संघर्ष आरम्भ हुआ परन्तु [illegible] भारतीय सेना ने शत्रु की सेना को आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक दिया था। भारतीय स्थल सेना और वायुसेना ने निर्णायक भूमिका निभाई।

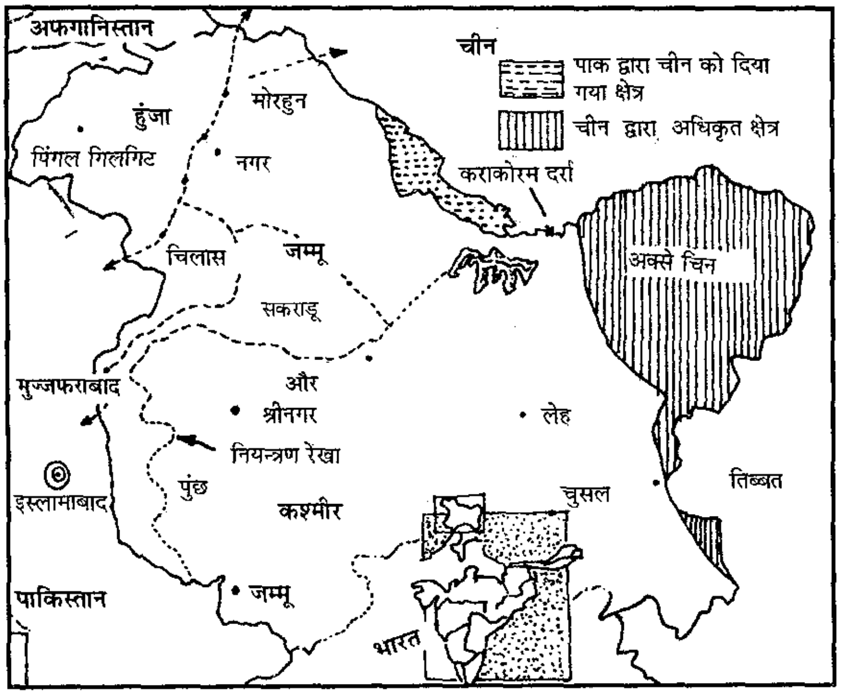

कश्मीर की वर्तमान स्थिति

भारतीय सेनाओं ने शत्रु की सेना को आगे बढ़ने से ही नहीं रोका, बल्कि 12 अप्रैल, 1948 को राजौरी क्षेत्र को भी शत्रु से छीन लिया। इस अभियान में विशेष भूमिका के लिए चौथे गार्ड्स के नायक यदुनाथ सिंह को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। आक्रमण अभियान इस समय ज़ोरों पर था क्योंकि पाक सेना अपने गुप्त अड्डों से आक्रमण कर रही थी। अगस्त, 1948 को भारतीय सेनाओं ने पुंछ, राजौरी, किशन घाटी तथा मेढ़र आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया था।

इस अभियान में पाकिस्तान की सेना ने स्करदू क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया। इसे हटाने के लिए भारतीय सेना ने अनेक प्रयास किये परन्तु रुके हुए मार्गों के कारण सफल नहीं हो पा रहे थे, किन्तु इसी समय एक भारतीय टुकड़ी को जोजिला दर्रा पार करने में सफलता प्राप्त हो गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना ने 'दरास' को अपने अधिकार में कर लिया तथा 23 नवम्बर को कारगिल में प्रवेश कर गई। पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के दबाव को कम करने के लिए तथा उसे उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय सेना ने अपनी कार्यवाही लगातार उत्साह के साथ जारी रखी। अंतत: जलवायु की विपरीत स्थिति होने के बावजूद तथा समुचित साधनों के अभाव सहित भी भारतीय सेना गुरैश तक प्रवेश कर गई और 23 नवम्बर को मेढ़र पर भी अधिकार कर लिया। पुंछ क्षेत्र में अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिए भारतीय सेना के डिवीज़न दिसम्बर, 1948 तक लगातार चौकसी हेतु तैनात रहे।

युद्ध अभियान के साथ-साथ राजनयिक प्रयास भी दोनों राष्ट्रों द्वारा जारी रहे किन्तु जब कोई सही दिशा दिखाई नहीं दी तो भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दरवाज़े में दस्तक दी जिसके परिणामस्वरूप 21 अप्रैल, 1948 को सुरक्षा परिषद् की एक बैठक में युद्ध को रोकने तथा स्थिति का सही अध्ययन करने के लिए पांच सदस्यों का एक आयोग गठित किया। अंततः निरन्तर बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के कारण 1 जनवरी, 1949 को दोनों पक्षों ने कश्मीर समस्या पर युद्ध विराम समझौता स्वीकार कर लिया।

एक ओर जहां आक्रमण का अभियान जारी था, वहां भारत एवं पाकिस्तान ने अपनी राजनयिक चालों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को अपने पक्ष में करने का प्रयास भी जारी रखा। भारत ने पाकिस्तान को भी अपनी नैतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कश्मीर पर बढ़ते कबाइलियों पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया। जब पाकिस्तान ने यह अनुभव किया कि भारत के सैनिक दबाव के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा है, तो इसी के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) के माध्यम से 1 जनवरी, 1949 को युद्ध-विराम समझौता कश्मीर संघर्ष पर लागू कर दिया गया। इस अभियान में अनुभवहीन भारतीय सैन्याधिकारियों ने जब जोजिला दर्रे पर टैंकों को स्थापित कर दिया तो पाकिस्तानी सेना एवं अधिकारी हैरत में आ गये थे। यही नहीं बल्कि लेह क्षेत्र में वायुयानों की कार्यवाही पुंछ क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करके शत्रु के इरादे को पूरी तरह विफल कर दिया था।

अब हम संक्षेप में भारत एवं पाकिस्तान के कश्मीर के सन्दर्भ में दिये गये तर्कों का उल्लेख करते हैं, ताकि स्थिति का सही जायजा लिया जा सके—

कश्मीर के सन्दर्भ में भारतीय तर्क—

(1) भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि देशी रियासतों का शासक अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र रूप से किसी भी राष्ट्र के साथ मिल सकता है।

(2) कश्मीर को भारतीय संघ का अभिन्न अंग वहां की जनता ने स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित संविधान सभा के माध्यम से घोषित किया है।

(3) इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद जनमत संग्रह की बात करना कहां उचित होगा ?

(4) आत्मनिर्णय का प्रश्न एक जनतन्त्रीय प्रश्न है लेकिन इसका प्रयोग राज्यों को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

(5) पाक जो जनतन्त्र की बात करता है अब तक की अधिकांश अवधि उसकी सैनिक शासन में बीतती रही है वह लोकतन्त्र का रखवाला कैसे हो सकता है ?

(6) पाकिस्तान आक्रामक कार्यवाही करता जा रहा है और दावा प्रस्तुत करना मात्र हास्यास्पद ही है।

(7) सैनिक कार्यवाही करते हुए जनमत संग्रह एवं नैतिक बातें करना मात्र ढकोसला ही है।

(8) धर्म एवं जाति के आधार को मानकर कोई किसी राष्ट्र के राज्य को मिलाने की बात करे तो बंगला देश को क्यों आखिर अलग होने दिया।

(9) पाक, कश्मीर के मामले पर सदैव अपने नापाक इरादे दर्शाता रहा है।

(10) कश्मीर के क्षेत्र को दबाने के बाद उसके इरादे और क्षेत्र के लिए लालायित हैं।

कश्मीर के सन्दर्भ में पाकिस्तानी तर्क—

(1) कश्मीर का भारत द्वारा विलय शक्ति प्रदर्शन एवं भय का ही परिणाम है।

(2) कश्मीर की जनता की इच्छा के विपरीत विलय करना उचित नहीं है।

(3) कश्मीर एक मुस्लिम प्रदेश है और उसके सीधे सम्बन्ध हमारे साथ हैं।

(4) कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान को भारत के समान ही हस्तक्षेप का पूरा अधिकार है क्योंकि यह मामला कांग्रेस और मुस्लिम लीग की रजामन्दी के आधार पर तय होना निश्चित हुआ था।

(5) महाराजा हरी सिंह ने वहां की जनता के विरोध के बावजूद भारत में विलय का निर्णय लिया। अतः नैतिक एवं संवैधानिक तरीके से गलत है।

4. भारत-चीन सीमा युद्ध (1962)

भारत के साथ चीन का यह आकस्मिक आक्रमण भी शायद चीन ने भावी योजना को लेकर ही किया था। अटूट शान्ति का समर्थक भारत सदैव ही सह अस्तित्व के सिद्धान्तों का अनुपालक रहा है। इसका प्रमाण है कि 1949 में चीन के साम्यवादी गणराज्य को तुरन्त ही मान्यता प्रदान कर दी थी। विवाद की पृष्ठभूमि का प्रमुख कारण तिब्बत पर चीनी दमन के प्रति भारत के अनुरोध को अपने लिए धमकी मानकर भारत पर ही आक्रमण करने की मन में ठान

ली थी। भारत चीन के इस कुचक्र का अनुमान भी नहीं लगा सका था, तत्कालीन भारत के प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू का यह इरादा था कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रता रख कर रक्षा के व्यय को राष्ट्रीय विकास के कार्यों में लगाया जाए और इस कारण 29 अप्रैल, 1954 को चीन के साथ आठ वर्ष के लिए पंचशील समझौता भी कर लिया। मित्रता पर विश्वास करने वाले भारत को चीन के भीषण विश्वासघात का अनुमान भी न था। यही कारण है कि मित्रता के लिए उसने तिब्बत को थाली में रखकर अपने मित्र चीन को सौंप दिया और सद्भाव से निर्णय करने की सलाह दी।

दूसरी ओर चालाक चीन ने हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे की आड़ में अपनी कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दीं और अक्साईचिन के क्षेत्र में सामरिक स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए तेजी से सड़कों का निर्माण भी आरम्भ कर दिया था। इसके साथ ही चीन ने भारत की सीमा के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नेफा और लद्दाख का लगभग 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र अपने द्वारा प्रकाशित मानचित्र में चीनी सीमा क्षेत्र में दर्शाने की कार्यवाही पर भी भारत ने कोई विशेष विरोध नहीं किया तो चीन ने इसका लाभ उठाते हुए छोटे-छोटे आक्रमण अभियान भी शुरू कर दिये। भारत ने इस आक्रमण का विरोध तो दिया, परन्तु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। समझौतों और वार्ताओं पर विश्वास करने वाले पण्डित नेहरू ने 19 अप्रैल, 1960 को दिल्ली में नेहरू तथा चाऊ के मध्य एक वार्ता हुई, परन्तु कोई निर्णय नहीं निकला। तदुपरान्त दोनों राष्ट्रों ने राजनीतिज्ञों के मध्य एक और प्रयास किया, परन्तु कार्यवाही अधर में अटकी रही। क्योंकि एक ओर चीन ने कश्मीर के क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में स्वीकार करने का विरोध किया तथा दूसरी ओर भूटान तथा सिक्किम के उत्तर में तिब्बती सीमा के सन्दर्भ में भारत से वार्ता करने का विरोध किया। इससे खुलकर मतभेद सामने आ गये थे।

अब चीन ने भारत सीमा पर अपना अधिकार जमाने का काम ही नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के साथ समझौता करके कश्मीर के क्षेत्र को उसके क्षेत्र में होने के दावे का खुलकर समर्थन भी कर दिया। इसके साथ ही सामरिक महत्त्व के क्षेत्र कराकोरम के 300 वर्ग मील क्षेत्र पर अपने विरोध के बावजूद अधिकार कर लिया। चीन का इसके पीछे यह इरादा था कि लद्दाख तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी के क्षेत्रों को अपने अधिकार में करना था। जिस समय वार्तायें लगातार विफल हो रही थीं और उसी दौरान 'पंचशील समझौते' की सीमावधि भी समाप्त हो रही थी। 20 जून, 1962 को पंचशील समझौता समाप्त होते ही चीन ने खुलकर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। भारत-चीन सीमा 45,000 कि० मी० लम्बी थी जिसे तीन भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं—

1. पूर्वी सीमा—नेफा (NEFA)
2. मध्य सीमा—अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, शिपकी दर्रा से लिपुलेघ दर्रा
3. पश्चिमी सीमा—लद्दाख व आक्साईचिन का क्षेत्र।

पंचशील समझौता—चीन और भारत के मध्य 21 अप्रैल, 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जोकि इस प्रकार से थे[1]—

(1) एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता एवं सम्प्रभुता का सम्मान करना।
(2) एक-दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना।
(3) एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
(4) एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए परस्पर समानता का व्यवहार करना।
(5) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाये रखना।

चीन के आक्रमण का उद्देश्य—चीन का भारत पर आक्रमण करने का इरादा अपने स्वार्थों की पूर्ति करना था तथा भारत के सैनिक महत्त्व के क्षेत्र को अपने अधिकार में करने का उत्तम समय यही था, ताकि तिब्बत की बात अधर में लटक कर रह जाये। हम संक्षिप्त रूप में उसके उद्देश्य को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

(1) एशिया महाद्वीप पर अपना एकाधिकार एवं नियन्त्रण रखने के लिए शक्ति परीक्षण करना चाहता था।
(2) लद्दाख तथा अक्साईचिन के क्षेत्र को अपने अधिकार में करना चाहता था।
(3) पूर्वी क्षेत्र में अपनी सामरिक स्थिति को सदैव के लिए सुदृढ़ करना चाहता था।
(4) भारत को अपमानित करके तिब्बत को भी सबक सिखाना चाहता था, ताकि भविष्य में सिर न उठा सके।
(5) अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अपनी सशक्त स्थिति का स्पष्ट खुलासा करना चाहता था।
(6) साम्यवादी नीति को अपनाते हुए साम्राज्यवादी नीति की ओर भारत को मजबूत करना था, ताकि गुंटनिरपेक्षता की नीति निषिद्ध साबित की जा सके।

1. मैक्सवेल—भारत-चीन युद्ध

(7) माओ की नीति के आधार पर पड़ोसी राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था।
(8) अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का ध्यान अपनी विफलताओं से हटाने के लिए युद्ध करना आवश्यक था।
(9) चीन भारत को पराजित करके सम्पूर्ण एशिया के राष्ट्रों को दबाने के लिए उत्सुक था।
(10) चीन साम्यवादी राष्ट्रों का नेता बनकर सोवियत रूस के बराबर आना चाहता था।
(11) निशस्त्रीकरण की नीति का विरोध करना था।

चीन की विशाल सैन्य शक्ति—जिस समय चीन ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई, उस समय उसके पास संसार की सबसे बड़ी सैन्य संख्या थी। विशाल सैन्य संख्या के साथ ही सर्वोत्तम श्रेणी के नवीनतम तकनीक से बने हथियार एवं श्रेष्ठ सैन्य दलों की पर्याप्त व्यवस्था थी। संक्षिप्त में उसकी सेना इस प्रकार से थी—

स्थल सेना—
(1) नियमित सेना—40,50,000
(2) माओ की लाल सेना—2,35,00,000

वायु सेना—
(1) सैनिक वायुयान—7000 कुल
(2) जिसमें लड़ाकू विमान—3000
(3) हल्के बमवर्षक विमान—1000

नौ सेना—
(1) लड़ाकू जलयान—200
(2) इसमें पनडुब्बी तथा तारपीडो भी शामिल थे।

भारत की सैन्य शक्ति चीन की तुलना में कुछ भी नहीं थी, क्योंकि एक तो भारत ने 'पंचशील समझौता' करके सेना एवं शस्त्राशस्त्रों के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया तथा 1948 में कश्मीर संघर्ष के कारण भी आर्थिक स्थिति एवं राष्ट्र के विकास कार्यों पर विशेष जागरूक था, परन्तु रक्षा तैयारी के नाम पर पुरानी तकनीकी के हथियार और सीमित सैन्य शक्ति ही थी।

वास्तविक संघर्ष

8 सितम्बर, 1962 को थांगल दर्रे पर तथा 10 अक्तूबर, 1962 को नमकाचू नामक भारतीय चौकी पर चीन का प्रारम्भिक आक्रमण हुआ। इसके साथ ही चीन ने अपने सुनियोजित ढंग से अपनी सैन्य तैयारी करके सभी ओर सैन्य सामग्री एवं सेना तैनात कर दी। 20 अक्तूबर, 1964 को चीन द्वारा भारत के विरुद्ध वास्तविक एवं खुलकर आक्रमण कर दिया गया जबकि भारत को अभी खुले युद्ध की आशंका नहीं थी, क्योंकि सोच रहे थे कि सर्दी के बाद ही वास्तविक युद्ध आरम्भ होगा, इसी कारण प्रथम आक्रमण से आश्चर्य में पड़ गये।

20 अक्तूबर, 1962 को चीन ने नेफा तथा लद्दाख क्षेत्रों पर ज़ोरदार आक्रमण किया। नेफा के महत्त्वपूर्ण सामरिक ठिकानों को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया तथा लद्दाख की ओर भारतीय चौकियों को उखाड़ने की कार्यवाही की। आक्साईचिन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित सामरिक महत्त्वपूर्ण कराकोरम दर्रे के दक्षिण की ओर चीनी सैनिकों को सफलता भी मिली। इस समय भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल थापर ने तथा चीन के विरुद्ध भारतीय चौथी कोर का नेतृत्व लेफ्टीनेण्ट जनरल वी० एम० कौल को सौंपा गया था। चीन ने अपने इस हमले से खिजेमान के साथ ही बुगला नामक भारतीय सीमान्त क्षेत्र को भी अपने अधिकार में ले लिया।

21 अक्तूबर को लूम्पू क्षेत्र पर चीनी सेना के कब्जे के साथ ही भारतीय सेना का सम्पर्क थामला क्षेत्र से टूट चुका था। इसके साथ ही चीन ने अपनी सफलता के साथ ही अब तोवांग क्षेत्र को अधिकृत करने का प्रयास शुरू कर दिया।

22 अक्तूबर अपनी योजना के अनुसार तोपांग क्षेत्र पर तीन ओर से आक्रमण कर दिया तथा भारतीय चौकी किवित्सू पर भी अपना अधिकार जमा लिया। चीनियों की कार्यवाही जारी रही।

25 अक्तूबर को चीन को तोपांग तथा वालोंग क्षेत्र को अपने कब्जे में करने में सफलता मिल गई। सामरिक महत्त्व के भू-क्षेत्रों को अपने अधिकार में करने का चीनी प्रयास जारी था।

27 अक्तूबर, 1962 को चीन ने प्रसिद्ध भारतीय दमचौक चौकी पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार 5 नवम्बर तक चीनी सेना ने लद्दाख के उन सभी क्षेत्रों को कब्जे में कर लिया जिसे वह अपने पक्ष में मानते थे।

13 नवम्बर को भारतीय सेना ने वेलांग पर अपना अधिकार बनाये रखा। किन्तु अधिक समय तक भारतीय सेना अपने अधिकार में नहीं रख सकी।

18 नवम्बर को चीन की शक्तिशाली सेना के द्वारा सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सेला पहाड़ी पर अधिकार कर लिया गया तथा उसके एक दल ने सेला पहाड़ी से आगे बढ़कर बोमडील तथा दिराग (भारतीय चौकी) पर भी अपना हमला कर दिया।

19 नवम्बर को भारत के प्रधानमन्त्री के विशेष अनुरोध पर इंग्लैण्ड तथा अमेरिका ने भारत को सैन्य सामग्री तथा वायुयान आदि सहायता के लिए भेजने शुरू कर दिये। अमेरिका ने अपना सातवां सैनिक बेड़ा भी भारत की सहायता के लिए हिन्दमहासागर में प्रवेश करा दिया।

21 नवम्बर को चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में होते परिवर्तन को देखते हुए अपने इरादे में सफल हो चुके चीन ने आज के दिन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करके विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। इसके साथ ही 1 दिसम्बर, 1962 तक अपनी समस्त सेना को पीछे हटाने का भी आश्वासन दिया।

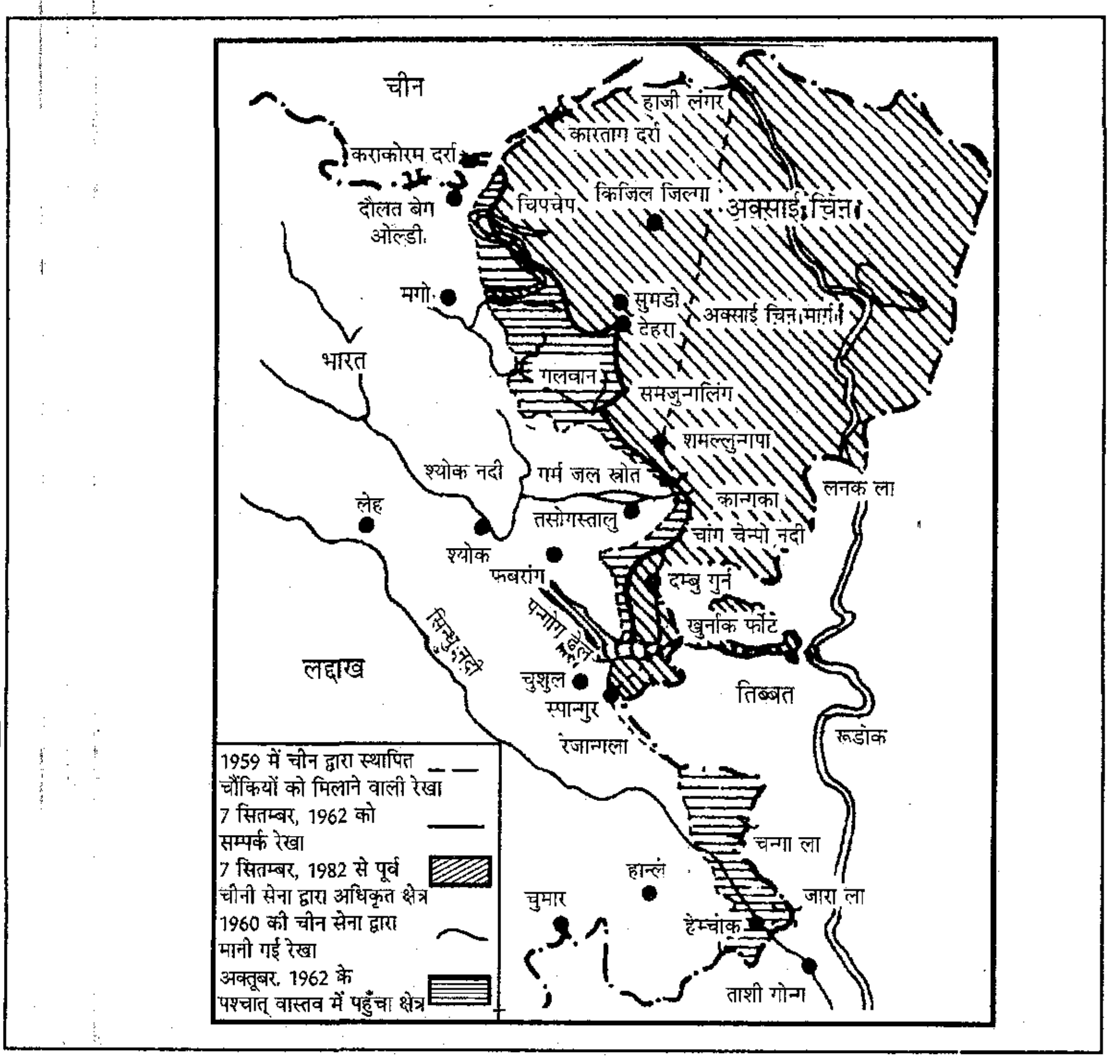

भारत ने भी अपनी स्थिति का अनुमान लगाकर इस चीनी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। अत: स्वाभाविक रूप से इस ऐतिहासिक युद्ध को विराम दे दिया गया। युद्ध विराम समझौते के अनुसार मैक मोहन रेखा के इधर-उधर 40-40 किलोमीटर क्षेत्र को विसैन्यीकृत छोड़ दिया। 10 तथा 11 दिसम्बर, 1962 को श्रीलंका, बर्मा (म्यानमार), कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, मिस्र तथा घाना राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने श्रीलंका की प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायके की अध्यक्षता में एक कोलम्बो प्रस्ताव रखा कि भारत-चीन विवाद का निर्णय किया जा सके।

चीन की सफलता के कारण—

(1) चीन ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्यवाही की तथा आकस्मिक आक्रमण करके भारत को आश्चर्यचकित कर दिया था।

(2) चीनी सेना पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यवाही के लिए अत्यन्त प्रशिक्षित थी तथा इसके पास हल्के व स्वचालित हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे।

(3) भौगोलिक परिस्थितियां भी चीन के अनुकूल थीं। चीनी सेना तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों पर अपने अड्डे निरन्तर बनाये हुए थी।

(4) चीन के पास पर्वतीय क्षेत्र में निरन्तर आपूर्ति व्यवस्था बनाये रखने की पर्याप्त सुविधा थी इसी कारण युद्ध सामग्री को मैक-मोहन रेखा तक ले गये थे। जबकि भारत के पास सामग्री पहुंचाना ही कठिन समस्या थी।

(5) गुरिल्ला युद्ध से सम्पन्न चीनी सेना ने अपनी पर्वतीय कूटियोजना एवं समरतन्त्र के आधार पर भारतीय सेनाओं को पराजित होने के लिए मजबूर किया।

भारत की असफलता के कारण—

(1) भारत की पराजय का प्रमुख कारण यह था कि चीन को अपना भाई मानता था और इसी कारण उसकी सैनिक तैयारी के बावजूद भी उदासीन रहा और अपनी सैनिक तैयारी पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया।

(2) भारत हिमालय पर्वत को अजेय प्रहरी मान रहा था इसी कारण इस ओर की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया था।

(3) भारत ने अपनी विकास की योजनाओं की रक्षा की तुलना में अधिक महत्त्व दिया जिसके कारण भारत के पास पर्याप्त सैनिक सामग्री एवं साधनों का अभाव था।

(4) भारतीय सैन्याधिकारियों को उत्तरी सीमान्त क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी नहीं थी जिसके कारण अपने श्रेष्ठ समरतन्त्र का भी परिचय नहीं दे पाये थे।

(5) भारतीय गुप्तचर व्यवस्था निम्न स्तर की थी जिसका लाभ चीन ने पूरी तरह से उठाया और युद्ध की शुरुआत भी हमें वास्तविक पूर्व जानकारी नहीं दे पाई थी।

(6) भारतीय सेनाओं को सीमान्त तक आवश्यक युद्ध सामग्री और सहायता पहुंचाने में लगभग 20 मील ऊंची दुर्गम हिमालय की पर्वतीय श्रेणी पार करनी पड़ती थी जबकि चीन तिब्बत के समतल पठार में अपनी सेनाओं तथा आवश्यक सैनिक सामग्री को मैक मोहन रेखा के निकट तक ले जाने के पर्याप्त साधन एवं सुविधा पहले से ही जुटा चुका था।

5. भारत-पाक युद्ध (1965)

भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तनाव की शुरुआत उसी समय से हो गयी थी, जिस समय पाकिस्तान का जन्म हुआ था। इसका प्रमुख कारण है कि भारत-पाक विभाजन एक मतभेद के आधार पर हुआ था, वह आज भी पाकिस्तान के शासकों के दिलो-दिमाग में बैठा हुआ है। यही कारण है कि शान्तिपूर्ण वार्ता द्वारा कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए भारत की पहल पर पाक ने अनेक समझौते किए और खुद ही उनका उल्लंघन करने में नहीं चूकता रहा। समझौते पर पाकिस्तान का बल प्रयोग ही तो था जिसने 1956 के युद्ध की पहल की।

भारत-पाक (1965) का युद्ध एवं आपसी तनाव कश्मीर की समस्या से लेकर सदैव से बना रहा है और आज भी यह समस्या अधर में लटकी हुई है। पाकिस्तान प्रायः इसी समस्या को लेकर भारत की आलोचना तो करता ही है, यदि मौका मिलता है, तो भारत विरोधी कार्यवाही करने में कतई नहीं चूकता है। अमेरिका से बड़ी मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त करने के पीछे उसका नापाक इरादा सदा ही उभरता रहता है। भारत अभी चीन युद्ध 1962 से निपटा ही था कि पाकिस्तान के तानाशाह जनरल अयूब खां ने भारत की कमजोरी का लाभ उठाकर आक्रमण करने का इरादा बना लिया। कारण भारत-चीन युद्ध में सैनिक कमजोरी को उसने स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था। चीन के साथ समझौता करके उत्तर में कश्मीर का लगभग 300 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दे दिया और उसे अपना पक्का मित्र बना लिया। इसी दौरान अमेरिका से भी सैनिक सहायता प्राप्त कर ली।

कच्छ के क्षेत्र को लेकर 1965 में पाकिस्तान ने एक नया सीमा-विवाद पैदा कर दिया और इसकी आड़ में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात् कच्छ के क्षेत्र पर भी एक आक्रमण कर दिया। इस प्रकार इस युद्ध का श्रीगणेश 1 सितम्बर, 1965 में छम्बजोरिया क्षेत्र पर टैंकों एवं तोपों से पाकिस्तान ने कर दिया।

अब हम भारत-पाक युद्ध 1965 के प्रमुख कारणों का उल्लेख विस्तृत रूप में करते हैं जो इस प्रकार से हैं—

(1) कश्मीर की समस्या।
(2) कच्छ की समस्या।
(3) भारत-चीन युद्ध (1962)।
(4) पाकिस्तान में अयूब खां का शासन।
(5) मौके की तलाश।
(6) पाकिस्तान-चीन मैत्री।
(7) पाक-अमरीकी गठजोड़।
(8) आपसी मतभेद।
(9) पाक का नापाक इरादा।
(10) अमरीका का इशारा।

1. **कश्मीर की समस्या (Kashmir Problems)**—पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपने दावे को बरकरार रखा जबकि यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) के अधीन था। पाकिस्तान ने 1962 के भारत-चीन युद्ध में यह देखा कि भारत की सैनिक शक्ति कमज़ोर है। अत: ऐसे उपयुक्त समय में आक्रमण करना लाभकारी रहेगा। यही सोचकर पहले तो उसने अपने घुसपैठियों द्वारा वहां के मुसलमानों को अपने पक्ष में करना चाहा। जब इसमें सफल नहीं हुआ, तो आक्रमण की खुलकर स्थिति में आ गया। इस प्रकार इस युद्ध का प्रमुख कारण यह भी था, कि कश्मीर को पाकिस्तान सदैव से हथियाना चाहता रहा है।

2. **कच्छ की समस्या (Problems of Kachchha)**—पाकिस्तान ने 1965 में कच्छ के प्रश्न को लेकर नया सीमा विवाद खड़ा कर दिया जोकि भारत के गुजरात राज्य का अभिन्न भाग है। स्वतन्त्रता के पूर्व कच्छ एक देशी रियासत थी और कच्छ का दलदल इसी रियासत के अधीन था। सन् 1965 में पाक ने 1909 के 'इम्पीरियल गजेटियर' के आधार पर यह तथ्य प्रस्तुत किया कि यह क्षेत्र वास्तविक आन्तरिक समुद्र (Inland Sea) है। पाकिस्तान ने कच्छ के दलदल को आन्तरिक समुद्र मान कर अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अधीन 24 अंश उत्तरी अक्षांश के उत्तर में 3500 वर्गमील भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया। इस प्रकार यह समस्या भी इस युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण बनी।

3. **भारत-चीन युद्ध, 1962 (Indo-China War 1962)**—1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत को असफलता का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत सैनिक दृष्टिकोण से काफ़ी कमज़ोर था। भारत-चीन संघर्ष के समय पाकिस्तान में लोकतन्त्र के स्थान पर तानाशाही का शासन था, जिसकी बागडोर जनरल अयूब खां ने संभाल रखी थी। जनरल अयूब खां ने इस कमज़ोरी का लाभ उठाने के लिए युद्ध का सर्वोच्च मौका तलाशा और 1965 में आक्रमण कर दिया जोकि इस युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

4. **पाकिस्तान में अयूब खां का शासन (Government of Ayoob Khan in Pakistan)**—जनरल अयूब ख़ां ने अपनी तानाशाही एवं शासन को सुरक्षित बनाये रखने के लिए भारत पर आक्रमण करके पाकिस्तान की जनता का ध्यान दूसरी ओर बदलना चाहा और इस स्थिति के लिए इस समय भारत पर आक्रमण करने का उचित अवसर था। अयूब खां ने भारत पर कश्मीर और कच्छ की सीमा को हड़पने का आरोप लगाकर अपनी सैनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी। इस प्रकार पाकिस्तान में तानाशाह जनरल आयूब खां का शासन भी इस युद्ध का एक विशेष कारण था।

5. **मौके की तलाश (Search of Time)**—पाकिस्तान का जन्म ही बदले एवं घृणा की भावना से हुआ था। वह सदैव से ही भारत से अपने को मज़बूत बनाये रखने के प्रयास में रहा है और हमेशा से इस मौके की तलाश में रहा है कि उसे जब भी भारत की स्थिति कमज़ोर नज़र आये तो तुरन्त ही अपनी कार्यवाही कर देनी चाहिए। 1965 का ऐसा समय था, जिस समय भारत-चीन युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सैनिक शक्ति की कमर टूट चुकी थी। इसी अवसर की तलाश में लगा पाकिस्तान भला क्यों चूकने वाला था और आखिर आक्रमण कर ही दिया।

6. **पाकिस्तान एवं चीन मैत्री (Pakistan and China Alliance)**—पाकिस्तान ने साम्यवादी चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मई, 1962 में कराकोरम के उत्तर में कश्मीर का लगभग 300 वर्गमील क्षेत्र चीन सरकार को सौंप दिया। इस प्रकार पाकिस्तान एवं चीन की मित्रता तेज़ी के साथ बढ़ी और पाकिस्तान ने भारत के साथ कूटियोजना के आधार पर भारत के साथ युद्ध करने की नवीन योजना बना डाली और इसके परिणामस्वरूप 1965 में भारत-पाक युद्ध हुआ।

7. पाक-अमरीकी गठजोड़ (American-Pak Alliance)—विश्व की बड़ी शक्तियां सदैव से यह नहीं चाहतीं कि भारत एक महान् शक्ति के रूप में उभरकर सामने आये। भारतीय विकास का क्रम तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, जो उन्हें कब सहन होने वाला था। इस समय अमरीका ने पाकिस्तान को अनेक प्रकार के हथियार उपहारस्वरूप तथा कुछ हथियार अत्यन्त आसान किस्तों पर दे दिये, जिसके कारण पाकिस्तान ने अपने को शक्तिशाली मानकर बड़ी शक्तियों की कठपुतली बनकर भारत पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका एशिया महाद्वीप में गुटबाजी बनाये रखकर अपनी स्थिति को सदैव सुदृढ़ रखना चाहता है।

8. आपसी मतभेद (Mutual Misunderstanding)—भारत एवं पाकिस्तान के मध्य आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गये थे, क्योंकि भारत-पाक का बंटवारा ही घृणा एवं द्वेष की भावना से हुआ था। कश्मीर के प्रश्न को लेकर लगातार मतभेद रहे। इसी कारण अमरीका से सैनिक सहायता प्राप्त करना, चीन को कश्मीर का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सौंपना, कूटनीतिक चालें चलना, झूठे आरोप लगाना, कच्छ के क्षेत्र को आन्तरिक समुद्र क्षेत्र घोषित करना तथा घुसपैठियों को भेजना आदि ऐसे प्रश्न थे, जिसमें राष्ट्रों के मध्य मतभेद बहुत अधिक बढ़ गये थे। इन्हीं मतभेदों के कारण इस युद्ध का जन्म हुआ।

9. पाक का नापाक इरादा (Wrong intention of Pakistan)—इस युद्ध का एक प्रमुख कारण यह भी था कि पाकिस्तान ने अपने अपवित्र इरादे का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान समझता था कि इस समय भारत की स्थिति ऐसी है, कि वह आक्रमण का सामना नहीं कर सकेगा और कश्मीर एवं कच्छ के क्षेत्र को ऐसे समय में सुविधा के साथ हथिआया जा सकता है। इन्हीं नापाक इरादों के कारण ही उसने जहां अमरीका से सैनिक सहायता प्राप्त की, वहां चीन के साथ भी 300 वर्गमील भूमि देकर सहानुभूति प्राप्त की। इस प्रकार पाक का नापाक इरादा इस युद्ध का कारण बना।

10. अमरीका का इशारा (Indication of America)—अमेरिका ने पाकिस्तान को कठपुतली बनाये रखने के लिए एक कूटनीतिक चाल चली थी, क्योंकि एशिया महाद्वीप पर सोवियत संघ के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए यही एक सर्वोत्तम साधन था। साम्यवाद पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाकर ही अमेरिका ने अपना इशारा करके पाक को इस आक्रमण के लिए उकसाया और अन्ततः 1965 का युद्ध भारत की झोली में डाल दिया गया, जिसका बोझ भारत को मजबूरी वश उठाना ही पड़ा। अमेरिका सोवियत संघ के निकट रहकर ही अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सदैव से प्रयत्नशील रहता रहा है। यही कारण है कि लम्बे समय से और बहुत बड़ी तादाद में आर्थिक एवं सैनिक सहायता अपने सहयोगियों को देता रहा है।

इस प्रकार उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण कारणों ने ही भारत-पाक युद्ध 1965 को जन्म दिया।

युद्ध का घटनाक्रम
(Events of War)
स्थल सेना की कार्यवाही
(Army Operation)

पाकिस्तान के घुसपैठिए जब सफल न हुए तो तंग आकर 1 सितम्बर, 1965 को छम्बजोरिया क्षेत्र पर टैंकों और तोपों से सशस्त्र आक्रमण कर दिया ताकि जम्मू स्थित भारतीय सेना को घेरा जा सके। अपने इस 'ग्राण्ड सलाम आपरेशन' द्वारा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को अपने कब्जे में करना था, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता तो ज़रूर मिल गयी।

5 सितम्बर को पाक सेनाएं जोरिया तक पहुंच गईं और अखनूर की ओर आगे बढ़ रही थीं। परन्तु पाकिस्तान के इस इरादे को विफल करने में भारतीय सेना ने छम्ब क्षेत्र को शत्रु के दबाव से मुक्त करने के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाईं।

6 सितम्बर, 1965 को भारतीय सेनाओं ने लाहौर से पंजाब की ओर 11वीं कोर को लेफ्टी० जनरल जोगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में तैनात किया। छम्ब क्षेत्र में 6वीं सिक्ख लाइट इनफैण्ट्री तथा 15वीं कुमायूं बटालियन लगा दी। प्रथम कोर का नेतृत्व लेफ्टी० जनरल हरबक्श सिंह कर रहे थे जिसे लाहौर और स्यालकोट की ओर आगे बढ़ना था।

7 सितम्बर को पाकिस्तान सेना ने लाहौर क्षेत्र में भारी टैंकों के द्वारा आक्रमण कर दिया। **8 सितम्बर** को भारतीय

सेना ने शत्रु सेना को तीन डिविज़नों को स्यालकोट में घेरने तथा दूसरा मोर्चा खोलने में सफलता प्राप्त कर ली। भारतीय सेना की पहली तथा छठी कवचित और 8वीं तथा 11वीं पैदल सेना के डिविज़न अमृतसर तथा फिरोज़पुर से आने वाले थे और इन्हें इच्छोगिल नहर के निकट तक पहुंचने का अवसर मिल गया और डेरा बाबा नानक क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। 15वां भारतीय डिविज़न इच्छोगिल नहर पार करने में भी सफल रहा, परन्तु इसी समय पाकिस्तान सेना के वायु आक्रमण ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और बचे सैनिकों को वापस लौटना पड़ा।

12 सितम्बर बरकी के निकट भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों का कड़ा सामना किया और चतुर्थ सिक्ख बटालियन ने लाहौर से केवल दस मील दूर एक भयंकर युद्ध में सफलता प्राप्त की। 21 सितम्बर को तीसरी जाट बटालियन ने डोगराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। स्यालकोट क्षेत्र में भी ज़ोरदार भिड़न्त हुई जिससे लेफ्टीनेण्ट कर्नल तारापोर को वीरगति मिली।

भारतीय सेना का प्रसिद्ध चौथा पर्वतीय डिविज़न 7 सितम्बर को पाकिस्तानी टैंकों की चपेट में फंस गया, जिसके बचाव के लिए 9 सितम्बर को द्वितीय कवचित ब्रिगेड ब्रिगेडियर थंगराज के नेतृत्व में आया। इसमें ग्रेनेडियरर्स के हवलदार अब्दुल हमीद ने अकेले ही अपने साहस का प्रदर्शन करके अपनी तोप से अनेक टैंकों को ध्वस्त कर दिया और अन्ततः वीरगति को यह भी प्राप्त हुआ। इस ब्रिगेड की छुपी हुई मार के कारण पाकिस्तानी टैंक सेना भाग खड़ी हुई और इस प्रकार खेमकरण का मोर्चा भारतीय सैनिकों ने जीत लिया।

वायु सेना की कार्यवाही

(Air Force Operation)

भारतीय वायु सेना ने एयर मार्शल अर्जुन सिंह के कुशल नेतृत्व में इस आक्रमण में स्थल एवं नौ सेना को सक्रिय सहयोग प्रदान किया। छम्ब एवं जोरिया के इलाके में हमारी वायु सेना ने तुरन्त ही 28 लड़ाकू विमानों को चार-चार के समूहों में भेजा और इन्होंने सात आक्रमण करके पाकिस्तानी सेना के 14 पेंटन टैंक, अनेक मोटर गाड़ियों और तोपों को अपना लक्ष्य बनाया और अगले दो दिन में ही भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध वायु-प्रभुत्व स्थापित कर लिया और युद्ध की समाप्ति तक इसे बनाये रखा। इस दौरान सरगोधा तथा दाबिना राडार केन्द्रों को नष्ट कर दिया तथा पेशावर, कोहट, झूमरा, रिसलवाड़ा तथा अकवाल आदि स्थानों पर हवाई आक्रमण किये। इसके साथ ही पाकिस्तान के सरगोधा तथा चकलाका हवाई अड्डों को भी ध्वस्त कर दिया।

इस प्रकार भारतीय वायुसेना ने अपनी कार्यवाही करके केवल पाकिस्तान को ही नहीं अपितु समस्त संसार को एक बार चकित कर दिया।

नौ सैनिक कार्यवाही

(Navy Operation)

भारतीय नौ सेना (Indian Navy) ने भी इस युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। पाकिस्तान की प्रसिद्ध पनडुब्बी 'गाजी' अरब सागर में भारतीय समुद्र तट के निकट आक्रमण स्थिति में लगी रही, परन्तु इसको किसी भी हालत में कोई सफलता नहीं मिली। 'गाजी' तथा भारतीय जलपोत 'कुठार' के साथ दो मुठभेड़ें हुईं जिसमें दूसरी मुठभेड़ में 'गाजी' पनडुब्बी को काफ़ी हानि उठानी पड़ी और वापस कराची की ओर भाग गयी। भारतीय नौ सैनिक गश्ती जलपोत सभी विदेशी जलयानों को भारतीय समुद्री तट से 12 मील दूर ही रोक कर सन्तुष्ट होने पर ही प्रवेश होने की अनुमति देते थे। इस प्रकार नौ सेना ने अपनी समुद्री सीमा की पूरी तरह से चौकसी रखकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

इस प्रकार 23 सितम्बर, 1965 को युद्ध विराम के पश्चात् भारतीय सेना ने पाकिस्तान की लगभग 700 वर्गमील भूमि अधिकार में कर ली थी, जबकि बदले में पाकिस्तान के पास लगभग 190 वर्गमील भारतीय भूमि कब्ज़े में आ गयी। इसके साथ ही राजस्थान से लगे पाक क्षेत्र की 630 चौकियां भी अधिकार में आ गयीं, जबकि पाक के हाथ केवल 230 चौकियां लगी थीं।

6. भारत-पाक युद्ध—1971

1965 के भारत-पाक युद्ध को अभी पांच वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि वर्ष 1971 में पाकिस्तान ने पुन: आक्रमण कर दिया और कश्मीर पर बलात् कब्ज़ा करने का ज़ोरदार प्रयास किया। इस युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई के साथ-साथ पूर्वी मोर्चे पर भी संघर्ष हुआ। इस अभियान में पाकिस्तान को पूरी तरह से पराजित होना पड़ा और उसे अपमानित होकर घुटने टेकने पड़े और उसके दो टुकड़े हो गये और बंगला देश का उदय हुआ। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डालने पड़े।

पाकिस्तान जो कभी भारत का अंग था, स्वतन्त्रता के पश्चात् जब दोनों देशों का बंटवारा केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं अपितु इसके पूर्व मानसिक रूप से अधिक कर दिया गया था। यही कारण है कि एशिया महाद्वीप में यह दोनों देश एक-दूसरे के सदैव से शंकालु रहे हैं। पाकिस्तान में प्रजातन्त्र चन्द दिनों तक रहा है और अधिकांश समय तानाशाही झण्डे के तले गुज़रा है। इस कारण यहां के शासक सदैव मजबूरी एवं स्वार्थ के कारण इस देश की जनता को युद्ध में धकेलने का प्रयास करते रहे हैं ताकि अपनी शासन की बागडोर हाथ में बनी रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान ने युद्ध को अपनी अनेक समस्याओं का समाधान मानकर ही 1948 और 1965 के युद्ध के बाद पुन: इस युद्ध (1971) के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी।

पाकिस्तान ने अपनी पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा के मध्य 7600 किलोमीटर की दूरी को भौगोलिक स्थिति में अन्तर के बावजूद धर्म (इस्लाम) के नाम से जोड़ रखा था और इसी धर्म की आड़ से पूर्वी पाकिस्तान (बंगला देश) का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक शोषण एक लम्बी अवधि से करता रहा। इसके साथ ही बंगला देश के बंगाली मुसलमान नागरिकों को राष्ट्रीय निर्णयों में मताधिकार भी नहीं था। यही कारण था कि पूर्वी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों द्वारा इसका लगातार शोषण किया जाता रहा जोकि अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। आखिर मजबूर होकर बंगाली मुसलमानों ने विद्रोह का बीड़ा उठा लिया।

इसी समय संयोगवश आम चुनाव हुआ और बंगला देश के मुसलमानों ने शेख मुजीब उर्रहमान को अपना प्रतिनिधि चुना परन्तु पाकिस्तानी शासक जनरल याहिया खां ने शेख मुजीब को प्रतिनिधित्व नहीं दिया और लम्बी वार्ता का नाटक करके 25 मार्च, 1971 को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान में जनता को भी परिसीमाओं से जकड़ दिया गया। इस प्रकार की घटना ने लम्बी अवधि से चले आ रहे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दिया। फलत: 1971 का भारत-पाक युद्ध सैन्य इतिहास की घटना में आ गया।

अब हम इस युद्ध के प्रमुख कारणों का सविस्तार से उल्लेख करते हैं जो इस प्रकार से हैं—

(1) पूर्वी पाकिस्तान का शोषण
(2) पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान में मतभेद
(3) पाकिस्तान में याहिया खां का शासन याहिया
(4) दोषपूर्ण धर्म नीति
(5) पाकिस्तान में आम चुनाव
(6) भारत में शरणार्थियों की बढ़ती संख्या
(7) मानवता पर अत्याचार
(8) भारतीय हवाई जहाज़ का अपहरण
(9) मुक्तिवाहिनी सेना का उदय
(10) पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व शेख मुजीब के हाथ

1. पूर्वी पाकिस्तान का शोषण—इस युद्ध का प्रमुख एवं पहला कारण पाकिस्तान की सरकार ने प्रारम्भ से ही पूर्वी पाकिस्तान का धर्म के नाम पर निरन्तर शोषण करना आरम्भ कर दिया था। सन् 1961 की पाकिस्तान की आधारिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान (बंगला देश) के नागरिकों की वार्षिक आय प्रति व्यक्ति केवल 89 रुपये और पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिकों की वार्षिक आय प्रति व्यक्ति 178 रुपये थी। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को सशस्त्र सेनाओं, केन्द्रीय सेवाओं, विकास कार्यों, उद्योगों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत आरक्षण तथा शेष 10 प्रतिशत में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में छ: करोड़ मुसलमान तथा बंगला देश में सात करोड़ मुसलमान रहते थे। इस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान ने सदा से ही पूर्वी पाकिस्तान का शोषण किया। आखिर इसकी चरम सीमा युद्ध का कारण बनी।

2. पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान में मतभेद—पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य अत्यधिक गहरे मतभेद हो गये थे, *क्योंकि हर क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का बहुत अधिक शोषण किया गया था। सन् 1960-70* के आंकड़ों के आधार पर इन दोनों का मतभेद स्पष्ट रूप से पता चल जाता है।

स्थिति	पश्चिमी पाकिस्तान	पूर्वी पाकिस्तान
सशस्त्र सेना में	90%	10%
केन्द्रीय सेवाओं में	85%	15%
विकास कार्यों में	60%	40%
विदेशी प्राप्त सहायता का कुल व्यय	80%	20%

इस प्रकार दोनों के मध्य भेद-भाव बहुत अधिक बढ़ गया था। परिणामस्वरूप दोनों अंगों में असमानता की खाई दिन-प्रति दिन बढ़ती चली गई और अन्ततः एक-दूसरे के घोर विरोधी हो गए और युद्ध का एक कारण प्रमाणित हुआ।

3. पाकिस्तान में याहिया खां का शासन—25 मार्च, 1969 को अयूब खां के स्थान पर याहिया खां पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। उन्होंने 28 नवम्बर, 1969 में घोषणा की कि पाकिस्तान में अक्तूबर, 1970 तक प्रजातान्त्रिक चुनाव करा दिये जायेंगे और चुनाव भी दिसम्बर, 1970 में हो गये, जिसे शेख मुज़ीब के हाथों सत्ता जाती नज़र आई तो *याहिया खां ने बंगला देश एवं आवामी पार्टी पर अपनी सत्ता का शिकंजा जकड़ा* जिसके कारण एक बार बंगाल में क्रान्ति सी आ गई और पूर्वी पाकिस्तान अपने अधिकार के लिए संघर्ष पर उतर आया। इस प्रकार याहिया खां की तानाशाही नीति ने इस युद्ध को जन्म दिया।

4. दोषपूर्ण धर्म नीति—पाकिस्तान की स्थापना जिन्नाह ने जिस इस्लाम धर्म की दुहाई देकर की थी वह प्रारम्भिक वर्षों में ही एक ढकोसला प्रमाणित होने लगा। पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों को इस्लाम धर्म के आधार पर भी कभी गले मिलकर ईद नहीं मना सके थे क्योंकि दोषपूर्ण धर्म नीति के कारण दोनों क्षेत्रों की जहां भौगोलिक दूरी थी, वहां मानसिक दूरी और भी कहीं अधिक थी। कट्टरपंथी धर्म नीति के कारण ही बंगाली मुसलमान विद्रोह के लिए मजबूर हो गये और अन्ततः इस युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना।

5. *पाकिस्तान में आम चुनाव*—*पाकिस्तान में दिसम्बर, 1970 में आम चुनाव सम्पन्न हुए। इस चुनाव में शेख* मुजीब ने अपने छः सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनाव अभियान आरम्भ किया और राष्ट्रीय विधान सभा की 300 सीटों में से 160 सीटों में सफलता हासिल कर ली। चुनाव में दूसरा स्थान जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी को मिला। जब याहिया खां ने देखा कि सत्ता की बागडोर आवामी पार्टी के शेख मुजीब के हाथों में जा रही है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान का निवासी है तो उसने षड्यन्त्र करना आरम्भ कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर बंगला देश की जनता पर सेना का आक्रमण कर दिया, जो कि इस युद्ध का कारण बना।

6. भारत में शरणार्थियों की बढ़ती संख्या—पश्चिमी पाकिस्तान की सेना एवं शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान की निरीह जनता पर कहर ढाना शुरू कर दिया जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान (बंगला देश) के लोग देश छोड़कर भागने लगे जिसके परिणामस्वरूप भारत में *शरणार्थियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। अक्तूबर, 1971 तक भारत में* पहुंचने वाले शरणार्थियों की संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंच चुकी थी जिसने भारत के अर्थतन्त्र को अस्त-व्यस्त कर दिया था। इस मानव आक्रमण से अपने को मुक्त करना और शरणार्थियों को सम्मान से उनके घरों में वापस भेजना भारत की *एक विकट समस्या थी। आखिर* 3 दिसम्बर,1971 के दिन इस युद्ध का आरम्भ हो गया।

7. मानवता पर अत्याचार—मार्च, 1971 के अन्त में बंगला देश की क्रान्ति को कुचलने के लिए लेफ्टीनैण्ट जनरल टिक्का खां ने बंगालियों को कन्ट्रोल में करने के लिए 25 मार्च को रात्रि 11 बजे अचानक मशीनगनों, तोपों एवं टैंकों से आक्रमण करके वहां की जनता पर कहर ढा दिया। इसमें लगभग 50,000 लोग मौत के मुंह में समा गये। इस भयानक एवं भीषण नर संहार में मुख्य रूप से हिन्दू एवं बुद्धिजीवी बंगाली मुसलमान मारे गये। मानवता के इस अत्याचार को भारत बर्दाशत न कर सका और उसने इसका बड़ा विरोध किया और भारतीय नेता जय प्रकाश नारायण ने इनकी सहायता के लिए संसार के अनेक देशों को हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया। आखिर भारत ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया और युद्ध का कारण बना।

8. भारतीय हवाई जहाज़ का अपहरण—फरवरी, *1971 में पाकिस्तानी शासकों एवं जुल्फिकार अली भुट्टो ने* मिलकर फोकर फ्रेण्डशिप नामक हवाई जहाज़ का अपहरण श्रीनगर से करके लाहौर ले गये और वहां यात्रियों को

छोड़कर वायुयान को हवाई अड्डे पर आग लगाकर स्वाहा कर दिया और खुशी के रूप में एक उत्सव का भी आयोजन किया गया जिसमें भुट्टो महोदय भी शामिल हुए। इसका दृश्य आम जनता को दूरदर्शन (T.V.) के द्वारा दिखाया गया, जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान के वायुयानों को भारतीय वायु सीमा में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और भारत के विरुद्ध लामबन्दी शुरू कर दी। परिणाम इस युद्ध के रूप में सामने आया।

9. मुक्तिवाहिनी सेना का उदय—भयानक एवं भीषण अत्याचार के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में आक्रोश भर गया और इस अपमान एवं शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए एक स्वयं सेवी सेना के रूप में मुक्तिवाहिनी सेना का गठन किया गया। 25 मार्च, 1971 के पश्चात् कर्नल उस्मानी के नेतृत्व में पाकिस्तानियों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के लिए 'मुक्तिवाहिनी' के नाम से संगठित हो गये और यह सेना विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने लगी। इस प्रकार लगभग एक लाख बंगाली नागरिक तथा कर्मचारी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष में खुलकर मैदान में आ गए। मुक्तिवाहिनी सेना ने इस अभियान को समाप्त करने के लिए हर संभव कदम उठाये ताकि पश्चिमी पाकिस्तान घुटने टेकने के लिए मज़बूर हो जाये। सितम्बर, 1971 तक मुक्तिवाहिनी ने लगभग 25,000 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।

10. पूर्वी पकिस्तान का प्रतिनिधित्व शेख मुज़ीब के हाथ—आम चुनाव में आवामी लीग के नेता शेख मुजीब उर्रहमान ने अपने छः सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर बहुमत प्राप्त किया। शेख मुजीब एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक था। उस पर जनरल याहिया खां ने ज्यादा ज्यादती की, जिस कारण जन आन्दोलन ने शेख मुज़ीब का साथ दिया। उसने पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी नीति के विरुद्ध लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाये। आखिरकार अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रतिभा के द्वारा सैनिक एवं नागरिकों को इस अभियान के विरुद्ध उकसाया और अन्तोगत्वा बंगला देश के रूप में एक नये देश का जन्म हुआ और इसे युद्ध का एक महत्त्वपूर्ण कारण प्रमाणित हुआ।

इस प्रकार उपर्युक्त मुख्य कारणों ने भारत-पाक 1971 के युद्ध को जन्म दिया। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान का इतना अधिक शोषण किया था कि वे क्रान्ति के पथ की ओर बढ़ने के लिए मज़बूर हो गये थे। धर्म एवं जाति के नाम पर लोगों को एक सीमित समय तक ही गुमराह किया जा सकता है, परन्तु इसका भविष्य अच्छा नहीं होता, जैसा कि पाकिस्तान का हुआ। स्वयं ही पाकिस्तान ने बंगला देश को जन्म दिया। किसी की दूसरी शक्ति के बल पर किसी भी देश या राष्ट्र के साथ अत्याचार कभी भी टिकाऊ नहीं हो पाता। आखिर मुक्तिवाहिनी सेना, स्थानीय सेना, जनता के सहयोग आदि तत्त्वों ने एक नये राष्ट्र को जन्म दिया।

युद्ध का वास्तविक घटनाक्रम
(Main Events of War)

1971 ई० के युद्ध में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपनी राजनयिक (Diplomatic) तथा सामरिक चालें चलीं, वह उसके पूर्व ही भारतीय सेनानायकों द्वारा पूरी तरह से विफल कर दी गईं उसके इरादे प्रत्येक मोर्चे पर बुरी तरह से फेल हो चुके थे। अब इस युद्ध की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करना भी आवश्यक है।

भारत-पाक युद्ध भारत के ऊपर स्वयं पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती से थोपा गया या लागू किया गया युद्ध था। पाकिस्तान ने इस प्रकार के हालात उत्पन्न कर दिये थे कि युद्ध एवं विद्रोह होना आवश्यक सा हो गया था। यही कारण था कि बंगला देश के रूप में एक नवीन राष्ट्र का जन्मदाता स्वयं पाकिस्तान था। अब हम इस युद्ध की राजनयिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं—

राजनयिक घटनाक्रम
(Diplomatic Events)

(1) 25 मार्च, 1971 को याहिया खां ने शेख मुजीबुर्रहमान को बन्दी बनाकर पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया और टिक्का खां को आदेश दिया कि इन बंगाली मुसलमानों को सीधा कर दो।

(2) 25 से 30 मार्च तक पूर्वी पाकिस्तान में नृशंस हत्याओं, बलात्कारों और लूटपाट का महाताण्डव बना रहा।

(3) 31 मार्च, 1971 को भारतीय संसद् ने सरकार से एकमत होकर मांग की कि पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय मूल्यों की सुरक्षा की जाए।

(4) 3 अप्रैल, 1971 को सोवियत रूस के राष्ट्रपति श्री पोदगोर्नी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खां को सचेत किया, कि पूर्वी पाकिस्तान के नर संहार को रोका जाए।

(5) 4 अप्रैल, 1971 को चीन ने रूस के जवाब में भारत को चेतावनी दी कि यदि भारत ने पाक पर आक्रमण किया, तो चीन खुलकर पाकिस्तान को सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा।

(6) भारत में स्थित अमरीकी राजदूत जॉन कीटिङ्ग ने बम्बई में कहा कि बंगला देश का मामला अब आन्तरिक मामला नहीं रहा। इसी कारण समस्त संसार में खलबली-सी मच गई है।

(7) भारतीय नेता जय प्रकाश नारायण ने मुक्तिवाहिनी सेना को सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया तथा भारत सरकार पर बहुत दबाव डाले जाने लगे।

(8) पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खां ने बंगला देश में स्थित 30 विदेशी पत्रकारों को वहां से निकाल दिया, जिस कारण बंगला देश में हो रही बर्बरतापूर्वक नरसंहार की समस्या संसार के सामने खुलकर आ गई।

(9) स्वतन्त्र बंगला देश की प्रथम घोषणा 10 अप्रैल, 1971 को की गई, जिसमें कहा गया कि 26 मार्च, 1971 से बंगला स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया है। 'बंग-वाणी' रेडियो स्टेशन की गुप्त स्थान पर स्थापना की गई।

(10) जन-नायक जय प्रकाश नारायण ने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अनेक राष्ट्रों की यात्रा की तथा बंगला देश के लिए जनमत तैयार किया।

(11) पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया खां ने बंगला देश की स्थिति पर नियन्त्रण पा लेने की भ्रामक घोषणा प्रसारित की।

भारत ने पाकिस्तान को एक पत्र लिखकर सचेत किया तथा शरणार्थियों पर होने वाले व्यय का भुगतान करने के लिए भी लिखा।

(12) 24 मई, 1971 को भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने संसद् में कहा कि—"हम लोग जानते हैं कि बंगला देश की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता। जो लोग शक्ति रखते हैं उन्हें राजनीतिक हल सामने लाना चाहिए। भारत की धरती पर आये ये शरणार्थी यहां पर अस्थायी रूप से हैं, उन्हें अपने घरों को वापस जाना होगा और यह तभी संभव होगा जब इस्लामाबाद शेख मुजीब और उनकी पार्टी आवामी लीग अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता सौंप दे।"

(13) जून, 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याहिया ने भारत को धमकी दी, कि इस मामले में भारत हस्तक्षेप न करे।

(14) जुलाई 1971 तक भारत में निरन्तर शरणार्थियों की संख्या बढ़ती गई, जो कि विशेष चिन्ता का विषय बन गया था।

(15) पाकिस्तान ने हालात से निपटने के लिए अमरीका एवं चीन के साथ गुप्त समझौता करके पाक-चीन एवं अमरीकी गठजोड़ करके एक नई रणनीति तैयार की।

(16) 9 अगस्त, 1971 को भारत-रूस मैत्री समझौते की घोषणा हुई तथा दोनों देशों ने एक-दूसरे पर आक्रमण होने पर परामर्श एवं सहायता करने का निश्चय किया।

(17) 15 अगस्त, 1971 को भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने लाल किले से बोलते हुए कहा कि—"**हम लड़ाई नहीं चाहते। हम धमकियां भी नहीं देते। लेकिन भारत हर संकट का सामना करने के लिए तैयार है।**"

(18) सितम्बर, 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खां ने भारत-पाक सीमा पर सैनिक गतिविधियां आरम्भ कर दीं। भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने इसका विरोध किया और इस सम्बन्ध में रूस एवं पश्चिमी देशों की यात्रा की।

(19) 2 दिसम्बर को श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने घोषणा की—"**भारत अब बदल चुका है और अब वह गुलामों का देश नहीं है। आज हम वहीं करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए सर्वोत्तम होगा और वह नहीं करेंगे जो ये बड़े राष्ट्र चाहते हैं कि हम करें।**"

(20) 3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत ने इसकी जवाबी कार्यवाही आरम्भ कर दी। अन्ततः 6 दिसम्बर को भारत ने बंगला देश को मान्यता प्रदान कर दी।

7. कारगिल का युद्ध

इस प्रकार इस युद्ध ने हमारी रक्षा व्यवस्था को एक बार आर्थिक संकट में लाकर खड़ा कर दिया और निरन्तर चौकस रहने के लिए सबक दिया।

भारत और पाकिस्तान के बीच 26 मई, 1999 को नियन्त्रण रेखा से सटे कारगिल क्षेत्र में एक बार फिर ज़ोरदार संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय सीमा से सटे कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने एक सुनियोजित षड्यन्त्र के तहत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को प्रवेश कराया, किन्तु भारतीय सेना ने 'आप्रेशन विजय' के तहत पाकिस्तानी सेना के इरादों को पूर्ण विफल कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में जो घुसपैठ की उसके निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे—

(1) भारतीय ज़मीन पर कब्ज़ा करके नियन्त्रण रेखा में बदलाव करना चाहता था। चूंकि यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील था।

(2) पाकिस्तान ने द्रास तथा बटालिक के ऊंचे पर्वत शिखरों पर अपने घुसपैठिये बिठाये जहां से वह लेह श्रीनगर मार्ग को नियन्त्रण कर सकते थे, भारतीय सेनाओं का आवागमन रोक सकते थे और इस पर कब्ज़ा कर लेह को भारतीय सम्पर्क से अलग कर सकते थे।

(3) दस हज़ार फीट से अधिक ऊंचे क्षेत्र पर अपना कब्ज़ा करके पाकिस्तान श्रीनगर से लेह राजमार्ग, जो कि लद्दाख की जीवन रेखा है, उसे अपने अधिकार में करना।

(4) ऊंचे क्षेत्र पर अधिकार होने के लिए भारतीय सेना उन्हें जल्दी से वापस खदेड़ नहीं सकेगी चूंकि वे नीचे होंगे जहां से ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ना उनके लिए बहुत कठिन कार्य होगा।

(5) ऊंचाई पर होने के कारण घुसपैठियों की रसद और युद्धक साजो सामान की आपूर्ति भी पहाड़ के पीछे से नियमित पाकिस्तान सेना द्वारा जारी रखी जा सकेगी।

(6) यदि यह संघर्ष लम्बे समय तक जारी रहेगा तो इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण होगा और पाकिस्तान कश्मीर मामले को प्रचारित करते रहने में सफल होगा।

(7) इस क्षेत्र पर पाकिस्तान नियन्त्रण करके 'एशिया के काकपिट' यानी सियाचिन ग्लेसियर पर पहुंचने की योजना बना रखी थी। जिससे सामरिक महत्त्व के इस संवेदनशील सियाचिन क्षेत्र की आवश्यक आपूर्ति पर सरलता से अंकुश लगा सके।

(8) पाकिस्तान ने बहुत कम कीमत पर आई० एस० आई० के माध्यम से भारत को सामरिक एवं आर्थिक रूप से निरस्त करने की एक व्यापक योजना के तहत यह कार्यवाही की गयी।

(9) मुजाहिद्दीन के लिए मशकोह घाटी के रास्ते घुसपैठ का नया एवं अधिक सुरक्षित मार्ग ढूंढ निकालना।

(10) पाकिस्तान यदि इन अनाधिकृत क्षेत्रों पर अपना कब्ज़ा कर सका तो शिमला समझौता व्यर्थ हो जायेगा, भारत पर स्थिति का तनाव बढ़ जायेगा और कश्मीर समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण भी हो जायेगा।

सैनिक कार्यवाही (Military Operation)—भारतीय स्थल एवं वायु सेना ने एक संयुक्त अभियान 'आप्रेशन विजय' के तहत कारगिल सैक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। जिससे इस मोर्चे पर पाकिस्तान को एक बार फिर अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा। भारतीय सेना के शौर्य, अदम्य साहस तथा दृढ़ निश्चय ने दुश्मन को कारगिल की दुर्लभ बर्फ़ीली पहाड़ियों से खदेड़ बाहर किया। सैनिक घटनाक्रम संक्षिप्त में इस प्रकार रहा—

द्रास, कारगिल एवं बटालिक में संघर्ष

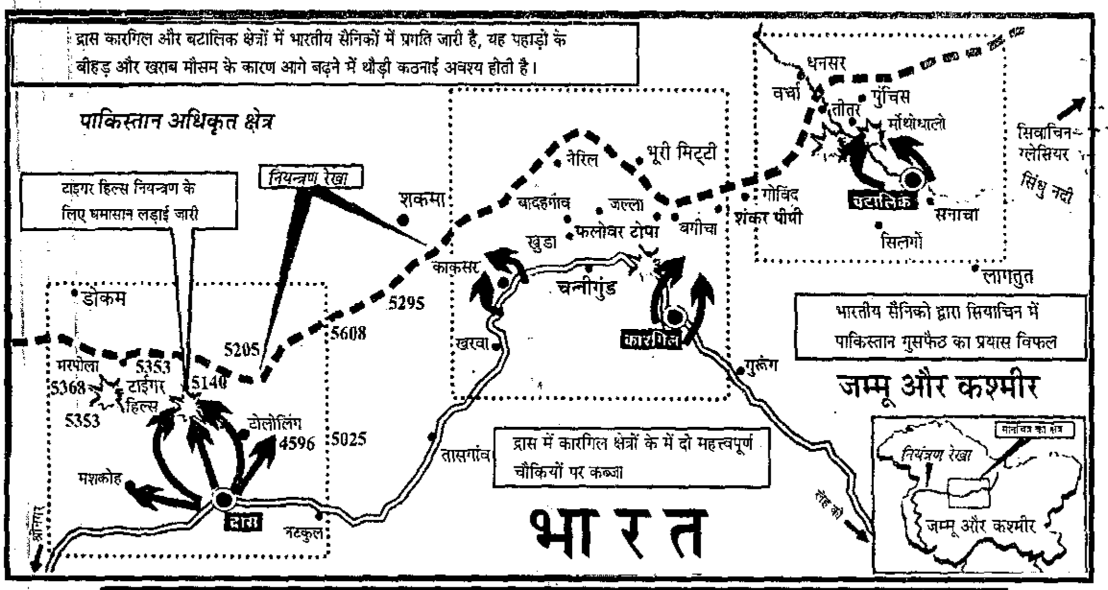

तुर्तुक को घेरने की पाकिस्तानी चाल नाकाम

तुर्तुक और इसके आसपास के इलाके पर कब्जा करने की पाकिस्तानी चाल का पर्दाफाश हो गया, 12 जून को 12 घुसपैठियों और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद पकड़े जाने से पाक की यह योजना सफल न हो सकी, पकड़े गए घुसपैठियों से पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि इस योजना को पाकिस्तान ने चार चरणों में पूरा करने का मंसूबा बनाया था।

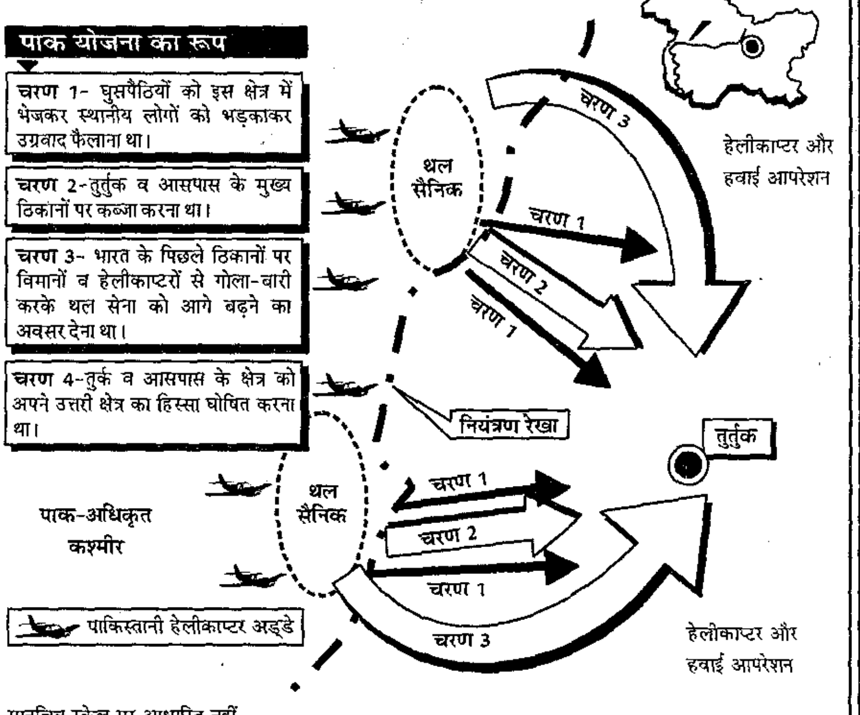

मानचित्र स्केल पर आधारित नहीं

प्रमुख घटनाएं

मई 26—'आप्रेशन विजय' आरम्भ, पाक घुसपैठियों को भगाने के लिए वायु सेना की कार्रवाई।

मई 27—पाकिस्तान ने भारत का मिग गिराया; पायलट बन्दी, एक और लड़ाकू विमान एक्शन के दौरान नष्ट।

मई 28—द्रास के पास पाक सैनिकों ने भारतीय हेलीकाप्टर गिराया। घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमलों में तेज़ी।

मई 29—घुसपैठियों को काफ़ी पीछे खदेड़ा।

मई 30—भारतीय सैनिकों और घुसपैठियों में आमने-सामने की लड़ाई।

जून 03—फ्ला० ले० नचीकेता पाकिस्तान द्वारा रिहा।

जून 04—क्लिंटन ने शरीफ से नियन्त्रण रेखा का आदर करने को कहा।

जून 09—मश्कोह घाटी में मिराज 2000 द्वारा शत्रु के ठिकानों पर बमबारी।

जून 11—कारगिल में पाकिस्तान ने अपनी सेना की मौजूदगी की बात मानी।

जून 13—टोलोलिंग टॉप से घुसपैठिए भागे।

जून 14—भारतीय सैनिकों द्वारा द्रास सेक्टर में दो प्रमुख स्थानों पर फिर से कब्ज़ा।

जून 15—क्लिंटन ने शरीफ से कारगिल से अपनी सेना हटाने को कहा।

जून 17—भारतीय वायु सेना ने मुंथो धालो में घुसपैठियों के प्रमुख रशद डिपो को नष्ट किया।

जून 20—भारतीय सैनिकों को कारगिल में भारी सफलता, टोलोलिंग रिज से घुसपैठियों का सफाया।

जून 21—बटालिक में एक और प्रमुख स्थान पर फिर से कब्ज़ा, 23 पाक सैनिक मारे गए। दो बंकर भी ध्वस्त किए गए।

जून 24—टाइगर हिल पर लेजर-निर्देशित बमों से हमले किए गए।

जून 28—सियाचिन ग्लेसियर में 15 पाक सैनिक मारे गए। सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठ का प्रयास विफल किया।

जून 29—भारतीय सैनिकों का मश्कोह घाटी में दो प्रमुख चौकियों पर फिर से कब्ज़ा।

जून 30—जुबर हिल पर दो प्रमुख स्थानों पर फिर से कब्ज़ा।

जुलाई 01—भारतीय सेना का बटालिक की मुख्य चोटी पर फिर से कब्ज़ा।

जुलाई 04—टाइगर हिल पर पूर्ण नियन्त्रण।

जुलाई 05—सेना हटाने के अमेरिकी दबाव के आगे शरीफ झुके। टाइगर हिल के उत्तर-पश्चिम में एक और प्वाइंट 4875 पर फिर से भारतीय सेना का कब्ज़ा।

जुलाई 06—कारगिल सेक्टर में एक प्रमुख हमले के दौरान 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।

जुलाई 07—जुबर में तीन और चौकियों पर कब्ज़ा। 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।

जुलाई 08—कारगिल मोर्चे पर भारी सफलता। बटालिक में एक चोटी पर कब्ज़ा। भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल पर फिर से कब्ज़े के पाकिस्तानी प्रयास को विफल किया।

जुलाई 09—बटालिक सेक्टर में पूर्ण नियन्त्रण। द्रास में बढ़त जारी, अन्तिम लड़ाई के लिए भारतीय सेना नियन्त्रण रेखा के काफ़ी निकट, पाकिस्तानी ने घुसपैठियों से वापस आने की अपील की।

जुलाई 10—मश्कोह घाटी में घुसपैठियों के ठिकानों पर भारी बमबारी।

जुलाई 11—पाकिस्तान द्वारा सैनिकों की वापसी आरम्भ।

जुलाई 12—पश्चिम मोर्चे पर स्थिति शांत। भारत द्वारा पाक सैनिकों की वापसी की समय सीमा 16 जुलाई तय।

जुलाई 15—भारत ने समय सीमा बढ़ायी। पाक द्वारा बिछाई गयी बारूदी सुरंगों से गुज़र कर भारतीय सैनिक नियन्त्रण रेखा तक पहुंचे।

जुलाई 18—पाक सैनिकों की पूर्ण वापसी।

जुलाई 19—थोड़ी शान्ति के बाद फिर से गोलाबारी।

जुलाई 20—मश्कोह घाटी में ताज़ा मोर्चाबन्दी।

जुलाई 23—पाक द्वारा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। बटालिक क्षेत्र में 25 घुसपैठिए मारे गए।

जुलाई 26—कारगिल में सभी मोर्चों पर शान्ति। बचे हुए घुसपैठियों को खदेड़ा गया। नियन्त्रण रेखा पर फिर गोलाबारी।

जुलाई 27—बटालिक और द्रास सेक्टरों में पाक गोलाबारी से चार भारतीय सैनिक मारे गए। मश्कोह घाटी क्षेत्र में दोनों ओर से गोलाबारी।

कारगिल का युद्ध आखिर समाप्त हुआ। 52 दिन तक चले इस अभियान में भारतीय सेनाओं के 500 से अधिक सैनिक, अधिकारी एवं जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस अभियान में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये व्यय हुआ। जाति, धर्म और सम्प्रदाय के राजनीतिक विभाजन के बावजूद पूरा देश एक राष्ट्र के रूप में उठ खड़ा हुआ और सभी ने एक स्वर से भारतीय सेनाओं के अप्रतिम शौर्य और बलिदान का सम्पूर्ण समर्थन किया। राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति एवं एक जुटता का उद्घोष देश में चारों ओर गूंज उठा। यह युद्ध सब से दुर्गम और कठिन इलाके में लड़ा गया। स्थल सेना एवं वायु सेना की समन्वित कार्यवाही के कठिन परिश्रम से ऊंचे क्षेत्र के इस संघर्ष में भारत को सफलता मिली। आप्रेशन विजय के दौरान भारतीय स्थल सेना को उस समय महत्त्वपूर्ण सफलता मिली, जब 13 जून को उसने महत्त्वपूर्ण तोलोलिंग और प्वाइण्ट 4590 चोटियों पर कब्ज़ा कर किया। इसके बाद 23 जून को प्वाइण्ट 5203 पर अधिकार करके आगे बढ़ते हुए 29 जून को प्वाइण्ट 4700 और ब्लैक रॉक पर पुन: अपना कब्ज़ा जमा लिया।

इसी संघर्ष के दौरान 5 जुलाई को भारतीय जवानों ने अपनी 'टाइगर हिल' चोटी पर अपना ध्वज फहराया जिससे श्रीनगर-लेह राजमार्ग का खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया। 6 जुलाई को जुबार पहाड़ी पर भी अधिकार कर लिया। अंतत: 26 जुलाई, 1999 को सेना की 15वीं कोर के सेनानायक लेफ्टी० जनरल कृष्णपाल ने सम्पूर्ण कारगिल को पाकिस्तान सैनिकों से मुक्त घोषित कर दिया। अपने शौर्य एवं बलिदान से भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर नया इतिहास रचा। उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ, उदण्डता और आतंकवाद को उसके नंगे स्वरूप में प्रदर्शित कर दिया इस प्रकार भारतीय रक्षा व्यवस्था को एक और नयी चुनौती का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान पर जन्म से ही कश्मीर हड़पने की सनक सवार रही है। इस संघर्ष के माध्यम से उसका इरादा 1971 की करारी हार तथा देश के विभाजन का बदला चुकाना चाहता था। वहां की राजनीतिक पार्टियों के लिए कश्मीर एक विशेष मुद्दा रहा है। इस्लामी कट्टरपंथियों के ऐसे 14 संगठन हैं जिनके मुजाहिद्दीन कश्मीर में सक्रिय है और जिन्हें न केवल सरकार, बल्कि सेना तथा आई० एस० आई० का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इस अभियान में पाकिस्तान ने बहुत कम कीमत पर आई० एस० आई० के माध्यम से भारत को सामरिक तथा आर्थिक रूप से निरस्त करने की व्यापक योजना बनायी है। इस युद्ध में पराजय के कारण पाकिस्तान को एक बार पुन: करारा झटका लगा। इस युद्ध ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि 300 किमी० लम्बी वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर उपग्रह इमेजरी पर आधारित व्यापक एवं अभेद्य सर वैलेंस सिस्टम स्थापित किया जाये। इससे घुसपैठियों के छोटे-से-छोटे दल को भी सीमा पार से देखा जा सकता है।

इसके साथ ही हमारी वायुसेना का दुर्गम पहाड़ी में अधिक कारगर लड़ाकू विमानों तथा लेसर नियन्त्रित आयुद्धों की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा भारतीय पैदल सेना का हल्के राडारों, रात में देखने वाले उपकरणों, आधुनिक प्रक्षेपात्रों तथा शून्य से कम तापमान में रहने वाले ज़रूरी साधनों से सज्जित किया जाए। गुप्तचरों सेवाओं का व्यापक पुनर्गठन किया जाए। ऊंचे क्षेत्र में कारगर मार करने वाली तोपों की व्यवस्था की जाये। सफल कूटनीति तथा सक्षम सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से कठिन-से-कठिन चुनौती का बाखूबी से सामना किया जा सकता है।

8. अलगाववाद की समस्या

आज हमारा देश अलगाववादी आन्दोलनों की चपेट में है और अलगाववादियों का प्रयास देश के टुकड़े-टुकड़े कर देना है। हमारी रक्षा व्यवस्था के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। इन अलगाववादी आन्दोलनों ने ही देश के कोने-कोने में हिंसा एवं आतंकवाद को जन्म दिया। हम स्वांतत्र्योत्तर भारत में अलगाववाद के प्रमुख आन्दोलनों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने अधिक अधिकारों या स्वायत्तता की मांग की है अथवा स्वतन्त्र अस्तित्व बनाने का अपना प्रयास किया है—

(क) कश्मीर—'भारत का स्वर्ग' कश्मीर विगत अनेक वर्षों से अलगाववादियों एवं आतंकवादियों की चपेट में है। वहां की जनता का सुख-चैन तो छिना ही है, हमारी रक्षा सेनाओं का उत्तरदायित्व और बढ़ा है। भारत के विरुद्ध घोषित तीन युद्धों में मात खाने के बाद पाकिस्तान भारत के साथ खुलकर आक्रमण करने से डरता है। इसी कारण पाकिस्तान अपनी नयी रणनीति के तहत अलगाववादी और आतंकवादी गुटों को सहायता देकर अराजकता फैलाने के पूरे प्रयास कर रहा है। पंजाब की जागरूक जनता को पाक के नापाक इरादों का पता चल गया और शान्ति

बहाल हो गयी, किन्तु कश्मीर के लोगों में कट्टरपंथी धर्म की दुहाई देकर आन्दोलन को अभी चलाये जा रहा है। पाक ने कश्मीर के कुछ गुमराह युवकों को उकसा कर स्वतन्त्र या आज़ाद कश्मीर की मांग पर ज़ोर दे रखा है। पाकिस्तान की इस साजिश पर पर्दाफाश अभी **'हज़रत बल नाटक'** के समय विश्व भर में हो गया था। कश्मीर की जनता में भारतीय राज्य के प्रति जो अनास्था पैदा हुई उसको भरा पाकिस्तानी दुष्प्रचार से उत्पन्न अलगाववाद ने और इस अलगाववाद को संगठित किया इस्लामी कट्टरता ने। कश्मीर रहित भारत का अर्थ होगा भौगोलिक अलगाववाद और इस्लामी कट्टरवाद की जीत। इसके साथ ही कश्मीर रहित भारत का अर्थ होगा समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अलगाववाद की आंधियां चलना और इस उप-महाद्वीप का खण्ड-खण्ड बिखरना और इन खण्डों का परस्पर रक्त-रंजित हिंसा में डूब जाना।

अब हम संक्षिप्त में कश्मीर के अलगाववादी संगठनों का संक्षिप्त में उल्लेख करते हैं—

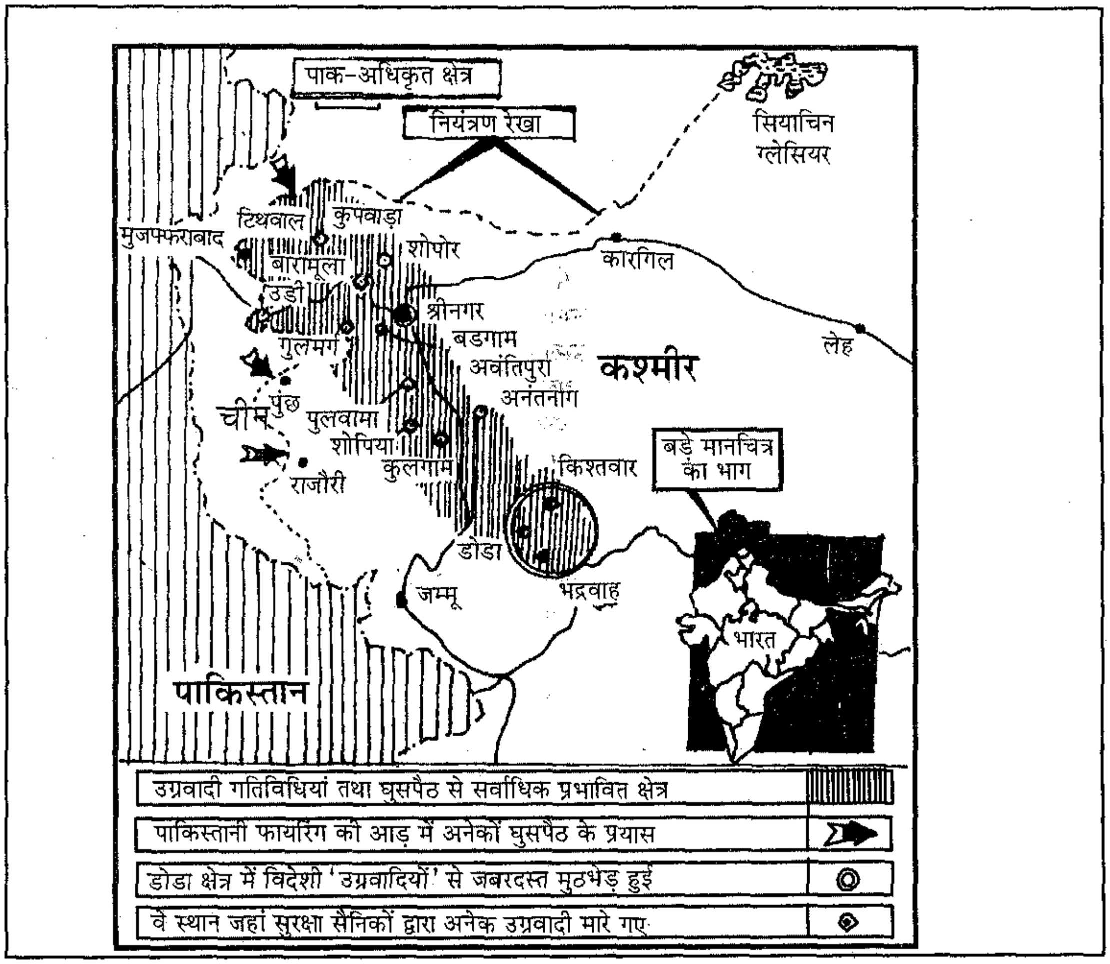

कश्मीर में उग्रवाद एवं अलगाव की स्थिति

कश्मीर अलगाववादी संगठन का एक बहुत बड़ा गढ़ है। यहां पर इस्लाम के नाम पर इंसानियत का खून बहाने और शैतानियत का पाठ पढ़ाने का काम एक लम्बी अवधि से कश्मीर में चलाया जा रहा है। जेहाद के नाम पर ही अलगाववाद एवं आतंकवाद का अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर के प्रमुख अलगाववादी संगठन इस प्रकार हैं—

(क) जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जे० के० एल० एफ०)—पाकिस्तान द्वारा समर्थित कश्मीरी गुमराह युवकों का एक सशस्त्र संगठन है। यह दल छापामार कार्रवाही करके आन्दोलनों को चला रहा है। इसकी मांग 'हजीबुल्ला मुजाहिद्दीन' अर्थात् सीधी आज़ादी है।

(ख) जमात-ए-तुलुबा—यह कश्मीर की पाकिस्तानी प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी 'जमात-ए-इस्लामी' की विद्यार्थी शाखा है। इसकी घोषणा में कश्मीर को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए ईरान जैसी क्रान्ति की योजना तय की है।

(ग) हिजबुल मुजाहिद्दीन
(घ) लश्करे तोइबा (मदीना के सिपाही)
(ङ) जैश-ए०-मुहम्मद या अंसर-उल-अंसार
(च) अण उमर
(छ) हरकते-उल-नसार
(ज) अल्लाह-टाइमर्स
(झ) हिजबी-इस्लामी
(ञ) कारवां-ए-हैदर
(ट) जमायत उल-मुजाहिद्दीन
(ठ) अल बद्र
(ड) जमात-ए-इस्लामी
(ढ) अल जेहाद फोर्स
(ण) कश्मीर जेहाद फोर्स

इस प्रकार लगभग 45 उग्रवादी व अलगाववादी संगठन कश्मीर में सक्रिय है। इन अलगाववादी संगठनों को पाकिस्तान से प्रत्यक्ष रूप से सैनिक एवं आर्थिक सहायता मिल रही है। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय अलगाववादियों में लगभग 90 प्रतिशत पाकिस्तानी हैं, जिन्हें विभिन्न इस्लामी संगठनों व चैरिटी द्वारा आर्थिक, नैतिक व वैचारिक सहायता व समर्थन मिल रहा है। इसमें विशेष रूप से वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम यूथ, रावित-ए-अलम, वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेण्ट, कश्मीर अमेरिकन काउन्सिल, कश्मीर स्टडी ग्रुप तथा फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार अलगावादी संगठन कश्मीर में सक्रिय होकर भारतीय रक्षा व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़ी समस्या के रूप में चुनौती भी खड़ी कर रहे हैं।

कश्मीर के उग्रवादियों की ताकत और प्रभाव क्षेत्र

संगठन का नाम	अनुमानित	प्रभाव क्षेत्र	नेता का नाम
हिजबुल मुजाहिद्दीन	800	कश्मीर घाटी, पुंछ, रजौरी, डोडा	सैय्यद सलाउद्दीन
हरकत-उल-अंसार/ हरकत-उल जेहादे इस्लामी	350	घाटी, पूंछ, रजौरी, डोडा	मोल्वी सिद्दिक
लश्कर-ए-तोयबा	300	घाटी पुंछ, राजौरी, डोडा	मोहम्मद लतीफ
अल बदर	300	श्रीनगर	तुकमान
दुख्तरान-ए-मिल्लत (महिलाओं का संगठन)	350	घाटी	आसिहा इन्द्राबी
अल बर्क	60	कुपवाड़ा, बारामूला	सईद इस्लाम
अल जेहाद	50	पुलवामा, बारामूला श्रीनगर, अनन्तनाग	परवेज हैदर
जमायत-उल-मुजाहिद्दीन	25	कुपवाड़ा, श्रीनगर पुलवामा	पीर सैहुल इस्लाम
तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन	40	श्रीनगर, बारामूला	मोहम्मद लतीफ
जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट	60	श्रीनगर, बडगाम बारामूला	रफीक डार

कारगिल युद्ध के बाद आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में सुरक्षा बलों के ठिकानों पर किये गये हमले

तारीख	आक्रमण स्थल	शहीद सुरक्षा बल
	1999	
13 जुलाई	बी०एस०एफ कैम्प, बांदीपुरा	एक डी०आई०जी० और चार अन्य
6 अगस्त	सेना कैम्प, नतनूस	एक मेजर और दो जूनियर कमीशन अधिकारी
7 अगस्त	सेना कैम्प, त्रहगाम	एक कर्नल और तीन गार्ड
13 अगस्त	सेना कैम्प, बीरवा	तीन सैनिक
12 सितम्बर	कोर्प्स मुख्यालय, बदामीगढ़	कोई नहीं मरा
3 नवम्बर	सेना कैंट, श्रीनगर	दस सैनिक और सेना के सूचना अधिकारी
10 नवम्बर	सेना कैम्प, रामपुर, वगूर और करनाह	13 जवान
2 दिसम्बर	सेना मुख्यालय, बारामूला	एक जेसीओ
13 दिसम्बर	सिविल लाइंस, श्रीनगर	पांच पुलिसकर्मी
15 दिसम्बर	सेना कैम्प, राफियाबाद	कई घायल
27 दिसम्बर	स्पेशल आपरेशन ग्रुप, मुख्यालय श्रीनगर	एक उपपुलिस अधीक्षक और 11 अन्य
	2000	
7 जनवरी	मौसम विभाग, श्रीनगर	सी०आर०पी०एफ० के 4 जवान
19 अप्रैल	सेना मुख्यालय, श्रीनगर पर मानव बम से हमला	दो सेना के जवान
10 अगस्त	कार बम से एक सेना की गश्ती टुकड़ी पर हमला	नौ पुलिस और तीन सेना के जवान शहीद, 42 घायल
21 अक्तूबर	सुरक्षा बलों के लापरी शिविर (ऊधमपुर) मानव रहित साधनों से जबरदस्त विस्फोट	दो शहीद, चार घायल
21 नवम्बर	शेर बीवी डोडा	05
	2001	
2 अगस्त	श्रोतिदार डोडा	15
7 अगस्त	जम्मू रेलवे स्टेशन	11
15 अगस्त	ऊधमपुर	07
27 अक्तूबर	मेहरोट, पुंछ	07
1 अक्तूबर	विधानसभा श्रीनगर	35

वर्ष	हमले	शिकार	मृतक
2002	112	542	219
2003	52	776	111
2004	284	1872	434

वर्ष (1994-2004) जम्मू-कश्मीर में 9956 नागरिक, 4517 सुरक्षा कर्मी तथा 16442 आतंकवादी मारे गये। इस प्रकार किसी भी सभ्य लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक आधार पर अलगाव

को मान्यता नहीं दी जा सकती। कश्मीर का अलगाव वस्तुतः विभाजन की त्रासदी की पुनरावृत्ति से भी कहीं अधिक भयावह होगा। भारत के लोकतान्त्रिक मूल्य, उसका आपसी धार्मिक सद्भाव और उसका क्षेत्रीय एकीकरण, हिन्दू-मुस्लिम दो विराट आबादियों के बीच सन्तुलन और समन्वय, ये सब चरमरा जाएंगे और भारत इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकता। इसलिए कश्मीर के मसले पर न केवल राष्ट्रीय संकल्प को मज़बूत करने की ज़रूरत है, बल्कि कश्मीरी अलगाव के वास्तविक खतरों को भी दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है, ताकि इस मुद्दे पर विश्व जनमत को भारतीय रुख प्रदान किया जा सके।

कश्मीर समस्या से जुड़े समझौते—कश्मीर समस्या को हल करने के लिए मुख्य समझौते इस प्रकार से किये जा चुके हैं—

(अ) दिल्ली समझौता

14 जुलाई, 1952 को प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुला के बीच एक विस्तृत समझौता हुआ। इस समझौते के प्रावधानों की घोषणा पं० नेहरू ने 24 जुलाई, 1952 को केन्द्रीय संसद् में की, जिसे 19 अगस्त, 1952 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसे 'दिल्ली समझौता' के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के प्रमुख बिन्दु हैं—

(1) धारा 370 के प्रति प्रतिबद्धता।

(2) सभी कश्मीरी भारत के नागरिक होंगे, लेकिन राज्य विधायिका में यह शक्ति निहित होगी कि वह उन विशेष अधिकारों को राज्य के निवासियों को प्रदान करे जो 1927 और 1932 के आन्दोलन के फलस्वरूप उन्हें प्राप्त हुए थे।

(बी० जे० ग्लैन्सी कमीशन 1932 की सिफ़ारिश के आधार पर जो विशेष अधिकार प्रदान किये गए थे वह इस प्रकार थे—खुतबा और अजान की पुनर्स्थापना, किसी भी धर्म का अपमान करने पर कठोर सज़ा, मुसलमानों की शिक्षा और नौकरी में सकारात्मक भेद और 'राज्य नौकरियां, राज्य निवासियों के लिए' सिद्धान्त का कठोरता से पालन।)

(3) कश्मीर सहित सम्पूर्ण भारत का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होगा।

(4) यद्यपि सदर-ए-रियासत केन्द्र द्वारा मनोनीत किये जाने के बजाय राज्य विधायिका द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना वह पदभार ग्रहण नहीं कर सकेगा।

(5) कश्मीर का अपना अलग राजकीय ध्वज होगा, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) को अलग और विशिष्ट स्थान देते हुए ही राजकीय ध्वज फहराया जा सकेगा।

(6) फौरी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे।

(7) आन्तरिक आपात्काल के उपबन्ध केवल राज्य विधायिका की सहमति से ही लागू किये जा सकेंगे।

(दिल्ली समझौते की घोषणा के बाद पैतृक राजतन्त्र को समाप्त कर, राज्याध्यक्ष को सदरे रियासत की पदवी दे दी गयी।)

दिल्ली समझौते के खिलाफ जम्मू में प्रजा परिषद् के नेतृत्व में जबरदस्त आन्दोलन हुआ, जिसका नारा था—एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान—नहीं चलेंगे। भारतीय जनसंघ इस आन्दोलन को पूर्ण तौर पर समर्थन दे रहा था। जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसी आन्दोलन के दौरान 11 मई, 1953 को जम्मू में गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून को पुलिस हिरासत में ही उनकी मृत्यु हो गयी। शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध पूरे देश में क्रोध की लहर उठ खड़ी हुई, नेहरू की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा। इस घटना के बाद से कश्मीर की पूरे राष्ट्र से दूरी बढ़ती ही गयी।

(ब) शिमला समझौता

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों पर प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री ज़ेड० ए० भुट्टो ने शिमला में 3 जुलाई, 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये।

भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों देशों के सम्बन्धों में टकराव और संघर्ष को खत्म करने तथा मैत्रीपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध बनाने व उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति कायम करने का संकल्प लेती है ताकि भविष्य में दोनों देश अपने संसाधनों और शक्ति का उपयोग अपनी जनता के कल्याण कार्यों को तेज़ करने के लिए कर सकें।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के बीच यह सहमति हुई है।

(1) कि दोनों देशों के सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के सिद्धान्तों व उद्देश्यों के अनुरूप चलेंगे।

(2) कि दोनों देश अपने तमाम मतभेदों को आपसी बातचीत या आपसी सहमति के किसी अन्य तरीके से खत्म करने का संकल्प लेते हैं। दोनों देशों के बीच किसी भी समस्या का अन्तिम समाधान होने तक हर पक्ष यथास्थिति बनाये रखेगा और दोनों देश शान्तिपूर्ण सद्भावपूर्ण सम्बन्धों को बिगाड़ने वाला कोई काम न तो खुद करेंगे और न ही ऐसी किसी गतिविधि को सहायता या प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

(3) कि दोनों देश समानता और आपसी लाभ के आधार पर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व बनाये रखेंगे, पारस्परिक क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुसत्ता के प्रति सम्मान रखेंगे और एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश आपसी मतभेदों को सुलह-सफ़ाई से खत्म करके स्थायी शान्ति के लिए अच्छे पड़ोसी की तरह अपने सम्बन्धों को बनाये रखने के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे।

(4) कि पिछले 25 वर्ष से दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों को बिगाड़े रखने वाले तमाम बुनियादी मुद्दों का शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा।

(5) कि दोनों, देश एक-दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता और संप्रभु तथा समानता का सदैव सम्मान करेंगे।

(6) कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुरूप एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता या राजनीतिक स्वतन्त्रता के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने या उसकी धमकी देने से बचेंगे।

दोनों सरकारें एक-दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोकने के लिए अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करेंगी। दोनों देश आपसी दोस्ताना सम्बन्धों को बढ़ाने में सहायक सूचनाओं के प्रसार को प्रोत्साहन देंगे।

दोनों देशों के सम्बन्धों को बहाल करने और उन्हें सामान्य बनाने की दिशा में उत्तरोत्तर प्रयास जारी रखने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति हुई—

(1) संचार, डाक-तार व जल-थल परिवहन सेवाओं को बहाल करने की दिशा में कदम उठाये जाएंगे। सीमाएं खोलने व आपसी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने का प्रयास भी किया जाएगा।

(2) एक-दूसरे के नागरिकों को अधिकाधिक यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के लिए समुचित कदम उठाये जाएंगे।

(3) व्यापार और आर्थिक व आपसी सहमति के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को यथासम्भव बहाल किया जाएगा।

(4) विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान बढ़ाया जाएगा।

इस सम्बन्ध में दोनों देशों के प्रतिनिधि मण्डल समय-समय पर मिलते रहेंगे ताकि आवश्यक ब्योरे जुटाये जाते रहें।

स्थायी शान्ति कायम करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दोनों देशों के बीच तीन बातों पर सहमति हुई—

(1) भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस बुला ली जाएंगी।

(2) जम्मू-कश्मीर में 17 दिसम्बर, 1971 की युद्धबन्दी के बाद की नियन्त्रण-रेखा का दोनों पक्ष बिना किसी पूर्वाग्रह के सम्मान करेंगे। दोनों में से कोई पक्ष इस स्थिति को नहीं बदलेगा, भले ही दोनों के बीच आपसी मतभेद और दोनों की कानूनी व्याख्याओं में अन्तर बरकरार रहे। दोनों देश इस नियन्त्रण रेखा का उल्लंघन करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही उसकी धमकी देंगे।

(3) सेनाओं की वापसी और युद्धबन्दियों की अदला-बदली की प्रक्रिया, समझौते के व्यवहार में आते ही शुरू हो जाएगी तथा 30 दिन के भीतर-भीतर पूर्ण हो जाएगी।

दोनों देशों की सरकारें अपनी-अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप इस समझौते की पुष्टि करेंगी और यह समझौता पुष्टि के बाद सम्बन्धित दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान के साथ ही अस्तित्व में आ जाएगा।

दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि उनके अध्यक्ष आपसी सुविधा के अनुसार उपयुक्त समय पर फिर मिलेंगे और इस बीच दोनों पक्षों के प्रतिनिधि स्थायी शान्ति कायम करने और आपसी सम्बन्धों को सामान्य बनाने के उपायों और जरूरी व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए मिलते रहेंगे। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि युद्धबन्धियों व एक-दूसरे की जेलों में कैद नागरिकों की अदला-बदली, जम्मू-कश्मीर समस्या के समाधान तथा कूटनीतिक सम्बन्धों की बहाली से जुड़े सवालों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।

(स) कश्मीर समझौता

निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमति के बाद प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक समझौता हुआ जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 1975 में उन्होंने राज्य के मुख्यमन्त्री का पद सम्भाला।

(1) जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का अविभाज्य अंग है और संघ के साथ उसके सम्बन्धों का निर्धारण भविष्य में भारतीय संविधान की धारा 370 के अन्तर्गत ही होगा।

(2) यद्यपि कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास रहेंगी तथापि संघीय संसद् का ऐसे तमाम विषयों पर कानून बनाने का अधिकार बरकरार रहेगा जिनका सम्बन्ध भारत की क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुसत्ता को भंग करने, चुनौती देने या नकारने के किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव और भारतीय क्षेत्र के किसी भाग को उससे अलग करने या भारत के किसी क्षेत्र को संघ से अलग करने या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय गान व भारतीय संविधान का अपमान करने की किसी भी गतिविधि को रोकने से हो।

(3) यदि जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान के किसी प्रावधान को अनुकूलित और संशोधित अवस्था में लागू किया गया हो तो ऐसे अनुकूलनों और संशोधनों को धारा 370 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश के जरिये बदला या निरस्त किया जा सकता है तथा इस बारे में प्रत्येक निजी प्रस्ताव को उसके गुणावगुणों के आधार पर देखा जाएगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य में पहले से ही लागू संविधान के उन प्रावधानों को, जो संशोधित या अनुकूलित अवस्था में लागू किये गए थे, बदला नहीं जाएगा।

(4) कल्याण कार्यों, सांस्कृतिक मामलों, सामाजिक सुरक्षा वैयक्तिक कानून तथा व्यावहारिक कानून आदि के मामलों में अपने खुद के कानून बनाने की जम्मू-कश्मीर की स्वतन्त्रता को, राज्य की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप, सुनिश्चित करने की गरज से इस बात पर सहमति व्यक्त की जाती है कि राज्य सरकार 1953 के बाद संसद् द्वारा राज्य के लिए बनाये गये या राज्य में लागू किये गये समवर्ती सूची के विषयों से जुड़े किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या चाहे तो उसे रद्द कर सकती है। लिहाजा संविधान की 254वीं धारा के अन्तर्गत समुचित कदम उठाये जाएं। ऐसे मामलों में राज्य सरकार राष्ट्रपति की सहमति लेने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यही दृष्टिकोण उक्त धारा की उपधारा-2 के अन्तर्गत संसद् द्वारा भविष्य में बनाये जाने वाले कानूनों के बारे में भी अपनाया जाएगा। राज्य में ऐसा कोई भी कानून लागू करने से पहले सरकार से विचार-विमर्श किया जाएगा और राज्य सरकार के विचारों पर अधिकतम ध्यान दिया जाएगा।

(5) जैसा कि संविधान की धारा 368 के अन्तर्गत पारस्परिक प्रावधान है, राज्य में लागू इस धारा को राष्ट्रपति के आदेश के जरिये संशोधित करके ऐसी व्यवस्था की जाए कि निम्नलिखित विषयों को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रभावित करने की मंशा से जम्मू-कश्मीर के संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधायिका द्वारा बनाया जाने वाला कोई भी कानून तब तक लागू न हो जब तक कि उस कानून के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ले ली जाती। वे विषय हैं—

(अ) राज्य की नियुक्ति, उसकी शक्तियां, उसके कार्य, कर्त्तव्य, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां तथा

(ब) चुनावों से जुड़े मामलों पर भारत के चुनाव आयोग का पर्यवेक्षण, दिशा निर्देशन, नियन्त्रण व बिना किसी भेदभाव के मतदाता सूचियों में प्रविष्टियां, बालिग मताधिकार का सुनिश्चितीकरण और विधान परिषद् का गठन, जिसका जम्मू-कश्मीर के संविधान की धाराओं-138, 139, 140 व 50 में प्रावधान है।

(6) राज्यपाल और मुख्यमन्त्री के पदनाम के सवाल पर कोई समझौता सम्भव नहीं था, लिहाजा इस मामले को छोड़ दिया जाता है।

उपर्युक्त समझौते के बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी है, क्योंकि पाक के लिए इससे बड़ा और कोई और साधन नहीं हो सकता। यह ऐसा मुद्दा है, जिसके नाम पर अपने आवाम को गुमराह करके हुक्मरान अपनी कुर्सी को मजबूत रखना चाहते हैं।

(द) पूर्वोत्तर भारत

पूर्वोत्तर भारत के सातों राज्य-असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में घुसपैठ, धार्मिक अलगाव, जातीय (एथनिक) तनाव जैसी जटिल समस्याओं को हवा देने में विदेश प्रेरित भारत विरोधी शक्तियों का बहुत हाथ रहा है। ये शक्तियां पूर्वोत्तर को हमेशा अशांत बनाये रखना चाहती हैं। इसका सबसे

दुखद पहलू यह है कि समस्याओं के प्रति केन्द्र सरकार के ढीले-ढाले रवैये ने पूर्वोत्तर की चिंगारियों को शोलों में तब्दील कर दिया है।

पूर्वोत्तर के सातों राज्यों में विदेशी घुसपैठ की शक्ल में 'जनसंख्या आक्रमण' का कहर जारी है। युद्ध और हथियार रहित 'जनसंख्या आक्रमण' को 'वाटर लू' की लड़ाई में कहीं ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर की आबादी का आकार बदल रहा है। इन राज्यों के अनेक हिस्सों में घुसपैठियों के चलते मूल निवासियों के अल्पमत में आ जाने के खतरे बढ़ रहे हैं। यहां की अर्थव्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक तानाबाना टूट रहा है। **सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों से होकर देश के भीतरी इलाकों में भी अब घुसपैठियों का फैलाव तेज़ी से होने लगा है। दिल्ली में ही घुसपैठियों की संख्या लाखों में बतायी जा रही है।**

बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल को लेकर सन् उन्नीस सौ अस्सी में असम आंदोलन का जन्म हुआ था। छह वर्ष तक चले इस घुसपैठ विरोधी जन आंदोलन के बाद 1985 में असम गण परिषद् की सरकार घुसपैठियों को निकाल बाहर करने में असफल रही। उसके बाद भी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री घुसपैठ, जातीय तनाव और धार्मिक अलगाव आदि जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए माथापच्ची करते रहे, परन्तु दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में इन समस्याओं की गुत्थी और उलझती ही गयी।

समूचा पूर्वोत्तर नैसर्गिक सुन्दरता, जीवन्तता और अकूत प्राकृतिक धन-संपदा का धनी है। यहां के लोग अकलुष भी हैं, लेकिन उनमें कुछ नाकारात्मक प्रवृत्तियां भी मौजूद हैं। जिसमें गृह प्रदेश के प्रति अतिरिक्त मोह सबसे प्रमुख है। रोजी-रोटी के लिए देश के अन्य हिस्सों में निकलना इनकी शारीरिक बनावट में रचा-बसा नहीं है। इसके परिणामस्वरूप यहां भयंकर ग़रीबी है। यह कटु सत्य है कि भूखे-नंगे ग़रीब लोगों से राष्ट्रीयता की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। विदेशी शक्तियां इसी कमज़ोरी का लाभ उठाती हैं और यहां की स्थानीय ग़रीब जनता में मुट्ठी भर धन, सम्मान और प्यार बांटकर उन्हें अपने साथ करने में सफल हो जाती हैं। ग़रीब जनता इन शक्तियों की पसंद और नापसंद को स्वेच्छा से अपना लेती है। अतः मूल सवाल यह है कि घुसपैठ, धार्मिक अलगाव, जातीय तनाव जैसी जटिल समस्याओं का निराकरण कैसे हो ?

सबसे पहले तो भारत-बांग्लादेश सीमा पर कारगर अवरोध लगाकर घुसपैठियों की रोकथाम की जाए। पक्के राजनीतिक इरादे के साथ घुसपैठियों को अनागरिक घोषित करके उन्हें वापस भेजा जाए। जिन्हें वापस भेजने में तकनीकी समस्या आड़े आ रही हो, उनकी देश के विभिन्न हिस्सों में पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। अलगाववादी शक्तियों को कठोरता से दबाने के लिए समूचे पूर्वोत्तर का तीव्र विकास एक कारगर कदम हो सकता है।

विकास के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ काफ़ी भेदभाव किया गया है। एक समय में उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी चुनाव क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान विकास पर जितनी धनराशि व्यय की गयी थी, लगभग उतनी ही धनराशि समूचे मिजोरम राज्य के विकास पर की गयी थी। यह पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के शासन का दौर था। भेदभावपूर्ण और सौतेला व्यवहार कोई नया नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक यह सिलसिला जारी है। इसने आर्थिक असंतुलन को जन्म दिया है। विकास के इस दौर में पूर्वोत्तर इतना पिछड़ा रह गया कि वहां की स्थानीय जनता देश के अन्य हिस्से के लोगों को बाहरी और संदेह की दृष्टि से देखने लगी है। इस मानसिकता के पीछे आर्थिक कारण है। उन्हें लगता है कि वहां पहले से ही रोज़गार की संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में यदि बाहर के लोग आएंगे तो जो भी थोड़ा बहुत रोज़गार हैं, उस पर कब्जा कर लेंगे। सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहां के लोग देश की मुख्यधारा से अलग-थलग भी रहे हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ग़रीब लोगों सहित समूची आबादी को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना अनिवार्य है। यह वस्तुतः राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसका निराकरण करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। उचित नेतृत्व और सही दिशा-निर्देश मिले, तो प्रकृति का अनुपम श्यामल पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का मुकुट साबित हो सकता है।

असम—असम में हिंसक संघर्ष की शुरुआत यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम (उल्फा) की 1979 में स्थापना के साथ हुई थी। इस संगठन पर 1980 में प्रतिबन्ध लगा। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पर, जिसका नाम पहले घोड़ो सिक्यूरिटी फोर्स था, 1992 में प्रतिबंध लगा। इसके अलावा असम में असम टाइगर्स फोर्स है, जिसे उल्फा का ही हिस्सा माना जाता है। वहां बांग्लाभाषी हिन्दुओं की रक्षा के लिए एक संगठन बंगाल टाइर्स फोर्स भी गठित है। दस से ज्यादा संगठन ऐसे भी हैं, जो मुसलिम हितों की रक्षा का दावा करते हैं, जिन्हें बांग्लादेश व आई०एस०आई० का समर्थन प्राप्त है। मुसलिम झुकाव वाले संगठन असम की आग में घी डालने का काम करते

रहे हैं। ज्यादातर हिंसक गुट अपहरण, उगाही और डकैती से पैसा जुटाते हैं और उससे हथियार खरीदते हैं। कई शक्तिशाली गुट तो अवैध टैक्स या रंगदारी भी वसूलते हैं।

नागालैंड—नगा नेशनल काउंसिल ने नागालैंड में उग्रवाद की शुरुआत की थी। उससे जनवरी 1990 में अलग हुआ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैंड भी वर्ष 1988 में दो गुटों में बंट गया। एन०एस०सी०एन० (आईएम) और एन०एस०सी०एन० (खपलांग)। अप्रैल 1990 में लंदन में नगा आंदोलन के जनक ए जेड, फिजो के देहांत के बाद एन०एन०सी० के कुछ लोगों ने फिजो की बेटी एडिनो को मुखिया घोषित कर दिया, जिससे नाराज होकर कुछ नगा जनरलों ने अपना अलग एन०एन०सी० बना लिया। इस तरह से नगा आंदोलन चार टुकड़ों में बंट गया। फिलहाल, एन०एस०सी०एन० (आई०एम) और एन०एस०सी०एन० (खपलांग) ही ज्यादा चर्चा में है। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन है और उनके और भारत सरकार के बीच 1997 से ही संघर्ष विराम जारी है। हालांकि यह संघर्ष विराम मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। एन०एस०सीएन (आई०एम) के नेता मुइवा और इसाक धीरे-धीरे शांति के पक्षधर होते जा रहे हैं। दुखद यह कि इस नगा गुट की खूनी लड़ाई खपलांग गुट से चलती रहती है।

मणिपुर—मणिपुर में करीब 17 हिंसक संगठन ज्यादा सक्रिय हैं। यह एक जटिल राज्य रहा है। सबसे पहला आतंकी गुट यू०एन०एल०एफ० था, जो 1964 में अस्तित्व में आया। 1977 में एक अन्य गुट प्रीपक बना और 1978 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अस्तित्व में आई। मणिपुर, पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के अलावा कई अन्य संगठन भी यहां सक्रिय हैं। इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, इसलिए मणिपुर में हमेशा शांति खतरे में पड़ती रही है। मणिपुर में भी मुसलिम उग्रपंथी गुट सक्रिय हो चुके हैं।

त्रिपुरा—यह राज्य बांग्लादेश की ओर से होने वाली घुसपैठ से परेशान रहा है। त्रिपुरा में आतंक की शुरुआत तब हुई, जब जनजातीय पहचान को बरकरार रखने के लिए 1967 में त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स का गठन 1990 में बांग्लाभाषियों को खदेड़ने के लिए हुआ। ऑल त्रिपुरा लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (1989 में गठित) ज्यादा सक्रिय है। करीब तीन हिंसक संगठन बांग्लाभाषियों के हैं।

अरुणाचल प्रदेश—अरुणाचल ड्रैगन फोर्स अरुणाचल में परेशानी का कारण रहा है। इसके अलावा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ अरुणाचल, यूनाइटेड पीपुल्स वलंटियर्स ऑफ़ अरुणाचल भी सक्रिय है। यह प्रदेश उल्फा और एन०एस०सी०एन० के लड़ाकों के आवागमन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इन संगठनों के उग्रवादी म्यांमार जाने के लिए इस प्रदेश का इस्तेमाल करते हैं। यहां आतंकियों के शिविर भी समय-समय पर उजागर होते रहे हैं।

मेघालय—यहां आतंकवाद की शुरुआत एच०एल०सी० द्वारा स्वशासन की मांग के साथ 1992 में हुई। इस संगठन में 1996 में जनजाति स्तर पर विभाजन हो गया,एच० एल०सी (खासिस) और ए०एन०वी०एस० (गारोस)। इन दोनों ही संगठनों पर दिसम्बर 2000 में प्रतिबंध लगा है। इसके अलावा पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ मेघालय भी सक्रिय है। इस राज्य का इस्तेमाल बांग्लादेश में आवागमन के लिए आतंकवादी करते हैं।

मिजोरम—वर्ष 1950 में नगा आंदोलन के उभरने के बाद मिजोरम में अकाल और उपेक्षा के कारण 1960 में आंदोलन पनपा। हिंसक संघर्ष हुए। अंततः इस राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ 1986 में सरकार का ऐतिहासिक समझौता हुआ, जो बहुत हद तक सफल रहा। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालडेंगा मुख्यधारा में लौटकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उससे काफ़ी हद तक मिजोरम में शांति आ गई। यह राज्य एक बेहतर उदाहरण बना। इस राज्य के उत्तर में हमर पीपुल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक और पश्चिम में ब्रु नेशनल लिबरेशन फ्रंट सक्रिय है।

प्रमुख संगठन, उनके सुप्रीमो और लड़ाके

संगठन	सुप्रीमो	आतंकी (लगभग)
एन०एस०सी०एन० (आई०एस०)	इसाक सी स्यू	3000
उल्फा	परेश बरुआ	2000
एन०एस०सी०एन० (खपलांग)	एस० एस० खपलांग	1000
एन०डी०एफ०बी०	आर० डैमारी	400
यू०एन०एल०एफ०	आर० के० मेघेन	1500

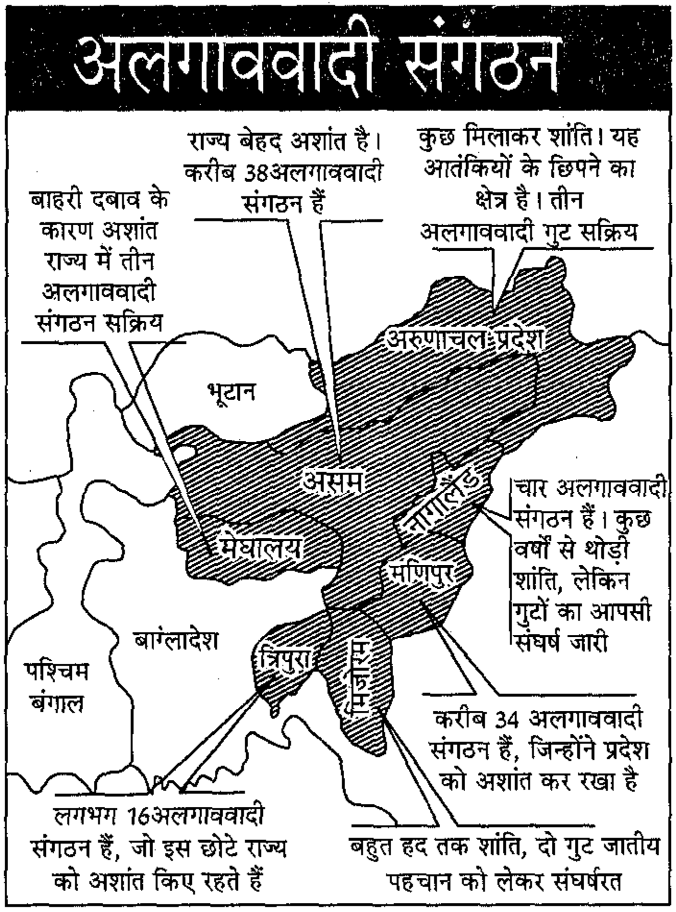

पूर्वोत्तर में आतंकवाद के कई कारण हैं, अगर इसमें भारत के सत्ता प्रतिष्ठान की ढिलाई है, तो पूर्वोत्तर का बिखरा हुआ समाज भी कम दोषी नहीं है और अब तो बाहरी ताकतों ने भी आतंकियों का हाथ थाम लिया है।

केन्द्र सरकार की ढील

- पूर्वोत्तर के बहु-सांस्कृतिक समाज से भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की कोशिशें बहुत कम हुई हैं।
- शेष भारत के बुद्धिजीवियों और राजनेताओं को पूर्वोत्तर के बारे में बहुत कम जानकारी रही है।
- केंद्र सरकार के कर्णधार पूर्वोत्तर के बहुआयामी समाज को सकारात्मक रूप से एकाग्रता के साथ संबोधित करने में नाकाम रहे हैं।
- हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों का स्वभाव कुल मिलाकर वैसा ही रहा है, जैसा अंग्रेजों के समय था।
- केंद्र सरकार घुसपैठ को रोकने में पहले भी नाकाम थी और अब भी कुछ विशेष नहीं कर पाई है।
- केंद्र सरकार अपनी अच्छाइयों और विकास की कोशिशों को पूर्वोत्तर में भुनाने में लम्बे समय तक नाकाम रही है।

पूर्वोत्तर की कमियां

- पूर्वोत्तर के ज्यादातर नेताओं ने शेष भारत की बुराइयों को ही ज्यादा भुनाया और इस्तेमाल किया।
- उन्होंने भारत के व्यापक बहु-सांस्कृतिक समाज से मेल-जोल से खुद को अलग रखा और मुख्यधारा से कटते गए।

- आज़ादी का सपना तो देख लिया, लेकिन एकजुटता के साथ सपने को साकार करने में बुरी तरह नाकाम रहे।
- अलगाववाद समर्थकों ने शेष भारत के बजाय चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा किया।
- उन्होंने अपने ही लोगों का जबरदस्त शोषण किया और उदारवादियों को समझने के बजाय ठिकाने लगाया।
- अलगाववादी समय की मांग समझने में नाकाम रहे और उनका नैतिक व चारित्रिक बल निरंतर घटता गया।

बाहरी ताकतों की साज़िश

- 1962 की लड़ाई के बाद चीन ने भी पूर्वोत्तर भारत के अलगाववाद को अपने यहां स्थान दिया।
- पूर्वी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ जारी रही, जिसे पूर्वी पाकिस्तान या बाद में बांग्लादेश ने नहीं रोका।
- बांग्लादेश के जेहादियों ने व्यापक पैमाने पर घुसपैठ के सहारे ग्रेटर बांग्लादेश के लिए कोशिश की।
- 1970 के दशक के बाद से पाकिस्तान ने भी पूर्वोत्तर भारत की आग में घी डालने का काम किया।
- दुनिया के कई अन्य देशों ने भी पूर्वोत्तर के अलगाववादियों को कई तरह से बढ़ावा देकर पटकाया।

गोरखा-लैण्ड आन्दोलन—गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में एक अलग गोरखा राज्य बनाने की मांग को लेकर हुई। यह मूलत: एक सामुदायिक समस्या थी। भारत में दो तरह के नेपाली रहते हैं—एक वे जो नेपाल के नागरिक हैं और भारत में 1950 के भारत-नेपाल समझौते की धारा 7 के तहत मात्र कुछ ही अधिकार रखते हैं तथा दूसरे दार्जिलिंग के वे नेपाली जो सदियों से भारत में ही रह रहे हैं तथा भारत के ही नागरिक हैं। प्राय: दार्जिलिंग के वे गोरखा जिन्हें अभी तक कानूनी तौर पर भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त है। धारा-7 के तहत मिलने वाले अधिकारों तक ही सीमित रखे जाते हैं। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने इस समझौते की धारा-7 को समाप्त करने की मांग की ताकि दार्जिलिंग के गोरखाओं को भारत में पूरे अधिकार मिल सकें। फ्रंट ने नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी उठाई। उनकी तीसरी प्रमुख मांग थी—दार्जिलिंग व आसपास के क्षेत्र को पश्चिम बंगाल से अलग करके एक गोरखालैंड राज्य की स्थापना। उनकी गोरखालैंड की मांग में किसी ग़ैर-संवैधानिक स्वायत्तता की मांग शामिल नहीं थी। गोरखालैंड आन्दोलन के दौरान कई बार बंद व हड़तालें संगठित की गईं जिनके दौरान व्यापक हिंसा की वारदातें हुईं। कई बार बंगाली व्यापारियों-व्यवसायियों के खिलाफ़ लूट-पाट की घटनाएं भी हुईं। इससे दार्जिलिंग की अर्थ-व्यवस्था को, जो मुख्यत: पर्यटन पर आधारित थी, काफ़ी धक्का लगा। 22 अगस्त, 1987 को एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसमें प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिल की स्थापना की बात मान ली। इस कौंसिल के सीधे चुनाव दिसम्बर, 1987 में हुए जिसमें गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट को 28-चुनावी सीटों में से 26 में जीत हासिल हुई। परिषद् में राज्य सरकार के 14 मनोनीत सदस्य भी हैं। फ्रंट के नेता श्री सुभाष घीसिंग कौंसिल के अध्यक्ष व श्री बी० जी० गुरून्ग उपाध्यक्ष चुने गए। इसके बाद से वहां पर शांति की वार्ता हुई है। लेकिन अभी हाल में श्री घीसिंग की विचारधारा में नया परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा है कि नेपाली एक विदेशी भाषा है तथा गोरखाओं को छोड़कर सभी नेपाली विदेशी हैं और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली के बजाय गोरखाली को शामिल करना चाहिए।

इस प्रकार सामाजिक भिन्नताओं, अस्तित्व एवं गतिशीलता की अधिकता के कारण अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होती है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर भारत भूमि में पैदा हो रही अलगाववाद की विष बेला निरन्तर फैलती जा रही है जो कि एक घातक संकेत है। भारत के कश्मीर से लेकर र्श्वोतर राज्यों तक अलगाववादी गतिविधियां निरन्तर बढ़ती जा रही हैं जो कि राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी हैं।

10. आतंकवाद (Terrorism)—आतंकवाद भारत की रक्षा समस्याओं में एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। हमारा देश एक लम्बी अवधि से आतंकवाद की विकट समस्या से जूझ रहा है। आतंकवाद के भस्मासुर ने आखिरकार अमेरिका, ब्रिटेन एवं मिस्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। अस्सी के दशक में यही देश इस समस्या से जूझ रहे दूसरे देशों की तरफ काफ़ी आश्चर्य से देखते थे। 9 और 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका, 7 व 21 जुलाई को ब्रिटेन तथा 25 जुलाई को मिस्र में भीषण विस्फोट करके अपनी घातक उपस्थिति का एहसास दुनियां को दिखा दिया। भारत ने पहले से ही पूर्वोत्तर राज्यों में नागा व मिजो विद्रोहियों से तथा बंगाल में नक्सलवादियों का

सामना किया था। कश्मीर के लिए आतंकवादी घटना एक आम बात सी बन गयी है। आज आतंकवाद केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु समस्त संसार की एक गंभीर व घातक समस्या के रूप में उभरा है।

11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका जैसे शक्तिशाली एवं तकनीकी विकसित देश को 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर हमला, 7 व 21 जुलाई 2005 को ब्रिटेन में विस्फोट, 5 जुलाई, 2005 में ही अयोध्या में विस्फोट तथा इसी महीने मिस्र में भीषण विस्फोट ने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्व में मंडरा रहा आतंकवाद का साया अब और घना नजर आने लगा है। आतंकवाद का केन्द्र पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान तो कश्मीर में चल रहे अंधाधुंध आतंकवादी हमलों को भी स्वतन्त्रता संग्राम बताता है। आतंकवाद का तन भी अन्त:विधि चीख का है।

आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी के उपयोग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष या लड़ाई की एक विधि व रणनीति है तथा अपने शिकार में भय व आतंक पैदा करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। यह वह क्रूर व हिंसक व्यवहार है जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता। मौजूदा दौर में आतंकवाद का रूप बहुत बदल गया है और ऐसा नयी तकनीकों के आने से हुआ है। संचार के अब ऐसे साधन आ गये हैं, जिनसे आतंकवादी संगठन एक दूसरे के साथ आसानी से सम्पर्क कायम कर लेते हैं और धन जुटाने से लेकर रणनीति बनाने तक आपस में बेहतर संवाद बना पा रहे हैं। संचार की नई तकनीक और हिंसा के लिए नये हथियार सिर्फ़ सरकारों को ही नहीं मिल पा रहे हैं, बल्कि आतंकवादी संगठनों को भी मिल रहे हैं। इसके जरिये वे अलग-अलग स्थितियों में अपने काम का तरीका बदलने में सक्षम हो गये हैं। विश्व भर में फैलते हुए आतंकवाद को अमेरिका की देन माना जाता है। भारत में यह सीधे तौर पर उसके कारण तो नहीं आया, पर आया है उसी की जानकारी में रहते हुए। पूर्वोत्तर राज्यों सहित भारत के अन्यों हिस्सों में फैल गया। हमारे यहां इसकी शुरूआत 1980 के दशक में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तत्कालीन सोवियत संघ की सेनाओं से लड़ने के लिए विश्व भर के मुस्लिम युवाओं की भावनाओं को भड़काकर कथित रूप से जेहाद के लिए प्रेरित किया था। इनके प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई० एस० आई० को सौंपा गया था। इस प्रकार आतंकवाद का विष वृक्ष बढ़ता गया और अब सम्पूर्ण विश्व इसकी परिधि में घिर गया है तथा भूमण्डलीकरण हो गया है।

आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य धमकी, हिंसा, हत्या व तबाही करके सरकार या शासन को अपनी बात मनवाने के लिए दबाव तथा देश की सुरक्षा, शान्ति व अखण्डता के लिए हर संम्भव खतरा उत्पन्न करना होता है। आतंकवाद के प्रकार इस प्रकार व्यक्त किये जा सकते हैं—

(1) राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद (State Sponsored Terrorism)
(2) गुट द्वारा प्रायोजित आतंकवाद (Group Sponsored Terrorism)
(3) अपराध सम्बन्धी आतंकवाद (Crime Related Terrorism)
(4) नार्को आतंकवाद (Narco Terrorism)
(5) मुद्दों से प्रेरित आतंकवाद (Issue Motivated Terrorism)
(6) कट्टरपंथी आतंकवाद (Fundamentalist Terrorism)
(7) फियादीन (आत्मघाती दस्ता) (Human Bomb Terrorism)
(8) साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism)
(9) आर्थिक आतंकवाद (Economic Terrorism)
(10) धार्मिक आतंकवाद (Religion Terrorism)
(11) परमाणु आतंकवाद (Nuclear Terrorism)

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई० एस० आई० ने अपनी नई रणनीति के तहत भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और अल्पसंख्यकों में आंतक फैलाने का अभियान चलाया है। अस्सी के दशक के प्रारम्भ से अब तक, चाहे पंजाब में धार्मिक भावनाएं भड़काने की गतिविधियां हों, मादक द्रव्यों का व्यापार तथा नकली नोटों का प्रचलन हो, सुरक्षाकर्मियों पर हमले हों या साइबर आतंकवाद हो, पाकिस्तान ऐसे कारनामों से भारत के खिलाफ नई साजिशें रच रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ अब खुलेआम कहने लगे हैं कि भारत के खिलाफ़ आतंकवाद नहीं, बल्कि जेहाद चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी आई० एस० आई० के दो मेजर और एजेंट पकड़े गए, जिन्होंने स्वीकार किया कि वे भारत में स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र बनाने हेतु जेहाद छेड़ने के लिए भेजे गए हैं। प्रसिद्ध इतिहासविद् और भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एच० के० बरपुजारी ने आशंका जताई है कि यदि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को नहीं रोका गया तो आगामी वर्षों में असम का एक बड़ा भाग बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने कहा

है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण असम के स्थानीय लोगों की पहचान का संकट उत्पन्न हो गया है। यदि सरकार व राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे तो भारत को अपनी सीमाएं दोबारा तय करनी पड़ेंगी। भारत में पाकिस्तान ने आतंकवादियों को केवल हथियारों के माध्यम या गिरजाघरों में विस्फोट करने तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर चोट करने के लिए नकली नोटों के प्रचलन को नया आयाम देते हुए नया ढंग ईजाद किया है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ साइबर आंतकवाद का खतरा इतना गंभीर है कि यदि इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो पाकिस्तान साइबर आतंकवाद के जरिए घर बैठे पूरे भारत में अराजकता फैला सकता है। बहरहाल, आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे नए प्रयोगों से निपटने के लिए भारत को स्वयं की सामरिक व राजनयिक रणनीतिक क्षमता को विकसित करना होगा। साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियान इस तरह चलाना होगा जिससे कोई भी वास्तविक आतंकवादी न बच सके और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कोई परेशानी न हो।

परमाणु आतंकवाद—दुनिया आतंकवाद से ग्रस्त है। इसी के तहत परमाणु आतंकवाद भी एक घातक रूप में उभरा है। वर्षों की वार्ता और विचार-विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख समिति ने परमाणु आतंकवाद से संघर्ष के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए। उधर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने तमाम देशों से आग्रह किया कि वे इस युग के सबसे बड़े खतरे को नाकाम करने की इस मुहिम में शामिल हों। सर्वसम्मति से शुक्रवार को स्वीकार किए गए इस मसौदे में परमाणु आतंकवाद की कार्रवाइयों को परिभाषित किया गया है और उससे निपटने के लिए अंतराष्ट्रीय कानूनी तंत्र को मज़बूत बनाने की सलाह दी गई है। इसके तहत इस तरह की आतंकी गतिविधियां चलाने वाले या उसकी धमकी देने वाले के खिलाफ अभियोजन चलाने या उनके प्रत्यर्पण का प्रावधान करने की बात कही गई है। सदस्य देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग के साथ ही परस्पर मदद के विविध रूपों का प्रावधान करने वाले इस दस्तावेज को अब मंजूरी के लिए 191 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष पेश किया जाएगा और इस बात की पूरी संभावना है कि महासभा में इसे मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद इस संधि को हस्ताक्षर के लिए सितंबर में खोला जाएगा, जब विश्व नेता संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के लिए यहां जमा होंगे।

अन्नान ने आतंकी बमबारी पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 1996 में गठित तदर्थ समिति को संबोधन में कहा, "परमाणु आतंकवाद संधि सर्वाधिक घातक हथियारों तक पहुंच हासिल करने से आतंकवादियों को रोकने में मदद करेगी। परमाणु आतंकवाद हमारे समय के सबसे बड़े खतरों में से एक है। एक हमला भी बड़ी संख्या में लोगों को हलाक कर देगा और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा।"

भारत में आतंकवाद के विविध रूप—भारत में आतंकवाद के अलग-अलग स्वरूप प्रकट हुए। इसमें से प्रमुख हैं—

खालिस्तान आतंकवाद—यह आतंकवाद पंजाब प्रान्त में जरनैल सिंह भिण्डरावाले के नेतृत्व में स्वतन्त्र राज्य खालिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से उभरा था। यह आतंकवाद 1984-85 में एक घातक स्थिति की ओर पहुंच गया। पवित्र गुरुद्वारों को शस्त्रागारों में बदल दिया गया और असंख्य निर्दोष लोग हिंसा का शिकार हुए। खालिस्तानी आतंकवादियों ने नफ़रत व हिंसा की जो आग लगायी उसमें पंजाब की सुख, शान्ति, सौहार्द एवं समृद्धि सब जलकर राख हो गयी। 1984 में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी गयी और हिन्दू बनाम सिक्ख उपद्रव के लिए अनेक सिक्ख उग्रवादी संगठन खड़े हो गये जैसे—

(1) नेशनल काउन्सिल ऑफ़ खालिस्तान (डॉ० जगजीत सिंह चौहान)
(2) दल खालसा (सरदार गजेन्द्र सिंह)
(3) सिक्ख लीग (सरदार सुधविन्दर सिंह)
(4) खालिस्तानी कमाण्डो फोर्स (पंजवाड के परमजीत सिंह)
(5) बब्बर खालसा (दासूवाला सुखदेव सिंह)
(6) खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (गुरजन्ट सिंह व बुध सिंह)
(7) सिक्ख स्टूडेण्ट फैडरेशन (बिट्टू गुट नेता दलजीत सिंह)
(8) आल इण्डिया सिक्ख स्टूडेण्ट फैडरेशन (मनजीत सिंह)

इस आतंकवाद में 21,159 लोगों को अकाल मौत का शिकार होना पड़ा। यद्यपि पंजाब अब पूरी तरह शान्त है किन्तु पाकिस्तान पुराने आतंकवादी गुटों को प्रोत्साहित करने का भी काम करता रहता है।

कश्मीर में आतंकवाद

उग्रवादियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र

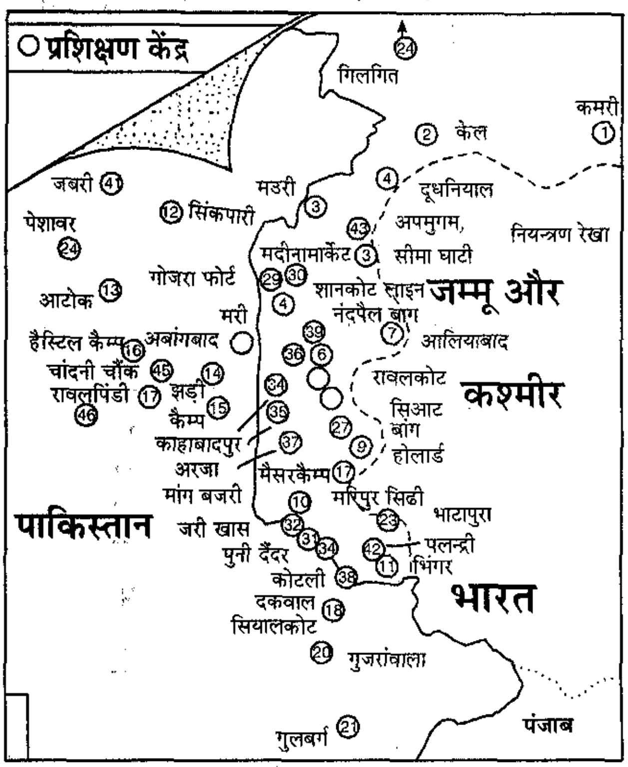

दुनिया के बहुत से अन्य देशों की तुलना में हमारे राष्ट्र की स्थिति कहीं ज्यादा कठिन है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उग्रवाद के लिए पर्याप्त पोषक तत्त्व भी मौजूद हैं। भारत में जितनी अधिक भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि बहुलताएं हैं उतनी ही अधिक यहां उग्रवाद और अलगाववाद के विकास की संभावनाएं हैं। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी उग्रवाद राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होता है और राजनीति के औज़ार के रूप में काम करता है तब वह अलगाववाद का पर्याप्य बनकर सामने आता है। कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियां इसका बड़ा प्रमाण हैं। जहां उग्रवाद की लहर से पंजाब में शान्त हुई वहां 12 मार्च, 1993 को बम्बई में एक साथ विस्फोट करके 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यद्यपि यह घटना माफिया उग्रवादी गिरोह द्वारा सुनियोजित ढंग से की गई और इस्लामी उग्रवाद के प्रसार का ही इसे एक रूप दिया जाता है। हजरत बल की घटना इसका एक बड़ा उदाहरण है। कश्मीर में व्याप्त उग्रवाद की गतिविधियां तथा सक्रिय आतंकी संगठन इस प्रकार हैं—

सिमी (स्टूडेण्ट इस्लामिक मूवमेण्ट ऑफ़ इण्डिया) और लश्कर-ए-तैयबा के अलावा निम्न उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। लश्कर-ए-ओमर, हिज्बुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-अंसार (हरकत-उल-मुजाहिदीन), जैश-ए-मोहम्मद, अल बद्र, जमायत-उल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-जब्बर, हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी, अल बर्क, तहरीक-उल-मुजाहिदीन, अल जेहाद, जम्मू-कश्मीर नेशनल लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लीग, मुस्लिम जांबाज़ फोर्स, कश्मीर जेहाद फोर्स, अल जेहाद फोर्स, अल उमर मुजाहिदीन, महज-ए-आज़ादी, इस्लामी जमात-ए-तुलबा, जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट, इख्वान-उल-मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, तेहरीक-ए-हुर्रियत-ए-कश्मीर, तहरीक-ए-निफज़-ए-फिकर जफरिया, अल मुस्तफा लिबरेशन फाइटर्स, तहरीक-ए-जेहाद-ए-इस्लामी, मुस्लिम मुजाहिदीन, अल मुजाहिद फोर्स, तहरीक-ए-जेहाद, इस्लामी इंकलाबी महिज़, मुत्ताहिदा जेहाद काउंसिल, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, दुखतरन-ए-मिल्लत, दीनदार, अंजुमन और आसिफ रजा कमांडो फोर्स।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले

वर्ष	हमले	शिकार	मृतक
2002	112	542	219
2003	52	776	111
2004	284	1,872	434

भारत में कब कितने लोग हुए आतंक के शिकार

वर्ष	नागरिक	सुरक्षा कर्मी	आंतकवादी	कुल
1994	1805	438	2,025	4,268
1995	1895	501	1,678	4,074
1996	2198	663	1,639	4,500
1997	1941	693	1,902	4,536
1998	2080	566	1,713	4,359
1999	1684	821	1,847	4,352
2000	2063	837	2,655	5,555
2001	1906	819	3,658	6,383
2002	1275	722	2,309	4,306
2003	1321	521	2,329	4,171
2004	973	521	1,371	2,865
कुल	19,141	7,102	23,126	49,369

मुम्बई में हुए बम धमाके (1997-2003)

तारीख	स्थान	मरे	घायल
अगस्त 25, 2003	गेटवे ऑफ इंडिया झावेरी बाजार	50	150
जुलाई 29, 2003	घाटकोपर	3	34
अप्रैल 14, 2003	बांद्रा	1	0
मार्च 13, 2003	मुलुंद रेलवे स्टेशन	11	80
जनवरी 27, 2003	विले पार्ले	1	25
दिसम्बर 6, 2002	मुम्बई सेंट्रल स्टेशन	0	25
दिसम्बर 2, 2002	घाटकूपर	3	31
फरवरी 27, 1998	विरार	9	0
जनवरी, 24, 1998	मलाड	0	1
अगस्त 28, 1997	जामा मस्जिद के पास	0	3
मार्च 12, 1997	पूरे शहर में 13 धमाके	257	713

किस राज्य में कितने हुए आतंक के शिकार
(1994-2004)

आतंकग्रस्त क्षेत्र	नागरिक	सुरक्षा कर्मी	आतंकवादी
जम्मू कश्मीर	9,956	4,517	16,442
पूर्वोत्तर	7,022	1,928	4,654
वामपंथी हिंसाग्रस्त	2,081	655	1,939
पंजाब	82	2	91
कुल	19,141	7,102	23,126

(वर्ष 2004 में 28 दिसम्बर तक के आंकड़े)

दिल्ली में आतंक (1998-2001)

तारीख	स्थान	मरे	घायल
दिसम्बर 13, 2001	**संसद**	11	30
अगस्त 11, 2001	साउथ-एक्स	-	2
मई 20, 2001	सी०जी०ओ० काम्पलेक्स	-	-
मई 9, 2001	आर्मी मुख्यालय	-	1
जून 18, 2000	लाल किला	2	-
मार्च 16, 2000	सदर बाजार	-	7
फरवरी 27, 2000	पहाड़गंज	-	8
जनवरी 6, 2000	पुरानी दिल्ली स्टेशन	-	20
जून 3, 1999	चांदनी चौक	-	27
अप्रैल 16 1999	होलम्बी कलां स्टेशन	2	-
दिसम्बर 19, 1998	भजनपुरा मंदिर	-	-
अगस्त 31, 1998	तुर्कमान गेट	1	17
जुलाई 26, 1998	आई०एस०बी०टी	2	3
जनवरी 9, 1998	आई०टी०ओ०	-	40
दिसम्बर 30, 1998	पंजाबी बाग	4	30

आस्था पर आघात

तारीख	स्थान	मरे	घायल
24 सितम्बर, 2002	अक्षरधाम मन्दिर पर हमला	35	74
24 नवम्बर, 2002	रघुनाथ मन्दिर पर हमला	16	45
5 जुलाई, 2005	राम जन्मभूमि पर हमला	6 (आतंकी)	6
1 अक्तूबर, 2001	कश्मीर विधानसभा पर हमला	36	70

विश्व में पिछले सालों में हुए आतंकवादी हमलों की संख्या

वर्ष	आतंकी वारदात	मृतक	घायल
2002	198	725	2013
2003	208	625	3686
2004	655	1359	5792

2005 जुलाई में ब्रिटेन (लन्दन) व मिस्र के कहिरा में आतंकवादी भीषण हमले हुए।

पूर्वोत्तर में आतंकवाद—भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में भी आतंकवाद की फसले लहलहा रही हैं। पूर्वोत्तर के आतंकवाद की आग ने अंधेरा ही ज्यादा फैलाया है। यह आतंकवाद संवादहीनता या एक-दूसरे से दूर रहने के कारण ही अधिक फैला है। आतंकवाद की चपेट में आने का एक प्रमुख कारण आर्थिक विकास का अभाव भी रहा है। इसके साथ यहां की भौगोलिक स्थिति, अज्ञानता, अशिक्षा, अस्तित्त्व की अलग पहचान, आपसी आक्रोश व असुरक्षा बोध ने भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया। देश का पूर्वोत्तर भाग एक लम्बी अवधि से अशान्त वातावरण से गुजर रहा है। सभी सात राज्य हिंसा से जूझ रहे हैं। लेकिन नागालैण्ड, असम, व मणिपुर में स्थिति अत्यन्त नाजुक है। एन० एस० सी० एन० (NSCN) उल्फा तथा बोडो उग्रवादियों ने आतंक फैला रखा है। पाकिस्तान खुफिया एजेन्सी आई० एस० आई की छाया में आतंकवाद पनप रहा है।

उत्तर-पूर्व के राज्यों में अलगाववादी संगठनों की उग्रवादी गतिविधियां देश के लिए हमेशा चिंता का विषय रही हैं, लेकिन इन दिनों अचानक हिंसा की बाढ़ और उग्रवादियों की प्रहार शैली ने केन्द्र सरकार के सामने एक गंभीर चुनौती पेश कर दी है। हिंसक घटनाओं के ताजा उफान का चिंताजनक पहलू यह है कि पूर्वोत्तर में सक्रिय करीब तीस अलगाववादी संगठनों ने आपस में तालमेल कर लिया है और इनके नेताओं को बांग्लादेश व म्यांमार से बेखौफ अपनी गतिविधियां चलाने की इजाजत है। सुरक्षा बलों के दबाव से पस्त हो चुके उल्फा जैसे संगठन फिर से मज़बूत होकर खड़े हो गए हैं। भूटान में आतंकियों के कैंप ज़रूर नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन उग्रवादियों की उपस्थिति तो बनी ही हुई है। आतंकी गतिविधियों के शायद इसी खतरनाक अंतराष्ट्रीय आयाम को देखकर अमेरिका ने पूर्वोत्तर में जारी उग्रवाद पर काबू पाने में मदद की पेशकश की है। भारत में अमेरिका के राजदूत डेविड सी० मुलफोर्ड ने गृह मंत्री शिवराज पाटिल सहित असम व नागालैंड के मुख्यमन्त्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफ०बी०आई० पूर्वोत्तर में मदद करने को तैयार है। अमेरिका के पास उग्रवादी हिंसा से जुड़े मामलों की तफ्तीश करने वाली दक्ष जांच तकनीक है। इस पेशकश के लिए धन्यवाद, लेकिन पूर्वोत्तर में यह हमारी अपनी जंग है और इस जंग को हम हर हाल में पूर्वोत्तर की जनता के सहयोग से जीतेंगे।

पूर्वोत्तर की जटिल सामाजिक स्थितियों, जनता का मनोविज्ञान और उनकी आकांक्षाओं को कोई विदेशी एजेंसी कतई नहीं समझ सकती। इसीलिए सुरक्षा बलों ने अमेरिकी पेशकश पर कोई उत्साह नहीं दिखाया है। असम के मुख्यमन्त्री तरुण गोगोई एफ०बी०आई० की मदद ज़रूर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि केन्द्र इसकी इजाजत देने की कूटनीतिक भूल करेगा। वामपंथी पार्टियों ने अमेरिकी पेशकश के तत्काल बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हैं। अमेरिका की ओर से इसी तरह की पेशकश 2002 में तब हुई थी, जब कोलकाता में अमेरिकन सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। मुम्बई बम धमाकों के सिलसिले में भी अमेरिकी मदद का प्रस्ताव आया था। दोनों बार अमेरिकी पेशकश ठुकरा दी गई। विदेश मन्त्रालय ने इसीलिए बहुत सतर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि पेशकश दोनों देशों के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए जारी सहयोग के संदर्भ में है। आतंकवाद के खिलाफ परस्पर सहयोग का अर्थ यही है कि दोनों देश संवेदनशील सूचनाओं का आदान-प्रदान करें, केन्द्रीय स्तर पर सहयोग मांगा और दिया जा सकता है, लेकिन कानून-व्यवस्था के संकट पर अमेरिकी राजदूत की ओर से सीधे राज्यों को पत्र लिखना कदाचित जायज नहीं है। अगर अमेरिका वाकई गंभीर है, तो वह बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान पर आतंकी कैंप नष्ट करने का दबाव बनाए।

पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय प्रमुख उपद्रवी/उग्रवादी संगठन

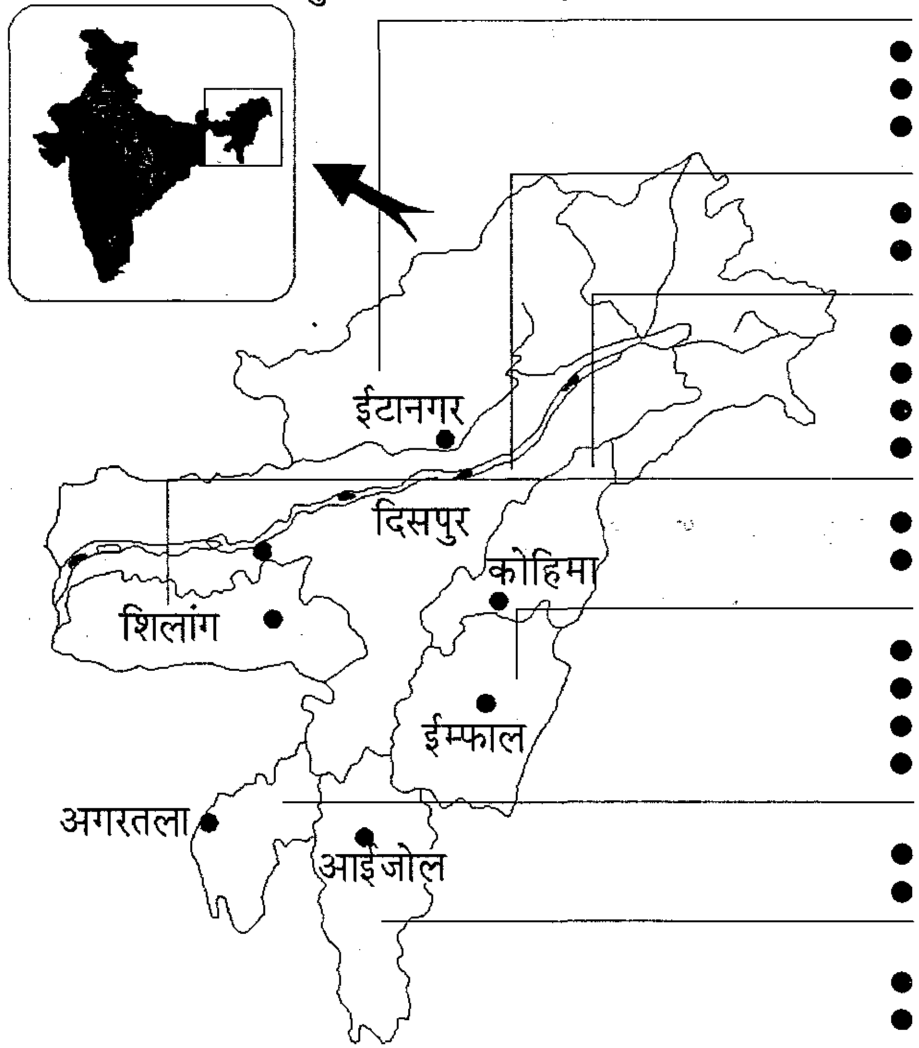

प्रमुख उपद्रवी/उग्रवादी ग्रुप

अरुणाचल प्रदेश
- यूनाइटेड लिबरेशन वालेन्टियर्स ऑफ़ अरुणाचल प्रदेश (ULVA)
- यूनाइटेड पीपुल्स वालेन्टियर्स ऑफ़ अरुणाचल प्रदेश (UPVA)
- यूनाइटेड लिबरेशन मुवमैन्ट ऑफ़ अरुणाचल प्रदेश (ULMA)

असम
- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ़ असम (ULFA)
- बोडो सिक्योरिटी फोर्स (BSF)

नागालैण्ड
- नैशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ़ नागालैण्ड (NSCN(M)
- नैशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ़ नागालैण्ड (NSCN(K)
- नागा नैशनल काउन्सिल (अडिनो)/नागा फेडरल गर्वनमैन्ट (NFG)
- नागा नैशनल काउन्सिल (खडाओ) (NNC) K

मेघालय
- अचिक लिबरेशन मातग्रीक आर्मी (ALMA)
- हिन्यूट्रैप अचिन लिबरेशन काउन्सिल (HALC)

मणिपुर
- यूनाइटिड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (UNLF)
- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)
- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (NSCNM)
- पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कंगलिपक (PRPK)

त्रिपुरा
- आल त्रिपुरा ट्राइबल आर्मी (ATTA)
- नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ़ त्रिपुरा (NLFT)

मिजोरम
- हमार पिपुल्स कन्वेशन (HPC)
- जरम रिफॉर्मेशन आर्मी (ZRA)

पूर्वोत्तर के आतंकवादी संगठन

असम

1. युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
2. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एनडीए-फबी
3. युनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडैरिटी (यूपीडी-एस)
4. कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (केएलओ)
5. बोड़ो लिबरेशन टाइगर फोर्स (बीएलटीएफ)
6. दीमा हलीम दरगाह (डीएचडी)
7. कर्बी नेशनल वालंटियर्स (केएनवी)
8. राभा नेशनल सिक्यूरिटी फोर्स (आरएनएसएफ)
9. कोच-राजभोंगशी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (केआरएलओ)
10. कर्बी पीपुल्स फ्रंट (केपीएफ)
11. तीवा नेशनल रिवोल्यूशनरी फोर्स (टीएनआरएफ)
12. बिरछा कमांडो फोर्स (बीटीएफ)
13. बंगाल-टाइगर फोर्स (बीटीएफ)
14. आदिवासी सिक्यूरिटी फोर्स (एएसएफ)
15. ऑल असम आदिवासी सुरक्षा समिति (आस)
16. गोरखा टाइगर फोर्स (जीटीएफ)
17. बराक वैली यूथ लिबरेशन फ्रंट (बीवीवाई-एलएफ)
18. मुस्लिम युनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ असम (एमयूएलटीए)
19. मुस्लिम युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (एमयूएलएफ़ए)
20. मुस्लिम सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ असम (एमएससीए)
21. युनाइटेड लिबरेशन मिलीशिया ऑफ असम (यूएलएमए)
22. इस्लामिक लिबरेशन आर्मी ऑफ असम (आईएल-एए)
23. मुस्लिम वॉलंटियर फोर्स (एमडब्ल्यूएफ)
24. मुस्लिम लिबरेशन आर्मी (एमएलए)
25. मुस्लिम सिक्यूरिटी फोर्स (एमएसए)
26. इस्लामिक सेवक संघ (आईएसएस)
27. इस्लामिक युनाइटेड रिफॉर्मेशन (आईयूआर)
28. युनाइटेड मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएमएलएफए)
29. मुस्लिम टाइगर फोर्स (एमटीएफ)
30. रिवोल्यूशनरी मुस्लिम कम्युनिटी (आरएमसी)
31. पीपुल्स युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)
32. आदम सेना (एएस)
33. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन
34. हरकत-उल-जेहाद

मणिपुर

1. युनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)
2. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
3. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लीपाक (पीआरईपीएके)
   (उक्त दोनों संगठन अब एक ही संगठन मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के नाम से काम कर रहे हैं)
4. कांग्लीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)
5. कांग्ली यावोल कुन्ना लुप (केवाईकेएल)
6. मणिपुर लिबरेशन टाइगर आर्मी (एमएलटीए)
7. इरीपाक काबा लुप (आईकेएल)
8. पीपुल्स रिपब्लिकन आर्मी (पीआरए)
9. कांग्लीपाक कांबा कांगलुप (केकेके)
10. कांग्लीपाक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (केएलओ)
11. रिवोल्यूशनरी ज्वाइंट कमेटी (आरजेसी)
12. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन-इशाक मुइवा)
13. पीपुल्स युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (पीयूएलएफ)
14. नॉर्थ-ईस्ट माइनॉरिटी फ्रंट (एनईएमएफ)
15. इस्लामिक नेशनल फ्रंट (आईएनएफ)
16. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी फ्रंट (आईआरएफ)
17. युनाइटेड इस्लामिक लिवरेशन आर्मी (यूआईएलए)
18. युनाइटेड इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी (यूआईआरए)
19. कूकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ)
20. कूकी नेशनल आर्मी (केएनए)
21. कूकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (केएनओ)
22. कूकी इंडिपेंडेंट आर्मी (केआईए)
23. कूकी डिफेंस फोर्स (केडीएफ)
24. कूकी इंटरनेशनल फोर्स (केआईएफ)
25. कूकी नेशनल वॉलंटियर्स (केएनबी)
26. कूकी लिबरेशन फ्रंट (केएलएफ)
27. कूकी सिक्यूरिटी फोर्स (केएसएफ)
28. कूकी रिवोल्यूशनरी फ्रंट (केआरएफ)
29. युनाइटेड कूकी लिबरेशन फ्रंट (यूकेएलएफ)
30. हमार पीपुल्स कन्वेंशन (पचपीसी)
31. हमार रिवोल्यूशनरी फ्रंट (एचआरएफ)
32. जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी (जेडआरए)

33. जोमी रिवोल्यूशनरी वॉलंटियर्स (जेडआरबी)
34. इंडिजेनस पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी (आईपी-आरए)
35. कोम रेम पीपुल्स कन्वेंशन (केआरपीसी)
36. चिन कूकी रिवोल्यूशनरी फ्रंट (सीकेआरएफ)

मेघालय

1. हाइन्यूट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)
2. आचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (एएनवीसी)
3. नगा नेशनल काउंसिल (एनएनसी)

त्रिपुरा

1. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएल-एफटी)
2. ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)
3. त्रिपुरा लिबरेशन ऑर्गीनाइजेशन फ्रंट (टीएल-ओएफ)
4. यूनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट (यूबीएलएफ)
5. त्रिपुरा ट्राइवल वालंटियर फोर्स (टीटीवीएफ)
6. त्रिपुरा आर्म्ड ट्राइबल कमांडो फोर्स (टीएटीसीएफ)
7. त्रिपुरा ट्राइबल डेमोक्रेटिक फोर्स (टीटीडीएफ)
8. त्रिपुरा ट्राइबल यूथ फोर्स (टीटीयूएफ)
9. त्रिपुरा लिबरेशन फोर्स (टीएलएफ)
10. त्रिपुरा डिफेंस फोर्स (टीडीएफ)
11. ऑल त्रिपुरा वालंटियर फोर्स (एटीवीएफ)
12. ट्राइबल कमांडो फोर्स (टीसीएफ)
13. त्रिपुरा ट्राइबल यूथ फोर्स (टीटीयूएफ)
14. ऑल त्रिपुरा भारत सुरक्षा फोर्स (एटीबीएसएफ)
15. त्रिपुरा ट्राइबल एक्शन कमेटी फोर्स (टीटीएसीएफ)
16. सोसलिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एसडी-एफटी)
17. ऑल त्रिपुरा नेशनल फोर्स (एटीएनएफ)
18. त्रिपुरा ट्राइबल सेंगकराक फोर्स (टीटीएसएफ)
19. टाइगर कमांडो फोर्स (टीसीएफ)
20. त्रिपुरा मुक्ति पुलिस (टीएमपी)
21. त्रिपुरा राज्य रक्षा वाहिनी (टीआरआरवी)
22. त्रिपुरा स्टेट वालंटियर (टीएसवी)
23. त्रिपुरा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (टीएनडीएफ)
24. नेशनल मिलीशिया ऑफ त्रिपुरा (एनएमटी)
25. ऑल त्रिपुरा बंगाल रेजिमेंट (एटीबीआर)
26. बांग्ला मुक्ति सेना (बीएमएस)
27. ऑल त्रिपुरा लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एटीए-लओ)
28. त्रिपुरा नेशनल आर्मी (टीएनए)
29. त्रिपुरा स्टेट वॉलंटियर्स (टीएसवी)
30. बराक नेशनल काउंसिल ऑफ त्रिपुरा (बीएन-सीटी)

10. नक्सलवाद एक सामयिक समस्या

नक्सलवाद मूल रूप से मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर आधारित है। इसके तहत शोषित, उपेक्षित एवं दलित वर्ग अपनी संघर्ष शक्ति से पूंजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों एवं शासकों को शिकार बनाते हैं और शासक वर्ग की राजसत्ता को लूटना अपना अधिकार मानते हैं। नक्सलवादियों के इस अधिकार प्राप्त करने में जो बाधा पहुँचाता है, उसे समाप्त कर देना चाहिए, तभी सर्वहारा तन्त्र की स्थापना हो सकेगी, ऐसी उनकी धारणा है। यद्यपि इसका वास्तविक उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है, किन्तु अकारण हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद अपनाने के कारण यह हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक सामयिक समस्या के रूप में उभरा है। नक्सलवाद को आतंकवाद का पर्याय कहना अनुचित है। वास्तव में नक्सलवाद एक विचारात्मक, राजनीतिक व आर्थिक संघर्ष है, जो वर्तमान शासक वर्ग की राजसत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है। ऐसे शासक वर्ग की राजसत्ता को, जिसके मालिक देशी-विदेशी पूंजीपति, भू-स्वामी, ठेकेदार, दलाल नौकरशाह हैं और जो बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग पर शासन करते हैं।

नक्सलवादी आन्दोलन का आरम्भ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के एक संभाग से हुआ, जिसमें नक्सलवाड़ी, पंसीदेवा व खरीबाड़ी जैसे तीन उपक्षेत्र थे। इसमें संथाल, आरांव तथा राजवंशी जैसी जनजाति के लोग रहते हैं। इसी नक्सलवाड़ी क्षेत्र के कारण ही इसका नाम नक्सलवाद पड़ा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारत में 1964 में अस्तित्व में आई। कम्युनिस्ट क्रान्ति के जुनून सी० पी० एम० के सदस्य बने कम्युनिस्टों का मोहभंग उस समय हुआ, जब नक्सलबाड़ी गाँव में भू-स्वामियों के विरुद्ध भूमिहीन किसान व बेरोजगार युवकों ने अपना संघर्ष अभियान आरम्भ किया। इस संघर्ष को सी० पी० एस० सदस्य एवं जिला स्तरीय नेता चारू मजूमदार, कान्यू संथाल व युवा संथाल ने नेतृत्व प्रदान किया। वास्तव में नक्सलवादी विचार को सैद्धान्तिक समर्थन अप्रैल 1969 में मिला, जब चीन की

कम्युनिस्ट पार्टी की नवीं कांग्रेस सम्पन्न हुई; जबकि माओ के विचारों को मार्क्सिज्म-लोनिनिज्म की चरम सीमा कहा जाता था। इन्हीं विचारों का उपयोग करते हुए नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार ने घोषणा की थी कि 'चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है।' बंगाल से नक्सलवादी आन्दोलन भूमिहीन श्रमिकों की ओर से संघर्ष करने बिहार में फैला।

स्वाधीन भारत के इतिहास में नक्सलबाड़ी का आन्दोलन मात्र एक किसान एवं भूमिहीन वर्ग की जागृति का ही एक आन्दोलन नहीं था, बल्कि भारतीय समाज के क्रान्तिकारी परिवर्तन हेतु कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों ने चीन में सम्पन्न हुई कम्युनिस्ट क्रान्ति से सबक सीखते हुए लेनिनवाद, मार्क्सवाद और माओत्से तुंग विचारधारा को अपना प्रस्थान बिन्दु माना। सामन्तवाद को समाप्त करने हेतु साम्यवाद का यह संघर्ष उस समय उग्र हुआ, जब भूमिहीन किसान एवं उपेक्षित सामाजिक वर्ग ने इसका दामन थाम लिया। भारी भूल, भटकाव, भय, भागमभाग एवं भड़ास से भरे असंतुलित तथा राज्य प्रशासन द्वारा अभूतपीर्व दमन, दबाव एवं उत्पीड़न के बावजूद नक्सवादी गतिविधियों का सिलसला जारी रहा। अपनी अनेक भूलों के कारण नक्सलवाद अपने मूल स्थान पश्चिम बंगाल में तो पनप नहीं सका, किन्तु जहाँ नक्सलवादियों के छिपने एवं कूटयोजना बनाने हेतु जंगल एवं घाटी क्षेत्र विशेष रूप से उपलब्ध हैं, वहाँ अधिक पनपा और आज भी इसका आतंक कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे-आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा आदि। नक्सलवादी संगठन के पास कुशल सूचना तन्त्र, विशेष प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक शस्त्र-प्रणाली भी है।

नक्सलवादी नाम से आमतौर पर प्रचलित कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की इस धारा में स्पष्ट तौर पर दो प्रवृत्तियों के बीच वर्तमान में यह विभाजित है। एक विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं उड़ीसा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सक्रिय 'पीपुल्स वार ग्रुप' जो एक नक्सलवाद की अराजकतावादी धारा है। दूसरी प्रवृत्ति तो संसदीय व गैर संसदीय संघर्ष को अपना प्रस्थान बिन्दु मानती है, उसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन यानि भाकपा *(माले) लिबरेशन कहा जाता है। आन्ध्र प्रदेश के नक्सली नेता कोंडापल्ली सीता रमैया ने तमिलनाडु के नक्सली* नेता कोदंडरामन के साथ मिलकर 'पीपुल्स वार ग्रुप' का गठन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी विचारधारा से जोड़ने व ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए पीपुल्स वार ने रैयत कुली संघम स्थापित किया, जबकि शहरों में सक्रियता बनाए रखने हेतु उन्होंने 'रेडिकल स्टूडेण्ट यूनियन' तथा 'रेडियकल यूथ लीग संगठन' तैनात किए। इसके साथ ही नागरिक अधिकार संगठन आन्ध्र प्रदेश सिविल लिबर्टी कमेटी में उसने अपना शक्तिशाली आधार स्थापित कर लिया। सांस्कृतिक क्षेत्र में इस संगठन ने विप्लवी रचयिता संघम और जन नाट्य मण्डली का गठन करके लोकप्रियता की एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इसके फलस्वरूप मध्यवर्गीय युवक एवं गरीब व उपेक्षित वर्ग विशेष रूप से इससे आकर्षित होने लगा और आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र के गडचिरोली और चन्द्रपुर तक अपना विस्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होने लगा। बिहार में विशेष रूप से सक्रिय पार्टी यूनिटी ग्रुप का इस संगठन में विलय हो गया। पीपुल्स वार ग्रुप की तरह बिहार का एक नक्सलवादी गुट (माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र) एस० सी० सी० भी इस समय खास तौर से सक्रिय है।

उत्पीड़न की उत्पत्ति नक्सलवाद ने उन्मूलन के लिए संगठनों की आड़ में पीपुल्स वार ग्रुप के तहत अपने छापामार दलों को नियमित सेना की भाँति संरचनाओं (फारमेशन) में संगठित कर रखा है। श्रीलंका के एल०टी०टी०ई० छापामार दल की तरह भूमिगत बारुदी सुरंगें (बूबी ट्रेप) बिछाने में विशेष रूप से दक्षता प्राप्त कर रखी है। इसी कौशल के तहत ही आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू पर हमला करके पीपुल्स वार ग्रुप ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को एक सीधी चुनौती दी। एक लम्बी अवधि से हथियारबंद यह ग्रुप इस घटना के बाद चर्चित अवश्य हो गया है, किन्तु पीपुल्स वार ग्रुप एक कुशल नेतृत्व के अभाव में अपना अभी तक एक ठोस सामयिक आधार स्थापित नहीं कर पाया है और न ही अपने निर्धारित लक्ष्य को पा सका है।

पीपुल्स वार ग्रुप : एक नज़र में

संस्थापक	:	नक्सली नेता कोंडापल्ली सीता रमैया।
स्थापना वर्ष	:	1980, 22 अप्रैल।
स्थिति	:	वर्ष 1991 से सरकार द्वारा प्रतिबन्धित।
कार्य क्षेत्र	:	आन्ध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल व पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र।
कार्य पद्धति	:	पूंजीपति, जमींदारों, प्रशासकों एवं सम्पन्नवर्ग पर हमला करना, अपहरण करना व बदले में धन वसूलना व उनकी हत्या करना, क्रान्तिकारी हिंसा फैलाना।
संगठन	:	यह भूमिगत, जंगलों एवं घाटी क्षेत्र में आदिवासियों के साथ रहने वाला गैर राजनीतिक संगठन।
उद्देश्य	:	सर्वहारा तन्त्र की स्थापना करना तथा सामन्तवाद को समाप्त करना।
प्रमुख नेता	:	मलकापुरम भाष्कर, कवि बरवर राव, रामचन्द्र रेड्डे, कताक्का, अम्युल्य, मालचन्द्रा तथा चन्द्रशेखर रेड्डी आदि।
सम्पर्क	:	यह संगठन श्रीलंका के लिट्टे और नेपाल के माओवादी संगठनों के सम्पर्क में भी है।

पीपुल्स वार ग्रुप विगत दो दशकों से सबसे बड़ी नक्सली शक्ति के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। इस ग्रुप ने अपने साथ झारखण्ड व बिहार में पार्टी यूनिटी और इसरो ग्रुपों के साथ विलय के बाद इसने वहाँ भी एक बड़ी ताकत खड़ी कर ली है। इसके बावजूद यह स्पष्ट रूप से अनुमानित कर लिया गया है कि नक्सलवादी संगठन एक ही स्थान पर लम्बी अवधि तक अपना आधार स्थापित करने में समस्या व संकट का अनुभव करते हैं। एक परिघटना के रूप में नक्सलवाद के आरम्भ होने के इन छत्तीस वर्षों के दौरान पीपुल्स वार ग्रुप को छोड़कर दूसरे अनेक नक्सलवादी संगठनों ने अपनी समस्त सामरिक कार्यवाहियों को लगभग समाप्त कर दिया है। बिहार का नक्सलवादी संगठन सी० पी० आई० (एम० एल०) लिबरेशन इस राज्य की एक बड़ी आन्दोलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि नक्सली माफिया गिरोह की भाँति सिर्फ अपराध के लिए और अपराध के सहारे जीवित रहने वाले अपराधी नहीं हैं। इनकी एक विचारधारात्मक पृष्ठभूमि होती है और वे प्रायः किसी गैर अपराधिक संयुक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु ऐसे काम को अंजाम देते हैं। यह दूसरी बात है कि समय के साथ सोच-विचार और संयुक्त लक्ष्य जैसी बातें महत्त्वहीन हो गई हैं और इन नक्सलवादी गुटों के लिए हिंसा, आतंक, निजी वर्चस्व एवं प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयाँ ही प्रमुख हो गई हैं। कुछ नक्सलवादी संगठन तो पूरी तरह से ही माफिया गिरोहों में तबदील हो गए हैं, जिनका काम आतंक फैलाकर रकम वसूल करना रह गया है। इन संगठनों का सहारा लेकर बहुत से अपराधी इसमें घुस गए हैं, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता। जिनका एकमात्र उद्देश्य अराजकता पैदा करके धन कमाना होता है। इसी के बहाने ये लूट-पाट, अपहरण और अपराध करके पैसे की उगाही करते हैं। आन्दोलन की आड़ में अपना हित साधते हैं।

वास्तव में गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी, मज़दूर और किसान ही नक्सलवाद के प्रमुख रूप से अनुयायी हैं। इनके साथ एक बड़ी मात्रा में बुद्धिजीवी वर्ग भी इन्हीं के हक की लड़ाई में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भाग ले रहे हैं। इनका संघर्ष का प्रमुख उद्देश्य इन लोगों की सत्ता में सहभागिता को सुनिश्चित करना है। इस कारण इनका उद्देश्य अच्छा है, किन्तु कार्य पद्धति गलत है। इनके आन्दोलन में हिंसा शामिल है। देश का इस समय जो परिदृश्य है, उसमें हिंसा, लूटपाट एवं अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सफलता प्राप्त करने का एक सफल साधन भी नहीं कहा जा सकता है। सत्ता एवं व्यवस्था से मतभेद के लिए बर्बरतापूर्ण कृत्य करना नक्सलवाद के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्यसत्ता पर अधिकार करने के उद्देश्य स्वयं, समाज, राज्य व राष्ट्र के अस्तित्व के लिए घातक है। हिंसा भले ही एक हद तक कामयाब हो सकती है, लेकिन इस तरह के आतंक से राज्य व्यवस्था नहीं बदली जी सकती। राजशक्ति के सामने उनकी कोई बिसात नहीं। वंचितों के हितों की रक्षा के लिए बेहतर यह होगा कि नक्सली लोकतन्त्र की सीमाओं से उन्हें लामबन्द करें।

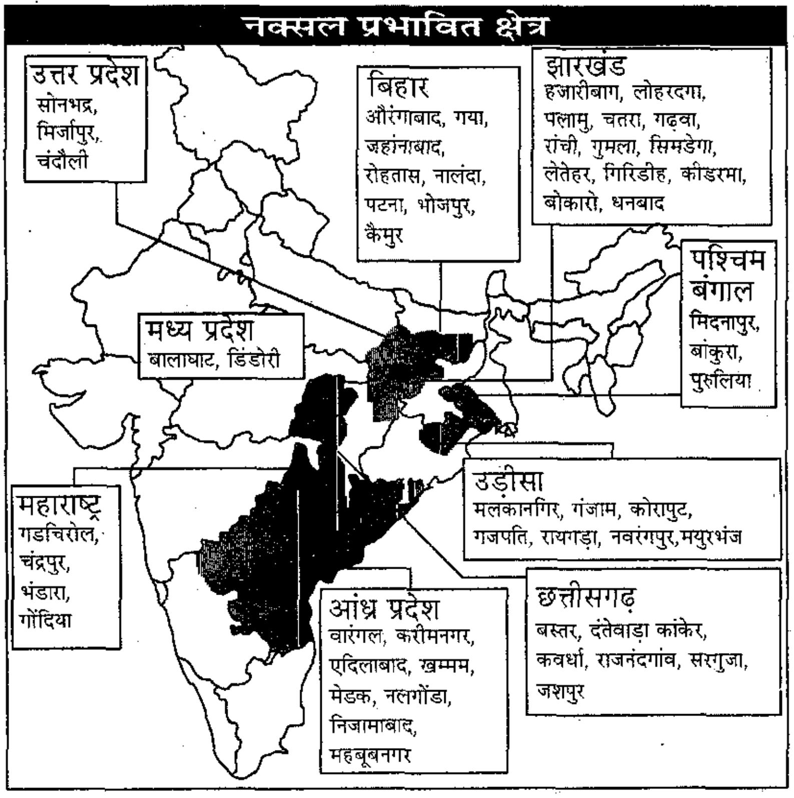

पैर पसारते नक्सली

उत्तरांचल, केरल और तमिलनाडु में भी नक्सल धारा की जमीन है। गृह मन्त्रालय के अनुसार देश के 55 ज़िले नक्सल हिंसा से बुरी तरह ग्रस्त हैं। 17 ज़िले आन्दोलन से काफ़ी प्रभावित हैं। 52 ज़िलों में नक्सलियों का आंशिक प्रभाव है और 21 अन्य ज़िले नक्सलियों के निशाने पर हैं।

हमले और मौतें

वर्ष 2001 में 1208, वर्ष 2002 में 1465 और वर्ष 2003 में 1671 नक्सली हमले हुए। जुलाई 2004 तक 1056 हमले हो चुके थे। पिछले वर्ष 422 नागरिक, 250 नक्सली और 95 सुरक्षाकर्मी हिंसा की भेंट चढ़े हैं। 3 हज़ार से ज्यादा नक्सली या तो गिरफ्तार हुए हैं या आत्मसमर्पण किया है इसके अलावा आपसी संघर्ष में भी करीब 300 नक्सली मारे गए हैं।

एकजुट होती बंदूकें

पीपुल्स वार और माओवादी क्म्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) का 21 सितम्बर को ही विलय हो गया था, जिसकी घोषणा 14 अक्तूबर को हुई है। दोनों के विलय से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) अस्तित्व में आ गई है। पीपुल्स वार और एमसीसी की गुरिल्ला सेनाओं का भी विलय हो गया है। इस संयुक्त गुरिल्ला आर्मी का नाम पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी रखा गया है। इस महाविलय की तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी। दोनों संगठनों के बड़े नेता एकजुट हो गए हैं, इससे आंदोलन मज़बूत हो सकता है, साथ ही सरकार को भी संवाद करने में आसानी हो सकती है। लेकिन वास्तविक चुनौती इस नए संगठन में निचले स्तर पर एकजुटता में आएगी। इन दो प्रमुख संगठनों के अलावा देश भर में लगभग 20 छोटे-छोटे नक्सली संगठन सक्रिय हैं। बहरहाल एक हो चुके पीपुल्स वार और एमसीसी की ताकत और पृष्ठभूमि पर नज़र डालना प्रासंगिक होगा—

पीपुल्स वार

- **गठन :** सी०पी०आई० (एम०एल०) से निकले विद्रोही नेता कोंडापल्ली सीतारमैया ने 22 अप्रैल 1980 में पीपुल्स वार ग्रुप की स्थापना की थी। वर्ष 1999 में सी०पी०आई (एम०एल०) पार्टी यूनिटी के साथ विलय के बाद वह संगठन खुद को पीपुल्स वार कहने लगा। पार्टी यूनिटी की स्थापना वर्ष 1978 में एन० प्रसाद ने की थी।
- **विद्रोह क्षेत्र :** आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार।
- **ताकत :** लगभग 1200 **पेशेवर हिंसक नक्सली इस संगठन में हैं और इसके अन्य नक्सली सदस्यों व** सहयोगियों की संख्या 10,000 से ज्यादा है।
- **मुख्य गतिविधियां :** भूस्वामियों और ज़मींदारों पर हमला, अपहरण और धन उगाही, नेताओं और पुलिस अधिकारियों की हत्या करना।

एम०सी०सी०

- **गठन :** वर्ष 1969 में कन्हाई चटर्जी ने स्थापना की।
- **विद्रोह क्षेत्र :** झारखंड, बिहार।
- **ताकत :** यह दूसरा सबसे शक्तिशाली नक्सली संगठन है। इसमें करीब 200 पेशेवर हिंसक नक्सली और लगभग 20,000 अन्य सदस्य नक्सली हैं।

नक्सलवादी हिंसा की समस्या तीन दशक से भी अधिक समय से चली आ रही है, किन्तु इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का सार्थक प्रयास अभी तक नहीं किया गया है, जिनसे यह चुनौती उत्पन्न हुई है। अभी तक जो भी प्रयास किए गए, उसकी विफलता की वास्तविक वजह क्या है? भूमि सुधारों में वेमन से अमल, आदिवासी जनकल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित जर्जर साधारण जनता या फिर भोले-भाले आदिवासियों की जमीनों की औने-पौने दामों में खरीदने की गैर आदिवासियों की कोशिश, जबकि संविधान में इस तरह की क्रय-विक्रय पर पूरी तरह रोक का प्रावधान है। देखा जाए तो आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में भूमि हदबन्दी कानून के लागू होने के बावजूद फालतू जमीन भूमिहीनों को नहीं दी गई और कानून के संरक्षकों ने जमीन मालिकों का साथ दिया। यही हाल आदिवासी जनकल्याण योजनाओं का भी है, जहाँ बिचौलियों ने तीन-तिकड़म से योजनाओं का नाममात्र लाभ ही जरूरतमंद आदिवासियों के हाथों तक जाने दिया। इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि धोखाधड़ी से आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करके उनके सामने रोजी-रोटी की विकराल समस्या खड़ी कर दी गई। इन प्रमुख कारणों ने नक्सलवादी आन्दोलन को हवा-पानी प्रदान किया।

नक्सलवाद पनपने का एक प्रमुख कारण समाज में व्याप्त वर्गभेद के साथ गरीबी एवं बेरोज़गारी भी है। अतः आवश्यक है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों पर ईमानदारी और तेज़ी के साथ अमल हो, क्योंकि गरीब एवं बेरोज़गार नवयुवकों को आतंकवादी गुट बड़ी आसानी से गुमराह करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि प्रशासन, पुलिस व समाज के समृद्ध लोगों को अपना शत्रु समझें। अराजकतावादी तत्त्व बेरोज़गार युवकों को गुमराह कर मनचाही हिंसा एवं आतंक की ओर प्रेरित करते हैं। स्वाधीनता के पश्चात् एक बड़े पैमाने पर नक्सलवाद ने अपने आन्दोलन के प्रभाव क्षेत्र मे छात्रों एवं नौजवानों को गोलबन्द किया है। सामाजिक व्यवस्था बदलने की भावना से एक बड़ी संख्या में हजारों युवकों ने अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे डाली। किसी अन्य आन्दोलन ने भी इतना अधिक प्रभाव नहीं छोड़ा। आखिर इन नवयुवकों ने अपनी आरामदेह जिन्दगी को त्यागकर आत्म-त्याग का रास्ता क्यों अपनाया? जिन मुद्दों पर नक्सल आन्दोलन आरम्भ हुआ था, वे मुद्दे यानि जमीन के अधिकार, भूख का मर्म व दर्द आज भी जिन्दा है। दूसरे शब्दों में नक्सलवाद आज इस कारण जिन्दा है, क्योंकि हमारे समाज में असन्तोष व विक्षोभ के कारण बाकायदा बने हुए हैं। जब तक भूख, उत्पीड़न, दबाव, आतंक, पीड़ा एवं वंचित आबादी रहेगी तब तक असंतोष और अराजकता ऐसे आन्दोलनों को जन्म देती रहेगी।

जहाँ तक नक्सलवादी गुटों की प्रकृति का प्रश्न है न तो वे अलगाववादी हैं, न ही आतंकवादी हैं और न ही उन्हें सही रूप में उग्रवादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनका विश्वास अवश्य ही लोकतान्त्रिक व्यवस्था में नहीं है। घोषित तौर पर वे क्रान्ति करने निकले हैं, लेकिन वे स्वयं इस सवाल का जबाव नहीं दे सकते कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या करके वे लौग कौन-सी क्रान्ति कर लेंगे। उन्हें यह भी नजर नहीं आता कि वे जिन पुलिस वालों की हत्या कर रहे हैं, वे भी समाज के ग़रीब वर्ग से ही आते हैं और रोजी-रोटी के लिए नौकरी कर रहे हैं। जिन महिलाओं एवं बच्चों की हत्या हो रही है, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है। नक्सलवादियों की नजर में वह

प्रत्येक व्यक्ति दुश्मन है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि *हिंसा के द्वारा न तो क्रान्ति उत्पन्न कर सकेंगे और न ही अपने उद्देश्य की पूर्ति। अतः इस समस्या के समाधान* हेतु संतुलित तरीके से समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। जहाँ नक्सलवादी हिंसा का रास्ता छोड़ें, वहाँ सम्बन्धित राज्य प्रशासन भी भूमि सुधारों को सत्यनिष्ठा से लागू करे, सामाजिक विषमता दूर करे और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उन सभी लोगों को प्राप्त करवाये जो उसके असली हकदार हों। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस असन्तोष की आग जब भी जमीन में दिखाई देती है, राजनेता इसे कानून और व्यवस्था की समस्या बताकर समाधान करते हैं। नक्सलवाद वहीं पनपता है, जहाँ सामाजिक मतभेद गहरे होते हैं। इस सामयिक समस्या के समाधान के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आदि सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं की समग्र रूप से मीमान्सा करनी होगी। व्यवस्था में बदलाव, समझाने का कार्य एवं जरूरत पड़ने पर सशस्त्र कार्यवाही समन्वित एवं संतुलित रूप से करके ही नक्सलवाद पर नकेल डाली जा सकेगी।

प्रमुख नक्सली हमले

1986	:	(पेडापल्ली, आन्ध्रप्रदेश) पुलिस उप अधीक्षक बुची रेड्डी की कार्यालय में ही गोली मारकर हत्या कर हथियार लूट लिए।
1987	:	(औरंगाबाद, बिहार) दलेलचर बघौरा गाँव में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के लोगों ने 43 राजपूतों को मौत के घाट उतारा। *जुलाई :* बिहार के पूर्वी हिस्से में दो घटनाओं में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या। *अगस्त :* आन्ध्रप्रदेश के आदिलाबाद ज़िले में दो पुलिस उप निरीक्षक और आठ जवान मारे गए।
1988	:	आन्ध्रप्रदेश के उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र में नक्सलवादियों ने 'दुर्भिक्ष-निवारण छापे' मारे। बड़े व्यापारियों के अनाज पर कब्जा किया और 20 लाख रुपए मूल्य का खाद्यान्न लूट ले गए।
1922	:	*12 फरवरी* को बिहार के गया जिले में 37 भूमिहरों की गला रेतकर हत्या।
1996	:	उत्तरी तेलंगाना में 'स्पेरो एक्षंस' संचलित किए गए जिसमें 35 पुलिस के जवान मारे गए।
1997	:	बिहार के कोडरमा जिले में एम०सी०सी० के लोगों ने 11 लोगों की और बाद में गढ़वा में 4 अन्य लोगों की हत्या की।
1999	:	*14 फरवरी* को बिहार के जहानाबाद जिले के उत्तरी बाज़ार गाँव में नरसंहार में 16 लोग मारे गए। घटना को पी० डबल्यू० जी० ने अंजाम दिया। *18 मार्च को जहानाबाद के सेनारी गाँव में एम०सी०सी० ने सामूहिक नरसंहार किया। ऊँची जाति के 34 लोग मारे गए।* 18 नवम्बर को बिहार राज्य के ही पलामू जिले में सामूहिक नरसंहार। एम०सी०सी *कार्यकर्त्ताओं* ने 12 *अल्पसंख्यकों* को मौत के घाट उतारा। *15 दिसम्बर* को मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री लिखीराम को उनके पैतृक गाँव में पी०डब्ल्यू०जी० कार्यकर्ताओं द्वारा गला रेतकर हत्या। यह हत्या दो दिसम्बर को पुलिस मुठभेड़ में पी०डब्ल्यू०जी० के मारे गए तीन शीर्ष नेताओं का बदला लेने के लिए की गई थी।
2000	:	07 जनवरी को आन्ध्रप्रदेश में नलगोंडा जिले के सांसद सुखेन्द्र रेड्डी के घर को विस्फोट करके उड़ाया। *20 फरवरी* को पी०डब्ल्यू० जी० ने विस्फोट करके मध्य प्रदेश पुलिस का वाहन उड़ाया। हादसे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत 23 पुलिस कर्मी मारे गए। इस महीने पी०डब्ल्यू०जी० के ही कार्यकर्ताओं ने 10 अन्य लोगों की हत्याएँ कीं और 5 करोड़ रुपए की सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति नष्ट की। *07 मार्च* को हैदराबाद से 30 कि० मी० दूर घाटकेसार नामक स्थान पर राज्य के पंचायत मन्त्री एम० माधव रेड्डी की बारूदी सुरंग विस्फोट के जरिए हत्या।

13 अप्रैल को बिहार के हजारीबाग जिले में ग्रामीण सुरक्षा समिति के 14 सदस्यों की हत्या। शक की सुई एम०सी०सी० पर।

13 जून को बिहार के नेवादा जिले के अपसाड़ गाँव में नक्सलियों ने उच्च जाति के 12 लोगों को मौत के घाट उतारा।

2001 : *20 अगस्त* को हैदराबाद से 355 कि० मी० की दूरी पर स्थित बोंदलमाऊ के निकट बारूदी सुरंग विस्फोट। 10 पुलिसकर्मी मारे गए। हादसे को पी०डब्ल्यू०जी० ने अंजाम दिया था।

27 सितम्बर को हजारीबाग के बड़ीडीह में स्थित पुलिस चौकी से एस०सी०सी० के उग्रवादियों ने हथियार लूट लिया और एक पुलिसकर्मी को जिंदा जलाया।

20 अक्तूबर को पटना में जगपुरा गाँव के पास पुलिस वाहन को विस्फोट करके उड़ा दिया। इस हादसे में छह पुलिसकर्मी और गाड़ी का चालक मारा गया।

21 अक्तूबर को आन्ध्रप्रदेश के गंटूर जिले में स्थित कोकाकोला बाटलिंग प्लांट में विस्फोट।

26 अक्तूबर को नक्सलवादियों ने केन्द्रीय राज्यमन्त्री विद्यासागर राव के सम्बन्धी मार्तण्ड राव का अपहरण कर लिया। बाद में परिवार द्वारा इनकी माँग मान लिए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया।

28 अक्तूबर को आन्ध्रप्रदेश में नक्सवादियों ने रेलवे स्टेशन और टेलीफोन एक्सचेंज में विस्फोट किया।

31 अक्तूबर को धनबाद जिले में एम०सी०सी० ने झारखण्ड पुलिस चौकी पर हमला किया। 12 जवान सहित 13 व्यक्तियों की हत्या। एम०सी०सी० के इस हमले में महिलाएँ भी शामिल थीं और 16 राइफल्स, 4 कारबाइन तथा विस्फोटक सामान लूट ले गए।

12 नवम्बर को नक्सलियों के साथ काम कर चुके दो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की हत्या। रेल की पटरी और छह वाहन को विस्फोट करके उड़ाया।

21 नवम्बर को आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमन्त्री चंद्रबाबू नायडू के परिवार की स्वामित्व वाली फूड फैक्टरी को विस्फोट करके उड़ाया। केन्द्रीय रक्षा राज्य मन्त्री यू० कृष्णमाराजू के आंशिक स्वामित्व वाली ग्रेनाइट फैक्टरी को भी विस्फोट करके उड़ाया।

01 दिसम्बर को एक साथ तीन पुलिस चौकियों पर पी०डब्ल्यू०जी० का हमला।

21 दिसम्बर को उड़ीसा के मलकान गिरी जिले के पटेरू गाँव में राज्य में राज्य के वस्त्र, हथकरघा और सहकारिता मन्त्री अरविन्द धाली पर हमला।

2002 : *23 अगस्त* को आन्ध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के जंगली इलाके से पाँच पुलिसकर्मियों का अपहरण।

18 नवम्बर को आन्ध्रप्रदेश के बारंगल जिले में राज्य सड़क परिवहन की बस को विस्फोट से उड़ाया। हादसे में 20 लोग मारे गए और 16 घायल हुए। यह घटना आतंकियों ने गलतफहमी में अंजाम दी थी।

2003 : *15 अप्रैल* को बिहार के नवादा जिले में एम०सी०सी० के उग्रवादियों ने पुलिस के गश्तीदल पर हमला किया। एक पुलिस उपनिरीक्षक सहित आठ पुलिस कर्मी मारे गए, तीन घायल।

1 अक्तूबर को आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू नायडू पर एक दर्जन बारूदी सुरंगों से हमला।

2004 : मई में आन्ध्र में राजशेकर रेड्डी की सरकार ने नक्सलियों से संवाद की घोषणा की।

14 अक्तूबर : पीपुल्स वार और एम०सी०सी० के विषय की घोषणा।

15 अक्तूबर : ऐतिहासिक वार्ता व संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर।
18 नवम्बर : नौगढ़ में तीन लोगों की हत्या।
20 नवम्बर : नौगढ़ में 15 लोगों की हत्या।

2005 *अगस्त : आन्ध्र प्रदेश के विधायक की हत्या।*
सितम्बर : छत्तीसगढ़ में सीमा सुरक्षा बल के 24 जवानों की हत्या।
नवम्बर : बिहार के जहानाबाद जेल पर हमला कर रणवीर सेना के नौ कैदी मारे 389 को छुड़ाया।

11. कट्टरतावाद—राष्ट्रीय रक्षा के समय कट्टरवाद भी एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, विशेष रूप से इस्लामिक कट्टरवाद। स्थिति यह है कि अब कट्टरतावाद पूरी दुनिया में एक विषैली बेल की तरह फैल रहा है, दुनिया के अनेक विद्वान् इसके बढ़ते प्रभाव से चिन्तित और परेशान हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जिस तरह से कट्टरतावाद बढ़ा रहा है उससे लगता है कि आगामी दस वर्षों में इससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। कट्टरवादियों में आपसी मतभेद अवश्य हो सकते हैं किन्तु उनका लक्ष्य एक ही होता है। भारत में जो कट्टरतावाद है उसका स्वरूप अन्य देशों के कट्टरतावाद से भिन्न नहीं है। कट्टरवाद आतंकवाद का ही अन्तिम और निर्णायक विस्तार है। आतंकवाद हिंसा एवं आतंक का वह बीज है जोकि अंकुरित होने पर कट्टरवाद का पौधा बनकर तैयार हो जाता है। कट्टरवाद के लक्षण हैं—घृणावाद, वहशीपन तथा सीमातीत अराजकता। खून-खराबा, हत्याएं तथा दहशत इनके प्रमुख अंग हैं।

कट्टरवादिता के कारण इस समय पाकिस्तान दो पाटों के बीच फंसा हुआ है और उसका इस संकट से निकल सकना असंभव दिखाई देता है, पर मुशर्रफ फिर भी अपनी गलत बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं। वे अभी भी अपने फौजी आका जिया-उल-हक की नीतियों का बड़ी चतुराई से पालन कर रहे हैं, जिन्हें आगरा में स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर परवेज मुशर्रफ परचम फहराते हुए पाकिस्तान लौटे थे, इन मुजाहिदीनों की तंजीमों को जिया-उल-हक ने ही जन्म दिया था। उसने ही कश्मीर में अघोषित युद्ध शुरू किया था। बड़े पैमाने पर उसने ही इस्लामी मदरसे स्थापित किए थे, जिनसे आज के मुजाहिदीन, जेहादी, फिदायीन और तालिबान निकले हैं। ये जुनूनी अपने मजहब के लंबरदार नहीं, ये नफरत की पैदावार हैं। यह ठीक है कि एस समय पाकिस्तान के स्वयंभू राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ग्लोबल आतंकवाद के उन्मूलन में अमेरिका का साथ देने का दिखावा कर रहे हैं, पर नफरत की जो आफसल उगाई जा चुकी है, **जो दिमाग दूषित किये जा चुके हैं, उनकी मरम्मत गोला-बारूद और मिसाइलों से नहीं की जा सकती। आज आर्थिक आतंकवाद और धर्मांध आतंकवाद एक दूसरे आमने-सामने खड़े हैं।** परवेज मुशर्रफ आतंकवाद उन्मूलन के अभियान में शामिल हैं पर वे खुद पाकिस्तान की ज़मीन पर पनपे, पनपाए गए आतंकवादी संगठनों की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। वे अल-मुजाहिदीन, लश्करे-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार संगठनों को लेकर खामोश हैं। गृहयुद्ध की विभीषिका से बचने की खातिर इसे फिलहाल उनकी मज़बूरी माना जा सकता है।

आत्मघाती दस्ता (फियादीन) मज़हबी लड़ाई का ही हथियार है, जो कट्टर पंथ की ही एक देन है। भारत के सीमान्त क्षेत्र में कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों द्वारा व्यापक पैमाने पर सामाजिक विघटन, उपद्रव, हिंसा, तोड़-फोड़, विस्फोट व घुसपैठ द्वारा भारतीय सुरक्षा के लिए नयी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कश्मीर के अलावा मुस्लिम बाहुल्य राज्यों में अपनी जड़ें जमाने में जुटी कट्टरपंथी ताकतें निरन्तर घातक स्थिति पैदा कर रही हैं। इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें मणिपुर, नागालैण्ड, असम तथा त्रिपुरा आदि में अपना ज़ोरदार जाल फैला चुकी हैं। अपने उग्रवादी एवं आतंकवादी संगठन भी कट्टरपंथी शक्तियों द्वारा खड़े किये जा चुके हैं।

कट्टरवाद को बढ़ावा देने में राजनीतिक दलों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सत्ता में सांझेदारी की भावना ने इसे खूब बढ़ावा दिया है। देश की चुनाव गणित ने समस्त राष्ट्र के गौरव को दांव पर लगा दिया है। संक्षिप्त में यही है कि राष्ट्र की रक्षा समस्याओं में कट्टरवाद की समस्या भी एक गम्भीर समस्या है।

12. आई० एस० आई० की बढ़ती गतिविधियाँ—छठे दशक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई० एस० आई०) की स्थापना हुई। हालांकि इसका ब्लू प्रिंट 1948 में ही तैयार हो गया था। यह संगठन भारत के उग्रवादियों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देने में संलग्न है। विगत कुछ वर्षों से आई० एस० आई० सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ायी है। शुरू में आई० एस० आई० के 200 अफसरों को सी० आई० ए० के अधिकारियों ने इंटेलिजेंस की नई कार्य-प्रणाली की जानकारी दी। इससे पूर्व पाक इंटेलिजेंस की प्रशिक्षण पद्धति ब्रिटिश पद्धति पर आधारित थी। आई० एस० आई० को सबसे अधिक संरक्षण पाक राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक के समय में मिला। उनके समय में अमरीकी खुफिया एजेंसी सी० आई० ए० ने आई० एस० आई० को जानकारी, तकनीक व उपकरण दिए।

आई० एस० आई० के आठ विभाग हैं जो आंतरिक व विदेशी गुप्तचरी में भी संलग्न हैं। इनके नियमित अफसरों कर्मचारियों की संख्या लगभग दस हज़ार है। जासूस, एजेंट, भेदिये इससे अलग हैं। आई० एस० आई० चीफ सीधे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। आई० एस० आई० की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है उत्तरी इंटेलिजेंस। यह मुख्य रूप से पंजाब एवं कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों का संचालन करती है। आई० एस० आई० की नई टास्क फोर्स का नाम है जांबाज मुजाहिदीन। भारतीय सैनिकों के भेष में इस यूनिट के सैकड़ों जवान जुलाई 91 से कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं।

आई० एस० आई० की एक अन्य इकाई संयुक्त इंटेलिजेंस मिलिटरी (जे० आई० एम०) का बंबई के बम विस्फोटों में सीधा हाथ था। इस यूनिट ने अब गुजरात, राजस्थान, केरल, आन्ध्र प्रदेश सहित अनेक राज्यों में अपने पैर फैला लिए हैं। आई० एस० आई० के वर्तमान प्रमुख का नाम जावेद अशरफ है। आई० एस० आई० के अफगान मुजाहिदीन, कश्मीर व पंजाब के उग्रवादियों से गहरे सम्बन्ध हैं।

पाकिस्तान के शीर्षस्थ सैन्य अधिकारियों ने अपनी खुफिया एजेंसी आई०एस०आई० को भारतीय सीमा में सीमित आधार पर ताज़ा हमले शुरू करने के लिए आतंकी समूहों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करने के लिए अधिकृत किया है। पांच जनवरी को पाक की राजधानी इस्लामाबाद में हुई कोर कमांडरों की बैठक में आई०एस०आई० को भारत में मार्च 2005 से हमले शुरू करने की रणनीति तैयार करने को कहा गया। यह खुलासा 'इंटरनेशनल सेंटर फार पीस इनीशिएटिव्स' द्वारा जारी पुस्तक 'द फाइनल सेटलमेंट रिस्ट्रक्चरिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस' में हुआ है। पाकिस्तानी सेना और आई०एस०आई द्वारा जेहादी संगठनों को एक औज़ार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पुस्तक में बताया गया है कि अभी जेहादी संगठन पाक सेना तथा अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं में कनिष्ठ भागीदार हैं। यदि जेहादी संगठन लगातार बढ़ते गए तो वे आगे चल कर बेहद प्रभावशाली बन सकते हैं। पाक में 100 से ज्यादा जेहादी संगठन सक्रिय हैं लेकिन इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। पुस्तक में स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के हवाले से दावा किया गया है कि इन जेहादी संगठनों में लगभग दस लाख युवक शामिल हैं। इनमें कई तो संचार तंत्र, प्रचार तंत्र और धन उगाही के काम में लगे हैं। सशस्त्र आतंकियों की संख्या दो लाख बताई गई है। पुस्तक के अनुसार आगामी पांच-दस वर्षों में पाक के विकास और दक्षिण एशिया की शांति के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह बन जाएगा कि कहीं जिहादी ताकतें पाक सेना को अपना रणनीतिक औज़ार न बना लें। पाक में सक्रिय सौ से अधिक जेहादी संगठनों में ज्यादातर छोटे और अप्रभावी हैं। इन्हें खुफिया एजेंसियों ने विशेष उद्देश्य से समय विशेष के लिए खड़ा किया है। उसके बाद इन्हे तब तक चुप रहने को मजबूर किया जाता है जब तक इनकी ज़रूरत नहीं पड़े। इस समय दस ऐसे संगठन सेना के साथ कुछ हद तक भागीदारी में बड़ी ताकत बनने में सफल हुए हैं जिनमें हरकतुल जेहाद-ए-इस्लामी, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मुहम्मद शामिल हैं। ये संगठन अल कायदा से मिलते जुलते हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कश्मीर पर केंद्रित संगठन हैं।

भारत से अपनी शत्रुता साधने के लिए पाकिस्तान का सबसे कारगर औज़ार आई० एस० आई० है। यह संगठन शुरू से ही भारत में आतंकवाद की विष बेल बोने में लगा है। सीमा पार भारतीय युवकों को आतंकवादी कार्यवाहियों के लिए प्रशिक्षण देने का मामला हो या नेपाल और समझौता एक्सप्रेस व अमन-ए-कारवां के ज़रिये फर्जी करेन्सी भेजने का आई० एस० आई० ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 'आग लगाओ एवं तमाशा देखो' की रणनीति आई० एस० आई० ने अपनायी हुई है, पाक विरोधी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बने इस संगठन ने अपने को पूरी तरह बदल दिया है और इसे विध्वसंक गतिविधियों के संचालन के लक्ष्य पर स्थापित कर दिया है। इसका जाल फैलता जा रहा है।

13. सियाचिन विवाद—भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को हथियाने और भारतीय सेनाओं को हटाने के लिए कूटनीति से काम करता रहा है। एक ओर शान्ति स्थापित करो की कार्यवाही शुरू करता है तथा दूसरी ओर इस क्षेत्र को अपने कब्ज़े में करने के लिए व्यापक रणनीति भी बनाता रहता है। सामरिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील सीमा क्षेत्र होने के कारण पाक की नापाक निगाहें निरन्तर इसकी ओर लगी रहती हैं। सियाचिन को शान्ति पर्वत बनाने के बयान से सेना में सनसनी है। लगभग 76.4 किलोमीटर लम्बा सियाचिन ग्लेशियर उत्तरी लद्दाख के काराकोरम में स्थित है। भारत-पाकिस्तान व चीन के कब्ज़े वाले उत्तरी कश्मीर के इस जंक्शन प्वाइण्ट पर 22 ग्लेशियरों की मौजूदगी है, जिसमें सियाचिन तथा बालतोरो प्रमुख है। 11 हज़ार 400 से 20 हज़ार फीट ऊंचाई पर स्थित इन ग्लेशियरों की इस भूमि पर तापमान माइनस 200 डिग्री से भी कम होता है।

सियाचिन को भारतीय सेना गर्व का विषय मानती है क्योंकि इसे 'विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र', 'दुनिया की छत' तथा 'तीसरा ध्रुव' कहा जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि 1949 में तय युद्ध विराम रेखा और 1972 में निर्धारित नियन्त्रण रेखा ये दोनों ही सियाचिन से होकर नहीं गुजरती है। इन दोनों रेखाओं के मामले में भारत व पाक के मध्य विभाजन रेखा मानचिन के एन. जे. 9847 प्वाइण्ट पर खत्म होती है। बाद में इस प्वाइण्ट से आगे युद्ध विराम रेखा व नियन्त्रण रेखा को उत्तर में सालतोरो रिजलाइन से निकाला गया। पाकिस्तान का कहना है कि विभाजन रेखा को उत्तर पूर्व से नुबा घाटी और भारत तिब्बत सीमा के कराकोरम दर्रे में स्थित मुख्य कराकोरम श्रेणी से निकाला जाना चाहिए।

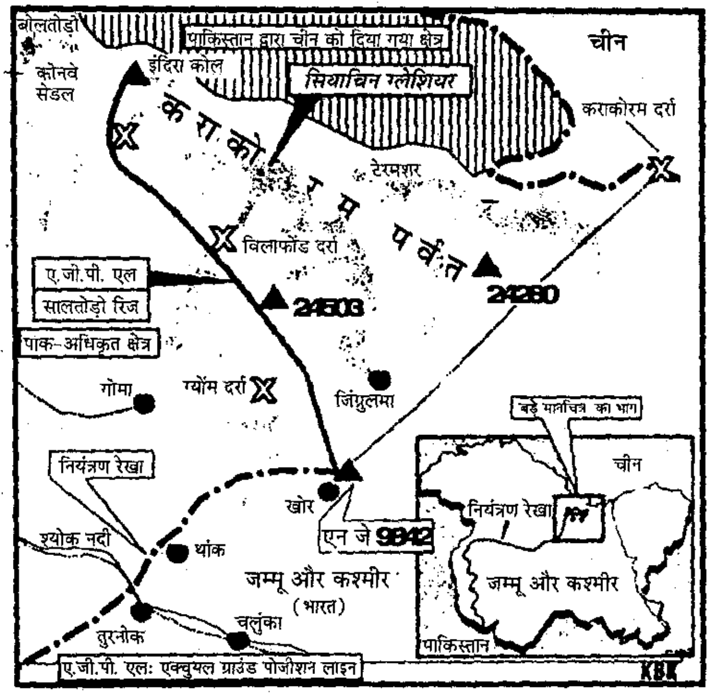

सियाचिन क्षेत्र

इस क्षेत्र का विवाद भारत व पाकिस्तान के मध्य चले आ रहे पुराने विवादों में से एक है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई (समुद्र तल से 5000 मी० ऊपर) पर चल रहा सीमा विवाद है, विधिवत् सीमा निर्धारण के अभाव में दोनों ही देशों ने इस क्षेत्र में अपने-अपने तरीके से सीमा रेखा निर्धारित की हुई है जिसके चलते इस क्षेत्र में सैन्य टकराव की स्थिति बनी हुई है।

1949 के कराची समझौते में जम्मू-कश्मीर में युद्ध विराम रेखा (CFL) को खोर (एन०जे० 9842) तक ही निर्धारित किया जा सका था। इस प्रकार खोर के उत्तर में लगभग 65 कि० मी० क्षेत्र में सीमा निर्धारण उस समझौते में नहीं हुआ था। एन० जे० 9842 से आगे उत्तर की ओर दोनों देश सीमा रेखा को अपने-अपने तरीके से अपने मानचित्रों में दर्शाते रहे हैं। भारत ने इसके विस्तार को सिया दर्रे के निकट से होते हुए इन्दिरा कोल तक माना है, वहीं पाकिस्तान इसे एन० जे० 9842 से चीनी सीमा पर कराकोरम दर्रे तक दर्शाता है। 1965 व 1971 के युद्धों के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई समाधान नहीं हो सका तथा 1972 के शिमला समझौते में भी नियन्त्रण रेखा एन० जे० 9842 तक ही निर्धारित की जा सकी। 1970-74 के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन में पर्वतारोहण के लिए अनेक विदेशी पर्वतारोही दलों को प्रोत्साहित किया। भारत ने भी इस क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की तथा अन्तत: 1984 में सिया दर्रे व बिलफोर्ड दर्रे पर अपनी सैन्य चौकियां स्थापित कर दीं जिससे सियाचिन ग्लेशियर पर जाने के मार्ग सील हो गए। इसके पश्चात् ही दोनों देशों की ओर से इस क्षेत्र पर नियन्त्रण हेतु रुक-रुक कर गोलाबारी होती रही है।

इस प्रकार सियाचिन विवाद का मुख्य मुद्दा सीमा रेखा एन० जे० 9842 बिन्दु से आगे के निर्धारण का है। इस मामले में 1989 व 1992 में समझौता होते-होते रह गया था। सियाचिन से भारतीय सेना की वापसी तभी संभव

हो सकती है जब पाकिस्तान उसे भारतीय होने के रूप में अधिकारिक तौर पर स्वीकार करे और इसमें चीन की भी अधिकारिक सहमति हो। ऊंचाई पर सेना की उपस्थिति का फायदा व नुकसान कारगिल युद्ध में हमारी सेना अनुभव कर चुकी है। इलाहाजा इसे हाथ से निकलने देना बुद्धिमानी नहीं है। सैन्य रणनीति के सिद्धान्तों के तहत भी जरूरी है। पाकिस्तान सियाचिन से भारतीय सेना हटने पर कब्जा नहीं करेगा। इस पर यकीन करना भारी भूल होगी। इस पर चूक हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।

14. गुरेज में घुसपैठ— (जुलाई 2005) कारगिल युद्ध की छठी बरसी में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इस बार भारत के गुरेज सेक्टर को अपना निशाना बनाया। एक ओर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में शान्ति की पहल जारी है वहाँ दूसरी ओर पाकिस्तान कारगिल युद्ध की बिसात बिछाने में लगा है। इस घुसपैठ में पाकिस्तानी घुसपैठिये भारतीय सीमा क्षेत्र में नौ किलोमीटर अन्दर तक घुस आये, इस बार जल्दी ही भारतीय सेना ने देख लिया और उनकी योजना को विफल कर दिया। वर्ष 1999 में इसी माह भारत को कारगिल में युद्ध लड़ना पड़ा था। जिसमें 524 सैनिक एवं अधिकारियों की शहादत हुई 1363 सैनिक गम्भीर रूप से जख्मी हुए थे। कारगिल में हुए 'आपरेशन विजय' के बाद यह सेना की दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। यद्यपि इन दोनों में अन्तर यह है कि पहली बार घुसपैठ पाकिस्तान सरकार के संरक्षण में फौज ने की थी और इस बार घुसपैठियों में गैर-फौजी आतंकवादी है जिनको सरकारी शह मिलने की बात अभी उजागर नहीं हुई है।

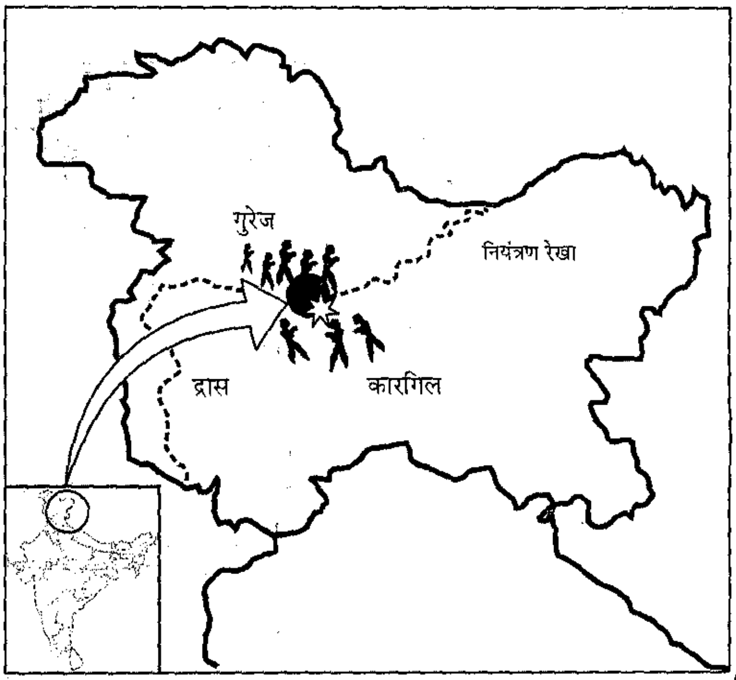

गुरेज सेक्टर के 14 से 16 हजार फीट ऊंचे बर्फीले में तुलेल इलाके की ओर बरोब और काओबल में घुसपैठ का कार्यक्रम किया गया। मशकोह धारी से सटे तुलेल क्षेत्र की कुछ चोटियों पर घुसपैठियों ने कारगिल की तरह बाकायदा कब्जा जमा लिया था। अभी तक 12 लाशें मिलीं किन्तु भाग गये 20 घुसपैठिये अभी भी छिपे हुए हैं इसका रहस्य बराबर बरकरार है। इस प्रकार पाकिस्तान अपने आतंक के निर्यात करने में कभी भी चूकता नहीं है। स्पष्टतया उसके साथ मित्रता भी सतर्कता के साथ करनी होगी।

इस प्रकार भारतीय की रक्षा समस्या के समक्ष आई० एस० आई० की घातक एवं विध्वसंक गतिविधियां एक बड़े पैमाने पर उभर कर आयी हैं। अत: इससे निपटने के लिए जहां एक ओर सतर्क व सावधान रहने की आवश्यकता है वहाँ एक ठोस रणनीति द्वारा इसे विफल करने के ठोस प्रयास भी आवश्यक हैं।

उपरोक्त प्रमुख समस्याओं से स्पष्ट है कि भारतीय रक्षा व्यवस्था को कमज़ोर बनाने के इन प्रयासों के प्रति हमें पूरी तरह जागरूक एवं सजग व तैनात रहने की आवश्यकता है। यह चिन्ता का विषय है कि देश के कुछ राज्यों में सत्तारूढ़ राजनीतिक हक अपने स्वार्थों को आवश्यकता से कहीं अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं। उनके लिए राष्ट्र की रक्षा एवं आन्तरिक सुरक्षा की बात गौण सी हो जाती है। अत: आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए क्षेत्रीयता, जातीयता, भाषावाद, धर्मवाद, साम्प्रदायिकता एवं विद्रोह आदि से उत्पन्न हो रही घातक स्थिति पर प्रभावशाली रूप में नकेल डाली जाये एवं बाह्य शक्तियों द्वारा राष्ट्र विरोधी बुने जा रहे जाल को समय रहते ही नष्ट कर दिया जाये।

4

भारतीय रक्षा नीति
(INDIAN DEFENCE POLICY)

किसी भी राष्ट्र को तब तक सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ नहीं माना जा सकता जब तक उसकी सरकार की सुरक्षा नीति समयानुकूल एवं तर्कसंगत न हो। रक्षानीति तय करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करने के साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए नये आयामों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। वर्तमान समय की राजनीतिक स्थिति बड़ी गतिशील एवं विस्फोटक है। अतः देश तथा उसके हर हिस्से की रक्षा करना केन्द्र सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व है और यह उत्तरदायित्व तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामले रक्षा मंत्रालय को सौंपे गये हैं। भारतीय रक्षा-नीति का निर्धारण उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया है। भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भौगोलिक, धार्मिक एवं जातीय रूप से स्थायी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रक्षानीति तैयार करते समय मुख्यतः निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है—

(क) पंचवर्षीय रक्षा-योजना उत्पादनोन्मुख हो।

(ख) वार्षिक बजट तैयार करने से पूर्व सभी प्रमुख मामलों की पूरी समीक्षा की गयी हो।

(ग) तीनों सेनायें (जल, वायु एवं थल) रक्षा मंत्रालय के विभाग और रक्षा वित्त प्रभाग मिलकर योजना की समीक्षा में भाग लें और पंचवर्षीय कार्यक्रम को सम-सामयिक बनाये रखने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसमें नये कार्यक्रमों के शामिल किये जाने की व्यवस्था हो।

वर्तमान सुरक्षा परिवेश और उस क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों द्वारा प्राप्त किये जा रहे आधुनिक श्रेणी के हथियारों तथा समस्त सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही रक्षानीति सुनिश्चित की जाती है। रक्षा-नीति को निर्धारित करने वाले कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं—

1. भौगोलिक स्थिति—किसी भी राष्ट्र की रक्षा-नीति के निर्धारण में भौगोलिक स्थिति तथा सीमाओं का विशेष महत्त्व है। भौगोलिक दृष्टि से भारत, चीन, पाकिस्तान तथा रूस जैसे सैनिक आकांक्षाओं वाले देशों के समीप पड़ता है तथा हिन्द महासागर में भी यह महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। हिन्द महासागर में अमेरिका के परमाणु चालित बेड़े की उपस्थिति से भारतीय सुरक्षा को गम्भीर खतरा बढ़ गया है। इन परिस्थितियों में भारत को न चाहते हुए भी रक्षा पर अधिक व्यय की योजना बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान भारत का ही विभाजित भाग है। यह भी अपने नापाक इरादे बनाता रहता है। बंगलादेश, नेपाल, भूटान तथा अफ़गानिस्तान भी भारतीय सीमा से जुड़े हैं। अतः भारत को इनके आधार पर ही रक्षा-नीति तैयार करनी पड़ती है।

2. आर्थिक विकास—रक्षा-नीति बनाते समय अपने राष्ट्र के आर्थिक विकास को आधार माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास ही उसके रक्षा-व्यय को तय करता है। इस दृष्टि से भारत का आर्थिक विकास सन्तोषजनक ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, यातायात एवं संचार व्यवस्था के साथ ही संख्यात्मक एवं गुणात्मक जनसंख्या भी है। आर्थिक विकास के आधार पर ही वर्ष 2005-06 का रक्षा-व्यय 77000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 83000 करोड़ रुपये किया गया, इसमें लगभग 7.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही विकास एवं तकनीकी विकास के लिये एक नये कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2004-05 का रक्षा-व्यय 72000 करोड़ रुपये रखा गया, जबकि 2005-06 का रक्षा व्यय 83000 करोड़ रुपए रखा गया है। वास्तव में रक्षा नीति के निर्धारण में राष्ट्र का आर्थिक विकास ही सर्वाधिक सक्रिय भुमिका निभाता है।

3. पड़ोसी राष्ट्रों की रक्षा तैयारी—रक्षा-नीति निर्धारित करते समय अपने पड़ोसी राष्ट्रों की रक्षा तैयारी, रक्षा विकास एवं हथियार की होड़ का भी ध्यान रखा जाता है। इस दृष्टि से भारत को अपनी रक्षा-नीति पर विशेष ध्यान देना पड़ रहा है। चीन केवल हथियारों एवं आणविक हथियारों के विकास में ही आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि हथियारों का एक निर्यातक देश भी बन चुका है। वर्तमान में चीन इस महाद्वीप में 14 देशों को विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र की आपूर्ति करता है, तो 25 देश इससे जमीनी मार करने वाले हथियार खरीदते हैं। 23 देशों को युद्ध पोत देता है। 20 देशों की एक अलग सूची है, जिन्हें अपने युद्धक विमानों की आपूर्ति कर रहा है। विश्व बाज़ार में इसकी साझेदारी 8 प्रतिशत तक हो गई है और 1996

तक 10 प्रतिशत तक पार कर जायेगी। चीन भले ही अपने हथियार बिना समीकरण, राजनीतिक-सम्बन्धों तथा आगे-पीछे सोचे, हाथी की तरह अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को रौंदता हुआ चले, लेकिन भारत को सभी स्थितियों को देखकर तथा सम्भावित खतरों का अनुमान लगाकर ही स्पष्ट नई रक्षा-नीति तैयार करनी होगी।

पाकिस्तान भारत का वह कटा हुआ अंग है, जो कट कर भी पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया है और भारत-पाक सम्बन्ध उस घाव की तरह हैं जो कभी-कभी ठीक होने का भ्रम तो पैदा करते हैं, किन्तु खुजली होते ही नासूर की तरह फूटने लगते हैं। दोनों देशों के सम्बन्धों में इतनी अधिक जटिलताएं एवं इतनी अधिक कटुताएँ हैं कि किसी सहज एवं तात्कालिक हल की सम्भावनायें नहीं हैं। पाकिस्तान दुनिया भर से हथियार खरीद रहा है और हथियारों के बोझ से स्वयं तो दबा ही है, भारत को भी डराने की फिराक में रहता है। एम-11 प्रक्षेपास्त्र एवं एफ-16 लडाकू विमान की अन्य खेप 500 परमाणु छल्ले आदि इस समय सामरिक एवं सामयिक चर्चा के विषय हैं। अत: रक्षा नीति के निर्धारण में पाक की हरकतों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भारत का परमाणु अप्रसार सन्धि (एन० पी० टी०) में हस्ताक्षर न करने का भी प्रमुख कारण यही है। श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, म्यनमार (बर्मा) एवं भूटान आदि देशों में विकसित राष्ट्रों द्वारा जो चक्रव्यूह रचा जाता है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनकी उथल-पुथल का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी रक्षा-नीति पर पड़ता है। पड़ोसी राष्ट्रों की रक्षा तैयारी एवं शक्तिशाली राष्ट्रों से सामरिक सांठ-गांठ की समीक्षा करके ही रक्षा-नीति निर्धारित की जाती है। इसीलिए भारत ने अपना परमाणु परीक्षण करके रक्षा के संदर्भ में स्पष्ट नीति प्रस्तुत की है।

4. राष्ट्रीय समस्यायें—किसी भी राष्ट्र की रक्षा-नीति बनाते समय उस राष्ट्र की आन्तरिक समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। भारत में आन्तरिक समस्याओं का बोलबाला है, जहाँ कश्मीर, पंजाब तथा असम आदि में उग्रवाद का बोलबाला है, तो बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश नक्सलवाद के प्रभाव से त्रस्त हैं। इसके साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा में अलगाववाद की लहर चल रही है। कट्टरवादी ताकतें अपना-अपना जोर आज़मा रही हैं। पाकिस्तान खुफ़िया तन्त्र आई० एस० आई० की विनाशकारी व घातक गतिविधियाँ भी जारी हैं। अत: आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से सेना तैनात करनी पड़ती है, जो कि अपनी रक्षा-नीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें—रक्षा-नीति को तय करने में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो जाने से हमें जब अमेरिका की निगाहों पर भी ध्यान देना पड़ता है। आज आतंकवाद एवं कट्टरवाद अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के रूप में उभरे हैं। आणविक एवं अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा इस्लामी कट्टरतावाद से भी सावधान रहना भारत के लिये बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों का संगम है। इसमें वाद (इज़्म) की विष-बेल बड़ी जल्दी फैलने लगती हैं। हमें अपनी सैनिक संख्या, हथियारों का विकास एवं उत्पादन-अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही निर्धारित करना होता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों को भी ध्यान में रखना होता है। अत: सैन्य कूटनीति से काम लेना होगा। वर्तमान विश्व में बदलते घटनाक्रम के अनुसार ही रक्षा-नीति तय करते हुए परमाणु परीक्षण करना पड़ा।

विश्व के अन्य देशों द्वारा हथियारों के विकास व होड़ का प्रभाव हमारे राष्ट्र पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का विशेष तौर पर ध्यान रखकर रक्षा-नीति बनाई जाती है।

6. राष्ट्रीय रक्षा एवं अनुसंधान विकास—किसी देश की सुरक्षा केवल उसकी सशस्त्र सेनाओं की संख्या पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके रक्षा विकास एवं अनुसंधान से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित विज्ञान तथा तकनीकों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का आधुनिक तकनीकी के व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से राष्ट्र को हथियारों, उनकी प्रणालियों तथा साधनों के मामलों में आत्म-निर्भर बनाना पुनीत कर्त्तव्य ही है। इस दृष्टि से भारत की स्थिति विकासशील राष्ट्रों की तुलना में बेहतर है। अभी हाल में 'अग्नि' प्रक्षेपास्त्र के पाँचवें एवं 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र के पन्द्रहवें प्रक्षेपण का सफल परीक्षण हमारे रक्षा विकास एवं अनुसंधान के मामलों में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ने का एक उदाहरण है। भारत ने जल, थल एवं वायु तीनों प्रकार की सेनाओं की आवश्यक सैन्य सामग्री का उत्पादन स्वदेश में करने की योजना बनायी है। हमारे वैज्ञानिकों ने चार श्रेणियों के पांच परमाणु परीक्षण करके रक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नि:सन्देह नये आयाम स्थापित किये हैं।

7. सशस्त्र सेनाओं के उत्तरदायित्व—रक्षा-नीति निर्धारित करते समय उस राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं के कार्यों का भी अवलोकन किया जाता है कि आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है ? भारत जैसे राष्ट्र को दोनों ओर से रक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अत: अपनी रक्षा-नीति इस प्रकार तय करनी पड़ती है कि हमारी सेनाएँ सामरिक मामलों के अलावा दैवी आपत्ति एवं आन्तरिक व आकस्मिक घटना से भी बखूबी निपट सकें। युद्ध के स्वरूप में

परिवर्तन के कारण ही सशस्त्र सेनाओं के स्वरूप व संगठन में परिवर्तन के साथ उनके कार्यों में भी परिवर्तन किया गया है।

सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमाण्डर भारत के राष्ट्रपति हैं। देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। यह उत्तरदायित्व सरकार ने रक्षा-मंत्रालय को सौंपा हुआ है। हमारी सेनाओं का ढांचा इस प्रकार किया गया है जिससे आने वाले विकास के अनुरूप पर्याप्त रूप से सक्षम रहते हुए नए सामरिक परिवेश के प्रति सुदृढ़ रहा जा सके।

8. **राजनीतिक दृष्टिकोण**—रक्षा-नीति का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। किसी भी देश की रक्षा-नीति का मूल्यांकन मुख्यत: इसी बात से किया जाता है कि उसके माध्यम से राष्ट्रीय हितों की रक्षा कहाँ तक हुई है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने वाली रक्षा-नीति ही अधिक सार्थक मानी जाती है। प्रजातान्त्रिक प्रणाली में भारत की रक्षा नीति निर्धारण में उसकी राजनीतिक आकांक्षा केवल राष्ट्र-हित ही सर्वोपरि है, किसी राष्ट्र को दबाने या मजबूर बनाने की नहीं है। इसी कारण हमारे रक्षा नियोजकों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर ही रक्षा योजना बनाने की प्रक्रिया को अपनाया है। श्री अटल बिहारी बाजपेयी के राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण ही भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आ पाया है।

9. **वर्तमान परिस्थितियाँ**—किसी देश की रक्षा-नीति का निर्धारण उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। उस राष्ट्र में आन्तरिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी, औद्योगिक, मनोवैज्ञानिकों एवं भौगोलिक परिस्थितियां किस स्थिति में हैं ? इसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में जो चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें हमारी रक्षा आवश्यकताएं क्या होंगी ? भारत के सन्दर्भ में जो आन्तरिक अलगाववाद, उग्रवाद, कट्टरवाद एवं सम्प्रदायवाद की लहर चल रही है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सामरिक समीकरण तैयार किये जा रहे हैं जैसे—पाक-चीन गुप्त सैनिक सन्धि, पाक-अमेरिका सम्बन्ध एवं हथियारों की आपूर्ति, पंजाब में अमेरिका द्वारा मानवाधिकार हनन का प्रश्न उठाना, सोवियत संघ का पतन, अमेरिका का निरन्तर बढ़ता दबाव, पाक व चीन सीमा-विवाद तथा बंगलादेश से घुसपैठ की समस्या आदि घटनाक्रम। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही हमारी रक्षा-नीति तय की गई है जिससे कि हम प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्रीय-हित को सुरक्षित रख सकें।

10. **भावी योजनायें**—रक्षा-योजना के निर्धारण में उस राष्ट्र की भावी योजनाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। समय एवं परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार हमें अपने सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए रक्षी-नीति में भी बदलाव करना पड़ता है। विश्व के चारों ओर आज जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें सैन्य टकराव के स्थान पर सामरिक कूटनीतिक चालों का अधिक बोलबाला हो गया है। अत: हमें भी सामरिक कूटनीतिक चालों का सहारा लेना होगा अन्यथा हमारी योजनाएं भी अधर में रह जायेंगी और हम अलग-थलग पड़ जायेंगे। इसमें राष्ट्र की सीमाओं की प्रकृति तथा निकटवर्ती राष्ट्रों का रवैया, सम्भावित शत्रु, सैन्य-शक्ति तथा सम्भावित युद्ध के स्वरूप का अनुमान लगाकर ही रक्षा-नीति को निर्धारित किया जाता है।

भारत की वर्तमान रक्षा-नीति एवं सैन्य क्षमता

यद्यपि भारत की इच्छा किसी पड़ोसी राष्ट्र पर कब्जा करने की नहीं है, तथापि हमें अपने आक्रामक पड़ोसियों को देखते हुए सजग रक्षा-नीति अपनानी चाहिये। भारत की सामरिक क्षमता संसार के मानचित्र में चाहे जैसी भी हो, किन्तु उसकी तत्कालीन चिन्ता अपने पड़ोसी राष्ट्रों की निरन्तर बढ़ती सैन्य क्षमता के कारण ही है। चीन जहां एशिया की शक्ति बनने की इच्छा से अपने हथियारों का तेज़ी से उत्पादन एवं जखीरा जमा कर रहा है वहीं पाकिस्तान भारत का हौवा खड़ा करके शस्त्रों के ढेर लगा रहा है। पाक भले ही आबादी की दृष्टि से छोटा है, परन्तु भारत के प्रति शत्रुता के मामले में उसका कद सबसे बड़ा व भारी भरकम है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों के निर्माण का कार्यक्रम और उसकी अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं से परे वायुवाहित पूर्व सूचना उपकरण जैसे अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने के लगातार प्रयास हमारे लिये चिन्ता का विषय अवश्य हैं।

पाकिस्तान ने अपनी सशस्त्र सेनाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ौत्तरी कर ली है और उसका यह भी प्रयास है कि अत्याधुनिक हथियार जैसे प्रक्षेपास्त्र एम-11, एम-12 तथा एफ-16 विमानों की एक ओर खेप प्राप्त करके वह इस क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से भारत से आगे बढ़ जाये। इसके पीछे उसके क्या इरादे हैं, सभी जानते हैं। भारत की आत्म-निर्भरता की

और बढ़ती शक्ति 'अग्नि' प्रक्षेपास्त्र का पांचवां सफल प्रक्षेपण और 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र का पन्द्रहवां सफल परीक्षण उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है। पाकिस्तान की सदैव विरोधात्मक कार्यवाहियां रही हैं, जैसे परमाणु हथियारों का निर्माण करना, अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं से परे 'अवाक्स' एफ-16 विमान, एम-11 प्रक्षेपास्त्र प्राप्त करना, सियाचिन क्षेत्र में उसकी आक्रामक कार्यवाही, भारत में आतंकवाद एवं अलगाववादी गतिविधियों में उसका हाथ होना आदि।

रक्षा के क्षेत्र में भारत की सैन्य क्षमता एवं प्रगति का अनुमान 'अर्जुन' टैंक एवं प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के विकास से लगाया जा सकता है। भारत अब 'पृथ्वी-2' प्रक्षेपास्त्र का पन्द्रहवां सफल परीक्षण भी कर चुका है। 'आकाश', 'अग्नि', 'नाग' एवं 'त्रिशूल' प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण के साथ ही अनेक बैरल प्रणाली वाले राकेट 'पिनाक' को भी सेना में शामिल किया जा रहा है। हल्के लड़ाकू विमानों को बनाने में भी भारत ने सफलता प्राप्त कर ली है।

भारत-चीन सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ है। भारत और चीन ने वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर शान्ति बनाये रखने के ऐतिहासिक समझौते पर 7 सितम्बर, 1993 को हस्ताक्षर किये। इससे दोनों पक्ष सीमा पर तैनात सैनिक संख्या को कम करेंगे। दोनों ही देश एक-दूसरे के खिलाफ न तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे और न ही धमकी देंगे। वे तीन दशक पुराने सीमा-विवाद का हल भी बातचीत के माध्यम से निकालने तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करेंगे। फिर भी चीन का आणविक परीक्षण का कार्यक्रम जारी है साथ ही तिब्बत में सामरिक तथा संचार व्यवस्था को अधिक मज़बूत बना रहा है। सैनिक संख्या में निरन्तर बढ़ौत्तरी के साथ ही अतिरिक्त सैन्य हवाई अड्डों को भी बेहतर बना रहा है। इन सभी कार्यवाहियों को देखते हुए भारत को समय रहते जागरूक होने की ज़रूरत है। नेपाल, अफ़गानिस्तान, बंगलादेश, म्यनमार (बर्मा) और पाकिस्तान में जो चीनी हथियारों का जखीरा जमा हो रहा है वह सामान्य स्थिति को कभी भी युद्ध में बदल सकता है। चीन के साथ भारत के सम्बन्धों की वास्तविकता एवं भावी दिशा व दशा का विचार करने से पूर्व वर्तमान विश्व में चीन की स्थिति पर एक दृष्टि डालनी ज़रूरी है। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी ही नहीं है अपितु विश्व का दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति केन्द्र बनने के करीब है। शीत युद्धोत्तर विश्व में इसकी विशिष्ट स्थिति का प्रमाण इसी तथ्य से मिल जाता है कि आज लगभग सभी प्रमुख देश या देशों के अलग-अलग क्षेत्रीय समूह इसके साथ सम्बन्ध बनाये रखने को एक प्रकार से विवश हैं। इसमें पश्चिमी राष्ट्रों सहित अमेरिका भी शामिल है। भारत को अपने सम्बन्ध सामान्य रखकर कूटनीति से अधिक काम लेने की आवश्यकता है। चूंकि चीन एवं पाकिस्तान की सामरिक सांठ-गांठ हमारी रक्षा नीति को प्रत्यक्ष प्रभावित करती है। अतः प्रत्येक कदम सतर्कता से उठाने की ज़रूरत है।

बंगला देश की घटनायें भी हमारे लिये बहुत महत्त्व रखती हैं, क्योंकि उसके साथ हमारी लगभग 400 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीनी हथियारों का जमाव भी बंगलादेश द्वारा किया जा रहा है, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से उसे इतने हथियारों की आवश्यकता नहीं है। बंगला देश में अभी हाल में चुनाव होने के बावजूद आन्तरिक राजनैतिक गतिविधियां एवं विरोध उग्र रूप में हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी रक्षा-नीति को प्रभावित कर रहा है।

यदि भारत इन हथियारों की होड को अनदेखा करता है जो सुरक्षा के लिये एक गम्भीर संकट खड़ा हो जायेगा और यदि संतुलन बनाये रखने के लिये हथियारों में बढ़ौत्तरी करता है तो रक्षा-व्यय निश्चित तौर पर बढ़ जायेगा। राष्ट्रीय विकास में व्यय होने वाला धन अब रक्षा-व्यय में मजबूरन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियां तैयार होती जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या चीन-पाक का गुप्त सैनिक गठजोड़ से है, क्योंकि चीन न सिर्फ आधुनिक हथियारों की आपूर्ति पाकिस्तान को कर रहा है, बल्कि उसे सामयिक तकनीकी, संशोधित परिष्कृत कल-पुर्जे, उपकरण, उपस्कर तथा प्रशिक्षण दे रहा है।

प्रत्येक राष्ट्र का रक्षा-व्यय आजकल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि शस्त्रों के निर्माण की गति इतनी तीव्र है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज के विनाशक युद्ध में आतंकित विश्व के लगभग सभी देश शान्ति एवं सुरक्षा के लिए रक्षा नीति के माध्यम से अपने देशों की रक्षा-व्यवस्था को मज़बूत बनाने में संलग्न हैं। अतः प्रत्येक लोकतन्त्रीय राष्ट्र अपने अस्तित्व और अखण्डता को बनाये रखने के लिए न चाहते हुए भी प्रतिवर्ष अपनी रक्षा-नीति में परिवर्तन कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप रक्षा-व्यय स्वतः ही बढ़ता जाता है। रेखाचित्र से निरन्तर बढ़ते रक्षा व्यय का अनुमान लगा सकते हैं।

भारत और पड़ोसी देशों की सैन्य शक्ति

क्रम सं०	मुख्य सैन्य बल	चीन	पाकिस्तान	भारत	इण्डोनेशिया	बर्मा (मयनमार)
1.	थल-सेना सामरिक	7 डिवीजन (न्यूक्लियर क्षमता सहित)	5 डिवीजन परम्परागत	1 डिवीजन		
2.	सेना/कमांड	7 सैनिक क्षेत्र		6 कमांड	10 क्षेत्रीय मुख्यालय	10 क्षेत्रीय मुख्यालय
3.	कोर / इंटीग्रेटेडबल	24	9	10	1	
4.	आर्मड् डिवीजन	10	2	2	1 ब्रिगेड	
5.	मैकेनाइज्ड डिवीजन	10		1	70 बटालियन	8 लाइट डिवीजन
6.	इन्फैंट्री/माउंटेन	76	10 (+)	21+11 = 32	-	85 बटालियन
7.	एयरबोर्न ट्रूप्स	3 डिवीजन	1 ब्रिगेड	2 बिग्रेड	2 बिग्रेड	
8.	स्वतन्त्र ब्रिगेड	10	12	15	4	27 बटा०
9.	मुख्य युद्धक टैंक	10,000	2,800	3,200	300 हल्के	25 हल्के
10.	बख्तरबंद युद्धक वाहन/जवानों को ले जाने वाले वाहन	5,000	800	900	350	100
11.	आर्टलरी टुकडियां	15000	1400	2500	500	100
12.	मिसाइल	एम-9	क्रोटेल, एस 300 रेडमेसे-8	टाइगर कैंट / पृथ्वी, आकाश, अग्नि	रैपियर	
13.	विशिष्ट बल क्रिया ग्रुप	5 त्वरित	1 विशेष सर्विस ब्रिगेड, 3 बख्तर बंद रिकनाइसेस रेजिमेंट			
		कुल 470000	38000	115000	25000	
14.	वायु सेना	200 लडाकू स्क्वाड्रन, 120 स्ट्राइक स्क्वाड्रन 42 तथा अन्य बमवर्षक	8 लडाकू इंटर सैफ्टर स्क्वाड्रन 10 फाइटर ग्राउंड स्क्वाड्रन 1 रिकनाइसेंस स्क्वाड्रन 2 परिवहन स्क्वाड्रन	13 फाइटर इंटर सैफ्टर स्क्वाड्रन, 19 एयर डिफेंस स्कवाड्रन,3 रिकनाइसेंस स्कवा-ड्रन, 13 परिवहन स्कवाड्रन	2 फाइटर/ ग्राउंड अटैक, 2परिवहन -एवं रिक्नाइ-सेंस स्क्वाड्रन	स्क्वाड्रन

क्रम सं०	मुख्य सैन्य बल	चीन	पाकिस्तान	भारत	इण्डोनेशिया	बर्मा (म्यनमार)
15.	जल-सेना	260000 (38000 मेरिनर), 16 डिस्ट्रायर 110 सबमेरिन, 30 फ्रिगेट 1000 पेट्रोल वोट	30000 6 डिस्ट्रायर 8 सबमेरीन 10 फ्रिगेट 30 पेट्रोल	47000 (1000 मेरिनर) 8 डिस्ट्रायर 20 सबमेरीन 14 फ्रिगेट 1 क्रूजर 2 कैरियर	4000 (12000 मेरिनर) 15 फ्रिगेट 2 सबमेरीन 40 पेट्रोल वोट	9000 40 पेट्रोल वोट, 4 कोवेट

स्रोत—मिलिट्री टैक्नोलॉजी एंड मिलिट्री बैलेंस

हिन्द महासागर जो कि आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक तथा सामरिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र बन गया है, वहाँ विकसित राष्ट्र अपना जो संजाल फैला रहे हैं तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्दिता चल रही है यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा-व्यवस्था में सोवियत संघ के पतन के पश्चात् सन्तुलन एवं स्थिरता आने की पूरी सम्भावना आयी, किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ को धता बताकर अमेरिका ने जो चाल चलनी प्रारम्भ की है उससे विकसित राष्ट्रों में असुरक्षा की भावना पुनः उग्र रूप धारण कर चुकी है। यही कारण है कि शासकों के व्यक्तिगत स्वार्थ, उनकी मजबूरी एवं बड़े राष्ट्रों के दबाव ने हथियार व्यापार को जो बढ़ाया दिया है, उससे हमारा सुरक्षा परिवेश असन्तुलित नज़र आ रहा है। नीचे दी गई तालिका से भारत तथा पड़ोसी राष्ट्रों की तुलनात्मक सैन्य शक्ति से रक्षा परिवेश का एक अनुमान लगाया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके साथ ही हमारे यहाँ आन्तरिक स्तर पर भी जिस प्रकार की नकारात्मक और विध्वंसक एवं विस्फोटक शक्तियां बलवती हो रही हैं, इन्होंने भी हमारी सैन्य-शक्ति पर अपना सीधा दबाव डाला है। अतः ऐसी परिस्थिति में भारतीय रक्षा-क्षमता का समग्र आंकलन किया जाये और इससे सम्बन्धित चिन्ता में आम भारतीय नागरिक की भी भागीदारी की आवश्यकता है। नीचे हम अपनी केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में रक्षा-व्यय का एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं—

वर्ष	रक्षा व्यय प्रतिशत (जी० डी० पी०)	रक्षा व्यय (करोड़ रु०)	रक्षा अनुसंधान व विकास पर व्यय (करोड़ रु०)
1994-95	2.53	23,245	1241.23
1995-96	2.39	26,856	1382.41
1996-97	2.52	29,505	1435,79
1997-98	2.41	35,278	1951.38
1998-99	2.31	39,897	2299.80
1999-00	2.48	47,071	2740.00
2000-01	2.31	54,461	3281.45
2001-02	2.50	58,587	3508.34
2002-03	2.34	65,000	3008.11
2003-04	2.94	65,300	3443.18
2004-05	2.50	77,000	3747.12
2005-06	2.47	83,000	5356.34

स्रोत—रक्षा मन्त्रालय भारत सरकार

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 में भारत का रक्षा बजट 83 हज़ार करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा बजट 77 हज़ार करोड़ के मुकाबले छः हजार करोड़ रुपये अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि

विगत वर्ष की तुलना में इस नये बजट में 7.79 प्रतिशत की ही नाम मात्र वृद्धि की गयी है जबकि विगत वर्ष 2004-2005 के रक्षा बजट में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। सुरक्षा नीति का एक अहम् पहलू, उसका रक्षा पर होने वाला व्यय होता है। इसके अन्तर्गत रक्षा पर किया जा रहा व्यय व उसका देश के समार्थ्यता एवं रक्षा की विश्वसनीयता के सन्दर्भ में आकलन महत्त्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि रक्षा तैयारियों की अनदेखी किसी राष्ट्र या समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।

विगत कुछ वर्षों से भारत अपनी रक्षा नीति में सामरिक परिवेश में होने वाले लगातार परिवर्तन को ध्यान में रखता रहा है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प रहा कि तैनात की गयी सशस्त्र सेनायें सुसज्जित हो, उनके कार्मिकों की तैनाती समुचित हो तथा उनको संतुलित रूप से सहायता प्रदान की जा सके, ताकि वे संक्रियाओं को कारगर ढंग से संचालित किया जा सके।

शीत-युद्ध की समाप्ति के बाद के बदलने भू-राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, परिदृश्यों एवं वैदेशिक कूटनीतिक सम्बन्धों के समीकरणों के मद्देनज़र भारत को अभी भी एक सुविचारित, सुतार्किक और दृढ़ रक्षा-नीति की आवश्यकता है। आज़ादी के बाद भारत ने जो रक्षा-नीति बनायी थी, उस पर देश के भौगोलिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकासत की और ब्रिटिश राज की गहरी छाप थी।

चीन और पाक युद्ध ने जो सीख दी उसने रक्षा-नीति के कई अवयवों को पुष्ट किया और उसी कारण भारत की एक सबल और स्पष्ट रक्षा-नीति तैयार हो पायी। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से हमारी रक्षानीति अपने सिद्धान्तों पर नियत रहने के बावजूद बाह्य तौर पर इतनी विचलित हुई कि कभी-कभी उसके मूल सिद्धान्तों से भटक जाने का भय लगता है।

दरअसल, रक्षा-नीति अर्थ एवं वित्त-नीति के साथ-साथ विदेश-नीति से बहुत गहरे तौर पर जुड़ी होती है। इन दोनों नीतियों में किसी प्रकार के बदलाव का सीधा असर रक्षा-नीति पर पड़ता है। पिछले चार वर्षों में अर्थ और वित्त विषयक नीतियों के नये प्रयोगों ने हमारे वैदेशिक रिश्तों पर भी असर डाला, फिर सोवियत संघ के टूटने के साथ-साथ जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुईं, उससे भी इस पक्ष पर अच्छा खासा असर रहा है।

भारतीय रक्षा-नीति निर्धारण पर आज कई तरफ से दबाव है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति से देश अभी उबर भी नहीं सका है। यदि भारतीय सेना अपने तीनों अंगों का नवीनीकरण करना चाहे, यानी अपने वायुयानों, टैंकों, जलपोतों इत्यादि की मुरम्मत करना चाहे तो भी इस कार्य को मुकम्मल तौर पर सम्पन्न करने के लिए ही करीबन पच्चीस सौ करोड़ रुपये चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास के मद में खर्चे के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सैन्य हथियारों और उपकरणों, उपस्करों की तरफ आत्मनिर्भरता की बात काफ़ी कठिन लगती है। आंतरिक मुद्दों से निपटने के लिए सेना का प्रयोग कोई बहुत बुरी बात नहीं। लेकिन यह अनिवार्य और विकासहीनता की स्थिति में ही उचित है। रक्षानीति को न सही, पर रक्षा-व्यय को नि:संदेह इस आंतरिक दबाव से गुज़रना पड़ रहा है।

हमारी रक्षानीति पर दबाव आंतरिक भी है, और बाहरी भी। बाज़ारोन्मुख व्यवस्था के तहत परमाणु अप्रसार सन्धि (N.P.T.) प्रक्षेपास्त्र तकनीक नियन्त्रण व्यवस्था (M.T.C.R.) व व्यापक परमाणु प्रक्षेपास्त्र परीक्षण प्रतिबिन्ध सन्धि (C.T.B.T.) के मुद्दे पर अमरीकी दबाव तो है ही, हमने जिस केमिकल वेपन कन्वेंशन मसविदे पर पिछले दिनों हस्ताक्षर किये, वह भी कम परेशानी का सबब नहीं बनने वाला है। इसकेअलावा भी महाशक्तियों का दबाव कई ऐसी सन्धियों के लिए पड़ रहा है, जिसे भारत या तो निरर्थक समझता है अथवा भेदभावपूर्ण कूटनीतिक और राजनीतिक कारणों से वह बहुत सख्त रवैया नही अपना सकता। भले ही वह साफ दिखता दबाव अमरीका का हो अथवा परोक्ष रूप से चीन का हो। सम्भावित शत्रुओं की सैन्य-क्षमता को देखते हुए राष्ट्र की सीमा रक्षा हेतु तुलनात्मक समाघात शक्ति के विकास की ज़रूरत है। अत: हमारी रक्षा-नीति में आर्थिक, वित्त और विदेश नीति के समीकरणों का उचित संयोजन ज़रूरी है। यहीं नहीं इसमें राष्ट्र की भीतरी रक्षा-सुरक्षा के बारे में भी ध्यान दिया जाये। हमारी रक्षा-नीति को राजनीति के नकारात्मकता के प्रभाव से दूर होना होगा तथा शत्रु की छोटी-छोटी घुड़कियों के सामने लचीला पड़ जाने से भी बचना होगा। रक्षा-नीति में सैन्य संगठनों में व्याप्त कार्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। पारम्परिक, गौरव एवं आत्मनिर्भरता पर जोर देना हमारी रक्षानीति की अनिवार्यता है।

देश की सुरक्षा के लिए आगामी करीब 25 वर्ष के लिए एक दीर्घकालीन प्रभावी रक्षा योजना तैयार की जा रही है। सेना को भविष्य में किसी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए अत्यन्त शक्तिशाली एवं अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। योजना में देश के लिए सम्भावित खतरों, हथियारों के क्षेत्र में विकसित होने वाली नवीनतम एवं परिष्कृत तकनीकी, परमाणु, जीवाणु एवं रासायनिक युद्ध आदि का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही सेना रात्रि युद्ध की प्रहार शक्ति बढ़ाने तथा रात्रि युद्ध कला को बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया जायेगा। इसके लिए देश में इंफ्रारैड प्रणाली लगायी जा रही है। जिससे अन्धेरी रात में भी शत्रु को देखा जा सके। योजना में लेसर और इलेक्ट्रानिक प्रणाली पर अधिक ज़ोर दिया गया है। देश में लडाकू विमानों एवं पनडुब्बियों के निर्माण की योजना पर विशेष ध्यान दिया गया है। आधुनिक भारत विभिन्न प्रकार के प्रेक्षपास्त्र बनाने में भी सफल रहा है। परमाणु परीक्षण करके परमाणु शक्ति सम्पन्न भी हो गया है।

किसी राष्ट्र की रक्षा-शक्ति का अनुमान उसके वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकी विकास कार्यों और औद्योगिक प्रगति से लगाया जा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस नीति को सजग सुरक्षात्मक रक्षा-नीति कहा जा सकता है।

भारत की रक्षा तैयारी

Defence preparation of India

पाकिस्तान व चीन की निरन्तर बढ़ती हथियारों की भूख, सैन्य प्रगति एवं आस-पास के सुरक्षा परिवेश को ध्यान में रखकर भारत ने अपनी स्थल सेना, वायुसेना एवं नौ-सेना को आधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस किया है। प्रतिरूप के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के भी प्रशंसनीय प्रयास किये हैं। यद्यपि यह सत्य है कि आधुनिक समय में जिस प्रकार की रक्षा-व्यवस्था की आवश्यकता है, वैसी व्यवस्था अपने बलबूते पर कर पाना भारत के लिए फिलहाल सम्भव नहीं है, फिर भी युक्ति-संगत आत्मनिर्भरता अवश्य ही प्राप्त की जानी चाहिए। रक्षा-मोर्चे पर युक्ति-संगत आत्मनिर्भरता का अर्थ है उन उपकरणों एवं हथियारों का निर्माण कर लेना, जिनका निर्माण हम कर लेने में सक्षम हैं। यद्यपि हम रक्षा के सन्दर्भ में अमेरिका ,रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या चीन की तरह शत-प्रतिशत आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, किन्तु 80 प्रतिशत तक तो आत्मनिर्भर अवश्य ही होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रक्षा मामलों में जितनी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की सामर्थ्य हमारे पास है उस सामर्थ्य के अनुरूप कार्य नहीं हो पाया है किन्तु परमाणु शक्ति सम्पन्नता के कारण रक्षा के क्षेत्र में नये आयाम अवश्य ही स्थापित हो गये हैं।

दक्षिण एशिया में भारत की महत्त्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए हमारी स्थल, वायु एवं नौ-सेना का सशस्त्र होना अत्यन्त आवश्यक है। आज हमारी स्थल सेना विश्व की सेनाओं में चौथे स्थान पर, वायु सेना पांचवें स्थान पर तथा नौ सेना सातवें स्थान पर आंकी जाती है। भारतीय स्थल सेना के पास अनेक आर्म्ड-कवचित डिवीजन मैकेनाइज्ड डिवीजन, आरमर्ड डिवीजन, इन्फैन्ट्री-पैदल ब्रिगेड, पैरा-शुट व इन्जीनियर ब्रिगेड भी हैं। हमारी स्थल सेना के पास टी-55, टी-72 विजयन्त एवं हल्की श्रेणी के टैंकों के दस्ते हैं और इसी वर्ष के आरम्भ में मुख्य युद्धक (एम० बी० टी०) अर्जुन को भी सेना में सम्मिलित कर लिया गया । यह टैंक अपने ही देश में विकसित तकनीकी की देन है। यह टैंक विश्व के अत्याधुनिक समझे जाने वाले टैंकों जैसे-लियोपार्ड, लेसलर्स, एब्राम्स, चैलेन्जर और मर्कावा की तुलना में अत्याधुनिक विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। इस टैंक की दृष्टि प्रणाली इस प्रकार से विकसित की गयी है कि यह गहन अन्धकार, धुंध या धुंऐ की स्थिति में भी तीन किलोमीटर के दायरे में शुत्र को देख सकता है और हर वातावरण व मौसम में कुशलता से कार्य कर सकता है। यह 35 डिग्री के ढलान वाले टीले को रौंदता हुआ अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ सकता है तथा डेढ़ मीटर गहने पानी की खाइयों से होकर आसानी से बाहर निकल जाता है। यह 58 टन वजन का होते हुए भी 70 किलोमीटर प्रति घण्टा की रफ्तार से रेगिस्तानी क्षेत्र में दौड़ सकता है। 'पिनाक' नामक अत्याधुनिक राकेट प्रणाली का भी विकास किया जा चुका है। यह 40 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। जहाँ तोपें कारगर सिद्ध नहीं होतीं वहां इसका सटीक प्रयोग किया जा सकता है।

आज के सन्दर्भ में रक्षा के क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्रों का बहुत अधिक महत्त्व बढ़ गया है। प्रक्षेपास्त्र केवल आक्रामक हथियार ही नहीं हैं, वे प्रतिरक्षात्मक हथियार भी हैं। आने वाले समय में भारत जैसे विशाल देश की रक्षा मुख्यतः प्रक्षेपास्त्रों से ही सम्भव हो सकेगी । भारत कम दूरी, मध्यम दूरी तथा लम्बी दूरी के और ज़मीन के ज़मीन एवं जमीन से आकाश में मार कर सकने वाले प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करने में समर्थ है। भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन विगत में इस प्रगति की और अधिक बढ़ावा देने के स्थान पर जानबूझ कर शिथिल किया गया । 'अग्नि' और 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्रों के विकास और निर्माण तथा इन्हें सेना को सौंपने के मामले में भारत सरकार जिस तरह अमेरिका के दबाव में आई उसका कहीं कोई औचित्य नहीं था। उचित यह होगा कि 'अग्नि' और 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र जितनी जल्दी सम्भव हो सके, सेना को सौंप दिए जाएं। रक्षा के मामले में किसी भी देश के दबाव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए—भले ही यह दबाव अमेरिका की ओर से हो। रक्षा मोर्चे पर एक बार विदेशी दबाव में आ जाने का मतलब है आगे और अधिक दबाव का सामना करना। वर्तमान में भारत के लिए आधुनिक कोटि के प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से आधुनिक कोटि के तमाम प्रक्षेपास्त्र हासिल कर लिए हैं और अमेरिका ने न तो चीन के खिलाफ कोई कारवाई की और न ही पाकिस्तान के खिलाफ। भारत सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान को 37 करोड़ डालर के अत्याधुनिक हथियार देने का फैसला किया है।

जहाँ तक युद्धक टैंक 'अर्जुन' की बात है, यह एक श्रेष्ठ कोटि का टैंक है, पर आने वाले समय में लड़ाई टैंकों से कम, प्रक्षेपास्त्रों से अधिक लड़ी जाएगी, अत: प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे तो जल, थल और

वायु सेना का अपना-अपना महत्त्व है और भारत की सेना के तीनों अंग सशक्त होने चाहिएं, फिर भी वर्तमान युग में रक्षा की दृष्टि से वायु सेना को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त है। फिलहाल भारतीय वायु सेना पूरी तौर पर आत्मनिर्भर बन सकने की स्थिति में नहीं है। यद्यपि हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू विमान का नमूना तैयार कर लिया है, लेकिन इस विमान को सेना को सौंपने में अभी पांच-छह वर्ष का समय लगेगा। जहां तक थल सेना की बात है, थल सेना भी लगभग उसी तरह की समस्याओं का सामना कर रही है जिस तरह की समस्याओं का सामना वायु सेना कर रही है। भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती यह भी है कि श्रेष्ठ कोटि के तोपख़ाने का विकास कैसे करें। जो बोफार्स तोपें ख़रीदी गई थीं वे अब न केवल पुरानी पड़ चुकी हैं, बल्कि कल-पुर्जों की कमी का भी सामना कर रही हैं। इस सब से उनकी मारक क्षमता में कमी आ चुकी है और यह कोई छिपी बात नहीं है कि थल सेना के जवान उस तरह से गोला-बारूद चलाने का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं जो कि अपेक्षित है।

भारत में प्रक्षेपास्त्रों के विकास का एक समन्वित कार्यक्रम चल रहा है। इसकी सफलता से पाकिस्तान और अमेरिका नाराज़ ही नहीं, बल्कि धमकी भी दे रहे हैं। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र को तैनात करने का प्रयास जारी है और इसके अब तक पन्द्रह सफल परीक्षण किये जा चुके हैं और इसकी प्रहारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है। यह एक हज़ार किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है।

भारत के प्रक्षेपास्त्र व राकेट लांचर

प्रक्षेपास्त्र श्रेणी	उद्देश्य	नोदक क्षमता	मारक दूरी (कि० मी०)	भार क्षमता (कि० ग्रा)	ताप क्षमता	वर्ष
त्रिशूल	सतह से हवा में SAM	संयुक्त	10	15 कि०ग्राम	–	–
नाग	एण्टीटैंक	सी० एम० डी० बी०	09	–	–	–
आकाश	एस० ए० एम०	फ्यूज रिच	30	55 कि०ग्राम	–	–
पृथ्वी-1	एस० एस० एम०	द्रव	150	500	–	1988
पृथ्वी-2	एस० एस० एम०	द्रव	250	1000	–	1996
अग्नि	आई० आर० बी० एम०	ठोस	1500-2500	एक टन	3000	1998
पिनाक	बहुउद्देश्यीय	ठोस	40	(मैदानी बम वर्षा व सैन्य जमाव के विरुद्ध		
ब्रह्मोस	क्रूस एम० एस०		290	लम्बी मारक कार्यवाही में सहयोग)		
अस्त्र	एस० एम०					

'अग्नि' प्रक्षेपास्त्र मध्यम मार की दूरी वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। एक ही समय में अनेक लक्ष्यों पर प्रहार करने वाला प्रक्षेपास्त्र 'आकाश' ज़मीन से आसमान में 25 किलोमीटर ऊंचाई तक अचूक निशाना दागने में समर्थ है। यह अमेरिका की बहुचर्चित मिसाइल 'प्रेट्रियाट' से भी कई मायनों में बेहतर है। इसमें एक ऐसा राडार लगा हुआ है, जो एक समय में तीस लक्ष्यों पर अपनी नज़र रखने में सक्षम है। ज़मीन से हवा में मार करने वाला 'त्रिशुल' प्रक्षेपास्त्र भी एक उच्च श्रेणी का प्रक्षेपास्त्र है। इसका राडार भी बहुत बड़ी क्षमता वाला है। यह 25 किलोमीटर के दायरे में वस्तुओं का पता लगा सकता है। इसके साथ ही टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र के रूप में 'नाग' भी एक उच्च श्रेणी की प्रक्षेपण प्रणाली वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी प्रहारक क्षमता 5 किलोमीटर है और टैंकों को तोड़ने में अत्यन्त कारगर प्रक्षेपास्त्र है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी में हमारी क्षमता पर्याप्त है जो दुश्मन के हर हमले का करारा जवाब दे सकती है। 'सूर्य' एवं 'सागरिका' प्रक्षेपास्त्रों का विकास भी रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक बढ़ता कदम ही है।

रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और प्रगति की। एच० ए० एल० ने एक ऐसा हेलीकाप्टर तैयार किया है, जो वायुसेना, स्थल सेना और नौ सेना की सहायता करने में सक्षम है। यह 290 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से चल सकता है और आसमान में लगातार चार घण्टे तक उड़ान भरता रह सकता है। यह बहु-उद्देश्यीय हल्का हेलीकाप्टर है जो टोह लेने, टैंकों को मार गिराने, सेनाओं को सहयोग, चिकित्सा सेवा, पनडुब्बियों की लड़ाई एवं आकस्मिक व दैवी आपत्ति के समय अपनी कारगर भूमिका निभाता है। नौ-सेना के क्षेत्र में पनडुब्बियों के निर्माण कार्य में भी हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, अत्याधुनिक पनडुब्बी 'शिशुमार' इसका उदाहरण है।

किसी भी राष्ट्र की सैन्य क्षमता का अनुमान उसकी रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता से स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है। पड़ोसी राष्ट्रों की बढ़ती हुई हथियारों की भूख को देखते हुए भारत को इन हथियारों एवं रक्षा उपकरणों की भी आवश्यकता है।

सामग्री व उपकरण	आवश्यकता
विमानवाहक	1
बहु-उद्देश्यीय लड़ाकू विमान	2 स्क्वैड्रन
एअरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम	
स्वचालित गन	60-70
एडवांस्ड जेट ट्रेनर	2 स्क्वैड्रन
लडाकू हेलीकॉप्टर	2 स्क्वैड्रन
स्वचालित हेलीकॉप्टर	
हवाई रक्षा तंत्र (राडार व प्रक्षेपास्त्र)	
मिग 21 बिस अपग्रेड	100 विमानों के लिए
टी-72 टैंक की सामग्री	400 टैंकों के लिए
पुर्जे और युद्ध सम्बन्धी अन्य सामग्री	

किसी भी देश का अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर दृष्टि से आत्म-निर्भर बन जाना अत्यन्त कठिन है, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा देश अपनी रक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है। समुद्र से पनडुब्बी के भीतर से छोड़ी जाने वाली बैलेस्टिक मिसाइल 'सागरिका' के विकास की योजना भी चल रही है।

यह निर्विवाद सत्य है कि भारत की सैनिक क्षमताएं पाकिस्तान की तुलना में हर मायने में श्रेष्ठ हैं, फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अब पाकिस्तान के पास आधुनिक चीनी एम-11 प्रक्षेपास्त्र हैं और इनका सामना करने के लिए सक्षम हमें रूस के प्रक्षेपास्त्र विरोधी प्रक्षेपास्त्र एस-300 पी० एम० यू० को भी अपने रक्षातन्त्र में जोड़ना होगा। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए हमें अपनी रक्षा क्षमता को मजबूरन मज़बूत करना पड़ेगा। पाकिस्तान के 'गौरी' प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण एवं 'गजनवी' प्रक्षेपास्त्र के विकास से भी सावधान रहना होगा।

वास्तव में अब वक्त आ गया है जब भारत को किसी बड़ी शक्ति पर निर्भरता की नीति छोड़कर आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता की नीति अपनानी चाहिए। सुरक्षा की मद में खर्च बढ़ाने की मज़बूरी दरअसल एक व्यावहारिकता है। सुरक्षा की ओर से निश्चिन्त होना भी विकास के लिए ज़रूरी है। फ्रांस से हमने पाक को मिराज बेचने का जो विरोध किया है वह सर्वथा उचित है। लेकिन हमें अपनी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को अधिक विकसित करने के साथ-साथ सामरिक शक्ति का विस्तार भी करना होगा। संयुक्त सैनिक अभ्यास की बात मानकर हमने गलती की, परन्तु अब भी समय है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थनीति और सुरक्षा सबको अलग रख कर सोचना होगा। आज ज़रूरत भय या आतंक में रहने की नहीं है, बल्कि एक ठोस रणनीति बनाकर उस को व्यवहार में लाने की है। सुरक्षा मद पर जो भी ज़रूरी खर्च हो, वह किया जाना चाहिए और भविष्य में भी सुरक्षा के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से परमाणु परीक्षण भारत की एक आवश्यकता थी, जिसे समय आने पर तथाकथित नाराज राष्ट्र भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेंगे। इसी के तहत ही अब अमेरिका ने भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र आखिर मान लिया है। राष्ट्रीय हित का लक्ष्य समाज की बुनियादी ज़रूरतों को साधना है। इसमें राष्ट्र का कल्याण, आर्थिक विकास, राजनीतिक विचारधारा की सुरक्षा, सम्प्रभुता, राष्ट्रीय प्रवृत्ति एवं भू-भाग की अखण्डता की रक्षा शामिल है। राष्ट्रीय हित रक्षा नीति का एक आधारभूत तत्त्व है। यही एक रक्षा-नीति की प्रारम्भिक सीमा है और इसी पर विदेश नीति का समापन भी है।

किसी भी राष्ट्र की रक्षा नीति सुनिश्चित करते समय सामरिक भौगोलिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते नित्य नये आयामों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। सुरक्षा परिवेश के आधार पर ही रक्षा-नीति एवं रक्षा बजट सुनिश्चित किया जाता है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सदैव सर्वोपरि महत्त्व का रहा है। राष्ट्रीय अखण्डता एवं अस्मिता की रक्षा हेतु देश का शक्तिशाली होना आवश्यक है। भारत विश्व शान्ति का प्रबल पक्षधर है और संसार के सभी देशों के प्रति उसकी शैली एवं सद्भाव

नीति है। वह पंचशील की नीति का समर्थक है, जिसके आधार पर राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता और सह-अस्तित्व के सिद्धान्त हैं। हमारी रक्षा नीति का निर्धारण उसकी अपनी भू-राजनीतिक स्थिति (Geo-strategic location) के साथ ही सामरिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के आधार पर किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अब कूटनीतिक पहलुओं पर भी विचार करना आज की रक्षानीति का एक प्रमुख आधार बन गया है।

वर्तमान वैश्विक परिवेश में भारत ने सुरक्षा के प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आर्थिक सुदृढ़ता, आन्तरिक सम्बद्धता और प्रौद्योगिकी प्रगति भी शामिल है। मौजूदा सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों को देखते हुए भारत को किसी भी आक्रमण का जबाव देने तथा इस जोन में शान्ति और स्थिरता को प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित स्तर की सैन्य क्षमता व तैयारी बनाये रखने की ज़रूरत है। इस उप-महाद्वीप में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हित उसके पड़ोसी देशों से गहन रूप से जुड़े हुए हैं। विश्वास निर्माण के प्रति भारत के दृष्टिकोण के एक-पक्षीय, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय आयाम हैं। इस प्रकार भारतीय रक्षा नीति वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की गयी है। प्रत्येक सरकार का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्र की सुरक्षा है। रक्षा नीति वह औजार है जिसके द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती है। इसलिए यदि सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये गये तो इससे राष्ट्रीय हित की बलि चढ़ जाती है।

भारतीय रक्षा बजट

India's Defence Expenditure

वर्तमान रक्षा परिदृश्य, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा कूटनीति के उभरते नित्य नए आयामों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सामरिक एवं सामयिक आवश्यकताओं की समीक्षा करना बेहद ज़रूरी है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सदैव ही सर्वोपरि एवं महत्त्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं अस्थिरता की सुरक्षा हेतु देश की सामरिक स्थिति का सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय सुरक्षा के समक्ष जो चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए ही हमें अपने रक्षा बजट में वृद्धि की ज़रूरत है। उभरते हुए वैश्विक परिवेश में भारत ने सुरक्षा के प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आर्थिक सुदृढ़ता, आन्तरिक सम्बद्धता और प्रौद्योगिकी प्रगति भी शामिल है। तथापि, देश के समक्ष उपस्थित सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों को देखते हुए भारत को किसी भी आक्रमण का जबाव देने तथा इस क्षेत्र में शान्ति, स्थिरता एवं प्रगति को प्रोत्साहन देने के साथ ही रचनात्मक सहयोग हेतु अपेक्षित स्तर की सैन्य क्षमता और रक्षा तैयारी बनाये रखनी होगी।

हमारी स्वाधीनता के 58 वर्षों के अन्तराल का रक्षा परिदृश्य इस प्रकार का रहा, जिसमें हमारी सुरक्षा शक्ति अत्यन्त सुदृढ़, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अवश्य दिखायी पड़ती है, किन्तु इसमें आयातित रक्षा साधनों, बदलते सुरक्षा परिवेश तथा असंगत नीतियों के प्रभाव भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। चालू वर्ष के बजट में रक्षा मन्त्रालय के लिए आबंटन राशि बढ़ाये जाने के बावजूद उपलब्ध धन राशि देश के सुरक्षा बलों एवं सुरक्षा साधनों के आधुनिकीकरण की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। बदलता वैश्विक परिवेश, देश का सुरक्षा परिदृश्य, कारगिल के कटु अनुभव, हिन्द महासागर एवं दक्षिण एशिया के आस-पास इलाके में अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों की लगी पैनी निगाहों के फलस्वरूप हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण तत्कालिक ज़रूरत है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भले ही महाशक्तियों का तनाव कम हो गया है, परन्तु आतंकवाद, अलगाववाद व विद्रोही ताकतों के उभरते रूप से तनाव में वास्तविकता में कोई कमी नहीं आयी है। पड़ोसी पाकिस्तान एवं भारत के बीच गोलियों की गड़गड़ाहट भले ही सुनाई न दे रही हो, किन्तु पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर तथा आतंकवाद को मदद करने वाला ढांचा पहले की तरह सक्रिय न होते हुए भी पूरी तरह सक्षम है और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बाट देखता रहता है।

हाल ही में पाकिस्तान के शीर्षस्थ सैन्य अधिकारियों ने अपनी खुफिया ऐजेन्सी इण्टर सर्विस इण्टेलीजेन्स (आई० एस० आई०) को भारतीय सीमा में सीमित आधार पर ताजा हमला शुरू करने के लिए आतंकी समूहों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करने के लिए अधिकृत किया है। यह खुलासा '**इण्टर नेशनल सेन्टर फॉर इनीशिएटिव्स**' द्वारा जारी पुस्तक '**द फाइनल सेटलमेण्ट रिस्ट्रक्चरिंग इण्डिया पाकिस्तान रिलेशंस**' में किया गया है। पाकिस्तानी सेना और आई० एस० आई० द्वारा जेहादी संगठनों को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन जेहादी संगठनों में लगभग 10 लाख युवक शामिल है। इनमें कई तो संचारतन्त्र, प्रचारतन्त्र और धन उगाही के काम में लगे हुए है। यह चुनौती केवल भारत के लिए ही घातक नहीं होगी, बल्कि सम्पूर्ण दक्षिण एशिया की शान्ति के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन जायेगी। पाकिस्तान के प्रति बढ़ती अमेरिका एवं चीन की सामरिक रुचि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करती है।

आज शान्ति, अमन और नवीन विश्व व्यवस्था के स्थान पर हम नित्य नये संघर्ष और लगातार व्याप्त अव्यवस्थाओं के दौर से गुज़र रहे हैं। वर्तमान में अन्तर्राज्यीय युद्ध इतने अधिक नहीं चल रहे हैं, जितने कि अन्तर्राज्यीय हिंसा, विद्रोह, अलगाववाद, आतंकवाद एवं बाह्य शक्तियों द्वारा अघोषित-युद्ध चलाये जा रहे हैं, जो विश्व के सुरक्षा परिवेश पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहे हैं। यही कारण है कि प्रत्येक देश अपने सामरिक परिवेश एवं राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त रूप से शक्तिशाली सैन्य क्षमता को जुटाने में लगा रहता है। हमारे देश के समक्ष मौजूद सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों को देखते हुए भारत को किसी भी आक्रमण का जवाब देने तथा इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता को प्रोत्साहन देने के लिए रचनात्मक सहयोग हेतु अपेक्षित स्तर की सैन्य क्षमता एवं सैन्य तैयारी बनाये रखनी होगी।

यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्य बनाये रखने तथा सुदृढ़ रक्षातन्त्र के निर्माण हेतु पर्याप्त रक्षा बजट उपलब्ध कराना प्रत्येक सरकार का प्रथम राष्ट्रीय दायित्व होता है। पर्याप्त धन के अभाव में न तो सशस्त्र सेनाओं को आधुनिकतम घातक, प्रहारक एवं संहारक हथियारों से सुसज्जित किया जा सकता और न ही रक्षा अनुसंधान व विकास कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जा सकते हैं। जहां तक भारत के रक्षा बजट का प्रश्न है अनेक रक्षा विशेषज्ञों के सुझाव एवं सलाह के बावजूद भी इस वर्ष 2005-2006 को रक्षा बजट में मामूली मात्र 7.79 प्रतिशत की ही वृद्धि की गयी है जोकि एक चिन्तन का विषय अवश्य ही है। अब हम दृष्टि डालते है कि भारत के एक दशक के रक्षा बजट पर—

वर्ष	रक्षा व्यय प्रतिशत (जी० डी० पी०)	रक्षा व्यय (करोड़ रु०)	रक्षा अनुसंधान व विकास पर व्यय (करोड़ रु०)
1994-95	2.53	23,245	1241.23
1995-96	2.39	26,856	1382.41
1996-97	2.52	29,505	1435.79
1997-98	2.41	35,278	1951.38
1998-99	2.31	39,897	2299.80
1999-00	2.48	47,071	2740.00
2000-01	2.31	54,461	3281.45
2001-02	2.50	58,587	3508.34
2002-03	2.34	65,000	3008.11
2003-04	2.94	65,300	3443.18
2004-05	2.50	77,000	3747.12
2005-06	2.47	83,000	5356.34

स्रोत—रक्षा मन्त्रालय भारत सरकार

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 में भारत का रक्षा बजट 83 हज़ार करोड़ अनुमानित किया गया है, जोकि पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा बजट 77 हज़ार करोड़ के मुकाबले छ: हज़ार करोड़ रुपये अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि विगत वर्ष की तुलना में इस नये बजट में 7.79 प्रतिशत की ही नाम मात्र वृद्धि की गयी है जबकि विगत वर्ष 2004-2005 के रक्षा बजट में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। सुरक्षा नीति का एक अहम् पहलू, उसका रक्षा पर होने वाला व्यय होता है। इसके अन्तर्गत रक्षा पर किया जा रहा व्यय व उसका देश के सामर्थ्यता एवं रक्षा की विश्वसनीयता के सन्दर्भ में आकलन महत्त्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि रक्षा तैयारियों की अनदेखी किसी राष्ट्र या समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।

विगत कुछ वर्षों से भारत अपनी रक्षा नीति में सामरिक परिवेश में होने वाले लगातार परिवर्तन को ध्यान में रखता रहा है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प रहा कि तैनात की गयी सशस्त्र सेनायें सुसज्जित हों, उनके कार्मिकों की तैनाती समुचित हो तथा उनको संतुलित रूप से सहायता प्रदान की जा सके, ताकि वे संक्रियाओं का कारगर ढंग से निष्पादन कर सके। इनके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वे भावी चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सके। यही कारण है कि हमारा सुरक्षा ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह नये सामरिक परिवेश का कारगर सामना कर सके और साथ ही भावी प्रगति को अपनाने के लिए तत्पर रहे। यह बात भी

विशेष महत्त्वपूर्ण है कि हथियारों पर होने वाले खर्च का अर्थ सेना के आधुनिकीकरण से कदापि नहीं लेना चाहिए।

रक्षा रणनीति तथा सुरक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाना रक्षा योजना का सार है। हमारे देश के विस्तृत आकार और व्याप्त सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताओं को देखते हुए हमारा रक्षा परिव्यय केन्द्र सरकार के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अथवा कुल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) के रूप में पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है। विगत अनुभव एवं सुरक्षा परिदृश्य के तहत पिछले वर्षों में रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी किये जाने से सेना ने आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण की जो गति पकड़ी थी, उससे स्पष्ट अनुमान लगाया जाने लगा था कि 2005-2006 के रक्षा बजट में लगभग 25-30 प्रतिशत तक की अवश्य वृद्धि की जायेगी, किन्तु मात्र 7.79 प्रतिशत की ही वृद्धि की गयी। इससे सेना के आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका अवश्य उत्पन्न हुई है।

हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए इस बजट में प्रस्तावित धनराशि से कही अधिक बजट की आवश्यकता है। सेना के तीनों अंगों (स्थल, नौ एवं वायु सेना) में ढांचागत बदलाव की ज़रूरत है। इसके साथ ही नये उपकरणों, आयुधों व साज-सज्जा की खरीददारी में भी बड़े स्तर पर व्यय की आवश्यकता है। चूंकि रक्षा उपकरणों की खरीद में काफ़ी समय लगता है और हाल के वर्षों में रक्षा सौदों पर 'तहलका' जैसे विवाद उठ जाने के कारण रक्षा सौदों की खरीददारी धीमी-सी पड़ गयी है। यही कारण है कि वायुसेना के लिए 'फाल्कान' टोही विमान' तथा 'हॉक जेट प्रशिक्षण विमान' तथा नौ सेना के लिए 'विमान वाहक पोत गोर्शकोव' आदि की खरीद का निर्णय एक लम्बी अवधि तक लटका रहा और खरीद के बाद उसे सेना के उपयोग में लाने में भी समय लगता है। इस प्रकार सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक कटौती प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालती है। यह उल्लेखनीय है भारत की सुरक्षा परिस्थिति के सन्दर्भ में सेना को सुसज्जित करने में समय बहुत महत्त्व रखता है। सेना के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों का चयन, उसके बाद आपूर्ति, सैन्यकर्मियों को उनका प्रशिक्षण देना और सेना में तैनातगी आदि हर चरण में समय लगता है।

भारत जैसे विकासशील देश को जहां एक ओर एक बड़ी सैन्य शक्ति रखनी पड़ती है, वहां दूसरी ओर प्रौद्योगिकी प्रगति दर के साथ चलने एवं उसके पुराने पड़ जाने के कारण आधुनिकतम हथियार एवं सैनिक साधन जुटाने की होड़ में अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है। वर्तमान परिदृश्य में हमारी नौ सेना को नवीन परमाणु चलित पनडुब्बियों की, स्थल सेना को नवीन तकनीकी वाले टैंकों एवं मल्टी बैटल रॉकेट 155 मिमी० की तोपे की तथा वायु सेना को लगभग 125 नये प्रकार युद्ध के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही रक्षा अनुसंधान व शोध के लिए भी एक बड़ी धनराशि जुटाने की ज़रूरत पड़ती है। इस वर्ष के रक्षा बजट में रक्षा अनुसंधान के लिए अधिक धनराशि आबंटित की गयी है, किन्तु इस प्रस्तावित रक्षा बजट से स्पष्ट आभास होता है कि भारत सरकार रक्षा के मामले में ज्यादा व्यय करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हम सभी यह स्पष्ट रूप से मानते तथा स्वीकार करते हैं कि अपनी रक्षा तैयारियों के प्रति तत्पर, सचेत एवं सतर्क रहकर ही चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

एक कटु सच्चाई यह है कि भारत के रक्षा बजट में वृद्धि की बजाय निरन्तर कमी हो रही है, क्योंकि मौजूदा आकड़ों को देखा जाये तो विगत वित्तीय वर्ष में भारत ने जहां अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) का मात्र 2.47 प्रतिशत ही रक्षा पर व्यय किया जबकि पाकिस्तान कटौती के बावजूद अपने सकल घरेलू उत्पादन (जी० डी० पी०) का लगभग 5 प्रतिशत और चीन लगभग 5.5 प्रतिशत से अधिक रक्षा पर व्यय कर रहा है। विगत वर्ष हमारे देश में रक्षा बजट के क्षेत्र में 77 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष सरकार ने इसे 6000 करोड़ बढ़ाकर 83000 करोड़ रुपये कर दिया है, जो कहने के लिए 7.79 प्रतिशत वृद्धि है। पड़ोसी देश चीन एवं पाकिस्तान के रक्षा बजट के बारे में यहां बताना इसलिए आवश्यक है कि उनका भारत के मुकाबले रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से कहीं अधिक है। यह बात सही है कि इस बार हमारे ऊपर रक्षा बजट में कटौती करने का एक बड़ा भारी दबाव अवश्य था, किन्तु किसी दबाव में आकर रक्षा व्यय में कटौती को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

विश्व शान्ति के मुख्य समर्थक होने का दावा करने वाला अमेरिका सेना पर जितना अधिक खर्च करता उतना कई देशों का रक्षा खर्च संयुक्त रूप भी नहीं होता। रक्षा प्रौद्योगिकी और मारक क्षमता के विस्तार के लिहाज से भी दुनिया में भी उसके मुकाबले में कोई भी देश नहीं आता। वाशिंगटन स्थित एक अध्ययन संस्थान वर्ल्ड वाच की रिपोर्ट अनुसार 2005 में अमेरिका रक्षा व्यय 421 अरब डॉलर है, जो 2009 बढ़कर 507 अरब डॉलर हो जाएगा। गौरतलब है कि 1950 में विश्व का रक्षा व्यय 307 अरब डॉलर था, जो 1984 में 1316 अरब डॉलर हो गया। वर्ष 2003 में इसमें कमी आई और ये 932 अरब डॉलर रहा। इस वर्ष केवल अमेरिका का रक्षा व्यय 382 अरब डॉलर था। अमेरिका के बाद इस मद में सबसे अधिक व्यय करने वाले चार राष्ट्र हैं—जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त रूप से इनका रक्षा व्यय दुनिया के रक्षा व्यय का 17 प्रतिशत है। चीन के बाद रक्षा व्यय के लिहाज से जर्मनी, इटली, ईरान, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया का नम्बर आता है। संयुक्त रूप से इनका रक्षा व्यय 12 प्रतिशत है। इसके बाद भारत, रूस, इजराइल, तुर्की और

ब्राजील का स्थान आता है। जिनका रक्षा व्यय (संयुक्त रूप से) विश्व के रक्षा व्यय का 6 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि रक्षा बजट की तुलना में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर व्यय बहुत ही कम है।

'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और' कहावत को चरितार्थ करते हुए चीन अपने रक्षा व्यय पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.3-2.8 प्रतिशत हिस्सा खर्च कर रहा है, जो उसकी अधिकारिक घोषणा से 40 से 70 प्रतिशत ज्यादा है। ये दावा अमेरिकी विचार समूह 'रैंड कारपोरेशन' के एक अध्ययन की रिपोर्ट में बताया गया। इस अध्ययन में बताया गया कि वर्तमान में चीन अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2001 में डॉलर की कीमत के अनुसार 69-78 अरब डॉलर की राशि खर्च कर रहा है। वर्ष 2025 में ये राशि वर्ष 2001 में डॉलर की कीमत के अनुसार 185 अरब डॉलर तक हो सकती है। बहरहाल, वर्ष 2025 के लिए अनुमानित ये राशि अमेरिका द्वारा अभी रक्षा बजट पर खर्च की जा रही राशि से 40 प्रतिशत अधिक है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत खर्च किया, जो वर्ष 2001 में डॉलर की कीमत के अनुसार 430 अरब डॉलर था। इस प्रकार अमेरिका एवं चीन हथियारों पर अन्धाधुन्ध राशि व्यय कर रहे हैं।

हमारे इस बार के रक्षा बजट में कटौती निःसन्देह एक गम्भीर चिन्तन का विषय है, चूंकि भारत एक बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण राष्ट्र होने के नाते ही विश्व में संख्या की दृष्टि से भारतीय स्थल सेना का चौथा और वायुसेना में पांचवा स्थान रखता है। इसके साथ ही भारत एक समुचित एवं सुदृढ़ नौ सेना को भी विकसित कर रहा है, ताकि हिन्द महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सके। हमारे देश को इस समय शक्ति प्रदर्शन, साम्राज्य विस्तार, प्रभुत्व जमाने अथवा विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक परिवेश से विवश होकर अपनी रक्षा व्यवस्था पर व्यय करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) के प्रतिशत की दृष्टि से भारत का रक्षा बजट दुनिया में रक्षा पर कम-से-कम व्यय करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। हमारे पड़ोसी राष्ट्र चीन एवं पाकिस्तान अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा प्रतिशत रक्षा पर व्यय करते रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान अमेरिका एवं चीन दोनों से ही गठजोड़ करके सैन्य सहायता प्राप्त करता है, जोकि उसके रक्षा बजट से अतिरिक्त होती है। अतः भारत के भौगोलिक आकार और विस्तृत संसाधनों को देखते हुए हमारी रक्षा व्यवस्था को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। भू-राजनीतिक एवं भू-कूटनीतिक दृष्टि से हमें अपने सामरिक हितों को कदापि उपेक्षित नहीं करना चाहिए।

देश	क्षेत्रफल (वर्ग किमी०)	जनसंख्या (लगभग)	रक्षा बजट (अरब अमेरिकी डालर में)		
			2001	2000	1999
भारत	32,87,590	1 अरब	15.6	15.9	10.7
अमेरिका	93,72,610	28.5 करोड़	396.1	343.2	305.4
पाकिस्तान	8,03,940	13.8 करोड़	2.6	3.3	2.7
चीन	95,96,960	1.25 अरब	42.0	39.5	37.5
रूस	1,70,75,200	14.6 करोड़	60.0	56.0	55.0
ब्रिटेन	2,44,820	5.9 करोड़	34.0	34.5	34.6
इजरायल	20,770	57.5 लाख	9.0	7.00	6.7
जापान	3,77,835	12.6 करोड़	40.0	45.6	41.1
फ्रांस	5,47,030	5.8 करोड़	25.4	27.0	29.5
जर्मनी	3,56,910	8.2 करोड़	21.0	23.3	34.7

वस्तुस्थिति यह है कि हमारा जो अनुमानित रक्षा बजट पास किया जाता है, उसकी 60 प्रतिशत राशि सशस्त्र सेनाओं के वेतन एवं भत्ते पर ही व्यय हो जाती है। इसके अलावा सेना के रख-रखाव, राशन तथा पेट्रोल, आयल एवं लूब्रीकेन्ट, हथियारों, भवनों, सड़कों तथा आधारभूत ढांचे को उचित रूप में बनाये रखने में 20 प्रतिशत राशि व्यय करनी पड़ती है। इसके साथ ही विगत वर्ष हथियारों के आयात सम्बन्धी समझौते को पूरा करने के लिए लगभग 10 से 12 प्रतिशत राशि चली जाती है। इस आधार पर मुश्किल से 8 से 10 प्रतिशत रक्षा बजट की राशि नये हथियारों की खरीद एवं सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में व्यय हो पाती है। इस प्रकार व्यय राशि से स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी तीनों सेनाओं का किस रूप में विकास एवं आधुनिकीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही आखिर

आर्थिक दबाव में क्यों फंस जाती है—सिफ़ारशें, एक सामयिक समीक्षा का गहन एवं गम्भीर विषय है, भारतीय सेना में आज भी 11709 अधिकारियों का अभाव है। इस कमी के कारण ही सैन्य अधिकारियों पर काम का दबाव व उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय सेनाओं पर जहां एक ओर लगातार दबाव है वहां उसके लिए सुविधाओं का अभाव तो है ही साथ ही हमारा सुरक्षा परिवेश भी कम घातक नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा अलावा आतंकवाद अलगाववाद, विद्रोह की लडाई, पूरे देश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को स्थापित करने में शासन व प्रशासन को सक्रिय सहयोग तथा प्राकृतिक आपादाओं के समय प्रबन्ध बनाये रखना आदि सभी काम सेना का उत्तरदायित्व बन चुका है। इसके व्यापक कार्यक्षेत्र एवं महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील समझने के बावजूद रक्षा के क्षेत्र में आर्थिक कटौती एक बेहद चिन्तनीय मुद्दा अवश्य है। प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ के० सुव्यमण्यम् ने रक्षा बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि—"यह एक व्यापक सोच है कि रक्षा व्यय को एक 'पवित्र गाय' की तरह आदर्श रूप में माना जाता है, किन्तु व्यवहारिकता कुछ और ही है। यह छवि उन कैबिनट मन्त्रियों द्वारा छोड़ी गयी है, जोकि रक्षा के मामलों में समुचित जानकारी एवं प्रबन्ध से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। यदि समय रहते इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

बिडम्बना इस बात की है कि सेना के तीनों (स्थल, वायु व नौ सेना) अंगों के मद में 500 करोड़ की कटौती की गयी है। स्थल, वायु तथा नौ सेना के लिए पूंजी परिव्यय हेतु 31490 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान बनाया गया था, किन्तु इस वर्ष के रक्षा बजट में इसे घटाकर मात्र 31000 करोड़ कर दिया गया है। इस वर्ष के रक्षा बजट में जो धनराशि सुनिश्चित की गयी है यह राशि तो विगत वर्ष 2004-2005 की गयी खरीददारी के भुगतान से ही पहले तयशुदा उपस्करों एवं सैन्य सामग्री में ही व्यय हो जायेगी। जैसा कि ज्ञात है कि 2003-04 में किये गये सौदे जैसे—'एडवान्स जेट ट्रेनर विमान' तथा 'विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव' आदि। इस बात से स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बजट में प्रस्तावित व अनुमानित आबंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है, बल्कि सीधे शब्दों में कह सकते है कि वास्तविकता में इस वर्ष पूंजी परिव्यय के लिए धनराशि आबंटित हुई ही नहीं है। सुरक्षा परिवेश और बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए रक्षा बजट में की गयी बढ़ौत्तरी बहुत ही कम है।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अभी रक्षा बजट में राजस्व व्यय की भागीदारी 60 प्रतिशत है, जबकि पूंजीगत व्यय का यह 40 प्रतिशत है। इस सन्दर्भ में जबकि सरकार का प्रयास यह होना चाहिए कि राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का प्रतिशत आधा-आधा यानि 50-50 प्रतिशत हो। इसके पश्चात् मौजूदा स्थिति के प्रतिकूल यानि राजस्व व्यय का 40 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय का 60 प्रतिशत भाग तय करने का लक्ष्य बनाना होगा तभी सही अर्थों में भारतीय सेना का विकास एवं आधुनिकीकरण हो सकेगा। कारगिल युद्ध के समय स्पष्ट रूप से हमें सबक मिल गया था कि सेना को आधुनिकतम हथियारों एवं तकनीकी से सुसज्जित करने के मामले में कोताही घातक सिद्ध हो सकती है। इस सबक के बावजूद रक्षा बजट में उदासीनता दिखाना किसी भी स्तर पर उचित नहीं कहा जा सकता है।

प्रस्तावित इस रक्षा बजट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के कुल बजट के एक रुपये में 14 पैसे रक्षा सुविधा, साधन एवं व्यवस्था में व्यय किये जायेंगे। विगत वर्ष के निर्धारित रक्षा बजट में यह औसतन लगभग 12 पैसे था, किन्तु यहां यह महत्त्वपूर्ण बात है कि विगत वर्ष सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) का 2.47 प्रतिशत रक्षा खर्च के लिए धनराशि आबंटित की थी किन्तु इस बार घटकर 2.35 प्रतिशत ही रह गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रक्षा बजट पर सरकार समुचित रूप से ध्यान नहीं दे रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान व चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का हमसे कहीं अधिक राशि अपने रक्षा बजट में अनुपातिक दृष्टि से खर्च कर रहे हैं। भारतीय सामरिक परिवेश एवं मूल्यांकन की दृष्टि से हमें अपने रक्षा बजट में कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) का कम-से-कम 3 प्रतिशत व्यय करने की सामयिक ज़रूरत है। हमारे रक्षा बजट का मूल्यांकन बदलते वैश्विक परिवेश तथा उभरती नयी परिस्थितियों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मुद्रास्फीति की वृद्धि, रुपये के अवमूल्यन व आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों की बढ़ी हुई कीमतों को भी नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि अतीत के अनुभवों तथा तेज़ परिवर्तनों वाले आगामी वर्षों की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जो त्वरित निर्णय करें और सशस्त्र सेनाओं को किसी भी खतरे का सामना करने लिए तैयार करें।

Service/ Department-Wise Break-Up of Defence Expenditure

(Rs. in crores)

Service/Deptt		2002-2003	2003-2004	R.E. 2004-2005	B.E. 2005-2006
Army		32127.78	33199.98	35888.52	40288.32
Navy		8155.32	10109.35	13327.50	15253.00
Air Force		12385.26	13187.02	23783.82	21808.76
DDP	DGOF	(-) 388.89	(-) 210.58	(-) 158.78	(-) 127.94
	DGQA	374.25	336.85	411.82	421.52
	Total	(-) 14.64	126.27	253.04	293.58
DR&D		3008.11	3443.18	3747.12	5356.34
Total		55661.83	60065.80	77000.00	83000.00

Service/Department-wise Expenditure as a Percentage of Total Defence Expenditure 2005-06 [BE]

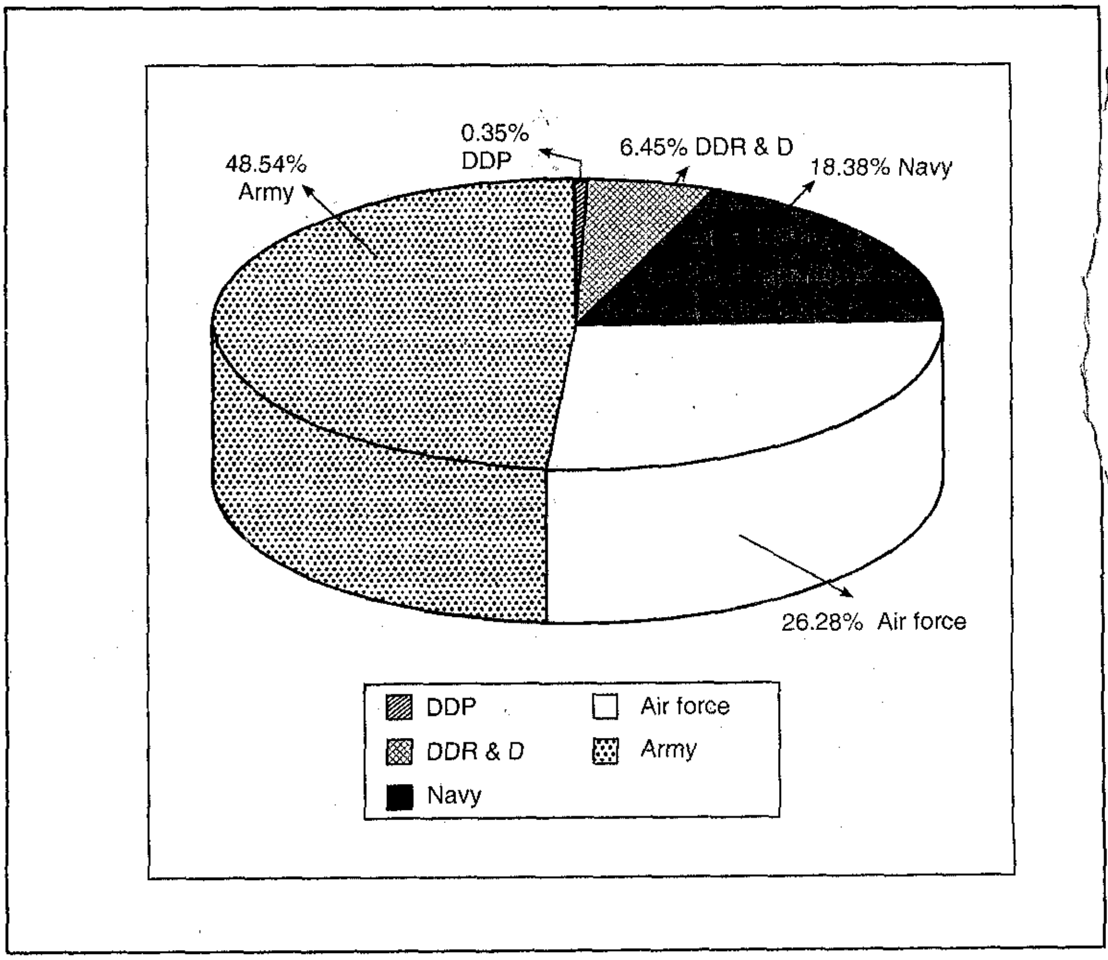

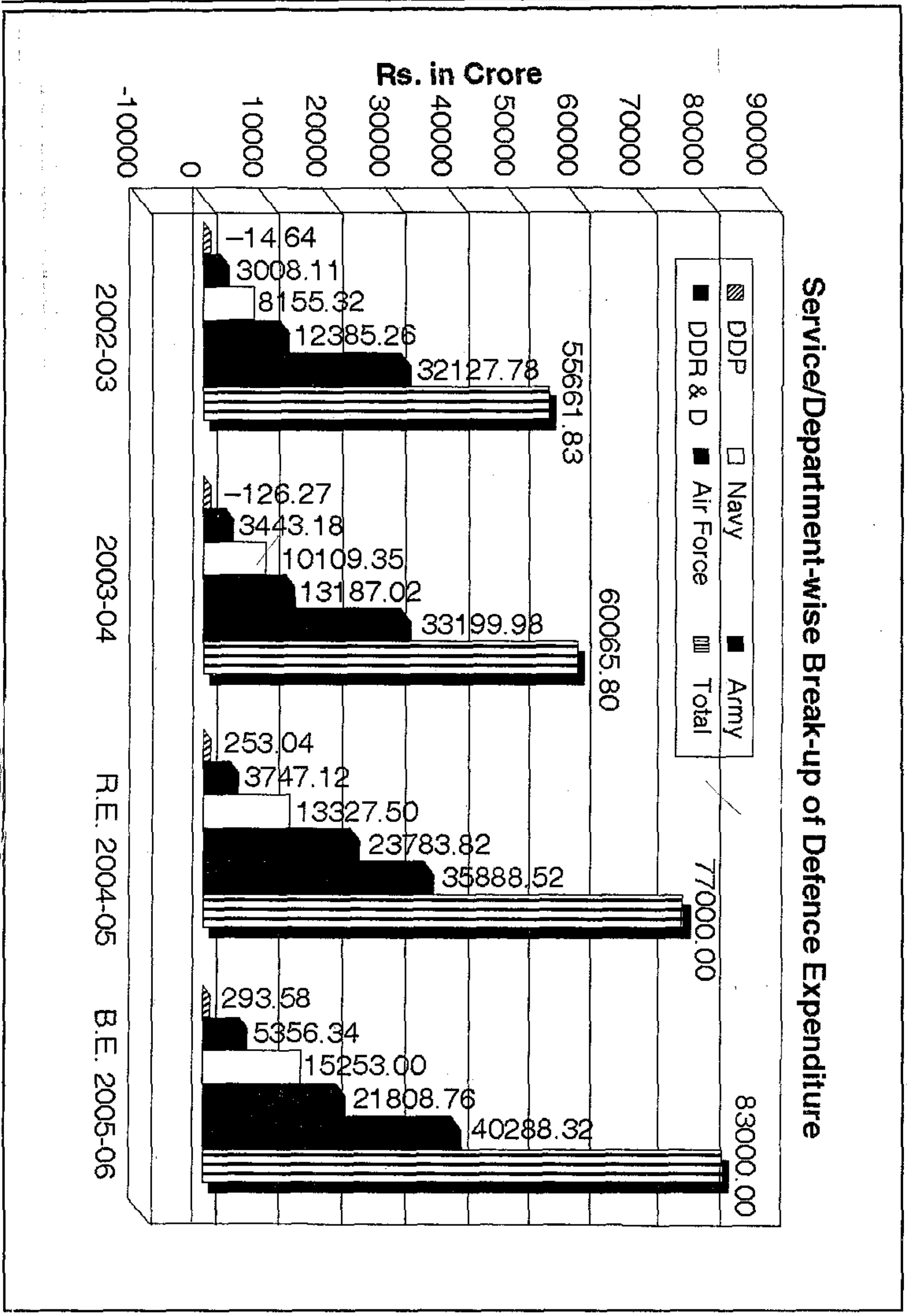
Service/Department-wise Break-up of Defence Expenditure
DDP
Navy
Army
DDR & D
Air Force
Total
Rs. in Crore
-10000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2002-03
2003-04
R.E. 2004-05
B.E. 2005-06
−14.64
3008.11
8155.32
12385.26
32127.78
55661.83
−126.27
3443.18
10109.35
13187.02
33199.98
60065.80
253.04
3747.12
13327.50
23783.82
35888.52
77000.00
293.58
5356.34
15253.00
21808.76
40288.32
83000.00

5

भारतीय परमाणु नीति

(NUCLEAR POLICY OF INDIA)

भारत साधारण और सम्पूर्ण नि:शस्त्रीकरण का दृढ़ और पक्का समर्थक रहा है और वैश्विक परमाणु नि:शस्त्रीकरण की दिशा में सर्वोच्च प्राथमिकता से जुड़ा हुआ है। नि:शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में भारत की नीति में विशेषत: 1990 के दशक में आए विश्वव्यापी परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा गया है। मई 1998 के परमाणु परीक्षण से लम्बे समय से चले आ रहे इस उद्देश्य के प्रति भारत की वचनबद्धता कमज़ोर नहीं पड़ती है। यह दिशा इस देश को अन्य परमाणु हथियारों वाले उन देशों से अलग करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु नि:शस्त्रीकरण के प्रस्तावों को नहीं मानते हैं क्योंकि वे परमाणु हथियारों के बिना अपनी सुरक्षा की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश होने के नाते, भारत इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व के प्रति और अधिक सजग है और पहले की तरह भारत अपने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु नि:शस्त्रीकरण की दिशा में निरन्तर पहल करता रहेगा। परीक्षणों के बाद की गई घोषणा और जो भारत ने पहले की, उनसे इस सतत् वचनबद्धता को बल मिला है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु नि:शस्त्रीकरण के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाए जाने की दिशा में जिनेवा में नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन में एक तदर्थ समिति बनाए जाने के लिए अपना समर्थन भी स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है। भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग करने के लिए वचनबद्ध है।[1]

भारत की परमाणु हथियार क्षमता का अभिप्राय केवल आत्म रक्षा है और इससे यह भी सुनिश्चित करना है कि भारत की सुरक्षा, स्वतन्त्रता और अखण्डता को भविष्य में कोई खतरा न हो। भारत की परमाणु हथियारों की दौड़ में कोई रूचि नहीं है। भारत की परमाणु नीति न्यूनतम भय से मुक्ति और अपनी ओर से पहले इस्तेमाल न करना-जैसे दो स्तम्भ इसके मूलाधार हैं।

भारत भेदभावपूर्ण और त्रुटिपूर्ण सन्धि के रूप में परमाणु अप्रसार सन्धि का निरन्तर विरोध करता रहेगा। इसके अनिश्चित विस्तार से इन भेदभावपूर्ण पहलुओं को ही बल मिला है जिसके कारण अधिसंख्यक देश मूल पांच परमाणु हथियार सम्पन्न देशों को परमाणु नि:शस्त्रीकरण के प्रति उनकी वचनबद्धता के लिए राज़ी नहीं कर पाए हैं। परमाणु अप्रसार सन्धि के अनिश्चित विस्तार में इन पांच परमाणु हथियार सम्पन्न देशों के हाथों में परमाणु हथियारों के कब्ज़े को वैध ठहराने की बात है। छठा परमाणु अप्रसार सन्धि पुनरीक्षा सम्मेलन न्यूयार्क में 24 अप्रैल से 19 मई 2000 को सम्पन्न हुआ था। भारत ने सम्मेलन के उन वक्तव्यों और आदेशों को खारिज कर दिया जिनमें इसके परमाणु हथियार कार्यक्रम समाप्त करने की बात कही गई है। पांच परमाणु हथियार सम्पन्न देशों द्वारा परमाणु नि:शस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने के लिए परमाणु अप्रसार सन्धि के प्रति कोई ठोस कार्यवाई किए जाने की अभी तक आपसी समझ भी नहीं बन पाई है।

भारत इस बात पर कायम है कि स्थायी परमाणु अप्रसार केवल नि:शस्त्रीकरण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत के परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप इन हथियारों या सम्बद्ध जानकारी का अन्य देशों को हस्तान्तरण करने के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। भारत के पास निर्यात नियन्त्रण की कारगर व्यवस्था है और उपस्करों और प्रौद्योगिकी की निषेधात्मक सूचियों का विस्तार करने सहित आवश्यकतानुसार इसे अधिक कड़ा बनाया जाएगा ताकि उन्हें परमाणु शस्त्र सम्पन्न भारत के सन्दर्भ में अधिक कारगर बनाया जा सके। इसे 01 अप्रैल, 2000 को घोषित 'एक्सिम' नीति के तहत किया गया था। तथापि, विभिन्न निर्यात नियन्त्रण व्यवस्थाओं में भारत की भागीदारी केवल समानता के आधार पर होगी।

11 और 13 मई, 1998 को की गई परीक्षण श्रृंखला के समापन के बाद भारत ने आगे भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने के सम्बन्ध में स्वैच्छिक स्थगन की घोषणा की है। इस स्थगन की घोषणा में भारत ने परीक्षण रोक की मूल बाध्यता स्वीकार की और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की आम धारणा को भी महसूस किया। यह स्थगन सर्वोच्च राष्ट्रीय

1. रक्षा मन्त्रालय (भारत सरकार) वार्षिक रिपोर्ट 2000-2001

हितों के अधीन प्रत्येक देश के लिए व्यापक परमाणु परीक्षण रोक सन्धि (सी० टी० बी० टी०) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधान है। भारत ने भी इस स्वैच्छिक वचनबद्धता को विधि सम्मत रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की है और भारत व्यापक परमाणु परीक्षण रोक सन्धि पर हस्ताक्षर करने पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की दिशा में कार्यरत है।

भारत ऐसी सार्वभौमिक, भेदभाव रहित और प्रमाणिक विखण्डनीय सामग्री कटौती सन्धि के सम्बन्ध में बातचीत करने के प्रयासों का समर्थन करता है जिसमें हथियारों के प्रयोजन के लिए विखण्डनीय सामग्री का भविष्य में उत्पादन करने पर रोक लगाई जाए। इसे भारत ने कार्य योजना जैसे ठोस प्रस्तावों के जरिए उस समय संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट कर दिया था जब उसे 1988 में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने 1993 में यू० एन० जी० ए० संकल्प (48/75) एल सह-प्रायोजित किया था जिसमें परमाणु हथियारों या अन्य परमाणु विस्फोटक उपायों के लिए विखण्डनीय सामग्री उत्पादन का निषेध करने के लिये बातचीत शीघ्र शुरू करने का आह्वान किया गया है। भारत मानता है कि यह परमाणु नि:शस्त्रीकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इससे परमाणु सामग्री के अवैध हस्तान्तरण की समस्या का भी समाधान होगा। भारत का परमाणु सिद्धान्त परमाणु युद्ध के सिद्धान्तों या चेतावनी पर लांच करने की मोर्चेबन्दी के विरुद्ध एक न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक तथा पहले प्रयोग नहीं की नीति बनाए रखने पर आधारित है। अतएव भारत के लिए ऐसे कार्यों में पहल करना स्वाभाविक है जिनका उद्देश्य परमाणु युद्ध शुरू होने के खतरों को कम करना हो। वर्ष 1988 से भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र के समक्ष परमाणु शस्त्रों के उपयोग से रोंगटे खड़े करने वाली समस्याओं से सावधान रहने सम्बन्धित संकल्प प्रस्तुत करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा किए गए अन्य परम्परागत नि:शस्त्रीकरण कार्यों, जिनमें विशेष रूप से परमाणु शस्त्रास्त्रों के उपयोग अथवा उपयोग की आशंकाओं पर रोक लगाने के समझौता प्रारूप पर संकल्प भी शामिल है, के अतिरिक्त इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष अनुमोदित करती रही है।

भारत हमेशा इस बात पर कायम रहा है कि स्थिरता बनाए रखने के लिए शस्त्र नियन्त्रण सन्धियों को शब्दश: पूर्णत: कार्यान्वित किया जाना जरूरी है। विद्यमान् सन्धियों को अनदेखा करने की इकतरफा कारवाईयां आगामी परमाणु नि:शस्त्रीकरण की सम्भावनाओं को कम कर सकती हैं और परमाणु अप्रसार नियन्त्रणों में कमी हो सकती है। प्रक्षेपास्त्र प्रसार से उत्पन्न समस्याओं को उत्तम प्रत्युत्तर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणालियों के बजाए डी-अलटिंग, राजनयिक और नि:शस्त्रीकरण का समन्वय हो सकता है। डी० अलटिंग उपायों से आकस्मिक या अप्राधिकृत प्रक्षेपणों से जुड़े खतरे कम होंगे, समुचित राजनीतिक तथा राजनयिक उपायों से कुछ बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों से सम्बन्धित चिन्ताओं पर विचार किया जाएगा तथा एक त्वरित परमाणु नि:शस्त्रीकरण प्रक्रिया से इन हथियारों पर निर्भरता कम होगी और अन्तत: परमाणु हथियारों के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत राष्ट्रों के तदर्थ समूह की बैठकों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के प्रति वचनबद्ध रहा है जिनका उद्देश्य सत्यापन नयाचार द्वारा जैविकीय और विषैले शस्त्रों पर समझौते को दृढ़ करना रहा है। हमारी यह धारणा है कि सत्यापन व्यवस्था इस तरह से बनाई और कार्यान्वित की जानी चाहिए जिससे कि संवेदनशील वाणिज्यिक मालिकाना सूचना का संरक्षण हो सके और राष्ट्रीय सुरक्षा पर न्यायसंगत रूप से विचार किया जा सके। सत्यापन उपाय भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिएं और इनके वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा औद्योगिक विकास पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचना चाहिए।

रासायनिक शस्त्रास्त्र समझौतों के एक मूल पक्षकार के रूप में भारत, इस समझौते के तहत निभाई जाने वाली बाध्यताओं का निर्वहन पूर्णत: और ईमानदारीपूर्वक करने के प्रति वचनबद्ध रहा है। समझौते में निर्धारित नष्टकारी कार्यक्रम को पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है। भारत का यह विश्वास है कि इस समझौते के सभी पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें इस समझौते के तहत सौंपी गई बाध्यताओं का वे अनुपालन करें। इस सन्दर्भ में तदर्थ निर्यात नियन्त्रण व्यवस्थाओं की मौजूदगी उन अन्तर्राष्ट्रीय विधिक वचनबद्धताओं के विपरीत है जिनके अनुसार उन्होंने इस समझौते के तहत आबद्ध रहने का वचन लिया है।

भारत ने कतिपय परम्परागत शस्त्रास्त्रों पर समझौते के संशोधित नयाचार-2 की अभिपुष्टि की है जिसमें कार्मिक रोधी भू-सुरंगों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और नए नयाचार-4 की भी अभिपुष्टि की गई है जिसमें अन्धा करने वाले लेज़र शस्त्रास्त्रों के उपयोग का निषेध किया गया है। भारत क्रमिक रूप से कार्मिक रोधी भू-सुरंगें (ए० पी० एल०) हटाने और अभेदभावपरकता का लक्ष्य प्राप्त करने तथा राष्ट्रों की तर्कसंगत आवश्यकताओं को सम्बोधित करते समय ए० पी० एल० पर सार्वभौम रोक लगाने के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है। ए० पी० एल० के अप्रतिबन्धित अन्तरणों और अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न मानवीय संकट के प्रति जागरूक होते हुए भारत ए० पी० एल० के अन्तरणों पर विद्यमान् विलम्बन के प्रति वचनबद्ध रहा है। वर्ष 1962 में कांगों शान्ति स्थापना संक्रियाओं में संयुक्त राष्ट्र के कई सुरंग हटाने के प्रयासों में भी भारत ने योगदान दिया है।

भारत सामान्य रूप से परम्परागत हथियारों में पारदर्शिता तथा विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र परम्परागत हथियार पंजिका में ज्यादा-से-ज्यादा सहभागिता के प्रतिमान को मजबूत करने के प्रति वचनबद्ध है। भारत 1994 से प्रतिवर्ष इस पंजिका में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। लघु शस्त्र के प्रसार तथा उनके अवैध व्यापार का मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के नि:शस्त्रीकरण के मुद्दों की कार्यसूची में ऊपर पहुंच गया है। भारत इस समस्या से अवगत है तथा आग्नेयास्त्र नयाचार, जिस पर वियाना में वार्ता चल रही है तथा लघु शस्त्रों तथा हल्के हथियारों के अवैध व्यापार के मुद्दे पर इसके सभी पहलुओं के साथ चर्चा करने के लिए जुलाई 2001 में आयोजित किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहित इस समस्या के प्रभावी समाधान ढूंढ़ने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय विशेषज्ञ इन दोनों विषयों पर इस समय संयुक्त राष्ट्र पैनलों द्वारा किए जा रहे कार्य में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।

भारत विश्वास निर्माण की निरन्तर प्रक्रिया के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों के साथ शान्ति तथा स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय अन्तर्क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ाने के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है। विश्वास निर्माण के उपायों अथवा औपचारिक नियन्त्रण के अन्य साधनों को विशेष परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाना है तथा उनमें राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल करते हुए उन्हें बहु आयामी बनाना है। विश्वास निर्माण के प्रति भारत के दृष्टिकोण के एक पक्षीय, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय आयाम हैं। भारत द्वारा किए जा रहे एक पक्षीय नियन्त्रण के उदाहरणों में अपनी रक्षा नीति तथा शक्ति समीकरणों की रक्षात्मक स्थिति, रक्षा बजटों पर कड़ा नियन्त्रण तथा परमाणु क्षेत्र में पहले प्रयोग न करने के प्रति वचनबद्धता, परमाणु परीक्षण पर रोक, न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध तथा शस्त्र दौड़ या शीत युद्ध काल की अवधारणाओं तथा रुख को अस्वीकार करना शामिल है। द्विपक्षीय आधार पर नियन्त्रण की औपचारिकता भारत-पाकिस्तान तथा भारत-चीन-दोनों ही सन्दर्भों में पूरी हो चुकी है।

एशिया-प्रशान्त स्तर पर, भारत आसियान क्षेत्रीय मंच की क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में एक सक्रिय भागीदार है जिसका ध्यान आपसी विश्वास तथा आस्था बनाने पर केन्द्रित रहा है। इसके पास भविष्य में विचार करने के लिए विश्वास निर्माण के उपायों के अनेक प्रस्ताव हैं। भारत आसियान क्षेत्रीय मंच को एशिया-प्रशान्त क्षेत्र की विविधता तथा सैन्य सहयोग के आधार पर बने कई ध्रुवों वाले विश्व से हटकर एक नई बहुल, सहयोगपरक सुरक्षा व्यवस्था की रचना करने के निमित्त एक प्रयोग के रूप में देखता है। आसियान क्षेत्रीय मंच से भारत की सहभागिता एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के राजनीतिक-सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र दोनों में इसकी बढ़ती हुई सहभागिता तथा स्थाई क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरता के उद्देश्य के प्रति इसकी वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है।

भारत कज़ाकिस्तान की पहल पर किए जाने वाले एशिया में परस्पर सम्पर्क तथा विश्वास निर्माण सम्बन्धी सम्मेलन की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। वर्ष 1999 में हस्ताक्षर किए गए एशिया में परस्पर सम्पर्क तथा विश्वास निर्माण सम्बन्धी सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच सम्बन्धों को निर्देशित करने वाले सिद्धान्तों की घोषणा, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक व्यापक, अभेदभावपूर्ण तथा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हुए एसियान देशों के बीच बेहतर सम्बन्धों को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पुन: पुष्टि करती है। यह घोषणा सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने तथा उसका उन्मूलन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों के दृढ़ निश्चय को दोहराती है।

भारतीय परमाणु परीक्षण (पोखरण-II)

[(India's Nuclear Test (Pokharan-II)]

भारत ने 11 एवं 13 मई, 1998 को अन्तर्राष्ट्रीय दबावों की परवाह न करते हुए अपनी आण्विक क्षमता को प्रमाणित कर दिया। राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में कुल मिलाकर पांच परमाणु बमों का सफल भूमिगत परीक्षण करके देशवासियों को नया सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया।

भारत द्वारा 11 मई को तीन प्रकार के परमाणु परीक्षण किए गए थे—(अ) थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण, (ब) फिज़न परीक्षण तथा (स) लो-यील्ड परीक्षण। इन तीन परीक्षणों को बहुत ही नियन्त्रित ढंग तथा रेडियोधर्मी किरणों के प्रभाव को रोकते हुए करके भारत ने अपनी परमाणु अस्त्र बनाने की क्षमता को प्रदर्शित कर दिया। 13 मई को सव-किलोटन पद्धति के माध्यम से दो और परीक्षण करके भारत ने 500 से 1,000 किलोग्राम के परमाणु बम बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया।

प्रधानमन्त्री ने घोषणा की कि भारत एक बड़े बम के साथ परमाणु हथियारों से सम्पन्न राष्ट्र बन गया है। प्रधानमन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ० अब्दुल कलाम के अनुसार पोखरण में किए गए पांच परमाणु परीक्षणों से भारत ने कम्प्यूटर डिज़ाइनों के माध्यम से ही नए आण्विक अस्त्रों का डिज़ाइन तैयार करने की क्षमता का विकास कर लिया है। डॉ० कलाम ने बताया कि भारत परमाणु क्षमता की तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर है। पांचों परमाणु परीक्षणों में प्रयुक्त की गई प्रक्रियात्मक सामग्री भी पूरी तरह स्वदेशी थी। भारत के अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्र आण्विक अस्त्रों को आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं।

इन आणविक परीक्षणों के सन्दर्भ में प्रधानमन्त्री के प्रधान सचिव बृजेश मिश्र ने कहा कि भारत के सामने आण्विक खतरा है। भारत का पड़ोस का वातावरण आण्विक खतरों से भरा है। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को देश की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करना है। उनको यह विश्वास दिलाना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्बन्ध में देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। "इन परीक्षणों से किसी विधिक दायित्व का उल्लंघन नहीं हुआ तथा वे परीक्षण गम्भीर सुरक्षा आवश्यकताओं तथा एक तकनीकी अनिवार्यता के कारण किये गये।"

इस प्रकार पोखरन-II के अन्तर्गत भारत द्वारा किए गए पांच परमाणु परीक्षणों ने भारत की परमाणु नीति में आमूल परिवर्तन ला दिया। पहला, भारत ने एक लम्बे अन्तराल तक इन्तज़ार (1974) के बाद अपने 'शान्तिपूर्ण उद्देश्यों हेतु सीमित' एवं 'विकल्प खुला रखने' वाले परमाणु कार्यक्रमों को छोड़कर अन्ततः परमाणु शस्त्र सम्पन्नता प्राप्त कर ली। दूसरा, इन परीक्षणों के माध्यम से भारत ने अपनी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता का भी प्रदर्शन कर दिया। तीसरा, ये परीक्षण केवल परमाणु क्षमता ही नहीं, अपितु भारत की तकनीकी क्षमता प्रदर्शन हेतु भी मील का पत्थर साबित हुए। चौथा, इन परीक्षणों के माध्यम से भारत ने 'प्रयोगशाला परीक्षण' अथवा 'कम्प्यूटर स्टीमुलेशन' क्षमता भी प्राप्त कर ली। पांचवा इनके माध्यम से सामरिक रूप से अब भारत को क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों में प्रभावित करने की शक्ति भी प्राप्त हो गई है। छठा, अब भारत की स्थिति परमाणु क्षेत्र में शस्त्र नियन्त्रण एवं निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बदलने वाले राष्ट्र के रूप में भी स्थापित हो गई है। अन्ततः भारत को अब राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु परमाणु अस्त्र बटन के नियन्त्रण एवं कमान की पद्धति विकसित करने की अनिवार्यता हो गई। इन परीक्षणों ने भारत की स्थिति परमाणु 'प्रवेश द्वार पर खड़े' राष्ट्र से परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र की बना दी है।

भारत की परमाणु नीति

भारत ने घोषणा की कि उसकी नाभिकीय (परमाणु) नीति निम्नलिखित प्रकार की होगी—

- भारत एक न्यूनतम नाभिकीय निवारक बनाये रखेगा।
- भारत की किसी खुले उद्देश्य के कार्यक्रम अथवा शस्त्रों की किसी होड़ में शामिल होने की मांग नहीं है।
- भारत नाभिकीय हथियारों का पहले प्रयोग न करने और नाभिकीय हथियार सहित राष्ट्रों के विरुद्ध प्रयोग न करने की नीति का अनुमोदन करता है।
- 13 मई 1998 को नाभिकीय परीक्षणों पर एक स्थगन की घोषणा की गई। अभी भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि सहित व्यापक मामलों पर प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत कर रहा है। वह इन चर्चाओं को एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए तैयार है ताकि व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के लागू होने में अधिक विलम्ब न हो।
- भारत निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में सच्ची भावना से नाभिकीय हथियार तथा अन्य नाभिकीय विस्फोटक यन्त्र के निर्माण के उद्देश्य से विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए एक सन्धि पर वार्ताओं में शामिल है।
- भारत अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित करने के लिए नाभिकीय हथियार निर्माण सामग्री एवं औद्योगिकी का हस्तान्तरण नहीं करेगा तथा निर्यात नियन्त्रण की एक कठोर प्रणाली का पालन करेगा।
- भारत का नाभिकीय शस्त्रागार नागरिक अधिकार और नियन्त्रण में है।
- एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना की गई तथा इसे सामरिक प्रतिरक्षा की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

परमाणु नीति के सन्दर्भ में भारत ने पोखरन (द्वितीय) में परमाणु परीक्षणों के वर्ष साल तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की ग़ैर परम्परागत युद्ध की हाल की धमकी के कुछ दिनों बाद भारत ने परमाणु कमान के गठन की घोषणा की मन्त्रिमण्डलीय समिति ने स्थिति की समीक्षा की तथा किसी भी सम्भावित स्थिति में जवाबी परमाणु

हमलों के लिए वैकल्पिक कमान शृंखला की व्यवस्था का भी अनुमोदन कर दिया। भारत ने 8 सूत्री परमाणु सिद्धान्त की भी घोषणा की है। बयान में कहा गया है कि भारत परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन भारतीय क्षेत्र में या दुनिया में कहीं भी भारतीय बलों पर परमाणु हमला होने पर जवाब के तहत परमाणु विकल्प का इस्तेमाल होगा।

जवाबी परमाणु हमला व्यापक होगा तथा इससे होने वाले नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। परमाणु सिद्धान्त में कहा गया है कि राजनीतिक नेतृत्व ही परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से जवाबी परमाणु हमलों के लिए अधिकृत कर सकेगा। परमाणु कमान परिषद् की कार्यकारी परिषद् की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे। परमाणु सिद्धान्त में विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक का निर्माण व उसे बरकरार रखना शामिल है। परमाणु सिद्धान्त के प्रारूप पर मन्त्रिमण्डल की सुरक्षा समिति की दो बैठकों में विचार-विमर्श किया व आज इसे अन्तिम रूप दिया गया। परमाणु सिद्धान्त में ग़ैर परमाणु हथियार वाले देशों के ख़िलाफ़ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की बात भी कही गई है, लेकिन साथ ही दोहराया गया है कि भारत के ख़िलाफ़ या भारतीय बलों पर कहीं भी जैविक या रासायनिक हथियारों से बड़ा हमला होने पर देश जवाबी परमाणु हमले के विकल्प का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र से सम्बन्धित सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा नियन्त्रण, विखण्डनीय सामग्री कटौती सन्धि में भागीदारी एवं परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक जारी रखना शामिल है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त विश्व के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है तथा कहा कि वह प्रमाणित व भेदभाव रहित परमाणु नि:शस्त्रीकरण के ज़रिए यह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

परमाणु सिद्धान्त
(Nuclear Doctrine)

भारत ने 4 जनवरी, 2003 को अपनी पहली परमाणु एवं मिसाइल कमान का गठन किया। इसमें प्रधानमन्त्री को इसकी राजनीतिक परिषद् का अध्यक्ष बनाया है जिसे जवाबी परमाणु हमला करने के बारे में निर्देश देने का अधिकार होगा। भारत ने इसके साथ ही अपना आठ सूत्री परमाणु सिद्धान्त भी स्पष्ट करते हुए चेतावनी दी कि वह पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन उस पर परमाणु हमला करने वाले देश को ऐसा जवाब दिया जायेगा कि दोबारा हमला करने की स्थिति में नहीं रहेगा। भारतीय परमाणु सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(1) विश्वसनीय और न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हुए बरकरार रखना।

(2) परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं किया जायेगा, बल्कि इसे जवाबी हमले के रूप में ही प्रयोग में लाया जायेगा।

(3) भारत का परमाणु हमला अपने लक्ष्यों पर महाविनाश का लक्ष्य उपस्थित करेगा अर्थात् जवाबी कार्यवाही अत्यन्त व्यापक एवं घातक सिद्ध होगी।

(4) परमाणु हथियार विहीन या ग़ैर परमाणु शक्ति राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(5) परमाणु हथियारों के हमले की मन्ज़ूरी या हरी झण्डी सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व या राजनीतिक परिषद् द्वारा दी जायेगी।

(6) अगर भारत पर जैविक या रासायनिक हथियारों से व्यापक हमला हुआ, तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प खुला रहेगा।

(7) परमाणु अथवा प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के निर्यात पर ज़ोरदार नियन्त्रण, परमाणु बम बनाने की सामग्री में कटौती सन्धि में भागीदारी और परमाणु परीक्षणों पर पहल नहीं करेगा।

(8) इसके साथ ही भारत विश्व को परमाणु हथियारमुक्त विश्व बनाने की प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा।

परमाणु कमान प्राधिकरण
[Nuclear Command Authority-NCA)]

भारत ने रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए 4 जनवरी 2003 को अपनी पहली सामरिक परमाणु व प्रक्षेपास्त्र कमान प्राधिकरण का गठन किया। इसमें कमाण्ड, कन्ट्रोल, कम्युनिकेशन, कम्पयूटिंग, इण्टेलीजेन्स तथा इनफ़ारमेशन (सी-4, आई-2) का विशेष रूप से ध्यान रखा गया।

सामरिक दृष्टि से स्वयं को नाभिकीय शक्ति घोषित करने के लगभग साढ़े चार वर्ष के पश्चात् भारत ने विध्वंसकारी नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल के मामले में राजनीतिक एवं सैन्य तन्त्र का गठन गत जनवरी माह में कर दिया है। इसके लिए सरकार ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण (Nuclear Command Authority—NCA) का गठन कर दिया है। इस

प्राधिकरण में शीर्ष स्तर पर राजनीतिक परिषद् (Political Council) व एक अन्य कार्यकारी परिषद् (Executive Council) होगी। राजनीतिक परिषद् के प्रमुख स्वयं प्रधानमन्त्री होंगे तथा इसके आदेश पर ही सेना शत्रु के विरुद्ध नाभिकीय शस्त्रों का इस्तेमाल कर सकेगी। इस प्रकार परमाणु शस्त्रों का बटन प्रधानमन्त्री के हाथ में होगा। प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाली राजनीतिक परिषद् में उपप्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, विदेश मन्त्री व वित्त मन्त्री को शामिल किया गया। केबिनेट सचिव व प्रधानमन्त्री के प्रधान सचिव भी इसमें शामिल रहेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नाभिकीय कमान प्राधिकरण के दूसरे स्तर की कार्यकारी परिषद् के प्रमुख होंगे। इसके सदस्यों में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डी० आर० डी० ओ० के प्रमुख सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। यह परिषद् प्राधिकरण के निर्णयों के लिए तथ्य उपलब्ध कराएगी तथा साथ ही राजनीतिक परिषद् के निर्णय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। नाभिकीय कमान प्राधिकरण के गठन का निर्णय प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर मन्त्रीमण्डलीय समिति (CCS) की 4 जनवरी, 2003 की बैठक में लिया गया।

मन्त्रिमण्डलीय समिति की उपर्युक्त बैठक में परमाणु शस्त्रों के प्रशासन के लिए सेना के तीनों अंगों वाली एक पृथक् 'सामरिक बल कमान' (Strategic Forces Command) के गठन का निर्माण भी किया गया। टी० एम० अस्थाना को बाद में इस कमान का कमाण्डर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है। थल सेना की दोनों ऑपरेशनल मिसाइल समूहों को सामरिक कमान के नियन्त्रण में लाया जाएगा। इनमें 200 कि०मी० तक मार करने वाली पृथ्वी तथा 2500 कि०मी० तक मार करने वाली अग्नि श्रेणी की मिसाइलें शामिल हैं। ये दोनों मिसाइलें नाभिकीय शस्त्र ले जानें में सक्षम हैं। सामरिक कमान की जवाबदेही सेनाध्यक्षों की समिति के प्रमुख के प्रति होगी। यह देश की दूसरी ऐसी कमान होगी जिसमें सेना के तीनों अंगों का जुड़ाव होगा। इससे पूर्व सेना के तीनों अंगों वाली अण्डमान में एकीकृत स्टाफ कमान गठित की गई थी।

सुरक्षा मामलों पर मन्त्रिमण्डलीय समिति की बैठक में भारत के परमाणु सिद्धान्त (Nuclear Doctrine) की समीक्षा करते हुए यह भी फैसला किया गया कि भारत गैर-परमाणु हथियारों वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यदि भारत पर या कहीं और भारत की सेनाओं पर जैविक अथवा रासायनिक हथियारों से हमला हुआ, तो भारत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के अपने विकल्पों को खुला रखेगा। बैठक में भारत के आठ सूत्री परमाणु सिद्धान्त का खुलासा करते हुए कहा गया कि भारत एक विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखेगा। परमाणु हमले की पहल नही करने के सिद्धान्त के बारे में कहा गया कि भारतीय भूमि अथवा कहीं अन्य स्थान पर भारतीय सेनाओं पर परमाणु हमला होने के जवाब में ही भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। यह जवाबी परमाणु हमला इतने बड़े पैमाने पर किया जाएगा कि दुश्मन पूरी तरह तबाह हो जाए और उसकी पलटकर वार करने की क्षमता पूर्णतया समाप्त हो जाए। इसमें यह भी कहा गया कि जवाबी परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार परमाणु कमान प्राधिकरण के जरिए केवल नागरिक राजनीतिक नेतृत्व को होगा।

उल्लेखनीय है कि भारत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के मामले में अन्तिम निर्णय जहाँ राजनीतिक शक्ति के पास केन्द्रित है वहीं पाकिस्तान के मामले में जन-प्रतिनिधियों का इस पर नियन्त्रण कहने भर के लिए है। इसके लिए वहाँ गठित नेशनल कमान अथॉरिटी के अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट कण्ट्रोल अथॉरिटी व डेवलमेन्ट कण्ट्रोल अथॉरिटी, तीनों के ही अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ हैं। यह निर्णय हालांकि बहुत देर में आया है, लेकिन यह भारत के परमाणु सिद्धान्त और परमाणु सुरक्षा के दृष्टिकोण से सम्बन्धित सांगठनिक स्वरूप को स्पष्ट रूप में परिभाषित करता है। इस कमान की स्थापना की घोषणा के साथ ही इसकी आलोचना भी शुरू हो गई है। कई प्रश्न उठने लगे हैं। यह सवाल भी उठा है कि जब प्रथम स्तर की कमान को खत्म या निष्क्रिय कर दिया जाएगा, तब राजनीतिक और सांगठनिक स्तर पर नियन्त्रण के वैकल्पिक कमान की स्थापना कौन करेगा। परमाणु सामरिक कमान एक स्वायत्त संस्था होगी या तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के तहत काम करेगी? कमाण्डर-इन-चीफ स्ट्रेटजिक कमाण्ड और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बीच कमान संरचना और कार्यात्मक व्यवस्था क्या होगी? तकनीकी विभाग और परमाणु शस्त्रों के बीच सम्बन्ध कैसे स्थापित किया जाएगा तथा सशस्त्र सेना का स्वरूप कैसे निर्धारित होगा? वह क्षमता क्या होगी, जिसके तहत न सिर्फ परमाणु ताकत को बनाए रखा जाएगा, बल्कि पाकिस्तान और चीन के सन्दर्भ में इसे संशोधित भी किया जाता रहेगा? एशिया के बदलते सन्दर्भों में इसकी स्थिति क्या होगी?

यह सवाल भी उठता है कि चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टॉफ की नियुक्ति के साथ-साथ सैन्य मुख्यालयों को आपस में जोड़ने में क्यों देर हो रही है। कुछ हद तक इन प्रश्नों के उत्तर तलाश लिए गए होंगे। हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सरकार सारी जानकारियों को सार्वजनिक नहीं कर सकती। परमाणु एक ऐसा विषय है, जिससे सम्बन्धित कई जानकारियों को गुप्त रखने के पर्याप्त कारण हैं। यह अनुमान लगाना भी सही होगा कि आगामी महीनों में सूक्ष्म स्तर पर कार्यक्रम और जरूरतों के लिहाज से निर्णय लिए जाएंगे।

यह ध्यान रखना होगा कि हमारा नाभिकीय सैन्य अभियान सिर्फ़ पाकिस्तान पर ही केन्द्रित नही होना चाहिए, बल्कि चीन और एशिया क्षेत्र में उभरने वाली अन्य सम्भावित परमाणु शक्तियों पर भी नज़र रखनी चाहिए। हमारी परमाणु क्षमता इस तरह अनुशासन व सभ्यता के दायरे में होनी चाहिए कि मुख्य परमाणु क्षमता वाले देश, विशेषकर अमेरिका, हम पर अनावश्यक दबाव न डाल सके। जवाबी हमले की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वह प्रतिकार के अन्त तक कायम रहे। एक अतिरिक्त जरूरत इस तरह की क्षमता की है, जिससे दुश्मन हमारे परमाणु हथियारों और मिसाइलों को निशाना न बना सके।

वैकल्पिक कमान की संरचना भी बहुत ज़रूरी है। वैकल्पिक कमान की स्थापना राजनीतिक और क्रियात्मक सफलता, दोनों को निर्धारित करेगी। यह स्पष्ट है कि केवल परमाणु हथियारों की क्षमता को प्राप्त करना ही महत्त्वपूर्ण नहीं है। एक परमाणु सिद्धान्त को अपनाना और परमाणु कमान की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में ज़रूरी थी। इसके द्वारा भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में विश्वसनीयता भी अर्जित करेगा।

इस विश्वसनीयता के दो स्तर हैं। पहला, एक विश्वसनीय परमाणु क्षमता वाले देश के रूप में भारत की पहचान बनेगी। दूसरा, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में देश खुद को प्रस्तुत कर सकेगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि जो देश भारत की परमाणु क्षमता की आलोचना करते हैं, उनका स्वर कुछ संयमित होगा।

परमाणु कमान के कुछ प्रश्न

पोखरण-2 के साढ़े चार वर्ष से भी ज़्यादा समय बाद भारत सरकार ने परमाणु कमान प्राधिकरण का गठन तो कर लिया है, इसके बावजूद कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं। सबसे हैरत तो यही सोचकर होती है कि देश को 'परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र' घोषित करने के बाद इन हथियारों के इस्तेमाल का तंत्र बनाने में इतना वक्त लगा। यह तो मई 1998 के परमाणु परीक्षणों के तुरन्त बाद स्पष्ट हो गया था कि वाजपेयी सरकार ने वह कदम बिना तैयारी के उठा लिया। बाद की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में जिस तरह भारत अलग-थलग पड़ गया था और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण कर परम्परागत सैनिक ताकत में भारत की स्थायी बढ़त को अप्रभावित कर दिया, उसके नतीजों से हम वाकिफ रहे हैं। यह तथ्य है कि परमाणु परीक्षणों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसने भारत के परमाणु सिद्धान्त का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को अगस्त 1999 में जारी किया गया था। उसके बाद उसे औपचारिक रूप देने में लगभग साढ़े तीन वर्ष लग गए। अब जाकर देश के परमाणु हथियारों के प्रबन्धन व उपयोग के राजनीतिक सिद्धान्त और प्रशासनिक व्यवस्था की घोषणा की जा सकी है। इसमें अपेक्षा के मुताबिक इन हथियारों के इस्तेमाल का अधिकार एक राजनीतिक परिषद् को सौंपा गया है, जिसके प्रमुख प्रधानमन्त्री होंगे। लेकिन प्रधानमन्त्री के अक्षम या अनुपस्थित होने की स्थिति में यह निर्णय कौन लेगा, इस बारे में कमान व्यवस्था खामोश लगती है, हालांकि इसमें दावा किया गया है कि हर परिस्थिति में जवाबी परमाणु हमले के लिए वैकल्पिक कमान श्रृंखला की समीक्षा और व्यवस्था की गई है। बहरहाल, अगर ऐसा है तो यह जरूर माना जाएगा कि ऐसी आपात् स्थिति में परमाणु बटन दबाने का निर्देश कौन देगा, इस बारे में देश को भरोसे में नहीं लिया गया। परमाणु सिद्धान्त के प्रारूप में भारत ने अपनी तरफ से पहल करते हुए परमाणु हमला न करने का वादा किया था लेकिन अब कहा गया है कि अगर भारतीय फौज पर दुनिया में कहीं भी जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला होता है तो भारत परमाणु हथियारों से उनका जवाब दे सकता है। पिछले कुछ समय से राजग सरकार सुरक्षा के मामलों में देश की मजबूत छवि उभारने की कोशिश में रही है। विशेषकर जिस संसद पर हमले और कालूचक हत्याकाण्ड के बाद युद्ध का शोर मचाने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नही की जा सकी और उससे देश में निराशा का भाव बना, उसके सन्दर्भ में सरकार की यह कोशिश रही है, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश का मनोबल को ही उठाया जा सकता है। जब एक परमाणु शक्ति सम्पन्न देश का विदेश मन्त्री बंधक बने विमान यात्रियों को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को अपने साथ विमान में ले जाए, बांग्लादेश की सीमा पर बी०एस०एफ० के जवानों को मार दिया जाए और देश आक्रोश के साथ लेकिन निरुपाय स्थिति में उसका खामोश दर्शक बना रहे, संसद् पर हमले के बावजूद कोई कदम न उठाया जा सके और देश के अपराधियों को विदेशों से लाने में बार-बार असफलता हाथ लगे, तब एक आम नागरिक के मन में यही सवाल उठता है कि परमाणु हथियारों से देश का क्या रुतबा बढ़ा?

हमारी समझ में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निःशस्त्रीकरण के प्रति निष्ठा और परमाणु अस्त्रों के उत्पादन के विकल्प को बचाये रखने की एक साथ बात करना घोर पाखण्ड है। भारत के राष्ट्र हित में परमाणु शस्त्र हासिल करना एक अनिवार्यता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो परमाणु विकल्प अनिश्चित काल तक बचा नहीं रह सकता। परन्तु इस बात

जे० एस० दीक्षित का लेख—दैनिक भास्कर 5 जनवरी 2004

दैनिक भास्कर सम्पादकीय 6 जनवरी 2003

को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार इससे बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष तक भी पहुँच सकता है। अर्थात् वह परमाणु अस्त्र न बनाने के निष्कर्ष पर भी पहुंच सकता है। भारत की परमाणु नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 1988 के वर्ष में आया जब 11 व 13 मई, 1998 को भारत ने पुराने स्थान पोखरण में ही पाँच और परमाणु विस्फोट किये।

विशेष परिवर्तन की सम्भावना नहीं—भारतीय परमाणु नीति विषयक बहस कभी समाप्त होने वाली नहीं है क्योंकि हमारी समझ में इसमें हिस्सा लेने वाले लोग तर्कों से नहीं कुतर्क या भाव-विवहता से संचालित होते हैं। एक ओर भगवान् बुद्ध, अशोक और महात्मा गाँधी की दुहाई दी जाती है कि कैसे भारत जैसा अहिंसक देश परमाणु बम जैसे सर्वनाशक अस्त्र बना सकता है। दूसरी ओर 'शक्ति परम्परा' की छाप भी भारतीय इतिहास पर कम गहरी नहीं है। दलील यह है कि यदि भारत को स्वतन्त्र और स्वाधीन रहना है तो बिना परमाणु अस्त्रों के काम नहीं चल सकता। इनके अभाव में चीन हो या पाकिस्तान, हमला मनमाना भयादोहन (ब्लैकमेल) कर सकते हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यदि आज भारत सरकार सीमा पार कश्मीरी उग्रवादियों के अड्डे मलियामेट करने का साहस नहीं जुटा पा रही है तो सिर्फ़ इसलिए कि पाकिस्तान के पास बम हैं। विश्व बैंक से ऋण की जरूरत ने एक नया आयाम जोड़ा। आने वाले महीनों में परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर दबाव निरन्तर बढ़ेगा। एक ओर के० सुब्रह्मण्यम जैसै विद्वान् हैं, जो मानते हैं कि परमाणु बम बनाने के बाद भारत के रक्षा खर्च में कटौती की जा सकेगी और आतंक का सन्तुलन बरकरार रखकर पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों का सामान्यीकरण सहज होगा। दूसरी और दिलीप मुखर्जी जैसे वरिष्ठ विश्लेषक हैं, जिनका मानना है कि रक्षा खर्च में कटौती नहीं होगी, बल्कि परमाणु क्षेत्र में एक अन्धी दौड़ तथा आत्मघातक होड़ और शुरू हो जायेगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा की स्थिति अनूठी है। वह परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के भी विरुद्ध हैं । उनका मानना है कि परमाणु वैज्ञानिकों का अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय माफिया अपनी सफलताओं का झूठा प्रचार कर साम्राज्य का विस्तार करता है और इस दुस्साहसिक अभियान के दुखदायी सामाजिक व आर्थिक परिणामों के प्रति आँख-कान मूँदे रखता है। एक ओर यह सवाल भारत के राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा है तो दूसरी ओर आर्थिक तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता से। आज भारत के सामने सामरिक चुनौती मुँह बाए खड़ी है और अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप-दबाव निरन्तर बढ़ रहा है। आम आदमी हो या विशेषज्ञ, तमाम प्रतिक्रियाएं परस्पर विरोधी जीवन मूल्यों और दलगत राजनीतिक पक्षधरता से जुड़ी हैं। इस स्थिति में भारतीय परमाणु नीति में विशेष परिवर्तन की आशा निकट भविष्य में नहीं की जा सकती।

भारत-अमरीकी परमाणु समझौता
(Indo-American Nuclear Agreement)

नाभिकीय क्षेत्र में खुद को स्वावलम्बी बनाने के लिए भारत ने 1974 और 1998 में जो परमाणु परीक्षण किए वे विश्व के प्रमुख देशो को रास नहीं आए। इन परीक्षणों के कारण भारत पर जो तमाम प्रतिबन्ध लगे उनके चलते भारत का परमाणु कार्यक्रम अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सका । अभी कल तक अमेरिका और अन्य परमाणु सम्पन्न राष्ट्र भारत को परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए घेरते रहते थे, लेकिन अन्ततः उन्होंने यह समझा कि भारत को उसके परमाणु कार्यक्रम से विरत नहीं किया जा सकता। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान जॉर्ज बुश ने लीक से हटते हुए जिस तरह भारत को अघोषित रूप से परमाणु सम्पन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता दी उसका विशेष महत्त्व है। नाभिकीय तकनीक उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के राजनयिक दो दौर की वार्ता के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। जार्ज बुश के हस्तक्षेप के बाद परिस्थितियां बदलीं और भारत-अमेरिका के बीच ऐतिहासिक नाभिकीय समझौता हुआ। इस समझौते के बाद यह कहा जा रहा है कि भारत को अपने नागरिक और सैन्य नाभिकीय संयन्त्रों को अलग-अलग करना पड़ेगा तथा इस सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी शर्तों को भी पूरा करना होगा। यही कारण है कि भारत के कुछ राजनीतिक दलों विशेषकर भाजपा और माकपा ने इस नाभिकीय समझौते का विरोध किया है। इन दलों का मानना है कि अमेरिका के साथ हुए नाभिकीय समझौते के बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लग सकता है। भारतीय नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा न होने पाए, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम का राष्ट्र की सुरक्षा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

भारत को नाभिकीय प्रतिरोधक क्षमता से लैस रहना ही होगा। यह इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि परमाणु सम्पन्न राष्ट्र नाभिकीय हथियारों के अपने जखीरे को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। परमाणु अप्रसार सन्धि और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों पर किसी भी तरह की रोक लगाने में सक्षम नहीं। जो लोग अमेरिका

के साथ हुए नाभिकीय समझौते का विरोध कर रहे हैं उनका यह भी मत है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भारत के नाभिकीय सयन्त्रों की निगरानी का अधिकार मिल जाता है तो वह तरह-तरह की आपत्तियाँ उठा सकती है । यही नहीं यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि नागरिक और सैन्य नाभिकीय संयन्त्रों को अलग करना भारत के हित में नहीं होगा। इन आशंकाओं को निराधार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तो सामने आना बाकी है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या कदम उठाएगा? ध्यान रहे प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह नाभिकीय समझौते के सन्दर्भ में हो रही आलोचना को खारिज कर रहें हैं। वस्तुस्थिति जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि **मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा इस दृष्टि से अत्यन्त सफल रही कि अब अमेरिकी प्रशासन भारत और पाकिस्तान को एक ही चश्मे से नहीं देख रहा है।**

अमेरिका के दृष्टिकोण में बदलाव भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के पीछे एक ओर जहां परमाणु कार्यक्रम के मामले में भारत का एक जिम्मेदार राष्ट्र की कसौटी पर खरा उतरना है वहीं पाकिस्तान के ग़ैर जिम्मेदाराना कारनामे हैं। अब यह किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान ने न केवल गुपचुप रूप से परमाणु तकनीक प्राप्त की, बल्कि उसे चोरी-छिपे अन्य देशों तक भी पहुंचाया। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के कथित जनक डा० अब्दुल कादिर खान ने जिस तरह से उत्तर कोरिया, लीबिया, ईरान आदि को परमाणु तकनीक बेची वह सब जानते हैं। भले ही पाकिस्तान ने डा० खान को माफ़ कर दिया हो, लेकिन विश्व मंच पर उसकी प्रतिष्ठा में और अधिक गिरावट आई।

पाकिस्तान परमाणु राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए लालायित हो सकता है, लेकिन उसे यह दर्जा मिलने की कोई सम्भावना नहीं दिखाई दे रही। अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद यह सम्भावना बढ़ गई है कि भारत अमेरिका और साथ ही अन्य पश्चिमी राष्ट्रों से उन्नत नाभिकीय तकनीक प्राप्त करने में समर्थ होगा। अभी तक परमाणु तकनीक उपलब्ध कराने वाली कंपनियां भारतीय वैज्ञानिकों की पहुंच से बाहर थीं। इन कम्पनियों तक पहुंच के बाद भारत में चल रहे परमाणु अनुसन्धानों को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। इस सन्दर्भ में यह अच्छी बात है कि अमेरिका ने यह माना कि भारत ने परमाणु हथियारों का निर्माण अपने पड़ोसी देशों, विशेषतौर से चीन एवं पाकिस्तान को हतोत्साहित करने के लिए किया है तथा उसका इरादा इन हथियारों के भण्डारण का नहीं है। अमेरिका ने परोक्ष रूप से भारत को परमाणु राष्ट्र का जो दर्जा दिया उसके पीछे उसके कुछ निहित स्वार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन यदि भारतीय हितों को कोई क्षति नहीं पहुंच रही तो अमेरिकी स्वार्थों की कोई परवाह नही की जानी चाहिए।

अमेरिका इस बात को अच्छी तरह जानता है कि आगामी 15-20 वर्षों में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर आएगा। अमेरिका इसलिए भी भारत के साथ अपने सम्बन्ध सुधारना चाहता है, क्योंकि उसकी सूचना प्रौद्योगिकी करीब-करीब भारतीयों पर आश्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़त के चलते अमेरिकी नागरिकों का एक वर्ग भारत से नाराज़ है। आने वाले समय में यह नाराज़गी और बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के सूचना तकनीक विशेषज्ञों का अमेरिका जाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज की अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति का चलन यह है कि यदि दो देश किसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धी के रूप में उभर आएं तो उन्हें आपस में हाथ मिला लेना चाहिए। शायद अमेरिका इसी चलन के अन्तर्गत भारत से अपनी निकटता बढ़ाना चाहता है। वह भारत को सुविधा देने के लिए अपने तमाम कानूनों में बदलाव करने को तैयार है। इनमें वे कानून भी हैं जो भारत को नाभिकीय तकनीक से वंचित रखने के लिए बनाए गए थे। यह समय ही बताएगा कि अमेरिका अपने इन कानूनों में कब और कैसे तबदीली करेगा, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि भारत ने खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम के सन्दर्भ में जिम्मेदारी का परिचय दिया है। यही कारण है कि भारत को नाभिकीय तकनीक उपलब्ध कराने के अमेरिका के फैसले का उसके सहयोगी देशों ने भी समर्थन किया है

परमाणु अप्रसार सन्धि
(Nuclear Non-proliferation Treaty)

परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में सन् 1968 की 'अणु अप्रसार सन्धि' (Non-proliferation Treaty) एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है, लेकिन भारत ने इस अप्रचुरण (नॉन प्रोलिफरेशन) सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। इसके लिए भारत ने दो मुख्य तर्कों को अपना आधार बनाया। **पहला** तर्क यह था कि इस सन्धि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की सकेगी और **दूसरा** तर्क यह था कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ यह होता है कि भारत अपने विकसित परमाणु अनुसन्धान के आधार पर परमाणु शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता।

दैनिक जागरण सम्पादक का लेख—24 जुलाई, 2005

सन् 1970 में अणु अप्रसार सन्धि (N.P.T.) अस्तित्व में आई थी। सन्धि के प्रावधानों के अनुसार 25 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होनी थी। अतः 17 अप्रैल, 1995 से न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में लगभग चार सप्ताह का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन के निर्णयानुसार सन्धि को अनिश्चित्काल के लिए आगे लागू कर दिया गया। अपने विरोध को प्रखरता से दर्ज करवाने के लिए भारत ने इस न्यूयार्क समीक्षा सम्मेलन का बहिष्कार किया। वस्तुतः भारत ने इस सन्धि के भेदभावपूर्ण चरित्र का प्रारम्भ से ही विरोध किया है।

अप्रसार सन्धि के उद्देश्य—इसकी प्रस्तावना में इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं—

(1) परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना एवं उनके प्रेक्षण व्यवस्थाओं (Delivery Systems) को समाप्त करना।

(2) परमाणु शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करना ताकि परमाणु कार्यक्रमों से होने वाली हानियों से जन-सामान्य की रक्षा की जा सके।

(3) परमाणु निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना।

(4) परमाणु शस्त्र होड़ रोकने हेतु एक तिथि सुनिश्चित करना।

परमाणु अप्रसार सन्धि क्या है ?

इस सन्धि में कुल 11 अनुच्छेद हैं जिसमें निम्न बातों का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 1—सन्धि की पहली धारा के अनुसार कोई भी सदस्य राष्ट्र इस बात हेतु संकल्पबद्ध होगा, कि उनके पास जो भी आण्विक आयुध या आण्विक विस्फोटक सामग्री होगी, उन्हें दूसरों को नहीं सौंपेगा। वह ग़ैर अणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के अणु आयुधों अथवा अणु विस्फोटकों को बनाने अथवा उन्हें प्राप्त करने हेतु न प्रोत्साहित करेगा और न ही उकसाएगा।

अनुच्छेद 2—इसके अनुसार कोई भी सदस्य राष्ट्र आण्विक आयुधों अथवा अणु विस्फोटकों का हस्तान्तरण परमाणु अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र से नहीं करेगा। वह इन्हें न तो बनाएगा और न ही अन्य किसी से प्राप्त करेगा। साथ ही इनके निर्माण हेतु वह न किसी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता पाने का प्रयास करेगा और न सहायता प्राप्त करेगा।

अनुच्छेद 3—सदस्य देश को एक बात से आश्वासन करने हेतु कि वह सन्धि का पालन कर रहा है या नहीं। सन्धि में अवस्थित 'सेफगार्ड' व्यवस्था को उसे स्वीकार करना होगा। इसके अनुसार उसे अपने सारे आण्विक कार्यक्रमों और आण्विक संस्थानों को अपेक्षित निरीक्षण हेतु मुक्त रखना होगा। परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (I.A.E.A.) का नियन्त्रण एवं निरीक्षण होगा। परमाणु शस्त्र युक्त राज्यों को यह छू भी नहीं सकता।

अनुच्छेद 4—सदस्य राष्ट्रों को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बिना किसी भेदभाव के आण्विक ऊर्जा अनुसन्धान, उत्पादन तथा प्रयोग की छूट देता है, परन्तु इस सन्दर्भ में भी उन्हें सन्धि में प्रयुक्त पहले तथा दूसरे अनुच्छेद का ध्यान रखना होगा।

अनुच्छेद 5—इसके अनुसार परमाणुयुक्त राज्य, गैर परमाणु क्षमता सम्पन्न राज्यों को अपनी नाभिकीय सेवाएं बिना दभाव के यथासम्भव कम परिव्यय पर इस शर्त पर उपलब्ध कराएगा कि वह राज्य इसका प्रयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ी करेगा।

अनुच्छेद 6—इसके अनुसार सदस्य राष्ट्रों को अणु आयुधों की होड़ को खत्म करने या निशस्त्रीकरण सम्बन्धित प्रभावकारी कदम उठाने हेतु वार्ताओं या सम्मेलनों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा।

अनुच्छेद 7—इसमे सदस्य राष्ट्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में अणु आयुधों के पूर्ण उन्मूलन हेतु क्षेत्रीय सन्धियां करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

अनुच्छेद 8—इसके अनुसार कोई भी राष्ट्र सन्धि में संशोधन करने का प्रस्ताव रखने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा इन प्रस्तावों पर सन्धि के सूत्रधार देश सम्मेलन आयोजित करेंगे। साथ ही सम्मेलन के निर्णय के आधार पर संशोधनों का भविष्य निर्धारित होगा।

अनुच्छेद 9—यह उन राष्ट्रों से सम्बन्धित था, जिन्होंने सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। वे जब चाहें तब हस्ताक्षर कर सकेंगे बशर्ते कि वह सन्धि की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

अनुच्छेद 10—यह सदस्य राष्ट्रों के हित सम्बन्धी घटनाओं पर आधारित है। इसके अन्तर्गत कोई असाधारण घटना यदि उसके देश के सर्वोच्च हित के विरुद्ध हो तो सन्धि से उसे हटने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 11—यह औपचारिक है जिसमें परमाणु अप्रसार के प्रति कृतसंकल्पता है। परमाणु अप्रसार सन्धि की भाषाएं हैं—अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश और रूसी।

परमाणु अप्रसार सन्धि (N.P.T.) के दोष— (*i*) अनुच्छेद 4 के अनुसार इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को यह अधिकार होगा कि वे परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग हेतु सम्बन्धित साज-सामान, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान

का परस्पर आदान-प्रदान कर सकें। इन अनुच्छेद द्वारा हस्ताक्षरकर्त्ता देश शान्तिपूर्ण उपयोग के नाम पर परमाणु क्षमता प्रदान करने में स्वत: सफल हो जाएगा।

(*ii*) इस सन्धि में इसका कहीं विवरण नहीं है, कि हस्ताक्षर से पूर्व राज्यों द्वारा जो परमाणु हथियार निर्मित हो चुके हैं उनका क्या होगा।

भारत इन्ही कारणों से परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने का विरोध कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक उसे अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण तथा सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता। इसके साथ ही पक्षपातपूर्ण नियमों को हटा दें तो भारत को कभी कोई इन्कार नहीं होगा। भारत तो सदैव से ही विश्व शान्ति एवं सुरक्षा का अटूट पुजारी रहा है। विकसित राष्ट्र अपने समस्त परमाणु हथियार नष्ट कर दे तो भारत को इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

परमाणु अप्रसार सन्धि और भारत

(N.P.T. and India)

भारत की यात्रा पर आए जर्मन चांसलर गेरहार्ड श्रोंडर के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने यह स्पष्ट करके उचित ही किया कि परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने का उपयुक्त समय अभी नहीं आया है। परमाणु अप्रसार सन्धि अपने आप में भेदभावपरक है और इसी कारण परमाणु प्रसार को रोका नहीं जा पा रहा है। इस बात का कोई औचित्य नहीं कि विश्व के चन्द राष्ट्र तो परमाणु हथियार सम्पन्न बने रहें हैं और शेष राष्ट्र परमाणु क्षमता हासिल करने से बचें। परमाणु अप्रसार सन्धि के पक्षधर राष्ट्रों को यह स्पष्ट करना ही चाहिए कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके चलते अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन परमाणु हथियारों से लैस बने रहना चाहते हैं और शेष विश्व से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि वह उनकी ऐसी स्थिति को अपनी मान्यता प्रदान करे? समझ में नहीं आता कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त ये पांच राष्ट्र ऐसा क्यों समझते हैं कि परमाणु हथियारों के मामले में सिर्फ वे ही ज़िम्मेदार राष्ट्र हैं? वस्तुत: आज आवश्यकता इस बात की है कि जर्मनी सरीखे राष्ट्र इस बात की पहल करें कि विश्व के सभी राष्ट्र परमाणु अप्रसार की दिशा में एक साथ ही आगे बढ़ें। भारत का तो प्रारम्भ से ही यह मत रहा है कि यदि विश्व के सभी राष्ट्र अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए तैयार हों तो वह इस दिशा में स्वेच्छा से पहल करने के लिए तैयार हैं। यह विचित्र है कि परमाणु अप्रसार सन्धि के भेदभावपरक प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित होने के बावजूद कुछ राष्ट्र रह-रह कर भारत से यह आग्रह करते रहते हैं कि उसे इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर देने चाहिएं। इस सन्धि पर भारत के हस्ताक्षर करने का अर्थ होगा एक पक्षपातपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर मुहर लगाना। ऐसे किसी कार्य से भारत को बचना ही होगा। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमन्त्री ने परमाणु अप्रसार सन्धि के मामले में भारत के दृष्टिकोण को एक बार पुन: स्पष्ट कर दिया।

भारत के परमाणु अप्रसार सन्धि पर सहमत होने का इसलिए भी कोई औचित्य नहीं कि उसके पड़ोस में एक नहीं दो राष्ट्र ऐसे हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। ऐसी स्थिति में परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने का मतलब होगा अपनी सुरक्षा की जानबूझ कर अनदेखी करना। मौजूदा स्थितियों में यह सम्भव ही नहीं कि भारत एक क्षण के लिए भी यह विस्मृत कर दे कि उसके पड़ोसी राष्ट्र परमाणु हथियारों से लैस हैं। वर्तमान सामरिक परिदृश्य को देखते हुए तो यह अनिवार्य है कि भारत न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखे। भारत ने इस सन्दर्भ में एक नहीं अनेक बार विश्व समुदाय के समक्ष यह स्पष्ट भी किया है कि वह परमाणु हथियारों का कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। विश्व के किसी भी राष्ट्र को इस बारे में तनिक भी सन्देह नहीं होना चाहिए कि भारत एक ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति है। बेहतर तो यह होगा कि जो राष्ट्र परमाणु प्रसार से चिन्तित हैं वे उन राष्ट्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें जो अनधिकृत तरीके से परमाणु प्रसार से लगे हुए हैं। आज एक नहीं अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो चोरी-छिपे यह काम कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि विश्व समुदाय के लिए अनधिकृत परमाणु प्रसार का मुद्दा कहीं अधिक गम्भीर चिन्ता का विषय बनना चाहिए, क्योंकि इस बात की आशंका बनी हुई है कि अनधिकृत परमाणु प्रसार का सिलसिला आतंकवादी संगठनों तक जा सकता है। जहां तक विश्व को परमाणु हथियारों के खतरों से बचाने की बात है, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि विश्व के सभी राष्ट्र और विशेष रूप से सुरक्षा परिषद् में वीटो से सुसज्जित राष्ट्र अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को नष्ट करने की कोई नीति बनाएं।

दैनिक जागरण 9 अक्तूबर, 2004 (सम्पादकीय)

परमाणु अप्रसार सन्धि और व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि पर हस्ताक्षर करने के जापान के अनुरोध को भारत ने खारिज किया है, तो इसे समझा जा सकता है। भारत का यह प्रत्याख्यान अब जापान की विदेशी मन्त्री योरिको कावागुची से बातचीत के दौरान सामने आया है, जो दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की कामना के साथ यहां पधारी हैं। जब समूची दुनिया को यह बारम्बार बताया गया है कि भारत की परमाणु शक्ति दरअसल उसकी रक्षा के लिए है और जब उपरोक्त दो सन्धियों के विद्रूप के बारे में भारत के रुख से भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय परिचित है, तब जापान द्वारा नए सिरे से किए गए इस आग्रह का अर्थ सचमुच समझ में नहीं आता। जब दूसरे परमाणु शक्ति सम्पन्न देश, जिनकी परमाणु क्षमता भारत के कई-कई गुना ज्यादा है, इन सन्धियों पर हस्ताक्षर करने से कतराते हों, तब भारत से इस पर हस्ताक्षर करने की प्रत्याशा कुछ ज्यादा ही नहीं है? भारत विध्वंसक परमाणु हथियारों के पक्ष में कतई नहीं है, बल्कि वह दोनों सन्धियों पर हस्ताक्षर करने का गम्भीर इच्छुक है। लेकिन तब, जब सारे परमाणु शक्ति सम्पन्न देश इस पर हस्ताक्षर करने की इच्छा और साहस का परिचय दें। जब तक ऐसा सम्भव नहीं होता, तब तक केवल भारत से ही यह इच्छा शक्ति दिखाने की उम्मीद किसी को भी भला क्यों करनी चाहिए? बल्कि जापान के सामने भारत ने अब यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु मोर्चे पर पाकिस्तान के सिरफिरेपन को देखते हुए इन सन्धियों पर हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं है। जब सीमापार आतंकवाद में कहीं कोई कमी नहीं है, जब पड़ोसी देश का युद्धोन्मादी जनरल हर दूसरे दिन भारत को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परमाणु हमले की धौंस देता है, अब जब वहीं परमाणु तकनीक बेचने के इरादों की हैरतनाक सूचनाएं हैं, तब भारत से परमाणु शक्ति के मोर्चे पर निहत्था होने के लिए कहना ज्यादती भी है और अव्यावहारिकता भी। नहीं, जापान की सदिच्छाओं से इन्कार नहीं है। लेकिन अगर उसे यहां तक कहना पड़ा है कि उसके साथ हमारा बेहतर वाणिज्यिक रिश्ता पाकिस्तान से हमारे बेहतर रिश्तों की शर्त पर निर्भर है, तब वह या तो वस्तुस्थिति से अवगत नहीं है या वह उसी पूर्वाग्रह का परिचय दे रहा है, जैसा कि उसने पोखरण—दो के बाद दिया था। लिहाजा उत्तर कोरिया-पाकिस्तान के नापाक रिश्तों पर उसके नज़रअन्दाज़ करने वाले रवैये पर ठीक ही सवाल किया गया। भारत चूंकि जापान के साथ और भी बेहतर रिश्तों का आग्रही है, इसलिए योरिको कावागुची के इस आश्वासन पर भरोसा करने का कारण है कि उत्तर कोरिया-पाकिस्तान के नापाक रिश्तों के प्रमाण मिलने पर जापान द्वारा समुचित कारवाई की जाएगी। लेकिन लगे हाथों यह भी जान लेना चाहिए कि भारत के लिए जापान के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों की शर्त न तो दो सन्धियों पर एकतरफा हस्ताक्षर करना है और न ही पाकिस्तान के प्रति एकतरफा नरमी बरतना।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि व भारत
(Comprehensive Test Ban Treaty and India)

जून 1996 में भारत ने सी० टी० बी० टी० अर्थात् व्यापक परमाणु परीक्षण रोक सन्धि पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। भारत के अनुसार सी० टी० बी० टी० का प्रस्तावित दस्तावेज़ अपने वर्तमान स्वरूप में भेदभावपूर्ण, खामियों से भरा व बेहद अपूर्ण है। इससे भारत के व्यापक राष्ट्रीय व सुरक्षा हितों की पुष्टि नहीं होती। भारत के रुख से स्पष्ट है कि वह अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में अपने एटमी विकल्प को खुला रखेगा।

भारत ने 'व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि' (C.T.B.T.) की सार्वभौमिक नाभिकीय नि:शस्त्रीकरण की एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में कल्पना की थी जिससे एक समयबद्ध रूपरेखा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के पूर्णतः नष्ट होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। भारत का यह भी विश्वास है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का उद्देश्य मात्र विस्फोटों के परीक्षण को बन्द करना नहीं था, अपितु नाभिकीय हथियारों के गुणात्मक विकास और उनके परिष्करण को विस्फोट अथवा अन्य माध्यमों से रोकना था। व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर भारत के दृष्टिकोण पर आधारित संशोधनों पर ठोस भारतीय मूल प्रस्ताव 26 जनवरी, 1996 को पेश किए गए। भारतीय प्रस्तावों का आशय, व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि को एक सहमत समयावधि के भीतर नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने के साथ जोड़ना है। जब भारतीय प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया गया, तब भारत ने 20 जून, 1996 को इस आशा का एक ठोस वक्तव्य दिया कि भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि को इसके वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सार्वभौमिक नाभिकीय नि:शस्त्रीकरण की दिशा में एक उपाय के रूप में विचार नहीं किया गया है और यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भी नहीं है। भारत का नाभिकीय विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है और जब तक अन्य देश अपने हथियारों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर समाप्त करने में अपनी अनिच्छा बनाए रखेंगे भारत अपने विकल्प पर कोई दबाव स्वीकार नहीं करेगा।

जेनेवा में नि:शस्त्रीकरण के बारे में चल रहे 61 देशों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की नेता अरुन्धती घोष ने स्पष्ट कहा कि ''भारत ऐसी सी० टी० बी० टी० पर 'न अभी, न ही बाद में' हस्ताक्षर करेगा।''

अन्तर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय सन्धि वार्ता में इस सन्धि को 'लागू करने' की यह शर्त असाधारण लगती है कि यह तभी लागू होगी जब भारत सहित अन्य 44 देश उसका अनुसमर्थन कर देंगे। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के इस विषय पर स्पष्ट रवैये के बावजूद इस तरह के उल्लेख से भारत सी० टी० बी० टी० प्रारूप को स्वीकार किए जाने का विरोध करने के लिए बाध्य होगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के पुन: शुरू हुए 50 वें सत्र में आस्ट्रेलिया ने जेनेवा में बातचीत के दौरान जिस मसौदा सन्धि पर मतैक्य नहीं हुआ था, उस मसौदे से मिलते-जुलते मसौदे का सन्धि पाठ पारित करने का एक संकल्प रखा। 10 सितम्बर, 1996 को ऑस्ट्रेलिया के संकल्प पर हुए मतदान में भारत ने भूटान और लीबिया के साथ संकल्प का विरोध किया जबकि क्यूबा, तन्जानिया, लेबनान, सीरिया और मारीशस ने मतदान में भाग नहीं लिया। 158 देशों ने इस संकल्प के पक्ष में मत दिया। मतदान से पूर्व आम बहस हुई जिसमें नाभिकीय नि:शस्त्रीकरण के मुद्दे पर अनेक देशों ने अपने विचार प्रस्तुत किये। अनेक गुटनिरपेक्ष देशों ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर नाभिकीय शस्त्रों को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11 सितम्बर, 1996 को संसद् में अपने स्वत: वक्तव्य में विदेशमन्त्री ने दोहराया कि भारत सन्धि पर अपना विरोध जारी रखेगा और इसके वर्तमान स्वरूप हर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

परमाणु शक्ति-कौन कितना शक्तिशाली—भारतीय परमाणु नीति के साथ यह जानना भी महत्त्वपूर्ण है कि विश्व में ऐसे कितने देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार विश्व में 40 हज़ार 640 अणुशास्त्र हैं। प्रत्येक शस्त्र की क्षमता किसी भी शहर को एक ही झटके में समतल बनाने की है। एक ही शस्त्र से लाखों की हत्या की जा सकती है। यह शस्त्र इतना छोटा होता है कि इसे ट्रक के पीछे लादकर ले जाया जा सकता है। आतंकवादियों के लिए इस तरह का अणु यन्त्र काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। रूस-अमेरिका सहमति के अनुसार प्रतिवर्ष 2000 अणुशस्त्रों को नष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इस कार्य की प्रगति काफ़ी धीमी है। स्टार्ट सन्धि के अनुसार परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण व संग्रह नहीं होना चाहिए। अणु शक्ति संयन्त्रों व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण होते रहना चाहिए। विश्व के कतिपय देशों के पास उपलब्ध सैकड़ों टन प्लूटोनियम और उच्च किस्म का हज़ारों टन यूरेनियम को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। रासायनिक व जैविक हथियारों को भी इसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर दस वर्ष की अवधि में करीब 70 बिलियन डालर व्यय होंगे। यदि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है तो विश्व काफ़ी हद तक भयमुक्त हो सकता है। आतंकवादी हमलों का भय भी समाप्त हो सकता है। (*स्रोत : एलीमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स*)

विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के अनुसार फरवरी, 2003 तक विश्व के आठ देशों के पास व्यापक विनाशक किस्म के 21 हज़ार से अधिक परमाणु शस्त्रों का जखीरा हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार आठ देशों की स्थिति इस प्रकार है—

देश	संदिग्ध सामरिक परमाणु शस्त्र	असंदिग्ध सामरिक परमाणु शस्त्र	कुल परमाणु अस्त्र	परमाणु परीक्षण
चीन	250	120	370	45
फ्रांस	350	0	350	210
भारत	60	?	60	6
इज़राइल	100-200	?	200	—
पाकिस्तान	24-48	?	24-48	6
रूस	6000	4000	10,000	715
ब्रिटेन	180	5	185	45
अमेरिका	8646	2010	10656	10302

(रूस के पास 15 हज़ार परमाणु शस्त्र होने का अनुमान है सेन्टर फॉर डिफेंस इन्फारमेशन, अमेरिका) स्रोत : सी०डी०आई : न्यूक्लियर इस्यूज।

1945 में जापान के नागासाकी और हीरोशिमा नगरों पर परमाणु बमों के विस्फोट के पश्चात् अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु युद्ध का सामना करने के लिए सभी प्रकार के सत्तर हज़ार से अधिक परमाणु शस्त्रों का उत्पादन

किया है। इन शस्त्रों को आवश्यकता के अनुसार सामरिक ठिकानों पर तैनात भी किया गया है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार इन शस्त्रों के निर्माण में पचास खरब डालर से अधिक का व्यय हुआ है। (*स्रोत* : बकिंग्स इंस्टीच्यूट प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक : एटोमिक ओडिट-1998)

शासन मनुष्यों और सम्पत्ति व भूमि पर ही किया जा सकता है। यदि किसी समाज या देश के पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक या मनुष्यजनित सम्पत्ति नहीं होगी तो क्या वह किसी के आक्रमण का शिकार हो सकता है? यदि इराक के पास तेल की विशाल सम्पदा नहीं होती तो क्या अमेरिका और उसके गठबन्धन की सेनाएं सद्दाम के देश को दो-दो बार रौंदतीं? स्पष्ट है, वे ऐसा नहीं करतीं। युद्ध के आधारभूत कारकों में आर्थिक कारक प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से काफ़ी हद तक निर्णायक भूमिका निभाता गया है। यह अलग बात है कि युद्धों के कारक काल, परिस्थिति, समाज की विकास अवस्था और टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलते रहे हैं, पौराणिक काल में धर्म-अधर्म व नीति-अनीति प्रमुख कारक रहे, जबकि ऐतिहासिक कालों में साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा, स्वाधीनता, लोकतन्त्र, समतावादी न्यायवादी व्यवस्था की स्थापना, सैन्य एकाधिकारवाद, भूमण्डलीय वर्चस्ववाद, नव-उपनिवेशवाद जैसे कारक महत्त्वपूर्ण रहे हैं। प्राय: कहा जाता है कि युद्ध शक्ति का एक ऐसा कृत्य है जो कि हमारे शत्रु को हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए विवश करता है। यह कथन युद्ध की परिणामात्मक दृष्टि से सटीक है, लेकिन यह इसके सम्पूर्ण सत्य को उजागर नहीं करता है। प्रत्येक युद्ध के ज़रिये आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। युद्ध, राज्य या समूह के नेतृत्व के हाथों में एक अन्तिम हथियार है जिसका वह शेष सभी विकल्पों के समाप्त होने के बाद प्रयोग करता है। कई सौ वर्ष पहले एक चीनी दार्शनिक ने कहा था कि सबसे बड़ा व प्रभावशाली युद्ध वह होता है जो बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के लड़ा जाए। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि शस्त्र, आधारित युद्ध से पहले शस्त्रविहीन युद्ध का सहारा लेना चाहिए अर्थात् 'कूटनीतिक युद्ध' का प्रयोग करना चाहिए। मिथकीय या पौराणिक युद्धों-रामायण और महाभारत में भी राम व कृष्ण ने पहले कूटनीति के माध्यम से ही संग्रामों को टालने के प्रयास किये थे। कूटनीतिक युद्ध के विफल होने के पश्चात् ही वास्तविक युद्ध के विकल्प को अपनाया गया। 18वीं-19वीं सदी के युद्ध इतिहास विशेषज्ञ क्लाउजविट्ज का मत था कि युद्ध केवल राजनीति की निरन्तरता है जिसे दूसरे माध्यम (अर्थात् हिंसा) से जारी रखा जाता है। उनका तर्क था कि चूंकि राजनीति सम्पूर्ण समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए युद्ध के माध्यम से उसकी निरन्तरता बनाई रखी जाती है। लेकिन इस युद्ध विशेषज्ञ की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह यह नहीं देख सका कि राजनीति सम्पूर्ण राज्य या समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जो कि उस समय सत्तारूढ़ होती हैं। यह सोचना गलत होगा कि 1991 और 2003 में इराक पर अमरीकी आक्रमणों में अमेरिका का विश्व की एकमात्र सर्वशक्तिमान सत्ता का अहम् नहीं था।

भारत के परमाणु ऊर्जा स्टेशन विश्व के श्रेष्ठ परमाणु ऊर्जा उत्पादक केन्द्र माने जाते हैं। विश्व में कार्यरत 32 प्रेशराइज्ड गुरुतल रिएक्टरों में से काकरापाट परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई-1 को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला घोषित किया जा चुका है। केंडु ओनर्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका "को गानिर्जेंट" के अनुसार के०ए०पी०एस०-1 ने सितम्बर, 2002 के अन्त में पहला स्थान हासिल किया क्योंकि उससे पिछले 12 महीनों में संयन्त्र का कुल क्षमता भार (जी०सी०एफ०) 98.4 रहा था।

भारत-पाक परमाणु शक्ति दौड़

भारत

1948	:	यूरेनियम अयस्क के लिए एटोमिक ऊर्जा आयोग की स्थापना।
1956	:	40 मैगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत के प्रयास पूर्ण—'कनाडा-भारत रिएक्टर, अमेरिका' शोध रिएक्टर का निर्माण। अमेरिका द्वारा 'हैवी वाटर' की आपूर्ति।
1958	:	भारत ने अपने दम पर ट्राम्बे प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया। यह दोहरी सुविधा थी—नागरिक कार्यों के साथ-साथ परमाणु हथियारों के निर्माण में भी इसका उपयोग सम्भव था।
1964	:	ट्राम्बे में प्रथम प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग संयन्त्रों की शुरुआत।
1965	:	आयोग के अध्यक्ष डा० होमी भाभा द्वारा परमाणु विस्फोट परियोजना का प्रस्ताव। अब तक घोषित पांच परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों में से एक चीन द्वारा प्रथम परमाणु संयन्त्र का विस्फोटन। भारत-पाक युद्ध के पश्चात् अमेरिका द्वारा भारत से सैनिक सहायता वापस।
1966	:	भारत द्वारा 18 महीनों के भीतर परमाणु हथियारों के उत्पादन की घोषणा।
1968	:	'नोन-प्रोलीफेरेशन सन्धि' (एनपीटी) की प्रक्रिया समाप्त। भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार।

1969 : फ्रांस 'ब्रीडर रिएक्टर' के विकास में भारत को सहयोग देने को तैयार।

1974 : भारत पहली बार 15 किलोटन का परमाणु यन्त्र विस्फोट करता है—पोखरण में। शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए। कनाडा अपना सहयोग स्थगित करता है।

1976 : तत्कालीन सोवियत संघ भारत को 'हैवी वाटर' की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन जाता है।

1980 : इस दशक में भारत ट्राम्बे और मैसूर में 'यूरेनियम एनरिचमेंट संयन्त्र' का निर्माण करता है।

1991 : भारत और पाकिस्तान के बीच एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का समझौता।

1997 : भारत द्वारा सुपर कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास की घोषणा। इस प्रौद्योगिकी का परमाणु हथियारों के परीक्षण में प्रयोग किया जा सकता है।

1998 : भारत द्वारा रूस के साथ शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए 1000 मेगावाट के दो न्यूक्लियर रिएक्टरों के निर्माण के लिए सौदे की घोषणा।

1998 : (मई 11 व 13) भारत द्वारा पोखरण में पांच भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण और परमाणु शक्ति राज्यों की श्रेणी में शामिल होना।

पाकिस्तान

1972 : 1971 के भारत-पाक युद्ध में ऐतिहासिक शिकस्त व बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात् शेष बचा पश्चिमी पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियार कार्यक्रम पर काम शुरू कर देता है, कराची में परमाणु शक्ति संयन्त्र की स्थापना, कनाडा द्वारा रिएक्टर और हैवी वाटर व उत्पादन सुविधा की सप्लाई।

1974 : पश्चिमी शक्तियों द्वारा पाकिस्तान को परमाणु वस्तुओं के निर्यात पर रोक।

1975 : जर्मनी में प्रशिक्षित डा० अब्दुल कादिर खान का स्वदेश वापसी के बाद कहुटा यूरेनियम एनरिचमेन्ट सुविधाओं पर काम शुरू।

1976 : कनाडा द्वारा कराची संयन्त्र को सप्लाई बन्द।

1977 : जर्मनी द्वारा विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक व सैन्य मदद पर रोक।

1978 : फ्रांस द्वारा चश्मा प्लूटोनियम संयन्त्र को सप्लाई रद्द।

1979 : पाकिस्तान कहुटा संयन्त्र के लिए उपक्रमों को आयात करता हुआ पकड़ा जाता है। अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा।

1986 : पाक-चीन समझौता-शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग।

1987 : पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी जर्मनी से 'ट्रीटियम शुद्धीकरण' की प्राप्ति।

1989 : चीन के सहयोग से ए 27-किलोवाट शोध रिएक्टर का निर्माण।

1990 : भारत के साथ नये युद्ध की आशंका से ग्रस्त पाकिस्तान विभिन्न परमाणु हथियारों के लिए 'बीजकोष' बनाना शुरू कर देता है।

1993 : स्टॉकहोम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व अनुसन्धान द्वारा पाकिस्तान में 14 हज़ार यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रॉफ्यूजेस की स्थापना की जानकारी देना। जर्मन कस्टम अधिकारी करीब 1000 गैस सेंट्रीफयूजेस जब्त करते हैं जो कि पाकिस्तान भेजे जा रहे थे।

1996 : पाकिस्तान चीन से 5000 रिंग मेगनेट खरीदता है। इसका इस्तेमाल यूरेनियम एनरिचमेंट में किया जाता है।

1998 : भारत के विस्फोटों के प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तान भी परमाणु विस्फोट करता है। (*स्रोत* : एपी, न्यूयार्क टाइम्स, मई 28, 1998)

भारतीय परमाणु ऊर्जा सुरक्षा

(India's Nuclear Energy Security)

यह निःस्सन्देह गौरव की बात है कि ग़ैर बराबरी के सिद्धान्त पर आधारित परमाणु अप्रसार सन्धि (एनपीटी) पर दस्तख़त के लिए दबाव के बीच और परमाणु प्रौद्योगिकी के शान्तिपूर्वक इस्तेमाल पर पाबन्दियों के बावजूद भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अगर संकल्प, इच्छा-शक्ति और विकास की आकांक्षा हो, तो रास्ते खुद-ब-खुद आसान हो जाते हैं। देशी क्षमताओं के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियां

रेखांकित करने वाली हैं। फिलहाल देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा मात्र दो फीसदी है, लेकिन जिस गति से हमारे वैज्ञानिक सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि अगले पन्द्रह-सोलह वर्षों बाद देश में करीब 20 हज़ार मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा विभाग के स्वर्ण जयन्ती समारोह की शुरुआत करते हुए प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर उन बड़े परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों को आईना दिखाया है, जो दोहरा मानदण्ड अपना रहे हैं। एक ज़िम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में भारत की सराहना खुद अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान करता रहा है, लेकिन यह बात अमेरिका के गले जल्दी उतरती नहीं है। उसे पता है कि भारत कभी संवेदनशील प्रौद्योगिकी के प्रसार का स्रोत नहीं बनेगा, लेकिन वह आए दिन भारत के परमाणु कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर सन्देह की उंगली उठाए ही रहता है। ऐसा करना उसके बदनीयत कूटनीतिक अभियान का हिस्सा है।

इस दोहरे मापदण्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक खतरनाक असन्तुलन पैदा किया है। इस खतरे और असंगति की ओर इशारा करते हुए मनमोहन सिंह ने उचित ही दुनिया का ध्यान दिलाया है कि अगर ज़िम्मेदारी बरतने वाले राष्ट्रों पर बन्दिशें लगाई जाएंगी, तो माना जाएगा कि ग़ैर ज़िम्मेदार राष्ट्रों को इनाम दिया जा रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं कि भारत के सुरक्षित परमाणु कार्यक्रम को अविश्वसनीय ठहराने के लिए अमेरिका साजिशें करता रहता है, जबकि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉ० अब्दुल कादिर खान की देखरेख में ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार तकनीक व सामग्री चोरी छिपे बेचे जाने का सच उजागर हो जाने के बावजूद उसका रवैया पाकिस्तान के प्रति बेहद दोस्ताना है। यह अमेरिका का दोहरापन नहीं, तो और क्या है कि पहले उसने भारत के दो प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिकों को बिना किसी प्रमाण के मनमाने ढंग से प्रतिबन्धित कर दिया, भारत की ओर से इस सिलसिले में आपत्तियों का जवाब तो खैर उसने नहीं दिया, उलटे खबरें आ रही हैं कि ईरान के परमाणु हथियार के कार्यक्रम में मदद का आरोप लगाकर तीन और भारतीय वैज्ञानिकों पर प्रतिबन्ध लगाने की तैयारी है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जब तक यह दो मुंहापन खत्म नहीं होगा, परमाणु अप्रसार का वास्तविक लक्ष्य अधूरा रहेगा।

भारत में नाभिकीय रिएक्टर

(India's Nuclear Reactors)

सम्प्रति भारत में 9 रिएक्टर परमाणु कार्यरत हैं जिनमें से *साइरस* (CIRUS) और *राणा प्रताप सागर ऊर्जा संयन्त्र* कनाडा के सहयोग से तथा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयन्त्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किये गये हैं। इनसे उत्पादित प्लूटोनियम का उपयोग भारत *अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी* द्वारा अनुमोदित प्रयोजनों के लिए ही कर सकता है। परमाणु रिएक्टरों जैसे *अप्सरा, जरलिना* और *पूर्णिमा* आदि की स्थापना भारत ने स्वयं अपने प्रयासों से की है जिनसे उत्पादित प्लूटोनिमय आदि का उपयोग भारत अपनी इच्छानुसार कर सकता है। भारत ने 18 मई, 1974 को राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पोखरण नामक स्थान पर अपना पहला नाभिकीय परीक्षण (पोखरण-I) किया था। पोखरण में किया गया विस्फोट ज़मीन के नीचे 300 फीट गहराई में किया गया था। इसमें प्लूटोनियम परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जिसकी क्षमता 15 से 20 किलो टन तक थी। भारत द्वारा किये गये प्रथम विस्फोट की प्रमुख विशेषता यह थी कि इससे किसी प्रकार का *नाभिकीय अवताप* उत्पन्न नहीं हुआ। *परमाणु ऊर्जा* आयोग ने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम स्तर के तहत *पी०एच०डब्ल्यू०आर०* प्रकार के रिएक्टरों के प्रारूप, निर्माण और संचालन में पूर्ण तकनीकी क्षमता हासिल कर ली है।

भारत ने 11 मई, 1998 और 13 मार्च, 1998 को जैसलमेर ज़िले के खेतोलोई गांव के पास दूसरी बार परमाणु परीक्षण (पोखरण-II) किया। 11 मई को तीन और 13 मई को 2 (यानी कुल 5) परीक्षण किये गए। इसके अन्तर्गत एक किलोटन से भी कम ऊर्जा उत्सर्जन वाले (सब-किलोटन) परमाणु परीक्षण करके सुपर कम्प्यूटर की मदद से प्रयोगशाला में ही परीक्षण करने का सामर्थ्य हासिल किया गया है। इस दौरान जो पांच परीक्षण किये गये उनमें से एक फिशन (Fission), तीन कम यील्ड वाला तथा एक थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण था। इनमें से पहला परमाणु बम बनाने के लिए, दूसरा हल्का बम बनाने तथा बूस्टर फिशन (Booster Fission) के लिए तथा तीसरा परीक्षण हाइड्रोजन बम बनाने के लिए उपयुक्त था। चूंकि इसमें हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी शामिल था, अतः इस बात की पुष्टि हो गयी कि 1974 के बाद भारत ने नाभिकीय कार्यक्रम के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है।

भारत की नाभिकीय नीति में शान्तिपूर्ण व विकासात्मक उद्देश्यों को शामिल किया गया है। भारत का मानना है कि विश्व शान्ति के लिए सभी नाभिकीय हथियारों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए तथा नाभिकीय हथियारों के निर्माण पर पूर्णतः रोक लगा दी जानी चाहिए। अपनी इस नीति के तहत भारत ने नाभिकीय शक्ति का उपयोग या तो विद्युत् उत्पादन में किया है अथवा अन्य विकासात्मक कार्यों में। अपनी इसी नीति के तहत भारत ने अब तक *परमाणु अप्रसार सन्धि* (N.P.T.) पर हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि यह सन्धि भ्रामक तथा भेदभावपूर्ण है।

नाभिकीय विद्युत् उत्पादन
(Nuclear Electricity Production)

देश के *परमाणु ऊर्जा विभाग* ने सन् 2000 तक 10,050 मेगावाट परमाणु विद्युत् उत्पादन की क्षमता को लगभग **हासिल कर लिया है। परमाणु विद्युत्** क्षमता देश की कुल अधिस्थापित विद्युत् क्षमता का 10 प्रतिशत हो गयी। हालांकि सम्प्रति भारत में उत्पन्न की जाने वाली कुल विद्युत् की मात्र 3 प्रतिशत ही देश में स्थित विभिन्न नाभिकीय रिएक्टरों से प्राप्त हो पाता है। देश के सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयन्त्रों की वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 1940 मेगावाट है। परमाणु विद्युत् उत्पादन के कार्यान्वयन की दृष्टि से '*परमाणु विद्युत् बोर्ड*' के स्थान पर सन् 1987 में '*भारतीय परमाणु विद्युत् निगम लिमिटेड*' की स्थापना की गयी तथा उसे देश के समस्त परमाणु विद्युत् संयन्त्रों के प्रारूप, निर्माण कार्य, संचालन और उत्पादन सम्बन्धी उत्तरदायित्व को सौंपा गया।

तारापुर स्थित पहली दो इकाइयां '*क्वथन जल रिएक्टर*' (BWR) किस्म की हैं, जबकि 'दाबित भारी जल रिएक्टर' (PHWR) किस्म के सात रिएक्टर रावतभाटा, कलपक्कम, नरौरा और काकरापार में कार्यरत हैं। इन्दिरा गांधी परमाणु केन्द्र (कलपक्कम) में 40 मेगावाट शक्ति का एक *फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर* तथा एफ० बी० आर० ईंधन, चक्र, सुरक्षा सामग्री, उपकरण आदि से सम्बन्धित विषयों की अनुसन्धान एवं विकास प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। भारत नाभिकीय विद्युत् कार्यक्रम के दूसरे उन्नत चरण में प्रवेश कर चुका है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसार देश में कुछ वर्षों में ही 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप तेज़ प्रजनन रिएक्टर (PFBR) तैयार हो जायेगा। कलपक्कम में स्थापित तेज़ प्रजनक परीक्षण रिएक्टर सभी उद्देश्यों में सफल रहा है।

1995 में शुरू हुए 13 मेगावाट के तेज़ प्रजनक परीक्षण रिएक्टर के बाद कलपक्कम में निर्मित होने वाला 3000 करोड़ रुपये का तेज़ प्रजनक रिएक्टर प्रौद्योगिक व ऊर्जा उत्पादन दोनों दृष्टियों से एक ऊंची छलांग है। देश में परमाणु विद्युत् उत्पादन में लगे संयन्त्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है—

1. तारापुर परमाणु विद्युत् संयन्त्र (2×165 MW BWR)—अमेरिका की सहायता से निर्मित तारापुर विद्युत् संयन्त्र भारत का प्रथम विद्युत् संयन्त्र है। इसके तहत 165-165 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली '*क्वथन जल रिएक्टर*' (BWR : Boiling Water Reactor) किस्म की दो इकाइयां कार्यरत हैं। ये इकाइयां वर्ष 1969 में व्यावसायिक रूप से चालू हुईं। इस विद्युत् गृह की सम्पूर्ण परिकलित आयु 30 वर्ष है। इस पूरी अवधि के लिए इस गृह को आवश्यक ईंधन (संवर्द्धित यूरेनियम) की आपूर्ति अमेरिका को करनी थी लेकिन भारत द्वारा *परमाणु अप्रसार सन्धि* पर हस्ताक्षर नहीं करने से और अन्य कानूनी अड़चनों की वजह से अमेरिका ने इस संयन्त्र को संवर्द्धित यूरेनियम देना बन्द कर दिया। बाद में पूर्व की शर्तों पर ही फ्रांस संवर्द्धित यूरेनियम दे रहा है। इस विद्युत् गृह से महाराष्ट्र और गुजरात को विद्युत् प्राप्त होती है।

2. राजस्थान परमाणु विद्युत् संयन्त्र (150, 20 MW PHWR)—यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत् संयन्त्र है जिसकी स्थापना 1981 में की गयी। यह संयन्त्र *कान्डु सिद्धान्त* (CANDU : Canadian-Deutestum-Uranium) के आधार पर कार्य करता है। इस विद्युत् गृह के अन्तर्गत 220 मेगावाट की क्षमता वाली *दाबित भारी जल रिएक्टर* (PHWR) वाली दो इकाइयां हैं। ये इकाइयां कोटा शहर के समीप रावतभाटा में चम्बल नदी पर बने गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांधों के मध्य निर्मित राणा प्रताप सागर झील के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इस विद्युत् गृह से राजस्थान को बिजली की प्राप्त होती है।

3. नरौरा परमाणु विद्युत् संयन्त्र (2×220 MW PHWR)—उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में *नरौरा में स्थित* इस परमाणु विद्युत् गृह के तहत *दाबित भारी जल रिएक्टर* किस्म की 220 मेगावाट क्षमता वाली दो इकाइयां कार्यरत हैं। इनमें से पहली इकाई को मार्च 1989 में तथा दूसरी इकाई को अक्तूबर 1991 में व्यावसायिक रूप से चालू (Critical) किया गया था। इस विद्युत् गृह से सम्बन्धित कुछ तथ्य निम्न प्रकार हैं—

- 220 मेगावाट क्षमता वाले दाबित भारी जल रिएक्टर शृंखला का यह पहला विद्युत् गृह है।
- इसकी सम्पूर्ण आयु के दौरान आने वाले किसी भी स्तर के भूकम्प से यह पूर्णतया सुरक्षित है।
- रेडियो सक्रियता को पर्यावरण में जाने से रोकने के लिए इसमें कई बैरियर लगाये गये हैं।

4. कलपक्कम परमाणु विद्युत् संयन्त्र (2×170 MW PHWR)—यह भारत की तीसरी परमाणु विद्युत् परियोजना है। इसकी सम्पूर्ण डिज़ाइन भारतीय अभियन्ताओं एवं विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी है। मद्रास के समीप *कलपक्कम* में स्थित इस संयन्त्र के अन्तर्गत 170 मेगावाट क्षमता वाली पी०एच०डब्ल्यू०आर० प्रकार की दो इकाइयां हैं। इसकी प्रथम इकाई 23 जुलाई, 1983 को चालू की गयी। इसके साथ ही भारत विश्व का सातवां ऐसा देश हो गया, जिसके पास परमाणु संयन्त्रों की डिज़ाइन निर्मित एवं चालू करने की स्वदेशी क्षमता है। इसकी दूसरी इकाई ने 1985 में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। इस संयन्त्र के रिएक्टरों का निर्माण राजस्थान विद्युत् गृह तथा कान्डु सिद्धान्त पर आधारित है।

5. काकरापार परमाणु विद्युत् संयन्त्र (2 × 220 MW PHWR)—गुजरात में सूरत से 86 किलोमीटर दूर स्थित काकरापार परमाणु विद्युत् गृह के अन्तर्गत 220 मेगावाट क्षमता वाली दो इकाइयां हैं। इनमें से पहली इकाई को 31

सितम्बर, 1992 को प्रायोगिक स्तर पर चालू किया गया तथा इसके समस्त अवयवों की सुरक्षित जांच के उपरान्त 6 मई, 1993 को व्यावसायिक घोषित कर दिया गया।

भारी जल व समस्थानिकों का उत्पादन
(Heavy Water Production)

शीतलक और *मन्दक* के रूप में भारी जल का प्रयोग तारापुर को छोड़ कर देश के सभी परमाणु विद्युत् रिएक्टरों में होता है। H_2S ***हाइड्रोजन सल्फाइड जल विनिमय विधि*** **का प्रयोग करके देश का प्रथम भारी जल संयन्त्र कोटा में** स्थापित किया गया। अन्य भारी जल उत्पादन संयन्त्र नंगल (पंजाब), बड़ौदा (गुजरात), तूतीकोरिन (तमिलनाडु), तलचर (उड़ीसा), ट्रांबे (महाराष्ट्र), कलपक्कम (तमिलनाडु), मनुगुरु (आन्ध्र प्रदेश), हजीरा (गुजरात) तथा थाल (महाराष्ट्र) में स्थित हैं।

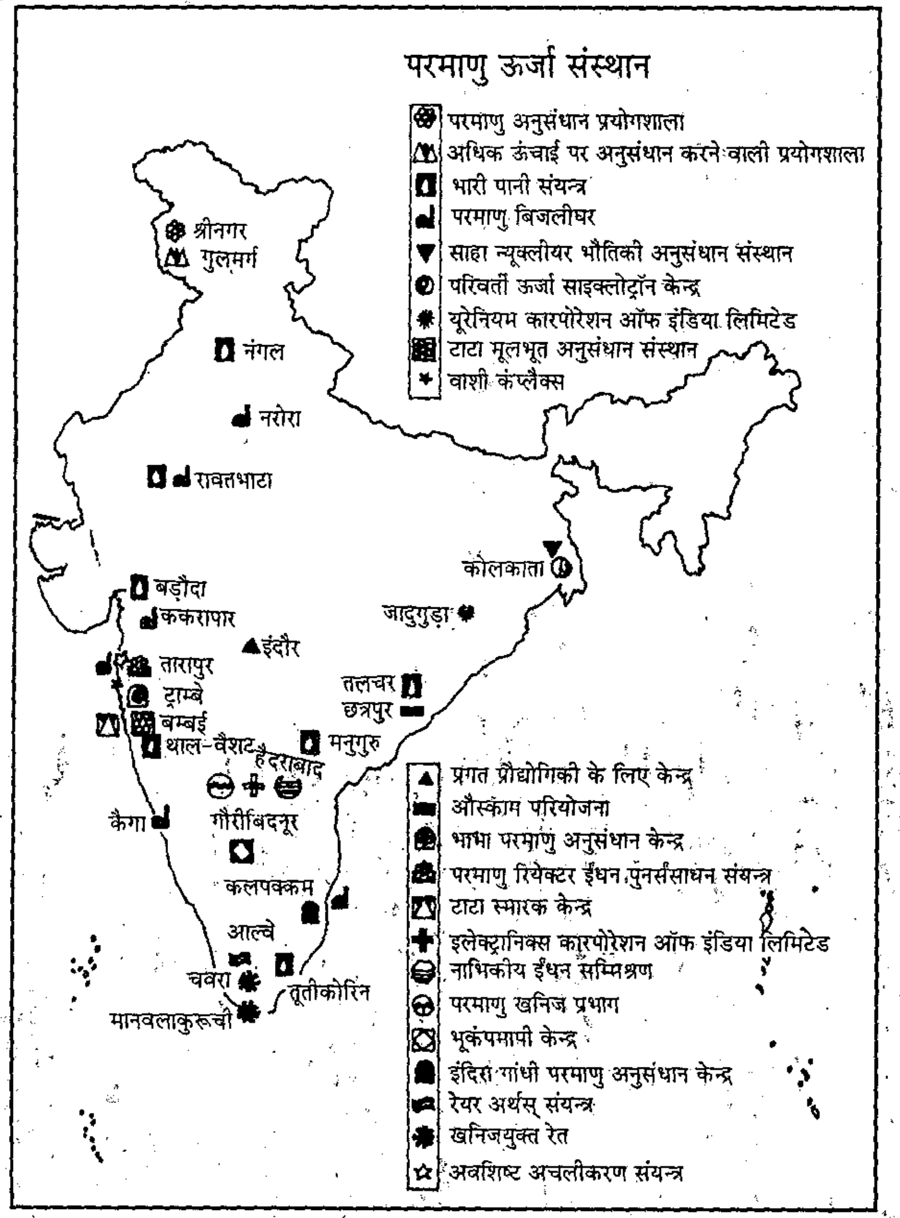

Fig. भारत

भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन

नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयन्त्रों की ज़िम्मेदारी सम्भालने वाली सार्वजनिक क्षेत्रक कम्पनी है। परमाणु ऊर्जा विभाग के स्वामित्वाधीन यह कम्पनी 2020 ई० तक भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु 20,000 मेगावाट की क्षमता के अधिष्ठापन हेतु कृतसंकल्प है। भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत कुल 14 रिएक्टर सक्रिय हैं, जिनमें से दो ब्यायलिंग वाटर रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) हैं तथा 12 दाबित भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) हैं। इनकी कुल क्षमता 2770 मेगावाट है। कुल 9 रिएक्टर इस समय निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन क्षमता 3460 मेगावाट की है।

सक्रिय नाभिकीय ऊर्जा संयन्त्र

स्थान	*रिएक्टर का प्रकार (इकाई, मेगावाट)*	*कुल क्षमता (मेगावाट)*
तारापुर (महाराष्ट्र)	BWR, 2×160	320
रावतभाटा (राजस्थान)	PHWR, 1×100, 1×200, 2×220	740
कलपक्कम (तमिलनाडु)	PHWR, 1×170, 1×220	390
नरौरा (उत्तर प्रदेश)	PHWR, 2×220	440
काकरापारा (गुजरात)	PHWR, 2×220	440
कैगा (कर्नाटक)	2, PHWR, 2×220	440

निर्माणाधीन संयन्त्र

			सक्रिय होने की अपेक्षित तिथि
तारापुर (महाराष्ट्र)	PHWR, 2×540	1080	2005-06
कैगा (कर्नाटक)	PHWR, 2×220	440	2006-07
रावतभाटा (राजस्थान)	PHWR, 2×220	440	2007
कुडनकुलम (तमिलनाडु)	VVER, 2×1000	2000	2007-08
कलपक्कम तमिलनाडु (तमिलनाडु)	PFBR, 1×500	500	—

• परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसार वर्ष 2020 तक 20,000 मेगावाट नाभिकीय विद्युत् ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें से 7,000 मेगावाट का उत्पादन लाइट वाटर रिएक्टरों (VVER) द्वारा, 2,500 मेगावाट का उत्पादन फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों द्वारा तथा शेष 10,500 मेगावाट का उत्पादन हैवी वाटर रिएक्टरों द्वारा किया जाएगा।

Nation's Nuclear Power Map

Current capacity	Capacity by 2008	Capacity by 2020
3310 MW	**6710 MW**	**20000 MW**

Presently In Function

Location	**No. of Reactors**	**Type of Reactor**	**Fuel**	**Total Capacity***
Tarapur	3	2 BWR, 1 PHWR	Enriched Uranium	860
Rajasthan	4	PHWR	Natural Uranium	740
Kalpakkam	2	PHWR	Natural Uranium	390
Norora	2	PHWR	Natural Uranium	440
Kakrapara	2	PHWR	Natural Uranium	440
Kaiga	2	PHWR	Natural Uranium	440
Total	15	2 BWR, 13 PHWR		3310

Under Construction					
Location	**No.**	**Type of Reactor**	**Fuel**	**Generation***	**Completion Date**
Tarapur	1	PHWR	Natural Uranium	540	July 2006
Kaiga	2	PHWR	Natural Uranium	2×220	Dec 2006, June 2007
Rajasthan	2	PHWR	Natural Uranium	2×220	May 2007, Nov 2007
Kudankulam	2	WER	Enriched Uranium	2×1000	2007, 2008

* in MW (Magawatts)BWR : Boiling Water Reactor PHWR : Pressurised Heavy Water Reactor

WER : Russian version of Pressurised Water Reactor

- India will be able to buy nuclear reactors and fuel of the international market, after ratification by other nuclear countries
- India has limited Uranium reserves, but has more than a fourth of the world's Thorium reserves.

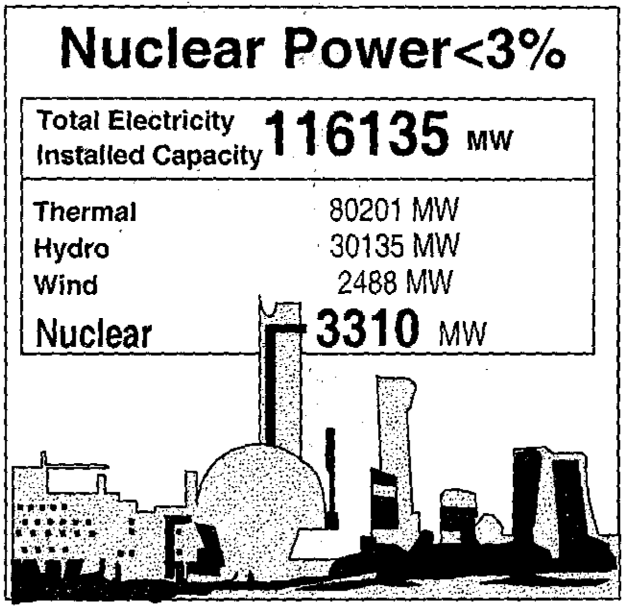

भारत में नाभिकीय कार्यक्रम का विकास
(Developed Nuclear Programme In India)

1945 : टाटा मौलिक अनुसन्धान संस्थान (टी०आई०एफ०आर०) की स्थापना।
1948 : परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948 पारित तथा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन।
1951 : साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, कोलकाता की स्थापना।
1954 : परमाणु ऊर्जा विभाग (डी०ए०ई०) की स्थापना।
1956 : ट्रॉम्बे में परमाणु अनुसन्धान भट्ठी 'अप्सरा' कार्यशील।
1957 : परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, ट्रॉम्बे की स्थापना।
1959 : नाभिकीय कोटि के यूरेनियम धातु का प्रथम धातुपिण्ड परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, ट्रॉम्बे में उत्पादन।
1960 : परमाणु अनुसन्धान भट्ठी 'साइरस' पूर्ण क्षमता से कार्यशील।
1961 : परमाणु अनुसन्धान भट्ठी 'जरलिना' का पूर्ण क्षमता से कार्य प्रारम्भ।

1962 : नंगल के भारी जल संयन्त्र द्वारा देश में पहली बार भारी जल का उत्पादन प्रारम्भ।

1964 : परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के अन्तर्गत प्लूटोनियम संयन्त्र चालू किया गया। दो '*क्वथन जल भट्टियां*' (बी० डब्ल्यू०आर०) संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदी गयीं।

1967 : परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे का नया नाम *भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र* (बार्क) रखा गया।

1969 : तारापुर का व्यावसायिक प्रचालन प्रारम्भ तथा मद्रास के निकट कलपक्कम में अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना।

1970 : प्रदीप्त थोरियम से पहली बार *यूरेनियम-233* का वियोजन सम्भव।

1971 : हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स की स्थापना।

1972 : प्लूटोनियम ईंधन वाली तीव्र भट्टी '*पूर्णिमा-I*' का ट्रॉम्बे में निर्माण।

1974 : पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण।

1981 : देश की दूरी नाभिकीय भट्टी राजस्थान में पूर्णतः कार्यशील।

1983 : *परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड* की स्थापना।

1984 : *पूर्णिमा-I* का सुधार *पूर्णिमा-II* के रूप में किया गया, जिसमें विलयन के रूप में *यूरेनियम-233* का प्रयोग किया गया।

1985 : स्वदेशी डिज़ाइन पर आधारित मद्रास परमाणु शक्ति स्टेशन व्यावसायिक रूप में चालू।

1987 : *भारतीय परमाणु विद्युत् निगम लिमिटेड* (एन.पी.सी.आई.एल.) की स्थापना।

1989 : नरौरा शक्ति परियोजना की प्रथम इकाई पूर्ण क्षमता के साथ कार्यशील।

1991 : नरौरा शक्ति परियोजना की द्वितीय इकाई पूर्ण रूप से कार्यशील।

1992 : काकरापार परमाणु विद्युत् की 235 मेगावाट क्षमता वाली प्रथम इकाई चालू।

1998 : पोखरण में 11 मई को तीन नाभिकीय विस्फोट किये गये। इनमें से दो विखण्डन विस्फोट और एक ताप नाभिकीय विस्फोट था। पुनः 13 मई को पोखरण में ही दो और विखण्डन विस्फोट किये गये।

1999 : इन्दौर के इंडस-1 एक्सीलरेटर 2 द्वारा 113 मिली, एम्पियर की इलेक्ट्रान पुंज धारा प्रवाहित बार्क द्वारा परमाणु कचरे की रेडियोधर्मिता समाप्त करने हेतु बोरोसिलिकेट पात्र का निर्माण।

2000 : रावतभाटा परमाणु विद्युत् गृह की तीसरी तथा कैगा परमाणु विद्युत् गृह की दूसरी इकाई चालू।

2001 : रावतभाटा परमाणु विद्युत् गृह की चौथी इकाई का व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ।

2002 : कुडनकुलम (तमिलनाडु) में परमाणु ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने हेतु रूसी संघ से समझौता।

2003 : एफबीटीआर कार्बाइड ईंधन के प्रसंस्करण प्रयोगशालीय 1.7 MeV टेंडेट्रन एक्सीलेटर चालू

2004 : कलपक्कम में 540 मेगावाट की क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रियेक्टर के निर्माण की 3,492 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर। अक्तूबर में प्रधानमन्त्री ने संयन्त्र की आधारशिला रखी।

6

भारत में नागरिक-सैनिक सम्बन्ध
(CIVIL-MILITARY RELATIONS IN INDIA)

सर्वप्रथम नागरिक एवं सैनिक सम्बन्ध की विवेचना करना उचित होगा, क्योंकि हर सैनिक एक नागरिक होता है किन्तु हर नागरिक सैनिक नहीं होता। सैनिक मामलों की जानकारी आम नागरिकों को नहीं दी जाती, किन्तु कई मामलों में सैनिक कार्यवाही का निर्णय असैनिक अथवा नागरिकों द्वारा किया जाता है। अत: इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना उचित होगा, कि असैनिकों को भी सैनिक मामलों की जानकारी आवश्यक है, तब निर्धारित योजना को अच्छी प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति को निर्धारित करने में वहां की भौगोलिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति के साथ ही सामरिक परिस्थितियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था सही रूप से संचालित करने में वहां की जनता की विशेष भूमिका रहती है। केवल रक्षा सेनाएं ही सर्वेसर्वा नहीं होती हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने युद्ध के स्वरूप को सर्व-व्यापक बना दिया है जिसका प्रभाव आम नागरिक पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अत: जागरूक जनता रक्षा मामलों में जानकारी प्राप्त करके रक्षा योजना और विकास को अधिक सफल बनाने में सैनिकों को सक्रिय सहयोग दे सकती है। आधुनिक युद्धों में केवल सेनाएं ही विजय तथा पराजय को निर्धारित नहीं करती हैं, बल्कि सम्बन्धित राष्ट्र के नागरिकों द्वारा भी इसका महत्त्वपूर्ण निर्णय किया जाता है।

स्वतन्त्रता से पहले नागरिक एवं सैनिक सम्बन्धों में बहुत दूरी थी, किन्तु इसके पश्चात् तकनीकी प्रगति के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए नागरिकों की भागेदारी निर्णायक होने लगी है। नागरिक तथा सैनिक सम्बन्ध इस प्रकार से स्थापित किये जाएं, जिससे समाज के हित के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को भी सशक्त बनाने में सक्रिय सहयोग मिले। यह स्थिति वहीं पर सम्भव है, जहां पर नागरिकों तथा सैनिकों के मध्य सम्बन्धों में उचित समन्वय है। इसीलिए रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित जनरल 1978 के जनवरी मार्च तक के अंक में स्पष्ट लिखा है—

"The concept of "civilion control over the military" is well established in democratic politics base on free elections and representative government."

(असैनिकों का सैनिकों पर नियन्त्रण का विचार एक सुव्यवस्थित प्रजातन्त्र की पहचान है, जिसमें शासन के प्रतिनिधि, चुनाव के आधार पर चयनित किए जाते हैं।)

प्रजातान्त्रिक प्रणाली विशेष रूप से भारत के सन्दर्भ में असैनिक एवं सैनिक सम्बन्धों का निश्चित अनुपात में विकसित होना आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेकर सेना ही सर्वेसर्वा न बन जाए उस पर भी नियन्त्रण रखने के लिए जनता के प्रतिनिधि के रूप में तथा अधिकारियों की साझेदारी आवश्यक है। अब प्रश्न यह उठता है, कि भारत में ही जैसे रक्षा सचिव एवं रक्षा मन्त्री एक नागरिक के रूप में तथा तीनों सेना अध्यक्ष एक सैनिक के रूप में एक साथ मिलकर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक दखलन्दाजी रोकने के लिए नागरिकों के रक्षा सम्बन्धी मामलों की जानकारी होना आवश्यक होता है, ताकि निर्धारित योजना को क्रियान्वित करने के लिए असैनिक एवं सैनिक बल एक साथ कार्यवाही करें और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रजातन्त्र में सैनिक संगठन का नियन्त्रण मूल रूप से जनता के प्रतिनिधि (मन्त्री) तथा अधिकारी (सचिव) द्वारा किया जाता है और सेना अध्यक्ष सलाहकार के रूप में होते हैं। अत: कुशल उच्च कमाण्ड तभी हो सकती है, जबकि उन्हें सैनिक मामलों का व्यावहारिक एवं उचित ज्ञान हो तभी सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। कुशल कमाण्ड की योजना सफलता को शत-प्रतिशत सुनिश्चित कर देती है। इस सन्दर्भ में फील्ड मार्शल **माण्टगोमरी** का निम्न कथन उल्लेखनीय है—

"Whatever is done must begin at the top. If the organization there, is right, progress will

be possible. If the organization on the top is faulty, there will be no progress."

(जो भी किया जाए उसकी शुरुआत उच्च स्तर से की जाए। यदि संगठन सही है, तो सफलता सुनिश्चित होगी। यदि उच्च स्तरीय संगठन ही दोषपूर्ण है तो सफलता नहीं मिलेगी।)

किसी राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था को सही रूप में चलाने के लिए जहां शासक वर्ग की प्रशासनिक कुशलता तथा वहां की रक्षा सेनाओं की दक्षता दोनों का सही समन्वय होता है। सैनिक एवं नागरिक सम्बन्धों का उल्लेख वर्तमान समय में और भी आवश्यक है। असैनिक राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति के रूप में प्रजातान्त्रिक प्रणाली में कार्य करता है और प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डलीय समिति द्वारा जो अनुशंसा की जाती है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए किसी हद तक बाध्य होता है। अत: किसी निर्णय को लेने से पूर्व यदि असैनिक को सैनिक कार्य प्रणाली एवं व्यवस्था की सही जानकारी है, तो निर्धारित योजना को सफल बनाने में सक्रियता अधिक आ जाती है।

असैनिक एवं सैनिक सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जब सशस्त्र सेनाएं सिविल (नागरिक) अधिकारियों को सहयोग देते हैं, तो भी उन पर नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है। क्योंकि असैनिक अधिकारी या नागरिक की अनुशासनहीनता तो बर्दाश्त की जाती है, किन्तु जब यह अनुशासनहीनता सैनिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो भयंकर रूप ले लेती है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था एवं शासन तन्त्र को खतरा उत्पन्न हो जाता है। पाकिस्तान में अधिकांश समय तक सैनिक सत्ता होने का यही एक प्रमुख कारण है, कि उनका राजनीतिक सैनिक हस्तक्षेप आरम्भ हो चुका और वहां के प्रशासन में सेना की अहम् भूमिका रहती है और वहां के सैनिक अधिकारियों को शासन का स्वाद लग चुका है। सशक्त सेवाएं देश की रक्षा करने के अलावा आवश्यकता पड़ने पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आवश्यक सेनाएं जैसे विद्युत्, जलपूर्ति, संचार तथा आयात-निर्यात आदि कार्यों में नागरिक अधिकारियों को सहायता देती हैं। हमारी भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था की नीति के अनुसार सशस्त्र सेनाओं की सहायता केवल तभी ली जाती है जब मदद के लिए कोई अन्य उपाय न हो।

नागरिक एवं सैनिक सम्बन्धों का भारत के सन्दर्भ में विवेचन यह है कि हमारी सुरक्षा चुनौतियां दिन-प्रतिदिन चिन्ता का विषय बनती जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण पड़ोसी राष्ट्रों की लगातार बढ़ती युद्ध क्षमता है, जिसके साथ ही भारत की आन्तरिक समस्याएं जैसे—आतंकवाद, अलगाववाद, सम्प्रदायवाद, प्रान्तीयतावाद, जातिवाद, धर्मवाद एवं कट्टरतावाद आदि विध्वंसक शक्तियों के रूप में पनप रही हैं, जिससे हमारी सैन्य शक्ति के ऊपर दोहरा दबाव पड़ा है। अत: ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है कि भारतीय रक्षा क्षमता का समग्र आंकलन किया जाए और इससे सम्बन्धित चिंत में आम आदमी की भागेदारी है तथा यह सही रूप में तभी सम्भव हो सकता है जबकि असैनिक-सैनिक सम्बन्धों क स्पष्ट जानकारी हो।

भारत की एक लोकतान्त्रिक प्रणाली में आज भारतीय सेना एक महत्त्वपूर्ण सैन्य दल के रूप में प्रतिष्ठित है। य दक्षिण-पूर्व एशिया की एक बड़ी शक्ति और सरकारी नीतियों को लागू करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। लेकि यह पूर्णतया गैर राजनीतिक होने के कारण सत्ता या राजनीति की पक्षधर नहीं है। अत: असैनिक जहां सैनिक का प्रशासन का नियन्त्रण अपने हाथ में रखते हैं, वहां उनको सैनिकों के संगठन, स्वरूप, कार्य एवं योजना की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। 1971 में हमारी सेनाओं द्वारा जीती जंग को 3 जून, 1972 की वार्ता के अन्तिम दौर में वार्ता की मेज पर हारते देखा गया, यह भारत की कूटनीतिक विफलता का ही एक उदाहरण है। इस प्रकार सैनिक एवं असैनिक प्रशासन में एकरूपता अवश्य होनी चाहिए।

असैनिक एवं सैनिक सम्बन्ध ही एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र को विकास की नई दिशा देते हैं, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को एक मजबूत आधार भी प्रदान करते हैं। नागरिकों की भूमिका का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव रक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। सुरक्षा के लिए जहां रक्षा सेनाएं भुजाओं का काम करती हैं, वहां उस राष्ट्र के नागरिक शरीर के अन्य अंगों की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे—नियन्त्रण, निर्देशन, आपूर्ति, उत्पादन, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक विकास आदि। असैनिक एवं सैनिक सम्बन्ध होने के लाभ हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

(1) राष्ट्रीय भावना का विकास।

(2) राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ होना।

(3) सामरिक एवं कूटनीतिक स्थिति से काम लेना सरल।
(4) आर्थिक विकास एवं रक्षा।
(5) रक्षा विकास एवं अनुसन्धान में सहयोग।
(6) वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति।
(7) राजनीतिक हस्तक्षेप की परिसीमाओं का ज्ञान।
(8) सैनिक हस्तक्षेप की परिसीमाओं का ज्ञान।
(9) सुरक्षा व्यवस्था एवं संगठन का सही संचालन।
(10) परस्पर सहयोग की भावना का विकास।
(11) सैनिक कार्यों का सही नियोजन।
(12) आपातकाल में कुशल निर्देशन एवं कार्यवाही।
(13) नागरिक प्रशासन की सफलता।

आधुनिक भारत का उच्चतर संगठन

(Higher Defence Organization of Modern India)

भारत ने अपनी लोकतान्त्रिक प्रणाली में नागरिक प्रशासन के वर्चस्व को बनाए रखते हुए सैनिक एवं असैनिक संगठन इस प्रकार से गठित किया है कि दोनों का सही सामंजस्य राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की सभी चुनौतियों का सामना कर सके और राज्य की नीति को सही ढंग से लागू किया जा सके। अब हम विभिन्न रक्षा समितियों का उल्लेख करते हैं—

विभिन्न रक्षा समितियां

(Various Defence Committees)

भारतीय स्वतन्त्रता के साथ ही राष्ट्रीय रक्षा एवं विकास का कार्य तत्कालीन सरकार की प्रथम ज़िम्मेदारी थी। अत: इस उत्तरदायित्व को सही रूप से निभाने के लिए अनेक ठोस एवं महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए ताकि जनतन्त्रीय व्यवस्था के साथ ही सैनिक एवं असैनिक सम्बन्धों को बनाए रखते हुए एक सन्तुलित कार्य प्रणाली आरम्भ हो सके। राष्ट्रीय रक्षा एवं विकास कार्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसीलिए रक्षा नीति निर्धारण की ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। भारतीय संविधान की धारा 53 के अनुसार राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है तथा संसद् द्वारा राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं को नियन्त्रित एवं निर्देशित करने का अधिकार है। यह व्यवस्था प्रजातान्त्रिक प्रणाली एवं राष्ट्रीय एकता के अनुकूल है। क्योंकि इससे सैनिक एवं असैनिक तत्त्वों का उचित समन्वय हो जाता है। राज्य की नीति को लागू करने का साधन युद्ध है और आधुनिक युद्ध सम्पूर्ण युद्ध है जिसमें सैनिक एवं असैनिक सभी तत्त्व आते हैं। अत: राज्य की नीति निर्धारण एवं नियन्त्रण के लिए वर्तमान समय में समितियों का गठन अनिवार्य है जिसको दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने समितियों का गठन किया है। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में रक्षा नीति के निर्धारण के लिए रक्षा मन्त्रालय का अलग उत्तरदायित्व है। रक्षा राष्ट्र का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य एवं ज़िम्मेदारी है। इसलिए रक्षा नीति का निर्धारण करने के निमित निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है—

1. सर्वोच्च सेनापति या राष्ट्रपति—भारत में समस्त सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अत: सेनाओं से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है परन्तु वह मन्त्रिमण्डल एवं रक्षा विभाग की अनुशंसाओं पर ही आदेश देता है।

2. मन्त्रिमंडल—रक्षा एवं राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय मन्त्रिमण्डल ही वास्तव में लेता है। इसलिए समस्त रक्षा नीतियां रक्षा समिति की अनुशंसाओं पर इसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कैबिनेट स्तर के सभी मन्त्री इसके सदस्य होते हैं तथा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होता है।

भारत में उच्च स्तरीय रक्षा संगठन

(1) राष्ट्रपति (असैनिक, परन्तु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर)

↓

(2) केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल (प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में)

↓

(3) मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक अथवा रक्षा समिति

↓

(4) रक्षा मन्त्री

↓

उप-रक्षा मन्त्री | रक्षा उत्पादन मन्त्री | तीनों सेनाध्यक्षों की समिति | रक्षामन्त्री की अन्तर्सेना समिति | रक्षामन्त्री, थल, जल, वायु सेना समिति | रक्षामन्त्री उत्पादन समिति | रक्षा अनुसन्धान एवं विकास परिषद्

(5) रक्षा सचिव (रक्षा मन्त्रालय)

↓

थल सेनाध्यक्ष | जल सेनाध्यक्ष (नौ सेना) | वायु सेनाध्यक्ष

↓

थल सेना हैडक्वाटर्स (मुख्यालय) | जल सेना हैडक्वाटर्स (मुख्यालय) | वायु सेना हैडक्वाटर्स (मुख्यालय)

3. मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति—राष्ट्र की रक्षा नीति को अन्तिम रूप देकर मन्त्रिमण्डल के पास अनुशंसा के लि भेजने का काम इस समिति का होता है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया है—

अध्यक्ष—प्रधानमन्त्री।

सदस्य—रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री, विदेश मन्त्री, वित्त मन्त्री, रक्षा उत्पादन मन्त्री (आवश्यकता पर) एवं परिवहन ए यातायात मन्त्री।

उपस्थिति—रक्षा उपमन्त्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालय का सचिव, वैज्ञानिक सलाहकार (रक्षा) एवं वित्त सलाहकार (रक्षा)।

4. रक्षा मन्त्री की अन्तर्सेना समिति—दो या तीन सेनाओं से सम्बन्धित सभी विषयों पर विचार-विमर्श के लिए इस समिति का गठन किया गया है जोकि उन बातों एवं निर्णयों को जिन्हें स्वयं निश्चित नहीं कर सकती उन्हें मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करती है। इसका गठन निम्न प्रकार से है—

अध्यक्ष—रक्षा मन्त्री।

सदस्य—रक्षा उपमन्त्री, रक्षा उत्पादन मन्त्री, रक्षा मन्त्रालय का सचिव, तीनों सेनाओं के सेनापति, वैज्ञानिक सलाहकार (रक्षा) एवं रक्षा वित्त सलाहकार।

5. रक्षा शोध एवं विकास परिषद्—इस परिषद् का कार्य रक्षा से सम्बन्धित वैज्ञानिक विभाग की नीति का निर्धारण करना है। इसका संगठन निम्न प्रकार से है—

अध्यक्ष—रक्षा मन्त्री।

सदस्य—रक्षा उपमन्त्री, रक्षा उत्पादन मन्त्री, तीनों सेनाओं के सेनापति, रक्षा मन्त्रालय का सचिव, रक्षा वित्त सलाहकार, रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विभाग का डायरैक्टर जनरल तथा सशस्त्र सेना की चिकित्सा सेवाओं के डायरैक्टर जनरल।

6. रक्षा मन्त्री की स्थल सेना समिति—इस समिति का कार्य स्थल सेना से सम्बन्धित समस्त प्रशासन, नियन्त्रण एवं निर्देशन आदि विषयों पर निर्णय लेना होता है। इस समिति का संगठन निम्न प्रकार है—

अध्यक्ष—रक्षा मन्त्री।

सदस्य—रक्षा उपमन्त्री, रक्षा उत्पादन मन्त्री (आवश्यकता पर), रक्षा मन्त्रालय का सचिव, स्थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालय का वित्त सलाहकार।

7. रक्षा मन्त्री की नभ सेना समिति—इस समिति का कार्य नभ सेना से सम्बन्धित समस्त प्रशासन, नियन्त्रण एवं निर्देशन आदि विषयों पर निर्णय लेना होता है। इस समिति का संगठन रक्षा मन्त्री की स्थल सेना समिति की भान्ति होता है परन्तु स्थल सेनाध्यक्ष की जगह इसका सदस्य नभ सेनाध्यक्ष होता है

8. रक्षा मन्त्री की नौ सेना समिति—इस समिति का कार्य नौ सेना से सम्बन्धित समस्त प्रशासन, नियन्त्रण एवं निर्देशन आदि विषयों पर निर्णय लेना होता है। इस समिति का संगठन भी रक्षा मन्त्री की स्थल सेना समिति की भान्ति होता है। केवल स्थल सेनाध्यक्ष के स्थान पर इसका सदस्य नौ सेनाध्यक्ष होता है।

9. रक्षा मन्त्री—रक्षा मन्त्री रक्षा मन्त्रालय का अध्यक्ष होता है, साथ ही संसद् सदस्य भी। अत: संसद् के प्रति रक्षा मन्त्री नीति सम्बन्धी सभी बातों के लिए उत्तरदायी होता है जिसमें प्रमुख विषय इस प्रकार हैं—

(1) रक्षा सम्बन्धी नीति।

(2) संसद् से सशस्त्र सेनाओं से सम्बन्धित प्रशासन, नियन्त्रण, निर्देशन एवं कार्यक्षमता के प्रश्नों का उत्तर देना।

(3) रक्षा कार्यों एवं सेनाओं के लिए धन व्यवस्था करना।

(4) रक्षा शोध नीति का नियन्त्रण, निर्देशन एवं संचालन।

(5) रक्षा मन्त्रालय की शासन व्यवस्था।

10. रक्षा मन्त्रालय—इस मन्त्रालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रक्षा सचिव होता है। मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति एवं रक्षा मन्त्री की समिति के निर्णयों को सम्बन्धित सेनाध्यक्ष तक पहुंचाना इस मन्त्रालय का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार के अन्तिम निर्णय को कार्य रूप में परिणत होने की समुचित सूचना के लिए तीनों सेनाओं के प्रधान कार्यालयों से निकटतम सम्बन्ध रखता है। यह रक्षा सचिव रक्षा विभाग से सम्बन्धित सभी उपविभाग के कर्मचारियों तथा उपविभाग के प्रशासन एवं नियन्त्रण के लिए रक्षा मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अधीन मुख्य विभाग निम्न हैं—

(1) सशस्त्र सेना सूचना कार्यालय।

(2) प्रादेशिक सेना विभाग।

(3) ऐतिहासिक विभाग।

(4) पेन्शन विभाग।

(5) विदेशी भाषा विभाग।

(6) सोल्जर्स, सेलर्स तथा एयर मैस बोर्ड।

(7) नेशनल कैडेट कोर (एन० सी० सी०)।

(8) राष्ट्रीय अकादमी सचिवालय।

11. प्रधान सेनापतियों की समिति—इस समिति में तीनों सेनाओं के सेनापति वरिष्टतम सेनापति की अध्यक्षता में सेनाओं से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करके उन्हें रक्षा मन्त्री की समिति को प्रेषित किया जाता है। मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति तथा रक्षा मन्त्री की समिति के निर्णयों को सभी सेनाओं में लागू करने के लिए व्यावहारिक विधि निश्चित करने का कार्य भी इस समिति का सशस्त्र सेनाओं के सेनापति अपनी-अपनी सेनाओं को कुशल एवं अनुशासित रखने के साथ-साथ समस्त आवश्यकताओं की व्यवस्था के लिए अपनी सेना के विशिष्ट सैन्य अधिकारियों से अपेक्षित विचार-विमर्श करते हैं।

भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है इसलिए संसदीय प्रजातान्त्रिक ढांचे में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा के आधार पर ही राष्ट्रपति को कार्य करना चाहिए, परन्तु रक्षा में राष्ट्रीय नीति तथा योजना के निर्धारण में सर्वोच्च सेनापति (राष्ट्रपति) की महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। रक्षा मन्त्री की समिति में तीनों सेनाध्यक्ष सदस्य के रूप में होने के नाते अपना मताधिकार प्रयोग करते हैं, परन्तु मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति में उन्हें सदस्य रूप में नहीं रखा गया। केवल उपस्थिति के फलस्वरूप उन्हें अपने विचार को मनवाने का इस समिति में अधिकार नहीं है जिसमें निर्णय को सक्षम ढंग से प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती है। मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सैन्य विशेषज्ञों की उपस्थिति भी होनी चाहिए। इस प्रकार से सैनिक एवं असैनिक तत्त्वों का उचित समन्वय करके राष्ट्रीय रक्षा एवं विकास को सही दिशा प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति के अधिकार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा समिति का गठन अग्र तरह से राष्ट्र हितकारी होगा—

अध्यक्ष—राष्ट्रपति।

सदस्य—प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, रक्षा उत्पादन मन्त्री, विदेश मन्त्री, वित्त मन्त्री, तीनों सेनाध्यक्ष।

उपसमिति—रक्षा सचिव, रक्षा वित्त सलाहकार, रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार, तीनों सेनाओं के अवकाश प्राप्त अन्तिम सेनाध्यक्ष।

रक्षा मन्त्रालय
(Ministry of Defence)

सुरक्षा मन्त्रालय भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों की तरह एक स्टैण्डिंग कमेटी आफ लेजिसलेचर (Standing Committee of Legislature) रखता है, जोकि सुरक्षा से सम्बन्धित सभी नीति एवं निर्णय सरकार से प्राप्त करके सम्बन्धित सेवा मुख्यालयों (Service H. Qs,) को पहुंचाता है ताकि सम्बन्धित नीति को कार्यवाहक अंगों द्वारा पूरी तरह से अपनाया जा सके। इस मन्त्रालय का सेवा मुख्यालयों से सदैव सम्पर्क स्थापित रहता है। इसके चार्टर का उद्देश्य अपने निर्णय को तीनों सेनाओं (जल, थल एवं नभ सेना) के चीफ तक पहुंचाना है। तीनों सेनाओं में समन्वय एवं सहयोग के लिए भी यह मन्त्रालय उत्तरदायी होता है। इस मन्त्रालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रक्षा सचिव होता है। मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति तथा रक्षा मन्त्री की समिति के निर्णयों से सम्बन्धित सेनाध्यक्ष तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व इसी मन्त्रालय का है। यह मन्त्रालय यह भी देखता है कि सरकार की नीति एवं निर्णय को लागू किया जा रहा है अथवा नहीं।

रक्षा मन्त्रालय के कर्त्तव्य

रक्षा मन्त्री रक्षा मन्त्रालय का अध्यक्ष होता है। रक्षा मन्त्री संसद् का सदस्य भी चुना जाता है। इसीलिए रक्षा मन्त्रालय नीति सम्बन्धी सभी बातों के लिए संसद् के प्रति उत्तरदायी होता है। रक्षा मन्त्रालय के निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं—

(1) सशस्त्र सेनाओं के नियन्त्रण, निर्देशन, प्रशासन एवं कार्यक्षमता से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का संसद् में उत्तर देना।

(2) जल, थल एवं वायु सेना से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी है।

(3) रक्षा व्यवस्था एवं सशस्त्र सेनाओं के लिए समुचित धन व्यवस्था करना। रक्षा के अनुसार विभिन्न विभागों को वितरित करना भी इसका कार्य है।

(4) रक्षा शोध नीति का नियन्त्रण, निर्देशन एवं संचालन व्यवस्था करना।

(5) रक्षा मन्त्रालय की प्रशासनिक व्यवस्था श्रेष्ठ बनाये रखना।

(6) सुरक्षा से सम्बन्धित असैनिक एवं सैनिक विभागों में सम्बन्ध बनाए रखना।

रक्षा मन्त्रालय के विभाग

रक्षा मन्त्रालय का प्रमुख कार्य करने वाला अधिकारी रक्षा सचिव होता है। इस मन्त्रालय की नियन्त्रण, प्रशासन एवं कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए तीनों सेनाओं के प्रधान कार्यालयों एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से निकटतम सम्बन्ध रखता है। रक्षा सचिव इस विभाग के अन्तर्गत सभी उपविभागीय कर्मचारियों तथा उपविभाग के शासन प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के लिए रक्षा मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है। इस मन्त्रालय के अधीन निम्नलिखित मुख्य विभाग होते हैं—

1. **सशस्त्र सूचना कार्यालय**—यह विभाग सशस्त्र सेनाओं से सम्बन्धित समस्त प्रकाशन, विज्ञापन, प्रचार एवं प्रसारण के प्रति उत्तरदायी होता है।

2. **ऐतिहासिक विभाग**—यह विभाग भारतीय सैन्य इतिहास से सम्बन्धित तथ्यों का लेखा-जोखा रखता है। यह विभाग सम्बन्धित सैन्य इतिहास के आरम्भ से वर्तमान समय तक का ऐतिहासिक विवरण रखता है।

3. **पेन्शन विभाग**—यह विभाग तीनों सेना के सैनिकों की पेन्शन के लिए उत्तरदायी है। उनकी पेन्शन की देख-रेख करना तथा पेन्शन से सम्बन्धित शिकायतों का निरीक्षण एवं व्यवस्था भी करना मुख्य कार्य है।

4. **प्रादेशिक सेना विभाग**—यह विभाग प्रादेशिक सेना (T.A.) से सम्बन्धित नियन्त्रण, निर्देशन, प्रशासन एवं कार्यक्षमता को बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी होता है।

5. **विदेशी भाषा विभाग**—यह विभाग सैनिकों को विदेशी शिक्षा में निपुण एवं दक्ष बनाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। इस विभाग में एक डायरेक्टर होता है जोकि इसका सम्बन्ध एवं निर्देशन करता है।

6. **सोल्जर्स, सेलर तथा एयर मैस बोर्ड**—इन सभी विभागों में बोर्ड का संगठन होता है और बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विभाग का प्रबन्ध बनाए रखने की ज़िम्मेदारी रहती है।

7. **नेशनल कैडेट कोर (N.C.C.)**—यह विभाग एन० सी० सी० से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे—नियन्त्रण, निर्देशन, प्रबन्ध एवं कार्य कुशलता आदि बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।

8. **नेशनल अकादमी सेक्रेटेरियट**—यह विभाग राष्ट्रीय अकादमी (National Academy) का प्रबन्ध बनाए रखने एवं उसके निर्देशन के लिए उत्तरदायी होता है।

रक्षा मन्त्री के समिति सैनिक शक्तियों से सम्बन्धित समस्त नीतियों एवं नियमों के प्रश्नों पर विचार के लिए रक्षा मन्त्रालय के अधीन ही रहती है। जिन समस्याओं का समाधान रक्षा मन्त्री की समिति नहीं कर पाती उसे मन्त्रिमण्डल की सुरक्षा समिति के पास भेज दिया जाता है। इस समिति (रक्षा मन्त्री की समिति) का संगठन निम्न प्रकार है—

अध्यक्ष—रक्षा मन्त्री।

सदस्य—(1) तीनों सेनाध्यक्ष।

(2) रक्षा मन्त्रालय का सचिव।

(3) रक्षा मन्त्रालय का वित्तीय सलाहकार।

प्रधान सेनापतियों की समिति जिसमें तीनों सेनाध्यक्ष वरिष्ठतम सेनाध्यक्ष की अध्यक्षता में निर्णय करते हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि रक्षा मन्त्री की समिति को प्रेषित की जाती है। यह समिति युद्ध योजना विधिवत् बनाकर सुरक्षा मन्त्रालय के सम्मुख पेश करती है। इस प्रकार से सुरक्षा मन्त्रालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि उसके लक्ष्य, कार्य एवं विभाग इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं।

रक्षा मन्त्रालय का संगठन और उसके कार्य

(Role and organization of Defence Ministry)

(1) भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा करने का उत्तरदायित्व रक्षा मन्त्रालय पर है। इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम शामिल हैं जो युद्ध के समय उसे ठीक-ठीक चलाने तथा युद्धोपरान्त सेना को कम करने के लिए आवश्यक हैं। अतः संघ की सशस्त्र सेनाओं अर्थात् स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना और इन सेनाओं के रिजर्वो का प्रशासन इसका मुख्य काम है। दूसरे संगठनों जैसे कि प्रादेशिक सेना, तट रक्षक, सहायक वायु सेना, राष्ट्रीय कैडेट कोर से सम्बन्धित मामलों की देख-रेख भी यही मन्त्रालय करता है।

(2) सशस्त्र सेना से सम्बन्धित मामलों के प्रशासन में रक्षा कार्यों तथा विभिन्न सेवाओं और आर्डनेन्स कारखानों से सम्बन्धित निर्माण-कार्यों के लिए भूमि तथा सम्पत्ति प्राप्त करना और उसका प्रबन्ध करना भी शामिल है। छावनियां स्थापित करने और स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था करने का काम भी इस मन्त्रालय के कार्यों के अन्तर्गत है।

(3) यद्यपि रक्षा सेवाओं की तीनों शाखाएं—स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना—मन्त्रालय के सामान्य नियन्त्रण में है। साधारणतया अपने सम्बन्धित चीफ आफ स्टाफ के अन्तर्गत कार्य करते हैं, जिनकी सहायता प्रिंसीपल स्टाफ अफसर करते हैं। परन्तु मन्त्रालय के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है, कि तीनों सेवाओं के विकास तथा उनकी गतिविधियों में समन्वय तथा दूसरे मन्त्रालयों के साथ उनका सम्पर्क बना रहे। मन्त्रालय की यह ज़िम्मेदारी है, कि नीति सम्बन्धी निर्णय सरकार से कराए, उन्हें तीनों सेवाओं के मुख्यालयों को भेजे और मुख्यालयों से कार्यान्वित कराए और विशेष रूप से रक्षा सम्बन्धी खर्च के लिए आवश्यक धन प्राप्त करे तथा रक्षा सेवाओं की तीनों शाखाओं में बांट दें। रक्षा मन्त्रालय में एक योजना प्रभाग है, जो तीनों सेवाओं और रक्षा उत्पादन एवम् पूर्ति विभाग तथा रक्षा अनुसन्धान विभाग द्वारा सन्तुलित योजनाओं और कार्यक्रमों पर कार्रवाई करता है। योजना प्रभाग प्रति सम्पूर्ण रक्षा योजना तैयार करता है और इसका अनुमोदन हो जाने के बाद विभिन्न तरीकों से इसके क्रियान्वयन पर दृष्टि रखता है। आयोजन से विभिन्न योजनाओं की अग्रताएं और निधियों के इच्छा और समायोजित आबंटन करने में भी सहायता मिलती है।

परन्तु कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका स्वरूप अन्तर्सेना के समान है। इन संगठनों के प्रशासन की सीधी ज़िम्मेदारी मन्त्रालय की है। यह सीधी ज़िम्मेदारी उन सरकारी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों पर भी लागू होती है, जो मन्त्रालय के प्रशासकीय नियन्त्रण में आते हैं।

(4) अन्य मन्त्रालयों की तरह, अधिकांश कार्य टिप्पणी और चर्चा के द्वारा, सामान्य तरीके से ही हल किया जाता है, अधिक जटिल और कई विषयों से सम्बन्धित कार्य के नतीजे कुशलता से निपटाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक समितियों की स्थापना की गई है। रक्षा मन्त्री की एक समिति है जो सेवाओं के बीच की अपनी-अपनी अधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं का निपटारा करती है। रक्षा मन्त्री समिति की दो उप समितियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—मुख्य कार्मिक अधिकारी समिति और मुख्य संभरण अधिकारी समिति। इनमें रक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय (वित्त) और सेवा मुख्यालय के प्रतिनिधि होते हैं, जिनका स्तर कम से कम संयुक्त सचिव का होता है। सेवाओं के

वरिष्ठतम प्रतिनिधि बारी-बारी से इन उप-समितियों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इन उप-समितियों की बैठकें रक्षा मन्त्री के निर्देश पर अथवा उप-समिति के किसी भी सदस्य के अनुरोध पर नियमित रूप से होती हैं। ये बैठकें अन्तर्सेवा मामलों पर विचार करने और इस सम्बन्ध में रक्षा मन्त्री समिति अथवा सरकार को आवश्यक सुझाव देने के लिए होती है। इन उप-समितियों की सिफ़ारिशों को रक्षा मन्त्री समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने से पहले सेनाध्यक्ष समितियों से विचार करने के लिए भेजा जाता है।

रक्षा मन्त्री (उत्पादन और पूर्ति) की समिति नामक एक दूसरी समिति रक्षा क्षेत्र में रक्षा भण्डारों, उपकरणों और आयात प्रतिस्थापन के लिए देसी वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करती है। यह रक्षा उत्पादन को सुदृढ़ करने की (मोबिलाइज़ेशन) योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करती है।

उपर्युक्त दो समितियों के अलावा अपंगता और पारिवारिक पेंशनों के दावे के लिए रक्षा मन्त्री की, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए अपीलीय समिति है।

(5) रक्षा अनुसन्धान तथा विकास परिषद् रक्षा से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धान के समन्वय और नीति सम्बन्धी सामान्य निर्देशन देने तथा सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक पदार्थों में उन्नति और विकास के लिए उत्तरदायी हैं।

(6) प्रत्येक सर्विस के चीफ आफ स्टाफ का अपनी सेवा पर सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं और आदेशों के अधीन पूर्णाधिकार हैं। रक्षा की आधुनिक संकल्पना के अनुसार, विशेष रूप से तेज़ी से हो रहे औद्योगिक विकास के कारण यह स्पष्ट है कि देश की रक्षा के लिए तीनों सेवाएं मिल-जुलकर काम करें। अत: तीनों चीफ आफ स्टाफ की एक समिति बनाई जाती है जिसकी अध्यक्षता वह सदस्य करता है जो अधिक-से-अधिक समय तक इस समिति का सदस्य रहा हो। इस समिति का काम रक्षा के सभी मुख्य विषयों, विशेष रूप से उन विषयों पर विचार करना है जिनका सम्बन्ध एक से अधिक सेवा से होता है। इस प्रकार चीफ ऑफ स्टाफ की समिति का काम सामान्य रक्षा नीति सैन्य बल बढ़ाने से सम्बन्धित मामलों तथा उन सभी प्रश्नों की सलाह देना है जो सरकार इस समिति को भेजती है।

(7) रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग के उत्पादन खण्ड की देश के आयुध कारखानों की शृंखला पर नियन्त्रण हैं, शस्त्र, गोला-बारूद, लड़ाकू और परिवहन वाहन, कपड़े की मदें और सामान्य सामग्री आदि का उत्पादन करते हैं। आयुध कारखाना बोर्ड में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। इस बोर्ड के नियन्त्रण में सभी आयुध कारखाने हैं। अतिरिक्त आयुध उपकरण कारखानों के समूह पर आयुध कारखाना बोर्ड के समग्र नियन्त्रण में आयुध कारखाना महा-निदेशक के ओहदे के अधिकारी द्वारा वख्तरबन्द वाहन कारखाने पर इसी पद के एक अन्य अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाती है। इस बोर्ड पर उत्पादन कार्यक्रम के आयोजन, नीति निर्धारण, संचालन तथा कार्यान्वयन की सम्पूर्ण ज़िम्मेवारी है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के 8 प्रतिष्ठान हैं, इनमें से 7 में उत्पादन हो रहा है तथा हवाई जहाज़ों, नौ सैनिक जहाज़ों तथा इलेक्ट्रानिक्स और इंजीनियरिंग उपकरणों का उत्पादन किया जा रहा है और उनकी मरम्मत की जा रही है। 8वें संस्थान अर्थात् मिश्र धातु निगम लिमिटेड (सुपर अलाय प्रोजेक्ट ने भी वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन आरम्भ कर दिया है।)

रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति खण्ड का काम कई तकनीकी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इस विभाग का सम्बन्ध ऐसी मदों का विकास और उत्पादन से है जो अब तक आयात की जाती है अथवा जिनका उपयोग पहली बार आरम्भ किया जा रहा है। यह विभाग आयुध कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरणों और पार्ट्स-पुर्जों (सब एसेम्बली) की भी खरीद करता है। ऐसी मदों का उत्पादन रक्षा क्षेत्र के बाहर गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के एककों में किया जाता है।

(8) आयोजन और समन्वय निदेशालय को, तीनों अंगों के लिए रक्षा सम्बन्धी उत्पादनों विषयक सर्वांगीण (पर्स्पेक्टिव) योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में सहायता करने का काम सौंपा गया है। उसे ऐसे क्षेत्रों का भी पता लगाना है जहां अधिशेष क्षमता है, ताकि उसका उपयोग असैनिक क्षेत्र से किया जा सके। इसके अलावा जिन सभी रक्षा फैक्ट्रियों के कम जटिल (सोफिस्टीकेटिड) कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपे जा सकते हैं, उनमें सहायक कारखाना (एस्टेट) की स्थापना में उसे सहायता करनी है।

इस विभाग के अन्तर्गत रक्षा प्रदर्शनी संगठन भारत और विदेशों में रक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेने से सम्बन्धित मामलों को देखता है। नवम्बर, 1982 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक स्थायी रक्षा प्रदर्शनी स्थापित की गई है। रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत मानकीकरण निदेशालय सभी रक्षा उपकरणों के मानकीकरण के लिए उत्तरदायी है।

सभी रक्षा भण्डारों और उपस्करों, असैनिक व्यापार में देशी साधनों का विकास और भण्डारों के निरीक्षण और सेना और नौ सेना (नौ सैनिक हथियारों के अतिरिक्त) के लिए गुण निश्चय संगठन है, जोकि महानिदेशालय निरीक्षण के नाम से जाना जाता है। तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (वायु सेना), रक्षा हवाई जहाज़, सहायक सामग्री आदि के निरीक्षण और आयातित किए जाने वाले वैमानिकीय सामान और सतही सहायता उपकरणों की कुछ श्रेणियों की पूर्ति के देशी स्रोतों के विकास और स्थापना के लिए ज़िम्मेवार है।

(9) रक्षा अनुसन्धान तथा विकास विभाग सैनिक संचालन संभार-तन्त्र (लोजिस्टक्स), शस्त्र प्रणाली और उपकरणों के सभी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं के बारे में रक्षा मन्त्री और रक्षा मन्त्रालय के सभी संगठनों को सलाह देता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग शस्त्र प्रणालियों, उपस्कर, सामग्री और भण्डारों के अनुसन्धान, डिज़ाइन और विकास का काम भी करता है। यह विभाग सभी रक्षा अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों की प्रयोजना और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी प्रमुख अधिकरण है। यह कार्य पूरे देश में एक जाल के रूप में फैली ऐसी सुस्थापित रक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है, जिनके पास रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। इनके कार्य में शस्त्रों, विस्फोटकों, इलेक्ट्रोनिक्स, गाइडिड मिसाइलों, गाड़ियों, एरोनाटिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और नौ-सैनिक शस्त्र प्रणाली के क्षेत्रों और सशस्त्र सेनाओं के लिए भोजन, वस्त्र और चिकित्सा सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के मामले शामिल हैं। यह विभाग देश के विश्व-विद्यालयों और उच्च प्रौद्योगिकी संस्थानों में भी रक्षा अनुसन्धान कार्य को प्रभावित करता है, और रक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और कार्य अध्ययन के क्षेत्र में इसके अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं। यद्यपि अधिकतर रक्षा अनुसन्धान परियोजनाएं अन्तर्विभागीय हैं तो यह विभाग प्रमुख समाकलित अन्तर्विभागीय रक्षा अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनेक बड़े और छोटे उद्योगों का सहयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। रक्षा प्रयोगशालाओं का कार्य नई दिल्ली स्थित रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन मुख्यालय द्वारा देखा जाता है और सम्पूर्ण रूप से कार्यक्रम रक्षा अनुसन्धान और विकास के निदेशानुसार समन्वित किया जाता है।[1]

राष्ट्रपति के अधिकार
(Powers of the President)

भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अधीन कार्यपालिका शक्ति होगी तथा राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग संवैधानिक आधार पर ही अपने या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। इस तरह राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका में एक अहम् भूमिका निभाता है। हमारे संविधान की धारा 53 (2) के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं को नियन्त्रित एवं निर्देशित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसी कारण तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति के पद से भी राष्ट्रपति को सम्बोधित किया जाता है।

हमारे रक्षा मन्त्रालय एवं मन्त्रिमण्डल की अनुशंसा के आधार पर ही अन्तिम हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मन्त्रिमण्डल के निर्णय को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है परन्तु राष्ट्रपति भी मन्त्रिमण्डल के द्वारा लिए गए निर्णय पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अधिकारों को नियन्त्रित भी किया गया है। यही कारण है कि संविधान की धारा 74 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के कार्यों के सम्पादन में परामर्श देने के लिए प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिमण्डल अवश्य गठित किया जाएगा। इस प्रकार जहां राष्ट्रपति के अधिकारों पर अंकुश लगा है वहां उनके हस्ताक्षर के बिना न तो सेनाओं का प्रयोग किया जा सकता है और न ही युद्ध की घोषणा की जा सकती है।

भारतीय संविधान के भाग 18 के अधीन भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग आपात्काल में निम्न स्थितियों के अन्तर्गत कर सकता है—

(1) राष्ट्र पर आन्तरिक तथा बाह्य खतरे की स्थिति पर तथा आकस्मिक युद्ध की स्थिति पर अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है।

(2) राष्ट्र पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाने की स्थिति पर।

(3) जब भी किसी प्रान्त अथवा राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया हो।

(4) किसी भी राज्य में वहां के राज्यपाल के अनुरोध पर आपात्काल की घोषणा कर सकता है तथा निश्चित अवधि तक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लागू कर सकता है।

(5) जिस समय देश आर्थिक संकट से ग्रसित हो तो राष्ट्रपति आर्थिक आपात्काल की घोषणा कर सकता है।

उपर्युक्त अधिकारों से स्पष्ट होता है कि भारत के राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त हैं परन्तु वह इन अधिकारों का प्रयोग केवल सीमित समय एवं स्थिति के आधार पर ही मन्त्रिमण्डल की अनुशंसा के अन्तर्गत ही कर सकता है। राष्ट्रपति के अधिकारों को कठपुतली से भी तुलना की गई है परन्तु यह बात सर्वथा सत्य प्रमाणित नहीं होती है। 'राष्ट्रपति के अधिकार एवं भूमिका' (Powers and Functions of the President) नामक पुस्तक में के० एम० मुन्शी ने लिखा है कि—

1. रक्षा मन्त्रालय के रक्षा सेवाओं के अनुमान (1989-90) से साभार।

"भारतीय राष्ट्रपति की एक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक निश्चित एवं सकारात्मक भूमिका प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के कुछ अधिकार उच्च मन्त्रिमण्डलीय हैं और इनके सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल किसी प्रकार का कोई परामर्श नहीं दे सकता है।"

इस प्रकार राष्ट्रपति के अधिकारों के सन्दर्भ में हम संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि यद्यपि राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश अवश्य लगाया गया है परन्तु उसके अधिकारों को कभी नकारा नहीं जा सकता।

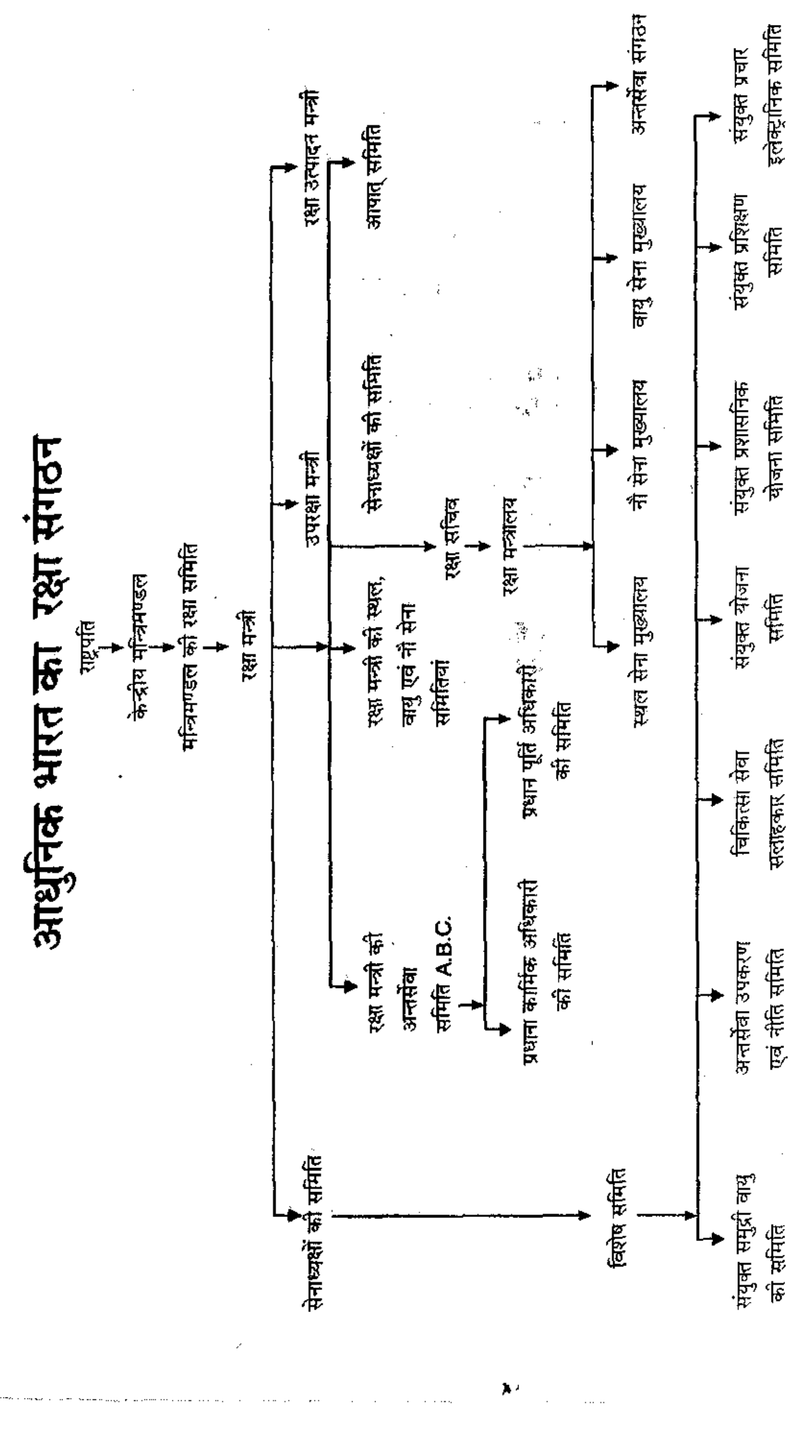

भारतीय राष्ट्रीय रक्षा परिषद्
(Indian National Defence Council)

अध्यक्ष—प्रधानमन्त्री
सदस्य—रक्षा मन्त्री
प्रमुख केन्द्रीय मन्त्री
प्रसिद्ध वैज्ञानिक
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री
प्रसिद्ध अवकाश प्राप्त सेनाध्यक्ष
रक्षा सचिव
उपस्थिति—केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के प्रमुख सभी सदस्य
प्रमुख मुख्यमन्त्री
स्थल सेना अध्यक्ष
वायु सेना अध्यक्ष
नौ सेना अध्यक्ष
रक्षा मन्त्रालय के प्रतिनिधि
अन्य मन्त्रालयों के प्रतिनिधि

इस प्रसिद्ध संगठन की स्थापना 1962 में की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं पर केन्द्रीय सरकार को सुझाव देना ताकि आपात्काल में अपनी स्थिति को अत्यन्त सुदृढ़ बनाए रखा जा सके और लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

उपर्युक्त आधुनिक भारत का उच्चतर रक्षा संगठन इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाता है कि स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में सैनिक एवं असैनिक सम्बन्धों का समुचित समन्वय एक राष्ट्र के विकास एवं रक्षा के साथ ही उसकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। लोकतन्त्र के सन्दर्भ में पण्डित जवाहर लाल नेहरू का यह विचार उल्लेखनीय है—

"लोकतन्त्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं और साध्य अथवा लक्ष्य है, अच्छी साफ-सुथरी पारदर्शक सरकार तथा जन-जीवन का सर्वांगीण विकास।"

असैनिक एवं सैनिक सम्बन्धों के सन्दर्भ में भारत में जो उच्चतर रक्षा संगठन है उसके सन्दर्भ में एक सेना अधिकारी ने सुझाव दिया है, कि देश में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (National Security Council) नहीं है, लेकिन इसका बनना आवश्यक है। सारे फैसले राजनीतिक मामलों को वह कैबिनेट समिति करती है, जिन्हें इन फैसलों की समझ ही नहीं होती। साथ ही सेना के तीनों अंगों (जल, थल एवं वायु) को एकजुट करने के लिए 'कंबाइड चीफ ऑफ स्टाफ' (Combind Chief of Staff) का एक ढांचा होना चाहिए जैसे कि दूसरे देशों में है।

भारत में असैनिक एवं सैनिक को विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही रक्षा संगठन तैयार किया गया ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति चौकसी के साथ राष्ट्रीय भावना एवं एकता का विकास किया जा सके।

7
नागरिक रक्षा
(CIVIL DEFENCE)

आधुनिक समय का युद्ध वास्तव में समस्त राष्ट्र की शक्ति की परीक्षा का रूप है, क्योंकि इसमें केवल सैनिक ही भाग नहीं लेते, बल्कि देश के नागरिक भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समस्त नागरिक युद्ध क्रिया में अपना सक्रिय सहयोग देकर राष्ट्र-शक्ति को मजबूत करते हैं। यही कारण है, कि आधुनिक युद्धों को पूर्ण युद्ध (Total War) कहा जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्र की समस्त शक्ति जैसे—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, औद्योगिक, तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक आदि तत्त्व युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जिसका सीधा सम्बन्ध राष्ट्र के नागरिकों से ही होता है। यही कारण है, राष्ट्र के नागरिक उतने ही उत्तरदायित्व निभाता, जितने की उस राष्ट्र के सैनिक। युद्ध के प्रभाव से अब सभी क्षेत्र उसकी परिधि में आ जाते हैं। पूर्ण युद्ध में शत्रु के हर साधन को नष्ट करना आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हर वर्ग तथा साधन इसके साथ सीधा जुड़ा होता है।

सम्पूर्ण युद्ध के स्वरूप में नागरिकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राष्ट्र के उत्पादन एवं सुरक्षा में सक्रिय सहयोग रहता है। इस सन्दर्भ में **मार्क्स** और **एन्जिल्स** के विचार उल्लेखनीय हैं। "**युद्ध में नागरिक शक्ति एवं साधनों का अत्यन्त महत्त्व होता है। इसे कभी भी पूर्ण युद्ध में नकारा नहीं जा सकता।**"[1]

अब युद्धों में शत्रु का उद्देश्य केवल सैनिक सफलता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि विपक्षी नागरिकों को मनोवैज्ञानिक रूप से पराजित करना होता है। आधुनिक युद्ध के स्वरूप को मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत विपक्षी नागरिकों में अशान्ति, आतंक, अलगाववाद एवं अराजकता फैलाने के प्रयास किए जाते हैं। नागरिकों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं से वंचित करके उनमें निराशा एवं हताशा लादने के प्रयास किए जाते हैं ताकि वहां के नागरिकों का सहयोग किसी भी रूप में उनकी सेना को न मिल सके। अतः नागरिकों की रक्षा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सामरिक क्षमता का आवश्यक पहलू है।

नागरिक सुरक्षा रक्षा का अभिप्राय यह है, कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी युद्ध के होने के बावजूद नागरिकों के सक्रिय योगदान को नकारा नहीं जा सकता और इसलिए नागरिकों की नागरिकों के द्वारा ही रक्षा व्यवस्था की जाए ताकि सैनिक शत्रु का बाखूबी से सामना न कर सके उन्हें सैनिक रक्षा की आवश्यकता आपात्काल में भी न पड़े। नागरिक रक्षा के साधन से जहां सम्बन्धित राष्ट्र के नागरिकों को भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग मिलाता है, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा भावना सुदृढ़ होने के कारण सैनिकों को आर्थिक, सामाजिक तथा मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है। इस प्रकार जब राष्ट्र के नागरिक एवं सैनिक अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उत्साह सहित जुटे रहते हैं तो उनकी सफलता के अवसर भी अधिक हो जाते हैं।

नागरिक रक्षा की परिभाषा
(Definition of Civil Defence)

नागरिक रक्षा से अभिप्राय सामान्य नागरिकों को रक्षा प्रदान करते हुए उनके विकास कार्यों में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करने से है। युद्धों में प्रत्येक नागरिक की एक निश्चित एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक युद्ध प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया और हर एक का महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो गया है कि वह स्वयं, समाज एवं स्वराष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्र में निष्ठा एवं भावना के साथ काम करें जिससे प्रत्येक परिस्थिति का सरलता से मुकाबला किया जा सके।

अब हम कुछ विद्वानों द्वारा नागरिक रक्षा की परिभाषाओं का उल्लेख करते हैं—

"Civil Defence is the Defence of a citizen by the citizen during any attack of enemy.

---

1. J.F.C. Fuller : Armament and History.

श्री वाई० एन० राज ने अपनी पुस्तक 'सिविल डिफेन्स' (Civil Defence) में नागरिक रक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया है—

"नागरिक रक्षा का अभिप्राय वायुसैनिक तथा नौ सेना का गोला-बारी से होने वाली आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक नुकसान को सीमित करने के लिए उपलब्ध साधनों के समन्वय तथा अधिक-से-अधिक साधनों को पुरा करने, जनता को प्रशिक्षित करने तथा विशेषज्ञों के प्रयोग करने से है।"

कैप्टन के० एन० श्रीवास्तव के अनुसार, **"नागरिक प्रशासन एवं नागरिक जनसंख्या द्वारा प्रयुक्त उन सभी उपायों एवं साधनों के योग को, जिसके द्वारा शत्रु जनित युद्ध-कालीन मानवीय जीवन एवं सम्पत्ति पर पड़ने वाले कुप्रभावों को न्यूनतम किया जा सके और सशस्त्र सेनाओं को युद्ध भूमि में विजयी होने के लिए सहयोग दिया जा सके। 'नागरिक सुरक्षा' कहते हैं।"**

सेठ ड्रूकर (Seth Druequer) ने नागरिक रक्षा को इस प्रकार से व्यक्त किया है—

"The essence of civil defence is of citizens by the citizens."

(नागरिक रक्षा का सार या अर्थ नागरिकों की नागरिकों के द्वारा की गई रक्षा व्यवस्था है।)

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नागरिक रक्षा का अर्थ एक राष्ट्र की जनता एवं प्रशासन के द्वारा शत्रु द्वारा किए गए प्रत्येक हमले को असफल कर देना तथा अपनी आवश्यक वस्तुओं एवं तत्त्वों को सुरक्षित रखते हुए अपनी सेना की सफलता के लिए सहयोग देना है। इसमें नागरिक संगठन स्वयं ही नागरिकों की आर्थिक, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रक्षा करते हैं, ताकि राष्ट्र को विकास के साथ-साथ सुरक्षा का सुदृढ़ आधार मिल सके।

हम अपने शब्दों में नागरिक रक्षा को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं—

नागरिक रक्षा नागरिकों की नागरिकों द्वारा की गयी वह रक्षा है, जिसमें राष्ट्र का चहुंमुखी विकास एवं सेनाओं को सक्रिय सहयोग मिलता है और शत्रु द्वारा की गयी कार्यवाहियां पूरी तरह से विफल हो जाती हैं। इससे राष्ट्र की व्यवस्था को यथाशीघ्र यथास्थिति में ला सकते हैं।

इस प्रकार नागरिक-रक्षा जहां अपने राष्ट्र के नागरिकों को एक राजनीति के तहत युद्धकालीन एवं आपात्कालीन परिस्थितियों में रक्षा के लिए तत्पर करती है, वहां राष्ट्र का आर्थिक विकास, भौतिक सुरक्षा एवं मनोवैज्ञानिक वृद्धि करके युद्ध क्षमता एवं सेना को सक्रिय सहयोग देने का काम करती है। प्रत्येक राष्ट्र अब यह अनुभव करने लगा कि युद्ध को जारी रखने तथा जीतने के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए अन्यथा राष्ट्र का आधार ही नहीं रहेगा क्योंकि नागरिक रक्षा होने से राष्ट्र की आर्थिक, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रक्षा स्वत: ही हो जाती है।

नागरिक रक्षा की आवश्यकता
(Need of Civil Defence)

वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप युद्धों के स्वरूप में परिवर्तन आ गया और आधुनिक युद्ध सम्पूर्ण युद्ध (Total War) के रूप में विकसित हो चुके हैं जिसमें केवल सेनाएं ही प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होती, बल्कि समस्त राष्ट्र के समस्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी, प्रभावित होते हैं। सशस्त्र युद्ध में सेनाएं जहां स्वराष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहती है उसी समय देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए कार्यवाही से उन पर दोहरा दबाव पड़ता है। वहां नागरिकों द्वारा ही नागरिकों की सहायता एवं रक्षा व्यवस्था से स्वयं, समूह, समाज एवं स्वराष्ट्र की सुरक्षा से सुनिश्चित होती ही है सेनाओं को सक्रिय सहयोग भी मिल जाता है, जिससे सफलता के अवसर अधिक हो जाते हैं।

नागरिक रक्षा की आवश्यकता को हम संक्षिप्त में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

(1) शत्रु के मनोवैज्ञानिक दबाव को रोकने के लिए।
(2) सशस्त्र सेनाओं को सहयोग के लिए।
(3) स्वयं, समूह एवं समाज की रक्षा के लिए।
(4) राष्ट्रीय विकास के लिए।
(5) भौतिक साधनों का भरपूर लाभ उठाने के लिए।
(6) विनाश को रोकने के लिए।
(7) युद्ध के लिए आर्थिक तैयारी करने के लिए।

(8) युद्ध के लिए सैनिक तैयारी करने के लिए।
(9) प्रशासन को सक्रिय सहयोग देने के लिए।
(10) स्वयं की तैयारी के लिए।
(11) तकनीकी युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए।
(12) युद्ध के आतंक को नियन्त्रित करने के लिए।
(13) आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए।
(14) संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए।
(15) राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए।

इस प्रकार नागरिक रक्षा एक राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था का वह महत्त्वपूर्ण अंग है, जो स्वयं में सुधार, संगठन एवं प्रशिक्षण द्वारा एक राष्ट्र को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं भौतिक सहयोग तो देता ही है। युद्ध काल में सेना की ज़िम्मेदारियों को कम करके उनकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। हवाई हमलों एवं प्रक्षेपास्त्रों के प्रहार से जो विनाशक स्थिति उत्पन्न होती है, उससे बचने के लिए सतर्कता नागरिक रक्षा से सरलता द्वारा सम्भव होती है। इसके द्वारा आपात्कालीन परिस्थितियों एवं युद्धकाल में जनता को केवल सहायता ही नहीं दी जाती बल्कि उनके क्रिया-कलापों को सुचारु रूप से संचालित रखने के लिए कदम उठाये जाते हैं। इसके महत्त्वपूर्ण कार्य युद्ध के पहले, युद्ध के समय तथा युद्ध के बाद तक चलते रहते हैं।

नागरिक रक्षा की आवश्यकता युद्ध के समय हम तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

(1) युद्ध-आरम्भ होने से पूर्व आवश्यकता
(2) युद्ध के समय आवश्यकता
(3) युद्ध के बाद आवश्यकता

1. युद्ध-आरम्भ होने से पूर्व आवश्यकता—नागरिक रक्षा की आवश्यकता युद्ध आरम्भ होने से पूर्व अत्यधिक होती है, क्योंकि यह राष्ट्र के नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार होने की चेतावनी तो देती ही है, साथ ही साथ सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों को भी जुटाते हैं, जिससे राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा के साथ ही आर्थिक विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। युद्ध शुरू होने से पहले इन कार्यवाहियों में नागरिक रक्षा संगठन तत्पर हो जाता है—

(क) चेतावनी देना।
(ख) नागरिकों को प्रशिक्षण देना
(ग) संकटकालीन शरण स्थल बनाना
(घ) सुरक्षा साधनों को जुटाना
(ङ) महत्त्वपूर्ण स्थानों को छिपाना
(च) संचार व्यवस्था को गोपनीय रखना
(छ) औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हटाना
(ज) नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन देना
(झ) प्रशासन से सहयोग लेना व देना
(ञ) नाभिकीय बम से बचने के उपाय बताना।

2. युद्ध के समय आवश्यकता—नागरिक रक्षा संगठन युद्ध-काल में सैनिक संगठन की भांति महत्त्वपूर्ण एवं निर्णयात्मक भूमिका निभाता है। युद्ध के समय जनता में जो भय एवं आतंक का वातावरण होता है, उसे कम करने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन देने में यह संगठन बहुत महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक माना गया है। संक्षिप्त में युद्ध के समय इस संगठन की आवश्यकता एवं इसकी कार्यवाहियों को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

(क) सुरक्षा के संकेतों को बताना
(ख) हवाई हमले से रक्षा के नियमों की जानकारी देना
(ग) बमों को निष्क्रिय करने का जानकारी देना
(घ) विनाशक को रोकने के साधन जुटाना
(ङ) आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं जुटाना
(च) आपूर्ति व्यवस्था संचालित रखना
(छ) पुनर्वास की व्यवस्था बनाए रखना

(ज) संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखना
(झ) वायु केन्द्रों की स्थापना में सहयोग देना।
(ञ) प्रक्षेपास्त्र विरोधी प्रक्षेपास्त्रों को जुटाने में सहयोग देना।

3. युद्ध के बाद आवश्यकता—नागरिक रक्षा व्यवस्था का महत्त्व युद्ध के बाद भी अत्यधिक रहता है, क्योंकि युद्ध के कारण अस्त-व्यस्त एवं भिन्न-भिन्न हुए संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को व्यवस्थित करके पुन: सही रूप में संचालित करने में, इसका सक्रिय सहयोग शीघ्रतापूर्वक एक सुनिश्चित ढांचे में राष्ट्रीय व्यवस्था को लाया जा सकता है। इसके द्वारा कम से कम समय एवं आर्थिक साधनों से अधिक से अधिक साधन जुटाने में मदद मिलती है। अब हम संक्षिप्त में युद्ध के पश्चात् इस संगठन की आवश्यकता का उल्लेख करते हैं—

(क) राष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए
(ख) राष्ट्रीय भावना एवं सफलता के विकास के लिए
(ग) नागरिकों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए
(घ) नागरिकों की चिकित्सा सहायता के लिए
(ङ) खाद्य एवं आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए
(च) आर्थिक विकास के लिए
(छ) भौतिक साधनों को जुटाने के लिए
(ज) बीमारियों के फैलने को रोकना
(झ) आवश्यक संस्थानों एवं इमारतों की मुरम्मत करना
(ञ) नागरिक प्रशिक्षण देना।

इस प्रकार स्पष्ट है, कि नागरिक रक्षा संगठन के बल पर राष्ट्रीय एकता एवं बलिदान की भावना को तो बल मिलता ही है, इसके साथ राष्ट्र का विकास एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह सर्वोत्तम साधन है। इसमें नागरिक स्वेच्छा से संगठन तैयार करके राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने का प्रयास करते ही और राष्ट्र के विकास की प्रत्येक बाधा को हटाते हुए उसको एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। यही कारण है, कि नागरिक रक्षा की आवश्यकता राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास का एक अवयव (भाग) है।

नागरिक रक्षा का महत्त्व
(Importance of Civil Defence)

वर्तमान समय में नागरिक रक्षा का महत्त्व बहुत अधिक हो गया है क्योंकि युद्ध के विध्वंस स्वरूप में समस्त साधनों को अपनी चपेट में लेना आरम्भ कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से हवाई आक्रमण के विध्वंसक स्वरूप से जनता में आतंक एवं कहर छा गया था, किन्तु खाड़ी युद्ध में खुल कर प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग से जो विध्वंस हुआ है, उससे नागरिक रक्षा संगठन के महत्त्व को विशेष तरजीह दी जाने लगी है। खाड़ी युद्ध में इराक के नागरिक रक्षा संगठन ने नकली टैंक एवं हवाई जहाज़ के नमूने बनाकर तैनात कर दिए और अमेरिका के विमानों ने उन्हें ही असली मानकर विध्वंस करना शुरू कर दिया था, जबकि इराक ने वास्तविक लड़ाकू विमान एवं टैंक को मज़बूत बंकरों में छिपाकर रखा था। इस प्रकार अपने उद्योगों एवं महत्त्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा नागरिक रक्षा संगठन बेहतर ढंग से कर सकती है। इसी तरह कोई राष्ट्र युद्ध आरम्भ होने से पूर्व ही नागरिक सुरक्षा के प्रबन्ध कर लिए जाए तो वास्तविक युद्ध होने पर बहुत कम हानि उठानी पड़ती है।

आधुनिक युद्धों में नागरिक रक्षा संगठन का अत्यधिक महत्त्व बढ़ गया है, क्योंकि जनता के जान एवं माल की रक्षा के साथ-साथ उस देश के आर्थिक विकास के क्रम को निरन्तर बनाए रखा जाए ताकि हमारी सेनाएं सीमा पर पूरी मूस्तैदी के साथ सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित रह कर कार्यवाही कर सकें। युद्ध का नुकसान एवं विध्वंस सुनिश्चित होता है, किन्तु नागरिक रक्षा के द्वारा उस नुकसान और विध्वंस की सीमा को कम अवश्य किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ युद्ध के बाद राष्ट्र के विकास एवं उत्पादन की स्थिति को पुन: उसी (सामान्य) रूप में शीघ्र से शीघ्र स्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि आधुनिक युद्धों में प्रत्येक राष्ट्र नागरिक सुरक्षा संगठन पर विशेष बल दे रहा है।

इसके महत्त्व का सबसे अच्छा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने इंग्लैंड की सीमा पर अपने विमानों द्वारा भीषण बम वर्षा की, परन्तु वहां के नागरिक रक्षा संगठन के बल पर ऐसा लगने लगा कि वहां कि जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे वातावरण में कार्यवाही करने पर भी जर्मन सेना असमर्थ रही। नागरिक सुरक्षा के उपायों

के बल से इंग्लैंड के नागरिकों ने बड़े मनोबल के साथ जर्मन की बमबारी का सामना किया और अन्ततः इंग्लैंड को दबाने में जर्मन सेना सफल नहीं हो सकी।

अभी दो वर्ष पूर्व हुए खाड़ी युद्ध में अमेरिका एवं उसके अन्य सहयोगी राष्ट्रों ने मिलकर इराक का भीषण विध्वंस किया किन्तु इराक के नागरिक रक्षा संगठन ने अपनी महत्ता को प्रमाणित करते हुए भी आखिर तक इराक सेना का उत्साह बनाए रखा।

नागरिक रक्षा योजना के तहत राष्ट्र के नागरिकों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जाता है, जोकि युद्धकालीन परिस्थिति में स्वयं की रक्षा के साथ ही समाज के आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए साधनों को जुटाने की व्यवस्था बनाए रखता है। आधुनिक युद्धों में आर्थिक व्यवस्था सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना जाता है जिसके अभाव में युद्ध में सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। युद्धकाल में राष्ट्र के समस्त आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है। इसी कारण युद्ध के दौरान आर्थिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जाते हैं, जिसके लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ सामरिक महत्त्व की वस्तुओं को विश्व बाजार से अधिक से अधिक मात्रा में जुटाना पड़ता है तथा इसके विपरीत शत्रु को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने का यथासम्भव प्रयास करते हैं। **जी० क्रोथर** ने लिखा है कि—

"War now a days is more influenced by science of economics than by art of strategy."

(आधुनिक युद्ध कला की अपेक्षा अर्थ विज्ञान (अर्थ-तत्त्व) से अधिक प्रभावित होता है।)

इस अर्थ तत्त्व को बरकरार रखने में नागरिक रक्षा संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को ही मजबूत नहीं रखता बल्कि सहयोग के द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव से अपनी जनता में एक-ऐसा जोश भरने की अद्भुत क्षमता होती है कि हारी हुई स्थिति को जीत में बदल सकता है। अब हम संक्षिप्त में नागरिक रक्षा के महत्त्व को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

(1) युद्ध के समय राष्ट्रीय भावना के विकास में सहयोग।
(2) युद्ध में सहयोग की भावना का विकास।
(3) युद्ध के समय आर्थिक विकास को बनाए रखना।
(4) जनोपयोगी तथा आवश्यक सेवाओं को जुटाना।
(5) क्षतिग्रस्त इमारतों एवं संस्थानों का सुधार करना।
(6) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना।
(7) स्थिति को नियन्त्रण में रखना।
(8) मनोवैज्ञानिक तत्त्व उत्साह को बनाए रखना।
(9) घायलों की व्यवस्था करने में सहयोग।
(10) सामान्य स्थिति बनाए रखने में मदद देना।
(11) विनाश की मात्रा को कम से कम करने में मदद करना।
(12) जनता में फैले आतंक एवं भय के वातावरण को दूर करना।
(13) रक्षा के अतिरिक्त समस्त साधनों को जुटाने में सहयोग।
(14) नागरिक रक्षा संगठन का सभी क्षेत्रों में सहयोग।
(15) वास्तविक युद्ध के पूर्व ही शत्रु को हराने में सहयोग।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है, कि नागरिक रक्षा की आधुनिक युद्धों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें अव्यवस्था, हानि तथा विनाश होना स्वाभाविक-सा होता है। ऐसी स्थिति में अव्यवस्था को सुधारने, हानि को कम करने तथा विनाश को रोकने में नागरिक रक्षा संगठन का अत्यन्त महत्त्व होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में यथा शीघ्र सामान्य स्थिति लागू करने की आवश्यकता होती है जो रक्षा संगठन से सम्भव हो सकती है। इस संगठन के द्वारा जहां अपनी सेना को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा भौतिक शक्ति मिलती है, वहां शत्रु को उपर्युक्त तत्त्वों के आधार पर कमजोर, हताश तथा निराश भी किया जाता है। अतः वर्तमान सुरक्षा परिवेश में नागरिक रक्षा को महत्त्व का विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसको व्यक्तिगत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक चलाया जाता है।

नागरिक रक्षा संगठन
(Organization of Civil Defence)

नागरिक रक्षा की सफलता के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों में देशभक्ति भावना, सहयोग तथा त्याग व बलिदान का

होना अत्यन्त आवश्यक होता है। देश के प्रत्येक स्तर पर नागरिक रक्षा के समुचित संगठन का होना भी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसका सम्बन्ध व्यक्ति, परिवार, संस्था, समूह, स्थानीय संगठन, उद्योगों एवं सरकारी उपक्रम से है। सामूहिक प्रयासों के आधार पर ही नागरिक रक्षा संगठन अपनी कार्यवाही सफलतापूर्वक कर पाता है। नागरिक रक्षा संगठन निम्नलिखित स्तरों के आधार पर किया गया है, ताकि सम्पूर्ण राष्ट्र के उत्तरदायित्वों को भली भान्ति निभाया जा सके—

1. स्वयंसेवी संगठन (Voluntary Organization)
2. अर्द्ध-शासकीय संगठन (Semi-government Organization)
3. शासकीय संगठन (Government Organization)

1. स्वयं सेवी संगठन (Voluntary Organization)

स्वयंसेवी संगठन के अन्तर्गत हमारे देश में मुख्य रूप से तीन प्रकार के संगठन कार्य कर रहे हैं। आपात्काल में नागरिक रक्षा में इनका सक्रिय सहयोग रहता है। स्वयंसेवी संगठन के अन्तर्गत निम्न संस्थाएं हैं—

(*i*) रेड क्रास (Red Cross)
(*ii*) सैन्ट जॉन एम्बुलेन्स (Saint John Ambulance)
(*iii*) स्काउट (Scouts)

(*i*) रेडक्रास (Red Cross)—यह संस्था संसार के सभी देशों में नागरिक रक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इसी कारण इसे अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास (International Red Cross) संस्था भी कहा जाता है। इस संगठन का मुख्य कार्य आपात्काल अथवा प्राकृतिक प्रकोप के समय देश के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को यथाशीघ्र आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय मूल्यों की हर कीमत पर सुरक्षा करना होता है।

(*ii*) सेन्ट जॉन एम्बूलेन्स (Saint John Ambulance)—इस संस्था का प्रमुख कार्य प्राथमिक चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण देकर तथा गम्भीर रूप से घायल नागरिकों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए आवश्यक साधनों की जानकारी देना होता है। भारत में इस संस्था की स्थापना 1905 में बम्बई में की गई। आपात्काल में घायल नागरिकों के उपचार की व्यवस्था का मुख्य उत्तरदायित्व यह संस्था निर्वाह करती है तथा गांवों, शहरों, छोटे-छोटे संस्थानों तथा विद्यालयों आदि में प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देकर लोगों को जागरूक बनाती है।

(*iii*) स्काउट (Scouts)—भारत में नागरिक के लिए एक रक्षा भारतीय स्काउट एसोसिएशन काम कर रहा है जोकि मुख्य रूप से हवाई हमले से बचने के सन्दर्भ में आवश्यक जानकारी भी देते हैं। यह संस्था नागरिक रक्षा के प्रति सतर्कता के लिए स्कूल-कालेजों में N.C.C. की भान्ति छात्रों को जागरूक बनाती हैं जिससे आपात्काल में नागरिक रक्षा में सक्रिय सहयोग दे सकें।

2. अर्द्ध-शासकीय संगठन (Semi-Government Organization)

इस संगठन के सदस्य वैतनिक राज्य कर्मचारी नहीं होते किन्तु इन संगठनों एवं संस्थाओं का नियन्त्रण राज्य के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। हमारे देश में नागरिक रक्षा बनाए रखने में दो प्रकार के संगठन (अर्द्ध-शासकीय) काम कर रहे हैं—

(*i*) एन० सी० सी० (National Cadet Corps)
(*ii*) गृह रक्षक (Home Guards)

(*i*) एन० सी० सी० (N.C.C.)—सर्वप्रथम विद्यार्थियों के लिए पण्डित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर अप्रैल, 1948 ई० में राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps–N.C.C.) विधेयक को भारत सरकार से अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार देश के भावी कर्णधार विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए जागरूक बनाने के लिए इस कोर का गठन किया गया। वर्तमान समय में एन० सी० सी० को तीन भागों में बांटा गया है—

(1) सीनियर डिवीजन (Senior Division)
(2) जूनियर डिवीजन (Junior Division)
(3) गर्ल्स डिवीजन (Girls Division)

नागरिक रक्षा में यह संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राष्ट्र की युवा पीढ़ी को अपने कर्त्तव्यों के प्रति सतर्क करता है। अब तीनों जल, थल एवं वायु डिवीजन कार्य कर रहे हैं। युद्ध में इनकी सेवाएं महत्त्वपूर्ण होती हैं,

क्योंकि प्रशिक्षित होने के कारण नागरिकों के साथ रहकर अपने ज्ञान से उन्हें सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। यह केवल विद्यार्थियों का संगठन है।

(*ii*) गृह रक्षक (Home Guards)—भारत में इसका सर्वप्रथम गठन 1946 में बम्बई में किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य साम्प्रदायिक दंगों को दबाए रखना तथा शान्ति की स्थिति को बनाए रखना था। यह पुलिस दल की सहायता के साथ ही नागरिक रक्षा के लिए आवश्यक सेवाओं को भी देता है। इसमें भर्ती नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा भत्ता दिया जाता है। ये वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होते हैं। सेना की यूनिट के आधर पर ही इनकी युनिटें होती हैं। यह संगठन नागरिक रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में सक्रिय सहयोग देता है।

शासकीय संगठन

(Government Organization)

भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के अधीन नागरिक रक्षा के लिए केन्द्रीय स्तर पर इस संगठन की व्यवस्था की गयी है। यह संगठन सभी साधनों एवं विभागीय कार्यों की भी देख-रेख करता है। इस संगठन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए तीन प्रकार से व्यवस्थित किया गया है—

(*i*) केन्द्रीय संगठन (Central Organization)

(*ii*) राज्यीय संगठन (State Organization)

(*iii*) स्थानीय संगठन (Local Organization)

(*i*) केन्द्रीय संगठन (Central Organization)—इस संगठन का भारत में नागरिक रक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में निम्न कार्य है—

(क) नागरिक रक्षा के कार्यों का निरीक्षण एवं व्यवस्था।

(ख) नागरिक रक्षा सम्बन्धी नीति का निर्धारण।

(ग) अर्द्ध-सरकारी तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को उनके उत्तरदायित्व के प्रति सहयोग केन्द्रीय स्तर पर यह नागरिक रक्षा की नीतियों योजनाओं का निर्धारण तथा उनके लिए आवश्यक सहायता की व्यवस्था की जाती है जिसमें केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा नागरिक रक्षा का निदेशक मुख्य होते हैं।

(*ii*) राज्यीय संगठन (State Organization)—नागरिक रक्षा व्यवस्था को युद्ध बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में अपने राज्य के गृह-मन्त्री के अधीन संगठन होता है। अपने राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए आपात्काल स्थिति में कुशलता से कार्यवाही करने के लिए नीति निर्धारण एवं व्यवस्था की जाती है। जनता को जागरूक बनाने, उनको प्रशिक्षित करने एवं उनको भर्ती करने का काम राज्य स्तर पर किया जाता है।

(*iii*) स्थानीय संगठन (Local Organization)—यह संगठन स्थानीय जिला स्तर पर तैयार किया जाता है। जिसका नियन्त्रण एवं निर्देशन जिला अधिकारी (Deputy Commissioner) द्वारा किया जाता है। यह संगठन राज्य सरकार द्वारा तय की गयी नागरिक रक्षा नीतियों की जानकारी के साथ लागू करने के लिए आम लोगों तक पहुंचाने की कड़ी का काम करता है। इसका सलाहकार समिति में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि होते हैं।

स्थानीय स्तर पर नागरिक रक्षा सेवा इस प्रकार से है—

(क) रक्षा सेवक (Warden Service)

(ख) आकस्मिक सेवा (Casualty Service)

(ग) कल्याण सेवा (Welfare Service)

(घ) सुरक्षा सेवा (Security Service)

(ङ) चिकित्सा सेवा (Medical Service)

(च) बचाव सेवा (Rescue Service)

(छ) आपूर्ति सेवा (Supply Service)

(ज) संचार सेवा (Communication Service)

(झ) यातायात सेवा (Transport Service)

(ञ) प्रशिक्षण सेवा (Training Service)

(ट) अग्नि सेवा (Fire Service)

(ठ) तकनीकी सेवा (Technical Service)

इसके साथ ही अन्य आवश्यक सेवाएं जिला स्तर पर प्रदान की जाती हैं, ताकि नागरिक रक्षा व्यवस्था प्रत्येक परिस्थितियों में सुचारु रूप से संचालित रहे।

8

नागरिक प्रशासन में सेना की सहायता
(MILITARY AID TO CIVIL POWER)

सशस्त्र सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा आवश्यकता पड़ने पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ विद्युत्, जलापूर्ति, संचार तथा बन्दरगाहों पर माल उतारने-चढ़ाने जैसी अनिवार्य सेवाओं को सुचारु रूप से बनाए रखने में भी नागरिक प्रशासन (Civil Administration) को सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा बाढ़, तूफान, आग लगने तथा भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों में मदद करती है। ज़रूरत पड़ने पर दुर्गम (कठिन) क्षेत्रों में संचार व्यवस्था आदि बनाए रखने में सरकारी ऐजेन्सियों की सामरिकी (आयोजन तैयारी) सहायता भी करती हैं ।

नागरिक प्रशासन की सहायता में देश की तीनों (स्थल, जल एवं वायु) सेनाएँ सक्रिय सहयोग देती हैं । जिस प्रकार की जहां पर आवश्यकता होती है, वहां पर उसी प्रकार से प्रशासन को सहयोग दिया जाता है । निर्धारित नीति के अनुसार सशस्त्र सेनाओं की सहायता केवल तभी ली जा सकती है जब स्थिति से निपटने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं रहता । आन्तरिक स्थिति बिगड़ने पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करना सेना का महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है तथा दूसरी मुख्य भूमिका भी है। नागरिक प्रशासन के सहयोग में सेना की सहायता कम से कम ली जानी चाहिए, क्योंकि इसका सेना पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। उसके साथ ही उनकी योग्यता, क्षमता तथा प्रशिक्षण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आन्तरिक समस्या का हल नागरिक प्रशासन को पुलिस की क्षमता एवं लोगों का विश्वास बढ़ाकर निकालना चाहिए।

अब हम भारत के सन्दर्भ में नागरिक प्रशासन की सहायता में सेना के योगदान का उल्लेख करते हैं। आन्तरिक सुरक्षा समस्या के साथ-साथ वाद-विवादों से घिरे घेरे को सेना केवल तोड़ सकने में समर्थ रही है नागरिक संगठनों एवं पुलिस बल तथा केन्द्रीय बल जब सफल नहीं होते तब अति आधुनिक एवं आत्मनिर्भर सेना ही सफल हो पाती है।

भारत में नागरिक प्रशासन में सेना का योगदान प्रारम्भ से ही सराहनीय रहा है। भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही कश्मीर में पाकिस्तानी कबाइलियों से मुकाबला करने के साथ से अभी तक वहां की कानून व्यवस्था में सेनाओं के सहयोग की ज़रूरत नागरिक प्रशासन को पड़ रही है। हमारी सशस्त्र सेनाएं अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर न रहें तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था संकटों के घेरे में ही घिरी रहेगी । उग्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद तथा सम्प्रदायवाद आदि अनेक समस्याएं मुंह खोले खड़ी हैं, कि उन्हें कब मौका मिले की अखण्ड भारत को टुकड़े-टुकड़े कर दे किन्तु इन समस्याओं पर हमारी सेना का अंकुश लगा है। जहां भी इधर-उधर गड़बड़ संकेत मिलता है, अपने त्वरित गति एवं तीव्र प्रहार से समस्या को चीर निकाल देती है । सेना का सहयोग नागरिक प्रशासन में केवल तभी तक लिया जाना जब तक राष्ट्र एवं सेना दोनों के हित में स्थिति जनता एवं पुलिस के नियन्त्रण में नहीं आ जाती। स्थिति पुलिस, प्रशासन एवं प्रजा के नियन्त्रण में आते ही सेना का सहयोग लेना बन्द करना आवश्यक है ।

अब हम संक्षिप्त में सशस्त्र सेनाओं (थल, जल, एवं वायु सेना) के नागरिक प्रशासन में सहयोग का उल्लेख करते हैं—

1. नागरिक प्रशासन में स्थल सेना की सहायता
(Army Aid to Civil Power)

स्थल सेना अपनी स्थलीय रक्षा के साथ-साथ राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में नागरिक प्रशासन को भी सक्रिय सहयोग देती है। स्थल सेना मुख्य रूप से किन परिस्थितियों में मदद करती है वह इस प्रकार से है—

(क) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए

(ख) आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए

(ग) प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग के लिए

(घ) विद्रोहियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए

(ङ) दुर्गम क्षेत्रों में नागरिक सुविधा एवं सहयोग के लिए।

(क) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए—सेना, धर्म, जाति और अन्य कारणों से फैले साम्प्रदायिक दंगों पर काबू पाने के लिए नागरिक प्रशासन की सहायता करती है। जैसे—मेरठ में मई, जून और जुलाई, 1987 के दौरान तथा 1993 में बम्बई तथा अहमदाबाद में भड़की हिंसा पर काबू पाना केवल सेना के वश में रह गया था। इसी प्रकार कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान करके उस राज्य की कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में मदद की।

(ख) आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए—स्थल सेना का नागरिक प्रशासन को सहयोग देने के लिए अत्यधिक योगदान रहा है। विशेष रूप से आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में जैसे 20 जुलाई से 30 जुलाई, 1987 तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेना के डाक्टरों की हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने में सेना द्वारा सहायता प्रदान की गई। इसी वर्ष 1927 में ही नवम्बर-दिसम्बर में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान विद्युत् आपूर्ति बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन को सहयोग दिया।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं के समय—दैवी संकट अथवा प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकम्प आदि के समय नागरिकों की रक्षा तथा प्रशासन को सहयोग देकर स्थिति को नियन्त्रित रखने में सेनाओं का सक्रिय योगदान रहता है। जैसे—अक्तूबर, 1987 में सेना ने अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल आदि में बाढ़ कार्यों में सहयोग किया। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिला में राष्ट्रीय राज्यमार्ग 34 पर रायगंज के पास तीन घाटी पुलों की व्यवस्था करके सड़क संचार व्यवस्था को चालू किया। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में आए भूकम्प तथा अक्तूबर, 1993 में महाराष्ट्र के लातुर व किल्लारी में भीषण भूकम्प से जो अव्यवस्था हुई उसको व्यवस्थित करने में हमारी सेना का सक्रिय सहयोग रहा। सेना द्वारा आवश्यक हुई आपूर्ति व्यवस्थाओं एंव सुविधाओं को जुटाने में नागरिक प्रशासन को भरपूर मदद मिल जाती है।

(घ) विद्रोहियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए—नागरिक प्रशासन को सेना उस समय भी सहायता प्रदान करती है जबकि राष्ट्र विरोधी शक्तियां पुलिस के काबू से बाहर हो जाती हैं। विद्रोहियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए सेना को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तैनात किया जाता रहा। अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना ने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी सहयोग दिया है। बड़ी संख्या में विद्रोहियों के मौजूद होने तथा हथियार और गोला-बारूद बरामद होने का सम्भावना पर सेना द्वारा कार्यवाही की जाती है।

विगत वर्ष 16 अक्तूबर, 1993 में देश विरोधी उग्रवादियों ने कश्मीर में हजरतबल दरगाह पर अपना कब्जा कर लिया तो हमारी सेनाओं ने उसकी घेराबन्दी कर दी तो एक माह बाद यानी 16 नवम्बर, 1993 को हजरतबल दरगाह में छिपे उग्रवादियों ने आत्म समपर्ण कर दिया। इस प्रकार हमारी स्थल सेना विद्रोहियों के खिलाफ कार्यवाही करके प्रशासन को सहायता देती है। पूर्वोत्तर राज्यों व कश्मीर क्षेत्र में निरन्तर नागरिकों को सहयोग देती है।

(ङ) दुर्गम क्षेत्रों में नागरिक सुविधा व सहयोग—भारतीय सेनायें नागरिकों कठिन क्षेत्रों में सामान्य रूप से जीवन यापन के लिए सक्रिय सहयोग देती है। पहाड़ों, नदियों, हिमपात, दैवी प्रकोप वाले क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन सेवाओं द्वारा करके नागरिकों को सहयोग दिया जाता है। अमरनाथ की दुर्गम यात्रा, मानसरोवर की यात्रा तथा दुर्गम क्षेत्रों में सुविधा जुटाने का कार्य भी सेनायें करती हैं।

2. नागरिक प्रशासन में नौ सेना की सहायता
(Navy Aid to Civil Power)

नौ सेना भी नागरिक प्रशासन में अपना सक्रिय सहयोग देती है। नदी या समुद्रों में घटी घटनाओं में इसकी सहायता से ही स्थिति पर नियन्त्रण यथा शीघ्र पाना संभव हो पाता है। भीषण बाढ़ के समय तो इस सेना का ही सहारा नागरिक प्रशासन को रहता है। इसकी सहायता को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

(क) गोताखोरी सहायता

(ख) खोज एवं बचाव सहायता।

(क) गोताखोरी सहायता—नौ सेना ने विभिन्न सिविल अधिकारियों को गोताखोरी सहायता प्रदान की है। जैसे—
(*i*) तेजू (असम) 1987 में ब्रह्मनदी में हुई नौका दुर्घटना के समय।

(*ii*) कर्नाटक में तलाकलाले बांध में आयी दरार की जानकारी प्राप्त करके उसकी मुरम्मत की।

(*iii*) उधमपुर के निकट चिनाब नदी में दुर्घटनाग्रस्त हैलीकाप्टर को निकालने में मदद।

(*iv*) कटक (उड़ीसा) के साथ ब्रह्म नदी में नौका उलट जाने में नागरिकों को सहयोग।

(*v*) जेरोथोन में तीस्ता नदी में डूबे ट्रेक एवं शव निकालने में सिक्किम सरकार की सहायता।

(ख) खोज एवं बचाव सहायता—हमारी नौ सेना नागरिक प्रशासन को अपनी खोज एवं बचाव व्यवस्था के द्वारा सक्रिय सहायता प्रदान करती है । इसके द्वारा प्रदान की गई सहायता के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

(*i*) ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया की सहायता वर्ष 1987 में भारतीय नौ सेना पोत पांडिचेरी द्वारा की गई।

(*ii*) एम० वी० आवा भिनती की सहायता के लिए खोज एवं बचाव अभियान भी वर्ष (1987) चलाया।

(*iii*) लापता मछुआरों की खोज की तथा कोचीन के बीच संकट में फंसे मछुआरों को निकालने में सहायता की।

3. नागरिक प्रशासन की सहायता में वायुसेना (Airforce aid to Civil Power)

वायुसेना भी नागरिक प्रशासन की आपात्काल में महत्त्वपूर्ण सहायता तथा सक्रिय सहयोग देती है ताकि व्यवस्था को सुचारु रूप से निरन्तर चलाया जा सके। आन्तरिक शान्ति बहाल करने में वायुसेना की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। सरकार के निर्देशानुसार सेना सिविल प्रशासन को सहयोग देती है और अपने कार्य को बड़ी मुस्तैदी के साथ करते हैं। अब हम संक्षिप्त में इसके सहायता कार्यों का वर्णन करते हैं--

(क) बाढ़ राहत कार्य।

(ख) बचाव कार्य

(क) बाढ़ राहत कार्य—बाढ़ राहत स्थिति में हमारी वायुसेना ने विगत वर्षों में असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में बाढ़ के पानी से घिरे गांवों, तथा बस्तियों में भोजन तथा जरूरत की अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओं को ऊपर से गिराने के लिए एम० आई० 8 (आठ) ही और चेतक हेलीकाप्टरों का प्रयोग किया।

(ख) बचाव कार्य—वायु सेना ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में संकट में फंसे लोगों को निकालने में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान की। दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जीवन रक्षा के लिए इस सहायता की सबसे ज्यादा ज़रूरत पड़ी। इस कार्य के अलावा वायुसेना के हेलीकाप्टरों ने बचाव कार्य करके हिमालय के विभिन्न भागों में भारतीय एवं विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को सहायता प्रदान की।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि सशस्त्र सेनाओं द्वारा नागरिक प्रशासन एवं नागरिक रक्षा के लिए सक्रिय सहायता मिलती है सेनाओं का मुख्य उद्देश्य बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करना है, किन्तु जिस समय देश तथा राज्य के प्रशासन विद्रोही शक्तियों का सामना करने में अपनी शक्ति (पुलिस बल) आदि को असमर्थ पाते हैं, तो अन्ततः इस सशक्त एवं आत्मनिर्भर सेना की सहायता से अपना प्रशासन चलाते हुए व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

नागरिक प्रशासन में सेवारत सेना के नियम

भारत एक विशाल देश है, जिसकी सीमाएं बड़े क्षेत्र तक फैली हैं वहीं इस देश में विभिन्न भाषाएं, जातियां, धर्मों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं समूहों का बोलबाला है जिसके कारण अनेक सुरक्षा समस्याएं नये रूप में खड़ी हो जाती हैं जिसके कारण राज्य या प्रान्त सरकारें अपनी शक्ति के बल पर उन्हें रोक नहीं पाती हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रशासन को अन्ततः सेनाओं का सहयोग लेना पड़ता है। जिस समय सेना नागरिक प्रशासन की कार्य कुशलता बनाये रखने में मदद करती है, तो उसे कुछ नियमों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है ताकि सेना की गरिमा में कोई आंच न आए।

1. शक्ति की मितव्ययता (Economy of Force)
2. निष्पक्षता (Impartiality)
3. व्यवस्था के अनुरूप कार्य (Systemetic Work)
4. कर्त्तव्य निष्ठा (Faithful)
5. अनुशासन (Discipline)
6. आत्म नियंत्रण (Self-control)
7. परिसीमाएं (Limitations)

1. शक्ति की मितव्ययता (Economy of Force)—सेना को नागरिक प्रशासन में सहयोग देते समय निम्न बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए—

(क) कम से कम शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग।
(ख) समय एवं स्थान के अनुसार सेना का प्रयोग।
(ग) आवश्यकता के आधार पर सेना का निर्धारण।
(घ) जरूरत के आधार पर हथियारों का प्रयोग।

2. निष्पक्षता (Impartiality)—इसका अभिप्राय सेना एवं उसके प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्ष अर्थात् बिना किसी भेदभाव बढ़ने तथा पक्षपात के एक रूप व्यवहार से है निष्पक्षता न होने पर अनुशासहीनता तथा भेदभाव बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। सेना संवेदन शील क्षेत्रों में तैनात की जाती है । अत: निष्पक्षता ही इसका मूलाधार माना जाता है ऐसा न होने पर सेना में ही मतभेद एवं विद्रोह हो सकता है। अत: निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

3. व्यवस्था के अनुरूप कार्य (Systematic Work)—प्रत्येक कार्यवाही के पूर्व व्यवस्था को जानना और उसके अनुरूप कार्यवाही करने से सफलता के अनुसार अधिक रहते हैं। नागरिक प्रशासन में सहायता देने के पूर्व सेना को वहां की परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक हो और उसी के आधार पर अपनी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे सेना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह न लगे और शत्रुओं का मनोबल भी न बढ़े।

4. कर्त्तव्यनिष्ठा (Faithful)—नागरिक प्रशासन को सहायता देते समय सेना को विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ता है। अपनी कार्यवाही कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ निभानी चाहिए। जिससे सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों में अन्धविश्वास की आशंका न उठे। अपने कर्त्तव्यों का पालन नियमानुसार बिना किसी भेदभाव के करने से सैनिक की गरिमा बनी रहती है।

5. अनुशासन (Discipline)—नागरिक प्रशासन में सहयोग देते समय सेना में अनुशासन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि सिविल एवं सेना की कार्यप्रणाली में अन्तर है तो कहीं पुलिस की भान्ति आर्थिक हस्तक्षेप करने में सम्पूर्ण सेना पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है तथा अनुशासन भंग होने के सम्भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। किसी भी तरह का पक्षपात अनुशासन हीनता को बढ़ावा देता है। अत: ऐसे समय में सेना का अनुशासन बहुत अहम् भूमिका निभाता है।

6. आत्म-नियन्त्रण (Self -control)—नागरिक प्रशासन के समय सेना को आत्म नियन्त्रण रखना बहुत महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि बिखरी सम्पत्ति एवं अन्य वस्तुओं पर किसी प्रकार का लालच नहीं आना चाहिए। यदि ऐसे में सेवारत सैनिक अपना आत्म-नियन्त्रण खो देते हैं तो सेना से जनता का विश्वास उठ जाता है। अत: आत्म-नियन्त्रण को रखना बहुत जरूरी होता है।

7. परिसीमाएं (Limitations)—यद्यपि नागरिक प्रशासन को सहायता देते समय सेना को पूरे अधिकार होते हैं कि किसी स्थान पर जाकर अपनी कार्यवाही कर सकते हैं किन्तु इसके बावजूद अपनी सीमाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जरा-सी भूल भयंकर रूप ले सकती है। परिस्थितियों से हटने पर सेना की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सेना की भूमिका केवल अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने में सहायक नहीं है बल्कि शान्ति काल में नागरिक प्रशासन को सहयोग देकर राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाती है। इससे राष्ट्र का चहुंमुखी विकास तो होता ही है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी प्रतिष्ठा कायम रहती है।

भारतीय सेना (Indian Army) सशस्त्र सेनाएं, कानून व व्यवस्था तथा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने और ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों का आयोजन करने में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करती हैं। जब सिविल प्रशासन के पास उपलब्ध संसाधन स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त होते हैं, तब सशस्त्र सेनाओं को सहायता करने के लिए बुलाया जाता है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना

जब बिहार के बिहार शरीफ में साम्प्रदायिक तनाव के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति सिविल प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो गई तो वहां फ्लैग मार्च करने के लिए 11 से 17 अक्तूबर, 2000 तक सेना के चार कॉलम तैनात किए गए। *सेना को 29 अगस्त, 2000 को उस समय चंडीगढ़ में जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी तैनात किया गया* कि नगर कर्मचारी और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कामकागर 29 अगस्त, 2000 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। जिससे संघ शासित प्रदेश में जल आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्राकृतिक आपदाओं में सिविल प्राधिकारियों की सहायता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों के सिविल प्रशासन द्वारा सेना को कई अवसरों पर बचाव और राहत कार्यों के लिए सहायतार्थ बुलाया गया। महत्त्वपूर्ण स्थानों पर मुहैया की गई सहायता का संक्षेप विवरण आगामी पैराग्राफी में दिया गया है। सुनामी (2004) तथा मुम्बई में जुलाई 2005 में विशेष सहयोग।

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ राहत : ऑप्रेशन वर्षा

1 अगस्त, 2000 की रात को लगभग 01:00 बजे कर्चम क्षेत्र बादल फटने से हुई मूसलाधार वर्षा के परिणामस्वरूप अचानक बाढ़ आ गई थी। सतलुज और स्पीती नदियों के संगम स्थल और नदी धारा से नीचे की ओर के क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए थे यद्यपि उत्तर में सुमड़ो से लेकर दक्षिण में झाकरी तक का संपूर्ण क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। सर्वाधिक क्षति कर्चम में हुई थी। लगभग 150-200 व्यक्तियों के मारे जाने की खबर थी, जिनमें से 5 अन्य रैंक, 9 महिलाएं और 12 बच्चे सेना से संबंधित थे। बाढ़ के कारण सेना के 51 टट्टू भी पानी में बह गए थे। जुलाई 2005 में विशेष सहायता की गयी।

संगम शानटोंग, शोल्डिंग और नोगली स्थित पुलों सहित पुह और कर्चम के बीच सभी पुल बह गए थे। पुह और अक्पा में 100 मीटर का सड़क का हिस्सा बह गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कई स्थानों पर विशेषकर वांग्टू से कर्चम, कर्चम से पाओरी और सुमड़ो से पुह के बीच पानी में बह गया था। सैन्य इंजीनियर सेवा की कई इमारतें और ओ एम पी की निसान, हट्स् चलते-फिरते, पशु चिकित्सा अस्पताल और परिवहन कम्पनी पानी में बह गए थे। नाप्था झाकरी नदी-घाटी परियोजना को भारी क्षति हुई थी, जो लगभग 100 करोड़ रुपये की आंकी गई थी।

राहत और बचाव कार्य

प्रारम्भ में छः राहत टुकड़ियां भेजी गईं, जिन्होने बाढ़ग्रस्त लोगों को तत्काल राहत और मदद मुहैया करवाई। इन टुकड़ियों ने बाढ़-प्रभावित लोगों को बाहर निकालने और सड़कों तथा पुलों की पुनः स्थापना में सहायता की। वायुसेना द्वारा यथापेक्षित हवाई सहायता उपलब्ध करवाई गई। उपलब्ध करवाई जा रही सहायता को मॉनीटर करने के लिए चंड़ीगढ़ और शिमला में नियन्त्रण स्टेशन स्थापित किए गए।

असम में बाढ़ राहत कार्रवाइयां

निचले असम में अनवरत वर्षों के कारण आई अभूतपूर्व बाढ़ ने स्थानीय लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया था। प्रकृति के निष्ठुर प्रकोप के चलते सिविल प्रशासन को सेना की टुकड़ियां बुलानी पड़ीं ताकि निचले असम में बाढ़ से घिरे हजारों लोगों को बाहर निकाला जा सके।

जब मूसलाधार बारिश ने बहुत से क्षेत्रों को पानी में डुबो दिया तो सेना को 2 अगस्त, 2000 और उससे आगे सोनितपुर दरांग कामरूप, नालबाड़ी और कोराभार जिलों में बाढ़ राहत प्रयासों में सहायता करने हेतु बुलाया गया था। सबसे बुरी तरह प्रभावित कामरूप जिले, विशेष रूप से रंगिया सब डिवीजन में सेना ने बड़े पैमाने पर कार्य-क्लाप पूरे किए। यह पूरा शहर पश्चिम में भरलिया नदी और पूर्व में पुथिमारी नदी के उफनते हुए जल में घिरा हुआ था। इंजीनियरों सहित सेना की टुकड़ियों ने तुरंत कार्रवाई की और लगभग 1500 असहाय लोगों को बचाया।

सोनितपुर जिला, पंचमाइलगांव और तेजुपरा के निकट आस-पास के दस गांव भरेली नदी में निमग्न हो गए थे। सेना ने तुरंत कार्रवाई की और पशु चारे सहित राहत सामग्री के वितरण के अलावा लगभग 700 लोगों को बचाया।

नोनाई नाले के पानी में विस्तृत क्षेत्र निमग्न हो गया था, जिसमें दारंग जिले में दुनी के निकट इस नाले के पश्चिमी किनारे के बहुत से गांव भी शामिल थे। सेना की टुकड़ियों, जिन्हें काम पर लगाया गया था, ने लगभग 1100 लोगों को बचाया और सिविल प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शैल्टरों में चिकित्सा सहायता भी मुहैया करवाई।

कोकराझार और नालबारी जिलों में सेना ने क्रमशः सरलभंगा और पागलडिया नदियों के बाढ़ के जल से प्रभावित लगभग 500 लोगों को बचाकर उनकी मुसीबत में सहायता की। 2 से 7 अगस्त, 2000 तक सेना की छः टुकड़ियां और 14 बी० ए० यू० टी० दल तैनात किए गए और कुल मिलाकर 3835 सिविलियन बचाए गए।

आंध्र प्रदेश में बाढ़ राहत : ऑप्रेशन सहायता

आयुक्त राहर और राजस्व, आंध्र प्रदेश के अनुरोध पर हैडक्वार्टर आंध्र सब एरिया द्वारा 24 अगस्त, 2000 को 0500 बजे से बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यवाई के लिए ऑप्रेशन सहायता शुरू की गई थी। निम्नलिखित जिले बाढ़ से प्रभावित थे जैसे—

(1) रंगा रेड्डी जिले में लिंगमपल्ली

(2) मेडक जिले में पाटनचेकवु
(3) हैदराबाद के बाहरी इलाके में हैदराबाद-मुंबई सड़क के साथ-साथ तुलीचौकी और बालानगर,
(4) नारायणगुड़ा।
तुलीचौकी में लगभग 200 व्यक्ति बचाए गए और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किए गए।

बंगाल में बाढ़ राहत कार्य : ऑप्रेशन

बसंतार—III

राज्य सरकार के अनुरोध के आधार पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यवाई की गई निम्नलिखित क्षेत्र से बुरी तरह प्रभावित थे:-

(I) बीरभूम
(II) मुर्शिदाबाद
(III) नादिनल
(IV) बर्दवान
(V) हुगली
(VI) हावड़ा
(VII) उत्तरी 24 परगना।

प्राप्त सूचना के अनुसार कुल मिलाकर 1078 व्यक्तियों के मारे जाने और 99 व्यक्तियों के लापता होने की रपट थी। रेल और सड़क तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। रामपुरहाट और नालहाठी के बीच की रेलवे लाइन बाढ़ के पानी में डूब गई थी। एन एच-34 और अन्य राज्य राजमार्गों में बहुत से स्थानों पर दरारें आ गई थीं। पानी सड़क की सतह से 3 से 4 फुट ऊपर बह रहा था।

बचाव कार्रवाई : कुल मिलाकर 27 अफसर, 44 जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और 716 अन्य रैंक बचाव और राहत कार्यों में लगाए गए थे जबकि 23,369 सिविलियनों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, 10,225 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता दी गई।

पगला चांडी में टिब्न बैली ब्रिज का निर्माण

सबसे बुरी तरह से प्रभावित मुर्शिदाबाद और नादिया जिलों में 18-20 सितंबर, 2000 तक अचानक आई बाढ़ों से बहुत बड़ा क्षेत्र जल-मग्न हो गया था। गाँव बह गए थे और क्षतिग्रस्त तथा पुलों के कारण सभी नागरिक सेवाएं ठप्प हो गई थीं।

नादिया और मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर विनष्ट हुई सड़कों के बारे में रिपोर्टें 20 सितंबर, 2000 को आनी शुरू हो गई थीं यह पता चला कि एन एच-34 जलमग्न होकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। पगला चंडी नदी पर बना पुल बह गया था क्योंकि इसके उफनते हुए जल ने इसके दोनों ही किनारों पर स्थित मीलों लंबे क्षेत्रों में बाढ़ ला दी थी।

पगला चंडी अंतराल को पाटने की तात्कालिक आवश्यकता थी। सेना के इंजीनियर कार्य-दल ने 40 घंटों तक दिन-रात बिना रुके कार्य किया। 4 अक्तूबर, 2000 को 22:45 बजे कृष्णा नाग्गर सिरे पर 70 फुट के 5 बल-सिंगल ब्रिज का कार्य पूरी किया गया। तत्पश्चात् प्लासी के सिरे पर 120 फुट के ट्रिपल-सिंगल ब्रिज के निर्माण के लिए वहां माल *उतारने हेतु सामान से भरे वाहनों को आर सी सी पुल से गुज़ारा गया। यह पुल आर सी सी पुल से मौजूदा सड़क पर* दूर स्थित नदी किनारे तक बनाया गया। इस पुल का निर्माण-कार्य 5 अक्तूबर, 2000 को 23:15 बजे पूरा किया गया।

इस पुल के यातायात के लिए खोले जाने के शुरू के 24 घंटों में 1452 ट्रकों और सैंकड़ों पैदल चलने वालों ने इसका इस्तेमाल किया। ये दो बैली ब्रिज तब तक यहां रहेंगे जब तक राज्य लोक-निर्माण विभाग आर सी सी पुल की मुरम्मत का कार्य नहीं कर लेती है। भारी यातायात जो राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिदिन लगभग 23,500 वाहनों का है, के कारण इन पुलों की प्रतिदिन देख-रेख की आवश्यकता है और इस प्रयोजनार्थ एक जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और 10 अन्य रैंक वाली एक सैन्य टुकड़ी इन पुलों को हटाए जाने तक वहां तैनात रहेगी।

राहत कार्रवाई : गुजरात भूकंप

26 जनवरी, 2001 को भूंकप द्वारा गुजरात राज्य को हिला देने वाले सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप के समय सशस्त्र

सेनाओं ने सबसे बड़ी राहत कार्रवाई शुरू की। सेना तत्काल कार्य में जुट गई। 20,000 से भी अधिक सैनिकों को बचाव और राहत कार्यों में लगाया गया। शल्य चिकित्सा और चिकित्सा दल एवं चलते-फिरते अस्पताल प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत रवाना किए गए ताकि लोगों की मदद की जा सके और महामारियों को फैलने से रोका जा सके। मुस्तैदी से की गई चिकित्सा सहायता और शल्य-चिकित्सा ने बहुत-सी जानें बचाने में मदद की।

सेना ने मलवा हटाकर उसके नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए डोजरों, खाई खोदने वाले और उत्तोलक उपस्करों एयर कम्प्रेसरों, जनरेटिंग सेटों आदि सहित भारतीय इंजीनियरी उपस्कर मुहैया करवाए। इसके अलावा, असहाय लोगों को भोजन, जल, कंबल और तंबु जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीजें मुहैया करवाई गईं। इसके साथ ही गुजरात और शेष भारत के बीच संचार सूत्र जोडे गए।

भारतीय नौसेना (Indian Navy)

श्री एम० एन० भक्त, पूर्व संसद् सदस्य का बचाव: श्री एम० एन० भक्त, पूर्व संसद् सदस्य को जून, 2000 में शुरू में कच्चाल द्वीप में श्रीलंकाई तमिलों द्वारा बंधक बना लिया गया था। नौसेना को उन्हें सुरक्षित रूप से बचाने का कार्य सौंपा गया था। फोर्टन द्वारा ऑप्रेशन सहायता शुरू की गई और पूर्व-संसद् सदस्य को सफलतापूर्वक बचा लिया गया।

आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने का कार्य :- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के एम० वी० स्वराज दीप और एम० बी० नानकावरी के कर्मीदल जब 11 जून से 4 अगस्त, 2000 तक हड़ताल पर चले गए तो नौसेना के कार्मिकों ने इनका कार्यभार संभाला। इस प्रकार, मुख्य भूमि के साथ संपर्क बना रहा और आवश्यक सेवाएं बनाए रखी गईं। इससे हड़ताल के समाधान में सहायता मिली।

लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूहों में चिकित्सा शिविर: एक चिकित्सा शिविर नवंबर, 2000 में लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप समूह में आयोजित किया गया। पिछले वर्ष तक ऐसे ही शिविर को बड़ी सफलता हासिल हुई थी जिनमें इन द्वीपों के 600 व्यक्तियों को तत्काल उपचार और तत्पश्चात् चिकित्सा देख-भाल मुहैया करवाई गई थी।

पिपावाव को पेय जल की आपूर्ति: स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर आई एन एस शक्ति ने पिपावाव बंदरगाह में सूखा राहत के रूप में 1000 बैरल पेय जल पहुंचानें हेतु 28 मई, 2000 को वहां का दौरा किया था।

गुजरात भूकंप राहत कार्य में सहायता

नौसेना द्वारा गुजरात भूकंप राहत कार्यों में उपलब्ध करवाई गई सहायता का विवरण इस प्रकार है:-

(क) नौसेना चिकित्सा दलों द्वारा कांडला और बचाउ स्थित अस्पताल पोतों मे डॉक्टरी उपचार एवं दवाइयों का वितरण किया जाता रहा। जब तक 115 रोगियों का अस्पताल पोतों में उपचार किया गया है और 41 रोगियों को जहाज से मुंबई नौसेना अस्पताल भेज दिया गया है जबकि बचाउ में 302 रोगियों (जिनमें 44 शल्य चिकित्साएं भी शामिल हैं) का उपचार किया गया है।

(ख) 500 कार्मिकों के लिए पका हुआ भोजन/ब्रेड कांडला, अंजार और गांधीधाम के दूर-दराज के गावों में बांटी गई। इसके अलावा, 25 टन राशन राज्य सरकार के विभिन्न राहत केंद्रों/लायंस क्लब/स्थानीय संगठनों को सप्लाई किया गया।

(ग) सभी नौसेना कार्मिकों (सिविलियनों सहित) ने भूकंप पीडितों की सहायतार्थ एक दिन का वेतन दिया है।

(घ) नौसेना ने पुनर्वास हेतु जामनगर जिले के मोडा गांव को अपनाया है।

(ङ) नौसेना ने अपने संसाधनों से 45.8 टन राशन, ब्रेड, बिस्कुट, दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की है। नौसेना पोतों ने महाराष्ट्र सरकार के 200 टन राशन के अलावा 30 टन पकाया हुआ भोजन/नौसेना राशन भी ढोया है जिसका वितरण जोडिया, अंजार गांधीधाम, कांड्ला और मांडवी में किया जा रहा है।

(च) एक भारतीय नौसेना डोरनियर संभारिकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुंबई और कांडला के बीच कार्य कर रहा है। नौसेना तटरक्षक के 7 पोतों के अलावा गुजरात भूकम्प राहत कार्य के सिलसिले में नौसेना वायुयानों, हेलीकॉप्टरों द्वारा 41 उड़ाने भरी गई हैं।

भारतीय वायु सेना (Indian Airforce)

भारतीय वायुसेना को सौंपे गए तात्कालिक हवाई अनुरक्षण और अन्य नेमी संक्रियात्मक कार्यों में ढील दिए बिना सिविल सत्ता को सहायता उपलब्ध करवाई गई।

हताहतों को बाहर निकालना : जम्मू तथा कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की राज्य सरकारों के अनुरोध पर इन राज्यों से 1557 हताहत बाहर निकाले गए। 93:40 घंटों की कुल 168 उड़ानें भरी गईं।

प्राकृतिक आपदा : भारतीय वायुसेना बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य किए और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार,

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र में हताहतों को बाहर निकाला। एतद् संबंधी आंकड़ों का ब्योरा इस प्रकार है:

बाढ़ राहत	सांख्यिकी	राज्य
उड़ान घंटे उड़ानें भारत यात्री नाव ओ बी एम	762.30 954 1044 टन 5700 15 04	बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र

असम में बाढ़ राहत कार्रवाई : भारतीय वायुसेना के एम आई-17 हेलीकॉप्टरों द्वारा 19 अगस्त, 2000 को कपोड चपोरी-असम में बाढ़ से घिरे तीन सौ साठ लोगों को बचाया गया।

हैदराबाद में बाढ़ राहत कार्रवाई : अगस्त, 2000 में, हैदराबाद क्षेत्र में स्थित हेलीकॉप्टर यूनिटों ने हैदराबाद, भद्राचलम और वारंगल में बाढ़ से घिरे लोगों के राहत मुहैया करवाने हेतु उड़ानें भरी। केवल 24 अगस्त, 2000 को ही 150 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बड़ी मात्रा में राहत सामग्री को ढोया गया। भोजन के पैकेट, वस्त्र और दवाइयां गिराई गईं। कई मौकों पर विंचिंग ऑप्रेशनों का सहारा लेना पड़ा क्योंकि उतरने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ राहत कार्रवाई : भारतीय वायुसेना ने पश्चिम बंगाल में 19 से 24 सितंबर, 2000 तक मुर्शिदाबाद, मालदा और बर्दवान जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्य किए। एक यात्री रेलगाड़ी के 1500 से भी अधिक बाढ़ में डूबे मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए उस समय संघर्ष किया जब अचानक आई बाढ़ से रेल की पटरियां बह गई। भारतीय वायुसेना के एम आई-8 और एम आई-17 हेलीकॉप्टरों ने छः दिनों तक सुबह से शाम तक की कार्रवाई में बचाव कार्य किए। भोजन के 13000 पैकेट गिराए गए और बहुत से लोगों की जाने बचाईं।

भूकम्प द्वारा किए गए विनाश की खबरों के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना ने अपने वायुसेना और कार्मिकों को राहत के कार्यकलापों में लगा दिया था। 7 फरवरी, 2001 तक वायुसेना ने देश के विभिन्न भागों से राहत सामग्री, उपस्कर, चिकित्सा दल, भोजन मदें , चिकित्सा आपूर्ति और सामान, तंबू आदि ढोने के लिए 909 उड़ानें भरी हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा 4529 टन (लगभग) से भी अधिक भार ढोया गया। 700 लोगों को बाहर निकाला गया।

हवाई यातायात नियन्त्रण : सिविल हवाई यातायात नियन्त्रण अफसरों द्वारा हवाई यातायात सेवाओं को भंग करने के खतरे का सामना करने के लिए कुल मिलाकर 30 हवाई यातायात नियन्त्रण अफसर, 4 सितंबर, 2000 से 2 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं।

इस प्रकार प्रतिवर्ष भारतीय सेनाएं कानून व्यवस्था बनाये रखने, प्राकृतिक एवं दैवी आपदा के दौरान नागरिक अधिकारियों को सहयोग तथा राहत एवं बचाव कार्य आदि से सक्रिय सहयोग प्रदान करती है । 26 दिसम्बर, 2004 को सुनामी आपदा में अण्डमान निकोबार, तामिलनाडु व केरल तथा बाढ़ हेतु बिहार, असम, हिमाचल, उत्तरांचल में सक्रिय भूमिका सेना द्वारा निभाई गयी। इस दौरान भारतीय वायुसेना व नौ सेना ने अपने अपने सहयोग से नागरिक प्रशासन को सहयोग दिया। वर्ष 2005 में पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव, हिमाचल में आयी बाढ़, मुम्बई में भीषण बरसात में भी अपनी महत्त्वपूर्ण सेवायें प्रदान कीं जो कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

9

भारत की भू-कूटियोजनात्मक स्थिति
(GEO-STRATEGIC LOCATION OF INDIA)

भारत की भू-कूटियोजनात्मक स्थिति की व्याख्या से पहले भू-कूटियोजना (Geo-strategic) शब्द का अर्थ बताना ज्यादा उचित होगा । इसमें अंग्रेज़ी भाषा के दो शब्द Geo तथा Strategy सम्मिलित है, जिसमें Geo का अर्थ है— भू तथा Strategy का अर्थ है, कूटियोजना या सामरिक विवेचना। संक्षिप्त में भू बनावट के आधार पर युद्ध कौशल दृष्टिकोण तैयार करना। भू के अन्तर्गत उसका आकार, सीमा, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, यातायात, संचार, खनिज और वनस्पति आदि सभी तत्त्व आते हैं। कूटियोजना का तात्पर्य युद्ध के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे स्वयं को अधिक-से-अधिक लाभ तथा शत्रु को अधिक-से-अधिक हानि हो। अत: भौगोलिक तथ्यों को ध्यान में रखकर ही कूटियोजना का निर्धारण किया जाता है। इसी कारण भू-कूटियोजनात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है।

जनरल वेवल (General Wavell) ने लिखा है कि—

"भू-कूटियोजना से अर्थ किसी राष्ट्र या क्षेत्र विशेष की युद्ध कौशलात्मक स्थिति, उसके वातावरण जलवायु, भूमि की बनावट, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक स्रोतों आदि द्वारा प्रभावित स्थिति है।"

कूटियोजना की व्याख्या करते हुए **कैप्टन लिडिल हार्ट** (Captain Liddell Hart) ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि—

"The Aim of strategy is to gain the most advantagous circumstances upon the enemy and the more advantagous the circumstances the less proportionately will be the fighting."

(कूटियोजना के अधिकतम लाभदायक परिस्थितियां प्राप्त करना है तथा परिस्थितियां जितनी ही लाभदायक होगी उतने ही कम रक्त-पात के साथ युद्ध को जीता जा सकता है।)

सवेरस्की (Seversky) के अनुसार—

"Military Strategy is a general's plan to overcome the obstacles of geography."

(सैन्य कूटियोजना जनरल की वह योजना है जिसके द्वारा वह भौगोलिक रुकावटों पर विजय प्राप्त करता है।)

भूगोल की महत्ता का वर्णन करते हुए जनरल **वावल** ने लिखा है कि—

"The geography of land determines the course of a battle."

(किसी भूमि का भूगोल वहां की लड़ाई का स्वरूप निश्चित करता है।)

भौगोलिक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव सैनिक योजनाओं, शस्त्रास्त्रों संक्रियाओं, साज-सज्जा एवं समरतांत्रिक चालों पर पड़ता है। यही कारण है, कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही सुरक्षा व्यवस्था अपनानी पड़ती है। आधुनिक युद्ध विश्व व्यापी युद्ध है। अत: किसी भी सैनिक को किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। जब तक उस क्षेत्र के सम्बन्ध में समस्त भौगोलिक जानकारी नहीं होगी, तब तक न तो सैनिक अपनी योजना बना सकता है और न ही सफल कार्यवाही कर सकता है। प्राकृतिक वातावरण से मानव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है तथा उसी के अनुरूप ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था अपनाने का प्रयास करता है। 1962 के भारत-चीन युद्ध में हमारी असफलता का एक प्रमुख कारण यही था कि हमने प्राकृतिक स्थितियों को देखकर अपनी सुरक्षा तैयारी नहीं की थी, जिसका लाभ चीन ने उठाया।

किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियां वहां की सैनिक संक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है तथा सेना-नायक को सम्बन्धित क्षेत्र की कूटियोजना बनाने से पूर्व उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों एवं दशाओं का सही ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार भू-कूटियोजना के लिए किसी राष्ट्र के निम्नलिखित भौगोलिक तत्त्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है—

(1) भौगोलिक स्थिति (Geographical Location)

(2) क्षेत्र विस्तार (Deployment of Area)

(3) जलवायु (Climate)
(4) सीमा (Boundary)
(5) सीमान्त (Frontiers)
(6) प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)
(7) यातायात साधन (Means of Transport)
(8) जन-शक्ति (Population)

अब हम भारत के सन्दर्भ में इन तत्त्वों की विवेचना करते हैं।

1. भारत की भौगोलिक स्थिति (Geographical Location of India)

एशिया में भारत सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थिति में है—पश्चिमी समुद्रों के पार अरब और अफ्रीका तथा पूर्वी समुद्रों के पार बर्मा, मलेशिया और इंडोनेशिया प्रायद्वीप इसके दृष्टिपथ पर है और उत्तर में हिमालय की पर्वत शृंखलाएं भारत को पृथक् किए हुए हैं।

भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8° 4' और 37° 6' उत्तरी अक्षांश और 68° 7' तथा 97° 25' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उत्तर, उत्तर-पूर्व और पश्चिमोत्तर भागों में हिमालय पर्वत की शृंखलाएं हैं। दक्षिणी किनारा कन्याकुमारी हिन्द महासागर द्वारा सतत् प्रक्षलित होता रहता है।

उत्तर से दक्षिण *तक 3214 कि० मी० और पूर्व से पश्चिम तक 2933 कि० मी० क्षेत्र में व्याप्त भारत का सम्पूर्ण* क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग कि० मी० है। इसकी पार्थिव सीमा 15200 कि० मी० और समुद्री तट 7516.5 कि० मी० है। बंगाल की खाड़ी में अण्डेमान निकोबार द्वीप और अरब सागर में लक्षद्वीप भारतीय क्षेत्र के अंग हैं। पश्चिम में इसकी *सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान से और पूर्व में म्यांमार (बर्मा) तथा बंगला देश से मिली हुई है।* उत्तरी सीमा में चीन का सिक्यांग प्रदेश तिब्बत, नेपाल और भूटान सम्मिलित हैं।

कर्क रेखा भारत के ठीक मध्य से गुज़रती है। $82\frac{1}{2}^{\circ}$ की पूर्वी देशान्तर *रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुज़रती* है। इससे पूर्व और पश्चिम के भागों के समय में प्रति देशान्तर 4 मिनट का अन्तर रहता है। ग्रीनविच रेखा से यह देश की प्रमाणिक समय निर्धारण देशान्तर रेखा भी है। **प्रो. चिशोहमल** के अनुसार—"विश्व में केवल बर्मा को छोड़कर अन्य कोई भी ऐसा देश नहीं है, जिसको प्रकृति ने इतनी अच्छी तरह से परिसीमित किया हो जितना भारत को।"

भारत के सात प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं—

(1) उत्तरी पर्वत शृंखलाएं जिनमें हिमालय और उत्तर-पूर्व के पहाड़ों को श्रेणियां शामिल हैं,
(2) गंगा का मैदान,
(3) मध्यदेशीय अधित्यका,
(4) प्रायद्वीपीय पठार,
(5) पूर्वी समुद्र तट,
(6) पश्चिमी समुद्र तट,
(7) समुद्र और द्वीपों के सीमान्त भाग।

भारत की सतही भूमि का अधिकांश भाग पठारी प्रकृति में विकसित हुआ है। विस्तृत मैदान या तो चपटे हैं या 300 से 900 मीटर तक के क्षेत्रों में फैले दलदली क्षेत्र है। इनमें या तो वृत्ताकार पहाड़ियां है अथवा चपटे सिरे वाले कटक क्षेत्र हैं। ये प्राय: मध्यप्रदेश की अधित्यका और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में स्थित है।

भारत के कछारी मैदान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। गंगा के समतल मैदान में प्रकृति की हरियाली मीलों तक फैली है।

भारत में सात प्रमुख पर्वतीय शृंखलाएं हैं—

(1) हिमालय श्रेणियां,
(2) उत्तर और पूर्व की सीमा में फैली पटकाई और अन्य श्रेणियां,
(3) विंध्य शृंखला जो गंगा के मैदानी भाग को दक्षिण घाट से अलग करती है,
(4) सतपुड़ा,

(5) अरावली,

(6) सह्याद्रि जो पश्चिमी तटीय मैदानों के पूर्वी किनारों में फैली है तथा

(7) पूर्वी घाट जो भारत के पूर्वी तट पर अनियमित रूप से बिखरी है और पूर्वी तटीय मैदान की सीमा का निर्माण करती है।

हिमालय जो विश्व में सर्वोच्च पर्वतीय व्यवस्था है विश्व की नवजात पर्वत शृंखलाओं में से एक है। यह लगभग 2500 कि० मी० क्षेत्र तक बिना किसी रुकावट के फैला हुआ है लगभग 500,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र तक के भूभाग को घेरता है। इसमें विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट 7500 मी० से अधिक ऊंचाई पर स्थित लगभग दस अन्य शिखर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उदय चलायमान भारतीय प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया के तिब्बतीय भाग के बीच लगभग 506 लाख वर्ष पूर्व हुई टक्कर से हुआ है। बहुत बाद में हिमालय को वर्तमान ऊंचाई मिली है।

पटकाई और अन्य पर्वत शृंखलाएं भारत-बंगलादेश बर्मा सीमा के साथ-साथ फैली है। इनको सामूहिक रूप से पूर्वांचल कहा जाता है। ये शृंखलाएं जो एक चाप की तरह है, हिमालय के साथ-साथ बनी होगी।

अरावली शृंखला प्राचीनतम पर्वतीय व्यवस्थाओं में से एक है, जो उत्तर पश्चिम भारत में फैली है। वर्तमान अरावली उस विशालकाय व्यवस्था का अवशेष मात्र है, जो प्रागैतिहासिक समय में बर्फ़ की रेखा के ऊपर उठी हुई अनेक चोटियों वाली थी तथा भीमकाय विस्तार वाले हिमनदी का पोषण करती थी और ये हिमनदी अनेक बड़ी-बड़ी नदियों को प्लावित करते थे।

विंध्य शृंखला भारत प्रायद्वीप की लगभग पूरी चौड़ाई व लगभग 1050 कि० मी० तक फैली है जिसकी ऊंचाई का औसत लगभग 300 मीटर है। ऐसा लगता है कि विंध्य शृंखला का निर्माण प्राचीन अरावली शृंखलाओं के टूटने से हुआ है।

सतपुड़ा शृंखला एक अन्य प्राचीन पर्वतीय व्यवस्था है जो 900 कि० मी० की दूरी तक लगभग 1000 मीटर से ऊपर उठने वाली अनेक चोटियों वाली शृंखला है। यह त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नपुरी है और दो भुजाएं नर्मदा और ताप्ती नदियों के सामान्तर फैली है।

सह्याद्रि अथवा पश्चिमी घाट लगभग 1200 मीटर औसत ऊंचाई वाली शृंखला लगभग 1600 कि० मी० लम्बी है और ताप्ती नदी के उद्गम स्थित से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक व्याप्त दक्षिण पठार की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ फैली है। यह अरब सागर के ऊपर स्थित है और मानसूनी हवाओं की पूरी ताकत को रोकती है और इस तरह पश्चिमी तट पर भारी वर्षा का कारण बनती है।

पूर्वी घाट भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। इसे शक्तिशाली नदियां पर्वतों को कई बिखरे हुए टुकड़ों में बांटती है। गोदावरी और महानदी नदियों के बीच में बंटा उत्तरी भाग लगभग 1000 मीटर से अधिक ऊँचा है—

भारत में तीन प्रमुख जलस्रोत हैं—

(1) उत्तर की कराकोरम श्रेणी सहित हिमालय शृंखला,

(2) मध्य भारत और विंध्य और सतपुड़ा शृंखलाएं और

(3) सह्याद्रि अथवा पश्चिम तट के पश्चिमी घाट।

भारत की सभी प्रमुख नदियां इन्हीं में से किसी एक से निकलती है।

हिमालय क्षेत्र की प्रमुख नदियां—सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां बर्फ़ और वर्षा दोनों से ज़लपूरित होती हैं और इसीलिए इनमें साल भर पानी बहता रहता है। हिमालय की नदियां समुद्र में लगभग अपने जल प्रवाह का 70 प्रतिशत पानी ले जाती है। इसमें मध्य भारत की नदियों का 5 प्रतिशत पानी भी शामिल है। ये गंगा में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

सिंधु नदी के कारण भारत का नाम हिन्दुस्तान पड़ा। इसके दोनों किनारों की घाटियां सभ्यता की पीठ स्थली रही है जो सुमेरिया और मिस्र की प्रख्यात सभ्यताओं से न केवल पुरानी अपितु कई मायने में श्रेष्ठ भी रही है। इस ऐतिहासिक नदी की पांच सहायक नदियां हैं—झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज। इनसे पंजाब नाम बना—(पंज = पांच और आब = पानी (नदी) पांच नदियां की भूमि । तिब्बत में कैलाश पर्वत से सिंधु निकलती है और हिमालय में कई मिलों की यात्रा करने का बाद पंजाब में अपनी सहायक नदियों से मिलती है। इसके बाद पाकिस्तान के सिंध से होती हुई अरब सागर में गिरती है।

गंगा पुराणों और इतिहास में समान रूप से प्रसिद्ध है। यह हिन्दुओं की सबसे अधिक पवित्र नदी है। यह भारत के हृदय भाग को आच्छादित करती है जो प्राचीन आर्य संस्कृति का प्रमुख केन्द्र था। यह हिमालय के हिमनद गंगोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश , बिहार तथा बंगाल राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, चम्बल, सोन और कोसी भारत के मैदानी भाग में पंखे की तरह फैली हुई है और इस तरह भारत के विशालतम कछार का निर्माण करती है। यह कछार भाग भारत के पूरे क्षेत्र का एक चौथाई है।

ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकल कर हिमालय में 800 मील के लगभग बहती हुई दक्षिण-पश्चिम की ओर पहले मुड़ती है और फिर दक्षिण की ओर जहां वह गंगा की सुदूर पूर्वी शाखा पद्मा से मिलती है और गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

दक्षिण की नदियां दीर्घकाल से अपनी तटीय क्षेत्रों को अनाच्छादित करती हुई निम्नस्तरीय तत्त्वों वाली चपटी घाटियों का विकास करती रही है। प्रमुख दक्षिणी नदियां हैं—गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेण्णार, महानदी, दामोदर, शरवती, नेत्रवती, भारत पुषा, पेरियार, चम्बा, नर्मदा और ताप्ती। ये नदियां वर्षा के जल पर ही निर्भर करती हैं इसलिए गर्मियों में ये छोटी-छोटी नदियों के रूप में बदल जाती हैं। भारत में पूरे जल-प्रवाह का 30 प्रतिशत ये दक्षिणी नदियां देती हैं। इनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली 10 प्रतिशत प्रवाह देती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेण्णार पश्चिमी घाट से निकलती है तथा पूरे पठार और पूर्वी तट से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत में सबसे बड़ा दूसरा नदी बेसिन (कछार) गोदावरी का है जो भारत के डेल्टा क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत है। कृष्ण बेसिन प्रायद्वीप का दूसरा और पूरे देश का तीसरा सबसे बड़ा बेसिन है।

पठार के उत्तर-पश्चिम से महानदी और दामोदर निकलती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। महानदी सबसे बड़ा कछार बनाती है और यह प्रायद्वीप में तीसरा और पूरे भारत में चौथा सबसे बड़ा कछार है।

नर्मदा और ताप्ती पठार के सुदूर उत्तर किनारे से निकल कर अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा का बेसिन पर्याप्त रूप से बहुत विस्तृत है जो कृष्णा और गोदावरी के बेसिनों के बाद आता है। शरवती, नेत्रवती, भारत पुषा, पेरियार और चम्बा पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी घाट पार कर अरब सागर में गिरती है। ये नदियां अपेक्षाकृत छोटी होने से इनकी जल ग्रहण क्षेत्र (श्रेणी) सीमित है और बेसिन भी छोटा है।[1]

2. भारत का क्षेत्र विस्तार (Deployment of India)—युद्ध की योजना बनाने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र का विस्तार अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि बड़े आकार में अथवा छोटे आकार के अनुपात में है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर क्षेत्र तक है। भारत का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमाएं 15200 कि० मी० और समुद्री सीमाएं 7516.5 कि० मी० है। बंगाल की खाड़ी में अण्डमान निकोबार द्वीप और अरब सागर में लक्ष्य द्वीप भारतीय क्षेत्र के ही हिस्से हैं। विस्तार की दृष्टि से भारत की कूटियोजनात्मक स्थिति महत्त्वपूर्ण है।

3. जलवायु (Climate)—जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव उस क्षेत्र के नागरिकों पर पड़ता है। भू-कूटियोजना का निर्धारण उस क्षेत्र की जलवायु एवं मौसम आदि के आधार पर ही किया जाता है। इस दृष्टि से भारत की जलवायु सर्वोत्तम है,जहां पर सभी ऋतुओं का एक महासंगम है। गर्मी, बरसात एवं सर्दी का क्रमवार सिलसिला होने के कारण यहां का व्यक्ति हर क्षेत्र में कार्य कर सकता है चाहे वह सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र हो या बीकानेर तथा जैसलमेर का नर्म एवं रेत वाला क्षेत्र हो अथवा कच्छ का दलदल। सभी प्रकार की स्थिति में सफलतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए भारतीय सैनिक दक्ष है।

4. सीमा (Boundary)—भारत की सीमा पश्चिम की ओर पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है तथा पूर्व में भूटान, म्यानमार (बर्मा) तथा बंगला देश से मिली हुई है। उत्तरी क्षेत्र में हमारी सीमायें चीन का सिक्याङ्ग प्रदेश तिब्बत तथा नेपाल का स्पर्श कर रही हैं।

भारत से लगी सीमाओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

1.मनोरमा इयर बुक 1994

क्रम	पड़ोसी देश	सीमा क्षेत्र (कि० मी० में)
1.	पाकिस्तान	3310 कि० मी०
2.	नेपाल	1661 कि० मी०
3.	चीन	1439 कि० मी०
4.	भूटान	587 कि० मी०
5.	बंगला देश	4096 कि० मी०
6.	म्यानमार (बर्मा)	1643 कि० मी०

इस प्रकार सीमा की दृष्टि से भारत की भू-कूटियोजनात्मक स्थिति अत्यन्त संवेदनशील है।

5. सीमान्त (Frontiers)—जब किसी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा होता है, तो उसके सीमान्त प्रदेश को ही युद्ध क्षेत्र बनाया जाता है। सीमा एक रेखा है, जो दो राष्ट्रों या दो से अधिक राष्ट्रों का क्षेत्र निर्धारित करती है, किन्तु सीमान्त उससे लगा हुआ क्षेत्र होता है। इसलिए **जे० आर० वी० प्रेस्काट** ने सीमा एवं सीमान्त को इस प्रकार व्यक्त किया है—

"Boundary is a line frontier is a zone."

(सीमा एक रेखा है जबकि सीमान्त एक क्षेत्र है।)

भारत का सीमान्त जहां एक ओर पहाड़ी बर्फीले क्षेत्र से जुड़ा है, तो दूसरी ओर घने जंगल हैं। एक तरफ कच्छ का दलदल तथा वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिन्द महासागर तक का क्षेत्र भारत की सीमान्त क्षेत्र में है। अत: भू-कूटियोजनात्मक दृष्टिकोण से भारत को तीनों प्रकार की सेनाओं का संतुलन रखना आवश्यक है तथा चीन एवं तिब्बत से लगे क्षेत्र की रक्षा के लिए विशेष पर्वतीय दल के गठन की आवश्यकता है। सीमान्त का ध्यान रखते हुए शायद **फ्रेड्रिक महान्** ने कहा था कि—

"भू-आकृति का लाभ उठाते हुए शत्रु पर कठोरता से प्रहार करके ही तुम्हें सर्वप्रिय सफलता की अपेक्षा करनी चाहिए।"

6. प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources)—भू-कूटियोजनात्मक दृष्टि से भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। यह अपनी आत्म-निर्भरता के साथ काम चला सकता है। यद्यपि यह भूगोल के आर्थिक तत्त्व (Economical Factor) में आता है किन्तु इसके बावजूद इसका प्रत्यक्ष प्रभाव सामरिक परिस्थितियों पर पड़ता है। भारत में निम्नलिखित प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं—

(*i*) भू-संसाधन (Land Resources)
(*ii*) वन संसाधन (Forest Resources)
(*iii*) खनिज संसाधन (Mineral Resources)
(*iv*) ऊर्जा संसाधन (Power Resources)
(*v*) जल संसाधन (Water Resources)
(*vi*) मत्स्य संसाधन (Fish Resources)

इस प्रकार सांस्कृतिक संसाधनों की दृष्टि से भारत की स्थिति विकासशील राष्ट्रों की तुलना में उत्तम है।

7. यातायात साधन (Means of Transport)—भू-स्थिति के आधार पर ही उस राष्ट्र के यातायात के साधनों की व्यवस्था की जाती है जिस राष्ट्र की यातायात व्यवस्था जितनी अधिक सक्षम एवं गतिशील होती है वह राष्ट्र प्रत्येक दृष्टि से उतना ही अधिक उन्नतशील होता है। आधुनिक युद्धों की कूटियोजना निर्धारित करने में वहां की यातायात व्यवस्था मुख्य आधार होती है। इस दृष्टि से भारत की यातायात व्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

(1) स्थल यातायात (Land Transport)
  (*i*) सड़क यातायात (Road Transport)
  (*ii*) रेल यातायात (Rail Transport)
(2) वायु यातायात (Air Transport)
(3) जल यातायात (Water Transport)

(*i*) पानी की सतह पर यातायात (Water Space Transport)

(*ii*) पानी के अन्दर यातायात (*Under Water Transport*)

भू-कूटियोजना वहां के यातायात व्यवस्था पर बहुत निर्भर करती है चूंकि युद्धों में इसका विशेष महत्त्व होता है जैसा कि **विन्सटन चर्चिल** ने इस सन्दर्भ में लिखा है—

"Victory is the beautiful bright colour flower seower. Transport is the stem, without it never blossomed."

(विजय एक चमकदार रंगीन पुष्प है तो यातायात उसका एक तना है जिसके बिना वह खिल नहीं सकता।)

इस प्रकार भारत की भू-कूटियोजना के आधार पर यातायात साधनों का सर्वांगीण विकास आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में चौकसी रखने के लिए सभी प्रकार के यातायात व्यवस्था का सुदृढ़ होना जरूरी है। इसका सीधा सम्बन्ध कूटियोजना तथा सफलता से होता है।

8. जनसंख्या (Population)—*किसी भी राष्ट्र की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था में जनसंख्या का होना अनिवार्य है।* जनसंख्या का सम्बन्ध केवल विशाल संख्या एवं मानव-शक्ति से नहीं है बल्कि उनके गुणात्मक मानवीय तत्त्वों से है। किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—

(1) *गुणात्मक जनसंख्या* (2) *संख्यात्मक जनसंख्या*

भारत के सन्दर्भ में दोनों प्रकार की जनसंख्या है, किन्तु संख्यात्मक जनसंख्या की अधिकता है। भू-कूटियोजना निर्धारित करते समय जनसंख्या का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर सैन्य योजना और *कार्यवाही को तय करना पड़ता है। संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है—*

भारत का क्षेत्र	:	3287263 वर्ग कि० मी०
भारत की जनसंख्या (2001)		1027015247
स्त्री-पुरुष अनुपात		*933 स्त्री 1000 पुरुष*
औसत आयु		61.1 वर्ष

इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की भू-कूटियोजनात्मक स्थिति सुदृढ़ है।

भारत विश्व का सातवाँ बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल में जापान से नौ गुणा, ब्रिटेन से तेरह गुणा, पाकिस्तान से चार गुणा तथा बांग्लादेश से तेईस गुणा बड़ा है। इसके विपरीत भारत से पूर्ववर्ती रूस साढ़े पाँच गुणा तथा चीन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका तीन गुणा बड़े हैं। अत: इस आधार पर कहा जा सकता है कि ***भारत का आकार न तो विशालकाय है और न ही बौना है।*** जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व के केवल 2.42 प्रतिशत क्षेत्रफल पर विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर से भारत आने वाले 25 वर्षों में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र कहलाएगा।

भारत की सीमाएँ

(Boundary of India)

किसी देश की सीमाएँ उसकी भौगोलिक बनावट, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं। किसी भी देश की सीमाएँ निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं—

(*i*) प्राकृतिक सीमाएँ (Natural Boundaries)—ये सीमाएँ प्रकृति द्वारा निर्धारित की जाती हैं और ये अधिक स्थायी भी होती हैं। पर्वतों, समुद्रों, नदियों आदि द्वारा बनायी गई सीमाएँ इसी प्रकार की होती हैं।

(*ii*) कृत्रिम सीमाएँ (Artificial Boundaries)—ये सीमाएँ अधिकतर परिस्थितियों, सन्धियों, युद्धों आदि द्वारा बनती और बिगड़ती है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा तथा भारत-पाकिस्तान के बीच वास्तविक नियन्त्रण रेखा आदि सीमाएँ कृत्रिम सीमाएँ हैं।

भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत की सीमाओं का वर्णन जलीय और स्थलीय सीमाओं के रूप में किया जाता है।

(*i*) स्थलीय सीमाएँ (Land Boundaries)—भारत की स्थलीय सीमाएं प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की हैं। भारत की उत्तरी सीमा प्राकृतिक रूप से हिमालय पर्वत श्रेणी द्वारा बनायी गई है। भारत की स्थलीय सीमाएँ उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान तथा पूर्व में बर्मा और बंगलादेश से तथा उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती हैं। हिमालय पर्वत

श्रेणी भारत को पूर्ववर्ती सोवियत संघ, चीन, तिब्बत, नेपाल, म्यनमार आदि देशों से अलग करती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा जो 15,200 कि० मी० लम्बी है, में से अधिकांशतः विश्व के उच्चतम एवं हिमाच्छादित पर्वतीय शृंखला हिमालय द्वारा निर्धारित की गई है। भारत के जम्मू कश्मीर , हिमालय प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमाएँ चीन से लगती हैं। मैकमोहन रेखा (Mc Mohan Line) भारत और चीन के मध्य स्थलीय सीमा निर्धारित करती है। पर्वतों तथा नदियों द्वारा निर्धारित यह एक प्राकृतिक सीमा है। सन् 1914 में शिमला समझौते के तहत **हेनरी मैक मोहन** ने इसे सीमांकित किया था। यह सीमा अभी तक विवादास्पद है। चीन सिक्किम को अभी तक अपना हिस्सा मानता आ रहा है और उसे अपने अपने देश के मानचित्र में भी दर्शाता है। हमारे पूर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के बाद चीन ने अपने मानचित्र से सिक्किम को हटा दिया है और इसे भारत का ही अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया है।

रेडक्लिफ रेखा उत्तर-पूर्व में भारत और पाकिस्तान को एक-दूसरे से पृथक् करती है। यह एक कृत्रिम एवं अनिश्चित सीमा रेखा है। इसकी अनिश्चितता के कारण ही दोनों देशों के मध्य राजनैतिक सम्बन्ध कटु एवं तनावपूर्ण रहते हैं। जिनके परिणामस्वरूप जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और संसद् पर हमले जैसे कड़वे सच सहन करने के लिए भारतीय जनता विवश है।

पूर्व में भारत और म्यनमार (बर्मा) के बीच हिमालय की लुसाई, पटकोई, मिश्मी, नागा, बरेल तथा अराकान योमा आदि पर्वत श्रेणियाँ भारत की प्राकृतिक सीमाएँ बनाती हैं। भारत और बंगला देश की स्थलीय सीमा पूर्णतः कृत्रिम है। यह उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम तथा पश्चिमी बंगाल द्वारा बनायी गई है। यह प्रभावशाली सीमा रेखा नहीं है। इसी का फायदा उठाकर भारत में बंगलादेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

(*ii*) **जलीय सीमाएँ (Water Boundaries)**—जिस प्रकार हिमालय पर्वत भारत की अधिकांश स्थलीय सीमा को बनाता है। उसी प्रकार महासागर जलीय सीमा को निर्धारित करता है। वर्तमान में अनेक आर्थिक कारणों से स्थलीय सीमा की अपेक्षा जलीय सीमा भारत के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत की कुल जलीय सीमाओं का लम्बाई 7577 कि० मी० है। भारत की मुख्य भूमि पर तट रेखा की लम्बाई 6100 कि० मी० है और शेष भारतीय परिधि के अन्तर्गत अण्डेमान, निकोबार तथा लक्षद्वीप आदि द्वीपों की तट रेखाएँ हैं। वर्तमान काल में तकनीकी विकास के कारण जलीय सीमाओं का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत के व्यापार में वृद्धि का प्रमुख आधार ये जलीय सीमाएँ ही हैं। भारत का मत्स्य उद्योग भी इन्हीं जलीय सीमाओं के कारण विकासशील है।

भारत : दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में

(India : In Context of South and South East Asia)

भारत अपनी उत्तम भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों से प्राचीन काल से ही अपने प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाए हुए है। दक्षिणी एशियाई देशों में भारत सहित पाकिस्तान, बांग्ला देश नेपाल तथा भूटान आते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों में म्यनमार, थाईलैण्ड, लाओस, कम्पूचिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया तथा फिलीपाइन आदि देश सम्मिलित हैं। तिमर (Timor) दक्षिणी-पूर्वी एशिया का सबसे नया देश है। यह अभी हाल में ही स्वतन्त्र हुआ है। दक्षिणी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के अधिकांश देशों के साथ भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं। इन देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के अनेक कारण हैं। इनमें कुछ का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है—

1. भारत हिन्द महासागर के हृदय स्थल (Heart Land) में स्थित है। भारत की इस अवस्थिति ने दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों से सम्पर्क जोड़ने में भारत की सहायता है।
2. भारत तथा इन देशों में अनेक भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानताएँ पाई जाती हैं।
3. भारत सहित ये सभी देश विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के अभिन्न अंग हैं।
4. पर्याप्त उपजाऊ मिट्टी तथा मानसूनी वर्षा से इन देशों में चावल तथा गेहूं की कृषि की जाती है।
5. बौद्ध धर्म का प्रकाश भारत से आरम्भ होकर अनेक दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में फैला है। समस्त उपमहाद्वीप में उष्ण मानसूनी जलवायु और एक समान कृषि प्रारूप इसे समरूपता प्रदान करते हैं।
6. भारत का दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के सम्बन्धों की प्रगाढ़ता को इससे भी बल मिलता है कि म्यनमार, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, बाली व सुमात्रा आदि देशों में अभी भी अनेक भव्य नवीन एवं प्राचीन मन्दिर पाए जाते हैं इसी प्रकार इण्डोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र होने के उपरान्त भी यहां रामलीला का मंचन किया जाता है।
7. व्यापारिक क्षेत्र में भी भारत तथा इन देशों के सम्बन्ध प्राचीन काल से ही अच्छे रहे हैं। पिछले लगभग 4,000

वर्षों से भारतीय नौकाएँ बाली, सुमात्रा दजला-अराफात की घाटियों तथा नील नदी की घाटी घाटियों तक सामान इधर से उधर लाती और ले जाती रही हैं।

8. इन देशों के साथ और अधिक प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाने के लिए भारत मे अपनी पूर्व की ओर देखो नीति घोषित की है। इस घोषणा से इनके साथ सम्बन्धों में और अधिक सुधार की हमें आशा है।

9. दक्षिण एशिया में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका देश शामिल हैं। वास्तव में ये सभी देश भारतीय उपमहाद्वीप का ही अंग हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी इन देशों का आपसी लगाव हजारों वर्ष पुराना है। इन देशों में पाए जाने वाले आर्थिक व सामाजिक परिवेश में भी कोई अन्तर नहीं है। इस आधार पर इनके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्वत: ही स्पष्ट हो जाते हैं।

10. समुद्र के पार श्रीलंका हमारा निकटतम पड़ोसी देश है। श्रीलंका की महान् तमिल संस्कृति दक्षिणी भारत विशेषकर तमिलनाडु की ही देन है।

11. *सन् 1947 के विभाजन से पहले भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश एक ही देश एक हिन्दुस्तान का अंग थे। 1947 में हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान भारत से अलग हो गए। भारत की प्रभावी एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्त होकर बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया।*

12. सिन्धु घाटी की सभ्यता के अवशेष भारत और पाकिस्तान दोनों के विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

13. आरम्भ से ही भारत का हिस्सा होने के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्राकृतिक संसाधन भी भारत के साथ सांझे रहे हैं। उदाहरणत: हिमालय पर्वतों का विस्तार भारत के साथ-साथ हमारे पड़ोसी देशों में हुआ है। भारत में बहने वाली अनेक बड़ी नदियाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की ही जीवनदायिनी हैं। सिन्धु नदी भारत से प्रवाहित होकर पाकिस्तान में उपजाऊ मैदान की रचना करती है और अरब सागर में गिरने से पहले कराची के निकट एक विशाल डेल्टा की निर्माण करती है। पूर्व में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा (सुन्दरवन) बनाती हैं जो भारत के साथ-साथ बांग्लादेश में भी स्थित है।

भारत के पड़ोसी देश
(Neighbouring Countries of India)

भारत की अधिकांश जलीय एवं स्थलीय सीमाओं का निर्धारण प्रकृति ने ही किया है अर्थात् भारत की अधिकतर जलीय एवं स्थलीय सीमाएँ प्राकृतिक हैं। यही प्राकृतिक सीमाएँ हमारा सम्पर्क हमारे पड़ोसी देशों से कराती हैं। भारत प्राकृतिक रूप में तीन तरफ (दक्षिण, दक्षिण-पूर्व एवं दक्षिण-पश्चिम) से हिन्द महासागर, खाड़ी बंगाल और अरब सागर से घिरा हुआ है तथा चौथी तरफ (उत्तर व उत्तर-पूर्व) से हिमालय पर्वत एवं इसकी सहायक श्रेणियों से घिरा हुआ है। अत: उपरोक्त में स्पष्ट होता है कि भारत की मुख्य भूमि की सीमाएँ हिमालय पर्वत श्रेणियों तथा हिन्द महासागर द्वारा निर्धारित की गई है। भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में अण्डेमान-निकोबार द्वीप तथा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। ये सभी द्वीप भारत का ही अंग हैं और ये भारत के ही प्रभाव क्षेत्र में आते हैं।

समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश **श्रीलंका** है। यह भारत के दक्षिण में स्थित है और यह पाक जल डमरु सन्धि (Palk Strait) द्वारा भारत से अलग किया गया है। विशेष रूप में दक्षिणी भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समानताएँ पाई जाती हैं। यहाँ तक कि तामिल मूल के लोग श्रीलंका में अधिक हैं। दोनों देशों में घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। इसका ताजा उदाहरण श्रीलंका में लिट्टे उग्रवादियों पर काबू पाने के लिए शान्ति सेना का भेजा जाना है। *इसका एक दुर्बल पहलू ये भी है कि श्रीलंका में शान्ति बनाए रखने के बदले में हमारे युवा एवं सुयोग्य प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रीपेरमबदूर में एक बम विस्फोट में अपनी जान गंवानी पड़ी।* हमारा दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश **इण्डोनेशिया** है जो निकोबार द्वीप समूह के अन्तिम द्वीप के दक्षिण में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के पार भारत के पूर्व में **म्यनमार, लाओस, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, मलेशिया तथा वियतनाम** आदि देश हैं। भारत का प्राचीनकाल से ही इन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहा है। पूर्व में हमारा सबसे निकटवर्ती देश म्यांमार है। मिशमी, पटकोई, नागा, बैरेल और लुसाई पहाड़ियाँ तथा आराकान योमा पर्वतमालाएँ प्राकृतिक सीमा बनाकर भारत व म्यनमार को अलग करती हैं। गहरे वनों से ढकी हुई ऊँची पहाड़ियाँ एवं पर्वत शृंखलाएँ अधिक वर्षा तथा तीव्रगामी नदियों के कारण भारत और म्यनमार के स्थलीय सम्बन्ध ज्यादा सुदृढ़ नहीं हैं। वर्तमान में भारतीय राज्य मणिपुर और म्यनमार के टापू के बीच व्यापारिक रास्ता बन जाने से दोनों देशों में व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध मज़बूत हुए हैं।

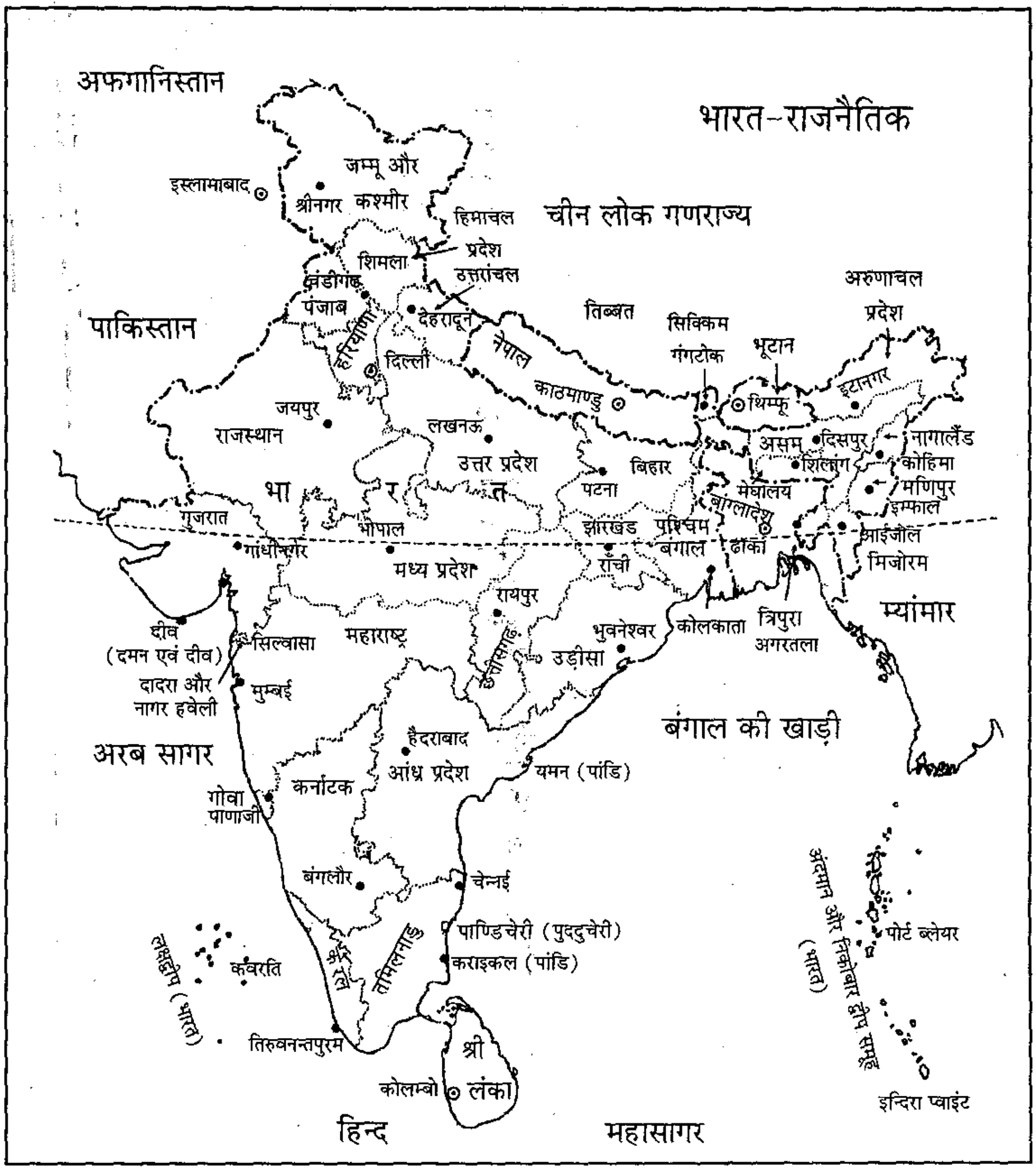

भारत के उत्तर-पूर्व में **बांग्लादेश** स्थित है। इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान के विभाजन के बाद अस्तित्व में आया है। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय तथा त्रिपुरा इसकी कृत्रिम सीमाएँ बनाते हैं। सामान्यत: इन दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य हैं किन्तु कभी-कभी धार्मिक कारणों से इनके सम्बन्धों में कटुता आ जाती है। इसका ताजा उदाहरण वर्ष 2002 में बांग्लादेशी रेंजरों द्वारा भारतीय सुरक्षाबल के जवानों को जबरदस्ती उठाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर उनकी हत्या करके भारतीय सीमा में फेंक देना है। इस सब के उपरान्त भी वर्ष 2002 में अगरतला और ढाका के बीच बस और ट्रेन सेवा चलाने के समझौते से दोनों में अच्छी मित्रता के संकेत मिलते हैं।

भारत की उत्तरी सीमा प्राकृतिक रूप से हिमालय पर्वत द्वारा बनायी गई है। इसके उत्तर में हमारे पड़ोसी देश **तीन** का सिक्याँग प्रदेश तथा तिब्बत का पठार है। तिब्बत वर्तमान में चीन के अधीन है। तिब्बत की राजनीतिक तथा आध्यात्मिक राजधानी ल्हासा भारत की सीमा से 300 कि० मी० से भी कम दूरी पर स्थित है। चीन के सिक्याँग प्रदेश के जरा सा दक्षिण में जम्मू-कश्मीर के शीर्ष पर 'इन्दिरा कॉल' (Indira Col) नामक एक महत्त्वपूर्ण शीर्ष बिन्दु है, जहाँ

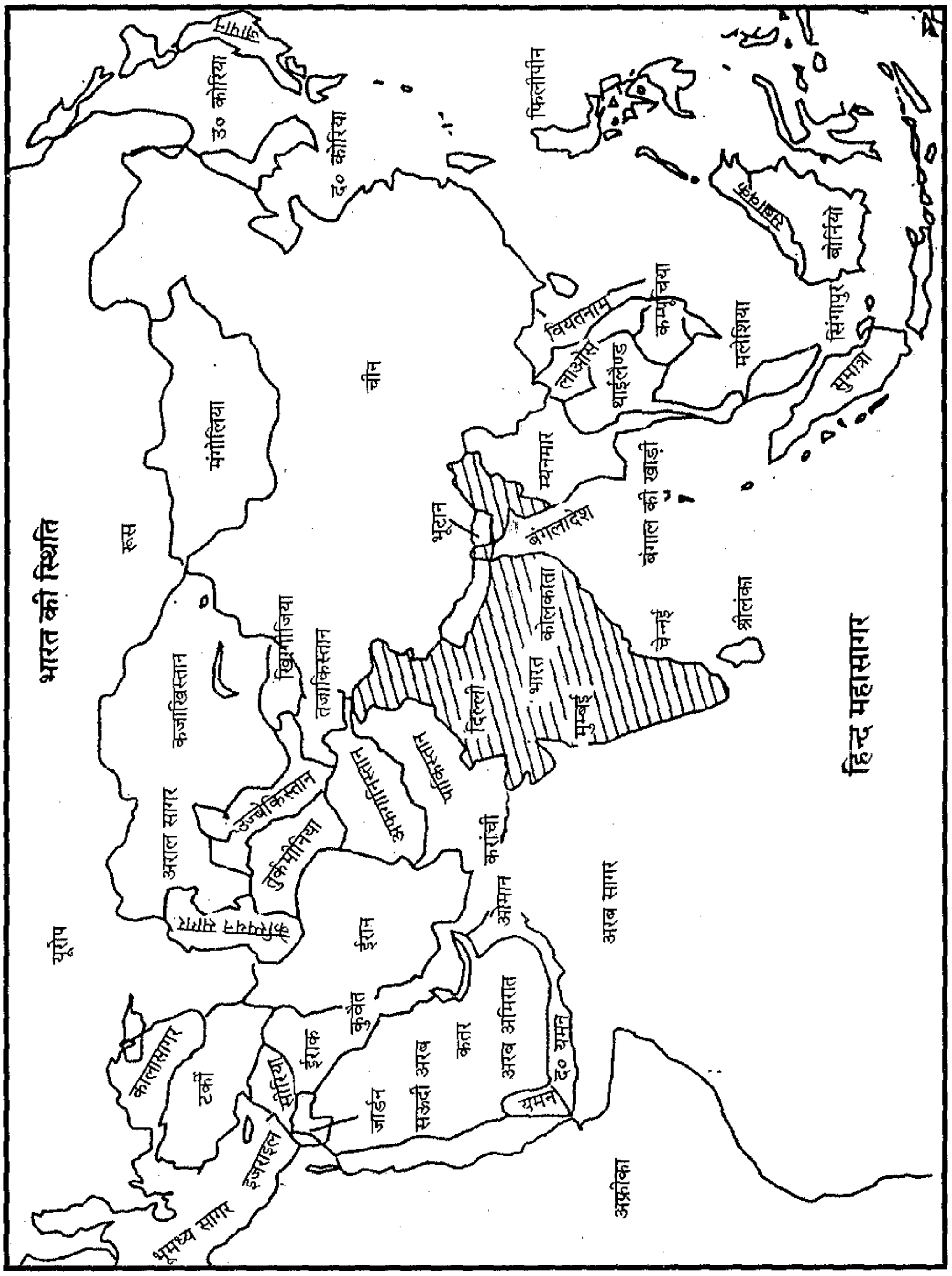
उ० कोरिया
द० कोरिया
फिलीपीन
रूस
मंगोलिया
चीन
कजाखिस्तान
किरगीजिया
ताजकिस्तान
उज्बेकिस्तान
तुर्कमेनिया
अराल सागर
कैस्पियन सागर
अफगानिस्तान
पाकिस्तान
करांची
ईरान
यूरोप
कालासागर
टर्की
सीरिया
ईराक
कुवैत
जार्डन
सऊदी अरब
कतर
अरब अमिरात
द० यमन
यमन
इजराइल
भूमध्य सागर
अफ्रीका
ओमान
अरब सागर
भारत
दिल्ली
मुम्बई
कोलकाता
चेन्नई
श्रीलंका
भूटान
बंगलादेश
म्यनमार
बंगाल की खाड़ी
लाओस
वियतनाम
थाईलैण्ड
कम्बोडिया
मलेशिया
सिंगापुर
सुमात्रा
बोर्नियो
हिन्द महासागर

भारत की स्थिति

पर पाँच प्रमुख एशियाई देश **भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा तजाकिस्तान** की सीमाएँ परस्पर मिलती हैं। भारत के उत्तर में तथा हिमालय की गोद में बसे नेपाल और भूटान हमारे प्रमुख किन्तु छोटे मित्र राष्ट्र हैं। सन्धि के अनुसार इन देशों की रक्षा का दायित्व भारत का ही है। नेपाल की राजधानी काठमाण्डू को भारत से सीधे ही सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। वर्तमान में भारत-नेपाल के बीच चल रही सड़कों, रेलों, चिकित्सा तथा कोसी एवं सनकोसी विद्युत् परियोजनाओं में सांझी भागीदारी दोनों राष्ट्रों की सुदृढ़ मैत्री भावना को दर्शाती हैं। इसी प्रकार भारत भूटान की कुरीचो तथा ताल जलविद्युत् परियोजनाओं में भी सहायता कर रहा है।

हमारे देश के उत्तर-पश्चिम में **पाकिस्तान देश** है। वास्तव में पाकिस्तान हमारे देश भारत का ही अंग था, जो अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति के कारण धर्म के आधार पर 1947 में अस्तित्व में आया। इन दोनों देशों के मध्य अधिकांशत: कृत्रिम सीमा रेखा है। इस रेखा को वर्ष 1947 में **सर साइरिल रैडक्लिफ** (Sir Cyril Radcliff) ने चिह्नित किया था और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नामकरण 'रेडक्लिफ रेखा' वास्तव में यही दोनों देशों के बीच कटुता के बीज बोए हुए है। पिछले काफ़ी समय से दोनों देशों के सम्बन्ध अत्यन्त खराब चल रहे थे यहाँ तक कि दोनों देशों ने अपनी बस, रेल और हवाई सेवाओं तक को समाप्त किया हुआ था। एक समय तो ऐसा भी आया जब भारत में संसद् पर उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को मानकर अपनी सम्पूर्ण फौजी ताकत को सीमा पर तैनात कर दिया था जिससे लगने लगा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध होना निश्चित है। लेकिन भारत के बड़ापन और समझदारी का परिचय देते हुए पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने के लिए आगरा शिखरवार्ता का आयोजन किया। दुर्भाग्यवश यह वार्ता सफल न हो सकी। परन्तु अब दोनों देशों के बीच सम्बन्ध कदम-दर-कदम सुधार की तरफ अग्रसर हैं।

पाकिस्तान के अतिरिक्त भारत के पश्चिम में **अफगानिस्तान, ईरान, ईराक** व अन्य अरब देश भी हमारे पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के पतन के बाद हमारे सम्बन्ध सुधर रहे हैं। इसके तहत भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलकर पुन: कार्य शुरू कर दिया है। मानवीय आधार पर भारत अफगानिस्तान के पुन: निर्माण में सहयोग कर रहा है।

अत: सारांश स्वरूप कहा जा सकता है कि हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं।

भारत का सामरिक महत्त्व
(Strategic Importance of India)

विश्व के राजनीतिक मानचित्र (Political Map) पर भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है। उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिन्द महासागर के मध्य स्थित भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह एशिया एवं अफ्रीका के अनेक विकासशील देशों के मध्य स्थित है। यह यूरोप के पश्चिमी और अमेरिका के पूर्वी भागों से लगभग समान दूरी पर है। यह अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया तथा स्वेज के रास्ते यूरोप से सीधा जुड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति विश्व में अति उत्तम है। पूर्व अथवा पश्चिम किसी भी दिशा में जाने वाले सभी समुद्री मार्ग भारत की किसी-न-किसी बन्दरगाह से होकर अवश्य जाते हैं। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम को जाने वाले सभी वायुमार्ग भारतीय आकाश का प्रयोग अवश्य करते हैं। अपनी इसी सामरिक स्थिति, आकार और संसाधनों के आधार पर भारत प्राचीनकाल में भी, **'सोने की चिड़िया'** के नाम से जाना जाता था। भारत की इसी सामरिक स्थिति के कारण ही यूरोप के लोग इसके किसी-न-किसी भाग पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। ब्रिटिश भारत पर अधिकार करके दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया को अपने आधिपत्य में रखने में सफल रहे थे। भारत अपनी भू-कूटियोजनात्मक महत्त्व के कारण ही दक्षिण एशिया का एक अग्रणीय देश है। दक्षिण एशिया सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना इसका एक प्रमाण है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की भू-कूटियोजनात्मक इस प्रकार की है कि सुरक्षा एवं रक्षा के सन्दर्भ में उसे सतत् सतर्क रहना होगा। अपनी भू-परिस्थितियों के अनुसार रक्षा एवं सुरक्षा परिवेश तैयार करना पड़ेगा। भारतीय उप-महाद्वीप में सशक्ति स्थिति बनाये रखने के लिए सभी भू-पहलुओं को ध्यान में रखकर भावी रणनीति बनानी होगी।

10

भारत की रक्षा में हिन्द महासागर का महत्त्व
(IMPORTANCE OF INDIAN OCEAN IN INDIA'S DEFENCES)

विश्व की तेज़ी के साथ बदलती परिस्थितियों में हिन्द महासागर को भू-सामरिक (Geo-strategy) तथा भू-राजनीतिक (Geo-politics) स्थिति के कारण इसका महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। संसार का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिन्द महासागर है जोकि भारत में कन्याकुमारी से दक्षिणी ध्रुव अंटार्टिका तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी के कुल धरातल क्षेत्र के 14.65 प्रतिशत भाग में है। इसकी सर्वाधिक गहराई 7725 मीटर प्लैनेट द्वीप में है। हिन्द महासागर में पांच जल डमरूमध्य हैं, और इसके जलमार्ग किसी भी अन्य महासागर से अधिक घने तथा संख्या में अधिक हैं। इस महासागर से होकर यूरोप के लिए अमेरिका और मध्य-पूर्व दक्षिण एशिया और प्रशान्त क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं सामरिक जलमार्ग हैं।

हिन्द महासागर भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं है अपितु एक ऐसा चौराहा भी है, जिसके विश्व राजनीति गुज़रती हुई दिखायी देती है। प्रारम्भ से ही बड़ी शक्तियों ने सामरिक गतिविधियों के माध्यम से इस क्षेत्र में शक्ति सन्तुलन को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का दांव-पेच अपनाने का यह प्रमुख केन्द्र बन गया है। यह विडम्बना ही कही जाएगी कि एक ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की **महासभा** ने 16 दिसम्बर, 1971 को यह घोषणा की कि—

"संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा यह घोषणा करती है कि हिन्द महासागर को उन सीमाओं में, जिन्हें निर्धारित किया जाना है, उनके ऊपर फैले आकाशीय क्षेत्र तथा उसके समुद्र-तल सहित इस प्रस्ताव द्वारा चिरकाल के लिए शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाता है।"

वहीं दूसरी ओर विकसित देशों ने अपने आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अपने नौ-सैनिक अड्डों को निरन्तर अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित करने में लगे हुए हैं। भारत और दक्षिण एशियाई देश ही इससे भयभीत नहीं है, बल्कि इस सम्पूर्ण महाद्वीप के लिए खतरे का संकेत है। सामुद्रिक शक्ति विशेषज्ञ **अलफ्रेड महान्** ने कहा था—

"जो भी हिन्द महासागर पर नियन्त्रण कर लेगा वह एशिया को अपने प्रभुत्व में रखेगा। यह सातों समुद्रों की कुंजी है। इक्कीसवीं शताब्दी में विश्व के भाग्य का निर्णय इसी के जल से होगा।"

इसी प्रकार से **डेविड स्मिथ** ने भी कहा था कि—

"जो देश हिन्द महासागर पर नियन्त्रण स्थापित कर लेता है वह फारस की खाड़ी में शासन करता है और जो देश फारस की खाड़ी पर शासन करेगा वह विश्व के भाग्य का नियन्त्रण करेगा।"

हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की रुचि का कारण उनके अपने आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं सामरिक हित हैं जिसके कारण ही इसे अपने अधिकार क्षेत्र में बनाए रखने की होड़ के कारण इस क्षेत्र की शान्ति के लिए एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके विवेचन से पूर्व इसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन आवश्यक है।

भौगोलिक स्थिति (Geographical Situation)—हिन्द महासागर विश्व के महासागरों में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण महासागर है जिसके कारण ही विश्व राजनीति का केन्द्र-बिन्दु इस क्षेत्र को माना जाता है। इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 7 करोड़ 35 लाख वर्ग किलोमीटर है जो एशिया एवं अफ्रीका के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के बराबर है। यह एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के महाद्वीपों से घिरा हुआ है तथा दक्षिण में इसका सीमा क्षेत्र अन्टार्कटिक महासागर द्वारा तय किया जाता है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण करना कठिन समस्या है, परन्तु एक अनुमान यह है कि हिन्द महासागर की दक्षिणी सीमा लगभग 60° दक्षिणी अक्षांश के नीचे तक है।

उत्तर से दक्षिण तक हिन्द महासागर की लम्बाई लगभग 10,400 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई लगभग 9600 किलोमीटर है। सम्पूर्ण भू-मण्डल का 14.2 प्रतिशत तथा पृथ्वी के सम्पूर्ण जलमंडल का 19.9 प्रतिशत भाग इसकी परिधि में आता है। लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फ़ारस की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनेल

और ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी आदि इसके प्रमुख भाग हैं। इसके तट पर लगभग 36 तटवर्ती तथा 11 भीतरी राष्ट्र स्थित हैं जिसमें संसार की लगभग एक चौथाई जनसंख्या निवास करती है।

हिन्द महासागर को भौगोलिक दृष्टि से दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है—पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र। इनका सीमा विभाजन मध्य हिन्द महासागरीय जल-मग्न श्रेणी के आधार पर किया जा सकता है। यह जल मग्न श्रेणी से लक्षदीव, मालदीव से शुरू होकर सुदूर दक्षिण में 77 डिग्री और 80 डिग्री पूर्वी देशान्तरों को मध्य से गुजरती हुई समाप्त होती है। पश्चिमी क्षेत्र में, ओमन, बेसिन तथा सिन्धु जल-मग्न शंकु क्षेत्र प्राकृतिक भण्डारों के प्रमुख क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र में गंगा जल-मग्न शंकु क्षेत्र इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। अफ्रीका के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों में मेडागास्कर जल-मग्न क्षेत्र प्रमुख है और पूर्व में अण्डमान निकोबार जल-मग्न क्षेत्र विशेष है। जल मग्न श्रेणियों की स्थिति और फैलाव के कारण हिन्द महासागर में अनेक द्वीप हैं, जोकि सामरिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

हिन्द महासागर के मुख्य द्वीप—हिन्द महासागर में स्थित द्वीप भू-कूटियोजनात्मक (Geo-strategy) दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ये द्वीप इतिहास में विशेष रूप से 17वीं शताब्दी में जाने गए। इन्हीं के आधार पर यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने अफ्रीका तथा एशिया के देशों पर अपना दबाव तथा देख-रेख रखी थी। हिन्द महासागर के द्वीपों में ये विशेष उल्लेखनीय हैं—

(क) पूर्वी क्षेत्रों में—(*i*) अंडमान, निकोबार (बंगाल की खाड़ी में)

(*ii*) कोकोस तथा क्रिसमस द्वीप (जावा के पास)

(ख) पश्चिमी क्षेत्रों में—(*i*) मैडागास्कर (अफ्रीका के दक्षिण-पूर्व की ओर)

(*ii*) लक्ष द्वीप, मेडागास्कर, मॉरीशस, ब्रितानी, जंजीबार, सैंचिलस, अमीरेट, अल दावा, कार्कुहार।

(ग) दक्षिण क्षेत्र में—श्रीलंका, माल दीव, सेंट पाल द्वीप स्थित हैं।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में—चागोस द्वीप तथा डियागोगार्सिया द्वीप।

उपर्युक्त द्वीपों तथा ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के आधार पर हिन्द महासागर को ब्रिटेन की झील कहा जाता था।

जलमार्ग एवं तटवर्ती राष्ट्र—हिन्द महासागर पूर्व में प्रशान्त महासागर से मलक्का जल डमरुमध्य से जुड़ा हुआ है और पश्चिम में अन्ध महासागर से भूमध्यसागर, स्वेज नहर तथा दक्षिणी अफ्रीका के केप मार्ग द्वारा जुड़ा है। हिन्द महासागर की मध्य स्थिति होने के कारण एवं तीन महाद्वीपों—एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण ये हमेशा जलमार्गों के लिए महत्त्वपूर्ण जल क्षेत्र हैं। प्रधान जलमार्गों में प्रमुख हैं—केप कोलम्बो, सिंगापुर मार्ग, कोलम्बो-पथ मार्ग, केप अफ्रीका का तटीय जलमार्ग, केप बम्बई तथा कराची मार्ग और स्वेज-अदन-कोलम्बो-सिंगापुर मार्ग सुदूर पूर्व और पश्चिमी-उत्तरी अमेरिका को हिन्द महासागर से जोड़ता है। ये हिन्द महासागरीय जलमार्ग एशिया के प्रमुख प्राकृतिक साधन भण्डार के क्षेत्रों को यूरोप तथा अमेरिका के औद्योगिक वितरण के क्षेत्रों से जोड़ते हैं और व्यापारिक दृष्टि से प्राथमिक समझे जा सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन के लिए ये जलमार्ग प्रमुख आयातकर्त्ता देशों से यूरोप तथा अमेरिका के क्षेत्रों को सम्बन्धित करते हैं। अत: यह अनिवार्य है कि ये जलमार्ग सुरक्षित रहें और इसका व्यापारिक महत्त्व कम न होने पाए। इन अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा अनेक महत्त्वपूर्ण तटीय जलमार्ग हैं जो हिन्द महासागरीय देशों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित रखते हैं।

आर्थिक स्थिति—आर्थिक दृष्टिकोण से भी हिन्द महासागर की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। इस क्षेत्र के देशों में कच्चे माल के विशाल भण्डार हैं। इनमें सामरिक प्रयोजन के लिए महत्त्वपूर्ण कच्चा माल भी शामिल है। तटवर्ती और पश्चिमी देशों में समाजवादी समुदाय के देशों को छोड़कर शेष पूंजीवादी विश्व में उपलब्ध कुल तेल भण्डार का आधे से अधिक, यूरेनियम भण्डार का दो तिहाई और सोने तथा हीरे के भण्डार का आधा भाग उपलब्ध है। इन देशों से अमेरिका 40 से अधिक विभिन्न प्रकार के कच्चे माल मंगाता है जिनमें यूरेनियम, लीथियम, वेरीलियम तथा जिर्कोनियम शामिल है। अब हम हिन्द महासागर के गर्भ में उपलब्ध अनुमानित कच्चे माल का आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं—

कच्चा माल	विश्व का प्रतिशत
तेल	37.0%
रबर	90.0%
टिन	70.0%
सोना	79.0%
मैंगनीज	28.0%
क्रोमियम	27.0%

कच्चा माल	विश्व का प्रतिशत
लोहा	16.0%
सिक्का	12.5%
टंगस्टन	11.5%
निकिल	11.0%
जिंक	10.0%
हीरे	98.0%
यूरेनियम	60.0%

हिन्द महासागर से अनेक व्यापारिक जलमार्ग गुज़रते हैं जिनके द्वारा 80 करोड़ टन से अधिक तेल ढोया जाता है। होमुर्ज जल डमरूमध्य के मार्ग से पश्चिम यूरोप के देशों का उनकी कुल खरीद का 70 प्रतिशत खनिज तेल, जापान को 90 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया को 60 प्रतिशत और अमेरिका को 20 प्रतिशत भेजा जाता है। संसार के कुल भारवहन में हिन्द महासागर का प्रतिशत भी अधिक है। इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से हिन्द महासागर की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल कच्चे माल के विपुल भण्डार ही नहीं अपितु एक विशेष व्यापारिक जलमार्ग भी प्रदान करता है। विश्व के छः प्रमुख समुद्री मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुज़रते हैं। व्यापार एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण इसे नियन्त्रण में रखने की होड़ जारी है।

भारत की आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टि से हिन्द महासागर के चार प्रमुख मार्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं—

(1) स्वेज मार्ग

(2) केप मार्ग

(3) सिंगापुर मार्ग

(4) ऑस्ट्रेलिया मार्ग

1. स्वेज मार्ग—यह मार्ग भारत के लिए पश्चिमी राष्ट्रों के साथ व्यापार का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा कम-से-कम दूरी वाला है। यदि यह मार्ग बन्द कर दिया जाए तो पश्चिमी देशों को जाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा जैसा कि इस मार्ग के निर्माण से पूर्व करना पड़ता था। यह मार्ग लाल सागर तथा भूमध्य सागर को एक साथ जोड़ता है, जो कि लगभग 98 मील लम्बाई वाला मार्ग है। आर्थिक दृष्टि के कारण इसका सामरिक महत्त्व भी हमारे लिए बहुत अधिक है।

2. केप मार्ग—भारत एवं दक्षिणी अफ्रीका का व्यापार इसी मार्ग से होता है। यह मार्ग अफ्रीका के राष्ट्रों एवं भारत को जोड़ता है। स्वेज मार्ग के बन्द हो जाने पर यही मार्ग पूर्वी एवं पश्चिमी राष्ट्रों को जोड़ने का काम करता है। इस मार्ग में अनेक सामरिक महत्त्व के द्वीप स्थित हैं जिसके कारण इसको आर्थिक एवं सैनिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए उपयोगी माना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में पश्चिमी राष्ट्रों की बढ़ती रुचि भी हमारी चिन्ता का कारण हो सकती है।

3. सिंगापुर मार्ग—यह मार्ग भारत को उत्तरी तथा पूर्वी राष्ट्रों के साथ जोड़ता है। इसके साथ ही प्रशान्त महासागर तथा हिन्द महासागर के सन्धि स्थल पर सिंगापुर द्वीप सामरिक तथा आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। इसे 'पूर्व के द्वार' (Gateway of East) कहकर भी सम्बोधित किया जाता है। अमेरिका इसी कारण इस पर अपना अड्डा स्थापित कर रहा है। विश्व मानचित्र में जो स्थान स्वेज एवं पनामा का है, वही स्थान पूर्व में सिंगापुर को भी प्राप्त है।

4. आस्ट्रेलिया मार्ग—यह मार्ग भारत को आस्ट्रेलिया के साथ जोड़ता है, जिससे व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भारत सिडनी, मेलबोर्न तथा न्यूज़ीलैंड आदि से अपने सम्बन्ध स्थापित करता है। इस प्रकार आस्ट्रेलिया मार्ग आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हिन्द महासागर का सामरिक महत्त्व
(Strategic Importance of Indian Ocean)

हिन्द महासागर आर्थिक एवं व्यापारिक केन्द्र होने के कारण प्राचीन काल से ही सामरिक महत्त्व का क्षेत्र रहा है। ब्रिटिश शासन के विशाल साम्राज्य का प्रमुख कारण ही हिन्द महासागर पर लगभग तीन शताब्दी तक उसका प्रभुत्व बनाए रखना था। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के साथ ही इस क्षेत्र में शक्ति शून्यता आ गई, जिसका लाभ विकसित राष्ट्रों ने उठाकर अपने महत्त्वपूर्ण अड्डे इस क्षेत्र में स्थापित कर लिए और इसी कारण हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों के मध्य

अधिकार जमाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इसके कारण इन्होंने अपने-अपने अड्डों को नाभिकीय हथियारों से भी सुसज्जित कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में विशेष रूप से दक्षिण एशिया के देशों एवं भारत की चिन्ता बढ़नी स्वाभाविक है।

हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों द्वारा नौ-सैनिक बेड़ों के जमाव का विशेष राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक महत्त्व है। इसके महत्त्व के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं—

(1) विशाल प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धि के कारण अपने उद्योगों का विकास करके अपनी आर्थिक एवं सामरिक स्थिति को सरलता से मजबूत बनाया जा सकता है।

(2) चूंकि यह क्षेत्र पूर्व में यूरोपीय राष्ट्रों का उपनिवेश रहा है तथा आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, इसलिए बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र के राष्ट्रों को अपने औद्योगिक आधिक्य (Industrial Surplus) की आपूर्ति के केन्द्र के तौर पर प्रयोग कर रही हैं।

(3) हिन्द महासागर में आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भण्डार को अपनी परिधि में बनाए रखने के लिए ताकि भविष्य में इनका दोहन किया जा सके।

(4) जलपोतों के आयात-निर्यात का सर्वोत्तम मार्ग है जहां से पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों का व्यापार सम्भव है। इसी कारण कहा जाता है कि जिस राष्ट्र ने हिन्द महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो व्यापार की कुंजी उसके हाथ में आ जाएगी और वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ नौ-सैनिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र माना जाएगा।

(5) ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तेल भी सर्वाधिक आकर्षण का एक प्रमुख कारण है, जोकि हिन्द महासागर में विश्व के तेल रिजर्व का 50 प्रतिशत है। विश्व भर में समुद्री तह से निकलने वाले तेल का 40 प्रतिशत हिन्द महासागर की तलहटी से निकलता है।

(6) हिन्द महासागर मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भी अत्यन्त आकर्षणीय क्षेत्र है।

(7) दक्षिण एशिया के राष्ट्रों पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है ताकि आवश्यकतानुसार इनका शोषण किया जाता रहे और अपनी आर्थिक और सामरिक पकड़ मजबूत बनी रहे।

(8) विकसित राष्ट्रों में विशेष रूप से अमेरिका का उद्देश्य अपने विरोधियों की शक्ति को कमज़ोर करके उनको अपने नियन्त्रण में रखने के लिए कुंजी अपने हाथ में रखना चाहता है।

(9) इस महाद्वीप के अधिकांश देश विकासशील तथा अल्प-विकसित हैं जिनको आपस में लड़ाकर अपने हथियार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका इस क्षेत्र का सर्वोत्तम मानता है।

(10) एक ध्रुवीय व्यवस्था हो जाने के कारण अमेरिका अब खुल कर हिन्द महासागर के देशों एवं अड्डों में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि इस पर उंगली उठाना बहुत ही कठिन काम हो गया है।

इस प्रकार सामरिक दृष्टिकोण से हिन्द महासागर का क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील है। अत: इस क्षेत्र पर निरन्तर चौकसी एवं निगरानी रखने के साथ शक्ति सन्तुलन बनाए रखना आवश्यक हो गया है। सोवियत संघ के विघटन से भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के उत्तरदायित्वों में वृद्धि हुई है क्योंकि इसके पूर्व अमेरिका पर सोवियत संघ का अंकुश था। चीन अभी अपने विकास में लगा है और सोवियत संघ के रिक्त स्थान पर अपने को बैठाने के लिए जुटा है। अत: अमेरिका के उस हस्तक्षेप की अनदेखी कर देता है, जिसका उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। इसलिए भारत को दक्षिण एशिया में बढ़ते अमरीकी कदमों की निरन्तर आहट की चौकसी रखनी होगी।

हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों के अड्डे
(Super Powers' Bases on Indian Ocean)

हिन्द महासागर से अपने आर्थिक, सामरिक एवं राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए बड़े राष्ट्रों ने अपने-अपने नौ-सैनिक अड्डे (Naval Base) बनाए ही नहीं हैं बल्कि अति आधुनिक शस्त्र-प्रणाली से भी सुसज्जित कर रखे हैं। अब हम प्रमुख देशों के द्वारा स्थापित नौ-सैनिक अड्डों का उल्लेख करते हैं—

अमेरिका (U.S.A.)—विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली होने के साथ ही हिन्द महासागर के क्षेत्र में भी इसकी स्थिति सर्वोत्तम है। इसके द्वारा स्थापित नौ-सैनिक अड्डे आधुनिकतम हथियारों एवं संचार प्रणाली से सुसज्जित हैं। अब हम इस क्षेत्र में स्थित इसके प्रमुख नौ सैनिक अड्डों का उल्लेख करते हैं। वैसे लगभग 30 नौ-सैनिक अड्डे हैं।

1. असमारा (Asmara)—इथोपिया के निकट स्थित असमारा द्वीप इस समय अमेरिका के अधीन एक आधुनिक नौ-सैनिक अड्डा है जहां पर अमेरिका ने अपना आधुनिक सैनिक संचार केन्द्र (Military Communication Centre) स्थापित कर रखा है तथा यहीं पर सैटेलाइट ट्रेसिंग स्टेशन (Satellite Tracing Station) से सम्पूर्ण विश्व की कार्यवाही को अपनी नज़र में रखा है। इसके अलावा मसावा बन्दरगाह की सुविधा भी प्राप्त है। अमेरिका ने आस-पास के नौ सैनिक अड्डों पर भी अपना दबाव बनाया हुआ है।

2. बहरीन (Bahrin)—फ़ारस की खाड़ी में स्थित इस बन्दरगाह को अमेरिका ने एक शक्तिशाली नौ-सैनिक बेड़े से सुसज्जित कर रखा है। इस समुद्री अड्डे को अमेरिका ने सितम्बर, 1971 में ब्रिटेन से प्राप्त किया था। बहरीन अड्डा आर्थिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण होने के कारण अमेरिका ने बड़े-बड़े जलयान, फ्लैगशिप तथा विध्वंसक तैनात कर रखे हैं।

इसके साथ ही बहरीन को अपने अति आधुनिक एवं नव-विकसित नौ सैनिक अड्डे के रूप में बना रहा है।

3. डियागोगार्सिया (Diegogarcia)—हिन्द महासागर क्षेत्र में स्थित नौ-सैनिक अड्डों में सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अड्डा डियागोगार्सिया अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अत्यन्त विस्फोटक एवं संवेदनशील बिन्दु का केन्द्र है। यही कारण है, कि विश्व के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति एवं संक्षिप्त इतिहास उल्लेख करना उचित होगा जो भौगोलिक रूप में इस प्रकार से है—

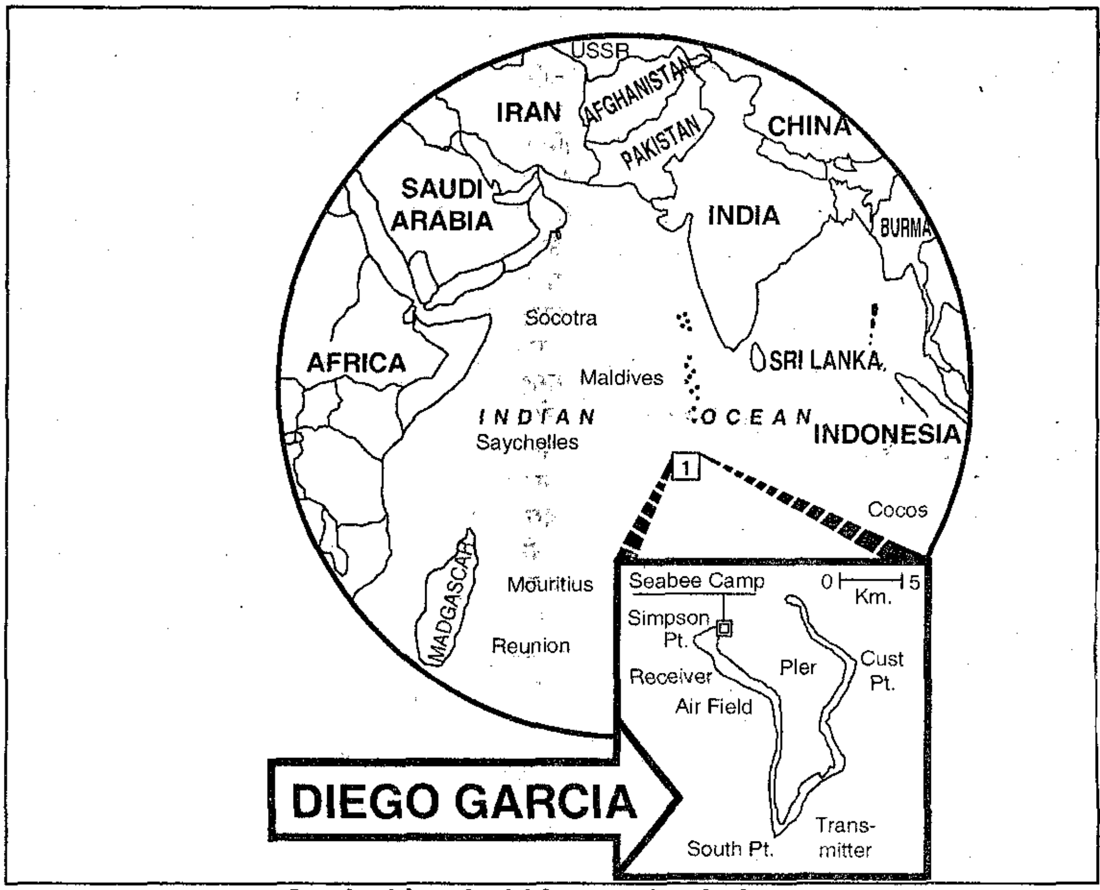

डियागोगार्सिया की भौगोलिक-सामरिक स्थिति

लागोस द्वीप समूह में 7 डिग्री 18 अंश दक्षिणी अक्षांश एवं 72 डिग्री शून्य अंश पूर्वी देशान्तर पर अवस्थित डियागोगार्शिया एक सुदृढ़ और मजबूत द्वीप है। भारत के कन्याकुमारी से नीचे दक्षिण में इसकी दूरी लगभग 1130 मील है। मारिशस से इसकी दूसरी पूर्व की ओर लगभग 500 मील है। यहां से सिंगापुर 2560 मील, अदन 2670 मील, आस्ट्रेलिया (पर्थ) 3400 मील, ईराक किर्कुक 3800 मील, ईराक (कर्मन्शाह) 400 मील, कुवैत 3500 मील तथा कतर 2000 मील दूर है। यह द्वीप हिन्द महासागर के ठीक बीचों बीच स्थित है। यह द्वीप मूलत: मारिशस राज्य का एक भाग था। अंग्रेज़ों ने जब मारिशस को आज़ाद किया, तब इस द्वीप को संचार-साधनों की सुविधा के लिए अपने पास रख लिया। बाद में 1965 में ब्रिटेन ने मेडागास्कर के उत्तर में फरकुहर से चालीस मील के दक्षिण में डेसरोचज के पांच टापुओं, जिनमें डियागोगार्शिया प्रमुख है, को मिलाकर एक नया उपनिवेश बसाया। इसका नाम 'ब्रिटिश इण्डियन ओशन टेरीटरीज' रखा गया। 18 अप्रैल, 1967 को इन्हें ब्रिटेन ने मारिशस से 10,13,200 पौण्ड में खरीद लिया। सामरिक दृष्टि से डियागोगार्शिया की भौगोलिक स्थिति हिन्द महासागर में काफ़ी प्रभावशाली है। आज अमेरिका इस द्वीप को एक सुदृढ़

सामरिक सैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना चुका है। 1974 में ब्रिटेन की मज़दूर दलीय सरकार ने अमेरिका को यहां सामरिक अड्डा बनाने की अनुमति दे दी थी। यह सुनकर कितना अजीब लगता है, कि ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका को यहां संचार साधनों के लिए अड्डा स्थापित करने की सुविधा देने का फैसला भी मज़दूर दलीय सरकार ने ही किया।[1]

डियागोगार्शिया अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विस्फोटक का एक शक्तिशाली केन्द्र बन गया है। अमेरिका इस द्वीप को एक सुदृढ़ सामरिक सैनिक अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। यह द्वीप हिन्द महासागर के तटीय देशों के लिए खतरे का एक आधार बनेगा क्योंकि यहां अमेरिका की उपस्थिति से अन्य शक्तिशाली राष्ट्र भी अपनी सामरिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए तथा तुलनात्मक सैन्य शक्ति जुटाने के लिए बढ़ेंगे जिससे प्रतिस्पर्धा के कारण आपसी मन-मुटाव बढ़ सकता है जो विश्व की राजनीति के लिए घातक होगा।

अमेरिका ने इस द्वीप को इतनी द्रुतगति के साथ आधुनिकतम संचार प्रणाली, हवाई पट्टी, माल वाहक विमानों तथा बमवर्षकों के लिए ईंधन आपूर्ति पनडुब्बियां, विमानवाहक पोत से युक्त नौ-सैनिक बेड़े से लैस करने से सभी की निगाहें इस पर लग गईं। डियागोगार्शिया में अमेरिका के इस त्वरित विस्तार ने संसार के सभी राष्ट्रों को आश्चर्य में डाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों के बीच शक्ति-स्पर्धा शुरू हो गई। अमेरिका ने सोवियत संघ का हौवा खड़ा करके इस क्षेत्र में अपनी सामरिक सरगर्मियां इतनी तेज़ रखीं, कि उसने मिस्र के लाल सागर तट पर स्थित **रास बेनाये** बन्दरगाह को भी अपने नियन्त्रण में ले लिया। इसके साथ ही केन्या का **माम्बासा** नौ-सैनिक अड्डा, पाकिस्तान का कराची बन्दरगाह भी इसे पूरी सामरिक सुविधाएं देने के लिए विवश है।

एक सूचना के अनुसार आज भी हिन्द महासागर क्षेत्र में अमेरिका के 42 युद्धपोत और सहायक जलयान तैनात हैं।

4. **सिंगापुर (Singapur)**—अमेरिका ने हिन्द महासागर के 44 वर्ग किलोमीटर वाले डियागो-गार्सिया द्वीप में अपना अति आधुनिक आक्रामक उपकरणों से सज्जित विशाल सैनिक अड्डा तो कायम कर रखा है जिसके माध्यम से वह समस्त दक्षिण एशियाई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाने के प्रयास में जुटा है। फिर भी सिंगापुर को अपने नियन्त्रण में रखने के लिए प्रयत्नशील है। अमेरिका ने सिंगापुर से एक समझौता किया है कि इस द्वीप में 200 नौ-सैनिक छः एफ (F)—16 लड़ाकू विमान तथा जेट-95 विमान स्थायी रूप से तैनात रहेंगे। अपनी नौ छः कमान को सिंगापुर लाने के समय तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश का यह कथन कितना कूटनीति से भरा है—

"अमेरिका परोपकार की दृष्टि से यहां अपनी सेना नहीं ला रहा है बल्कि इस देश की सुरक्षा एवं समृद्धि स्वयं अमेरिका के हित में है क्योंकि यह देश अधिक स्थिरता और अधिक समृद्धि का निर्माण करने में सहायक है। अस्थिर एशिया से हमारा हित पूरा नहीं होता बल्कि अमेरिका चाहता है कि एशिया महाद्वीप अधिक-से-अधिक उत्पादक हो। सुरक्षा की दृष्टि से हमारी मौजूदगी से एक-दूसरे की समृद्धि बढ़ सकती है।"

शायद अमेरिका समृद्धि का अर्थ नहीं जानता अथवा अपनी समृद्धि को दूसरों की समृद्धि से इंगित कर रहा है।

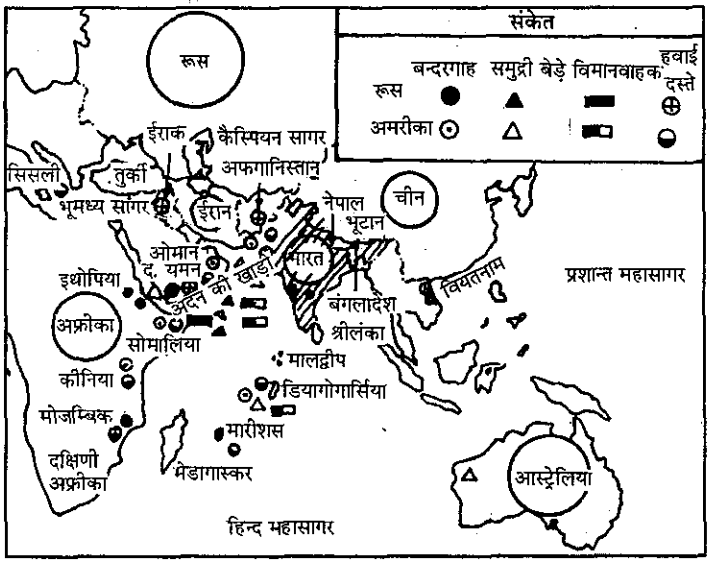

चित्र—हिन्द महासागर की स्थिति तथा रूस और अमेरिका के अड्डे

1. International Politics —Dr. P.D./Sharma

ब्रिटेन (U.K.)—हिन्द महासागर को ब्रिटेन ने अपनी शक्ति बना रखा था, किन्तु परिस्थितियों में परिवर्तन आया और आज भी उसके पास इस क्षेत्र के कुछ महत्त्वपूर्ण द्वीप सज्जित है जिन्हें आधुनिक प्रणाली से अपने अधीन कर रखा है। कई द्वीपों में आपसी समझौते कर रखा है। मानद्वीप (मालदीव द्वीप समूह) में हवाई अड्डे के साथ ही जलयानों की ईंधन आपूर्ति के लिए सुविधाएं भी हैं। यहां इसका स्काई नेट (Skynet) अर्थ स्टेशन (Earth Station) भी है। इसके अतिरिक्त मारीशस, मसीराह (ओमन) तथा बहरीन में भी इसे बन्दरगाह की सुविधाएं प्राप्त है।

फ्रांस (France)—फ्रांस की स्थिति लाल सागर के साथ लगे भूमध्य सागर के तट पर है। अतः यह इस रास्ते से हिन्द महासागर पर अपनी स्थिति को मजबूत रखने की प्रतिस्पर्धा में आगे आ गया था। **मैडागास्कर** के डिगो सुआरेज तनानारिव नौ सैनिक अड्डों में फ्रांस ने अपना आधुनिक विकास कार्यक्रम जारी रखा, किन्तु समझौते के आधार पर 1975 में इसे खाली करना पड़ा। अब फ्रांस के पास लाल सागर के तट पर स्थित जिवोटी, जरे अफर्स तथा इसास द्वीप हैं, जिन्हें इसने संचार व्यवस्था तथा वायु अड्डे के रूप में विकसित किया हुआ है।

चीन (China)—हिन्द महासागर में चीन की रुचि किसी भी शक्तिशाली देश के मुकाबले कम नहीं है किन्तु यथार्थ में उसकी नौ-सेना की स्थिति प्रतिरक्षात्मक है क्योंकि उसका विस्तार अन्य की तुलना में कम है। चीन ने अपने आधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपक और जलयान अड्डे की सुविधाएं जंजीवार (तन्जानिया) द्वीप में बना रखी है। इसके साथ ही पाक के साथ समझौते के आधार पर कराची बन्दरगाह का भी प्रयोग कर लेता है।

रूस (Russia)—रूस ने भी हिन्द महासागर में अपनी गहरी रुचि रखी है किन्तु सोवियत संघ के खंडन के कारण उसकी सामरिक परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसने दक्षिणी यमन में सकोबा द्वीप में वायुयानों तथा जलयानों के लिए आधुनिक अड्डों का निर्माण किया है। इसके साथ ही होडेडा, अदन, मामा डिशू तथा बारवेरा (सोमालिया) द्वीपों में अपनी आधुनिक संचार प्रणाली लगा रखी है। इसके साथ अन्य मिस्त्र राष्ट्र से समझौते के आधार पर अपने नौ-सैनिक अड्डे बनाए हैं।

हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों के अड्डों के कारण दक्षिण एशिया में विशेष रूप से भारत के लिए सामरिक एवं कूटनीतिक समस्या खड़ी हो गई है। भारत ने बड़ी शक्तियों के हिन्द महासागर में जमाव का सदा से ही विरोध किया है और श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित 'शान्ति क्षेत्र' का ज़ोरदार समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इसे शान्ति क्षेत्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव पारित करवाया है। बड़ी शक्तियों के अड्डों के निर्माण के सन्दर्भ में भारत के विदेश मन्त्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 1984-85 में इसका विरोध करते हुए लिखा है—

"हिन्द महासागर से सभी देशों की सैनिक उपस्थिति को ख़त्म करवाने के लिए भारत द्विपक्षीय आधार पर अन्य गुट-निरपेक्ष राज्यों के सहयोग से निरन्तर कार्य करता रहा। हिन्द महासागर में बड़े राष्ट्रों की सैनिक उपस्थिति और वृद्धि से भारत ने मानसिक अशान्ति महसूस की क्योंकि यह वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तनाव और अनिश्चितता बढ़ने की सूचक है। बड़ी शक्तियों ने निकटवर्ती राज्यों में पहले से प्राप्त अपनी सैनिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने तथा क्षेत्र में नए अड्डे तथा सुविधाएं हासिल करने की कोशिश जारी रखीं। भारत यह उम्मीद करता है कि ये तटवर्ती राज्य किसी भी बड़ी शक्ति के साथ अपने आपको नहीं जोड़ेंगे और न ही उन्हें कोई सुविधाएं देंगे जिसकी वजह से दूसरी ओर वैसी ही प्रतिक्रिया हो। भारत हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाने की दिशा में काम करता रहा है।"

इस प्रकार हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों के अपने हित हैं जिसके कारण वह इस क्षेत्र से कभी हटने के लिए गम्भीरता से सोचती तक नहीं हैं। हिन्द महासागर में अमेरिका के हितों एवं उद्देश्यों को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

(*i*) तेल सम्पन्न खाड़ी देशों में अमरीकी स्वार्थ।
(*ii*) पश्चिम एशिया पर दबाव रखने के लिए।
(*iii*) हिन्द महासागर क्षेत्र में अपने यातायात की सुरक्षा के लिए।
(*iv*) मध्य-पूर्व से जापान तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों को खनिज तेल की आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए।
(*v*) रूस पर नियन्त्रण रखने के लिए।
(*vi*) अपने उद्देश्य में बाधा पहुंचाने वाले राष्ट्रों पर अंकुश रखने के लिए।
(*vii*) दक्षिण एशिया पर निगरानी रखने के लिए।
(*viii*) आर्थिक हितों के विकास के लिए।
(*ix*) सामरिक स्थिति को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए।
(*x*) कूटनीतिक स्थिति को अपने हित में रखने के लिए।

हिन्द महासागर : शान्ति क्षेत्र एवं भारत

(Indian Ocean : Peace of Zone and India)

भारत ने हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति का बराबर विरोध किया है क्योंकि इस कारण [illegible] पड़ोस में नये संघर्ष पैदा होते हैं और उनकी शान्ति और स्थायित्व के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। हिन्द [illegible] को शान्ति क्षेत्र बनाने से सम्बद्ध 1971 की घोषणा को शीघ्र ही क्रियान्वित कराने की दिशा में भारत अन्य गुट-नि[illegible] तथा तटवर्ती पश्चिमी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

हिन्द महासागर का शान्ति क्षेत्र का पक्ष तटीय राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अमरीका और सोवियत संघ का उत्तरोत्तर बढ़ता सैनिक जमाव इन राष्ट्रों के लिए गहरी चिन्ता का विषय है, क्योंकि ये राष्ट्र हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित किए जाने के पक्षधर हैं। प्रस्ताव को प्रचारित करने में अगुवाई श्रीलंका द्वारा की गई जिसने सर्वप्रथम इस मामले को गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के काहिरा सम्मेलन (1964) और तदुपरान्त लुसाका सम्मेलन (1970) में उठाया। 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिन्द महासागर को, इससे ऊपर वायुस्थल और नीचे के धरातल सहित, शान्ति क्षेत्र घोषित कर दिया।

शान्ति क्षेत्र से हमारा अर्थ उस भौगोलिक क्षेत्र से है जहां से युद्ध का खतरा समाप्त कर दिया गया हो अथवा जहां युद्ध का खतरा न्यूनतम कर दिया गया हो। शान्ति क्षेत्र के प्रत्यय को परिभाषित करने और विकसित करने की दिशा में भी श्रीलंका ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रमण्डल राष्ट्रों के सिंगापुर सम्मेलन (1971) में प्रस्तुत अपने प्रस्ताव में श्रीलंका ने कहा कि शान्ति क्षेत्र के अन्तर्गत मात्र हिन्द महासागर ही नहीं वरन् तटीय राष्ट्रों के भू-क्षेत्र, वायु-क्षेत्र और क्षेत्रीय जल भी सम्मिलित होना चाहिए। शान्ति क्षेत्र को भू-क्षेत्र तक प्रसारित करके सभी प्रकार के सैनिकीकरण, सैन्य जमाव और परमाणु अस्त्र कार्यक्रम को इसकी परिभाषा में लाया जा सकता है। शान्ति क्षेत्र की अवधारणा का एक समानान्तर सह-तथ्य यह भी है कि क्षेत्रीय राष्ट्र स्वयं उन कार्यों से विरत रहेंगे जो शान्ति क्षेत्र की अवधारणा के विरुद्ध हों।

प्रो० हेडली बुल की जवाहर लाल विश्वविद्यालय दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विशेषज्ञ **डॉ० टी० टी० पोलूस** (T.T. Poulose) द्वारा सम्पादित पुस्तक "इण्डियन ओशेन पॉवर राइवलरी" (The Indian Ocean Power Rivalry), दि इण्डियन ओशेन एज ए जोन ऑफ़ पीस (The Indian Ocean As a Zone of Peace) शीर्षक लेख में हिन्द महासागर में शान्ति क्षेत्र के सन्दर्भ में पाँच प्रकार के प्रस्तावों की चर्चा की है—

(1) पहले प्रकार के प्रस्ताव हिन्द महासागर को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रकार के प्रस्ताव की लुसाका सम्मेलन (1970) द्वारा पारित प्रस्ताव में पर्याप्त चर्चा थी और इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1971 के प्रस्ताव में भी किया गया है। यद्यपि प्रस्ताव मुख्य रूप से बाह्य शक्तियों के सन्दर्भ में हैं, परन्तु 1973 में संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति में हुए विचार-विमर्श के दौरान श्रीलंका के प्रतिनिधि ने यह कहा कि क्षेत्रीय राष्ट्रों को भी अपने परमाणु अस्त्र के विकल्प को तिलांजलि देनी होगी।

(2) दूसरे स्थान पर, क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति को समाप्त करने, कम करने, प्रतिबन्धित करने अथवा और वृद्धि को रोकने से सम्बन्धित प्रस्ताव में हिन्द महासागर में उनकी सैनिक उपस्थिति के और अधिक विस्तार को रोकने की बात कही गई है।

(3) तीसरे स्थान पर ऐसे प्रस्ताव हैं जिनमें क्षेत्र से बड़ी शक्तियों के संघर्ष और प्रतिद्वन्द्विता को समाप्त करने की बात कही गई है जिसका कमोबश आशय यह है कि क्षेत्र से गठबन्धन और बड़ी शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र समाप्त कर दिए जाएं।

(4) चौथे स्थान पर ऐसे प्रस्ताव हैं जिनका सम्बन्ध राजनीतिक विवादों के निपटारे अथवा तटीय राज्यों द्वारा शस्त्र नियन्त्रण प्रतिबन्धों को स्वीकार करने से है।

(5) अन्ततः ऐसे प्रस्ताव हैं जिनमें हिन्द महासागर में शान्ति की सम्भावनाओं और तटीय राज्यों के राजनीतिक उद्देश्यों के मध्य सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ, भारत ने हिन्द महासागर में द्वीपों को उपनिवेशवादी शासन से मुक्त करने की मांग की है और कुछ अन्य राष्ट्रों ने रंगभेदवादी शासन के समापन की बात कही है।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रमुख उद्देश्य बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा को रोकना तथा परमाणु हथियारों तथा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के जुटाने पर प्रतिबन्ध लगाना है। श्रीलंका यही चाहता है कि हिन्द महासागर में परमाणु हस्तक्षेप पर पाबन्दी यथाशीघ्र लगाई जानी चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि सोवियत संघ के पतन से यह आशा की जाने लगी थी कि महाशक्तियों की होड़ एवं शीतयुद्ध की समाप्ति से हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किए जाने में अब कोई बाधा नहीं होगी, किन्तु सब काल्पनिक ही रहा। वास्तविकता तो यह है कि अमेरिका की

दिलचस्पी इस क्षेत्र में निरन्तर गहराती जा रही है। क्षेत्रीय राष्ट्रों की सुरक्षा एवं विकास समस्याएं सुलझने की आशा थी किन्तु बड़ी शक्तियों के अपने निजी स्वार्थ इतने बढ़े हैं कि उनको इस क्षेत्र की समस्याएं दिखाई ही नहीं देती हैं।

इसके साथ ही शान्ति क्षेत्र बनाये जाने में सबसे बड़ी बाधा हमारे तटवर्ती राष्ट्रों के व्यक्तिगत हित भी हैं जिसके कारण वे शान्ति क्षेत्र बनाए जाने के मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाते हैं। यद्यपि हिन्द महासागर के शान्ति क्षेत्र बनाने की बात बहुत पहले से ही की जा रही थी, किन्तु लिखित रूप में सर्वप्रथम श्रीलंका के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि श्री एस० अमरसिंघे द्वारा कार्यवाही की गयी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से संयुक्त राष्ट्र के 26वें वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1971 की कार्य सूची में रखने का अनुरोध किया। विचार-विमर्श के बाद सभा ने 1971 में ही इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रस्ताव में घोषणा की गयी कि—

"अब से हिन्द महासागर, अपने वायु क्षेत्र और भू-तल के साथ शान्ति का क्षेत्र होगा। प्रस्ताव के दूसरे अनुच्छेद में सैनिक जमाव को कम करने का आह्वान करते हुए यह आग्रह किया गया है कि सभी बड़ी शक्तियों को अपनी सभी सैनिक अड्डे समाप्त कर देने चाहिए। क्षेत्र से परमाणु अस्त्र-शस्त्र हटा लेने चाहिए और बड़ी शक्तियों के संघर्ष के प्रतीक समस्त कदम वापस ले लेने चाहिए।"

इस प्रस्ताव के कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सके, क्योंकि इस प्रस्ताव को स्वार्थी राष्ट्रों ने अपने हितों एवं कूटनीतिक तरीके से देखा। 1982 की बैठक में पश्चिमी राष्ट्रों ने कुछ नये विचार रखे जिनका अभिप्राय यही था कि समस्या को क्षेत्रीय तथा विश्वपरक आधार पर सहमति के आधार पर सशक्त बनाया जाए और परमाणु अप्रसार सन्धि के तहत परमाणु हथियारों पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाए। लेकिन तटीय राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अभी तक जितने प्रयास हुए हैं वे सभी व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण व्यर्थ ही सिद्ध हुए हैं। अत: व्यक्तिगत स्वार्थ से परे हटकर मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए सभी राष्ट्र एकजुट हों तो शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने से तथा प्रस्ताव पारित करने से अमेरिका सहित बड़े राष्ट्र इस बात को सरलता से मान लेंगे, इस पर पूर्ण सन्देह है। भारत की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है इसे अपने बल पर इसका विरोध करना पड़ेगा और इसके लिए तुलनात्मक सामरिक तैयारी भी करनी पड़ेगी। यही इस दबाव की राजनीति एवं कूटनीति का हल है। जब तक बड़े राष्ट्रों के अपने आर्थिक एवं सामरिक हित जुड़े रहेंगे तब तक वे सभी हिन्द महासागर से दूर नहीं रह सकते। दक्षिण एशियाई देश इस खतरे को स्वीकार करते हैं किन्तु इन राष्ट्रों में आपसी तनाव है जिससे बड़ी शक्तियों को मजबूरीवश छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अत: प्रस्ताव के लिए ही हिन्द महासागर शान्ति क्षेत्र घोषित हो चुका है। वास्तविक के लिए शक्ति शोषण का क्षेत्र ही रहेगा। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (I.D.S.A.) द्वारा प्रकाशित जनरल (Journal) के अंक जनवरी से मार्च 1978 में लिखा है कि—

"However, big powers' economic stake in the Indian ocean region is so deep that their rivalry in the Indian ocean will not come to an end unless all the countries of the Indian ocean region including the inter land states from an organization of the Indian ocean community and put combined pressure on the big powers to keep the Indian ocean as a zone of peace."

भारत के लिए सामुद्रिक शक्ति का महत्त्व

(Importance of Sea Power for India)

भारत के लिए सामुद्रिक शक्ति का जितना महत्त्व है शायद ही किसी देश के लिए इतना महत्त्व समुद्र का हो। भारत की भौगोलिक स्थिति का अवलोकन करने पर चारों ओर में से तीन ओर विशाल समुद्र अपनी बाहों में समेटे हुए हैं। अत: स्थल सेना की अपेक्षाकृत नौ शक्ति के विकास की विशेष आवश्यकता है। भारत का अस्तित्व बहुत कुछ सामुद्रिक सुरक्षा पर निर्भर करता है। **सरदार के० एम० पन्नीकर** ने अपनी पुस्तक 'India and the Indian Ocean' में स्पष्ट लिखा है—

"The future of India will undoubtedly be decided on the sea. It is indissolubly connected with developments in the Indian ocean."

(निःसन्देह भारत का भविष्य सामुद्रिक शक्ति पर निर्भर होगा। हिन्द महासागर के नियन्त्रण तथा भारत के भविष्य में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।)

भारतीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए यह अनिवार्य है कि भारत अपनी सामुद्रिक शक्ति का विकास कर हिन्द महासागर पर अपना नियन्त्रण स्थापित करे, क्योंकि महाशक्तियों (सोवियत रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हिन्द महासागर पर होड़, जोकि 'शान्ति क्षेत्र' (Peace Zone) की कल्पना बनती जा रही है। अत:

भारत को विशेषकर सामुद्रिक क्षेत्र से सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन का है जिसने अपनी नौ-शक्ति के बल पर ही सूर्यास्त न होने वाला विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसलिए भारत की सामुद्रिक शक्ति को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में समुचित विकास की विशेष आवश्यकता है। **डॉ० के० बी० वैद्य** ने अपनी पुस्तक 'The Naval Defence of India' में लिखा है—

"The days are gone when we had to think about our land frontiers and the ocean had remained our protector."

जिसे (समुद्र) किसी समय सुरक्षा के रूप में माना जाता था आज वही सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्त्व का विषय बन गया है। अत: ऐसी स्थिति में देश की समृद्धता एवं सुरक्षा के लिए सामुद्रिक शक्ति का विकास सर्वोपरि माना जाना चाहिए। आधुनिक युद्ध का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है जिसमें सभी सेनाङ्गों के सहयोग के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है अन्यथा नहीं।

हिन्द महासागर महाशक्तियों की होड़ के कारण विश्व राजनीति का रंगमंच बन गया है। हिन्द महासागर और वर्तमान शीत युद्ध (Cold War) की अवस्था को देखते हुए भारतीय सामुद्रिक सुरक्षा बड़ी नाजुक नजर आती है। यद्यपि भारतीय नौ-सेना ने आशातीत प्रगति की है, फिर भी अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में अब भी अल्प विकसित ही है। अत: भारत के भविष्य को दृष्टि में रखते हुए उत्तरोत्तर उन्नति की विशेष आवश्यकता है। वाइस एडमिरल **एन० कृष्णनन** 'साप्ताहिक धर्मयुग' 13 दिसम्बर, 1970 में लिखा है—

"आज हम जिस युग में रह रहे हैं, वहां दूसरे देश प्रक्षेपास्त्रों, परमाणु शक्ति से संचालित पोतों पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए नए युद्धास्त्र, नई तकनीकी आदि से कार्य करने पर ही नौ-सैनिक शक्ति का संगठन सम्भव है। आज नए व्यूहों, सीमा-सुरक्षा के नए प्रकारों के विकास की आवश्यकता है और इस ओर हम जितना अधिक ध्यान देंगे, कार्य करेंगे, भविष्य में उतनी ही श्रेष्ठता हम प्राप्त कर पाएंगे।"

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय नौ-सेना का पर्याप्त विकास किया गया है। भारत-पाक 1971 के युद्ध में भारतीय नौ सेना ने अपनी योग्यता, क्षमता एवं उपयोगिता का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। इसके साथ-साथ आशा की जाती है कि निकट भविष्य में भारतीय नौ सैनिक शक्ति एशिया में अवश्य ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगी। सामुद्रिक शक्ति को विकसित करने के लिए निम्नलिखित तत्त्वों पर भी ध्यान देना होगा—

1. विकसित व्यावसायिक बेड़ा
2. समुद्री अड्डा
3. अनुवर्ती नाविक
4. जलपोत उद्योग
5. शक्तिशाली।

भारत की सामुद्रिक नीति
(Naval Policy of India)

भारत की सामुद्रिक नीति अवश्य होनी चाहिए क्योंकि तीन ओर से समुद्री सीमाएं इसको स्पर्श कर रही हैं। हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की बढ़ती होड़ और उनके निजी स्वार्थों ने भारत को अपनी सामुद्रिक नीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रसिद्ध विद्वान् के० वी० वैद्य ने सामुद्रिक नीति निर्धारण के लिए निम्नलिखित तत्त्वों पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है—

(1) भारत के लिए जरूरी है कि अपनी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए सामुद्रिक शक्ति का आधुनिकतम विकास करे।

(2) भारत यदि हिन्द महासागर पर नियन्त्रण चाहता है तो इसे अपनी सुदृढ़ नौ-शक्ति को तुलनात्मक श्रेष्ठ बनाना होगा।

(3) सीमान्त क्षेत्रों के हितों का भी भारत को विशेष ध्यान रखना होगा तथा सीमान्त क्षेत्रों में दखलअन्दाजी को रोकने के लिए भी नौ सेना सीमा बल (Naval Border Security Force) के रूप में तट रक्षा बल को तैनात करना होगा।

(4) भारत अपनी तीनों समुद्री सीमाओं (पूर्व, पश्चिमी तथा दक्षिणी) में शक्तिशाली एवं अति आधुनिक जलयानों एवं पनडुब्बियों का निर्माण एवं उनकी तैनाती करे।

(5) नौ सेना की अपनी एक स्पष्ट नीति हो।

(6) सामरिक एवं कूटनीतिक गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा ताकि शत्रु के इरादे सफल न हो सकें।

(7) आत्मनिर्भर नौ-सेना का होना आवश्यक है।

(8) अपने आर्थिक हितों को बचाए रखने के लिए योजना एवं कार्यवाही सुव्यवस्थित तरीके से करनी चाहिए।

(9) तीनों सेनाओं के सहयोग के आधार पर ही एक सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए ताकि उद्देश्य सरलता से प्राप्त किया जा सके।

(10) अपनी नौ सेना को आधुनिकतम बनाए रखने के लिऐ वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के साथ जोड़ना चाहिए।

उपर्युक्त तत्त्वों को ध्यान में रखकर ही अपनी सामुद्रिक नीति भारत को तय करनी होगी ताकि हिन्द महासागर पर निगरानी रखी जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रुझानों की समीक्षा करने से इस तथ्य का पता चलता है कि सामुद्रिक मामले भारत के भविष्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। दूरदर्शी राष्ट्रों ने तटीय सुविधाओं, व्यापारिक बेड़ों, पत्तनों, बन्दरगाहों तथा खनन अवसंरचनाओं के रूप में अपनी परिसम्पत्तियां बनाने के लिए पहले ही काफ़ी ऊर्जा एवं संसाधन लगाएं हैं। वस्तुतः भारत भी इस दिशा में अग्रसर है।

जहां तक व्यापार का प्रश्न है लगभग 300 जहाज़ प्रतिदिन भारतीय महासागर में आते-जाते रहते हैं तथा औसतन 40 सुपर टैंकर हर रोज़ 9 डिग्री चैनल से होकर गुज़रते हैं। पूरे वर्ष में, अनुमानतः 260 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का तेल होरमुज एवं मलक्का के जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है।

भारत का क्षेत्र इन महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों एवं ऊर्जा लाइफ़ लाइन के दोनों तरफ पड़ता है। अण्डेमान व निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट है जबकि लक्षद्वीप समूह नौ डिग्री चैनल के आर-पार पड़ता है एवं, फारस की खाड़ी हमारे तटों से मात्र 600 मील की दूरी पर है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हम हिन्द महासागर के क्षेत्र में संचार की समुद्री लाइन में जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन को काफ़ी हद तक प्रभावित करने की स्थिति में हैं।

हिन्द महासागर में नौसैनिक गतिविधियां

दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव के कारण भारतीय उपमहाद्वीप एक प्रकार से युद्ध स्थल के रूप में तबदील होता जा रहा है और युद्धाभ्यास के नाम पर अमूमन सारी महाशक्तियों के जंगी जहाज किसी-न-किसी बहाने पूरे हिन्द महासागर में हमेशा चक्कर लगा रहे हैं। इस अभियान में भारत का नौ-सैनिक कवच कमज़ोर पड़ता जा रहा है। पूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल सुशील कुमार ने सेवानिवृत्त होने से कुछ दिन पहले इस खतरे की ओर संकेत किया था। फिर, नए नौसेनाध्यक्ष एडमिरल माधवेंद्र सिंह ने इस वर्ष जनवरी में ही एलान कर दिया कि जिस प्रकार भारतीय समुद्री सीमा के आसपास अत्याधुनिक मिसाइल युक्त जहाज़ों और पनडुब्बियों का मंडराना बढ़ रहा है उसके मुकाबले हमारी नौसैनिक क्षमता उतनी मज़बूत नहीं है, जितनी होनी चाहिए। ब्रिटेन की नौसेना और चीन की थल सेना का काट नहीं है, लेकिन भारत की नौ-सैनिक शक्ति का भी विश्व स्तर पर लोहा माना जाता है, जिसका सबूत है आतंकवाद के खिलाफ़ छिड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के बाद बदले माहौल में नाटो के नौसैनिक अभ्यास में भारत को बुलाया जाना। नाटो के जिन देशों ने पोखरन परमाणु परीक्षण के बाद भारत के खिलाफ़ सैनिक सम्बन्ध से जुड़ी बातचीत की मनाही कर दी थी, वो देश अब आए दिन भारत से सैनिक समझौता कर रहे हैं।

अफ़गानिस्तान के समुद्री रास्तों को सील करने और तालिबान का पलायन रोकने के नाम पर यूरोपीय जहाज़ हमारी समुद्री सीमा के बिल्कुल करीब आ गये हैं, जिसका इस्तेमाल भारत की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया जा रहा है। सबसे ज्यादा लाभ मिला चीन को, क्योंकि चीन की पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी के मुहाने तक पहुंच चुकी हैं। अफ़गानिस्तान से निजात पाने में अभी समय लगेगा, इसलिए इन जहाज़ों और पनडुब्बियों का जमावड़ा भी बरकरार रहेगा। युद्ध में नरमी आने के साथ-साथ सिर्फ़ इन पोतों की मौजूदगी के तौर-तरीके बदले हैं। पाकिस्तान ने खुद ही अमरीकी पोतों को अपने डॉकयार्ड में अड्डे गाड़ने का न्यौता दिया था। अब इस तैनाती ने युद्ध अभ्यास का रूप ले लिया है और पूरा एशिया इस चपेट में है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि दक्षिण व पूर्व एशिया के किसी भी ऐसे देश की नौसैनिक सुरक्षा से सम्बन्धित गुप्त सूचनाएं यूरोपीय देशों से छिपी नहीं हैं जो हिन्द महासागर को छूती हैं। अभी अफ़गानिस्तान के बीहड़ों और कंदराओं में ओसामा बिन लादेन के अल-कायदा संगठन से जुड़े उग्रवादियों के सफ़ाए के लिए ज़मीन की गहराई तक पहुंचने वाली मिसाइलों का प्रयोग अमरीकी फौज कर रही है। वैसी मिसाइलों से भरे अमरीकी जहाज़ पाक-अफ़गान सीमा के उन मोर्चों पर गश्त कर रहे हैं, जहां से भारतीय सीमा का रास्ता बिल्कुल सीधा है। यह वही मार्ग है जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने अरबों व अफगानों को काबुल से निकालकर अपने कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद में पनाह दे रखी है।

जापान ने नवम्बर में ही अपना पोत भारतीय उपमहाद्वीप की ओर रवाना कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला अवसर है जब जापान ने अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। 16 जनवरी, 2002 को अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में एडमिरल माधवेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ रहे गश्ती पोतों और पनडुब्बियों के जमघट के मुकाबले हमारी नौसैनिक क्षमता कमज़ोर है। उन्होंने विक्रांत और विराट जैसे विमानवाहक जहाज़ों को आज के परिप्रेक्ष्य में अनुपयुक्त बताया। 1990 से 1993 तक नौसेना अध्यक्ष रह चुके एडमिरल लक्ष्मीनारायण दास ने भी मिसाइल युक्त पनडुब्बियों और जंगी विमानवाहक पोतों की ज़रूरत पर बल दिया था। उसके थोड़े दिनों बाद तट-

रक्षक महानिदेशक वाइस एडमिरल ओ.पी.बंसल ने भी कहा था कि तटीय सीमाओं की रक्षा के लिए तट-रक्षकों के पास पर्याप्त साजो-सामान नहीं है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी युद्ध के लंबा खिंचने के मद्देनज़र इस बात की आवश्यकता जतायी कि अभी तटरक्षक कमान के पास 58 जहाज़ और 34 विमान हैं। इनमें 34 जहाज़ और छह विमान बेकार हो चुके हैं, इनमें 34 जहाज़ और छह विमान बेकार हो चुके हैं, तट रक्षक के 25 वर्ष पूरे होने पर बंसल ने सरकार के पास 7941 करोड़ की योजना भेजी है, जिसमें अगले पांच साल में जवानों की संख्या में 30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जायेगी और नये-नये पोत तथा विमान खरीदे जायेंगे। 2002 के बजट में रक्षा खर्च में 14 प्रतिशत बढ़ोत्तरी बताती है कि सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है। इस बार रक्षा बजट पिछले वर्ष के 57,000 करोड़ से बढ़ाकर 65000 करोड़ कर दिया गया, जिसमें नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए 4553.72 करोड़ आबंटित किये गये हैं। समुद्री सीमा पर मौजूद जंगी जहाज़ों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए पिछले महीने ही रक्षा वैज्ञानिकों ने पोत से छोड़े जाने वाले मिसाइल धनुष को अंतिम रूप दे दिया जो ज़मीन के लक्ष्य को भी भेद सकता है।

ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत वहां के नौसैनिक प्रशिक्षक भारतीय नौ सेना के जहाज़ों को प्रशिक्षण देंगे। इसी बीच 'जेन्स डीफ़ेंस विकली' ने छापा है कि ब्रिटेन भारत के साथ एक अरब पौंड का समझौता करने वाला है जिसमें हॉक जेटों के साथ-साथ नौ सैनिक विमान भी होंगे। ब्रिटेन के नौ सैनिक अध्यक्ष निगेव एसेन्हाई ने मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड के साथ भी संयुक्त युद्धाभ्यास का समझौता किया है। जिसमें मुख्य रूप से विमानवाही पोतों तथा परमाणुयुक्त पनडुब्बियों का प्रदर्शन होगा। ये सारे देश भारत की समुद्री सीमा से जुड़े हैं और भारत के पास फिलहाल इन हथियारों की कमी है। अमरीका ने इस बीच पाकिस्तान के साथ-साथ भारत से भी लीक से हटकर सहयोग-सम्बन्ध बढ़ाया है। पिछले वर्ष जुलाई में अमरीकी संयुक्त सेना के प्रमुख जनरल हेनरी सेल्टन भारत आए और इस वर्ष अमरीका ने नौसैनिक युद्धाभ्यास के लिए नाटो के अन्य सहयोगियों के साथ भारत को भी बुलाया। 1 से 15 मार्च तक बाल्टिक सागर में यह युद्धाभ्यास चला।

ब्रिटेन ने सबसे बड़े युद्धपोत एच. एम. एस. ओसियन की भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद अमरीकी पोतों के फ्लीट में शामिल होने की तैयारी की जा चुकी है। पिछले वर्ष दिसम्बर में ही अमरीका ने पाकिस्तान के बाद भारत के साथ भी नौसैनिक अभ्यास किया। अरब सागर में 1997 के बाद से दोनों देशों की नौसेना का यह पहला मिलन था। इस क्षेत्र में इन दिनों परमाणु हथियारों से युक्त पनडुब्बियां जुटाने की होड़ मची है, जिसकी शुरुआत चीन ने 1971 के बाद की जब अमरीकी व सोवियत बेड़े आमने-सामने आ गये थे। आज चीन इसमें सबसे आगे है। परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल भारत ने पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें रूस से भी मदद मिल रही है। अभी मुस्तैदी लगातार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। फिलिस्तीन भी इज़राइल के खिलाफ़ अपनी लड़ाई उन्हीं आतंकवादी गुटों की बदौलत लड़ रहा है जिनके साथियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी युद्ध छेड़ा गया है। निःसन्देह हिन्द महासागर में बढ़ते सैन्यीकरण से भारत का चिन्तित होना स्वाभाविक है। इस क्षेत्र के सैन्यीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय रक्षा व सुरक्षा के हितों पर पड़ता है। हिन्द महासागर के शान्ति क्षेत्र बनने से ही हमारे आर्थिक, सामजिक एवं राष्ट्रीय हित संभव है।[1]

हिन्द महासागर हेतु चीन की सामरिक चाल

भारतीय सुरक्षा परिवेश स्पष्टत: इसकी परम्परागत भौगोलिक भू-सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। भारत के आकार अवस्थिति, व्यापार सम्बन्धों और इसके व्यापक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को देखते हुए इसका सुरक्षा परिवेश पश्चिम में फारस की खाड़ी से लेकर पूर्व की ओर मलक्का जलडमरूमध्य के पार तक और उत्तर में मध्य एशियाई गणतन्त्रों से लेकर दक्षिण में भूमध्य रेखा तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ हमारे सम्बन्ध परम्परागत और साफ़ समाज वाले रहे हैं, जिनके साथ सदियों से हमारा समुद्री मार्ग से व्यापार होता रहा है और उनमें लोग देशांत्तरण करते रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय देशों की हिन्द महासागर में बढ़ती रुचि की समीक्षा करने से स्पष्ट रूप से अनुमानित किया जा सकता है कि सामुद्रिक मामले भारत के भविष्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। दूरदर्शी राष्ट्रों ने अपनी तटीय सुविधाओं, व्यापारिक बेड़ों, पत्तनों, बन्दरगाहों तथा खनन अवसंरचनाओं के रूप में अपनी परिसम्पत्तियां बनाने हेतु पहले से ही अपनी पहल जारी की हुई है।

चीन की बढ़ती हुई ताकत और दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका की भावी भूमिका की अनिश्चितता के कारण क्षेत्रीय शस्त्रों की दौड़ में प्रगति जारी है। भारत की तुलना में चीन का रक्षा बजट तीन गुना से अधिक है। चीन के पास इस समय पर 12 किलोमीटर की दूरी तक प्रहारक क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्र है, जिन्हें तिब्बत में भारत को लक्ष्य मानकर तैनात किया गया है। चीन का इस समय असली इरादा यही नज़र आ रहा है कि दक्षिण एशिया में वर्चस्व स्थापित करते हुए अपने आर्थिक विकास की दर को एक नई दिशा प्रदान करना है, ताकि वह अपने को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित

1. मयंक शेखर का लेख—राष्ट्रीय सहारा—18 मार्च, 2002

कर सके। पाकिस्तान को आर्थिक एवं सामरिक सहयोग प्रदान करने के पीछे उसके अपने आर्थिक, व्यापारिक, सामरिक, राजनीतिक एवं राजनयिक अर्थ छिपे हुए हैं। यही कारण है जो पाकिस्तान स्थित ग्वादर में सामरिक महत्त्व के बन्दरगाह का निर्माण तथा करांची से ईरान तक समुद्री तट से होकर राजमार्ग के विकास के सिलसिले में एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधि मण्डल ने पाकिस्तान की यात्रा की, जिसका नेतृत्व चीन के संचार मंत्री हुआंग जेन डेंग द्वारा किया गया व इसमें सामरिक सहभागिता की सहमति प्रकट की गयी।

ईरान से लेकर कराची तक अरब सागर के तट से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्वादर बन्दरगाह का निर्माण आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इससे जहां पाकिस्तान को सीधा लाभ मिलेगा, वहां चीन का भी हस्तक्षेप स्वतः ही बढ़ जायेगा। इससे भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों की सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता बढ़ना स्वाभाविक है। वास्तव में चीन की इन परियोजनाओं के प्रारम्भ हो जाने से अरब महासागर के माध्यम से हिन्द महासागर में प्रवेश पाने की चीन की वर्षों की आकांक्षा भी पूरी हो जायेगी। यही कारण है कि चीन अपने सामाजिक व कूटनीतिक हथियारों की आपूर्ति व विकास कार्यक्रम में पाकिस्तान को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे रहा है। निःसन्देह यह भारत की गहन चिन्ता का विषय है। पाकिस्तान की सीमा से सटे ग्वादर अड्डे में नाभिकीय पनडुब्बियों एवं प्रक्षेपास्त्रों से लैस नवीनतम जलयानों की तैनाती चीन के द्वारा की जा रही है। यदि पाकिस्तान अपने नापाक इरादे के तहत चीन को ग्वादर समुद्री अड्डे पर अपना समुद्री आधार बनाने की सुविधा प्रदान कर देता है, तो निःसन्देह यह भारतीय सुरक्षा परिवेश के लिए एक गंभीर चिन्तन का विषय है।

वास्तव में हिन्द महासागर के क्षेत्र में चीन की दिलचस्पी पुरानी है। चीन की इस क्षेत्र में रुचि 12वीं-13 वीं सदी में दक्षिणी सुंग शासनकाल के दौरान बढ़ी थी, क्योंकि हिन्द महासागर क्षेत्र में चीनियों के आने-जाने का इतिहास ईसा के पूर्व प्रथम सदी से प्रारम्भ होता है, जब हान शासकों ने समुद्र के मार्ग से अपने राजदूत को दक्षिण भारत के पल्लव नरेशों की राजधानी कांचीपुरम भेजा था। वर्ष 1405 व 1431 के बीच इस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन द्वारा सात बार सैनिक कार्यवाही की गयी थी। चीनी एडमिरल चेंग हो के नेतृत्व में पहला हमला इसमें सबसे बड़ा था, जिसमें 63 जलयानों तथा लगभग 28,000 नौ सैनिकों ने भाग लिया था। चीन की नौ सेना द्वारा जावा, श्रीलंका और कालीकट पर हमला किया था। इसके बाद चीनी नौसेना ने भारत से भी आगे मालदीव द्वीप समूह फारस की खाड़ी में ओमुर्ज बन्दरगाह तथा अदन व अफ्रीका के पूर्वोत्तट के अनेक बन्दरगाहों पर आक्रमण किये, किन्तु चीन की नौ-सेना लम्बी अवधि तक हिन्दमहासागर में अपने दबाव को नहीं रख सकी और 15वीं सदी के मध्य में चीनी नौ-सेना प्रशान्ति महासागर में वापस लौट गयी। चीन दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए अपनी नौ सेना का विस्तार करने के प्रयास में है।

हिन्द महासागर से सटे विशाल भू-भागों में पृथ्वी की लगभग एक-तिहाई आबादी रहती है। यहां खनिज एवं ऊर्जा पदार्थों के अकूत भण्डार है। जहाज़रानी के महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग इस महासागर से होकर गुज़रते हैं, भौगोलिक दृष्टि से हिन्द महासागर अपने समुद्री क्षेत्र की विशालता तथा समुद्री धाराओं व समुद्री हवाओं की विशेषता के साथ-साथ एक स्थल बद्ध सागर है। हिन्द महासागर का क्षेत्र लगभग 75 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हिन्द महासागर में पांच जलडमरूमध्य हैं और इसके जलमार्ग किसी भी अन्य महासागर से अधिक घने तथा संख्या में अधिक हैं। इस महासागर से होकर यूरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र को जोड़ने वाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं सामाजिक जलमार्ग गुज़रते हैं। हिन्द महासागर भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, अपितु एक ऐसा केन्द्र बिन्दु भी है, जिससे विश्व राजनीति गुज़रती नज़र आती है। यही कारण है कि आरम्भ से ही बड़ी शक्तियों ने अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना आधार स्थापित करने के प्रयास किये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व कूटनीतिक दांव-पेंच अपनाने का यह प्रमुख केन्द्र बन गया है। चीन इसी कारण अपना आधार स्थापित करने के सारे प्रयास कर रहा है।

यह सर्वविदित है कि चीन की नौ-सेना हिन्दमहासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को पहले से ही पसन्द नहीं करती रही है, कुछ वर्ष पूर्व चीन के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा था कि हिन्द महासागर भारत का ही एक महासागर नहीं है, अपितु एक अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक निधि है। इससे चीन की हिन्द महासागर के प्रति बढ़ती रुचि का स्पष्ट संकेत झलकता है। हिन्द महासागर में अपनी आसान पहुंच बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान से ही अपनी सामाजिक सांठ-गांठ नहीं की है, अपितु पड़ोसी राष्ट्र म्यांमार (बर्मा) के द्वीपों पर नौ-सैनिक सुविधायें विकसित कर रहा है। इसके साथ ही हिन्दमहासागर क्षेत्र में भारत की नौ-सैनिक गतिविधियों पर अपनी पैनी नज़र रखने के लिए ही चीन ने म्यांमार के हांगई द्वीप पर राडार व सोनार जैसी संचार व्यवस्थायें स्थापित की हुई है। भारत के अंडेमान एवं निकोबार द्वीप समूह से लगभग 50 किलोमीटर दूर म्यांमार के कोको द्वीप पर भी चीन द्वारा आधुनिक नौसेना सुविधायें विकसित करने की कार्यवाही भी जारी है। म्यांमार से सहयोग के बहाने चीनी पनडुब्बियों और नौसैनिक वाहनों को हिन्द महासागर में आज़मा रहा है।

चीन ने अब पाकिस्तान की नौ-सेना के सहयोग के नाम पर ग्वादर बन्दरगाह को अति आधुनिक नौ-सैनिक अड्डा

विकसित करने की एक दोहरी चाल चली है। एक तो पाकिस्तान को सामरिक सहयोग प्रदान करके अपनी सामरिक मित्रता को मजबूत बना रहा है तथा दूसरी ओर अपनी नौ-सेना का एक ठोस आधार स्थापित करके भारत की भी सीमाओं पर अंकुश आसानी से लगाया जा सकेगा। भारत के विरोध के नाम पर पाकिस्तान अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए एक बार अवश्य तैयार हो जाता है, चाहे उसके दूरगामी परिणाम भले ही प्रतिकूल प्रमाणित हों। पाकिस्तान सैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस सन्दर्भ में अपने एक बयान में कहा कि-'ग्वादर बन्दरगाह को विकसित करने का एक खास मकसद यह है कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो चीन की नौ-सेना वहां उपस्थित रहे और जिसको चाहे उसे मुंह-तोड़ जवाब दे सके।'

अमेरिका एवं पाकिस्तान के मध्य बढ़ती दूरी का लाभ उठाते हुए चीन ने पाकिस्तान के सामाजिक मामलों में विशेष रुचि लेनी शुरू कर दी है ताकि चीन दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर सके और भारत उसके समानान्तर कभी खड़ा न हो सके। चीन ने हथियारों के क्षेत्र में विकास के नाम पर होड़ का सिलसिला शुरू किया है, इससे दक्षिण एशिया की शान्ति एवं सुरक्षा को एक बड़ी व कड़ी चुनौती मिल रही है। चीन अपने पड़ोसी देशों के समुद्री क्षेत्रों पर भी स्वेच्छा से अधिकार जताता रहता है। इसी के तहत चीन ने ताइवान, दक्षिण चीन सागर के स्पार्टलू द्वीप तथा सनकाकू द्वीपों पर अपने अधिकार का दावा प्रस्तुत किया है, जबकि वह इन समुद्री क्षेत्रों से अधिक दूरी पर स्थित है और उनसे इसका कोई भी लेना-देना नहीं है। चीन बहुत पहले से ही एशिया प्रशान्त और दक्षिणी समुद्री नौ सेना का गठन कर रहा है। इसके अलावा उसकी काराकेकश राजमार्ग बनाने की योजना है जो ईरान, मध्य एशिया तथा पाकिस्तान को सम्बद्ध करेगी। इस राजमार्ग के निर्माण से चीन का अन्ततः उत्तर अरब सागर से सम्पर्क हो जायेगा और इस तरह दक्षिण एशिया के समुद्री अड्डों से भी सम्बन्ध हो जायेगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चीन की शातिर निगाहें बंगलादेश की सीमा के निकटवर्ती सित्तवें बन्दरगाहों, बंगाल की खाड़ी के हांगई द्वीप तथा उत्तर अण्डमान द्वीपों के अति निकट ग्रेड कोको द्वीपों के उन्नत राडार स्टेशनों पर लगी हुई है। ये सभी द्वीप व बन्दरगाह भारत के समुद्री तटों के अति निकट पड़ते हैं। म्यांमार एवं पाकिस्तान के गुप्त नौ-सैनिक समझौते हिन्द महासागर में चीन की गहरी दिलचस्पी के ही स्पष्ट संकेत हैं। इस सन्दर्भ में चीन का कहना है कि चूंकि भारत हिन्द महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, इसलिए चीन को भी अपनी नौसैनिक क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर निगाह रख सके तथा हरकतों पर अंकुश लगाया जा सके। वास्तविकता यही है कि चीन अब हिन्द महासागर में भारत का सीधा प्रतिद्वन्द्वी बनकर अपनी सामरिक गतिविधियां बढ़ाने के निरन्तर प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान को उकसा कर चीन ने इसे हिन्द महासागर तटीय राष्ट्र सहयोग संघ (हिम तक्षेस) का सदस्य बनवाने का राजनयिक प्रयास किया, किन्तु विफल रहा। इस संगठन में एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया महाद्वीप के 19 देश शामिल हैं।

पाकिस्तान के माध्यम से ग्वादर बन्दरगाह के विकास की योजना चीन के नौ-सैनिक लगाव एवं भारत पर सामारिक दबाव के तहत तय की गई है, चूंकि पाकिस्तान की नौ-सेना भारत की नौ-सेना की तुलना में कहीं नहीं ठहरती है अतः चीन-पाक गठजोड़ से तैयार ग्वादर नौ सैनिक परियोजना इसकी सामाजिक मानसिकता का ही एक बड़ा प्रमाण है। ग्वादर परियोजना के विकास का कारण जानने के लिए कराची बन्दरगाह का ज़िक्र भी ज़रूरी है। भारत-पाक युद्ध 1965 में भारत की नौ सेना को पहल करने की अनुमति नहीं मिली थी, किन्तु भारत-पाक युद्ध 1971 में हमारी नौ-सेना ने हस्तक्षेप करते हुए पाकिस्तान के दो युद्धपोतों एवं एक पनडुब्बी को जल समाधि देकर पूर्वी पाकिस्तान के पूरे तटवर्ती इलाके को सील कर दिया था और कराची बन्दरगाह पर पूरी तरह से नकेल डाल दी थी। पाकिस्तानी नौ सेना ने उस समय भागकर आखिर ईरान में पनाह ली थी। अतः पाकिस्तान का कराची बन्दरगाह भारत की नौ सेना की प्रत्यक्ष निगाहों एवं निशानों पर निरन्तर बना हुआ अनुभव करते हुए ही वहां के रक्षा विशेषज्ञों ने इस खतरे को टालने के लिए ही फारस की खाड़ी के निकट ग्वादर बन्दरगाह को विकसित करने की योजना बनायी है। इससे भारतीय नौ सेना प्रत्यक्ष रूप से इस नौ सैनिक अड्डे पर अपना आक्रमण नहीं कर सकेगी, चूंकि यह सीधे उसकी पहुंच से बाहर होगी।

भारतीय नौ सेना का सामना करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी महत्त्वाकांक्षी पनडुब्बी परियोजना चीन के माध्यम से चला रखी है। चीन से परमाणु और सामारिक क्षेत्र में पाकिस्तान को जो सहयोग मिला है अथवा मिल रहा है, वह वास्तव में पाकिस्तान के प्रति प्रेम के कारण नहीं अपितु भारत के विरुद्ध उसकी सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राप्त हआ है या हो रहा है। पाकिस्तान इस ग्वादर नौसैनिक अड्डे को विकसित इस दृष्टि से कर रहा है कि भारतीय सेना की पहुंच जहां यहां पर आसान नहीं होगी, वहां पाकिस्तान की सम्पूर्ण नौ सेना यहां सुरक्षित तरह से स्थापित हो सकेगी। इसके साथ ही यह पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कारगर रूप से हवाई हमले भी आसान नहीं होंगे और ईरान भी निकट का सहयोगी हो सकेगा। इसके विकसित करने के पीछे चीनी मंशा यह है कि हिन्द महासागर में प्रवेश हेतु अपने मार्ग एवं आधार स्थापित करके एक नया सामरिक समीकरण विकसित करना है। चीन की हिन्द महासागर में बढ़ती हरकतों से अमेरिका भी अपने नौ सैनिक अड्डों को विकसित करेगा और हिन्द महासागर पुनः प्रतिद्वन्द्विता का केन्द्र बन सकता है। अतः यह भारत का ही नहीं अपितु दक्षिण-पूर्व एशिया के गहन चिन्तन का विषय है।

11
भारत-पाक सम्बन्ध
(INDO-PAK RELATIONS)

भारत-पाक सम्बन्धों की चर्चा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा कौतूहल का विषय रही है, क्योंकि दोनों के सम्बन्धों में इतनी अधिक जटिलताएँ और इतनी अधिक कटुताएँ समाहित हैं, कि किसी भी सहज और तात्कालिक हल की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच्चाई है, कि जब तक भारतीय उपमहाद्वीप के इन दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण रिश्ते कायम नहीं होंगे, तब तक इस भू-खण्ड पर न तो वास्तविक शान्ति की अपेक्षा की जा सकती है और न ही आम जनता की वास्तविक प्रगति की। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में मित्रतापूर्ण सम्बन्धों की स्थापना के अवसर चाहे जितने भी कम हों लेकिन जो भी हो उनका लाभ अवश्य उठाया जाना चाहिए।

विडम्बना इस बात की है, कि पाकिस्तान के वैचारिक टकराव भारत के साथ होने के कारण वहां की सत्ता के लिए भारत विरोधी अभियान चलाना बहुत-बड़ी आवश्यकता हो गई है। वास्तविकता यह है, कि दोनों देशों में या तो विभाजन के कारण या विभाजन के बाद उठे कुछ महत्त्वपूर्ण आर्थिक राजनीतिक, भौगोलिक तथा सामरिक मुद्दों के कारण आपसी तौर पर ही एक-दूसरे के विरोधी बने हैं। भारत को शिकस्त देना पाक की राजनीति या विदेशी नीति का एक आवश्यक उद्देश्य बन चुका है। शासन की बागडोर चाहे मियां नवाज शरीफ के हाथ में रही हो चाहे श्रीमती बेनजीर भुट्टो के हाथ में या परवेज मुशर्रफ के हाथ में किन्तु भारत विरोधी कार्यवाही करना उनकी एक बड़ी मजबूरी हो चुकी है।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में भारत को सतर्कता रखनी पड़ती है, किन्तु बेहतर सम्बन्ध बनाना दोनों राष्ट्रों के हितों में ही नहीं होगा, बल्कि इस उपमहाद्वीप के साथ ही एशिया की राजनीति में बदलाव आ सकता है। अब हम दोनों देशों में टकराव के कारण तथा सम्बन्धों में बिगाड़ के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी तत्त्वों का संक्षिप्त में उल्लेख करते हैं—

1. वैचारिक टकराव एवं पाकिस्तानी अविश्वास।
2. शरणार्थी समस्या एवं विभाजन।
3. नहरी जल विवाद।
4. कश्मीर के विलय का विवाद।
5. जूनागढ़ के विलय का विवाद।
6. हैदराबाद के विलय का विवाद।
7. कच्छ के विलय का विवाद।
8. 1965 का भारत-पाक युद्ध।
9. 1971 का भारत-पाक युद्ध।
10. शिमला समझौते का उल्लंघन।
11. सियाचिन विवाद।
12. पाकिस्तानी परमाणु बम।
13. चीन-पाक गठजोड़।

1. वैचारिक टकराव एवं पाकिस्तानी अविश्वास—वैचारिक टकराव के साथ-साथ भारत एवं पाकिस्तान के मध्य पारस्परिक अविश्वास एवं भय के वातावरण की नींव रख दी गयी। पाकिस्तान भारत के प्रति कभी भी विश्वास की भावना नहीं रही है। पाकिस्तान की इस कमज़ोरी का लाभ अमेरिका उसकी पीठ ठोंककर भारत विरोधी कार्यवाही के लिए उकसाता रहा है। भारत के विरोध में पाकिस्तान का प्रयोग अमरीकी विदेश नीति का एक हिस्सा रहा है। इस सन्दर्भ में यह कथन भी उल्लेखनीय है—

"पाकिस्तानियों की दृष्टि से भारत 'अखण्ड भारत' की भावना से युक्त पाकिस्तानियों को पुनः आत्मसात् करने के लिए उपयुक्त अवसर की खोज में है।"[1]

1. राष्ट्रीय सहारा—24 अक्तूबर 1983 (हस्तक्षेप)

पाकिस्तान इस्लामाबाद की संकल्पना पर आधारित है, तो भारत की नींव धर्म-निरपेक्षता के आधार पर रखी गयी है। इस्लामिक कट्टरपंथी के कारण भारत विरोधी रवैया होना लाजमी है। आपसी अविश्वास एवं वैचारिक मतभेद के कारण पाकिस्तान की भारत के साथ मित्रता ऊपरी तौर पर भी नहीं हो पाती। हमारे दोनों देशों के सम्बन्धों में बिगाड़ का प्रमुख कारण यही है।

2. शरणार्थी समस्या एवं विभाजन—जिस समय भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जनता को स्वेच्छा के आधार पर एक देश से दूसरे देश जाने की छूट दी गई। इस कारण पाकिस्तान के कुछ हिन्दू तथा भारत के मुसलमान वहीं के वहीं बसे रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत ने जहां मुसलमानों को अल्पसंख्यक घोषित करके भरपूर सहयोग दिया वहां कट्टरपंथी मुसलमानों ने पाक में बस रहे हिन्दुओं का शोषण करना शुरू कर दिया जिससे वहां के हिन्दू भारत में आते गए। अतः इस सम्पर्क में दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों के मध्य 1950 में एक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत दोनों देश अपने यहां के अल्पसंख्यकों के जीवन की सुरक्षा, सम्पत्ति के हस्तान्तरण, खोई हुई स्त्रियों को वापस दिलाने तथा शरणार्थियों को एक-दूसरे देश में आने-जाने की स्वतन्त्रता को तय किया गया। लेकिन समझौते के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने यहां के अल्पसंख्यकों का शोषण जारी रखा जिससे हिन्दू शरणार्थी भारत आते गए। आज पाकिस्तान साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत के मुस्लिमों को भड़काने में नहीं चूकता है। अतः दोनों के सम्बन्धों में बिगाड़ के लिए यह तत्त्व भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।

3. नहरी जल विवाद— भारत-पाकिस्तान विभाजन भौगोलिक दृष्टि से संभव नहीं था, चूंकि राजनीतिक विभाजन था। अतः प्राकृतिक संसाधनों की साझेदारी भी विवाद को बढ़ावा देती रही। सिन्धु नदी तथा अन्य सहायक नदियां भारत भूमि से गुजरती हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान को यह भ्रम हो गया कि भारत इन नदियों के बहाव को मोड़ सकता है जिससे पाकिस्तान के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए 1954 में सतलुज नदी पर भाखड़ा बाँध बनने पर विवाद खड़ा कर दिया। विश्व बैंक के हस्तक्षेप पर सितम्बर, 1960 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ। इस सन्दर्भ में **डॉ० जे० पी० प्रेमदेव** ने अपनी पुस्तक '**अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध**' में लिखा है कि—

"चूंकि भारत एवं पाकिस्तान की एक ही भौगोलिक इकाई है इसलिए देश के कृत्रिम राजनीतिक विभाजन ने प्राकृतिक संसाधनों की साझेदारी को दुष्कर बना दिया।"

3. कश्मीर के विलय का विवाद—भारत-पाक सम्बन्धों में बिगाड़ की असली जड़ कश्मीर समस्या रही है, जो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में अपनी जड़ों को बहुत दूर तक फैला चुकी है। कश्मीर का भारत के विलय से पूर्व वहां का शासक हिन्दू था तथा तीन चौथाई जनसंख्या मुसलमान थी। जम्मू में हिन्दू बहुसंख्यक तथा घाटी में अल्पसंख्यक है। कश्मीर को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है—

(क) जम्मू का हिन्दू बाहुल्य मैदानी क्षेत्र

(क) इस्लामिक प्रभाव वाला घाटी क्षेत्र

(ग) लद्दाख का बौद्धिसत्व क्षेत्र

जिस समय भारत-पाक बंटवारा हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ रियासतों को स्वतन्त्र कर दिया और उन्हें अधिकार दिया कि स्वेच्छा से किसी भी राष्ट्र में अपना विलय कर लें। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रखना चाहा, किन्तु पाक के नापाक इरादों के कारण भारत के साथ विलय करना पड़ा था। पाकिस्तान कबाइलियों को भेजकर मुस्लिम जनसंख्या को धर्म एवं सम्प्रदाय के नाम पर भड़का कर जोर-जबरदस्ती कश्मीर को हथियाने लगा था। भारत में कश्मीर के विलय के कारण उसके इरादे विफल हो गए। पाकिस्तान निम्न तर्क देकर अभी तक कश्मीर पर हस्तक्षेप करता जा रहा है—

(1) कश्मीर का भारत में विलय भारत द्वारा प्रयोग की गई शक्ति एवं भय के प्रदर्शन का परिणाम था।

(2) कश्मीर का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर किया जाना चाहिए, इसके बिना भारत का अंग नहीं माना जा सकता।

(3) कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल प्रदेश का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए।

(4) जनमत संग्रह के प्रश्न पर पाकिस्तान को समानता का अधिकार है तथा कश्मीर पर भी निर्णय करने में भारत और पाक को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए।

(5) कश्मीर के महाराजा द्वारा वहां की जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया जो अवैध है।

---

1. चौधरी मोहम्मद अली—ए इमरजेन्स ऑफ पाकिस्तान, न्यूयार्क (1957) पृ० 262

पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत के विरुद्ध युद्ध कर दिया किन्तु संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध थमा। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कश्मीर विवाद सुरक्षा परिषद् की फाइलों में दब कर ही रह गया है। आज भी धर्म, जाति एवं सम्प्रदाय के नाम पर कश्मीर के लोगों को भड़का करके उन्हें आतंकवादी प्रशिक्षण एवं हथियार के साथ आर्थिक सहायता देकर भारत विरोधी गतिविधियां जारी कर रखी हैं।

पाक के नापाक इरादों का अनेक बार खुलासा हो चुका है, किन्तु अपनी आदतों से मजबूर अभी तक छुटकारा नहीं पा सका है। **'हजरतबल मस्जिद'** के माध्यम से लोगों को उकसाने का प्रयास करता रहा है। जब 28 दिसम्बर, 1963 को इसी मस्जिद से पैगम्बर मुहम्मद साहब का पवित्र बाल चुरा लिया गया तो भारत के विरुद्ध विष बमन करने का एक ज़ोरदार सगूफा पाक को मिला और अनेक दंगे धर्म के नाम पर भड़काए । 16 अक्तूबर, 1993 को पाकिस्तान में **'हजरतबल संकट'** खड़ा किया जिसका संक्षिप्त घटनाक्रम का वर्णन इस प्रकार है—

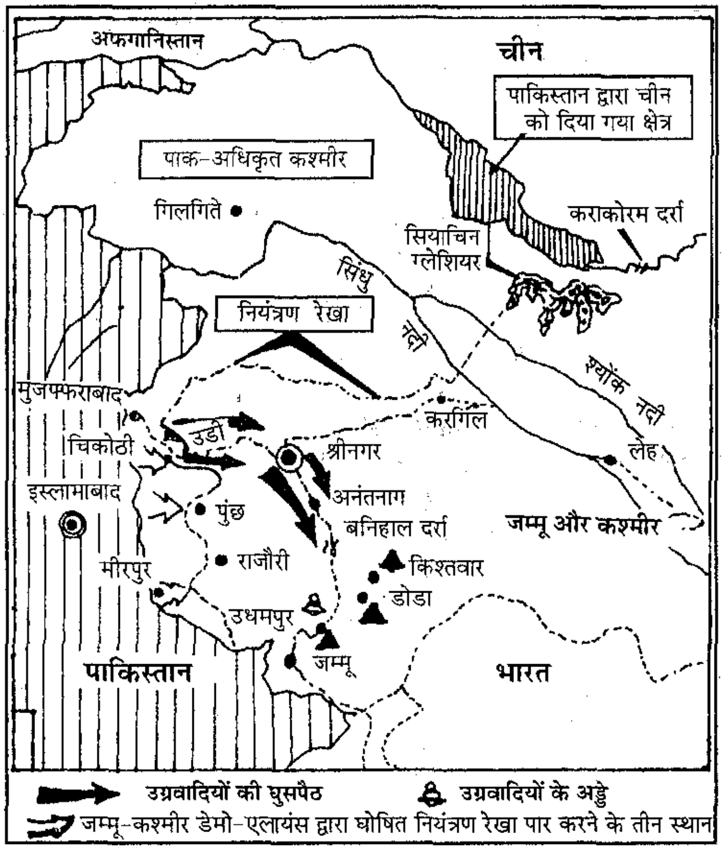

16 अक्टूबर—सेना ने हजरतबल दरगाह परिसर की घेराबंदी की। उग्रवादियों से आत्म-समर्पण कराने के लिए बिजली पानी के कनेक्शन काटे।

—दरगाह में छिपे उग्रवादियों ने हजरतबल से जुड़ी इमारत फूंक दी।

17 अक्टूबर—आत्म-समर्पण कराने के लिए कश्मीर क्षेत्र के उपायुक्त और पुलिस महानिदेशक के साथ उग्रवादियों की बातचीत, गतिरोध उत्पन्न होने से बिना नतीजा समाप्त। दो दिन में छः महिलाएं बाहर निकलीं।

—सेना की घेराबन्दी और कर्फ्यू न हटाने पर उग्रवादियों ने दरगाह उड़ाने की धमकी दी।

—भारत ने हजरतबल की दरगाह को क्षति पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पर साजिश करने का आरोप लगाया। आपरेशन **'साइको'** शुरू।

18 अक्टूबर—उग्रवादियों से वार्ता विफल, उग्रवादियों ने दरगाह को राकेट से उड़ाने की नाकाम कोशिश की। सरकार ने चेतावनी दी कि आत्म-समर्पण तक सेना नहीं हटेगी। तब एक और व्यक्ति बाहर निकला।

—उग्रवादियों ने हजरतबल दरगाह के ऊपरी हिस्सों पर विस्फोटक तार लपेट कर मोर्चाबंदी की।

—हुर्रियत कान्फ्रेंस ने घेराबन्दी समाप्त करने की मांग को लेकर जुलूस निकाला जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई में अब्दुल गनीलोन सहित कुछ लोग घायल।

20 अक्टूबर—उग्रवादियों ने सुरक्षित पाकिस्तान न जाने की शर्त रखी तो गृह मंत्री चव्हाण ने कहा कि आत्म समर्पण तक घेराबन्दी जारी रहेगी।

22 अक्टूबर—घेराबन्दी के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन हुए, बिजबेहड़ा में सुरक्षा बलों पर फायरिंग में 33 लोग मारे गए और 200 घायल हुए।

—राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र को पूर्ण छूट दी गई।

—राष्ट्रकूल देशों की बैठक में भारत ने पाक रवैये की भर्त्सना की और भारत की अखण्डता से छेड़छाड़ को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी।

23 अक्टूबर—उग्रवादियों ने दरगाह की दीवारों पर बारूद बिछायी। दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहे। सुरक्षा बलों ने हवाई फ़ायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वजाहत हबीबुल्ला की उग्रवादियों से 100 मिनट चर्चा हुई।

—दरगाह से निकल भाग जाने का उग्रवादियों का प्रयास सेना द्वारा विफल।

—श्रीनगर में कुछ पत्रकारों को उग्रवादियों ने पीटा।

24 अक्टूबर—अहिंसक कमांडो कार्रवाई की सम्भावना पर विचार।

—उग्रवादियों ने बाहर से भेजा भोजन स्वीकारा। परिसर में फिर आग लगी।

25 अक्टूबर—पाकिस्तान ने सेना सतर्क की।

—उग्रवादियों के साथ बातचीत करने वाले मध्यस्थों ने अपने को अलग किया।

26 अक्टूबर—सेना और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच मतभेद के मुद्दे पर केन्द्रीय दल श्रीनगर भेजा गया।

27 अक्टूबर—गुप्तचर रिपोर्ट में कहा गया कि घाटी में उग्रवादियों की घुस-पैठ आई० एस० आई० का षड्यंत्र।

—सरकार ने उग्रवादियों को रास्ता देने के लिए रजामंदी जाहिर की।

—उग्रवादियों के चंगुल से एक गूंगा बालक निकल भागा।

29 अक्टूबर— हुर्रियत कांफ्रेंस मध्यस्थता को तैयार, संकट का शीघ्र हल निकालने की उम्मीद बनी।

—जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बिजली, पानी और भोजन की आपूर्ति शुरू की जाए।

30 अक्टूबर—हुरियत कांफ्रेंस ने हजरतबल संकट की मध्यस्थता से हाथ खींचे।

31 अक्टूबर—राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दरगाह में खाना-पानी और विद्युत् आपूर्ति बहाल कराने सम्बन्धी आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया।

1 नवम्बर—उच्च न्यायालय की अवमानना सम्बन्धी मामले पर श्रीनगर में चल रही कार्यवाही पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई।

1 नवम्बर—उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि दरगाह में उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को न्यूनतम आवश्यक मात्रा में भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाए। न्यायालय ने कहा कि उग्रवादियों से उसका कोई लेना-देना नहीं है, प्रशासन जैसा चाहे उनसे निपटे।

—उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय में अवमानना सम्बन्धी याचिकाएं भी खारिज कर दीं।

3 नवम्बर—अंतिम क्षणों में व्यवधान से आत्म-समर्पण नहीं हो सका।

4 नवम्बर—मुख्य वार्ताकार वजाहत हबीबुल्ला और राज्यपाल के सलाहकार ले० जनरल एम० ए० जकी सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल।

7 नवम्बर—गृह मंत्रालय के विशेष सचिव बी० के ० जैन श्रीनगर पहुंचे।

10 नवम्बर—हुर्रियत कांफ्रेंस ने 40 घंटे के लिए हड़ताल में ढील दी।

11 नवम्बर—नये वार्ताकार और राज्य के मुख्य सचिव महमूद उर रहमान ने स्पष्ट किया कि उग्रवादियों को बिना शर्त आत्म-समर्पण ही करना होगा।

12 नवम्बर—डोडा ज़िले में सेना ने 11 उग्रवादी मार गिराए।

14 नवम्बर—तीन उग्रवादियों सहित चार व्यक्ति दरगाह से बाहर निकल भागे और आत्म-समर्पण कर दिया। राज्य के मुख्य सचिव शेख गुलाम रसूल नया फार्मूला लेकर दिल्ली पहुंचे।

15 नवम्बर—उग्रवादियों से चर्चा के बाद आत्म-समर्पण के बारे में 'सकारात्मक संकेत' मिले। 12 घुसपैठिए मारे गए।

इस प्रकार कश्मीर में पाकिस्तान का लगातार हस्तक्षेप आज भी दोनों देशों के सम्बन्धों को सुधारने में सबसे बड़ी बाधा है। पाकिस्तान का खुफिया **तत्त्व** आई० एस० आई० वहां की सरकार पर इतना हावी हो गया है, कि भारत के विरुद्ध विषाक्त सम्बन्धों में कमी नहीं आने देता।

5. जूनागढ़ के विलय का विवाद—काठियाबाड़ की एक छोटी रियासत जूनागढ़ थी, जिसका शासक मुस्लिम था, किन्तु जनता हिन्दू थी। वहां के शासक नवाब ने अपनी रियासत का पाकिस्तान में विलय करना चाहा था, किन्तु वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया और भारत से वहां के शासक ने भारत से विलय का अनुरोध किया, तो भारत ने उसके बाद भी जनमत का संग्रह करके 1948 में विलय कर लिया। इससे पाकिस्तान ने अपनी प्रतिष्ठा को धक्का समझा और दोनों देशों के सम्बन्धों में बिगड़ाव का एक कारण यह भी बना।

6. हैदराबाद के विलय का विवाद—दक्षिण भारत में स्थिति एक मुस्लिम रियासत हैदराबाद थी जिसका भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान के साथ कोई सरोकार ही नहीं था। इसलिए हैदराबाद की रियासत का नवाब भारत के अन्दर एक स्वतन्त्र मुस्लिम रियासत रखने के पक्ष में था, किन्तु भारत की सुरक्षा एवं एकता के लिए यह घातक हो सकता था। अत: भारत ने सैनिक कार्यवाही करके स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य की स्थापना पर अंकुश लगा दिया, जिसका पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भी प्रश्न उठाया। अत: दोनों राष्ट्रों के मध्य बढ़ती कटुता का एक प्रमुख कारण यह भी बना।

7. कच्छ के विलय का विवाद—कच्छ का रण पुराने गुजरात राज्य (भारतीय प्रदेश) तथा पुराने सिन्ध राज्य (पाकिस्तानी क्षेत्र) के मध्य स्थित है। यह पूरान रण क्षेत्र पहले कच्छ के राजा के अधीन था और जब 1947 में कच्छ के राज्य का भारत के साथ विलय हुआ तो यह क्षेत्र भारतीय सीमा क्षेत्र में आ गया। लेकिन पाकिस्तान इस क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता था। उसका तर्क है कि विभाजन के बाद हमें मिलना चाहिए। भारत ने जबरदस्ती अपना अधिकार जमाया है। भारत सरकार इस बात से कतई सहमत नहीं है चूंकि यह कच्छ के राजा के अधीन था। अब भारत का अभिन्न अंग है। इस बात को लेकर 1965 में भारत के विरुद्ध युद्ध हुआ। आपसी सम्बन्धों के तनाव का एक प्रमुख कारण यह भी है।

8. 1965 का भारत-पाक युद्ध—कच्छ के रण का संघर्ष भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का एक पूर्वाभ्यास था। अभी कच्छ समझौते की स्याही सूखी नहीं थी कि पाकिस्तान के मुजाहिदों ने नागरिक वेश में युद्ध विराम रेखा को पार करते हुए भारत की कश्मीर सीमा में प्रवेश किया। पाकिस्तान की यह सुनियोजित कार्यवाही थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर में अव्यवस्था फैलाकर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। पाकिस्तान का यह इरादा विफल हो गया, क्योंकि कश्मीरी जनता ने मुजाहिदों का स्वागत करने की बजाय भारतीय सेना को सक्रिय सहायता देकर उन्हें खदेड़ दिया।

इस अभियान में असफल होने पर पाकिस्तान ने 1 सितम्बर, 1965 को सीमा पार कर सैनिक हमला कर दिया, जिसका जवाब भारत ने अपने करारे प्रहार से देकर पाकिस्तान की स्थिति को दयनीय बना दिया। अन्तत: 23 सितम्बर, 1965 को युद्ध विराम हुआ, उस समय लगभग 750 वर्गमील पाकिस्तानी क्षेत्र भारत के अधिकार में तथा लगभग 240 वर्गमील भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में हो गया था। इस युद्ध ने पाक के इरादों की पोल खोल दी तथा उसे उलटी मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध ने यह बता दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है, जोकि जरा सी असावधानी हुई तो वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य तनाव का सिलसिला जारी रहा।

सोवियत मध्य एशिया के उजबेकिस्तान प्रान्त की राजधानी ताशकन्द में सोवियत संघ के प्रधानमन्त्री **कोसिगिन** के प्रयासों से दोनों के मध्य समझौता 10 जनवरी, 1966 को सम्पन्न हुआ।

'ताशकन्द समझौते' की मुख्य सहमति शर्तें इस प्रकार से थीं—

''दोनों देश आपसी विवाद के निपटारे के लिए युद्ध का त्याग करते हैं और भविष्य में समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए परामर्श का अवलम्बन करेंगे। दोनों देश एक-दूसरे के प्रति मैत्री की भावना का प्रदर्शन करेंगे और पारस्परिक सम्बन्धों को बिगाड़ने वाला कोई भी कदम नहीं उठाएंगे।''

इसके बावजूद भारत विरोधी पाक की गतिविधियां जारी रहीं जिससे सम्बन्ध सुधरने के पूर्व ही बिगड़ते गए।

9. 1971 का भारत-पाक युद्ध—पाकिस्तान में प्रथम सामान्य निर्वाचन 7 दिसम्बर,1970 को हुआ और राष्ट्रीय सभा में शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी आवामी लीग को बहुमत मिला। पाकिस्तानी सैनिक शासकों ने आवामी लीग की न्यायोचित मांग को बन्दूक के ज़ोर पर कुचलने का प्रयास किया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में भगदड़ मच गई और भारत में शरणार्थियों की बाढ़ में लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने सैनिक शासकों के शोषण के विरुद्ध **'मुक्ति वाहिनी'** सेना खड़ी की। पाकिस्तान ने भारत द्वारा लोगों को शरण देना विरोधी करार करते हुए 3 दिसम्बर, 1971 को हवाई हमला कर दिया। यह युद्ध 17 दिसम्बर, 1971 तक चला और 16 दिसम्बर, 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्म-समर्पण कर दिया।

इस युद्ध ने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया और बंगला देश के नाम से एक नया राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान की इस

युद्ध में अत्यन्त अपमानजनक हार हुई, जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में कटुता आ गई और आज तक इस अपमान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान हर प्रकार की हरकतें करता रहता है। इस युद्ध के बाद शिमला समझौता 3 जुलाई, 1972 को हुआ।

10. शिमला समझौता—1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् जब बंगला देश के रूप में एक नये राष्ट्र ने जन्म लिया, तो पाकिस्तान की स्थिति अत्यन्त संकट से गुजर रही थी। यही कारण था कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3 जुलाई, 1972 को शिमला समझौता हुआ जिसमें भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा पाकिस्तान की ओर से श्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों राष्ट्रों के मध्य व्याप्त तनाव एवं संघर्ष के स्थान पर सद्भावना एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति कायम करने की पहल की गयी, ताकि दोनों देश भविष्य में अपने संसाधनों एवं शक्ति का समुचित प्रयोग मानव कल्याण के लिए कर सकें। सुरक्षा एवं सामरिक तैयारी में जो सम्पत्ति लगायी जा रही थी उस पर अंकुश लगाकर राष्ट्र के विकास एवं मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के नाम पर कार्य किया जा सके।

भारत एवं पाकिस्तान के मध्य इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह सहमति अथवा समझौता हुआ।*

(1) भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों के अनुसार ही होंगे।

(2) दोनों देश अपने अनेक आपसी मतभेदों को आपसी सहमति अथवा बातचीत के माध्यम से ही हल करने का संकल्प लेते हैं। दोनों देशों के बीच किसी भी समस्या का अन्तिम समाधान होने तक हर पक्ष अपनी यथास्थिति को बनाए रखेगा और दोनों राष्ट्र शान्तिपूर्ण तथा सद्भावपूर्ण सम्बन्धों को बिगाड़ने वाला कोई काम न तो स्वयं करेंगे और न ही ऐसी कोई गतिविधि को सहायता या प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

(3) दोनों राष्ट्र समानता एवं आपसी लाभ के आधार पर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखेंगे। पारस्परिक क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुसत्ता के प्रति सम्मान रखेंगे तथा एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश आपसी मतभेदों को सुलह-सफाई से समाप्त करके स्थायी शान्ति के लिए अच्छे पड़ोसी की भांति सम्बन्धों को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे।

(4) विगत 25 वर्षों से दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों को बिगाड़ रखने वाली अनेक बुनियादी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा।

(5) दोनों देश एक-दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता तथा समानता का सदैव सम्मान करेंगे।

(6) दोनों देश संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुरूप एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता के खिलाफ ताकत का प्रयोग करने या उसकी धमकी देने से बचेंगे।

इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की सरकारों ने यह सुनिश्चित किया कि आपसी सम्बन्धों को और अधिक समधुर बनाने के लिए सहायक सूचनाओं के प्रसार को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। यदि दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों में कोई शत्रुतापूर्ण कार्यवाही होती है तो उसका दमन पूरी शक्ति के साथ किया जाएगा, ताकि आपसी तनाव की ज़रा भी गुंजाइश न रह सके। यही कारण था कि उपर्युक्त समझौते के साथ ही निम्न विचारों पर भी सहमति दोनों पक्षों द्वारा जतायी गयी। जैसे—

(1) दोनों राष्ट्रों के मध्य जल, थल एवं नभ परिवहन सेवा, संचार तथा डाक सेवा की शुरुआत की जाएगी तथा सीमाएं खोलने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी।

(2) दोनों देशों के नागरिकों को एक-दूसरे देश से अधिक-से-अधिक यात्रा सुविधा प्रदान करने का प्रयास जारी रहेगा।

(3) दोनों देश अपनी आपसी सहमति के आधार पर आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में सहयोग को अधिक बढ़ावा प्र... करेंगे।

(4) विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक-दूसरे देशों के बीच सहयोग-आदान-प्रदान किया जाएगा तथा इस सन्दर्भ में प्रतिनिधि मण्डल समय-समय पर मिलते रहेंगे।

संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने यह वादा किया, कि शिमला समझौते के अधीन पाकिस्तान हिंसा अथवा बल का प्रयोग नहीं करेगा, आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों देश एक-दूसरे देश की अखण्डता की रक्षा करेंगे। वास्तविक नियन्त्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। युद्ध की धमकी नहीं दी जाएगी।

1971 के युद्ध के पश्चात् स्थायी शान्ति कायम करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत दोनों राज्यों के मध्य अग्रलिखित बातों में सहमति जतायी गई—

*जगमोहन—कश्मीर समस्या एवं विश्लेषण परिशिष्ठ पेज 459

(1) दोनों देशों की सेनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पुन: वापस बुला लिया जाएगा।

(2) सेनाओं की आपसी और युद्ध कैदियों (P.O.W.) की अदला-बदली की कार्यवाही समझौते के तुरन्त बाद ही शुरू कर दी जाएगी, जिसे एक माह के अन्दर पूरा करना होगा।

(3) 17 दिसम्बर, 1971 को युद्ध समाप्ति की नियन्त्रण रेखा का जम्मू-कश्मीर में दोनों पक्ष बिना किसी पूर्वाग्रह के सम्मान करेंगे। कोई भी पक्ष इस स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा,भले ही दोनों की कानूनी व्याख्याएं तथा आपसी मतभेद अलग-अलग हों। कोई भी राष्ट्र न तो धमकी देगा और न ही शक्ति का प्रयोग करेगा, ताकि नियन्त्रण रेखा का उल्लंघन न हो।

पाकिस्तान की वचनबद्धता के परिणामस्वरूप यह ऐतिहासिक शिमला समझौता सम्पन्न हुआ और इसके अन्तर्गत 90,000 पाक सैनिक युद्ध बन्दियों को रिहा किया गया ।

पाकिस्तान शिमला समझौते की उन शर्तों को मानता है, जिनसे उसका लाभ होता है, किन्तु समझौते की पूरी शर्तों की अवहेलना करता है। इस प्रकार दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव का एक प्रमुख कारण प्रमाणित होता है। आतंकवादी एवं उग्रवादी गतिविधियों में सहयोग देने के साथ ही साथ भारत विरोधी हरकत करने से चूकता नहीं है। अत: इस समझौते का उल्लंघन सम्बन्धों में बिगाड़ की स्थिति उत्पन्न करता रहता है।

11. सियाचिन विवाद—भारत एवं पाकिस्तान के बीच वर्ष 1994 के आरम्भ में विदेश सचिव स्तर की बातचीत से असफल होने और हाल ही में मानवाधिकार के मसले पर दोनों देशों के बीच आयी कटुता से सियाचिन का मसला उलझ गया है। वैसे भी यह मामला अब वैदेशिक महत्त्व का न होकर सैनिक महत्त्व का अधिक हो गया है। पहले उम्मीद थी, कि दोनों देशों की सिर दर्दी बन चुका सियायिनत ग्लेशियर का मसला बातचीत के इस सातवें दौर में कुछ हद तक सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा सम्भव न हो सका। इस समस्या के हल के लिए 1986 से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। पाकिस्तान शिमला समझौते की बात जो उसके हित में है उस पर जोर देता है, लेकिन बाकी के लिए राष्ट्र संघ, इस्लामी संगठन अथवा अन्य एजेन्सियों का प्रयोग करता रहा है।

इतने ऊँचे बर्फीले ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के लिए लगातार सैनिक जमाव रखना आर्थिक दृष्टि से तो बोझ है ही, सामरिक दृष्टि से भी कष्टदायी कम नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए इस हिमनद का बहुत महत्त्व है। सियाकांगड़ी पर्वत से पाक अधिकृत कश्मीर, कराकोरम मार्ग, चीन से सिक्यांग प्रान्त, भूतपूर्व सोवियत संघ और अफगानिस्तान के अनेक महत्त्वपूर्ण हिस्सों पर निगरानी रखी जा सकती है। वास्तव में सियाचिन पाक के कब्जे में हो जाए तो इससे चीन की स्थिति भी मज़बूत होगी और पाक-चीन बेहतर सैनिक गठजोड़ कर सकेंगे। पाक का इरादा 'इन्दिरा कोल' को जीतने का है, ताकि कारगिल लेह तथा कराकोरम दर्रों के बीच मुख्य सम्पर्क सूत्र 'पामिक सोसेर कराकोरम राजमार्ग' को अवरुद्ध किया जा सके। ऐसा होने पर पाकिस्तान कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच के प्रमुख सम्पर्क मार्ग को छिन्न-भिन्न कर सकता है।

पाकिस्तानी शासकों को मालूम है, कि यह भारत को क्षेत्र है और उसके दावे का कोई आधार नहीं है। इसके बावजूद इस क्षेत्र की भारतीय चौकियों पर गोला-बारी करने का दु:साहस भी किया है। इस प्रकार सियाचिन विवाद भी दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में एक दीवार है।

12. पाकिस्तान परमाणु बम—भारत-पाक सम्बन्धों में कटुता होने का एक प्रमुख कारण पाकिस्तान का परमाणु बम बनाना है जोकि नि:सन्देह भारत की सुरक्षा व्यवस्था को एक चुनौती है। पाकिस्तान के पास सात परमाणु बम होने का खुलासा वर्ष 1992 में ही हो गया था। परमाणु बम होने की धमकी से भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता है। यही कारण है, कि अब पाकिस्तान खुलकर यह मानने लगा है कि उसके पास पर्याप्त परमाणु क्षमता है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चश्मा क्षेत्र में 300 मेगावाट का एक परमाणु केन्द्र स्थापित किया है। अमेरिका इसे अनदेखा करके उसे एफ-16 विमान की एक और खेप देने जा रहा है जिससे भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सम्बन्धों में दूरी बढ़ना लाज़मी है।

अत: भारत पाक सम्बन्धों के बिगाड़ का एक महत्त्वपूर्ण कारण पाकिस्तान परमाणु का विकास करना भी है।

13. चीन-पाक गठजोड़—पाकिस्तान एवं चीन गठजोड़ भी भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार लाने की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में है। कश्मीर क्षेत्र में दोनों ने यातायात एवं संचार साधनों को विकसित किया है। अधिकृत कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाक द्वारा चीन को दिए जाने से कश्मीर समस्या को और टेढ़ा बना दिया है। पाकिस्तान चीन की सहायता से बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। उससे भारत की परेशानी बढ़ जाती है। चिन्ता इस बात को लेकर है कि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के हथियारों का प्रयोग हमेशा भारत के विरुद्ध ही हुआ है। चीन,पाकिस्तान को ऐसे हथियार भी दे रहा है जो उसकी औकात से ज्यादा है। इस प्रकार चीन-पाक की हथियारों की दोस्ती दोनों के सम्बन्धों को सुधारने में बड़ी बाधक है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार की प्रक्रिया में अनेक बाधाएं हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार की अन्दुरूनी विफलताएं संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार के प्रश्न पर कूटनीतिक निराशा आई० एस० आई० का बढ़ता जाल तथा सीमा पर तनाव भी सम्बन्धों की दरारें हैं।

भारत-पाक सम्बन्ध
(1974 से 1979 तक)

शिमला समझौते के पश्चात् दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। युद्धबन्दियों तथा मानवीय समस्याओं पर दोनों पक्षों में अनेक स्तर पर वार्ताएं हुई और अन्त में 28 अगस्त, 1973 को इस सन्दर्भ में एक समझौता हो गया। बंगला देश को मान्यता देने के भी इस समझौते में संकेत था और 22 फरवरी, 1974 को पाकिस्तान ने बंगला देश को मान्यता दे दी। इसके बाद 9 अप्रैल, 1974 को नयी दिल्ली में भारत-पाक और बंगला देश के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें युद्धबन्दियों को छोड़ने का निर्णय किया गया। इस प्रकार सम्बन्धों में सुधार का सिलसिला शुरू हुआ था, कि जब 18 मई, 1974 को भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया तो पाक ने भारत के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया की और स्वयं परमाणु शक्ति हासिल करने की कसम ली और कहा कि—"अपने देश को अणु ब्लैक मेल का शिकार नहीं होने देंगे।" तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पाक को स्पष्ट किया कि अणु शक्ति का विकास भारत अपने रचनात्मक उद्देश्य से कर रहा है। भारत ने अनाक्रमण सन्धि का प्रस्ताव रखा, किन्तु पाकिस्तान ने उसे ठुकरा दिया।

1 सितम्बर, 1974 को इस्लामाबाद में दोनों पक्षों ने डाक, दूर संचार और यात्रा सुविधा के सन्दर्भ में समझौता हस्ताक्षर करके तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया। इसके बाद 1975 में एक समझौते के द्वारा व्यापारिक जलयानों से दोनों देशों ने बन्दरगाहों में प्रवेश प्रतिबन्ध हटा दिए गए। वर्ष 1976-77 के दौरान दोनों देशों के सम्बन्धों के सामान्यीकरण की कार्यवाही में कुछ सुधार हुआ और राजनायिक सम्बन्धों को पुन: स्थापित करने का निश्चय किया गया। 14 मई, 1976 को दोनों देशों में रेल और सड़क परिवहन व्यवस्था पुन: शुरू हो गयी जिससे व्यापार सरल हो गया।

मार्च, 1977 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो दोनों देशों में सम्बन्ध सुधारने के प्रयास तेज हुए। 1977 में पाक के सामने 'युद्ध न करने के समझौते' को रखा, किन्तु इसे ठुकरा दिया। फरवरी, 1978 में भारत के तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1978 में पाकिस्तान के वैदेशिक मामलों के सलाहकार श्री आगाशाही के आने पर सलाल पन-बिजली परियोजना सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मई, 1979 में पाक विदेश मंत्री श्री शाहनवाज ने चार दिवसीय भारत यात्रा की।

भारत पाक सम्बन्ध
(1980 से 1992 तक)

भारत में 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुन: सत्ता में आयी और इसी बीच अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने पाकिस्तान की सुरक्षा और राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया में एक नया मोड़ आया और पाक जनरल जिया-उल-हक ने सितम्बर, 1981 में भारत के साथ 'युद्ध न करने की सन्धि' का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के मध्य "शिमला समझौता" अयुद्ध समझौता ही है। अत: इस सन्धि का औचित्य नहीं है जबकि इसके पूर्व भारत ने 'युद्ध न करने के सन्धि' की पेशकश पाकिस्तान के साथ अनेक बार की, किन्तु उसे लगातार ठुकरा देता था। पाकिस्तान ने सम्बन्धों में सुधार की प्रक्रिया को ऊपरी तौर पर ही लिया। जिम्बाम्बे की स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर श्रीमती गान्धी और जनरल जिया से सेल्वरी में 10 मार्च, 1980 को मुलाकात हुई तो सम्बन्धों में सुधार करने का इरादा बनाया। अप्रैल, 1981 में भारत के तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री पी० वी० नरसिम्हा राव ने पाकिस्तान की यात्रा की, जिसमें पाक ने स्पष्ट किया कि अमरीकी हथियारों के आयात में कोई कटौती नहीं करेगा, जिससे सम्बन्धों में कड़वाहट बनी ही रही। 29 जनवरी, 1982 में अनाक्रमण सन्धि 'एवं सम्बन्धित प्रश्नों' पर पाकिस्तान और भारत की विदेश मन्त्रियों के स्तर पर नयी दिल्ली में वार्ता हुई। मार्च, 1983 में दोनों देशों के मध्य संयुक्त आयोग का गठन हुआ सद्भाव तथा मैत्री की दिशा में पुन: बहाली का एक प्रयास हुआ। 31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गान्धी की हत्या के बाद श्री राजीव गान्धी ने सत्ता की बागडोर संभाली। अप्रैल, 1985 में भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया जब तक वह पंजाब के आतंकवादियों को सहायता देना बन्द नहीं करेगा तब तक सम्बन्धों में सुधार होने की कोई सम्भावना नहीं होगी। 4 अप्रैल, 1985 को दोनों देशों के सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए भारत के विदेश सचिव ने इस्लामाबाद की यात्रा की।

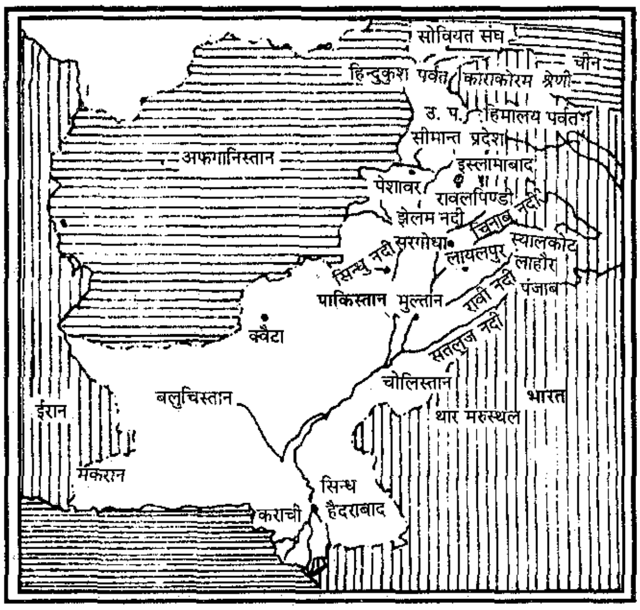

4 जुलाई, 1985 को दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर पर वार्ता हुई तथा एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए जिसके अन्तर्गत दोनों देश आर्थिक विकास, पर्यटन, रेलवे, संचार, सूचना, कृषि एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया। 17 दिसम्बर, 1985 को जनरल जिया-उल-हक भारत आए और दोनों देशों ने इस बात की पुष्टि की कि परमाणु बम बनाने का उनका कोई विचार नहीं है। 18 जनवरी, 1986 को दोनों देशों ने एक-दूसरे के परमाणु संयंत्रों पर आक्रमण न करने सम्बन्धी दस्तावेजों का इस्लामाबाद में आदान-प्रदान किया। वर्ष 1987 के आरम्भ में भारत-पाक सीमा पर तनाव बढ़ा तथा पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया, कश्मीर में हस्तक्षेप तथा पंजाब के आतंकवादियों की सहायता ने सामान्य सम्बन्धों को पुनः बिगाड़ दिया। इसी दौरान 17 अगस्त, 1987 को जनरल जिया की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गयी और 1988 में श्रीमती बेनजीर भुट्टो पाक की प्रधानमन्त्री बनी।

इस्लामाबाद में आयोजित सार्क के शिखर सम्मेलन में श्री राजीव गान्धी एवं श्रीमती बेनजीर भुट्टो के मध्य सार्थक विचार-विमर्श हुआ जिसमें सामान्य सम्बन्धों को सुधारने पर बल दिया। वर्ष 1988 दिसम्बर से जून, 1989 तक भारत-पाक सम्बन्धों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 2 दिसम्बर, 1989 को भारत में श्री वी० पी० सिंह प्रधानमन्त्री बने। उन्होंने भी सम्बन्धों को सामान्य बनाने पर बल दिया, किन्तु पाकिस्तान ने कश्मीर के प्रश्न पर वहां की जनता को आत्म-निर्णय के संघर्ष को पूर्ण समर्थन देकर सम्बन्धों को तनावपूर्ण बना दिया। पाकिस्तान की विरोधी गतिविधियों ने सम्बन्धों में सुधार होने पर बिगाड़ करने का सिलसिला जारी रखा।

15 सितम्बर, 1990 को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमन्त्री श्री जतोई ने कहा कि कश्मीर के आतंकवादियों को उनकी सहायता जारी रहेगी। 24 मई, 1992 को भारतीय राजनायिक का पाकिस्तान द्वारा निष्कासन तथा जवाब में पाकिस्तानी दो राजनायिका का भारत द्वारा निष्कासन। 14 जून, 1992 को पाक प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिम्हा राव के मध्य बातचीत एवं सचिव स्तर की वार्ता के लिए रजामंदी हुई। 19 अगस्त, 1992 सचिव स्तर की तीन दिवसीय वार्ता हुई जिसमें रासायनिक हथियारों एवं राजनयिक की आचार संहिता पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार व्यापारिक दृष्टि से कुछ समझौते तो लागू रहे, किन्तु पाकिस्तान के अपने स्वार्थों ने कभी भी सम्बन्धों को सही रूप से सुधारने नहीं दिया।

भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने के जो प्रयास किए जाते हैं, उन्हें पाक की गतिविधियां, राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक इरादे, अमेरिका की चाल, चीन का सहयोग, कश्मीर का लगाव, शासकों की अस्थिरता तथा आर्थिक खोखलेपन के कारण उन्हें सही आयाम नहीं मिल पाता। इसी कारण पाकिस्तान को 'दूरस्थ पड़ोसी' कहा गया है।

भारत-पाक सम्बन्ध, समस्याएं एवं संभावनाएं

भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों का ज़िक्र आते ही स्वाभाविक रूप से प्रश्न चिन्ह अंकित हो जाता है, क्योंकि विगत इतिहास इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है, कि पाकिस्तान का रवैया शुरू से ही भारत विरोधी रहा है और अब विश्व रंगमंच पर अपना अस्तित्व दिखाने के लिए भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना उसकी शायद मज़बूरी बन चुकी है। जब से पाकिस्तान बना है, राजनीतिक एवं सैनिक उठा-पटक का सिलसिला जारी रहा है। वहां का हर शासक चाहे राजनीतिक अथवा सैनिक हो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भारत के विरुद्ध बयानबाजी के साथ ही सामरिक गतिविधियों को भी खुलकर बढ़ावा देता है। यही कारण है कि वर्तमान पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बेनजीर भी लगभग रोज ही कुछ-न-कुछ भारत विरोधी बयान देकर अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए उन्हीं कदमों पर चल रही है। भारत-पाक सम्बन्धों की जड़ में कश्मीर समस्या की बेल इस तरह फैलायी गई कि इसे हटाना या जड़ से उखाड़ना जल्दी से

संभव नहीं है। भारत-पाक विभाजन के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को एक ऐसी समस्या का रूप दे दिया, जिसके कारण भारत एवं पाकिस्तान के शासक सुख-चैन से नहीं बैठ सकते।

भारत-पाक विभाजन से अब तक दोनों राष्ट्रों के मध्य कभी-कभी खुलकर लड़ाई हुई है तो कभी शीत-युद्ध का सिलसिला जारी है। अब स्थिति यह हो गयी है कि कश्मीर की समस्या की जड़ से अनेक समस्याएं [illegible] में तन कर खड़ी हो गयी हैं। दोनों राष्ट्रों के मध्य बढ़ते अविश्वास के कारण वार्ताएं भी अधर में लटक कर रह हैं। पाकिस्तानी परमाणु तकनीकी, प्रक्षेपास्त्र एवं प्रतिरक्षा तैयारी भारत विरोधी रवैयां बनाकर ही विकसित की जा सकती है ऐसा वहां के शासक हमेशा से मानते रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान अपने अस्तित्व की सुरक्षा के साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सौदेबाजी करने का सर्वोत्तम साधन भारत विरोधी अभियान को ही मानते हैं। एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो जाने के साथ ही पाकिस्तान ने अपना पलड़ा भारी मान लिया है क्योंकि आरम्भ से ही पाक अमरीकी पक्षधर होने के नाते और सोवियत संघ के पतन के साथ ही भारत की स्थिति नाजुक होने के कारण अपनी राजनयिक चाल को नकद करने के लिए प्रयत्नशील है। यही कारण है, कि अमेरिका को कश्मीर एवं पंजाब में मानाधिकार के हनन की बात याद आ गयी। आज कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं उनका विश्व स्तर पर पाकिस्तानी साज़िश के रूप में जाना जाता है। इसका खुलासा हजरतबल काण्ड के समय हो गया था। इस सबके बावजूद स्वयं अमरीकी प्रतिनिधि सभा की रिपब्लिकन रिसर्च ने भी स्वीकार किया है कि कश्मीर में चर्चित पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई०एस०आई० कार्यवाहियों को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए उसने "के-2" नामक एक विशेष गुप्त योजना भी तैयार की है। अमरीका की यह अनदेखी आखिर किस लिए है?

पाकिस्तान के पास सात परमाणु बम होने का रहस्योद्घाटन वर्ष 1992 में ही हो गया था, जिसका एक बम हिरोशिमा जैसे शहर को नष्ट करने में सक्षम है। आश्चर्य की बात तो यह है, कि परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य करने वाले अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता से ही पाकिस्तान को यह क्षमता प्राप्त हुई है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने पाकिस्तान के लिए एजेन्ट का काम किया है। यह बात उल्लेखनीय है, कि एक ओर अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान द्वारा बम बनाने पर प्रतिबन्ध लगा रही थी, दूसरी ओर अमरीकी वाणिज्य विभाग के सहयोग से पाकिस्तान लाखों डालर की कीमत से परमाणु बम तकनीक खरीद रहा था। आखिर अमरीका की इन दोहरी नीतियों के दुष्परिणाम भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहे हैं। यही कारण है, कि पाकिस्तान विश्व में शीत युद्ध समाप्त होने और तनाव शैथिल्य की नयी स्थिति पैदा होने के बाद भी गुप-चुप सैनिक तैयारी करने और परमाणु हथियार हासिल करने में जुटा हुआ है।

अब हमें भारत-पाक सम्बन्धों की समस्याओं का उल्लेख करने के लिए निम्नलिखित विषयों का वर्णन भी संक्षिप्त में करना आवश्यक है—

1. कश्मीर की समस्या।
2. सियाचिन में तनाव।
3. पाकिस्तानी परमाणु बम।
4. चीन-पाक की गुप्त सैनिक सन्धि।
5. परमाणु अप्रसार सन्धि।
6. वर्तमान स्थिति एवं भावी संभावनाएं।

कश्मीर समस्या

26 अक्तूबर, 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विधिवत् भारत संघ में अपने राज्य का विलय किया था, किन्तु उसी समय पाकिस्तान ने अपनी कबायली सेना से हमला करके ज़ोर-जबरदस्ती द्वारा उसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। 27 अक्तूबर को भारतीय सेना ने इसका ज़ोरदार सामना किया लेकिन विलय से पूर्व ही पाकिस्तानी सेना ने एक लम्बी कूटि योजना तैयार कर ली थी और 27 अक्तूबर को श्रीनगर में जिन्ना ईद का जश्न मनाने वाले थे। पाकिस्तान ने एक तिहाई से अधिक भाग पर अपना नियन्त्रण करके स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया था। मात्र 80 किलोमीटर दूर ही श्रीनगर रह गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 जनवरी, 1949 को युद्ध विराम तो लागू करवा दिया किन्तु सुरक्षा परिषद् द्वारा पारित 13 अगस्त, 1948 के प्रस्ताव के बाद भी जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र में अपना अधिकार जमाए

* फिरोज गान्धी कॉलेज रायबरेली में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में सम्मिलित लेखक का शोध-पत्र (अप्रैल, 1994)

रखकर पाकिस्तान आज आत्म निर्णय एवं मानवाधिकार की बात करता है। इस समस्या के बने रहने से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी विवादास्पद एवं सन्देहात्मक हो गयी है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार करने के लिए उग्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, सम्प्रदायवाद एवं गुप्त युद्ध कौशल का सिलसिला भी जारी रखा है।

विगत वर्ष अमेरिका के प्रतिनिधियों का सदन के आतंकवाद एवं गुप्त युद्ध कौशल सम्बन्धी कार्यबल (Task Force on Terrorism and unconventional warfare of the U.S. House of representatives) की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की गुप्तचर एजेन्सी आई० एस० आई० ने इन गतिविधियों पर विशेष रूप से वक्तव्य दिया।

(1) धार्मिक कट्टरवाद का सीमित, किन्तु घातक रूप से प्रचार एवं प्रसार किया जाए ताकि अलगाववाद तथा साम्प्रदायिक विचारों में बढ़ोत्तरी की जा सके।

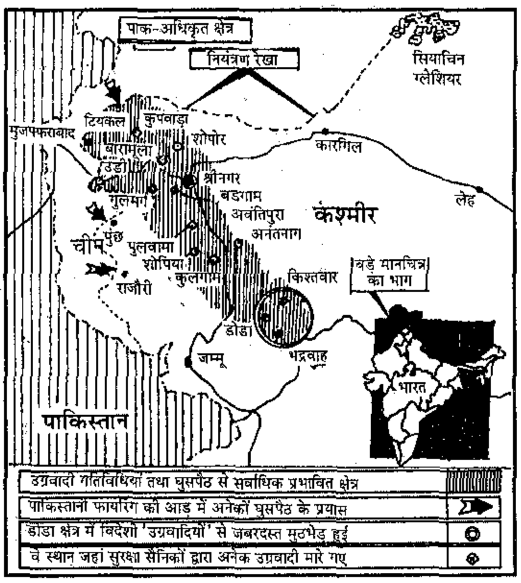

(2) कश्मीर घाटी के चुनिन्दा नेताओं को प्रशिक्षण तथा कट्टर धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए ताकि कुशल आतंकवादी बन सके।

(3) कश्मीर घाटी तथा पुंछ क्षेत्र के बहुत सारे युवकों को आधुनिक स्व-चालित हथियार के प्रयोग, तोड़-फोड़ और सुरक्षा बलों पर हमले करने का सविस्तार प्रशिक्षण दिया गया और इसके बाद स्व-चालित हथियार दिए गए।

(4) विशेष दलों को दंगे तथा हड़ताल कराने तथा ऐसी घटनाएं घटित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया जिससे भारत की लोकतन्त्रीय एवं धर्म-निरपेक्ष छवि को बिगाड़ा जा सके।

आज आई० एस० आई० एक विशाल विभाग के रूप में कार्य कर रही है जोकि बहुत पहले एक फील्ड यूनिट थी, जिसके एजेन्ट शत्रु राष्ट्रों में विध्वंसक गतिविधियों के लिए भेजे जाते थे। इस यूनिट के विस्तार के साथ ही आज ये तोड़-फोड़, दंगे तथा साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने में निपुण हो चुके हैं। कुल मिला कर इसके आठ विभाग हैं जो आन्तरिक एवं विदेशी गुप्तचरी में जुटे हुए हैं। आई० एस० आई० प्रमुख सीधे ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। यही कारण है कि आज आई० एस० आई० पाकिस्तान के शासन तन्त्र में सर्वोपरि बन चुकी है। कश्मीर समस्या आई० एस० आई० के बढ़ते कदमों से दिन-प्रतिदिन विवादपूर्ण बनती जा रही है। अभी हाल में कश्मीर में जो गतिविधियां की गईं उसका अनुभव संलग्न चित्र से लगाया जा सकता है। यही कारण है कि अब आतंक पाकिस्तानी राजनीति का स्थायी भाव बन चुका है।

सियाचिन में तनाव

भारत की सुरक्षा के विरुद्ध पाकिस्तान ने जो सियाचिन हिम ग्लेशियर पर रणनीति बनायी है, उससे सजग रहने की विशेष आवश्यकता है। पाकिस्तान सदैव दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाता रहा है। उसकी धोखे की इस नीति से आज हम सभी भली-भांति परिचित हो चुके हैं। विगत अनेक वर्षों से लगातार इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान प्रयास करता रहा है। आखिर लद्दाख के 45 वर्गमील भारतीय सैनिक ठिकाने को अधिकार में करने के लिए पाकिस्तान क्यों बेचैन है जबकि साइचिन हिमनद वर्ष भर बर्फ से लगातार दबा रहता है, जिसकी ऊंचाई 18000 फुट, लम्बाई 74 किलोमीटर तथा चौड़ाई दो से लेकर आठ किलोमीटर तक है। आर्थिक दृष्टिकोण से अनुपयोगी आखिर इस क्षेत्र का सामरिक महत्त्व इतना अधिक इसलिए पाकिस्तान मानता है क्योंकि इससे नवीन सामरिक द्वार खुल जाएंगे जिससे पाक एवं चीन अरब देशों तक अपनी दस्तक बिना किसी रोक-टोक के देने में समर्थ हो जाएगा। अभी भारत की मौजूदगी उसकी राह में अड़चन है। इसके साथ ही पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की कुंजी भी अपने अधिकार में करना चाहता है।

सियाचिन पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आ जाए तो चीन तक आवागमन की सीधी सुविधा हो जाएगी तथा अक्साइचिन और चीन के उत्तरी भाग की दूरी कम हो जाएगी। इसके साथ ही चीन को पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में

स्वतन्त्र रूप से प्रवेश करके भारतीय उपमहाद्वीप पर सीधे हावी होने का रास्ता मिल जाएगा। यदि पाक इस क्षेत्र पर अधिकार कर ले तो वह नुबा घाटी के रास्ते भारत पर ज़ोरदार हमला कर सकने में समर्थ हो जाएगा। सियाचिन जो सामरिक पहल अथवा विवाद का विषय बना हुआ है इसका मूल कारण यह है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और पाकिस्तान का अनैतिक अधिकार है, जिसमें कोई विभाजन हो ही नहीं सकता। वर्ष 1949 में युद्ध विराम समझौते के अन्तर्गत राज्य का कुछ क्षेत्र जरूर पाकिस्तान के अधिकार में है।

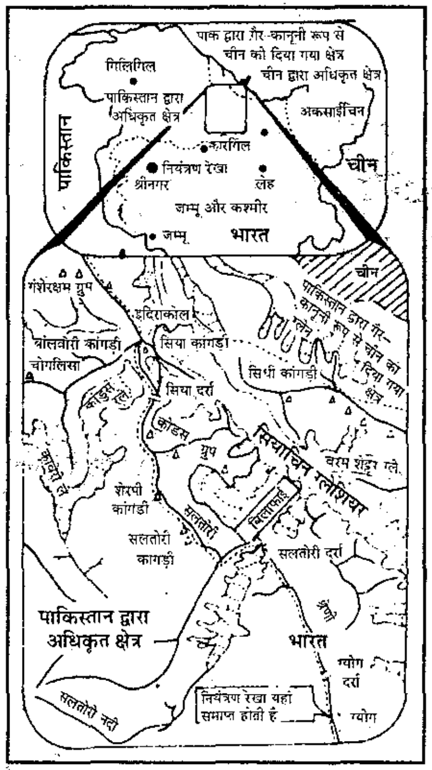

भारतीय सुरक्षा के लिए सियाचिन के क्षेत्र का सामरिक महत्त्व विशेष रूप से है, क्योंकि इस क्षेत्र के हाथ से निकल जाने पर जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्र लम्बे रूप में कट जाएगा। यही कारण है कि पाक द्वारा अधिकृत गिलगित क्षेत्र और स्काई को चीन अधिकृत आक्साइचिन के साथ मिला देने के लिए पाक चीन रणनीति तैयार हो गयी है। यह ऐसा क्षेत्र है जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र के बीच गले में हड्डी के समान अटका हुआ है और दोनों (चीन और पाक) को आपस में मिलने नहीं दे रहा है। इस दीवार को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने अनेक प्रयास किए हैं किन्तु भारतीय सेनाओं के ज़ोरदार जवाब के कारण मजबूरीवश कर मन मार कर बैठा हुआ है। आज भी इसे हड़पने की भावना अभी भी बरकरार है। आपसी सम्बन्धों को सुमधुर बनाने में उसके नापाक इरादे भी बहुत बड़ी बाधा का काम कर रहे हैं।

पाकिस्तानी परमाणु बम

पाकिस्तानी परमाणु बम भी हमारे सम्बन्धों को दूर करने की एक बड़ी कड़ी का काम कर रहा है। एक ओर जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में उग्रवाद को सक्रिय समर्थन देकर परोक्ष रूप से युद्ध थोप रहा है और बम बना लेने की धमकी देकर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर उदार बनकर दक्षिण एशिया को शान्ति क्षेत्र बनाने की पहल करते हुए परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने के मामले को भारत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। परमाणु अप्रसार सन्धि के प्रणेता राष्ट्रों को पाकिस्तान की इस दो तरफी नीति को समझना आवश्यक है क्योंकि भारत इस सन्धि पर हस्ताक्षर करके अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को पाकिस्तान अथवा अमेरिका के हाथों में गिरवी नहीं रख सकता है। इसके साथ पाक परमाणु कार्यक्रम की तकनीकी, निर्माण एवं नियन्त्रण निर्वाचित सरकार की बजाय सेना के पास है जोकि अत्यन्त जोखिम भरी स्थिति है।

पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम 1972 में ही शुरू कर दिया था और 1974 में भारतीय परमाणु विस्फोट के बाद तत्कालीन पाक प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि—"पाकिस्तान बम तैयार करने के लिए घास और पत्ते खा कर भी रह सकता है।" परमाणु क्षेत्र में पहला कदम 1965 में इस्लामाबाद के निकट निलोर में परमाणु विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान की स्थापना के साथ रखा। इसके साथ ही 1972 में परमाणु विद्युत् संयन्त्र "कानूप" कराची के निकट स्थापित किया। पाकिस्तान द्वारा परमाणु विधि ज्ञात करने का तरीका संभवत: संसार के प्रतिरक्षा गुप्तचरी के सबसे सनसनीखेज मामलों में आज भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। पाक का आण्विक आयुध कार्यक्रम ग़ैर-कानूनी हथकण्डों, तस्करी और चोरी पर आधारित है। पाकिस्तान सात परमाणु बम से लैस होने की बात बहु-चर्चित है किन्तु "दा बुलेटिन ऑफ़ एटमिक" एटमिक साइंटिस्ट्स" में नवम्बर, 1992 में एक प्रकाशित अंक में लिखा है, कि पाकिस्तान ने 13 परमाणु बम बना लिए है और वह आधुनिक एवं श्रेष्ठ परमाणु बमों या उद्जन बमों के निर्माण में जुटा हुआ है। इसी लेख में लिखा है, कि काहुटा स्थित परमाणु संवर्द्धन प्लांट प्रति वर्ष इतना परिष्कृत यूरेनियम तैयार करता है, कि उससे 15 किलो टन क्षमता के तीन से लेकर छ: तक परमाणु बम बनाए जा सकते हैं।

एक सूचना के आधार पर पाकिस्तान प्रति वर्ष 100 से 200 किलोग्राम तक आयुधोपयोगी यूरेनियम परिष्कृत कर रहा है। इस्लामाबाद के पास स्थित गोलरा में एक अन्य परमाणु केन्द्र बना चुका है और उसने रावलपिण्डी के पास पिंसटैक काम्पलेक्स में "न्यू लैब" नामक एक छोटा यूरेनियम संवर्द्धन संयंत्र स्थापित कर लिया है। यह संयंत्र फ्रांस से प्राप्त "ब्लू प्रिंट" पर आधारित है। इसके साथ ही साथ प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए भी एक परमाणु रियेक्टर तैयार कर चुका है। अब तो पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता के बारे में खुले तौर पर स्वीकार करने लगा है। चीन पाक से मिलकर पाक के चश्मा क्षेत्र में भी 300 मेगावाट का एक परमाणु केन्द्र बना रहा है। अब किसी को आशंका नहीं है कि पाक परमाणु कार्यक्रम मुख्यतया हथियार उन्मुख है और शान्ति के लिए बातें मात्र एक बहाना ही है। अतः भारत-पाक सम्बन्धों की एक बड़ी समस्या उसका परमाणु बम का विकसित करना भी है, जिससे भारत पर अपना मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर समझौते की बातें कितनी हास्यास्पद हैं। मई, *1998* में भारत के परमाणु परीक्षण के तुरन्त बाद ही पांच के बदले छः परमाणु परीक्षण करके उसने अपने बदले व ईर्ष्या की भावना स्पष्ट रूप से उजागर कर दी। इससे उसके परमाणु बम की चोरी भी खुलकर सामने आयी।

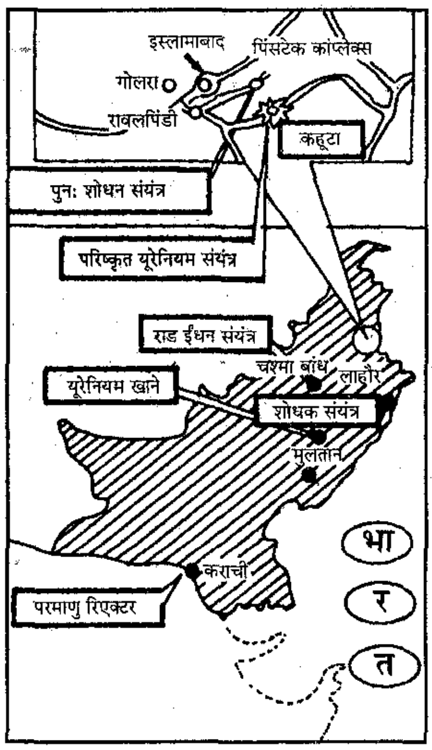

चीन-पाक की गुप्त सैनिक सन्धि

पाकिस्तान के परमाणु क्षमता हासिल करने के साथ ही अपनी सुरक्षा एवं स्वार्थों की आड़ लेकर चीन के साथ एक गुप्त समझौता करके 'एम-11' सामरिक प्रक्षेपास्त्रों को भी हासिल कर लिया है। चीन निर्मित 'एम-11' ज़मीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। *इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है और इसमें थोड़े संशोधन करके इसकी मारक* क्षमता को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका से आयातित प्रक्षेपास्त्रों के साथ ही साथ चीनी सहयोग से हत्फ-1 तथा 'हत्फ-2' अब तो हत्फ-VII बाबर नामक प्रक्षेपास्त्र भी बना चुका है जिनकी मारक क्षमता 80 से 300 किलोमीटर तक है। वर्ष 1990 में चीन-पाक के मध्य पूरे एक दशक हेतु रक्षा समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत चीन और पाक रक्षा सम्बन्धी समझ-बूझ को आपसी तालमेल से बढ़ाएंगे, हथियारों की खरीद में चीन का हाथ तो मिलेगा ही साथ ही रक्षा अनुसंधान, शोध, विकास एवं तकनीकी के स्थानान्तरण में भी सहयोग देगा।

चीन निर्मित "एच० वाई-5" नामक ज़मीन पर से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र जो अमरीकी "स्टिंगर" प्रक्षेपास्त्र के समान है, इन्हें चीन ने " रेड-से० से०-8" के नाम से अधिक विकसित करके पाक के हवाले कर चुका है। चीन पाकिस्तान को ऐसे घातक हथियारों का भी निर्यात कर चुका है, जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है अथवा उसकी ज़रूरत से ज्यादा है। पाकिस्तान इन हथियारों को ऐसे इस्लामी राष्ट्रों के हाथ बेच सकता है जहां चीन अपने सीधे हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है। पाक-चीन गुप्त सन्धि सामरिक एवं आर्थिक हितों के साथ ही सियाचिन तथा कश्मीर समस्या को दृष्टि में रखकर की गयी है। इस सन्धि से जहां अपने सामरिक स्वार्थों को मज़बूत कर रहा है वहां अब अमेरिका को आर्थिक सहायता देने के लिए मज़बूर कर रहा है। अमेरिका द्वारा हाल में प्रेसलर कानून में संशोधन उसकी मज़बूर एवं विस्तारवादी नीति का ही सूचक है। इसी कारण अब पाकिस्तान का रक्षा-व्यय निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है जैसा कि उसके विगत वर्षों की रक्षा-व्यय सारणी से स्पष्ट है। अतः ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देकर सम्बन्धों की बात मात्र छलावा ही होगा।

परमाणु अप्रसार सन्धि (एन० पी० टी०)

परमाणु अप्रासर सन्धि के उद्देश्य मानवीय मूल्यों के हित में हैं और भारत भी इस सन्धि के पूर्ण पक्ष में है परन्तु भेदभाव युक्त होने के कारण इसे मानना भारत की भूल ही कहा जाएगा। यह सन्धि परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों और परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों के मध्य आपसी उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्यों को संतुलन बनाए रखने में भी असफल रही है। इसके साथ ही साथ जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं उन्हें तो परमाणु हथियार के उत्पादन की दिशा में बढ़ने से रोका गया है, किन्तु जिनके पास घातक हथियार हैं, उन्हें न तो और अधिक घातक हथियारों के निर्माण हेतु रोका गया है और न ही परमाणु परीक्षण से प्रतिबन्धित किया गया है। भारत इस सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर इसलिए भी नहीं कर रहा है कि केवल दक्षिण एशिया में ही नहीं, अपितु समस्त संसार को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। वस्तुस्थिति यह है कि पूरी तरह चीन परमाणु शक्ति सम्पन्न है और पाकिस्तानी परमाणु बम की स्थिति का भी खुलासा हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में भारत इस अमरीकी दबाव को कैसे स्वीकार कर सकता है। पाकिस्तान इस सन्धि की आड़ में अमरीका का आर्थिक शोषण करते हुए इसके लिए भारत को दोषी करार करना चाहता है।

इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर अमेरिका ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हर तरह की हरकतें भी की हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। रूस से मिलने वाले क्रायोजनिक इंजन पर रोक लगाने के पीछे प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का ही हाथ था। पाकिस्तान के नापाक इरादे भारत की शक्ति को सीमित करने के लिए इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस सन्धि का एक बड़ा दोष यह भी है कि इसमें इस बात का कहीं विवरण नहीं है कि हस्ताक्षर से पूर्व राष्ट्रों द्वारा जो परमाणु हथियार निर्मित हो चुके हैं उनका क्या होगा। भारत पर यह सन्धि प्रस्ताव थोपकर शान्तिपूर्ण कार्यों पर भी अंकुश लगाना कितना निर्णयात्मक होगा। इस सन्धि की आड़ में पाक अपने को परमाणु हथियारों से निरन्तर सज्जित करता जा रहा है जिससे सम्बन्धों में सुधार होने की सम्भावना को मात्र एक परिकल्पना ही कहा जा सकता है।

लाहौर घोषणा

आखिर वह समय आ ही गया जब भारत एवं पाकिस्तान के शासकों ने अतीत की भूल को समझते हुए इस महाद्वीप को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए नये कदम उठाये। यह संकेत 20 फरवरी, 1999 की दिल्ली-लाहौर बस यात्रा से मिला है और वह भी एक ऐसे तनावपूर्ण परिवेश में मिला जब भारत व पाकिस्तान एक-दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे हुए हैं। परमाणु परीक्षणों के पश्चात् दोनों देशों में सैन्य शक्ति को सुदृढ़ बनाने की होड़ सी लगी। अमेरिका सहित पश्चिमी राष्ट्रों ने परमाणु हथियारों की होड़ लगाने के लिए तथा दक्षिण एशिया में शान्ति व्यवस्था को भंग करने के लिए भारत-पाक को दोषी ठहराते हुए कड़े आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये और अपनी कूटचालों से इन देशों का शिकार करने की वृहद योजना बना डाली। परमाणु परीक्षणों को लेकर अमेरिका ने असंयत भाषा का प्रयोग करना ही प्रारम्भ नहीं किया बल्कि दोनों देशों को आर्थिक घेरे में घेरकर घसीटने के भी हर हथकंडे अपनाने आरम्भ कर दिये। आखिर बन्दरबांट से बचने के लिए भारतीय प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली व लाहौर की बढ़ती कड़वाहट को कम करने के लिए एक साहसिक, सराहनीय एवं सामयिक कदम उठाकर स्वर्णिम इतिहास लिखने की व्यवस्था कर दी है।

अपनों को मिलाने वाली "बस" भले बेबसी में चली हो किन्तु पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज़ शरीफ ने जिस तरह स्वयं सरहद पर फाटक खोलकर भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी का गर्मजोशी से स्वागत किया वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि उनके दिलों में भी दोस्ती की लहरें हिलोरे लेती दिखायी दे रही थीं।

शीतयुद्ध अथवा परोक्ष युद्ध के हिम-खण्ड पिघलते हुए देखे गये किन्तु दोनों देशों के बीच विगत 51 वर्षों से जमी विरोधी विचारधारा की नदी का प्रवाह एकदम नहीं मोड़ा जा सकता है। यह प्रयास एक समुचित दिशा अवश्य दे सकते हैं। कट्टरपंथी एवं विरोधी ताकतों के मन्सूबों में भारत-पाक रिश्तों की मज़बूती पानी फेर रही है। अतः उनको यह जल्दी पच नहीं रहा है इसी कारण अपनी उग्रवादी गतिविधियों को भी जारी रखे हुए है किन्तु अवाम की दिली ख्वाइश के सामने इनका ज़ोर नहीं चलेगा। वाजपेयी एवं शरीफ की वार्ता को कूटनीतिक दृष्टि से नहीं अपितु आर्थिक व ऐतिहासिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। इस बात को कोई नकार नहीं कर सकता कि दोनों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं भाषायी पृष्ठभूमि एक है।

निस्संदेह दिल्ली-लाहौर बस सेवा का समाचार सुखद, सराहनीय एवं शुभ संकेत का सूचक है। सदी का अन्तिम सर्वोच्च उपहार है जिसे संजोये रखने की ज़रूरत है। यह एक मित्रता का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है और भारत व पाकिस्तान राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमन्त्री

श्री वाजपेयी का यह कथन कि "राष्ट्रों का इतिहास बदलता है किन्तु भूगोल नहीं बदलता। हाँ! मित्र एवं शत्रु बदले जा सकते हैं किन्तु पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। दोनों देशों ने अर्द्धशती से अधिक समय आपसी दुश्मनी में गुजारा है, किन्तु अब आपसी भाईचारे के साथ मिलकर दोनों राष्ट्र अपनी अवाम को एक नया अहसास देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।"

भारत-पाक मैत्री के लिए जो संवाद प्रक्रिया शुरू हुई है इससे तनाव की बढ़ती खाई की दूरी को कम ही नहीं किया जा सकेगा बल्कि समय के साथ इसको भर दिया जायेगा। व्यापार के क्षेत्र में निश्चित रूस से नयी सम्भावनायें भी बढ़ेंगीं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था परमाणु परीक्षण के पश्चात् दयनीय दशा की ओर बढ़ती जा रही है अत: इस पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों का हित दोस्ती से भी सम्भव है। शायद अमेरिका ने भी यह देख लिया है कि भारत और पाकिस्तान के विशाल बाज़ार का लाभ उठाना है तो भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में तनाव दूर करना होगा। दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने वक्त की नज़ाकत को पहचाना और दोस्ती के हाथ बढ़ाये। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाक यात्रा के दौरान लाहौर में स्पष्ट शब्दों में कहा कि दक्षेस देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास ज़रूरी है। ढाका से कलकत्ता की बस यात्रा शुरू होनी आवश्यक है और श्रीलंका से हमारे सम्बन्ध मज़बूत हुए हैं। पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती ज़रूरी भी है और मज़बूरी भी है।

लाहौर घोषणा पत्र

दुनिया के दो नये परमाणु सम्पन्न राष्ट्र भारत व पाकिस्तान ने ऐतिहासिक लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दक्षिण एशियाई देशों के इतिहास के नये अध्याय का आरम्भ कर दिया। इस ऐतिहासिक घोषणा के तहत दोनों देशों ने तय किया है कि—

- दोनों देश परमाणु युद्ध को रोकने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे।
- भविष्य में परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक रूप से अंकुश लगायेंगे।
- परमाणु शस्त्रों का दुर्घटनावश या अनधिकृत इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
- जम्मू-कश्मीर मसले के मामले में सभी लम्बित मुद्दों का समाधान करने की दिशा में तेज़ी लायेंगे।
- शिमला समझौते को मूर्त रूप देने के लिए दोनों देश एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
- प्रत्येक प्रकार के आतंकवाद को रोकने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे तथा एक-दूसरे पर दोषारोपण से हटकर काम करेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत दोनों देश सहयोग की भावना से कार्य करेंगे।

कश्मीर विवाद पर दोनों देशों के बीच खुलकर बातचीत एवं निर्णय लेने की ज़रूरत है क्योंकि यह एक ऐसा घाव है जिस पर मरहम लगाकर जल्दी नहीं भरा जा सकता इस 'नासूर' को ठीक करने के लिए आपसी सहयोग, उदार हृदय, त्याग की भावना एवं कठोर व दृढ़ निर्णय क्षमता की ज़रूरत है। जब तक इन बातों के आधार पर नासूर रूपी कश्मीर का सही आपरेशन नहीं किया जाएगा तब तक वास्तविक मित्रता एवं दोनों देशों के विकास को गति नहीं प्रदान की जा सकती। इस घोषणा एवं मैत्री के बढ़ते कदम से कश्मीर के घाव का दर्द कम भले हो गया हो, किन्तु नासूर की आन्तरिक परत में घातक कीटाणु अभी सक्रिय हैं। इसके लिए स्वाद रहित व स्वास्थ्यवर्धक एण्टीबायटिक दवा तथा सर्जरी की भी ज़रूरत है। अन्यथा सारी मित्रता एवं सम्बन्धों की बनी बनायी नयी दीवार क्षण भर की संवेगपूर्ण स्वार्थी घटना से कभी भी ध्वस्त हो सकती है। विश्वास है, समय के साथ दोनों देश दोस्ती के बढ़े हाथों को जोड़ने में जुटे रहेंगे तथा तोड़ने की नौबत को अब नकारने का भरसक प्रयास भी करेंगे।

भारत-पाक सम्बन्ध एवं वर्तमान स्थिति

भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों के नेताओं एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर द्विपक्षीय समस्या के समाधान हेतु वार्ताओं के अनेक दौर हो चुके हैं। दोनों देशों के परमाणु परीक्षण के पश्चात् तनाव का तना और अधिक फैला, किन्तु अमेरिका के आर्थिक प्रतिबन्ध और बुनियादी ज़रूरतों ने एक बार पुन:व्यावहारिक पक्ष को समझने के लिए दोनों देशों को मज़बूर किया। भारत एवं पाकिस्तान की आज़ादी के उत्साह को विभाजन एवं विवाद का दर्द छलनी कर गया। दो राष्ट्र के सिद्धान्त ने अखण्ड भारत में साम्प्रदायिक घृणा की ऐसी विष बेल बो दी, जोकि अब भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना असर दिखाती रहती है। पच्चीस वर्षों के अन्दर ही भारतीय उपमहाद्वीप में तीसरे देश का उदय हुआ और 'द्विराष्ट्र' का सिद्धान्त सार्वजनिक रूप से निर्मूल एवं निरर्थक सिद्ध हुआ।

'द्विराष्ट्र' सिद्धान्त की ऐतिहासिक भूल से इस अखण्ड भारत का भूगोल ही नहीं बदला, बल्कि दिल और दिमाग में भी दरारें आ गयीं। भारतीय उप-महाद्वीप का विभाजन एक बात थी, किन्तु उस बटवारे को आधार मानकर धर्म एवं

साम्प्रदायिकता के नाम पर विघटन करने की कुटिल चालें आज भी हमारे सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करती रहती हैं। भारत-पाक सम्बन्धों में व्यापारिक दृष्टि से दिल्ली वार्ता के साथ ही आर्थिक आयाम भले ही स्थापित हो गये हैं और इसे एक बड़ी उपलब्धि भी कहा जा सकता है। किन्तु राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों में सैद्धान्तिक सहमति शायद सम्भव भी हो जाये, परन्तु व्यावहारिकता से अभी भी कोसों दूर है। भारत-पाक सम्बन्धों को सुधारने के लिए जिस नये अध्याय का आरम्भ किया गया है, नि:सन्देह एक प्रशंसनीय प्रयास है, क्योंकि जब से भारत-पाक विभाजन हुआ, तब से अब तक दोनों देशों के बीच कटुता एवं तनाव का सिलसिला जारी है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए जो भी वार्ताएं एवं प्रयास किये गये उन्हें अभी तक व्यावहारिक रूप में विराम नहीं मिला। भारत के साथ तनाव रखना शायद पाक प्रशासन की नीति एवं नियत बन गयी है व अमेरिका से इस कार्य के लिए सतत् सहायता भी मिलती रहती है। भारत-पाक सम्बन्धों की समस्या एवं समाधान कश्मीर का ही असली मसला है। इसके साथ ही अनेक सामयिक, सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं राजनयिक समस्यायें उभरी हैं। दोनों देशों के विवादों को हल करना जितना अधिक कठिन है उससे भी कहीं अधिक लाभ दोनों देशों को सम्बन्ध सुधारने से मिल सकते हैं।

भारत-पाक विवादों को निपटाने के लिए चल रही नयी दिल्ली में सचिव स्तर की वार्ता हेतु जो प्रमुख मुद्दे शामिल किये गये हैं उनमें सियाचिन विवाद, तुलबुल नौ वाहन परियोजना, सरक्रीक समुद्री सीमा विवाद, आतंकवाद एवं मादक पदार्थों की तस्करी समस्या तथा व्यापारिक सहयोग प्रमुख रूप से हैं। सामरिक समस्याओं का मामला सचिव स्तर पर सुलझ नहीं पाया है और न ही इस पर दोनों देशों की आम सहमति बनी है। आतंकवाद को निरुत्साहित करने एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पाक को एक भारी दबाव उठाना पड़ेगा क्योंकि आतंकवाद एवं तस्करी की जड़ें वहां की राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं। इसके बावजूद इन जटिल समस्याओं के निराकरण हेतु जो प्रयास किये जा रहे हैं, नि:सन्देह रूप से सराहनीय हैं।

तुलबुल विवाद

भारत और पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में तुलबुल जहाजरानी परियोजना को लेकर उठे विवाद पर 11 वर्ष बाद आरम्भ हुई वार्ता भी ढुलमुल ही साबित हुई, क्योंकि पाक की मानसिकता पूरी तरह पूर्वाग्रहों में जकड़ी हुई है। यही कारण है कि तुलबुल नौ वाहन परियोजना पर पाकिस्तानी पक्ष ने विशुद्ध रूप से अड़ंगेबाजी की नीति अपनायी। पाकिस्तानी राजनीतिक व कूटनीतिक स्वार्थ इस साधारण से विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ाने की चेष्टा में रहते हैं। तुलबुल नौ वाहन परियोजना विवाद को विराम देने के लिए भारत के जल संसाधन सचिव जैड० हसन तथा पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव साहित हुसैन के बीच चार घण्टे बातचीत की, किन्तु व्यावहारिक सफलता वास्तव में नहीं मिली। हां! इसे सैद्धान्तिक रूप से देखें तो इसका परिणाम यही निकला कि इस विवाद के समुचित समाधान के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे की सहुलियत के मुताबिक एक बार पुन: वार्ता करेंगे।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि तुलबुल नौ-वाहन परियोजना के विवाद को लेकर भारत व पाकिस्तान के बीच 1987 से लेकर 1992 तक आठ बार बातचीत की गयी है, किन्तु यह समस्या भी एक केन्द्र बिन्दु के इर्द-गिर्द ही घूमती है। वर्ष 1990 और 1994 के बीच दोनों देशों के विदेश सचिव स्तर की वार्ता भी असफल ही रही। कश्मीर से जुड़े जल विवाद के कारण पाकिस्तान बड़ी उहापोह की स्थिति में है यदि पाक सरकार इस विवाद को विराम दे देती है, तो कश्मीर के मसले को लेकर आखिर अपनी कट्टरवादी व रूढ़िवादी जनता को कैसे जवाब देगी? शायद यही सोचकर एक पग आगे बढ़ाते ही जैसे थे की स्थिति में पुन: पाक वार्ताकार वापस आ जाते हैं। भारत-पाक सम्बन्धों को सुधारने की प्रक्रिया जब भी आरम्भ होती है तब ही तीसरा पक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष इशारा करके इसको भड़काने का प्रयास करता है।

तुलबुल परियोजना के सन्दर्भ में भारत ने 1984 में ही सिन्धु नदी समझौते के तहत अपना निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया था, किन्तु पाकिस्तान ने सिन्धु जल सन्धि 1960 के अनुच्छेद तीन पैरा चार का उल्लेख करते हुए इस पर आपत्ति जाहिर की। चूंकि पाकिस्तान का भारत के प्रति विश्वास एवं आस्था का स्पष्ट अभाव है। इससे पाकिस्तान को आशंका है, कि भारत इस बांध के माध्यम से पानी का भंडारण करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी समस्या बन सकती है। भारत ने पाकिस्तान की आपत्ति को स्वीकार करते हुए इस परियोजना पर रोक लगा दी। भारत का इस सन्दर्भ में मानना है कि वह सिन्धु जल सन्धि के तहत ही इस परियोजना का निर्माण कार्य करना चाहता है। भारत ने झेलम नदी के पानी को रोकने के लिए तुलबुल हेतु गांव में बैराज नहीं बनवाया, बल्कि वुल्लर झील तक जहाजरानी सेवा को संचालित रखने के उद्देश्य से ही ऐसा कदम उठाया है। पाकिस्तान भारत के इस तर्क से सहमत नहीं है उसका

मानना है कि भारत इस परियोजना के द्वारा झेलम नदी का पानी अपनी ओर जमा करना चाहता है। इनके विरोध स्वरूप ही तुलबुल परियोजना अधर में अटकी हुई है।

सियाचिन विवाद

भारत-पाक रिश्तों को जोड़ने के लिए नये अध्याय का आरम्भ तो किया जाता है, किन्तु पुरानी संकीर्ण मानसिकता का परित्याग किये बिना परिणाम प्रतिकूल ही दिखाई देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर जैसे संवेदनशील व विवादास्पद मुद्दे पर भी बातचीत बिना प्रगति के विफल रही। एक कठिन एवं जटिल सामरिक समस्या के समाधान के लिए भारत के रक्षा सचिव अजीत कुमार एवं पाकिस्तान के रक्षा सचिव लेफ्टीनेण्ट जनरल (सेवा निवृत्त) इफ्तकार अली खां ने दिल्ली में महत्त्वपूर्ण पहल अवश्य की, किन्तु व्यावहारिक रूप में 18 हज़ार फुट ऊंचे कश्मीर स्थित इस ग्लेशियर में तोपों एवं मोर्टार का हमला दिनचर्या-सी बनती जा रही है।

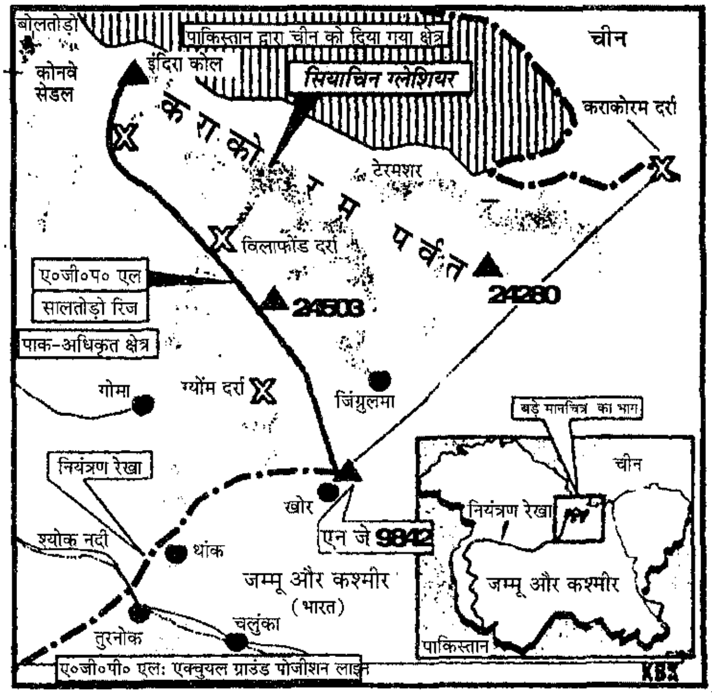

भारत के लिए सियाचिन सामरिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण सीमा क्षेत्र है क्योंकि इस संवेदनशील क्षेत्र से पाक-चीन सम्पर्क मार्ग जहां अवरुद्ध हो जाता है वहां भारत की सुरक्षा के लिए यह सर्वोत्तम सतर्कता क्षेत्र साबित हो रहा है। यही कारण है कि पाक सेना व शासकों की नापाक निगाहें निरन्तर इसी ओर लगी रहती हैं। हमारी सुरक्षा के लिए इस हिमनद का विशेष महत्त्व है क्योंकि सियाकागड़ी से पाक अधिकृत कश्मीर, कराकोरम मार्ग, चीन के सिक्यांग प्रान्त, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किरगीजिया तथा अफ़गानिस्तान सहित अनेक क्षेत्रों के सामरिक ठिकानों पर नज़र रखी जा सकती है। इस हिमनद का एक किनारा नुब्रा घाटी के कोने पर तो दूसरा किनारा 23000 फुट ऊंचे 'इन्दिरा कोल' पर है। सियाचिन समस्या की शुरुआत स्वतन्त्रता के साथ ही हो गयी थी, क्योंकि कश्मीर के लगभग 86000 वर्गमील क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अपना दावा पेश किया था। जबकि भारत-पाक विभाजन के समय नियन्त्रण रेखा एन० जे० 9842 (98 उत्तरी तथा 42 पूर्वी अक्षांश) निर्धारित हुई थी, किन्तु पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन करते हुए मानचित्र में परिवर्तन करके 10,000 किलोमीटर भारतीय भू-भाग का दावा किया। भारत-पाक के बीच 22 अक्तूबर, 1947 से जनवरी, 1949 तक चले सीमा संघर्ष को आखिर 'कराची-समझौते' के तहत नियन्त्रण रेखा एन० जे० 9842 को युद्ध विराम रेखा स्वीकार किया। इस समझौते के परिणामस्वरूप ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों के मध्य 650 कि० मी० लम्बी युद्ध विराम रेखा का पर्यवेक्षण किया। भारत-चीन युद्ध (1962) के दौरान चीन ने कश्मीर के लद्दाख में 12000 वर्ग किमी० क्षेत्र पर अपना अवैध अधिकार जमा लिया। वर्ष 1965 में भारत-पाक युद्ध में पाक के नापाक इरादे को देखते हुए भारत ने भी 'कराची समझौते' को ताक पर रखते हुए इस क्षेत्र के कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया किन्तु 'ताशकन्द समझौते' के तहत अधिकृत भू-भाग को छोड़ दिया। 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेनाओं ने पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर पुन: अपना अधिकार जमा लिया और इस बार युद्ध विराम रेखा को 'नियन्त्रण रेखा' का नाम दिया गया। 'शिमला समझौता (1972) के तहत भी इस सीमा क्षेत्र का निर्धारण नहीं हो सका। उस समय से लेकर अभी तक पाकिस्तान इस सामरिक महत्त्व के क्षेत्र को सैन्य शक्ति के बल पर अपनी परिधि में लाने का लगातार प्रयास करता जा

रहा है। इसका समाधान करने के लिए संयम व परित्याग चाहिए, फिलहाल पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नजर नहीं आ रहा है।

सरक्रीक सीमा विवाद

भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने का एक विवाद गुजरात स्थित कच्छ के रन पर सरक्रीक सीमा विवाद भी है, जोकि वर्ष 1965 से दोनों देशों के बीच चल रहा है। इस विवाद को विराम देने के लिए बातचीत हेतु भारत सर्वेयर लेफ्टीनेण्ट जनरल ए० के० आहुजा और पाकिस्तान रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जमील अख्तर ने पहल अवश्य की, *किन्तु अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाये। भारतीय पक्ष का कहना है कि सरक्रीक सीमा रेखा को दोनों देशों* के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा माना जाये, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार ज्वार-भाटा के कारण यह सीमा आगे-पीछे खिसकती रहती है। भारत का कहना है कि समुद्री सीमा क्रीक के औसतन मध्य में होनी चाहिए जबकि पाकिस्तान अधिकतम सीमा क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहता है। इस सन्दर्भ में पाकिस्तान का तर्क है कि भारत ने सरक्रीक का मामला 1966 के रन ऑफ़ कच्छ ट्रिब्यूनल के समक्ष नहीं उठाया अत: यह मामला पहले ही हल हो चुका है। भारत ने यह मामला केवल 1982 में उठाया था। इस समय एक मानचित्र के माध्यम से 1914 के समझौते को अलग तरीके से लागू करने की मांग की। सरक्रीक का क्षेत्र सिन्ध को दिया गया था, *जिसे कच्छ राज्य ने स्वीकार किया था किन्तु भारत का तर्क है कि कच्छ राज्य की केवल भू-क्षेत्रों में ही दिलचस्पी थी।*

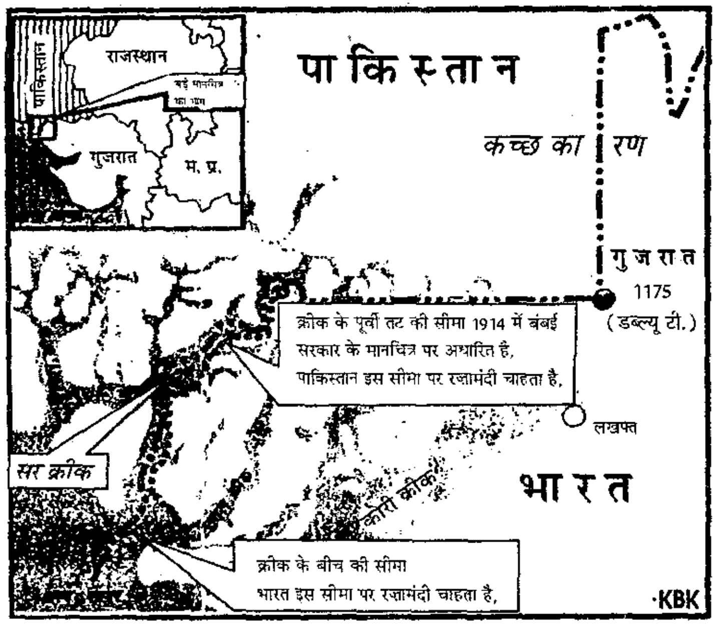

तीन दशक से चले आ रहे समुद्री सीमा विवाद का प्रमुख कारण स्थिति को अपने-अपने पक्ष पर रखकर देखना है। ब्रिटिश सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई चैनल या नदी नौ वाहन के योग्य नहीं है, तो पूरा क्षेत्र एक क्षेत्र को मिल जाना चाहिए। *जबकि भारत का कहना है कि सरक्रीक समुद्री सीमा क्षेत्र नौ वाहन के योग्य है। अत: दोनों क्षेत्रों के अधिकार* क्षेत्र में आता है। जब तक दोनों देशों के बीच इस समुद्री सीमा का निर्धारण नहीं होता जब तक इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन तेल और प्राकृतिक आदि का दोहन नहीं किया जा सकता। भारत और पाकिस्तान 2005 तक इस विवाद को *यदि विराम नहीं देते तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता स्वीकार करनी होगी।* इस समुद्री सीमा विवाद को सुलझाने के लिए पाकिस्तान तीसरे पक्ष की मध्यस्थता करवाना चाहता है, जोकि भारत को स्वीकार नहीं। अत: इस वार्ता को भी कोई सार्थक सफलता नहीं मिली।

कठिन है, आतंकवाद एवं मादक तस्करी वार्ता

भारत-पाक का सम्बन्धों को सुधारने के लिए नयी दिल्ली में चल रही वार्ता में शायद मादक पदार्थों की तस्करी पर *अंकुश लगाने के लिए कोई समझौता नहीं हो सका और पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध भी कोई ठोस पहल नहीं कर* सका। चूंकि इससे पाक प्रशासन की अपनी कुर्सी छिनती दिखायी देती है। पाकिस्तान में कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए जिस तरह वहां की जमायते इस्लामी और उनकी उग्रवादी शाखा हिजबुल मुजाहिदीन वहां के आवाम में जेहाद का जुनून उभार रही है, यकीनन भारत के लिए एक घातक संकेत है। पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेन्सी आई० एस० आई० कश्मीरी युवकों को जहां आतंकवाद को प्रशिक्षण दे रही है वहां कट्टरपंथी संस्था जमायते इस्लामी और

हिजबुल मुजाहिदीन जेहाद के नाम पर मर मिटने को तैयार कर रही है। पाकिस्तान एक ओर कश्मीरी युवकों को गुमराह करके उग्रवादी प्रशिक्षण एवं हथियारों की आपूर्ति कर रहा है वहीं दूसरी ओर जमायत उसे धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार कर रही है। आतंकवाद का सिलसिला जनरल जिया के समय से शुरू हुआ था, जब खालिस्तान के नारे लगाने वालों की सहायाता की थी। कश्मीरी में हिजबुल मुजाहिदीन के सशस्त्र सदस्य बड़ी मात्रा में घुसपैठ कर रहे हैं और भारतीय सेना पर हमला करके मुकाबला कर रहे हैं। यह घोषणा लशकरे तैयबा के सरगना प्रो० सईन ने अनेक बार की। लशकरे तैयबा का संचालन लाहौर के निकट मुरीद नगर स्थित अल दावत अल अरशद विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। आई० एस० आई० का लगातार यह प्रयास रहा है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से सम्बन्ध बन जाएं। इसी रणनीति व कूटनीति के तहत ही आई० एस० आई० ने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय हरकत-उल-अंसार और तालिबान सैनिकों के बीच ताल-मेल कराया है। अल बदल वह प्रशिक्षण शिविर है, जहां आई० एस० आई० ने तालिबान के साथ-साथ कश्मीरी आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया है। इस समय आई० एस० आई० के 12 प्रशिक्षित शिविर पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में चल रहे हैं; जिसमें लगभग 5500 भाड़े के सिपाही प्रशिक्षण पा रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में ही लगभग 1200 प्रशिक्षित भाड़े के सिपाही हैं। इन भाड़े के सैनिकों एवं आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार जैसे रॉकेट लांचर, एम० एम० जी०, एल० एम० जी, एके-47, एके-56 तथा एके-74 स्नाइपर राइफलों के साथ ही मॉर्टार और रिमोट कन्ट्रोल आदि भी हैं। जेहाद के जुनून से भरे इन लोगों पर अभी पाकिस्तान अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि इनका हस्तक्षेप प्रशासन तक में हैं। हां! मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने की बात भी कुछ हद तक वार्ता के द्वारा शायद बन भी जाये। इसे सैद्धान्तिक उपलब्धि भले कहे, किन्तु व्यावहारिक नहीं होगी।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक में सकारात्मक रुख

आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के सन्दर्भ में भारत-पाक वार्ता सकारात्मक रुख के साथ सम्पन्न हुई। इस समझौते के तहत पाकिस्तान भारत को देय अवधि में ही भारत को सर्वोच्च वरीयता वाले राष्ट्र का दर्जा देने के लिए राजी हो गया है। इसके साथ ही भारत को बिजली बेचने को भी उत्सुक है। इस वार्ता में पाक प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व वहां के वाणिज्य सचिव मोहम्मद सुलेमान तथा भारतीय दल का नेतृत्व यहां के वाणिज्य सचिव पी० पी० प्रभु द्वारा किया गया। भारत व पाकिस्तान वार्ता के अगले दौर में आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गये। वर्ष 1996-97 में दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 17 करोड़ डालर का रहा जबकि ग़ैर-सरकारी कारोबार लगभग डेढ़ अरब डालर का रहा है।

पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार में पिछले पांच वर्षों में तेज़ी के साथ बढ़ा है। कुल व्यापार 1993-94 के 337.61 करोड़ रुपये के मुकाबले 1997-98 में बढ़कर 676.82 करोड़ रुपये का हो गया। पाकिस्तान का भारत को निर्यात 1993-94 के 200.96 करोड़ रुपये की तुलना में 1997-98 में 537.14 करोड़ रुपये का हो गया। इस अवधि में भारत को पाकिस्तान का निर्यात कुल मिलाकर स्थिर रहा। यह 1993-94 में 136.65 करोड़ रुपये से बढ़कर 1997-98 में 139.63 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से सम्बन्धों में अवश्य सुधार दिखाई दे रहा है, किन्तु अभी सामरिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों की डगर कठिन और दूर नज़र आ रही है। दोनों देशों की वार्ता सही अर्थों में तभी सफल होगी, जब व्यावहारिक रूप से सौहार्द एवं सद्भावना पूर्ण बर्ताव परिलक्षित हो।

कारगिल में घुसपैठ

कारगिल में पाकिस्तान समर्थित भाड़े के सैनिकों की घुसपैठ एवं षड्यंत्र का आभास भारतीय सेना को 6 मई को हो गया था और 9 मई को स्थल सेना ने इन घुसपैठियों पर जवाबी कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी थी। इस दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मशको, द्रास, कारगिल तथा बटालिक क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील भारतीय चौकियों पर अधिकार जमा लिया था। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर आधुनिक शस्त्रों से सज्जित यह घुसपैठिये एक बड़ी संख्या में प्रवेश कर गये और भारतीय सेना के गुप्तचर एवं सुरक्षा बल के जवान आखिर इस ओर से इतने उदासीन क्यों रहे? यह भी समझना अत्यन्त आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि 16000 से 18000 फुट की ऊंचाई पर अपने मज़बूत बंकर बनाने वाले और बड़ी मात्रा में आधुनिक शस्त्रास्त्र व विस्फोटक पहुंचाना साधारणतया सम्भव नहीं है। यह एक सुनियोजित योजना के तहत पाक के नियमित सैनिक और भाड़े के अफगान उग्रवादी गुटों की कार्यवाही है।

इस क्षेत्र की नियन्त्रण रेखा की निगरानी रखने हेतु भारत व पाकिस्तान ने अपनी-अपनी स्थायी सीमा चौकियां स्थापित

कर रखी हैं। इसके साथ ही साथ इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में कुछ अस्थायी आउटपोस्ट भी बनी हुई हैं जिन पर भारतीय एयर डिफेन्स आर्टिलरी के सैनिक तैनात रहते हैं। वास्तव में दोनों देशों के बीच अभी तक इस सीमा पर एक अघोषित समझौता मान्य रहा है जिसके तहत हिमपात आरम्भ होने के साथ ही दोनों देशों की सेनायें अपनी-अपनी आउटपोस्ट खाली कर देते रहे हैं। जैसे ही हिमपात बन्द होता और मौसम खुलने लगता था, दोनों देश के प्रहरी अपनी-अपनी चौकियों पर चौकसी करने लगते थे।

इस बार भी भारतीय सेनाओं ने अपनी आउटपोस्ट को खाली करके पूर्ववत् मौसम खुलने अर्थात् हिमपात कम होने का इन्तज़ार करते हुए अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में जब अपनी आउटपोस्ट की ओर प्रवेश किया तो वहां का अलग ही नज़ारा नज़र आया। भारतीय आउटपोस्ट की चौकियों पर पाकिस्तानी समर्थित उग्रवादी घुसपैठियों ने अपने मज़बूत मोर्चे बना लिये थे। इस बार जैसे ही भारतीय सैनिकों ने अपनी आउटपोस्ट हिमपात होने के कारण खाली की थी उसी समय पाक सैनिकों ने भी अपनी आउटपोस्ट खाली करने का नाटक करके जनवरी व फरवरी के घोर हिमपात के दौरान ही एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को काबिज करा दिया था। यही है इस क्षेत्र में पाक समर्थित घुसपैठियों की पैठ व मज़बूत बंकर बनाने की पृष्ठ भूमि।

अब प्रश्न उभरता है कि इस दुर्गम एवं मानव परिस्थितियों के विपरीत मौसम वाले इस क्षेत्र पर घोर हिमपात के दौरान *आखिर इस क्षेत्र पर अधिकार करने की पाक योजना क्या रही होगी?* पाकिस्तान कारगिल क्षेत्र की संवेदनशील सुरक्षा शृंखला पर कब्ज़ा करके लेह-कारगिल श्रीनगर राजमार्ग को अपने अधिकार क्षेत्र में करना चाहता था। इससे भारत के लिए सियाचिन हिमनद की रक्षा व्यवस्था अस्थिर हो जायेगी। इसके साथ ही कारगिल पर अधिकार होने पर जम्मू-कश्मीर को लद्दाख डिवीज़न से भी अलग करने में सहयोग मिलता। ऑपरेशन टोपैक की योजना भी सफल हो जाती।

ऑपरेशन टोपैक

पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जिया-उल-हक जब तक जीवित रहे कश्मीर को हड़पने की साजिश रचते रहे। उन्होंने अप्रैल, 1988 में आई० एस० आई० और पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के समक्ष एक भाषण दिया था, जिसमें कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए 'ऑपरेशन टोपैक' अभियान का खुलासा किया था। यहां प्रस्तुत है उनके भाषण का प्रमुख अंश—

सज्जनों,

कश्मीर घाटी की मुक्ति का हमारा लक्ष्य स्पष्ट और अटल है—हम अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों को अब थोड़े समय के लिए भी भारत के साथ रहने की अनुमति नहीं दे सकते। पूर्व में हमने गलत तरीके में सैनिक कार्यवाई की और इसीलिए असफल रहे। अतः जैसा कि मैंने पहले कहा है, अब हम अपनी सैनिक कार्यवाई ज़रूरत पड़ने पर अन्तिम क्षण में करेंगे। घाटी में हमारे कश्मीरी भाई हमारे साथ हैं पर वे दिल और दिमाग से इतने भद्र जन हैं कि वे हथियारों का इस्तेमाल उतनी आसानी से नहीं कर सकते, जितनी आसानी से विदेशी प्रभुसत्ता के सामने पंजाबी और अफ़गानी प्राकृतिक रूप से करते हैं। फिर भी कश्मीरियों की कुछ विशेषताएं हैं जिनका हम दोहन कर सकते हैं। हिंसक बल प्रयोग हर तरह की लड़ाई में आवश्यक नहीं होता, विशेषतया कश्मीर घाटी की उस स्थिति में जिसका ज़िक्र मैंने पहले किया।

यहां हम संघर्ष का वही रास्ता अख्तियार करें, जिसे कश्मीरी दिमाग आसानी से ग्रहण कर सहयोग कर सके। प्रथम चरण में एक-दो वर्ष तक हम राज्य के सत्ता एवं साधनों पर राजनीतिक भ्रष्टाचार और घात द्वारा पकड़ बनाने में अपने कश्मीरी भाइयों का सहयोग करेंगे। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिकृत कश्मीर में बिना दिल्ली की सहमति के कोई सरकार नहीं बन सकती। ऐसा विश्वास करना अयथार्थ होगा कि एम० यू० एफ० या इसी तरह का कोई अन्य संगठन लोकतान्त्रिक या अन्य किसी तरीके से शक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसे में ताकत निश्चित रूप से उनके साथ होगी, जिन्हें नयी दिल्ली का सहयोग प्राप्त होगा। अतः हमें कुछ ऐसे सत्ताधारी नेताओं को चुनना होगा जो हमारे साथ राज्य के प्रभावशाली अंगों के पतन में सहयोग कर सकें। कश्मीर के लिए हमारा कार्यक्रम जिसका कोड नाम 'ऑपरेशन टोपैक' है, इस तरह का होगा—

प्रथम चरण—शासन के विरुद्ध एक छोटे स्तर का आतंकवाद जो उसे अपने घेरे में तो ले ले, पर उसे एकदम ढहा न दे क्योंकि हम दिल्ली के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करवाना नहीं चाहते। हम सभी प्रमुख स्थानों पर अपने चुने हुए व्यक्तियों को लगायें, ताकि वे पुलिस बल, वित्तीय संस्थानों, संचार साधनों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण संगठनों को पतन की ओर ले जायें। हम छात्रों एवं किसानों के मन में भारत विरोधी भावना भड़कायें। विघटनकारी तत्त्वों और हथियारबन्द समूहों को घाटी में तैनात अर्द्धसैनिक बलों से निबटने के लिए संगठित एवं प्रशिक्षित करें। जम्मू-कश्मीर तथा कश्मीर

और लद्दाख में गुपचुप तरीके से संचार व्यवस्था को समाप्त करने के तरीके विकसित करें। जोजीला के कारगिल तथा खारदुंगला तक की सड़क पर विशेष ध्यान देना होगा। सिक्ख उग्रवादियों के सहयोग से जम्मू में भय और आतंक का माहौल पैदा करें। कश्मीर घाटी के उन इलाकों पर नियन्त्रण स्थापित करें, जहां पर भारतीय सेना स्थापित या प्रभावी न हो। दक्षिणी कश्मीर घाटी इस तरह का इलाका हो सकता है।

दूसरा चरण—अधिकतम दबाव सियाचिन, कारगिल और राजौरी-पुंछ सेक्टरों में बनायें, ताकि भारतीय सेना का ध्यान कश्मीर घाटी से हटे। श्रीनगर, पाटन, कुपवाड़ा, बारामुला, चौकिवाला में स्थित चौकियों और मुख्यालयों को एक दिये हुए समय में आक्रमण कर नष्ट कर दें। कुछ अफगान मुजाहिदीनों को आज़ाद कश्मीर में बसा दें जो हमारे प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखकर घुसपैठ करें। आज़ाद कश्मीर के कुछ चुने हुए अवकाश प्राप्त रक्षा अधिकारियों और कट्टर अफ़ग़ानियों को मिलाकर एक विशेष बल तैयार करें, जो हवाई पट्टी व रेडियो केन्द्रों को नष्ट करें तथा निहाल सुरंग एवं कारगिल-लेह राजमार्ग को बन्द करने का प्रयास करें।

तीसरा चरण—हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। भारत में आम चुनावों तथा श्रीलंका गयी भारतीय सेना की वापसी से पहले हमें दबाव बना देना चाहिए। अमरीका ने अफ़ग़ानी मजाहिदीनों के लिए जो हथियार भेजे थे, वे अब हमारे पास हैं। ये हमारे कश्मीरी भाइयों को अपनी लक्ष्य प्राप्ति में मदद देंगे। शुरुआत में यदि हम अधिकृत कश्मीर के सुदूर इलाकों में एक प्रकार का 'आज़ाद कश्मीर' बना लें तो अगला चरण उतना कठिन नहीं होगा जितना आज लग रहा है। इससे वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। हमारे चीनी मित्र क्या करेंगे? वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चीनी सीमा पर लगे भारतीय सैनिक वहां से बाहर नहीं निकल सकें। लेकिन इसकी जरूरत हमारे ऑपरेशन के तीसरे या अन्तिम चरण में पड़ेगी। निश्चिय ही यदि हम बहुत गम्भीर संकट में फंसेंगे तो चीन और हमारे अन्य शक्तिशाली मित्र किसी न किसी तरीके से हमारी मदद को आएंगे। यदि हम जीत नहीं सकते तो कम-से-कम हारेंगे भी नहीं। अन्ततः, मैं आपको एक बार फिर से चेतावनी देना चाहूंगा कि ऐसा सोचना खतरनाक होगा कि हम भारत को सीधे संघर्ष में हरा सकते हैं। अतः हमें सावधान रहना होगा और इस तरह की सैनिक कार्यवाई करनी होगी कि भारतीयों को अपनी इच्छानुकूल स्थान पर आक्रमण करने का बहाना न मिले।

कश्मीर घाटी में उग्रवाद के मरने के कारण उसे पुनर्जीवित करने के लिए पाकिस्तान इन भाड़े के प्रशिक्षित घुसपैठियों को ढकेल कर नया आतंकवाद का अध्याय आरम्भ करने की फिराक में था। भारतीय सेना के अदम्य साहस एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग के कारण पाकिस्तानी सेना के इरादे धराशायी हो गये। इसके साथ ही पाकिस्तान की एक वृहद कूटियोजना यह भी थी कि बनिहाल रेंज पर अधिकार करके भारतीय सेना को घेरना, क्योंकि इसके बाद भारतीय सेना के बाहर निकलने का रास्ता बन्द हो जायेगा और उसके मिल मात्र हिमाचल का पर्वतीय मार्ग ही बचेगा जो कि रास्ते के रूप में प्रयोग करना दुरूह एवं दुसाध्य होगा।

गौरतलब है कि मशको, द्रास, कारगिल और बटालिक क्षेत्र की पहाड़ियां वीरान, नुकीली, ऊंची-नीची तथा बर्फीली हैं। इसके साथ ही दुनिया का यह दूसरा सबसे ठण्डा क्षेत्र बीहड़, दुर्गम और नाबाद पर्वतीय शृंखलाओं से घिरा हुआ है। सियाचिन हिमनद से भी अधिक जोखिम भरे और प्रतिकूल परिस्थितियों वाले इस इलाके में उग्रवादी घुसपैठिये पाक सेना के समर्थन के बिना किसी भी स्थिति में ठहर कर बम्वार नहीं बना सकते थे। पाक सेना इन उग्रवादियों की आड़ में नियन्त्रण रेखा को बदलने की साज़िश कर रही थी, उधर पाकिस्तान सरकार भारत की सैनिक कार्यवाहियों का रोना रोकर कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय मामला बनाने का मकड़ जाल बुन चुकी थी।

आखिर अपनी सुनियोजित सामरिक एवं दूरदर्शी राजनयिक पहल करने के अथक प्रयास के बावजूद पाकिस्तान की रणनीति एवं कूटनीति को कामयाबी का सेहरा बांधने का अवसर नहीं मिल पाया। भारतीय सेनाओं ने अपने सैनिक ऑपरेशन 'विजय' के माध्यम से कारगिल और द्रास जैसे संवेदनशील सीमा क्षेत्रों को उग्रवादियों के कब्ज़े से छुड़ाया है और छिपे उग्रवादियों को मरने या भागने के लिए भी विवश कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपने राजनयिक माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेनाओं की कार्यवाही की सार्थकता सिद्ध करते हुए पाकिस्तान को उसके अपने ही चक्रव्यूह में उलटा अब घेर लिया है।

पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में अपनी सेना समर्थित घुसपैठियों के विरुद्ध भारत की ज़ोरदार सैनिक कार्यवाही देखकर और खिसियाकर युद्ध की धमकी भी दे डाली। चूंकि पाक की नापाक हरकतों की हकीकत दुनिया के सामने उजागर हो गयी जिससे वह अब अपने आपको अकेला, असहाय एवं असमर्थ अनुभव करने लगा है और अब युद्ध की धमकी पर बचाव की मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर हो गया है। पाक प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ अब शायद इसीलिए शराफतभरा

यह बयान दे रहे हैं—"पाकिस्तान मौजूदा संघर्ष की स्थिति को पूर्ण युद्ध में परिवर्तित करने का पक्षधर नहीं है, दक्षिण एशिया की दो परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष न तो क्षेत्र के लिए और न ही दुनिया के हक में है।"

पाकिस्तान के विदेश सचिव शमशाद अहमद ने शायद अपनी सामरिक योजना विफल होते देखकर और बौखलाकर ही एक तीखा बयान दिया कि 'पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हथियार का बेहिचक प्रयोग कर सकता है।' आखिर घुसपैठियों के विरुद्ध हो रही भारतीय सैनिक कार्यवाही से पाकिस्तान इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है? इससे उसकी सुरक्षा को कैसे खतरा पैदा हो गया है? इसके साथ ही पाकिस्तान अपने विदेशमन्त्री सरताज अजीज को जल्दी से भेजकर वार्ता करने के लिए क्यों उतावला हो रहा है। पाक ने कारगिल क्षेत्र में अपनी सेना के सहयोग से आतंकवाद और उग्रवाद को पुनः जागृत करने के लिए जो षड्यन्त्र रचा। उसका रहस्य सबके सामने खुलकर आ जाने से अब वह बचने के प्रयास में जुट गया है। आखिरकार चोरी करके चोर-चोर का शोर मचाकर सबको भ्रमित करके अपना बचाव करने वाला चोर पकड़ा ही गया और अब लज्जित होकर बचाव के बहाने बना रहा है। दुनिया का दरोगा और पाकिस्तान के हमदर्द अमेरिका और मौसेरे भाई चीन की इस मामले में चुप्पी साधने से सुनियोजित योजना प्रतिकूल प्रभाव दिखा रही है। पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए जो ताना-बाना बुना उससे स्वयं ही फंसकर अब छटपटा रहा है। लाहौर की दोस्ती को दंगे में बदलने की नियत ने पाक की हकीकत कारगिल-द्रास के मसले को लेकर सबके सामने समय रहते ही उजागर हो गयी।

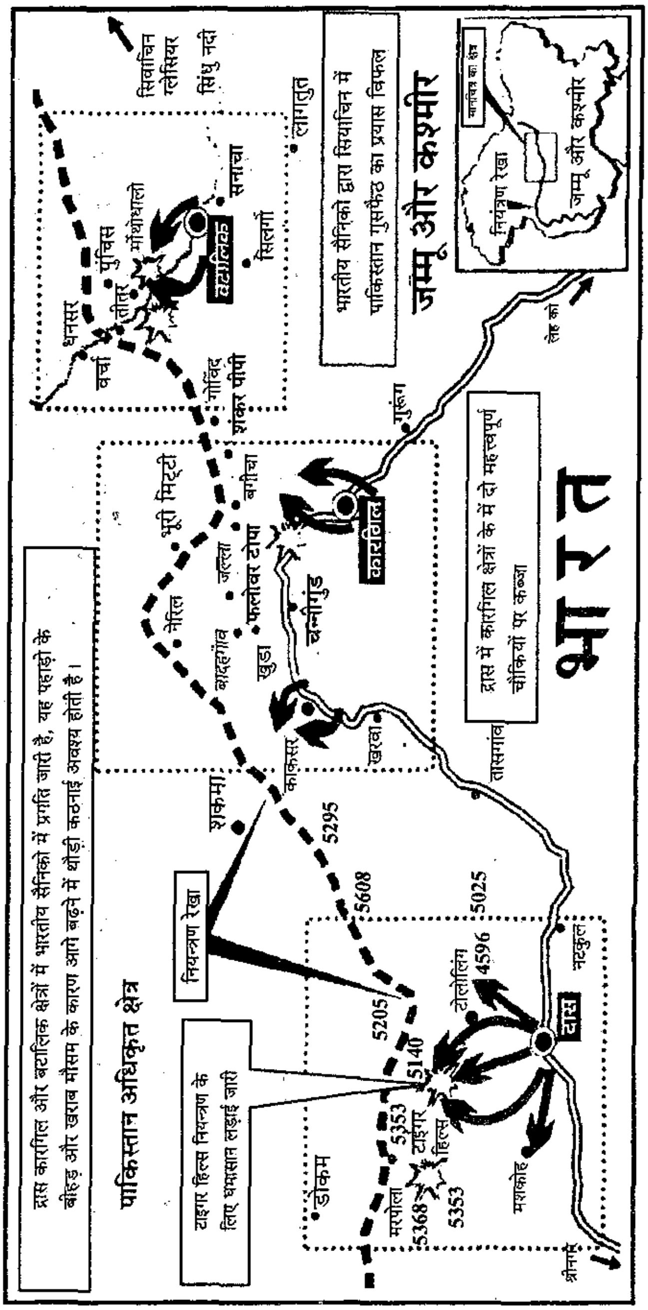

पाकिस्तान अब अपनी इस निन्दनीय कार्यवाही को सही साबित करने के लिए नियन्त्रण रेखा पर ही सवाल उठा रहा है। इस सन्दर्भ में उसका कहना है कि जम्मू-कश्मीर नियन्त्रण रेखा की ज़मीनी स्थिति को लेकर भ्रम बना हुआ है। पाकिस्तान दुनिया के बड़े देशों को समझाने का असफल प्रयास कर रहा है कि वास्तविक नियन्त्रण रेखा अस्पष्ट है। चूंकि भारत नियन्त्रण रेखा के सन्दर्भ में शिमला समझौते (1972) का शुरू से पक्षधर रहा है, किन्तु पाक की साजिश कारगिल व द्रास के कब्ज़े को लेकर विफल हो गयी इस कारण अब नियन्त्रण रेखा का रोना हो रहा है। हालात अब ऐसा हो गये हैं, कि ऑप्रेशन 'विजय' के तहत भारत की सैनिक कार्यवाही को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कोई तर्क नहीं रह गया है।

भारत ने इस घटनाक्रम को सीमा पर घुसपैठ के रूप में लेकर पाकिस्तान की कूटनीति एवं राजनीति को पूरी तरह धराशायी कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के कारण घुसपैठियों पर हो रही कार्यवाही के विरुद्ध यदि जंग

छेड़ता है तो आर्थिक, सामरिक एवं राजनयिक दृष्टिकोण में असहाय अनुभव कर रहा है और यदि घुसपैठियों के रूप में उसकी सेना के नियमित सैनिक मारे जाते हैं तो सेना के विद्रोह का भय भी पाकिस्तान को दहशत में रख रहा है। इस प्रकार दोहरी आफत में आ गया है।

कारगिल की घटना ने एक बार स्पष्ट कर दिया कि सीमा क्षेत्र कितना ही दुर्गम, दुरूह, बीहड़ एवं वीरान हो किन्तु उसके प्रति भी निरन्तर सजग रहने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में घुसपैठियों के प्रवेश व सियाचिन हिमनद से भी भयंकर इस ग्लेसियर की बर्फ पाकिस्तान की ऐतिहासिक शत्रुता की तरह परत दर परत जमती जा रही है। इस बर्फीले क्षेत्र में जहां दो शत्रुओं की गोलाबारी से जितने जवान मर जाते हैं उससे कहीं ठण्ड और हिमखण्ड गिरने से मर जाते हैं। ठण्ड का आलम यह है कि आदमी का शरीर जैसे किसी धातु में बदल गया हो। यहां पसीना बर्फ में बदल जाता है और इतनी भी ऑक्साजीन नहीं है कि आप दियासलाई (माचिस) जला सके।

दुनिया का ग़रीब मुल्क आखिर कारगिल में जंग आरम्भ करके भारत को भी इस ओर घसीटने के लिए क्यों अमादा है। उग्रवाद एवं आतंकवाद को इस्लामिक कट्टरता के नाम से बढ़ावा देकर मुस्लिम क्षेत्रों को शरण स्थली करके पूरी दुनिया को ध्वस्त करने की घातक कोशिश कर रहा है। पाक हुक्मरान कारगिल घटना से शायद सबक ले लें कि पश्चिमी देश और अमेरिका सहित चीन भी इस कार्यवाही से पाक के प्रति सहानुभूति ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। भारत-पाक सीमा पर तनाव व तैयारी का प्रमुख कारण मुजाहिदीन व उग्रवादी गुटों का नाजायज़ प्रवेश हो रहा है। पाकिस्तान द्वारा कारगिल और द्रास में घुसपैठियों का प्रवेश अब बहुत ही महंगा साबित हो रहा है।

कारगिल प्रकरण पर भारत को जो अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है वह अच्छा है। लेकिन उस समर्थन से सम्मोहित होने की ज़रूरत नहीं है। उदारीकरण के बाद विभिन्न देशों के परस्पर सम्बन्धों में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। खुद अमेरिका के लिए पाकिस्तान का अब वह महत्त्व नहीं रहा, जो पहले था। यूरोप के दूसरे देश भी भारत जैसे बड़े देश का महत्त्व नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। इसलिए जो देश इस मुद्दे पर हमारा समर्थन कर रहे हैं, उन सब के अपने स्वार्थ हैं। वह कोई सत्य या नैतिकता का समर्थन नहीं है, वह उनके अपने राष्ट्रीय हित में उठाए जाने वाले उनके राजनयिक कदम हैं। इसलिए भारत जैसे बड़े देश को इस मामले में परमुखापेक्षी होने की ज़रूरत नहीं है। इतने विशाल देश में अपना आत्मविश्वास भी होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है और हमें उस पर दृढ़ रहना है। किसी के कहने या दबाने से हम अपने फैसले नहीं बदलने वाले। आपको ध्यान होगा कि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तब विश्व समुदाय ने उसकी जितनी कटु आलोचना की थी, उतनी आलोचना पाकिस्तान की नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भारत सबके लिए एक बड़ा, शक्तिशाली और वज़नदार राष्ट्र है। इसलिए, हर बात में पाकिस्तान से तुलना की प्रवृत्ति ठीक नहीं है।

समूह-8 के देशों ने कारगिल पर जो प्रस्ताव पारित किया या अमेरिका अथवा जर्मनी ने इस पर जो टिप्पणी की, उससे कारगिल मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण तो हुआ है। इससे कश्मीर विवाद का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। इस मामले में पाकिस्तान को राजनयिक सफलता मिली है। लेकिन दूसरे देशों द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है, वह भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करती है। भारत तीन बातें कह रहा है—नियन्त्रण रेखा का सम्मान करो, लाहौर घोषणा पत्र के दायरे में बात करो और समस्या सुलझाने के लिए बातचीत की टेबल पर आओ। यही तीन बातें समूह-8 के प्रस्ताव में भी हैं। इस लिहाज़ से यह भारतीय राजनय की जीत है। लेकिन इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि आज जो देश हमारे समर्थन में बोल रहे हैं, कल वे इसकी कीमत भी वसूल करेंगे।

कश्मीर : नियन्त्रण रेखा

पाकिस्तान ने नियन्त्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए जम्मू-कश्मीर के कारगिल-द्रास-बटालिक क्षेत्र में अपनी सेना व घुसपैठियों को भेजकर भारतीय सेना की कुछ महत्त्वपूर्ण चौकियां अपने कब्ज़े में ले लीं। इन चौकियों का सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्त्व है। यहां नियन्त्रण रेखा से जुड़े कुछ पहलुओं के समझने का प्रयास किया गया है।

नियन्त्रण रेखा क्या है ?—भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 17 दिसम्बर 1971, को युद्धविराम घोषणा के बाद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव खत्म करने के लिए पूर्व से पश्चिम की ओर यह रेखा खींची गई। 2 जुलाई, 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए व इस रेखा के माध्यम से कश्मीर का वह एक तिहाई हिस्सा जहां पाकिस्तानी सेना काबिज थी व भारत के नियन्त्रण वाला राज्य एक शेष हिस्सा अलग-अलग हो गए। दोनों पक्षों के फील्ड कमांडरों व एक संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने सीमा पर जाकर 11 दिसम्बर, 1972 को इसका निर्धारण किया। दोनों पक्षों ने 25 नक्शों की अदला-बदली की तथा नियन्त्रण रेखा को अपनी मंज़ूरी देने के लिए हस्ताक्षर किए।

क्या नियन्त्रण रेखा शिमला समझौते का हिस्सा थी ?—जी हाँ। इस रेखा का महत्त्व दोनों देशों की सेनाओं को अलग करने से काफ़ी अधिक है। शिमला समझौता नियन्त्रण रेखा पर बहुत स्पष्ट था व इसी के द्वारा भारत-पाक रिश्ते प्रभावित होते रहे हैं। शिमला समझौते में दोनों देश आपसी मसले द्विपक्षीय वार्ता से हल करने के लिए राज़ी हुए थे इसलिए दोनों पर नियन्त्रण रेखा की मर्यादा बनाए रखने की ज़िम्मेदारी है।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है ?—वर्तमान में लड़ाई की गिरफ्त में फंसा कारगिल-द्रास-बटालिक क्षेत्र सियाचिन की भांति 15 से 18 हज़ार फुट की ऊंचाई पर है। ऊंची-ऊंची चोटियों व पहाड़ियों वाला यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। कभी-कभी तो यहां चार से छह फुट तक बर्फ एकत्र हो जाती है। इस क्षेत्र की असामान्य भौगोलिक स्थिति का पाकिस्तान को फायदा होता है क्योंकि उसकी तरफ का इलाका थोड़ा बेहतर है व तापमान भी अपेक्षाकृत अधिक है। भारतीय तरफ के इलाके में आवागमन सिर्फ जोजिला दर्रे से ही सम्भव है। भारत इस दर्रे की दशकों से रक्षा करता आ रहा है।

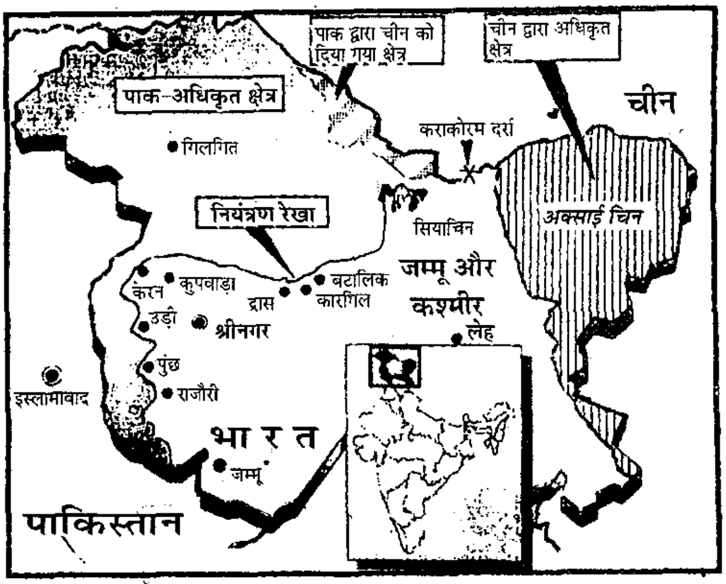

क्या नियन्त्रण रेखा की मर्यादा बरकरार रही है ?—शिमला समझौते की धारा 1 (2) के अनुसार दोनों देशों को किसी संगठन या ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिए जिससे शांतिपूर्ण सम्बन्धों को क्षति पहुंचती हो। मगर पाकिस्तान ने शिमला समझौते की इस भावना का 1980 के दशक से ही उल्लंघन किया है, तब से उसने जम्मू-कश्मीर में सीमा पर प्रशिक्षित आतंकवादी भेजकर शांति व्यवस्था प्रभावित की है। इसके लिए उसने अपनी सेना की गोलाबारी का सहारा लिया है।

समझौते की धारा 4 (*ii*) के अनुसार नियन्त्रण रेखा का दोनों देश समान करें व इसका उल्लंघन करने की धमकी देने से बचें। भारत का दावा है कि जब पाकिस्तानी सैनिकों ने अफगानिस्तानी मुजाहिदीन के साथ इस वर्ष नियन्त्रण रेखा पार की तब ही इसका उल्लंघन हो गया था।

सियाचिन का मामला क्या है ?—नियन्त्रण रेखा का यही भाग स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं था। 80 के दशक में भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्ज़ा कर लिया था। इससे पाकिस्तान को बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि इसका मतलब सियाचिन पर भारत का नियन्त्रण हुआ। इन खतरनाक चोटियों पर दोनों देशों के बीच मुठभेड़ चलती रहती है व पाकिस्तान लगातार यह मांग करता रहता है कि भारत यहां से वापस हटे।

उल्लेखनीय है कि सियाचिन की चौकियों पर कब्ज़ा जमाए रखने के लिए भारत प्रतिदिन 3.2 करोड़ रुपए खर्च करता है। यदि यही प्रक्रिया कारगिल में अपनाता है तो यहां प्रतिदिन इसकी तीन गुनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने जब कारगिल-द्रास-बटालिक क्षेत्र की चोटियों पर कब्ज़ा किया था, उनका उद्देश्य भारत को सियाचिन का जवाब देना था। ऐसा करने से वे श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर यातायात को मनमर्जी से प्रभावित कर लद्दाख का शेष भारत में सम्पर्क काट सकते हैं। इस तरह वे आतंकवादियों को कश्मीर घाटी के भीतर आसानी से भेज सकते हैं।

इसके अलावा पाकिस्तान को लद्दाख क्षेत्र में आतंकवाद न फैला पाने का अफसोस है। तीसरा पहलू यह भी है कि कारगिल-द्रास क्षेत्र शिया मुस्लिम बहुत क्षेत्र है व ये लोग पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं।

पाकिस्तान बार-बार यह क्यों कह रहा है कि नियन्त्रण रेखा स्पष्ट नहीं है ?—भारत के अनुसार पाकिस्तान यह कहकर हथियारबंद घुसपैठ को सही साबित करना चाहता है। पाकिस्तान यह कहना चाहता है कि यह क्षेत्र पहले से उसके कब्ज़े में रहा है। ऐसा कहकर वह क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भारत पर थोपना चाहता है।

अब क्या होगा ?—इस बात की सम्भावना कम ही है कि पाकिस्तान अपने को हमलावर के रूप में स्वीकार करेगा। इस कारण भारत के पास सैनिक विकल्प इस्तेमाल करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता है लेकिन इसमें कुछ महीने लग जाएंगे। भारतीय सेना को चोटियों पर मौजूद पाकिस्तानियों से कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान की तरफ से सहायता भेजना अपेक्षाकृत आसान कार्य है।

भारतीय सेना घुसपैठियों को चारों ओर से घेरकर उनकी सप्लाई लाइन काट देना चाहती है, मगर यह भी कठिन काम है क्योंकि इसके लिए भारत को नियन्त्रण रेखा पार करनी पड़ेगी और भारत इससे बचने की बात कहता रहा है।

भारत-पाक विवाद की असली जड़ कश्मीर से जुड़ी हुई है जब भी इस जड़ को उखाड़ने का प्रयास किया गया है, तभी सम्बन्धों का तना समूल उखड़ता हुआ नज़र आया है, जिसके फलस्वरूप इस संवेदनशील समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। दोनों देशों के तनाव ने इतनी अधिक दूरी तय कर ली है कि सैद्धान्तिक रूप से सम्बन्ध सुधरने की बात व्यावहारिक रूप में लागू होना आश्चर्यजनक एवं सन्देहात्मक सा प्रतीत होता है। भारत-पाक की सचिव स्तर की वार्ता सम्बन्धों को सुधारने में भले ही किसी लक्ष्य तक सफल हो सके किन्तु अभी छलावा सा ही सही अर्थों में लग रहा है।

यद्यपि यह निर्विवाद सत्य है कि यदि दोनों देश इस वार्ता को गंभीरता से लेकर अमल करना आरम्भ कर दें, तो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अमन चैन का एक अद्वितीय अध्याय का आरम्भ हो जायेगा। जब इज़राइल एवं फिलिस्तीन विवाद को विराम मिल सकता है और जर्मनी का एकीकरण हो सकता है तो भारत-पाक सम्बन्धों में भी सुधार सम्भव है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, भारत-पाक अपने विवादों को आपसी वार्ता से विराम दे सकते हैं क्योंकि सुबह का भूला यदि सायंकाल तक भी घर पहुंच जाता है, तो भूला नहीं कहलाता है। दोनों देशों के राजनेताओं को अपने निजी स्वार्थों को तिलान्जलि देते हुए गम्भीरता से इस ओर अब पहल करनी होगी। अब समय आ गया है, जब भारत-पाक अपने विवादों को वार्ताओं के माध्यम से विराम देकर व्यावहारिकता को तहे-दिल से अपनाये। यही दोनों देशों की अवाम के कल्याण की सही दिशा है।

कश्मीर प्रस्ताव व मुशर्रफ की कूटयोजना

भारत-पाक सम्बन्ध प्रगाढ़ बनाने की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप में सदैव से ही सामयिक, संवेदनशील एवं सतर्कता का विषय रही है क्योंकि जब से भारत-पाक विभाजन हुआ, तब से अब तक दोनों के मध्य कटुता, वैमनस्य एवं तनाव का सिलसिला जारी है। दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सदैव सन्देहात्मक रहे हैं। जब भी दोस्ती की दस्तक दी गई, उसे एक-दूसरे ने आशंका की दृष्टि से देखा है। इस बात से कदापि नकारा नहीं जा सकता है कि भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्ध सुधारने में जितनी समस्याएं हैं, उससे भी कहीं अधिक सुविधा, सहयोग, शान्ति, सुरक्षा एवं विकास आदि आपसी सम्बन्ध सुधरने से दोनों देशों को मिल सकते हैं। यह आज की सामयिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि एक कटु सच्चाई भी है। पाकिस्तानी शासक भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका एवं चीन की बढ़ती सामरिक रुचि एवं रणनीति को समझे और अपने क्षणिक राजनीतिक स्वार्थों का परित्याग करें, अन्यथा पाक शासक अपने निजी स्वार्थों के कारण बड़ी शक्तियों का संरक्षण व सहयोग लेने की आड़ में स्वयं के राष्ट्र के लिए संकट नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, बल्कि इस उपमहाद्वीप का भविष्य भी दाँव में लगा रहे हैं।

भारत-पाक सम्बन्ध सुधारने के लिए पाकिस्तान के सैनिक शासक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की कश्मीर समस्या के समाधान का नया फार्मूला (Food for thought) मकसद को समझना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कुछ समय पूर्व संवेदनशील सामरिक क्षेत्र सियाचिन से सेनाएँ हटाने का सुझाव भारत को दिया और उससे एक कदम आगे कश्मीर का एक परवेज़ फार्मूला प्रस्तावित करके अपनी शतरंजी चाल से शह देने की चाल चली है। इस पाक कूटनीतिक सुझाव के पीछे वास्तव में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जेहन में अपनी राष्ट्रीय आंतरिक राजनैतिक स्थिति एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबाव पर काम रहे हैं। यह अचानक हृदय परिवर्तन या कश्मीर नीति का बदलाव नहीं है। आन्तरिक स्तर पर परवेज़ मुशर्रफ को जहाँ यह लग रहा है कि कुछ अन्तराल के बाद शायद उनके सेना प्रमुख रहने के इरादों को आपेक्षित समर्थन न मिल पाए। दूसरा कारण पाकिस्तान के चार प्रमुख जनरल सेवानिवृत्त हो गए और वे नए और अपने से सात साल जूनियर सेना प्रमुख की वफादारी के प्रति आश्वस्त नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग पड़ जाते हैं, तो उन्हें अमेरिका के सरेआम सामरिक व आर्थिक सहयोग व समर्थन से वंचित होना पड़ सकता है, जिससे उनका राजनीतिक भविष्य दांव में लग सकता है। अमेरिका भी सीधे तौर पर भारत-पकिस्तान तनाव में नहीं उलझना चाहता, इसी कारण पाकिस्तान के माध्यम से कश्मीर की कूटनीतिक पहल करवा रहा है।

वस्तुस्थिति यह है कि पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली पर राजनीतिज्ञों में असहमति के चलते वहाँ लोकतान्त्रिक संस्थाओं का विकास नहीं हो सका है। इससे सैन्य बल को वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रोत्साहन मिला। सेना ने अपने आपको राष्ट्र की अखंडता एवं विचारधारा का इकलौता रक्षक घोषित कर दिया है। वास्तव में पाकिस्तान की राजनीति में सेना को वीटो (VETO) जैसा अधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि मुशर्रफ को मालूम है कि पाकिस्तान में बन्दूक की नोक पर ही हुकूमत मिलती है और चलती भी है। जब भी पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अपनी अवाम का खतरा दबाव दिखाई दिया अथवा अमेरिकी दबाव की आहट हुई तभी उन्होंने कोई नया पुलाव पेश कर ध्यान बटाने के लिए मास्टर प्लान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया है। परवेज मुशर्रफ जिस तरह बार-बार यह कहते हैं कि यह सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और भारत असली मुद्दे को पीछे कर रहा है इससे उनके नापाक इरादे झलक जाते हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने अपना दबाव मुशर्रफ पर बढ़ाना शुरू कर दिया है, और अमेरिकी विदेश मन्त्री पावेल की जगह कोंडालिसा राइस पाक के परमाणु अप्रसार मुद्दे पर खुश नहीं हैं।

आखिर कश्मीर के सन्दर्भ में जनरल के फार्मूला की शतरंजी चाल क्या है ? पाक राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने जो तीन सूत्रीय फार्मूला का सुझाव दिया—

(1) कश्मीर का दर्जा बदलने पर विचार किया जाए।

(2) जम्मू-कश्मीर को मैदानी इलाके सहित कुल सात क्षेत्रों में बाँट कर उनकी पहचान की जाए, जिसमें दो क्षेत्र आज़ाद कश्मीर (पाक अधिकृत) में हैं, जबकि पाँच क्षेत्र भारत में हैं।

(3) इन सातों क्षेत्रों का दर्जा बदल दिया जाए।

उनके इस फार्मूले के अनुसार क्षेत्र पर भारत व पाकिस्तान का संयुक्त नियन्त्रण भी हो सकता है और संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। मुशर्रफ की अंकगणित का यह फार्मूला 9 व 11 की अमेरिकी घटना व दबाव का एक नया सूत्र है, इससे किसी परिणाम के प्राप्त होने की उम्मीद कम उलझने की अधिक दिखाई देती है। यह स्पष्ट है कि दोस्ती का सीधा सम्बन्ध दिल से होता है, दबाव, दगा, द्वेष, दुविधा, दुश्चक्र, दूभर, दिलचस्पी के दुमुंहे राग से सम्बन्धों में सुधार नहीं हुआ करता। पाकिस्तान शासक का इरादा एक तीर दो निशाने हैं—एक शान्ति के पहल का घोषित प्रस्ताव की पहल तथा भारत को उलझाकर कश्मीर को अन्तर्राष्ट्रीय विवाद घोषित करना है तथा दूसरा अपने अन्तर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने का एक नाटकीय रूप में प्रस्तुत कर अमेरिका को सन्तुष्ट करना भी है।

विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान में तनाव का कारण नहीं, बल्कि उसका परिणाम है। पाकिस्तान का भारत के प्रति शत्रुभाव का मूल कारण वह इस्लामी सिद्धान्त और विचारधारा है, जिसके आधार पर मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन करने और इसकी प्राकृतिक सीमाओं के अन्तर्गत एक अलग इस्लामी राज्य बनाने की माँग उठाई थी। मिल्लत और कुफ्र, दार-उल-इस्लाम और दार-उल-हरब के इन सिद्धान्तों के अनुसार पाकिस्तान दार-उल-इस्लाम है, उसका यह मज़हबी कर्त्तव्य है कि वह खण्डित भारत, जो इन सिद्धान्तों के अनुसार दार-उल-हरब है को दार-उल-इस्लाम बनाने के लिए इसके विरुद्ध सतत प्रयास करे। पाकिस्तान ने यह जेहाद कश्मीर से शुरू किया,क्योंकि उसे यहाँ से सस्ती और जल्दी से कामयाबी मिलने की उम्मीद थी और उसकी यह उम्मीद शुरू में कुछ हद तक पूरी भी हुई। भारत शक्तिशाली होने के बावजूद एक बटा तीन भाग पाक के पास अधिकृत हो जाने के बाद भी आखिर विराम कर बैठा, जिससे उसके हौंसले बुलन्द हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी गिद्ध निगाहें अब केवल कश्मीर घाटी पर ही नहीं बल्कि जम्मू एवं लद्दाख पर भी लगी हुई है। यह भूलना नहीं चाहिए कि उसे यदि कश्मीर का इलाका दे भी दिया जाए तो भी उसका भारत के विरुद्ध जारी जेहाद बन्द नहीं होगा।

आखिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर समस्या के समाधान का जो तीन सूत्रीय कार्यक्रम रखा, उसका विश्लेषण किया जाना भी जरूरी है ताकि उनकी दूरगामी रणनीति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। उनका यह कहना कि कश्मीर मसले का हल सीमा के दोनों ओर के क्षेत्रों की पहचान, उनके विसैन्यीकरण और उन्हें एकरूपता प्रदान करने में निहित है। मुशर्रफ ने जम्मू-कश्मीर को मैदानी इलाके समेत कुछ सात क्षेत्रों में बांटने की बात कही, जिसमें सात हज़ार फुट ऊँचा पहाड़ी क्षेत्र, पीर पंजाल, कश्मीर घाटी, वृहद हिमालयी क्षेत्र, ऊपरी सिन्धु घाटी और उत्तरी क्षेत्र कराकोरम जिसके कुछ हिस्से चीन के पास हैं, भी शामिल हैं। इसमें दो क्षेत्र पाक अधिकृत (आज़ाद कश्मीर) तथा पाँच क्षेत्र भारत में हैं। मुशर्रफ के मुताबिक भारतीय नियन्त्रण वाले इन पाँच क्षेत्रों में **पहला क्षेत्र**-जम्मू, सांभा और कठुआ का है, जिसमें हिन्दू बाहुल्य आबादी है। **दूसरा क्षेत्र**-जम्मू का है जिसमें डोडा, पुंछ और राजौरी का इलाका आता है, जिसमें मुस्लिम आबादी अधिक है, जिनमें गुज्जर सिक्ख तथा राजा शामिल हैं जो पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़े हैं। **तीसरा क्षेत्र**—कश्मीर घाटी का है जिसमें श्री नगर सहित मुस्लिम बाहुल्य इलाका आता है। **चौथा क्षेत्र**—जिसमें

कारगिल का इलाका आता है और शिया व बाल्ती आबादी का बहुमत है। **पाँचवां क्षेत्र**—बौद्ध बाहुल्य वाला लद्दाख का इलाका आता है।

कश्मीर के तीन इलाके—क्षेत्रफल, भाषा और धर्म

क्र० सं०	क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	मुख्य भाषा	भाषा भाषियों का प्रतिशत	मुस्लिमों का प्रतिशत	हिन्दुओं का प्रतिशत	बौद्धों का प्रतिशत
1.	**भारतीय कश्मीर**						
	कश्मीर	15,668	कश्मीरी	89.5	95	4	न के बराबर
	जम्मू	25,891	डोगरी	53.3	29.6	66.3	न के बराबर
	लद्दाख	40,395	तिब्बती	90.2	46.1	2.6	50.9
	कुल	**81,954**	**कश्मीरी**	**52.3**	**64.2**	**32.2**	**1.2**
2.	**पाक अधिकृत कश्मीर**						
	आजाद कश्मीर	12,616	पंजाबी	85.4	99.8	न के बराबर	न के बराबर
	उत्तरी क्षेत्र	84,931	शिना	अनुपलब्ध	99.8	न के बराबर	न के बराबर
	कुल	**97,347**	**पंजाबी**	**66.5**	**99.8**	**न के बराबर**	**न के बराबर**
3.	**चीन**						
	अक्साई चिन	37,555	-	-	-	-	-
	सिक्यांग	5,180	-	-	-	5-	
	कुल	**42,735**	-	-	-	-	-
	कुल योग	**222,236**	**कश्मीरी**	37.1	74.9	22.6	8.00

नोट: ये आंकड़े फारूक कटवारी की रिपोर्ट 'कश्मीर : ए वे फारवर्ड' में दिए गए हैं।

ऐतिहासिक अवलोकन के बारे तो अविभाजित कश्मीर में पाँच क्षेत्र आते हैं—पंजाबी भाषी पाक अधिकृत कश्मीर, उत्तरी क्षेत्र, लद्दाख, कश्मीर घाटी तथा जम्मू। पहले दो क्षेत्र पाक के अधीन तथा बाद के तीन क्षेत्र भारत के साथ हैं। पाक शासक परवेज मुशर्रफ का इरादा मुस्लिम बाहुल्य दो अलग क्षेत्र बनाए जाएँ—पहला हिन्दू बाहुल्य जम्मू से अलग कर तथा दूसरा बौद्ध बाहुल्य लद्दाख से अलग करके। मुशर्रफ की सोच है कि मज़हब का नाम भले न दे पर मज़हब के आधार पर इसका विभाजन किए जाने की ज़रूरत है। यह एक घातक सुझाव है। भारत के लिए सम्भव नहीं कि इस पर गम्भीरता से सोचे। पाकिस्तान को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आज भारत में उसके यहाँ से भी अधिक मुस्लिम आबादी है। आज न तो मज़हब के आधार पर किसी क्षेत्र के विभाजन को अमली जामा पहनाया जा सकता है और न ही भाषा के आधार पर बंटवारा किया जाना सरल है। ये सब वे आधार हैं, जो सामाजिक सद्भाव, सहयोग एवं सम्मान को सीधा आघात पहुँचाते हैं और टकराव को आमन्त्रण देते हैं।

कश्मीर में सैनिकों की संख्या में कटौती करने की घोषणा के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान को इसका यह मतलब कतई नहीं लेना चाहिए कि उसको अब छद्म युद्ध को बढ़ावा देने की राह आसान हो गई है। चूँकि अभी भी कश्मीर समस्या की एक जड़ पाकिस्तान संरक्षित हुर्रियत कान्फ्रेंस सरीखे संगठनों का कश्मीर की जनता को बरगलाने और आतंकवाद का खेल जारी रखने का सिलसिला बनाए हुए हैं। पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े भूभाग में पहले से ही कब्ज़ा किए हुए है। अब उसकी निगाह कश्मीर घाटी पर टिकी हुई है। भारत के लिहाज से इस प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर के कुछ हिस्सों में सही परन्तु तीसरे पक्ष की मौजूदगी सुनिश्चित करने में कामयाब हो सकता है और भारत की इस टेक को तोड़ पाने में सक्षम हो जाएगा कि कश्मीर उसका अविभाज्य अंग है। भारत कश्मीर की एक इंच ज़मीन नहीं छोड़ सकता है। जनरल का यह फार्मूला यदि लागू किया जाए तो कश्मीर के कुछ हिस्से को स्वायत्तता नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़कर स्वशासन का अधिकार देना होगा। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में या उसके प्रस्ताव के अधीन सांझा सरकार बनती है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्ताव

को एक हद तक स्वीकार कर रहा है। ऐसा होते ही कश्मीर में पाकिस्तान आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग पुनः उठाने का प्रयास कर सकता है। कश्मीर की वस्तुस्थिति को दोनों देशों की दृष्टि से समझना एक सामयिक आवश्यकता बन चुकी है, ताकि विवाद का विश्लेषण कर विराम दिया जा सके।

कश्मीर बनाम आतंकवाद

पाकिस्तान

- भारत-पाक के बीच बातचीत का मुख्य मुद्दा कश्मीर है।
- आतंकवाद एक मुद्दा है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीर का विवाद हल नहीं होता।
- कश्मीर को महज़ एक समस्या मानने के बजाय 'विवाद' मानना होगा।
- अगर यह विवाद नहीं है तो फिर भारत को अब इस मुद्दे को हल कर लेना चाहिए।
- बिना त्रिपक्षीय बातचीत के यह मुद्दा हल नहीं हो सकता।
- भारत-पाक के रिश्ते तब तक बेहतर नहीं होंगे जब तक कश्मीर समस्या हल नहीं हो जाती।
- जिसे भारत आतंकवाद कहता है, उसे हम कश्मीरी आवाम की मुक्ति का आन्दोलन मानते हैं।
- 'मुक्ति आन्दोलनों' में हमेशा निर्दोष ही मर जाते हैं। फिलिस्तीन का उदाहरण सामने है।
- भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में उसने बांग्लादेश की मुक्ति का आन्दोलन चलाया था और 'मुक्ति वाहिनी' बनाकर वहां अपने फौजी भेजकर पाक—बांग्लादेश विभाजन कराया।

भारत

- कश्मीर एक मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा पाकिस्तान की शह पर वहाँ चलाया जा रहा आतंकवाद है।
- कश्मीर एक समस्या है, जिसे हल करने में भारत सक्षम है, बशर्ते पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद बढ़ाना बन्द कर दे।
- भारत इसे विवादित क्षेत्र नहीं मानता। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
- यदि पाकिस्तान के इरादे नेक होते तो यह समस्या हल हो गई होती।
- त्रिपक्षीय बातचीत की कोई जरूरत नहीं, दो पक्ष पर्याप्त हैं। तीसरे को शामिल करना भीड़ बढ़ाने जैसा है।
- ऐसे 'मुक्ति आन्दोलन' से क्या फायदा जिसमें हजारों निर्दोष मारे जाएँ और कुछ हासिल न हो।
- पाक कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से करना बन्द करे और आतंकवाद पर रोक लगाए।
- पाक-बांग्लादेश विभाजन को भारत ने इसलिए सही माना था कि क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ही उस विभाजन का रास्ता तैयार किया। 1971 का युद्ध भी इसीलिए हुआ। सच तो यह है कि भारत ने 1947 के विभाजन को भी स्वीकार नहीं किया था।

कश्मीर की भौगोलिक स्थिति

वर्ष 1947 में जम्मू व कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22, 236 कि० मी०

पाकिस्तान ने बलात कब्ज़ा जमाया	0,78,114 कि० मी०
चीन ने बलात कब्ज़ा जमाया	5,180 वर्ग कि० मी
	37, 555 वर्ग कि० मी०
चीन द्वारा कुल कब्ज़ा	**42, 735 वर्ग कि० मी०**
चीन व पाक द्वारा बलात कब्ज़ा	1,20,849 वर्ग कि० मी०
वर्तमान में भारत के पास शेष	1,01,387 वर्ग कि० मी०
जम्मू व कश्मीर का क्षेत्रफल	**2,22,236 वर्ग कि० मी०**

जम्मू व कश्मीर का वर्तमान क्षेत्रफल जो भारत के पास शेष बचा है—

जम्मू (राजौरी, पुंछ, डोडा आदि)	0,26,293 वर्ग कि० मी०
कश्मीरी घाटी (अनन्तनाग, श्रीनगर, बारामुला आदि)	0,15,853 कि०मी०
लद्दाख (लेह, कारगिल)	0,59,241 वर्ग कि० मी०
योग	**1,01,387 वर्ग कि० मी०**

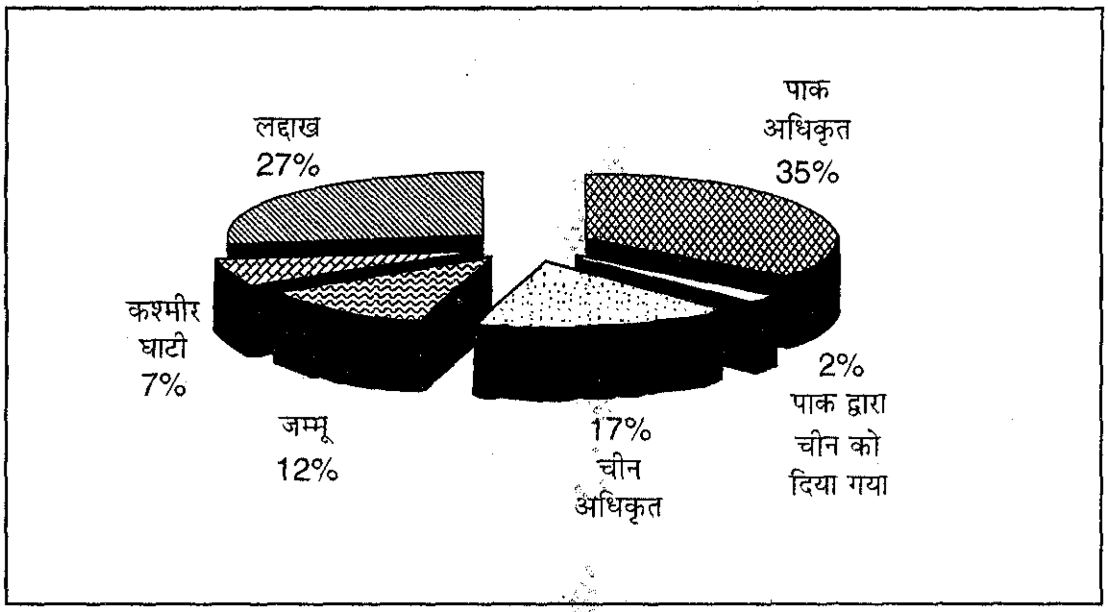

शान्ति प्रस्ताव, वार्ता एवं मित्रता का सिलसिला जहाँ एक ओर जारी है, वहां सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों में अभी पूरी तरह अंकुश नहीं लगाया जा सका है और न ही विश्व बिरादरी को आश्वासन के बावजूद राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी ज़मीन से आतंकवादी गतिविधियों के पनपने को रोक पाए हैं। पाकिस्तान से सटी 814 कि०मी० लम्बी नियन्त्रण रेखा और 124 कि०मी० लम्बी सियाचिन ग्लेशियर की सीमा पर पिछले 57 वर्षों से मिनी युद्ध जारी है। इस पर करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ रहा है। यथार्थ यह है कि देश के साथ सटी पड़ोसी देशों की सीमाओं में से सिर्फ पाकिस्तान से सटी सीमा ही सबसे विस्फोटक है। इस कारण वास्तविक नियन्त्रण रेखा या उसके आस-पास आई सेना या चौकसी में मामूली कमी भी आतंकवादियों का हौंसला बढ़ा सकती है और यह सिर्फ कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक घातक चुनौती बन जाएगी। जहां कश्मीर में निरन्तर आतंकवादी घुसपैठ एवं उग्रवादी गतिविधियां जारी हैं, वहां अभी भी पाकिस्तान से प्रशिक्षित बनाकर आतंकवादी भेजने का सिलसिला थमा नहीं है। आज भी बिना पुख्ता सुरक्षा इंतज़ाम के कश्मीर में सफर करना सरल एवं सम्भव नहीं है। कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आतंकवादियों का अतिक्रमण पूरी तरह मौजूद है—जेहाद के नाम पर जबरन टैक्स वसूली, निहत्थे लोगों पर दमन की नीति, बमों की बौछार से आतंक, दहशत एवं बर्बादी का बोलबाला, महिलाओं के साथ बलात्कार, राजनीतिक बदले से हत्याएं, जबरन नवयुवकों को जेहाद के नाम पर आतंकवादी संगठनों में भर्ती, हथियारों, विस्फोटकों एवं मादक पदार्थों की तस्करी, जाली नोटों का जाल बिछाना तथा सुरक्षा बलों के कैम्पों पर हमलों की घातक गतिविधियां थमी नहीं हैं। अभी भी सुरक्षा बलों के गश्तीदलों पर अचानक फायरिंग द्वारा पांच सैनिक प्रतिदिन मर रहे हैं। भारत के प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह श्रीनगर की जनसभा में दो घण्टे देरी से पहुँच पाए, क्योंकि आतंकवादियों ने उनके रास्ते ज़बरदस्त गोलबारी से अवरुद्ध कर दिए थे। यह दृश्य सुरक्षा के पुख्ता इन्तज़ाम के बावजूद था। आपको आश्चर्य नहीं होगा कि प्रधानमन्त्री हजरतबल सड़क से नहीं जा सके, हेलीकॉप्टर का ही आखिर सहारा लेना पड़ा। ऐसी स्थिति में कश्मीर से सेना हटाने का निर्णय कितना तर्कसंगत सिद्ध हो सकता है, स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है।

वास्तव में कश्मीर के संवेदनशील मसले को गम्भीरता से समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और हुर्रियत कट्टरपंथी व नरमपंथी नेता फिर से नियन्त्रण रेखा और समूचे कश्मीर के विवादित मसला होने का राग अलाप रहे हैं। हुर्रियत की खुलेतौर पर पाकिस्तान से सांठगांठ जगजाहिर है। यह सही है कि घाटी में हुर्रियत का दबदबा घटता जा रहा है और उसके उग्रवादी संगठन भी अलग-थलग पड़ रहे हैं, किन्तु सेना की वापसी और पाकिस्तान के नए प्रस्ताव की पहल से उनके हौंसले बढ़ सकते हैं। यह मामला जटिल है, इसमें जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। मजहब के आधार पर कश्मीर की नई सीमाएं निर्धारित करने की अवधारणा व्यावहारिकता से बहुत दूर है। आर्थिक पैकेज की घोषणा का फायदा तभी है, जब इसका सामाजिक विकास एवं प्रगति के लिए सही उपयोग हो। आर्थिक-सामाजिक विकास के नाम पर आबंटित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की जेबों में चला जाता है और जो कुछ

खर्च होता है, उसका हिसाब-किताब पाकिस्तान समर्थित व प्रेरित आतंकवाद पूरा कर देता है। यही कारण है कि कश्मीर का पिछड़ापन अभाव एवं बेरोज़गारी साथ नहीं छोड़ पा रही है और स्थिति निरन्तर विस्फोट के कगार पर पहुंचती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण वहां व्याप्त भ्रष्टाचार है। यही कारण है कि लाखों कश्मीर पण्डित व सैंकड़ों मुस्लिम उजड़कर तथा कश्मीर घाटी से निकलकर बहुत ही दर्दनाक जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। कश्मीर मसले पर बातचीत के पहले ज़रूरी है कि वहां की विषम भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सामरिक परिस्थितियों की गहनता से मीमान्सा की जावे। इसके साथ वहां की स्थानीय जातियों, जनजातियों और धार्मिक सम्प्रदायों की मानसिकता का सूक्ष्म तरीके से अध्ययन एवं विश्लेषण किए जाने की गहन ज़रूरत है।

भारत-पाक सम्बन्धों की कूटनीति कश्मीर मसले को लेकर जो चली जा रही है, उसमें अमेरिकी दबाव के तहत पाक सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ की चाल का नया जाल फँसाने के लिए फेंका गया। यह सभी जानते हैं कि वर्तमान में विश्व शान्ति के समक्ष यदि कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वह आतंकवाद ही है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का रवैया शुरू से ही ऐसा रहा है कि जल्दी उसका विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, जेहाद के कट्टरंपथी गतिविधियों एवं संगठित अपराधी गिरोहों के विरुद्ध अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग एवं सद्भाव में सक्रियता नहीं निभा सकता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाक खुफिया तन्त्र आई० एस० आई० द्वारा जारी विस्फोटक गतिविधियों से सभी भली-भान्ति परिचित हैं। आशंका, सन्देह, ईर्ष्या, धोखा, कूटनीति, भय, संघात, संघर्ष, संकट, संकोच, दबाव एवं दमन के दौरान दोस्ती की दुहाई देकर पाकिस्तान के सैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफ शान्ति संवाहक बनकर आए हैं, कैसा विरोधाभास है ? ऐसे परिवेश में पाक की समझौता, शान्ति, सद्भाव, सहयोग, समर्थन, संगठन, संयत, सदाचार एवं सुरक्षा की संस्तुति भले ही सुनने के लिए ठीक है, किन्तु व्यवहारिकता से कोसों दूर दिखाई देती है। सहयोग एवं मित्रता की ढिंढोरा पीटने के बजाय स्वयं पहल कर सद्भाव के सोपान स्वतः तैयार किए जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जब तक कश्मीर में आतंकवादियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, समर्थन, सहयोग, आर्थिक मदद एवं घुसपैठ पर रोक नहीं लगाता जब तक उसे कश्मीर के सन्दर्भ में बात करना, सोचना या शान्ति की पहल करना सरासर बेईमानी है।

अभी तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि कश्मीर के बगैर शान्ति या समझौते का पक्षधर पाकिस्तान है। सीमा पार सीज फायर और इस्लामाबाद घोषणा के बाद यदि हम विश्लेषण करें तो पाते हैं कि वर्ष 2003 में सीमा पार से हुई कुल 163 सामूहिक घुसपैठ की तुलना में इस वर्ष मई से अगस्त के दौरान 174 आतंकवादी समूह सीमा पार कर कश्मीर में प्रवेश कर चुके हैं। घाटी में घरों की दीवारें एक बार फिर भारत-विरोधी पोस्टरों से पटती जा रही हैं। *कुछ पोस्टरों में लिखा है—मुज़फ्फराबाद 100 कि० मी०, नई दिल्ली 1000 कि० मी०, कौन नज़दीक है ? "यति क्या बनि ? पाकिस्तान"* (यहां क्या बनेगा ? पाकिस्तान)। सीज फायर का लाभ उठाकर कश्मीर में घुसपैठ के 17 नए रास्ते आतंकवादियों ने खोज निकाले हैं। पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में पहले से चल रहे 123 और 72 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों में क्रमशः 5 और 8 नए प्रशिक्षण शिविर और जुड़ गए हैं। पाकिस्तान 'कश्मीर बनेगा अपना' का सपना पूरा करने के लिए आतंकवादी संगठनों को नए सिरे से सक्रिय कर रहा है। सामाजिक एवं राजनीतिक मोर्चे में शह देने लिए 'तहरीफ-ए-हुर्रियत' पार्टी को आर्थिक सहयोग पाक द्वारा दिया जा रहा है। पाक प्रधानमन्त्री शौकत अजीज ने भारत आते ही कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के विशेष रूप से बात की जिसमें हुर्रियत के अध्यक्ष मीर वायज उमर फारुख, मौलाना अब्बास असंारी, अब्दुल गनी बट्ट, बिलाल लोन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और सैयद अली शाह जिल्लानी से मुलाकात की और एकता के साथ बेहतर सौदेबाजी की नसीहत दी। कश्मीर में आतंकवादियों को एक संरक्षण का बड़ा मंच और आतंकवाद का संचालन का सबसे बड़ा गढ़ हुर्रियत पार्टी को माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान से आखिर किस शान्ति समझौते या सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है ? भविष्य में कुछ सार्थक पहल के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें यह सबक मिल चुका है कि शान्ति के लिए जब सेना की वापसी का कदम उठाया गया है, उसका सीधा लाभ आतंकवादियों को मिला है। करोड़ों रुपये की राशि व्यय करने के बाद कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ चक्र स्थापित हो पाया है, जिसके तहत यदि एक आतंकवादी पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर प्रवेश कर रहा है तो सेना प्रतिदिन 1.8 आतंकवादियों को अपना निशाना बना रही है। कश्मीर से सेना से कटौती राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देशहित में नहीं है।

इस प्रकार कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ परवेज ने जो अपना चक्रव्यूह तैयार किया है, उसके भीतर प्रवेश करने के पूर्व उसकी सामरिक संरचना को समझना ज़रूरी है। भावुकता, जोश एवं उदारता का कूटनीति में कोई स्थान नहीं होता। पाकिस्तान की यह पहल तहे दिल से है तो पहले अपने आतंकवादी शिविर, संगठन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर अंकुश लगाकर कश्मीर की घुसपैठ को रोके। कश्मीर की घाटी में निरन्तर बज रही खतरे की

घण्टी इस सन्दर्भ में हर कदम सतर्कता से रखने का संकेत दे रही है। सेना की वापसी में जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो देश की सुरक्षा के समक्ष एक नया संकट खड़ा हो सकता है। विकास एवं प्रगति के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की पहली ज़रूरत है।

MILITANT ACTIVITY IN KASHMIR

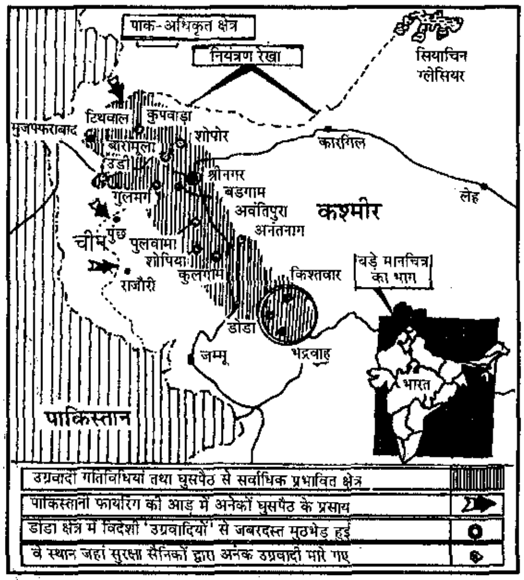

यह सत्य है कि भारत-पाक विभाजन की ऐतिहासिक भूल ने सिर्फ भूगोल ही नहीं बदला, बल्कि देश के विभाजन से मन में भी दरारें दिखाई देने लगी हैं। दोनों देशों के लोगों के विचार और मानस पटल पर भी दुर्भाग्य से एक बड़ा बंटवारा अंकित हो गया। इतिहास-भूगोल का यह एक सत्य दुर्भाग्यवश अब भी हमारी मानसिकता को जब तब बीमार कर देता है। भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन एक बात थी, किन्तु उस विभाजन को अपना अहम आधार बनाकर धर्म, वर्ग एवं सम्प्रदाय के नाम पर अलग करने की कूटनीतिक शतरंजी चाल आज भी हमारी सामाजिक व्यवस्था की जड़ों को कुरेदती रहती है। यही कारण है, जब भी शान्ति प्रक्रिया की पहल होती है, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष की कूटनीतिक चाल समझकर उसे उपेक्षित करने के लिए नई राजनयिक पहल करने का प्रयास करता है। विभाजन का दर्द तो समय के साथ सहन हो गया, किन्तु दिलों की दरारों ने दोनों देशों के बीच की दूरियां बहुत बढ़ा दी हैं। अत: वक्त का तकाज़ा समझते हुए दोनों देश तहे दिल से एक-दूसरे को दुश्मन साबित करने वाली प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने और क्षणिक राजनीतिक स्वार्थों एवं व्यक्तिगत सत्ता लोलुपता को तिलांजलि देकर विकास एवं प्रगति से इस उपमहाद्वीप में शान्ति, सद्भाव व सहयोग का नया चिराग जलाएंगे, ऐसा दृढ़-विश्वास है, जिसके प्रकाश से इस उपमहाद्वीप में विकास, प्रगति, सद्भाव एवं सम्बन्धों की डगर स्पष्ट नज़र आएगी। नि:सन्देह तहे दिल से दी गई दोस्ती की दस्तक दोनों के रिश्तों को एक नया पैगाम दे सकेगी।

अमन के वास्ते-अमन के रास्ते

भारत-पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों के बीच कटुता की जमी बर्फ की पर्तें आखिर आहिस्ता-आहिस्ता पिघलने लगी है और आखिरकार अवाम की आवाज़ को अन्जाम मिलने लगा है। यही कारण है कि दोनों के बीच आपसी रिश्तों को सुधारने के क्रम में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की पहली बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इस बस सेवा की शुरुआत से यह बात अवश्य स्पष्ट हो गई है कि भारत और पाकिस्तान दोनों यह समझने लगे हैं कि शान्ति प्रक्रिया में कश्मीर से जुड़े किसी भी मामले पर कश्मीरी आवाम की आकांक्षाओं और आवाज़ की ओर ध्यान देना बेहद ज़रूरी हो गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारत के विदेश मन्त्री कुंवर नटवर सिंह और पाकिस्तान के विदेश मन्त्री खुर्शीद महमूद कसूरी द्वारा इस बहुप्रतीक्षित बस सेवा के शुरू किए जाने का जब एलान किया जा रहा था, तो उसी समय सरहद के दोनों ओर अनायास ही जश्न का जोरदार माहौल सरेआम दिखाई दिया। इस बस सेवा की सकारात्मक पहल से कश्मीर के लोगों को निश्चित ही सबसे अधिक राहत महसूस हुई है। बस सेवा की शुरुआत करके की इस सकारात्मक पहल से इतिहास की आधी सदी से अधिक पुरानी एवं उलझी गांठ को खोलने का प्रयास किया है। आखिर आतंकवादी हमलों के बावजूद भारत ने दृढ़ता एवं उत्साह के साथ श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच कारवां-ए-अमन के रूप में बस सेवा की पहल हो गयी।

बस सेवा शुरुआत स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रही है कि नियन्त्रण रेखा के आर-पार बसने वाले कश्मीरियों के लिए यह एक बहुत बड़ा उपहार है। इसे समृद्धि की सौगात कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर को नियन्त्रण रेखा के जरिये अलग करने वाली अदृश्य रेखा के दोनों ओर की राजधानियों श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच की दूरी 183 किलोमीटर है। इसमें भी चकोटी (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की अन्तिम सैनिक चौकी) और उड़ी के बीच का रास्ता केवल 10 किलोमीटर का ही है। इस छोटी सी दूरी को तय करने में दोनों ओर के देशों को बहुत कुछ

खोना पड़ा है। चकोटी बारामूला से 71 किलोमीटर तथा श्रीनगर से 121 किलोमीटर दूर है। सड़क-सेवा की शुरुआत से श्रीनगर से मुजफ्फराबाद पहुंचने में बामुश्किल पांच घण्टे लग रहे हैं, जबकि अभी तक इस दूरी को तय करने में एक सप्ताह का समय लग जाता था। इससे न केवल समय एवं पैसे की ही बचत होगी, बल्कि विभाजित परिवारों को जो राहत, खुशी एवं रोमांच की अनूठी अनुभूति होगी, जिसकी कीमत का वास्तविक अनुमान लगा पाना भी कठिन है। बस के आगे बढ़ने के साथ ही लोगों के चेहरों पर खुशी और उमंग का अतिरेक स्पष्ट झलक रहा है।

दो हिस्सों में बंटे कश्मीर और कश्मीरियों के दरमियान दूरी पाटने वाली श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा का शुभारम्भ आखिर 7 अप्रैल से आरम्भ हो गया और 'कारवां-ए-अमन' चल निकला। नज़र डालते हैं, कश्मीर के दो धड़ों को आपस में जोड़ने वाली श्रीनगर-मुजफ्फराबाद सड़क से जुड़ी खास-खास बातों पर—

- *183 किलोमीटर लम्बी है श्रीनगर-मुजफ्फराबाद सड़क।*
- *10 सालों में बनकर तैयार हुई इस सड़क को प्रयोग के लिए पहली दफा 1892 में खोला गया।*
- *यह सड़क 1947 तक यानि भारत विभाजन के पूर्व कश्मीर घाटी को बाहरी दुनिया से जोड़ने का एकमात्र जरिया थी।*
- *1947-48 में भारत-पाक युद्ध के दौरान यह सड़क बन्द रही।*
- *श्रीनगर से शुरू होने वाली ये सड़क बारामूला और उड़ी होते हुए नियन्त्रण रेखा से गुजरती है और इसके बाद गुलाम कश्मीर के क्षेत्र कोहाला होते हुए मुजफ्फराबाद पहुंचती है।*
- *पाकिस्तान में यह सड़क रावलपिण्डी तक बढ़ा दी गई है।*
- *16वीं सदी में अकबर ने इसी मार्ग से घाटी में यात्रा की थी।*
- *आज़ादी की लड़ाई के दौरान पं० जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार इसी सड़क पर गिरफ्तार किया गया था।*
- *इसे झेलम घाटी रोड या उड़ी रोड भी कहा जाता है।*
- *पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 जुलाई, 2001 में इस रोड़ को खोले जाने की घोषणा की थी।*

इससे पूर्व कश्मीरियों को मुजफ्फराबाद जाने के लिए पहले सड़क या वायुमार्ग से दिल्ली जाना पड़ता था। इसके बाद हवाई जहाज़ या बस द्वारा लाहौर। अब इस सड़क के खुल जाने से वक्त और पैसे दोनों की बड़ी बचत होगी। इसके खुल जाने पर रावलपिण्डी के बाज़ारों में उनके उत्पाद और सामान घण्टों में पहुंच जाया करेंगे। अभी तक उन्हें श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर आश्रित रहना पड़ता था जो बर्फबारी के कारण महीनों बन्द रहता है। अगर मौसम अच्छा हो तो सड़क द्वारा श्रीनगर से जम्मू जाने में कम-से-कम 12 घण्टे लगते हैं और वहां से दिल्ली और उसके बाद मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के बाज़ारों में उत्पाद पहुंचाना महीनों का काम हो जाता है। इस मार्ग के खुल जाने से सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर के सेब उद्योग को होगा। घाटी सेब के बागों के लिए मशहूर है। यदि सेब रावलपिण्डी में बेचे जा सकें तो सेबों को बाज़ारों तक पहुंचाने का खर्च भी आधा हो जाएगा। उड़ी के लिए यह सड़क आर्थिक वरदान साबित हो सकती है। इसके अलावा नियन्त्रण रेखा के करीब स्थित उड़ी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जब से भारत ने इस सड़क को खोलने की पेशकश की तब से उड़ी-बारामूला क्षेत्र में सम्पत्तियों के दामों में खासी बढ़ौत्तरी हुई है। ऐसी ही बढ़ौत्तरी 2001 में उस वक्त हुई थी, जब भारत ने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद सड़क को दोबारा खोलने का प्रस्ताव रखा था, किन्तु आगरा वार्ता की असफलता के प्रस्ताव को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। सड़क खुलने से उत्साहित जम्मू कश्मीर सरकार दिल्ली की मदद से वर्तमान हाइवे को फोर लेन एक्सप्रेस वे में बदलने की योजना बना रही है। राज्य के पर्यटन विभाग से उन लोगों की मदद करने को कहा गया है, जो यात्रियों को अपने घर में आश्रय देने और सड़क पर चाय की दुकानें या रेस्तरां खोलने के इच्छुक हैं।

श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा की शुरुआत इसलिए विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कश्मीर के दोनों भागों के विभाजन के 57 वर्षों बाद पहली बार आपसी मेल-मिलाप सीधे तौर पर सन्देहों एवं आशंकाओं को विराम देने में सक्रिय सहयोग मिलेगा। पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को भारत के विरुद्ध भड़काने में अब कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां के लोग कश्मीर एवं भारत की लोकतान्त्रिक स्थिति को स्पष्ट रूप से देख एवं अनुभव कर सकेंगे और साथ ही गुमराह होने से भी बच सकेंगे। इसी आशंका को अनुमानित कर अनेक आतंकवादी गुटों ने इसका विरोध करते हुए सीधे बंद करने की धमकी देनी शुरू कर दी है। कश्मीर के विभाजित परिवारों की दर्द भरी दास्तान लम्बी है। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत में जिस प्रकार स्पष्ट रूप से बात कहने की आज़ादी है। वैसा पाक अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) के लोगों के नसीब में नहीं है। सरहद पार के सब्जबाग के झांसे में आकर अपना घर-बार छोड़कर मुजफ्फराबाद जाने वाले अब टकटकी लगाकर 7 अप्रैल का बेसब्री से इन्तज़ार कर रहे हैं। इसके

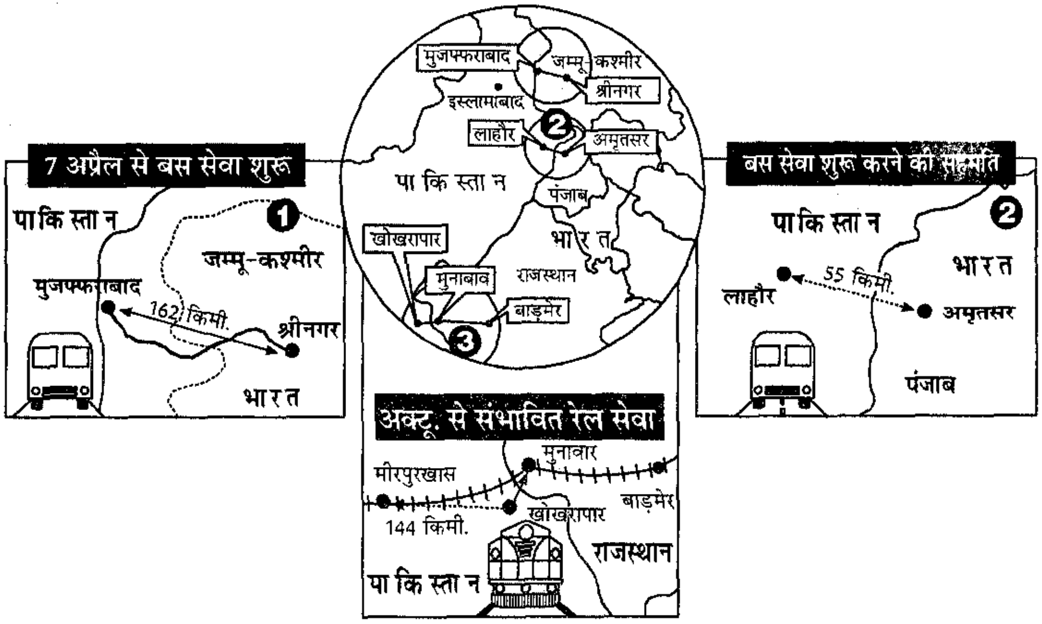

साथ ही आतंकवादी संगठन इस समझौते से जहां एक ओर हैरान हैं, वहां दूसरी ओर हरकत करके पर्यटन केन्द्र पर धावा बोलकर निशाना बनाया, इसके बावजूद भारत ने दोस्ती की दस्तक वाली बस सेवा को हरी झण्डी दिखाकर अपने दृढ़ इरादे जग जाहिर कर दिये हैं।

आज़ादी से पहले कश्मीर के दोनों ओर के लोग यहां से खुलकर आवाजाही करते थे और श्रीनगर-रावलपिण्डी ट्रांसपोर्ट के नाम से एक बस सेवा भी चलती थी, जो श्रीनगर से मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिण्डी जाती थी। इसी प्रकार से सियालकोट ओर जम्मू के बीच भी बस सेवा थी। समृद्धि की सौगात कही जाने वाली इस सड़क सेवा की शुरुआत वाले समझौते से पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन अब सकते में हैं। इस समझौते को दोनों देशों के आवाम से मिले अपार समर्थन से बौखलाए उग्रवादी संगठनों ने अब धमकी देनी शुरू कर दी है कि लोग इस बस सेवा में सफर न करें। उनको अब यह आभास होने लगा है कि यहां के लोगों में भारतीय सेना के खौफ का खड़ा किया गया हौवा आखिर सबके सामने आ जाएगा। इसके साथ ही भारत के विरुद्ध फैलाई गई जो भ्रान्तियां हैं, उनकी हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी तब बरगलाना मुश्किल हो जाएगा। दो मुल्क एक सफर इस बात का द्योतक है कि लोग और अन्य बातों से पहले प्राप्ति एवं सुख चाहते हैं।

भारत को इस बात का अहसास है कि दोनों देशों के बीच कटुता एवं वैमनस्यता का वातावरण तभी समाप्त होगा, जब आम आवाम की निकटता बढ़ेगी और इनके लोग नज़दीक आएंगे। अपनी सांझा संस्कृतियों एवं परम्पराओं को पहचानेंगे और एक-दूसरे के रीति-रिवाज़ और रहन-सहन की समानता को देखेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों देशों के लोगों का एक-दूसरे के यहां आना-जाना बढ़े। 'पीपुल टू पीपुल कांटैक्ट' इस समझौते की एक कूटनीति का हिस्सा है। पाक अधिकृत कश्मीर के लोग जब भारत के कश्मीर में आए, तो उन्हें पता लग जाएगा कि उन्हें आखिर किस तरह से बरगलाया जा रहा था। इस जन्नत की हकीकत कुछ और ही है। इसी प्रकार कश्मीर के निवासी जब पाक अधिकृत कश्मीर जाएं, तो यह स्पष्ट सन्देश दें कि हमारे यहां की स्थितियां कितनी बेहतर और लोकतन्त्र की परिचायक हैं। ऐसा करके ही पाक के नापाक इरादों तथा पाक खुफिया तन्त्र आई.एस.आई. की रणनीति को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा सकेगा।

भारत एवं पाकिस्तान ने अपनी-अपनी नीतियों में नीतिगत बदलाव करके आखिरकार इस समझौते को अन्जाम दिया। जहां भारत ने इस मार्ग की यात्रा के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की औपचारिकता छोड़ दी वहां पाकिस्तान ने भी यह शर्त हटा दी कि बस-सेवा का इस्तेमाल केवल कश्मीरी लोग ही करेंगे। दोनों देशों के बीच इस बात पर भी सहमति हुई कि सभी भारतीय एवं पाकिस्तानी नागरिक इस प्रस्तावित बस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, किन्तु किसी तीसरे देश के नागरिक को इस बस-सेवा में सफर की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान पहले इस बात पर जोर दे रहा था कि यह सुविधा सिर्फ नियन्त्रण रेखा के दोनों तरफ रहने वाली कश्मीरियों को ही मिले। इस बस सेवा का स्पष्ट संकेत है कि भारत

नियन्त्रण रेखा पर सामान्य स्थिति की ज़रूरत महसूस करता है। इस दोस्ती की बस से कश्मीर (श्रीनगर) से पाक अधिकृत कश्मीर (मुजफ्फराबाद) तक सड़क सेवा सम्पर्क 7 अप्रैल से शुरू हो गयी, जिससे नि:सन्देह मित्रता एवं प्रगाढ़ सम्बन्धों की एक नई सार्थक शुरुआत हुई और आखिर नफ़रत की दीवार गिराने की सोच भी सुदृढ़ हो गयी।

सहमति के बिन्दु—

- मुजफ्फराबाद के बीच सात अप्रैल से प्रस्तावित बस-सेवा शुरू हो गयी।
- दोनों देश गैस पाइप लाइन पर विचार करने को सहमत।
- भारतीय कोस्ट गार्ड और पाकिस्तानी मेरी टाइम सिक्योरिटी के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने और मिसाइल टेस्ट करने के पहले इसकी नोटिस देने पर सहमति।
- अमृतसर और लाहौर के बीच बस सेवा तथा धार्मिक स्थलों की यात्रा करने सम्बन्धी समझौते का प्रारूप बनाने पर सहमति।
- न्यूक्लियर एक्सीडेंट ओर समुद्र में होने वाली घटनाओं के रिस्क को कम करने सम्बन्धी बातचीत की पहल।
- मुनाबाओ-खोखरापार रेल लिंक की शुरुआत करने पर सहमति।
- सार्क की 13वीं बैठक को यथाशीघ्र बुलाने पर सहमति।
- व्यापार और आर्थिक को ऑपरेशन पर सांझा स्टडी ग्रुप की बैठक की सहमति।
- दक्षिण-एशिया में स्थायित्व और शान्ति बहाल करने पर सहमति।
- पाकिस्तानी रेल मन्त्रालय के निर्देश जारी कर मुनाबाओ और खोखरापार रेल-सेवा को अतिशीघ्र चालू करने पर सहमति।
- कराची और मुम्बई में वाणिज्य दूतावास खोलने पर सहमति।
- मछुआरों और अन्य जेल बन्दियों को जल्द छोड़ने सम्बन्धी निर्णय लेने पर रजामन्दी।
- बगलीहार और किसानागंगा प्रोजेक्ट के सम्बन्धी गतिरोध शीघ्र निपटाने पर रजामन्दी।
- कम्पोजिट डायलाग की प्रक्रिया को जारी रखने पर सहमति।

इन बिन्दुओं पर सहमति के पूर्व पाकिस्तान इस जिद पर अड़ा था कि श्रीनगर एवं मुजफ्फराबाद के बीच वीजा व पासपोर्ट की औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। आखिर भारत ने उसकी जिद को रखते हुए भारत-पाक रिश्ते को बेहतर बनाने का एक नया कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनने वाली बगलिहार परियोजना पर पाकिस्तान का कहना है कि चेनाब नदी पर 475 फुट ऊंचा बांध बनने से भारत नदी के बहाव में फेर-बदल कर सकता है। पाक के इस तर्क से आपसी मतभेद व रिश्तों की खटास के कारण तनाव चल रहा था। भारत को इस दोस्ती की दस्तक से यह लाभ होगा कि अब यह बगलिहार परियोजना पर पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में समन्वय कर सकेगा। यह अवश्य है कि बगैर पासपोर्ट व वीजा की औपचारिकता के द्वारा आरम्भ होने वाली बस यात्रा का दुरुपयोग घुसपैठिए या आतंकवादी संगठन न कर सके। इसके लिए जहां यात्रा प्रक्रिया पर कड़ी नजर व निगरानी वाली प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत होगी वहां सुरक्षा व्यवस्था को निरन्तर सजग रखना होगा। यात्रा को सरल बनाने की प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर पहले विश्लेषण किए जाने की विशेष ज़रूरत है, ताकि दोस्ती की सौगात एवं सद्‌भावना की शुरू होने वाली सड़क में कोई दरार न आए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर आव्रजन जांच अनिवार्य बनाई जाए, ताकि यात्री के पूरे परिचय की पड़ताल सही रूप में की जा सके और पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही यात्रा की अनुमति देने की ज़रूरत है।

यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि दोस्ती की एक और आगे बस बढ़ने के साथ दोनों देशों के बीच मुनाबाव-खोखरापार रेल लिंक पर भी सहमति बनी है। इस योजना का क्रियान्वयन आगामी अक्तूबर माह से आरम्भ होने की सम्भावना व्यक्त की गई। इस प्रकार दोनों देशों के आपसी रिश्तों को पटरी पर लाने का एक संवेदनशील एवं महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है, इसे आवाम की आवाज़ का अंजाम भी कहा जा सकता है। मुन्नाबाव (भारत) व खोखरापार (पाकिस्तान) के बीच चलने वाली रेल-सेवा 1965 के युद्ध के दौरान से बन्द हो गई थी। इस रेल-मार्ग का निर्माण 1890 में जोधपुर के महाराज ने बाड़मेर से सादीपल्ली के लिए करवाया था और 22 दिसम्बर, 1900 में इस पर रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। आज़ादी के बाद भारत व पाकिस्तान दोनों देश छह-छह माह अपने रेलगाड़ी इस रेलवे लाइन पर चलाते थे। आखिर दोनों देशों के बीच खिंची दीवार में एक रास्ता फिर बनाया जा रहा है। नि:सन्देह वह एक सुखद सन्देश

है। देश के विभाजन के बाद इस क्षेत्र के लोग निरन्तर तनाव में अपना जीवन-यापन कर रहे थे। अमृतसर एवं लाहौर के बीच तथा ननकाना साहिब सिक्ख तीर्थों के लिए सीधे बस सेवा शुरू करने की दिशा में हुई प्रगति सम्बन्धों को और अधिक प्रमाद बनाने के लिए निश्चित रूप से सक्रिय सहयोग देगी। कश्मीर देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनेगा, अलगाव का अन्त होगा और शान्ति के साथ विकास के नये युग की शुरुआत होगी।

नि:सन्देह इन उठाए गए सामयिक कदमों से जहां दोनों देशों के बीच पैदा हुई कटुता, वैमनस्यता, ईर्ष्या, तनाव व विरोध को विराम मिलेगा, वहां इसका प्रत्यक्ष प्रभाव राजनयिक सम्बन्धों पर भी पड़ेगा। सच बात यही है कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बहाली का यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। चूंकि ये समझौता केवल बस समझौता ही नहीं है, बल्कि सम्बन्धों की शुरुआत की एक बड़ी बुनियाद भी है। कश्मीर को सड़क मार्ग से जोड़ने के बहाने दोनों देशों ने शान्ति और मैत्री की आवश्यक पहल की है। श्रीनगर मुज़फ्फराबाद के बीच बस सेवा की शुरुआत के एक हफ्ते के भीतर कश्मीर घाटी को सीधे रेल सेवा से जोड़ना इसी बदलाव की निशानी है।

इस सबके बावजूद हमें इस बात पर निरन्तर सजग एवं जागरूक रहने की भी सामयिक ज़रूरत रहेगी कि इस मार्ग का दुरुपयोग न हो। सम्बन्धों में सुधार के साथ-साथ यह बात विचारणीय है कि इस संवेदनशील मामले को कभी भी उपेक्षित या अनदेखा करने से भारी आघात भी उठाना पड़ सकता है। हाल ही में पाक राष्ट्रपति मुशर्रफ ने शान्ति प्रक्रिया के बीच सम्बन्धों में दरार डालने वाली बयानबाजी करते हुए कहा कि 'कारगिल युद्ध से भारत को कश्मीर विवाद की हकीकत का एक झटके से अहसास हो गया।' इसके साथ ही भारत को प्रबल विरोधी या कट्टर दुश्मन कहकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पहले ही दोनों देशों के सुधरते सम्बन्धों की बुनियाद हिलाकर बस सेवा की शुरुआत को बेहाल बनाने का एक घातक संकेत दे दिया। पाकिस्तान में लोकतान्त्रिक संस्थाओं का दमन एवं दबाव की प्रक्रिया एवं सैन्यतन्त्र की बढ़ती निरन्तर दखलअन्दाज़ी पर भी हमें सजग एवं सतर्क रहने की सामयिक ज़रूरत है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विश्वास वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है, किन्तु उसके साथ विश्वासघात होना एक बहुत बड़ा भीतरघात साबित होगा। शान्ति बहाली एवं दोस्ती के कदम सराहनीय कार्य है, किन्तु अतीत व वर्तमान स्थितियां हमें सुरक्षा के सन्दर्भ में सतत सतर्क रहने के भी स्पष्ट संकेत दे रही है। यह भी सत्य है कि दोनों देशों के लिए शान्ति का रास्ता कठिन ज़रूर है किन्तु इन्हीं रास्तों से गुज़रते हुए ही मंज़िल तक पहुंचा जा सकता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

भारत-पाकिस्तान के साथ चल रही शान्ति प्रक्रिया की प्रारंनगिकता को लेकर अनेक प्रश्न पुन: अंकित हो गये हैं। जब तक पाक समर्पित आतंकवादी शिविर पर पूर्ण विराम नहीं लगता, सम्बन्धों में वास्तविक सुधार की बात काल्पनिक ही रहेगी। हाल ही में जिस तरह की घटना कश्मीर के गुरेज इलाके में हुई है या अयोध्या में जो आतंकवादी हमला हुआ अगर उस तरह की दो-तीन घटनाएं हो गईं तो निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही समग्र वार्ता प्रक्रिया प्रभावित होगी। अभी तो भारत की कोशिश यही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत चलती रहे और शान्ति बहाली की जो मुहिम शुरू हुई है उसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसा होना अभी ज़रूरी भी है। लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकवाद के ढांचे पर प्रहार नहीं करता है और उसे खत्म करने के अपने वादे को पूरा नहीं करता है तो फिर भारत के लिए वार्ता प्रक्रिया को चलाए रखना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भारत यह नहीं चाहेगा कि समग्र बातचीत की प्रक्रिया बाधित हो। निश्चित रूप से ऐसा पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा क्योंकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि प्रभावित होगी। लेकिन अगर आतंकवादी घटनाएं जारी रहीं तो भारत के लिए वार्ता जारी रखना लॉजिकली सम्भव नहीं रह जाएगा। आखिरकार भारत एक लोकतान्त्रिक देश है और यहां सरकार को लोगों और संस्थाओं के प्रति जवाबदेह होना होता है।

आतंकवादी संगठन जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनसे भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत के भीतर तीन इस्लामी मुल्क बनाने की बात की जा रही है। जिस दिन अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ उस दिन हाफिज मोहम्मद सईद ने यह बात दोहराई। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्यार-मोहब्बत की बातें हो रही हैं, वो एकदम बेकार की बातें हैं। जब तक आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुकती हैं, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को दी जा रही मदद नहीं बन्द हो जाती है और पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी शिविरों पर ताला नहीं लग जाता है तब तक

इन बातों से कुछ नहीं निकलना है। मुझे लगता है कि अब तक हुई बातचीत के कारण कम-से-कम एक नुकसान तो अवश्य हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कारवाई की क्षमता खो दी है। भारत के वहां जितने भी सम्पर्क थे, खत्म हो गए हैं। मुशर्रफ ने सबको खरीद लिया है। तो सवाल है कि कितने दिनों तक इसको बर्दाश्त किया जाएगा?

अपने देश में जिस तरह से हो रहा है वह भी ठीक नहीं है। उधर आतंकवादी अयोध्या पर हमला कर रहे थे तो इधर वामपंथी पार्टियों के नेता उसकी निन्दा करने की बजाय प्रधानमन्त्री से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से चलने वाली वार्ता बन्द नहीं होनी चाहिए। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वार्ता की प्रक्रिया बाधित न हो। दरअसल, चीन और अपने देश की वामपन्थी पार्टियां चाहती हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसे वह करने दिया जाए। हम पिछला इतिहास देखें तो पता चल जाएगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने कभी भी पाकिस्तान के समर्थन से चलने वाले आतंकवाद की खुल कर आलोचना नहीं की है। यह स्थिति ठीक नहीं है। हम जो यह सोच रहे हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ हमारी तरफ प्यार-मोहब्बत की नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन हमारी यह सोच गलत है। वे समग्र बातचीत की प्रक्रिया का लाभ उठा रहे हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने कारगिल के युद्ध को अन्जाम दिया था। इसलिए उनसे दोस्ती की बात सोचना भी गलत है। जब सतीश चन्द्र साहिब पाकिस्तान में उच्चायुक्त थे। उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि जनरल मुशर्रफ जितना भारत विरोधी जनरल पाकिस्तान में दूसरा नहीं हुआ। ऐसे आदमी के साथ शान्ति वार्ता से क्या हासिल होना है? देश की सीमाओं से लेकर हमारी आन्तरिक सुरक्षा तक आतंकवादियों का खतरा झेल रही है और हम शान्ति की बात कर रहे हैं। सियाचिन क्षेत्र से सेना हटाने की बात पर भी भारत को गंभीरता से लेना होगा। इस मामले में जल्दबाजी से निर्णय कदापि उचित नहीं होगा। भारत शान्ति का प्रबल पक्षधर रहा है और आज भी है, किन्तु सुरक्षा के संवदेनशील मामलों में समझौता सजगता से करना ही हमारे हित में होगा।

12

भारत-चीन सम्बन्ध (INDO-CHINA RELATIONS)

एशिया के दो शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में चीन एवं भारत को जाना जाता है और इनके सम्बन्धों का इतिहास दो हज़ार वर्ष से भी पुराना है। दोनों राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा धार्मिक सम्बन्ध रहे हैं—किन्तु सैनिक सम्बन्धों में सीमा-विवाद के कारण 1962 में हुए युद्ध से तनाव एवं चौकसी की स्थिति अभी तक रही है। समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ भारत और चीन के वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर शान्ति बनाये रखने को एवं तनातनी को कम करने के लिए 7 सितम्बर, 1993 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके अन्तर्गत दोनों राष्ट्र सीमा पर तैनात सेना की संख्या में कटौती कर सकेंगे तथा दोनों ही राष्ट्र एक-दूसरे के विरुद्ध न तो शक्ति का प्रयोग करेंगे और न ही धमकी देंगे। इस प्रकार चीन के साथ सैनिक सम्बन्धों में भी कुछ सीमा तक सुधार हुआ है।

स्वतन्त्र भारत ने 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश दासता की जंजीरों को तोड़ दिया और दूसरी ओर चीन ने 1 अक्तूबर, 1949 को माओ-त्से-तुंग की ऐतिहासिक विजय तथा "अमेरिका घोषित च्यांगकाई शेक की तानाशाही शासन" फारमोसा को भागना पड़ा। भारत ने स्वतन्त्रता के साथ ही चीन के साथ सुमधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। इसके निम्नलिखित कारण थे—

(1) सह-अस्तित्व एवं विकास के लिए।
(2) सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्धों के विकास के लिए।
(3) भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए।
(4) नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों के समान हितों की रक्षा के लिए।
(5) रक्षा-व्यय को कम करने के लिए।

चीन में जनवादी शासन की स्थापना के बाद भारत ने तुरन्त ही इसे मान्यता प्रदान कर दी। भारत को सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए उस समय ही आघात लगा जबकि चीन ने तिब्बत पर अपनी कार्यवाही की। इसके बावजूद भारत ने मित्रता की बागडोर को मज़बूती से थामे रखा जिसका उदाहरण 29 अप्रैल, 1954 को तिब्बत क्षेत्र पर की गई सन्धि है। वर्ष 1954 में दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने एक-दूसरे देश की यात्रा की। भारत ने चीन की संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ज़ोरदार वकालत की तथा अफ्रीकी एशियाई देशों के 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन में पण्डित नेहरू ने चीन के चाउ-एन-लाई को विशेष महत्त्व दिया था। इसके बावजूद चीन की महत्त्वाकांक्षा बनी रही और मित्रता की डोर को झटके देने शुरू कर दिये और सीमा पर अपनी स्थिति मज़बूत करनी शुरू कर दी और 20 अक्तूबर, 1962 को चीन ने उत्तर-पूर्व में कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र और पूर्व में 'नेफा' (NEFA) में मैक मोहन लाइन पार करके भारत पर ज़ोरदार आक्रमण भी कर दिया।

तनाव के कारण—भारत-चीन सम्बन्धों का उल्लेख करते समय यह प्रश्न अवश्य उठता है 'चीनी-हिन्दी भाई-भाई' का ज़ोरदार नारा लगाने वाले चीन ने आखिर दोस्ती को दुश्मनी में क्यों बदल दिया? हम अब चीन एवं भारत के मध्य तनाव के कारणों का संक्षिप्त में उल्लेख करते हैं—

(1) तिब्बत
(2) सीमा-विवाद
(3) पाक के साथ गुप्त समझौते
(4) एशिया में सर्वोच्च बनने की इच्छा
(5) सोवियत संघ के रिक्त स्थान में आने की आकांक्षा

1. तिब्बत (Tibet)

भारत-चीन सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होने का प्रथम कारण तिब्बत को माना जाता है। तिब्बत, भारत एवं चीन के मध्य एक मध्यवर्ती (Buffer) राष्ट्र था, जोकि उत्तर तथा पूर्व में चीन, पश्चिम में कश्मीर (भारत), दक्षिण में नेपाल, भूटान, सिक्कम (भारत) से घिरा हुआ 4,75000, वर्गमील क्षेत्रफल में फैला हुआ तथा लगभग 40 लाख जनसंख्या से

युक्त है। ऐतिहासिक दृष्टि से तिब्बत 1720 से 1792 के वर्षों में एक स्वतन्त्र राष्ट्र रहा। इस बात का प्रमाण है कि जब डोगरा सेनापति जोरावर सिंह ने तिब्बत पर 1841 में तथा नेपाल ने 1856 में तिब्बत पर आक्रमण किया तब उसे चीन से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। यह बात भी उल्लेखनीय है, कि विगत 300 वर्षों में तिब्बत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने अधिकारों का स्वयं हस्ताक्षरकर्त्ता रहा है। इसके लिए निम्नलिखित सन्धियों के प्रमाण हैं[1]—

(क) लद्दाख तिब्बत सन्धि (1684)
(ख) कश्मीर-तिब्बत सन्धि (1842)
(ग) नेपाल-तिब्बत सन्धि (1856)
(घ) ब्रिटेन-तिब्बत सन्धि (1904)

लॉर्ड कर्जन के शासन काल में जब भारत की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास हुआ, तब 7 सितम्बर, 1904 को कर्जन के प्रतिनिधि सर फ्रांसिस एण्डर एवं तत्कालीन दलाईलामा के मध्य एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार ब्रिटेन ने तिब्बत पर चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकृति दी थी, परन्तु इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, जिसके अनुसार तिब्बत को चीन के अधीन माना जाए। सन् 1906 में चीन ने समझौते को स्वीकार भी कर लिया था। इसके बावजूद सन् 1911 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके वहां सैनिक शासन की स्थापना कर दी। सन् 1912 में तिब्बत की जनता ने चीनी सैन्यवाद का विरोध किया और घोषित किया कि तिब्बत चीन के अधीन नहीं है। सन् 1914 में आयोजित शिमला सम्मेलन में तिब्बत ने एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में भाग लिया। इसी सम्मेलन में भारत, चीन एवं तिब्बत के मध्य सीमा-रेखा के रूप में मैकमोहन रेखा की कल्पना की गई।

1914 में हुए शिमला सम्मेलन के अन्तर्गत यह तय हुआ था कि—

(1) तिब्बत चीन का अधिराज्य (*Suzerainty*) बना रहेगा।
(2) चीन तिब्बत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
(3) चीन तिब्बत को अपने राज्य का प्रान्त कभी भी घोषित नहीं करेगा।

चीन ने इस सन्धि को ताक पर रखते हुए तिब्बत पर अपनी सम्प्रभुता का दावा किया, क्योंकि चीन अपनी स्वतन्त्रता के बाद विदेशी हस्तक्षेप की कोई गुन्जाइश नहीं छोड़ना चाहता था। चीन को यह कटु अनुभव था, कि ब्रिटेन एवं रूस ने तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश की थी। इस कारण चीन नहीं चाहता था कि कोई इस खेल को पुन: दुहराये। इसके इरादे उस समय ही मुखरित हो गये जब 1947 में दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों की समस्या सम्मेलन में प्रकाशित मानचित्र में तिब्बत को अलग दिखाया गया तथा अलग से बुलाया गया था। उस समय चीन ने इस पर विरोध व्यक्त किया था।[1]

1 जनवरी, 1950 को चीन के साम्यवादी शासन ने "तिब्बत के मुक्तिकरण" को चीनी जनवादी मुक्ति सेना का प्रमुख कार्य घोषित किया और 7 अक्तूबर, 1950 को तिब्बत पर सैनिक कार्यवाही बिना किसी चेतावनी शुरू कर दी। इससे भारत को एक आघात लगा। तिब्बत के सन्दर्भ में 1 दिसम्बर, 1949 को मुख्यमन्त्रियों के पाक्षिक पत्र में पण्डित नेहरू ने लिखा था—

"तिब्बत के बारे में हमारी नीति अपेक्षाकृत अस्पष्ट रही है। यह अस्पष्टता हमें ब्रिटिश युग की विरासत के रूप में मिली है। हमने एक तरह से अस्पष्ट चीनी अधिराजत्व की सीमा में तिब्बत की स्वायत्तता को मान्यता दी है। साफ-साफ कहा जाये तो कानूनन हम इस अधिराजत्व से इन्कार नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि तिब्बत स्वायत्त हो और हमसे सीधे व्यवहार रखे और हम इसके लिए दबाव भी डालेंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम कोई ऐसा असरदार दबाव नहीं डाल सकते जिससे चीन के घटना प्रवाह को बदला जा सके। अत: हम भविष्य में जो भी कदम उठायें उसके प्रति हमें सतर्क रहना होगा, ताकि हम ऐसी चेष्टाओं में न उलझ जायें जो हमारी शक्ति से परे (बाहर) हैं।[2]

सन् 1950 में चीन ने पुन: तिब्बत पर आक्रमण कर व्यापक आतंक फैला दिया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत के प्रयास से सन् 1951 में तिब्बत एवं चीन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार, चीन तिब्बतवासियों के धार्मिक, कलात्मक एवं साहित्यिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस समझौते में चीन ने तिब्बत को स्वायत्त शासन के साथ भारतीय हितों के संरक्षण की शर्त को स्वीकार किया। सन् 1954 में चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई की भारत यात्रा के अवसर पर पंचशील सिद्धान्त पर हस्ताक्षर हुए एवं भारत-चीन सम्बन्धों की एक नवीन परम्परा विकसित हुई। परन्तु सन् 1958 में चीनी कुशासन के विरोध में तिब्बत में विद्रोह प्रारम्भ हुआ, जिसे दलाईलामा का समर्थन प्राप्त था। चीनी शासकों ने विद्रोह को कुचलना प्रारम्भ किया एवं दलाईलामा ने भाग कर भारत में शरण ली।

1. डॉ० एस० एस० बिन्द्रा—इण्डिया एण्ड हर नाइबर्स—पेज 90
2. साप्ताहिक रविवार पत्रिका—8 से 14 जनवरी 1989

चीन ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्य बताया एवं भारत पर विस्तारवादी होने का आरोप लगाया। जब भारत ने सन् 1962 में चीन के सामने सीमा-विवाद हल करने का प्रस्ताव रखा, तब चीन ने इसकी उपेक्षा करते हुए आक्रमण कर दिया एवं नेफा और लद्दाख के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध में भी चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया और सन् 1971 में यही पुनरावृत्ति हुई।

भारत एवं चीन के सम्बन्धों में दूरियां उस समय से अधिक बढ़ीं जब तिब्बती नेता दलाईलामा ने 1957 में भारत में शरण ली। इस मामले को लेकर चीन भारत से दोस्ती करने में कतराता रहा है क्योंकि तिब्बत शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या भारत में रह रही है। अतः सम्बन्धों में तनाव का एक प्रमुख कारण तिब्बत को माना जाता है। 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का अंक बताकर भयंकर भूल की जिस से यह और गलती हुई कि चीन से सीमा का स्पष्ट निर्धारण भी नहीं करवाया।

2. सीमा-विवाद

भारत एवं चीन के सम्बन्धों में तनाव का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण सीमा-विवाद है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं चीन के मध्य लगभग 3840 कि० मी० लम्बी सीमा रेखा है, जो विभिन्न सन्धियों द्वारा परिभाषित तथा परम्पराओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोनों देशों के मध्य मुख्य सीमा विवाद पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में लद्दाख से लगती सीमा पर है। उत्तर प्रदेश से लगती सीमा पर बहुत छोटे मतभेद हैं।

पश्चिमी क्षेत्र को चीन पूरे मन से चाहता है। उसने युद्ध से पहले ही अपना सिकियांग राजमार्ग अक्साई चिन होकर बनाया था। सन् 1962 में अपने एक-तरफा युद्ध विराम के बाद चीन ने अपने दावे वाले पूरे क्षेत्र को अपने अधीन रखते हुए नियन्त्रण रेखा बनायी। भारत का कहना है, कि यहां चीन ने उसकी 12000 वर्गमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। इसमें पाकिस्तान द्वारा अधिकृत वह क्षेत्र भी है जिसे चीन को दे दिया है।

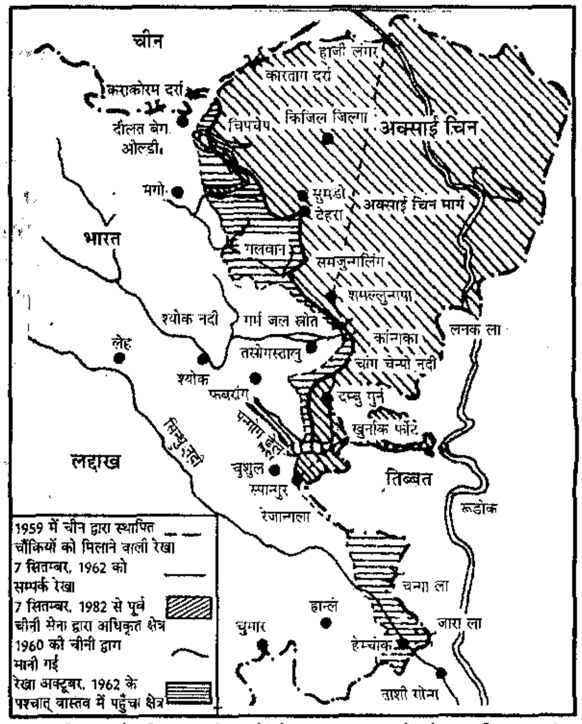

पश्चिमी लद्दाख क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र में चीन हिमालय की तलहटी तक पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। वर्ष 1962 में चीन ने इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया था, पर युद्ध विराम के बाद वह पहले वाली स्थिति पर वापस चला गया। इस क्षेत्र में चीन का दावा पश्चिमी क्षेत्र में भारत से रियासतें लेने के लिए दबाव के रूप में है। अरुणाचल प्रदेश पर वह अपना दावा बताता है। वर्ष 1987 में इस क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) की एक सीमा चौकी पर चीनियों के कब्ज़ा करने से जुड़ी सुमदुरुंग चू (वांगदुंग) की घटना इसके तनाव का एक उदाहरण है।

मैकमोहन रेखा—दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद की मुख्य जड़ मैकमोहन रेखा है। अप्रैल, 1914 में भारत और तिब्बत तथा तिब्बत व चीन के बीच सीमा के निर्धारण के लिए तीनों राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा शिमला समझौता किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने भाग लिया। इसमें बाहरी तिब्बत और भारत के बीच ऊंची पर्वत श्रेणियों को सीमा मानकर एक मानचित्र पर लाल पेंसिल से रेखा बनायी गयी, जिसमें तीनों प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। इसी सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से कहा जाने लगा। चीन को आन्तरिक तिब्बत और बाहरी तिब्बत के मध्य सीमा निर्धारण पर आपत्ति थी, इसी कारण उसने बाद में इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, किन्तु भारत और तिब्बत की सीमा के बीच उसे कोई आपत्ति नहीं थी। यही कारण है कि जब तिब्बत को चीन का अंग मानने वाले 1954 के भारतीय समझौते के दौरान चीन ने भारत-तिब्बत सीमा को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया तो भारत यह मान बैठा कि मैकमोहन रेखा पर कोई आपत्ति नहीं है।

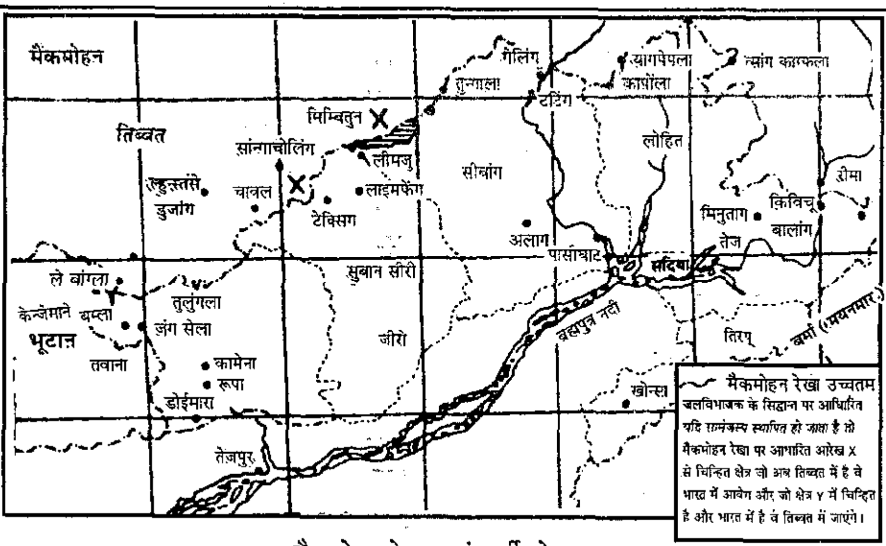

मैकमोहन रेखा एवं पूर्वी क्षेत्र

23 जनवरी, 1959 को चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई ने भारत सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों देशों के बीच कभी भी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है। जैसा कि उनके पत्र से स्पष्ट है—

"I wish to point out that the Sino-Indian boundary has never been formally delimited. Historically, no treaty or agreement on the Sino-Indian boundary has ever been concluded *between the Chinese Central Government and the Indian Government.*"[1]

(भारत एवं चीन के बीच कभी भी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ है। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र के विरुद्ध आक्रमणकारी नीति का परिणाम थी। कानूनी तौर पर उसे वैध नहीं माना जा सकता है।)

इस प्रकार दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव का एक प्रमुख कारण सीमा-विवाद है जोकि अभी तक ज्यों का त्यों उलझा पड़ा है। अक्साईचिन का क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा चीन को दिये जाने के कारण सीमा समस्या और अधिक जटिल हो गयी है। सामरिक महत्त्व के इस क्षेत्र को चीन कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा और इसी कारण उसने इस क्षेत्र को अनेक राजमार्गों से जोड़कर अपनी स्थिति को और सुदृढ़ बना लिया है।

3. पाक के साथ गुप्त समझौते

भारत एवं चीन के मध्य सम्बन्धों में तनाव का एक प्रमुख कारण पाकिस्तान एवं चीन की गुप्त मन्त्रणा भी है। यह सर्वविदित तथ्य है कि पाकिस्तान भारत का जन्मजात विरोधी है और आज तक भारत-विरोधी कार्यवाही करने में चूक नहीं रहा है। अत: दुश्मन के साथ दोस्ती रखने वाले के साथ सहयोग की बातें सदैव आशंका से घिरी होंगीं। भारत को सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाला तो चीन का पाक-प्रेम है। वह तो पाकिस्तान का जैसे सैन्य पुरोधा (मुखिया) ही बन बैठा है। चीन न सिर्फ उसे अपरिमित मात्रा में हथियार प्रदान कर रहा है, बल्कि तकनीकी, संशोधन, परिष्करण, प्रशिक्षण तथा कलपुर्जे, उपकरण उपस्कर भी दे रहा है, वह भी सारे नियमों एवं कानूनों को ताक पर रखकर। वर्तमान समय में पाकिस्तान सरकार की अन्दरूनी विफलताएं कूटनीतिक हताशा, कश्मीर समस्या, आई० एस० आई० की बढ़ती गतिविधियां तथा सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत की आशंका बढ़ना लाज़मी है।

भारत-पाक सम्बन्धों में जब भी तनाव आया है, उसे चीन की ही शह मिली है। चीन ने विगत वर्ष पाक के साथ गुप्त सैनिक सन्धि करके एच० वाई०-5 नामक ज़मीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र दिये। इसके पूर्व एस-300 तथा एम-11 नामक ज़मीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र को भी बेच चुका है। चीन पाक को ऐसे हथियारों की खेप भी दे रहा है जिसकी फिलहाल पाकिस्तान को ज़रूरत भी नहीं है या फिर उसकी औकात से ज़्यादा है। आधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली जुटाने से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करने के लिए छटपटाने लगता है। चीन इन हथियारों के *सामरिक समीकरणों को समझकर ही पाकिस्तान* को दे रहा है।

अत: पाक के साथ सामरिक समझौता करके भारत के साथ मित्रता की बातें करना तहे-दिल से सम्भव नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारत-चीन सम्बन्धों में तनाव का एक प्रमुख कारण चीन-पाक गुप्त समझौते को भी माना जाता है।

1. Quoted by Deljit Sen Adel. Page 30

4. एशिया में सर्वोच्च बनने की इच्छा

एशिया में पश्चिमी देशों के लिए दो बड़े बाज़ार हैं एक चीन और दूसरा भारत। चीन ने अपने को एशिया का सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न राष्ट्र घोषित करने के लिए भारत के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। यद्यपि एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश विश्व व्यापार में बड़ी भागेदारी रखने लगा है। हथियारों के निर्यात के क्षेत्र में कभी चीन बहुत प्रयासों के बाद 1.8 प्रतिशत की साझेदारी कर पाता था, आज वह बढ़कर 8 प्रतिशत तक हो गयी है और अनुमान है कि 1995 तक यह सांझेदारी 10 प्रतिशत को भी पार कर जायेगी।

एशिया के राजनयिक विश्लेषकों का अनुमान है चीन सुरक्षा के मामलों में अमेरिका के बराबर दिखने के लिए संकीर्ण रवैया अपना रहा है। अगर चीन ने ऐसा रवैया अपनाना जारी रखा, तो एशियाई देशों के साथ उसके सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं। चीन द्वारा किया गया 32वां परमाणु परीक्षण उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रतीक है। दक्षिण एशियाई राजनयिकों का कहना है कि इस परमाणु परीक्षण से एशियाई देशों को यह विश्वास हो चला है कि चीन के नीति निर्धारण में वहां की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (P.L.A.) की भूमिका बढ़ रही है। एशियाई देश अपने इस आंकलन के कारण सतर्क हो गये हैं कि चीन एशिया में अपने पैर पसारना चाहता है। एशियाई देश दक्षिणी चीनी सागर के तेल समृद्ध द्वीपों पर चीन द्वारा हवाई अड्डे बनाये जाने के मामले से चिन्तित हैं। इन द्वीपों पर चीन, वियतनाम, फिलीपीन्स, मलेशिया और बुनेई अपना दावा करते रहे हैं। एशियाई देशों का मानना है कि अमेरिका को धता बताने की चीन की महत्त्वाकांक्षा क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। चीन एशिया में भारत को ही अपना प्रतिद्वन्द्वी मानता है, इसलिए चीन की बढ़ती महत्त्वाकांक्षा के कारण हमारे सम्बन्धों में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है।

5. सोवियत संघ के रिक्त स्थान में आने की आकांक्षा

चीन के राजनयिक सोवियत संघ के विघटन को बड़ी गम्भीरता से लेते हैं। उनका विश्वास है कि चीन ही विश्व-राजनीति में सोवियत संघ के रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपनी नवीन आर्थिक नीतियां अपना रहा है तथा हथियार बाज़ार में अपनी चौधराहट कायम करने की जो चाहत दिखाई है वह विश्व-विख्यात है। चीन के इस नये रुख ने दक्षिण एशियाई देशों को चिन्ता में डाल रखा है। विशेष रूप से भारत के आस-पास चीन जिस तरह से हथियारों के जखीरे जमा करने में सहायता कर रहा है, वह बात भारत के लिए बहुत चिन्ताजनक है और हमारे सम्बन्धों में तनाव का एक महत्त्वपूर्ण कारण भी है जिसे वास्तव में अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान समय में चीन की मुख्य समस्या अमेरिका की 'नवीन विश्व-व्यवस्था' है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, यह भी चिन्ता का विषय है चीनी नीति-निर्धारक तर्क देते हैं कि द्विध्रुवीय विश्व (सोवियत संघ एवं अमरीकी गुटों का प्रभुत्व काल) में एक महाशक्ति दूसरे को सन्तुलित बनाए रख सकती थी, लेकिन अमेरिका अब एकाकी फैसला कर सकता है जिसे विश्व-जनमत स्वीकार करेगा अथवा नहीं? अतः सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् 'बहुध्रुवीय विश्व' की उत्पत्ति होनी ही चाहिए। चीन यह चाहता है कि तीसरी दुनिया के देश उसका साथ दें। चीनी नेता इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था में चीन एक महाशक्ति के रूप में सामने आ सकता है। उनके मतानुसार, किसी भी देश का न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही शत्रु। बस स्थायी ज़रूरतें होती हैं अतः तीसरी दुनिया के देशों को चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपनी विदेश नीति तय करें। सम्प्रति चीनी धारणा के अनुसार, भविष्य में महाशक्ति के रूप में उभरने का आधार आर्थिक सुदृढ़ता होगा न कि मात्र राजनीतिक शक्ति। यही कारण है कि चीन की सम्पूर्ण आन्तरिक एवं बाह्य नीतियां आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही सुनिश्चित की जा रही हैं। भारत के साथ सीमा-व्यापार प्रारम्भ करने के नेपथ्य में भी चीन की यही नीति है।

वास्तव में चीन सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के बाद एकल महाशक्ति के रूप में उभरना चाहता है। इसके लिए एक ओर जापान व दूसरी ओर कोरिया को अपने विशाल आकार में छिपाना चाहता है तो दूसरी ओर एशिया की एक मात्र बड़ी चुनौती भारत को भी दबाव व तनाव में रखने के लिए चारों तरफ से अपनी परिधि में समेटने के प्रयास कर रहा है। चीन भारत के पड़ोस में जो हथियारों का ज़खीरा जमा करवा रहा है, उससे भारत को अपना हथियार व्यय स्वाभाविक रूप से बढ़ाना होगा। इस प्रकार यहां शक्ति के रूप में खड़े होने की चीन की आकांक्षा हथियारों की होड़ बढ़ाकर सम्बन्धों में तनाव की स्थिति को भी बरकरार कर रहा है।

भारत-चीन सम्बन्ध (1960-1965)

भारत-चीन के साथ 1960 से 1962 के पूर्व अनेक बार चीनी अतिक्रमण के कारण भारतीय सीमा रक्षकों के साथ झड़पें हुईं। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा चीन ने झुठला दिया और अपनी सामरिक एवं कूटनीतिक गतिविधियों के

द्वारा भारतीय भू-भाग पर अधिकार जमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 10 अक्तूबर, 1962 को चीन ने सिक्यांग प्रान्त के भाग पर अपना दावा करते हुए उत्तर पूर्व में कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र तथा **'नेफा' (NEFA) में मैकमोहन रेखा को पार कर भारत पर जोरदार हमला कर दिया। भारत इस आक्रमण के बारे में पूरी तरह से उदासीन था और मौके का लाभ** उठाकर चीन ने हमारी पीठ पर बड़ी बेदर्दी से छुरा घोंपा था। वास्तव में चीन विश्व को बता देना चाहता था कि वह एशिया में उभरती हुई ताकत है और उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। विश्व की परवाह किये बिना उसने परमाणु क्षमता हासिल की। बिल्कुल पड़ोसी होने के कारण भारत चीन की किसी भी हरकत को अब यदि अनदेखा करता है तो उसके लिए घातक हो सकता है।

भारत में अमेरिका के भूतपूर्व राजदूत **श्री गेलब्रेथ** ने 1962 के युद्ध के सन्दर्भ में लिखा है कि—

"वस्तुतः यह एक अल्प अव्यवस्थित युद्ध न होकर चीन का एक भारी धक्का था और वे सभी मोर्चों पर आगे बढ़ते हुए भारतीयों को एक बुरा समय प्रदान कर रहे थे। वस्तुतः भारतीय सेनायें इस आकस्मिक हमले के मुकाबले के लिए तब तक तैयार नहीं थी। अतः चीन ने पश्चिमी हिस्से लद्दाख में पहले से अधिकृत 1200 वर्ग मील भू-प्रवेश के अतिरिक्त 2800 वर्गमील पर तथा पूर्वी हिस्से नेफा में 20,000 वर्ग मील भारतीय भू-प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया।"[1]

इस 1962 के युद्ध के एक पक्षीय युद्ध विराम करने का निर्णय 21 नवम्बर को चीन द्वारा लिया गया जिसमें उसने भारत के समक्ष तीन सूत्रीय प्रस्ताव को रखा। भारत को इन शर्तों को मानने के लिए भी विवश किया। उसके प्रस्ताव इस प्रकार से थे—

(1) चीन सरकार यह आशा करती है कि भारत एवं चीन दोनों देशों की सेनायें 7 नवम्बर, 1959 की वास्तविक नियन्त्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे की ओर हटा ली जायेंगीं।

(2) भारत सरकार के इस बात को अस्वीकार किये जाने पर भी चीन की सरकार पूर्वी क्षेत्र में अपने सैनिकों को नियन्त्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हटा लेगी।

(3) पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्रों में भी चीन की सेना वास्तविक नियन्त्रण रेखा तक हट जायेगी।

भारत की परिस्थितियां इस समय अत्यन्त नाजुक थीं, अतः चीन की एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा को मानना आवश्यक हो गया था। लेकिन तीन सूत्रीय योजना को अस्वीकृत करते हुए घोषित किया कि जब तक चीन की सेनायें 8 सितम्बर, 1962 की स्थिति तक नहीं लौट जातीं, दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यक्ष वार्ता नहीं हो सकती, अर्थात् जब तक युद्ध के पूर्व की स्थिति में नहीं आ जाती। इस विवाद को रोकने के उद्देश्य से 6 सीमावर्ती राष्ट्रों श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना, म्यांमार इण्डोनेशिया, बर्मा (**म्यांमार**), कम्बोडिया ने कोलम्बो में तीन दिवसीय सम्मेलन किया। 'कोलम्बो प्रस्ताव' के नाम से जाने जाते इस सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने भारत व चीन जाकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निश्चय किया। श्रीमती भण्डारनायके स्वयं कोलम्बो प्रस्ताव लेकर पेकिङ्ग (**बीजिंग**) तथा नई दिल्ली आयीं। इसके बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रही।

भारत-चीन सम्बन्ध (1965-1971)

1962 के बाद 1965 आते-आते चीन ने समझ लिया था कि अब भारत के साथ सीधी लड़ाई में उसका कोई लाभ नहीं है और इसी कारण चीन ने दूसरी चाल चली तथा भारत के जन्मजात विरोधी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ सैनिक गठबन्धन किये। पाकिस्तान ने मौके का लाभ उठाते हुए 1 सितम्बर, 1965 को खुलकर भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप तदन्तर एशिया में एक नयी स्थिति का सृजन किया जिसमें चीन ने खुलकर पाकिस्तान की तरफदारी शुरू कर दी और वास्तविकता को अनदेखा कर दिया। इस युद्ध के सन्दर्भ में चीन ने अपना अधिकारिक बयान जारी कर भारत को आक्रमणकारी कहते हुए उसके द्वारा पाक पर किये गये "नग्न आक्रमण" की निन्दा की और कहा कि—

"पाकिस्तान पर भारत सरकार का सैन्य आक्रमण एक नग्न आक्रमण का कार्य है। यह न केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को निर्देशित करने वाले सभी सिद्धान्तों का असभ्य अतिक्रमण है बल्कि एशिया के इस भाग में शान्ति के लिए गम्भीर खतरा भी उत्पन्न करता है।.......चीन सरकार.........पाकिस्तान से न्यायिक संघर्ष में उसका स्थायी समर्थन जताती है और भारत सरकार को गम्भीरता से चेतावनी देती है कि वह अपने अपराधी तथा बढ़ते हुए आक्रमण के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगी।"[2]

1. वर्णित डॉ० जे०पी० प्रेमदेव—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मेरठ, पेज 191
2. डॉ० एस० एस० बिंद्रा—इण्डिया एण्ड हर नाइबर्स-18 पेज

इस युद्ध के दौरान चीन ने जमकर पाकिस्तान की पीठ थपथपाई और भारत को चेतावनी देने के लिए 16 सितम्बर, 1965 को एक अल्टीमेटम भी दिया कि—

''भारत तीन दिन के भीतर सिक्किम-चीन सीमा पर ग़ैर-कानूनी ढंग से स्थापित 56 सैन्य प्रतिष्ठानों को हटा ले अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा।''[1]

23 सितम्बर, 1965 को युद्ध विराम हो जाने पर भी चीन का भारत-विरोधी अभियान जारी रहा। वर्ष 1967 में चीन ने नाथूला (सिक्किम) में पुनः सैनिक दुस्साहस किया, लेकिन भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। इसके बाद से चीन ने भारत से सामान्य सम्बन्ध बनाने का इरादा बनाया। 4 दिसम्बर, 1971 को तत्कालीन विदेशमन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह ने राज्यसभा में दोनों देशों के सम्बन्ध के बारे में कहा कि—

''भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार का स्वागत है, किन्तु जब तक चीन की ओर से प्रति-उत्तर नहीं मिलता हम अकेले कुछ नहीं कर सकते।''

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए चीन का सितम्बर, 1971 में पूर्ण समर्थन किया। इसके बावजूद भारत-पाक युद्ध 1971 में चीन ने पाकिस्तान को नैतिक एवं मौलिक समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से दिया। इस प्रकार वर्ष 1971 तक भारत-चीन सम्बन्धों में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ बल्कि आपसी मनमुटाव में बढ़ौत्तरी अवश्य हुई क्योंकि चीन पाकिस्तान का 1971 में समर्थन करता रहा।

भारत-चीन सम्बन्ध-सामान्यीकरण प्रक्रिया

भारत-चीन सम्बन्धों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया का सिलसिला वर्ष 1976 में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के द्वारा दौत्य सम्बन्ध (राजदूतों के सम्बन्ध) पुनः स्थापित करने के साथ शुरू हुआ। जुलाई, 1976 में श्री के. आर. नारायणन को भारत का राजदूत नियुक्त करके बीजिङ्ग भेजा गया और सितम्बर, 1976 में चीनी राजदूत चेन चन यन की दिल्ली में नियुक्ति हुई। भारत में 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी शासन ने चीन से सम्बन्ध सुधारने पर बल दिया। इस सन्दर्भ में तत्कालीन विदेशमन्त्री **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** का यह कथन उल्लेखनीय है—**''प्रधानमन्त्री पद से हट जाने के बाद श्रीमती गान्धी चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की जनता सरकार की नीति का समर्थन करती रही थी। वर्ष 1979 में बीजिङ्ग (पेकिंग) जाने से पहले मैं उनसे मिला था और उन्होंने मेरे प्रयासों में सफलता चाही थी।''**[2]

अब हम संक्षिप्त में सम्बन्धों में सामान्यीकरण के लिए प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख करते हैं—

1978 चीन के दो प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत की यात्रा की।

1978 भारत ने भी अपना सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डल चीन भेजा।

1978 चीनी विदेशमन्त्री की भारतीय विदेशमन्त्री से न्यूयार्क में मुलाकात।

1979 भारत के विदेशमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी आठ दिवसीय यात्रा चीन में की, किन्तु यात्रा अपमानजनक ही रही।

1980 श्रीमती इन्दिरा गान्धी की वापसी के साथ पुनः प्रक्रिया जारी हुई।

1981 चीनी विदेशमन्त्री हुआंग हुआ ने नयी दिल्ली की यात्रा की।

चीन की ओर से कोई विशेष पहल न होने के कारण सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में कोई तेज़ी नहीं आ सकी। कुछ वर्षों तक स्थिति थम कर ज्यों कि त्यों बनी रही। 1986 में चीन ने अचानक सुभदोरोंग से घुसपैठ की। इससे भारत की चिन्ता पुनः बढ़ी और सम्बन्धों में दूरियां बढ़ती गईं।

प्रधानमन्त्री श्री राजीव गान्धी ने दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों को पुनः गति प्रदान करने की कार्यवाही की और दिसम्बर, 1988 में चीन की यात्रा की। पं० नेहरू की यात्रा के 34 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमन्त्री की पहली चीन यात्रा थी। यह दोनों देशों के सम्बन्धों को सामान्य करने की दिशा में पहला गम्भीर प्रयास था। चीन के तत्कालीन उप-प्रधान मन्त्री ने सम्बन्धों में सुधार के सन्दर्भ में कहा कि—

''भारत चीन सम्बन्धों में सुधार दक्षिण एशिया के अन्य देशों के हितों को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे।''

वर्ष 1989 में भारत की सत्ता में परिवर्तन आया और श्री वी० पी० सिंह प्रधानमन्त्री बने। इनके कार्यकाल में भी दोनों

1. डॉ० एस० एस० बिंद्रा—इण्डिया एण्ड हर नाइबर्स-120 पेज
2. भारत चीन वार्ता—धर्म युग 18 दिसम्बर 1988

देशों के सम्बन्धों में सुधार की प्रक्रिया जारी रही। वर्ष 1990 में तत्कालीन चीनी विदेश मन्त्री ने सम्बन्धों में सुधार के सन्दर्भ में सामयिक जानकारी के लिए भारत की यात्रा की और भारत के तत्कालीन विदेशमन्त्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल के साथ शान्तिपूर्ण एवं मित्रतापूर्ण विचार-विमर्श द्वारा समस्या का समाधान करके सम्बन्धों को सुधारने में प्रगति हुई

1991 दिसम्बर में चीनी प्रधानमन्त्री ली फंग ने छः दिवसीय भारत यात्रा की और दोनों देशों के सम्बन्धों की नयी शुरुआत हुई।

सोवियत संघ के विघटन के बाद एक-ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो जाने के कारण इस पर अंकुश लगाने के लिए चीन ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के सम्बन्ध सुधारने पर विशेष बल दिया। यही कारण है कि विगत बातों को भुलाकर राजनयिक एवं सामरिक चाल के आधार पर सुमधुर सम्बन्ध स्थापित करने का विशेष अभियान चला रखा है। अब जो चीन ने पहल की, भारत सदैव से इस ओर पहल करता रहा है। भारत के साथ चीन सम्बन्ध सुधारने के लिए निम्नलिखित कारणों से अधिक उत्सुक है—

(1) अमेरिका के दबाव से बचने के लिए।
(2) अपनी साम्यवादी व्यवस्था की सुरक्षा के लिए।
(3) एशिया महाद्वीप पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए।
(4) अपने सामरिक हथियारों को निर्यात करने के लिए।
(5) अपनी अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने के लिए।
(6) अमेरिका के विरोध से बचने के लिए।
(7) तिब्बत के मामले में भारत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए।
(8) आण्विक नाकेबन्दी से बचने के लिए।
(9) महाशक्ति बनने की इच्छा के लिए।
(10) भारत-चीन सीमा पर यथा स्थिति बनाए रखने के लिए।

भारत-चीन सम्बन्धों की नयी पहल

"अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति किस समय कौन-सा मोड़ लेगी, यह कहा नहीं जा सकता। अनिश्चितता की इसी पृष्ठभूमि में मैं भारत आया हूं" ये शब्द हैं—चीनी प्रधानमन्त्री ली फंग के, जो उन्होंने अपनी छः दिवसीय भारत यात्रा (11-16 दिसम्बर, 1991) के दौरान बोले। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनिश्चयपूर्ण वातावरण में चीनी प्रधानमन्त्री ली फंग की भारत यात्रा अपने आप में विशिष्ट है। यद्यपि ली फंग ने इस यात्रा को मात्र सन् 1988 के स्व० श्री राजीव गान्धी की यात्रा का प्रत्युत्तर बताया, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ व समीक्षक इसे गम्भीरता से ले रहे हैं। विश्व की राजनीति आने वाले वर्षों में नवीन ध्रुवीकरण की ओर अग्रसर होगी, ऐसा प्रेक्षकों का अनुमान है। इसी कारण ली फंग की भारत यात्रा काफ़ी महत्त्व रखती है। एक ओर इस यात्रा से भारत-चीन सम्बन्धों की नवीन परम्पराएं विकसित होने की सम्भावना है तो दूसरी तरफ विकासशील देशों के संगठन ग्रुप-15 को अपनी तरफ आकर्षित करने की राजनीतिक इच्छा दिखाई दे रही है। चीनी राजनयिक सोवियत संघ के राज-विप्लव को गम्भीरता से ले रहे हैं। उनको ऐसा विश्वास है कि चीन ही अब विश्व-राजनीति में सोवियत संघ का स्थान लेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे नवीन आर्थिक नीतियां अपना रहे हैं ली फंग की भारत यात्रा में लिए नए निर्णयों के औचित्य की मीमांसा इसी परिप्रेक्ष्य में करना समीचीन होगा।

सन् 1962 के भारत-चीन युद्ध के कटु सम्बन्धों की दरार को पाटने का संकल्प अन्ततः भारत-चीन के संयुक्त तीन-सूत्री समझौते द्वारा पूरा हुआ। चीन एवं भारत के बीच जिन तीन मुख्य समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, वे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। समझौते के अनुसार, वर्ष 1992 से भारत एवं चीन के बीच सीमा-व्यापार पुनः प्रारम्भ किया जाएगा। यह सीमा-व्यापार दोनों देशों के मध्य एक निश्चित सीमा क्षेत्र से प्रारम्भ होगा चीन में यह क्षेत्र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पुलान तथा भारत में उत्तर-प्रदेश के पिथौरागढ़ा ज़िले में गुंज होगा। सीमा व्यापार सम्बन्धी यह समझौता दो वर्ष तक मान्य रहेगा। दूसरे समझौते के अनुसार, बम्बई एवं शंघाई में क्रमशः चीन एवं भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाना है। इसी प्रकार तृतीय समझौते के अनुसार, अन्तरिक्ष एवं विमानन के क्षेत्र में आपसी सहयोग की बात कही गई है। तिब्बत के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य कई मामलों पर भी आपसी समझौता हुआ। ली फंग तिब्बत एवं सीमा-विवाद के मुख्य मुद्दे को यथास्थिति में रहने देने की बात कह गए क्योंकि उनके अनुसार, तिब्बत पुरातन काल से उनके देश का अविभाज्य अंग रहा है और रहेगा।

भारत-चीन वार्ता का यह ऐतिहासिक दौर आपसी सम्बन्धों को मधुर बनाने तक ही सीमित है, ऐसा सोचना भ्रम

होगा। एक ओर ली फंग कहते हैं—"भारत और चीन दो महान् राष्ट्र हैं, इसीलिए अपने देश के निर्माण, उत्थान के लिए हमें अपने ढंग की नीतियां निर्धारित करनी चाहिएं। हमें विश्व में हो रहे परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए" तो दूसरी ओर वे कहते हैं—"परिवर्तनों ने तीसरी दुनिया के देशों की स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। इसलिए दक्षिण और उत्तर में होने वाली बातचीत चलाते रहने के साथ ही हमें दक्षिण -दक्षिण सहयोग को लागू करने में गतिशीलता लानी चाहिए।" स्पष्टत: चीन की कोई स्पष्ट नीति नहीं है जिसके कारण वह इस समय काफ़ी तनाव की स्थिति में है। एक ओर वह सोवियत संघ के असामयिक पतन से चिन्तित है तो दूसरी ओर अमरीकी नवीन विश्व-व्यवस्था से।

सोवियत संघ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसे यद्यपि चीन उसका आन्तरिक मामला बता रहा है, तदापि साम्यवादी पार्टी के टूटने से वह स्तब्ध रह गया है। ली फंग की अनिश्चितता की पृष्ठभूमि का संकेत भी यही है। चीनी नीति-निर्धारक सोवियत संघ में हो रही लोमहर्षक घटनाओं से काफ़ी विचलित हैं क्योंकि इन परिवर्तनों का व्यापक प्रभाव चीनी नागरिकों पर पड़ने की सम्भावना है। इसके साथ ही सोवियत संघ के विखण्डन से जो स्थान रिक्त हुआ है उसे चीन स्वयं अपनी नवीन अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों द्वारा पूरा करने का स्वप्न देखा रहा है।

वर्तमान समय में चीन की मुख्य समस्या अमेरिका की 'नवीन विश्व-व्यवस्था' है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए यह भी चिन्ता का विषय है। चीनी नीति-निर्धारक तर्क देते हैं कि द्विध्रुवीय विश्व (सोवियत संघ एवं अमरीकी गुटों का प्रभुत्व काल) में एक महाशक्ति दूसरे को सन्तुलित बनाए रख सकती थी। लेकिन अमरीका अब एकाकी फैसला कर सकता है जिसे विश्व-जनमत स्वीकार करेगा अथवा नहीं। अत: सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् 'बहुध्रुवीय विश्व' की उत्पत्ति होनी ही चाहिए। चीन यह चाहता है कि तीसरी दुनिया के देश उसका साथ दें। चीनी नेता इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि 'बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था में' चीन एक महाशक्ति के रूप में सामने आ सकता है। उनके मतानुसार, किसी भी देश का न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही शत्रु, बस स्थायी जरूरतें होती हैं। अत: तीसरी दुनिया के देशों को चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपनी विदेश नीति तय करें। सम्प्रति चीनी धारणा के अनुसार, भविष्य में महाशक्ति के रूप में उभरने का आधार आर्थिक सुदृढ़ता होगा न कि मात्र राजनीतिक शक्ति। यही कारण है की चीन की सम्पूर्ण आन्तरिक एवं बाह्य नीतियां आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही सुनिश्चित की जा रही हैं। भारत के साथ सीमा-व्यापार प्रारम्भ करने के नेपथ्य में भी चीन की यही नीति है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत-चीन सम्बन्धों का ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रहा है। पड़ौसी होने के साथ ही साथ दोनों के मध्य अत्यन्त प्राचीनकाल से ही सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध रहे हैं, जिसका इतिहास साक्षी है। एक ओर जहां भारत ने चीन को बौद्ध-धर्म से सुसज्जित किया, तो दूसरी ओर दोनों ने मिलकर विश्व को प्रसिद्ध पंचशील सिद्धान्त दिया, परन्तु यह मधुर सम्बन्ध स्थायी नहीं रहा। 20 अक्तूबर, 1962 के समय सभी सम्बन्ध टूट गए क्योंकि चीन ने उत्तर-पूर्वी सीमांचल (अद्यतन अरुणाचल प्रदेश) की तरफ से भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के कारणों में तिब्बत के प्रति भारतीय नीति व दलाईलामा को शरण देना प्रमुख था।

भारत एवं चीन के मध्य सीमा-विवाद एक जटिल समस्या है। भारत अपने एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को एक निश्चित सीमा-रेखा मानता है, परन्तु चीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। मैकमोहन रेखा प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं प्राचीन परम्पराओं के आधार पर सुनिश्चित की गई थी जिसे सन् 1914 में शिमला में हुए अधिवेशन में चीनी प्रतिनिधिमण्डल ने भी माना और उसके नेता वान चेन ने इस पर हस्ताक्षर भी किए। इसके बावजूद चीन का कहना है कि इस रेखा को चीन की सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी है। इसी आधार पर उसने भारत की प्रादेशिक सीमाओं में सड़क का निर्माण कर भारत के एक बड़े भू-भाग पर अधिकार कर लिया है। इसके समर्थन में सन् 1956 में चीन ने एक मानचित्र प्रस्तुत किया जिसे भारत ने अमान्य कर दिया। इस मानचित्र के अनुसार लगभग 50,000 वर्ग मील भूमि चीन के अधिकार में है।

भारत एवं चीन के मध्य जिस मुद्दे पर कभी मतैक्य नहीं रहा, वह तिब्बत का प्रश्न है। तिब्बत हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित भारत का छोटा पड़ौसी राज्य था। तिब्बत के साथ भारत का मधुर भावात्मक सम्बन्ध प्राचीनकाल से ही रहा है। लॉर्ड कर्ज़न के शासन काल में जब भारत की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास हुआ, तब 7 सितम्बर, 1904 को कर्ज़न के प्रतिनिधि सर फ्रांसिस एण्डर एवं तत्कालीन दलाईलामा के मध्य एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार ब्रिटेन ने तिब्बत पर चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकृति दी थी, परन्तु इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था,

लेखक प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 1992 में प्रकाशित लेख

जिसके अनुसार तिब्बत को चीन के अधीन माना जाए। सन् 1906 में चीन ने समझौते को स्वीकार भी कर लिया था। इसके बावजूद सन् 1911 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके वहां सैनिक शासन की स्थापना कर दी। सन् 1912 में तिब्बत की जनता ने चीनी सैन्यवाद का विरोध किया और घोषित किया कि तिब्बत चीन के अधीन नहीं है। सन् 1914 में आयोजित शिमला सम्मेलन में तिब्बत ने एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में भाग लिया। इसी सम्मेलन में भारत, चीन एवं तिब्बत के मध्य सीमा-रेखा के रूप में मैकमोहन रेखा की कल्पना की गई।

सन् 1950 में चीन ने पुनः तिब्बत पर आक्रमण कर व्यापक आतंक फैला दिया। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। भारत के प्रयास से सन् 1951 में तिब्बत एवं चीन के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार, चीन , तिब्बत-वासियों के धार्मिक, कलात्मक एवं साहित्यिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस समझौते में चीन ने तिब्बत को स्वायत्त शासन के साथ भारतीय हितों के संरक्षण की शर्त को स्वीकार किया। सन् 1954 में चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई की भारत यात्रा के अवसर पर पंचशील सिद्धान्त पर हस्ताक्षर हुए एवं भारत-चीन सम्बन्धों की एक नवीन परम्परा विकसित हुई। परन्तु सन् 1958 में चीनी कुशासन के विरोध में तिब्बत में विद्रोह प्रारम्भ हुआ, जिसे दलाईलामा का समर्थन प्राप्त था। चीनी शासकों ने विद्रोह को कुचलना प्रारम्भ किया एवं दलाईलामा ने भागकर भारत में शरण ली। चीन ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्य बताया एवं भारत पर विस्तारवादी होने का आरोप लगाया। जब भारत ने सन् 1962 में चीन के सामने सीमा-विवाद हल करने का प्रस्ताव रखा, तब चीन ने इसकी उपेक्षा करते हुए आक्रमण कर दिया एवं नेफा और लद्दाख के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध में भी चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया और सन् 1971 में यही पुनरावृत्ति हुई।

भारत के साथ चीन का सम्बन्ध सदैव ही द्विअर्थी रहा है। यह प्रचलन सन् 1968 के बाद तीव्र हुआ। अपनी प्रथम नीति के अन्तर्गत चीन समय-समय पर यह स्वीकारता रहा है कि उसे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व-राजनीति में आए परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में भारत के प्रति अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। इस पुनर्मूल्यांकन के निमित्त चीन समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना में कमी करता रहा है। भारत के साथ सहयोग के समझौते करता रहा है और उसके अधिकारी एवं मन्त्री भारत की यात्रा करते रहे हैं एवं भारतीय प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करते रहे हैं। यदि ली फंग की भारत यात्रा को इसी सन्दर्भ में लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपनी दूसरी नीति के अन्तर्गत चीन समय-समय पर साम्राज्यवादियों एवं समाजवादियों के साथ भारत के गठबन्धन की आलोचना करता रहा है। वह भारत की क्षेत्रीय नीतियों को साम्राज्यवादी नीति कहता है एवं पाकिस्तान को भारत के साथ प्रत्येक विवादास्पद मसले पर सहयोग देकर एक मोर्चे के रूप में उभारता रहा है। इस दोमुही नीति का व्यापक प्रयोग वर्ष 1986 एवं 1987 में हुआ। सन् 1986 में एक तरफ चीन भारत के साथ बीजिंग में सातवें दौर की वार्ता करने जा रहा था तो दूसरी तरफ उसने 'समुदरांग चू घाटी' के घटनाक्रम को उठाया।

यद्यपि अब परिस्थितियां बदल गई हैं और चीन को भारत के साथ सम्बन्ध मधुर करने की भी आवश्यकता है, फिर भी चीनी राजनीति को समझना भारत के लिए कठिन प्रतीत हो रहा है। भारत एवं चीन में सीमा-व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से निश्चित ही दोनों देशों को लाभ होगा, परन्तु कोई भी नीति निर्धारित करने से पूर्व भारतीय नीति-निधार्रक विगत अनुभवों को नज़रअन्दाज न करें।

एकध्रुवीय व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास में चीन आज जी-जान से जुटा हुआ हो। यही कारण है कि अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ विगत बातों को भुलाकर राजनयिक एवं सामरिक चाल के आधार पर सुमधुर सम्बन्ध स्थापित करने का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। आज जो चीन ने पहल की है, भारत सदैव से ही इस ओर पहल करता रहा है, परन्तु विगत वर्षों में चीन की कथनी एवं करनी के अन्तर ने दोनों के मध्य सदैव शंका की खाई खोदी है। आज स्वयं यदि चीन हमदर्दी के साथ इस खाई को पाटने की बात करता है तो राजनयिक एवं रक्षा विशेषज्ञ अवश्य ही सशंकित निगाहों से इसका विश्लेषण करेंगे।

चीन का भारत की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाना **प्रथम** तो इस बात का संकेत देता है, कि वह सर्वोच्च शक्ति अमेरिका के दबाव से बचने के लिए तथा अपनी साम्यवादी व्यवस्था की सुरक्षा के लिए इसे आवश्यक मानता है। **दूसरे**, एशिया महाद्वीप में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भारत का सक्रिय सहयोग ज़रूरी है क्योंकि यदि भारत अमेरिका की ओर बढ़ गया तो, उसकी सारी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। इसके साथ ही भारत पर अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव को ध्यान में रखते हुए उसे मित्रता स्थापित करने के लिए सुनहरा समय यही अनुभव हो रहा है। **तीसरा**, चीन अपने सामरिक हथियारों को निर्यात करने के लिए एशिया, विशेषकर इस उपमहाद्वीप में अपने लिए एक नया बाज़ार तलाश रहा है, जोकि सोवियत रूस के विघटन के कारण रिक्त हो गया है। इससे चीन अपनी अर्थव्यवस्था को भी नया

आयाम देने में सफल हो सकेगा। अमेरिका, चीन के शस्त्र निर्यात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिससे विरोध बढ़ेगा, अतः इससे बचने के लिए अपने आस-पास के राष्ट्रों से सुमधुर सम्बन्ध होने बेहद ज़रूरी हैं। **चौथा,** तिब्बत के मसले पर यदि चीन को भारत का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग मिल जाए तो स्थिति को अपने अनुकूल करने में भी चीन को सफलता प्राप्त होगी।

पाँचवाँ, अपनी आण्विक नाकेबन्दी से बचने के लिए भारत की दोस्ती को आवश्यक मानता है क्योंकि अमरीकी राष्ट्रपति **जॉर्ज बुश** का सोवियत संघ के समक्ष यह प्रस्ताव—"**अगर रूस अपने यहाँ अमरीकी प्रक्षेपास्त्र तैनात करने को तैयार हो जाए तो हम सोवियत रूस को अन्तरिक्षीय** रक्षा कवच (ए० बी० एम० सिस्टम) को बनाने में सक्रिय सहयोग देंगे" भी घबराहट को बढ़ा रहा है। यदि किसी कारण से सोवियत नेता इसे स्वीकार कर लेते हैं तो चीन की आण्विक नाकेबन्दी सुनिश्चित हो जाएगी और चीन अमेरिका के इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। **छठवाँ,** चीन अपने राष्ट्र की मुस्लिम जनसंख्या को अरब प्रभाव से बचाने के लिए ईरान तथा पाकिस्तान के साथ भी निरन्तर सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने में जुटा है। यद्यपि पाक के प्रति चीन का मोह भारत के साथ दोस्ती में बाधा भी उत्पन्न कर रहा है, इसी कारण विशेष रूप से पाक को खास तरजीह नहीं देना चाहता है। **सातवाँ,** सर्वोच्च शक्ति अमेरिका द्वारा सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी देशों, जैसे-बर्मा (म्यंमार), उत्तरी कोरिया, क्यूबा आदि पर मानवाधिकार, प्रजातन्त्र एवं परमाणु बम का दबाव डालकर जो कार्यवाही कर रहा है, उससे चीन की बेचैनी निरन्तर बढ़ती जा रही है। चीन शायद इस समय यह भी सोच रहा है कि भारत के साथ इस समय सौदा इस आधार पर हो सकता है, कि चीन अक्साईं-चिन पर अधिकार बनाए रखे तथा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा छोड़ दे अर्थात् यथास्थिति बनी रहे।

पड़ौसी राष्ट्र पाकिस्तान को अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र, लड़ाकू विमान, आण्विक, तकनीकी, तथा हल्के हथियारों की निरन्तर आपूर्ति भारत के लिए बेचैनी अवश्य उत्पन्न कर रही है, क्योंकि पाक के भारत के प्रति नापाक इरादे ही भारत के विरुद्ध हथियार प्रयोग को बल देते रहे हैं। शत्रु के मित्र के साथ मित्रता सदैव आशंका को बढ़ावा देती है, ऐसी स्थिति में स्थायी मित्रता की बात कोरी कल्पना मात्र होगी। इसके साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा (म्यंमार) आदि देशों को भी हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। चीन-पाक की गुप्त सैनिक सन्धि के तहत लगभग 70 प्रतिशत हथियारों की आपूर्ति के लिए भी वचनबद्ध है। इस प्रकार हथियारों की आपूर्ति के बाज़ार की निरन्तर तलाश के साथ शान्ति एवं समझौते की बातें करना हास्यास्पद अवश्य ही हैं। जहाँ तक व्यापारिक सम्बन्धों का प्रश्न है और विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं, उनका स्वागत अवश्य किया जाएगा लेकिन सैद्धान्तिक मित्रता के लिए अभी बहुत सी मंजिलें तय करनी होंगीं क्योंकि इसे हम आधार की संज्ञा भी नहीं दे सकते हैं, मात्र ईंटों का ढेर ही कह सकते हैं, जिसको मंजिल का स्वरूप देने के लिए सभी (राजनीतिक, सामरिक, राजनयिक तथा आर्थिक) तत्त्वों को विशेष रूप से मिश्रित करना होगा।

भारत-चीन सीमा समझौता (सितम्बर, 1993)

भारत और चीन ने वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर शान्ति बनाए रखने के ऐतिहासिक समझौते पर 7 सितम्बर, 1993 को दस्तखत किए। इसके तहत दोनों पक्ष सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या घटाएंगे। दोनों ही देश एक-दूसरे के खिलाफ न तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे और न ही धमकी देंगे। वे तीन दशक पुराने सीमा विवाद का हल बातचीत के ज़रिए निकलने तक वास्तविक नियन्त्रण रेखा का पालन करेंगे। इस रेखा को लेकर जहां भी कोई मतभेद होगा, वहां इस रेखा को दोनों देशों के विशेषज्ञ तय करेंगे। भारत और चीन के बीच व्यापार, पर्यावरण व रेडियो-टेलीविज़न के क्षेत्र में भी सहयोग के तीन और समझौते हुए।

दोनों देशों ने अपने संयुक्त कार्यदल की एक उपसमिति बनाने का भी फैसला किया, जो सीमा समस्या पर विचार करेगी। इस उपसमिति में दोनों देशों के विदेश मन्त्रालयों और सेना के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह उपसमिति वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर शान्ति के लिए समझौते पर अमल का काम भी देखेगी। उपसमिति बनाने का फैसला विदेश सचिव जे० एन० दीक्षित और चीन के उप विदेश मन्त्री तांग जियाशुआन के बीच बातचीत के दौरान हुआ।

दोनों देश आपसी मशविरे से तय करेंगे कि सैनिक कटौती का आकार, समय और स्वरूप क्या हो। इस बात पर भी सहमति हुई है कि दोनों देश सीमा पर आपसी विश्वास बढ़ाने के कदम उठाएंगे। वे अपनी सेनाओं की ताकत को 'पारस्परिक और समान सुरक्षा' के सिद्धान्त के मुताबिक रखेंगे। सैन्य शक्ति घटाने का ब्यौरा आपसी बातचीत में तय किया जाएगा। दोनों पक्षों ने सीमा विवाद को शान्तिपूर्ण और बातचीत के ज़रिए हल करने का निश्चय दोहराया है

समझौते के दूसरे प्रावधानों में सैनिक अभ्यास की पूर्व सूचना देना और वायु सीमा का अतिक्रमण रोकने के उपाय भी शामिल हैं। दिसम्बर, 1988 में बने संयुक्त कार्य दल की राय है कि आपसी विश्वास कायम करने के लिए दोनों

देशों के सीमाई अधिकारियों की बैठकें और एक-दूसरे के रक्षा प्रतिष्ठानों का मुआयना ज़रूरी है। समझौते में वास्तविक नियन्त्रण रेखा के सन्दर्भ में दोनों देशों के नज़रिए को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं रखने की बात भी कही गई है। इसमें साफ कहा गया है कि वास्तविक नियन्त्रण रेखा के ज़िक्र से सीमा के मुद्दे पर दोनों देशों के रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। वे इस विवाद का निष्पक्ष और स्वीकार्य हल ढूँढने का काम जारी रखेंगे।

तीन और समझौते—दोनों देशों के बीच तीन और समझौते हुए। इनमें शिपकी दर्रे से सीमा व्यापार बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण के सवाल पर तालमेल और रेडियो-टेलीविज़न के क्षेत्र में सहयोग के करार शामिल हैं। सीमा व्यापार समझौते से भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए शिपकी दर्रे को अतिरिक्त मार्ग के रूप में उपयोग करने का प्रावधान है। व्यापार-केन्द्र हिमाचल प्रदेश में किनौर ज़िले के नामग्या और तिब्बत के जितुआ में होंगे। दोनों पक्ष व्यापार के कुछ और मार्ग ढूँढ़ने की कोशिश करेंगे।

दोनों देशों के बीच सीमा पर व्यापार 30 साल बाद पिछले वर्ष 15 जुलाई को फिर शुरू हुआ था। इस बारे में दिसम्बर, 1991 में चीनी प्रधानमन्त्री ली फंग की भारत यात्रा के दौरान समझौता हुआ था। पहला निर्धारित स्थान उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ ज़िले में गुंजी और चीन में तिब्बत की तरफ पुलान था।

बिन्दु जिन पर सहमति है—

7 सितम्बर, 1993 भारत और चीन के बीच हुए समझौते के मुख्य बिन्दु इस तरह हैं।[1]

(1) दोनों देश सीमा विवाद हल होने तक वास्तविक नियन्त्रण रेखा का पालन करेंगे।

(2) वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर शान्ति व स्थिरता रखी जाएगी और वहां तैनात सेनाएं घटाई जाएंगी।

(3) दोनों एक दूसरे के खिलाफ न तो बल प्रयोग करेंगे और न धमकी देंगे।

(4) वे सैनिक अभ्यास की पूर्व सूचना देंगे।

(5) वायुसीमा का उल्लंघन रोकने के उपाय किए जाएंगे।

(6) भारत-चीन व्यापार के लिए शिपकी दर्रे का अतिरिक्त मार्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

(7) पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर दोतरफा सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के वैज्ञानिक व विशेषज्ञ एक-दूसरे के यहां भेजे जाएंगे।

(8) रेडियो-टेलीविज़न कार्यक्रमों का लेन-देन होगा। रेडियो-टी०वी० प्रतिनिधिमण्डल और समाचार संकलन करने वाली टीमें एक दूसरे के यहां भेजी जाएंगी।

इस प्रकार समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है और अब चीन यह अनुभव करने लगा है कि यदि महाशक्ति के रूप में विश्व रंगमंच पर आना है तो भारत के साथ मित्रता रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इससे एशिया में जहाँ मज़बूत स्थिति हो जायेगी वहाँ विरोध स्वरूप कोई अन्य राष्ट्र जल्दी से इधर-उधर नहीं हो सकता। अमेरिका की नीतियों से जहाँ भारत परेशान है वहाँ चीन में भी उसकी कूटनीतिक हरकतें चलती रहती हैं। उससे बचने के लिए भारत के साथ आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धों में सुधार करना उसकी आवश्यकता बन चुकी है। अतः भारत को भी अपनी अस्मिता एवं राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर दोस्ती के हाथ समय के साथ बढ़ाने हैं। भारत-चीन व्यापार भी काफ़ी बढ़ा है।

चीन के प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ ने स्पष्ट कहा कि वे भारत इस आशा के साथ आये हैं कि दोनों देशों के बीच विवाद समाप्त होगा और आर्थिक क्षेत्र में एक शक्ति के रूप में उभर रहे दोनों देशों के रिश्ते नये युग में प्रवेश करेंगे। दक्षिण एशिया में चीन व भारत ही ऐसे दो देश हैं जो कि जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टि से विशाल होने से साथ ही विकासशील देशों में बहुत आगे आ चुके हैं। वक्त का तकाज़ा यही है कि भारत-चीन अपने रिश्तों को और अधिक मज़बूत बनाने की दिशा में ठोस पहल व प्रयास करे। चीन के साथ सम्बन्ध बनाना भारत के लिए सिर्फ़ व्यापारिक रूप से ज़रूरी नहीं है बल्कि सामरिक व कूटनीतिक रूप से भी महत्त्वपूर्ण है। चीन के साथ सम्बन्ध सुधार कर भारत पाकिस्तान तथा अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को बेहतर ढंग से निर्धारित कर सकेगा। चीन के साथ भारत के रिश्तों में अमेरिका एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। संवाद, सहमति, समझौते एवं सहयोग से दोनों देशों के सम्बन्ध अवश्य ही प्रगाढ़ बनेंगे।

व्यापार, विवाद एवं विश्वास

भारत एवं चीन के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध जैसे प्रगाढ़ होंगे, वैसे ही दोनों के बीच जमी अविश्वास की बर्फ़ भी निःसन्देह तेज़ी से पिघलने लगेगी। वास्तविकता एवं कटु सच्चाई यही है कि दोनों के बीच सीमा-विवाद से कहीं अधिक अविश्वसनीयता ही असली विवाद का कारण रहा है। प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की ऐतिहासिक

चीन यात्रा को द्विपक्षीय आर्थिक क्षेत्र में मील के पत्थर के रूप में अनुमानित किया जा रहा है। व्यापार में विस्तार एवं आर्थिक सम्बन्धों में सुधार किया जाना दोनों देशों के हित में है तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश के अनुसार इस प्रकार के दौरों का आयोजन वांछित और अनिवार्य भी है। भारत व चीन एक लम्बी अवधि से एक-दूसरे को सामरिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक दृष्टि से पीछे करने के लिए प्रयत्नरत रहे हैं और 'एशिया में हमारा वर्चस्व' को लेकर उलझे रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस साम्राज्यवाद से लड़ने के दोनों देश प्रतीक थे, वहीं साम्राज्यवाद दोनों देशों की देहरी में अब ज़ोरदार दस्तक दे रहा है।

एक ध्रुवीय विश्व राजनीति में चल रहे संक्रमण काल में भारत-चीन सम्बन्धों की नई पहल का महत्त्व दोनों देशों के हितों के लिए ही नहीं, बल्कि तृतीय विश्व के विकासशील देशों के हितों हेतु भी आवश्यक है। पाँच दशक पूर्व 1954 में भारत के प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू एवं तत्कालीन चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ एन० लाई द्वारा सह अस्तित्व के लिए प्रतिपादित पंचशील सिद्धान्त दोनों देशों के बीच सहयोग एवं सम्मान हेतु स्थापित किया गया। 'पंचशील' के जिन पाँच सिद्धान्तों पर अमल करने का वचन दिया था, उसमें एक-दूसरे की अखण्डता व सम्प्रभुता का सम्मान, अनाक्रमण, समानता, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना आदि शामिल था। इसी पंचशील सिद्धान्त की दुहाई देकर दोनों देशों के सम्बन्धों का अब एक नया अध्याय लिखने का यह एक अनूठा प्रयास किया गया है। प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी और चीनी प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ के बीच हुई बातचीत के बाद सरहदी रास्ते से व्यापार बढ़ाने की एक सहमति के साथ-साथ आपसी सम्बन्धों को व्यापक बनाने वाला एक सांझा घोषणा-पत्र भी जारी किया। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गति मिलने पर निश्चित ही आपसी विश्वास का एक नया परिवेश पनपेगा।

भारत-चीन एक नज़र में

विवरण	चीन	भारत
राजधानी	बीजिंग	नई दिल्ली
क्षेत्रफल	9572395 वर्ग कि०मी०	3287263 वर्ग कि० मी०
जनसंख्या	1 अरब 30 करोड़	1 अरब 6 करोड़
वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर	0.8 प्रतिशत	1.8 प्रतिशत
औसत आयु	71 वर्ष	64 वर्ष
शिशु मृत्यु दर प्रति हज़ार	30	69
निरक्षरता दर 15 वर्ष से ऊपर वालों में	15.5 प्रतिशत	42 प्रतिशत
सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०)	1200 अरब डॉलर	500 अरब डॉलर
वार्षिक जी० डी० पी० वृद्धि दर	8 प्रतिशत	6 प्रतिशत
प्रति व्यक्ति आय	890 डॉलर	460 डॉलर
प्रति व्यक्ति बिजली खपत	380 किलोवाट घंटा	705 किलोवाट घंटा
सामान का निर्यात प्रतिशत	जी० डी० पी० का 26 प्रतिशत	जी० डी० पी० का 13 प्रतिशत
सामान का आयात प्रतिशत	जी० डी० पी० का 40 प्रतिशत	जी० डी० पी० का 25 प्रतिशत
प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश	40 अरब डॉलर	3 अरब डॉलर
टेलीफ़ोन कनेक्शन (मार्च 2002)	19 करोड़	3.2 करोड़
कम्प्यूटर रखने वाले (मार्च 2002)	163 लाख	64 लाख
मौद्रिक इकाई	एक (यूआन) (वाई)	एक रुपया
अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात	280 अरब डॉलर	50 अरब डॉलर
निवेश नीति	50 अरब डॉलर	4 अरब डॉलर

भारत-चीन सम्बन्धों ने विगत अनेक वर्षों से विभिन्न स्तर व स्थितियाँ देखी हैं। इस बार के प्रयास में सम्बन्धों को

सुधारने के जो प्रयास किये गये हैं, इस वार्ता के अन्तर्गत जिन महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रमुखता प्रदान की गई है—**एक**-सर्वोच्च शक्तिशाली देश अमेरिका के कारण विश्व व्यवस्था में पैदा हुए असन्तुलन का पुनर्मूल्यांकन करना, **दो**—आपसी सहयोग एवं सम्भावनाओं के साथ-साथ विश्व शान्ति व्यवस्था में 'आसियान सिक्योरिटी फोरम' में सहभागिता करना, **तीन**—संयुक्त राष्ट्र संघ की नये सन्दर्भ में उपजी भूमिका के मद्देनज़र के साथ काम करने की सम्भावनायें तलाशना, **चार**—व्यापार संगठन के तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व तकनीकी विषमताओं को समाप्त करना, **पाँच**—द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार के साथ ही भारत-चीन संयुक्त कार्यदल द्वारा सीमा रेखा पर सन्तुलन बनाने के प्रयास करना, **छठा**—चीन-पाक के हथियार व्यापार पर विचार करना, **सात**—सीमा विवाद को हल करने के यथासम्भव प्रयास, **आठ**—तिब्बत व सिक्किम के सन्दर्भ में *व्यावहारिक एवं उचित कार्यवाही करना तथा* **नौ**—*द्विपक्षीय व्यापार के साथ* आर्थिक व तकनीकी सहयोग पर विशेष बल देना प्रमुख रहा।

व्यापारिक पहल—चीन एवं भारत ने व्यापारिक पहल करके आर्थिक सम्बन्धों को सुधारने का जो प्रयास किया है, *स्वागतयोग्य अवश्य है*। दोनों देशों ने व्यापार सम्बन्धी सहमति (एम० ओ० यू०) और नौ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये। वास्तविकता यह है कि दोनों देशों का आर्थिक व व्यापारिक भविष्य राजनीतिक व राजनयिक वातावरण के द्वारा ही सही अर्थों में तय होगा। चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बर्द्धन परिषद् (सी० सी० पी० आई० टी०) ने भारत के शीर्ष उद्योग संगठन फिक्की के साथ मिलकर एक-दूसरे के बाज़ार में यथाशीघ्र प्रवेश पाने व समझने के लिए गाइड बुक तथा वेबसाइट लांच किया है। इसके साथ ही व्यापारिक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए क्षेत्रानुसार मार्गों के मानचित्र (रोड-मैप) भी तैयार किये गये हैं। दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों के बीच हुई आपसी बातचीत के बाद सरहदी रास्ते से व्यापार बढ़ाने की सहमति के साथ-साथ आपसी सम्बन्धों को व्यापक बनाने पर भी बल दिया गया और एक संयुक्त घोषणा-पत्र भी जारी किया गया। आशा है कि अब आर्थिक सम्बन्धों को एक नया आयाम मिलेगा।

भारत-चीन सम्बन्ध एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि व्यापारिक व आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सामयिक पहल है। चीन ने भारत में ढांचागत विकास और संसाधन के क्षेत्र में 50 करोड़ डॉलर के निवेश की इच्छा व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग हेतु एक कार्यवाही योजना तय करने पर भी सहमति हुई है। सीमा *व्यापार* हेतु सिक्किम आने हेतु चीन ने '*नाथुला दर्रा*' खोलने पर भी स्वीकृति दे दी है तथा सिक्किम के '*छांगू*' में चीन का व्यापार केन्द्र तथा तिब्बत के '*रेंगिनगौंग*' में भारत व्यापार चौकी स्थापित करने में सहमति हुई है। वर्ष 1993 में दोनों देशों के सहयोगी व्यापार 35 करोड़ डॉलर का था, जो वर्ष 2003-2004 में अनुमानत: 7 से 8 अरब डॉलर तक पहुँचने की आशा है। इसके साथ ही व्यापारिक वीज़ा की अवधि भी बढ़ाई गई है। यद्यपि व्यापारिक सम्बन्धों को लेकर आपसी मतभेद रहा है कि चीन अपने सस्ते माल से भारत के बाज़ार को भर रहा है, किन्तु भारत ने इसकी परवाह न करते हुए भूमण्डलीकरण के इस दौर का एक अभिन्न अंग मानते हुए इसे भी सहर्ष स्वीकार करने में संकोच नहीं किया।

अब नयी व्यापारिक पहल हेतु भारत व चीन ने एक संयुक्त दल गठित करके आर्थिक विकास के नये क्षेत्र तलाशने हेतु भी अपनी सहमति व्यक्त की है। वस्तुस्थिति यह है कि इस समय सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे भारत एवं चीन परस्पर लाभ पहुँचाने की स्थिति में है। *भारत को साफ्टवेयर के क्षेत्र में जहाँ दक्षता प्राप्त है, जिसका* प्रत्यक्ष लाभ चीन प्राप्त कर सकता है। वहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर के मामले में चीन को विशेषता प्राप्त है, इसका लाभ भारत को मिल सकता है। भारत के प्रधानमन्त्री की यह चीन यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक *सम्बन्धों को नया आयाम* देने में एक सेतु का काम करेगी। उल्लेखनीय है कि चीन ने भारत से लौह अयस्क के निर्यात में और वृद्धि करने की इच्छा व्यक्त की है व कृषि क्षेत्र में तम्बाकू की माँग है। चीन विश्व में सर्वाधिक तम्बाकू आयात करने वाला देश है, चूँकि भारत में उच्च गुणवत्ता वाली तम्बाकू भारी मात्रा में उपलब्ध है, जो चीन की माँग पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ ही जीवन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, एनीमेशन व मनोरंजन आदि के क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग की प्रबल सम्भावनायें हैं।

संयुक्त घोषणा-पत्र और व्यापार सहमति

बीजा : पर्यटन-तीन माह, व्यवसायी-छः माह

न्यायिक क्षेत्र : सूचना का आदान-प्रदान, विधि सहयोग, न्यायिक प्रशिक्षण, विशेष कार्यकारी दल, विधि सम्मेलन-संगोष्ठी।

आम का करार : भारत अपने आम अब चीन को निर्यात करेगा।

शिक्षा का क्षेत्र : विशेषज्ञों के अनुभव का आदान-प्रदान, शिक्षा प्रणाली, विशेष कार्यक्रम अध्ययन, डिग्री मान्यता, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा, अध्यापक सामग्री व तकनीक।

ग़ैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र : छोटी जलविद्युत, पवन ऊर्जा परियोजनाएँ, विकास और अनुसन्धान, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।

विज्ञान व तकनीक क्षेत्र : अनुसन्धान में आदान-प्रदान, रख-रखाव पर ध्यान।

सूचना प्रौद्योगिकी : प्रति वर्ष 25 छात्रवृत्तियाँ, हिन्दी-चीनी शिक्षकों का आदान-प्रदान।

समुद्र विज्ञान व तकनीक : तटीय क्षेत्र प्रबन्धन, समुद्री संसाधन, समुद्री ऊर्जा।

सांस्कृतिक क्षेत्र : दिल्ली-बीजिंग में सांस्कृतिक केन्द्र, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, युवा मामले खेल, रेडियो-टी० वी० मामलों में आदान-प्रदान।

दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी वाले दोनों देशों के बीच बाज़ार व व्यापार की सम्भावनायें इतनी विशाल हैं कि आगामी कुछ वर्षों में साझा बाज़ार स्थापित हो सकता है, लेकिन इस व्यापार को सांझा बाज़ार के रूप में विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से समझदारी व संयम के साथ काम लेने की आवश्यकता है। यह उल्लेखनीय है कि इस समय भारत का वस्त्र उद्योग इस स्थिति के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है, जब 2005 में इसका निर्यात कोटा समाप्त हो जायेगा। अत: ऐसी स्थिति में चीन के वस्त्र उद्योग के साथ सहयोगी उद्यम के माध्यम से इस उत्पादन का एक बड़ा स्तर सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत अनेक वर्षों से लगभग 5 करोड़ टन अतिरिक्त अनाज भण्डार का भार वहन करता रहा है, जबकि अनाज का एक बड़ा भाग सहयोग एवं समझदारी के साथ आसानी से चीन को निर्यात किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में दोनों देशों को पश्चिमी देश जर्मन, फ्रांस व ब्रिटेन से सबक सीखते हुए सांझा बाज़ार स्थापित करना हितकारी होगा।

व्यापार के क्षेत्र में दोनों देश प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ पूरक बनकर निष्पक्ष, न्यायोचित, समभाव, संयम और समान विश्व व्यापार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अब व्यावहारिक पहल करें। इससे जहाँ दोनों देशों को प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक व आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के विकास के कारण सामरिक व राजनयिक विवाद भी समय के साथ सुलझ जायेंगे, जिससे विकासशील देशों को भी सीधा लाभ प्राप्त होने की सम्भावनायें प्रबल हो जायेंगी। व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की पहल भारत द्वारा की गयी है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि चीन में वर्ष 2008 में ओलम्पिक खेल होने वाले हैं, जिसके आयोजन के प्रशासनिक पक्ष में सूचना प्रौद्योगिकी के साफ्टवेयर व हार्डवेयर की बड़ी भूमिका होगी। यह सर्वविदित है कि चीन ने भले ही हार्डवेयर के क्षेत्र में एक बड़ी महारत हासिल कर ली है, किन्तु साफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत से कहीं पीछे है। ओलम्पिक के आयोजन में भारत का व्यापारिक सहयोग एवं सांझेदारी दोनों के लिए लाभप्रद होगा। व्यापार की यह व्यावहारिकता जैसे भारत व अमेरिका को निकट लाने में सहयोगी सिद्ध हुई है वैसे ही चीन-भारत को नज़दीक ला सकती है।

समय के साथ ही परिस्थितियों में भी परिवर्तन आया है और व्यापार पक्ष राजनीति पर हावी होने लगा है। सीमा-विवादों को लेकर आर्थिक सुदृढ़ता हेतु अब समय बर्बाद करना उचित नहीं है, चूँकि अमेरिका ने यूरोपीय देशों की भाँति अपना व्यापारिक ब्लॉक बनाया हुआ है। अत: चीन भी किसी के साथ मिलकर अपना व्यापारिक ब्लॉक बनाने की प्रबल इच्छा रखता है और इस भूमिका में भारत ही उसके लिए सबसे अधिक सहयोगी सिद्ध हो सकता है। सीमा-विवाद के बोझ को परे हटाकर भारत-चीन सहयोग एशिया को दुनिया का एक नया आर्थिक आधार बनाने की ओर ले जा सकता

है। यह समय की माँग है और दोनों देशों के हित में है कि आपसी बेहतर ताल-मेल एवं सहयोग बढ़ाया जाये। निःसन्देह भारत-चीन के आर्थिक व व्यापारिक सहयोग से इस क्षेत्र में नये आयाम व अजेय शक्ति की सम्भावनाओं से कोई भी नकार नहीं सकता, किन्तु इस प्रक्रिया को धैर्य, सावधानी, सतर्कता एवं कुशलता से बनाए रखना होगा।

सीमा-विवाद—चीन के साथ भारत का सीमा-विवाद एक पुराना रोग है, जिसका उपचार किसी भी स्थिति में तुरन्त सम्भव नहीं है। विगत 22 वर्षों के दौरान 14 बार किये गये प्रयासों के बावजूद सीमा-विवाद समाप्त करने के सन्दर्भ में कोई भी सार्थक एवं स्पष्ट नीति अभी तक नहीं बन पायी है। यह भी उल्लेखनीय है कि चीन ने पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार (बर्मा) से अपने सीमा-विवाद समाप्त कर दिये और रूस, कज़ाकिस्तान व वियतनाम से भूमि सम्बन्धी विवादों को भी विराम दिया जा चुका है। एकमात्र भारत के साथ चीन का सीमा-विवाद बरकरार बना हुआ है। भारत व चीन के बीच की सम्पूर्ण सीमा जो लगभग 4056 किलोमीटर है, तीन क्षेत्रों—**पूर्वी क्षेत्र** अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार से भूटान तक है, **मध्य क्षेत्र** नेपाल के शिपकी दर्रा में लिपुलेख दर्रा तक तथा **पश्चिमी क्षेत्र** जम्मू-कश्मीर में लद्दाख से कराकोरम दर्रा तक है।

पूर्वी क्षेत्र के एक बड़े भू-भाग पर चीन ने 1962 के युद्ध के दौरान कब्ज़ा कर लिया था, किन्तु युद्ध विराम के बाद वह पहले वाली स्थिति पर तो चला गया, लेकिन उसने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अपने दावे की रट लगायी हुई है। पूर्वी क्षेत्र में 1100 किलोमीटर लम्बी सीमा है, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है जो अरुणाचल को तिब्बत से अलग करती है। इसके अन्तर्गत लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर भू-भाग विवादाग्रस्त है। पश्चिमी क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य स्थित 1600 किलोमीटर लम्बी जम्मू-कश्मीर सीमा रेखा को सिक्यांग तथा तिब्बत के क्षेत्रों से अलग करती है। इसमें लगभग 25000 वर्ग किलोमीटर भू-भाग विवादित है, जिसमें पेमोंग झील के निकटवर्ती अक्साई चिन तथा चिंन हेनम घाटी के सम्मिलित हैं। पाकिस्तान ने तथाकथित चीन-पाक सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमारा 5180 वर्ग किलोमीटर भू-भाग ग़ैर-कानूनी रूप से चीन को दे दिया है। मध्य क्षेत्र में लगभग 650 किलोमीटर लम्बी सीमा रेखा है, जो हिमालय में स्पीति, वाराहोती तथा नीलांग के पहाड़ी क्षेत्रों के अलग करती है। इसके अन्तर्गत 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विवादित है।

भारत-चीन सीमा विवाद वाले क्षेत्रों पर एक नज़र

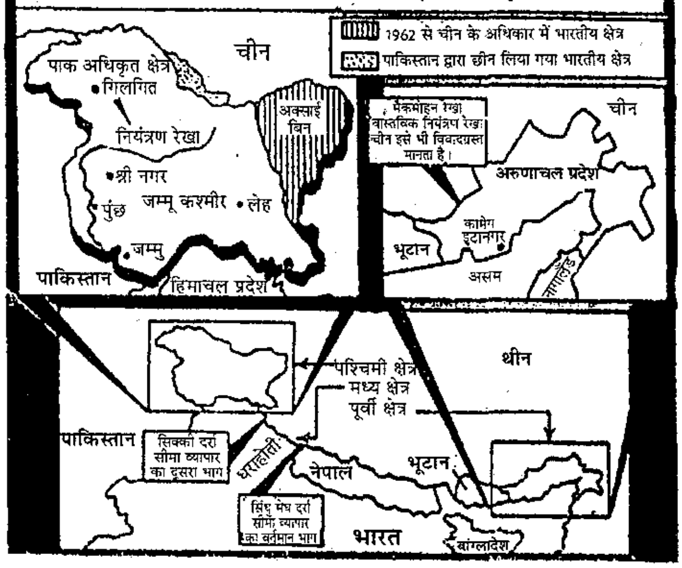

पूर्वी क्षेत्र में चीन जो दावा करता है वह ज़्यादातर इसलिए कि इसके चलते भारत पर दबाव बनाकर वह पश्चिमी

क्षेत्र में कुछ रियायतें प्राप्त कर ले। पश्चिमी क्षेत्र के सीमा-विवाद में एक पक्ष पाकिस्तान का भी हो सकता है, यदि चीन की ओर से सीमा-विवाद को विराम देने का प्रयास किया जायेगा तो पाकिस्तान इसमें रोड़ा बन सकता है। यह कटु सच्चाई है कि चीन ने सीमा विवाद हल करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखायी है। इसी कारण अभी तक भारत-चीन सीमा विवाद और नियन्त्रण रेखा का मसला ज्यों का त्यों बना हुआ है। सामान्य स्थिति में चीनी कूटनीति प्रतिपक्षी को थकाकर अपना हित साधने की कोशिश करती है। भारत के साथ सीमा-विवाद पर भी चीन यही नीति अपना रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी क्षेत्र की सीमा रेखा को लेकर चीन को जितनी परेशानी हो रही है, उससे कहीं अधिक उसकी समस्या वास्तव में वास्तविक नियन्त्रण रेखा को लेकर बनी हुई है। आश्चर्य किन्तु सत्य की चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में उस दौरान भी जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया, जब भारत-चीन वार्ता हेतु वाजपेयी चीन यात्रा में थे। इस घटनाक्रम में सीमित समर्पण के बाद भारत ने 15 चौकियाँ पीछे हटाईं। चीनी सैनिकों ने अर्द्धसैनिक बल के जवानों एवं खुफिया ब्यूरो के कर्मचारियों को घेरा, ललकारा व हथियार रखवाकर समर्पण की वीडियो फिल्म भी बनाई, जिससे चीन की नीयत पर सन्देह होना स्वाभाविक है। सिक्किम के सन्दर्भ में भी चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि इसको भारत का अंग मानने की मान्यता उसने परोक्ष रूप में भी नहीं दी है।

भारत-चीन के बीच सड़क व्यापार मार्ग के चार प्रमुख मार्ग हैं—**एक** उत्तरांचल में लिपु लेख दर्रा, **दूसरा** हिमाचल में शिपकी ला दर्रा, **तीसरा** दार्जिलिंग के निकट जालेपा ला दर्रा तथा **चौथा** सिक्किम-तिब्बत सीमा पर नाथुला दर्रा। प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नाथुला दर्रा वाला रास्ता खोलने पर सहमति व्यक्त कर दी है। नाथुला दर्रे से होकर गुज़रने वाली व्यापारिक प्रक्रिया में कुछ बड़ी रणनीतिक समस्याएँ भी हैं। भारतीय सेना के उच्च स्तर पर इस समझौते को लेकर गहरी चिन्ता व्यक्त की जा रही है। चूँकि सामरिक दृष्टि से यह अत्यन्त ही संवेदनशील सीमा मार्ग माना जाता है। यह व्यापारिक मार्ग भारतीय भूगोल के सबसे नाज़ुक क्षेत्र 'चिकेन नेक' के इतने निकट है कि किसी विवाद की स्थिति में बांग्लादेश व भूटान के बीच स्थिति इस भू-भाग में अपनी सेनायें लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से बड़ी सरलता के साथ अलग कर सकता है। उल्लेखनीय है कि चीन ने अपने असन्तुष्ट प्रान्त सिक्यांग पर संकट का अनुमान लगाकर लद्दाख के पुराने व्यापारिक मार्ग को खोलने की भारतीय मांग को पूरी तरह उपेक्षित ही नहीं किया, बल्कि इसकी कोई भी बातचीत नहीं की।

सीमा-विवाद के साथ ही चीन का पाकिस्तान के प्रति सामरिक लगाव भारत-चीन विश्वास में भटकाव उत्पन्न करता रहा है। चीन द्वारा पाकिस्तान को दिये जा रहे आधुनिक हथियारों को लेकर उपजी सुरक्षा चिन्ता अविश्वास की असली समस्या है। पाकिस्तान में चीन ने न केवल कराकोरम राजमार्ग निर्माण करके अपनी सेना के लिए कराची में अरब सागर तक मार्ग बन चुका है, बल्कि इसके साथ ही पाक के साथ मिलकर ग्वादर बन्दरगाह को आधुनिक नौ-सैनिक अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। इस बन्दरगाह के पूरा होते ही चीन की नौ-सेना बड़ी सरलता के साथ अरब सागर में प्रवेश कर सकेगी। दूसरी ओर चीन म्यांमार के मार्ग से हिन्द महासागर में अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह के मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर अपना नौ-सैनिक अड्डा विकसित कर चुका है। इसके साथ ही नेपाल सीमा को राजमार्ग से जोड़ने का भी चीन द्वारा अनूठा प्रयास किया गया है। चीन की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील राज्य के रूप में सिक्किम गिना जा रहा है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों से सटा हुआ है। पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को चीन से हथियार व प्रशिक्षण मिलता रहा है। अतः सिक्किम में सीमा व्यापार के नाम पर चीन के प्रवेश करते ही भारतीय सुरक्षा तंत्र पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की आशंका से कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता है।

भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों की दोस्ती के बीच बहुत अवरोध है। चीन जान बूझकर भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने को उपेक्षित करता जा रहा है, जो कि सम्बन्धों के सन्दर्भ में शुभ संकेत नहीं हैं। यही चीन दूसरी ओर अन्य पड़ोसियों विशेषकर रूस के साथ सीमा-विवाद सौहार्दतापूर्वक सुलझा चुका है। इतना ही नहीं भारत पर लगाम लगाने व नकेल डालने की एक योजनाबद्ध रणनीति के तहत चीन अपने आधुनिक हथियारों एवं विकसित नाभिकीय प्रौद्योगिकी की आपूर्ति पाकिस्तान को करता रहा है। भारत-चीन सीमा विवाद जहाँ सुलझा नहीं है, वहाँ चीन की भारत के चारों ओर जारी सामरिक व रणनीतिक गतिविधियाँ हमें निरन्तर सतर्क रहने के लिए स्पष्ट संकेत देती हैं। कुछ भी हो, भारत व चीन को सीमा सम्बन्धी विवाद हर हाल में सुलझाना होगा और उनके सह-अस्तित्व के लिए शर्तों

पर सहमत होना ही होगा। भारत ने इस दृष्टि से तत्परता दिखा दी है और प्रधानमन्त्री के प्रधान सचिव बृजेश मिश्र को इस कार्य हेतु विशेष दूत बनाया गया है। अब देखना है कि सीमा विवाद सुलझाने में चीन कितनी रुचि लेगा, उसी से नये सम्बन्धों के समीकरण सही अर्थों में सुनिश्चित हो सकेंगे।

आपसी विश्वास—वास्तविकता तो यह है कि सीमा विवाद से अधिक भारत-चीन के बीच परस्पर विश्वास का अभाव असली विवाद है। हमारे राजनय एवं चीन की प्रतिक्रिया में भी इस अविश्वसनीयता के विशेष रूप से दर्शन होते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न व्यापार का नहीं, बल्कि व्यवहार एवं विश्वास का है। दक्षिण एशिया के लोगों के विकास तथा इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक है कि भारत व चीन के बीच सामान्य व सहयोगी सम्बन्ध स्थापित हो। दोनों पक्षों को अतीत की यादों तथा आशंकाओं पर आधारित कटुता, विरोध व अविश्वास का परित्याग कर देना चाहिए। भारत व चीन के बीच व्यावहारिक, राजनीतिक और सामरिक सन्तुलन तभी आ सकता है, जब चीन भी प्रत्येक क्षेत्र में समुचित स्थिरता लाने की दृष्टि से भारत के साथ दृढ़-विश्वास से सम्बन्ध स्थापित करे। चूँकि भारत के साथ चीन के सम्बन्ध जटिल हैं। सीमा-विवाद सुलझाने के बावजूद भारतीयों एवं चीनियों के दिमाग से वर्ष 1962 की स्मृतियाँ दूर होने में काफ़ी समय लगेगा। भारत व चीन के बीच एक लम्बी अवधि से चली आ रही वैमनस्यता व अविश्वास के कारण निश्चित रूप से एशियाई शान्ति और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है।

यह सत्य है कि भारत-चीन के व्यापारिक एवं व्यावहारिक कदम जिस गर्मजोशी के साथ उठाये गये हैं, उससे भारत-चीन रिश्तों की खाइयाँ आहिस्ता-आहिस्ता घटती जा रही हैं। इसके लिए पहल दोनों ओर से हुई है। सीमा-विवाद के अलावा दोनों देशों ने वाजपेयी के इस दौरे में व्यापार, शिक्षा, वीज़ा व सूचना तकनीकी आदि को लेकर भी अनेक महत्त्वपूर्ण समझौते किये हैं। इन समझौतों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्राथमिक कदम यह होगा कि भारत व चीन इस बात का विश्वास बनाये कि अब दोनों एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं बनेंगे। 1962 के आकस्मिक युद्ध के बाद यह प्रश्न प्रत्येक भारतीय के मन में उभरता है कि क्या अब चीन पर विश्वास किया जा सकता है ? इसका उत्तर तुरन्त देना सम्भव नहीं है यह तो समय के साथ ही पता लग सकेगा। यद्यपि चीन अब प्रत्यक्ष रूप से किसी भी देश के साथ युद्ध नहीं करना चाहता है, किन्तु इसके बावजूद अप्रत्यक्ष रूप से चीन अपने विरोधियों को लामबन्द करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता रहा है। चूँकि इस समय एशिया में भारत चीन का प्रबलतम प्रतिद्वन्द्वी प्रमाणित हो रहा है, जिससे वह भारत को भी चारों ओर से अप्रत्यक्ष रूप से घेरने का भी हर सम्भव प्रयास कर रहा है।

चीन का भारत के प्रति आकस्मिक लगाव उसके हृदय परिवर्तन के कारण नहीं पनपा है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आये बदलाव और उससे उत्पन्न आवश्यकताओं के कारण हुआ है। अमेरिका के एशिया में नये समीकरणों की तलाश के कारण चीन की बेचैनी बढ़ी है। चूँकि अमेरिका अपनी दूरगामी रणनीति के तहत चीन को घेरने के प्रयास में लगा है और अपनी दादागिरी के बल पर चीन पर अपना अंकुश लगाना चाहता है। वस्तुस्थिति यह है कि चीन इस समय एशिया की एक महान् शक्ति के रूप में उभरा है। चीन को यदि भारत का सहयोग एवं समर्थन मिल जाता है, तो उसके द्वारा अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती सरलता एवं सहजता से दी जा सकती है। चीन एक नई विश्व व्यवस्था की परिकल्पना कर रहा है। परिकल्पना का मुख्य आधार बहुमुखी व्यवस्था है अर्थात् अमेरिकी शक्ति को स्वीकार न करना है। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर चीनी नेता इस बात को बेहिचक दोहराते हैं कि दुनिया में अमेरिका अकेले ही एकमात्र शक्ति नहीं है। चीन इस अभियान में भारत का सक्रिय सहयोग चाहता है, ताकि एक ध्रुवीय व्यवस्था धूमिल हो जाए।

भारत-चीन सीमा पर राजनीतिक, सामरिक एवम् कूटनीतिक पहल का एक संक्षिप्त लेखा-जोखा—

18 दिसम्बर, 1953—पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भारत-तिब्बत सीमा विवाद सुलझाने के लिए शिष्ट मण्डल चीन भेजा।

19 अप्रैल, 1954—भारत व चीन के बीच 'पंचशील' समझौता सम्पन्न हुआ।

2 मार्च, 1955—भारत ने उत्तरी क्षेत्र में चीन की घुसपैठ पर आपत्ति जताई और कहा कि यह पंचशील सिद्धान्तों की अवहेलना है तथा चीन अधिकारिक मानचित्र की सीमा रेखा का अतिक्रमण कर रहा है।

18 दिसम्बर, 1956—कुछ चीनी लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ करते मिले, उन्हें आखिर वापस भेजा गया।

4 सितम्बर, 1957—उत्तरी असम के बड़े भूभाग को चीन में शामिल दिखाने वाले मानचित्र पर भारत ने चीन से आधिकारिक तौर पर नाराज़गी व्यक्त की।

23 जनवरी, 1959—चाऊ एन० लाई ने पहली बार कहा कि पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्र तथा लद्दाख में 40,000 वर्गमील क्षेत्र पर चीन का दावा बनता है।

13 अगस्त—चीन ने लद्दाख, सिक्किम तथा भूटान को स्वतन्त्र कराने का प्रचारात्मक अभियान छेड़ा, जिससे भारत विशेष चिन्तित हुआ।

25 अगस्त—चीनी टुकड़ी ने पूर्वी लद्दाख के मिभयतुन नामक भारतीय चौकी पर गोलीबारी की। उत्तरी लद्दाख में भी आक्रामक हरकतें जारी रहीं।

7 सितम्बर, 1959—जवाहर लाल नेहरू ने भारत-चीन सम्बन्धों पर पहला श्वेत-पत्र जारी किया।

8 सितम्बर—चीन ने मैकमोहन लाइन मानने से इन्कार किया तथा सिक्किम तथा भूटान सहित 50,000 वर्ग मील क्षेत्र को अपना अंग बताया तथा अक्साई चिन क्षेत्र में तनाव शुरू हो गया।

7 नवम्बर—चाऊ एन लाई ने वास्तविक नियन्त्रण रेखा तथा मैकमोहन लाइन से फौज़ों को 20 कि० मी० दूर रखने की बात मानी।

2 अप्रैल, 1960—चीन ने भारत द्वारा जारी मानचित्र और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को अस्वीकारा।

जून, 1961—विदेश सचिव आर० के० नेहरू की चीन यात्रा, सीमा के मामले पर वार्ता विफल भारतीय सैनिकों ने सीमा पर मोर्चा सम्भाला।

अप्रैल, 1962—चीन ने भारत से अग्रिम मोर्चों पर तैनात सेना को हटाने का अल्टीमेटम दिया जिसे 22 मई को संसद् में बहस के बाद 2 जून को खारिज कर दिया गया।

10 जून से 20 अक्तूबर—चीनी सैनिकों ने मैकमोहन रेखा पार की, हमले किए, बाद में युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने ठुकरा दिया।

20 अक्तूबर से 10 सितम्बर—उत्तर पूर्वी सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बाच बाकायदा युद्ध हुआ। अन्ततः 8 दिसम्बर को भारत चीन द्वारा भेजे त्रिसूत्रीय युद्ध विराम के प्रस्ताव पर राज़ी।

30 दिसम्बर, 1964—चाऊ एन० लाई ने भारत की सीमा के भीतर 90,000 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र पर अपना दावा जताया।

1965—सिक्किम में घुसपैठ के मामले जारी।

1967—सिक्किम के नाथुला दर्रे में मुठभेड़।

1 जनवरी ,1969—भारत ने संकेत दिया कि वह चीन से सैद्धान्तिक बातचीत के लिए तैयार है। सीमा विवाद भी बातचीत का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया।

1970, चीन और भारत के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित। सीमा विवाद सुलझाने के बारे में पहल के आसार बने।

अप्रैल, 1975—भारत में सिक्किम के विलय पर चीन ने अपनी ज़ोरदार आपत्ति जताई।

7 जुलाई, 1976—दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध कायम। के० आर० नारायणन चीन भारत के तथा चेन चाऊ युवान भारत में चीन के राजदूत बनकर आए।

फरवरी, 1979—श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए। सीमा पर वार्ता को बल।

जून, 1981—चीनी विदेश मन्त्री हुवांग हू भारत आए। सीमा विवाद पर बातचीत लेकिन ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हो सके।

8 दिसम्बर, 1986—अरुणाचल को पूर्णरूपेण भारत का राज्य मानने पर चीन ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की। मैकमोहन सीमा विवाद एक बार फिर उभरकर सामने आया।

मई, 1987—राजीव गाँधी ने पी० एन० हक्सर को विशेष दूत बनाकर चीन उच्च स्तरीय वार्ता के लिए भेजा।

दिसम्बर, 1988—तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी चीन गए और सीमा विवाद हल करने के लिए संयुक्त कार्यदल बनाने पर समझौता किया।

1991—चीनी राष्ट्रपति ली फेंग भारत आए और कहा कि सीमा विवाद आपसी सलाह से हल कर लिया जाएगा।

1992—रक्षामन्त्री शरद पवार तथा राष्ट्रपति आर० वेंकट रमण द्वारा चीन यात्रा। सीमा विवाद पर भी आपसी वार्ता हुई।

सितम्बर, 1993—प्रधानमन्त्री नरसिम्हाराव चीन यात्रा पर गए और सीमा पर शान्ति बनाए रखने के लिए एक समझौता तथा सीमा विवाद जल्द निपटाने की बात की।

1994—राष्ट्रपति के० आर० नारायणन चीन गए किन्तु सीमा पर कोई बात-चीत नहीं हो सकी।

अगस्त, 1995—भारत और चीन ने सीमा सम्बन्धी विवाद पर बात की। चार व्यापारिक सीमावर्ती सड़क रास्तों को खोलने सम्बन्धी बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

29 नवम्बर, 1996—चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत की सद्भावना यात्रा पर आए।

अगस्त, 1997—भारत और चीन के बीच संयुक्त बैठक में सीमा सुरक्षा तथा सैन्य मुद्दों पर आपसी विश्वास बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। नवम्बर में एक बार फिर भारत आए चीनी राष्ट्रपति ने वास्तविक नियन्त्रण रेखा तथा भारत चीन सीमा रेखा के मामले में आपसी विश्वास बढ़ाने सम्बन्धी समझौता किया।

4 अगस्त, 1998—संसद् में प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि चीन के साथ सीमा समस्या सुलझाने के लिए निरन्तर आपसी बातचीत जारी रहेगी।

22 सितम्बर, 1999—चीन से सीमा पर 14वीं भारतीय कोर की तैनाती का विरोध किया।

14 नवम्बर—भारत और चीन के मध्य क्षेत्र के 545 किमी० सीमा के विवादित क्षेत्र वाले मानचित्र का आदान-प्रदान किया।

13 जनवरी, 2002—*चीनी प्रधानमन्त्री झू रोंग्जी भारत आए। सीमा विवाद पर बातचीत का वातावरण बनने का आसार नज़र आया।*

21 मार्च—भारत और चीन दोनों वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर विवाद निपटारे की गति बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

21 अप्रैल, 2003—रक्षामन्त्री जार्ज फर्नांडीज़ चीन पहुँचे। अन्य मुद्दों के अलावा सीमा विवाद पर भी बातचीत की किन्तु कोई निर्णय नहीं हो सका।

31 मई, 2003—प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के राष्ट्रपति हु जिन्ताओं सेन्ट पीटर्सवर्ग में मिले।

31 मई से 13 जून—भारत और चीन ने बीजिंग में आतंकवाद से लड़ने के लिए द्विपक्षीय सन्धि तथा सीमा विवाद पर चर्चा हेतु बैठक करने पर बात की।

22 जून—प्रधानमन्त्री वाजपेयी चीन गए। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत की ओर से बृजेश मिश्र तथा चीन की तरफ़ से ढाई बिंग्यू नियुक्त किए गए।

26 जून—चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की।

जुलाई—भारत द्वारा स्पष्टीकरण की बात पर चीन ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग नहीं मानता। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा पर एक बार फिर विवाद।

11 अप्रैल, 2005—चीन के प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओ व भारत के प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह की भेंट के दौरान नयी दिल्ली में दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर सहमति बनी। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम० के० नारायणन और चीन की ओर से वहाँ के उप विदेश मन्त्री दाई बिंगुओ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये।

इसके साथ ही दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों द्वारा अहम संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के एक महत्त्वपूर्ण समझौते के अलावा नागरिक उड्डयन, कृषि क्षेत्र, सामुद्रिक विज्ञान, फिल्म क्षेत्र में सहयोग, सीमा शुल्क, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के समझौते शामिल हैं। दोनों देशों ने अपनी सांझेदारी बढ़ाकर उसे शान्ति और समृद्धि के लिए सामरिक और सहयोगपूर्ण साझीदारी के मुकाम तक पहुंचाने का फैसला किया है। दोनों देशों ने आर्थिक सम्बन्धों को भी एक नया आयाम देते हुए 2008 तक व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डालर तक लाने और भारत-चीन क्षेत्रीय व्यापार प्रणाली की सम्भावना पर विचार करने का फैसला किया है।

भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार करने के लिए आवश्यक है कि दोनों देश अतीत के विवादों को भूलकर एक नए *अध्याय का आरम्भ व्यापार, व्यवहार एवं विश्वास के साथ करें। आशंकाओं एवं सन्देहों को दर-किनार कर सामरिक* सतर्कता के साथ सम्बन्धों को सुधारने पर बल देने की सामयिक आवश्यकता है। यद्यपि हमारे चीन के साथ अनेक मुद्दों पर विरोधाभास है, जैसे—भारत में सिक्किम विलय को मान्यता न देना, दोनों देशों के बीच परमाणु अप्रसार सन्धि, दलाईलामा का भारत में प्रवास, पाकिस्तान के प्रति उसका विशेष लगाव व हथियारों की आपूर्ति तथा सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के सन्दर्भ में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशिया में जो स्थिति है, इसमें दोनों देशों को अपने

प्रतिक्रियावादी रुख का परित्याग करना होगा और सम्बन्धों के सन्दर्भ में ठोस पहल करनी होगी। यद्यपि सीमा-विवाद बेहद जटिल है, किन्तु अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व एवं वर्तमान समन्वित परिवेश की दृष्टि से भारत-चीन के साथ समुचित सौहार्दपूर्ण वातावरण का विकास एक आवश्यकता बन गई है। आशा है कि दोनों देशों की व्यापारिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों की प्रगाढ़ता आपसी विश्वास की भावना को मज़बूती प्रदान करेगी और एक नये समीकरण की शानदार शुरुआत होगी। दक्षिण एशिया एक सुदृढ़ शक्ति के साथ शान्ति के सन्दर्भ में दोनों एक होते हैं तो इसका प्रत्यक्ष लाभ भी दोनों देशों को प्राप्त हो सकेगा। सहयोग की पंचवर्षीय योजना व 12 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर निःसन्देह सम्बन्धों को एक नयी दिशा देंगे।

अन्ततः अतीत की कड़वी यादों को भुलाकर भारत और चीन ने सम्बन्धों के नए रास्ते पर चलने की पहल की है। राजीव गांधी ने भारत की चीन नीति को नई दिशा दी थी। अब दोनों देश सम्बन्धों को सुधारने के लिए देर करने के मूड में नहीं हैं। चीनी प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ की मौजूदा भारत यात्रा में पाँच साल में सभी विवादों को सुलझाने और सहयोग व सांझीदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जो सहमति बनी है, वह इसी का संकेत है। दोनों देशों ने जिस समझौते पर दस्तखत किए हैं उससे तय हो गया है कि सीमा विवाद को सम्बन्धों के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। दरअसल, भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद इतना उलझा हुआ है कि बहुत आसानी से उसके निपटारे की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। 4056 किमी० लम्बी वास्तविक नियन्त्रण रेखा के बारे में दोनों देशों ने कभी भी एक-दूसरे की बात नहीं मानी है। अरुणाचल प्रदेश और तवांग का विवाद है तो अक्साई चिन भी दशकों से विवादित बना हुआ है। कराकोरम की पहाड़ियों पर भी दोनों पक्षों के दावे हैं। बृजेश मिश्रा और जे० एन० दीक्षित के बाद अब एम० के० नारायणन इन मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी काम कर रहा है। इसलिए जब दोनों देशों के प्रमुखों ने यह तय कर लिया कि सीमा विवाद अब दोनों देशों के सम्बन्ध निर्धारित नहीं करेगा और इसके निपटारे का काम इसके लिए बने विशेष समूह और प्रतिनिधि कर लेंगे तो स्थितियां आसान हो गईं। सीमा के दोनों तरफ अपनी पोज़ीशन में बदलाव के लिए भी दोनों देश तैयार हो गए हैं। नक्शों के आदान-प्रदान को पूरा करने पर एक राय बन गई है तो ज़ाहिर है कि तकनीकी कारण इसमें अड़चन नहीं डाल पाएँगे।

वेन की वाया बंगलौर दिल्ली यात्रा ने उनकी प्राथमिकता और दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को नियन्त्रित करने वाले कारकों की पहचान करा दी है। वेन ने शानदार रूपक के ज़रिए दोनों देशों को दो पैगोडा बताया है और इनके एक होकर दुनिया का मुकाबला करने की इच्छा ज़ाहिर की है। क्या चीन की इस इच्छा को भारत साकार कर सकता है। 12 सूत्री समझौते में इसकी नींव भी रख दी गई है। हार्डवेयर में चीन की दक्षता और साफ्टवेयर में भारतीय विशेषज्ञता अगर एक हो जाएं तो कम-से-कम आईटी के विश्व व्यापार पर तो इनका कब्ज़ा हो ही जाएगा। इसके अलावा भी दोनों देशों ने अगले तीन साल में अपना साझा कारोबार 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सैन्य क्षेत्र में भी भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाने को दोनों देश तैयार हैं। इसके तहत पहला समझौता यह हुआ कि सीमा के पास दोनों देश बड़ा सैन्य अभियान नहीं चलाएंगे। नाथुला दर्रे के ज़रिए होने वाले कारोबार की भी समीक्षा की गई है। भारत ने चीन को भरोसा दिलाया कि उसकी ज़मीन से चीन विरोधी आन्दोलन नहीं चलेगा। हालांकि चीन ने स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को नहीं स्वीकार किया है लेकिन यह ज़रूर कहा है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को समझता है और इसका समर्थन करता है। अगर इसकी व्याख्या यह है कि वह भारत की दावेदारी में अड़ंगा नहीं लगाएगा तो भारत के लिए सन्तोष की बात है। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। इसलिए भारत और चीन करीब आ रहे हैं। आर्थिक सम्बन्धों से निर्धारित हुई यह निकटता टिकाऊ होगी यह उम्मीद करनी चाहिए।

निःसन्देह व्यापारिक रिश्ते मज़बूत होने से कूटनीति में भी लाभ होता है। किन्तु कूटनीति की अपनी गति भी होती है। पर्याप्त पारस्परिक सूझबूझ तथा विश्वास एक नयी दिशा दिखायेगा। ऐसा दृढ़ विश्वास है।

सम्पादकीय दैनिक भास्कर—12 अप्रैल, 2005

13

भारत-बांग्ला देश सम्बन्ध (INDO-BANGLA DESH RELATIONS)

बांग्लादेश का उदय पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के शोषण, याहिया खां की तानाशाही, जनता का दमन, अवामी लीग पार्टी के बहुमत को नकारने, बांग्लादेश के स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा भारत-पाक युद्ध 1971 के परिणामस्वरूप हुआ। बांग्लादेश को स्वतन्त्र कराने का पूरा श्रेय भारत को था। अत: भारत के साथ बांग्लादेश के सम्बन्ध सुमधुर होने स्वाभाविक थे और भारत को भी इस उपमहाद्वीप में अपना एक अत्यन्त सहायक मित्र देश मिल गया, ऐसा अनुभव हो रहा था। अभी दोस्ती की डोर मज़बूत भी नहीं हुई थी कि बांग्लादेश ने अपने झटके देने शुरू कर दिये और सम्बन्धों में गठजोड़ पड़ गया। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता ही नहीं दी बल्कि पाकिस्तान को भी मान्यता देने के लिए विवश किया। यही बांग्लादेश कुछ समय बाद ही अपने रंग दिलाने लगा और 'दूरस्थ पड़ोसी' बनने लगा।

भारत एवं बांग्लादेश के सम्बन्धों का उल्लेख करने से पूर्व संक्षिप्त में इसकी भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन करना उचित होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक घनत्व जनसंख्या वाला देश तीन ओर से भारतीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। इसका केवल दक्षिणी भाग बंगाल की खाड़ी की ओर है। कृषि प्रधान इस देश से गंगा (पद्यमा), यमुना (ब्रह्मपुत्र), मेघना तथा सुरमा आदि नदियां निकलती हैं। इसका स्वतन्त्र अस्तित्व भारत की ही देन है। बांग्लादेश का उदय तो 6 दिसम्बर, 1971 को हो गया था, जब भारत ने सर्वप्रथम मान्यता दी थी। व्यवहार में बांग्लादेश संसार के मानचित्र का उस समय उभरा जब 16 दिसम्बर, 1971 को ढाका में पाक-सेना के लेफ्टीनेण्ट जनरल नियाजी ने आत्म-समर्पण के दस्तावेज़ों पर दस्तखत किये। भारत ने इस देश की स्वतन्त्रता के लिए केवल बलिदान ही नहीं दिया बल्कि आर्थिक एवं नैतिक सहयोग देकर स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान किया।

अब हम भारत एवं बांग्लादेश के सम्बन्धों का विवेचन दो भागों में विभाजित करके व्यक्त करते हैं—

1. शेख मुजीबुर्रहमान का समय एवं सम्बन्ध (1971 से 1975 तक)
2. शेख मुजीबुर्रहमान के बाद का समय एवं सम्बन्ध (1975 से अब तक)

1. शेख मुजीबुर्रहमान का समय एवं सम्बन्ध (1971 से 1975 तक)—बांग्लादेश की स्वतन्त्रता के बाद भारत के ज़ोरदार प्रयासों से आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर्रहमान को 9 माह की जेल यात्रा के बाद 9 जनवरी, 1972 को पाकिस्तानी जेल से मुक्ति मिली। जेल से मुक्ति मिलते ही 10 जनवरी, 1972 को शेख मुजीब ने भारत की यात्रा की ओर दिल्ली में भारत की जनता एवं सरकार द्वारा ज़ोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए **शेख मुजीबुर्रहमान** ने कहा था—"***भारत एवं बांग्लादेश एक असीम भाईचारे में बंध गए हैं, उनका कृतज्ञ राष्ट्र भारत की सहायता भुला नहीं सकेगा।***"[1] 17 जनवरी, 1972 को भारत एवं बांग्लादेश के बीच प्रथम अनुदान समझौता हुआ, जिसमें सामग्री तथा माल सेवाओं के साथ-साथ विदेशी मुद्रा एवं भुगतान की शर्तें निश्चित की गयीं।

बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमन्त्री के रूप में शेख मुजीब 6 फरवरी, 1972 को कलकत्ता आये और भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी सहित अन्य प्रमुख नेताओं से भावी सम्बन्धों की रूप रेखा तय करके ऐतिहासिक मित्रता की आधारशिला रखी गयी। पूर्व घोषित नीति के अनुसार भारत ने वचन दिया, कि वह बांग्लादेश के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और यह भी घोषणा की कि 25 मार्च से पहले समस्त भारतीय सेनाएं वापस लौट आयेंगी। सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापार सरकारी स्तर पर किया जायेगा जिससे असामाजिक तत्त्व मित्रता का अनुचित लाभ न उठा सकें। इस संयुक्त वक्तव्य को 'संयुक्त घोषणा' का नाम दिया गया। दोनों देशों ने स्वतन्त्रता के आदर्शों एवं मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए प्रयत्नरत रहने का निश्चय किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) के चार्टर के लिखित सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों के आधार पर ही अपनी भावी योजना तय करके ही कार्यवाही करेंगे।

1. डॉ० जे० पी० प्रेमदेव-अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मेरठ

मित्रता एवं सहयोग की पच्चीस वर्षीय सन्धि—बांग्लादेश से जब भारतीय सेना की वापसी हो गयी थी, तब 17 मार्च, 1972 को भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने ढाका की यात्रा की जहां बहुत बड़ी संख्या में वहां के लोगों ने मुक्तिदाता के रूप में उनका भव्य स्वागत किया। ढाका के हवाई अड्डे में बंगाली भाषा में दिये संक्षिप्त भाषण में श्रीमती गान्धी ने कहा कि—"**भारत एक सशक्त एवं समृद्धशाली बांग्लादेश चाहता है, क्योंकि ऐसा पड़ोसी भारत के निजी हित में है।**"[2] भारत एवं सोवियत संघ सन्धि 1971 की भान्ति सहयोग, शान्ति एवं मित्रता के उद्देश्य से 19 मार्च, 1972 को भारत व बांग्लादेश के बीच भी एक पच्चीस वर्षीय सन्धि सम्पन्न हुई। इस सन्धि में एक लम्बी प्रस्तावना तथा 12 धारायें तय हुईं। संक्षिप्त में इसका विवरण इस प्रकार से था—

(1) दोनों देश परस्पर प्रादेशिक अखण्डता का ध्यान रखेंगे।

(2) दोनों देश परस्पर स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता व अखण्डता को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक मामलों में दखलन्दाजी नहीं करेंगे।

(3) विश्व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा तटस्थता की नीति अपनाएंगे।

(4) रंगभेद, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध कार्य करेंगे।

(5) दोनों देश परस्पर एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल शान्तिपूर्ण सहयोग से करेंगे।

(7) दोनों देशों में से यदि किसी देश पर भी आक्रमण हुआ या आक्रमण की धमकी हुई तो तत्काल आपस में सलाह-मशविरा करेंगे जिससे खतरे को टाला जा सके और उनकी सुरक्षा हो सके।

(8) दोनों देश एक-दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश को सहायता नहीं देंगे और न एक दूसरे पर हमला करेंगे।

(9) दोनों देश किसी भी एक अथवा अधिक देशों से खुला अथवा गोपनीय, ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे, न कोई ज़िम्मेदारी लेंगे जो इस सन्धि के विरुद्ध हो।

(10) इस सन्धि में दोनों देशों द्वारा असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर अपनी आस्था प्रकट की गई।

(11) दोनों देश एक-दूसरे के आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में सहयोग देकर विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

(12) सन्धि सम्बन्धी आपसी मतभेदों को परस्पर वार्ता द्वारा ही हल किया जायेगा।

(13) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं राष्ट्रीय सार्वभौमिकता व स्वतन्त्रता को मज़बूत बनाने पर बल दिया गया।

(14) दोनों देश किसी सैनिक सन्धि में भाग नहीं लेंगे।

(15) दोनों देश एक-दूसरे की शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे।

इस प्रकार यह सन्धि भारत एवं बांग्लादेश की प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्धि के रूप में विख्यात है। जैसा कि 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' 12 मार्च, 1972 में **श्री जी० एल० जैन ने लिखा था**—

"The Treaty was considered as the first formal and certainly unique step taken by the important Asian countries for the stabilization of peace in this sub-continent."

(इस प्रथम एवं विशेष सन्धि से एशिया के प्रमुख देशों द्वारा उपमहाद्वीप की शान्ति एवं स्थायित्व की दिशा में उठाये गये महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा।)

भारत-बांग्ला देश व्यापार समझौता—25 मार्च, 1972 को दोनों देशों के मध्य एक व्यापार समझौता हुआ जिसके अनुसार दोनों देशों की सीमाओं के दोनों तरफ 16-16 किलोमीटर तक स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था की गयी। इसमें आयात तथा निर्यात और विनिमय सम्बन्धी कोई नियन्त्रण न था। इस व्यापार में उन्हीं वस्तुओं को रखा गया जोकि रोजमर्रा में काम आती हैं। समझौते में यह भी तय हुआ कि दोनों देश रुपए के आधार पर एक-दूसरे को 50 करोड़ का माल भेज सकेंगे। इस सन्धि से न तो कोई समर्थ होने के कारण अपने स्वार्थों के लिए इससे अधिक माल प्राप्त कर सकेगा और न कोई अपनी विवशता व ग़रीबी से इससे अधिक माल देने को मज़बूर होगा। इस सन्धि का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों को समान रूप से लाभ दिलाना था।

इस सन्धि पर भारत की ओर से तत्कालीन विदेश व्यापार मन्त्री एल० एन० मिश्र ने हस्ताक्षर किये और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस समझौते को केवल व्यापार समझौते की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दोनों देशों की सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए यह समझौता बहुत महत्त्वपूर्ण है। इससे सामान्य आर्थिक सम्बन्धों में मज़बूती आयेगी। इसके साथ ही इस सन्धि में बांग्लादेश ने अपनी सड़कें, रेलवे तथा जलमार्ग को भी भारत के व्यापार के लिए खोल दिया था। इस प्रकार दोनों देशों के सम्बन्धों को एक नया आयाम मिला।

---

2. The Statement -18 March, 1972 Delhi Editors

भारत-बांग्लादेश सांस्कृतिक समझौता—दोनों देशों ने अपने सम्बन्धों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 30 दिसम्बर, 1972 को एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के द्वारा दोनों देशों के बीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग एवं सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध घनिष्ठ करने की व्यवस्था की गयी।

भारत-बांग्लादेश के अच्छे सम्बन्धों के परिणामस्वरूप ही जब 3 जुलाई, 1972 को शिमला-समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था तो बांग्लादेश से विचार-विमर्श किया गया था। इसी प्रकार से 18 अगस्त, 1973 को युद्ध बन्दियों के सम्बन्ध में समझौता करते समय भी भारत ने बांग्लादेश से परामर्श किया था। इसके साथ ही 9 अप्रैल, 1974 को भारत-पाकिस्तान व बांग्लादेश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके अनुसार सभी पाकिस्तानी युद्ध बन्दी छोड़ दिये गये।

भारत-बांग्लादेश सीमा समझौता—12 मई, 1974 को जब बांग्लादेश के प्रधानमन्त्री श्री शेख मुजीबुर्रहमान ने भारत की यात्रा की तो दोनों देशों के मध्य आर्थिक एवं सीमा विवाद सम्बन्धी समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रधानमन्त्री स्तर पर विचार-विमर्श हुआ। श्रीमती इन्दिरा गान्धी एवं शेख मुजीब ने सीमा निर्धारित करने के लिए 16 मई, 1974 को सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार भारत ने दाहा ग्राम और अमरकोट का क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने बेरुबाड़ी पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया।

इसके अतिरिक्त तीन बीघा के क्षेत्र के समीप भारत-बांग्लादेश को 178 मीटर लम्बा तथा 85 मीटर चौड़ा क्षेत्र लीज़ (पट्टे) पर देगा, जिसका किराया मात्र एक टका प्रति वर्ष भारत को अदा करना होगा। इसके साथ ही दोनों देशों की सीमा पर लगभग 225 विवादग्रस्त बस्तियों की अदला-बदली का भी निर्णय किया गया तथा यहां के निवासियों को किसी भी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने की छूट भी दी गयी।

इस सीमा समझौते ने एक दीर्घकालीन विवाद का अन्त कर दिया और शान्ति तथा एकता का नया मार्ग खोल दिया।

इस प्रकार शेख मुजीबुर्रहमान के समय तक बांग्लादेश एवं भारत के सम्बन्धों में अत्यधिक घनिष्ठता रही। दोनों देशों में मैत्री एवं सहयोग के द्वारा राष्ट्रीय सार्वभौमिकता एवं विश्व शान्ति की दिशा में अप्रत्याशित प्रगति हुई। दोनों देशों की मित्रता उस समय अधिक उजागर हुई जब भारत ने 18 मई, 1974 को अपना प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट किया तो बांग्लादेश ने इसका स्वागत किया और विकासशील राष्ट्रों के गौरव के रूप में स्वीकार किया। दोनों देशों के सम्बन्धों में दरार उस समय से पड़ी जिस समय 15 अगस्त, 1975 को भारत अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा था और बांग्लादेश में उसी दिन शेख मुजीब की हत्या कर दी गयी।

भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध (1975 से अब तक)

15 अगस्त, 1975 को शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में बदलाव आया, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रों के लिए दोनों की गहरी दोस्ती आंख की किरकिरी बनी हुई थी तथा बांग्लादेश की आन्तरिक स्थिति नाजुक हो गयी थी। अतः मौके का लाभ उठाते हुए भारत विरोधी देशों ने सम्बन्धों को बिगाड़ने के प्रयास कर दिये थे। शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुश्ताक अहमद बने और उन्होंने 19 अगस्त, 1975 को घोषणा की कि भारत के साथ उनके देश के सम्बन्ध पूर्ववत ही बने रहेंगे किन्तु वहां की राजनीति में पूरा बदलाव आया और भारत-विरोधी गतिविधियां शुरू हो गईं। भारत व बांग्लादेश सम्बन्धी मुख्य मुद्दे इस प्रकार से हैं—

भारत-विरोधी गतिविधियां—अक्तूबर, 1975 में भारतीय उच्चायुक्त के भवन में बम विस्फोट करने का प्रथम प्रयास किया गया और 26 नवम्बर, 1975 को भारतीय उच्चायुक्त श्री समरसेन की हत्या का प्रयास किया गया जिस का परिणाम यह हुआ कि सम्बन्धों में तकरार शुरू हो गई। सिक्किम के भारत में विलय को भी बांग्लादेश ने अच्छी नज़रों से नहीं देखा। 19 अप्रैल, 1976 को

भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध

मुख्य मुद्दे -

- गंगा जल का बंटवारा
- चकमा आदिवासी समस्या
- बांग्ला शरणार्थियों की समस्या
- तीन बीघा रास्ता
- अल्फा गतिविधियों से सम्बन्ध
- आर्थिक और राजनीतिक सहयोग

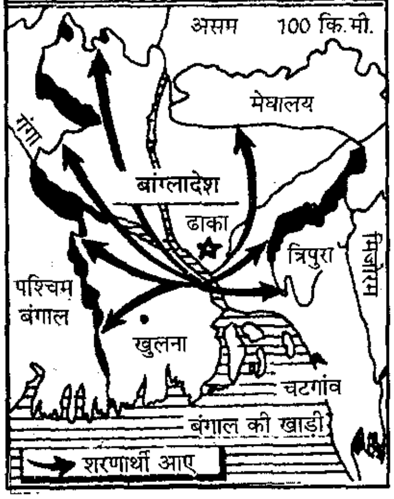

प्रातः 9 बजे मेघालय की सीमा में भारतीय गश्तीदल पर फायर किया जिसका भारत ने विरोध किया। इसके बावजूद 20 अप्रैल, 1976 को इसी सीमा में पुनः गोलाबारी की। इस प्रकार सम्बन्धों में तनाव शुरू हो गया। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति ज्यों-ज्यों नाजुक हुई त्यों-त्यों भारत विरोधी गतिविधियों में तेज़ी आयी। बांग्लादेश के लोगों में यह भावना भर दी गयी कि शेख मुजीब भारत के हाथों कठपुतली की तरह काम करते रहे हैं, अतः भारत के साथ दोस्ती खतरनाक हो सकती है। इससे भारत-विरोधी स्वर तेज़ हो गये।

गंगा जल का बंटवारा—भारत एवं बांग्लादेश के सम्बन्धों में तनाव का एक महत्त्वपूर्ण कारण फरक्का बांध भी रहा है। फरक्का बांध विवाद गंगा नदी के जल के बंटवारे से सम्बन्धित है। बांग्लादेश के साथ सर्वप्रथम अप्रैल, 1973 में जल बंटवारे का एक समझौता हुआ। दो वर्ष बाद 18 अप्रैल, 1975 को इस समस्या के समाधान के लिए एक अस्थायी समझौता किया गया, जिसके आधार पर भारत को एक निश्चित मात्रा में अपनी निकासी नहरों के लिए पर्याप्त जल मिलता रहेगा। बांग्लादेश ने जनवरी, 1976 में भारत पर आरोप लगाया कि वह गंगा का पानी अधिक मात्रा में प्रयोग कर लेता है, जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बात को लेकर फरक्का बांध तोड़ने के लिए फरक्का मार्च योजना भी बांग्लादेश द्वारा बनायी गयी, जिससे दोनों देशों में असन्तोष बढ़ता गया। इसी कारण नवम्बर व दिसम्बर, 1976 में दोनों देशों के मध्य अनेक वार्तायें भी हुईं। भारत में जनता पार्टी की सरकार आ गयी और उसके कार्यकाल में भारत व बांग्लादेश के मध्य 29 सितम्बर, 1977 को एक समझौता हुआ, जिसे फरक्का समझौता कहते हैं। इस समझौते को 5 नवम्बर, 1977 से लागू किया गया।

गंगा जल बंटवारे को लेकर प्रमुख रूप से दो व्यवस्थाएं की गईं—

(क) अल्पकालीन व्यवस्था।

(ख) दीर्घकालीन व्यवस्था।

(क) अल्पकालीन व्यवस्था—इस व्यवस्था के द्वारा जिस समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भारत को 20,800 क्यूसेक पानी मिलेगा जबकि बांग्लादेश को 34,700 क्यूसेक। इसके बाद भारत को मिलने वाली पानी की मात्रा में बढ़ौत्तरी कर दी जायेगी। इस समझौते में यह भी तय हुआ कि यदि भारत को अधिक मात्रा में पानी की जरूरत हो तो कुछ मात्रा में फरक्का बांध के नीचे से पानी ले सकता है। भारत को आवश्यकता से 5000 क्यूसेक अधिक पानी मिलेगा।

(ख) दीर्घकालीन व्यवस्था—इस व्यवस्था के द्वारा गंगा की धारा को तेज़ करने का निर्णय किया तथा 1972 में स्थापित संयुक्त आयोग इस सम्बन्ध में दोनों ओर के प्रस्तावों की जांच करके यह बतायेगा कि उसके प्रस्ताव व्यावहारिक एवं मितव्ययी हैं अथवा नहीं। भारत में इस समझौते की तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसके निम्नलिखित कारण थे—

(1) भारत की मुख्य नदी गंगा है और इसकी 80 प्रतिशत धारा भारत में है।

(2) फरक्का बांध का निर्माण कलकत्ता बन्दरगाह के लिए किया गया था। इसके बावजूद कम पानी मिलने से बन्दरगाह में कमी हो जाने की सम्भावनाएं बढ़ सकती हैं।

(3) भारत को उसकी आवश्यकता से लगभग 20,000 क्यूसेक कम पानी दिया जाना तय हुआ था।

(4) पश्चिमी राष्ट्रों की कूटनीतिक चाल के आधार पर इस समझौते को तय किया गया था।

(5) भारत विरोधी गतिविधियों को तेज़ करने में पाकिस्तान एवं अमेरिका की एक राजनयिक चाल थी।

इस प्रकार दोनों देशों के बीच गंगा जल के बंटवारे की समस्या का स्थायी हल फरक्का समझौते द्वारा नहीं किया जा सका। इसी कारण इसे 1982 के समझौते द्वारा समाप्त कर दिया गया।

चकमा आदिवासी समस्या—चकमा चटगांव ज़िले के पहाड़ी आदिवासी हैं। भारत-पाक विभाजन के समय यह क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। बांग्लादेश की स्वतन्त्रता के साथ जब वहां आर्थिक समस्याएं बढ़ीं तो यह चकमा आदिवासी क्षेत्र भी शोषण का शिकार हो गया। शासन व नौकरशाही व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार ने चकमा आदिवासियों के शोषण को और अधिक तेज़ कर दिया। इसके कारण चकमा आदिवासी मज़बूर होकर भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि त्रिपुरा एवं मणिपुर सीमावर्ती राज्यों में इन चकमा आदिवासियों की संख्या लगभग 56,000 तक पहुंच गई। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य तनाव का एक कारण यह भी हो गया।

बांग्ला शरणार्थियों की समस्या—गैर-कानूनी रूप से भारत आने वाले शरणार्थियों की समस्या दोनों देशों के मध्य तनाव का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। भारत पर शरणार्थियों के कारण लगातार आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती ज़िले बांग्ला शरणार्थियों की बढ़ती संख्या से त्रस्त हैं।

पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा करीब 70 लाख है। ये मुख्य रूप से इसके सीमावर्ती जिलों में ही बसते गये हैं जिसके कारण इन जिलों में मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय औसत 11.35 प्रतिशत से बहुत ज्यादा हो गयी है। 1991 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी मालदा में 29 प्रतिशत, मुर्शिदाबाद में 28 प्रतिशत, पश्चिम दिनाजपुर में 30 प्रतिशत, उत्तर चौबीस परगना में 31 प्रतिशत और दक्षिण चौबीस परगना में 30 प्रतिशत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों में हिन्दू भी शामिल हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। वर्ष 1990 में सीमा सुरक्षा बल ने 39 हजार बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की सीमां में प्रवेश होते समय पकड़ा, उसमें 27 हजार मुसलमान और 12 हजार हिन्दू थे। वर्ष 1991 में इन्होंने 54 हजार बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जिनमें 41 हजार मुसलमान और 13 हजार हिन्दू थे।

बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आबादी इस समय साढ़े ग्यारह करोड़ है। इसकी जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए इसकी आबादी सन् 2000 में 15 करोड़ हो जायेगी, जो इसके भू-भाग को देखते हुए बहुत ज्यादा है। जनसंख्या के भारी दबाव और भारत में बेहतर जीवन की आशा में बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के अलावा ये बड़ी संख्या में दिल्ली, बम्बई और जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं। बांग्लादेश के खुलना, जेसोर, चटगांव, नोआखाली और बारीसाल जिलों से ही ज्यादातर घुसपैठिये भारत आ रहे हैं क्योंकि इन जिलों में उन्हें लगातार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चटगांव, बारीसाल और नोआखाली जिलों को प्रत्येक साल बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक विपदाओं का सामना भी करना पड़ता है। भारत-बांग्लादेश की सीमा 2223 किलोमीटर लम्बी है। इतनी लम्बी सीमा रेखा होने के कारण भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की सीमा में प्रवेश करने में सफलता मिल जाती है।[1]

विदेशी घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि 1951 की जनगणना, 1952 की मतदाता सूची और 1956 के भूमि सर्वेक्षण को आधार बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाये और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। केन्द्र सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों को इन मांगों के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए बल्कि राष्ट्रहित में शीघ्र ही कारगर कदम उठाना चाहिए।

इस प्रकार भारत एवं बांग्लादेश के सम्बन्धों में घुसपैठियों के कारण निरन्तर तनाव बढ़ता गया।

तीन बीघा रास्ता—पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बीच 17 मीटर लम्बा तथा 85 मीटर चौड़ा एक भूखंड है। इसका नाम है 'तीन बीघा।' दोनों देशों के मध्य हुए समझौते के तहत इसे 26 जून, 1992 को बांग्लादेश को पट्टे पर सौंप दिया गया पर शान्तिपूर्वक नहीं। हस्तान्तरण के दिन पुलिस तथा आन्दोलनकारियों के बीच हुई झड़प में दो लोग मारे गए। यों तो तीन बीघा बांग्लादेश को पट्टे पर दिया गया है, लेकिन यह मात्र औपचारिकता है। समझौते के तहत यह गलियारा एक रुपए वार्षिक पर 999 वर्ष के लिए शाश्वत पट्टा (लीज इन परपिच्यूइटी) पर दिया गया है—यानी स्थायी रूप से।[2]

विवाद का इतिहास

1974 के इन्दिरा-मुजीब समझौते के तहत सौंपे गये तीन बीघा क्षेत्र के विवाद का इतिहास पुराना है। विभाजन के समय 30 जून, 1947 को सर सिरियल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत-पाक सीमा निर्धारण के लिए गठित पांच सदस्यीय आयोग की लापरवाही के कारण भारत के 126 भूखण्ड तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान के 95 भूखण्ड भारत में रह गये थे। इन इलाकों का अपने-अपने देश से कोई सम्पर्क नहीं था। आज़ादी के बाद इन इलाकों को लेकर विवाद फिर उठा। सितम्बर, 1958 में तत्कालीन पाक प्रधानमन्त्री फीरोज खान नून और पण्डित नेहरू के बीच इस सम्बन्ध में करार हुआ। इस समझौते के तहत दहग्राम और आंगरापोता नामक भूखण्ड भारत को मिलने थे और इसके एवज में दक्षिण बेरूबाड़ी भूखण्ड पूर्वी पाकिस्तान को। पर बेरूबाड़ी को सौंपने के खिलाफ वामपंथी नेताओं ने आन्दोलन चलाया और मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया। अदालत ने फैसला दिया कि भारतीय भूमि का कोई अंश दूसरे देश को देना या सौंपना संविधान के विरुद्ध है। इस पर पण्डित नेहरू ने 1960 में नौवां संविधान संशोधन किया, ताकि दक्षिण बेरूबाड़ी का हस्तान्तरण हो सके। पर आन्दोलन के चलते यह सम्भव नहीं हुआ।

1971 में पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। सीमा निर्धारण का सवाल फिर उठा। 16 मई, 1974

---

1. दैनिक आज में श्री आर० पी० गुप्त का प्रकाशित लेख—14 मार्च, 1992
2. ''माया'' पाक्षिक पत्रिका—31 जुलाई, 1992 अंक

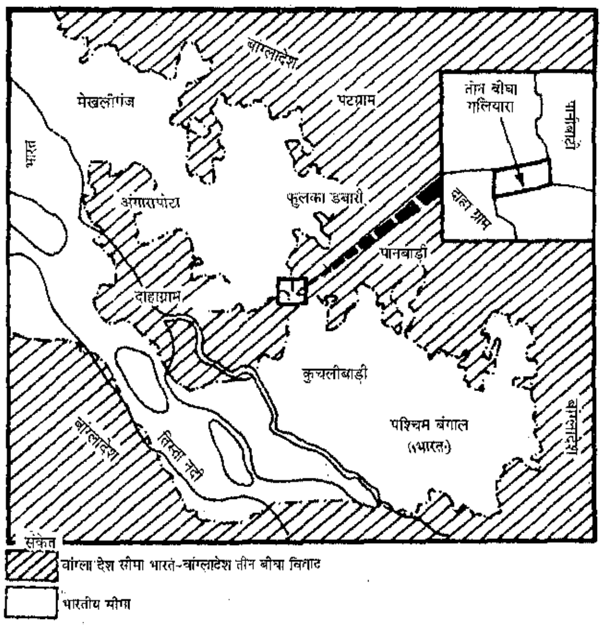

को शेख मुजीब और श्रीमती इन्दिरा गान्धी के बीच समझौता हुआ। इसके अनुसार दहग्राम और अंगारापोता इलाके पर बांग्लादेश का कब्ज़ा बहाल माना गया और बेरूबाड़ी पर भारत का। दहग्राम और अंगारापोटा इलाकों को बांग्लादेश के पाटग्राम थाने के पानबाड़ी से जोड़ने के लिए तीन बीघा क्षेत्र को शाश्वत पट्टे पर देना था। लेकिन पट्टे की शर्तों को लेकर दोनों देशों के मध्य वाद-विवाद चलता रहा। अन्ततः एक अक्तूबर 1982 को तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री पी०वी० नरसिम्हा राव बांग्लादेश के विदेश मन्त्री ए० आर० शमसुस्दुहा के बीच पत्राचार से पट्टे की शर्तों पर रजामन्दी हुई।

तीन बीघा समझौता

16 मई, 1974 को इंदिरा गांधी-मुजीबुरर्हमान तथा 7 अक्तूबर, 1982 को इंदिरा गांधी-इरशाद के मध्य हुए तीन बीघा समझौता के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है—

(1) बांग्लादेश को तीन बीघा क्षेत्र शाश्वत रूप से पट्टे पर दिया जायेगा ताकि दहग्राम एवं अंगारापोटा को पानबारी मौजा (पटग्राम) से जोड़ा जा सके और बांग्लादेश अपनी संप्रभुता का उपभोग कर सके।

(2) पट्टे पर स्थानान्तरित क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता बरकरार रहेगी, पट्टे का वार्षिक किराया मात्र 1 रु० होगा। बांग्लादेश को किराया देने की ज़रूरत नहीं होगी। भारत सरकार ने किराया वसूली के अपने अधिकार को त्याग दिया है।

(3) उपर्युक्त प्रथम प्रावधान के अनुपालन के उद्देश्य से पट्टे पर दिये गये तीन बीघा क्षेत्र पर बांग्लादेश को अविक्षुब्ध एवं सतत् स्वामित्व होगा और उसे इस क्षेत्र के उपयोग का पूरा अधिकार प्राप्त होगा।

(4) पुलिस, अर्द्ध सैनिक बल एवं सैन्य बल सहित सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अपने अस्त्र-शस्त्र साज-सामान इस क्षेत्र से निःशुल्क और स्वच्छन्द रूप से लाने ले जाने का अधिकार होगा। उन्हें अपने साथ पासपोर्ट या यात्रा कागज़ात लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। बांग्लादेश भी बिना किसी सीमा शुल्क, कर, लेवी या पारगमन शुल्क के किसी भी प्रकार के सामान का कार्य व्यापार कर सकेगा। भारतीय नागरिकों को इसी प्रकार का अधिकार प्राप्त होगा।

(5) पट्टे पर बांग्लादेश को दिए गये क्षेत्र में भारतीय सामानों का कार्य व्यापार भी निःशुल्क होगा। इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए इस क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैली हुई सड़कों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। भारत इस क्षेत्र में भूमि के ऊपर और/अथवा/नीचे अपने अनन्य उपयोग हेतु सड़क (अर्थात् फ्लाई ओवर/टनल) इस प्रकार बना सकता है, जिससे कि इस क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिकों या सामानों के आवागमन में कोई असुविधा न हो।

(6) दोनों देश पट्टे पर दिये गये तीन बीघा क्षेत्र के प्रांचल के किनारे-किनारे चिन्ह लगाने तथा जहां आवश्यक हो घेराबन्दी लगाने में परस्पर सहयोग करेंगे।

(7) पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में दोनों के नागरिकों और सामानों के निःशुल्क आवागमन को बाधा पहुंचाये बिना दोनों देशों को भूमि के नीचे या ऊपर केबिल, इलेक्ट्रिक लाइन, जल या मलजल पाइप बिछाने का अधिकार प्राप्त होगा।

(8) पट्टे का शर्तों को कार्यान्वित करने की रूपात्मकता को निर्धारित करने का अधिकार रंगपुर बांग्लादेश तथा कूचबिहार (भारत) के डिप्टी कमिश्नर को होगा। मत-विवाद होने की स्थिति में वे मामले को अपनी-अपनी सरकार के पास अन्तिम निर्णय हेतु भेजेंगे।

(9) यदि कोई व्यक्ति पट्टे वाले क्षेत्र में कोई अपराध करता है, तो उसके मामले का निपटारा उस व्यक्ति से दोनों में से सम्बन्धित देश की कानून प्रवर्तन एजेन्सियां करेंगी। दोनों देशों के नागरिकों द्वारा किये गये अपराधों के मामले का निपटारा उसी स्थान की कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा ही किया जायेगा। इस क्षेत्र में किसी बांग्लादेशी या भारतीय नागरिक को गिरफ्तार या पकड़े जाने पर उसे अपने देश की कानून प्रवर्तन एजेन्सियों को सौंप दिया जायेगा। पट्टे वाले क्षेत्र से सम्बन्धित अवशिष्ट क्षेत्राधिकार भारत के पास रहेगा।

बांग्लादेश एवं भारत के मध्य तीन बीघा का रास्ता 26 जून, 1992 को विधिवत पट्टे द्वारा बांग्ला देश को सौंप दिया गया। इस समझौते के आधार पर भारत ने 150 मीटर लम्बी सड़क का निर्माण भी पूरा कर दिया है। समझौते के तहत बांग्ला देश के नागरिक दिन में 6 घण्टे के लिए इस गलियारे का उपयोग कर सकते हैं। कुचलीबाड़ी व छापाहार भारत के ऐसे भूखण्ड हैं जो बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। यहां लगभग 50,000 लोग रहते हैं। कुचलीबाड़ी अंचल के साथ भारत का सम्पर्क सिर्फ तीन बीघा के माध्यम से है। कुचलीबाड़ी के रहने वाले नौकरी करने के लिए तीन बीघा क्षेत्र पार करके मेखलीगंज शहर आते हैं। तीन बीघा क्षेत्र के पट्टे से दहग्राम तथा अंगारापोता भूखण्ड के साथ बांग्लादेश का सम्पर्क हुआ है। इस प्रकार यह क्षेत्र भी हमारे दोनों देशों के मध्य तनाव का एक महत्त्वपूर्ण कारण बना हुआ। इश क्षेत्र को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखा जा रहा था। तीन बीघा के हस्तांतरण में उत्पन्न हुई बाधाओं के सन्दर्भ में भी बांग्लादेश ने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है।

उल्फा गतिविधियों से सम्बन्ध—बांग्लादेश द्वारा उल्फा उग्रवादियों, नागालैण्ड और त्रिपुरा-मणिपुर के उग्रवादियों को उनके देश में शरण न मिले, इसके लिए अनेक बार उनकी केन्द्र सरकार से अनुरोध के बावजूद अनदेखी करने के कारण दोनों देश के सम्बन्धों में तनाव की स्थिति रहती है। बांग्लादेश के द्वारा नागालैण्ड में अलगाववादी संगठनों को सहयोग देना तथा मिजोरम व त्रिपुरा के अलगाववादी बांग्लादेश की सहायता से मिजो नेशनल फ्रण्ट के साथ मिलकर त्रिपुरा में आतंकवाद फैलाने तथा सशस्त्र डकैतियां डालने की कार्यवाही करते हैं। इससे जहां आतंकवादियों के हौसले बढ़ते हैं वहां दोनों देश के सम्बन्धों में तनाव अवश्य बढ़ा है।

डॉ० पुष्पेश पन्त ने बांग्लादेश की इन हरकतों एवं शरणार्थियों के प्रवेश के सन्दर्भ में लिखा है। **कि—"सिर्फ इतना ही नहीं कि उनके आने से भारत की नागरिक सुविधाओं पर दबाव पड़ता है, बल्कि सत्तारूढ़ दल इन शरणार्थियों को समर्थन व सहायता देकर अपने पक्षधर मतदाता के रूप में पंजीकृत करा लेते हैं। इससे वास्तव में भारत में स्थानीय जनता का पलड़ा हल्का हो जाता है। असम समस्या का पेचीदा पहलू यही था।"** इसी कारण दोनों देशों के बीच मनमुटाव बढ़ता गया।

कांटेदार बाड़ विवाद—भारत ने बांग्लादेश से ग़ैर-कानूनी रूप से आने वाले शरणार्थियों को रोकने के लिए सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाने के प्रस्ताव को पहले बांग्लादेश ने यह कहा कि, इस तरह की घेराबंदी को वह अपने विरुद्ध अमित्रतापूर्ण कार्यवाही समझता है। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों में मनमुटाव की प्रक्रिया जारी रही। सीमा पर अब कंटीले तारों के लगाने का विरोध बन्द कर दिया है। इसी कारण से 250 कि० मी० लम्बी असम बांग्लादेश सीमा पर अब कंटीले तार लगाने तथा उसके साथ सड़क निर्माण के कार्य में सुविधा हुई है। 170 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होने वाला यह कार्य अनेक बार बाधित हो चुका है। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत 1996 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा क्योंकि 90 प्रतिशत जमीनी कार्य पूरा हो चुका है। धुबरी ज़िले का सीमा पर 75 कि० मी० सड़क भी पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार से कंटीले तार लगाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इससे सम्बन्धों में सुधार होंगे ऐसी संभावनायें बढ़ी हैं।

न्यु-मूर द्वीप विवाद—बंगाल की खाड़ी में उभरा एक नया द्वीप 'न्यु-मूर' भी दोनों देशों के मध्य विवाद का एक विषय रहा और 1979 में यह विवाद अत्यन्त गंभीर हो गया था। बंगाल की खाड़ी के सुन्दर वन के निकट हरिया भंगा नदी के तट के दोनों देशों की सीमा के पास स्थित है। बांग्लादेश इसे दक्षिण 'तलपती' कहता है जबकि भारत इसे 'पुरवाशा' की संज्ञा देता है। भारतीय सीमा के इस द्वीप पर बांग्लादेश अपना दावा करता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 वर्ग कि० मी० है। अगस्त, 1981 में बांग्लादेश के आठ युद्धपोतों ने इस पर अधिकार करने का विफल प्रयास किया। वर्तमान में यह द्वीप भारत के अधिकार में है। भारतीय सीमा से इस द्वीप की दूरी 5.2 कि० मी० है जबकि बांग्लादेश की सीमा से इस द्वीप की दूरी 7.5 कि० मी० पर है। बांग्लादेश ने इस विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाने का प्रयास किया।

इस प्रकार न्यु-मूर द्वीप विवाद से भी दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव पैदा हुआ और आज भी यह मामला अटका हुआ है।

आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग—आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के सम्बन्धों में तुलनात्मक अच्छी प्रगति हुई है। अब भी दोनों देश व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए संयुक्त आर्थिक आयोग भी गठित किया गया है। वर्तमान बांग्लादेश की नेता बेगम खालिदा जिया, जोकि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की पुत्री है, इन्होंने शुरू में भारत का अपना विरोधी माना, किन्तु इनका भ्रम टूटा और भारत के साथ आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग की पेशकश की है। भारत ने विगत वर्षों में बांग्लादेश के साथ आयात-निर्यात करके आर्थिक प्रगति की है। उसका विवरण इस प्रकार है—

भारत बांग्लादेश व्यापार

वर्ष	भारत से निर्यात करोड़ रु० में	बांग्लादेश से आयात करोड़ रु० में
1995-96	3509.09	287.22
1996-97	3084.80	220.91
1997-98	2839.39	190.05
1998-99	4168.00	268.00
1999-2000	2789.00	348.55

इस प्रकार आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग भारत एवं बांग्ला देश के सम्बन्धों में सुधार अवश्य कर रहा है, किन्तु धर्म एवं सम्प्रदाय के कारण आपसी मतभेद का सिलसिला अभी जारी है। 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में राम-जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को कार सेवकों द्वारा ध्वस्त किये जाने के बाद बांग्ला देश में भारत विरोधी ज़ोरदार प्रदर्शन ही नहीं हुए बल्कि वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं और उनके धार्मिक स्थलों की जो हालत हुई उससे सम्बन्धों में बिगाड़ आना स्वाभाविक था। इसी के परिणामस्वरूप जनवरी, 1993 में होने वाले सार्क सम्मेलन को स्थगित किया गया जोकि अप्रैल, 1993 में सम्पन्न हो सका। आजकल बांग्ला देश के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां की लेखिका सुश्री तस्लीमा चर्चित हैं। क्योंकि 'लज्जा' नामक उपन्यास में उन्होंने मुस्लिम कट्टरपन्थियों द्वारा अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर जुल्म ढाने का उल्लेख कर दिया और हाल में ही स्त्री की स्वतन्त्रता का वर्णन करके कट्टरपन्थियों को पुनः उत्तेजित कर दिया है।

फरवरी, 1996 में बांग्लादेश की संसद् के चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें शेख हसीना वाजेद के नेतृत्व में आवामी लीग पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ जोकि बांग्लादेश की प्रधानमन्त्री बनी और भारत-बांग्लादेश के आपसी सम्बन्धों में नये युग भी शुरुआत हुई। 9 सितम्बर, 1996 का तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल ने चार दिवसीय बांग्लादेश की यात्रा की और द्विपक्षीय सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने पर विचार विमर्श किया। बांग्लादेश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना भारत आयी और तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री एच० डी० देवगौड़ा सम्बन्धों सुधार हेतु सन्धि में हस्ताक्षर किये।

हसीना वाजेद ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह सन्धि भारत तथा बांग्लादेश के विशेष सम्बन्धों की विशेष का प्रतीक है और इससे दोनों देशों के बीच सहयोग के नए युग की शुरुआत होगी। सन्धि में तय किए गए [illegible] सूत्री फार्मूले के तहत यदि नदी में जल की मात्रा 70 हजार क्यूसके या इससे कम ठहरती है, तो दोनों देश जल का आ[illegible]-आधा बंटवारा करेंगे। यदि यह मात्रा 70 से 75 हजार क्यूसेक के बीच है, तो बांग्लादेश को इससे 35 हज़ार क्यूसेक हिस्सा मिलेगा और शेष भारत को होगा। यदि जल की मात्रा 75 हजार क्यूसेक से ऊपर है तो 40 हजार क्यूसेक पानी भारत को और शेष पर बांग्लादेश का अधिकार होगा। निस्सन्देह इस समझौते से दोनों देशों के सम्बन्धों में नये युग का सूत्रपात हुआ।

अक्तूबर, 1997 में बांग्लादेश के विदेशमन्त्री भारत की यात्रा पर आये। मई, 1997 में नवें सार्क सम्मेलन और अक्तूबर, 1997 में एडिनबरा में सम्पन्न राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, बांग्लादेश की प्रधानमन्त्री ने सितम्बर, 1997 में कोलकाता में मदर टेरेसा की अन्त्येष्टि में भाग लिया। अगस्त, 1997 में हमारे सेनाध्यक्ष ने बांग्लादेश की सद्भावना यात्रा की। अक्तूबर, 1997 में भारत-बांग्लादेश संयुक्त कार्यदल तथा भारत सीमा सुरक्षा दल बी. डी. आर. के महानिदेशकों के बीच वार्षिक बैठक हुई। जुलाई, 1997 में सम्पन्न संयुक्त नदी आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए जल तत्कालीन संसाधन मंत्री शीशराम ओला ढाका गये। तीस्ता नदी के बंटवारे के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए विशेषज्ञों की संयुक्त समिति की एक बैठक अगस्त, 1997 में हुई। नवम्बर, 1997 में अन्तर्देशीय जल पारगमन तथा व्यापार से सम्बद्ध भारत-बांग्लादेश प्रोटोकाल दो वर्ष अर्थात् 3 अक्तूबर, 1999 के लिए स्वीकृत किया गया।

मार्च, 1997 में सम्पन्न संयुक्त आर्थिक आयोग की 5वीं बैठक में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप सितम्बर, 1999 में ढाका में बांग्लादेश के साथ मोटर वाहन करार सम्पन्न करने के उद्देश्य से प्रारम्भिक बातचीत हुई।

भारत में त्रिपुरा में बांग्लादेश के शरणार्थियों की स्वदेश वापसी को निरन्तर सुविधाजनक बनाया। अब तक बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी स्वेच्छा से स्वदेश जा चुके हैं।

वर्ष 1998-99 के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों परस्पर समझ-बूझ बढ़ाने और द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के इच्छुक रहे। इस प्रक्रिया में कई उच्च-स्तरीय यात्राओं ने योगदान दिया।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल समद आज़ाद नए सरकार का अभिवादन करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमन्त्री के विशेष दूत के रूप में अप्रैल, 1998 में भारत की यात्रा पर आए। बांग्लादेश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना ने 16 जून, 1998 को भारत की यात्रा की, अपनी यात्रा के दौरान हुई बातचीत में, दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच मौजूदा हार्दिक और सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों में तेज़ी लाने तथा आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, संसदीय शिष्टमण्डलों, छात्रों और सांस्कृतिक मण्डलियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक क्रिया बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए।

दोनों देशों के प्रधानमन्त्री जुलाई, 1998 में कोलम्बो में दसवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान अवकाश के क्षणों में फिर से मिले। विदेश सचिव ने विदेश कार्य परामर्श के लिए जून, 1998 में बांग्लादेश की यात्रा की और उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। भारतीय वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ने दिसम्बर, 1998 मे ढाका में व्यापार वार्ता की समीक्षा की। इस बातचीत का स्वरूप सकारात्मक रहा और इसमें द्विपक्षीय आर्थिक पारस्परिक क्रियाकलाप में वृद्धि करने और बुनियादी सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है इस दौरान सुरक्षा और सीमा प्रबन्धन से प्रसिद्ध मामलों पर विचार-विमर्श के लिए संस्थागत वार्ता-प्रणाली जारी रही। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और बांग्लादेश राइफल्स के बीच बातचीत के दो सत्र मई और अक्तूबर, 1988 में सम्पन्न हुए। संयुक्त कार्य दल की 5वीं बैठक अगस्त, 1998 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। गृह सचिव ने नवम्बर, 1998 में ढाका की यात्रा की। इन बातचीतों में सुरक्षा, विद्रोह, अवैध उत्प्रवासन, सीमा प्रबन्धन और वीजा-व्यवस्था से सम्बद्ध मुद्दे शामिल किए गए। ये बातचीत हित-चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक भावना में की गई। वार्तालाप का मुख्य विषय दो राष्ट्रों के बीच हुए 1974 को ज़मीनी और सीमा समझौते के बारे में होगा, दोनों देशों की तरफ से दो संयुक्त कार्यकारी ग्रुप बनाए गए हैं। इसमें चार हजार किलोमीटर से अधिक सीमा पर लगभग 6 किलोमीटर क्षेत्र का सीमा निर्धारण होता है। नई दिल्ली के अनुसार बांग्लादेश की सीमा में 111 भारतीय गलियारे हैं जबकि भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेश के 51 गलियारे हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा वार्तालाप

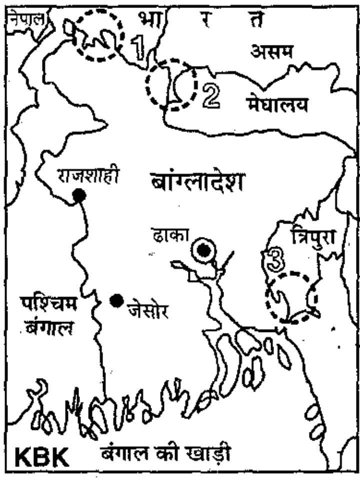

वार्तालाप का मुख्य विषय दो राष्ट्रों के बीच हुए 1974 के जमीनी और सीमा समझौते के बारे में होगा। दोनों देशों की तरफ के दो संयुक्त कार्यकारी ग्रुप बनाए गए हैं। इसमें चार हजार किलोमीटर से अधिक सीमा पर लगभग 6 किलोमीटर क्षेत्र का सीमा निर्धारण होना है। नई दिल्ली के अनुसार बांग्लादेश की सीमा में 111 भारतीय एक्लेव हैं, जबकि भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेश के 51 एन्कलेव है।

1. दाईखाटा क्षेत्र (कूप बिहार) 1.5 कि.मी.
2. लाठीटीला (करीमगंज असम) 3 कि.मी.
3. मुहारी नदी क्षेत्र (त्रिपुरा) 1.5 कि.मी.

पिछले महीने मेघालय और असम की सीमा पर हुई हिंसक वारदातों में सीमा सुरक्षा बल के कुछ जवानों के मारे जाने से माहौल काफ़ी खराब हो गया था।

1. दाईखाटा क्षेत्र (कूप बिहार) 1.5 कि० मी०
2. लाठीटीला (करीमगंज-असम) 3 कि० मी०
3. मुहारी नदी क्षेत्र (त्रिपुरा) 1.5 कि० मी०

पिछले महीनें मेघालय और असम के सीमा पर हुई हिंसक वारदातों में सीमा सुरक्षा बल के कुछ जवानों के मारे जाने से माहौल काफ़ी खराब हो गया था।

बांग्लादेश सबसे लम्बे समय के लिए विनाशकारी बाढ़ की चपेट में रहा, विशेष रूप से कृषि पर नकारात्मक प्रभाव के साथ जान-माल की भारी क्षति हुई। बांग्लादेश ने अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की थी। भारत सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश को 40 लाख रुपये की 7.6 टन की औषधियां हवाई सेवा से उपलब्ध कराईं। भारत ने 22 करोड़ रुपये के 20,000 टन उबले हुए चावल और 2.2 करोड़ रुपए के 800 टन से अधिक गेहूँ और मकई के बीज सहायता के स्वरूप प्रदान किए।

इस प्रकार बांग्लादेश के साथ भारत के सम्बन्ध एकदम घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। लोगों से लोगों के बीच व्यापक सम्पर्क बना हुआ है। जो इस तथ्य से स्थापित होता है कि जो ढाका स्थित भारत का हाई कमीशन प्रतिदिन औसत 1000 वीजा जारी करता है। बांग्लादेश के हज़ारों छात्र भारत में उच्च अध्ययन प्राप्त करते हैं। सरकारी और निजी दोनों के तत्त्वावधान में कई सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुए हैं। भारत ने बांग्लादेश के अनेक तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया है।

बांग्लादेश की प्रधानमन्त्री 27-28 जनवरी, 1999 को 24वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन करने के लिए

कोलकाता की यात्रा पर आईं। 9 से 15 मार्च, 1999 तक ढाका में भारतीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 जून, 1999 को भारत-बांग्लादेश के बीच बस सेवा का शुभारंभ किया।

जब बांग्लादेश में 1 अक्तूबर, 2001 सम्पन्न आम चुनावों में बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशलिस्ट पार्टी (बी० एन० पी०) सत्ता में आयी तभी से बाहरपंथी एवं ताकिबान अपना असर जोरदारी से दिखाने लगे। यह पार्टी एवं उसके सहयोगी पार्टियों की नीति भारत विरोधी रही है। जमात० ए० इस्लामी तो पूरी तरह पाक समर्थित पार्टी है। इस प्रकार राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के चलते भी भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध अच्छे खासे प्रभावित रहे। 17 अप्रैल, 2001 को बांग्लादेश रायफल्स ने मेघालय स्थित पीरदीवा चौकी पर भारतीय सीमा सुरक्षा बलों पर हमला करके उन्हें बन्धक बना दिया और 18 अप्रैल को उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी जिससे दोनों देशों के रिश्तों में ज़ोरदार दरार आ गयी। इसके बावजूद भारत ने अपने अटूट धैर्य और संयम का परिचय किया। इस घटना से सम्बन्ध तनावपूर्ण अवश्य हो गये।

बांग्लादेश के साथ भारत के सम्बन्ध घनिष्ठ और सद्भावनापूर्ण रहें। भारत और बांग्लादेश के बीच लम्बी साझा सीमा है जिसके प्रबन्धन में कई अड़चनें हैं जिन्हें दोनों देश रचनात्मक विचार-विमर्श से दूर करने का प्रयास करते रहे हैं। उच्च-स्तरीय विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत बांग्लादेश के विदेश मन्त्री एम. मुर्शीद खान 16-17 जून, 2002 का और उसके बाद 13-16 फरवरी, 2003 को भारत यात्रा पर आए। विदेश मन्त्री श्री यशवंत सिन्हा ने भी 24-25 अगस्त, 2002 को ढाका की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान आपसी हित के मुद्दों पर उच्च स्तर पर विचार किया। इससे दोनों देशों की सरकारों के बीच बेहतर समझ कायम हुई है। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आकर बसने वालों और भारतीय अलगावादियों की गतिविधियों के बारे में भारत की चिन्ताओं से भी बांग्लादेश को स्पष्ट शब्दों में बताया गया। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार चल रहा है और वर्तमान संस्थागत प्रणाली का उद्देश्य बाधाओं और अड़चनों को दूर कर समाधान खोजना तथा व्यापार में विविधता लाने के तौर-तरीकों का पता लगाना है।

जनवरी, 2003 में एक निर्णय द्वारा भारत ने बांग्लादेश बैंक को सीमित स्वायत्तता प्रदान की। कोलकाता-ढाका बस सेवा के लगभग चार वर्ष तक सफल संचालन के बाद भारत व बांग्लादेश के मध्य दूसरी बस सेवा का शुभारम्भ 19 सितम्बर, 2003 से हुआ।

बांग्लादेश के साथ हमारे द्वि-पक्षीय सम्बन्धों में यद्यपि धीरे-धीरे सुधार हुआ है, खासतौर पर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में, लेकिन कुछ समस्याएं बनी रही हैं। इनका ताल्लुक निम्नलिखित विषयों से है—फरक्का में गंगा के प्रवाह को बढ़ाना, बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर भारत में घुसपैठ, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाकर रोकने के हमारे निर्णय पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, उन भारतीय लोगों के दावों के निपटाने की समस्या जिनकी सम्पत्ति पहले पूर्ण पाकिस्तान और अब बांग्लादेश सरकार ने निहित सम्पत्ति के रूप में ली थी। भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध सामान्य अवश्य है किन्तु कुछ ऐसी समस्यायें हैं, जिससे तनाव की स्थिति भी बनी रहती है।

भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अब भी लगभग 111 गलियारे ऐसे हैं जिन पर दोनों देशों का कब्जा तो है, लेकिन इस कब्जे के बारे में विवाद है। इससे सम्बन्धों में तनाव की स्थिति जब कभी पैदा हो जाती है।

एक बड़ा संकट बनता बांग्लादेश

भारत की सुरक्षा परिक्षेत्र स्पष्टतः इसकी परम्परागत भौगोलिक भू-सीमाओं से काफ़ी आगे तक फैला हुआ है। भारत के आकार, अवस्थिति, व्यापार सम्बन्धी और इसके व्यापक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को देखते हुए इसका सुरक्षा परिवेश पश्चिम में फारस की खाड़ी से लेकर पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य के पार तक और उत्तर में मध्य एशियाई गणतन्त्रों से लेकर दक्षिण में भूमध्य रेखा तक फैला हुआ है। भारत की भू-सीमा सात देशों से लगी हुई है तथा समुद्री सीमाएं पांच पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इस उपमहाद्वीप में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हित उसके पड़ोसी देशों से गहन रूप से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे भारतीय उपमहाद्वीप में एक बार फिर अशान्ति की आहट सुनाई पड़ने लगी है। भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह अस्थिरता, अराजकता, अशान्ति एवं उपद्रव की स्थिति बनी है, उससे भारत को सतत सतर्क रहने की सामयिक आवश्यकता है। आश्चर्य है कि जिस देश की आज़ादी का उत्सव भारत में आज भी 'विजय दिवस' रूप में मनाया जाता है, उसी बांग्लादेश की मूक गर्जना भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी खतरा बनती जा रही है।

बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा वहां के अनेक आतंकवादी संगठनों को दिया जा रहा प्रश्रय हो या विपक्षी पार्टी अवामीलीग की रैली में ग्रेनेड का हमला हो। जेहादी ताकतों और कट्टरपंथी लोगों को समाज और राजनीति पर हावी होते

जाना ही बांग्लादेश की मौजूदा तस्वीर है। भारत ने बांग्लादेश सरकार को वहां के आतंकवादी अड्डों की पूरी सूचना तथा नक्शे सहित प्रमाणिक दस्तावेज़ सौंप दिए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसने इन्कार कर दिया। हकीकत यह है कि एशिया का सबसे पुराना जेहादी कैम्प बांग्लादेश में ही स्थापित है। बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र के दो द्वीप कुतुबदिया और सोनादिया एक तरह से उन आतंकवादी संगठनों के अधिकार में हैं, जो दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से आने वाले छोटे हथियारों की लगातार आने वाली खेपों को ठिकाने लगाने और उन्हें विभिन्न आतंकवादी संगठनों के हवाले करने का काम कर रहे हैं।

भारतीय खुफिया एजेंसियों के केन्द्र को यह रिपोर्ट दी है कि बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में लगभग 200 आतंकी प्रशिक्षण शिविर सक्रिय हैं, जहां भारत विरोधी आतंकवादियों का आई. सी. आई. की निगरानी में ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें से अनेक शिविर तो भारत में सक्रिय प्रमुख आतंकी संगठनों के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से आरक्षित (रिज़र्व) है । इनमें शेरपुर ज़िले में बड़ा गजनी, छोटा गजनी, चिलचारी और डिगिल कोरा के प्रशिक्षण शिविर विशेष रूप से उल्फा आतंकवादियों के प्रशिक्षण के लिए है। इसके अलावा बंदरका शेरपुर के लालू कालू, झोपोई और बालिन्दर पाड़ा शिविर त्रिपुरा के आतंकवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ त्रिपुरा (बी. एम.) के लिए और शेरपुर खगराचारी के लालू कालू (2) और हलचट्टी प्रशिक्षण शिविर 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट ऑफ बोडो लैण्ड' के आतंकवादियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष रूप से आरक्षित हैं। सैन्य सूत्रों का कहना है कि काक्स बाज़ार के दक्षिणी इलाके के उखिया स्थित आतंकी प्रशिक्षण शिविर एशिया का सबसे पुराना और खूँखार जेहादी प्रशिक्षण शिविर है, जहां एक साथ लगभग 3000 आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण लेने वालों में कश्मीर, अफ़गानिस्तान, फिलीपीन, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, उजबेकिस्तान और चेचन्या आदि के आतंकवादी तक शामिल रहते हैं। इस प्रशिक्षण के निरीक्षण का उत्तरदायित्व आई. एस. आई. के विशेष प्रशिक्षक मेजर जियाउद्दीन को दिया हुआ है।

बांग्लादेश केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है, अगर समय पर चौकसी व सतर्कता नहीं रखी गई तो इसके परिणाम अत्यन्त घातक, विध्वंसक एवं विनाशक होंगे। भारतीय खुफिया एजेन्सियों ने केन्द्र सरकार को सूचनाएं दे रखी है। वे वास्तव में चौंकाने वाली भी हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के खुफिया तन्त्र इण्टर सर्विस इण्टेलीजेन्स (आई० एस० आइ०) की गतिविधियों को देखते हुए और अधिक चौकस रहने की सामयिक जरूरत है। बांग्लादेश को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनकर खुद को विस्फोट के मुहाने पर क्यों खड़ा करता जा रहा है। बेगम खालिदा जिया जिस जमाते इस्लामी तथा इस्लामिक एक्य जोट (आई० ओ० जे०) का समर्थन लेकर चुनावी वैतरणी पार हुई उन दोनों मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टियों के अल-कायदा और तालिबान से गहरे रिश्ते हैं। यही लोग प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन हरकत उल जिहाद इस्लामी (हूजी) में भी शामिल हैं, जिसकी 1992 में ओसमा-बिन-लादेन के निर्देश पर बांग्लादेश में स्थापना की गई। यह सत्य है कि बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरवाद के बढ़ने से वहां आई० एस० आई० ने अपनी जड़ें मज़बूती के साथ जमानी शुरू कर दी हैं। कट्टरवादी ताकतें बांग्लादेश में हावी होती जा रही हैं। चूंकि अभी भी बांग्लादेश में अशिक्षा, बेरोज़गारी, दकियानूसी, ग़रीबी एवं भुखमरी जैसी विकट स्थितियां व्याप्त हैं। अत: इस कारण से यह आसानी के साथ कट्टरपंथियों के प्रभाव में आ जाते हैं। शिक्षा के नाम पर मजहबी मदरसे रोज़गार के नाम पर आतंकवाद, उग्रवाद तथा ग़रीबी दूर करने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी का सहारा देकर आई० एस० आई० द्वारा अपनी रणनीति बनाई गई हैं।

बांग्लादेश को अपना हितैषी और प्रबल समर्थक मानने वाले भारतीय राजनयिकों को भी अब यह चिन्ता सताने लगी है कि कहीं बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। वहां आए दिन भारतीय हितों पर हमले होते रहते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि इस समय बांग्लादेश का समाज दो ध्रुवों धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक कट्टरपंथियों में बंटता नज़र आने लगा है। यह प्रक्रिया वहां पर विगत दो वर्षों से चल रही है। अब यह बात सर्वविदित हो गई है कि सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बी. एन. पी.) की सहयोगी दो पार्टियां जमाते इस्लामी तथा इस्लामिक ऐक्य जोट (आई० ओ० जे०) खुलकर आतंकवादियों को पनाह और प्रश्रय दे रही हैं। दरअसल आवामी लीग पार्टी तथा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच छिड़े सत्ता संघर्ष के परिणामस्वरूप बांग्लादेश कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का चरागाह बन चुका है। चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन हरकत उल जिहाद इस्लामी के अनेक शिविर हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारतीय सुरक्षा हितों पर हमला करना है। काक्स बाज़ार और वन्दरवन के इलाके में कट्टरपंथ की दीक्षा देने वाली ग़ैर-पंजीकृत मदरसे हैं।

भारत में विभिन्न उग्रवादी गुटों को बढ़ावा देना और देश में तोड़-फोड़ व उपद्रव फैलाने के लिए उन्हें अत्याधुनिक हथियारों तथा विस्फोटों की आपूर्ति करना आई० एस० आई० की रणनीति का एक हिस्सा है। इनकी रणनीति के तहत अपने एजेन्टों के माध्यम से बड़ी संख्या में नकली नोट लाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना तथा उग्रवादी गुटों के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मादक पदार्थ देश पहुंचाकर भारतीय युवकों को गुमराह एवं बेकार करना। जेहाद का नारा देकर तथा धर्म की दुहाई देकर यह सन्देश दिया जाता है कि वे एक इस्लामी लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं और मरने पर उन्हें शहीद होने की शहादत हासिल होगी। सांस्कृतिक अस्मिता के लिए खतरा और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का सही साधन उग्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

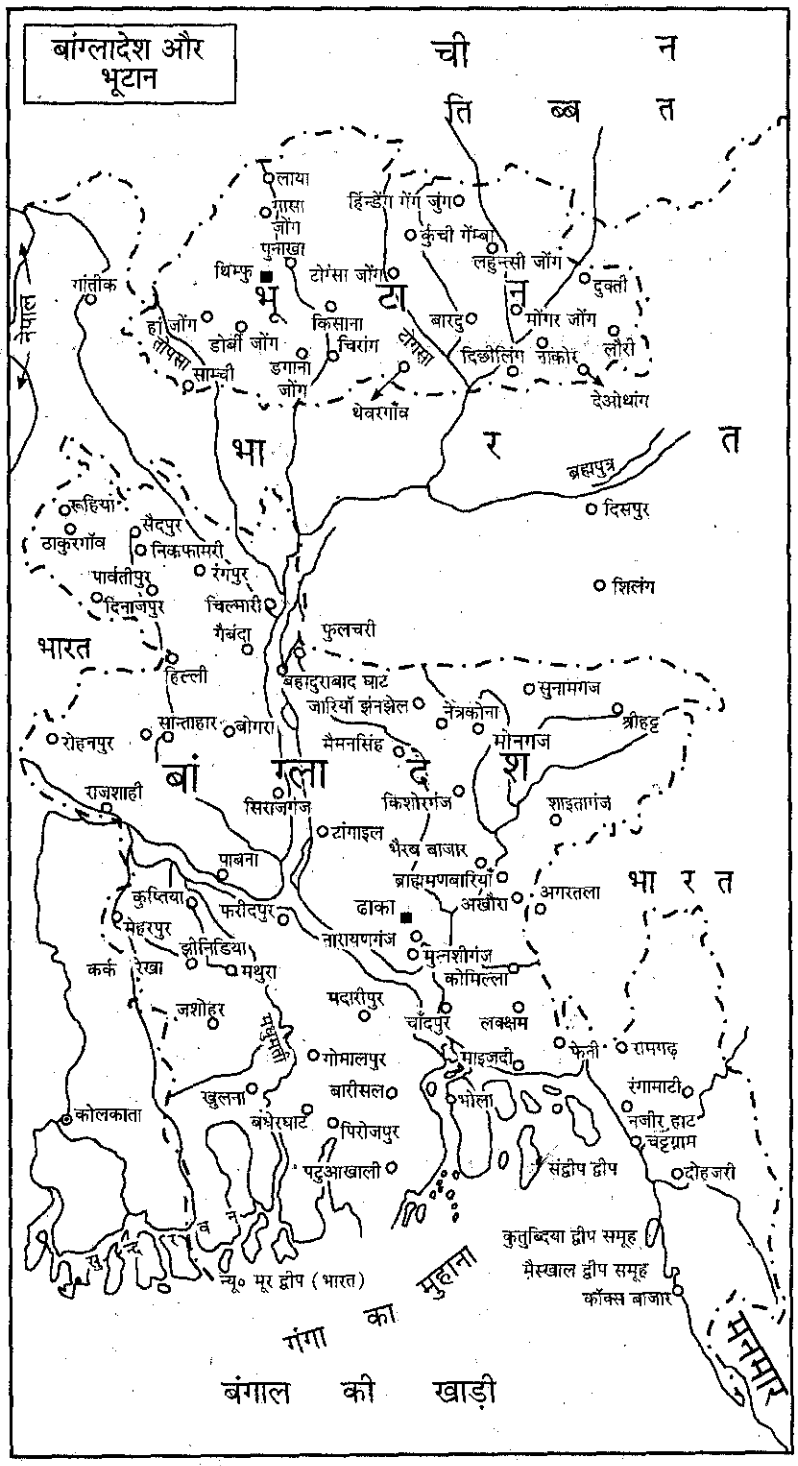

बांग्लादेश और भूटान

हर कोई मानता है कि दक्षिण एशिया में भारत हर दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली है। भारत की यह शक्ति पाकिस्तान की आंख में हमेशा किरकिरी करती रही है। भारत को अस्थिर करना और उसको टुकड़ों में बांट देने के उसके नापाक इरादे किसी से छिपे नहीं हैं। अपने इन्हीं इरादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने आई. एस. आई. को खुली छूट दी। सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों जैसे—बांग्लादेश, नेपाल व भूटान में अपने ठिकाने बनाकर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का सिलसिला शुरू किया, यही नहीं भारत की आन्तरिक सीमा में भी प्रवेश कर विभिन्न शहरों में आई० एस० आई० ने अपने ठिकाने बना लिए हैं। इसके खूनी चेहरे ओर शैतानी दिमाग के कारण सुरक्षा चिन्ताएं बढ़ना स्वाभाविक है।

बांग्लादेश में कुकरमुत्ते की तरह मदरसों का व्यापक जाल फैला हुआ है तथा इनकी अनुमानित संख्या लगभग 20,000 मानी जाती है। ये सभी मदरसे ग़ैर पंजीकृत तथा ग़ैर कानूनी हैं। जमाते इस्लामी इन मदरसों को 'कोमी मदरसा' कहती है तथा इन अवैध मदरसों की स्थापना में जमात की निर्णायक भूमिका बताई जाती है। यहां पर लगभग 40 से 50 ऐसे भी मदरसे हैं, जिनका संचालन अफगानिस्तान से भागकर आए बांग्लादेशी मुजाहिदीन करते हैं, इनका नारा है—"हम सब तालिबान बनेंगे तथा बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाएंगे" बांग्लादेश की वर्तमान खालिदा जिया सरकार भी इनको दोस्ती या दबाव के कारण सहयोग व समर्थन प्रदान कर रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी संगठनों का शिविर क्षेत्र बांग्लादेश बना हुआ है। मई, 2002 में मुस्लिम रोहिंशा इस्लामिक ऐक्य जोट (आई० ओ० जे०) तथा यूनाइटेड मुस्लिम लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ असम सहित 9 मुस्लिम संगठनों के 63 प्रतिनिधियों ने उड्या में बैठक करके हूजी के नेतृत्व में बांग्लादेश इस्लामी मंच का गठन किया था। इसका एक बड़ा उद्देश्य असम, उत्तरी बंगाल तथा म्यांमार के अराकान प्रान्त के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को मिलाकर के वृहद बांग्लादेश की स्थापना करना भी है। हालात यह है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर तेज़ी से चलने लगा है।

जागृत मुस्लिम जनता बांग्लादेश अतिवादी संगठन बांग्लादेश में पूर्ण रूप से इस्लामी प्रशासन की स्थापना के नाम पर कहर ढा रहा है। पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश इस संगठन के आतंक के साये में जीवन-यापन कर रहा है। इस इलाके में इसको एक प्रकार से समानान्तर सरकार चल रही है। वे जनता से टैक्स वसूल करते हैं तथा जीवन शैली के नियमों को निर्धारित कर रहे हैं। उनके आदेश से पुरुष टोपी धारण करने के लिए तथा महिलाएं बुर्का या हिजाब पहनने को मजबूर हैं। ऐसा न करने पर उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एक ऐसे इलाके मे जहां उनकी इच्छा का पालन न करना ही सबसे बड़ा अपराध है। इस जागृत मुस्लिम जनता बांग्लादेश संगठन के अपने न्यायालय (कोर्ट) हैं, जो न्याय के नाम पर अंग-भंग या नृशंस तरीके से मारने का कम दण्ड के रूप में करते हैं। इस संगठन को राजनीतिक समर्थन, संरक्षण एवं सहयोग भी प्राप्त है। यही बांग्लादेश का इस्लामी तत्ववाद भारत के लिए चिन्ता का विषय है, क्योंकि इसका इस्तेमाल 'हिन्दुवादी' ताकतों द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह एक चेतावनी एवं चुनौती का रूप धारण करता जा रहा है।

बांग्लादेश घुसपैठ सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील स्थिति में पहुंच चुकी है। उत्तरपूर्व में यह समस्या अपना विकराल रूप लेती जा रही है। वहां जिस तरह से सामाजिक संरचना, जनसंख्या अनुपात और भारत की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की एक बड़ी साज़िश चल रही है। जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के बाद असम में ही सबसे अधिक मुस्लिम हैं। असम की कुल आबादी 2.66 करोड़ में 82.40 लाख मुसलमान हैं। उनकी आबादी वृद्धि की दर लगभग 40 प्रतिशत बताई गई है। असम के 6 ज़िले ग्वालपाड़ा, बारपेटा, नगांव, करीमगंज, हैलाकंदी और धुबड़ी मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं, जिसमें बांग्लादेश मुसलमान हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय भारत में लगभग डेढ़ बांग्लादेशी रह रहे हैं, जबकि खुफिया विभाग की एक रिर्पोट के अनुसार 1997 में देश में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी लोगों की संख्या डेढ़ से पौने दो करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग 4 करोड़ तक पहुंच गई है। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में 50 लाख, असम में 45 लाख, बिहार में 40 लाख, उत्तर प्रदेश में 25 लाख, हरियाणा में 15 लाख, पंजाब में 20 लाख, दिल्ली में 25 लाख, महाराष्ट्र में 30 लाख, गुजरात में 20 लाख, राजस्थान में 15 लाख, आन्ध्रप्रदेश में 18 लाख, कर्नाटक में 15 लाख, मध्यप्रदेश में 10 लाख और तमिलनाडु में 10 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिये इस समस्या के विकराल रूप धारण करने की स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं।

कितनी बड़ी विडम्बना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बनी इस समस्या का समाधान करने की बजाय हमारे राजनीतिक दलों ने अपने वोट बैंक के लिए इस विष-बेल को पनपने के लिए आवश्यक सहयोग दिया। राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के साथ-साथ अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अस्तित्व को संजोए रखने के साथ देश की आर्थिक प्रगति की डींग भरने वाले राजनीतिक नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा का अस्तित्व शायद अभी भी खतरे में नज़र आ रहा है। इन्हें मात्र अपना वोट बैंक ही नज़र आता है। यही कारण है कि बांग्लादेशी इन घुसपैठियों को बाहर निकालने की बजाय उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए 1983 में कांग्रेस सरकार ने आई० एम० डी० टी० एक्ट भी लागू किया था। उल्लेखनीय है कि विदेशी एक्ट 1946 समस्त देश में लागू है, लेकिन अपने वोट बैंक को संरक्षित एवं सम्बन्धित करने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस

पार्टी ने एक नया कानून लागू कर दिया। यही घुसपैठ यदि इसी क्रम से जारी रहे, तो इस सदी के आरम्भ में ही असम का एक बड़ा भाग बांग्लादेश बन जाएगा और पूर्वोत्तर राज्यों सहित राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

निः सन्देह इतनी बड़ी संख्या में उन लोगों को वपिस भेजना और वह भी जहां वे अब जाना नहीं चाहते हैं, एक बड़ी सुरक्षा चुनौती के साथ ही एक चेतावनी भी है। यद्यपि यह कार्य मानवीय दृष्टि से पीड़ादायक अवश्य है, किन्तु राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक सामयिक संवेदनशील, सामरिक एवं कूटनीतिक एक अनिवार्य कदम है। आखिर कौन नहीं जानता कि पाक खुफिया तन्त्र आई. एस. आई. इनकी ग़रीबी, भुखमरी, आर्थिक विकास तथा बेराज़गारी का लाभ उठाकर एजेन्ट के रूप में इनके बच्चों को मदरसे में 'उग्रवाद' एवं 'जेहाद' का पाठ पढ़ा भारत के विरुद्ध एक नई एवं घातक पीढ़ी को तैयार कर रहा है। भारत की खुफिया एजेन्सियों ने केन्द्र सरकार को यह रिपोर्ट दी हैं कि बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में करीब दो सौ आतंकी प्रशिक्षण शिविर सक्रिय हैं, जहां भारत विरोधी आतंकवादियों को आई. एस. आई. की निगरानी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस्लाम को बढ़ावा देने के नाम पर शैतानियत का घातक पाठ पढ़ाया जा रहा है।

अलकायदा और तालिबान को बांग्लादेश में अड्डा बनाना या वहां की एजेन्सियों का आई. एस. आई० के साथ मिलकर काम करना भारत के लिए परेशानी पैदा करनी वाली बात तो है ही, लेकिन यह स्थिति बांग्लादेश के लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरह से तालिबान और अल-कायदा ने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया था, उसी तरह से बांग्लादेश को भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए बांग्लादेश सरकार को भी अफगानिस्तान की स्थिति से सबक लेना चाहिए। दूसरी ओर भारत सरकार को भी घुसपैठ रोकने और पड़ोसी को अपने खिलाफ गतिविधियां चलाने के मुद्दे पर करारा जवाब देने की सामयिक आवश्यकता है। अतः भस्मासुर बनता बांग्लादेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर समय रहते राष्ट्रीय सुरक्षा के इस प्रमुख मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। इस राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील विषय की व्यापक मीमान्सा, सामयिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रकार भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध सामान्य होने के वावजूद अत्यन्त संवदेनशील भी हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों की समस्याओं का प्रत्यक्ष प्रभाव आस-पास पर पड़ता है। बांग्लादेश की दयनीय आर्थिक, आई० एस० आई० की गतिविधियां तथा आतंकवादियों के प्रशिक्षण बन जाने का कारण भारत को निरन्तर सावधान व सतर्क रहने के संकेत देता है।

14

भारत-श्रीलंका सम्बन्ध
(INDO-SRILANKA RELATIONS)

भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका एक द्वीप है, जिसे कम गहरा पाक जलडमरू भारत से अलग करता है। इसके पश्चिम में पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी, उत्तर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिन्द महासागर है। श्रीलंका राष्ट्रमंडल के सदस्य के रुप में 1948 में स्वतन्त्र हुआ। वर्ष 1985 से यहां उत्तर में बसे तमिल के मूल लोग अलग प्रान्त व सरकार की मांग को लेकर खून-खराबे में लगे हैं। इस द्वीप का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग कि० मी० है तथा 1992 के अनुसार जनसंख्या 1,7,7,00,000 से युक्त अत्यन्त सामरिक महत्व का क्षेत्र है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के इस द्वीप की सामरिक महत्ता बड़े ही नाटकीय ढंग से उद्घाटित हुई।[1]

भारत तथा श्रीलंका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अतीत काल से ही एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में अनेक उतार-चढ़ाव देखे जा सकते हैं। जहां तक संभव हुआ है दोनों देशों ने पारस्परिक विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत ने श्रीलंका के आर्थिक विकास में सहयोग दिया था। 1955 के बांडुंग सम्मेलन में दोनों देशों ने एक-दूसरे की सहायता की थी। श्रीलंका एवं भारत के सम्बन्धों में तनाव उस समय हुआ जिस समय श्रीलंका भारतीय प्रवासी नागरिकों के मध्य भेदभावपूर्ण नीति अपनाने लगा और उन्हें श्रीलंका की नागरिकता से वंचित किया जाने लगा। इसके निम्न कारण थे—

(1) बढ़ती जनसंख्या से श्रीलंका पर आर्थिक दबाव पड़ रहा था।

(2) प्रवासी भारतीयों के भाग जाने से रोजगार के अवसर अधिक होंगे।

(3) श्रीलंका के विदेशी विनिमय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि प्रवासी भारतीय अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने देश भेज देते थे।

(4) प्रवासी भारतीय एक लम्बी अवधि से श्रीलंका में रहने के बावजूद भारत को ही अपना देश मानते थे।

(5) भारतीय प्रवासियों की संख्या अधिक थी जिसके कारण से चुनावों पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता था। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है—

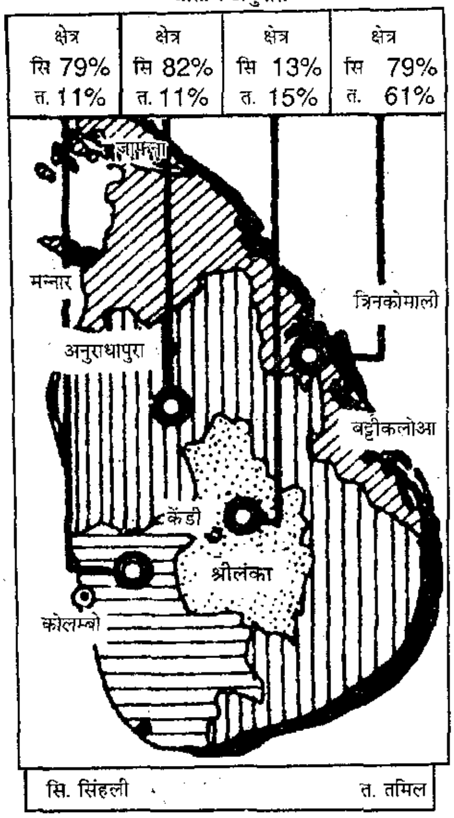

श्रीलंका में सिंहली व तमिल जातीय अनुपात

श्रीलंका में सिंहली व तमिल जातीय अनुपात

उपरोक्त कारणों से श्रीलंका का व्यवहार भारतीय प्रवासियों के प्रति सौतेला-सा रहा और तनाव बना रहा। इस समस्या के समाधान हेतु जनवरी, 1954 में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते में अग्रलिखित शर्तें सुनिश्चित की गईं—

1. डॉ० एस० एस० बिन्द्रा—इण्डिया एण्ड हर नाइबर्स, नई दिल्ली—281

1954 के समझौते की शर्तें—

(1) श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय मूल के लोगों को रजिस्टर करेगी जो स्थायी रूप से श्रीलंका में रहना चाहते हैं।

(2) जो भारतीय प्रवासी श्रीलंका में नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें भारत भेज दिया जाएगा।

(3) भारत से श्रीलंका को अवैध प्रवास शान्तिपूर्वक तरीके से रोक दिया जाएगा।

(4) सरकार इस संदर्भ से शीघ्र निर्णय लेगी जिनके आवेदन वहां की नागरिकता प्राप्त करने के लिए दो वर्षों से लम्बित पड़े हैं।

(5) श्रीलंका सरकार एक अलग चुनाव रजिस्टर बनाएगी जिसके आधार पर प्रवासी भारतीयों के निश्चित संख्या के आधार पर प्रतिनिधि बनेंगे।

(6) जिन प्रवासी भारतीय लोगों को श्रीलंका की नागरिकता नहीं दी जा सकेगी, उन्हें विदेशी नागरिक के रूप में रहने की सुविधा दी जाएगी।

उपरोक्त समझौते के बावजूद श्रीलंका सरकार का भारतीय प्रवासियों के प्रति पक्षपातपूर्ण आचरण ही रहा, क्योंकि भारत को हमेशा आशंका के आधार पर ही देखा, जबकि भारत ने श्रीलंका के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार सर जॉन कोटलेवाला के कार्यकाल में श्रीलंका का रुख निश्चित रूप से पश्चिमी गुट की ओर था तथा साम्यवादी विरोधी था। पण्डित नेहरू और कोटलेवाला के बीच 1955 के बांडुग सम्मेलन में सीधी झड़पें हुईं।

1956 में श्रीलंका की सत्ता में परिवर्तन आया और श्रीलंका के प्रधानमन्त्री श्री सोलोमन भण्डारनायके बने। पण्डित नेहरू तथा श्री भण्डारनायके के मध्य इसी वर्ष वार्ता हुई, किन्तु सन्तोषजनक समाधान नहीं हो सका। श्री भण्डारनायके ने 'पंचशील सिद्धान्त' पर आस्था दिखाई तथा भारत के साथ सुमधुर सम्बन्ध बनाए रखने पर ज़ोर दिया। अत: श्री भण्डारनायके के कार्यकाल 1959 तक सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आई। इसके बाद जुलाई, 1960 में उनकी पत्नी श्रीमती सिरिमावो भण्डारनायके श्रीलंका की प्रधानमन्त्री बनीं और इन्होंने भी भारत के प्रति मित्रतापूर्ण सम्बन्धों पर विशेष बल दिया। 1962 में भारत पर चीन के द्वारा आक्रमण किये जाने पर श्रीलंका ने निष्पक्ष नीति का अवलम्बन न करके भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि जब विश्व के अधिकांश देशों ने चीन के इस आक्रमण की निन्दा की उस समय भारत का पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका चुप रहा, जबकि हमारे साथ उसके सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध जुड़े हुए हैं। श्रीलंका भण्डारनायके ने 10 से 12 दिसम्बर, 1962 को कोलम्बो सम्मेलन बुलाया और दिल्ली तथा पेकिंङ्ग की यात्रा करके इस प्रस्ताव को सफल बनाने के प्रयास किए।

भारत और श्रीलंका सरकार ने अप्रवासी भारतीयों की समस्या का समाधान करने के लिए अपने-अपने प्रयास जारी रखे जिसका परिणाम यह हुआ कि 29 अक्तूबर, 1964 को भारत के प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री तथा श्रीलंका की प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायके के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते के लिए दोनों पक्षों की ज़ोरदार प्रशंसा की गई।

1964 के समझौते की मुख्य बातें—इस समझौते के आधार पर मुख्य बातें इस प्रकार से तय की गईं—

(1) श्रीलंका में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी भी एक देश की नागरिकता अपना सकते हैं, क्योंकि अभी तक वे किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं।

(2) एक अनुमान के अनुसार श्रीलंका में लगभग 9,75,000 लोग है जो कि राष्ट्रीयता हीन है। समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि इनमें से 5,25,000 व्यक्तियों को भारत तथा 3,00,000 व्यक्तियों को श्रीलंका नागरिकता प्रदान करें। शेष बचे 1,50,000 व्यक्तियों की नागरिकता की समस्या को एक अन्य समझौते द्वारा सुलझा लिया जाएगा।

(3) आगामी 15 वर्षों के अन्दर ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।

(4) भारत आने वाले व्यक्तियों को वे सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो कि किसी भी अन्य विदेशी को मिलती हैं, किन्तु उन्हें विदेशों में धन भेजने की सुविधा नहीं दी जायेगी।

(5) प्रवासी भारतीय अपनी कमाई हुई पूंजी को भारत ले जा सकेंगे। लेकिन यह धनराशि सीमा 4,000 से कम नहीं होनी चाहिए।

इस समझौते के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में निरन्तर सुधार होता गया। 1965 में दोनों राष्ट्र उस समय और निकट आ गए जब श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सैनानायक ने भारत के न्यायोचित पक्ष को अपना समर्थन दिया और चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण तथा कोलम्बो प्रस्तावों को न मानने की खुलकर निन्दा की। 1970 में श्रीलंका की सत्ता पुन: श्रीमती भण्डारनायके के हाथ में आ गई और इस दौरान भारतीय शासन का नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गांधी के

हाथों में था। दोनों महिला प्रधानमन्त्रियों के कार्यकाल में भारत व श्रीलंका के सम्बन्ध और अधिक मज़बूत हुए। मई, 1971 में श्रीलंका की सरकार को उग्रवादियों एवं वामपन्थियों के व्यापक विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसे दबाने के लिए भारत ने हथियारों की आपूर्ति करके श्रीलंका सरकार को सक्रिय सहयोग दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अप्रैल, 1972 में श्रीलंका की यात्रा की और श्रीमती भण्डारनायके ने जनवरी, 1974 में भारत की यात्रा की।

29 अक्तूबर, 1964 के समझौते में जिन 1,50,000 व्यक्तियों की नागरिकता की समस्या के बारे में नि[illegible] सका था, उनके बारे में भी 29 जनवरी, 1974 को समझौता हो गया और दोनों देशों ने आधे-आधे लोगों को नागरिकता देना स्वीकार किया। इस समझौते का दोनों पक्षों द्वारा ज़ोरदार स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों की समस्या के समाधान के साथ-साथ श्रीमती गांधी एवं श्रीमती भण्डारनायके के मध्य कच्चातिबू टापू की समस्या का भी समाधान एक समझौते के द्वारा जून, 1974 में कर दिया गया । भारत ने एक गौरवशाली एवं उदार पड़ोसी की परम्परा के आधार पर कच्चातिबू द्वीप को श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया। 23 अप्रैल, 1976 में दोनों के बीच समुद्री-सीमा सम्बन्धी समझौता भी सम्पन्न हुआ। दोनों देशों ने स्वीकार किया कि प्रत्येक देश के तट के 200 मील तक का समुद्री क्षेत्र उसका आर्थिक क्षेत्र होगा। जहां दोनों देशों के बीच की समुद्री दूरी 200 मील से कम होगी वहां दोनों देशों के बीच की रेखा सीमा होगी । अगस्त, 1976 में भारत के प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री ने गुट-निरपेक्षता शिखर सम्मेलन में कोलम्बो की यात्रा की जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में और सुधार हुआ।

जयवर्द्धने के नेतृत्व में श्रीलंका एवं भारत सम्बन्ध

1977 में श्रीलंका में श्रीमती भण्डारनायके तथा भारत में श्रीमती इन्दिरा गांधी को राजनीतिक पराजय का मुँह देखना पड़ा। श्रीलंका के शासन की बागडोर श्री जूलियस जयवर्द्धने तथा भारत में श्री मोरार जी देसाई ने प्रधानमन्त्री के रूप में संभाली। दोनों राष्ट्रों के उत्तराधिकारियों ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धों में तनाव का सिलसिला शुरू हो गया । इसके बावजूद 1977 में दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक समझौता हुआ और भारत ने सामूहिक उपयोग की अनिवार्य वस्तुएं तथा अन्य आवश्यक साज-सामान के लिए श्रीलंका को 7 करोड़ रुपये का ऋण दिया। श्रीलंका के संशोधित संविधान के अन्तर्गत जब जे० आर० जयवर्द्धने प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए तो इस उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत की ओर से तत्कालीन गृहमन्त्री श्री चरणसिंह ने 3 से 6 जनवरी, 1978 तक श्रीलंका की यात्रा की तथा समारोह में सम्मिलित हुए।

अक्तूबर, 1978 में राष्ट्रपति जे० आर० जयवर्द्धने ने भारत की यात्रा की और फरवरी, 1979 में श्रीलंका की यात्रा की। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के सम्बन्धों मे सुधार हुआ, किन्तु इसके बावजूद तमिल समस्या का कोई हल नही हुआ। इस दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री श्री देसाई ने श्रीलंका के प्रवासी भारतीय तमिलों को सलाह दी कि वे अलगाववाद को छोड़ करके सिंहली लोगों के साथ मिल-जुलकर रहें।

जनवरी, 1980 में भारत की सत्ता में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और श्रीमती इन्दिरा गांधी पुन: प्रधानमन्त्री बन गईं। सितम्बर, 1980 में राष्ट्रपति जयवर्द्धने व उनके विदेश मन्त्री ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा से यद्यपि तमिल समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकाला जा सका किन्तु आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों को मज़बूत अवश्य बना दिया। भारतीय प्रवासी लोगों की समस्या के समाधान हेतु भी प्रयास जारी रहे। जनवरी, 1981 में दोनों देशों के मध्य एक समझौते द्वारा आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और भारत ने श्रीलंका सरकार को 10 करोड़ रुपये का ऋण दिया।

फरवरी, 1982 में राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी की श्रीलंका की राजकीय यात्रा ने दोनों देशों के मैत्री सम्बन्धों को और अधिक प्रगाढ़ बनाया। दोनों देशों के मन्त्रियों ने भी एक दूसरे देश की यात्राएं कीं। अक्तूबर , 1982 में श्री जे० आर० जयवर्द्धने पुन: श्रीलंका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। राष्ट्रपति जयवर्द्धने मार्च, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्रध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भी सम्मिलित हुए।

तमिल समस्या एवं बढ़ता तनाव

भारतीय प्रवासियों की समस्या दोनों देशों के सम्बन्धों के बीच तनाव का एक महत्त्वपूर्ण कारण रही है। वर्ष 1983 में श्रीलंका में तमिल समस्या ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया और इसके परिणामस्वरूप सैंकड़ों तमिलों की हत्या कर दी गई और 50,000 से अधिक लोग शरणार्थी बन गए । लूट-पाट एवं दंगों का ज़ोरदार सिलसिला सरे आम शुरू हो गया और जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत की विदेश नीति एवं सामाजिक स्थिति से था । अत: भारत के साथ श्रीलंका

के सम्बन्धों में दरार आनी शुरू हो गई। भारतीय राजनयिक तथा कर्मचारियों के घरों में भी अपनी दमनकारी नीति का खेल खेला। श्रीलंका ने भारत को अपना सीधा निशाना मानकर अनेक अन्य राष्ट्रों से सहायता की गुहार की। सिंहली **राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धने** ने यहाँ तक कह दिया कि—

''यदि संयोगवश भारत आक्रमण करता है तो संभव है, कि हम पराजित हो जाएं लेकिन लड़ेंगे शान से।''

भारत में इस ब्यान से आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक ही था, किन्तु सौहार्दपूर्ण एवं सम्बन्धों को बरकरार रखने के लिए बातचीत के माध्यम से हल करने के प्रयास जारी रखे। अगस्त, 1983 में पहले राष्ट्रपति जयवर्द्धने के भाई एस० डब्ल्यू० जयवर्द्धने ने श्रीमती गान्धी से बात की और भारत की ओर से विशेष दूत के रूप में श्री पार्था सार्थी ने जयवर्द्धने से बात की, ताकि इसका कोई मध्यस्थ मार्ग निकाला जा सके, किन्तु स्थिति निरन्तर नाज़ुक होती गई। श्रीलंका सरकार, ने सिंहली लोगों को उकसाया और सेना व पुलिस की मदद से तमिलों पर क्रूर दमन नीति अपनाई जिसके कारण तमिल युवकों ने अपनी रक्षा के लिए आतंकवादी गतिविधियां अपनायीं। श्रीलंका सरकार के विरुद्ध तमिलों के निम्नलिखित आरोप थे—

(1) तमिल भाषा को प्रशासन में दिया गया प्रतिनिधित्व छीन लिया गया है।

(2) सरकारी नौकरी में भर्ती के समय तथा उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के समय भेदभाव अपनाया जाता है।

(3) सरकार तमिल क्षेत्रों में सिंहली किसानों को सुनियोजित तरीके से बसाकर तमिलों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है।

(4) तमिलों के संगठन को तोड़कर उन्हें अलग-अलग करने की कार्यवाही श्रीलंका सरकार कर रही है।

(5) उग्रवादियों का अन्त करने के बहाने सरकारी आतंकवाद जयवर्द्धने सरकार फैला रही है।

(6) जाफना, बट्टिकलोवा तथा त्रिंकोमाली में जहाँ तमिल आबादी काफ़ी घनी है, वहां के तमिलों में विश्वास एवं असुरक्षा की भावना बहुत बढ़ चुकी है।

श्रीलंका सरकार ने तमिलों के आक्रोश को दबाने के लिए जो दमनकारी नीतियां अपनायीं, उनसे बचने के लिए तमिल युवकों ने तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट (TULE) तथा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (लिट्टे) आदि अपने संगठन बनाए। श्रीलंका सरकार ने जब इनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी तो तमिल शरणार्थियों की संख्या भारत में दिन प्रति-दिन बढ़ने लगी, जिससे भारत की चिन्ता और अधिक बढ़ी। चूंकि अपनी रक्षा के लिए तमिल चोरी-छिपे हथियार भारत से ले जा रहे थे, अतः श्रीलंका सरकार ने भारत को इसके लिए दोषी ठहराया और कहा कि—''भारत में तमिल आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और भारत श्रीलंका पर हमला करना चाहता है।''

श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्द्धने 30 जून, 1984 को एक राजकीय यात्रा पर भारत आये तो उन्होंने कहा कि, भारत की नीति श्रीलंका के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की नहीं है और वह श्रीलंका की अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। वह चाहता है कि इस मामले का राजनीतिक समाधान शीघ्र निकाला जाए जो सभी पक्षों को मान्य हो। इसके बावजूद कोई हल नहीं निकाला जा सका। तनाव की इसी स्थिति में छेड़छाड़ का सिलसिला जारी रहा और श्रीलंका की नौ-सेना ने भारतीय जल सीमा में प्रवेश करके जनवरी, 1985 में भारतीय मछुआरों पर आक्रमण किया जिससे दो मछुआरे मारे गए।

3 जून, 1985 को भारतीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गान्धी व श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धने के मध्य इस समस्या के समाधान हेतु सहमति हुई और यह तय हुआ कि हर प्रकार की हिंसा को पहले कम तथा फिर पूरी तरह समाप्त किया जाए। इस बातचीत का भी कोई ठोस परिणाम नहीं आया और तनाव का सिलसिला ज़ारी रहा। राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने भारत पर दबाव डालने की नीति अपनाई और घोषणा की कि अपने देश की अखण्डता व रक्षा के लिए बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को सहर्ष निमन्त्रण देंगे और उन्होंने इज़राइल, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटिश, पाक एवं अमेरिकी सलाहकार एवं भाड़े के सैनिक तैनात किये तथा त्रिंकोमाली का महत्त्वपूर्ण सैनिक अड्डा अमेरिका को सौंपने की बात कही। इससे भारत विरोधी नीति खुल कर सामने आ गई और तमिल शरणार्थियों की भारी संख्या भारत में आ गई जिससे तनावपूर्ण स्थिति हो गई।

मई, 1987 मे श्रीलंका की सरकार ने तमिल बाहुल्य क्षेत्र जाफना प्रयाद्वीप की आर्थिक नाकेबन्दी करके अपनी सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्थल, जल एवं वायु मार्गों से तमिल उग्रवादियों के दमन एवं जाफना पर अधिकार जमाने की कार्यवाही

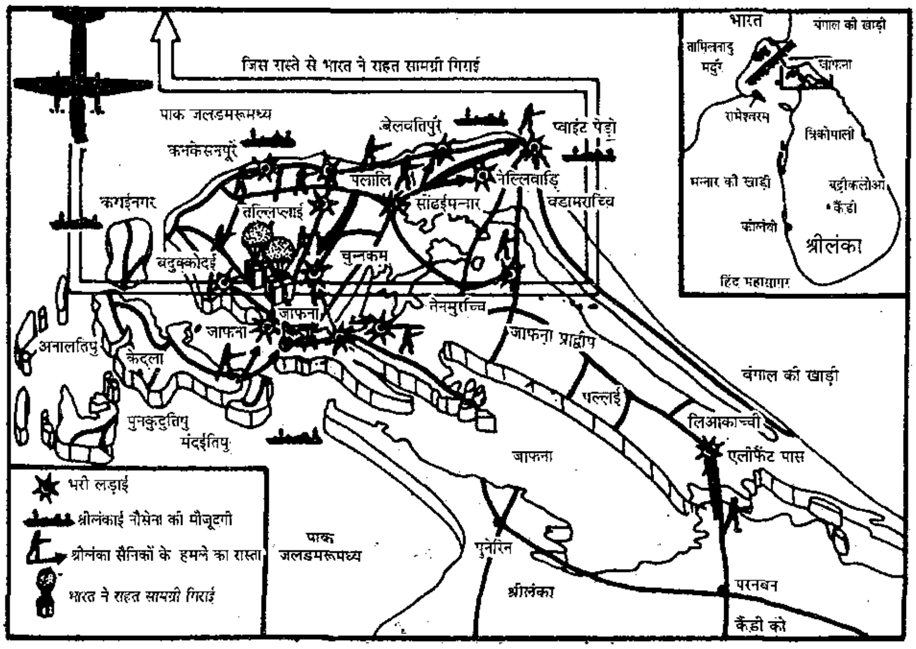

5 जून, 1987 को जाफना द्वीप पर भारतीय विमानों द्वारा पहुंचाई गई राहत सामग्री

से भीषण नरसंहार हुआ। भारी संख्या में तमिल शरणार्थी भारत में इस कार्यवाही से आने लगे। भारत ने इस दमन नीति का विरोध किया और जाफना के हताहतों के लिए राहत सामग्री भेजने का निश्चय किया। भारतीय जलयान भारतीय रेडक्रास के झण्डे के नीचे राहत सामग्री लेकर 3 जून, 1987 को जाफना की ओर रवाना हुए, परन्तु श्रीलंका के नौ-सैनिक बेड़े ने भारतीय जलयानों को अपनी जल सीमा में घुसने नहीं दिया । इससे भारत की प्रतिष्ठा को आघात लगा। अतः भारत ने अपने विमानों के द्वारा 5 जून, 1987 को खाद्य सामग्री एवं जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं जाफना द्वीप पर पहुंचायी। श्रीलंका सरकार ने इन विमानों को रोकने का साहस नहीं किया, जिससे भारतीय वायुयान अपनी राहत सामग्री सकुशल पहुंचाकर वापस लौट आये। यद्यपि श्रीलंका सरकार ने भारत की इस सहायता की तीखी आलोचना की।

सम्बन्धों में सुधार करने के लिए जून, 1987 में सम्पन्न एक समझौते में राहत सामग्री भेजने हेतु श्रीलंका ने सहमति प्रदान कर दी और नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सार्क देशों के विदेश मन्त्रियों की बैठक में अपना प्रतिनिधि भी भेजा।

भारत व श्रीलंका शान्ति समझौता (जुलाई, 1987)

श्रीलंका ने भारत का कड़ा रुख देखते ही 'भारत से शान से लड़ेंगे' की बात भूल गए, जो कि परिस्थितियों के अनुसार उचित था। भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने 29 व 30 जुलाई, 1987 को श्रीलंका की राजकीय यात्रा की जहां उन्होंने वहां के राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को दोनों देशों के सम्बन्धों के विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय माना गया, क्योंकि विगत 4 वर्षों से चली आ रही तमिल समस्या के समाधान होने की आशा उत्पन्न हो गई। इस समझौते की नई व्यवस्था को सभी तमिल गुटों ने भी स्वीकार कर लिया था। जाफना द्वीप की एकता व अखण्डता की रक्षा के लिए एक 8 सूत्रीय समझौता सम्पन्न हुआ। इस समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार से थीं—

(1) श्रीलंका के पूर्वी तथा उत्तरी प्रान्तों को मिलाकर एक इकाई बनाई जायेगी, जिसकी पुष्टि जनमत संग्रह के आधार पर होगी और यह जनमत संग्रह 31 दिसम्बर, 1988 तक पूरा होना है।

(2) इस जनमत संग्रह की देखरेख श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी।

(3) उत्तरी तथा पूर्वी प्रान्तीय परिषदों के चुनाव 31 दिसम्बर, 1987 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इसके लिए भारतीय प्रेक्षकों को भी रखा जाएगा।

(4) पूर्वी तथा उत्तरी प्रान्तों में लगी आपात्कालीन स्थिति 15 अगस्त, 1987 तक समाप्त कर दी जाएगी।

(5) आम माफ़ी की घोषणा के साथ ही श्रीलंका के सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाएगा।

(6) उग्रवादी तथा सभी तमिल गुट हथियार डाल देंगे और श्रीलंका के सैनिक बैरकों में वापस चले जाएंगे।

(7) भारत सरकार इस समझौते को लागू करने की गारण्टी देती है और वचन देती है कि—

(अ) भारत सरकार अपने क्षेत्र के प्रयोग की अनुमति श्रीलंका के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही के लिए नहीं देगी।

(ब) भारतीय नौ सेना श्रीलंका के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी उग्रवादी कार्यवाही पर अंकुश लगाएगी।

(स) भारत सरकार इस समझौते को लागू करने के लिए श्रीलंका की सरकार को आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगी।

(द) भारत तथा श्रीलंका सरकार तमिलों तथा सिंहलियों की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगी।

(8) श्रीलंका की सरकारी भाषा के रूप में सिंहली, तमिल तथा अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाएगा।

इस समझौते को ऐतिहासिक एवं बेमिसाल समझौते के रूप में आंका गया क्योंकि जहां भारत की कूटनीतिक सफलता का संकेत दे रहा था वहां श्रीलंका में शान्ति कायम करने का एक साहसिक कदम था। श्रीलंका के एक बड़े गुट ने इसका ज़ोरदार विरोध भी किया। इसके बावजूद तमिल क्रांतिकारी संगठनों ने इस समझौते का स्वागत किया। शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से श्रीलंका सरकार ने भारत से सैनिकों की मांग की और भारत ने लगभग 47,000 सैनिक भेजे, जो युद्ध-विराम का निरीक्षण करने लगे। इस दौरान तमिल छापामारों ने बड़ी संख्या में हथियार सौंप दिए, परन्तु अन्तरिम प्रशासन के गठन को लेकर सबसे बड़े तमिल गुट लिट्टे (L.T.T.E.) या Liberation Tigers of Tamil Elem ने समझौते को ठुकरा दिया और पुनः छापामार कार्यवाही शुरू कर दी।

भारत की ओर से इस समझौते के अन्तर्गत भारतीय शान्ति सेना को श्रीलंका भेजा गया जहाँ भारतीय शान्ति सेना (Indian Peace Keeping Force) ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक किया और जाफना पर पूरा नियन्त्रण कर लिया । वहां के लोगों को राहत पहुंचायी तथा उनके पुनर्वास के पूरे प्रयास किए। उत्तर तथा पूर्वी प्रान्तों में भी इसी तरह से कार्यवाही करनी पड़ी। इस पूरे मिशन में अनेक भारतीय सैनिक शहीद हुए। करोड़ों की हानि हुई और एक लम्बी अवधि तक 20,000 सैनिकों को रुकना पड़ा।

इस ऐतिहासिक समझौते को श्री राजीव गान्धी व श्री जयवर्द्धने ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम अमन पसन्द लोगों ने इस समझौते को अच्छे रूप में लिया। परन्तु अनेक सद्भावनाओं के बावजूद दोनों नेता दो मूलभूत भूलें कर गए थे। एक तो यह कि श्री राजीव गांधी ने तमिलों की ओर से शान्ति स्थापना की ज़िम्मेदारी तो ले ली थी, परन्तु समस्त तमिल गुटों को विश्वास में नहीं लिया था। दूसरे श्री जयवर्द्धने ने न्यौता देते समय शायद यह नहीं सोचा था कि सिंहली जनमानस इस बात को सहजता से नहीं ले पाएगा कि जिस भारत को अब तक वे अपने देश में गड़बड़ी फैलाने का दोषी मानते आए हैं, उसी भारत की सेनाएं उनके देश में शान्ति की साहूकारी करेंगी।

जिन तमिलों की भलाई के लिए यह समझौता किया गया था, वे ही आग से खेल रहे थे और दुःखद तथ्य था कि यह लड़ाई सीधे-सीधे तमिलों एवं भारतीय सेना के बीच थी।

गोलियां भी भारतीय सैनिकों को लग रही थीं और तोहमत (झूठा दोष) भी हमारे ऊपर लगाई गई। श्री जयवर्द्धने ने भी कह डाला था कि भारतीय सेना अपने काम को सही अंजाम नहीं दे रही है। इस समझौते ने भारत को दोहरा नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ़ सिंहली समर्थक वामपंथी उग्रवादी संगठन जनता विमुक्त पेरामुना (जे० वी० पी०) द्वारा दक्षिण व केन्द्रीय श्रीलंका में हिंसात्मक गतिविधियों तथा भारत विरोधी कार्यवाहियों के कारण वहां की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था लड़खड़ा गई थी।

2 जनवरी, 1989 को श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रणसिंहे प्रेमदास बने और उन्होंने भारतीय शान्ति सेना की वापसी की मांग की जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना की वापसी जुलाई, 1989 से ही शुरू हो गई और अन्ततोगत्वा वह वापस भारत लौट आयी। इसके बाद भी श्रीलंका में जातीय संघर्ष और आतंकवाद की गतिविधियां ज़ोरों पर जारी रहीं।

विश्वनाथ प्रतापसिंह के नेतृत्व में भारत ने भारतीय शान्ति सेना को पूर्ण रूप से वापस भारत बुला लिया। भारत के

1. हिन्दी पाक्षिक 'अवकाश' 15 नवम्बर, 1987

इस निर्णय से राष्ट्रपति प्रेमदासा को बहुत राहत मिली। इससे श्रीलंका के सिंहली समाज को सन्तोष मिला। चन्द्रशेखर का प्रधानमन्त्रित्वकाल अल्प रहा। इस काल में भारत और श्रीलंका के सम्बन्ध सामान्य रहे। 21 मई, 1991 को जब पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी की हत्या हुई, तो श्रीलंका ने इसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए भारत को इस हत्या की जांच में सभी सम्भव सहयोग प्रदान करने की पेशकश की।

नरसिम्हाराव के प्रधानमन्त्रित्वकाल में भारत-श्रीलंका के सम्बन्धों में नया वातावरण देखने को मिला। इसका मुख्य कारण था भारत द्वारा श्रीलंका के आतंकवादी संगठन 'लिट्टे' पर अब तक का कठोरतम नियन्त्रण। भारत ने तमिलनाडु में लिट्टे के उग्रवादी तत्त्वों को खदेड़ा तथा समुद्री मार्ग से उनके आने-जाने के सभी मार्ग बन्द कर दिए। श्रीलंका के लिए यह बहुत बड़ी 'राहत' थी।

अक्तूबर, 1992 में श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा भारत यात्रा पर आये। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री से द्वि-पक्षीय सम्बन्धों पर चर्चा की। इस यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार हुआ। इसके बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पी. वी. नरसिम्हाराव तथा श्रीलंका के प्रधानमन्त्री प्रेमदासा के बीच छठे और सातवें सार्क सम्मेलन में द्वि-पक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श हुआ जिससे दोनों देश एक-दूसरे के नज़दीक आए।

श्रीलंका में आतंकवादी संगठन लिट्टे 'हत्याओं की राजनीति' का सहारा लेता रहा है। पहले पूर्व रक्षामन्त्री अतुलतमुदाली और बाद में प्रधानमन्त्री प्रेमदासा की हत्या हुई। भारत ने इन दोनों घटनाओं पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए श्रीलंका की जनता के साथ संवेदना प्रकट की। प्रेमदासा के निधन के पश्चात् विजयतुंगे को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। उनके कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के सम्बन्ध सामान्य रहे, लेकिन लिट्टे का भारत विरोधी अभियान जारी रहा। 21 जून, 1993 को श्रीलंका के प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघे ने भारत की तीन दिवसीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की बैठक शीघ्र बुलाने का निर्णय हुआ। इस यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ। श्रीमती चन्द्रिका कुमार तुंगा श्रीलंका की राष्ट्रपति बनीं। उनके कार्यकाल में श्रीलंका तथा भारत के सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। भारत ने लिट्टे की आतंकवादी गतिविधियों की निन्दा की तथा श्रीलंका की प्रादेशिक एकता और अखण्डता का समर्थन किया। इसी बीच भारत ने श्रीलंका से राजीव गांधी हत्याकाण्ड के प्रमुख अभियुक्त के० प्रभाकरण के प्रत्यर्पण की मांग की। श्रीलंका की राष्ट्रपति ने भारत की इस मांग पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस बीच श्रीलंका सरकार ने देश में आपातकाल को लागू करते हुए लिट्टे के उग्रवादियों के विरुद्ध कड़ी सैनिक कार्यवाही की। दिसम्बर, 1996 ई० में श्रीलंका राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका कुमार तुंगा ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा से दोनों देशों के साथ सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार आया।

श्रीलंका के साथ भारत के सम्बन्ध हार्दिक और सौहार्दपूर्ण बने रहे। श्रीलंका के राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिरगमर की मार्च और जून, 1998 की भारत यात्रा ने दोनों सरकारों के बीच उपयोगी, उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के अवसर उपलब्ध कराए। दोनों पक्षों ने घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रखने पर दोनों देशों में विद्यमान सम्मति की पुनः पुष्टि की। श्रीलंका के विपक्ष के नेता विक्रमसिंघे ने अप्रैल, 1998 में भारत की यात्रा की। दसवें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28-31 जुलाई, 1998 तक प्रधानमन्त्री की कोलम्बो यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुफलकीय सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने में सहायता मिली।

श्रीलंका की राष्ट्रपति महामान्या श्रीमती चन्द्रिका भण्डारनायके कुमारतुंगा ने 27-30 दिसम्बर, 1998 तक भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने से सम्बद्ध एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार से सीमा शुल्क को धीरे-धीरे घटाने से व्यापार और निवेश में निरन्तर वृद्धि होगी। दोनों देशों ने भारत-श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन भी सम्पन्न किया। यह फाउण्डेशन विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान को बढ़ाएगा और यह एक स्वतन्त्र बोर्ड द्वारा अधिशासित होगा।

इससे पूर्व भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग का चौथा सत्र 18 दिसम्बर, 1998 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व विदेशी मन्त्री ने किया जबकि श्रीलंका ने शिष्टमण्डल का नेतृत्व वहां के परिवहन और संचार मन्त्री अहमत देनीजोनगन ने। वे प्रबन्ध नीति से सम्बद्ध परिवहन मन्त्रियों के सेमिनार में भाग लेने के लिए भारत की

यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने तत्कालीन रेल मन्त्री नीतिश कुमार, संचार राज्य मन्त्री कबिन्द्र पुरकायस्थ तथा नगर विमानन मन्त्री अनन्त कुमार से मुलाकात की।

जनवरी, 1997 में कोलम्बो में सम्पन्न भारत-श्रीलंका आयोग के तीसरे सत्र में द्वि-पक्षीय सहयोग के मौजूदा स्तर की समीक्षा कर और मज़बूत करने हेतु उपाय तय करने हेतु विचार-विमर्श हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में वहां के विदेश मन्त्री लक्ष्मण कादिगमर भारत आए। भारत के प्रधानमन्त्री ने माले के सार्क शिखर सम्मेलन में और एडिनबरा के राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन के दौरान श्रीलंका की राष्ट्रपति से मुलाकात की। श्रीलंका के प्रतिपक्ष के नेता रानिल बिक्रम सिंघे अक्तूबर, 1997 में भारत की यात्रा पर आये। जाफना में श्रीलंका सरकार के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए भारत द्वारा राहत सहायता के रूप में 3.7 करोड़ रुपए की निर्माण सामग्री भेजी गई। भारत और श्रीलंका ने मौसम विज्ञान आंकड़ा प्राप्ति स्टेशन की स्थापना से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन सितम्बर, 1997 में सम्पन्न किया। भारत द्वारा दी जा रही व्यापार रियायतों के बारे में अप्रैल, 1997 में दोनों देशों के वाणिज्य दूतों के बीच द्वि-पक्षीय बातचीत हुई। मई, 1997 में कोलम्बो में संयुक्त व्यापार परिषद् ने अपनी पांचवीं बैठक की।

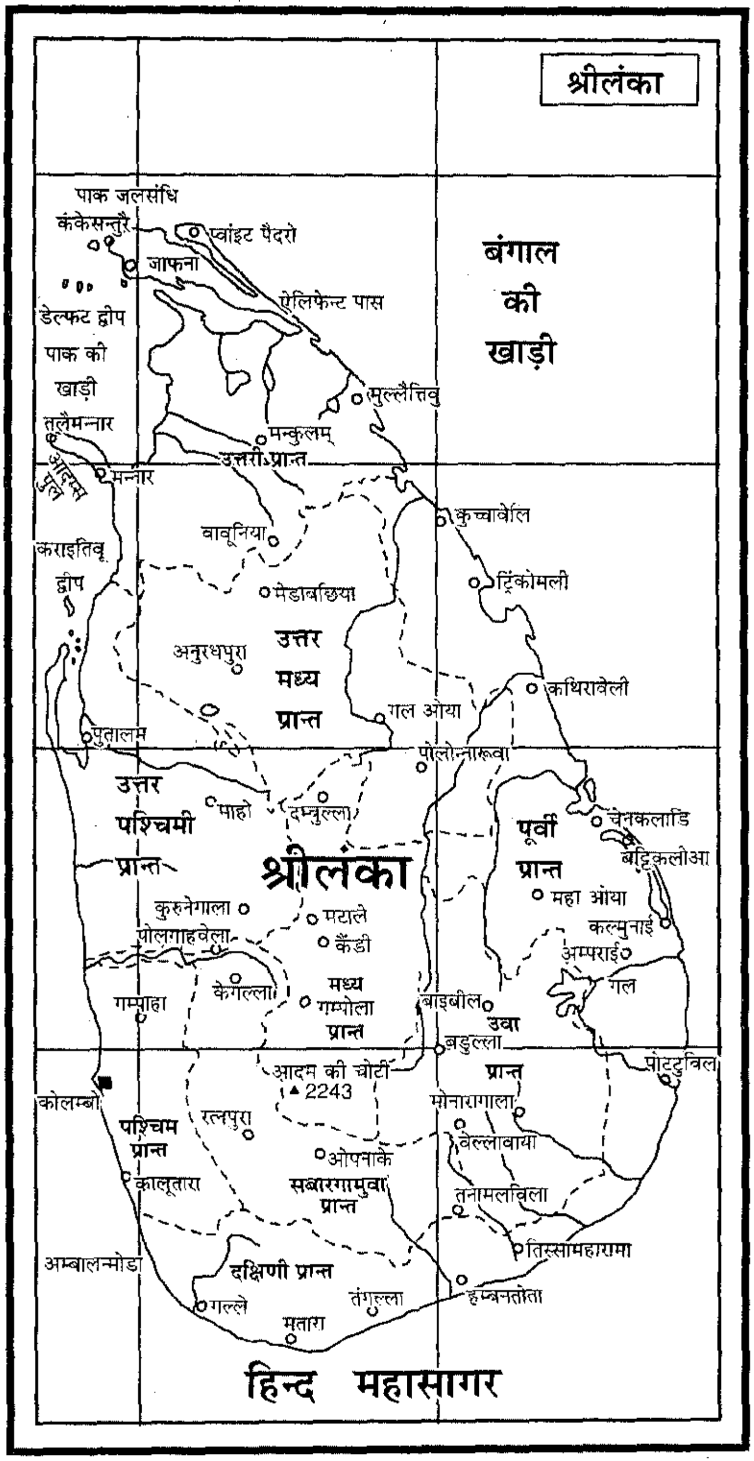

18 दिसम्बर, 1999 को लिट्टे द्वारा किये गये हमले से घायल श्रीमती चन्द्रिका कुमारतुंगा 21 दिसम्बर, 1999 को श्रीलंका की पुन: राष्ट्रपति बनीं, तथा 20 अक्तूबर, 2000 को हुए संसदीय चुनाव में श्रीमती चन्द्रिका कुमार तुंगा की पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में विजयी होकर सत्ता में आई। इससे भारत-श्रीलंका में लगातार मधुर सम्बन्ध बने रहने की सम्भावना बलवती हुई।

भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्री राम नाईक द्वारा 28 मई, 2003 को इण्डियन ऑयल कारपोरेशन की सहयोगी कम्पनी लंका आई.ओ.सी. के प्रथम खुदरा स्टोर का श्रीलंका में शुभारम्भ किया।

इससे पूर्व अप्रैल, 2003 में श्रीलंका की राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारतुंगा भारत यात्रा पर आई।

अक्तूबर, 2003 में श्रीलंका के प्रधानमन्त्री भारत यात्रा पर आए। इस अवसर पर दोनों देशों की संयुक्त टीम ने आर्थिक सहयोग पर रिपोर्ट तैयार की। इस सन्दर्भ में पूर्व विदेश मन्त्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस रिपोर्ट पर मार्च, 2004 तक अमल कर दिया जाएगा।

एक नए घटनाक्रम के तहत प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली 225 सदस्यीय संसद् को श्रीलंका की राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारतुंगा ने 7 फरवरी, 2004 को भंग कर दिया। 2 अप्रैल, 2004 को नए चुनाव हुए। इस तेरहवें संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारतुंगा का नवगठित यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम एलायंस सबसे बड़ा गुट बनकर उभरा। श्रीलंका में महिन्द्रा राजपाक नए प्रधानमन्त्री बने। नए प्रधानमन्त्री ने भारत के साथ मधुर सम्बन्धों की इच्छा जताई। 22 मई, 2004 को बने भारत के नए प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रीलंका की राष्ट्रपति ने अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के साथ बधाई संदेश भेजा।

भारत और श्रीलंका, जिनके बीच बहुमुखी संबंध है, दोनों ने विशेष रूप से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहन विचार-विमर्श किया। भारत ने श्रीलंका की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता, इस देश में स्थायी शांति की बहाली, श्रीलंका के समाज के सभी घटकों की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु वार्ता द्वारा संपन्न समझौते के जरिए स्थायी शांति स्थापित करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को ही एकमात्र साधन मानने के बारे में अपनी वचनबद्धता दोहराई है।

तमिल समस्या
(Tamil Problems)

आज तक भारत में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति बनाए हुए लिट्टे अब भारतीय तमिलों के मन में घर बनाने की फ़िराक में है। जहां तक लिट्टे के तमिल समर्थक संगठन के रूप में उभरने का प्रश्न है तो यहां यह जान लेना आवश्यक है कि 5 मई, 1975 को गठित यह विद्रोही सैन्य संगठन बेशक केवल 25 वर्ष पुराना है लेकिन, श्रीलंका की सिंहली सरकार के खिलाफ़ चल रहा श्रीलंकाई तमिलों का पुराना संघर्ष इसका आधार है। श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन कहा जाता था, 4 फरवरी, 1948 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ, लेकिन यह आज़ादी कुछ मायनों में अधूरी थी क्योंकि कोलंबो, त्रिंकोमाली एवं कतुनायके के सैनिक अधिकार ब्रिटेन ने अपने पास ही रखे। आज़ादी के बाद जो संसद् बनाई गई, उसमें सिंहली लोग बहुतायत में थे तथा उसके बाद नागरिक कानून पारित किए जाने के बाद श्रीलंकाई तमिलों के अधिकारों में काफ़ी कटौती कर दी गई थी। इससे तमिलों में रोष का बढ़ना स्वाभाविक था। हालांकि इस रोष को दबाने के लिए श्रीलंका सरकार ने राष्ट्रीय झंडे में तमिल नागरिकों की प्रतीक पीली पट्टी शामिल करने की अनुमति दे दी थी, परन्तु तमिल इस बात को लेकर अड़े रहे कि चूंकि वे सिलोन के मूल नागरिक हैं तथा इस द्वीप के उत्तरी-पूर्वी हिस्से (जिसे वे ईलम के नाम से पुकारते हैं) में उनका 3000 वर्षों से वास है अत: उनके अधिकारों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में सिंहली लोगों का मानना है कि वे इंडो-आर्यों के वंशज हैं जिन्होंने ईसा पूर्व की पांचवीं शताब्दी से 1200 ई० तक अनुराधापुरा एवं पोलोन्नारुवा के इलाकों पर राज किया, इसलिए वे ही वहां के मूल निवासी हैं और नागरिक अधिकारों पर पहला हक उनका बनता है। तमिलों की श्रीलंका में उपस्थिति को वे 1186 ई० के बाद से मानते हैं जब बकौल उनके, दक्षिणी भारत में रहने वाले तमिलों ने उन पर हमला किया और उन्हें इस द्वीप के दक्षिण-पश्चिम में धकेल दिया और फिर 16 वीं शताब्दी तक तमिलों ने पोलोन्नारुवा का विभाजन कर दिया। तमिलों एवं सिंहलियों के इस संघर्ष के चलते इस द्वीप ने विदेशी कंपनियों के शासन को भी देखा। 1505 में पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर अपना सिक्का जमाने का प्रयत्न किया, पर 1638 में डच ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उन्हें खदेड़कर मसालों के व्यापार पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। 1796 के बाद से यहां ब्रिटेन का शासन रहा। 1948 में आज़ादी के बाद जब यूनाइटेड नेशनल पार्टी के डॉन सेनानायके यहां के प्रधानमन्त्री बने तो उन्होंने सिंहलियों को कुछ पूर्वी क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रयत्न किया जिनमें से बट्टीकलोआ ज़िले में गाल ओया तथा त्रिंकोमाली ज़िले में अल्लाई एवं कथलाई प्रमुख थे। आज़ादी मिलते ही सेनानायके द्वारा उठाया गया यह कदम तमिलों एवं सिंहलियों के बीच की खाई को गहरा करने का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। इससे पहले कि इस खाई को पाटने का प्रयत्न किया जाता, 1956 में प्रधानमन्त्री बने भंडारनायके, जिनकी 1959 में एक बौद्ध भिक्षु द्वारा हत्या कर दी गई, ने केवल सिंहली भाषा को ही सरकारी भाषा का दर्जा देने का फैसला कर लिया। इसे तमिलों ने स्वयं को दरकिनार करने का ज़रिया माना। इसके बाद 1965 में प्रधानमन्त्री बनीं श्रीमावो भंडारनायके (जो एस०आर० भंडारनायके की विधवा थीं) के शासनकाल में ऐसे कई मामले सामने आए जिन्हें तमिल अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा समझा गया। इनमें से 1971 में विश्वविद्यालयों में दाखिले के समय तमिलों

की अंक-योग्यता अधिक रखे जाने का मामला तथा सिंहली दबाव के कारण उत्तरी-पूर्वी इलाकों में शासन-शक्ति के विकेंद्रीकरण करने के वादे से श्रीमावो भंडारनायके का पीछे हट जाना प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं। यहां यह विचारणीय है कि 'कौन है मूल निवासी' के इस आपसी विवाद को सुलझाने के बजाय विभिन्न लोकतांत्रिक शासकों द्वारा लिए गए अदूरदर्शितापूर्ण निर्णयों ने दो जातियों का रक्तिम संघर्ष बनाकर रख दिया गया।

22 मई, 1972 को इस द्वीप ने अपना नया संविधान बनाया और ब्रिटेन से अपने संबंध तोड़कर सिलोन से श्रीलंका हो गया। इस नए संविधान के तहत सिंहलियों एवं तमिलों को उनके अपने-अपने इलाकों में संप्रभुता देने का प्रावधान तो था, लेकिन इस समय तक तमिलों में भविष्य में अपने समुदाय के अस्तित्व को लेकर चिंता इतनी बढ़ चुकी थी कि सिंहलियों से अपने क्षेत्र तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने न्यू तमिल टाइगर्स नामक संगठन का गठन किया। जिसकी कमान वी. प्रभाकरण को सौंपी गई। 1975 में इसी संगठन का नाम एवं स्वरूप बदलकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (लिट्टे) कर दिया गया। इस संगठन का मुख्य संघर्ष श्रीलंकाई तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण तथा श्रीलंका को ही अपना घर मान चुके तमिलों के लिए सभी मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने को लेकर है। इन्हीं बातों को लेकर लिट्टे एवं श्रीलंका सरकार में परस्पर संघर्ष जारी है और कई बार यह संघर्ष गृह युद्ध में भी बदल चुका है। पहला गृह युद्ध 1983 में हुआ। 1987 के जनवरी में लिट्टे द्वारा जाफना प्रायद्वीप पर कब्जा कर लेने के बाद श्रीलंका के आवेदन पर भारत ने हस्तक्षेप तो किया, परन्तु आज तक लिट्टे की सैन्य गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग पाया।

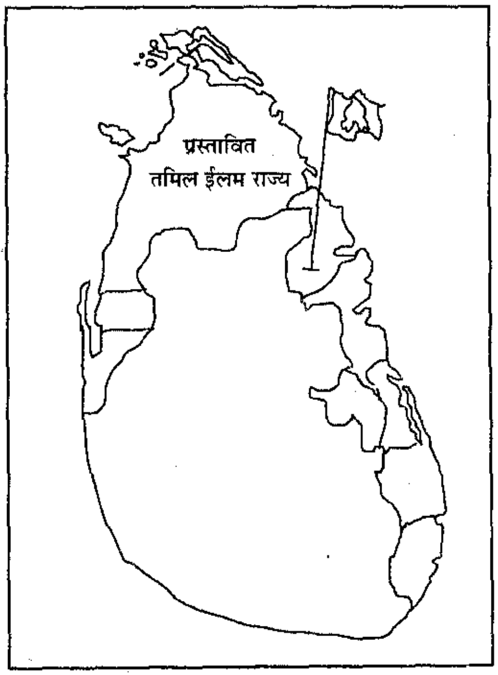

लिट्टे श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी हिस्सों को तमिलों का अलग राष्ट्र 'तमिल ईलम' बनाने की अपनी मांग पर आज भी कायम है। इस संगठन की जड़ें कितनी गहरी पैठ चुकी हैं, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का केवल यही एकमात्र ऐसा विद्रोही संगठन है जिसकी अपनी वायु एवं जल-सेना है। हालांकि श्रीलंका के अलावा कई देश लिट्टे की गतिविधियों को असंवैधानिक घोषित कर चुके हैं, परन्तु फिर भी इसकी आतंकवादी गतिविधियां लगातार जारी हैं। अब सवाल यह है कि इससे पहले कि यह भारत को भी अपने ग़ैर-कानूनी कामों एवं मांगों का निशाना बना ले, भारत सरकार को जल्द से जल्द इसके खिलाफ़ अपनी कार्रवाई तेज़ करनी होगी।

लिट्टे समस्या को बेशक श्रीलंका के अपरिचित एवं अलिखित इतिहास की पृष्ठ भूमि में देखा जा सकता है, बेशक इस समस्या का मूल कारण तमिलों एवं सिंहलियों का खुद को श्रीलंका का मूल नागरिक मानना है, लेकिन तर्कसंगत यही है कि इतिहास को केवल किताबों तक ही सीमित रखकर राजनीति का हिस्सा न बनाया जाए। इसके बजाय वर्तमान जातीय संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर यदि दोनों जातियों के हितों को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुनिश्चित करने की ओर प्रयत्न किया जाए तो लिट्टे समस्या के समुचित समाधान की आशा की जा सकती है।

बदलते सामरिक परिदृश्य में भारत एवं श्रीलंका को अपने सम्बन्धों को और अधिक मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। इससे जहां क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ होगी, वहाँ शान्ति, स्थिरता एवं प्रगति के नये आयाम आरम्भ होंगे। इस प्रकार भारत-श्रीलंका सम्बन्धों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की सामयिक आवश्यकता है।

शिवानी गुप्ता का लेख 'दैनिक भास्कर'- 4 दिसम्बर, 2004

15

भारत-नेपाल सम्बन्ध (INDO-NEPAL RELATIONS)

नेपाल राष्ट्र हिमालय के दक्षिण ढलान पर भारत एवं चीन के बीच में स्थित है। दो पड़ोसियों के मध्य घिरा नेपाल एक ओर मध्यवर्ती राष्ट्र (Buffer State) तथा दूसरी ओर भारतीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक सामरिक महत्त्व का क्षेत्र है, क्योंकि नेपाल गंगा के मैदानों के लिए उत्तरी द्वार है और इसी कारण से भारतीय सुरक्षा व स्थायित्व नेपाल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।[1] भू-राजनैतिक व भू-कूटियोजनात्मक दृष्टिकोण से भारत की सुरक्षा में नेपाल की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि चीन के द्वारा तिब्बत पर अधिकार के साथ अब पाकिस्तान नेपाल के अमन-चैन को छीनने की फ़िराक में है और चीन भी इसको अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देना चाहता है। पाक व चीन दोनों देश नेपाल में पांव पसारने में लगे हैं तथा मौके की तलाश में हैं। नेपाल में अस्थिरता और घातक तत्त्वों का जमाव भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से सजग रहने की जोरदार चेतावनी है, जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता।

भारत एवं नेपाल ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से दोनों देश अति निकट हैं, साथ ही आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के कारण भी दोनों देशों में मैत्री स्वाभाविक है।[2] नेपाल की पूर्व से पश्चिम की ओर लम्बाई लगभग 840 कि० मी० तथा उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर पड़ती है। काठमांडू यहां की राजधानी है। हिन्दुओं ने नेपाल को अपने 'पूजा-स्थल' तथा नेपालियों ने भारत को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के रूप में देखा है। नेपाल विश्व का एक मात्र हिन्दू राष्ट्र है, जहां हिन्दुओं के अनेक पवित्र स्थल हैं। प्राचीनकाल में नेपाल भारत व तिब्बत के मध्य व्यापार की एक कड़ी रहा है। यही कारण है कि भारत एवं नेपाल के सम्बन्ध अतीतकाल से ही बहुत घनिष्ठ रहे हैं, किन्तु अब चीन नेपाल में अपना नया आयुध केन्द्र बनाने की कार्यवाही कर रहा है, जिससे दोनों देशों में मन-मुटाव के साथ भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती तैयार कर रही है। अब प्रश्न यह उठने लगा है कि क्या इससे भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को खतरा बढ़ रहा है ?

नेपाल के संचार राज्य मन्त्री श्री **गच्छदार** ने भारत-नेपाल की जनता के लिए एक साक्षात्कार में सन्देश देते हुए कहा था कि—

''नेपाल एवं भारत के बीच सम्बन्ध भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं माना जा सकता, बल्कि दोनों देशों के पारिवारिक, जातीय व सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं। इसलिए भारत एवं नेपाल के विकास के लिए निःस्वार्थ रूप से एक-दूसरे को अधिक-से-अधिक सहयोग करने की ज़रूरत है। दोनों देशों को प्रजातन्त्र की रक्षा और देश के विकास के लिए सरकारी स्तर पर ही नहीं वरन् जन स्तर पर भी आपस में मिलकर काम करने की आवश्यकता है।''[3]

नेपाल जो हमेशा भारत की उंगली पकड़ कर चलता रहा, उसने भी विगत 1988-89 में भारत विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी थीं और नेपाल में बसे भारतीयों को प्रताड़ित किया था। इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ा और अपना माना जाने वाला नेपाल दूसरों की ओर बढ़ने लगा था। चूंकि भारत एवं नेपाल इस उपमहाद्वीप की एक ऐसी सुरक्षा कड़ी है, जिसके अलग होने से दोनों को खतरा बढ़ सकता है। नेपाल के साथ भारत की जुड़ी सुरक्षा आवश्यकता का उल्लेख करते हुए पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 17 मार्च, 1950 को संसद् में कहा था—

''जहां तक एशिया में हो रहे प्रमुख परिवर्तनों का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में भारत व नेपाल के हित समान हैं। यद्यपि दोनों देशों के मध्य कोई सैनिक सन्धि नहीं है, परन्तु फिर भी भारतीय सरकार नेपाल पर किसी ओर से होने वाले आक्रमण को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेगी। नेपाल पर हुए आक्रमण को भारत अपनी सुरक्षा के लिए संकट मानेगा।''[4]

---

1. Dr. S.S. BINDRA. India and Her Neighbours. N. Delhi 204
2. Dr. P.D. Sharma—International Politics, Jaipur 474
3. राष्ट्रीय सहारा दैनिक समाचार पत्र—4 नवम्बर, 1993
4. Jawahar Lal Nehru's Speeches 1943-53 New Delhi 176 Page.

अब हम दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों का विवेचन भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् से अब तक करते हैं ताकि भारतीय सुरक्षा एवं रक्षा की दृष्टि से इसके महत्त्व को समझा जा सके। भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के बाद भारत तथा नेपाल सम्बन्ध सगोली की सन्धि पर आधारित हैं जो 1814 से 1816 के युद्ध के पश्चात् सम्पन्न हुई थी। यह सन्धि दो सम्प्रभु राष्ट्रों द्वारा आपस में की गई ऐतिहासिक सन्धि थी। इसी प्रकार से 21 दिसम्बर, 1923 को सगोली में दूसरी सन्धि सम्पन्न हुई।

स्वतन्त्र भारत व नेपाल सम्बन्ध

(1947 से 1988 तक)

स्वतन्त्र भारत ने नेपाल को एक स्वतन्त्र व प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभारने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और दो सम्प्रभु राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों के विकास का श्रीगणेश किया। जुलाई, 1950 आते-आते दोनों देश यह अनुभव करने लगे कि आपसी मैत्री एवं सहयोग को अधिक मज़बूत किया जाए। इसी के परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 1950 को भारत एवं नेपाल के बीच एक व्यापार व पारगमन सन्धि सम्पन्न हुई। 1950 से 1977 तक दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आवागमन आदि इसी सन्धि के अनुसार ही संचालित, निर्देशित और अनुशासित होते रहे। इस सन्धि में दोनों देशों के मध्य 'विशेष सम्बन्धों' की बात भी स्वीकार की गई। इस सन्धि का उल्लेख करते हुए 'साप्ताहिक दिनमान' ने 15 मई, 1989 में लिखा है कि—

'भारत एवं नेपाल सन्धि एक अद्‌भुत सन्धि है, इसके तहत नेपाल के नागरिकों को भारत में और भारत के नागरिकों को नेपाल में समान अधिकार हैं। नेपाली भारत में आकर विदेशी अनुभव नहीं करता। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.), भारतीय पुलिस सेवा (I.P.S.) तथा भारतीय विदेश सेवा (I.F.S.) को छोड़कर किसी भी सेवा में जा सकता है। कोई भी रोज़गार कर सकता है, सम्पत्ति ख़रीद सकता है, बैंक में खाता खोल सकता है। अन्य भारतीय नागरिकों की तरह कहीं भी घूम-फिर सकता है। कोई वीज़ा, पासपोर्ट व परमिट प्रणाली नहीं है।'[1]

1950 में नेपाल में राज परिवार के विरुद्ध क्रान्ति की शुरुआत हुई और वर्ष के अन्त तक स्थिति तब अपनी चरम सीमा पार कर गई जब 6 नवम्बर को नेपाल के महाराजा त्रिभुवन ने राजपरिवार के 14 सदस्यों के साथ अपने राजभवन से भाग कर भारतीय दूतावास में शरण ली। भारत आने पर उन्हें राष्ट्राध्यक्ष का ही सम्मान दिया गया। भारत के सहयोग से नेपाल में राजाशाही का अन्त हुआ और नेपाल महाराजा नेपाल के वास्तविक शासक तथा टंका प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री बने। भारत ने ही नेपाल को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने की वकालत की और 1955 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने पर खुशी ज़ाहिर की। नेपाल के तत्कालीन विदेशमन्त्री ने फरवरी, 1955 में एक भाषण में कहा कि— **''भारत ने नेपाल को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में बड़ा सहयोग दिया है और वह नेपाल का सबसे बड़ा मित्र है। अतः नेपाल किसी भी दशा में भारत के विरुद्ध नहीं जाएगा।''**

पण्डित नेहरू ने भी स्पष्ट कहा था, कि भारत का इरादा नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का नहीं है, किन्तु नेपाल की घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से भारत पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अतः भारत का नेपाल के विषय में चिन्ता करना एवं सतर्क रहना ज़रूरी है।

1959 में नेपाली में दलीय आधार पर एक राष्ट्रीय आम चुनाव सम्पन्न हुआ और इसके परिणामस्वरूप नेपाल कांग्रेस के नेता श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में प्रथम जन निर्वाचित सरकार की स्थापना हुई। नेपाल में प्रजातन्त्र की जड़ें मज़बूत होने लगीं। इसके कारण इसी हद तक राजतन्त्र सीमित और संवैधानिक होता जा रहा था जो तत्कालीन नरेश महेन्द्र को रास नहीं आ रहा था। कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न कर उन्होंने 15 दिसम्बर, 1960 को प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री को बन्दी बना लिया। मन्त्रिपरिषद् और व्यवस्थापिका विघटित कर दी। जहां विश्व के अन्य नेताओं ने इस राजनीतिक संकट पर मौन रहना उचित समझा वहां तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने इसे प्रजातन्त्र के लिए ''गहरा धमाका'' बतलाया। नेपाल से भागकर आये नेपाली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को भी भारत में शरण मिली। इन नेताओं व कार्यकत्ताओं ने बाद में महाराजा महेन्द्र के लिए भयंकर समस्या खड़ी कर दी और ऐसा दिखाई देने लगा कि महाराजा महेन्द्र का शासन ही धराशायी होने वाला है।

इसके बाद भारत एवं नेपाल के बीच असहमति का दायरा बढ़ता गया जिसका प्रभाव व्यापक रूप से भारत-नेपाल सम्बन्धों पर पड़ा। **पण्डित नेहरू** ने कोइराला की बर्खास्तगी पर स्पष्ट रूप से कहा कि—**''स्पष्ट रूप से यह हम सभी के लिए पश्चात्ताप का विषय है कि एक प्रजातान्त्रिक प्रयोग अथवा व्यवहार की उन्नति के मार्ग में बाधा पड़ी।''**

1. डॉ० जे० पी० प्रेमदेव अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पेज-99

नेपाल नरेश महेन्द्र वीर विक्रम सिंह देव ने अगस्त, 1961 में भारत की तथा सितम्बर, 1961 में चीन की यात्रा की जिससे स्पष्ट हो गया कि नेपाल भारत एवं चीन के साथ सन्तुलित नीति अपनाना चाहता है। इसी समय भारत एवं चीन के बीच सीमा-विवाद उग्र रूप ले चुका था। भारत एवं नेपाल के सम्बन्धों में तनाव की प्रक्रिया तेज़ हो चुकी थी क्योंकि नेपाल ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ मिला लिया था। 4 अक्तूबर, 1962 को चीन-नेपाल सीमा सन्धि के पहले वार्षिकोत्सव पर बोलते हुए चीनी विदेशमन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि—**"यदि कोई विदेशी शक्ति नेपाल पर हमला करती है, तो हम चीनी आपके पक्ष में खड़े होंगे।"**

1962 के भारत-चीन युद्ध में नेपाल ने तटस्थता की नीति ही अपनाई, इस प्रकार भारत एवं नेपाल के मध्य सम्बन्धों में तनाव बढ़ा क्योंकि भारत को सहयोग देने की बजाय चुप रह कर नेपाल ने अप्रत्यक्ष रूप से चीन को ही सहयोग प्रदान किया। जब से चीन एवं नेपाल के सम्बन्ध अधिक मज़बूत हुए तभी से नेपाल में राजतन्त्र भी मज़बूत होता चला गया और प्रजातन्त्र उसी अनुपात में कमज़ोरी का शिकार होता चला गया। बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत ने इन मामलों में तटस्थ रहना ही उचित समझा और नेपाल को सभी सुविधायें ज़ारी रखीं। इसके बाद की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार रहीं—

(1) 1964 में भारत के प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नेपाल की यात्रा की और दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार होना शुरू हुआ।

(2) 1 सितम्बर, 1964 को दोनों देशों में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत ने 9 करोड़ रुपये की लागत से लिए एक 128 मील लम्बी सड़क बनाने का निर्णय किया। इसके साथ ही काठमाण्डू से भारतीय सीमा रक्सौल को जोड़ने वाली एक अन्य सड़क योजना भी अपने हाथ में ले ली।

(3) नेपाल नरेश महेन्द्र भारत आए और भारत के राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने नेपाल की यात्रा की।

(4) नेपाल के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापा ने 1966 में भारत की यात्रा की।

(5) मई, 1967 में नेपाल नरेश महेन्द्र भारत आए और भारतीय राष्ट्रपति डॉ० जाकिर हुसैन के साथ आपसी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

(6) अक्तूबर, 1967 में भारत के उप-प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने नेपाल की यात्रा की जहां उनका शानदार स्वागत किया गया।

(7) सितम्बर, 1969 में भारत के संसदीय दल ने श्री नीलम संजीव रेड्डी के नेतृत्व में नेपाल की यात्रा की।

(8) वर्ष 1968-69 में भारत ने नेपाल को 14 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जो नेपाल को प्राप्त होने वाले वाली नेपाली सहायता का 50 प्रतिशत थी।

(9) 26 फरवरी से 3 मार्च, 1970 तक भारत के राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि नेपाल में वहां के युवराज के विवाहोत्सव में भाग लेने गये।

(10) सितम्बर, 1971 में नेपाल नरेश महेन्द्र भारत आए और भारत-नेपाल समझौते की बात शुरू की किन्तु वार्ता सफल न हो सकी।

(11) अक्तूबर, 1971 में कोसी-गंडक परियोजना सन्धि दोनों देशों के बीच में सम्पन्न हुई।

(12) जनवरी, 1972 में नेपाल नरेश महेन्द्र की मृत्यु हो गई, इसके बाद श्री वीरेन्द्र नेपाल के महाराजा बने। नेपाल नरेश वीरेन्द्र ने नेपाल को 'शान्ति क्षेत्र' घोषित किया।

(13) फरवरी, 1973 में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने नेपाल की यात्रा की तथा नेपाल द्वारा बंगला देश को तुरन्त मान्यता देने के लिए सराहना की।

(14) फरवरी, 1974 को ज़ारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि भारत-नेपाल सहयोग कार्यक्रमों को जल्दी लागू करने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाएगा।

(15) सितम्बर, 1974 में नेपाल नरेश वीरेन्द्र ने सिक्किम को भारत के अन्तर्गत विलय किए जाने का विरोध किया।

(16) सितम्बर, 1975 में नेपाल नरेश वीरेन्द्र के भारत आगमन से दोनों देशों के बीच मन-मुटाव में कमी आई तथा भारत ने आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग दिया।

(17) अप्रैल, 1976 में नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री तुलसी गिरि भारत आए और उन्होंने भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से नेपाल को 'शान्ति क्षेत्र' घोषित करने में समर्थन की बातचीत की, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली।

(18) 1976 तथा 1977 के दौरान दोनों देशों के सम्बन्धों में सन्तोषजनक सुधार हुआ और कुछ ठोस परिणाम भी सामने आए।

(19) मार्च, 1977 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बने और जनता सरकार पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रता के लिए प्रतिबद्ध थी।

(20) दिसम्बर, 1977 में भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने नेपाल की यात्रा की और उन्होंने दोनों देशों की मैत्री को और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया।

(21) सितम्बर, 1977 में भारत तथा नेपाल के बीच दो व्यापार तथा संचार संधियां की गईं।

भारत-नेपाल के सम्बन्धों को किसी अन्य देश के सम्बन्धों की तरह नहीं आंका जा सकता, क्योंकि 1700 कि०मी० की सीमा से जुड़ा नेपाल भारत से कैसे अलग किया जा सकता है ? जबकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक-धार्मिक सामंजस्य के साथ-साथ आपस में वैवाहिक रिश्ते भी हैं। नेपाल के अनेक जाने-माने लोगों ने भारतीय लड़कियों से शादियां की हैं, जबकि दूसरी ओर भारत की जानी-मानी हस्तियां भी नेपाली लड़कियों के साथ परिवार बसा चुकी हैं। माधवराव सिंधिया, दिनेश सिंह, डॉ० कर्ण सिंह और न जाने कितने ही लोग नेपाल से अपने पारिवारिक सम्बन्ध जोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, अधिकांश नेपालियों की उच्च-शिक्षा भारत में हुई है जिसके कारण उनके दिलो-दिमाग़ में भारत के प्रति विशेष स्नेह को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि नेपाली चाहते हुए भी भारतीयों के साथ अपने सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकते।

भारत में जनता शासन के दौरान दो अलग-अलग सन्धियों पर हस्ताक्षर हुए। 17 मार्च, 1978 की सन्धि के सन्दर्भ में **डॉ० पुष्पेश पन्त** ने लिखा है कि—**"यह एक प्रकार से 1950 की सन्धि को समाप्त करने की हद तक संशोधित करना था। भारत के इस समर्पण के बावजूद भारत-नेपाल सम्बन्धों में प्रत्याशित सुधार नहीं हो सका।"**

भारत-नेपाल सन्धि (17 मार्च, 1978)

भारत-नेपाल व्यापार सम्बन्ध की सदियों पुरानी परम्परा है। 1923 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच व्यापार-संधि हुई थी। 1950 में इस पर प्रामाणिकता की पहली मुहर लगी जिसके कारण नेपाल को भारतीय बन्दरगाह और व्यवसाय की अधिकाधिक सुविधा मिलने लगी। यही नहीं इस संधि में भारत ने नेपाल की स्वतन्त्रता और सार्वभौमिकता का भी ज़िक्र किया। इस प्रकार भारत ने नेपाल को संप्रभुता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। समय के साथ दोनों के सम्बन्धों में तनाव आता गया। नेपाल ने नए ढंग से संधि करनी चाही। भारत की सदाशयता उसे भार लगने लगी। लिहाजा 17 मार्च, 1978 को दो नई संधियां हुईं—व्यापार-संधि और पारगमन-संधि। उस वक्त भारत के वाणिज्य मंत्री मोहन धारिया थे और नेपाल के वाणिज्य मंत्री पीताम्बर धोज खती थे। दोनों संधियां 25 मार्च, 1978 से लागू हुईं। व्यापार—संधि पांच वर्षों के लिए और पारगमन-संधि सात वर्षों के लिए की गई।

1. व्यापार-सन्धि—व्यापार-सन्धि का उद्देश्य दोनों देशों के पारम्परिक बाज़ार को स्फूर्ति देना था। इसकी 12 धाराएं नेपाल में बने सामानों को भारत में खपत का बढ़िया बाज़ार देती थीं। दोनों देशों ने पारस्परिक बातचीत के जरिए 21 व्यावसायिक मार्ग तय किए, जो इस प्रकार थे—पशुपति नगर/सुखिया पोखरी, कांकभित्ता/नक्सलबाड़ी, भद्रपुर/गलगलिया, विराटनगर/जोगबनी, श्वेतबंध/भीमनगर, राजबिराज/निर्मली, सिराहा, जनकपुर/जयनगर, जलेश्वर/भीतामोड़ (सुरसंड), मलंगवा/सोनबरसा, गौर/बैरगनिया, वीरगंज/रक्सौल, भैरहवा/नौतनवां, तौलीहावा/शोरथगढ़, कृष्णानगर/बढ़नी, कोयलाबास/परवा, नेपालगंज/नेपालगंज रोड़, राजापुर/कतरनियाघाट, सती (कलिआली)/टीकोनिया, धानगढ़ी/गौरीफांटा, महेन्द्रनगर/बनवासा तथा महाकाली/झूलाघाट (पिथौरागढ़)।

साथ ही भारत या नेपाल में बने माल को बिना लाइसेंस या परमिट के इन देशों में बेरोक टोक बेचने की व्यवस्था की गई। लेकिन यह तीसरे देश को निर्यात किए जाने वाले माल, नियन्त्रित सामान या प्रतिबन्धित निर्यातित सामग्री पर लागू नहीं था।

यही नहीं भारत ने यह सुविधा भी दी थी कि भारतीय सामान जो नेपाल को निर्यात किए जाएंगे, उन पर चुंगी वसूलकर वह नेपाल को देगा लेकिन नेपाल सरकार इन भारतीय सामानों पर आयात चुंगी नहीं लगाएगी। इससे नेपाल को बैठे-बिठाए सामान भी मिलने लगेगा और मुद्रा भी।

इस सन्धि की चौथी धारा में बारह प्राथमिक उत्पादनों को प्राथमिकता दी गई—खेती, बागवानी और वन-पदार्थ तथा गैर संसाधित खनिज; चावल, दाल और आटा, लकड़ी, गुड़ तथा शक्कर; पशु-पक्षी तथा मछलियां; मधुमक्खी, मोम तथा शहद, ऊन, बकरी के बाल और बोन मिल में प्रयुक्त हड्डियां; दूध, डेयरी-उत्पादन और अंडे, घानी में उत्पादित तेल और खली, आयुर्वेदिक दवाएं तथा जड़ी-बूटियां; गांवों के लिए ग्रामीणों द्वारा बनाए सामान तथा दोनों देशों में पारस्परिक बातचीत के जरिए तय किए गए प्राथमिक सामान।

80 प्रतिशत नेपाली कच्चे माल से बने सामानों को भारत में बिना कस्टम–ड्यूटी दिए बेचने की छूट भी दी गई। इस तरह नेपाल के बिस्कुट, वनस्पति घी, मक्खन, पनीर, मांस, स्लेट, संगमरमर, कागज़, लकड़ी के फर्नीचर, रेडीमेड कपड़ों जैसे 23 वर्गीकृत औद्योगिक उत्पादों को भारत का विशाल बाज़ार मिला।

2. पारगमन–सन्धि—पारगमन–सन्धि के ज़रिए नेपाल को भारत ने काफ़ी सहूलियतें दीं, जिसके मूल में दोनों देशों के बीच मैत्री–सम्बन्ध प्रगाढ़ करना है। भारत ने इसे महसूस किया कि चारों ओर ज़मीन से घिरे होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की खातिर सागर तक पहुंचने के लिए नेपाल को विशेष सुविधाएं चाहिएं।

इसलिए यह पारगमन–सन्धि की गई। इसके तहत दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई गई, जो हर महीने काठमांडू और दिल्ली में बैठती थी। कस्टम की शर्तें ढीली की गईं। नेपाल सरकार का एक्सपोर्ट लाइसेंस संख्या और एक घोषणा से काम चलने लगा।

कलकत्ता बन्दरगाह पर नेपाल के आए हुए माल के लिए विशेष व्यवस्था की गई। खिदिरपुर डाक का 'ए' शेड तथा 25 नं० शेड में 3135 वर्गमीटर और 4424 वर्गमीटर जगह और कलकत्ता जेट्टी शेड नं० 8 का निचला तल्ला इसके लिए सुरक्षित कर दिया गया। गार्डन रीच रोड पर 4332 वर्गमीटर खुली जगह भी दी गई।

व्यापार–सन्धि 1983 में और पारगमन–सन्धि 1985 में खत्म हुई। नेपाल ने अपनी ओर से इसके नवीनीकरण पर ज़ोर नहीं दिया। फिर भी भारत ने उसका सामान जाने से नहीं रोका। इस बीच नेपाल ने भारत को चिढ़ाने के लिए चीन से हथियार खरीद लिए। इस सन्दर्भ में भी एक भारत–नेपाल सन्धि है, जिसके तहत नेपाल को अपने हथियार भारत से ही खरीदने हैं। यदि भारत के पास वह हथियार उपलब्ध नहीं हों तो उसे इंग्लैण्ड या अमेरिका से खरीदना है न कि किसी अन्य देश से। भारत को नेपाल का यह कदम नागवार गुज़रा और व्यापार–सन्धि तथा पारगमन–सन्धि की जगह वह एक नई सन्धि करने पर ज़ोर देने लगा जिसमें दोनों बातें रहेंगी। मगर नेपाल पुरानी सन्धियों के नवीकरण पर अड़ गया। यहीं से दोनों देशों के सम्बन्धों में कटुता आने लगी।

इन दोनों सन्धियों का नवीकरण नहीं होने के कारण नेपाल की आर्थिक हाल खस्ता हो चली है। नेपाल के पास सिर्फ़ छह महीने तक चल सकने वाली विदेशी मुद्रा है। भारत इस तथ्य से अवगत है।

नेपाल की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि जब तक बड़े पैमाने पर कोई धनी देश इसके लिए अपने बैंक की तिजोरी न खोल दे, हालत नहीं सुधर सकती।

नेपाल को चीन पर बड़ा भरोसा है, लेकिन चीन की निकटवर्ती रेलवे लाइन नेपाल की सीमा से 800 कि० मी० दूर है। काठमांडू–लहासा रोड पर प्रायः भू–स्खलन होता रहता है। बांग्लादेश ने नेपाल की सहायता करने का वचन तो दिया है मगर क्या वह भारत जैसा व्यावसायिक भागीदार बन सकता है ? नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का 40 प्रतिशत भारत से होता है। फिर बांग्लादेश से चले माल को भारत होकर ही तो आना होगा ?

नेपाल में करीब एक 1.30 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि भारत में 3.40 लाख नेपाली नौकरी कर रहे हैं। नेपाल ने एक योजना बनायी थी कि तमाम भारतीय शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और भारतीयों को वर्क–परमिट लेना होगा। भारत की समझ में नहीं आ रहा है कि नेपाल ऐसे आत्मघाती कदम क्यों उठा रहा है ? खबर यह भी है कि नेपाल इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ ले जा रहा है। भारत का कहना है कि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। इस प्रकार इस दौरान सम्बन्ध निरन्तर तनावपूर्ण रहे।

भारत एवं नेपाल सम्बन्धों में तनाव के कारण

नेपाल एवं भारत के बीच मार्च, 1989 तक आते–आते सन्धि की समाप्ति तक दोनों देशों में मतभेद बहुत अधिक बढ़ गए और भारत एवं नेपाल के बीच टूटते रिश्तों का मामला एक गंभीर त्रासदी बनकर रह गया। आखिर किन कारणों ने दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों की स्थिति पैदा कर दी। इन्हें हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

(1) नेपाल में लोकतन्त्र पर प्रहार।
(2) नेपाल के 'शान्ति क्षेत्र' का विरोध।
(3) भारतीयों के साथ सौतेला व्यवहार।
(4) अमेरिका–पाक और चीन गठजोड़।
(5) मधेशिया नागरिकता की समस्या।
(6) नेपाल–चीन मैत्री।
(7) हथियारों का आयात।

(8) नेपाल से तस्करी का सिलसिला।

(9) दूतावासों की भूमिका।

(10) भारतीयों का उत्पीड़न।

1. नेपाल में लोकतन्त्र पर प्रहार—दोनों देशों के सम्बन्धों में दरार आनी उसी समय शुरू हो गई थी, जब 1960 में तत्कालीन नेपाल नरेश महेन्द्र ने वी० पी० कोइराला के नेतृत्व में चुनी गई लोकतान्त्रिक सरकार को गिराकर सत्ता अपने हाथ में ली। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी गहरी अप्रसन्नता दिखाई थी। भारत-नेपाल के बिगड़ते रिश्तों का इस प्रकार यह पहला पड़ाव था।

2. नेपाल के 'शान्ति क्षेत्र' का विरोध—नेपाल के महाराजा वीरेन्द्र की विदेश नीति का मूलाधार नेपाल को ''शान्ति-क्षेत्र'' घोषित कराना था। इसीलिए जब नेपाल ने शान्ति-क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई तब भारत ने इसका विरोध किया। यह दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण था जिसने दोनों देशों के सम्बन्धों में पड़ी दरार को और अधिक गहरा कर दिया।

3. भारतीयों के साथ सौतेला व्यवहार—दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण 1950 की सन्धि के बारे में नेपाल की नई सोच है। इसके तहत नेपाल के नागरिकों को भारत के नागरिकों के समान अधिकार हैं केवल भारतीय प्रशासनिक, पुलिस तथा विदेश सेवा को छोड़कर वह किसी भी सेवा में जा सकता है। गोरखा-रेजीमेण्ट के सैनिकों के रूप में अरबों रुपये की पेन्शन नेपाल जाती है।

दूसरी ओर भारतीय नागरिक नेपाल में जो सम्पत्ति खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। चीन की लगी सीमा तक नहीं जा सकता तथा रोज़गार के लिए वर्क परमिट लागू कर दिया गया है। इस सौतेले व्यवहार ने भी हमारे सम्बन्धों में दूरी बढ़ायी है।

4. अमेरिका-पाक और चीन गठजोड़—अमेरिका-पाक एवं चीन के बढ़ते हुए सम्बन्ध अपने दूरगामी हितों को देखते हुए काठमाण्डू में भारत विरोधी अभियान को तेज़ कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल में समस्या खड़ी करने की कोशिशें जारी हैं। '**दिनमान**' पत्रिका की टिप्पणी के अनुसार—''**काठमाण्डू स्थित अमेरिका, पाक और चीन लाबी के प्रभाव में वहां के एक सत्ताधारी गुट के पिछले 10 वर्ष के लगातार भारत विरोधी प्रचार के कारण काठमाण्डू का एक प्रभावशाली वर्ग भारत विरोधी हो गया है। अकर्मण्य और विलासी महाराजाधिराज परिस्थितियों की कैद में; है न उनका जनता से सीधा नाता है और न मन्त्रिमण्डल से।**''

5. मधेशिया नागरिकता की समस्या—भारतीय मूल के लगभग 64 लाख 80 हज़ार मधेशिया जाति के लोग नेपाल में पिछली शताब्दी से रह रहे हैं। इनकी कुल आबादी नेपाल की लगभग एक तिहाई है। लगभग एक दशक पूर्व जनमत संग्रह के दौरान उन्होंने मतदान भी किया था। लेकिन पिछले पंचायत चुनावों में उनकी संख्या के एक-तिहाई लोगों की नागरिकता ही समाप्त कर दी गई। इसका विरोध भारत ने किया जिससे मतभेद बढ़ने स्वाभाविक थे।

6. नेपाल-चीन मैत्री—नेपाल ने चीन के साथ विशेष मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिए और तिब्बत तथा नेपाल के बीच एक सड़क बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही चीनियों को सीमा पार आने की छूट दे दी। अभी हाल में ही जुलाई, 1994 को एक सूचना के आधार पर चीन द्वारा नेपाल के पथलहिमा से बंगलादेश की सीमा काकर-मीट्ठा तक 'फ़ोर लाइन ट्राफिक' पथ का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। इससे प्रश्न उठता है कि क्या नेपाल चीन के हथियारों का केन्द्र बनने वाला है ? क्या भारतीय सुरक्षा को एक चुनौती है ? नेपाल में अस्थिरता और चीन के बढ़ते कदम भी सम्बन्धों में खाई खोद रहे हैं।

7. हथियारों का आयात—भारत-नेपाल सन्धि (1950) की धारा-2 में कहा गया है कि नेपाल अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी हथियार, युद्ध सामग्री, उपकरण भारत की सहमति और भारतीय भू-भाग से होकर ही आयात करेगा। इसके बावजूद नेपाल ने चीन से 640 ट्रक सैनिक साज-सज्जा तथा 18 वायुयान विरोधी तोपें भी ली हैं। चीन से नेपाल द्वारा हथियारों की खरीद का मामला इतना गंभीर हो गया कि सम्बन्धों की दरार खाई में बदल गयीं।

8. नेपाल से तस्करी का सिलसिला—नेपाल भारत के लिए तस्करी का एक बड़ा केन्द्र बन गया है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हुआ है। वास्तविकता यह है कि नेपाल विदेशी वस्तुओं का आयात आवश्यकता से अधिक कर लेता है और वे वस्तुएं बाद में तस्करी के माध्यम से भारत में पहुंच जाती हैं जिससे भारतीय उत्पादन व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत ने इस समस्या से नेपाल को अनेक बार अवगत कराया, किन्तु नेपाल की अनसुनी ने दोस्ती की दरार को और चौड़ा कर दिया।

9. दूतावासों की भूमिका—दोनों देशों के तनाव के प्रति जहां इनकी सरकारें ज़िम्मेदार हैं वहां उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार उनके राजदूत और दूतावास हैं। विशेष रूप से नेपाली दूतावास न तो अपने नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर पाया, न ही सरकार का। इस प्रकार नेपाली नागरिकों के दिमाग़ में यह बात बैठ गई कि दोनों देशों के खराब सम्बन्धों के कारण नेपाली दूतावास

हमारी सहायता नहीं कर पा रहा है। इससे सम्बन्धों में विरोध के स्वर और तेज़ हो गये। दूतावासों के सम्बन्धों के सन्दर्भ में समाचार-पत्रों में जो छपा उसका कभी खण्डन नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि हर परेशान नेपाली नागरिक भारत को दोषी ठहराने लगा और सम्बन्धों की डोर टूटने लगी।

10. भारतीयों का उत्पीड़न—दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव का एक प्रमुख कारण नेपाल सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों का उत्पीड़न भी रहा है। इस बात की पुष्टि आस-पास के सीमावर्ती क्षेत्रों से स्पष्ट रूप से मिली। एक ओर नेपाल सरकार इस बात का दावा बार-बार करती रही कि वह भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहती है लेकिन पृष्ठ-भूमि में नेपाल सरकार ने जो रवैया अपनाया वह इस भावना के ठीक विपरीत है—

(क) भारतीय मुद्रा पर पाबन्दी।
(ख) वर्क परमिट को लागू करना।
(ग) उद्योग-व्यापार पर पाबन्दी।
(घ) तट कर लगाकर भारतीय माल को महंगा करना।
(ङ) भारत विरोधी प्रचार एवं प्रसार।

भारत एवं नेपाल सम्बन्ध (1990 से अब तक)

भारत एवं नेपाल के बिगड़ते सम्बन्धों को देखते हुए दोनों देशों के नागरिक बेचैन थे कि आखिर हम दोनों देशों के सम्बन्धों में कब सुधार होगा ? वर्ष 1989 में भारत की सत्ता में परिवर्तन आया और भारतीय प्रधानमन्त्री श्री वी० पी० सिंह बने। इन्होंने दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार लाने के प्रयास किये और उचित सहयोग दिया, जिससे सम्बन्धों में क्रमिक सुधार के आसार नज़र आये। भारतीय विदेश मन्त्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने फरवरी, 1990 में नेपाल की यात्रा की और द्विपक्षीय मामलों में व्यापक सहमति जतायी। इसके कुछ समय बाद ही उसी वर्ष 1990 में भारतीय प्रधानमन्त्री के रूप में श्री चन्द्रशेखर ने सत्ता संभाली।

5 दिसम्बर, 1991 को नेपाल के प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला 6 दिवसीय भारत की यात्रा पर आये। एक प्रेस कान्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए दोनों देशों के सम्बन्धों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की बात की। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि अब चीन पर नेपाल अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहेगा और दोनों देशों में तनाव बढ़ाने वाली बातों को कदापि दोहराया नहीं जायेगा। इस दौरान दोनों प्रधानमन्त्रियों के बीच पांच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए—

(1) पांच वर्ष तक लागू रहने वाली व्यापार सन्धि
(2) सीमा पर होने वाले अनाधिकृत व्यापार पर रोक पर सन्धि।
(3) पन-बिजली परियोजना पर कार्य प्रारम्भ।
(4) सांस्कृतिक, शिक्षा, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग।
(5) आपसी क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सहमति।
(6) शारदा वैराज समझौता।

19 अक्तूबर, 1992 को भारतीय प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिम्हा राव ने नेपाल की एक तीन दिवसीय यात्रा की, जिसमें उनका शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारत ने नेपाल को आसान शर्तों पर रियायतें देने पर सहमति दी और भारतीय बाज़ार में नेपाल को सुगमता से प्रवेश के लिए अवसर देने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत ने नेपाल को 3 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की साधारण दर से 50 करोड़ रुपये का आपात्‌कालीन ऋण देने की घोषणा की। श्री राव ने आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी नेपाल को सुझाव दिया। इस प्रकार श्री राव की यात्रा द्वारा दोनों राष्ट्रों के विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू करने का निश्चय किया गया।

14 जुलाई, 1994 में तीस साल के लम्बे अन्तराल और तीन साल के जन संघर्ष के बाद नेपाल में शुरू हुई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का 37 महीने का दौर इसी सप्ताह संसद् भंग कर दिये जाने के साथ थम गया। नेपाल के संवैधानिक शासक राजा वीरेन्द्र ने नयी संसद् का चुनाव 13 नवम्बर को कराने का वादा किया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका भारत विरोधी रही है, इसी कारण प्रधानमन्त्री गिरजा प्रसाद कोइराला पर आरोप लगाया था कि इन्होंने नेपाली हितों को भारत के हाथों गिरवी रख दिया है। वर्तमान स्थितियों में भारत-नेपाल सम्बन्ध तो सामान्य हैं, परन्तु नेपाल के लोकतन्त्र के भविष्य के आधार पर ही इन दोनों देशों के सम्बन्ध निश्चित होंगे।

फरवरी, 1996 में नेपाल के प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा ने दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों को और अधिक मज़बूती दी। महाकाली नदी के बेसिन के विकास तथा अन्य समझौतों ने आपसी सहयोग के मार्ग को ओर प्रशस्त

कर दिया। जुलाई, 1996 को भारत-नेपाल व्यापार सन्धि को 5 वर्षों की अवधि तक नवीनीकृत किया गया और इसका आदान-प्रदान दिसम्बर, 1996 में हुआ। महाकाली नदी सन्धि (1996) को जून, 1997 में समर्थन मिला। 31 मई व 1 जून, 1997 को भारत व नेपाल के बीच नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसी वर्ष भारत के प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल ने नेपाल की तथा नेपाल नरेश ने भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री गुजराल की इस यात्रा की यह उपलब्धि रही कि उसने बांग्ला देश से नेपाल जाने के लिए 61 कि०मी० के पारगमन मार्ग की अनुमति उसे भारत से मिल गई। भारत और नेपाल ने वाणिज्य सचिवों ने नई दिल्ली में 30-31 मार्च, 1998 को द्वि-पक्षीय व्यापार तथा पारगमन प्रबन्धों पर चर्चा की।

भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के० आर० नारायणन ने 28-30 मई, 1998 तक नेपाल की राजकीय यात्रा की। वाणिज्य मन्त्री और 4 संसद् सदस्य उनके साथ गए थे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने नेपाल के महामहिम नरेश के साथ विचार-विमर्श किया और प्रधानमन्त्री, नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, शिक्षाविदों, विद्वानों एवं व्यापार नेताओं से भी मुलाकात की। इस यात्रा से नेपाल के साथ हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों को चित्रित करने वाली सद्भावना और स्नेह को रेखांकित करने में काफ़ी सफलता मिली और दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और समझ-बूझ को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली।

भारत के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर नेपाल के महाराजाधिराज महामहिम वीर विक्रम देव शाह और महारानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी देवी शाह ने 24-29 जनवरी, 1999 तक भारत की राजकीय यात्रा की। महाराजाधिराज 26 जनवरी, 1999 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। यात्रा के दौरान महाराजाधिराज राष्ट्रपति से मिलने गए और उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री, गृह मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री से उन्होंने अलग-अलग मुलाकात की।

दोनों ही राजकीय यात्राएँ नेपाल के साथ हमारे विशेष द्विपक्षीय सम्बन्धों की सद्भावना व स्नेह को रेखांकित करने में अत्यन्त सफल रहीं और इन यात्राओं ने दोनों देशों के बीच मित्रता और समझ-बूझ को एकजुट करने में योगदान दिया।

अन्य उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय सम्पर्कों में डरबन में शिखर सम्मेलन तथा कोलम्बो में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान अपने नेपाली समकक्ष जी० पी० कोइराला से पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात उल्लेखनीय थी। दोनों प्रधानमन्त्रियों के विचार-विमर्श में समान हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसले की व्यापक बातचीत शामिल थी।

सीमा प्रबन्धन पर संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक 16-17 जून, 1998 को नई दिल्ली में हुई। दोनों पक्षों में अवांछित तत्त्वों द्वारा भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए। इस बैठक के बाद 18 जून, 1998 को गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त कार्य दल द्वारा लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा की गई।

सीमा शुल्क के सहयोग पर प्रथम महानिदेशक स्तर की वार्ता नई दिल्ली में 15-16 जून, 1998 को सम्पन्न हुई। नेपाली प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व उनके सीमा-शुल्क महानिदेशक ने किया और भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व सूचना विभाग के महानिदेशक ने किया। यह निर्णय लिया गया कि भारत-नेपाल की खुली सीमा के आर-पार तस्करी की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उन पर प्रभावकारी ढंग से नियन्त्रण रखने के लिए इस प्रकार की द्विपक्षीय महानिदेशक स्तरीय बैठकें नियमित आधार पर होनी चाहिए।

नेपाल के कराधान महानिदेशक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एक नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ने 28-30 जुलाई, 1998 तक नई दिल्ली में आयोजित दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार के अन्तर्गत गठित भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक में भाग लिया। बैठक उपयोगी रही क्योंकि दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार से सम्बन्धित विशिष्ट मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत और नेपाल के बीच दिसम्बर, 1991 में सम्पन्न कृषि के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन के अनुसरण में भारत-नेपाल संयुक्त कृषि कार्य दल की तीसरी बैठक 5-7 अगस्त, 1998 तक काठमांडू में हुई। बैठक में दिसम्बर, 1996 में नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा वर्ष 1999 तथा 2000 के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया।

नेपाल की उप-प्रधानमन्त्री सुश्री शैलजा आचार्य सितम्बर, 1998 में निजी यात्रा पर भारत आईं और यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमन्त्री से मुलाकात की और परस्पर हित चिन्तन के विभिन्न मसलों पर चर्चा की। 22-26 अक्तूबर, 1998 तक बिहार की एक पृथक् यात्रा में सुश्री आचार्य ने 25 अक्तूबर, 1998 को राजगीर में रत्नागिरि पर्वत पर विश्व शान्ति स्तूप की 29वीं जयन्ती के अवसर पर होने वाले समारोह के उद्घाटन में भाग लिया।

भारत-नेपाल सीमा की संयुक्त तकनीकी स्तरीय समिति की 21वीं बैठक नई दिल्ली में 26-27 नवम्बर, 1998 को हुई। बैठक में संयुक्त तकनीकी समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों और भारत-नेपाल सीमा कार्यों के समय पर पूरा करने के लिए अनुशंसित विशेष कार्रवाहियों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। भारत-नेपाल सीमा की संयुक्त तकनीकी स्तरीय समिति द्वारा गठित संयुक्त कार्य दल की पांचवीं बैठक 15-16 जून को काठमाण्डू में हुई। बैठक में संयुक्त कार्य दल की चतुर्थ बैठक, संयुक्त तकनीकी समिति की बीसवीं बैठक और मई, 1998 में आयोजित सर्वेक्षण अधिकारियों की बैठक की सिफ़ारिशों के क्रियान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में स्थित कालापानी सहित भारत और नेपाल के बीच सीमांकन से सम्बद्ध मसलों पर भी विचार-विमर्श किया।

भारत-नेपाल के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों के विकास को उच्च प्राथमिकता देता है। इस सन्दर्भ में मार्च, 1998 में वाणिज्य स्तर की वार्ता के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन मसलों की समीक्षा की गई। बातचीत के दौरान फुलवाड़ी के रास्ते नेपाल से बांग्ला देश के लिए अतिरिक्त पारगमन मार्ग की कार्य-प्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया, और नेपाल सरकार द्वारा प्रार्थित के तौर-तरीकों के संचालन में कुछ छूट देने पर सहमति हुई। फुलवाड़ी के रास्ते बांग्ला देश को जाने वाले अतिरिक्त पारगमन मार्ग की कार्य-प्रणाली को कारगर बना दिया गया और वह यह मार्ग सप्ताह के सातों दिन खुला रहता है।

भारत और नेपाल के बीच एक नई पारगमन सन्धि तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री रामकृष्ण हेगड़े और उनके नेपाली समकक्ष पूर्ण बहादुर खडग द्वारा 5 जनवरी, 1998 को सम्पन्न की गई थी। यह नई सन्धि जो 5 जनवरी, 2006 तक की अवधि के लिए वैध है, स्वत: ही आगामी 7 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत हो जाएगी, जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्ष इसे समाप्त करने की अपनी मंशा का छ: महीने का नोटिस दूसरे पक्ष को नहीं दे दे। सन्धि के प्रोटोकाल और ज्ञापन, जिनमें तौर-तरीके तथा अन्य व्यवस्थाएं सन्निहित हों, की समीक्षा और उनमें सुधार प्रत्येक सात वर्ष में अथवा कहे जाने पर इससे पूर्व की जा सकेगी।

नेपाल के आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का योगदान वर्षों से बढ़ता रहा है। इस समय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित क्रियान्वयन के अधीन प्रमुख परियोजनाओं में पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के कोल्हापुर महाकाली क्षेत्र में 22 पुलों का निर्माण; धरान में बी० पी० कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान की स्थापना; काठमाण्डू में बीर अस्पताल में आपात तथा मानसिक आघात केन्द्र का निर्माण; रेक्सौल सिर्सिया रेलमार्ग को बड़ी लाइन में बदलना और कई अन्य परियोजनाएं शामिल है। जो महाकाली सन्धि के अधीन भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं। एक उच्च-स्तरीय कार्य बल द्विपक्षीय सम्बन्धों और नेपाल में भारत की सहायता से चल रही परियोजनाओं की निगरानी करता है।

नेपाल के साथ व्यापार और पूँजी निवेश व्यवस्था के उदारीकरण के लिए सरकार द्वारा की गई पहल-कदमियों से आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलने की सम्भावना है। नेपाल में आज तक का भारतीय निवेश कुल *विदेशी निवेश का 40 प्रतिशत से भी अधिक बैठता है। 1997-98 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 946 करोड़ रु० का हुआ।* अप्रैल से अगस्त, 1998 की अवधि के दौरान 409 करोड़ रु० का दो-तरफ़ा व्यापार हुआ जबकि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान यह व्यापार 346 करोड़ रु० का था। 1998-99 में पहले पांच महीनों के दौरान नेपाल से भारतीय आयात में हुई तेज़ी से वृद्धि एक दिलचस्प घटना थी जहाँ का आंकड़ा अप्रैल-अगस्त, 1997 में दर्ज 108 करोड़ रु० की तुलना में 249 करोड़ रु० तक पहुँच गया।

22 मार्च, 2000 को नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला ने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया। भारत के लोग चाहते हैं कि नेपाल में लोकतन्त्र मज़बूत हो तथा नेपाल से भारत के मधुर सम्बन्ध बने रहें।

विदेश मन्त्री श्री यशवन्त सिन्हा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन (सार्क) के मन्त्रियों की परिषद् की बैठक में भाग लेने तथा नेपाल के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए 19 से 24 अगस्त, 2002 तक नेपाल की यात्रा पर गये। पंचेश्वर परियोजना के विशेषज्ञों के संयुक्त दल की 23 व 24 जुलाई, 2002 को काठमांडू में बैठक हुई। नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देव 23 से 28 जून, 2002 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। नेपाल के थल सेना अध्यक्ष प्यार जुंग थापा 18 से 24 दिसम्बर, 2002 तक भारत की यात्रा पर आए। भारत ने नेपाल में माओवादी हिंसा की निंदा की है और नेपाली सुरक्षा बलों को सुदृढ़ करने के लिए भी सहयोग दिया है। नेपाली नरेश महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 20 से 30 मार्च, 2003 तक *भारत यात्रा* पर रहे।

भारत और नेपाल के बीच 14 विभिन्न मार्गों पर बस सेवाएं प्रारम्भ करने के एक प्रारम्भिक समझौते पर 23 फरवरी, 2004 को काठमाण्डू में हस्ताक्षर हुए। 7 फरवरी को नेपाल के प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा का इस्तीफ़ा और देउबा प्रधानमन्त्री बने। 1 फरवरी, 2005 को नरेश ज्ञानेन्द्र ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। लोकतन्त्र की बहाली को लेकर भारत-नेपाल सम्बन्धों का ग्राफ़ एक बार फिर गिरा।

नेपाल का राजनीतिक सफ़र

- अप्रैल, 1990 में पंचायती व्यवस्था के खिलाफ़ जनता के आन्दोलन को सफलता मिली और नेपाल नरेश वीरेन्द्र ने बहुदलीय व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की। इसके बाद नेपाली कांग्रेस के नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें वहां के कम्युनिस्ट भी शामिल हुए। इस अंतरिम सरकार की देखरेख में ही बहुदलीय व्यवस्था लागू होने के बाद पहला चुनाव हुआ।
- 1991 में हुए इस चुनाव के बाद प्रधान मन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस को 102 और नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को 69 सीटें मिली थीं।
- 1994 आते-आते नेपाली कांग्रेस की अन्दरुनी कलह काफ़ी बढ़ गई थी। जिसका नतीजा यह हुआ कि जुलाई 1994 में कोइराला को इस्तीफ़ा देना पड़ा और मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई। नवम्बर, 1994 में मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें नेपाली कांग्रेस को महज 83 और एमाले को 88 सीटें मिली। इस चुनाव की खास बात यह रही कि दरबार समर्थक पार्टी 'राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी' (राप्रप) को 20 सीटें मिली।
- कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी के नेतृत्व में एमाले की अल्पमत सरकार बनी।
- मनमोहन अधिकारी की सरकार के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव आया और जून, 1995 में उन्होंने संसद् भंग करने की सिफ़ारिश की।
- नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन अधिकारी की इस सिफ़ारिश को अवैध तथा असंवैधानिक कहा।
- सितम्बर, 1995 में नेपाली कांग्रेस ने राप्रपा तथा नेपाल सद्भावना पार्टी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। शेर बहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनाये गए।
- 6 मार्च, 1997 को देउबा सरकार अल्पमत में आने के कारण गिर गई। यह 17 महीने तक सत्ता में रही। देउबा सरकार के पतन में खुद नेपाली कांग्रेस के लोगों का हाथ था।
- देउबा सरकार के पतन के बाद एमाले इस बात के लिए तैयार हो गया कि वह राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी से अलग हुए धड़े के नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को समर्थन देगा। इस समय तक एमाले के 90 सांसद हो चुके थे। नगर मार्च, 1997 को लोकेन्द्र बहादुर चन्द ने प्रधानमन्त्री पद की शपथ ली। एमाले नेता बामदेव गौतम उप-प्रधानमन्त्री बने।
- अक्तूबर, 1997 में चन्द मन्त्रिमण्डल के पांच मन्त्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया और सूर्य बहादुर थापा की पार्टी राप्रपा (थापा) के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। नेपाली कांग्रेस ने थापा के साथ सांठ-गांठ करके अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई। 4 अन्य मन्त्रियों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इस प्रकार लोकेन्द्र बहादुर चन्द की सरकार गिर गई।
- 6 अक्तूबर, 1997 को राप्रपा (थाना) के अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापा महाराज बीरेन्द्र से मिले और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। नेपाली कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी और 2 निर्दलीयों की मदद से सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन गए।
- मार्च, 1998 में नेपाल की राजनीति में एक और महत्त्वपूर्ण घटना हुई। एमाले का विभाजन हो गया। इसके 40 सांसदों ने अलग होकर नेकपा (माले) नाम से अलग पार्टी बना ली।
- नेपाली कांग्रेस और थापा की पार्टी में एक समझौता हुआ था कि दोनों पार्टियों के नेता अदल-बदल कर छह-छह महीने तक प्रधानमन्त्री का पद सम्भालेंगे। इस समझदारी के तहत अप्रैल, 1998 में सूर्य बहादुर थापा ने इस्तीफ़ा दे दिया ताकि गिरिजा प्रसाद कोइराला अब इस पद को सम्भाल लें। थापा के इस्तीफ़ा देने के अगले दिन ही प्रधानमन्त्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष कोइराला ने थापा को बताया कि चूंकि राप्रपा में फूट पड़ गई है इसलिए अब नेपाली कांग्रेस के साथ राप्रपा का गठजोड़ समाप्त हो जाता है। एमाले के टूटने से अब नेपाली कांग्रेस संसद् में सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी, इसलिए उसने अल्पमत सरकार के रूप में अकेले ही शासन करने का निर्णय लिया।
- इस प्रकार 1994 के मध्यावधि चुनाव के 40 महीनों के अन्दर नेपाल में पांच बार सरकारें बदलीं।
- अगस्त, 1998 में नेपाली कांग्रेस ने नेकपा (माले) को सरकार में शामिल होने का निमन्त्रण दिया। अब नेपाली कांग्रेस और माले की मिली-जुली सरकार बन गई थी।
- दिसम्बर, 1998 में नेकपा (माले) के सभी मन्त्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया और सरकार गिर गई।

- अब नेपाली कांग्रेस, एमाले और नेपाल सद्भावना पार्टी की मिली-जुली सरकार बनी। इस सरकार के गठन के तीन सप्ताह बाद ही संसद् भंग कर दी गई और 1999 के लिए आम चुनावों की घोषणा कर दी गई।
- 1999 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को 110 सीटें मिलीं और इस प्रकार उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। एमाले को 68 सीटें मिली। (1994 में इसे 88 सीटें मिली थीं।) एमाले की सीटें कम होने के पीछे मुख्य कारण पार्टी का टूटना था। सूर्य बहादुर थापा की पार्टी को 11 सीटें मिलीं। नेकपा माले तथा लोकेन्द्र चन्द के नेतृत्व वाली राप्रपा को एक भी सीट नहीं मिली।
- 27 मई, 1999 को कृष्ण प्रसाद भट्टाराई प्रधानमन्त्री चुने गए। 14 दिसम्बर, 1999 को गिरिजा प्रसाद कोइराला गुट के सांसदों ने एक बैठक की और भट्टाराई सरकार के खिलाफ़ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इसके बाद कृष्ण प्रसाद भट्टाराई को हटाकर गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन गए और अभी तक इस पद पर बरकरार हैं। इस प्रकार नेपाल का पिछले दस वर्षों में दस सरकारों से साबका पड़ा।
- 1 जून, 2001 को महाराज वीरेन्द्र व महारानी ऐश्वर्य सहित परिवार के छः सदस्यों की हत्या। 4 जून को ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह शासक थे।
- अक्तूबर, 2002 में देउबा सरकार बरख़ास्त कर नरेश ने सत्ता अपने हाथ में ली और लोकेश बहादुर चन्द को प्रधानमन्त्री नामित किया।
- जून, 2003 में सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने।
- मई, 2004 में थापा ने पद छोड़ा और देउबा पुनः प्रधानमन्त्री बनाए गए।
- फरवरी, 2005 में नरेश ज्ञानेन्द्र ने सरकार भंग कर सत्ता अपने हाथ में ली।

आधुनिक नेपाल के 250 वर्षों पर एक नजर

1769 : गोरखा शासक पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू पर विजय प्राप्त कर एकीकृत नेपाल राज्य की नींव डाली।

1792 : नेपाल के प्रभुत्व के विस्तार पर अंकुश लगा, चीन ने तिब्बत में उसे परास्त कर दिया।

1816 : अंग्रेज़ों से युद्ध के बाद नेपाल अंग्रेज़ों के अर्द्ध-संरक्षक राज्य के रूप में तबदील हो गया।

1846 : राणा जंग बहादुर प्रधानमन्त्री बने। उन्होंने राजशाही पर प्रभुत्व स्थापित करके वंशानुक्रम के आधार पर प्रधानमन्त्री के पद का सृजन किया।

1923 : ब्रिटेन ने नेपाल को स्वतन्त्रता की औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की, फिर भी नेपाल के विदेशी मामलों पर ब्रिटेन का ही नियन्त्रण बरकरार रहा।

1950 : भारत में सक्रिय राणा विरोधी शक्तियों ने राजा के साथ गठबन्धन कायम कर लिया।

1951 : नेपाल में राजशाही की वापसी हुई। नेपाली कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई।

1959 : देश में बहुदलीय संविधान अपनाया गया।

1960 : राजा महेन्द्र ने नेपाली कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त, संसद् और दलीय राजनीति को निलम्बित कर सत्ता को अपने हाथों में ले लिया।

1962 : नये संविधान की व्यवस्था के तहत 'पंचायत' नाम से ग़ैर-दलीय काउंसिल प्रणाली कायम की गई, जिसमें राजा सर्वेसर्वा हो गया।

1972 : राजा महेन्द्र की मृत्यु के बाद बीरेन्द्र ने सत्ता की बागडोर सम्भाली।

1980 : पंचायत व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष और विपक्ष में जनमत संग्रह हुआ। पंचायत समर्थकों को बहुत अन्तर से विजय मिली। राजनीतिक दलों के दबाव में राजा ने ग़ैर-दलीय आधार पर राष्ट्रीय असेम्बली के सीधे चुनाव कराने पर सहमति व्यक्त की।

1985 : नेपाली कांग्रेस पार्टी ने बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर दिया।

1986 : नये चुनावों का नेपाली कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया।

1989 : भारत-नेपाल के बीच व्यापार एवं पारगमन विवाद के कारण दिल्ली ने नेपाल से सटी सीमा को बन्द किया, इस आर्थिक नाकेबन्दी से नेपाल में हाहाकार मच गया।

1990 : लोकतन्त्र के समर्थन में आन्दोलन छेड़ने के इरादे से नेपाली कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों ने तालमेल किया। सड़कों-गलियों में आन्दोलनकारियों पर सुरक्षा बलों की कारवाईयों में कई कार्यकर्त्ता मरे और सामूहिक गिरफ़्तारियां की गईं। राजा बीरेन्द्र दबाव के आगे झुके और नये लोकतान्त्रिक संविधान के लिए सहमत हो गए।

2001 : एक जून को राजा बीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या और कम-से-कम चार नज़दीकी रिश्तेदार राजमहल में हुई गोलीबारी में मारे गए। राजा बीरेन्द्र के घायल पुत्र युवराज दीपेन्द्र को राजा घोषित किया गया, उनकी दो जून को अस्पताल में मृत्यु हो गई। चार जून को स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र के छोटे भाई ज्ञानेन्द्र की राजा के रूप में ताजपोशी की गई।

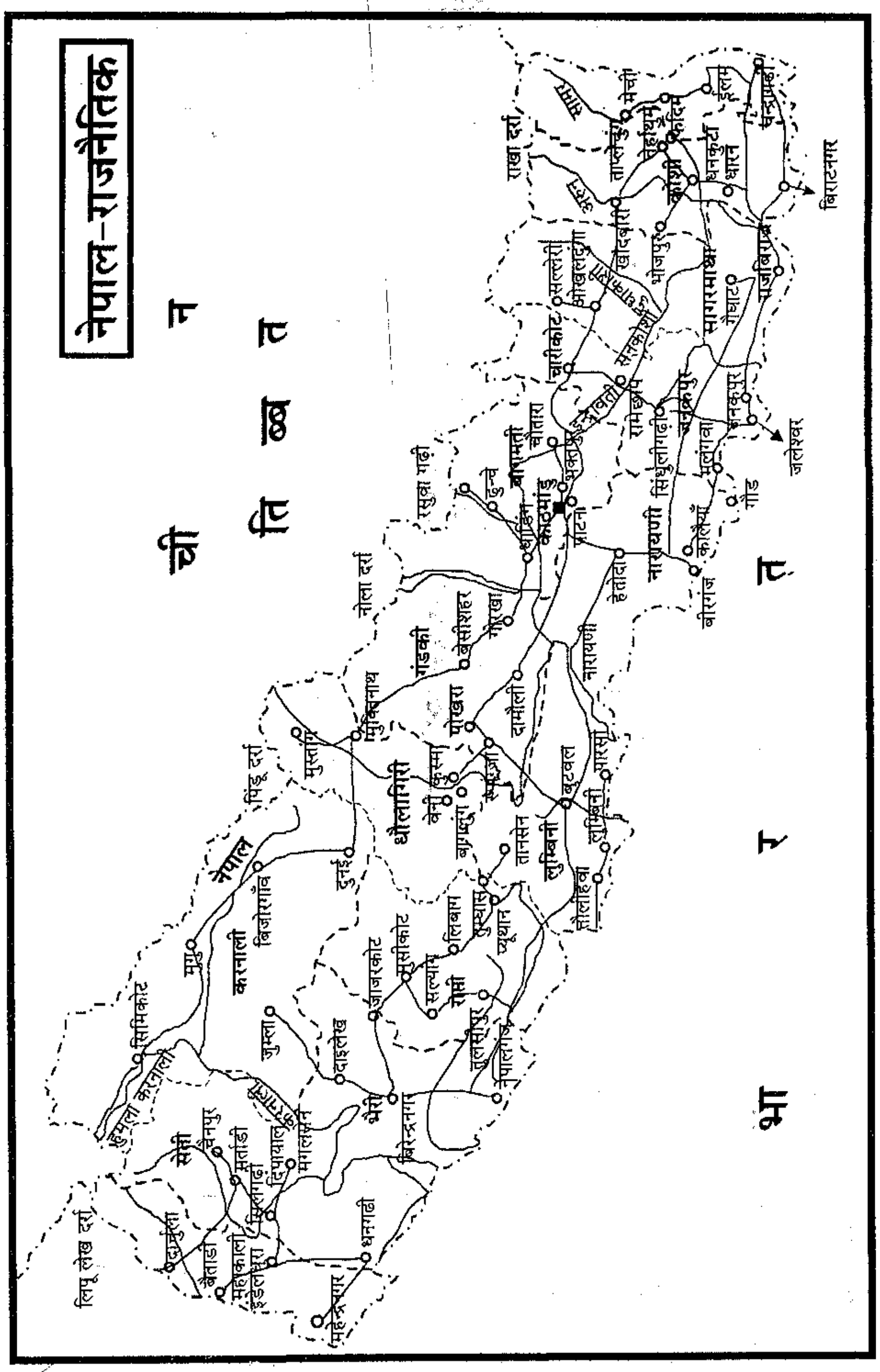

2001 : 1 जुलाई को शेर बहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बने।
2002 : 4 अक्तूबर को देउबा बर्ख़ास्त
2003 : 4 जून को सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने।
2004 : 7 मई को थापा का त्यागपत्र; देउबा पुनः प्रधानमन्त्री बनाए गए।
2005 : 1 फरवरी को राज ज्ञानेन्द्र ने सरकार भंग कर सत्ता अपने हाथ में ली। देश में आपात्काल लागू।

नेपाल नरेश

शाह वंश के शासक	राज्याभिषेक का वर्ष
पृथ्वी नारायण शाह	1742
सिंह प्रताप शाह	1775
रण बहादुर शाह	1777
ग्रिवान युद्धा बिक्रम शाह	1797
राजेन्द्र बिक्रम शाह	1816
सुरेन्द्र बिक्रम शाह	1847
पृथ्वी बीर बिक्रम शाह	1881
त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह	1913
महेन्द्र बीर बिक्रम शाह	1956
बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाह	1975
दीपेन्द्र बीर बिक्रम शाह	2001
ज्ञानेन्द्र बीर बिक्रम शाह	2001

नेपाल में राज्याभिषेक समारोह की परम्परा बहुत पुरानी है। सामान्यतः राजगद्दी पर बैठने के एक साल बाद राजा का राज्याभिषेक होता है पर विशेष परिस्थितियों में इसे स्थगित भी किया जा सकता है। राज पुरोहित ग्रह-नक्षत्रों के शुभ संयोग को देखकर ही राज्याभिषेक की तिथि की घोषणा करते हैं। मलमास के अलावा चन्द्र पंचांग के अनुसार पूर्णिमा या अमावस्या से गिनती करते हुए प्रत्येक चतुर्थी, अष्टमी, पूर्णिमा या अमावस्या से गिनती करते हुए प्रत्येक चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी और मंगलवार को राज्याभिषेक समारोह आयोजित करने से बचा जाता है। वैदिक परम्पराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार शाह वंश के प्रारम्भिक शासक द्रव्य शाह का राज्याभिषेक 1559 में हुआ। इसके बाद ही नेपाल में राज्याभिषेक की परम्परा शुरू हुई। द्रव्य शाह पृथ्वी नारायण शाह के पूर्वज थे। उन्होंने नेपाल के गोरखा प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया था लेकिन राज्यों और उपराज्यों में बंटे नेपाल को एकीकृत करने का श्रेय पृथ्वी नारायण शाह को जाता है। उन्हें 'आधुनिक नेपाल का जनक' कहा जाता है। इसीलिए आम तौर पर शाह वंश की शुरुआत पृथ्वी नारायण शाह से की जाती है जबकि यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ज्ञानेन्द्र और स्वर्गीय दीपेन्द्र को राजा तो बनाया गया पर उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ है।

माओवादी हिंसा व नेपाल

विश्व के एकमात्र हिन्दू देश नेपाल में गत वर्ष शाही परिवार के हत्याकांड के बाद माओवादियों विद्रोहियों की हिंसक वारदातों में वृद्धि से अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है। माओवादी ने गत 16 फरवरी को अपने अब तक के सबसे बड़े हमले में राजधानी काठमांडो से 750 किलोमीटर दूर अच्छम ज़िले में 150 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। मारे गए लोगों में अधिकतर सैन्य व पुलिसकर्मी थे।

नेपाल में माओवादी विद्रोह की शुरुआत के छह वर्ष बीत चुके हैं और कुछ दिनों पहले ही माओवादियों ने अपने विद्रोह की छठी वर्षगांठ के अवसर पर दो दिन की हड़ताल भी आयोजित की थी। माओवादी हिंसा के इन छह वर्षों में 2600 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और करोड़ों रुपए मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। गत वर्ष माओवादियों और सरकार के बीच संघर्ष विराम के लिए काफ़ी लम्बी बातचीत चली थी लेकिन नवम्बर में विद्रोहियों ने संघर्ष-विराम का उल्लंघन कर हमले तेज़ कर दिए थे जिससे सरकार को देश में आपात्काल की घोषणा करनी पड़ी थी।

इसके बाद गत 21 फरवरी को नेपाली संसद् ने आपात्काल की अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा दी जिससे सेना को विद्रोह को कुचलने के लिए अधिक अधिकार मिल सकें। प्रधानमन्त्री ने सांसदों से आपातकाल बढ़ाने के पक्ष में अपना मत देने का आग्रह किया था जिसके बाद सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी आपात्काल के प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया। माओवादी नेपाल में सामंतवादी जाति व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर एक साम्यवादी गणतन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं। उनकी कई अन्य मांगें भी हैं जिनमें नया संविधान, एक अंतरिम सरकार के अलावा भारत के साथ 1950 में की गई मित्रता-सन्धि और भारतीय नागरिकों को नेपाल में कार्य करने की अनुमति को रद्द करना भी शामिल है। देश की सरकार और राजनीतिक दलों ने इन मांगों को मानने से इन्कार करते हुए कहा है कि ये वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधान के विरुद्ध है। गत वर्ष जून में कथित तौर पर युवराज दीपेन्द्र ने नेपाल नरेश बीरेन्द्र और शाही परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। उसके बाद से माओवादी विद्रोहियों ने दोबारा अपने हमले तेज़ कर दिए। नए नरेश ज्ञानेन्द्र जनता का वह समर्थन हासिल करने में नाकामयाब रहे हैं जो उनके भाई बीरेन्द्र को प्राप्त था।

नेपाल में केवल नरेश ही सेना को तैनात करने की अनुमति दे सकता है और नरेश ज्ञानेन्द्र ने जून में ताज पहनने के थोड़े समय बाद ही पहली बार माओवादियों के खिलाफ़ सेना की तैनाती का आदेश दिया था। इसके बाद सेना ने विद्रोहियों के विरुद्ध व्यापक अभियान छेड़ा और कई माओवादियों को मार गिराया लेकिन विद्रोह को कुचलने में उसे कामयाबी नहीं मिली और बड़ी संख्या में एकत्र होकर हमले करने वाले माओवादी भी मुख्यत: सैनिकों को ही अपना निशाना बनाते रहे हैं। माओवादियों का नेतृत्व कामरेड प्रचण्ड के हाथों में है जो उन्हीं जातियों से सम्बन्ध रखते हैं जिनका देश पर शासन है हालांकि उनके अधिकांश समर्थक कमज़ोर और गरीब तबके के लोग हैं। प्रचण्ड चीन के माओ की शिक्षाओं के आधार पर नेपाल को लोकतन्त्र बनाना चाहते हैं। पेरु के छापामार विद्रोही भी इनके प्रमुख प्रेरणास्रोत हैं।

कृषि विज्ञान के छात्र रहे प्रचंड का कहना है कि उनका गेट एक दिन देश में लाल झण्डा फहराएगा। लगभग दो करोड़ तीस लाख की जनसंख्या वाले इस पूरे देश में हालांकि माओवादियों की मौजूदगी मानी जाती है लेकिन पश्चिमी नेपाल इनका गढ़ है। जिन क्षेत्रों में ये अधिक सक्रिय हैं वहां ये कर इकट्ठा करते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं और कई सहकारी योजनाओं के साथ अस्पताल और अन्य सुविधाएं भी ग्रामीणों और निचले वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराते हैं। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय केवल 230 डालर है और इसकी गिनती विश्व के दस सबसे निर्धन देशों में होती है। देश की ज्यादातर राजनीतिक और आर्थिक शक्ति ऊंची जाति के ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के हाथों में है और माओवादी इन्हें खून चूसने वाला वर्ग कहते हैं। माओवादियों के निशाने पर ज्यादातर इसी वर्ग के लोग रहते हैं और उनके हाथों मारे जाने वालों में सरकारी अधिकारी, व्यापारी, साहूकार और सैनिक तथा पुलिसकर्मी प्रमुख होते हैं।

देश के मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि विद्रोहियों का हिंसक अभियान एक वर्ग विशेष के शत्रुओं के विरुद्ध केन्द्रित है। नेपाल में ज़मीन को सम्पन्नता का प्रतीक माना जाता है लेकिन जातिवादी स्वामित्व पद्धति के कारण लाखों नेपाली ज़मीन के मालिकाना हक से वंचित हैं। देश में लाखों डालर की सहायता पहुंचती रही है लेकिन गरीब किसानों को इससे केवल नाममात्र का ही लाभ हुआ है और अपनी आर्थिक बदहाली और शोषण से तंग होने के कारण निचले वर्ग में माओवादियों के प्रति पूरी सहानुभूति है। आखिर क्या चाहते हैं माओवादी—

माओवादियों की मांगें—

(1) 1950 की 'भारत नेपाल सन्धि' सहित सभी भेद-भावपूर्ण सन्धियां समाप्त की जाएं।

(2) 1996 में सम्पन्न हुई 'महाकाली सन्धि' को तुरन्त रद्द किया जाए।

(3) भारत व नेपाल की खुली सीमाओं को पूरी तरह व्यवस्थित एवं नियन्त्रित किया जाए। नेपाल में भारत के नम्बर प्लेट वाली गाड़ी पर रोक लगाई जाए।

(4) गोरखा भर्ती केन्द्रों को बन्द किया जाए। देश में नेपाली नागरिकों को सम्मानजनक रोजगार मुहैया कराया जाए।

(5) नेपाल के उद्योग एवं व्यवसाय में विदेशी पूंजी के प्रभुत्व पर रोक लगाई जाए।

(6) साम्राज्यवादी और औपनैवेशिक संस्कृति पर प्रतिबन्ध लगाया जाए।

(7) जनवादी गणतन्त्र की स्थापना के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करें।

(8) राजा तथा शाही परिवार के सदस्यों को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार तुरन्त खत्म हों।

(9) नेपाल को धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया जाए।

(10) जनवादी आन्दोलनों में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाए।

(11) पुलिस का दमन एवं राज्य का आतंक तुरन्त बन्द किया जाए।

(12) खेती करने वाला खेत का मालिक घोषित किया जाए।

(13) उद्योग एवं कृषि में काम करने वाले मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी तय की जाये और उसका कड़ाई से पालन किया जाए।

(14) सबको रोज़गार की गारण्टी मिले। बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता मिले।

(15) घरेलू एवं कुटीर उद्योगों को राज्य का संरक्षण मिले।

(16) भ्रष्टाचार, तस्करी, काला बाज़ारी, रिश्वतखोरी आदि बुराइयों को समाप्त किया जाए।

उल्लेखनीय है कि माओवादी विद्रोहियों ने 1996 की शुरुआत में नेपाल में एक दलीय गणतन्त्र लाने हेतु निर्भय जन संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष में जुलाई, 2005 तक लगभग 12 हज़ार लोगों की जान जा चुकी है। वे सभी माओवादियों और सरकारी सुरक्षा बलों की ज्यादतियों के शिकार हुए हैं। फरवरी, 2005 में राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा समूची सत्ता अपने हाथ में ले लेने के पीछे भी इसी संघर्ष को ज़िम्मेदार माना जा रहा है। उन्होंने देश में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के नाम पर देऊबा सरकार को बर्ख़ास्त कर दिया क्योंकि पार्टी आधारित सरकारें विद्रोह को दबाने में असफल रहीं। इसके बाद नेपाल की स्थिति एक बार फिर संकटों से घिर गई है। एक दशक से जारी माओवाद के कारण नेपाल में एक से दो लाख के बीच लोग विस्थापित हुए हैं। असुरक्षा के कारण वे घर नहीं लौट पा रहे हैं और सरकार भी उन्हें सुरक्षा की गारण्टी देने को तैयार नहीं है।

नेपाल के माओवादी भारत के नक्सलवादी संगठनों के साथ अपनी सांठ-गांठ कर चुके हैं। हथियारों का लेन-देन, प्रशिक्षण एक शिविरों की सुविधा में सहयोग का सिलसिला जारी है। नक्सलवादी पीपुल्स वार ग्रुप (पी० डब्ल्यू० जी०) का प्रकोप यू० पी०, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में फैलता जा रहा है। उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में तो यह बहुत अधिक सक्रिय है। पाकिस्तान का खुफ़िया तन्त्र आई० एस० आई० इस गठजोड़ में शामिल होकर भारत एवं नेपाल सम्बन्धों को घातक स्थिति की ओर ले जा सकता है। गृह मन्त्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नक्सलवादियों ने पाकिस्तान की आई० एस० आई० के साथ गठबन्धन बना रखा है तथा छुपे तौर पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है।

नेपाल की सेना शस्त्र आपूर्ति और प्रशिक्षण के लिए भारत पर निर्भर है। लेकिन लोकतन्त्र की बहाली के लिए भारत ने हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। माओवाद के खिलाफ़ अब भी भारत नेपाल को सामरिक सहायता देने को तैयार है, लेकिन लोकतन्त्र की लाश पर नहीं। बांडुंग सम्मेलन के दौरान भारत ने सशर्त सैनिक सहायता का आश्वासन दिया है। भारत 55 वर्षों से प्रयत्न करता रहा है कि विश्व के एक मात्र हिन्दू राष्ट्र में लोकसत्ता तथा राजशाही मिल कर चलें।

नेपाल में लोकतन्त्र की बहाली भारत के लिए बड़ी चुनौती है। नेपाल को मदद देने की आड़ में पाकिस्तान द्वारा अपनी मौजूदगी बढ़ाना भी भारत के सुरक्षा हितों पर बड़ा भारी आघात होगा। भारत को नेपाल को साफ़ बतलाना होगा कि किसी भी रूप में पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी हमें बर्दाश्त नहीं होगी। भारत को माओवाद के खिलाफ़ सैनिक सहायता खुले तौर पर जारी रखना चाहिए,ताकि पाकिस्तान जैसे मौकापरस्त राष्ट्रों को नेपाल में पांव जमाने का मौका न मिले। यह देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। सेना को माओवादियों के विरुद्ध लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत है। किसी भी हालत में माओवादियों का नेपाल की सत्ता पर छा जाना भारत के हित में नहीं। अतः माओवादियों की हार भारत की पहली प्राथमिकता है। लेकिन साथ ही नेपाल नरेश से लोकतन्त्र को पुनः स्थापित करने के प्रयास भी शुरू करवाने चाहिए। भारत की सुरक्षा नेपाल में लोकतन्त्र के समर्थन पर निर्भर है, उसके विरोध में नहीं।

नेपाल में माओवादियों के प्रकोप से केवल नेपाल को ही खतरा नहीं है। वहां की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर चीन और पाकिस्तान अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं। यह भारत के लिए खतरे का संकेत है। यह भारत के हित में है कि नेपाल को बचाया जाए। नेपाल यदि भूटान की तरह भारत विरोधी संगठनों को तहस-नहस नहीं कर पा रहा है, तो इसका कारण यह नहीं है कि नेपाल उनको प्रश्रय दे रहा है। उसकी व्यवस्था में क्षमता का अभाव है। सत्ता के सूत्रधार विलासिता प्रिय हैं। वहां लोकतन्त्र लोगों में चेतना पैदा करने के बजाय उत्तेजना फैलाने का माध्यम बना है।

वर्तमान माओवाद राजनीतिक आस्थान होकर असामाजिक तत्त्वों का वह गिरोह है, जिसे विदेशी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी मोर्चों पर विफल दिखाई पड़ रहे गृह मन्त्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि नक्सलियों से

निपटने के लिए राज्यों को पूरी छूट है। आवश्यकता छूट देने की नहीं, समन्वित प्रयास की है। यह तभी सम्भव है जब केन्द्र आपराधिक छवि वालों को प्रश्रय देना बन्द करे।

नरेश द्वारा सत्ता को अपने हाथ में लेने की भर्त्सना हुई है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों ने इसकी सख़्त आलोचना की है। प्रश्न उठता है कि इस विरोध का स्वरूप क्या होगा ? नेपाल की आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ विदेशी आर्थिक सहायता पर निर्भर करती है। इसके अलावा पर्यटन देश की विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। स्पष्ट है कि देश में अराजक स्थिति और हिंसक वातावरण से विदेशी यात्रियों के आवागमन में काफ़ी गिरावट आएगी। इस संदर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है कि नेपाल में पर्यटकों की संख्या में अधिकांश भारतीय मूल के लोग होते हैं और उन्हें नेपाल की आन्तरिक स्थिति की काफ़ी जानकारी होती है। दुर्भाग्य की बात है कि चीन ने इस पूरे प्रकरण से अपना दामन झाड़ लेने का प्रयास किया है।

अमेरिका और ब्रिटेन या संयुक्त राष्ट्र की नीति नेपाल में उतनी प्रभावशाली नहीं होगी, जितनी भारत और चीन द्वारा की गई कारवाई होगी। भारत और चीन के रुख में परिवर्तन होने से उलझन बढ़ने की ही सम्भावना है। नेपाल की वर्तमान परिस्थिति का लाभ लेकर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी तत्त्व भी इस क्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह चीन को नेपाल में सकारात्मक कारवाई करने की दिशा में प्रेरित करे। यह कार्य जितनी जल्द होगा, उतना ही पूरे क्षेत्र के लिए कल्याणकारी होगा। राजशाही एवं माओवादियों के बीच टकराव से नेपाल से सटे भारत के चार प्रान्त-उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल-वहां से हो रहे नेपाली नागरिकों के पलायन का सीधा धक्का झेल रहे। इस प्रकार नेपाल सम्बन्ध एक नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है।

16

भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध
(INDO-AFGHANISTAN RELATIONS)

अफगानिस्तान दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 655,000 वर्ग किलोमीटर है, जोकि फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैण्ड और डेनमार्क के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। स्थल से घिरे देश अफगानिस्तान की सीमा में तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, तजिकिस्तान (2384 कि० मी० लम्बी) उत्तर-पूर्व में चीन (75 कि० मी०) भारत (120 कि० मी०) पूर्व और दक्षिण पाकिस्तान (2180 कि० मी०) और पश्चिम में ईरान (820 कि० मी०) के साथ लगी हुई है। आरम्भ में इसका नाम एरियाना था, उसके बाद खुरासान नाम पड़ा। अहमदशाह दुर्रानी ने 1747 में पृथक् अफगानिस्तान राज्य की स्थापना की। 1973 में राजतन्त्र की समाप्ति हुई। 1978 में नूर तराकी की सेना ने विद्रोह कर मार्क्सवादी पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना की। 1986 में लेफ्टीनेण्ट जनरल नजीबबुल्ला राष्ट्रपति बने। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का मुजाहिदों ने निरन्तर विरोध किया। 1988 के समझौते के अनुसार 1989 में सोवियत सेनायें वापस लौट गयीं। 1 फरवरी, 1989 में नजीबबुल्ला के नेतृत्व में सैन्य परिषद् का गठन किया गया। अफगान विद्रोहियों ने इस्लामाबाद में एक बैठक में सिग्बातुल्ला मोजादिद को निर्वासित अन्तरिम सरकार का राष्ट्रपति चुना। उन्होंने मुजाहिदीन नेतृत्व परिषद् को सत्ता सौंप दी। अप्रैल 92 में सत्ता हस्तांतरण भयानक लड़ाई के कारण असफल हो गया। अगस्त 1992 में राष्ट्रपति ने प्रधानमन्त्री उस्ताद फरीद को पद मुक्त कर दिया। अब तो आतंक का पर्याय अफगानिस्तान को माना जाने लगा है।

अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या 23897000 है। देश की कुल जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या पखतून लोगों की है, शेष लोग ताजिक, उज़बेक, हजारा, चहार, ऐमक, नूरिस्तानी, बलूची तथा अन्य जातियों से सम्बन्धित हैं। देश की 98 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानती है। यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहां जातीय प्रतिशत इस प्रकार से है।

पख्तून	30%
ताजिक	25%
उज्बेक	18%
हजारा	19%
अन्य	10%

इसके भारत के साथ सम्बन्ध बहुत पुराने समय से रहे, तब इसे गान्धार नाम से जाना जाता था। अभी तक दोनों देशों के सम्बन्ध सुमधुर रहे हैं। दोनों देशों ने अपने परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखा है। भारत यह सदैव से मानता रहा है कि अफगानिस्तान में हुई राजनीतिक घटनायें वहां का अपना आन्तरिक मामला है। सम्बन्धों के पूर्व अफगानिस्तान के बारे में विस्तृत से जानना जरूरी है—

राजधानी—काबुल, **क्षेत्रफल** : 647,497 वर्ग किलोमीटर, **जनसंख्या** : 23,897,000 **भाषा** : पख्तो (पश्तो), दारी, फारसी, **साक्षरता:** 31.5% **धर्मः** इस्लाम, **मुद्राः** अफगानी, 1 अमरीकी डालर = 42.79 अफगानी, **प्रति व्यक्ति आयः** 700 डालर।

अफगानिस्तान मध्य एशिया का एक गणराज्य है। आरम्भ में इसका नाम एरियाना था, उसके बाद खुरासान (उगते सूर्य का देश) नाम पड़ा। अहमद शाह दुर्रानी ने 1747 में पृथक् अफगानिस्तान राज्य की स्थापना की। 1973 में राज्यतन्त्र की समाप्ति हुई। 1978 में नूर तराकी की सेना ने विद्रोह कर मार्क्सवादी पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना की। 1986 में ले० जनरल नजीबुल्ला राष्ट्रपति बने। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का मुजाहिदों ने निरन्तर विरोध किया। 1988 के समझौते के अनुसार 1989 में सोवियत सेनाएं वापस लौट गयीं। 1 फरवरी, 1989 में नजीबुल्ला के नेतृत्व में सैन्य परिषद् का गठन किया गया। अफगान विद्रोहियों ने इस्लामाबाद में एक बैठक में सिग्बांतुल्ला मोजादिद को निर्वासित अन्तरिम सरकार का राष्ट्रपति चुना। उन्होंने मुजाहिदीन नेतृत्व परिषद् को सत्ता सौंप दी।

अप्रैल 92 में सत्ता हस्तान्तरण भयानक लड़ाई के कारण असफल हो गया। गुटीय संघर्षों के कारण काबुल की आधी से अधिक आबादी शहर से पलायन कर चुकी थी। 1994 में राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन और प्रधानमन्त्री गुलबुदीन हेकमतयार अलग हो गये। 1994 के पूर्वार्द्ध में एक नया इस्लामिक आन्दोलन तालिबान एक नयी शक्ति के रूप में उभरा। इसका एक तिहाई देश पर नियन्त्रण था। जून 1996 को हेकमतयार एक बार फिर से रब्बानी के साथ हो गये और प्रधानमन्त्री बने, लेकिन सितम्बर में तालिबान ने इन्हें अपदस्थ कर दिया। 26 सितम्बर, 1996 को पाक समर्थित तालिबान बल ने काबुल के पूर्वी भाग पर कब्ज़ा कर लिया और 27 सितम्बर 96 को ही बिना किसी प्रतिरोध के तालिबान ने काबुल शहर पर कब्जा करके पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्ला जोकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा में रह रहे थे को उनके भाई के साथ खुलेआम फांसी पर लटका दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान को मुस्लिम राज्य घोषित किया। बदले की कार्यवाही के चलते 28 सितम्बर को नजीबुल्ला के दो और सहयोगियों को फांसी पर लटका दिया गया। देश का शासन चलाने के लिये 6 सदस्यीय परिषद् की घोषणा की गयी। देश में सख्त इस्लामी नियम लागू कर दिये गये। लड़कियों के स्कूल बन्द करा दिये गये व कार्यालयों में महिलाओं के कार्य करने पर पाबन्दी लगा दी गयी।

तालिबान को 1997 में झटका लगा। अल्पसंख्यक ताजिक काबुल में एक शक्ति बन कर उभरने लगे। उत्तरी गठबन्धन का एक तिहाई अफगानिस्तान पर नियन्त्रण हो गया। संयुक्त राष्ट्र का शान्ति प्रयास 30 अप्रैल 98 को विफल हो गया और लड़ाई फिर से भड़क उठी। तालिबान ने दावा किया कि 85% देश पर उसका नियन्त्रण है और वहां पर सख्त इस्लामिक नियम लागू हैं। अगस्त 98 में तालिबान ने मजारे शरीफ पर कब्ज़ा कर लेने का दावा किया।

ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में आरोपित सऊदी के अरबपति बिन लादेन के नेतृत्व में 5,000 पाकिस्तानी कट्टरवादी गुरिल्ले, 3,500 पाकिस्तान के नियमित सैनिक और अरब देशों के 1000 लड़ाकों की नियुक्ति की गई है। तालिबान ने लादेन के प्रत्यार्पण को नामन्ज़ूर कर दिया था।

केवल पाकिस्तान और युनाइटेड अरब अमीरात ने ही तालिबान सरकार को मान्यता दी थी।

तालिबान ने घोषणा की कि जो भी ईसाईयत में बदलेगा उसे सज़ा दी जायेगी। मार्च महीने में तालिबान ने बामियान में बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं को जो विश्व की धरोहर समझी जाती थीं को विस्फोट करके तोड़ डाला। नवम्बर 2001 में उत्तरी गठबन्धन ने अमेरिका के सहयोग से तालिबान सरकार को उठा फेंका।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफगानिस्तान विश्व का सबसे अविकसित देश है। युद्ध की भयावहता के कारण यहां के निवासी अन्य पड़ोसी देशों में शरण लिये हुए हैं। अफगानिस्तान में एक करोड़ से अधिक बारूदी सुरंगें बिछी हैं।

पूर्व महाराजा मोहम्मद ज़हीर शाह 29 वर्षों के निर्वासन के बाद 18 अप्रैल 2002 को स्वदेश वापस लौटे, जून महीने में हमीद करजाई जोकि अन्तरिम प्रशासन के नेता थे, को अगले राष्ट्रपति पद के लिये भारी बहुमत प्राप्त हुआ, जुलाई में उपराष्ट्रपति हाजी अब्दुल कादिर की हत्या से शान्ति प्रयासों को धक्का लगा, जुलाई में सरकार ने बारूदी सुरंग सन्धि पर हस्ताक्षर करने को सहमति जताई। वार्षिक अमरीकी सहायता में 1 अरब डालर की बढ़ोत्तरी हुई। बामियान घाटी युनेस्को के अधीन कर दी गई। अगस्त 2003 को 22 लोग तालिबान के साथ संघर्ष में मारे गये। अगस्त 11:03 को नाटो ने अन्तर्राष्ट्रीय 5000 शान्ति सैनिक दल की कमाण्ड अपने हाथों में ले ली।

अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। पशु-पालन एक अन्य मुख्य धन्धा है और निर्यात की मुख्य वस्तुएं हैं—पशु, फल, ऊन और चमड़ा। कोयला, नमक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लोहा और तांबा प्रमुख खनिज हैं।

वर्तमान राष्ट्रपति—हामिद करज़ाई हैं।

यद्यपि अफगानिस्तान में तालिबान गुट और 'अल कायदा' संघटन को नेस्तनाबूद करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका के सहयोग से शान्ति स्थापित कर दी गयी है तथापि यह अस्थायी ही है। अभी तक मुल्ला उमर और लादेन का न पकड़ा जाना खतरे की घण्टी है। अफगानिस्तान के सभी ज़िलों को एक तले लाना वास्तव में हिमालयी कार्य ही है क्योंकि इनमें अलग-अलग कबीले पाये जाते हैं। वहां की जनता सर्वप्रथम अपने कबीलों के सरदार के प्रति ही वफ़ादार रहती है। यदि अफगानिस्तान में इन कबीलों को मुख्य धारा में लाने में वर्तमान अन्तरिम सरकार सफलता हासिल कर लेती है तो गृह युद्ध के अवसर बहुत कम हो जायेंगे।

अतीत में भारत एवं अफगानिस्तान

वर्तमान परिस्थिति दोनों देशों के सम्बन्धों का उल्लेख करने से पूर्व प्राचीन सम्बन्धों का उल्लेख आवश्यक है। भारत एवं अफगानिस्तान सीमावर्ती एवं पड़ोसी राष्ट्र होने के बावजूद आपसी विवाद के घेरे में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आये हैं। भारत एवं अफगानिस्तान ने अपने आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को ही नहीं बढ़ाया बल्कि लघु उद्योग, छोटी पन

बिजली परियोजना को विकसित करने में एक-दूसरे की मदद की है। पश्चिमी देशों एवं महाशक्तियों के लिए यह देश सदैव आकर्षण का क्षेत्र रहा है, क्योंकि एशिया को नियन्त्रित करने के लिए एक केन्द्र बिन्दु है। अफगानिस्तान 1946 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेता रहता है। ब्रिटिश शासन ने अफगानिस्तान का उपयोग रूसी प्रसारवाद को रोकने के लिए एक अन्तस्थ राज्य (Buffer State) के रूप में किया था, किन्तु अन्ततः सफल नहीं हो पाया। 27 दिसम्बर, 1979 में सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान पर अपना अधिकार करके भू-सामरिक स्थिति को ही बदल दिया।

भारत ने अपनी स्वाधीनता के बाद अफगानिस्तान को मित्र मान कर सम्बन्ध बनाये और अफगानिस्तान ने भी अपनी मित्रता को निभाते हुए भारत-पाक युद्ध 1965 तथा भारत-पाक युद्ध 1971 में तटस्थता की नीति अपनायी थी। भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की और मैत्री सम्बन्धों को सुमधुर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन अफगानिस्तान की राजकीय यात्रा पर गये। 4 अक्तूबर, 1963 को दोनों देशों के मध्य एक वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी सहयोग के सन्दर्भ में एक समझौता हुआ। इसके बाद भारतीय राष्ट्रपति डॉ० ज़ाकिर हुसैन भी काबुल की यात्रा पर गये।

जून 1969 में भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अफगानिस्तान की यात्रा की तथा इससे दोनों देशों ने एक-दूसरे को आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा व्यापार बढ़ाने हेतु एक संयुक्त आयोग भी बनाने का निश्चय किया। 24 जून, 1974 को अन्ततः दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया। इसके तहत दोनों देश एक-दूसरे को कृषि, उद्योग तथा अन्य आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहमति देने को तैयार हो गये। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मण्डल अफगानिस्तान गया। मार्च, 1975 में अफगानिस्तान के विदेश मन्त्री मोहम्मद दाउद भारत आये तथा जुलाई 1976 में इन्दिरा गांधी पुनः काबुल गई। जिससे दोनों देशों ने एक सप्तवर्षीय योजना पर समझौता किया और जिसमें भारत ने अफगानिस्तान को इसमें सहयोग देने का वादा किया।

वर्ष 1980-81 के समय भारत के तत्कालीन विदेश सचिव श्री साठे एवं अवर सचिव श्री एस० के० सिंह ने अफगानिस्तान की यात्रा की तथा दोनों देशों के सम्बन्धों को मज़बूत बनाने के लिए प्रक्रिया तेज की। भारत ने इस बात को दोहराया और कहा कि दक्षिण एशिया में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए इस क्षेत्र को बाहरी शक्तियों के प्रभाव एवं दबाव से मुक्त रखने के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के स्थायित्व को बनाये रखते हुए, गुट-निरपेक्ष भी रखना है। भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति के सम्बन्ध में अपने सिद्धान्त इस प्रकार से तय किये—

(1) इस क्षेत्र के देशों के आन्तरिक मामलों में किसी भी तरह बाहरी हस्तक्षेप या दखलअन्दाज़ी का विरोध करेगा।

(2) झगड़ों को रोकना तथा इस क्षेत्र में शीत युद्ध के तनाव बढ़ाने का विरोध करेगा।

(3) इस क्षेत्र के राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता तथा गुट-निरपेक्षता बनाये रखने में सहयोग देगा।

(4) किसी भी समस्या का समाधान बातचीत एवं राजनीतिक ढंग से करवाने पर ज़ोर देगा।

(5) इस क्षेत्र के विकास के लिए आपसी सहयोग को बनाये रखने में विशेष समर्थन देगा।

भारत एवं अफगानिस्तान के सम्बन्धों को सुधारने के लिए अक्तूबर, 1983 में काबुल में संयुक्त आयोग जो दोनों देशों के बीच बनाया गया था, उसकी समीक्षा की गयी। भारत ने सदैव अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप को शान्तिपूर्ण तरीके से हल करने पर विशेष बल दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों को अपना समर्थन भी प्रदान किया। अगस्त 1985 में नई दिल्ली में मन्त्री स्तर पर भारत-अफगानिस्तान संयुक्त आयोग (आर्थिक, व्यापारिक तथा वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग) की सातवीं बैठक हुई, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर जन स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग जारी रखेंगे।

भारत एवं अफगानिस्तान के सम्बन्धों में मनमुटाव या तनाव का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि पूर्व सोवियत संघ भारत का एक अभिन्न मित्र था। इस कारण से अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का विरोध भी नहीं कर पाया, जबकि भारत की नियति यह थी कि अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता एवं सम्प्रभुता को तुरन्त बहाल किया जाये। भारत ने विभिन्न देशों के साथ अफगान समस्या पर विचार-विमर्श किया और अपना मत पुनः दोहराया कि वह अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध है और अफगानिस्तान समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा वह अफगानिस्तान की समस्या को राजनैतिः

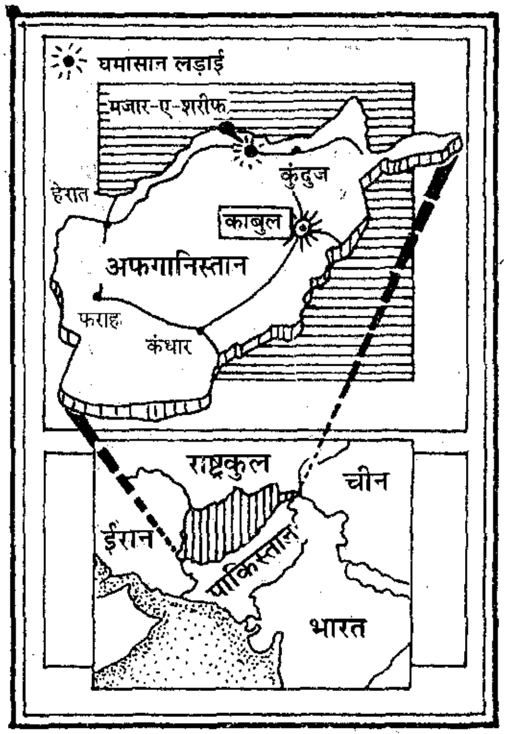

सोवियत सैनिकों से अफगानिस्तान को छुटकारा मिल गया किन्तु वहां सत्ता संघर्ष का जो सिलसिला आज भी जारी है, उससे अफगानिस्तान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। दिसम्बर, 1993 के उत्तरार्द्ध में वहां सत्ता संघर्ष तेज़ हुआ और राष्ट्रपति रब्बानी, जनरल दोस्तम व प्रधानमन्त्री हिकमतयार के सैनिकों में घमासान युद्ध जारी है। दोस्तम के वायुयानों ने काबुल पर भीषण बम वर्षा की जिससे राष्ट्रपति भवन के साथ काबुल के मध्य में स्थित एक पुरानी हरी मस्जिद भी ध्वस्त हो गयी। बदले में रब्बानी के वफादार सैनिकों ने दोस्तम के ठिकानों पर हमला किया। काबुल में इतनी विस्फोटक स्थिति हो गयी, कि अनेक राजनयिकों को दूतावास छोड़कर भागना पड़ा। हज़ारों की संख्या में अफगान शरणार्थी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति ने हिकमतयार को प्रधानमन्त्री पद से मुक्त कर दिया है और उनका कहना है, कि विद्रोहियों का साथ देकर हिकमतयार अब सरकार में नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब तथा ईरान विभिन्न अफगान गुटों के बीच सुलह-सफाई का प्रयास करते रहे हैं।

1 जनवरी, 1994 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गोलों एवं गोलियों की आवाज़ से गूंज उठी। प्रधानमन्त्री गुलबुद्दीन हिकमतयार उत्तरी क्षेत्र में सक्रिय रशीद दोस्तम और पूर्व कम्युनिस्ट नेता महमूद बरयालाई के समर्थक इस्लामी गुटों का राष्ट्रपति भवन, हवाई अड्डा और अन्य महत्त्वपूर्ण ठिकानों पर कब्ज़े को लेकर सरकारी सेनाओं के साथ भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें सैंकड़ों लोग हताहत हुए। काबुल के अलावा उत्तरी शहर मजार-ए-शरीफ पर अधिकार जमाने के लिए भी जमकर संघर्ष हुआ।

अब तक के संघर्ष में लगभग 4000 लोग घायल हुए हैं और सैकड़ों मारे गये हैं। लगभग 20,000 लोग अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गये हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने कर्मचारियों को काबुल से हटा लिया है और विदेशी नागरिक एवं अन्य देशों के राजनयिक भी राजधानी छोड़ चुके हैं। भारतीय राजनयिक मिशन के सभी 13 कर्मचारी 9 जनवरी को सुरक्षित पाकिस्तान पहुंच गये।

इस संघर्ष के राजनीतिक और जातीय दोनों कारण हैं। हिकमतयार के हिज्बे इस्लामी ने रब्बानी को कभी वैध राष्ट्रपति नहीं माना। जब हिकमतयार प्रधानमन्त्री बने तो भी वह काबुल में कभी नहीं रहे। अफगानिस्तान से कम्युनिस्ट शासन खत्म होने के बाद भी कभी कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम नहीं हो सकी। छापामार गुट इधर-उधर लूटपाट भी करने लगे। इस अराजकता के लिए भी रब्बानी के प्रशासन को दोषी ठहराया गया और उनके विरोधी गुट सक्रिय हो गये। हिकमतयार ने उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख उजबेक नेता जनरल रशीद दोस्तम से हाथ मिला लिया। दोस्तम की अफगानिस्तान की राजनीति में 12 साल तक प्रमुख भूमिका रही है। उनके कब्ज़े में 200 जेट विमान, कई स्कवाड्रन हेलीकॉप्टर और हज़ारों पूर्ण प्रशिक्षित सशस्त्र लड़ाके रहे हैं। 1992 में जब वह कम्युनिस्टों का साथ छोड़कर गुटों के साथ हो गये तो कम्युनिस्ट सरकार का पतन हो गया।

इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में भारत एवं अफगानिस्तान के सम्बन्धों का स्पष्ट उल्लेख करना एक कठिन कार्य है। अफगानिस्तान की आन्तरिक राजनीतिक एवं जातीय स्थितियां इतनी जटिल हैं कि वह उन्हीं में उलझा रहता है अन्य राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की बात तो बाद की होती है। अफगानिस्तान उग्रवादी एवं आतंकवादी दलों का एक क्षेत्रीय अड्डा बन चुका है। जिसके कारण उसकी शान्ति एवं सुरक्षा तो खतरे में रहती ही है साथ पड़ोसी देशों में भी आतंकवादी दल अपने कारनामें दिखाने में चूकते नहीं हैं।

अफगानिस्तान में क्रान्ति एवं रूसी हस्तक्षेप

अप्रैल, 1978 की अफगान क्रान्ति देश के विकास में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाई। सामन्तवाद-विरोधी, राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक तथा साम्राज्यवादी विरोधी उद्देश्य पर चलते हुए इसने अफगान की घरेलू और विदेशी नीतियों में प्रमुख परिवर्तन किये। इन परिवर्तनों के कारण क्षेत्र में साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी ताकतें नाराज़ हो गयीं। अफगानिस्तान ऐसे षड्यन्त्र का लक्ष्य बन गया, जिसे अप्रैल क्रान्ति की उपलब्धियों तथा देश में हो रहे रचनात्मक परिवर्तन को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। यह सोवियत संघ पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। अमेरिका एवं पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इस क्षेत्र को विशेष तरज़ीह दे रहे थे।

सोवियत संघ ने पश्चिमी शक्तियों एवं विशेष रूप से अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से ही 27 दिसम्बर, 1979 को अफगानिस्तान में लगभग एक लाख अपनी सेनायें तैनात कर दीं। सोवियत संघ ने इसे अफगान की मैत्री एवं सहयोग सन्धि का करार करते हुए कहा कि अफगान जनता की सहायता करने में सोवियत संघ ने न केवल अपनी उन वचन-बद्धताओं को ही ध्यान में रखा है, जो उसने सोवियत-अफगान सन्धि के तहत की थीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 को ध्यान में रखा, जिसमें देशों की सामूहिक और वैयक्तिक आत्म सुरक्षा के अधिकार की पुष्टि की गई है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपना प्रभाव दाऊद के समय से ही जमाना शुरू कर दिया था। सोवियत सेनाओं के प्रवेश से उसका उद्देश्य तो पूरा हुआ किन्तु अमेरिका सहित पश्चिमी राष्ट्रों को भारी आघात लगा। अफगानिस्तान में प्रवेश कर जाने से सोवियत संघ की पहुंच सीधी पर्शियन गल्फ तथा अरब सागर तक हो गई।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादियों ने बढ़ा-चढ़ा कर एवं कपटपूर्ण अफगान विरोधी एवं सोवियत विरोधी अभियान छेड़ दिये थे जिसके कारण भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तथा ईरान द्वारा समर्थित सात कट्टरवादी मुजाहिदीन संगठनों द्वारा सोवियत संघ समर्थित अफगानिस्तान सरकार का विरोध ही नहीं किया गया बल्कि रूसी सैनिकों के विरुद्ध अपना अभियान भी शुरू कर दिया। विश्व भर के लगभग 3 मुस्लिम राष्ट्रों ने सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के प्रति विरोध प्रकट किया। कट्टरवादी मुजाहिदीन ने छापामार कार्यवाही करके रूसी हरकत पर अंकुश लगाने के लिए एक साथ जुट गये जिनको अमेरिका का आर्थिक एवं सामरिक सहयोग मिला। अभी हाल तक वह अफगानिस्तान में मैदानी जंग के हर तरह के हथियार भेजता रहा। आज हथियारों के विशाल जमाव से, विशेष रूप से स्टिंगर प्रक्षेपास्त्रों से भारत को हानि तो हुई है, किन्तु अब पश्चिमी राष्ट्र भी इसके शिकार की परिधि में आ गये हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) की सुरक्षा-परिषद् में उठाया, किन्तु सोवियत संघ के वीटो (Veto) के कारण अपनी सेनाओं के वापस बुलाने का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद् में पारित नहीं हो पाया। 14 जनवरी, 1980 को यह मामला महासभा में लाया गया जहां 104 मतों के बहुमत

से स्वीकृत हो गया। महासभा ने मांग की कि अफगानिस्तान से विदेशी सेना तत्काल हटाई जाये। 18 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

अप्रैल, 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ के रचनात्मक प्रयास के बाद ही 14 अप्रैल, 1988 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पेरेज डी० कुइयार के सामने पाक, अफगान, सोवियत संघ तथा अमेरिका के विदेश मन्त्रियों ने जेनेवा में शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार 9 महीनों के भीतर ही सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अपनी सेनायें वापस बुलानी थीं। सोवियत नेता मिखाइल गोर्वाचोव की उदारवादी नीति तथा राष्ट्र संघ के रचनात्मक सहयोग से इस समस्या का समाधान हुआ और सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सम्पूर्ण सेनाओं को वापस बुला दिया।

आतंक एवं अफगानिस्तान

अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद भी वहां अशान्ति के शोले धधक रहे हैं, जिसके विस्फोट से अफगानिस्तान में अपार धन एवं जन शक्ति का पतन तो हुआ ही है पड़ोसी राष्ट्र भी इसकी लपेट से अपने आपको बचा नहीं पा रहे हैं। आपसी सत्ता संघर्ष के कारण राष्ट्र का विकास तो सम्भव नहीं हो सका किन्तु विनाश के साधन अवश्य जुटाये जा रहे हैं। खुफिया ऐजेन्सी आई० एस० आई० द्वारा हथियारों का मनमाने तरीके से दोहन किये जाने के साथ ही अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियन्त्रण और नियमों को ताक में रखकर खतरनाक हथियारों की आपूर्ति ने पड़ोसी देशों के लिए समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं। एक सूचना के अनुसार—"**भारत एवं पाकिस्तान के सैनिकों तथा अर्द्ध सैनिकों के पास कुल मिलाकर जितनी स्वचालित राइफलें हैं, उससे कहीं अधिक अफगान क्षेत्र में हैं। अमेरिका के द्वारा दिये गये स्टिंगर प्रक्षेपास्त्रों से अब अमेरिका स्वयं ही अधिक परेशान है।**"

अब सी० आइ० ए० ने अपने ही स्टिंगर प्रक्षेपास्त्रों को वापस खरीदने के लिए पहले से निर्धारित 6.5 करोड़ डॉलर के अलावा कांग्रेस से और रकम (अटकलों के अनुसार लगभग 7 करोड़ डालर) की मांग की है। विडम्बनाएं अनन्त हैं, अमेरिका ने 1,000 से अधिक स्टिंगर प्रक्षेपास्त्र मुहैया कराने में जितनी रकम खर्च की थी, वह इन हथियारों को गुप्त रूप से वापस खरीदने के लिए मुहैया कराई गई रकम के आधे से भी कम थी। सी० आइ० ए० के जासूसों ने शुरू में प्रति स्टिंगर 2 लाख पाकिस्तानी रु० (6.665 डालर) देने की पेशकश की थी जिसे अब बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक मुट्ठी भर स्टिंगर प्रक्षेपास्त्र ही वापस आ पाए हैं।

इस गुप्त खरीद से स्टिंगर प्रक्षेपास्त्र की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, सीमा प्रान्त में हथियार हमेशा से सौदे की वस्तु रहा है। इन घातक हथियारों की आपूर्ति करके अब अमेरिका स्वयं के लिए खतरा महसूस करने लगा है। भारत में कश्मीर के द्वारा घातक हथियार पहुंचाकर सुरक्षा व्यवस्था के खतरे में यह अफगान मुजाहिदीन अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। घातक हथियार क्षेत्र की शान्ति-व्यवस्था को भंग कर ही रहे हैं, मानवीय मूल्यों के लिए एक चुनौती भी बन गयी है।

महाशक्तियों की टक्कर के बाद बचे हथियारों के जखीरे से इस पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचने की आशंका है। अफगानिस्तान में इस समय कम-से-कम 30 लाख स्वचालित हथियार, लगभग 100 लड़ाकू विमान तथा स्कड प्रक्षेपास्त्रों से लैस कबीलाई सरदार आपस में जूझ रहे हैं और साथ ही पास-पड़ोस के इलाकों में हथियारबन्द संघर्षों को बढ़ा रहे हैं। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत विलियम कलार्क जूनियर, जो अब वाशिंगटन स्थित सेंटर फार स्ट्रेटजिक एण्ड इण्टरनेशनल स्टडीज़ के सदस्य हैं, मानते हैं—"वहां (अफगानिस्तान) भारी संख्या में हथियार जमा है और उनमें से कुछ दूसरे देशों में जा रहे हैं, जहां तक कि पाकिस्तान के लिए भी जैसा कि सिन्ध और पंजाब में हुआ।"

अफगानिस्तान में कबीलाई सरदारों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय लड़ाई जैसा युद्ध चल रहा है। हिकमतयार काबुल पर स्कड प्रक्षेपास्त्र बरसाने की धमकी दे रहे हैं। हिकमतयार के सत्ता पर आने में लांचरों का ज़ोरदार व खुलकर प्रदर्शन हुआ था। इसके उत्तर में अहमदशाह मसूद अपने कट्टर विरोधी और पूर्व सहयोगी उज़बेकी रशीद दोस्तम के विरुद्ध तोप वाले हैलीकाप्टरों का इस्तेमाल किया। दोस्तम भी मज़ार-ए-शरीफ एयरबेस से मिग के हमलों से जवाब दे रहे हैं। दक्षिण पश्चिम में इस्माइल खान ने अपनी जागीर खड़ी कर रखी है।[1]

इस समय अफगानिस्तान में जो कट्टरवादी गुट प्रमुख रूप से हैं तथा उनके पास जो शस्त्रास्त्र मौजूद हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है—

1.	**गुलबुद्दीन हिकमतयार**	टैंक, स्कड प्रक्षेपास्त्रों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों से लैस
2.	**बुरहानुद्दीन रब्बानी**	अफगान फौज का सबसे बड़ा हिस्सा, एस यू-7 लड़ाकू विमानों और स्कड प्रक्षेपास्त्रों से लैस

1. इण्डिया टुडे अंक 15 मई 1994

3.	**रशीद दोस्तम**	टैंक, हेलीकॉप्टर और मिग 27 की कम-से-कम छह स्कवाड्रनों से लैस
4.	**इस्माइल खान**	ईरान समर्थक शिया सरदार, जिसके पास स्वचालित हथियारों का भारी जखीरा है।
5.	**अहमद शाह मसूद**	स्टिंगर प्रक्षेपास्त्रों और स्वचालित हथियारों से लैस

इस समय अफगानिस्तान में जो कट्टरवादी गुट प्रमुख रूप से हैं तथा उनके पास जो शस्त्रास्त्र मौजूद हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है—

अफगानिस्तान इस प्रकार गृह युद्ध के बहुत ही दुखद मुकाम में पहुंच गया है। वहां की नित्य घटित होती घटनाओं से विश्व राजनीति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई है। अमेरिका तथा सोवियत विस्तारवाद के कारण अफगानिस्तान की यह दुर्दशा हुई है। अमेरिका ने सोवियत संघ पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग किया। इससे पाकिस्तान को भी अमेरिका से आर्थिक लाभ तो मिला ही तथा शस्त्रास्त्र बटोरने का मौका भी मिला। यह स्रोत पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के संचालन का मुख्य आधार बन गया। धीरे-धीरे स्थिति ऐसी आ गयी कि अफगानिस्तान के विरुद्ध चलने वाला युद्ध पाकिस्तानी फौज का अपना कार्यक्रम बन गया।

सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस को अपने अस्तित्व की रक्षा में लग जाना पड़ा। आज का रूस लगभग पूर्णरूपेण अमेरिका के सामने नतमस्तक है। होना यह चाहिए था, कि रूस के इशारे पर लड़ने-भिड़ने वाले देशों को भी अमेरिका अपना लेता लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका की रुचि अफगानिस्तान में खत्म हो गयी। तत्कालीन अफगान सत्ता के खिलाफ जो भी युद्धतन्त्र खड़ा किया गया था वह सत्ता में आ गया। अमरीकी और पाकिस्तानी सहयोग से तैयार किया गये युद्धोन्मादी आतंकियों के समूह स्वतन्त्रता सेनानी नहीं थे। वे सब के सब कबायली मानसिकता वाले लोग थे और सत्ता हासिल करना चाहते थे। जब नजीबुल्ला का पतन हुआ, तो युद्ध पिपासु कबीलों के सरदारनुमा नेताओं में सत्ता के बंटवारे को लेकर तनाव शुरू हो गया। वह तनाव अभी भी जारी है और निकट भविष्य में उसके खत्म होने की सम्भावना नहीं है।

महाशक्तियों के अफगान प्रयोग के चलते मानवता के एक बड़े हिस्से को दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर होना पड़ा है। दुनिया के हर शहर में अफगान शरणार्थी दर-दर की ठोकरें खाते मिल जाएंगे। उनके परिवार टूट चुके हैं। उनके सर के ऊपर छत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की कृपा से मिलने वाली मदद में बहुत सारे अड़ंगे लग रहे हैं। दुनिया में हर जगह शक की निगाह से देखे जा रहे अफगान शरणार्थियों के दुर्दिन पता नहीं कब खत्म होंगे।[1]

अफगानिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों का जहां तक प्रश्न है भारत सदैव से इसकी शान्ति एवं सम्प्रभुता का समर्थक रहा है, किन्तु पाक के नापाक इरादे से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती इस क्षेत्र के कट्टरवादियों द्वारा दी जा रही है। अतः इस क्षेत्र के लिए एक खतरनाक संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भारत एवं अफगानिस्तान सम्बन्ध मात्र औपचारिक हो कर रह गये हैं।

भारत ने अफगानिस्तान की अन्तरिम सरकार को तत्काल मान्यता दे दी है। भारत ने काबुल में अपना दूतावास भी खोल दिया है। भारत ने अफगानिस्तान को विपुल मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा उसके पुनर्निर्माण में हाथ बटाने का वचन दिया है। भारत को अपने अफगानिस्तान की अन्तरिम सरकार के मुखिया हामिद करज़ाई ने फरवरी, 2002 में भारत की यात्रा की। भारत ने अफगानिस्तान की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने हेतु एक करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। भारत और अफगानिस्तान ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक यातायात तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जतायी है। स्त्रातजीय और अन्य हितों को ध्यान में रखते हुए हमें अफगानिस्तान के साथ निकट का सहयोग करना है।

अफगानिस्तान में भावी राजनीतिक घटनाओं पर भारत को कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। यदि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मन्सूबे पुनः कारगार हो गये तो भारत को असीम दबाव को झेलना पड़ सकता है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान पर पुनः कट्टरपन्थी मुल्लाओं का शासन स्थापित हो जाये क्योंकि वे भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान का साथ देना प्रारम्भ कर देंगे।

भारत की चिन्ता यह है कि अफगानिस्तान में न केवल पचास हजार भारतीय मूल के लोग हैं वरन् वहां भारत की पूंजी भी लगी हुई है। चिन्ता का दूसरा कारण यह है कि यदि वहां कट्टरवादी इस्लामी सरकार का पुनः गठन हो जाता

1. राष्ट्रीय सहारा दैनिक सम्पादकीय 7 जुलाई, 1994

है तो अफगानिस्तानी नवयुवक मुजाहिदीन पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में जंग छेड़ सकते हैं। इसके लिए उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं। सऊदी अरब का उग्रवादी अरबपति बिन लादेन ही इन तालिबानों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करता रहा है। ये इस्लामी कट्टरपन्थी विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी जेहाद या धर्म युद्ध छेड़ने की योजना बना रहे हैं। कुछ अफगानी आतंकवादी कश्मीर में भी प्रवेश कर गये हैं। कारगिल संघर्ष के बाद कश्मीर में विदेशी उग्रवादियों की गतिविधियों में और तेज़ी देखी गयी, जिनमें तालिबान उग्रवादी भी सम्मिलित हैं।

यह परिदृश्य भारत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अमेरिका पाक सांठ-गांठ का मतलब है, जिया के ज़माने की साज़िश का दुबारा ज़िन्दा हो जाना। कैसी विडम्बना है कि 20 साल पहले अफगानिस्तान के कम्युनिस्टों को पीटने के बहाने अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया था और अब वह अपने ही मोहरे को पीटने के लिए दुबारा पाकिस्तान को अपना मोहरा बना रहा है। ओसामा सी० आई० ए० का एजेन्ट रहा है और अमेरिकियों के आशीर्वाद से ही उसने रूसियों और साम्यवादी अफगानों के विरुद्ध मोर्चा खोला था। ओसामा पकड़ा जाएगा या नहीं, यह अनिश्चित है लेकिन पाक अमेरिकी सांठ-गांठ के कारण कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है। यदि अमेरिका को सचमुच आतंकवाद खत्म करना होता तो वह पाकिस्तान की बजाय भारत से बात करता और पाकिस्तान के बाएं (अफगानिस्तान में) और दाएं (पाक अधिकृत कश्मीर में) जितने भी आतंकवादी अड्डे सक्रिय हैं, उनका एक ही झटके में सफाया कर देता। लेकिन अब अमेरिका आतंकवाद की एक भुजा पर प्रहार करेगा और दूसरी भुजा पर मालिश करेगा। इतना ही नहीं, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ओसामा नाटक का पटाक्षेप होते ही अमेरिका अफगानिस्तान से उपराम हो जाएगा और तालिबानी आतंक के कुकरमुत्ते फिर अपना सिर ऊपर उठा लेंगे। तालिबान का अफगानिस्तान की 90 प्रतिशत ज़मीन पर अधिकार ज़रूर है लेकिन 90 प्रतिशत जनता उनके साथ नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अफगानिस्तान से तालिबान शासन का समूलोच्छेद किया जाए। वहां शान्ति और लोकतन्त्र की स्थापना हो। सिर्फ ओसामा के हटने से आतंक का पटाक्षेप नहीं होगा। यदि आज अमेरिका पाकिस्तान की बिल्कुल भी परवाह न करे और सीधे अफगानिस्तान पर प्रहार करे, बल्कि कब्ज़ा कर ले तो भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। दुनिया भी उंगली नहीं उठाएगी, क्योंकि न्यूयार्क और वाशिंगटन की घटनाओं ने सारे संसार का मन ऐसा बना दिया है कि वह दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख निकालने तक का बुरा नहीं मानेगी। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रश्न है, उसका पालन तो दोनों स्थितियों में नहीं हो पाएगा। न सीधे प्रहार करने में और न ही पाकिस्तान की ओट में छिपने से। असली प्रश्न यह है कि बुश प्रशासन में हिम्मत कितनी है ?[1]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अफगान-भारत सम्बन्ध

अफगानिस्तान सदैव से भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का स्वाभाविक हिस्सा रहा है। यह देश हमारे लिए सामरिक रूप से जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही व्यापारिक नज़रिए से भी। इसके बावजूद आज़ादी के बाद से ही हमने इस पड़ोसी को कभी गम्भीरता से नहीं लिया। इसी का परिणाम है कि आज जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद गहरी पैठ बना चुका है। अफगानिस्तान में हुए परिवर्तनों पर दिल्ली के उपेक्षापूर्ण नज़रिए के चलते ही 18 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका को यहां खुल कर दखल देने का मौका मिला है।

कभी शिक्षा, संगीत, कला और सर्वधर्म समभाव के प्रतीक रहे अफगानिस्तान में तालिबान सरीखे कट्टरपन्थियों का कब्ज़ा होना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक घटना थी। विशेष रूप से भारत की अफगान नीति (या यों कहें कि कोई स्पष्ट नीति का अभाव) इसके लिए कोई कम दोषी नहीं है। उसका खामियाज़ा भी हमने इंण्डियन एयर लाइन्स के विमान के अपहरण की शक्ल में भोगा। तालिबान के शुरुआती दिनों में जब भारत को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए थे, तब 1996 में ईरान ने अफगानिस्तान में विदेशी दखल और मानवाधिकारों के हनन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। तेहरान में हुए सम्मेलन में भारत के साथ-साथ चीन, रूस, तुर्की, यूरोपीय यूनियन, इस्लामिक कान्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों सहित कई देशों ने हिस्सा लिया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब निमन्त्रण के बावजूद इसमें नहीं आए थे। इस सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से यह बात उभर कर आयी थी कि कि अफगानिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान दखलअन्दाज़ी कर रहे हैं। उस समय अन्तर्राष्ट्रीय हलकों में यह चर्चा गर्म रही थी कि ऐसे सम्मेलनों का आयोजन भारत को करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि उक्त सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के अमल की ज़िम्मेदारी जहां भारत को लेनी थी, हमारा विदेश मन्त्रालय अफगानिस्तान को लगभग भूल बैठा था, जबकि वहां के बिगड़ते हालातों के चलते वहां से भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी।

---

1. पं० वेद प्रकाश वैदिक का लेख-हिन्दुस्तान

अफगानिस्तान की सीमाएं रूस, पाकिस्तान, ईरान के अलावा भारत के कश्मीर से भी जुड़ी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से अपनी पैठ बनाने के मन्सूबे पाले अमेरिका व कई अन्य यूरोपीय देशों के लिए अफगानिस्तान सदैव से महत्त्वपूर्ण रहा है। विशेष रूप से रूस के बिखराव के बाद क्षेत्रीय सन्तुलन का काफ़ी दारोमदार भारत पर आ गया है, लेकिन वह सदैव ही अपनी इस जिम्मेदारी को नज़रअन्दाज़ करता रहा। सनद रहे हिन्दुकुश पर्वत पर ऐसे क[illegible] से विदेशी आक्रान्ता कश्मीर के बारास्ता भारत उपमहाद्वीप पर हमले करते रहे हैं। आज कश्मीर में इन्हीं रास[illegible] अफगानी व अन्य विदेशी घुसपैठिए खूनखराबा कर रहे हैं।

अतीत पर गौर करें तो पाएंगे कि अफगानियों का भारत विरोधी होने का कोई कारण ही नहीं है। अफगानी पठान सन् 1824 से अंग्रेज़ों से मोर्चा लेते रहे हैं, यानी भारत के पहले स्वतन्त्रता संग्राम कहलाने वाली 1857 की क्रान्ति से बहुत पहले से। सन् 1887 में अंग्रेज दूसरी बार अफ़गानों से भिड़े। वह लड़ाई 12 साल चली और अंग्रेज़ों ने अफगान राजतन्त्र को अपना प्रोटेक्रेट बना लिया। लेकिन 1919 में फिर घमासान युद्ध हुआ और अफगानिस्तान से अंग्रेज़ों को जाना पड़ा। इस प्रकार भारत की आज़ादी के बहुत पहले ही अफगानिस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली थी। यही नहीं दूसरे विश्व युद्ध में रूस का पड़ोसी होने के बावजूद अफगानिस्तान ने तटस्थ भूमिका अदा की थी। 1964 में वहां संविधान की घोषणा व पहली संसद् का गठन हुआ। 17 जून, 1973 को राष्ट्रवादी अफसरों ने उच्च वर्ग और ज़मींदारों की समर्थक राजशाही सरकार का तख्ता पलट दिया।

अफगानिस्तान को गणतन्त्र घोषित किया गया। तब अफगानिस्तान गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सशक्त सदस्य रहा। नजीबुल्ला के शासनकाल में भारत के अफगानिस्तान से सम्बन्ध अत्यधिक मधुर हुए। उस समय भारत अफगानिस्तान की सीमा से बिल्कुल निश्चिन्त हो गया था। रूस के बिखराव के बाद नजीबुल्ला की हत्या कर दी गयी और भारत अपने अभिन्न मित्र की मदद करने के बजाय हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहा। उस समय एच० डी० देवगौड़ा प्रधानमन्त्री थे। उनकी ओर से इस हत्याकांड पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आयी थी।

नरसिंह राव सरकार के समय भारत ने यदि रब्बानी सरकार की थोड़ी मदद कर दी होती तो दक्षिण एशिया में आज के अस्थिरता के हालात नहीं होते। इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना पूरा दखल बना लिया और उस ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के ट्रेनिंग कैम्प के रूप में करना शुरू कर दिया। दुनिया की सबसे पुरानी बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को तालिबान द्वारा विध्वंस किये जाने पर भारत का दखल नहीं करना हमारी सबसे बड़ी राजनयिक नाकामियों में गिना जाएगा। तालिबान के बहाने हमारी सरकार भारत के मुसलमानों को कठघरे में खड़े करने के हथकण्डे अपनाने से बाज़ नहीं आयी, पर अपने पुराने मित्र देश की जनता को बर्बर कट्टरपंथियों के हाथों से मुक्ति दिलवाने के लिए साम्राज्यवादी अमेरिका के इशारों का इन्तजार करती रही। यहां जानना ज़रूरी है कि तालिबान वास्तव में पाकिस्तान पख्तूनों के वे आवारा लड़के हैं, जो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े, फिर आई० एस० आई० व पाक फौज ने उन्हें ट्रेनिंग व हथियार दिए। बाद में अमरीका से भी मदद मिली। यह भी जान लें कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान से कभी मधुर सम्बन्ध नहीं रहे। 1948-49 में जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में सीमा विवाद की गुहार लगा रहा था, तब अकेले अफगानिस्तान ने ही उसका विरोध किया था। ऐसे अन्तरंग मित्र राष्ट्र की अन्दरूनी राजनीति में भारत की उदासीनता हमारे लिए ही दिक्कतें खड़ी करेगा।

आज के हालात में भारत को अफगानिस्तान में महज़ मूकदर्शक नहीं, वरन् इलाके के बड़े भाई की भूमिका अदा करनी होगी। इस महाद्वीप में अमरीकी दखलअन्दाज़ी को भोथरा करने में अकेला भारत ही सक्षम है। यदि भारत आगे आता है तो ईरान, रूस, तजाकिस्तान सहित कई देश उसके साथ खड़े होंगे। यदि यह मौका हाथ से निकल गया तो हमारे लिए कश्मीर व कई अन्य सीमाओं पर नयी-नयी दिक्कतों को झेलना होगा।

अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले का मूल लक्ष्य तालिबान को हटाना था। उसमें सफल हो गया। अफगानिस्तान के बदलते हुए घटनाक्रम, जो इस क्षेत्र में भारत के दीर्घावधि सुरक्षा हितों के लिए हानिकर हैं, में भारत की मूलभूत भू-राजनैतिक साझेदारी है। अफगानिस्तान में तालिबान जैसा कट्टरपंथी शासन हमारे धर्म निरपेक्षतावाद के लिए घातक खतरा और कश्मीर में अस्थिरता उत्पन्न करने का कारण बन सकता है।

अफगानिस्तान में सतत संघर्ष और इसके परिणामों के कारण हमारे क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जारी रहा। तालिबान और पाकिस्तान अफगान संघर्ष का सैन्य समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गत वर्ष अफ़गानिस्तान में सैन्य संक्रियाओं का एक महत्त्वपूर्ण पहलू तालिबान को पाकिस्तानी सैन्य सहायता में गुणात्मक और संख्यात्मक वृद्धि किया जाना था।

दिसम्बर, 2000 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 1333 को पारित करने से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, तालिबान द्वारा क्षेत्रीय शान्ति और स्थिरता को उत्पन्न खतरे की गम्भीरता को स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य उपायों, दोनों ही द्वारा अफगानिस्तान में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास, अफगान समस्या का सैन्य हल निकालने की तालिबान की दुराग्रहपूर्ण प्रतिबद्धता के चलते व्यर्थ हो गए।

भारत-अफगान सम्बन्धों को जानने के लिए ज़रूरी है कि आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन का नेटवर्क किस प्रकार काम कर रहा है।

ओसामा बिन लादेन का नेटवर्क

1990 की शुरुआत में सऊदी अरब मूल का अन्तर्राष्ट्रीय उग्रवादी सरगना ओसामा बिन लादेन ने पश्चिमी देशों की सरकार और उनके समर्थकों के खिलाफ अत्यन्त ही गोपनीय तथा सुनियोजित तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादियों का नेटवर्क फैलाया। इसका उद्देश्य अरब-इज़रायल की शान्ति प्रक्रिया में बाधा डालकर इस क्षेत्र से अमेरिकी दखलअन्दाज़ी को भी समाप्त करना था। 1998 में अरबपति लादेन ने दुनियाभर के मुस्लिमों से पश्चिमी देशों के खिलाफ जेहाद (पवित्र युद्ध) का आह्वान किया।

जिन देशों में 'अल कायदा' की इकाइयां चल रही हैं

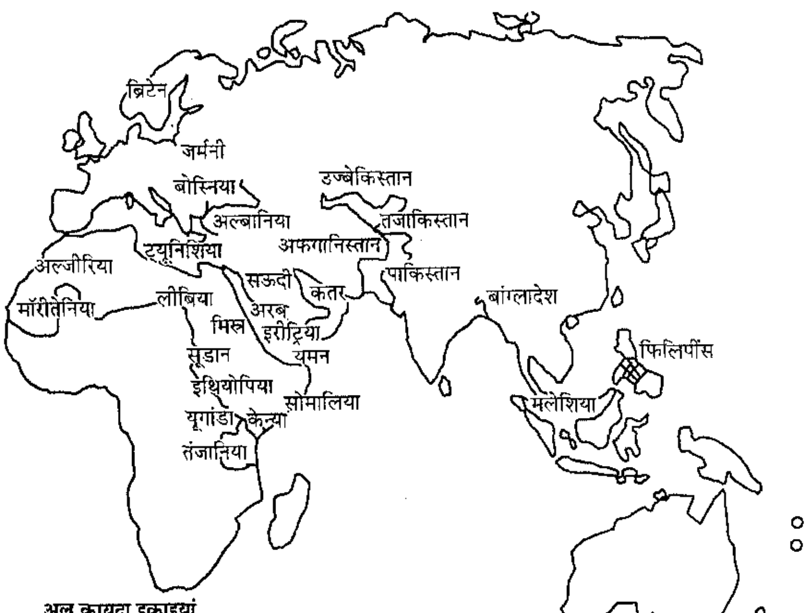

अल कायदा इकाइयां
कनाडा, अमेरिका, इक्वाडोर और उरूग्वे को दिखाया नहीं गया है।

ग्राफिक्स : अक्षय

चंदा उगाही—

- 44 वर्षीय लादेन ने 30 करोड़ डॉलर की सम्पत्ति जुटाई जिनमें से कुछ खातों को अमेरिका ने सील करवा दिया।
- 1991 से 1996 के बीच सूडान में रहते हुए लादेन ने निर्माण कार्यों, ट्रक भाड़े, मुद्रा विनिमय और कई वस्तुओं के निर्यात से पूंजी बनाई। इस बड़े कारोबार का नाम 'तांबा इन्वेस्टमेंट' दिया।
- दुनिया भर में गठित उसके दलों ने इस तरह के कारोबार से चन्दा उगाही का काम शुरू किया।

क्षमता—

इस संगठन में 100 से लेकर हज़ार की संख्या में अलग-अलग दल बने हुए हैं जिसमें 50 हज़ार से अधिक युद्ध प्रशिक्षित अफगानियों के अलावा अन्य देशों के मुस्लिम शामिल हैं। 1980 के दशक में लादेन ने ज्यादा समय पाकिस्तान के पेशावर में बिताया जहां से वह अफगानी मुजाहिदीनों को सोवियत संघ की सेना से लड़ने के लिए लगातार समर्थन करता रहा।

संगठन का ढांचा—

अमेरिकी जांच अधिकारियों का मानना है कि अल कायदा एक क्रमबद्ध विभाजित संगठन होने और अन्य सुरक्षा कारणों से संगठन का मुखिया लादेन लगातार अफगानिस्तान खासकर कंधार इलाके में इधर-उधर भटकता रहता है।

ओसामा बिन लादेन

मजलिस अल शोरा (सलाहकार)

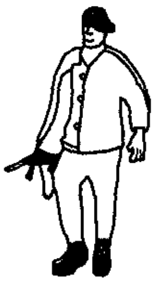

धार्मिक समिति	**मिलिटरी समिति**	**आर्थिक समिति**

दुनिया भर में फैली इकाइयां व सम्पर्क संगठन

एक इकाई कैसे काम करती है ?

गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इकाइयां काफ़ी छोटी रखी गई हैं। उग्रवादी गतिविधियों को अन्जाम देने से पूर्व दिखावे के लिए इकाई के सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों में बंट जाते हैं।

- एक इकाई के सदस्य की पहचान ज़रूरी नहीं कि दूसरी इकाई के सदस्य से हो।
- इकाइयों के बीच सम्पर्क आमतौर पर गोपनीय तथा कभी-कभार सांकेतिक भाषा का भी इस्तेमाल।
- कई वर्षों तक इकाइयां या तो निष्क्रिय रहती हैं या चन्दा उगाही और शान्तिपूर्वक इस्लामिक गतिविधियां चलाती रहती हैं। किसी इकाई को कभी भी अचानक से सक्रिय हो जाने का आदेश दिया जा सकता है।
- सहानुभूति रखने वालों को छोटे स्तर के काम सौंपे जाते हैं।

आतंकवादी गतिविधियां—

'अल कायदा' ने अफगानिस्तान तथा अन्य सम्भावित देशों में उग्रवादी प्रशिक्षण शिविर चलाना शुरू किया जिनमें से कुछ संदिग्ध स्थानों पर 1998 में अमेरिका में बमबारी भी की। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर पिछले सप्ताह के हमलों से पूर्व जिन स्थानों पर इस संदिग्ध संगठन ने हमले किए वे इस प्रकार हैं—

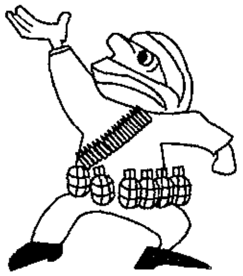

1993 : वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, छह मरे तथा एक हजार से अधिक घायल।
1996 : सऊदी अरब के दहरान अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला, 19 सैन्यकर्मियों की मौत तथा 372 घायल।
1998 : केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों पर हमला, 224 मरे तथा पांच हजार जख़्मी।
2000 : अडेन के येमिनी हार्बर स्थित अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर 17 नाविकों की हत्या, 39 घायल।
2001 : न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर हमले।

वर्तमान स्थिति

28 अगस्त 2005 को भारत के प्रधानमन्त्री डा० मनमोहन सिंह ने अफगानिस्तान का दौरा किया और अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई नो विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की एवं नये सम्बन्धों की शुरुआत की। भारत और अफगानिस्तान के बीच मैत्री के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। दोनों देशों के बीच छोटी विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामुदायिक विकास में सहयोग और कृषि शोध को लेकर तीन समझौतों पर दस्तखत हुए। इसके अलावा भारत ने वहां स्कूलों के जीर्णोद्धार, गावों को गोद लेने और स्कॉलरशिप शुरू करने जैसी कुछ योजनाओं का ऐलान भी किया। यह अपने पड़ोसी और अतीत में गहरे सहयोगी रहे देश के पुनर्निर्माण में भारत का विनम्र योगदान है। लेकिन 2001 में तालिबान से मुक्ति के बाद से ही अफगानिस्तान को सबसे अधिक मदद देने वाले देशों में भारत भी शामिल है। इसलिए भारत की भौतिक मदद और भविष्य के लिए शुरू की गई योजनाओं पर हस्ताक्षर से इतर इस यात्रा के संदर्भों को समझने की कोशिश होनी चाहिए। भारत के लिए महत्वपूर्ण यह है कि अफगानिस्तान ने खुद को दक्षिण और मध्य एशिया के बीच सेतु बनने के लिए प्रस्तुत किया, तुर्कमेनिस्तान से भारत तक की गैस पाइपलाइन में योगदान की पेशकश की और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की जरूरत बताई। अफगानिस्तान के जरिए भारत मध्य एशिया के देशों के साथ

बेहतर संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने यह कहकर इसमें पेंच डाल दिया कि जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं निपटता है तब तक इस तरह के किसी संपर्क सूत्र के बारे में नहीं सोचा जा सकता। पर गैस पाइपलाइन के मामले में भारत के लिए सुखद बात यह है कि अमेरिका ईरान के मुकाबले तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन पर ज्यादा जोर दे रहा है। इसलिए अगर भारत इसके लिए तैयार होता है तो अफगानिस्तान के साथ-साथ अमेरिका की मदद भी उसे मिलेगी और ऐसे में पाकिस्तान का विरोध करना मुश्किल होगा। भारत की दूसरी कोशिश यह होनी चाहिए कि वह साझा संबंधों के नए सूत्र तलाश कर अफगानिस्तान में वास्तविक लोकतन्त्र की बहाली में योगदान करे। भारत को अफगानिस्तान की अमेरिकी शासन और सेना की जकड़बंदी से निकलने में मदद करनी चाहिए। भारत और अफगानिस्तान की एक और साझा लड़ाई आतंकवाद के मुद्दे पर होनी है। अभी अलकायदा का अस्तित्व बन हुआ है और तालिबान के शीर्ष नेता भी अफगानिस्तान के पहाड़ी बियाबान में भटक रहे हैं, कबीलों की लड़ाई भी शुरू हो गई है। ऐसे में अफगानिस्तान का पुराना इतिहास न दोहराया जाए, इसका ख्याल रखना होगा। भारत इस लड़ाई में मददगार हो सकता है बशर्ते कि नया अफगानी शासक अपनी जमीन से चलने वाली भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाए और वहां संचालित होने वाले आतंकवाद के अड्डे बंद करे। अफगानिस्तान ने सार्क का सदस्य बनने की इच्छा जताई है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का रुख सकारात्मक है। अगर अफगानिस्तान सार्क में आया और अपने विकास के लिए उस मंच से भारत के साथ सम्बन्ध सुधार दबाव पाकिस्तान पर बनाया तो यह भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। नवम्बर 2005 बांग्लादेश (ढाका) में आयोजित दक्षेस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका नया सदस्य बनाने का निश्चय किया गया। इससे भारत अफगानिस्तान सम्बन्धों में नये युग की शुरुआत होगी।

17
युद्धकालीन वित्त व्यवस्था
(WAR FINANCE)

किसी राष्ट्र की रक्षा क्षमता के आधारभूत तत्त्वों में सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व उसकी वित्त व्यवस्था होती है, जिसके अभाव में युद्ध में सफलता प्राप्त करना एक असम्भव-सा कार्य है। युद्धकाल में राष्ट्र के समस्त आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है। युद्धकालीन वित्त-व्यवस्था के अन्तर्गत यही प्रयास किया जाता है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो जिसके लिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ युद्धक महत्त्व की वस्तुओं को विश्व बाज़ार के द्वारा अधिक-से-अधिक मात्रा में जुटाना पड़ता है तथा इसके विपरीत शत्रु को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करने का यथा सम्भव प्रयास किया जाता है। बिना वित्त व्यवस्था के आधुनिक समय में युद्ध संचालन किसी भी दशा में सम्भव नहीं है, किसी भी लड़ाई को संचालित करने के लिए हथियारों तथा सैनिकों की आवश्यकता होती है, परन्तु वित्त व्यवस्था से ये दोनों चीज़ें जुटायी जाती हैं।

वित्त व्यवस्था की युद्धकालीन आवश्यकता एवं महत्त्व को ध्यान में रखते हुए जी० क्रोथर (G. Crowther) महोदय ने लिखा है—"**War now-a-days is more influenced by science of Economics than by art of strategy.**"

(आधुनिक युद्धकला की अपेक्षा वित्त विज्ञान (आर्थिक तत्त्व) से अधिक प्रभावित होता है।)

आधुनिक युद्ध का स्वरूप सम्पूर्ण होने के साथ-साथ आर्थिक या वित्त व्यवस्था पर अधिक निर्भर करने लगा है। किसी भी देश की रक्षा क्षमता उस देश की वित्त व्यवस्था पर निर्भर करती है। आधुनिक युद्धों में शत्रु को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे उसकी सैन्य व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाये। युद्धकाल में राष्ट्र के समस्त आर्थिक साधनों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि धन के अभाव में सफलता की कल्पना करना भी कठिन है। आर्थिक दृष्टि से जो देश विकसित नहीं होता, सैनिक दृष्टि से उसका शक्तिशाली होना बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि आधुनिक युद्धों को आर्थिक युद्ध (Economical War) कहा जाता है। ब्रिटिश वित्त मन्त्री **सर जॉन सीमन** (Sir John Simon) का यह कथन भी उल्लेखनीय है—

"Finance, as has sometimes been said is the fourth arm of defence, no less important than the other three, for if finance failed, then the prop that sustains the whole of our war effort would collapse."

(वित्त प्रतिरक्षा की चौथी भुजा है, अन्य तीन भुजाओं की अपेक्षा यह किसी भी प्रकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि वित्त असफल हो गया तो वह आधार ही टूट जायेगा, जिस पर हमारे समस्त युद्धकालीन प्रयास टिके हुए हैं।)

युद्धकालीन वित्त व्यवस्था से अभिप्राय युद्ध के लिए पर्याप्त मात्रा में धन जुटाने से है, ताकि आवश्यक सामग्री, साज-सामान एवं मानवीय शक्ति को सरलता से एकत्रित किया जा सके। युद्ध में सफलता उसी दशा में मिल पाती है, जबकि सुनियोजित एवं पर्याप्त वित्त कोष की व्यवस्था, वित्त के बिना न तो युद्ध की सामग्री जुटायी जा सकती है और न ही पर्याप्त खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है। जहां वित्त व्यवस्था विकास का एक ठोस आधार है वहां युद्ध संचालक की रीढ़ की हड्डी (Back-Bone) भी कहा जा सकता है।

यही कारण है कि राष्ट्र के सम्पूर्ण संसाधन युद्ध सामग्री के लिए गतिशील हो जाते हैं। युद्ध सामग्री जोकि सशक्त सेनाओं के लिए विशेष जरूरी होती है जैसे—संख्या, हथियार, गोला-बारूद, वायुयान, जलयान प्रक्षेपास्त्र, खाद्य-सामग्री, तेल तथा कपड़ा आदि। ये सभी वित्त व्यवस्था के माध्यम से जुटाये जाते हैं तथा इसके लिए आवश्यक होती है, एक सुनियोजित व सुव्यवस्थित वित्त आधार की। इसीलिए जनरल **जे० एफ० सी० फुलर** ने लिखा है कि—

"आधुनिक युद्ध रणक्षेत्र में न लड़े जाकर देश की खानों एवं कारखानों में लड़े जाते हैं।"

युद्ध के समय धन जुटाने के लिए अग्रलिखित महत्त्वपूर्ण विधियों का सहयोग सक्रिय रूप से रहता है—

(1) कर-व्यवस्था (Taxation)
(2) ऋण-व्यवस्था (Borrowing)
(3) मुद्रा-स्फीति (Inflation)
(4) ऐच्छिक चन्दा (Voluntary Contribution)

1. कर-व्यवस्था
(Taxation)

युद्ध के समय अतिरिक्त अर्थ-व्यवस्था जुटानी पड़ती है, क्योंकि ऐसे समय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ ही अन्य साधनों की ज़रूरत भी पड़ती है। युद्धकाल में देश के ऊपर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च की आपूर्ति के लिए कुछ वित्तीय स्रोतों अथवा उपायों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अचानक बढ़े हुए राष्ट्रीय व्यय को इसी के माध्यम से सम्भाला जाता है। यही कारण है, कि युद्ध के दौरान जनता पर और अधिक कर लगा दिया जाता है। यह कराधान शान्तिकाल के कराधान से पूर्ण रूप से भिन्न होता है। युद्धकाल में राष्ट्र केवल अधिक-से-अधिक धन जुटाने के लिए कराधान विधि को प्रमुख रूप से अपनाता है। युद्धकालीन अवस्था में करों की प्रकृति एवं नियमों को विशेष रूप से ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि शान्तिकाल में जो कर लगाये जाते हैं वे न्याय सिद्धान्त पर आधारित होते हैं। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, कि जीवनोपयोगी एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तुओं जैसे—नमक, दवाइयां, खाद्यान्न आदि को कर-मुक्त रखने का प्रयास किया जाता है, किन्तु युद्धकाल में इन वस्तुओं पर भी कर लगाया जा सकता है।

कर-व्यवस्था की मुख्य रूप से निम्नलिखित दो विधियां हैं—

(क) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)
(ख) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

प्रत्यक्ष कर में जनता की उपभोग की मात्रा में कटौती करने के लिए कर (Tax) प्रणाली का सहारा लिया जाता है जैसे—आयकर, सम्पत्तिकर, आयात तटकर (Import Tariff) तथा भूमि लगान आदि जबकि अप्रत्यक्ष कर सदैव आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर लगाया जाता है। कर-व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि—"**कर वह अनिवार्य अंशदान है, जोकि सार्वजनिक अधिकारी द्वारा लगाया जाता है और करदाता को इसके बदले में प्रत्यक्ष रूप से फायदा नहीं हो पाता है।**"

कर-व्यवस्था लागू करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, कि कर लगाने से सामाजिक अव्यवस्था न फैले। युद्ध के समय सरकार को अधिक-से-अधिक धन जुटाना पड़ता है, जिसके कारण करों का बोझ शान्ति काल में कर वंचित वस्तुओं पर भी डाल दिया जाता है। इसके साथ ही अनेक प्रकार के नये कर भी लगा दिये जाते हैं। प्रायः कर लगाते समय यह ध्यान रखा जाता है, कि लोगों पर सुविधा कर लगाया जाये, ताकि समाज के धनी वर्ग से कर वसूला जा सके, किन्तु युद्धकाल में समस्त जनता पर कर का बोझ लादना पड़ता है, अन्यथा बड़े व्यय को कोई राष्ट्र जल्दी बर्दाशत नहीं कर सकता।

अब हम कर प्रणाली के गुण-दोषों का संक्षिप्त में उल्लेख करते हैं—

विशेषतायें (Advantages)—(*i*) युद्धों के व्यय को अपने उपभोग में कटौती करके वर्तमान पीढ़ी वहन कर लेती है, भावी पीढ़ी को इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होना पड़ता।

(*ii*) विभिन्न आय वाले वर्गों में आनुपातिक बोझ बढ़ने के कारण सामाजिक अव्यवस्था नहीं फैलती।

(*iii*) कर व्यवस्था को अपनाने से मुद्रा स्फीति (inflation) नहीं हो पाती।

(*iv*) कर-प्रणाली लागू होने पर युद्ध के पश्चात् अर्थव्यवस्था तथा पुनर्निर्माण में परेशानी नहीं होती।

(*v*) युद्ध काल में नागरिकों में एकता व बलिदान की भावना उत्पन्न हो जाती है इससे जनता अधिक-से-अधिक आर्थिक सहयोग शासन को देती है।

(*vi*) अधिक कर होने के कारण अनावश्यक उपभोग की वस्तुओं में कटौती होती है जिससे युद्ध क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

दोष (Disadvantages)—(*i*) कर प्रणाली में धन या वित्त संचय करने में अनेक कठिनाइयां होती हैं क्योंकि इससे तत्काल धन की वसूली सम्भव नहीं होती है जबकि युद्ध में धन की तत्काल आवश्यकता होती है।

(*ii*) कर-प्रणाली द्वारा एक सीमा तक ही जनता से धन वसूला जा सकता है, उस सीमा से बाहर जा पाना सम्भव नहीं होता।

(*iii*) कर निर्धारण व उसको वसूलने में सरकार को अधिक समय एवं शक्ति लगानी पड़ती है।

(*iv*) युद्ध की असीमित व्यय की आपूर्ति के लिए केवल कर प्रणाली ही पर्याप्त नहीं होती है।

(*v*) अधिक कर होने पर सामाजिक अव्यवस्था फैलने की सम्भावनायें भी अधिक हो जाती हैं।

(*vi*) आधुनिक युद्ध अत्यन्त खर्चीला होता है, अत: केवल कर प्रणाली द्वारा आर्थिक आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकतीं।

उपरोक्त विशेषताओं एवं दोषों का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कि युद्धकालीन वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कर-व्यवस्था का सक्रिय सहयोग रहता है, इसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता है।

2. ऋण व्यवस्था (Borrowing)

युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने में सरकार के पास दूसरा उपाय ऋण-प्रणाली को अपनाना होता है। युद्ध में जितने धन की जरूरत होती है, वह केवल कर-प्रणाली से प्राप्त धन से ही काम नहीं चलता है। अत: सरकार को उधार या ऋण भी लेना पड़ता है। शान्तिकाल के कर्ज की तरह युद्धकाल में भी दो प्रकार से ऋण लिये जा सकते हैं—

(*i*) आन्तरिक ऋण (Internal Debt)

(*ii*) बाह्य ऋण (External Debt)

(*i*) आन्तरिक ऋण—आन्तरिक कर्ज़ या ऋण से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसके अन्तर्गत चालू बाजार ऋण पिछले ऋण भुगतान में सरकार को सक्षम नहीं बना पाते। वास्तव में सरकार को अपने चालू राजस्व घाटों को पूरा करने तथा पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए और नया ऋण लेना पड़ता है। अत: सरकार पर ऋणों का भार बढ़ता जाता है तथा सरकार के ऋण भुगतान दायित्वों में वृद्धि होती जाती है।

भारत सरकार के आन्तरिक ऋण 1950-51 में 2630 करोड़ रुपये थे जो बढ़कर 1990-91 में 154004 करोड़ रुपये हो गये। 1992-93 में बढ़कर 188019 हो गया। 1960 से 1980 के मध्य आन्तरिक ऋणों की वृद्धि दर 11.2 प्रतिशत वहां यह वृद्धि दर 25 प्रतिशत हो गयी है। सरकार की आगम प्राप्तियों तथा सार्वजनिक व्यय में तेज़ी से बढ़ते अन्तर के कारण आन्तरिक ऋणों में वृद्धि हुई है। भारत व चीन युद्ध के बाद 1963 में भारत ने अनिवार्य बचत योजना भी इसलिए की थी, ताकि साधन सरलता से जुटाये जा सकें।

इस प्रकार सरकार देश की जनता या विशिष्ट लोगों से कर्ज़ लेकर आन्तरिक ऋण के रूप में युद्ध के व्यय को वहन करती है।

(*ii*) बाह्य ऋण (External Debt)—यह ऋण वह कर्ज़ होता है जिसे सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से लेती है। इसे सरकार को शर्तों के आधार पर निश्चित समय व ब्याज की दर से लौटाना पड़ता है। यह ऋण विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्धों एवं उनकी नीतियों के आधार पर मिल जाता है। युद्धकालीन स्थिति में कोई भी विदेशी देश अच्छे सम्बन्धों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं होता है। 1993-94 में भारत पर बाह्य ऋण एक रुपये का तीन पैसे रहा है।

युद्धकालीन वित्त-व्यवस्था को जुटाने में ऋण व्यवस्था द्वारा सक्रिय सहयोग एवं तत्कालीन सहायता मिल जाती है। कुछ अर्थशास्त्री ऋण व्यवस्था को उत्तम मानते हैं तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी जोरदार आलोचना भी की है। एक समर्थक अर्थशास्त्री के अनुसार—**"वर्तमान युद्ध के व्यय की पूर्ति हेतु ऋण-प्रणाली सबसे उपयुक्त है क्योंकि इस ऋण का भुगतान आने वाली संतति को करना होता है।"**

आलोचना करते हुए लिखा है कि—

"वर्तमान युद्ध व्यय की पूर्ति हेतु भावी संतति पर कर्ज का बोझा लाद लेना पूर्णत: अनैतिक है, इस विधि में एक शिशु जन्म से पूर्व ही कर्जदार बन जाता है।"

इस प्रकार युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए ऋण व्यवस्था एक साधन तो है, किन्तु इसे अधिक महत्त्व देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक होगा।

3. मुद्रा स्फीति (Inflation or Creation of New Money)

युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने में जब सरकार कर प्रणाली तथा ऋण-व्यवस्था अपनाने के बावजूद निर्धारित

लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है तो उसे मुद्रा स्फीति या नयी मुद्रा का प्रसारण का सहारा लेना पड़ता है। नयी मुद्रा के बाज़ार में आ जाने के कारण मुद्रा का अवमूल्यन होने लगता है और बाज़ार में कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसके परिणामस्वरूप जनता की क्रय शक्ति में कमी आती है और उसके उपभोग में भी कटौती होने लगती है। यद्यपि इस प्रणाली के अपनाने से देश की अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है। मुद्रा-स्फीति को परिभाषित करते हुए केमरर (Kemmerer) महोदय ने लिखा है कि—

"When money is more in the quantity and things are less due to decreased production, then state is inflation." (जब धन मात्रा में अधिक बढ़ जाता है तथा वस्तुएं कम उत्पादन के कारण घट जाती हैं, तो उस स्थिति को मुद्रा-स्फीति कहा जाता है।)

एक विद्वान् **श्री ए० सी० पीगू** (A.C. Pigou) के अनुसार—**"जब मौद्रिक आय में वृद्धि की अपेक्षा उत्पादन अधिक हो जाता है तो मुद्रा-स्फीति नहीं होती। जब मौद्रिक आय में वृद्धि उत्पादन के बराबर है तो भी मुद्रा-स्फीति नहीं होगी और जब मौद्रिक आय में वृद्धि उत्पादन से अधिक है तब मुद्रा-स्फीति होगी।"**

युद्ध के समय सरकार अपनी निर्धारित बैंक को नयी कागज़ी मुद्रा छापने का आदेश दे देती है, जिससे स्वाभाविक रूप से मुद्रा प्रसार हो जाता है। यह विधि सरकार के लिए अत्यन्त सरल होती है, किन्तु इस नीति के साथ उसी मात्रा में मानक स्वर्ण मुद्रा का परित्याजन (त्यागना) भी जरूरी होता है। अधिक मुद्रा बाज़ार में आ जाने के कारण मूल्य वृद्धि के अनुपात में वेतन व मज़दूरी न बढ़ने के कारण जनता की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे सामाजिक असन्तोष एवं अव्यवस्था फैलने का डर रहता है। यही कारण है, कि नई मुद्रा का प्रसार एक निश्चित अनुपात में ही किया जाना चाहिए ताकि भारी मूल्य वृद्धि से बचा जा सके।

युद्धकालीन वित्त-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति द्वारा धन प्राप्ति के लिए दो निम्नलिखित प्रमुख उपाय हैं—

(1) कागज़ी मुद्रा के मुद्रण के द्वारा

(2) प्रतिभूतियां प्रकाशित करके

कागज़ी मुद्रा के मुद्रण के द्वारा राष्ट्र के भीतर खरीदने तथा बेचने की सुविधा प्रदान करने, उत्पत्ति से साधनों को प्रतिफल देने, वेतन, बोनस व भत्ते देने का काम किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियां प्रकाशित करके सरकार अपनी आय बढ़ाने या पैसा एकत्रित करती है। इसके लिए सरकार केन्द्रीय बैंकों एवं महत्त्वपूर्ण संस्थाओं से कर्ज लेती है। इन प्रतिभूतियों के आधार पर बैंक का विस्तारण होने लगता है जिससे मुद्रा प्रसार बढ़ जाता है।

विशेषतायें (Advantages)—(*i*) मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जिससे उपभोक्ता की वस्तुओं में कटौती हो जाती है। इस प्रकार बचत करके युद्धकालीन वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं।

(*ii*) युद्धकालीन अवस्था में इस प्रक्रिया के द्वारा शीघ्रता के साथ धन एकत्रित किया जा सकता है।

(*iii*) राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है क्योंकि उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होने की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं।

(*iv*) कर प्रणाली से करों की मात्रा बढ़ाने में सरलता हो जाती है।

(*v*) इस व्यवस्था से बहुत हद तक बेरोज़गारी की समस्या का समाधान हो जाता है।

दोष (Disadvantages)—(*i*) मूल्य वृद्धि के अनुपात में वेतन तथा मज़दूरी न बढ़ने के कारण साधारण जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे सरकार के प्रति असन्तोष की भावना बढ़ती है।

(*ii*) इस प्रक्रिया से केवल धनी वर्ग को लाभ मिलता है जबकि ग़रीब वर्ग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(*iii*) इस प्रणाली को अपनाने से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा जाती है।

(*iv*) मुद्रा प्रसार से देश में अव्यवस्था, असमानता, अन्याय, असन्तोष एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

(*v*) मुद्रा-स्फीति एक बार में ही पूरे राष्ट्र को खोखला कर देती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युद्धकालीन वित्त-व्यवस्था को जुटाने में जहां मुद्रा-स्फीति एक त्वरित या द्रुतगामी साधन है, वहां इसके दुष्परिणाम भी हैं, किन्तु यदि इसका एक निश्चित अनुपात में साधनों की पूर्ति तथा मज़दूरों की संख्या में नई मुद्रा के अनुपात में वृद्धि की जाये तो मूल्य वृद्धि का कोई कारण ही नहीं उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इस विधि का प्रयोग बड़ी सावधानीपूर्वक करना ही राष्ट्र के रक्षा एवं विकास के हित में होता है अन्यथा सामाजिक अव्यवस्था फैलने की सम्भावनाएं अधिक हो जाती हैं।

4. ऐच्छिक चन्दे
(Voluntary Contribution)

युद्धकालीन अवस्था में राष्ट्र के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं बलिदान भावना के साथ ही राष्ट्रीयता का विकास

तेज़ी के साथ होता है। इसी कारण से अपने राष्ट्र की शान एवं मर्यादा के लिए नागरिक त्याग के लिए तैयार रहते हैं। यद्यपि युद्ध की स्थिति में उपभोग की वस्तुओं में कटौती, करों का बोझ सहते हुए भी स्वेच्छा से राष्ट्र हित के लिए युद्ध कोष में चन्दा देकर सहयोग देते हैं। यद्यपि स्वेच्छानुसार नागरिकों के द्वारा दिया गया चन्दा आर्थिक सहयोग के साथ मानसिक एवं नैतिक सहयोग भी प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को देकर शक्तिशाली बनाता है, किन्तु इस प्रक्रिया से प्राप्त धनराशि सीमित होती है और जैसे-जैसे युद्ध की कार्यवाही आगे बढ़ने लगती है और जनता पर कर (Tax) का भार निरन्तर बढ़ता है तो इसके ऐच्छिक चन्दे में कमी आ जाती है। यही कारण है कि बहुत अधिक समय तक युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने के लिए इस स्रोत पर राष्ट्र निर्भर नहीं रह सकता।

अब हम संक्षिप्त में ऐच्छिक चन्दे प्रणाली का युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को बढ़ाने में विशेषताओं एवं कमियों का भी उल्लेख करते हैं जो इस प्रकार से हैं—

विशेषताएं (Advantages)—(*i*) राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्र प्रेम के साथ-साथ युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का सर्वोत्तम साधन है क्योंकि इससे जनता में असन्तोष नहीं पनपता है।

(*ii*) राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बलिदान की भावना को बढ़ावा मिलता है जिससे आर्थिक सहयोग के साथ नैतिक बल भी मिल जाता है।

(*iii*) इस प्रक्रिया का प्रभाव तेज़ी से होता है अत: संकट से निपटने के लिए जल्दी धन एकत्रित किया जा सकता है।

(*iv*) ऐच्छिक चन्दे से रुपये पैसे के साथ-साथ सोना व चांदी भी प्राप्त हो जाता है जिससे और अधिक सहयोग मिल जाता है।

(*v*) समाज पर ऐच्छिक चन्दे का किसी प्रकार का भी दबाव नहीं पड़ता है।

दोष (Disadvantages)—(*i*) ऐच्छिक चन्दे प्रणाली पर वित्त व्यवस्था अधिक समय तक निर्भर नहीं रह सकती।

(*ii*) युद्ध का समय लम्बा होने पर ऐच्छिक चन्दे में निरन्तर कमी आती जाती है, जबकि अधिक धन की आवश्यकता उस समय होती है।

(*iii*) युद्धकाल में कर का बोझ निरन्तर बढ़ने पर भी इसके स्रोत में कटौती होने लगती है।

(*iv*) इस प्रणाली से पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित कर पाना सरलता से सम्भव नहीं हो पाता है।

(*v*) यह स्रोत व्यापारिक रूप से उचित है, किन्तु सैद्धान्तिक रूप से कसौटी में खरा नहीं उतरता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युद्धकालीन व्यवस्था में वित्त व्यवस्था को जुटाने में ऐच्छिक चन्दे आर्थिक एवं नैतिक दृष्टि से राष्ट्र को सक्रिय सहयोग देते हैं, परन्तु इस स्रोत की अपनी परिसीमायें (Limitations) हैं इससे कभी भी नकारा नहीं जा सकता है।

इस प्रकार युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को राष्ट्रीय रक्षा व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है। आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से धन जुटाने के लिए कर-व्यवस्था लागू करके समानुपातिक बोझ डालकर कार्यवाही की जाती है जिससे सामाजिक अव्यवस्था नहीं फैलती है। ऋण व्यवस्था भी त्वरित सहायता का दूसरा साधन है किन्तु इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। मुद्रा स्फीति प्रणाली के द्वारा यथाशीघ्र धन व्यवस्था की जाती है किन्तु इसका प्रयोग सावधानी एवं समानुपातिक ढंग से ही किया जाना चाहिए। ऐच्छिक चन्दे से राष्ट्र को अधिक आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक बल मिलता है। उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर कह सकते हैं कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए यह स्रोत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

युद्धकालीन वित्त के प्रभाव
(Effects of War Finance)

यह सर्वविदित तथ्य है कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने के प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक रूप में देखे जा सकते हैं जो अपनी एक परम्परा कायम कर देते हैं। युद्ध के दौरान व्यापक आर्थिक हानि के साथ ही पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू करनी पड़ती है जिससे समाज पर दोहरा आर्थिक दबाव पड़ता है। शान्ति की स्थापना के साथ ही अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। युद्ध की स्थिति में राष्ट्र के सभी साधन युद्ध के प्रयत्नों में लगाने पड़ते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के मदों में आवश्यक कटौती करनी पड़ती है। इस प्रकार युद्धकालीन वित्त से विकास दर को बढ़ोत्तरी मिलती है, परन्तु भारी नुकसान के कारण इसकी क्षतिपूर्ति में भी बड़ा समय लगाना पड़ता है।

अब हम संक्षिप्त में युद्धकालीन वित्त के प्रभावों को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं—

(1) इसका प्रथम प्रभाव मुद्रास्फीति है और वह भी बढ़ती हुई कीमतों और बढ़ते हुए निर्वाह-खर्च (Cost of living) को अपनी प्रक्रिया के साथ है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत व चीन के अनुभवों से पता लगता है कि यदि मुद्रा स्फीति के प्रभाव पर शुरू में ही अंकुश नहीं लगाया गया तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(2) युद्ध के समय संसाधनों की लाभबन्दी (Mobilization) अधिकांश इसके प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यदि युद्ध देश की भूमि पर लड़ा जाता है तो युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त संस्थानों, कारखानों, भवनों एवं अन्य आवश्यक साधनों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यदि युद्ध में विध्वंस नहीं भी हुआ है तो भी युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को शान्तिकालीन वित्त व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए भी अनेक संस्थाएं आती हैं।

(3) युद्धकालीन वित्त व्यवस्था जुटाने के परिणामस्वरूप जनता के विकास एवं कल्याणकारी गतिविधियों में कटौती ही नहीं होती बल्कि वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और जीवन स्तर को उठाने वाले सभी आर्थिक साधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(4) युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने का एक प्रभाव यह भी पड़ता है कि अधिकांश राष्ट्रों पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ जाता है, जिसको चुकाने के उद्देश्य से सरकार को जनता पर कर (Tax) बढ़ाना पड़ता है, जिससे सामाजिक असन्तोष बढ़ने की सम्भावनायें रहती हैं।

(5) युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने के लिए उधार व शर्तों पर लिया गया पैसा एक सीमित अवधि में तथा एक निश्चित अनुपात में अदा करना पड़ता है, जिससे राष्ट्र के विकास कार्य ठप्प हो जाते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था निर्धारित करते समय सुनियोजित कार्यवाही एवं सुव्यवस्थित प्रणाली का विशेष महत्त्व है। इससे केवल शीघ्रता से धनापूर्ति ही नहीं करनी होती बल्कि युद्धोपरान्त परिणामों को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। यदि वित्त व्यवस्था के नियोजन में चूक होती है तो उसका वर्तमान स्थिति के साथ ही भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है युद्ध राष्ट्र के लोगों में ऐसी मनोवैज्ञानिक धारणा भी बनाता है, जिससे लोग त्याग, बलिदान एवं नैतिकता के आधार पर राष्ट्र के विकास में आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक सहयोग स्वत: देने लगते हैं। यही कारण है कि युद्ध के दौरान विनाश के साथ-साथ विकास की प्रक्रिया में तेजी आती है और लोग स्वत: ही अनावश्यक उपभोग की वस्तुओं में कटौती करके राष्ट्र हित में कार्य करने लगते हैं।

युद्धकालीन वित्त व्यवस्था से सम्पूर्ण राष्ट्र का ढांचा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अत: इसके निर्धारण एवं नियोजन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होता है कि रक्षा व्यवस्था बनाये रखने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाये रखा जा सके।

18

युद्ध की लागत
(COST OF WAR)

युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्र की समस्त शक्ति की परीक्षा होती है, क्योंकि इसमें केवल सम्बन्धित देश के सैनिक ही भाग नहीं लेते हैं, बल्कि नागरिक भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। समस्त नागरिक युद्ध-क्रिया में अपना सक्रिय सहयोग देकर राष्ट्र शक्ति को सुदृढ़ करते हैं। आधुनिक युद्ध को पूर्ण युद्ध (Total War) इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्र के समस्त स्रोत जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, औद्योगिक, तकनीकी तथा मनोवैज्ञानिक आदि सक्रिय भूमिका निभाते हैं। युद्ध में प्रयोग किये जाने वाले साधनों एवं उपकरणों के आधार पर ही युद्ध की लागत का अनुमान लगाया जाता है। युद्ध में दो तत्त्व मुख्य रूप से काम करते हैं—

(1) मानव शक्ति (Man Power)

(2) भौतिक शक्ति (Material Power) या धन शक्ति (Money Power) कठिन होता है, किन्तु धन शक्ति का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। यही कारण है कि युद्ध की लागत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है—

(अ) युद्ध की आर्थिक लागत (Economic Cost of War)

(ब) युद्ध की वास्तविक लागत (Real Cost of War)

(अ) युद्ध की आर्थिक लागत
(Financial Cost of War)

युद्ध की आर्थिक लागत से अभिप्राय यह है कि युद्ध आरम्भ होने के साथ ही उसकी समाप्ति तक युद्धक कार्यवाही के उद्देश्य से जो धन व्यय किया जाता है, वह ही युद्ध की आर्थिक लागत है। यहां एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, कि युद्ध एक अनवरत प्रक्रिया, है, जो सदैव चलती रहती है, तथाकथित शान्तिकाल भी युद्धकाल की तैयारी का समय होता है। अत: युद्ध की सही आर्थिक लागत पता कर पाना एक अत्यन्त कठिन कार्य है। युद्ध की लागत का प्रमुख रूप से अनुमान सेनाओं के संगठन, भोजन व्यवस्था, साज-सज्जा, गोला-बारूद, वेतन-भत्ते, परिवहन, व्यवस्था, संचार-साधन, रक्षा उद्योग एवं आवश्यक युद्ध सामग्री आदि पर किये जाने वाले खर्च से लगाया जाता है। रक्षा एवं युद्ध से सम्बन्धित इन सभी साधनों व पदार्थों पर होने वाले खर्च भी युद्ध की आर्थिक लागत के अन्तर्गत आता है। किसी भी राष्ट्र की युद्ध की तैयारी में तैनात प्रक्षेपास्त्र, लड़ाकू वायुयान, परमाणु पनडुब्बी, टैंक एवं तोप आदि का खर्च इतना अधिक बैठता है, कि इससे यदि विकास कार्य किये जायें तो प्रभाव व विकास स्थिति ही कुछ और हो जाये। इन सभी मामलों में किया जाने वाला व्यय युद्ध की लागत में ही आता है। इसके साथ ही युद्ध के दौरान भौतिक साधन भी समाप्त हो जाते हैं।

इस प्रकार युद्ध की आर्थिक लागत में वह सभी व्यय आ जाता है, जोकि युद्ध की तैयारी में युद्ध के दौरान तथा युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति में लगाया जाता है। इसी के आधार पर आर्थिक व्यय का एक आंकड़ा अनुमानित प्रस्तुत किया जाता है। आधुनिक युद्ध का स्वरूप यन्त्रीकृत हो जाने के कारण राष्ट्रों पर आर्थिक बोझ अधिक पड़ने लगा है। इसके साथ ही लम्बी मार की दूरी तथा भीषण व भयानक विनाशक क्षमता के कारण भौतिक हानि भी अधिक मात्रा में होने लगी है। इस सन्दर्भ में **जे० के० हार्सफील्ड** (J.K. Horsefield) ने अपनी पुस्तक "The Real Cost of the War" में लिखा है कि—

"युद्ध की आर्थिक लागत अपेक्षाकृत अधिक नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी यदि वे देश जो अपनी सेवाओं तथा सामान को शान्तिकाल में बनाये रखते हैं, युद्धकाल में उस सामान में कटौती करके, उसमें लगे व्यक्तियों की भी कटौती की जाती है। इसके साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति भी शान्तिकालीन उद्योगों के लिए जाते हैं—इसलिए नहीं कि वे युद्ध में लड़ेंगे, अपितु इसलिए कि वे युद्ध के हथियारों तथा सम्बन्धित गोला-बारूद का निर्माण करेंगे।"

आर्थिक आधार पर युद्ध की वास्तविक लागत का अनुमान लगाना एक जटिल समस्या है, क्योंकि आधुनिक युद्धों में अर्थ एक ठोस आधार है, किन्तु सब कुछ नहीं अत: अन्य सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखना होता है। मानवीय शक्ति को कभी नकारा नहीं जा सकता है।

युद्ध की लागत अधिक होने के कारण ही संसार के सभी राष्ट्रों का रक्षा व्यय इतना अधिक है कि यदि इसमें कुछ प्रतिशत ही कटौती कर दें तो राष्ट्र की अनेक विकास योजनाएं आरम्भ की जा सकती हैं तथा अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी एवं बीमारियों का हल सरलता से निकाला जा सकता है। सुरक्षा खर्च बहुत हद तक अनुत्पादक खर्च है, फिर भी दुनिया का हर देश अपनी कुछ राष्ट्रीय आय (G.N.P.) का विभिन्न अनुपात युद्ध की तैयारी में लगाता है। वर्ष 1989 की विश्व रिपोर्ट जारी की गयी। जो विभिन्न विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों की केन्द्रीय सरकार के कुल खर्च और रक्षा-खर्च का अनुपात बताती है--

क्रम संख्या	देश रक्षा व्यय	कुल खर्च का प्रतिशत (%)
(1)	बंगला देश	10 प्रतिशत
(2)	तंजानिया	15.8 प्रतिशत
(3)	युगान्डा	26.3 प्रतिशत
(4)	भारत	21.5 प्रतिशत
(5)	पाकिस्तान	29.5 प्रतिशत
(6)	श्रीलंका	9.6 प्रतिशत
(7)	इण्डोनेशिया	8.6 प्रतिशत
(8)	बर्मा (म्यांमार)	8.8 प्रतिशत
(9)	मिस्र (इंजिप्ट)	19.5 प्रतिशत
(10)	थाइलैण्ड	18.7 प्रतिशत
(11)	टर्की	11.4 प्रतिशत
(12)	मॉरिशस	0.8 प्रतिशत
(13)	सीरिया	34.9 प्रतिशत
(14)	दक्षिण कोरिया	27.3 प्रतिशत
(15)	युगोस्लाविया	55.1 प्रतिशत
(16)	इजराइल	30.1 प्रतिशत
(17)	अमेरिका	25.6 प्रतिशत
(18)	इंग्लैण्ड	12.9 प्रतिशत
(19)	ईरान	14.4 प्रतिशत
(20)	ऑस्ट्रेलिया	9.3 प्रतिशत

हथियारों के निर्यातक प्रमुख देश (2002-03) (मिलियन डॉलर में)

देश	डालर
अमेरिका	76083
इंग्लैण्ड	21136
रूस	15693
फ्रांस	7984
जर्मनी	4177

हथियारों के आयात करने वाले प्रमुख देश (मिलियन डॉलर में)

देश	डालर
दक्षिण अरब	23900
चीन	6900
मिश्र	5400
भारत	4300
ताइवान	4100

हथियारों की वैश्विक खरीदारी में लगातार तीसरे साल भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा जबकि चीन-भारत और पाकिस्तान ने हथियारों की खरीद में पश्चिमी एशियाई देशों को पीछे छोड़ दिया।

अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2003 में हथियारों की खरीदो-फरोख्त में 12 फीसदी की गिरावट आई। इस दौरान 2002 के 29.14 अरब डालर के मुकाबले कुल 25.6 अरब डालर के हथियारों की खरीद-फरोख्त हुई। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की इस रिपोर्ट में हथियारों की खरीदो-फरोख्त में इस गिरावट के लिए आर्थिक मन्दी को एक प्रमुख कारण बताया गया। इसके अनुसार आर्थिक मन्दी के चलते हथियार की खरीदारी करने वाले दुनिया के प्रमुख देशों ने मितव्ययता अपनायी जबकि धनी देशों ने नए हथियारों की खरीदारी की जगह पहले से मौजूद हथियारों का उन्नयन करने और उन्हें आधुनिक बनाने पर केन्द्रित किया। बहरहाल विकास की तमाम चुनौतियों के बावजूद हथियारों की ज्यादा खरीदारी विकासशील देशों ने ही की। पारम्परिक हथियारों के आपूर्तिकर्त्ता विदेशी हथियार बिक्री के लिए बुनियादी रूप से विकासशील देशों पर केन्द्रित करने का सिलसिला जारी रखा है।

उधर हथियार बेचने वाले देशों के रूप में विश्व हथियार बाज़ार पर अमेरिका और रूस का प्रभुत्व और दबदबा कायम है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 14.5 अरब डॉलर के हथियार बेच कर पहले मुकाम पर है। पिछले साल उसने 13.6 अरब डॉलर का हथियार बेचा था।

हथियारों की इस तिजारत में अमेरिका के मुकाबले रूस बहुत पीछे है। अमेरिका के 14.5 अरब डॉलर के मुकाबले में उसने महज़ 4.3 अरब डॉलर के हथियार बेचे हैं। जर्मनी तीसरे मुकाम पर है और उसने कुल 1.4 अरब डॉलर के हथियारों के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1996 से 2003 के दौरान पारम्परिक हथियारों की खरीदारी और हस्तान्तरण पर रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियारों की सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाला चौथा विकासशील देश रहा।

इराक और अफगानिस्तान में युद्ध की अमेरिका को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां बात आतंकी हमलों और खतरों के सन्दर्भ में नहीं हो रही है, बल्कि प्रसंग यह है कि इन दोनों जगह अमेरिका को कुल कितना खर्च करना पड़ रहा है। अनुमान है कि इन दोनों युद्धों पर अमेरिका का कुल खर्च 700 बिलियन डॉलर रहेगा और इस बोझ को उठाने के लिए करदाताओं को कर के भारी बोझ तले दबना होगा।

अमेरिकी कांग्रेस के बजट आफिस के अनुसार इन युद्धों पर अमेरिका अभी तक 314 बिलियन डालर खर्च कर चुका है और अनुमान है कि आने वाले दस वर्षों में उसे इन दोनों देशों में हालात अपने काबू में रखने के लिए 450 बिलियन डालर और खर्च करने होंगे।

इन दोनों युद्धों का संयुक्त खर्च पिछले साठ सालों में अमेरिका द्वारा किया गया सबसे अधिक सैन्य खर्च है। विशेष रूप से इराक में तो अमेरिका को काफ़ी अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। इसी के चलते अब बुश की अपनी पार्टी तक के कुछ सैन्य समीक्षक उनकी नीतियों की आलोचना करने लगे हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों देशों के युद्ध के यह भारी भरकम खर्च के असर भविष्य में अमेरिका के सैन्य निर्णयों को काफ़ी प्रभावित करेंगे। सीआईए के आतंक विरोधी दस्ते की पूर्व अधिकारी मिशेल शिउर कहती हैं, 'हम ओसामा को तो नहीं जीत पाए हैं, पर उसने ज़रूर हमें इतना घायल कर दिया है कि हम धीरे-धीरे मौत के मुंह में समा जाएं।' यहां मिशेल इन युद्धों से आए आर्थिक बोझ के सन्दर्भ में यह बात कह रही थी। मिशेल ओसामा का पता लगाने में जुटे दल की प्रमुख थी और सेवानिवृत्त होने के बाद वे क्लिंटन और बुश के प्रशासन की आलोचना करने वाली दो किताबें भी लिख चुकी हैं। रणनीतिक खर्चों और वित्तीय बजट का आकलन करने वाले वाशिंगटन स्थित एक संस्थान के अनुसार आज जो डॉलर का मूल्य है उसके हिसाब से कोरियाई युद्ध में 430 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे और वियतनाम युद्ध में यह खर्च 600 बिलियन डॉलर रहा था, जबकि इसी संस्थान के हालिया आकलन के अनुसार इराक और अफगान युद्धों का कुल खर्च 700 बिलियन डॉलर से भी अधिक तक पहुंचेगा। बुश के आलोचकों का कहना है कि इतना खर्च करने के बाद भी अमेरिका सुरक्षित होने के बजाय और असुरक्षित हो गया है।

बुश के एक प्रखर आलोचक और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर चक हेगल का कहना है व्हाइट हाउस ने 2003 में युद्ध के खर्च का जो अन्दाज़ा लगाया था वास्तविक खर्च उससे कहीं अधिक रहा है और यह खर्च अभी भी हो रहा है। इससे अमेरिका को अपनी जिन प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना था वो नहीं दे पा रहा है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि सरकार को जनता के हितों की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है न कि युद्ध पर ध्यान देने की।

प्रमुख देशों के रक्षा व्यय व सैन्य सन्तुलन

देश	व्यय राशि (जीडीपी %)	सैनिक (हज़ार में)
भारत	2.3	1,298
चीन	2.5	2,270
पाकिस्तान	4.7	620
बांग्लादेश	1.1	137
नेपाल	1.4	51
श्रीलंका	3.9	158
रूस	4.0	—
अमेरिका	3.4	1,414
ब्रिटेन	2.5	210
फ्रांस	2.5	260
जापान	1.0	240
जर्मनी	1.5	296

विश्व में जीडीपी का सर्वाधिक रक्षा व्यय (23.5) इरिट्रिया करता है।

***स्रोत :** यूएनडीपी रिपोर्ट, 2004*

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर अपनी आवश्यक विकास की कटौती करके रक्षा व्यय पर अधिक ज़ोर देता रहा है। वास्तविकता यह है कि युद्ध की आर्थिक लागत प्रत्येक देश की इतनी अधिक है कि कुल बजट का अधिकांश भाग हथियारों एवं आवश्यक रक्षा उपकरणों में लग जाता है। प्रक्षेपास्त्र, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, विमानवाहक पोत तथा टैंक आदि की कीमत इतनी अधिक होती है कि इससे युद्ध की आर्थिक लागत स्वाभावत: बहुत ज़्यादा हो जाती है।

आर्थिक लागत के साथ ही युद्ध में जो मानवीय तत्त्व भाग लेते हैं, उनकी लागत का आंकड़ा लगा पाना सरलता से सम्भव नहीं है। खाड़ी युद्ध में अमेरिका सहित अनेक राष्ट्रों ने ईराक पर आर्थिक दबाव डालकर युद्ध को रोकने के प्रयास किये, जो कि आज तक आर्थिक दबाव से घिरा है किन्तु इसके बावजूद उसने अमेरिका का ज़ोरदारी से मुकाबला मानवीय तत्त्व के आधार पर ही किया। वियतनाम से लम्बी अवधि तक आर्थिक एवं सामरिक कार्यवाही के बावजूद अमेरिका को अन्तत: शिकस्त उठानी पड़ी। *युद्ध की वास्तविक लागत में आर्थिक तत्त्व के अलावा मानवीय तत्त्वों को* भी आंका जाता है।

(ब) युद्ध की वास्तविक लागत
(Real Cost of War)

युद्ध की वास्तविक लागत से अभिप्राय है कि युद्ध में आर्थिक व्यय के साथ-साथ मानवीय, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक हानि को भी आंका जाना चाहिए, क्योंकि यह सभी युद्ध की अनिवार्य लागत है। युद्ध में कुछ मनोवैज्ञानिक मानवीय तत्त्व अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं, जिनका वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए त्याग, बलिदान, कष्ट, मनोबल तथा नैतिक चरित्र आदि ऐसे तत्त्व हैं, जिनका अनुमापन किसी भी मापक प्रणाली से नहीं किया जा सकता है, युद्ध के समय आर्थिक हानि सभी को उठानी पड़ती है, किन्तु इस दौरान उस राष्ट्र के नागरिकों का त्याग, बलिदान एवं सहयोगी भावना की परीक्षा होती है।

युद्ध के समय जहां सम्बन्धित राष्ट्रों के नागरिक अपनी उपभोग की वस्तुओं में कटौती करते हैं, वहां आर्थिक परिश्रम करके राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के प्रयास करते हैं। इसके बावजूद युद्ध में घायल व शहीद हुए सैनिकों व नागरिकों के परिवारों को जो मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है उसका मूल्यांकन मुद्रा के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन का आर्थिक आंकड़ा प्रस्तुत करना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव कार्य है। युद्ध की आर्थिक लागत का मूल्यांकन अर्थशास्त्री कर सकते हैं, किन्तु वास्तविक युद्ध की लागत का सही अनुमान लगाना भी कठिन होता है, मूल्यांकन तो दूर की बात है।

युद्ध के दौरान सैनिक व नागरिकों के बलिदान को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि उनके जीवन का महत्त्व समाज एवं परिवार में भी अलग-अलग रूप में होता है। एक व्यक्ति किसी स्त्री का पति है, किसी का पुत्र, किसी का भाई और किसी का मित्र जिसकी क्षतिपूर्ति पैसे से कभी भी नहीं की जा सकती है। जीवन अमूल्य निधि है। मृत्यु के बाद जीवन देना सम्भव नहीं है। अतः इसकी मूल्यांकन विधि हो ही नहीं सकती है। जीवन को नष्ट करना तो सरल है, किन्तु नष्ट जीवन को पुनर्जीवित करना किसी के भी वश में नहीं है। मानव के मस्तिष्क एवं भावना की कीमत नहीं लगायी जा सकती है।

युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें केवल आर्थिक हानि नहीं होती, बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र इसके प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। युद्ध से मानव एवं राष्ट्र की समस्त विकास प्रक्रियायें थम जाती हैं उसकी हानि का अनुमापन भी सम्भव नहीं है। युद्ध से जो प्राकृतिक हानि होती है, उसकी क्षति गणना भी सम्भव नहीं है। खाड़ी युद्ध (1991) के द्वारा जो प्राकृतिक पर्यावरण पर सल्फर-डाई-ऑक्साइड तथा कार्बन-डाई-ऑक्साइड के कण फैल गये और जलवायु को प्रदूषित कर चुके हैं, उनकी आर्थिक लागत कैसे ज्ञात की जा सकती है? प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मौतें हुईं उनकी लागत कैसे आंकी जा सकती है?

जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा एवं नागासाकी में नाभिकीय विस्फोट से जो महाविनाश हुआ और एक लम्बी अवधि तक इसके भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिले, जिन्हें आंकना सम्भव नहीं हो सकता है। मानवता वापस न लौटने के बिन्दु के कितना ज़्यादा करीब आ चुकी है। यदि आधुनिक युद्ध में नाभिकीय हथियारों का प्रयोग किया जाता है तो कल्पना उस नरक का और मानव प्राणी के अस्तित्व के नकार का अनुमान तक लगाने में पूर्णतः असमर्थ है। अतः मानवीय मूल्यों का आर्थिक आंकड़ा किसी भी हाकम में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि किसी कारण से नाभिकीय युद्ध छिड़ जाता है तो नाभिकीय युद्ध कोई समस्या छोड़ेगा ही नहीं। वार्ता की मेज़ पर बैठने वाला या युद्ध की वास्तविक लागत की बात करने वाला ही नहीं बचेगा।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, वास्तविक युद्ध की लागत का आंकड़ा प्रस्तुत कभी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें आर्थिक तत्त्व के साथ-साथ मानवीय, भौतिक एवं प्राकृतिक तत्त्व भी प्रत्यक्ष रूस से प्रभावित होते हैं उनको किसी भी मुद्रा के साथ मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है।

19

युद्धकालीन आर्थिक गतिशीलता
(ECONOMIC MOBILIZATION IN WAR)

युद्धकालीन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव सम्बन्धित देश की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है। इसी के कारण युद्ध के विरुद्ध आर्थिक संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करनी पड़ती है। आर्थिक गतिशीलता से अभिप्राय यह है कि आर्थिक अवस्था में इस प्रकार तेज़ी से बदलाव करना, कि शान्तिकाल में सम्बन्धित राष्ट्र की जनता दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वयं कटौती करने लगे तथा युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुओं का अधिक-से-अधिक उत्पादन तेज़ी से कर सके। युद्धकाल की असीमित आवश्यकताओं की यथासम्भव पूर्ति करने के लिए नये साधनों की व्यवस्था भी करनी होती है। युद्धकालीन आर्थिक गतिशीलता का संक्षिप्त में अर्थ है कि राष्ट्र के समस्त साधनों को सर्वांगीण रूप से युद्ध के उद्देश्य के लिए तेज़ी से जुटाना या गतिशीलता प्रदान करना है।

युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसकी आशंका से ही राष्ट्र इसके लिए आवश्यक साज-सामान एवं हथियार आदि आयात तथा उत्पादन आवश्यकता से अधिक करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही राष्ट्र की जो उत्पादक इकाइयां शान्त पड़ी होती हैं, उन्हें भी गति दे दी जाती है, ताकि आत्म-निर्भरता के साथ भावी परिस्थितियों से निपटा जा सके। युद्धकाल में वैसे ही स्फूर्ति या गति बढ़ जाती है क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से भी राष्ट्र अपने को तैयार करने में जुट जाता है। जबकि शान्तिकाल में शान्त व सुसुप्त-सी स्थिति में रहता है। युद्ध के समय राष्ट्र के सभी आर्थिक स्रोतों को गति प्रदान कर दी जाती है, ताकि संकटकालीन परिस्थितियों से सरलता के साथ निपटा जा सके। आज इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में केवल सैन्य शक्ति (Military Power) का सशक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस देश के पास आधुनिक हथियार व उपकरणों के साथ ही एक समृद्ध शस्त्रागार भी होना आवश्यक है। इन सबके लिए राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना आवश्यक है, जो कि अधिक उत्पादन से ही सम्भव है। इसी कारण **रॉबिन्स** (Robbins) ने लिखा है कि—

"From the economic point of view the making war is essentially a matter of command over-resources."

(आर्थिक दृष्टिकोण से युद्ध में आधुनिक साधनों की व्यवस्था गतिशीलता के सन्दर्भ में एक आवश्यकता है।)

युद्ध के समय आर्थिक गतिशीलता को हम संक्षिप्त में इस प्रकार से कह सकते हैं कि युद्ध की परिस्थिति में शान्तिकालीन उत्पादन केन्द्रों को भी और अधिक तेज़ करके युद्ध के लिए ज़रूरी वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया जाता है ताकि आवश्यकतानुसार वस्तुओं के पर्याप्त भण्डार बने रहें। युद्ध के दौरान आयात-निर्यात व्यवस्था पर भी बाधा पड़ जाती है, जिससे समस्या हो सकती है। इसी के उद्देश्य से युद्ध के दौरान सभी साधनों का अधिक उत्पादन तेज़ी के साथ उत्पादन, बन्द इकाइयों की शुरुआत तथा उपभोग की वस्तुओं में आवश्यकतानुसार कटौती करके स्थिति को अपने पक्ष में बनाने का प्रयास किया जाता है।

युद्ध के लिए साधनों को गतिशील बनाना
(Mobilizing the Resources for War)

प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के लिए अपने सभी साधनों को गतिशील बनाने का प्रयास करता है, ताकि युद्ध की सम्भावित प्रत्येक परिस्थिति उसके अपने पक्ष में रहे। इसके लिए राष्ट्र के आर्थिक, राजनैतिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा तकनीकी आदि सभी तत्त्वों को सक्रिय करना होता है। शान्ति के समय सभी व्यवस्थायें अपने ढंग से संचालित होती रहती हैं, किन्तु युद्ध की स्थिति में उन्हें अधिक क्रियाशील बनाने के साथ ही युद्ध के लिए आवश्यक उत्पादन में भी लगा दिया जाता है। **इस प्रक्रिया को ही युद्ध के लिए साधनों को** गतिशील बनाने की कार्यवाही कहा जा सकता है। युद्ध के समय किसी

देश द्वारा जिन संसाधनों को युद्ध की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गतिशील बनाना होता है उन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।[1]

(1) वास्तविक संसाधन (Real Resources)

(2) वित्तीय संसाधन (Financial Resources)

उपरोक्त तरीकों के अलावा युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनाने में प्रचार माध्यम तथा प्रतिबन्धित व व्यक्तिगत आयात का भी सहारा लिया जाता है।

1. वास्तविक संसाधन (Real Resources)

वास्तविक संसाधन के अन्तर्गत देश के वे भौतिक व मानवीय संसाधन आते हैं, जिन्हें युद्ध की वास्तविक आवश्यकताओं के रूप में आंका जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या श्री **ए० सी० पीगू** (A. C. Pigou) की अपनी पुस्तक 'Political Economy of War' में इस प्रकार से है—

"किसी देश के युद्ध के वास्तविक साधनों के अन्तर्गत उन लोगों की मानसिक तथा शारीरिक शक्ति, भूमि व खनिज संसाधन, उनकी भौतिक पूंजी जैसे-भवन, यन्त्र, मशीनरी, रेलवे तथा वस्तुओं के भण्डार, संगठन की क्षमता में लगी पूंजी तथा विदेशियों से अदायगी लेने के उसके नागरिकों के वैधानिक अधिकार सम्मिलित हैं।"

युद्ध की कुछ वास्तविक आवश्यकताएं हैं जैसे—सैन्य शक्ति, संगठन शस्त्रास्त्र, अनुशासन, मनोबल, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय भावना तथा खाद्य-सामग्री आदि जिन्हें शान्ति के समय राष्ट्रीय आय को बढ़ाने तथा विकास करने में लगाया जाता है, जबकि युद्धकाल में इन्हें सामरिक गतिविधियों के संचालन हेतु जुटाया जाता है। इसी कारण साधनों के आधार पर युद्ध को अपने पक्ष में करने का दृढ़ प्रयास किया जाता है।

आर्थिक युद्ध व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में वास्तविक संसाधन को इस प्रकार से जुटाते हैं—

(*i*) उत्पादन में वृद्धि करके

(*ii*) व्यक्तिगत उपभोग में कटौती करके

(*iii*) देश की चालू पूंजी को खाली करके

(*iv*) विदेशी राष्ट्रों से सामान उधार ले करके

(*v*) विदेशों में लगी पूंजी को बेच करके

(*vi*) नये उद्योगों की स्थापना करके

(*vii*) पुराने उद्योगों का नवीनीकरण करके।

(*i*) उत्पादन में वृद्धि करके—युद्ध के समय बढ़ती हुई आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए प्रत्येक राष्ट्र उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करता है। उत्पादन में वृद्धि उसी स्थिति में हो सकती है, जबकि नवीन तकनीकी का प्रयोग करके जनता स्वेच्छा से राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखते हुए कार्यवाही करती है। उत्पादन वृद्धि के लिए श्रम साध्य तो आवश्यक हैं, साथ ही उत्तम प्रशिक्षण, नवीन आविष्कार तथा वैज्ञानिक व्याख्या का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय भी बहुत हद तक उत्तरदायी होते हैं—

(क) बेकार पड़े संसाधनों को सक्रिय बना करके।

(ख) कार्यविधि में समय बढ़ाकर, रात व दिन पाली (Shift) शुरू करके तथा छुट्टियों में कटौती करके।

(ग) पेंशन शुदा लोगों को उत्पादन के लिए योग्यतानुसार पुनः काम में लगा करके।

(घ) श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण करके।

(ङ) उत्पादन तकनीकी का सुधार करके।

(च) श्रम कानून बनाकर हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा करके।

(छ) नये-नये अनुसन्धान करके देश की आय में बढ़ोत्तरी करके।

(ज) उत्पादक गतिविधियों में सुधार करके।

---

1. R.K. Lekhni-Public Finance Pages. 277-278 Delhi.

***(ii)* व्यक्तिगत उपभोग में कटौती करके**—युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं में कटौती भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सैनिक व नागरिकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं की खपत युद्ध के समय अधिक होने लगती है, जिसके लिए जरूरी हो जाता है, कि नागरिक ऐसी वस्तुओं के उपयोग में कमी करे। इसको दो प्रकार से लागू किया जा सकता है—

(अ) स्वेच्छा से कटौती करके।

(ब) अनिवार्य रूप से कटौती करके।

दोनों विधियों से युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि की जाती है। स्वेच्छा से जनता अपने देश के लिए तन, मन व धन सब कुछ देने को तैयार हो जाती है जबकि अनिवार्य रूप से कटौती के लिए जनता से धन वसूली कर (Tax) लगाकर, कन्ट्रोल, राशनिंग मूल्य वृद्धि, आवश्यक बचत तथा अतिरिक्त कर लगा करके की जाती है।

***(iii)* देश की जमा पूंजी को खाली करके**—युद्धकाल में आर्थिक अवस्था को गतिशील बनाने के लिए देश की पूंजीगत वस्तुओं को युद्ध कार्यों में प्रयोग करने के लिए अपने अधिकार में ले लेते हैं। इस कार्यवाही में कभी-कभी तो अचल सम्पत्ति को भी सरकार द्वारा अपने अधिकार में कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन ने भारत की अलाभकारी रेलों को उखाड़कर समुद्र पार भेजा था।

***(iv)* विदेशी राष्ट्रों से सामान उधार ले करके**—युद्ध के समय आर्थिक गतिशीलता बनाये रखने के लिये व अपनी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिये विदेशी राष्ट्रों से सामान उधार ले लिया जाता है। कुछ समय के लिए यह सामान विदेशों से लीज (Lease) तथा उपहार के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने अनेक सामान अपने मित्र देशों से U.S. Lend Lease योजना के अन्तर्गत लिये थे और कामनवेल्थ देशों ने इंग्लैण्ड को इसी उद्देश्य से उपहार दिये थे।

***(v)* विदेशों में लगी पूंजी को बेच करके**—युद्धकालीन स्थिति में आर्थिक गतिशीलता के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर देश अपने विदेशों में लगे उद्योगों को बेचकर उस पूंजी को उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैण्ड ने अपनी अमेरिका में लगी पूंजी को अमरीकी सरकार को ही बेचकर उन्हीं से युद्ध सामग्री खरीदी थी।

***(vi)* नये उद्योगों की स्थापना करके**—युद्धकालीन आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उन्हीं के अनुसार नये उद्योगों की स्थापना करना जहां आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाता है वहां आत्मनिर्भरता की ओर भी देश के कदम बढ़ते हैं। संकटकालीन परिस्थिति में दूसरे देशों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है और न ही उस माल की अधिक मात्रा में कीमत चुकानी पड़ती है।

***(vii)* पुराने उद्योगों का नवीनीकरण करके**—युद्ध के समय आर्थिक गतिशीलता बनाये रखने के लिए पुराने एवं बन्द पड़े उद्योगों का नवीनीकरण करके संचालित करना तथा उत्पादन में वृद्धि करना होता है। शान्ति के समय जो औद्योगिक संस्थान किसी कारण से औद्योगिक उत्पादन नहीं कर पाते, उन्हें युद्ध के समय नयी दिशा देकर उत्पादन योग्य बना करके अर्थव्यवस्था को नयी गति दी जाती है।

2. वित्तीय संसाधन
(Financial Resources)

युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में वित्तीय संसाधन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन साधनों के द्वारा युद्ध के दौरान देश पर पड़ने वाले आर्थिक व्यय की तत्काल आपूर्ति की जाती है। युद्ध की सामग्री तथा श्रम को अदा करने के लिए अर्थ की बेहद आवश्यकता पड़ती है। इस धन को जुटाने के लिए जनता पर आयकर, अतिरिक्त कर, लगान, अनिवार्य बचत योजना, मुद्रा स्फीति, राष्ट्रीय बॉण्ड चालू करना, सार्वजनिक ऋण, विदेशी मुद्रा स्फीति का संचय, विदेशी सहायता तथा नियन्त्रण व वितरण प्रणाली का सहारा लिया जाता है। इनका विस्तृत उल्लेख पिछले अध्याय वित्त संसाधन (War Finance) में किया जा चुका है।

अब हम संक्षिप्त में वित्तीय संसाधनों का उल्लेख करते हैं जो कि युद्ध के दौरान आर्थिक गतिशीलता बनाये रखने में प्रत्यक्ष रूप से अपना सक्रिय सहयोग देते हैं और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को त्वरित व ठोस आधार प्रदान करते ही इसके लिए निम्न साधनों का प्रयोग करते हैं—

(i) कराधान (Taxation)

(ii) ऋण प्रणाली (Borrowing)

(*iii*) मुद्रा स्फीति (Inflation)

(*iv*) ऐच्छिक चन्दे (Voluntary Contribution)

उपरोक्त वित्तीय संसाधन युद्ध अर्थव्यवस्था को मज़बूती ही नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि युद्धक गतिशीलता देकर राष्ट्र को सक्रिय एवं सशक्त सहयोग प्रदान करते हैं।

रक्षा व्यय में कटौती क्यों आवश्यक है ?

प्रत्येक राष्ट्र की सभी नीतियों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा-नीति मानी जाती है। उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक एवं विदेशिक नीतियां इस बात पर अधिक निर्भर करती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताएं किन सन्दर्भों में परिभाषित की गई हैं ? किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा वहां के सुदृढ़ सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे पर निहित होती है। रक्षा एक व्यापक शब्दावली है, जिसका सम्बन्ध प्रादेशिक अखण्डता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा आन्तरिक मान्यताओं की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने से भी है। राष्ट्रीय रक्षा के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तावित करने के प्रयास किए जाते हैं, जिसके आधार पर सम्भावित समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति प्राप्त की जा सके, वर्तमान परिवेश में इस शक्ति के रूप में शस्त्रास्त्रों के जो जखीरे जमा किए जा रहे हैं, वास्तव में यह अनुत्पादक व्यय ही है। इस सबके बावजूद प्रत्येक राष्ट्र अपने कुल राष्ट्रीय व्यय अथवा अपनी कुल राष्ट्रीय आय (जी० एन० पी०) का अधिकांश भाग हथियारों के रूप में व्यय करता है। रक्षा विशेषज्ञों का एक अनुमान है कि रक्षा-व्यय की मात्र एक प्रतिशत कटौती 1990 के दशक में भूख से निपटने के व्यापक कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा से भी अधिक हो सकती है।

यह सर्वविदित तथ्य होने के बावजूद संसार के विकसित एवं विकासशील राष्ट्र अपने रक्षा-व्यय में निरन्तर बढ़ोत्तरी करते जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बात पर भी सभी राष्ट्र ज़ोर देते हैं कि यदि रक्षा-व्यय पर थोड़ा-सा भी अंकुश लगा दिया जाए तो विकास की गति बहुत बढ़ सकती है। यद्यपि विकासशील राष्ट्रों के पास संसाधन बहुत सीमित होते हैं, फिर भी वे सुरक्षा जैसे अनुत्पादक मद में निरन्तर व्यय करते रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप जहां उन राष्ट्रों की जेबें खाली हो जाती हैं, वहीं उनकी अन्य विकास योजनाएं भी अधर में लटक रही होती हैं, अब हम विश्व विकास रिपोर्ट 1987 के आधार पर कुछ विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के कुल व्यय के रक्षा-व्यय के प्रतिशत का उल्लेख करते हैं—

भारत ने 21.5 प्रतिशत, पाकिस्तान ने 29.5 प्रतिशत, बांग्लादेश ने 10 प्रतिशत, श्रीलंका ने 9.6 प्रतिशत, बर्मा ने 8.8 प्रतिशत, मरीशस ने 0.8 प्रतिशत, तंजानिया ने 15.8 प्रतिशत, युगाण्डा ने 26.3 प्रतिशत, मिस्र ने 19.5 प्रतिशत, थाइलैंड ने 18.7 प्रतिशत, टर्की ने 11.4 प्रतिशत, जॉर्डन ने 30.3 प्रतिशत, सीरिया ने 34.9 प्रतिशत, दक्षिणी कोरिया ने 27.3 प्रतिशत, यूगोस्लाविया ने 55.1 प्रतिशत, ईरान ने 14.2 प्रतिशत, इज़राइल ने 30.1 प्रतिशत, इण्डोनेशिया ने 8.6 प्रतिशत, इंग्लैण्ड ने 12.9 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया ने 9.3 प्रतिशत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने 25.6 प्रतिशत व्यय रक्षा के मामलों में किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर अपनी आवश्यक विकास की कटौती करके रक्षा-व्यय पर अधिक ज़ोर देते हैं। अब इस बात पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने का समय आ गया है क्योंकि सुरक्षा के साथ ही मानवीय मूल्यों की अवहेलना करना भयंकर भूल होगी, इसलिए विकास की कटौती के स्थान पर रक्षा-व्यय में कटौती करके अपनी बुद्धिमत्ता एवं जागरूकता का परिचय प्रत्येक राष्ट्र को देना होगा, यद्यपि रक्षा-व्यय में कटौती की बात करना तो सरल है परन्तु इसको वास्तविक रूप प्रदान करना उतना ही कठिन है, जितना कि चूहों के लिए बिल्ली के गले में घण्टी बांधना। इस सबके बावजूद यदि संसार के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, शासक तथा आज का युवा-वर्ग इस बात को गम्भीरता के साथ लें तो इस कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बनाया जा सकता है, परन्तु इसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस ओर उठाए गए कदम हाथी के दांत की नीति पर आधारित न हों कि खाने के और तथा दिखाने के और। यही इस समस्या का सर्वाधिक नाज़ुक बिन्दु सदैव से ही रहा है, जिसका परिणाम कल्पना में दिखाई दिया है, वास्तविकता से इसका सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका है।

अब प्रश्न यह उठता है कि मात्र कुछ प्रतिशत रक्षा-व्यय की कटौती से मानवीय मूल्यों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, कि अनुत्पादक रक्षा-व्यय के स्थान पर मानव की अनेक कल्याणकारी योजनाओं को सरलता के साथ लागू किया जा सकता है। हम भूख के खिलाफ संघर्षरत सोवियत संघ, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि 14 देशों के विशेषज्ञों के विचारों का इस सन्दर्भ में उल्लेख करते हैं, जिनके आधार पर रक्षा-व्यय में मात्र एक प्रतिशत कटौती से हुई बचत का उपयोग दसवें दशक में भूख से निपटने के कार्यक्रम के लिए किया जा सकता

है। इन्हीं विशेषज्ञों ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा, 'सन् 2000 ई० से पूर्व दुनिया में भूख नहीं' की स्थिति पर 50 प्रतिशत काबू पाना सम्भव है। आज दुनिया में एक अरब लोग इतने निर्धन हैं कि उन्हें काम करने के लिए आवश्यक भोजन नहीं मिल पाता और इनमें से आधे तो इतने ग़रीब हैं कि उन्हें न्यूनतम गतिविधियों के लिए आवश्यक भोजन नहीं मिल पाता।

आज संसार के समस्त क्षेत्रों के विकास में हथियारों पर निरन्तर किया जाने वाला व्यय मुख्य समस्या है। इसी कारण लगभग एक अरब लोग भुखमरी और कुपोषण के शिकार हैं। जिसके फलस्वरूप 4 करोड़ लोग प्रतिवर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। एक अरब से अधिक लोगों को शुद्ध पेयजल अथवा प्राथमिक सेवाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। विश्व में 15 करोड़ बच्चे थका-थकाकर चूर कर देने वाली नौकरियां कर रहे हैं। लगभग 10 करोड़ बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं तथा 40 हज़ार बच्चे हर रोज मुख्यत: कुपोषण के कारण और प्राथमिक चिकित्सा सहायता के अभाव में दम तोड़ देते हैं। 50 करोड़ बच्चे दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 35 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इस समय विश्व भर में एक अरब से भी अधिक लोग निरक्षर हैं तथा इतने ही लोग बे-घरबार हैं। अकेले अमेरिका में ही लगभग 30 लाख लोगों का कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। एकीकृत जर्मन में 5 लाख से भी अधिक लोग झुग्गियों, झोंपड़ियों में जीवन-यापन करते हैं जबकि 3 लाख लोग बे-घरबार भटक रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र बाल कल्याण कोष के कार्यकारी निदेशक जेम्पी पी० ग्राण्ट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1989 में कहा है, कि विकासशील देश प्रतिदिन कुल मिलाकर एक अरब डॉलर (लगभग 17 अरब रुपए) व्यय करते हैं, जिनका आधे से अधिक भाग हथियारों और ऋण सेवाओं पर व्यय होता है। हथियारों और ऋण सेवाओं पर इतना अधिक व्यय होने से विकासशील देश के प्रत्येक परिवार को हर वर्ष लगभग 400 डॉलर (6800) रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है जिससे उन्हें मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं और पौष्टिक आहार से वंचित होना पड़ता है। इसी कारण मानवीय समस्याओं का समाधान अभी तक सही रूप में नहीं किया जा सका है।

यह एक ढांचा है—हमारे आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी युग के संसार का, फिर भी हम सभी उस विनाश की अन्धी दौड़ की ओर लगातार अपनी मजबूरी मानकर बढ़ते जा रहे हैं। अब यदि इस अन्धी दौड़ पर अंकुश न लगाया गया तो मानवीय समस्याएं इतनी जटिल हो जाएंगी, जिनको हल करना सम्भव न हो सकेगा तथा हमारे लिए यह सबसे बड़ा अभिशाप भी होगा। अब केवल महाशक्तियों को ही केवल इस ओर पहल नहीं करनी है, बल्कि संसार के सभी राष्ट्र एकजुट होकर आन्तरिक भावना के आधार पर आगे बढ़ें, पहल करें और नियन्त्रण रखें तभी मानवीय मूल्यों की रक्षा का उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा। यद्यपि इस समस्या के समाधान हेतु अनेक समस्याएं भी आएंगी, परन्तु मानवीय मूल्यों की रक्षा का उद्देश्य इतना मज़बूत बनाएं कि सभी समस्याएं इसके सामने बोनी नज़र आएं, तभी इस कल्पना को साकार रूप दिया जा सकेगा।

अब कुछ प्रमुख समस्याओं का भी उल्लेख करना उचित होगा, जोकि रक्षा-व्यय के मामलों में बाधा के रूप में आती हैं—विकासशील राष्ट्रों के सम्बन्ध में यह सही पता करना बहुत कठिन हो जाता है कि सुरक्षा के मद में किसके द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है? उसको वास्तविक कितने व्यय की आवश्यकता है तथा कितनी वृद्धि प्रतिवर्ष वास्तव में की जा रही है? क्योंकि इस सभी मामलों में विशेष रूप से गोपनीयता अपनाई जाती है? कोई भी व्यक्ति यदि इन रक्षा मामलों को उजागर करता है तो उसे देशद्रोही माना जाता है। उसका इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ मान लिया जाता है। इस कारण कोई भी राष्ट्र तथा नागरिक इस ओर पहल करने में कतराता नज़र आता है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय: सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्' को अपना आधार मानकर मानवता के प्रति अटूट प्यार रखने वाले संसार के सभी जागरूक बुद्धिजीवी एवं शासक इस कदम को उठाएं, तो दुनिया की सभी सरकारें इस पर अमल करने के लिए बाध्य होंगीं।

पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने इस ओर पहल करके न केवल विश्व शान्ति की स्थापना कायम करने के लिए अनेक व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, बल्कि मानवता का सच्चा पुजारी प्रमाणित करने का प्रशंसनीय प्रयास भी किया है। पूर्व सोवियत संघ ने अपनी परम्परागत सेवाओं में भी उतनी सीमा तक कटौती आरम्भ कर दी है जितनी उसकी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। सोवियत संघ का एक सुझाव 'वारसा सन्धि संगठन' के देश तथा 'नाटो' के सदस्य अपनी प्रतिरक्षा शक्ति में कटौती करें और अपनी सैनिक शक्ति में 10 लाख की कमी करें। इस कटौती के पश्चात् वारसा एवं नाटो देशों में से प्रत्येक सैनिकों की संख्या 13,50,000, सामरिक परिवहन विमान 47000, हेली कॉप्टर-19000 टैंक-20000, तोपें-22000 तथा लड़ाकू परिवहन गाड़ियां-28000 करें। विगत नवम्बर तक अपनी सशस्त्र

1. प्रतियोगिता दर्पण (हिन्दी मासिक) जनवरी 91 में लेखक का प्रकाशित लेख

सेनाओं में सोवियत संघ ने 3,35,500 सैनिकों की कमी करके अपनी शान्तिप्रियता का पक्का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। वर्ष 1991 तक सोवियत संघ ने अपनी नौसेना में भी भारी कटौती करने की घोषणा की थी, जिसमें प्रक्षेपास्त्रों से युक्त पनडुब्बियों तथा जंगी जहाजों, बेड़ों पर प्रतिबन्ध लगाकर बाल्टिक क्षेत्र में व्याप्त तनाव को कम करने के लिए भी वचनबद्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने तथा मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए उठाए गए सराहनीय कदमों के लिए वर्ष 1990 का नोबेल शान्ति पुरस्कार मिखाइल गोर्बाचोव को दिए जाने की घोषणा की गई है जोकि शान्ति, सुरक्षा एवं विकास से मानव कल्याण के लिए उल्लेखनीय कदम है।

नाटो के महासचिव की मास्को यात्रा तथा सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव को नाटो के मुख्यालय ब्रूसेल्स द्वारा आमन्त्रित किया जाना भी इस दिशा के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। जुलाई 1990 के पूर्वार्द्ध में लन्दन में हुई अपनी महत्त्वपूर्ण बैठक में नाटो देशों ने यूरोप में अपने आण्विक एवं परम्परागत हथियारों को कम करने की घोषणा की थी और साथ ही यह प्रस्ताव रखा कि वारसा सन्धि के देशों के साथ उनका कोई टकराव नहीं है। वारसा एवं नाटो के सदस्य देश एक-दूसरे के साथ अपने राजनीतिक सम्बन्ध स्वतन्त्र रूप से स्थापित कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नाटो के संगठन द्वारा तेज़ी से परिवर्तन का प्रमुख कारण सोवियत संघ की उदार-हृदय से रक्षा व्यय में कटौती है, जिसने विश्व शान्ति के लिए एक नवीन दिशा दी है, नाटो एवं वारसा सन्धि संगठनों का मिलन वास्तव में विश्व शांति के लिए एक सराहनीय कदम है। यही कारण है कि अमेरिका भी अब सामरिक कटौती की ओर झुकने के लिए मज़बूत होने लगा है और उसने अपने कदम इस ओर बढ़ाने शुरू किए हैं, जोकि निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है।

भारत ने भी रक्षा-व्यय में कटौती करके अपने को मानवता का अटूट पुजारी प्रमाणित करने की पहल की है। इसी कारण सर्वप्रथम हथियारों की होड़ को रोकने के लिए तथा मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए इस पहल का स्वागत ही नहीं किया, बल्कि इसे अमलीजामा पहनाने का अथक प्रयास किया है। भारत सरकार ने वर्ष 1989-90 में अपने रक्षा व्यय में 200 करोड़ रुपए की कटौती की, चाहे यह कटौती कम भले ही हो, परन्तु एक सराहनीय प्रयास अवश्य ही है। विगत वर्ष के रक्षा बजट 13200 करोड़ रुपए से हम 13000 करोड़ रुपए तक ले आए और इस प्रकार 1988-89 में केन्द्रीय बजट का 17.4 प्रतिशत का हमारा सुरक्षा व्यय 1989-90 में घटकर 15.8 प्रतिशत तक पहुंच गया जिससे तनावरहित विश्व की संरचना में एक सक्रिय सहयोग शुरू होने का शुभ संकेत अवश्य ही मिल गया है।

इस प्रकार भारत के रक्षा-व्यय की कटौती के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यदि संसार के सभी राष्ट्र इसी प्रकार आन्तरिक भावना से कदम उठाएं तो अपने राष्ट्र को कमज़ोर किए बिना ही रक्षा-व्यय में कटौती करना सम्भव है। इस पहल की केवल राष्ट्रीय विकास कार्यों में प्रगति ही नहीं आएगी, बल्कि मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अध्याय आरम्भ हो जाएगा। मानवता के हम सभी सहयोगी तभी सही अर्थों में सिद्ध हो सकेंगे। जर्मनी का एकीकरण, नाटो का बदलता स्वरूप और नए आयाम भी इस दिशा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।

अब वक्त आ गया है कि इस ओर संसार के सभी राष्ट्र अपनी आन्तरिक भावना के आधार पर आगे आएं और दुनिया में व्याप्त कुपोषण, भुखमरी, अशिक्षा, अस्वस्थता, बेरोज़गारी, खाद्य-आपूर्ति, आवासीय निर्माण समस्याओं का एकजुट होकर मुकाबला करें, तो वह दिन दूर नहीं कि इस पृथ्वी को स्वर्ग का साकार स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा। इस बात के लिए पहल करने के साथ-साथ निरन्तर आगे बढ़ने का भी समय आ गया है ताकि संसार के सामने जो मानवीय समस्याएं खड़ी हैं, उनका निवारण सरलता के साथ किया जा सके। इसके साथ ही मानव-विकास का एक नया कार्यक्रम विश्व-पटल पर रखा जा सके।

अतः रक्षा-व्यय की कटौती को आवश्यक मानकर मानवीय-मूल्यों की रक्षा करना हम सभी के लिए अत्यन्त सुखदायी सिद्ध होगा क्योंकि मात्र कुछ रक्षा-व्यय कटौती, जहां राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर नहीं होती, वहां हमारी मानवीय सम्पदा की सुरक्षा व्यवस्था अवश्य ही सुदृढ़ हो जाती है। महाशक्तियों के साथ ही विकसित एवं विकासशील राष्ट्र भी अपने स्वार्थों को छोड़कर यदि मानव-कल्याण के इस विशाल कार्यक्रम पर आगे बढ़ें, तो मानवता का भविष्य अवश्य ही उज्ज्वल होगा।

20

भारत-पाकिस्तान का तुलनात्मक रक्षा बजट
(COMPARATIVE DEFENCE BUDGET OF INDIA AND PAKISTAN)

भारत एवं पाकिस्तान के रक्षा बजट के अध्ययन के पूर्व दोनों देशों की सामरिक स्थित का उल्लेख करना भी आवश्यक है। पाकिस्तान भारत का वह कटा हुआ हिस्सा है, जो कट कर भी पूरी तरह से अलग नहीं हो पाया है। दोनों देशों की दुश्मनी उस नासूर की तरह है, जो ठीक होने का भ्रम तो पैदा करता है किन्तु उसका रक्त स्राव अचानक ही शुरू हो जाता और अनेक बार तो भयंकर रूप भी ले लेता है। वर्ष (12 जुलाई, 1994 को पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक श्री वी० एस० चौहान को पीटे जाने तथा उन्हें झूठे मामले में फंसाकर आरोपित करने का घृणित अपराध किया। अमरीकी आकाओं के हाथों में खेलना पाक की पुरानी आदत है, फिर उसने इस्लामी राष्ट्रों की राजनीति के सूत्र भी पकड़े हैं, ऐसे में पाकिस्तान चाहता है, कि वह लगातार ऐसी हरकतें करे जिससे भारत उत्तेजित होकर कोई ऐसी प्रतिक्रिया करे जिसके आधार पर वह अपने आकाओं को गुहार लगाये। पाकिस्तान जानता है कि भारत बातचीत द्वारा समस्या का हल निकालने का समर्थक है, इसलिए पाक सभी बातचीत के रास्तों में रोड़ा लगाने की फिराक में बना रहता है।

भारत-पाक विभाजन वैमनस्यता के आधार पर हुआ था, जिसके कारण आज भी पाक के मिज़ाज भारत से मेल नहीं खाते। पाकिस्तान की ईर्ष्या भावना ने उसे हरदम भारत के प्रति नापाक हरकतें करने को मज़बूर किया है। भारत को अपना असली प्रतिद्वंदी मानकर ही उसने अपना रक्षा-व्यय तेज़ी से बढ़ाया और स्वतन्त्रता के बाद भारत पर चार बार 1948, 1965, 1971 तथा 1999 में आक्रमण भी किये। यद्यपि इन चारों आक्रमणों में उसे मात खानी पड़ी, किन्तु उसकी भारत के प्रति कटुता निरन्तर बढ़ी है, कभी भी कम नहीं हुई है, इसके लिए पाक की शासन व्यवस्था भी बहुत हद तक उत्तरदायी है क्योंकि वहां के शासक अपनी कुर्सी तभी तक सुरक्षित अनुभव करते हैं, जब तक भारत-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहते हैं।

पाकिस्तान में सेना की अहम भूमिका सदैव से ही रही है। पाकिस्तान में अब तक जिसने राष्ट्र का पद संभाला है वे या तो सेना के अधिकारी रहे हैं अथवा उनके निर्वाचन में सेना की प्रमुख भूमिका रही है। पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु और लियाकत अली की हत्या के बाद में सन् 1951 से सैनिक तानाशाही का एक ऐसा दौर चला कि देश की ताकत सैनिक गुट तक सिमटकर रह गयी। पाकिस्तान के सेनाधिकारी भी देश में इस तरह की स्थिति नहीं लाना चाहते जिससे देश की वास्तविक शासन सत्ता उनके हाथों से निकल कर नागरिकों के हाथों में संक्रेदित हो जाये। यही कारण है, कि पाकिस्तान का रक्षा-बजट भारत विरोधी हौवा खड़ा करके निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है और अमरीकी कुचक्र में फंसना उसकी राजनयिक मजबूरी बन चुकी है। आतंकवादियों के बढ़ते प्रभाव के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गयी है। यही कारण है कि कभी चीन तथा कभी अमेरिका के आगे बाहें फैलाने को मज़बूर रहता है। चीन व अमेरिका दक्षिण एशिया में एक सामरिक आधार एवं सहयोगी बनाये रखने के उद्देश्य से ही पाकिस्तान को अपनी आर्थिक एवं सैनिक सहायता देते रहते हैं।

रक्षा बजट की तुलनात्मक व्याख्या करने से पहले यह ज़रूरी है कि दोनों देशों की सामरिक स्थिति की मीमान्सा की जाये।

सैन्य ताकत के रूप में भारत का पलड़ा निश्चित रूप से पाकिस्तान से भारी पड़ता है जैसा कि आगे दिये गये आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही चूंकि भारत पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़ा देश है, यथा भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में हवाई अड्डे और बंदरगाह भी कई गुना हैं जो युद्ध के समय अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पाकिस्तान के पास मात्र दो बंदरगाह हैं और ऐसे में यदि पाकिस्तान से कई गुना सशक्त भारतीय नौसेना इन दोनों बंदरगाहों को घेर ले तो पाकिस्तान के लिए बाहरी सहायता लेने में काफ़ी कठिनाई होगी और वह अलग-थलग पड़ जाएगा।

आर्थिक और सामाजिक रूप से जो आंकड़े हैं उनके अनुसार पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता है। दोनों पर लदे विदेशी कर्जे को देखने से स्पष्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रति व्यक्ति कर्ज बहुत ही ज्यादा है और वह युद्ध के बाद कर्ज के बोझ को शायद ही झेल पाये। सकल घरेलू उत्पाद और उस नज़रिये से विदेशी कर्ज की सेवा में होने वाले खर्च के बोझ को भी युद्ध के बाद पाकिस्तान उठाने में शायद ही सक्षम होगा। भारत अभी भी अपनी सकल घरेलू उत्पाद का जो हिस्सा सैन्य मद में खर्च करता है, वह पाकिस्तान की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में भारत आसानी से इस खर्च को बढ़ाकर सैनिक साजो सामान को बढ़ा सकता है जबकि पाकिस्तान के लिए यह कदम उसे आर्थिक अराजकता की ओर ले जाने वाला होगा।

भारत एवं पाकिस्तान के तुलनात्मक रक्षा बजट की समीक्षा करने के पूर्व ज़रूरी है कि दोनों देशों की सैन्य शक्ति का उल्लेख किया जाये—

वर्ग	**भारत**	**पाकिस्तान**	**कौन बेहतर ?**
(सैन्य ताकत के लिहाज से)			
कुल सशस्त्र बल (लाख)	11.75	5.87	भारत
कुल अर्द्धसैनिक बल (लाख)	51.93	14.40	भारत
कल सुरक्षित बल (लाख)	11.10	5.13	भारत
मुख्य लड़ाकू टैंक	4500	2120	भारत
तोपखाना	4175	1590	भारत
विमान रोधी तोपें	2400	2000	भारत
लड़ाकू विमान	772	410	भारत
लड़ाकू हेलीकॉप्टर	32	20	भारत
पनडुब्बियां	19	9	भारत
विमान वाहक पोत	1	0	भारत
विध्वंसक नौकाएं	6	2	भारत

दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और इसके बारे में वर्तमान में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। इस बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़ा मौजूद नहीं है।

अन्य कारक	**भारत**	**पाकिस्तान**	**कौन बेहतर ?**
क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	3287590	803940	भारत
आबादी (करोड़ में)	102.50	13.81	भारत
आबादी घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर)	304.34	171.84	पाकिस्तान
जल क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	314400	25220	भारत
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (अरब डालर)	427	61.5	भारत
सकल प्रति व्यक्ति उत्पाद (डालर)	440	470	पाकिस्तान
सकल घरेलू निवेश (प्रतिशत जीडीपी)	23.60	17.10	भारत
सकल घरेलू बचत (प्रतिशत जीडीपी)	20.90	12.70	भारत
विदेशी कर्ज (अरब डालर)	98.23	32.22	भारत
कर्ज सेना अनुपात (निर्यात व सेवा प्रतिशत)	20.60	23.60	भारत
विदेशी निवेश 1998 में (अरब डालर)	2.25	0.49	भारत
सरकारी खर्च (प्रतिशत जीडीपी)	14.40	21.40	भारत
सरकारी घाटा (प्रतिशत जीडीपी)	5.20	6.30	भारत
सैन्य खर्च (प्रतिशत जीडीपी)	2.10	4.20	भारत
शिक्षा पर खर्च (प्रतिशित जीडीपी)	3.20	2.70	भारत
साक्षरता (प्रतिशत)	62.70	45.00	भारत
महिला साक्षरता (प्रतिशत)	45.50	28.90	भारत
रेलवे लाइन (किलोमीटर)	62915	8163	भारत
हाइवे (किलोमीटर)	3319644	224774	भारत
बंदरगाह	7	2	भारत

अन्य कारक	भारत	पाकिस्तान	कौन बेहतर ?
हवाई अड्डे	341	116	भारत
हेलीपोर्ट	17	7	भारत
टीवी स्टेशन	562	22	भारत
रेडियो स्टेशन	306	47	भारत
प्रति हजार व्यक्ति टेलीविज़न	69	88	पाकिस्तान
प्रति हज़ार व्यक्ति कंप्यूटर	**3**	**4**	**पाकिस्तान**
प्रति हज़ार व्यक्ति इंटरनेट	**0.01**	**0.02**	**पाकिस्तान**
प्रति हज़ार व्यक्ति टेलीफोन	22	19	भारत
प्रति हज़ार व्यक्ति सेल्यूलर फोन	1	1	बराबर
रेडियो सेट (करोड़ में)	11.10	1.02	भारत
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत (किलोवाट)	482	410	भारत
प्रति व्यक्ति कागज की खपत (किलोग्राम)	2.20	1.40	भारत
स्वास्थ्य से वंचित लोग (प्रतिशत आबादी)	25	15	पाकिस्तान
प्रति लाख व्यक्ति पर डॉक्टर	48	52	पाकिस्तान
औसत आयु (साल में)	62	64	पाकिस्तान
जन्म दर	3.10	4.60	-
सिगरेट की खपत (ग्राम में)	117	562	भारत

(ज्यादातर आंकड़ें संयुक्त राष्ट्र, संघ की एजेंसियों और सीआईए की साइट से लिये गये हैं। संभव है कुछ आंकड़े एक से दो वर्ष पुराने हों)

स्थलसेना (Army)

भारत

जवान	11 लाख
सुरक्षित सुरक्षा बल	10 लाख
मुख्य लड़ाकू टैंक	
टी72एमआईअजेय	2000
विजयंत	1800
टी-55	700
अर्जुन	50
कुल	4500
सैन्य वाहन	
बीएमपी1 सारथ	700
बीएमपी2 सारथ	1000
बीटीआर-50-,60, ओटी-62 व 64	700
तोपखाना	
105 मीमी अबोट	110
130 मीमी विजयंत	170
75 मीमी होवित्जर	900
105 मीमी आईएफजी/एलएफजी	1300
122 मीमी डी30 होवित्ज़र	550
130 मीमी एम46 फील्ड गन	1600
155 मीमी बोफोर्स	410
122 मीमी बीएम-21	150
कुल	**6500**

पाकिस्तान

जवान	5.65 लाख
सुरक्षित	5.26 लाख
मुख्य लड़ाकू टैंक	
टी-80 यूडी	320
टी85एपी	200
टी-55	51
टी-67	250
टी-59	1200
कुल	**2020**
सैन्य वाहन	
एम 113	820
बीटीआर 70	120
तोपखाना	**1740**

(पाकिस्तान के पास 105, 150, 255 मीमी के सेल्फ प्रोपेल्ड और होवित्जर तोपें हैं। पर इनकी अलग-अलग संख्या के बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास 85 और 122 मीमी की तोपें भी हैं। उसके पास 240 तोपें ऐसी हैं जिन्हें दूसरे वाहनों के साथ भी जोड़ा जा सकता है।)

वायुसेना (Airforce)

भारत

विमान	संख्या	भूमिका
सुखोई 30 एमकेआई	50	आक्रमण/लड़ाकू
मिग 29	68	लड़ाकू
मिग 29 यूबी	7	प्रशिक्षण
जगुआर आई एस	85	हमलावर
जगुआर आईटी	14	प्रशिक्षण
जगुआर आईएम	7	नौसेना हमलावर
मिराज 2000	38/7	लड़ाकू/प्रशिक्षण
मिग 27 फ्लॉगर	160	हमलावर
मिग 23 बीएन/यूएन	90/15	हमला/प्रशिक्षण
मिग 23 एमएफ	169	लड़ाकू
मिग 21 बीआईएस/यू	230	लड़ाकू
मिग 21 एम	60	लड़ाकू
मिग एफएल/यू	74/40	लड़ाकू/प्रशिक्षण
मिग 25 आरफॉक्स बैट	6	–
मिग 25 यू	2	प्रशिक्षण
कैनबरा बी (आई)	5	हमलावर
कैनबरा टीटी 58	10	प्रशिक्षण
कैनबरा पीआर 57	6	–
एचपीटी 32	130	प्रशिक्षण
किरण 1/2	170	प्रशिक्षण
टीएस 11	50	प्रशिक्षण
गल्फस्ट्रीम 3	3	प्रशिक्षण
लीरजेट 27	2	टोही
707-320 सी	2	प्रशिक्षण
2-76 एमडी	24	प्रशिक्षण
एएन 32	104	प्रशिक्षण
एचएस 748	59	परिवहन/प्रशिक्षण
737-200	4	वीआईपी
डार्नियर 228	43	परिवहन
एमआई-8/17 एचआईपी	125	परिवहन
एमआई 24 हिन्द	20	हमलावर
एमआई 35 हिन्द	40	हमलावर
एमआई 26 हालो	10	हेवी लिफ्टर
एसए 365	6	वीआईपी
सीएफएम सैडो	24	प्रशिक्षण

पाकिस्तान

विमान	संख्या	भूमिका
एफ-16 ए/वी	26/11	हमलावर/प्रशिक्षण
एफ-7एम/पी/एमजी	20/75	लड़ाकू
नांघांग ए-5	60	हमलावर
सेनयांगएफ-6/एफटी-6	80/15	लड़ाकू/प्रशिक्षण

मिराज 3 ईपी/बी	15/6	लड़ाकू
मिराज 3 आरपी/डीपी	12/3	प्रशिक्षण
मिराज 3 ओ/ओडी	45	लड़ाकू
मिराज 5 पीए/डीपीए	28/2	लड़ाकू
मिराज 5 पीए/डीपीए2	30/2	प्रशिक्षण
मिराज 5 ईएफ/डीएफ	10/34	प्रशिक्षण
सेनयांगएफटी-5	30	प्रशिक्षण
सेनयांगएफ एफटी 2	6	प्रशिक्षण
टी-33ए/आरटी-33ए	10	प्रशिक्षण
टी-37 बी	44	प्रशिक्षण
एमएफआई-17बी मुशक	38	प्रशिक्षण
के-8 कारकोरम	8	प्रशिक्षण
पी-3सी	2	नौसैनिक
अटलांटिक1	3	नौसैनिक
बोईंग 707-320	2	परिवहन
सी-130 बी/ई/एल-100-20	11	परिवहन
एफ-27 200	2	वीआईपी
फॉल्कन	3	वीआईपी
बैरॉन	2	लाइजन
कमांडर 680	1	लाइजन
ट्बिन बोनांजा	1	लाइजन
पीए 34 संनेका 2	2	लाइजन
सेसना 172 एन	4	लाइजन
एलूटे 3	18	लाइजन
एसए 315 बी लामा	12	लाइजन

नौ सेना (Navy)

भारत

एयरक्राफ्ट कैरियर	
विराट	1
एडमिरल गोर्शकोव	1
पेट्रोल पनडुब्बियां	
209 श्रेणी	6+
किलो श्रेणी	12+
फॉक्सट्रॉट	4
विध्वंसक	
टाइप 15 दिल्ली श्रेणी	3
कसीन द्वितीय श्रेणी	5
फ्रीगेट्स प्रोजेक्टस17	12+
क्रिवाक तीसरी श्रेणी	6+
16ए गोदावरी श्रेणी	3+
16 गोदावरी श्रेणी	3
लिएँडर श्रेणी	5
पेटेया द्वितीय श्रेणी	8 +
कारवेट्स	
25/25ए खुकरी श्रेणी	4
तारांतुल प्रथम श्रेणी	16+
पाउक द्वितीय श्रेणी	4
नानुचका द्वितीय श्रेणी	3

पाकिस्तान

एयरक्राफ्ट कैरियर	कोई नहीं
पेट्रोल पनडुब्बियां	
अगोस्ता 90 बी श्रेणी	3
अगोस्ता	2
डेफने	4
विध्वंसक	कोई नहीं
फ्रीगेट्स	
गियरिंग फराम प्रथम श्रेणी	3
अमेजन	6
लिएँडर	2
कारवेट्स	
जलालत	3
ह्वांग फेंग	4

प्रक्षेपास्त्र (Missiles)

भारत			पाकिस्तान		
पृथ्वी	मारक क्षमता	250 कि० मी०	'गौरी' I (हत्फ 5)	मारक क्षमता	1500 कि० मी०
अग्नि-I	मारक क्षमता	1500 कि० मी०	'गौरी' II (हत्फ 6)	मारक क्षमता	2000 कि० मी०
अग्नि-II	मारक क्षमता	2500 कि० मी०	'गौरी' III	मारक क्षमता	3000 कि० मी०
आकाश	मारक क्षमता	25 कि० मी०	'शाहीन' I (हत्फ 4)	मारक क्षमता	600 कि० मी०
त्रिशूल	मारक क्षमता	8 कि० मी०			
नाग	मारक क्षमता	9 कि० मी०	'शाहीन' II	मारक क्षमता	2500 कि० मी०
धनुष	मारक क्षमता	250 कि० मी०	'एम-9'	मारक क्षमता	300 कि० मी०
सागरिका	मारक क्षमता	300 कि० मी०	'एम-11'	मारक क्षमता	1500 मी०
ब्रहमोस	मारक क्षमता	290 कि० मी०	'अब्दाली'	मारक क्षमता	2500 कि० मी०
पृथ्वी-III	नौ सैनिक		'टीपू'	मारक क्षमता	500 कि० मी०
सूर्य	संस्करण		'तारमुख'	———	————
			'गजनवी'	———	————
			'बाबरी'	———	————
			बाबर 'हत्फ-7' कूज प्रक्षेपास्त्र	मारक क्षमता	500 कि० मी०

भारत-पाक परमाणु शक्ति दौड़

भारत

1948: यूरेनियम अयस्क के लिए एटोमिक ऊर्जा आयोग की स्थापना।

1956: 40 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत के प्रयास पूर्ण- 'कनाडा-भारत रिएक्टर, अमेरिका' शोध रिएक्टर का निर्माण। अमेरिका/द्वारा 'हैवी वाटर' की आपूर्ति।

1958: भारत ने अपने दम पर ट्राम्बे प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया। यह दोहरी सुविधा थी—नागरिक कार्यों के साथ-साथ परमाणु हथियारों के निमार्ण में भी इसका उपयोग संभव था।

1964: ट्रॉम्बे में प्रथम प्लूटोनियम रिपोसेसिंग संयंत्र की शुरुआत।

1965: आयोग के अध्यक्ष डा० होमी भाभा द्वारा परमाणु विस्फोट परियोजना का प्रस्ताव। अब तक घोषित पांच परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों में से एक चीन द्वारा प्रथम परमाणु यंत्र का विस्फोटन। भारत-पाक युद्ध के पश्चात् अमेरिका द्वारा भारत से सैनिक सहायता वापिस।

1966: भारत द्वारा 18 महीनों के भीतर परमाणु हथियारों के उत्पादन की घोषणा।

1968: 'नोन प्रोलीफेरेशन संधि' (एनपीटी) की प्रक्रिया समाप्त। भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार।

पाकिस्तान

1972: 1971 के भारत-पाक युद्ध में ऐतिहासिक शिकस्त व बंगलादेश के निर्माण के पश्चात् शेष बचा पश्चिमी पाकिस्तान गुप्तरूप से परमाणु हथियार कार्यक्रम पर काम शुरू कर देता है, कराची में परमाणु शक्ति संयंत्र की स्थापना, कनाडा द्वारा रिएक्टर और हैवी वाटर व उत्पादन सुविधा की सप्लाई।

1974: पश्चिमी शक्तियों द्वारा पाकिस्तान को परमाणु वस्तुओं के निर्यात पर रोक।

1975: जर्मनी में प्रशिक्षित डा० अब्दुल कादीर खान की स्वदेश वापसी के बाद कहुटा यूरेनियम एनरिचमेन्ट सुविधाओं का काम शुरू।

1976: कनाडा द्वारा कराची संयंत्र को सप्लाई बन्द।

1977: जर्मनी द्वारा विभिन्न जरूरी वस्तुओं की सप्लाई। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक व सैन्य मदद पर रोक।

1978: फ्रांस द्वारा चश्मा प्लूटोनियम संयंत्र को सप्लाई रद्द।

1979: पाकिस्तान कहुटा संयंत्र के लिए उपक्रमों को आयात करता हुआ पकड़ा जाता है। अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा।

1986: पाक-चीन समझौता-शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग।

1987: पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी जर्मनी से 'ट्रीटीयम शुद्धिकरण' की प्राप्ति।

1969: फ्रांस 'ब्रीडर रिएक्टर' के विकास में भारत को सहयोग देने को तैयार।

1974: भारत पहली बार 1.5 किलोटनस का परमाणु यन्त्र विस्फोट करता है पोखरण में। शांतिपूर्ण कार्यों के लिए। कनाडा अपना सहयोग स्थगित करता है।

1976: तत्कालीन सोवियत संघ भारत को 'हैवी वाटर' की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन जाता है।

1980: इस दशक में भारत ट्रॉम्बे और मैसूर में 'यूरेनियम एनरिचमेंट संयंत्र' का निर्माण करता है।

1991: भारत और पाकिस्तान के बीच एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का समझौता।

1997: भारत द्वारा सुपर कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास की घोषणा। इस प्रौद्योगिकी का परमाणु हथियारों के परीक्षण में प्रयोग किया जा सकता है।

1998: भारत द्वारा रूस के साथ शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए दो 1000 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टरों के निर्माण के लिए सौदे की घोषणा।

1998: (मई 11 व 13) भारत द्वारा पोखरण में पांच भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण और 'परमाणु शक्ति राज्यों' की श्रेणी में शामिल होना।

1989: चीन के सहयोग से ए 27-किलोवाट शोध रिएक्टर का निर्माण।

1990: भारत के साथ नये युद्ध की आशंका से ग्रस्त पाकिस्तान विभिन्न परमाणु हथियारों के लिए 'बीजकोष' बनाना शुरू कर देता है।

1993: स्टोकहोम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व अनुसन्धान संस्थान द्वारा पाकिस्तान में '14 हजार यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटीफ्यूजेस' की स्थापना की जानकारी देना। जर्मन कस्टम अधिकारी करीब 1000 गैस सेंट्रीफयूजेस ज़ब्त करते हैं जोकि पाकिस्तान भेजे जा रहे थे।

1996: पाकिस्तान चीन से 5000 रिंग मेगनेट खरीदता है। इसका इस्तेमाल यूरेनियम एनरिचमेंट में किया जाता है।

1998: भारत के विस्फोटों के प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तान भी परमाणु विस्फोट करता है।

(स्रोत: एपी, न्यूयार्क टाइम्स, मई 28, 1998)

बजट क्या है?

वित्तीय व्यवस्था सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। सरकार के वित्त का प्रशासन वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने से पूर्व अन्य प्रशासकीय मंत्रालयों से विचार-विमर्श करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत राष्ट्रीय संसद् के दोनों सदनों के समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के अनुमानित व्यय व आय का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत कराता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। यह बजट केन्द्र सरकार के वित्त मन्त्री द्वारा संसद् में प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्र सरकार जितनी मुद्रा जिस प्रकार से प्राप्त करना चाहती है और इस मुद्रा को जिस प्रकार जिन मदों में व्यय करना चाहती है —इन सबका विवरण ही बजट में होता है। इसके अन्तर्गत पहले तो एक निश्चित अवधि (प्राय: एक वर्ष) में शासन को उचित प्रकार से चलाने के लिये जिन व्ययों की आवश्यकता होती है, उसका अनुमान लगाया जाता है और फिर इन व्ययों को निपटाने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के उपाय सम्बन्धी प्रस्ताव रखे जाते हैं। बजट प्रणाली का वास्तविक महत्त्व इस कारण है कि यह किसी सरकार के वित्तीय मामलों के क्रमबद्ध प्रशासन की व्यवस्था करता है, परन्तु बजट का अर्थ सरकारी आय के उपाय और व्यय के अनुमान मात्र न होकर और अधिक विस्तृत है। सही अर्थों में बजट विगत वर्ष के प्रशासनिक कार्यों की पृष्ठभूमि में सार्वजनिक कोषागार की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करता है जिनके आधार पर आगामी वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रकार बजट विगत वर्ष के सरकारी क्रिया-कलापों का मूल्यांकन करने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी कार्यक्रमों को स्पष्ट करता है। अत: बजट सम्पूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है। यह आर्थिक सामाजिक नीतियों का महत्त्वपूर्ण उपकरण होता है। इसके अतिरिक्त यह एक राजनीतिक दस्तावेज़ भी है जो सरकार के सम्पूर्ण विचारों एवं दर्शन को प्रतिबिम्बित करता है।

किसी भी देश का रक्षा बजट उसके आकार और उसके सुरक्षा परिवेश को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार को कुल व्यय अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद (G.N.P.) के प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है। इसके अन्तर्गत तीनों सेनाओं (जल, थल, नभ) तथा रक्षा उत्पादन व पूर्ति एवं रक्षा अनुसंधान व विकास विभागों के लिए वास्तविक, संशोधित, अनुमान तथा बजट अनुमान के रूप में रक्षा बजट आबंटित किया जाता है।

वित्त वर्ष— कैलेण्डर वर्ष से अलग वित्त वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। राज्य का बजट या आय व्यय भी इसी अवधि के लिए बनाया जाता है।

पूरक बजट—यदि कभी बजट में स्वीकृति धनराशि 31 मार्च से पहले ही समाप्त हो जाती है तो उस स्थिति में सरकार संसद् के सम्मुख एक पूरक बजट प्रस्तुत करती है, जिसमें शेष समय के लिए लिखित धनराशि की मांग की जाती है।

पूंजीगत बजट—इसमें सरकार द्वारा प्राप्त किया गया ऋण, उस पर किया गया खर्च और सरकारी परिसम्पत्तियों से होने वाले आय-व्यय शामिल होते हैं।

बजट को जानने के बाद अब हमें दोनों देशों के सक्षम बजट का अलग-अलग विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

भारतीय रक्षा बजट

India's Defence Expenditure

भारत का रक्षा बजट वर्ष 2005-06 के दौरान छह हज़ार करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 83 हज़ार करोड़ रुपये होगा। पिछले वित्तीय वर्ष का रक्षा बजट 77 हज़ार करोड़ रुपये का था। मतलब साफ है पिछले वर्ष के मुकाबले इस बजट में 7. 71 प्रतिशत की मामूली बढ़ोत्तरी की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष (2004-05) के रक्षा बजट में 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी थी।

पिछले कुछ सालों में रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी किये जाने से सेना के आधुनिकीकरण ने गति पकड़ी थी। इस बार भी अनुमान था कि रक्षा बजट में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की जाएगी लेकिन मात्र 7.71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए कहीं ज्यादा बजट की आवश्यकता है। सेना के तीनों अंगों में ढांचागत बदलाव की ज़रूरत है। इसके अलावा नये उपकरणों और आयुधों की खरीदारी में भी भारी खर्च की आवश्यकता है। थल सेना को नयें टैंकों की आवश्यकता है, वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष ने पिछले दिनों कहा था कि सेना को 126 नये विमान चाहिए। नौसेना को पनडुब्बियों की भी ज़रूरत है।

इन ज़रूरतों को पूरा करने के साथ रक्षा अनुसंधान और शोध के लिए भी राशि की आवश्यकता होती है। यह सही है कि इस बजट में रक्षा अनुसन्धान के मद में भी ज्यादा धनराशि दी जा रही है लेकिन रक्षा बजट आबंटन से लगता है कि सरकार रक्षा के क्षेत्र में ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं है इस बार वामपंथी दलों का दबाव काफ़ी अधिक रहा। उनका कहना है कि रक्षा बजट को न बढ़ाया जाए और काफ़ी हद तक उनके दबाव ने असर दिखाया है।

सरकार ने पिछले साल पूंजी परिव्यय के क्षेत्र में 33 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। सरकार ने इसे 16 हज़ार 183 करोड़ से बढ़ाकर (16 प्रतिशत की वृद्धि कर) दोगुने तक पंहुचाया था। इस बार इसमें मात्र 1.33 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2004-05 के दौरान इस मद में 34 हज़ार 376 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि सेना के तीनों अंगों के मद में 500 करोड़ की कटौती की गयी है। थल, वायु और नौसेना के लिए पूंजी परिव्यय के लिए 31 हज़ार 420 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जो इस वर्ष 31 हज़ार एक करोड़ रह गया है।

अगर वायु सेना के बेड़े में लड़ाकू विमान है और सरकार नौसेना के बेड़े में फ्रांसीसी स्कॉरपियेन पनडुब्बियों को शामिल करती है तो इसका भुगतान एक साल के अन्दर नही करना होगा, लेकिन इस साल के रक्षा बजट में जितनी राशि दी गयी है वह पिछली खरीदारी के भुगतान में ही खप जाएगी। वर्ष 2003-04 में वायुसेना के लिए एजेटी (एडवांस्ड जेट ट्रेनर) विमान और नौसेना के लिए विमानवाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव जैसे सौदे किये गये थे। वर्ष 2004-05 में कोई बड़ी खरीदारी नहीं हुई थी फिर भी 77 हज़ार करोड़ की सारी राशि खर्च हो गयी। मतलब यह कि पिछले वर्ष रक्षा बजट में आबंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग किया गया था। इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को देखते हुए अनुमान था कि इस वर्ष रक्षा बजट में आबंटन बढ़ाया जाएगा। पिछले वर्षों में हमारे रक्षा क्षेत्र बजट में आबंटित राशि ही पूरी खर्च नहीं हो पायी थी यानी राजग सरकार के दौरान वर्ष 2002-03 में तो 9 हज़ार करोड़ बचे रह गये थे।

दिक्कत यह है कि भारतीय सेना में दस लाख से अधिक कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या के वेतन-भत्ते इत्यादि पर खर्च होने वाली धनराशि इतनी अधिक है कि इसमें बजट का ढेर सारा पैसा खर्च होता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अभी रक्षा बजट में राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है। जबकि पूंजीगत व्यय का यह 40 प्रतिशत है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का प्रतिशत 50-50 हो। इसके बाद मौजूदा स्तर के ठीक उलट यानी राजस्व व्यय का 40 और पूंजीगत व्यय का 60 प्रतिशत हिस्सा तय करना लक्ष्य होना चाहिए, तभी सेना का आधुनिकीकरण हो पायेगा। बीते वर्षों में कारगिल युद्ध के दौरान हमने महसूस किया था कि सेना को आधुनिकतम हथियारों और तकनीकों की आवश्यकता है। क्षेत्र में सुरक्षा के हालात, पड़ोसी देशों का रक्षा व्यय, योजनाओं और लंबी समुद्रतटीय सीमा को देखते हुए भारत को अपने सुरक्षा के इन्तज़ाम को बेहतर करना ही होगा।

हालांकि इस वर्ष के कुल बजट के रुपये में 14 पैसे रक्षा पर खर्च किये जाएंगे। पिछले वर्ष यह औसत 12 पैसे था लेकिन

यहां यह देखना जरूरी है कि पिछले वर्ष सरकार ने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.47 प्रतिशत रक्षा के लिए आबंटित किया था। यह इस बार घटकर 2.35 प्रतिशत रह गया है। मतलब साफ है कि सरकार का ध्यान अन्य क्षेत्रों की तरफ ज्यादा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने जीडीपी का 5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करता है। चीन का रक्षा बजट सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन अनुमान है कि चीन भी जीडीपी का 5.5 से छह प्रतिशत रक्षा पर खर्च करता है। चीन के बारे में यह जानना भी महत्त्वपूर्ण है कि उसका सकल घरेलू उत्पाद भारत के मुकाबले कहीं अधिक है। यह सही है कि इस बार रक्षा बजट को न बढ़ाने का दबाव अधिक था और भारत को चीन, पाकिस्तान की नकल करने की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन रक्षा बजट कम से कम कुल सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत होना चाहिए। जब तक सरकार इतनी बढ़ोत्तरी नही करेगी तब तक सेना को आधुनिक बनाने का सपना पूरा नहीं होगा।[1]

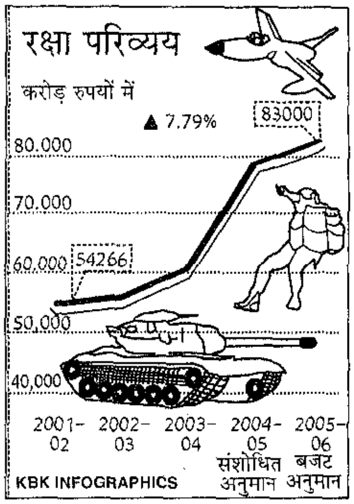

उल्लेखनीय है कि हमारे देश की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का 16 प्रतिशत है जबकि विश्वभर में रक्षा पर जो राशि व्यय होती है, उसमें हमारा अंश मात्र डेढ़ प्रतिशत का ही है। निश्चय ही हम शान्ति के प्रबल रूप से समर्थक व पक्षधर हैं अर्थात् हम यह भी तो नही कह सकते कि हमारा कोई शत्रु नही हो सकता है और न होगा । गंभीर प्रश्न यह है कि क्या हम संभावित चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हैं? जहां तक जी०डी०पी० का हमारे रक्षा बजट का अनुपात है, वह हमारे अतीत में प्रबल विरोधी रहे दो देशों अर्थात् चीन से आधा और पाकिस्तान से चालीस प्रतिशत है।

भारतीय रक्षा बजट को सेवाओं व विभागों के अनुसार निर्धारित प्रतिशत के अनुसार 2005-06 के लिए पूर्व अनुमानित बजट इस प्रकार है—

स्थल सेना के लिए	38.54%
वायु सेना के लिए	26. 28%
नौसेना के लिए	18. 38%
डी०डी० आर० एण्ड० डी०	6.45%
डी०डी०पी०	0.35%

भारतीय रक्षा व्यय

वर्ष	रक्षा व्यय (करोड़ रुपये में)	व्यय प्रतिशत
1990-91	15750 बजट अनुमान	14.6
1991-92	16850 अनुमानित	14.2
1992-93	17500 वास्तविक	14.0
1993-94	19180 वास्तविक	14.6
1994-95	23245 वास्तविक	14.7
1995-96	26856 वास्तविक	14.8
1996-97	29498 (संशोधित)	14.9
1997-98	36990 (संशोधित)	15.1
1998-99	41200 (संशोधित)	15.0
1999-2000	47071	14.2
2000-2001	54561	14.4
2001-2002	58587	14.2
2002-2003	65000	14.3
2003-2004	65300	13.7
2004-2005	77000	14.2
2005-2006	83000	14.1

1. उदय भास्कर का लेख सहारा समय 12 मार्च, 2005

पाकिस्तान का रक्षा बजट
(Pakistan's Defence Expenditure)

पाकिस्तान का रक्षा व्यय अनुपातिक दृष्टि से भारत से हर तरह से अधिक है। आरम्भ में इसका व्यय बहुत अधिक नहीं था, किन्तु 1965 के युद्ध के बाद अपने रक्षा व्यय में ज़ोरदार वृद्धि का सिलसिला शुरू कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि 1960 के रक्षा की तुलना में वर्ष 1966 में उसके रक्षा व्यय में दोगुनी बढ़ोत्तरी हो गयी। वर्ष 1972-73 में पाकिस्तान ने कुछ सरकारी व्यय का लगभग 52.58 प्रतिशत रक्षा पर लगाया जोकि उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद (G.N.P.) का 7.23 प्रतिशत था।

1981-90 के दशक में पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 315.7 प्रतिशत की वृद्धि तथा इसी बीच उसे अमेरिका से 3.2 बिलियन डॉलर की सैन्य आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई। 1987 में पाकिस्तान को अमेरिका ने 4.02 बिलियन डॉलर की एक और 6 वर्षीय सहायता प्रदान की। इसे वर्ष 1990 में इसलिए रोका गया, क्योंकि अमरीकी राष्ट्रपति सीनेट के सामने पाकिस्तान के परमाणु क्षमता रहित होने का प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सके थे।

तुलनात्मक रूप से देखने पर पता चलता है कि 1987 से 1992 के दौरान जहां चीन के रक्षा व्यय में 3.83 प्रतिशत तथा पाकिस्तान के रक्षा खर्च में 7.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं भारत के रक्षा खर्च में 4.68 प्रतिशत की कमी आयी। पाकिस्तान का रक्षा खर्च उसके सकल घरेलू उत्पाद (G.N.P.) ने 7.1 प्रतिशत, चीन का 5.50 प्रतिशत तथा भारत का मात्र 2.75 प्रतिशत ही है। पाकिस्तान अपने कुल सरकारी खर्च का 26.55 प्रतिशत, चीन 8.71 प्रतिशत तथा भारत 8.25 प्रतिशत व्यय रक्षा कार्यों में कर रहा है। प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च देखने में भी भारत पाकिस्तान तथा चीन से नीचे है। 1991 में भारत द्वारा प्रति व्यक्ति 7.61 डॉलर खर्च किये, जबकि पाकिस्तान द्वारा 27.74 डॉलर तथा चीन द्वारा 20 डॉलर (अधिकारिक रूप से 5.67 डॉलर) खर्च किये गये।

पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में कटौती कर भले ही दुनिया को यह जताने की कोशिश की हो कि हथियारों की होड़ में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस हकीकत से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसने अपने रक्षा मद में दो अरब रुपये की जो कटौती की है, उसका मकसद अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास भर है। उसे ऐसा करने के लिए जहां डगमगाती आर्थिक स्थिति ने विवश किया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत् से कर्ज पाने की लालसा भी इसकी एक बड़ी वजह है। इस सम्भावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि उसे ऐसा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के दबावों के आगे घुटने टेकने के लिए मज़बूर होना पड़ा है। यह यथार्थ भी अपनी जगह दमदार है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत् में जेहादी इस्लामी तन्जीमों को नैतिक, आर्थिक और सैनिक मदद देकर पाकिस्तान ने अपने को दुनिया से अलग-थलग कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद के मद्देनजर आज पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ऐसा देश बन गया है, जिसे तालिबानी अफगानिस्तान के साथ रखा जा रहा है। ऐसे में उसने अपने रक्षा बजट में कटौती कर अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की है। कारण जो भी हो, पाकिस्तान के भारत विरोधी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ऐसी हिम्मत सिर्फ़ सैनिक प्रशासन ही कर सकता है। अगर आज वहां जनरल परवेज मुशर्रफ की जगह नवाज़ शरीफ सत्ता में होते, तो क्या ऐसा सम्भव होता? रक्षा बजट में कमी करने की हिम्मत किसी भी पाकिस्तानी नागरिक प्रशासन ने कभी नहीं की। उल्टे उनका सैन्य बजट हर साल बढ़ता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सैन्य तंत्र की मज़बूत पकड़ के आगे चुनी हुई सरकारें असहाय बनी रही हैं। अगर नागरिक सरकार रक्षा बजट में कटौती करने की हिम्मत करती, तो सैन्य तंत्र उन्हें कहीं का न रखता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका अर्थ है कि पाकिस्तानी सैन्य तंत्र जनरल मुशर्रफ के आगे मनमसोस कर रह जाएगा, लेकिन कट्टरपंथी जेहादी संगठन ज़रूर बावेला मचाएंगे। यह तथ्य है कि पाकिस्तान के सैन्य तंत्र की बुनियाद भारत विरोध पर रखी गयी है और साल-दर-साल उसकी मज़बूती की वजह भी दिमाग का यह फितूर रहा है, जबकि भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रफल की तुलना की जाए, तो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल चार गुने से अधिक है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सशस्त्र सेना की संख्या छह लाख है, जबकि भारत के पास कुल सशस्त्र सेना की तादाद 12 लाख है। भारत की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान के रक्षा बजट में दो अरब रुपये की कमी करते हुए वहां के वित्त मंत्री शौकत अजीज ने यह दम भरा है कि वह देश के विकास कार्यों के लिए खर्च की जाने वाली रकम में 27.4 फीसदी की वृद्धि कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वह दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में रक्षा बजट में कटौती और विकास कार्यों में ज्यादा धन खर्च कर एक नयी धारणा को जन्म दे रहे हैं। लेकिन, हकीकत यह है कि वह भारत के खिलाफ विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिकार क्षमता को बनाये रखने के लिए भी कटिबद्ध हैं। बेशक, भारत के इस बार के रक्षा बजट में 13.8 फीसदी की वृद्धि की गयी है। लेकिन, इसका उद्देश्य सिर्फ़ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सीमा रक्षा का प्रयास नहीं है बल्कि इसके पीछे देश की सुरक्षा को जाने-अनजाने चीन से खतरा पैदा होने की आशंका भी काम कर रही है।

पाकिस्तान और चीन के बीच हथियारों के क्षेत्र में जिस तरह का सहयोग है, उसके मद्देनज़र भी भारत को अपने रक्षा बजट में वृद्धि करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मुख्य सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद 4.5 प्रतिशत से घट कर 2.6 प्रतिशत नहीं होता, तो क्या पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में कटौती करने का ऐलान करता ? फिर भी, पाकिस्तान की रक्षा बजट की कटौती भारत के लिए शुभ संकेत साबित हो सकती है, बशर्ते कि वहां के सैन्य तन्त्र की नीयत साफ हो और मंशा भारत विरोधी न रहे।

पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट में है। राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ की भारत विरोधी नीतियां पाकिस्तान को कहां धकेल रही हैं इसका खुलासा 'फाइनेंशियल टाइम्स' की उस रिपोर्ट से होता है जिसमें पाकिस्तान के आर्थिक विकास की दर को वर्ष 2000 के 3.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001 में 2.6 प्रतिशत बताया गया है।

कारगिल संघर्ष के समय पाकिस्तान अपने बजट की 20 प्रतिशत राशि युद्ध में झोंक चुका था जिससे उसके विकास की परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। भारत के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कारगिल युद्ध से लेकर अब तक पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग अवरुद्ध ही करते आये हैं। यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय सहायता राशि का इस्तेमाल भी आज तक पाकिस्तान ने जंगी तैयारियों में खर्च किया है।

अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के काल में पाकिस्तान को अमरीकी हस्तक्षेप द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से एक अरब 56 करोड़ डालर की सहायता राशि का आश्वासन मिला था जिसकी पहली किस्त 5 करोड़ 10 लाख के रूप में 1999 में मिली परन्तु इस राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों में न करके पाकिस्तान ने फ्रांस से लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक पनडुब्बियों को खरीदने में किया तथा चीन से सैन्य साजो-सामान की आपूर्ति के लिए समझौते किये, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ऋण के संजाल में फंस चुका था। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहायता राशि का इस्तेमाल अपनी विकासात्मक योजनाओं को अमल में लाने के लिए न कर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने तथा कश्मीरी आतंकवाद को प्रायोजित करने में लगाता रहा है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था विदेशी ऋण से चल रही है। पाकिस्तान अपनी आर्थिक नीतियों के चलते गत वर्ष दिवालिया हो चुका रहता अगर उसके पश्चिमी आकाओं का हाथ उसके सर पर नहीं होता।

आतंकवाद के विरुद्ध अमरीकी लड़ाई में पाकिस्तान के सहयोग के एवज में मुशर्रफ ने अरबों डालर अमरीका से झटके हैं। अमरीकी कांग्रेस द्वारा वर्ष 2002 के लिए पाकिस्तान को 60 करोड़ डालर की मदद की रूपरेखा तैयार की गयी है तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कर्ज़ की मंजूरी का आश्वासन भी दिया गया है जिसमें विश्व बैंक द्वारा 50 करोड़ डालर इस वर्ष पाकिस्तान को उपलब्ध कराया जाएगा तथा अगले तीन वर्षों में भी एक निश्चित सहायता राशि किस्तवार उपलब्ध करायी जाएगी। इन अन्तर्राष्ट्रीय मददों के सन्दर्भ में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में सैन्य बजट में की गयी बढ़ोत्तरी को देखा जा सकता है। पाकिस्तान के रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000-2001 सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ष था। उसने रक्षा व्यय के लिए आबंटित 133.49 अरब रुपये की राशि को घटाकर वर्ष 2001-2002 में 131.63 अरब रुपये कर दिया था। ज्ञातव्य है कि भारत ने गत वर्ष जहां रक्षा बजट में अपनी घरेलू उत्पाद का केवल 2.5 प्रतिशत व्यय किया था, पाकिस्तान ने अपने घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत भाग रक्षा व्यय पर खर्च किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की अनुमति से पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी की है। पाकिस्तान द्वारा इस बढ़ोत्तरी की घोषणा को अमेरिका द्वारा अफगान युद्ध के एवज में की जाने वाली प्रतिमाह 6 करोड़ डालर की सहायता राशि को जोड़कर देखा जा सकता है। भारत के साथ तनाव के मद्देनज़र पाकिस्तान विदेशी सहायता प्राप्त राशि को अपनी रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने में झोंक रहा है। ज़ाहिर है इस तनाव की वजह से विदेशी निवेशक पाकिस्तान में अपना पैसा लगाने से कतरा रहे हैं वहीं पाकिस्तानी नेतृत्व का ध्यान विकास की मूलभूत आवश्यकताओं से हट चुका है। इसने निजी क्षेत्र के निवेशकों का विश्वास भी तोड़ कर रख दिया है जिससे निवेश और व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। इन सबके अलावा पाकिस्तान सूखे की प्राकृतिक मार भी झेल रहा है। अर्थव्यवस्था पर सूखे की मार साफ़ झलक रही है।

वर्तमान समय में जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भण्डार छः अरब डालर से भी कम है, रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी तथा सैन्य साजो सामान की खरीदारी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को औंधे मुंह कब की गिरा चुकी होती अगर उसे विश्व बैंक, अमेरिका तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से मदद नहीं मिली होती। हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमरीकी सहयोग के एवज में 11 करोड़ 40 लाख डालर का ऋण उपलब्ध कराया है तथा विश्व बैंक ने पाकिस्तान की चार परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक भी अगले तीन वर्ष के लिए पाकिस्तान को 2.5 अरब डालर कर्ज़ देने पर विचार कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से सबसे बेहतर स्थिति में रही थी लेकिन यह पाकिस्तानी नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह इस बेहतर स्थिति का इस्तेमाल किस प्रकार करता है। ज़ाहिर है कि यदि विकास का रास्ता अपनाना है तो उसे अपने भारत सम्बन्धी पूर्वाग्रहों को त्यागना होगा।[1]

1. राष्ट्रीय सहारा 1 अगस्त 2002 में सुनील कुमार का लेख

वास्तव में पाकिस्तान की रक्षा बजट वृद्धि उसकी एक मजबूरी बनती जा रही है, उसके कारण स्वयं तनाव में जीने एवं दूसरे पड़ोसी को भी तनाव में रखने का काम करता रहता है।

इस प्रकार आंकड़ों से स्पष्ट है कि विश्व भर में प्रतिव्यक्ति किए जा रहे रक्षा व्यय में पाकिस्तान का सर्वाधिक रक्षा-व्यय है। इस व्यय में पाकिस्तान ने विकसित व विकासशील देशों सहित चीन को भी पीछे कर दिया है। पाकिस्तान का रक्षा बजट जोकि वर्ष 1978 में 1030 करोड़ था वह 1991 में बढ़कर 7095 करोड़ पहुंच गया। इस प्रकार इस दौरान में सात गुना की वृद्धि हुई। बढ़ते पाकिस्तानी रक्षा बजट का क्रम जारी है। वर्ष 1991-92 में 7600 करोड़ को पार कर गया तथा 1992-93 में 9200 करोड़ पहुंच गया जो कि 1993-94 को 1000 करोड़ को पार कर चुका है। 2001 में रक्षा बजट 133.49 अरब रुपये हो गया।

इसे 2002 में घटाकर 231. 63 अरब कर दिया, किन्तु 2005 में पाक का रक्षा व्यय अपने जी०डी० पी० का 5 प्रतिशत है।

पाकिस्तान का वर्तमान रक्षा व्यय सकल कुल उत्पाद का 38.25 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने आई० एस०आई० (इन्टर सर्विस इण्टेलीजेन्स) खुफीया एजेन्सी को भी अधिक बढ़ावा दिया है जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में हथियार एवं साज सामग्री है। शायद रक्षा व्यय में पाक इसी कारण बढ़ोत्तरी कर रहा है कि अब उसकी मजबूरी बन गयी है।

लन्दन स्थित सेण्टर फार डिफेन्स स्टडीज (Centre for Defence Studies) के क्रिस स्मिथ (Chris Smith) की पुस्तक "The Diffusion of Small Arms and Light Weapons in Pakistan and Northern India" में लिखा है कि—"पाकिस्तान आई० एस० आई० ने अपनी निजी राष्ट्रीय और विदेश नीति बना रखी है, जिसके तहत कश्मीरी और पंजाबी आतंकवादी गुटों को 80 के दशक के आरम्भ में ही हथियार और परीक्षण दिया जा रहा है। आई० एस० आई० के पास अब भी भारत व पाकिस्तान के अस्थिर करने लायक हथियार हैं।"

पाकिस्तान ने अपने रक्षा में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी करने के साथ ही आई० एस० आई० का जो जाल भारत को फंसाने के लिए फैलाया वह अब उलटा इसके जाल में निरन्तर फंसता जा रहा है। स्थिति यह है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में पाकिस्तान का रक्षा-खर्च उप एशियाई देशों में 15वें स्थान पर है जबकि भारत एशियाई देशों में काफ़ी पीछे है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में भारत का रक्षा खर्च उप-एशियाई देशों में 25वें स्थान पर है। इसी तरह प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च की दर में भी भारत सभी 34 एशियाई देशों में 32वें स्थान पर आता है। प्रति एक हजार व्यक्तियों पर सैनिकों की संख्या में देशों एशियाई देशों में भारत का 33वां स्थान है।

इस प्रकार जब हम भारत एवं पाकिस्तान के रक्षा बजट का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान का रक्षा-व्यय भारत की तुलना में बहुत अधिक है और उसके अनुपात में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है जिसके कारण भारत को भी अपने रक्षा-व्यय में कटौती कर पाना बड़ा कठिन पड़ता है। पाकिस्तान का बढ़ता रक्षा व्यय अब उसकी मजबूरी है, क्योंकि वहां के शासकों में सेनाओं की सक्रिय भूमिका रहती है। अमेरिका एवं कट्टरवादी मुस्लिम राष्ट्रों से धन केवल रक्षा मामलों को जुटाने के लिए मिलता है। पाकिस्तान पहले भी चीन से एम-11 प्रक्षेपास्त्र ले चुका है, परमाणु रिएक्टर लेने को तैयार है तथा अपनी तोपों व वायुयानों का चीन की सहायता से आधुनिकीकरण करवा रहा है। वर्तमान में पाक न केवल अमरीकी एफ-16ए/बी/सी लड़ाकू विमान बरास्ता चीन खरीदने की योजना बना रहा है। वरन् तमाम रक्षा, सुरक्षा कार्यक्रमों तथा हथियारों को खरीद फरोख्त में चीन का सहयोग ले रहा है। पाकिस्तान को चीन हथियारों के मामलों में तकनीकी तौर पर सबल बना रहा है, वह पाक को रक्षा के सन्दर्भ में अन्य अनेक तरह के सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है।

अत: स्पष्ट है कि पाकिस्तान का बढ़ता रक्षा व्यय उसके स्वयं के लिए तो घातक है ही इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के रक्षा व्यय पर भी पड़ता है। पाकिस्तान ने अपने कूटनीतिक एवं सामरिक जाल में भारत को जो फंसाने के प्रयास किये हैं वह अब स्वयं उलझता जा रहा है, किन्तु भारत को भी इसका धक्का लगने का खतरा हमेशा बना हुआ है।

21
सामयिक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य
(CURRENT SECURITY PERSPECTIVE)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्
(National Security Council)

भारतीय सुरक्षा परिवेश को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन नि:सन्देह एक सामयिक एवं प्रासंगिक कदम है। वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन किया, किन्तु सामरिक एवं राजनयिक दृष्टि से इसका नीतिगत स्वरूप नज़र नहीं आता। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्वीकृति त्रिस्तरीय कर दी गयी है, जिसमें राजनीतिज्ञ तथा नौकरशाही का ही पूरा वर्चस्व रखा गया है। इसमें स्वयं प्रधानमन्त्री को जहां परिषद् का अध्यक्ष, प्रधान सचिव को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री एवं वित्त मन्त्री इसके सक्रिय सदस्य के रूप में मनोनीत किये गये हैं। विडम्बना इस बात की है कि निर्णायक मण्डल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के विशेषज्ञों को कोई तरजीह नहीं दी गयी है। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन के० सी० पन्त की अनुशंसा के अनुरूप नहीं किया गया है, इसमें रक्षा अध्ययन एवं सामरिक विश्लेषण, विदेशी सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, रक्षा एवं सशस्त्र सेनाओं, विज्ञान एवं तकनीक के साथ ही साथ आर्थिक मामलों के विषय विशेषज्ञों को निर्णायक मण्डल में रखने की बजाय मात्र सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिवालय के रूप संयुक्त गुप्तचर समिति (जे० आई० सी०) को यह उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। इस सचिवालय को भी नीतिगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संयुक्त गुप्तचर समिति में अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के अधिकारियों का विभाग बनाया गया है, जबकि सचिवालय के गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्षेत्र विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा अत्यन्त व्यापक है, अत: समस्त सामरिक एवं सामरिक पहलुओं को भी प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियों को भी प्रस्तावित करने के प्रयास किये जाते हैं, जिनके आधार पर सम्भावित समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति प्राप्त की जा सके। भारत द्वारा इस वर्ष किये गये परमाणु परीक्षणों के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं कूटनीति के उभरते नित नये आयामों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सामयिक एवं सामरिक आवश्यकताओं की समीक्षा भी करनी होगी। इसके साथ ही आर्थिक उदारीकरण और भूमण्डलीय करण के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा का आन्तरिक सुरक्षा की आन्तरिक व्यवस्था को भी सजग एवं सुदृढ़ बनाना ज़रूरी हो गया है।

पोखरण में द्वितीय चरण के परमाणु परीक्षणों के पश्चात् भारतीय उपमहाद्वीप सहित दक्षिण पूर्व एशिया का सामरिक सन्तुलन बदला है। एशिया के सुरक्षा परिवेश में हाल ही के वर्षों में यद्यपि बहुत सुधार हुआ है, किन्तु इसके फिर से बिगड़ जाने की सम्भावनायें भी प्रबल बनी हुई हैं। आकस्मिक घटनाओं और अप्रत्याशित कारणों से यह स्थिरता भंग हो सकती है और इसमें हमारे पड़ोस में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। भारत एशिया सहित विश्व भर में सुरक्षित परिवेश बनाये जाने में सहयोग के लिए यथासम्भव भरसक प्रयास करने के लिए कृत संकल्प है, जिससे आर्थिक विकास निर्बाध चलता रहे। इसके साथ ही हमें ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहना होगा, जो हमारी सुरक्षा एवं विकास के प्रतिकूल हों। इसके लिए यह अनिवार्य है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षा के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली रक्षा क्षमता बनाये रखे। अत: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को देश की सुरक्षा के सन्दर्भ में सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामयिक समस्याओं पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की शीर्ष समिति में गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री, वित्तमन्त्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष को रखा गया है। प्रधानमन्त्री के प्रधान सचिव की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सक्रिय भूमिका होगी और इसके अन्तर्गत ही संयुक्त गुप्तचर समिति (जे० आई० सी०) के रूप में एक सचिवालय काम

करेगा। भारत के उच्चायुक्त श्री सतीशचन्द्र को सचिवालय का अध्यक्ष बनाया गया है। तीन स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् इस प्रकार कार्य करेगा—सामरिक नीति कार्यदल, सचिवालय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सलाहकार बोर्ड।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का प्रमुख आधार अथवा सर्वेसर्वा सामरिक नीति कार्यदल (एस० पी० जी०) होगा, जो मन्त्रालयों के मध्य समन्वय की सक्रिय भूमिका अदा करेगा। इस कार्यदल में कैबिनेट सचिव, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, रक्षा उत्पादन सचिव, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, सचिव (रा), परमाणु ऊर्जा सचिव, अन्तरिक्ष सचिव, रक्षा मन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार और संयुक्त गुप्तचर समिति के अध्यक्ष को सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है। सामरिक नीति कार्यदल सामरिक सम्बन्धी सभी समस्याओं की समीक्षा करेगा, जिसमें अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक रक्षा चुनौतियों की व्याख्या होगी और उनसे निपटने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सम्भावित कदम उठाने की सिफ़ारिश करेगा। सामरिक नीति कार्यदल के अन्तर्गत जिन सदस्यों को सम्मिलित किया गया है, वे सभी अपने-अपने मन्त्रालय के सचिव पद जैसे कार्य की भूमिका का निर्वाह भी कर रहे हैं इसके साथ ही उन्हें इस कार्यभार के मिल जाने से कार्यक्षमता का ग्राफ ऊपर उठाने की बजाय नीचे की ओर झुकने की अधिक सम्भावनाएं नज़र आती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील एवं महत्त्वपूर्ण कार्य प्रणाली के प्रति मन्त्रालय के सचिव पूर्णकालिक समय नहीं दे पाएंगे, अत: सामरिक नीति कार्यदल की कार्यप्रणाली ऐसी स्थिति में कैसे कारगर सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन के पश्चात् सरकार अब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए कसरत में जुटी है। इसके लिए प्रतिरक्षा, आर्थिक, वित्त, गुप्तचर एजेन्सियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नारकोटिक आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित करने में सरकार जुटी हुई है। पूर्वी एशिया के वित्तीय संकट ने इन देशों को अपनी सामरिक नीति बदलने के लिए मजबूर किया है। सम्भवतया यही कारण है कि वर्ष 1986 में गठित सामरिक नीति कार्यालय (स्ट्रेटजिक पालिसी ग्रुप) की भान्ति इसमें भी आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सबसे महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले इस कार्यदल का काम परिषद् को सामरिक देना और रक्षा क्षेत्र से जुड़े ग़ैर-सरकारी संगठनों व रणनीतिकारों से सम्पर्क बनाये रखना होगा। इससे बोर्ड के 24 से 30 तक सदस्य होंगे। सामरिक नीति कार्यालय देश की तीनों सेनाओं के समक्ष अगले दशकों में आने वाली रक्षा चुनौतियों की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे महत्त्वपूर्ण ग़ैर-कानूनी गतिविधियों पर भी नज़र रखेगा और इससे निपटने के लिए सलाह एवं सहयोग भी देगा। इसके साथ ही संयुक्त गुप्तचर समिति जो सुरक्षा परिषद् के सचिव मण्डल के रूप में कार्य करेगी। इसके भी दो विंग होंगे जिसमें एक विंग का काम गुप्तचर विश्लेषण होगा तथा दूसरे विंग का काम सामरिक परिवेश का आकलन व राष्ट्रीय सुरक्षा की समीक्षा करनी होगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन के साथ सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के सन्दर्भ में सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है, कि रक्षा सलाहकारों को नीति निर्धारक दल के रूप में रखना चाहिए। इसके साथ ही सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की स्थायी नियुक्ति होगी अथवा बोर्ड की बैठक के लिए ही आमंत्रित किये जाएंगे यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है, किन्तु इस सन्दर्भ में यह निश्चित है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन के लिए के० सी० पन्त की अध्यक्षता में गठित की गयी टास्क फोर्स द्वारा की गयी अनेक अनुशंसाओं एवं सुझावों को उपेक्षित किया गया है। इस टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुरक्षा परिषद् के प्रमुख को उपाध्यक्ष बनाये जाने तथा कैबिनेट का रैंक दिए जाने का भी सुझाव में इस गठन में नकार दिया गया है। इसके साथ ही इस बोर्ड को रक्षा के मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध मन्त्रालयों की समीक्षा का भी अधिकार मिलने की सलाह को भी सरकार ने अव्यावहारिक माना है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है, कि राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने के लिए केवल सुदृढ़, एवं शक्तिशाली सैन्य शक्ति ही महत्त्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि समुचित सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियां भी सक्रिय साझेदारी निभाती है। अत: सभी नीतियों को समुचित रूप से मान्यता देकर एक स्वस्थ राष्ट्र के सन्दर्भ में सोचा जा सकता है। सुरक्षा का अर्थ व्यापक अर्थों में ही देखा जाना चाहिए। अत: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को सम्बन्धित सभी पहलुओं को गम्भीरता से विचार करना होगा। इसके लिए सामरिक एवं आर्थिक नीतियों को जहां प्राथमिकता देनी होगी वहीं अपनी राजनीतिक एवं विदेश नीति को सामयिक बनाना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन नि:सन्देह एक सामयिक एवं सामरिक कदम है, किन्तु इसकी वर्तमान संरचना से क्या कोई प्रभावी कदम उठाया जा सकेगा ? यह एक गम्भीर चिन्तन का विषय है, क्योंकि समर नीति, आर्थिक नीति, विदेश नीति, व्यापारिक नीति एवं तकनीक शक्ति के विशेषज्ञों को सलाहकार सूची में रखा गया है, किन्तु कार्य नीति दल के अन्तर्गत सामरिक एवं आर्थिक विशेषज्ञों को भी तरजीह नहीं दी गयी है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के सन्दर्भ में परिषद् का गठन कहीं सफ़ेद हाथी ही साबित न हो जैसा कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा सुरक्षा परिषद् का गठन किया गया

था। संशोधित राष्ट्रीय परिषद् आखिर कहां तक अपने निर्धारित लक्ष्य को पा सकेगी ? अभी यह प्रश्न अधर में अवश्य है। सुरक्षा परिषद् को सुरक्षित ही नहीं बनना है, बल्कि हर दृष्टि से सुदृढ़ बनाने की महती आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से निःसन्देह सामयिक कदम है, किन्तु इसकी भूमिका और कार्यकलाप के निरूपण के सन्दर्भ में जो संकेत मिल रहे हैं वह उद्देश्य के आधार परम मूल्यांकन करने में संदिग्ध नज़र आ रहे हैं। चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को निम्न विषयों पर विशेष रूप से विचार करना है—सुरक्षा के बाह्य खतरे, सामरिक सुरक्षा नीति, सुरक्षा के आन्तरिक व अन्य खतरे, विद्रोह का दमन, आतंकवाद का मुकाबला और प्रति गुप्तचरी, राष्ट्र के अन्दर उभरते असन्तोष का स्वरूप विशेष रूप से सामाजिक साम्प्रदायिक या क्षेत्रीय आग्रहों से उद्‌भूत, विश्व के अर्थतन्त्र में उभर रही प्रवृत्तियों से भारत की आर्थिक और विदेश नीति पर सम्भावित सुरक्षा सम्बन्धी प्रभाव, ऊर्जा, वाणिज्य, खाद्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में बाहरी आर्थिक खतरे, तस्करी और हथियारों, नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार जैसे—सीमा पार से होने वाले अपराधों से उपस्थित खतरा तथा सामरिक और सुरक्षा सम्बन्धी सवालों पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाना।

राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य और निर्धारित लक्ष्य इतने व्यापक हैं, कि सुरक्षा परिषद् संरचना का वर्तमान स्वरूप इसके आगे बौना नज़र आता है। इसका सचिवालय स्वरूप व कार्यकारिणी दल का गठन अपने उद्देश्यों के अनुरूप एवं अनुकूल अभी शायद फिट नहीं बैठ सकेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला केवल सुरक्षा परिषद् के गठन एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्धारण से ही पूर्ण नहीं हो सकता, असली बात तो इसको सही अर्थों में प्रयोग में लाना है और निर्धारित अन्जाम प्रदान करना है। वर्तमान स्वरूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन एक औपचारिकता निभाना ही है, किन्तु यह गहनतम गम्भीरता का विषय है। अतः इस ओर ठोस कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में नीति निर्देश सुझाने के लिए बहुचर्चित एवं बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (NSC) के गठन की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा गत 19 नवम्बर, 1998 को कर दी गई है, प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षान्मत्री, विदेशमन्त्री, एवं वित्तमन्त्री के अतिरिक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य होंगे। आवश्यकता पड़ने पर अन्य मन्त्रियों को इसमें आमन्त्रित किया जाएगा, परिषद् की सहायता के लिए इसके तहत एक त्रिस्तरीय संरचना शामिल है। इसमें एक सामरिक नीति दल (Strategic Policy Group), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board) तथा संयुक्त खुफिया समिति (Joint Intelligence Committee—JIC) के रूप में सचिवालय शामिल है, परिषद् के विभिन्न अंगों में समन्वय की भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में प्रधानमन्त्री के प्रधान सचिव (ब्रजेश मिश्र) द्वारा निभाई जाएगी। भारतीय विदेश सेवा के सतीश चन्द्र को, जो अभी पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त हैं, संयुक्त खुफिया समिति (JIC) का अध्यक्ष बनाया गया है, संयुक्त खुफिया समिति का शीघ्र ही पुनर्गठन किया जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (NSC) में सामरिक नीति दल (SPG) की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगी, केबिनेट सचिव, तीनों सेनाध्यक्ष, विदेश सचिव, गृह निदेशक, रक्षा सचिव (रक्षा उत्पादन), वित्त सचिव, सचिव (राजस्व), रिज़र्व बैंक के गवर्नर, निदेशक (इंटेलीजेंस ब्यूरो), निदेशक (रिसर्च एण्ड एनेलिसिस विंग—RAW), सचिव (परमाणु ऊर्जा विभाग), सचिव (अन्तरिक्ष) व रक्षामन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार के अतिरिक्त खुफिया समिति (JIC) के अध्यक्ष सामरिक नीति दल के सदस्य होंगे। आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों को इसमें आमन्त्रित किया जाएगा।

परिषद् के तहत तीसरा अंग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसमें देश के ऐसे ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को लिया जाएगा जो बाह्य सुरक्षा, सामरिक विश्लेषण,विदेशी मामलों, सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों, सुरक्षा सेनाओं, आन्तरिक सुरक्षा तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हों, इसकी बैठक माह में कम-से-कम एक बार तथा आवश्यकता होने पर अधिक बार सम्पन्न होगी। यह सुरक्षा से सम्बन्धित दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाने एवं विश्लेषण करने में परिषद् की सहायता करेगा तथा इसे सौंपे गए नीतिगत मुद्दों के समाधान सुझाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न मामलों के विशेषज्ञ 22 ग़ैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया है, सामरिक विश्लेषक के सुब्रमण्यम को इस सलाहकार बोर्ड का संयोजक बनाया गया है, पूर्व विदेश सचिव जगत मेहता, एम० के० रामगोत्रा, मुचकुंद दुबे व जे० एन० दीक्षित (सभी विदेशी मामलों के विशेषज्ञ), प्रधानमन्त्री के पूर्व प्रधान सचिव एन० एन० वोहरा, तीन सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष—जनरल रॉड्रिग्स, एडमिरल वी० एस० शेखावत व एयर चीफ मार्शल एस० के मेहरा (सभी सुरक्षा विशेषज्ञ), पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक के० पी० एस० गिल, द राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के पूर्व महानिदेशक वेद मरवाह (दोनों आन्तरिक

सुरक्षा विशेषज्ञ) आदि शामिल हैं। आवश्यकता होने पर अन्य सदस्य भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे।

नवगठित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की संरचना मौजूदा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व रक्षा मन्त्री के० सी० संत की अध्यक्षता में गठित कार्य दल की संस्तुतियों पर आधारित है। तीन सदस्यीय इस कार्य दल के अन्य सदस्यों में योजना आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह तथा रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के निदेशक एयर कोमोडर जसजीत सिंह (संयोजक) थे। इस कार्यदल ने अपनी सिफ़ारिशों में यह कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रबन्ध एकीकृत विचार-विमर्श से ही सम्भव है और राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए देश के राजनीतिक, सैनिक, राजनयिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों का सक्षम उपयोग करना होगा।

हमारी सामरिक आवश्यकता

(Our Military Needs)

21वीं शताब्दी में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। अतः भारतीय परमाणु परीक्षण के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं कूटनीति के उभरते नित नये आयामों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सामरिक और सामयिक आवश्यकताओं की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सदैव सर्वोपरि एवं महत्त्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय अखण्डता एवं अस्मिता की रक्षा हेतु देश की सामरिक स्थिति सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। भारत को प्रतिरक्षा के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उनका सामना करने के लिए ही भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किये और स्वयं को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र घोषित किया। अब अगला कदम क्या होना चाहिए ? इस पर भी एक गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है। अमेरिका के अभी तक तने तेवर, पाक के कश्मीर के मामले में नापाक इरादे और चीन की कूट चालों के कारण भारतीय सुरक्षा परिवेश में बड़ी तेज़ी के साथ परिवर्तन हुआ है।

जब हम 21वीं सदी की ओर तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें सामरिक दृष्टि से भारत की भावी आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना होगा, जोकि निःसन्देह एक सामयिक कदम है। अब समय आ गया है, कि भारत सरकार सुरक्षा सम्बन्धी सभी सामरिक समस्याओं के सन्दर्भ में गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करें और प्रभावी कदम उठाये। भारत के आकार, जनसंख्या, सामरिक स्थिति, समृद्ध प्राकृतिक सम्पदा एवं वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारी एवं सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लेख ज़रूरी है। भारत की विशालता एवं सुरक्षा संकट को मद्देनज़र रखते हुए पड़ोसी देशों की तुलना में भारत का रक्षा बजट बुहत कम है। यह भी गौरतलब है, कि हथियारों की प्रौद्योगिकी तेज़ गति से बढ़ रही है। विगत एक दशक से भी ज़्यादा समय से भारत की सशस्त्र सेनाओं के मुख्य हथियारों को नहीं बदला गया है और न ही किसी बड़े पैमाने पर नवीन एवं आधुनिक श्रेणी के हथियार प्राप्त किये गये हैं। स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती वर्ष बीत जाने के बावजूद भारत सैनिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। अभी भी हमारी सैन्य शक्ति में और सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वायु सेना एवं नौ सेना के पुराने पड़ गये हथियारों एवं साधनों की जगह नवीन एवं आधुनिकतम हथियार एवं साधनों को समय के साथ जोड़ना होगा। स्थल सेना के लिए स्वचालित तोपों और मुख्य युद्धक टैंकों (एम० बी० टी०) की और आवश्यकता होगी। वायुसेना के लगभग 200 से अधिक श्रेणी के विमानों को बदलना होगा। नौसेना को जहां नवीनतम श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी एवं विमानवाहक पोत को भी जुटाना होगा।

हमारा सुरक्षा परिवेश इस प्रकार का रहा है कि भले ही सामरिक स्थिति में सजग एवं शक्तिशाली दिखायी देते रहे हैं, किन्तु असंगत नीतियों एवं आत्मनिर्भरता के अभाव में वास्तविकता से परे ही रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला अहम् होने के बावजूद इस क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो सका। हाल में ही भारत सरकार ने भावी सुरक्षा आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के गठन की घोषणा करके एक सराहनीय एवं सामयिक कदम उठाया है। परमाणु परीक्षण करके भी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है, किन्तु शीत युद्ध रूपी हिमखण्ड के पिघलने के फलस्वरूप दक्षिण एशिया में अशान्त सागर की लहरें निरन्तर हिलोरें ले रही हैं। सोवियत संघ के विखण्डन के कारण इस क्षेत्र के सामरिक समीकरणों व भारतीय सुरक्षा परिवेश में तेज़ी के साथ परिवर्तन हुआ है। अतः सामरिक दृष्टि से अभी आत्मनिर्भरता की ओर भावी आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए बहुत कुछ करना है।

सामरिक दृष्टि से भारत की भावी आवश्यकताओं का विवेचन करने के पूर्व सुरक्षा के क्षेत्र में स्वाधीनता की अर्द्धशती में सामरिक प्रगति का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है। भारत ने जहां प्रक्षेपास्त्र प्रणाली और परमाणु परीक्षण का विकास करके रक्षा के क्षेत्र नये आयाम स्थापित किये हैं, वहां हल्की श्रेणी के विमानों एवं पनडुब्बी श्रेणी के पोत का कार्यक्रम भी प्रगति में हैं। स्थल सेना के मूल हथियार के रूप में अब पूर्ण स्वचालित 5.56 मिमी० राइफल आ गयी है। रात्रि के अन्धेरे में देखने की क्षमता वाले चश्में तथा दूरबीनें भी भारतीय सैनिकों की साज-सज्जा के साधन बन गये हैं।

मशीनगनों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके अत्याधुनिक तथा पोर्टेबल बनाया गया है। तोपखाने की युद्धों में सक्रिय भूमिका के महत्त्व को समझाते हुए भारत ने अति आधुनिक मटन्टी बैरल रॉकेट लान्चर 'पिनाक' को विकसित कर लिया है।

आधुनिक स्थल युद्धों में युद्धक टैंकों की सक्रिय भूमिका को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने प्रमुख युद्धक टैंक के रूप में 'अर्जुन' टैंक का निर्माण किया है। यह टैंक दुनिया के अति आधुनिक समझे जाने वाले 'एब्राम्स', 'लियोपर्ड', 'लेस लर्स', 'चैलेन्जर' और 'मकार्वा' टैंकों की तुलना में भी कहीं अधिक शक्तिशाली माना जाता है। 'अर्जुन' टैंक जहां भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल माना जाता है। वहां यह गहन अन्धकार, धुन्ध और धुएं के बावजूद प्रत्येक प्रकार के मौसम में तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित शत्रु के टैंकों एवं उपकरणों को देख सकने की अद्वितीय क्षमता रखता है। इसके साथ ही टी-90 टैंक भी रूस से शीघ्र प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विजयन्त', 'टी-72' तथा 'टी-55' टैंकों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

प्रक्षेपास्त्रों के विकास में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयास का परिणाम दुनिया के सामने रख दिया है, जिससे हमारा देश आज आधुनिक सुरक्षा उपकरण के सन्दर्भ में विश्व के गिने-चुने राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 150 से 250 कि०मी० तक है। इसके साथ ही एक हज़ार कि० ग्रा० तक का 'पे-लोड' ले जाने की क्षमता है। 'पृथ्वी-3' प्रक्षेपास्त्र का विकास भी नौ सेना के निमित किया जा रहा है। इस प्रक्षेपास्त्र को युद्धपोत एवं पनडुब्बी दोनों द्वारा ही सरलता के साथ छोड़ा जा सकेगा। 'सागरिका' नामक जिस प्रक्षेपास्त्र के विकास की प्रक्रिया प्रगति पर है, वास्तव में यह 'पृथ्वी-3' प्रक्षेपास्त्र का ही संशोधित नाम है। इस प्रक्षेपास्त्र को इतना समुन्नतशील बनाया जा रहा है, कि यह पनडुब्बी के अन्दर से ही शत्रु पर अपना सीधा प्रहार कर सकेगा। वायु सेना के लिए 'पृथ्वी-2' प्रक्षेपास्त्र का भी संशोधन किया जा रहा है और इसके निकलने वाले विस्फोटकों को निर्देशित करने का कार्य प्रगति पर है। 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र अपने मार्ग का स्वयं निर्धारण करने में सक्षम है तथा लक्ष्य पर भी अपना अचूक प्रहार करने की क्षमता निहित है।

मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'अग्नि' की प्रहारक क्षमता 2500 कि०मी० है। यह प्रक्षेपास्त्र हवा से सतह पर तथा सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। दो चरणीय इस प्रक्षेपास्त्र की अभिकल्पना, निर्माण, कलपुर्जे आदि सभी प्रणालियां 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र की भान्ति पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं।

'अग्नि-2' प्रक्षेपास्त्र का विकास कार्य भी प्रगति पर है। यह प्रक्षेपास्त्र अपने नये आयाम सहित अभूतपूर्व क्षमतायुक्त होगा, जो लगभग 3000 से 3500 कि०मी० की दूरी तक स्थित शत्रु को अपना निशाना बना सकेगा। 'अग्नि' प्रक्षेपास्त्र को भारतीय प्रक्षेपास्त्रों की 'रीढ़ की हड्डी' कहा जाता है। इस प्रक्षेपास्त्र के प्रथम चरण में ठोस तथा द्वितीय चरण में द्रव ईंधन् का प्रयोग किया गया है। इसका प्रथम चरण एस० एल० वी०—3 का ही अनुरूप है, जबकि दूसरे चरण 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र का संवर्धित स्वरूप है।

21वीं शताब्दी का हथियार कहा जाने वाला 'आकाश' प्रक्षेपास्त्र अमेरिका के प्रक्षेपास्त्र 'पेट्रियाट' से भी बेहतर प्रक्षेपास्त्र है। यह प्रक्षेपास्त्र एक साथ अनेक लक्ष्य भेदन की क्षमता वाला है। इसमें एक ऐसा राडार भी लगाया गया है जोकि एक साथ तीस लक्ष्यों पर अपनी नज़र रखने में सक्षम है। स्वतन्त्र हवाई रक्षा के लिए प्रक्षेपास्त्र 'त्रिशूल' ज़मीन एवं जलयानों से प्रत्येक मौसम में कारगर प्रहार कर सकता है। टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र 'नाग' भी अपने डसने के लिए जग जाहिर हो चुका है। इन प्रक्षेपास्त्रों के साथ ही 'सूर्य' एवं 'सागरिका' नामक अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों (आई० सी० बी० एम०) के विकास का कार्यक्रम प्रगति पर है।

हमारी वायुसेना की उड़ान एक साधारण श्रेणी के 'डकोटा' विमान के साथ शुरू हुई थी जोकि अब अति आधुनिक विमान सुखोई-30 तक पहुंच गयी है। भारत ने भावी रणनीति को दृष्टि में रखते हुए हल्के लड़ाकू विमान (एल० सी० ए०) के साथ ही पायलट रहित लक्ष्य भेदी विमान (पी० टी० ए०) 'निशान्त' की परीक्षण उड़ानें भी पूरी कर चुका है। परमाणु परीक्षणों के पश्चात् वायुसेना को चुनौतियां एवं उत्तरदायित्व निःसन्देह रूप से काफ़ी बढ़ी हैं।

आने वाले दशकों में अन्तरिक्ष क्षमता एवं वायुसेना के विकास की विशेष आवश्यकता भारत को होगी। इस दशक में आवक्स विमानों ने युद्ध के संचालन में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की है। कई सौ किलोमीटर तक क्षेत्र पर पैनी निगाहें रखे ये विमान वायु युद्ध को ही नहीं अपितु थल युद्ध के समन्वयक व नियन्त्रण का कार्य करने में समर्थ हैं। इसके साथ ही उपग्रहों से टोह लेकर, निगरानी रखकर समन्वय और सम्पर्क से वायु युद्ध को और अधिक संहारक बनाया जा सकता है। हमारा पड़ोसी चीन रक्षा तकनीकी में हमसे कहीं आगे है। अमेरिका ने तो लेसर हथियार विकसित करके उपग्रहों को भी अपना निशाना बना लिया है, तो विमानों को नष्ट करना क्या कठिन होगा। इस क्षेत्र में भारत को अभी

बहुत प्रगति करनी होगी, क्योंकि यदि युद्ध की स्थिति में भारत के उपग्रहों को नष्ट कर दिया गया तो सम्पर्क एवं संचार की स्थिति गड़बड़ होने पर युद्ध कैसे लड़ा जा सकेगा ? भारत अपनी नभ शक्ति एवं अन्तरिक्ष क्षमता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। विश्व में कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र ऐसा नहीं है जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर न हो। आज वायु सेना के क्षेत्र में तकनीकी विकास तेज़ी के साथ हो रहा है, तो भारत को भी 21वीं शताब्दी के लिए फ्रांस व रूस आदि देशों की निर्भरता छोड़ कर स्वयं के नवीन तकनीकी युक्त विमानों एवं लेसर हथियारों की महती आवश्यकता होगी। आयात के बल पर भविष्य में शक्ति सम्पन्न होने की बात करना या सोचना मनगढ़न्त होगा। भारतीय वायुसेना को भविष्य की भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को विकसित करना होगा और अन्तरिक्ष सेना के रूप में स्थापित होना पड़ेगा। अन्तरिक्ष पर वर्चस्व कायम करके ही बड़े राष्ट्रों की होड़ की इस दौड़ में शामिल हो पायेंगे अन्यथा परमाणु परीक्षण के पश्चात् अमेरिका की धौंस निरन्तर सुननी पड़ेगी।

भारतीय नौ सेना का यदि सामरिक दृष्टि से भावी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में आकलन करते हैं, तो स्पष्ट अभास होता है, कि जितनी इस सेना की ज़िम्मेदारी है उस हिसाब से इसकी रक्षा शक्ति समुचित नहीं है। भारत के पास 20 लाख वर्ग कि०मी० विशिष्ट समुद्री आर्थिक क्षेत्र और 7000 कि०मी० से अधिक लम्बा समुद्र तट है। हिन्द महासागर में अमेरिका एवं चीन की बढ़ती सामरिक रुचि को मद्देनज़र रखते हुए अब भारत को इनकी नौ सैनिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए आधुनिक एवं नवीनतम तकनीकी से सज्जित होना नि:सन्देह एक सामरिक एवं सामयिक आवश्यकता बन गई है। भारत के दोनों समुद्री तटों से 800 से 1500 कि०मी० दूर अण्डमान और लक्षद्वीप समूह है जिनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय नौ सेना पर है।

भारतीय नौ सेना के पास इस समय विमानवाहक पोत-1, पनडुब्बी-18, विध्वंसक- 6, फ्रिगेट्स-16, कार्वोट्स-20, गश्तीपोत-8, सुरंगनाशक पोत-22, जल व थल पोत-17, सर्वेक्षण पोत-10 तथा सेवा सहायक पोत-21 तैनात हैं। सामरिक दृष्टि से नौ सेना की शक्ति एवं क्षमता में बढ़ोत्तरी की बजाय कमी दिखाई पड़ती है। सामरिक दृष्टि से नि:सन्देह यह एक चिन्ता का ही विषय नहीं है, बल्कि एक घातक संकेत है। एक ओर हिन्दमहासागर में भारतीय नौ सेना की चुनौतियां निरन्तर बढ़ रही हैं और दूसरी ओर इसकी प्रहारक क्षमता रक्षात्मक एवं चौकसी क्षमता में निरन्तर गिरावट आ रही है।

अत: 21वीं शताब्दी के प्रवेश के पूर्व नौ सेना को आत्मनिर्भर एवं आधुनिक तकनीकी युक्त सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए जहां विमानवाहक पोत जुटाना है, वहां आधुनिक परमाणु पनडुब्बी एवं प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने की महती आवश्यकता है। यद्यपि विगत वर्ष अत्याधुनिक विध्वंसक—'दिल्ली', प्रक्षेपास्त्र पोत—'प्रहार' एवं 'घड़ियाल' को नौ सेना में शामिल किया गया, किन्तु रक्षा चुनौतियों को देखते हुए यह प्रगति पर्याप्त नहीं है। वास्तव में भारतीय नौ सेना को काफ़ी शक्ति की ज़रूरत है।

हमारी आज़ादी के 58 वर्षों में भारतीय सेनाओं ने नि:सन्देह विकास एवं प्रौद्योगिकी प्रगति में अपनी एक पहचान बनायी है किन्तु सामरिक क्षेत्र में नित्य बदलते परिदृश्य के परिणामस्वरूप अनेक चुनौतियां भी निरन्तर खड़ी होती जा रही हैं। प्रक्षेपास्त्र युद्ध के लिए हमें अपनी सेना व वायुसेना को तो दक्ष करना ही होगा, नौ सेना को भी अति आधुनिक जलयानों से जोड़ने की महती आवश्यकता है। इसके साथ-साथ आधुनिक शस्त्र प्रणालियों की उचित योजना, प्रशिक्षण, क्रियान्वयन एवं सृजनात्मक सोच के माध्यम से बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि क्षमताओं में वृद्धि का ग्राफ बरकरार बना रहे।

अब जबकि 20वीं शताब्दी समाप्त हो चुकी है, इससे मानव जाति के समक्ष अनुत्तरित दुविधायें और कड़ी चुनौतियां छोड़ी हैं। सामरिक दृष्टि से यह दुविधा शान्ति के साथ विकास के चयन की ही है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भावी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए जहां तीनों सेनाओं को सुदृढ़ एवं सतर्क रखना होगा, वहां इसे अब स्वतन्त्र रक्षा संचार नेटवर्क से भी जोड़ने की एक सामरिक एवं सामयिक आवश्यकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप सूचना तकनीकी के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है। हमें इस विकास प्रक्रिया को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए और इसका समुचित दोहन करने के लिए भारतीय सेनाओं को एक स्वतन्त्र रक्षा संचार नेटवर्क (डिफेन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क) से जोड़ना होगा। चूंकि अब उपग्रहों के माध्यम से अपनी एवं शत्रु की गतिविधियों की निगरानी की जाने लगी हैं। इलैक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के निरन्तर बढ़ते कदमों को मद्देनज़र रखते हुए एक स्वतन्त्र रक्षा संचार नेटवर्क में हमें अपनी स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना को जोड़ना एक बड़ी ज़रूरत बन गयी है। इससे युद्ध के दौरान तीनों सेनायें मिलकर एक समन्वित निर्णय शीघ्रता के साथ कर सकने में समर्थ हो जायेंगी। सैनिक क्षेत्र में सूचना तकनीकी के समावेश से क्रान्तिकारी परिवर्तन अनुभव किये जा रहे हैं। जैसा कि भारतीय स्थल सेना में 'एसकोन' और

व उनकी गतिविधियों का लेखा-जोखा रखने के लिए स्थल मुख्यालय 'भण्डार प्रबन्ध' (सी० आई० सी० पी०) परियोजना आरम्भ करने जा रही है। जिससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि नीचे से लेकर शीर्ष स्तर तक निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यन्त तेज़ हो जायेगी और इससे स्थल सेना के एक प्रतिशत व्यय की बचत होगी अर्थात् लगभग चार सौ करोड़ रुपये की बचत होगी। स्थल सेना में संचार नेटवर्क तीन स्तरों पर विभाजित है—पहला—रणनीतिक क्षेत्र संचार नेटवर्क, द्वितीय पृष्ठभूमि संचार नेटवर्क और तीसरा सामरिक संचार नेटवर्क। सामरिक संचार नेटवर्क का उद्देश्य स्थल सेना को वायुसेना तथा नौसेना से जोड़ना है। इस प्रकार एक स्वतन्त्र रक्षा संचार नेटवर्क के आरम्भ होने से प्रतिरक्षा परिदृश्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा तथा रक्षा के सन्दर्भ में नये आयाम स्थापित होंगे। इसके साथ ही नवगठित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को भी इससे सक्रिय सहयोग मिलेगा।

प्रत्यर्पण सन्धि
(An offering Agreement)

आतंकवाद के बढ़ते कदम आज की सबसे बड़ी समस्या के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखायी दे रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शह अथवा सक्रिय सहयोग से होने वाले आतंकवाद की विनाशलीला को भारत अनेक वर्षों से झेल रहा है। आधुनिक तकनीकों एवं विस्फोटक सामग्री के प्रयोग के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद अपने घिनौने रूप में भारत की धरती में अनेक बार देखा गया। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बढ़ते कदमों पर अंकुश लगाना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद का उद्देश्य ही भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ताने-बाने को तार-तार करके अस्थिरता एवं तनाव पैदा करना और देश की एकता एवं अखण्डता पर प्रहार करना है।

आज की इस ज्वलन्त समस्या का समाधान करने के लिए भारत और अमेरिका ने 25 जून को प्रत्यर्पण सन्धि पर हस्ताक्षर किये। इस सन्धि से आतंकवादी संगठनों के लिए एक संकट अवश्य पैदा हो गया है, क्योंकि भारत में आतंकवादी गतिविधियां अपनाने के बाद अमेरिका में शरण ले लेते वह इस सन्धि के बाद सम्भव नहीं होगा। यद्यपि अमरीकी सरकारों ने सदा से ही आतंकवाद का विरोध किया है और अनेक बार पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जारी रखने तथा आतंकवादियों को अपने यहां प्रशिक्षण एवं पनाह देने के विरुद्ध पाकिस्तान को चेतावनी दी है। इसके साथ ही अनेक आतंकवादी गिरोह अब तक स्वयं अमेरिका से भी आर्थिक एवं सामरिक सहयोग ही नहीं प्राप्त करते रहे हैं, बल्कि अमेरिका को अपना सरपरस्त मानते रहे हैं। यह सन्धि सम्पन्न हो जाने के कारण आतंकवादी गिरोहों को एक आघात अवश्य लगा होगा, क्योंकि इससे जहां आतंकवादी हथकण्डों के नये आयामों को विराम मिलेगा वहां उनके लिए बने सुरक्षित शरण स्थली में सेंध लग गयी है।

भारत एवं अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण सन्धि सम्पन्न हो जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे जहां दोनों देशों के सम्बन्धों में मजबूती आयेगी वहां अभी तक अमेरिका शरणस्थली बनाने वाले आतंकवादी व उग्रवादी गिरोहों को एक करारा झटका अवश्य लगा है। अभी तक दोनों देश 1931 में अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य सम्पन्न हुई प्रत्यर्पण सन्धि की पालना कर रहे थे किन्तु इस नई सन्धि से दोनों देशों का दायित्व बढ़ जायेगा, कि अपराध करके भाग आये अपराधियों को पकड़ने की कार्यवाही अविलम्ब करे। ऐसी कार्यवाहियों में विलम्ब हो जाने के कारण आतंकवाद एवं अपराधी गुट के सदस्यों को भाग निकालने का मौका मिल जाता था।

आज आतंकवाद या उग्रवाद एक विश्व व्यापी समस्या बन चुकी है। भारत सहित विश्व के अनेक देश बहुआयामी आतंकवाद की क्रीड़ा स्थली बन चुके हैं। इसके लिए चाहे बाहरी तत्त्वों की दुर्भावना जिम्मेदार हो या उनके अपने देश की अपनी कमजोरी। इस प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला परम्परागत प्रयासों से कर पाना साधारणतया सरल नहीं है। इसके लिए न तो कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के उपाय कारगर होंगे और न ही केवल रोकने के तरीकों से इसका मुकाबला किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए समन्वित रणनीति अपनानी होगी। भारत के अलावा अब अल्जीरिया, मिस्र, तुर्की, सूडान, साऊदी अरब इत्यादि में कुछ संगठनों ने इस्लाम का नाम लेकर आतंकवादी कार्यवाहियां शुरू कर रखी हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी यह कार्यवाही चल रही है।

यही कारण है कि इस विश्व व्यापी समस्या के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात पर ज़ोर दिया जाता रहा है कि आतंकवादियों व उग्रवादियों से निपटने के लिए विभिन्न देशों के बीच समन्वय एवं सहयोग आवश्यक है। दूसरी ओर इस सत्यता को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि आतंकवादी संगठनों में आपसी सहयोग एवं एकता अत्यधिक है। इसी के तहत हथियारों एवं मादक पदार्थों का अवैध व्यापार तो चला ही है और साथ ही अपनी गतिविधियां सक्रिय रूप से कर रहे हैं। अमेरिका एवं भारत के मध्य सम्पन्न हुई 25 जून की प्रत्यर्पण सन्धि एक मील का पत्थर साबित होगी।

इस प्रत्यर्पण सन्धि के तहत एक प्रावधान ऐसा भी रखा गया है जिसका लाभ आतंकवादी गलत व्याख्या करके उठा सकते हैं। चूंकि इस सन्धि के तहत यह तय किया गया है कि राजनीतिक अपराधों के आरोप जिस व्यक्ति विशेष पर हैं उस पर यह सन्धि लागू नहीं होगी अर्थात् उस अपराधी या आतंकवादी को एक-दूसरे देश को वंचित होने के बावजूद सम्बन्धित देश को सौंपने के लिए बाध्य नहीं होगा। यद्यपि इस सन्धि में यह भी स्पष्ट रूप से अवश्य उल्लेख किया गया है कि राजनीतिक अपराध के प्रावधान का लाभ उन लोगों को नहीं मिल सकेगा, जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी तत्त्व आतंकवादियों को अपना संरक्षण एवं सहयोग प्रदान करते रहे। अमेरिका में ऐसे अनेक संगठन एवं शरारती तत्त्व पूरी तरह से सक्रिय हैं वे एक ओर जहां भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करते हैं वहां दूसरी ओर अमेरिका में यह प्रचार करते हैं कि भारत में मानवीय अधिकारों की धज्जियां सरेआम उड़ायी जा रही हैं। इस कारण उदाहरण तथा कथित खालिस्तान समर्थक लॉबी हैं।

भारत के विदेश राज्यमंत्री श्री सलीम शेरवानी तथा अमेरिका के विदेश विभाग के उपसचिव स्ट्रोब टालबोट ने 25 जून प्रत्यर्पण सन्धि के तहत दोनों देशों के बीच एक-दूसरे की भूमि पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को सौंपने के सन्दर्भ में सरकारी मान्यता भी प्रदान कर दी। इससे दोनों देशों के सम्बन्धों में प्रगाढ़ता के लिए समझ और सूझबूझ अवश्य बढ़ेगी।

इस बात से नकारा जा सकता है कि हाल ही के कुछ वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों के विरोध स्वरूप विश्व स्तर पर आवाज उठाने के कारण अमेरिका सरकार की सोच में परिवर्तन हुआ और इसी के फलस्वरूप ही भारत व अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण सन्धि सम्पन्न हुई। इंग्लैण्ड के बाद अमेरिका दूसरा बड़ा पश्चिमी राष्ट्र है जिसने भारत के साथ प्रत्यर्पण सन्धि की है। राजनीतिज्ञों का अनुमान है कि आतंकवाद के विरुद्ध विशेष रूप से भारतीय क्षेत्र में घटित हो रही आतंकवादी घटनाओं के प्रति अमरीकी सोच में बदलाव लाने का श्रेय इंग्लैण्ड को ही दिया जाना चाहिए।

प्रर्त्यपण सन्धि में दोनों देशों के हस्ताक्षर हो जाने से भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीपीय देशों में ही खुशी नहीं हुई है बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी यह सन्धि सहयोगी सिद्ध होगी। इस सन्धि को दोनों देशों की सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करने की भी भविष्य में आवश्यकता रहेगी, ताकि आतंकवादी संगठन राजनीतिक ढाल की आड़ में अपने को सुरक्षित करके अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रख सकें। अत: राजनीतिक अपराध के प्रावधान के प्रत्येक पहलू पर बड़ी गम्भीरता के साथ अध्ययन, चिन्तन, मनन एवं अनुपालन की आवश्यकता दोनों देशों को अवश्य रहेगी। प्रत्यर्पण सन्धि निश्चित रूप से एक सामाजिक एवं प्रभावी कदम है, इससे विश्व शान्ति के प्रयास में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी अवश्य जुड़ी है।

आतंकवाद समस्या व सुझाव

आतंकवाद सिर्फ़ बन्दूक उठा लेने का नाम नहीं है बल्कि आतंकवाद के पीछे कुछ लोगों की वह मानसिकता होती है जहां वे अपने आपको समाज की मुख्य धारा में असुरक्षित समझने लगते हैं और कुछ 'प्रीसीण्ड ग्रीवेन्सज' बना लेते हैं जिसके तहत इस बात को साबित करना उनका मकसद बन जाता है कि बाकी समाज से उन्हें खतरा है। मूलत: यही धारणा उन्हें हार्डकोर बना देती है। अब अगर देश के अलग-अलग हिस्सों में उग्र हो चुके आतंकवाद के बारे में सोचें तो हर जगह इसकी परिभाषा व स्वरूप बदला हुआ नज़र आता है। पंजाब के विषय में इसके कारण कुछ भी नहीं थे। यहां तक कि कई बार तो उन्हें खुद अपना एजेंडा नहीं पता होता था, यहां शुरू में यह मिलिटेंसी एक मूवमेंट नहीं थी। अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा, थोड़ी बहुत स्थानीय राजनीति और कुछ महत्त्वाकांक्षी युवाओं के 'क्विक मनी' बनाने के गेम ने इन्हें इतना उग्र बना दिया कि खालिस्तान का स्लोगन सामने आया और बाद में बरसों खून का खेल चलता रहा। आई० एस० आई० का रोल भी इसमें अलग तरह का था। वे (पाकिस्तानी) जानते थे कि पंजाब उन्हें नहीं मिल सकता और उन्होंने मांगा भी नहीं, वे उग्रवादियों की मदद सिर्फ़ इसलिए करते रहे क्योंकि इससे एक तो दहशत बढ़ेगी, दूसरे, सरकारी मशीनरी कश्मीर से भटकेगी, लेकिन पंजाब में आतंक खत्म हुआ और आई० एस० आई० को फेलियर मिला। आतंकवाद के इस खात्मे के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा यहां की जनता का सहयोग और स्वर्गीय बेअन्त सिंह के प्रयास।

पंजाब समस्या सुलझाने में स्थानीय लोगों से मदद तब मिलनी शुरू हुई जब वे दहशतगर्दी से उकताने लगे और सिर्फ़ शान्ति की इच्छा रखने लगे। वे सिक्ख जो एक समय में पैसे व शरण देकर मिलिटेंट्स की मदद किया करते थे, अपनी भूमिका बदलने लगे और इस तरह सारा सीन ही बदलने लगा। पुलिस को जो भी सफलताएं मिलीं, वे जनता के सहयोग के बिना सम्भव नहीं थीं। पंजाब व कश्मीर के आतंकवाद में एक चीज़ कॉमन है, आई० एस आई० की इन्वॉल्वमेंट,

रियासतें भी अलग-अलग पहचान रखने वाली कई क्षेत्रीय प्रादेशिक भाषायी अस्मितायें थीं। इन सबको संविधान के ज़रिये एक सूत्र में पिरोना राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से दूसरी महत्त्वपूर्ण चुनौती थी। राष्ट्रवाद व्यक्तिवादी व स्वार्थपूर्ण राजनीति के साथ ही चरमराने लगा। विभिन्न क्षेत्रीय प्रादेशिक-भाषायी और सांस्कृतिक इकाइयों को यह राष्ट्रवाद दमनकारी लगने लगा। स्वाधीनता के बाद जो राष्ट्रीय भावना उभार पर थी, वह अब उतार में दिखाई दे रही है। शान्ति काल में इसके जीर्ण होते जाने के पूर्ण संकेत मिलते रहे हैं। क्षेत्रीय अस्मितायें प्रबल हुईं और कहा जा सकता है कि अब एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत की राष्ट्रीय एकीकरण को लेकर अनेक प्रश्नचिन्ह अंकित हो गये हैं।

हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को इस बात का कतई आभास नहीं था कि हमारी तपस्या, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान के बीच जब हमारा देश स्वतन्त्र होगा तो वह अपनी थोड़ी ही यात्रा के अन्तराल में जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, क्षेत्र एवं सम्प्रदाय के नाम पर एक-दूसरे से नफरत करने वाले असंख्य समुदायों में विभाजित हो जायेगा। स्वर्णिम स्वाधीन भारत की सदिच्छा रखने वाले उन महापुरुषों के मन में कल्पना में भी यह बात नहीं आई होगी। अपने निहित स्वार्थ के कारण राष्ट्रीयता की दृष्टि व सोच एक सीमित परिधि में घिरकर रह गई है। आज़ाद भारत में आज अनेक सुरसामुखी कुप्रवृत्तियां अपना मुंह बाए खड़ी हैं। इनको गम्भीरता एवं व्यापकता से समझने की ज़रूरत है। स्वाधीन भारत की समस्या यह है कि उस पर आधिपत्य ऐसे लोगों का है, जिनके पास कोई राष्ट्रीय सोच व सपना नहीं है। जिनके व्यक्तित्व में कई दरारें हैं और सबसे बढ़कर जो अपनी ही निगाह में घिरे हुए लोग हैं। सत्ता की राजनीति, अवसरवाद, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और जातिवाद जैसी कुप्रवृत्तियां इस समय राष्ट्रीय एकता के सामने चुनौती बन कर खड़ी हो गई हैं।

हमारे राष्ट्र का विशाल प्रांगण जो उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और कल-कल करती नदियों, झर-झर करते झरनों व कोयलों की कुहुक और चिड़ियों की चहक से जन-जन को मन्त्र-मुग्ध किये हुए है। यहां मलयगिरि से बहती ब्रह्ममुहुर्त्त की हवाएं सारे राष्ट्र को नवचेतना प्रदान कर बहुत्व के बीच में एकता के भावों का संयोजन करती है। सचमुच राष्ट्र की सहज मुस्कान तो उसकी अपनी एकता में ही समाहित है। किसी भी राष्ट्र की खुशी एवं प्रसन्नता वहां के जन-जन की खुशी एवं प्रसन्नता के बीच ही खिलती है। यह प्यार और अपनत्व बाह्य नहीं, बल्कि आभ्यन्तर का विषय हैं। जब तक हम मिल बांटकर नहीं खाते, दूसरों के दु:ख दर्द को अपना नहीं समझते, तब तक हमारी एकता कहां। गोपालदास नीरज की निम्न पंक्तियां सम्प्रति विषय पर खरी उतरती हैं। उन्होंने इन पंक्तियों में बाहरी प्रकाश की उपेक्षा करते हुए कहा है कि जब तक हमारा हृदय एकता, भ्रातृभाव, न्याय एवं दया के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, तब तक हमारी दूरी बिल्कुल कम नहीं हो सकती—

"सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी,
मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि है प्यासी,
चलेगा सदा नाश का खेल यों ही, दिवाली भले ही यहां रोज़ आये।"

जिस हिन्द की धरती पर '**वसुधैव कुटुम्बकम्**' एवं '**सर्वे भवन्तु सुखिनः**' का अमर उद्घोष होता था और जहां जन-मानस में प्रेम-अपनत्व का अमर चिराग जलता था, जिसकी मिट्टी में भगवान् राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और अशोक आदि ने जन्म लेकर धरा-धाम को धन्य किया और लोगों को मनुष्यता का एक अमर पाठ पढ़ाया। आज वहीं इसके मूल में कौन-सी दीमक लग गई है, जो उसे खोखला करती जा रही है। आखिर किन कारणों से '**सर्वे भवन्तु दुखिनः**' का जाप किया जा रहा है—वस्तुतः इस भूमि के लिए यह विचारणीय ही नहीं है बल्कि एक गम्भीर सामाजिक, सामयिक एवं राष्ट्रीय चिन्तन का विषय है।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की राष्ट्रीय एकता पर कितना सुन्दर चित्र अपनी कविता में प्रस्तुत किया है, जिसका हिन्दी आशय है—"भारत देश महामानवता का महासागर है। ऐ मेरे हृदय ! इस पावन तीर्थ में श्रद्धा से अपनी आँखें खोलो। किसी को भी ज्ञात नहीं कि किसके आह्वान पर मनुष्यता की कितनी धाराएं अबाध गति से बहती हुई कहां से कहां आईं और इस महासमुद्र में मिलकर विलीन हो गईं। यहां आर्य हैं, यहां अनार्य भी हैं, यहां द्रविड़ और चीनी वंश के लोग भी हैं। शक, हूण, मुगल, पठान जैसे अन्यान्य जातियों के लोग आये और एक ही शरीर में स्थापित हो एकाकार हो गये.....मुझसे कोई दूर नहीं है। मेरे रक्त में सबका रक्त है और मेरे स्वर में सबका स्वर ध्वनित हो रहा है।"

सर हरबर्ट रिज़ले के अनुसार—"भारत में भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, आचार-विचार और जो सामाजिक विभिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं, उस सबके पीछे एक निश्चित मौलिक एकता है, जिसने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के भारतीय जीवन को एक सूत्र में बांधकर रखा है।"

राष्ट्रीय एकता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो सहनागरिकता के साथ-साथ देश भक्ति की भावना में वृद्धि करती है। कोई भी नागरिक चाहे वह किसी रूप, रंग, जाति या धर्म का हो, चाहे वह कोई भी भाषा बोलता हो, उन

बातों से हटकर उसे एक भारतीय नागरिक के रूप में गर्व करना चाहिये और परस्पर अपनत्व की भावना से ओत-प्रोत होना चाहिये। राष्ट्र किसी एक आध-जाति, सभ्यता, वर्ग या धर्म से नहीं बन जाया करता उसमें अनेक धर्मों, जातियों, सभ्यता, संस्कृतियों आदि सभी तत्त्वों का समन्वय रहा करता है। व्यक्ति, समाज, देश एवं राष्ट्र के स्तर पर सबके स्वतन्त्र बने रहने के लिए सबकी एकता को पहली शर्त माना गया है। हम राष्ट्र में एकता स्थापित करके ही अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि हम ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो शत्रु हमें जब चाहे पराजित कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि एकता अथवा राष्ट्रीय एकता वह शक्ति पुंज है, जिसके समक्ष विश्वास की अन्य सम्पूर्ण शक्तियां मन्द और फीकी नज़र आने लगती हैं। घास के तिनके अलग होने पर केवल हवा के एक झोंके से इधर-उधर बिखर जाते हैं, किन्तु तिनके के सभी कण जब मिलकर एक रस्सी के रूप में आबद्ध हो जाते हैं, जो उसके माध्यम से शक्तिशाली हाथी को भी बांधकर वशीभूत किया जा सकता है।

राष्ट्रीय एकता से केवल राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं सुनिश्चित होती है, बल्कि एकता से राष्ट्र का सम्पूर्ण विकास होता है। राष्ट्र के सम्पूर्ण कार्य व्यवहार पर एकता का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। एक ओर जहां सत्ता की राजनीति, अवसरवाद, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता और जातिवाद जैसी कुप्रवृत्तियां इस समय राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हो गई हैं, वहां आन्तरिक विद्रोह, अलगाववाद, उग्रवाद, क्षेत्रीयता, माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद एवं आतंकवाद जैसी प्रवृत्तियां भी राष्ट्रीय एकता को खण्डित करने के लिए निरन्तर तत्पर हो गई हैं। राष्ट्रीय एकता के आन्तरिक खतरों में राष्ट्रीय एकता का अभाव एक अत्यन्त संवेदनशील चिन्तनीय विषय है। राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध देशद्रोही अलगाववादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। सामाजिक सद्भाव एवं मानवीय मूल्य तिरोहित होते जा रहे हैं। राजनीतिक तन्त्र में भ्रष्टाचारियों एवं असामाजिक तत्त्वों की भीड़ बढ़ती जा रही है। धार्मिक कट्टरवाद, साम्प्रदायिकता, वर्ग एवं वर्णभेद की अमर विष-बेल निरन्तर फैलती जा रही है, जो राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के पेड़ को अपने जाल में जकड़ कर सूखने को मज़बूर कर रही है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं और ये सभी विभिन्नतायें वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण की मार्ग की बाधायें हैं—भारत एक ऐसा राष्ट्र राज्य है जिसमें 4635 समुदाय रहते हैं, जिनकी 325 भाषाएं हैं और 25 लिपियां प्रचलित हैं। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 635 है। आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास, संचार क्रान्ति एवं राजनीतिक चेतना के अभूतपूर्व विस्तार के कारण देश के विभिन्न भागों में इन समुदायों की क्षेत्रीय अस्मितायें पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अपनी अस्मिता को लेकर राष्ट्रीय एकता की परवाह नहीं की जाती है। क्षेत्रवाद को लेकर पूर्वोत्तर राज्य चण्डीगढ़ को लेकर हरियाणा व पंजाब, बोडोलैण्ड, गोरखालैण्ड एवं वृहत् नागालैण्ड आदि हमारी एकता को चुनौती दे रहे हैं। इसके साथ ही जातिवाद, निरक्षरता, समाजवाद की असफलता, असन्तुलित क्षेत्रीय विकास, हिंसा की राजनीति, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, सरकार की नीति, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय दल एवं विदेशी ताकतें राष्ट्रीय एकता को तार-तार करने के लिए अपने प्रयास करती रहती हैं।

बात हम राजनीति से ही शुरू करें। भारत के संसदीय लोकतन्त्र के इतिहास में यह घोर व्यक्तिवादी राजनीति का दौर है। आदर्शों, स्थापनाओं, सिद्धान्तों, वैचारिक विमर्शों, तथ्यों और तर्कों तथा सामान्य व्यावहारिक नैतिकताओं का जितना मजाक इस काल की राजनीति में उड़ाया जा रहा है वैसा इससे पहले किसी भी दौर में नहीं हुआ। राष्ट्रवाद, मानवतावाद, गांधीवाद, समाजवाद, साम्प्रदायिक सद्भाव, समतावादी समाज, सामाजिक न्याय, ग़रीबों का कल्याण, देशभक्ति जैसे मुहावरे जिस तरह से काल खण्ड में अर्धच्युत हुए हैं, वैसे पहले कभी नहीं हुए। राजनीतिकों, भ्रष्ट अफसरों, महत्त्वाकांक्षी उद्योगपतियों, चालाक वित्त व्यवस्थापकों और तस्करों, गुंडों, अपराधियों के बीच जितने सम्बन्ध अब दिखाई देते हैं आज से दो दशक पहले तक नहीं दिखते थे। इस राजनीति ने आज़ादी के 58 वर्षों में अगर कोई उपहार दिया है तो वह गहरी निराशा, अविश्वास, अनास्था और असुरक्षा का है। ऐसा इसलिए है कि इस दौर की अस्सी प्रतिशत राजनीति व्यक्तियों, समूहों, गुटों की रक्षा कर रही है सामान्य व्यक्ति के हितों की नहीं।

कटु सत्य यही है कि आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद एवं नक्सलवाद जैसी राष्ट्रविरोधी ताकतों को संरक्षण, सहयोग व शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवादी राजनीति के द्वारा मिल रही है। यह राष्ट्र विरोधी ताकतें राष्ट्रीय सुरक्षा की जड़ों को जहां कुरेदती हैं, वहां राष्ट्रीय एकता को खण्डित करने में तत्पर रहती हैं। विगत दो दशक में आतंकवाद ऐसी बर्बरता एवं क्रूरता में बदल गया है, जिसने अनगिनत जानें ली हैं। मौजूदा दौर में आतंकवाद का रूप एक बड़े पैमाने पर बदला है और ऐसा नई तकनीकों के आने से हुआ है। संचार के अब ऐसे साधन आ गये हैं, जिनसे आतंकवादी संगठन एक-दूसरे के साथ आसानी से सम्पर्क कर पा रहे हैं और धन जुटाने से लेकर रणनीति बनाने तक आपस में बेहतर संवाद बना पा रहे हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आतंकवाद लगभग पूरी दुनिया की चुनौती के रूप में उभरा है, किन्तु दुनिया के बहुत से अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति कहीं अधिक जटिल है और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद के लिए पर्याप्त उर्वरा है। भारत में जितनी अधिक जातीय, भाषायी, धार्मिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक आदि बहुलतायें हैं उतनी ही अधिक यहां आतंकवाद और अलगाववाद के विकास की सम्भावनायें हैं। यहां यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी आतंकवाद राजनीति उद्देश्य से प्रेरित होता है और राजनीति के औज़ार के रूप में काम करता है, तब तक अलगाववाद एवं उग्रवाद का पर्याय बनकर सामने आता है। पंजाब, कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियां इसका स्पष्ट प्रमाण हैं।

इस कटु सत्यता को स्वीकार करना होगा कि भारत निरन्तर नये-नये प्रकार के आतंकवाद की क्रीड़ास्थली बन चुका है। चाहे इसके लिए बाहरी तत्त्वों की दुर्भावना ही जिम्मेदार हो या हमारे अपने तन्त्र की दुर्बलता। इस आतंकवाद का मुकाबला परम्परागत उपायों से नहीं किया जा सकता। आतंकवादी संगठन अनेक प्रकार के उत्तेजित नारे लगाकर व कुछ लोगों को गुमराह कर उनकी सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे-इस्लामी आतंकवादी 'जेहाद' के नाम पर जारी है। पाकिस्तान एक कट्टरपंथी मुस्लिम और आतंकवादी देश बन चुका है। दुर्भाग्यवश भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियां उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य का अंग बन चुका है। पाक खुफिया तन्त्र आई० एस० आई० भारत में आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक है। वास्तव में आतंकवाद कट्टरवाद का ही अन्तिम एवं निर्णायक विस्तार है। घृणावाद, वहशीपन तथा सीमातीत अराजकता कट्टरवाद की पहचान है। रक्तपात, निरपराध लोगों की नृशंस हत्या, क्रूरता व बर्बरता इसके अवयव हैं। आतंकवाद का सबसे घातक रूप आत्मघाती दस्ते के रूप में उभरा है, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को ही नहीं, अपितु मानवीय मूल्यों की सुरक्षा को सीधी चुनौती मिल रही है।

आन्तरिक सुरक्षा एवं एकीकरण के मोर्चे पर एक और चुनौती हमारे देश में नक्सलवाद के रूप में उभरी है। नक्सलवाद का वास्तविक उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक समानता स्थापित करने का भले ही हो, किन्तु अकारण हिंसा, अपराध, अन्याय एवं उग्रवाद अपनाने के कारण भारतीय एकता एवं अखण्डता के लिए एक बड़ी चुनौती एवं आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक सामयिक समस्या के रूप में उभरी है। हकीकत यह है कि नक्सलवादियों का इरादा दलितों, आदिवासियों, भूमिहीनों एवं निर्धनों आदि को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें बहला-फुसलाकर अपना उल्लू सीधा करना है। सत्ता एवं व्यवस्था से मतभेद के लिए बर्बरतापूर्वक कृत्य करना नक्सलवाद के मूल लक्ष्य के विरुद्ध है। सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राजसत्ता पर अधिकार करने के इरादे स्वयं, समाज, राज्य एवं राष्ट्र के अस्तित्व के लिए घातक है।

नक्सलियों के मामले में यह ध्यान रखना होगा कि अभी तक किसी भी केन्द्र अथवा राज्य सरकार ने नक्सली संगठनों के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाई नहीं की है। यही कारण है कि उनका दुस्साहस दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। यह खतरनाक स्थिति का सूचक है, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में माओवादियों ने एक तरह से अपना आधिपत्य कायम कर लिया है। नेपाल में माओवादियों का वर्चस्व कायम होने का बुरा असर भारत पर पड़ना तय है, क्योंकि माओवादियों और भारत के नक्सली संगठनों में अच्छी-खासी सांठ-गांठ है। भारत सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि वह माओवादियों और नक्सलियों के गठजोड़ को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए। यदि नक्सली संगठनों की गतिविधियां इसी तरह बढ़ती रहीं तो आन्तरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यद्यपि देश में नक्सलवाद के उभार के लिए संप्रग सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसने आन्ध्र प्रदेश के नक्सलियों के प्रति जैसी नरमी दिखाई उसका कोई औचित्य नहीं था। नक्सलवाद की समस्या के प्रति केन्द्र और राज्य सरकारों ने अभी तक शुतुरमुर्गी रवैये का ही परिचय दिया है। इसके गम्भीर दुष्परिणाम सबके सामने हैं। कम-से-कम अब तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश की आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा खतरे में पड़े।

भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौती देने के लिए नित नये रूप उभरकर सामने आ रहे हैं। यह समस्याएं इस कारण से भी ज़िन्दा हैं कि हमारे समाज में अन्तर्विरोध, अन्धानुकरण, अन्धविश्वास, अशिक्षा, अनीति, अपकार, असहयोग, अस्मिता, असन्तोष अन्याय, अपराध, अराजकता, अशान्ति एवं विक्षोभ के कारण बाकायदा बने हुए हैं। जब तक भूख, उत्पीड़न, दबाव, दमन, दहशत से पीड़ित एवं वंचित आबादी रहेगी, तब तक राष्ट्रीय एकता की समस्याएं बराबर बरकरार रहेगी। निर्धनता, बेरोज़गारी, जनसंख्या विस्फोट, साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक हिंसा, पिछड़ी जातियां, जनजातियां एवं वर्ग-वर्ण भेद, युवा असन्तोष और आन्दोलन, हिंसा व शोषण, निरक्षरता, आर्थिक विषमता, अपराध और आपराधिक प्रवृत्तियां, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों का सेवन एवं तस्करी, उग्रवाद, अलगाववाद, आतंकवाद तथा सामाजिक मूल्यों के ह्रास पर जब तक अंकुश नहीं लगाया जायेगा, तब तक राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा वास्तविकता से दूर रहेगी।

इन विषम स्थितियों में सुख, शान्ति, अमन-चैन कैसे कायम हो, इस विषय पर भी विचार-विमर्श करने की सामयिक ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विकास की आधारशिला राष्ट्रीय एकीकरण पर ही निहित होती है।

- सर्वप्रथम हमें प्रारम्भ से ही बच्चों की मनोवृत्तियों पर एक ऐसा अमिट प्रभाव छोड़ना चाहिए जो परस्पर प्रेम व अपनत्व की भावना को संजोता रहे। यह मनोवृत्ति संस्कार, शिक्षा व पारिवारिक परिवेश से पनपती है।
- शिक्षा में हमें सुधार करना चाहिये। शिक्षा का आशय ज्ञान से है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी प्रभावी भूमिका है वह नहीं के बराबर है। यदि शिक्षा से राष्ट्रीयता व मानवता न [illegible] धर्मान्धता के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हमारी शिक्षा का कोई आशय ही नहीं। शिक्षा और सुरक्षा के बि[illegible] नहीं बनेगी।
- **धार्मिक कट्टरता वाले संगठन जहां से धार्मिक उन्माद फैलता है, उन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए, साथ ही साथ कट्टर धर्म गुरुओं पर भी निगाहें रखी जायें, ताकि राष्ट्र में विरोधी कट्टरता को फैलाया न जा सके।**
- आज की इस चुनाव प्रणाली पर भी विचार-विमर्श कर इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिये ताकि उससे साम्प्रदायिकता, धार्मिकता, धर्मान्धता और क्षेत्रीयता को बढ़ावा न मिले। इसके साथ ही साथ निर्वाचन कानूनों में यह भी संशोधन होना चाहिये ताकि जातीय, साम्प्रदायिक एवं धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके।
- धर्म को राजनीति से अलग किया जाना चाहिये। राजनेता राजनीति को धार्मिक आवरण देकर अपनी स्वार्थपूर्ति का एक बड़ा माध्यम न बना सकें।
- देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। विकास के रास्ते में दो बड़े संकट हैं—एक भ्रष्टाचार और दूसरा पद से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग। जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकारें जबावदेह और पारदर्शी हों तथा जनता भी स्वयं जागरूक बने।
- देश में आतंकवादी, अलगाववादी एवं उग्रवादी गतिविधियों के मूल में जाकर उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर कोई शान्तिपूर्ण समाधान ढूंढ़ना चाहिये, ताकि सन्तुलित विकास का वातावरण बनाया जा सके। इसके लिए पिछड़े राज्यों को विकास की धारा में आगे लाने की भी महती आवश्यकता है।
- विभिन्न धर्मवादियों को एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिये। एक-दूसरे के त्योहारों, उत्सवों में भाग लेना चाहिये और एक-दूसरे के धर्म गुरुओं का सम्मान करना चाहिये।
- वर्तमान में सबसे बड़ी जरूरत है उचित और समयानुकूल शिक्षा व्यवस्था की। दुनिया में हथियार नहीं, बल्कि ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था का बोलबाला है, जबकि हमारे देश में अधिक संख्या में नागरिक निरक्षर हैं।
- राष्ट्रीय एकता हेतु एक लक्ष्य तय करें, नए उत्पाद बढ़ाएं, जोखिए उठाएं, आपसी सहयोग बढ़ाएं और विकास एवं प्रगति के क्षेत्र में अग्रणीय बनने की ज़रूरत है। इसके साथ ही शिक्षा व सेवाओं का मज़बूत व व्यापक नेटवर्क बनाना होगा।

इस विशेष स्थिति में ही यहां अमन-चैन कायम हो सकता है अन्यथा '**चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, दिवाली भले ही यहां रोज़ आये।**' सृष्टि का जब अस्तित्व है, तो व्यक्ति का निर्माण होता ही रहेगा। वर्तमान, कल अतीत का विषय बनता ही रहेगा। सद्वृत्तियों का समावेश न होने पर मनुष्यता का उपहार होता ही रहेगा। खिलखिला कर हंसने के बजाय दबे मन से लेखनी चलती ही रहेगी और इतिहास रचता ही रहेगा। जब तक हृदय में पवित्रता का उदय न होगा, लोगों में अपनेपन का अहसास न होगा तब तक इस जीवन का कोई मूल्य न होगा। भारत को ज़रूरत है उस समाज की, जो मानव विरोधी और मानव के बीच भेद करने वाली कुप्रवृत्तियों को समूल नष्ट कर सके और भारत को न केवल भारत में, बल्कि विश्व मंच पर एक संवेदनशील, न्यायपूर्ण, समतावादी, समष्टिवादी तथा अपनी और समूचे विश्व की समस्याओं के प्रति अत्यधिक जागरूक एवं जुझारू समाज के रूप में स्थापित कर सके।

स्वार्थ की भावनायें, बदले की सोच, प्रान्तीयता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, धर्म एवं राजनीति, आर्थिक पिछड़ापन, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, 'विभाजन करो व शासन करो' की राजनीति, सामाजिक चेतना का अभाव व वर्ण-वर्ग भेद आदि के कारण देश में समय-समय पर विघटन की प्रवृत्ति के जो दर्शन होते हैं वह हमें झकझोर डालती है एवं राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट पैदा हो जाता है। वास्तव में हमें राष्ट्रीय चरित्र एवं संस्कार पैदा करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय एकता के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने की सामयिक आवश्यकता है।

भारतीय रक्षा बजट

वर्तमान प्रतिरक्षा परिदृश्य, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा कूटनीति के उभरते नित्य नये आयामों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सामरिक एवं सामयिक आवश्यकताओं की समीक्षा करना बेहद ज़रूरी है। किसी भी राष्ट्र की

सुरक्षा का प्रश्न सदैव ही सर्वोपरि एवं महत्त्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं स्थिरता की सुरक्षा हेतु देश की सामरिक स्थिति का सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय सुरक्षा के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए ही हमें अपने रक्षा बजट के वृद्धि की ज़रूरत है। उभरते हुए वैश्विक परिवेश में भारत ने सुरक्षा के प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आर्थिक सुदृढ़ता, आन्तरिक सम्बद्धता और प्रौद्योगिकी प्रगति भी शामिल है। तथापि, देश के समक्ष उपस्थित सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों को देखते हुए भारत को किसी भी आक्रमण का जवाब देने तथा इस क्षेत्र में शान्ति, स्थिरता एवं प्रगति को प्रोत्साहन देने के साथ ही रचनात्मक सहयोग हेतु अपेक्षित स्तर की सैन्य क्षमता और रक्षा तैयारी बनाये रखनी होगी।

हमारी स्वाधीनता के 58 वर्षों के अन्तराल का प्रतिरक्षा परिदृश्य इस प्रकार का रहा, जिसमें हमारी सुरक्षा शक्ति अत्यन्त सुदृढ़, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अवश्य दिखायी पड़ती है, किन्तु इसमें आयातित रक्षा साधनों, बदलते सुरक्षा परिवेश तथा असंगत नीतियों के प्रभाव भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। चालू वर्ष के बजट में रक्षा मन्त्रालय के लिए आबंटन राशि बढ़ाये जाने के बावजूद उपलब्ध धन राशि देश के सुरक्षा बलों एवं सुरक्षा साधनों के आधुनिकीकरण की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। बदलता वैश्विक परिवेश, देश का सुरक्षा परिदृश्य, कारगिल के कटु अनुभव, हिन्द महासागर एवं दक्षिण एशिया के आस-पास इलाके में अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों की लगी पैनी निगाहों के फलस्वरूप हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण तात्कालिक ज़रूरत है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भले ही महाशक्तियों का तनाव कम हो गया है, परन्तु आतंकवाद, अलगाववाद व विद्रोही ताकतों के उभरते रूप से तनाव में वास्तविकता में कोई कमी नहीं आयी है। पड़ोसी पाकिस्तान एवं भारत के बीच गोलियों की गड़गड़ाहट भले ही सुनाई न दे रही हो, किन्तु पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षिण शिविर तथा आतंकवाद को मदद करने वाला ढांचा पहले की तरह सक्रिय न होते हुए की पूरी तरह सक्षम है और अपनी गतिविधियों को अन्जाम देने के लिए बाट देखता रहता है।

हाल ही में पाकिस्तान के शीर्षस्थ सैन्य अधिकारियों ने अपनी खुफिया ऐजेन्सी इण्टर सर्विस इण्टेलीजेन्स (आई० एस० आई०) को भारतीय सीमा में सीमित आधार पर ताजा हमला शुरू करने के लिए आतंकी समूहों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करने के लिए अधिकृत किया है। यह खुलासा '**इण्टर नेशनल सेन्टर फॉर इनीशिएटिव्स**' द्वारा जारी पुस्तक '**द फाइनल सेटलमेण्ट रिस्ट्रक्चरिंग इण्डिया पाकिस्तान रिलेशंस**' में किया गया है। पाकिस्तानी सेना और आई० एस० आई० द्वारा जेहादी संगठनों को एक औज़ार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन जेहादी संगठनों में लगभग 10 लाख युवक शामिल है। इनमें कई तो संचारतन्त्र, प्रचारतन्त्र और धन उगाही के काम में लगे हुए हैं। यह चुनौती केवल भारत के लिए ही घातक नहीं होगी, बल्कि सम्पूर्ण दक्षिण एशिया की शान्ति के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन जायेगी। पाकिस्तान के प्रति बढ़ती अमेरिका एवं चीन की सामरिक रुचि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करती है।

आज शान्ति, अमन और नवीन विश्व व्यवस्था के स्थान पर हम नित्य नये संघर्ष और लगातार व्याप्त अव्यवस्थाओं के दौर से गुज़र रहे हैं। वर्तमान में अन्तर्राज्यीय युद्ध इतने अधिक नहीं चल रहे हैं, जितने की अन्तर्राज्यीय हिंसा, विद्रोह, अलगाववाद, आतंकवाद एवं बाह्य शक्तियों द्वारा अघोषित-युद्ध चलाये जा रहे हैं, जो विश्व के सुरक्षा परिवेश पर अपना सीधा असर डाल रहे हैं। यही कारण है कि प्रत्येक देश अपने सामरिक परिवेश एवं राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त रूप से शक्तिशाली सैन्य क्षमता को जुटाने में लगा रहता है। हमारे देश के समक्ष मौजूद सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों को देखते हुए भारत को किसी भी आक्रमण का जवाब देने तथा इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता को प्रोत्साहन देने के लिए रचनात्मक सहयोग हेतु अपेक्षित स्तर की सैन्य क्षमता एवं सैन्य तैयारी बनाये रखनी होगी।

यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा सुदृढ़ रक्षातन्त्र के निर्माण हेतु पर्याप्त रक्षा बजट उपलब्ध कराना प्रत्येक सरकार का प्रथम राष्ट्रीय दायित्व होता है। पर्याप्त धन के अभाव में न तो सशस्त्र सेनाओं को आधुनिकतम घातक, प्रहारक एवं संहारक हथियारों से सुसज्जित किया जा सकता और न ही रक्षा अनुसन्धान व विकास कार्य सुचारु रूप से संचालित किये जा सकते हैं। जहां तक भारत के रक्षा बजट का प्रश्न है अनेक रक्षा विशेषज्ञों के सुझाव एवं सलाह के बावजूद भी इस वर्ष 2005-2006 के रक्षा बजट में मामूली मात्र 7.79 प्रतिशत की ही वृद्धि की गयी है जोकि एक चिन्तन का विषय अवश्य ही है। अब हम दृष्टि डालते हैं कि भारत के एक दशक के रक्षा बजट पर—

वर्ष (जी० डी० पी०)	रक्षा व्यय प्रतिशत (करोड़ रु०)	रक्षा व्यय पर व्यय (करोड़ रु०)	रक्षा अनुसन्धान व विकास पर व्यय (करोड़ रु०)
1994-95	2.53	23,245	1241.23
1995-96	2.39	26,856	1382.41
1996-97	2.52	29,505	1435.79
1997-98	2.41	35,278	1951.38
1998-99	2.31	39,897	2299.80
1999-00	2.48	47,071	2740.00
2000-01	2.31	54,461	3281.45
2001-02	2.50	58,587	3508.34
2002-03	2.34	65,000	3008.11
2003-04	2.94	65,300	3443.18
2004-05	2.50	77,000	3747.12
2005-06	2.47	83,000	5356.34

स्रोत—रक्षा मन्त्रालय भारत सरकार

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 में भारत का रक्षा बजट 83 हज़ार करोड़ अनुमानित किया गया है, जोकि पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा बजट 77 हजार करोड़ के मुकाबले छः हजार करोड़ रुपये अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि विगत वर्ष की तुलना में इस नये बजट में 7.79 प्रतिशत की ही नाम मात्र वृद्धि की गयी है जबकि विगत वर्ष 2004-2005 के रक्षा बजट में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। सुरक्षा नीति का एक अहम् पहलू, उसका रक्षा पर होने वाला व्यय होता है। इसके अन्तर्गत रक्षा पर किया जा रहा व्यय व उसका देश के सामर्थ्यता एवं रक्षा की विश्वसनीयता के सन्दर्भ में आकलन महत्त्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि रक्षा तैयारियों की अनदेखी किसी राष्ट्र या समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।

विगत कुछ वर्षों से भारत अपनी रक्षा नीति में सामरिक परिवेश में होने वाले लगातार परिवर्तन को ध्यान में रखता रहा है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प रहा कि तैनात की गयीं सशस्त्र सेनायें सुसज्जित हों, उनके कार्मिकों की तैनाती समुचित हो तथा उनको सन्तुलित रूप से सहायता प्रदान की जा सके, ताकि वे संक्रियाओं का कारगर ढंग से निष्पादन कर सके। इनके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वे भावी चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना कर सके। यही कारण है कि हमारा सुरक्षा ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह नये सामरिक परिवेश का कारगर सामना कर सके और साथ ही भावी प्रगति को अपनाने के लिए तत्पर रहे। यह बात भी विशेष महत्त्वपूर्ण है कि हथियारों पर होने वाले खर्च का अर्थ सेना के आधुनिकीकरण से कदापि नहीं लेना चाहिए।

रक्षा रणनीति तथा सुरक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाना रक्षा योजना का सार है। हमारे देश के विस्तृत आकार और व्याप्त सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताओं को देखते हुए हमारा रक्षा परिव्यय केन्द्र सरकार के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अथवा कुल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) के रूप में पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है। विगत अनुभव एवं सुरक्षा परिदृश्य के तहत पिछले वर्षों में रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी किये जाने से सेना ने आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण की जो गति पकड़ी थी, उससे स्पष्ट अनुमान लगाया जाने लगा था कि 2005-2006 के रक्षा बजट में लगभग 25-30 प्रतिशत तक की अवश्य वृद्धि की जायेगी, किन्तु मात्र 7.79 प्रतिशत की ही वृद्धि की गयी। इससे सेना के आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका अवश्य उत्पन्न हुई है।

हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए इस बजट में प्रस्तावित धनराशि से कही अधिक बजट की आवश्यकता है। सेना के तीनों अंगों (स्थल, नौ एवं वायु सेना) में ढांचागत बदलाव की ज़रूरत है। इसके साथ ही नये उपकरणों,

आयुधों व साज-सज्जा की खरीददारी में भी बड़े स्तर पर व्यय की आवश्यकता है। चूंकि रक्षा उपकरणों की खरीद में काफ़ी समय लगता है और हाल के वर्षों में रक्षा सौदों पर 'तहलका' जैसे विवाद उठ जाने के कारण रक्षा सौदों की खरीददारी धीमी-सी पड़ गयी है। यही कारण है कि वायुसेना के लिए 'फाल्कान' टोही विमान', तथा 'हॉक जेट प्रशिक्षण विमान' तथा नौ सेना के लिए 'विमान वाहक पोत गोर्शकोव' आदि की खरीद का निर्णय एक लम्बी अवधि तक लटका रहा और खरीद के बाद उसे सेना के उपयोग में लाने में भी समय लगता है। इस प्रकार सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक कटौती प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालती है। यह उल्लेखनीय है भारत की सुरक्षा परिस्थिति के सन्दर्भ में सेना को सुसज्जित करने में समय बहुत महत्त्व रखता है। सेना के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों का चयन, उसके बाद आपूर्ति, सैन्यकर्मियों को उनका प्रशिक्षण देना और सेना में तैनातगी आदि हर चरण में समय लगता है।

भारत जैसे विकासशील देश को जहां एक ओर एक बड़ी सैन्य शक्ति रखनी पड़ती है, वहां दूसरी ओर प्रौद्योगिकी प्रगति दर के साथ चलने एवं उसके पुराने पड़ जाने के कारण आधुनिकतम हथियार एवं सैनिक साधन जुटाने की होड़ में अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ती है। वर्तमान परिदृश्य में हमारी नौ सेना को नवीन परमाणु चलित पनडुब्बियों की, स्थल सेना को नवीन तकनीकी वाले टैंकों एवं मल्टी बैटल रॉकेट 155 मिमी० की तोपे की तथा वायु सेना को लगभग 125 नये प्रकार युद्ध के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही रक्षा अनुसन्धान व शोध के लिए भी एक बड़ी धनराशि जुटाने की ज़रूरत पड़ती है। इस वर्ष के रक्षा बजट में रक्षा अनुसन्धान के लिए अधिक धनराशि आबंटित की गयी है, किन्तु इस प्रस्तावित रक्षा बजट से स्पष्ट आभास होता है कि भारत सरकार रक्षा के मामले में ज्यादा व्यय करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हम सभी यह स्पष्ट रूप से मानते तथा स्वीकार करते हैं कि अपनी रक्षा तैयारियों के प्रति तत्पर, सचेत एवं सतर्क रहकर ही चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

एक कटु सच्चाई यह है कि भारत के रक्षा बजट में वृद्धि की बजाय निरन्तर कमी हो रही है, क्योंकि मौजूदा आंकड़ों को देखा जाये तो विगत वित्तीय वर्ष में भारत जहां अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) का मात्र 2.47 प्रतिशत ही रक्षा पर व्यय किया, जबकि पाकिस्तान कटौती के बावजूद अपने सकल घरेलू उत्पादन (जी० डी० पी०) का लगभग 5 प्रतिशत और चीन लगभग 5.5 प्रतिशत से अधिक रक्षा पर व्यय कर रहा है। विगत वर्ष हमारे देश में रक्षा बजट के क्षेत्र में 77 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष सरकार ने इसे 6000 करोड़ बढ़ाकर 83000 करोड़ रुपये कर दिया है, जो कहने के लिए 7.79 प्रतिशत वृद्धि है। पड़ोसी देश चीन एवं पाकिस्तान के रक्षा बजट के बारे में यहां बताना इसलिए आवश्यक है कि उनका भारत के मुकाबले रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से कहीं अधिक है। यह बात सही है कि इस बार हमारे ऊपर रक्षा बजट में कटौती करने का एक बड़ा भारी दबाव अवश्य था, किन्तु किसी दबाव में आकर रक्षा व्यय में कटौती को कभी भी उचित नहीं ठहराया नहीं जा सकता है।

हमारे इस बार के रक्षा बजट में कटौती निःसन्देह एक गम्भीर चिन्तन का विषय है, चूंकि भारत एक बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण राष्ट्र होने के नाते ही विश्व में संख्या की दृष्टि से भारतीय स्थल सेना का चौथा और वायुसेना में पांचवा स्थान रखता है। इसके साथ ही भारत एक समुचित एवं सुदृढ़ नौ सेना को भी विकसित कर रहा है, ताकि हिन्द महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सके। हमारे देश को इस समय शक्ति प्रदर्शन, साम्राज्य विस्तार, प्रभुत्व जमाने अथवा विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक परिवेश से विवश होकर अपनी रक्षा व्यवस्था पर व्यय करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) के प्रतिशत की दृष्टि से भारत का रक्षा बजट-दुनियां में रक्षा पर कम-से-कम व्यय करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। हमारे पड़ोसी राष्ट्र चीन एवं पाकिस्तान अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा प्रतिशत रक्षा पर व्यय करते रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान अमेरिका एवं चीन दोनों से ही गठजोड़ करके सैन्य सहायता प्राप्त करता है, जोकि उसके रक्षा बजट से अतिरिक्त होती है। अतः भारत के भौगोलिक आकार और विस्तृत संसाधनों को देखते हुए हमारी रक्षा व्यवस्था को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। भू-राजनीतिक एवं भू-कूटनीतिक दृष्टि से हमें अपने सामरिक हितों को कदापि उपेक्षित नहीं करना चाहिए।

देश	क्षेत्रफल (वर्ग किमी०)	जनसंख्या (लगभग)	रक्षा बजट (अरब अमेरिकी डालर में)		
			2001	2000	1999
भारत	32,87,590	1 अरब	15.6	15.9	10.7
अमेरिका	93,72,610	28.5 करोड़	396.1	343.2	305.4
पाकिस्तान	8,03,940	13.8 करोड़	2.6	3.3	2.7
चीन	95,96,960	1.25 अरब	42.0	39.5	37.5
रूस	1,70,75,200	14.6 करोड़	60.0	56.0	55.0
ब्रिटेन	2,44,820	5.9 करोड़	34.0	34.5	34.6
इज़रायल	20,770	57.5 लाख	9.0	7.00	6.7
जापान	3,77,835	12.6 करोड़	40.0	45.6	41.1
फ्रांस	5,47,030	5.8 करोड़	25.4	27.0	29.5
जर्मनी	3,56,910	8.2 करोड़	21.0	23.3	34.7

वस्तुस्थिति यह है कि हमारा जो अनुमानित रक्षा बजट पास किया जाता है, उसकी 60 प्रतिशत राशि सशस्त्र सेनाओं के वेतन एवं भत्ते पर ही व्यय हो जाती है। इसके अलावा सेना के रख-रखाव, राशन तथा पेट्रोल, आयल एवं लूब्रीकेन्ट, हथियारों, भवनों, रोड तथा आधारभूत ढांचे को उचित रूप में बनाये रखने में 20 प्रतिशत राशि व्यय करनी पड़ती है। इसके साथ ही विगत वर्ष हथियारों के आयात सम्बन्धी समझौते को पूरा करने के लिए लगभग 10 से 12 प्रतिशत राशि चली जाती है। इस आधार पर मुश्किल से 8 से 10 प्रतिशत रक्षा बजट की राशि नये हथियारों की खरीद एवं सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में व्यय हो पाती है। इस प्रकार व्यय राशि से स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी तीनों सेनाओं का किस रूप में विकास एवं आधुनिकीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही आखिर आर्थिक दबाव में क्यों फंस जाती है—सिफ़ारसे, एक सामयिक समीक्षा का गहन एवं गम्भीर विषय है, भारतीय सेना में आज भी 11709 अधिकारियों का अभाव है। इस कमी के कारण ही सैन्य अधिकारियों पर काम का दबाव व उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय सेनाओं पर जहां एक ओर लगातार दबाव है वहां उसके लिए सुविधाओं का अभाव तो है ही साथ ही हमारा सुरक्षा परिवेश भी कम घातक नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा अलावा आतंकवाद अलगाववाद, विद्रोह की लड़ाई, पूरे देश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को स्थापित करने में शासन व प्रशासन को सक्रिय सहयोग तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रबन्ध बनाये रखना आदि सभी काम सेना का उत्तरदायित्व बन चुका है। इसके व्यापक कार्यक्षेत्र एवं महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील समझने के बावजूद रक्षा के क्षेत्र में आर्थिक कटौती एक बेहद चिन्तनीय मुद्दा अवश्य है। प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ के० सुब्रह्मण्यम् ने रक्षा बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि—'यह एक व्यापक सोच है कि रक्षा व्यय को एक 'पवित्र गाय' की तरह आदर्श रूप में माना जाता है, किन्तु व्यावहारिकता कुछ और ही है। यह छवि उन कैबिनट मन्त्रियों द्वारा छोड़ी गयी है, जोकि रक्षा के मामलों में समुचित जानकारी एवं प्रबन्ध से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। यदि समय रहते इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।'

विडम्बना इस बात की है कि सेना के तीनों (स्थल, वायु व नौ सेना) अंगों के मद में 500 करोड़ की कटौती की गयी है। स्थल, वायु तथा नौ सेना के लिए पूंजी परिव्यय हेतु 31490 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान बनाया गया था, किन्तु इस वर्ष के रक्षा बजट में इसे घटाकर मात्र 31000 करोड़ कर दिया गया है। इस वर्ष के रक्षा बजट में जो धनराशि सुनिश्चित की गयी है यह राशि तो विगत वर्ष 2004-2005 की गयी खरीददारी के भुगतान से ही पहले तयशुदा उपस्करों एवं सैन्य सामग्री में ही व्यय हो जायेगी। जैसा कि ज्ञात है कि 2003-04 में किये गये सौदे जैसे—'एडवान्स जेट ट्रेनर विमान' तथा 'विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव' आदि। इस बात से स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बजट में प्रस्तावित व अनुमानित आबंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है, बल्कि सीधे शब्दों में कह सकते है कि वास्तविकता में इस वर्ष पूंजी परिव्यय के लिए धनराशि आबंटित हुई ही नहीं है। सुरक्षा परिवेश और बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए रक्षा बजट में की गयी बढ़ोत्तरी बहुत ही कम है।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अभी रक्षा बजट में राजस्व व्यय की भागेदारी 60 प्रतिशत है, जबकि पूंजीगत व्यय का यह 40 प्रतिशत है। इस सन्दर्भ में जबकि सरकार का प्रयास यह होना चाहिए कि राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का प्रतिशत आधा-आधा यानि 50-50 प्रतिशत हो। इसके पश्चात् मौजूदा स्थिति के प्रतिकूल यानि राजस्व व्यय का 40 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय का 60 प्रतिशत भाग तय करने का लक्ष्य बनाना होगा तभी सही अर्थों में भारतीय सेना का विकास एवं आधुनिकीकरण हो सकेगा। कारगिल युद्ध के समय स्पष्ट रूप से हमें सबक मिल गया था कि सेना को आधुनिकतम हथियारों एवं तकनीकी से सुसज्जित करने के मामले में कोताही घातक सिद्ध हो सकती है। इस सबक के बावजूद रक्षा बजट में उदासीनता दिखाना किसी भी स्तर पर उचित नहीं कहा जा सकता है।

प्रस्तावित इस रक्षा बजट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के कुल बजट के एक रुपये में 14 पैसे रक्षा सुविधा, साधन एवं व्यवस्था में व्यय किये जायेंगे। विगत वर्ष के निर्धारित रक्षा बजट में यह औसतम लगभग 12 पैसे था, किन्तु यहां यह महत्त्वपूर्ण बात है कि विगत वर्ष सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) का 2.47 प्रतिशत रक्षा खर्च के लिए धनराशि आबंटित की थी किन्तु इस बार घटकर 2.35 प्रतिशत ही रह गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रक्षा बजट पर सरकार समुचित रूप से ध्यान नहीं दे रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान व चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का हमसे कहीं अधिक राशि अपने रक्षा बजट में आनुपातिक दृष्टि से खर्च कर रहे हैं। भारतीय सामरिक परिवेश एवं मूल्यांकन की दृष्टि से हमें अपने रक्षा बजट में कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) का कम-से-कम 3 प्रतिशत व्यय करने की सामयिक ज़रूरत है। हमारे रक्षा बजट का मूल्यांकन बदलते वैश्विक परिवेश तथा उभरती नयी परिस्थितियों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मुद्रास्फीति की वृद्धि, रुपये के अवमूल्यन व आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों की बढ़ी हुई कीमतों को भी नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि अतीत के अनुभवों तथा तेज़ परिवर्तनों वाले आगामी वर्षों की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जो त्वरित निर्णय करें और सशस्त्र सेनाओं को किसी भी खतरे का सामने के लिए तैयार करें।

परमाणु अप्रसार सन्धि समीक्षा सम्मेलन

परमाणु अप्रसार सन्धि (एन० पी० टी०) को सशक्त सुदृढ़ एवं सुसंगठित बनाने पर विचार करने हेतु आयोजित सम्मेलन लगभग एक माह तक विचार-विमर्श के बाद मतभेदों के कारण अन्ततः विफल हो गया। मई, 2005 के अन्त में यह एक ऐसी घटना घटित हुई, जिसने सुरक्षा सम्बन्धी सोच को विश्वव्यापी स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। 2 मई से 27 मई के दौरान चल रहा यह समीक्षा सम्मेलन असफल ही नहीं कहा जायेगा, बल्कि इस वार्ता में किसी परिणाम पर पहुंचना तो दूर वर्ष 2000 में हुई पहली समीक्षा वार्ता के बाद से अब तक इस मुद्दे से जुड़ी प्रमुख महत्त्वपूर्ण एवं राजनीतिक घटनाओं तक की भी समीक्षा ठीक से नहीं हो पायी। वस्तुस्थिति यह है कि परमाणु अप्रसार सन्धि परमाणु शस्त्र सम्पन्न एवं परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्रों के मध्य दोहरा बर्ताव अपनाने के कारण अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रही है। यह सन्धि ग़ैर-परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के लिए जो शर्तें सामने रखती है, उस पर अमल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गयी है। यह सन्धि परमाणु सम्पन्न और परमाणु विहीन देशों के वर्तमान विभाजन को निरन्तर बनाये रखना चाहती है।

आतंकवाद के दौर में परमाणु हथियारों के प्रसार को लेकर बढ़ती चिन्ता एवं तनाव के बावजूद संयुक्त राष्ट्र का परमाणु अप्रसार सन्धि सम्मेलन इस पर नकेल डालने के नये उपाय तलाशने में विफल रहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कॉफी अन्नान ने स्पष्ट कहा कि "कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था केवल एक उल्लंघन के कारण विफल नहीं होती, फिर चाहे वह कितना ही गम्भीर मामला क्यों न हो। वे तब विफल होती है, जब एक के बाद एक लगातार उल्लंघन होते रहे।" अपनी इस बात से उन्होंने अपना स्पष्ट इशारा सबके सामने उजागर कर दिया। इसकी विफलता का प्रमुख कारण दुनिया के बड़े देशों द्वारा अपने परमाणु हथियारों सहित घातक हथियारों की कटौती न कर पाना और न ही इन विनाशक हथियारों के जखीरे नष्ट करने का साहस जुटा पाना है। यहाँ इस सन्धि के द्वारा जहाँ परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र दूसरे पर दबाव डालकर परमाणु शस्त्रों के उत्पादन, विकास एवं सम्पन्नता पर अंकुश लगाने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। वहाँ वे किन्तु अपने जमा किये गये परमाणु हथियारों की कटौती पर परहेज करके दोहरा चरित्र अपना रहे हैं जिससे इस सन्धि की सफलता संदिग्ध नज़र आती है।

संयुक्त राष्ट्र के इस परमाणु अप्रसार सन्धि समीक्षा सम्मेलन की असफलता का एक कारण अमेरिका द्वारा अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित एवं संवर्धित बनाये रखने के प्रयास भी है। यही नहीं अमेरिका अपने यह भी प्रयास करने में जुटा था कि शेष सभी देशों के लिए परमाणु हथियारों को विनष्ट करना अनिवार्य बना दिया जाये। पांच वर्ष पूर्व 2000

में पहले अमेरिका और चार अन्य परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों ने परमाणु अप्रसार के लिए एक 13 सूत्रीय कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की थी, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया गया था कि परमाणु हथियारों में कमी के मामले पर पीछे हटना अब असम्भव बना दिया जायेगा। इसके साथ ही समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (सी० टी० बी० टी०) लागू करने की बात भी की गयी थी। इसके अलावा परमाणु हथियारों के लगे अम्बारों को समाप्त करने पर भी सहमति व्यक्त की गयी थी। किन्तु अब बुश प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह विगत समय में सुनिश्चित किये गये तेरह सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सहमत नहीं है। पांचों परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने की प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रही है।

परमाणु अप्रसार सन्धि का प्रारूप अमेरिका एवं सोवियत संघ ने मिलकर तैयार किया था, ताकि परमाणु शस्त्र-विहीन राष्ट्रों और परमाणु शस्त्रों के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके। 11 मार्च, 1968 को इस सन्धि पर विचार-विमर्श करने तथा अपनाये जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में रखा गया और 12 जून, 1968 को यह सन्धि पारित हो गयी। 1 जुलाई, 1968 को इंग्लैण्ड, अमेरिका एवं सोवियत संघ ने एक साथ हस्ताक्षर कर दिये, किन्तु सन्धि मार्च, 1970 में क्रियान्वित हुई। अब तक इस सन्धि में 188 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं तथा भारत, पाकिस्तान व इज़राइल अभी भी इस सन्धि की परिधि से बाहर है। भारत एवं पाकिस्तान 1998 में अपने आपको परमाणु राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। इस सन्धि से अब तक केवल उत्तरी कोरिया वर्ष 2003 में अलग हुआ है। भारत एक ऐसा देश है, जिसने इस सन्धि पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद स्वेच्छा से इसके लगभग सभी प्रावधानों की पालना की है।

इस परमाणु अप्रसार सन्धि में यह प्रावधान था कि प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद इस सन्धि की समीक्षा की जायेगी। अब तक सम्पन्न सात सम्मेलनों में सबसे अधिक विवादास्पद मामला इस सन्धि का छठवां अनुच्छेद है जिसके तहत परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे परमाणु हथियारों को रोकने के लिए संवाद का माध्यम अपनायेंगे और साथ ही परमाणु नि:शस्त्रीकरण के लिए प्रभावी कदम भी उठायेंगे। यह सन्धि उन्हीं देशों को परमाणु शक्ति सम्पन्न देश मानती है, जिन्होंने अपना परमाणु परीक्षण 1967 को पहले कर लिया था। इसके तहत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन आते हैं, जिनके पास सुरक्षा परिषद् को विशेष अधिकार शक्ति (वीटो पावर) भी है। वास्तव में यह सन्धि एक भेदमूलक दृष्टि पर आधारित है, जो परमाणु शक्ति सम्पन्न एवं परमाणु शक्ति विहीन देशों के वर्तमान विभाजन को निरन्तर बनाये रखना चाहती है।

वस्तुस्थिति यह है कि अमेरिका एवं ब्रिटेन ज़मीन के नीचे छुपे ठिकानों पर मार करने के लिए छोटे प्रक्षेपास्त्र (स्माल मिसाइल्स) विकसित करने पर अरबों डॉलर के शोध व अनुसंधान में जुट गये हैं। अमेरिका का यह मानना है कि परमाणु अप्रसार सन्धि तभी प्रभावी सिद्ध हो सकती है, जब उसे अपने परमाणु हथियार रखने दिये जाये। शायद अमेरिका यह भूल जाता है कि इस सन्धि का अनुच्छेद छठा स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी परमाणु हथियारों को नष्ट करना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1996 में इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय के तहत स्पष्ट किया था कि विश्व भर से परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने का उत्तरदायित्व परमाणु अस्त्र रखने वाले देशों का ही है। अमेरिका ने अपना एक ऐसा रूख अपना लिया है कि वह तथाकथित अपने विद्रोही राष्ट्रों को सबक सिखाने के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा कि अब पेंटागन अब हमले के लिए तैयार है और यदि आवश्यकता हुई तो वह अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग में भी कोई कोताही नहीं करेगा।

परमाणु अप्रसार सन्धि समीक्षा सम्मेलन की सफलता के सन्दर्भ में काफ़ी समय से ही सन्देह बना हुआ था। परमाणु शक्ति सम्पन्न एवं परमाणु शक्ति विहीन देशों के बीच इतनी अधिक गहरी खाई बना दी गयी है कि इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 दिन चले इस सन्धि के समीक्षा सम्मेलन में इसका एजेन्टा सुनिश्चित करने में ही दो सप्ताह से अधिक समय लग गया। सम्मेलन के दौरान 'न्यू एजेन्डा कायलिशन' (ब्राजील, स्वीडन, न्यूज़ीलैण्ड, मिस्र, मैक्सिको व दक्षिण अफ्रीका) के द्वारा कहा गया कि परमाणु नि:शस्त्रीकरण एवं परमाणु अप्रसार के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। यद्यपि वर्ष 2002 में अमेरिका एवं रूस के बीच परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने के लिए 'मास्को सन्धि' सम्पन्न हुई थी, किन्तु इसके बावजूद आज भी पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के लगभग 30,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं। आखिर अमेरिका दूसरों से क्यों अपेक्षा करता है जबकि स्वयं अपने को रोक नहीं पाता है। इस सम्मेलन में अमेरिकी कूटनीति का सारा ध्यान इस बात पर केन्द्रित रहा है कि विगत वर्ष 2000 के समीक्षा सम्मेलन के क्लिंटन प्रशासन के द्वारा किये गये वायदों का उल्लेख न हो सके।

आखिर अमेरिका का दोहरा चरित्र, दो मुंही बातें एवं दोहरी चाल से दुनिया के देश भली भान्ति परिचित हो चुके हैं। 11 सितम्बर की घटना के साथ अफगानिस्तान एवं इराक पर अमेरिकी हमला उसके इरादे को उजागर करता है।

आतंकवाद को मिटाने के नाम पर आतंकवाद का आधार देश पाकिस्तान तक से भी वह अपनी मित्रता करके अफगानिस्तान व इराक को ध्वस्त कर सकने में कोई संकोच एवं शर्म नहीं अनुभव करता। अब वह इराक के बाद ईरान एवं उत्तर कोरिया को परमाणु अप्रसार सन्धि के उल्लंघन का दोषी ठहरा रहा है। जबकि इस सन्दर्भ में उत्तरी कोरिया का कहना है कि उसे अनुचित रूप से ही अमेरिका द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उद्देश्यों हेतु विकसित करने के उसके अधिकार को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस सन्दर्भ में व्यावहारिक सत्यता यह है कि कोई भी राष्ट्र जो अपने परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए 5 प्रतिशत तक यूरेनियम अधिग्रहीत करता है, वह 90 प्रतिशत शुद्धता तक परमाणु हथियारों के निर्माण की प्रक्रिया तक सरलता से पहुंच सकता है। ऊर्जा एवं शोध रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की प्राप्ति के सन्दर्भ में परमाणु अप्रसार सन्धि (एन० पी० टी०) के अनुच्छेद-4 में स्पष्ट तौर पर अनुमति प्रदान की गयी है।

परमाणु अप्रसार सन्धि के प्रावधान के सन्दर्भ में अमेरिका अपनी यह आशंका व्यक्त कर रहा है कि जो देश एन० पी० टी० की प्रतिबद्धताओं को भंग करना चाहते हैं, वे शान्तिपूर्ण उद्देश्य की आड़ में अपने परमाणु हथियारों की सम्पन्नता के पश्चात् स्वयं को इस सन्धि से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। दूसरी ओर परमाणु हथियार विहीन राष्ट्र (एन० एन० डब्ल्यू० एस०) ने इस सन्दर्भ में निराशा व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया की पांचं परमाणु शस्त्र सम्पन्न शक्तियां स्वयं अपने परमाणु हथियारों को समयबद्ध तरीके से नष्ट करने की घोषणा एवं वचनबद्धता से मुकर रही हैं। परमाणु अप्रसार सन्धि के अनुच्छेद-6 में इस प्रकार अपने आण्विक आयुधों की होड़ को समाप्त करने या निःशस्त्रीकरण सम्बन्धित प्रभावकारी कदम उठाने हेतु वार्ताओं या सम्मेलनों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा।

परमाणु हथियार विहीन देशों में इस बात को लेकर विशेष आपत्ति है कि वर्ष 1995 में जब से परमाणु अप्रसार सन्धि को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित किया गया है, तब से इसकी प्रतिबद्धताओं को लेकर सारा दबाव निरन्तर उन्हीं पर डाला जा रहा है। प्रस्तावित इस परमाणु अप्रसार सन्धि सम्मेलन में इन देशों की हताशा व निराशा उस समय स्पष्ट रूप से उजागर हुई, जब कार्यसूची को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। भारत का प्रमुख विरोध इस सन्धि के उस पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर है, जिसके तहत पांच सदस्यों के परमाणु कल्ब को परमाणु हथियार रखने की छूट है तथा निःशस्त्रीकरण के लिए उन पर कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। अमेरिका को यह समझना होगा कि परमाणु अप्रसार सन्धि का राग अलापते हुए निःशस्त्रीकरण के प्रति वचन-बद्धता की उपेक्षा करना कभी भी दूसरे हिरोशिमा एवं नागासाकी को आमन्त्रण दे सकती है।

इस सन्धि के समीक्षा सम्मेलन में मिस्र ने इस बात पर बल दिया कि परमाणु हथियार सम्पन्न देशों ने विगत वर्ष 1995 तथा वर्ष 2000 के सम्मेलनों में जो प्रतिबद्धतायें प्रकट की थीं उसे कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस अवसर पर सर्वोच्च शक्ति के रूप में अमेरिका ने इसकी खिलाफत करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थिति में हमें सारा ध्यान ईरान और उत्तरी कोरिया द्वारा गोपनीय तरीके हासिल किये गये परमाणु हथियारों के सन्दर्भ में ध्यान दिये जाने की सामयिक आवश्यकता है। अमेरिका यद्यपि ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि ईरानी संसद् ने 15 मई, 2005 को अपनी सरकार को परमाणु ईंधन चक्र (न्यूक्लियर) (Nuclear) विकसित करने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके कारण अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की कड़ी निगाहें ईरान की ओर और अधिक तनी हुई नज़र आयी। दुर्भाग्यवश इसी दौरान उत्तरी कोरिया ने भी संकेत कर दिया कि वह परमाणु बाधा को हटाने के लिए पक्षीय वार्ता की अमेरिकी पहल को नहीं स्वीकार करता है।

अमेरिका एवं यूरोपीय संघ (ई० यू०) ने आतंकवाद और व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार की वैश्विक चुनौती से निपटने के अपने उपायों के बारे में संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया है। इस घोषणा-पत्र में कहा गया है—'आतंकवाद के संघर्ष और व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ-साथ ऐसे हथियार आतंकवादियों के पास जाने का खतरा सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं।' इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के समाधान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और उत्तर कोरिया के परमाणु अस्त्र अभियान पर भी चिन्ता व्यक्त की गयी है और घोषणा-पत्र में कहा गया है व्यापक विनाशक हथियारों के प्रसार और उन्हें प्रक्षेपित करने की प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए सबसे पहला खतरा है। दुनिया-भर में खतरा बनी इस चुनौती से निजी और सामूहिक दोनों स्तरों पर निपटे जाने की ज़रूरत है। हम इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् और अन्य महत्त्वपूर्ण विश्व संस्थाओं को पूरा समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका अब अपनी नई रणनीति के तहत आक्रामक प्रसार सुरक्षा प्रणाली यानि प्रोलीफरेशन सिक्योरिटी इनीसियेटिव (पी० एस० आई०) के फार्मूले पर अमल कर रहा है। इसके तहत पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों से जुड़े साजो-सामान को ग़लत हाथों में पहुंचने से रोकने के लिए आपसी समन्वय की बात कही गयी है।

परमाणु अप्रसार सन्धि के समक्ष इस समय अनेक जटिल समस्यायें खड़ी हो गयी हैं चूँकि अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए हुए दोहरा मापदण्ड अपनाकर इसे स्वयं को अस्तित्व हीनता की ओर ढकेल रहा है। इस बात से कदापि नकारा नहीं जा सकता कि यह महत्त्वपूर्ण सन्धि पहले की तुलना में कहीं अधिक दन्त एवं नख विहीन बन गयी है। इस सन्धि की असफलता के कारण ही दुनिया पर परमाणु हथियार प्रसार का संकट पहले की तुलना में कहीं अधिक गम्भीर बन चुका है। दक्षिण एशिया भी इस संकट से अपने को बचा नहीं सकता है, क्योंकि यह भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसकी परिधि अवश्य ही आ जाता है। नई परिस्थितियों में परमाणु हथियारों का विस्तार दो रूपों में होने की सम्भावनाएं प्रबल हुई हैं—**एक** परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा नवीन तकनीकी युक्त परमाणु हथियारों एवं प्रणालियों का विकास तथा **दूसरा** परमाणु विहीन राष्ट्रों द्वारा परमाणु हथियारों को हथियाने व बनाने के प्रयास करना। यह स्थिति दोहरे मापदण्ड के कारण इस सन्धि को जटिल एवं अस्तित्वहीन बनाने की दशा को नयी दिशा देने का काम कर रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को लेकर नित नयी चुनौतियां उभरती जा रही हैं और जो सुरक्षा प्रयास किये गये वह भी जटिल होकर कुंठित होते जा रहे हैं। परमाणु अप्रसार सन्धि दुनिया के वर्तमान परिदृश्य में नित नयी चुनौतियों से निपटने में सक्षम एवं समर्थ नहीं है। इसका प्रमुख कारण एक ओर जहाँ इस सन्धि की प्रतिबद्धतायें हैं, जो परमाणु क्षमता विहीन देशों की शान्तिपूर्ण परमाणु शोध एवं विकास सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सहायता पाने की आकांक्षा से लेकर परमाणु क्षमता सम्पन्न देशों द्वारा अपने हथियारों को विनष्ट करने की घोषणा तक फैली हुई हैं। दूसरी ओर परमाणु अप्रसार से अलग देशों की ओर से उभरने वाली जटिल समस्यायें भी हैं। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खां प्रकरण इस नयी चुनौती का प्रमाण हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु परमाणु अप्रसार सन्धि में कोई प्रावधान नहीं है इस कारण सन्धि का स्वरूप अधर में लटक कर रह गया है।

यह बात निर्विवाद सत्य है कि दुनिया को बचाने के लिए परमाणु हथियारों के विकास एवं प्रसार पर अंकुश लगाना एक सामूहिक एवं सामयिक ज़रूरत है किन्तु इसकी जटिलतायें भी इतनी व्यापक हैं कि सुरक्षा की आड़ में इसको रोक पाना असम्भव नहीं तो दुसाध्य अवश्य है। आज के समय में तानाशाही के बल पर परमाणु हथियारों पर अंकुश लगाना एवं परमाणु व स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना साधारणतया सम्भव नहीं है। शान्ति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के हमारे संभावित प्रयास विफल हैं, अगर हम यह मान कर चलें कि मात्र सुरक्षा मुद्दे ही महत्त्वपूर्ण हैं। हमें सच्चे सहयोग पर आधारित एक संजीदा प्रस्ताव को सुनिश्चित करना होगा। परमाणु अप्रसार सन्धि को शस्त्र नियन्त्रण का एक साधन कहा गया किन्तु यह एक अधूरी एवं एक पक्षीय व्यवस्था प्रभावित हुई। इस सन्धि के साथ ही परमाणु निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिए जो कि नहीं की जा सकी। इसका मुख्य कारण यह रहा कि परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अपने परमाणु एकाधिकार एवं वर्चस्व को बनाये रखना चाहते हैं और दूसरे परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों पर यह पूरी तरह अपना अंकुश रखना चाहते हैं। इस पक्षपात पूर्ण, अन्यायपूर्ण, असमान, दोहरे मापदण्ड एवं अधूरी सन्धि के रूप में परमाणु अप्रसार सन्धि को देखा जा रहा है। असुरक्षा एवं अविश्वास की भावना के फलस्वरूप परमाणु अप्रसार सन्धि आखिर अभी तक अधर में लटक कर रह गयी है। शान्ति, सुरक्षा, सहयोग, सन्तुलन, समानता एवं संगठन को समन्वित रूप से समझने की सामयिक ज़रूरत है, ताकि इस सन्धि को सफलता की सूची में शामिल किया जा सके।

युद्ध एवं मानवता

सृष्टि की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई यह कोई नहीं प्रमाणित कर पाया है। विश्व के अनेक वैज्ञानिक रहस्य की इस गुत्थी को सुलझाने में निरन्तर लगे हुए हैं। इस सृष्टि के विकास में मानव रूपी जीव कब, कहाँ और कैसे आया इसके बारे में भी इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, वैज्ञानिक, मनीषी एवं साहित्यकारों ने अपने-अपने तरीके से इस प्रश्न का हल ढूँढ़ने का प्रयास किया है, किन्तु इस बात पर सभी एकमत हैं कि मनुष्य का प्रकृति से सतत सम्पर्क रहा है। मनुष्य ने हमेशा प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को खोजने का प्रयास किया है और इसे चुनौती भी देता रहा है। प्रकृति पर विजय पाने की लालसा ने ही उसे विकास एवं विनाश की कगार में लाकर खड़ा कर दिया है। मानव की रहस्य खोजने की प्रवृत्ति ने ही संघर्ष एवं युद्ध के बीज उसके स्वभाव में बो दिए हैं। यदि इतिहास का अवलोकन करें तो देखते हैं कि जब राज्य एवं समाज का जन्म नहीं हुआ था, तब भी युद्ध होते थे और जब तक सृष्टि रहेगी, सम्भवतया तब तक निरन्तर युद्ध होते रहेंगे। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

युद्ध का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभ्यता की आधारशिला युद्धों के पत्थरों पर रखी गई है। सभ्यता के दो चेहरे हैं, एक चेहरा अपना वर्चस्व बनाए रखने का है तथा इसका विस्तार करना है। सभ्यता का दूसरा चेहरा मनुष्य को सहनशील, संवेदनशील एवं संयमित बनाने का है। यही मानव प्रवृत्ति मानव को मानवता का पाठ पढ़ाकर शान्ति, सुरक्षा एवं सद्भाव के साथ जीवन-यापन सिखाती है। यह विचारधारा स्पष्ट करती है कि युद्ध से युद्ध की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। युद्ध मानव समाज का

सर्वनाश करने वाली विभीषिका है। इसी कारण अनादि काल से युद्ध एवं शान्ति का यक्ष प्रश्न मानवता के सामने खड़ा चला आ रहा है, किन्तु इसका सन्तोषजनक उत्तर अभी तक मिल नहीं पाया है। पक्ष-विपक्ष के विचारों तक ही मानव सीमित होकर रह गया है। विचार विरोध के बावजूद भी मानवता भयावह युद्धों का सामना करती आ रही है।

किसी समय धर्म का रक्षक माने जाने वाले युद्ध का स्वरूप बदल गया है, अब यह मानव-सभ्यता, मानवीय मूल्यों, संस्कृति एवं परम्परा का विनाशक बन चुका है। अब युद्ध केवल रक्षा मोर्चों पर लड़ने की बजाय नागरिक क्षेत्रों में भी अपनाए जाते हैं। सेनाएँ मोर्चों के अलावा अपनी अलग-अलग रणनीति के तहत उद्योगों एवं महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रों को निशाना बनाने लगी है। मूलभूत आवश्यकताओं वाले केन्द्रों को तबाह किया जाए और नैतिकता निरन्तर ताक पर रखी जाने लगी। सैनिक व नागरिक के बीच दूरियाँ समाप्त हो गईं। आधुनिक युद्धों में यही प्रयास किया जाने लगा है कि शत्रु के देश की जनता को आतंकित व विस्मय में डालकर उसके उत्साह को समाप्त कर दिया जाए। युद्ध की परिधि क्रूरतम किनारे तक पहुँच चुकी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के प्रयोग को देखकर कहा था—**''मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा, किन्तु यह अनुमान अवश्य *लगा सकता हूँ कि चौथे विश्व युद्ध में जो हथियार प्रयोग किए जाएँगे वह होंगे—पत्थर*''।**

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हथियार तकनीकी में बड़ी तेज़ी के साथ परिवर्तन हुआ है। यदि किसी कारण से हथियार की तकनीकी में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसका उन्नत स्वरूप अवश्य आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, लेसर व कम्प्यूटर के प्रयोग से हथियार तकनीकी बड़ी तेजी से बदली है। दुनिया की चिन्ता इस समय पूरी मानव जाति को समूल विनाश करने की क्षमता रखने वाले परमाणु हथियारों को लेकर है। इस मामले में अमेरिका का सर्वोपरि स्थान है। उसके पास लगभग 10656, रूस के पास 10000, फ्रांस के पास 350, ब्रिटेन के पास 185 तथा चीन के पास 370, भारत के पास 100 तथा पाकिस्तान के पास 50 परमाणु आयुध मौजूद हैं। यद्यपि अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के मामले में रूस अमेरिका से एक कदम आगे हैं। रूस के पास 3444 अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र हैं, तो अमेरिका के पास 2151 हैं, किन्तु अन्य श्रेणी के प्रक्षेपास्त्रों में अमेरिका शीर्षस्थ स्थान पर है। हथियारों के हिसाब से अमेरिका विश्व की प्रमुख सामरिक महाशक्ति है।

विश्व की सात परमाणु शक्तियों द्वारा किए गए प्रथम, अन्तिम एवं कुल परीक्षण इस प्रकार हैं—

क्रम० सं०	*देश*	*प्रथम परीक्षण*	*अन्तिम परीक्षण वर्ष*	*कुल परीक्षण*	*कुल संख्या*
1	अमेरिका	1945	1992	1030	10656
2.	रूस	1949	1990	715	10000
3.	फ्रांस	1960	1996	210	350
4.	ब्रिटेन	1952	1991	45	185
5.	चीन	1964	1996	45	370
6.	भारत	1974	1998	06	100
7.	पाकिस्तान	1998	1998	05	50
8.	इज़राइल	–	–	–	200

स्रोत : स्टाकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री)।

इन घोषित परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के साथ कुछ देश चोरी-छिपे यह घातक हथियार हथिया चुके हैं। हाल ही में ही पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉ० अब्दुल कादिर खां के द्वारा उत्तरी कोरिया, ईरान, लीबिया एवं सऊदी अरब आदि देशों को चोरी-छिपे परमाणु तकनीक हस्तान्तरित का मामला उजागर हुआ। इसके साथ ही **'लश्कर-ए-तोयबा'** और **'अल-कायदा'** जैसे खतरनाक आतंकी गुटों से सांठ-गांठ का भी खुलासा हुआ है। इससे भारत सहित सम्पूर्ण दक्षिण एशिया आतंकवादियों के हाथ परमाणु हथियार लगने को लेकर आशंकित है। इज़राइल के पास भी 200 परमाणु हथियार होने का अनुमान है।

वर्तमान परिस्थितियों के कारण परिवेश में भी ज़ोरदार परिवर्तन हुआ है। एक समय युद्ध का प्रयोग न्याय स्थापना के लिए किया जाता था, लेकिन नाभिकीय हथियारों के भीषण प्रहार से युद्ध को सहन नहीं किया जा सकता। न न्याय रहेगा और न अन्याय, बल्कि इस नाभिकीय युग में मानवता ही संकट में घिरकर उसे अपनी उत्तरजीविता का आसन्न संकट नज़र आता रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य, जिसने कितनी ही बार अपने आप को परिवर्तित किया

है, एक बार फिर अपने में परिवर्तन लाए। वह इतिहास के एक ऐसे महत्त्वपूर्ण दौर में खड़ा है, जहाँ मानवता को नए-युग का सूत्र-पात करना है। अतः मानव को अपनी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आचरण की धुरी को ही बदलना होगा। यदि मनुष्य को जिन्दा रहना है तो उसे परिवर्तन लाना होगा, यदि वह परिवर्तन नहीं लाता है तो उसका नामोनिशान बाकी नहीं रहेगा।

पाश्चात्य चिन्तक डोहे ने 1928 में अपनी एक पुस्तक '**प्रोबेबल आस्पेक्ट्स ऑफ़ फ्यूचर वार**' में स्पष्ट रूप से लिखा कि जिसमें युद्ध को क्रूरतम एवं अत्यन्त विनाशक बनाने पर बल दिया और कम-से-कम समय में दुश्मन का अधिक-से-अधिक नुकसान करने की सलाह दी। उसका आकलन था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चार वर्षों में जितने लोग मरे और जितनी हानि हुई, उसका आधा अगर तीन महीने में या चौथाई आठ दिनों में होता तो भी यह युद्ध समाप्त हो गया होता। द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका द्वारा हिरोशिमा एवं नागासाकी नगरों पर बम गिराए जाने के पीछे शायद यही मनोविज्ञान काम कर रहा था। अब इधर "**लो इन्टेन्सिटी वार**" या '**प्राक्सी वार**' की अवधारणा भी प्रबल होने लगी है। यह भी युद्ध की एक नई रणनीति है। इसमें प्रायः दुश्मन के राज्य के लोगों को भी प्रशिक्षित करके उनके विरुद्ध लड़ाया जाता है।

"प्राक्सी वार" खुले संघर्ष की तुलना में कम खर्चीला है और इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वहाँ की जनता में आसानी से घुल-मिलकर राज्य की व्यवस्था विरोधी गतिविधियों को निरन्तर चलाते रहते हैं। इस सुविधाजनक युद्ध प्रक्रिया की शुरुआत असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए हुई थी, किन्तु अब युद्ध में सफलता पाने के लिए सभी असभ्य तरीकों को मान्यता मिल गई है। युद्ध के सन्दर्भ में जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून है, सिद्धान्त में तो उनका पालन होता है, लेकिन व्यवहार में यह कानून कहीं प्रभावी नज़र नहीं आते हैं। इराक में विगत वर्ष (2003) जारी जबरन जंग में अमेरिका ने नैतिकता एवं नियमों को ताक पर रखते हुए युद्ध को अन्जाम दिया। यद्यपि यह सत्य है कि युद्ध से युद्ध की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। युद्ध साध्य नहीं, किन्तु आज भी एक बड़ा साधन बना हुआ है।

आज, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए सर्वाधिक गम्भीर खतरे हैं ऐसे सशस्त्र संघर्ष जो राष्ट्रों के मध्य नहीं, अपितु एक देश में विरोधी गुटों के मध्य होते हैं। यद्यपि वे आन्तरिक हिंसा की स्थितियाँ हैं, तथापि स्थितियों को जन्म देती हैं। आंतरिक संघर्षों में व्याप्त मानवाधिकारों का हनन आज विश्व की सर्वाधिक क्रूरताओं में से हैं। 1996 में समूचे विश्व में जारी 19 आन्तरिक संघर्ष की स्थितियाँ थीं, जिनमें 1000 या अधिक लोग मारे गए। ये तथाकथित अत्यन्त तीव्र संघर्ष कुल मिलाकर 65 लाख से 85 लाख मौतों के कारण बने। उसी वर्ष 'न्यून तीव्र' 40 संघर्ष थे, जिनसे प्रत्येक में 100 से लेकर 1000 के बीच मौतों के कारण बने। यदि इनमें आन्तरिक हिंसा, जो 1996 में कम हो गई थी, की स्थितियों को भी शामिल कर लिया जाए तो 20 लाख मौतों को और जोड़ा जा सकता है। हाल के संघर्षों में 90 प्रतिशत तो दो देशों के बीच होने की बजाय स्वयं देशों के भीतर हुए हैं। संघर्ष सम्बन्धित मौतों की संख्या संघर्षों के कारण होने वाली अपार पीड़ा, विस्थापन एवं विध्वंस का मात्र छोटा-सा संकेत है। जीवन जीने के बुनियादी अधिकारों पर हमले बहुत व्यापक हैं—आम सामूहिक हत्याकांड, नागरिकों पर मनमाने हमले, बंदियों को मृत्युदण्ड और समूची आबादियों की भुखमरी।

रोज़गार, आवास, खाद्यान्न या सांस्कृतिक जीवन के प्रति आदर और समाज की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में व्यापक भेदभाव उनसे पार्थक्य आज के अनेक गम्भीर संकटों का मूल कारण है। सशस्त्र संघर्ष समस्त मानवाधिकारों की अविभाज्यता एवं परस्पर आश्रयशीलता को अच्छी तरह दर्शाते हैं। संरचना एवं नागरिक संस्थाओं का समाप्त हो जाना, अनेक प्रकार के नागरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की अवमानना करते हैं। पर्याप्त स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, आवागमन एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, निजता एवं निष्पक्ष मुकद्दमे केवल कुछ बुनियादी अधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ हैं, जो अस्पतालों और पाठशालाओं के बंद हो जाने, जल एवं सफाई के प्रदूषित हो जाने, काम करने में स्थानीय शासन के असमर्थ हो जाने तथा पुलिस और न्यायपालिका के छिन्न-भिन्न या भ्रष्ट होने से प्रभावित होती हैं। सरकारी संस्थाएँ नागरिकों के मुकद्दमों की सुनवाइयाँ करने लगती हैं। लम्बे चलने वाले संघर्षों का ग्रामीण क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है, फसलें नष्ट कर दी जाती हैं, खेतों की जुताई और कृषि में उत्पादकता कम होती है, फलतः गम्भीर खाद्यान्न अभावों, कुपोषण एवं अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। बीमारी और ग़रीबी अक्सर संघर्षों के सर्वाधिक दीर्घकालिक विनाशक परिणाम होते हैं।

जब तक हम युद्ध का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए करते रहेंगे और अपने परमाणु हथियारों को जमा करते जाएँगे, तो निःसन्देह इनका प्रयोग भी कभी-न-कभी होगा। आज जटिल से जटिल अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी शान्तिपूर्ण समझौते से ही सम्भव हो सकता है। यदि मानवता को बचाना है, तो अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए एक साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग बन्द करना होगा। आज के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों पर अगर उचित नियन्त्रण नहीं रखा गया तो वे भयानक विनाश का कारण बन सकते हैं। अगर इनको उचित ढंग से नियन्त्रित किया गया तो पहले से कहीं अधिक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य हमारे हाथ में है। उत्कंठा, भ्रम, भय और तनाव तो अतीत में युद्ध के मूल कारण होते रहे हैं, भविष्य में नहीं रहने चाहिए। आज की हमारी नीति ही भविष्य में युद्ध की भूमिका का निर्धारण करेगी। चूंकि मानवता वापस न लौटने के बिन्दु के कितना अधिक निकट आ चुकी है। मानव जाति की केवल प्रगति ही नहीं बल्कि उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आधुनिक विश्व में छिपे खतरों को दूर कर पाने की शक्ति और साहस जुटा पाते हैं या नहीं।

परमाणु हथियारों के मौजूदा भण्डारों से युद्ध का स्वरूप इतना विनाशक बन चुका है कि केवल अमेरिका के पास जो परमाणु हथियार हैं, उनमें से कम-से-कम 30 बार पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। इस नई सहस्राब्दी की शुरुआत ही युद्ध से हुई। अफगानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध युद्ध के तुरन्त बाद दुनिया इराक में एक और जबरन जंग की गवाह बन गई। आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमने विनाश के साधन कुछ ज्यादा ही जुटा लिए हैं। असली निशाना कोई भी हो, पर अन्ततः युद्ध का खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। परमाणु हथियारों के अलावा जैविक एवं रासायनिक हथियारों का प्रचलन दुनिया के लिए गम्भीर खतरा बन चुका है। विनाशक एवं घातक युद्ध के लिए तैयारी मानवता के विरुद्ध एक गम्भीर अपराध है। मानवता को महाविनाश से बचाने के लिए चाहे जितने कदम उठाए जायें वे कम ही निकलेंगे।

युद्ध का सबसे घातक पहलू यह है कि हथियारों की होड़ का सिलसिला अभी तक थम नहीं पा रहा है। विदेशी हथियार विक्रेता अभी तक विकासशील देशों को अपना सबसे अच्छा खरीददार मान रहे हैं और इनके मद्देनज़र ही अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। इन बाज़ारों में भारत एक बेहतरीन बाज़ार है। अमेरिकी संसद् में एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1999 से 2002 के दौरान भारत आठ अरब डॉलर के हथियारों की खरीद कर खरीददारों की सूची में तीसरे स्थान पर रहा है। विकासशील देशों में चीन हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीददार है। पिछले चार वर्षों में यहाँ 11 अरब 30 करोड़ डॉलर के हथियारों की खरीद हुई। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का स्थान है, जहाँ नौ अरब डॉलर के हथियारों की खरीद हुई।

वर्ष 2002 में हथियार खरीद समझौता करने वालों में चीन ही पहले स्थान पर रहा। उसने कुल तीन अरब 60 करोड़ डॉलर का खरीद समझौता किया। इसके बाद 1.9 अरब डॉलर के साथ दक्षिण कोरिया का दूसरा और 1.4 अरब डॉलर के साथ भारत का तीसरा स्थान था। वर्ष 1999 से 2002 तक विकासशील देशों में अमेरिका ने 37.8 अरब डॉलर के हथियार बेचे, जो कुल बिक्री का 41.9 फीसदी है। इस दौरान रूस ने 25.5 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ 23 अरब डॉलर के हथियार बेचे। वर्ष 2002 में भी विकासशील देशों ने अमेरिका से ही सबसे ज्यादा हथियारों की खरीद की। कुल कारोबार के 48.6 फीसदी पर इसकी हिस्सेदारी रही और इससे 8.6 अरब डॉलर की रकम अमेरिका के पास पहुँची। इसके बाद रूस ने 28.3 फीसदी सौदा करने के साथ 5 अरब डॉलर की राशि जुटाई। इसके बाद फ्रांस का नम्बर था।

हथियारों के सबसे बड़े बाज़ार विकासशील देश ही हैं। अरब देशों की तेल की कमाई हथियार खरीदने में ख़र्च होती है। दरअसल शीतयुद्ध के बाद जिस तरह महाशक्तियों ने हथियारों की होड़ को रोकने के लिए एक के बाद एक संधियाँ कीं, उससे हथियार व्यापार का धंधा धीमा पड़ने लगा। हथियार बनाने-बेचने वाली कम्पनियों का मुनाफा कम होने लगा। इस धन्धे में जुड़े ठेकेदारों, दलालों की बेचैनी बढ़ने लगी और इस बेचैनी से ही शुरू हुआ सैन्य खर्च बढ़ाने का सिलसिला। छोटे-बड़े हथियारों का सालाना व्यापार लगभग 65 अरब डॉलर का है। इस समय विश्व का कुल रक्षा व्यय 900 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। आज विश्व में प्रति व्यक्ति 128 डॉलर सैन्य व्यय है। सैन्य खर्चों में वृद्धि का सबसे अधिक औसत अमेरिका का है। शुद्ध अर्थों में विगत वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। हाल के ही एक आकलन के अनुसार विश्व सैन्य व्यय में अकेले अमेरिका का 43 प्रतिशत है। इसके बाद जापान, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन हैं, जिनका विश्व में सैन्य कार्यों पर अधिक खर्च हो रहा है। इसके बाद रूस व भारत का स्थान आता है। वास्तव में युद्ध उद्योग बन चुका है। असन्तोष, अन्याय, उत्पीड़न, शोषण, जातीय-विद्वेष, धार्मिक कट्टरता आदि उनका स्वाभाविक बाज़ार है। जबकि हम जानते हैं कि युद्ध कैसा भी हो और उसका कितना भी नैतिक औचित्य क्यों न हो, अन्ततः उसका अनिवार्य आशय और परिणाम है—हिंसा, मृत्यु बर्बादी, दैनिक जीवन का स्थगन, अभाव, तंगी, महँगाई, यातनाएँ व यंत्रणा।

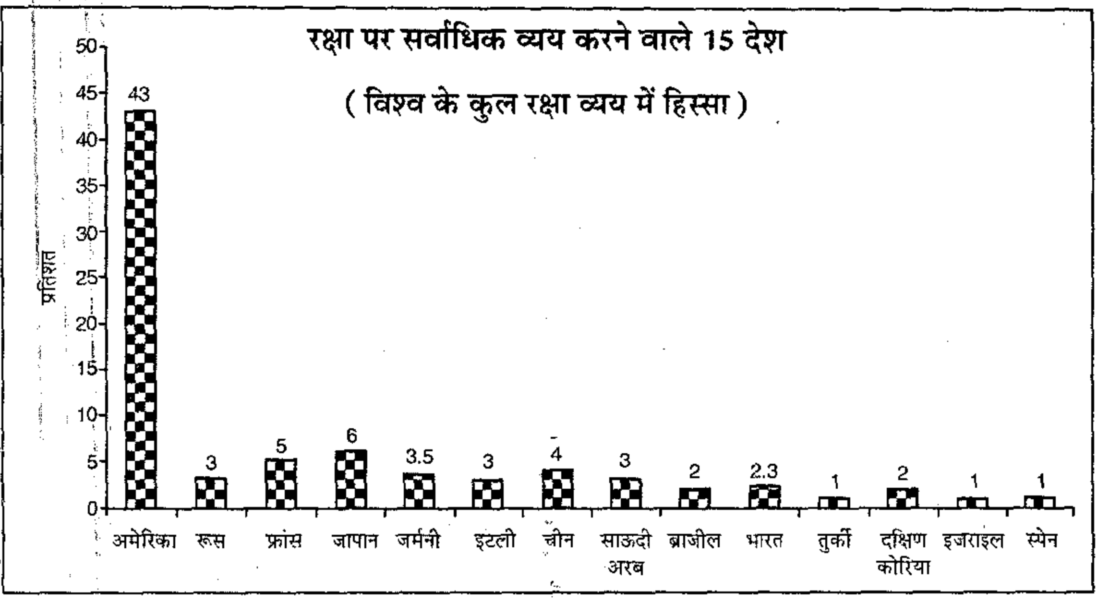

शान्ति एवं विकास किसी देश के लिए आवश्यक है, लेकिन यह तभी सम्भव है जब उस देश की सुरक्षा प्रणाली मज़बूत हो और वह किसी भी बाहरी व आन्तरिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। इसलिए बजट प्रावधानों में रक्षा मामलों पर खर्च बढ़ाने का सीधा असर विकास के कार्यों पर पड़ेगा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं नज़र आता क्योंकि रक्षा मामलों पर व्यय हर देश की जरूरत है। जब तक शान्ति एवं सुरक्षा का वातावरण नहीं रहेगा, तब तक विकास की बात करना मेरे समझ से बेमानी है। इस समय अकेला अमेरिका ही है, जिसकी हथियारों से लैस सेनाएँ विश्व भर में तैनात हैं। सच कहा जाए तो वह विश्व के किसी भी कोने में पृथ्वी से लेकर अन्तरिक्ष तक दुश्मन पर दबदबा बनाए रखने की क्षमता रखता है। यह उसकी युद्ध एवं युद्ध की स्थिति एक स्पष्ट मानसिकता का ही संकेत है।

यह कटु सच्चाई एवं वास्तविकता भी है कि वास्तविक युद्ध को रोकने के लिए न तो गम्भीर प्रयत्न किए जा रहे हैं और न इसे रोकने के लिए दुनिया के विकसित या विकासशील अर्थ-व्यवस्थाएं आर्थिक नियोजन करती नज़र आ रही हैं। युद्ध की मानसिकता के विरुद्ध युद्ध चलाना सम्पूर्ण संसार का एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। राष्ट्र की रक्षा से अधिक महत्त्व मानवीय मूल्यों एवं जाति की सुरक्षा का है। व्यक्ति की वास्तविक विजय इस तथ्य पर निहित होगी कि वह युद्ध की पोषक मानसिकता और इस मानसिकता का विस्तार करने वाली प्रवृत्तियों के विरुद्ध युद्ध अभियान किस तरह चलाता है। यह सर्वविदित है कि सदियों से युद्ध मानवता का क्रूरता के साथ दमन करता रहा है। सभ्यता के आरम्भ से लेकर आज तक युद्ध का अभिशाप मानवता को झेलना पड़ा है। युद्ध की एक बड़ी त्रासदी यह भी है कि इसमें सैनिक ही नहीं अपितु नागरिक भी इसका सीधा शिकार बन जाते हैं। माँ की ममता का रुदन, विधवाओं का प्रलाप, अनाथ बच्चों का अधिकार भविष्य तथा अपंग व अंगहीन लोगों की दयनीय दशा भरी चीख युद्ध की विभीषिका को दर्शाती है। इसके बावजूद विश्व युद्ध की ओर क्यों लालायित रहता है? सवाल यह उठने लगा है कि कहीं मीडियाने युद्ध का सीधा प्रसारण कर हमारी संवेदनशीलता को शून्य तो नहीं कर दिया है ? परमाणु युद्ध के पश्चात् क्या कुछ शेष बचेगा ? ऐसी स्थिति में भी क्या हमें युद्ध चाहिए ? इन प्रासंगिक प्रश्नों पर गहन विचार भी हम सभी को सामूहिक रूप से करना होगा। अन्त में आज भी लिओन ट्रोटस्की का वह कथन प्रासंगिक दिखाई देता है—"आप भले ही युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखते हो, लेकिन युद्ध की आप में दिलचस्पी है।" अब देखना यह है कि इतिहास युद्ध के निरन्तर चलते चक्र को शान्ति के पथ से कैसे रोका व हटाया जाए ?

भारतीय सामयिक सुरक्षा समस्याएँ

नि:सन्देह नई सहस्राब्दी में प्रवेश के पश्चात् भारतीय सुरक्षा की सामयिक समस्याओं का आकलन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं गहन चिन्तन का विषय बन गया है। किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी रक्षा एवं सुरक्षा का प्रश्न सबसे अहम

होता है। नई सदी की शुरुआत में भारत की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस कारण आकर्षित हुआ, क्योंकि उस समय धारणा बन चुकी थी कि नए विश्व समीकरण में भारत शक्ति का एक सुदृढ़ केन्द्र बनकर उभरेगा। भारत का आकार, जनसंख्या, भू-रणनीतिक स्थिति, मानव तथा प्राकृतिक निर्मित संसाधन और वैज्ञानिक व तकनीकी क्षमता आदि ऐसी चीजें हैं, जिनका महत्त्वपूर्ण विश्व शक्ति के रूप में भारत के उभरने में योगदान है। इस शोध लेख में भारतीय सुरक्षा के विभिन्न आयामों को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

उभरते हुए वैश्विक परिवेश में भारत को अपनी सुरक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें आर्थिक सुदृढ़ता, आन्तरिक सम्बद्धता, सामरिक समीकरण, विश्व समीकरण में भारत की वास्तविक स्थिति, राष्ट्रीय एकजुटता व स्थिरता तथा प्रौद्योगिकी प्रगति का आकलन भी करना होगा। अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिकी आक्रमण और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में इस सर्वोच्च शक्ति की शातिर एवं पैनी निगाहें हमें निरन्तर सजग, सतर्क, संवेदनशील एवं सशक्त बनने का स्पष्ट संकेत दे रही है। भारत की अपनी सुरक्षा तथा इस क्षेत्र की शान्ति व स्थिरता के लिए बनाने रखने हेतु सहयोगी शान्ति प्रयास एवं आपेक्षित स्तर का सैन्य क्षमता एवं सैन्य तैयारी रखनी होगी।

इस समय विश्व में तेजी से विकसित होती शस्त्र प्रौद्योगिकी में अमेरिका अपनी श्रेष्ठता बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। 'शान्ति एवं स्वतन्त्रता' की रक्षा के नाम पर अमेरिका ने लगभग 52 देशों में अपनी सैनिक मौजूदगी बनायी हुई है। हकीकत यह है कि जिन देशों में अमेरिकी सेना तैनात है, वहां के लोगों व संगठनों का आरोप है कि ये अपने कथित उद्देश्यों की बजाय अमेरिकी सेनाएँ अपने हितों को साधने का काम ही ज्यादा कर रही है। जिस तरह से दुनिया भर में अमेरिकी सेना की उपस्थिति एवं हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, वह उसकी औपनिवेशिक महत्त्वाकांक्षाओं को ही दर्शाती है। हाल में अमेरिका के रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता का कहना था कि दक्षिण एशिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई जानी चाहिए। अव्यवस्था, अभाव, आर्थिक बोझ, ढेरों कर्ज, संसाधनों की कमी एवं अपार असन्तोष के बावजूद इराक पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी इसकी अधिकार जमाने की नियत एवं नीति का स्पष्ट संकेत है। वैसे इराक अभी अमेरिका का 52वां राज्य घोषित किया जाना बाकी है और यह संभव है कि कभी भी ऐसी घोषणा न की जाए, परन्तु इतना अवश्य स्पष्ट है कि इराक में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अमेरिकी इशारों में चलने वाली कठपुतली सरकार ही शासन की बागडोर संभालेगी। इराक में इसी कारण टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है और हिंसा का दौर जारी है।

यह सर्वविदित है कि समस्त संसार में घटित घटनाओं का क्षेत्रीय समस्याओं का प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव प्रत्येक राष्ट्र के सुरक्षा परिवेश को प्रभावित करता है। हम अपने सामयिक एवं सामरिक सुरक्षा परिवेश को दृष्टि में रखकर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत इस समय निश्चित रूप से अत्यन्त जटिल परिस्थितियों से गुज़र रहा है। इस समय भारत के भीतरी भाग तथा बाह्य सीमाओं पर घातक तत्त्वों का गठजोड़ एक ऐसा परिवेश पैदा कर रहा है, जो भारतीय सुरक्षा के लिए कभी भी एक बड़ी व कड़ी चुनौती के रूप में उभर सकता है। इस परिवेश में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही घटक सक्रिय हैं। एक ओर विश्वास उत्पन्न करने, पहले की कुछ असाध्य समस्याओं का समाधान करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर विश्व स्तर पर प्रभुत्व प्राप्त करने की आकांक्षा जातिवाद और धार्मिक रूढ़िवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे दुनिया के कई देशों में तनाव व्याप्त है।

आज विश्व में तेल, गैस, भोजन और पानी जैसे बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता को लेकर तनाव व संभाव्य संघर्ष के नए मुद्दे खड़े हो रहे हैं। एक देश के लोगों को दूसरे देश में जाकर बस जाने, परिस्थितिकी (Ecology) की बिगड़ती हुई स्थिति और स्वास्थ्य व जीवन स्तर पर उसका प्रभाव, नशीले पदार्थ, तस्करी व आतंकवाद की समस्या एवं हथियारों के घातक प्रसार से नई चिन्ताएँ उभरी हैं। इन सबके कारण नई चुनौतियाँ आ खड़ी हुई हैं, जिनसे आज राष्ट्रों के बीच टकराव चल रहे हैं। इस प्रकार के टकराव भारत के पड़ोस में भी देखे जा सकते हैं जिससे इसका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुमानित किया जा सकता है। कारगिल के अनुभव, देश के सुरक्षा परिदृश्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की हिन्द महासागर तथा दक्षिण एशिया के आस-पास लगी पैनी निगाहें एवं गतिविधियाँ भारत को अपनी सुरक्षा परिस्थितियों को सुदृढ़ बनाने का स्पष्ट संकेत देती रहती है। परिवेश के अनुसार सेनाओं का आधुनिकीकरण भारत की एक सामयिक आवश्यकता है।

शीत युद्ध के समाप्त होने के दौर में अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर महाशक्तियों का तनाव जहाँ कम हुआ है, वहाँ आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, इज़राइल-फिलिस्तीन के बीच तथा अन्यत्र स्थानीय दिखने वाले तनाव में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर में नियन्त्रण रेखा पर गोलियों व राकेटों की आवाज़ें भले ही

खामोश हैं, परन्तु पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर तथा आतंकवाद की मदद करने वाला ढाँचा पहले की तरह न सक्रिय होते हुए भी पूरी तरह सक्षम अवश्य है। भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई देने के बावजूद भारतीय सीमा से कुछ दूर ही काराकोरम एवं ल्हासा से इस्लामाबाद तक सड़कें बनाने के पीछे इसकी सामरिक रणनीति का भी संकेत मिलता है। बांग्लादेश में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी गुटों को संरक्षण देने का सिलसिला भी अभी तक थमा नहीं है। पड़ोसी देशों में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप व सामरिक साझेदारी का काम जारी है। म्यांमार (बर्मा) की सैनिक सरकार भी भारत को अपना विरोधी मानकर गतिविधियों को अपना रही है और भारत विरोधी षड्यन्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग भी प्रदान कर रही है।

किसी राष्ट्र, राज्य या समाज के लिए रक्षा तैयारियों की अनदेखी करना घातक सिद्ध हो सकता है। 'नरमी से बात करो और हाथ में बड़ी लाठी रखो' का अफ्रीकी मुहावरा सिर्फ कबाइली समाज ही नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रुजवेल्ट ने भी इस सिद्धान्त का खुला समर्थन किया था। अतः अपने समय एवं परिस्थितियों के अनुसार अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाए रखना हमारा एक सामयिक कदम ही होगा। विश्व की बदलती परिस्थितियों के अनुसार ही हमें अपने रक्षा तन्त्र की कमियों को दूर करने तथा उन्हें मुस्तैद बनाए रखने की महती आवश्यकता है। हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन एक महाशक्ति का दर्जा हासिल करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। वह तेज़ी से अपनी सशस्त्र सेनाओं का सशस्त्रीकरण एवं आधुनिकीकरण कर रहा है और हमारे बहुत से पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक तथा सैन्य सेतुओं का निर्माण भी कर रहा है। म्यांमार के मार्ग से समुद्री सीमा को भी अपना एक सामरिक केन्द्र बनाने की फिराक में है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय अनेक सामरिक और रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र तैनात हैं, जिसमें परमाणु शस्त्र आयाम भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र में लघु शस्त्रों और मादक पदार्थों की तस्करी का अभूतपूर्व प्रसार देखने को मिल रहा है, जिससे राष्ट्र एवं समाज की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस पर समय रहते ही नकेल डालने की जरूरत है।

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी उद्देश्य

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को अपनाया गया है—

- कानून द्वारा निर्धारित तथा भारतीय संविधान में वर्णित देश की सीमाओं की रक्षा करना और उनके नागरिकों की जान-माल की आतंकवादी तथा विद्रोही गतिविधियों से सुरक्षा करना।
- भारत के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विध्वंस के हथियारों के प्रयोग की धमकी के विरुद्ध न्यूनतम एवं विश्वसनीय निवारक का रख-रखाव करना। इस निवारक की रूप-रेखा और सटीक तथा उन्नत प्रक्षेपण प्रणाली का निर्धारण संप्रभुताधीन हमारा ही दायित्व है।
- सामग्री उपस्कर तथा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर लगाए गए ऐसे प्रतिबन्धों से देश को सुरक्षित रखना, जिनका प्रभाव भारत की सुरक्षा विशेषकर उसकी रक्षा तैयारियों पर पड़ता है। इसमें देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेश में ही अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन पर अधिक ध्यान देना शामिल है।
- पड़ोसी देशों के साथ सहयोग व आपसी समझ को बढ़ावा देना और परस्पर सम्मत विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को लागू करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष खड़ी मुख्य चुनौतियों से निपटने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन (N.A.M.) के देशों के साथ मिलकर कार्य करना और एशियान क्षेत्रीय मंच जैसे सहकारी सुरक्षा संगठनों में सक्रिय सहयोग देकर सहभागिता निभाना।
- बड़ी शक्तियों एवं प्रमुख सहयोगियों के साथ सुरक्षा व सामरिक विषयों पर बातचीत व संवाद बनाए रखना, ताकि सामयिक सुरक्षा के प्रति सतर्क बना रहा जा सके।
- सर्वोच्च राष्ट्रीय हित सार्वभौमिकता, अभेदभाव व सभी के लिए समान सुरक्षा के सिद्धान्तों के आधार पर निःशस्त्रीकरण व अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर एक संगत व सैद्धान्तिक नीति का पालन करना।
- ऐसा आन्तरिक वातावरण सुनिश्चित करना, जिससे हमारा राष्ट्र राज्य की अपनी एकता व अखण्डता विकास, धर्म, कर्म, भाषा, जातीयता, या सामाजिक आर्थिक आपदाओं से उत्पन्न खतरे से सुरक्षित बना रहे।
- अपने पड़ोसी देशों पर इतने स्तर का प्रभाव डाल सकने में समर्थ रहना, जिससे हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सद्भावनापूर्ण सम्बन्धों का निरन्तर विकास हो सके।

- क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकने में समर्थ रहना और एक देश के बाहर आकस्मिक संकट से बचाव की क्षमता रखना, ताकि पड़ोस के छोटे राष्ट्रों को ऐसी अस्थिरता से सुरक्षित रखा जा सके, जो हमारी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो।

निरन्तर बदलते वैश्विक परिवेश के अनुसार ही भारत ने अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आर्थिक सुदृढ़ता, आन्तरिक सम्बद्धता और प्रौद्योगिकी प्रगति भी शामिल है। तथापि देश के समक्ष उपस्थित सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों को दृष्टि में रखते हुए भारत को किसी भी प्रकार के आक्रमण का प्रतिकार करने तथा इस क्षेत्र में शान्ति व सुरक्षा के साथ स्थिरता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रचनात्मक सहयोग देने के लिए अपेक्षित स्तर की सैन्य क्षमता और उसकी तैयारी बनाए रखनी होगी। इराक में अमेरिका द्वारा की गई 'जबरन जंग' ने यह अवश्य चेतावनी दे दी, कि सुरक्षा के सन्दर्भ में छोटे राष्ट्रों को स्वयं आत्मनिर्भरता के साथ शक्तिशाली रहने की सामयिक आवश्यकता है, नहीं तो आतंकवाद के संरक्षण, घातक व विनाशकारी हथियारों के भण्डार या मानवता की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम बताकर एक शक्तिशाली देश कभी भी किसी देश को रौंद सकता है।

भारत की सुरक्षा अवधारणा के साथ-साथ इसको प्रभावित करने वाले तत्त्वों जैसे इसकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक प्रगति, संस्कृति एवं इतिहास विदेशनीति, बड़ी शक्तियों की संरचना, गठबन्धनों की स्थिति, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति, सामाजिक संरचना, जनमत, राजनीतिक उत्तरदायित्व, कूटनीति, सरकारी संरचना के साथ ही देश की आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्धारक कारकों के रूप में विश्लेषित किये जाने की जरूरत है। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति का निर्धारण किसी एक या कुछ कारकों द्वारा नहीं बल्कि अनेक कारकों के सम्मिश्रण द्वारा होता है, जो सुरक्षा नीति को अलग-अलग स्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। भारतीय सामयिक सुरक्षा परिवेश इस समय अत्यन्त जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारत के भीतरी भाग में जहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय, अस्मिता की पहचान एवं अस्तित्व के अहम को लेकर हिंसा एवं आतंक का खूनी खेल भी खेला जा रहा है, वहाँ बाह्य सुरक्षा परिवेश में पड़ोसी देशों की सोच एवं अमेरिका की दक्षिण एशिया में बढ़ती रुचि भी हमें निरन्तर चौकसी का संदेश दे रही है।

विभाजन के बाद से ही पाक की घातक निगाहें कश्मीर को हथियाने के लिए निरन्तर लगी हुई हैं। वर्ष 1947-48 तथा 1965 की लड़ाई में कश्मीर को हथियाने में असफल रहने के बाद पाकिस्तान ने 1989 से वहाँ अप्रत्यक्ष युद्ध (Indirect War) किया जो आज तक जारी है। मई, 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल, द्रास एवं बटालिक क्षेत्र में मुजाहिरों के अतिरिक्त अपनी नियमित सेना का प्रयोग करके उसे पूर्णतः युद्ध का रूप दे दिया। पाक के नापाक इरादे इस क्षेत्र को हथियाने के लिए निरन्तर हरकत में रहते हैं। सियाचिन जैसे संवेदनशील सामरिक स्थान पर समझौता करना इसके साथ बेमानी ही होगा। पाकिस्तान कश्मीर को भारत से अलग करके अपने साथ विलय करना चाहता है, इस कारण वह प्रत्यक्ष व परोक्ष हरकतें करता रहता है। अतः इसके प्रति सदैव सतर्क निगाहें रखनी होंगी। कश्मीर समस्या का समाधान ठोस कदम उठाने से संभव होगा, बातचीत से संभव नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के सन्दर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों में व्याप्त अलगाववाद, आतंकवाद एवं उग्रवाद की सामयिक समस्याओं का उल्लेख किए जाने की भी ज़रूरत है। देश का यह पूर्वोत्तर क्षेत्र एक लम्बी अवधि से आतंकवाद की ज्वाला में जलता आ रहा है। यहाँ आतंकवाद को पनाह मिलने का एक प्रमुख कारण यह रहा कि समूचा इलाका देश की मुख्य धारा के साथ कभी मज़बूती के साथ नहीं जुड़ पाया और इसके लिए गम्भीरता से प्रयास भी नहीं किए गए। सातों राज्यों में जन-जातीय समस्या ने आतंकवाद, अलगाववाद व हिंसा की विष बेल इतनी फैला दी है कि जिसके कारण राष्ट्रीयकृत एकता व अखण्डता का वृक्ष सूखने को मज़बूर होता दिखाई देने लगा है। सभी सातों राज्यों (असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व नागालैंड) की भौगोलिक स्थिति, सामयिक समस्याओं, उग्रवादी संगठनों की रणनीति भू-रतजिक विश्लेषण के साथ ही शान्ति स्थापित करने के विभिन्न आयामों को समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान बंगला देश की भान्ति आई.एस.आई. के सहयोग से भारत से जुड़े 'चिकेन नेक' को अलग करना चाहता है।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों की ऐतिहासिक एवं सामयिक समस्याओं की समीक्षा भी किए जाने की ज़रूरत है। भारत-पाक विभाजन की ऐतिहासिक भूल न सिर्फ़ भूगोल ही नहीं बदला था, देश के विभाजन से लोगों के मन में भी दरारें दिखाई देने लगीं। दोनों मुल्कों के लोगों के विचार और मानस पटल पर भी दुर्भाग्यवश एक बड़ा बंटवारा हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन एक बात थी, किन्तु उस विभाजन को अपना आधार बनाकर धर्म एवं सम्प्रदाय के नाम पर अलग करने की कूटनीतिक चालें आज की हमारी सामाजिक व्यवस्था व सुरक्षा तन्त्र की जड़ों को कुरेदती रहती है। अनेक युद्धों (1948, 1965, 1971 व 1999) एवं समझौतों के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप दोनों देश एक-दूसरे के विरुद्ध उत्तेजित करने वाले दुष्प्रचार और भड़काने वाली कार्यवाहियों पर अभी तक पूरी तरह अंकुश नहीं लगा पाए हैं। इसमें दोनों देशों की परराष्ट्रनीति (विदेश नीति), रक्षा नीति, परमाणु नीति एवं सम-सामयिक समस्याओं के साथ ही

सम्बन्ध, समीक्षा व सुझाव का आकलन किए जाने की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच सम्बन्धों की बात करना ठीक है, किन्तु व्यावहारिक रूप प्रदान करने में आज भी पाकिस्तान कतराने लगता है।

भारत-चीन सम्बन्धों के बीच जमी तनाव की बर्फ़ आहिस्ता-आहिस्ता पिघलती नज़र आ रही है। चीन नाथुला दर्रे के रास्ते सिक्किम होकर भारत से व्यापार बढ़ाया है और सिक्किम को मानचित्र में अपनी सीमा से हटाकर भी प्रदर्शित करने की पहल की है। सीमा विवाद के अलावा दोनों देशों ने व्यापार, शिक्षा एवं वीजा आदि के मामले में महत्त्वपूर्ण समझौते किए हैं। चीन यह समझ गया है कि महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए भारत का सहयोग ज़रूरी है। इसके लिए चीन एक ओर जहाँ भारत के साथ शान्ति, मित्रता, सहयोग व स्थिरता स्थापित करने की बात करता है, वही भारतीय सीमावर्ती राज्यों के साथ अभी भी अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए हुए है। चीन ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को सुसज्जित ही नहीं किया है, बल्कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने राजनयिक,राजनीतिक व सामरिक सेतुओं का निर्माण कर रहा है, ताकि भारत को निरन्तर दबाव में भी रख सके। इसके साथ ही तिब्बत में प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती, पाक-चीन सामरिक मित्रता, कश्मीर से लगे संवेदनशील सामरिक क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में नौ-सैनिक आधार, पाक के ग्वादर नौ सैनिक अड्डे में सहभागिता, ल्हासा से इस्लामाबाद सड़क परियोजना, तिब्बत में रेलवे लाइन बिछाकर तथा घुसपैठ करते हुए अपनी शतरंजी चाल चल रहा है। पड़ोसी देशों में म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, बांग्ला देश तथा ताइवान में हथियारों की आपूर्ति उसकी सामरिक रणनीति का हिस्सा है।

विश्व के तीसरे सबसे बड़े महासागर यानि हिन्द महासागर की भारतीय सामरिक सुरक्षा के एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में समीक्षा की गई है। हिन्द महासागर का महत्त्व उसके जलमार्गों और उसके क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण अधिक है। इसके जलमार्ग पश्चिम में आस्ट्रेलिया से अफ्रीका और पूर्व में जापान के लिए जीवन रेखा है। इस क्षेत्र में महाशक्तियों की रुचि व्यापारिक, राजनीतिक एवं सामरिक कारणों से अधिक है। दियागोगार्सिया में स्थापित अमेरिकी नौ-सैनिक अड्डा हमारी सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि एशिया के लिए एक बड़ा खतरा है। कारण अमेरिका की आधिपत्यवादी नीति जगजाहिर है। हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने की अवधारणा भी अधर में अटकी होने के कारण यह क्षेत्र भी हमें निरन्तर सजग, सतर्क एवं सावधान रहने का स्पष्ट संकेत दे रहा है। हिन्द महासागर क्षेत्र में महाशक्तियों की उपस्थिति एवं उनके अपने सामरिक एवं आर्थिक हितों की विस्तृत मीमांसा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए।

भारतीय रक्षा नीति के तहत भारतीय रक्षा तैयारी,भारतीय रक्षा व्यय, भारतीय परमाणु नीति व प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती आदि का सामयिक विश्लेषण किए जाने की भी आवश्यकता है। हमारी रक्षानीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति को बढ़ावा देना एवं इसे स्थायित्व प्रदान करना है। प्रतिरक्षा अनुसंधान की दिशा में भारत काफ़ी सफल रहा है तथा सुरक्षा वैज्ञानिकों के प्रयास से भारत आज आधुनिकतम रक्षा उपकरणों के मामले में विश्व के गिने-चुने देशों की श्रेणी में आ गया है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश की शान मुख्य युद्ध टैंक 'अर्जुन' भारतीय सेना में शामिल किया गया। कारगिल युद्ध के कटु अनुभव, देश के बदलते सुरक्षा परिदृश्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की हिन्द महासागर पर नियन्त्रण की कोशिश तथा दक्षिण एशिया के आस-पास के इलाके में भारत से निरन्तर बढ़ती सुरक्षा की अपेक्षाओं के सन्दर्भ में सेनाओं का आधुनिकीकरण तत्कालीन ज़रूरत है। रक्षा तैयारियों की उपेक्षा किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। इसी कारण इस वित्त वर्ष में रक्षा तैयारियों तथा सशस्त्र सेनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 77 हज़ार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो विगत वर्ष के संशोधित अनुमानों से करीब 23 प्रतिशत अधिक है।

सम्प्रति भारत में 9 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, जिसमें से साइरस (CIRUS) और राणा प्रताप सागर ऊर्जा संयन्त्र कनाडा के सहयोग से तथा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयन्त्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किए गए हैं, जब कि अप्सरा, जरलिना तथा पूर्णिमा आदि परमाणु रिएक्टरों की स्थापना भारत ने स्वयं अपने प्रयासों से की है। भारत के दूसरी बार 11 व 13 मई, 1998 को जैसलमेर ज़िले के खेतोलेई गाँव के पास परमाणु परीक्षण (पोखरण-II) किया। 11 मई को तीन तथा 13 मई को दो परीक्षण किए गए, जिसमें एक किलो टन से भी कम ऊर्जा उत्सर्जन वाले (सब किलो टन) परमाणु परीक्षण करके अब सुपर कम्प्यूटर की मदद से प्रयोगशाला में ही परीक्षण करना संभव है। इसमें हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी शामिल था। हमारी परमाणु नीति में शान्तिपूर्ण व विकासात्मक उद्देश्यों को शामिल किया गया, इसी के तहत आठ सूत्रीय परमाणु सिद्धान्त की घोषणा की गई हैं। इसके साथ ही प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में भारत ने पृथ्वी, अग्नि-1, अग्नि-2, आकाश, त्रिशूल, नाग, ब्रह्मोस तथा अस्त्र प्रक्षेपास्त्र विकसित करके अपने को अग्रणीय देशों में शामिल कर लिया है। परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ अपने आपको अग्रणीय देशों के रूप में स्थापित कर लिया है। नई सहस्राब्दी की रक्षा नीति को अपनाते हुए ही अपने सुरक्षा आधार को एक नया आयाम देने की भी सामयिक ज़रूरत को सिद्ध करने की आवश्यकता है।

सामरिक सुरक्षा सम्बन्धी सुझाव

- भारत को दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ नए सामरिक समीकरण स्थापित करने की आवश्यकता है। सोवियत संघ के विघटन एवं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक ध्रुवीय शक्ति अमेरिका के साथ स्थाई सम्बन्ध बनाने की जरूरत है और वह भी अपनी अस्मिता व स्वतन्त्रता के साथ कोई समझौता किए बिना; ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित कर सके और एशिया की एक बड़ी शक्ति प्रमाणित हो सके।
- इस नई सदी के आरम्भ होते ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भारत की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ क्योंकि यह धारणा बन चुकी है कि नए विश्व समीकरण में भारत शक्ति का एक मज़बूत केन्द्र बनकर उभरेगा। अत: भारत को अपने सामयिक, सामरिक, राजनीतिक, राजनयिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धों को सतर्कता-पूरक स्थापित करने होंगे।
- भारत की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, आकर, भू-रणनीतिक स्थिति, मावन एवं प्राकृतिक संसाधन, आन्तरिक सम्बद्धता तथा प्रौद्योगिकी प्रगति आदि ऐसे पर्याप्त तत्त्व हैं, जो विश्व शक्ति के रूप में भारत को स्थापित करने में नि:सन्देह सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इनका भरपूर उपयोग करने एवं दुरुपयोग रोकने पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- विश्व के बदलते समीकरण में भारत की वास्तविक स्थिति क्या है? इसकी समीक्षा की जाए तथा इसके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत राष्ट्रीय एकता और लम्बी अवधि तक स्थिरता रखने के दृष्टिकोण के आधार पर काम किया जाना चाहिए।
- नि:सन्देह भारत एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, किन्तु हमारी कुछ अपनी समस्याएँ हैं, जो इसमें बड़ी बाधा का काम करती है। इन समस्याओं को समझने व समझदारी व शान्ति के साथ उनका समाधान समय के साथ करने की ज़रूरत है। इसके लिए सीमित स्वार्थ, तुरन्त लाभ व तुष्टिकरण की नीति का पूरी तरह से परित्याग किया जाना चाहिए। दृढ़ निश्चय, दूरदर्शिता, सही दिशा और अनूठी नीतिगत पहल के बिना यह संभव नहीं है।
- जम्मू-कश्मीर ने लोकतन्त्र, विकास, शान्ति, सुरक्षा व स्थिरता की बहाली करके वहाँ के लोगों के समर्थन से राज्य में सीमा पार के आतंकवाद को अन्तिम विराम देने के लिए तहेदिल से प्रयास किए जाएँ। इसके लिए जम्मू-कश्मीर की जनता को भरोसा दिलाया जाए कि समस्याओं का हल बातचीत के द्वारा तथा इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के सिद्धान्तों के आधार पर किया जाएगा।
- कश्मीर समस्या के तीन प्रमुख आयाम हैं—पाकिस्तान के साथ विवाद एवं संघर्ष, शेष भारत के साथ सम्बन्ध तथा कश्मीर के तीनों क्षेत्रों का बोध, जहाँ लोगों की भावनाएँ और अपेक्षाएँ भिन्न-भिन्न हैं। तीसरे आयाम का स्वाभाविक परिणाम है, लगभग आधी सदी से पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से तथा उत्तर में गिलगित एवं बलूचिस्तान में रहने वालों के महत्त्व एवं कल्याण का उचित ध्यान रखना होगा। कश्मीर की घाटी को विशेष रूप से राष्ट्र की मुख्यधारा में मिलाने के सम्मिलित प्रयास किए जाएँ।
- हम जिस प्रकार के नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें उस नैतिक दृष्टिकोण तथा वास्तविक राजनीति (रियल पालिटिक्स) की अनैतिक इच्छाओं के बीच भी एक सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत है। इसके फलस्वरूप वास्तविक आधार को प्राप्त कर सकने में सक्रिय सहयोग मिलेगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों में व्याप्त आतंकवाद एवं अलगाववाद की विषबेल को उखाड़ फेंकने के लिए एक निर्धारित नीति के आधार पर राजनीतिक दूरदर्शिता से काम लेना होगा और इससे अपनी आन्तरिक कमज़ोरी को दूर करके ही इन राज्यों की समस्याओं पर अंकुश ही नहीं लगाया जा सकेगा, बल्कि इनको पनपने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की अस्मिता व असुरक्षा का उत्पन्न बोध विकास, शान्ति, सद्भाव, सुरक्षा व सहयोग के बल पर ही रोका जा सकता है दबाव या दमन की नीति से नहीं।
- बांग्लादेशी घुसपैठ एवं आई.एस.आई की गतिविधियों को रोकने के लिए हमें सतत सतर्क रहने की सामरिक एवं सामयिक ज़रूरत है। स्थानीय लोगों के सहयोग एवं उन्हें राष्ट्रवादी धारा से सीधे जोड़ने से ही इन गतिविधियों पर सही ढंग से नकेल डाली जा सकेगी। 'जेहाद' व 'उग्रवाद' का जो पाठ पढ़ाकर भारत के विरुद्ध नई पीढ़ी खड़ी की जा रही है, उसे समय से पहले रोकने की पूरी आवश्यकता है, ताकि इस पीढ़ी को गुमराह होने से रोका जा सके।

- भारत-पाक सम्बन्ध सुधारने के लिए हम जितने उतावले रहते हैं, पाकिस्तान उतना ही उत्तेजित होने की बजाय, कुटिल मंशा, नापाक इरादों एवं घातक हरकतों को अपनाने में चूकता नहीं है। कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर गोला-बारी खामोश है, परन्तु पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर तथा आतंकवाद की मदद करने वाला ढाँचा पहले की तरह सक्रिय न होते हुए भी पूरी तरह से सक्षम है। अतः इसके साथ मित्रता भी सतर्कता के साथ रखनी होगी। पाकिस्तान जब आर्थिक, राजनीतिक, राजनयिक व अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में होता है, तो वह भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ढोंग करता है। सम्बन्धों को गंभीरता से नहीं लेकर तीसरे पक्ष को डालने की बात करके मामला वहीं का वहीं अधर में लटक कर रह जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मित्रता का माहौल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता।
- चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है तथा एक महाशक्ति के रूप में अपने आपको स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इस समय भारत की लगभग 38000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा किए हुए है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर को एक करार के तहत ले चुका है और अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर भू-भाग पर भी अपना दावा करता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक व सामरिक सेतुओं का निर्माण कर रहा है। भारत-चीन सम्बन्धों के बीच वैमनस्य की बर्फ धीरे-धीरे पिघलने लगी है, किन्तु इसके बावजूद चीन के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्त्व की सड़कों का निर्माण कर चुका है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों में सामरिक पैठ बना रहा है।
- भारत को दक्षिण एशिया में एक मज़बूत शक्ति केन्द्र और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर के इलाके में प्रभावित कर सकने वाली शक्ति के रूप में उभरने का लक्ष्य रखना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय रुझानों की समीक्षा करने से इस तथ्य का पता चलता है कि सामुद्रिक मामले भारत के भविष्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। अतः हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र (Peace Zone) बनाने की रणनीति भी समय रहते तैयार करने की ज़रूरत है।
- भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ सम्बन्धों के नए समीकरण बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए न्यूनतम सहमति के साथ नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है। देश की सशस्त्र सेनाओं को पूरी तरह तैयार रखना और उनके लिए ज़रूरी संसाधन जुटाना महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत के रक्षा बजट में वृद्धि के बाद रक्षातंत्र पर भारत का खर्च वास्तविक रूप से अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर होने की टिप्पणी की गई। भारत आबादी के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा लगातार सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों से घिरा रहा है। ऐसे में भारत का रक्षा व्यय रक्षा ज़रूरतों के अनुसार किया जाना उचित है।
- देश की सशस्त्र सेनाओं के संगठनों में सुधार तथा पुनर्संरचना के लिए किए गए सुझावों को लागू किया जाए। यह भी आवश्यक है कि रक्षा मंत्रालय को सेना के साथ एकीकृत किया जाए और सेना के अधिकारियों को भी रक्षा नीति व राष्ट्रीय सुरक्षा के उच्च प्रबंधन में शामिल किया जाए, जिससे समन्वित व सुदृढ़ रक्षा व सुरक्षा नीति बनाई जा सके।
- भारतीय सामयिक एवं सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि सेना के उच्च कमाण्ड को एकीकृत किया जाए और चीफ आफ़ डिफेन्स स्टाफ की नियुक्ति की जाए।
- भारत को एक बहुआयामी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सुनिश्चित करने की सामयिक आवश्यकता है, ताकि सुरक्षा सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं को बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सके।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील मामलों में प्रधानमंत्री और उनके प्रमुख सचिव उपप्रधानमंत्री के साथ विचारविमर्श करके निर्णय करते रहे हैं। इसमें सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड) के अधिकारियों को भी साथ में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि समन्वित, सुनिश्चित व समुचित निर्णय समय पर किये जा सकें।
- राष्ट्रीय सुरक्षा व रक्षा सम्बन्धी मामलों की कैबिनेट समिति की नियमित बैठक होनी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु ज़रूरी वित्तीय साधन समय पर जुटाए जा सकें तथा जो राशि आबंटित की जाए उसका भी समुचित उपयोग किया जा सके।
- भारत को अपने नाभिकीय वातावरण में ज्यादा स्थिरता लाना व ऐसा कदम उठाना चाहिए, जिससे नाभिकीय दुविधा का अधिक स्थाई हल निकालने के साथ-साथ नाभिकीय प्रतिरोधक राजनीतिक एवं आर्थिक लागत भी कम की जा सके।

- नाभिकीय नि:शस्त्रीकरण के प्रयास के साथ-साथ हमें उस स्थिति के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है, जिसमें परमाणु हथियार सम्पन्न देश मानवता और विश्व समुदाय की इच्छाओं की अवहेलना करते रहते हैं। इसके लिए हमारी नाभिकीय नीति और व्यवहार में अधिक स्पष्टता की भी ज़रूरत है, परन्तु आवश्यक रूप से इसका अर्थ प्रत्यक्ष रूप से शस्त्रीकरण नहीं है।
- भारतीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए हमें एशिया के सुरक्षा परिवेश पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हमें ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा, जो सुरक्षा एवं विकास प्रक्रियाओं के प्रतिकूल हो। भारत को एशिया की एक शक्ति के रूप में उभरने की ज़रूरत है। गुप्तचर व्यवस्था को और मज़बूत बनाने की ज़रूरत है। विश्वास है बदलते वैश्विक परिवेश में भारतीय सामयिक व सामरिक सुरक्षा समस्याओं का समाधान करने में ये सुझाव सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे।

सरक्रीक की सीमा सहमति

पाकिस्तान ने सरक्रीक की स्थिति को लेकर 1971 से चल रहे विवाद की समाप्ति का मन बना लिया है। दोनों देशों के बीच 18 अप्रैल, 2003 के बाद शुरू हुई तनावशैथिल्य प्रक्रिया अब दोस्ताना रिश्तों की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी मिसाल सरक्रीक के जी स्तम्भों के संयुक्त सर्वेक्षण पर रजामंदी है। यह शुभ लक्षण है। गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिन्ध इलाके के राजाओं ने भारत विभाजन से पहले ही सरक्रीक के जी-स्तम्भों को अपने-अपने राज्य की सीमा मान लिया था और विभाजन के बाद भी एक तरह से यही स्थिति बनी रही। विवाद की शुरुआत 1971 की लड़ाई के बाद हुई और पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में विभाजक के तौर पर कायम जी-स्तम्भों को मानने से इन्कार कर दिया। यह विवाद इतना बढ़ा कि मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तक जा पहुंचा, लेकिन न्यायालय ने उसके दावे को सही नहीं माना। फिर भी सरक्रीक के समुद्री इलाके से लगती 104 किलोमीटर लम्बी सीमा-रेखा का विवाद सुलझ नहीं पाया। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस मुद्दे को सुलझाने का निर्णय पिछले दिनों लिया गया और इस पर अमल के लिए कार्यविधि तैयार करने की रूप-रेखा दोनों देशों के अधिकारियों पर छोड़ दी गयी। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच विभाजक रेखा के तौर पर 67 जी-स्तम्भों के संयुक्त सर्वेक्षण पर बनी सहमति और सोमवार से काम की शुरुआत का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने का इच्छुक है। भारत की भी ऐसी मंशा है। अगर दोनों की यह सदिच्छा बनी रही, तो सरक्रीक विवाद के हल होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी महीने के आखिरी तक चलने वाले सर्वेक्षण के बाद असल स्थिति सामने आ पाएगी। फैसला तो सर्वेक्षण रिपोर्ट पर दोनों देशों की सरकारों के मतैक्य पर निर्भर है, लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसे देखते हुए इस मुद्दे के हल होने की उम्मीद बनती है। दरअसल,करीब चार हज़ार किलोमीटर के क्षेत्र में फैला सरक्रीक का दलदली इलाका अरब सागर की देन है। लखपत सीमा चौकी से छह सौ मीटर की दूरी पर लगे 67 जी-स्तम्भों तक भारत का कब्जा है, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता। इसके अनुसार भारत के लखपत सीमाचौकी तक उसका इलाका है। विवाद तो इस बात का भी है कि पानीवाला इलाका उसके क्षेत्र में आता है और ज़मीन से भारत का इलाका शुरू होता है। चूंकि दोनों देशों के विदेश मंत्री इस विवाद को खत्म करने पर राजी हैं और आधिकारिक स्तर पर सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि सरक्रीक के मसले का हल सद्भावना के माहौल में निकल आएगा।

सीमा पर तनाव भी कम हुआ है और आशंका के बादल छंटे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से की गई नई पहल से बर्फ और पिघलेगी। भारत ने 12 साल से कम उम्र बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए वीजा कानूनों में ढील दी है और सीमा पर पांच जगहों की पहचान कर वहां दोनों तरफ के बिछड़े परिवारों की मुलाकात का प्रस्ताव रखा है। जवाब में पाकिस्तान ने सरक्रीक पर अपनी दावेदारी, जिसके लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय अदालत तक में गया था, छोड़ने का रुख पेश किया है। पाकिस्तान ने ऐसे समय में यह पेशकश की है, जब जम्मू-कश्मीर में शान्ति व सद्भाव बना हुआ है। सारी पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं और घुसपैठ स्वत: बन्द है। इसलिए पाकिस्तान की पहल ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि इसका एक स्पष्ट कारण तो यह है कि भारत की सद्भावना पहल पर उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी थी, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने वह शान्ति के पक्षधर की अपनी छवि पेश कर सके। पर इसके कूटनीतिक कारण भी हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच बनते सम्बन्ध, शान्ति की बढ़ती इच्छा, कश्मीर में कमज़ोर पड़ते अलगाववादी आन्दोलन और विश्व व्यापार की बदलती स्थितियों के मद्देनज़र भी उसके लिए ज़रूरी है कि वह भारत के साथ विवाद के मुद्दों को निपटाने में अपनी गम्भीरता प्रदर्शित करे।

22
रक्षा-विशेष
(DEFENCE SPECIAL)

राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा पाठ्यक्रम एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसकी परिधि में राष्ट्र के समस्त क्षेत्र आते हैं। यह केवल एक सामरिक पहलू ही नहीं है वरन् राष्ट्र की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है। यह विषय राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा समस्याओं को ही उजागर नहीं करता बल्कि इनके प्रति सतर्क रहने के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रेरणा देता है। आज रक्षा सेनाओं के साथ ही उस राष्ट्र के नागरिकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका देश की संरचना एवं सुरक्षा में होती है।

रक्षा विशेष के अन्तर्गत कुछ प्रमुख पहलुओं की एक झलक प्रस्तुत की गई है।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
(Institute for Defence Studies And Analysis)

राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की समस्याओं के विश्लेषण एवं अध्ययन के साथ ही राष्ट्र के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विकास में रक्षा प्रभावों को जानने के उद्देश्य से नवम्बर, 1965 में नई दिल्ली में इस संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं की व्याख्या प्रस्तुत करता है ताकि शान्ति एवं सुरक्षा की स्थिति बनी रहे। इस समय इस संस्थान के निर्देशक की संथानम हैं।

भारतीय सुरक्षा

भारत की आर्थिक समस्यायें जो भी रही हों, आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक लेकिन इसके विराट क्षेत्रफल, विशाल जनसंख्या, सैनिक पराक्रम और सामरिक स्थिति ने यह तो निश्चित कर दिया है कि उसकी स्थिति एक क्षेत्रीय शक्ति की है। कोई भी एक देश हमारी क्षेत्रीय स्थिति को चुनौती नहीं दे सकता है। भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को युद्ध बनाने में प्रत्येक नागरिक की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका उत्तरदायी रहती है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुलकर आगे आना चाहिए। इसके साथ ही भारत को सैन्य कूटनीति का भी सहारा लेना होगा।

रक्षा आधुनिकीकरण कोष

देश की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक नए रक्षा आधुनिकीकरण कोष का गठन किया गया है। वर्ष 2004-2005 के अन्तरिम बजट में इस कोष के लिए 25000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी हो गया है।

भारतीय सीमायें एक नज़र में

1.	पाकिस्तान	3310 किलोमीटर
2.	चीन	3439 किलोमीटर
3.	म्यांमार (बर्मा)	1643 किलोमीटर
4.	नेपाल	1661 किलोमीटर
5.	भूटान	587 किलोमीटर
6.	बांग्ला देश	4096 किलोमीटर

गुट निरपेक्ष आन्दोलन (N.A.M.)

इस आन्दोलन की नींव पण्डित नेहरू (भारत मार्शल टीटो (यूगोस्लाविया) और कर्नल नासिर (मिश्र) के द्वारा रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के सैनिक गुटों से अपने को अलग रखना था। इसकी घोषणा 1956 में की गई और प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन सितम्बर, 1961 में बेलग्रेद (यूगोस्लाविया) में सम्पन्न हुआ। अब इसके सदस्य लगभग 108 हैं।

भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्त

भारतीय विदेश नीति को कुछ निश्चित उद्देश्यों और सिद्धातों के आधार पर तय किया जाता है जो प्रमुख रूप से इस प्रकार से हैं—

1. विश्व शान्ति।
2. शान्ति सह-अस्तित्व
3. उपनिवेशवाद का विरोध
4. प्रजातिवाद का विरोध
5. विवादों का शान्तिपूर्ण हल
6. आर्थिक विकास
7. गुटनिरपेक्षता

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

यह संगठन दिसम्बर, 1985 में शुरू हुए ढाका शिखर सम्मेलन के निर्णय से अस्तित्व में आया। इस संघ में सात पड़ौसी देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल व मालदीव शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग स्थापित करना है। इसके सात शिखर सम्मेलन हो चुके हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०)

यह संगठन 25 मार्च, 1957 को रोम सन्धि पर हस्ताक्षर के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैण्ड, लक्समबर्ग, जर्मन संघीय गणराज्य तथा इटली इसके संस्थापक देश थे। इसके बाद ब्रिटेन, आयरलैण्ड, डेनमार्क और नार्वे भी इसमें शामिल हो गए लेकिन कुछ समय बाद ही नार्वे इससे अलग हो गया। ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल सहित आज इसके कुल 12 देश सदस्य हैं। यह समुदाय आज विश्व का बड़ा और सबसे समृद्धशाली व्यापार क्षेत्रों में हो चुका है।

अरब लीग

इसका गठन प्रथम विश्व युद्ध में आटोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरब देशों में हुई जागृति के कारण हुआ। इसका औपचारिक उद्घाटन 22 मार्च, 1945 को हुआ था। इसके सदस्य देशों में अलजीरिया, बहरीन, जिबूती, ईराक, जोर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मौरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनेशिया, संयुक्त अरब, अमीरात और यमन हैं।

पंचशील क्या है ?

तिब्बत के प्रश्न पर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की अवधारणा के अन्तर्गत चीन व भारत के बीच 29 अप्रैल, 1954 को एक समझौता हुआ। यह समझौता पांच बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित था। समझौते को रेखांकित करते हुए पंडित नेहरू ने भारतीय संसद् में इसको 'पंचशील' का नाम दिया था। इसके निम्नलिखित सिद्धान्त हैं—

1. देश की अखण्डता एवं सम्प्रभुता
2. अनाक्रमण
3. देश के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप
4. समानता
5. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

स्पैशल-301

यह अमरीकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा 1988 की वह धारा है, जिसके अन्तर्गत अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे देश के विरुद्ध बदले की आर्थिक कार्यवाही की जा सकती है, जिसने अमरीकी बौद्धिक सम्पत्तियों के अधिकार क्षेत्र में ऐसी कार्यवाही की हो, जिसके फलस्वरूप अमेरिका के पेटेण्ट धारकों को हानि पहुंचती है। यह अधिनियम केवल बौद्धिक सम्पत्तियों के अधिकार से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत पेटेण्ट, ट्रेडमार्क, कापीराइट आदि से सम्बन्धित नियम आते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। इसकी स्थापना 1945 में वाशिंगटन में हुई थी, किन्तु इसका कार्य 1 मार्च, 1947 से शुरू हुआ था। 1 अक्तूबर, 1992 को 171 राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के सदस्य थे। इसके उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, व्यापार को सन्तुलन, विनिमय दरों में स्थिरता, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था, प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करना तथा असन्तुलन की मात्रा व अवधि में कमी करना है।

जी-15 (विकासशील देशों का समूह)

यह 15 निर्गुट एवं विकासशील देशों का संगठन है। इसकी स्थापना परस्पर सहयोग के लिए एवं विकसित देशों से समुचित सहायता प्राप्त करने के लिए सितम्बर, 1989 में बेलग्रेड (यूगोस्लाविया)निर्गुट शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन कुआलालम्पुर में हुआ था। इसके सदस्य देश हैं जिनमें अमेरिका द्वीप से मैक्सिको, जमैव, वेनेजुलना, पेरु, ब्राजील व अर्जेन्टीना, अफ्रीका से—अल्जीरिया, सेनेमल, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे व मिश्र, एशिया से भारत मलेशिया व **इण्डोनेशिया** तथा **यूरोप** से यूगोस्लाविया हैं।

जी-7 (विकसित देशों का समूह)

यह संगठन 7 विकसित देशों का समूह है, जिनका उद्देश्य आपसी सहयोग एवं सद्भावना से सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देना है। इसके सदस्य देश हैं—अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली व जापान 1993 में जी-7 देशों का शिखर सम्मेलन टोकियो (जापान) में सम्पन्न हुआ था। रूस को भी सम्मिलित करके यह संगठन जी-8 बन गया है।

ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन)

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन 1960 में बगदाद में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों के हितों का उन्नयन करना है और अधिक-से-अधिक कीमत प्राप्त करना है। इसके सदस्य देश हैं—अल्जीरिया, इक्वेडर, गैबान, इण्डोनेशिया, ईरान, ईराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात तथा वेनेजुएला। इसका मुख्यालय आस्ट्रिया की राजधानी वियना में है।

कोको द्वीप

बंगाल की खाड़ी में अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह से मात्र 18 कि० मी० की दूरी पर स्थित म्यांमार का कोको द्वीप चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह तथा म्यांमार के बीच स्थित प्रिपेरिस चैनल से होकर कोको द्वीप पहुंचने वाले चीनी युद्ध पोत वहां म्यांमार के नाम पर सैनिक सुविधा स्थापित करने में संलग्न है। बंगाल की खाड़ी में चीनी नौ सैनिकों की मौजूदगी भारत एवं सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए चिन्ता का विषय बनती जा रही है।

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण

सम्मेलन	स्थान	वर्ष	देशों की संख्या
पहला	बेलग्रेड	सितम्बर, 1961	25
दूसरा	काहिरा	अक्तूबर, 1964	47
तीसरा	लुसाका	सितम्बर, 1970	54
चौथा	अल्जीयर्स	सितम्बर, 1973	75
पांचवां	कोलम्बो	अगस्त, 1976	86
छठा	हवाना	सितम्बर, 1979	94
सातवां	नई दिल्ली	मार्च, 1983	97
आठवां	हरारे	सितम्बर, 1986	101
नौवां	बेलग्रेड	सितम्बर, 1989	101
दसवां	जकार्ता	सितम्बर, 1992	108
ग्यारहवां	कार्टगिना	अक्तूबर, 1995	113
बारहवां	डरबन	सितम्बर, 1998	114
तेरहवां	कुआलाम्पुर	फरवरी, 2003	116

प्रेसलर कानून

यह कानून अमेरिका में तीन दशक पूर्व विदेशी सहायता के सन्दर्भ में बनाया गया था। इसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले आतंकवादियों की सहायता करने वाले, आण्विक हथियारों का विकास प्रसार करने वाले देशों को अमरीकी सहायता (विशेष रूप से सैनिक सहायता) अयोग्य घोषित किया गया था। यह चर्चा का विषय तब बना जब पाकिस्तान की सहायता के लिए इसमें अमेरिका ने संशोधन किया। इसके लिए अमेरिका की विस्तारवादी भूख की खुलकर निन्दा की गई।

मानवाधिकार आयोग

- 26 जून, 1945 में सान फ्रांसिस्को में स्वीकार किए गए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 68 के तहत यह प्रस्ताव किया गया कि उससे सम्बद्ध आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोग गठित करेगी।
- इसी के अनुरूप 18 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया ताकि 'बिल ऑन ह्यूमन राइट्स' को तैयार किया जा सके।
- 10 दिसम्बर, 1948 को अमेरिका का श्रीमती फ्रेंकलिन डा० रुजवेल्ट तथा लेबनान के डा० चार्ल्स मलिक के प्रयासों से डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट तैयार और सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया।
- इस घोषणा में तीस धाराएं शामिल हैं जिनमें विश्व भर के सभी मनुष्यों के चाहे वे किसी वर्ण, जाति, वर्गधर्म, लिंग,राष्ट्र के हों उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनकी सर्वोच्चता की वकालत की गई है।
- संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की शाखा डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को दिसम्बर, 1966 में दो भागों में बांटा गया। एक के तहत मानवाधिकारों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को दूसरे के तरह सिविल और राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई
- आज 'कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स' संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् का एक उप आयोग हैं। इस उप आयोग में 43 सदस्य अमेरिका के तथा 12 सदस्य अन्य देशों के और सौ के लगभग गैर सरकारी संगठनों के सदस्य शामिल हैं। इनका वार्षिक अधिवेशन जिनेवा में होता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित मानवाधिकारों की सूची निम्नवत है :

1. जीने का अधिकार
2. स्वतन्त्रता का अधिकार
3. व्यक्ति की सुरक्षा की अधिकार
4. स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष एवं सामाजिक सुनवाई का अधिकार
5. कानूनी संरक्षण का अधिकार

6. गोपनीयता का अधिकार
7. क्षरण का अधिकार
8. राष्ट्रीयता का अधिकार
9. परिवार का अधिकार
10. सम्पत्ति का अधिकार
11. चुनाव एवं प्रशासन में भागीदारी का अधिकार
12. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
13. काम का अधिकार
14. अवकाश का आनन्द लेने का अधिकार
15. जीवन स्तर का अधिकार
16. स्वास्थ्य का अधिकार
17. शिक्षा का अधिकार
18. वैज्ञानिक प्रगति के कामों में हिस्सेदारी का अधिकार
19. शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार
20. समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में शामिल होने का अधिकारं
21. विचार, विवेक एवं धर्म की स्वतन्त्रता
22. मत एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता
23. आने, जाने और बसने की स्वतन्त्रता
24. मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, हिरासत में रखने और निर्वासित करने के विरुद्ध स्वतन्त्रता

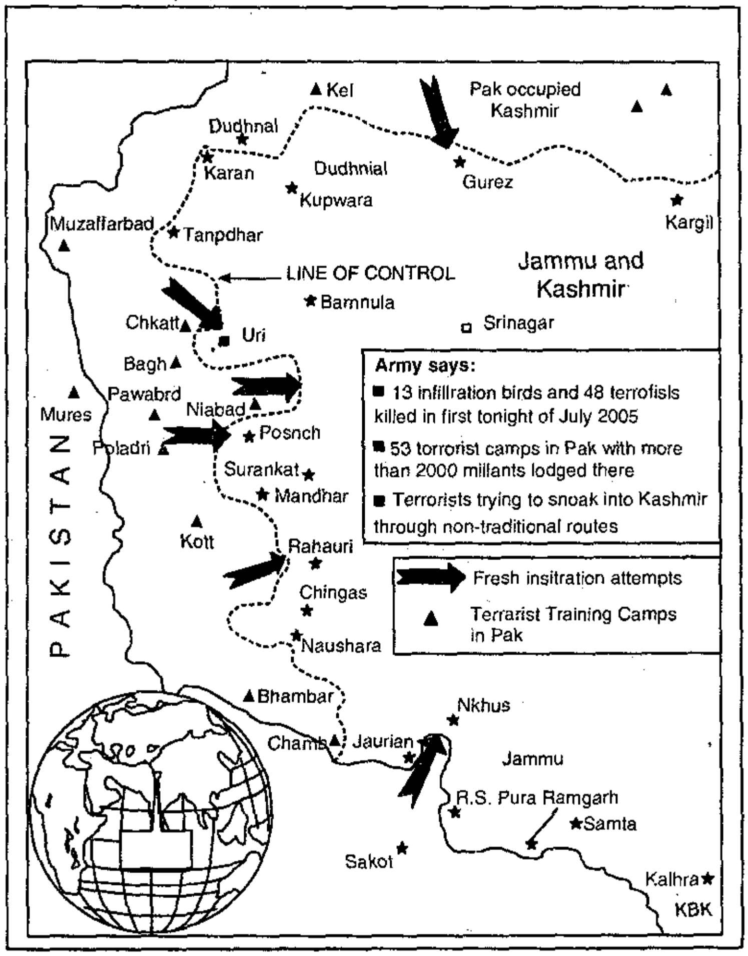

इराक युद्ध पर खर्च राशि का सही उपयोग होता तो....

इराक पर हमले के बाद अब तक अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया है। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हुए अमेरिका अब तक इराक के खिलाफ युद्ध में एक खरब 61 अरब 16 करोड़ 95 लाख डॉलर खर्च कर चुका है। यहां तक कि सुनामी की प्राकृतिक आपदा के लिए अमेरिका ने सिर्फ 1.5 करोड़ देने की घोषणा की थी। बाद में अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के तहत इसे बढ़ाकर महज पेंतीस करोड़ डॉलर किया गया। अमेरिका द्वारा खर्च इस राशि को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जा सकता था, किन्तु इन सभी से परे अमेरिका ने इराक पर हमला कर इतनी बड़ी राशि महज इसलिए खर्च की, ताकि वह विश्व को अपनी ताकत का एहसास करा सके।

- 21,347000 बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है।
- 96588900 बच्चों को साल भर का बीमा किया जा सकता है।
- 2793093 शिक्षकों की नियुक्ति पब्लिक स्कूलों की जा सकती है।
- 7813200 छात्रों को चार साल यूनिवर्सिटी छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
- 1451100 नई आवासीय इकाइयां बनाई जा सकती हैं।
- 6 साल का विश्व में भुखमरी के खिलाफ अभियान चलाया जा सकता है।
- 16 बरसों तक दुनिया भर में एड्स के खिलाफ चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए धनराशि दी जा सकती है।
- 53 वर्षों तक विश्व के हर बच्चे के टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक योगदान

1.	यू० एस० ए० (अमेरिका)	22 प्रतिशत
2.	जापान	19.5 प्रतिशत
3.	जर्मनी	8.7 प्रतिशत
4.	यू० के० (इंग्लैण्ड)	6.1 प्रतिशत
5.	फ्रान्स	6 प्रतिशत
6.	इटली	4.9 प्रतिशत
7.	शेष 185 सदस्य राष्ट्र	32.8 प्रतिशत

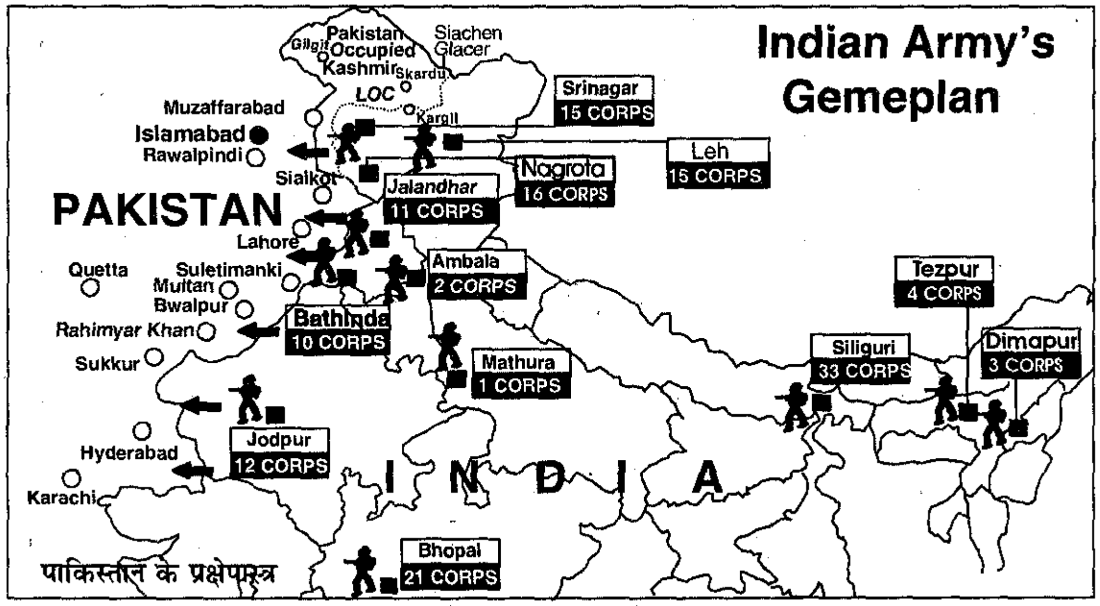

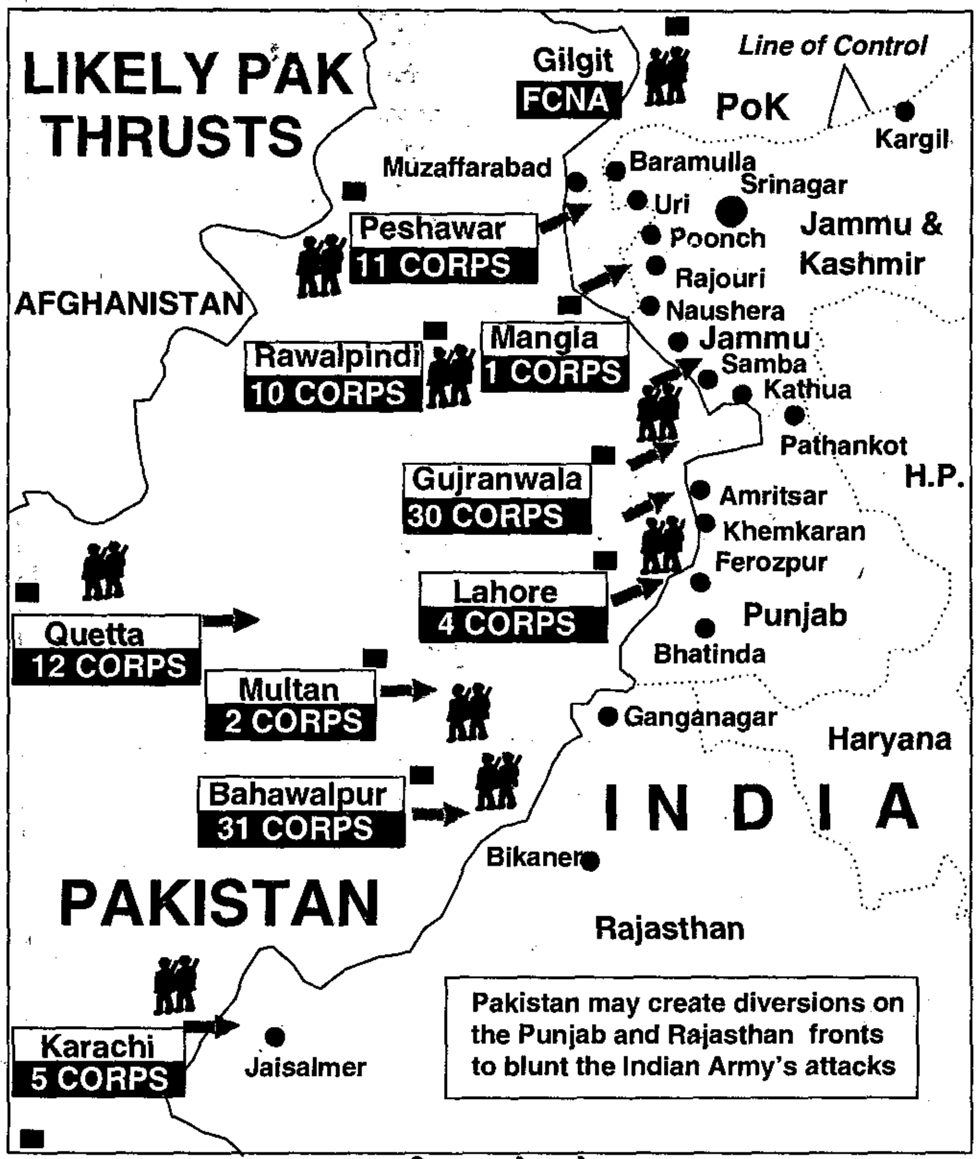

पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र

प्रक्षेपास्त्र	प्रयुक्त द्रव्य	मारक दूरी किलोमीटर	भार क्षमता किलो मीटर	वर्ष
हत्फ—1	ठोस	80	500	1987 चीन का सहयोग
हत्फ—2	ठोस	300	500	1988 "
हत्फ—3	ठोस	800	500	1997
एम—9	ठोस	600	—	अनुमानित
गौरी	ठोस	1500	700	1998
एम-11	ठोस	900	800	1992 (चीन)

प्रक्षेपास्त्र	प्रयुक्त द्रव्य	मारक दूरी किलोमीटर	भार क्षमता किलो मीटर	वर्ष
स्कड-बी	ठोस	—	—	
स्कड-सी	ठोस	—	—	
एस० आर० बी० एम०	ठोस	—	—	1996
शहीन—1	ठोस	2500	—	विकसित
हरपून	ठोस	—	—	1997 अमेरिका
गजनबी	ठोस	2000	700	विकसित (चीन)
साइविण्डर	—	—	—	—
तुंगफुंग—सी० एस—2	ठोस —	2500	500	आपेक्षित एम (चीन)
बाबर	ठोस	2500	500	हल्फ—7 2005) (चीन)

पाकिस्तान ने इस प्रक्षेपास्त्र परीक्षण व परमाणु क्षमता सम्पन्न ने भारत को यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि सम्बन्ध सुधारने की बात के साथ ही पाकिस्तान की प्रत्येक गतिविधि पर अपनी निगाह रखे और अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के विकास में किसी का दबाव न माने। नैतिकता एवं मित्रता निभाने का ठेका केवल भारत ने ही नहीं ले रखा है। कूटनीति के इस काल में हर कदम उठाने के पूर्व उसकी स्रातजिक एवं राजनयिक मीमान्सा अवश्य की जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में पाक को जहां चीन व अमेरिका का सामरिक सहयोग मिल रहा है, वहां पाकिस्तान भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने की बात करके अपने प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी प्रहारक क्षमता को भारत के दक्षिण क्षेत्र तक बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है।

सैन्य सन्तुलन

भारत पाकिस्तान

कुल सशस्त्र सेना : करीब 12 लाख (हाल में पचास हजार सैनिकों की कटौती के बाद)

कुल सशस्त्र सेना : 5,87,000

थल सेना Army

थल सेना : करीब 10,00,000 (पचास हजार सैनिकों की कटौती के बाद)

पांच क्षेत्रीय कमाण्ड, 4 फील्ड आर्मी, 11 कोर, तीन बख्तरबन्द डिवीजन, 4 रैपिड डिवीजन, 18 इन्फैन्ट्री (पैदल सेना) डिवीजन, नौ पर्वतीय डिवीजन एक तोपखाना डिवीजन 15 स्वतन्त्र ब्रिगेड, तीन इंजीनियर ब्रिगेड

टैंक छ 3, 414

बख्तरबन्द सैनिक वाहन (ए० पी०सी०) **: 850**

सचल तोपें : 2,175 (400 बोफोर्स होवित्जर सहित)

स्वचालित तोपें : 180

मल्टी रॉकेट लांचर : 150

सतह से सतह तक मार करने वाली **मिसाइलें छ** पृथ्वी (150-250 कि० मी० मारक दूरी वाली)

थल सेना : 5, 20, 000

नौ कोर मुख्यालय, दो बख्तरबन्द डिवीजन, नौ कोर तोपखाना ब्रिगेड, 19 पैदल सेना डिवीजन, सात इंजीनियर ब्रिगेड, एक एरिया कमाण्ड (डिवीजन) तीन बख्तरबन्द टोही रेजीमेन्ट, सात स्वतन्त्र बख्तरबन्द ब्रिगेड, एक स्पेशल फोर्सेज ग्रुप (तीन बटालियन), नौ स्वतन्त्र पैदल सेना ब्रिगेड, एक हवाई सुरक्षा कमाण्ड

टैंक : 2,120

बख्तरबन्द सैनिक वाहन :157

सचल तोपें : 1,590

स्वचालित तोपें : 240

मलीट रॉकेट लांचर : 45

सतह से सतह पर मार करने वाली **मिसाइलें :**

संख्या : अज्ञात
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें : 180
थल सेना छ 5,20,000

संख्या : अज्ञात

हल्फ—1 (80 कि० मी०) हल्फ—2 (120 कि० मी०), हल्फ—3 या एम-11 (300 कि० मी०) गोरी (1500 कि० मी०)
संख्या : अज्ञात
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें : 350 स्ट्गर, रेडआई, 500 अंजा (मार्क-1)]

नौसेना

कुल नौसैनिक : 55,000
7 हज़ार नौ सैनिक उड्डयन, 1200 समुद्री छापामार, 2000 महिलाओं सहित)
प्रमुख कमाण्ड : पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिण और सुदूर पूर्वी
पनडुब्बियां : 19
प्रमुख युद्धपोत : 25
विमानवाहक पोत : एक
विध्वंसक : 6
फ्रिगेट : 18
लड़ाकू पोत : 49
मिसाइल पोत : 8
नौसैनिक उड्डयन : 67 लड़ाकू विमान, 83 सशस्त्र हेलीकॉप्टर

कुल नौसैनिक : 22,000
1200 नौसैनिक उड्डयन और 2,000 समुद्री सुरक्षा एजेंसी के जवानों सहित
नौसैनिक अड्डा : कराची (फ्लीट मुख्यालय)
पनडुब्बियां : 9
प्रमुख युद्धपोत : 10
विध्वंसक : 2
फ्रिगेट : 8
लड़ाकू पोत : 10
मिसाइल पोत : 5
नौसैनिक उड्डयन : 7 लड़ाकू विमान, 12 सशस्त्र हेलीकॉप्टर

वायु सेना (Airforce)

कुल वायुसैनिक : 1,40,000 करीब 800 लड़ाकू विमान, 36 सशस्त्र हेलीकॉप्टर

ज़मीन पर हमला करने वाले **लड़ाकू विमान** : 22 स्कवाड्रन
तीन - 54 मिग 23
पांच - 120 मिग 27
पांच - 89 जगुआर
नौ - 144 मिग 21
लड़ाकू बेड़ा : 20 स्कवाड्रन
4 - 74 मिग 21
2 - 26 मिग 23
2 - 35 मिराज 2000
9 - 170 मिग 21 (बिस)
3 - 59 मिग 29

कुल वायुसैनिक : 45,000, करीब 430 लड़ाकू विमान, (कोई भी सशस्त्र हेलीकॉप्टर नहीं)

ज़मीन पर हमला करने वाले लड़ाकू **विमान** : सात स्कवाड्रन
एक - 18 मिराज 3
तीन - 58 मिराज 5
तीन - 50 क्यू 5.
लड़ाकू बेड़ा: 10 स्कवाड्रन
4 -100 जे 6
3 - 34 एफ 16
2-80 जे 7
1-30 मिराज 1110

इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोधक उपाय (ईसीएम) : कैन-इंसीएम : (नहीं)

हमलावर हेलीकॉप्टर : 2 स्कवाड्रन
1 - 18 मी० 25
1 - 18 मी० 35
समुद्री हमलावर विमान : 8 जगुआर
टोही : 2 स्कवाड्रन
1 - 8 कैनबरा
1 - 6 मिग 25 आर

हमलावर : (नहीं)
समुद्री हमलावर : (नहीं)
टोही : एक स्कवाड्रन
12 मिराज - 111 आर० पी

परिवहन विमान : 12 स्कवाड्रन
6 - 105 ए० एन० 32
2 - 30 डोर्मियर 228
2 - 33 एब्रो
हेलीकॉप्टर : 11 स्कवाड्रन (80 मी० 8, 50-मी० 47, 10 मी० 26)

परिवहन विमान :
12 (सी-130 हर्कुलस)
तीन बोइंग 707
तीन फॉल्कन - 20
हेलीकॉप्टर : एक स्कवाड्रन

एशियाई देशों में सैन्य बल

चीन	3,030,000
भारत	1,265,000
वियतनाम	8,57,000
पाकिस्तान	5,80,000
इण्डोनेशिया	2,83,000
थाइलैण्ड	2,83,000
जापान	2,46,000

पाकिस्तान के फौजी ठिकाने

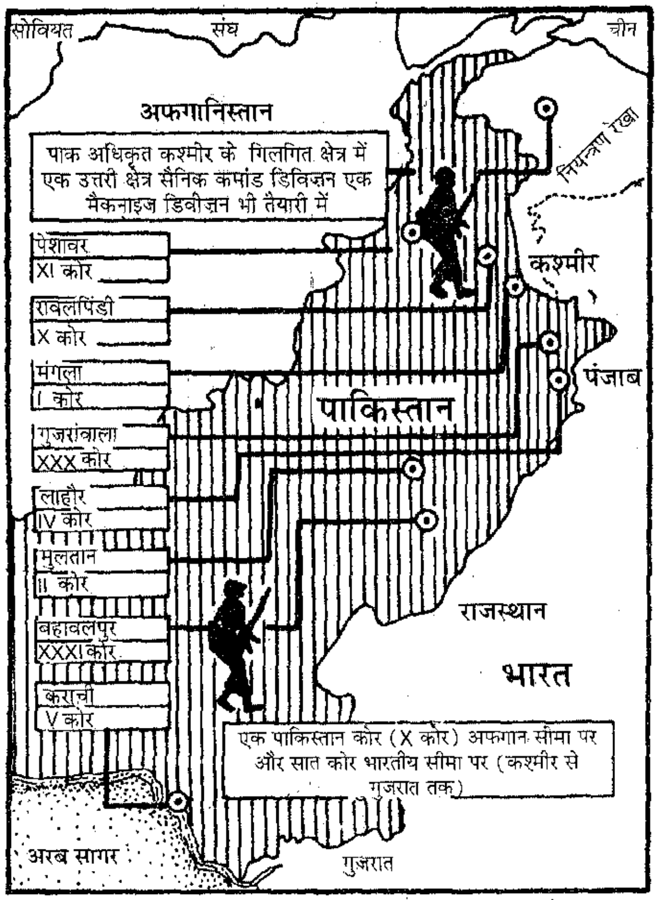

प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान

(Main Training Institutes)

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने जैसे-जैसे सेना का विकास किया, परिणामस्वरूप प्रशिक्षण संस्थानों का विकास एवं विस्तार हुआ। सेना के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों का परिचय इस प्रकार से है—

	प्रशिक्षण स्थान	स्थान
(1)	आर्मी कैडेट कॉलेज (A.C.C.)	नौगांव (मध्य प्रदेश)
(2)	इण्डियन मिलिटरी अकादमी (I.M.A.)	देहरादून
(3)	आर्मड कोर केन्द्र और स्कूल (A.C.C.S)	अहमदनगर
(4)	स्कूल ऑफ आर्टिलरी (School of Artillery)	देवलाली
(5)	कॉलेज ऑफ मिलिटरी इन्जीनियरिंग (C.M.E.)	किर्की (पूना)
(6)	स्कूल ऑफ सिगनल (School of Signal)	मऊ (मध्य प्रदेश)
(7)	इण्टेलीजेंस ट्रेनिंग स्कूल और डिपो (I.T.S. and D.)	पूना (पुणे)
(8)	आर्मी सर्विस ऑफ हेल्थ (A.S.H.)	लखनऊ
(9)	आर्मी सर्विस कोर स्कूल (A.S.C.S.)	बरेली (उत्तर प्रदेश)
(10)	आर्मी आर्डनेन्स कोर स्कूल (A.O.C.S.)	जबलपुर (मध्य प्रदेश)
(11)	कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स स्कूल (C.E. & M.E.S.)	बड़ौदा
(12)	कोर्प्स ऑफ मिलिटरी पुलिस सेण्टर एण्ड स्कूल (C.M.P.C. & S.)	फैज़ाबाद (उत्तर प्रदेश)
(13)	रिमाउण्ट वेटरनरी कोर स्कूल (R.V.C.S.)	मेरठ कैण्ट
(14)	रिमाउण्ट ट्रेनिंग स्कूल एण्ड डिपो (R.T.S. & D.)	सहारनपुर
(15)	इन्फैन्ट्री स्कूल (Infantry School)	मऊ (मध्य प्रदेश)
(16)	ऑफिसर्ज ट्रेनिंग अकादमी (O.T.A.)	मद्रास
(17)	हाई आल्टिच्यूड वारफेयर स्कूल (H.A.W.S.)	गुलमर्ग
(18)	आर्मी एजूकेशनल कोर ट्रेनिंग कॉलेज एण्ड सेण्टर (A.E.C.T.C. & C.)	पंचमढ़ी
(19)	आर्मी स्कूल ऑफ मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट (A.S.M.T.)	फैजाबाद
(20)	आर्मी/वायु ट्रांसपोर्ट स्कूल (A./A.T.S.)	आगरा
(21)	आर्मी स्कूल ऑफ फिज़िकल ट्रेनिंग (A.S.P.T.)	पूना (पुणे)
(22)	आर्मी प्रशिक्षण कमाण्ड (A.T.C.)	मऊ (म० प्र०)

उपर्युक्त प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों (स्थल, जल एवं वायु) के अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण स्थान भी हैं—

1. **राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी (N.D.A.)**—खड्गवासला स्थित इस स्थान में प्रवेश पाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (U.P.S.C.) की लिखित एवं मौखिक परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। अकादमी सेना की तीनों सेनाङ्गों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए तीन वर्ष के मिले-जुले पाठ्यक्रम की व्यवस्था है जिसके बाद शाखानुसार सैन्य शिक्षार्थी अपने-अपने सैन्य सेवा संस्थाओं में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसमें कमीशन पद के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। एन० डी० ए० को "भारतीय सैंड हर्स्ट" भी कहा जाता है।

2. **राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कॉलेज (N.D.C.)**—नई दिल्ली स्थित इस संस्थान में राष्ट्रीय रक्षा के सामरिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ-साथ युद्ध कला के उच्च निर्देशन तथा सैन्य संचालन की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण संस्थान ब्रिटेन के 'इम्पीरियल डिफेन्स कॉलेज' के ढांचे के अनुसार बना है।

3. **प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारी कॉलेज (D.S.S.C.)**—दक्षिण भारत के विलिंगटन (तमिलनाडु) में स्थित यह

प्रशिक्षण संस्थान कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। यह तीनों सेनाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सैनिक अधिकारियों के अतिरिक्त भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, रक्षा-लेखा सेवा (Defence Accounts Service) तथा रक्षा विज्ञान सेवा के चुने गये अधिकारियों को भी यहां प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके *अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित भी हैं—*

संस्था का नाम	**स्थान**
(4) राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कॉलेज (N.I.M.C.)	देहरादून
(5) सेना चिकित्सा कॉलेज (A.M.C.)	पूना (पुणे)
(6) स्थल सेना कॉलेज तथा विद्यालय (A.C.S.)	देहरादून
(7) सैनिक इन्जीनियरिंग कॉलेज (M.E.C.)	रुड़की (उत्तर प्रदेश)

इसके अतिरिक्त कम आयु से ही छात्रों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के लिए तैयार करने और प्रारम्भ से ही सैनिक अभिरुचि को उत्पन्न करने की दृष्टि से कई सैनिक विद्यालय चलाये जा रहे हैं। निम्नलिखित स्कूल देश के अनेक राज्यों में स्थित हैं।

सनावर (शिमला और लोवदले (नीलगिरि) स्थित लॉरेन्स स्कूल, बेल गांव और बंगलौर के सैनिक स्कूल, दोलपुर (राजस्थान), अजमेर (राजस्थान), सतारा (महाराष्ट्र), कुञ्जपुरा (करनाल, हरियाणा), बलछड़ी (जामनगर, गुजरात), कपूरथला (पंजाब), चित्तौड़गढ़ (राजस्थान), कोरुकोण्डा (आन्ध्र प्रदेश), काजेकुरम (त्रिवेन्द्रम, केरल), पुरुलिया (पश्चिम बंगाल), भुवनेश्वर (उड़ीसा), अमरावती नगर (तमिलनाडु), रीवां (मध्य प्रदेश), तिलैया (बिहार), बीजापुर (मैसूर), *गोलपारा (आसाम)* एवं घोड़ाखल *(नैनीताल, उत्तर प्रदेश)* के सैनिक स्कूल। *ये प्रारम्भिक पाठशालायें सशस्त्र* सेनाओं के लिए पूरक (Filler) का कार्य करती हैं।

नौ सेना के प्रशिक्षण केन्द्र—विशिष्ट प्राविधिक पाठ्यक्रम को छोड़कर नौ सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण कोचीन, बम्बई तथा विशाखापट्टनम आदि नौ सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में होता है। भिन्न-भिन्न प्रशिक्षण भिन्न-भिन्न जलयानों द्वारा दिया जाता है। प्रमुख प्रशिक्षणों में नौ सेना के विमान केन्द्र 'गरुण' तथा 'आई० एन० एस० *वेन्दुरुथी'* जो कोचीन में *स्थित है, मेकेनिकल, इन्जीनियर्स तथा शिल्पियों* कोणवाला *(महाराष्ट्र) स्थित* 'आई० एन० एस० शिवाजी' द्वारा इलेक्ट्रिकल स्कूल जामनगर स्थित 'आई० एन० एस० बलसुरा' द्वारा रंगरुटों को विशाखापट्टनम स्थित 'आई० एन० एस० सरकार्स' द्वारा, पूर्ति तथा सचिवालय शाखा के लिए बम्बई स्थित आई० एन० एस० हमला द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। समुद्री प्रशिक्षण हेतु जहाज़ी बेड़ों का प्रयोग किया जाता है।

***वायु सेना कॉलेज तथा विद्यालय**—वायु सेना की प्रशिक्षण व्यवस्था अनेक कॉलेज तथा विद्यालयों में विभाग* अनुसार की गयी है, जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार है—

वायु सेना उड्डयन कॉलेज माध्यमिक प्रशिक्षण के लिए	जोधपुर
वायु सेना उड्डयन माध्यमिक प्रशिक्षण के बाद के लिए	हैदराबाद
वायु सेना प्रशासनिक कॉलेज जेट विमान तथा परिवहन प्रशिक्षण के लिए	कोयम्बटूर
वायु सेना उड्डयन चिकित्सा विद्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण के लिए	बंगलौर
वायु सेना प्राविधिक कॉलेज इन्जीनियरी अधिकारी प्रशिक्षण के लिए	जहलल्लि
उड्डन प्रशिक्षण विद्यालय	ताम्बरम्
पृथ्वी एवं आकाशीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए	हैदराबाद
वायु सैनिक प्रशिक्षण स्कूल	आगरा

उपर्युक्त ऐसे वायु सेना प्रशिक्षण संस्थान हैं जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कुशल प्रशिक्षण देकर उनमें योग्यता एवं कार्य-कुशलता की क्षमता पैदा करते हैं।

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम

रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासकीय नियन्त्रण में इस समय सरकारी क्षेत्र के नौ उपक्रम हैं जो रक्षा सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं—

(1) हिन्दुस्तान एयरोनेटिक्स लिमिटेड	(एच० ए० एल०)
(2) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	(बी० ई० एल०)
(3) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	(बी० ई० एम० एल०)

(4) मझगांव डॉक लिमिटेड (एम० डी० एल०)
(5) गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड (जी० आर० एस० ई०)
(6) गोवा शिप यार्ड लिमिटेड (जी० एस० एल०)
(7) प्राग टूल्स लिमिटेड (पी० टी० एल०)
(8) भारत डाइनामिक्स लिमिटेड (पी० डी० एल०)

सामयिक प्रतिरक्षा एक नज़र में

→ खाड़ी युद्ध में ईराक द्वारा प्रयोग की गई 'स्कड मिसाइल' का निर्माण किस देश में हुआ था। **— सोवियत संघ**
→ भारतीय सेना का प्रति व्यक्ति व्यय **— 12 डालर (लगभग)**
→ भारत की जनसंख्या का प्रति हज़ार कितने व्यक्ति भारतीय सेना में कार्य करते हैं।**—1.7 व्यक्ति प्रति हज़ार**
→ बी० एस० एफ० का मुख्यालय **— टेकनपुर**
→ यू० एस० एयरफोर्स द्वारा प्रयोग की गयी क्रूज मिसाइल **— टामहाक**
→ भारतीय नौसेना में सम्मिलित तृतीय कार्बेट श्रेणी की युद्ध पोत जिसका निर्माण गार्डेनरीच कलकत्ता द्वारा किया गया। **— आई० एन० एस० कृपाण**
→ खाड़ी युद्ध में बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा ईराक पर हमले के दौरान प्रयोग की गयी Antimissile System missile. **— पैट्रियाट**
→ भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। **— 15 जनवरी, 1949**
→ पाकिस्तान का मुख्य टैंक जिसे जून 1991 पाकिस्तानी सेना में सम्मिलित किया गया। **— अलखालिद**
→ 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड' विशाखापट्टनम द्वारा बनाया गया नवीन जहाज़ी बेड़ा जिसका जलावतरण एस० एफ० रोड्रिग्स की पत्नी द्वारा किया गया। **— आई० एन० एस० घड़ियाल**
→ भारतीय थल सेना एवं वायु सेना को सौंपा गया भारतीय इलेक्ट्रानिक्स लि० गाज़ियाबाद द्वारा निर्मित भारत का अत्याधुनिक रडार। **— इन्द्र II**
→ भारतीय मालवाहक जहाज़ जिसका प्रयोग खाड़ी युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया। **— विश्वसिद्धि**
→ चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गयी बैलेस्टिक मिसाइल। **— एम-11**
→ 'गार्डन रीच' कलकत्ता द्वारा निर्मित 84.93 मीटर लम्बी एकास्टिक रिसर्च शिप जिसका जलावतरण 14 मई, 1991 को किया गया। **— आई० एन० एस० मार्स**
→ भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया सोवियत निर्मित (Anti Tank Gun) तोप जिसकी क्षमता 27 कि० मी० है। **— बूस्टर टैंक**
→ पृथ्वी से हवा में मार करने वाला नवीनतम सोवियत निर्मित प्रक्षेपास्त्र है। **—SAM 14 या स्ट्रेला-10 एम**
→ भारतीय जल सेना का नवीनतम चौथा नेवल एयर स्टेशन (Naval Air Station) जिसका उद्घाटन 21 अक्तूबर को भारतीय नौसेनाध्यक्ष द्वारा किया गया। **— आई० एन० एस० डेंगा**
→ सोवियत संघ द्वारा निर्मित आधुनिकतम प्रक्षेपास्त्र जो अब अन्तर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी के अन्तर्गत आ गया है। **— कूरियर**
→ सोवियत संघ द्वारा भारत को दिया जाने वाला लड़ाकू विमान जो सीधे उड़ान के लिए उड़ सकता है और इसे छोटी हवाई पट्टी पर भी उतारा जा सकता है। **—YAK-141**
→ विश्व का वर्ष 1990 में सर्वाधिक हथियार सप्लाई करने वाला देश। **— अमेरिका**
→ चौथी भारत निर्मित कार्वेट श्रेणी की युद्धपोत जिसका जलावतरण 23 अक्तूबर 91 को विशाखापट्टनम में किया गया है। **— आई० एन० एस० खंजर**
→ हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम द्वारा निर्मित तटरक्षक जहाज़ जो हाल में नौसेना को सौंपी गयी। **— आई० एन० एस० सरजू**
→ कर्नाटक के उस स्थान का नाम जो देश के सबसे बड़े अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। **— करवार, अन्कोला**

- भारतीय माल वाहक जहाज जो दक्षिणी ग्रीस के पास 22 जनवरी, 1991 को डूब गया था। — **कॉन्टीनेन्टल लोटल**
- सबसे गहरी डुबकी लगाने वाला जहाज। — **आई० एन० एस० निरीक्षक**
- आई० एन० एस० डेंगा का नाम किसके नाम पर रखा गया है। — **बाज (पक्षी)**
- भारतीय तथा अमरीकी नौसेना के गोवा तट पर अरब सागर में मई माह में सम्पन्न 24 घण्टे के संयुक्त अभ्यास का नाम जिसमें दोनों देशों के दो-दो युद्ध पोतों (भारत की ओर से विध्वंसक 'INS' रंजीत और गोदावरी वर्ग की फ्रिगेट 'INS' गोमती तथा अमेरिका की ओर से विध्वंसक USS डेविड और फ्रिगेट USS वेंडीग्रिफ्ट ने भाग लिया। — **मालबार 92**
- अग्नि का दूसरा परीक्षण किया गया। — **29 मई, 1992 को**
- अग्नि प्रक्षेपास्त्र का तीसरा सफल परीक्षण किया गया। — **19 फरवरी, 1994**
- *अग्नि का पहला परीक्षण किया गया।* — **22 मई, 1989 को**
- भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक एयर स्टेशन जिसे हाल में (11 मार्च, 1992 को) अरक्कोणम (तमिलनाडु) में स्थापित किया जो TU—142 विमानों हेतु अड्डे के रूप में काम करेगा। — **आई० एन० एस० रजाली**
- (रजाली गरुड़ पक्षी का तमिल नाम है। ज्ञातव्य है कि रजाली के पूर्व INS हंसा यही कार्य कर रहा है।)
- *16 मार्च, 92 को बम्बई में जलावतरण की गई प्रक्षेपास्त्र नौका।* — **INS विपुल**
- भारतीय नौसेना में सम्मिलित परिशोधित पनडुब्बी।— **INS शंकुल (21 मार्च, 1992) और INS शाल्की (7 फरवरी, 92)**
- हाल में (3 मई को) पाक को 300 1-72 मुख्य युद्धक टैंक देने वाला देश। — **सऊदी अरब**
- *पृथ्वी की मारक क्षमता।* — **2500 कि०मी०**
- चार देशों—स्पेन, जर्मनी, इटली और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से जर्मनी में बना आधुनिकतम लड़ाकू विमान का नाम है। — **यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट—92 (EFA-90)**
- भारतीय प्रक्षेपास्त्र आकाश की तकनीक समकक्ष है। — **पेट्रियट (अमरीकी प्रक्षेपास्त्र)**
- भारत ने किस देश के साथ अण्डेमान द्वीप में नौसेना अभ्यास किया। — **आस्ट्रेलिया**
- गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कलकत्ता द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसेल (Fast Petrol Vessel) जिसका अवतरण 23 जनवरी, 1992 को किया गया। — **रज़िया सुल्तान**
- फ्रांस द्वारा किस देश को 40 मिराज 2000 दिया गया। — **पाकिस्तान**
- थल सेना की नवगठित छठी कमान का नाम। — **सेना प्रशिक्षण कमान**
- नवगठित थल सेना की छठी कमान का मुख्यालय। — **मऊ (Mhow) म० प्र०**
- मिसाइल वाहक पनडुब्बी जिसका जलावतरण 25 जनवरी, 1992 को मार्मागोवा में किया गया। —**INS 'विनाश'**
- थलसेना की नवगठित सेना प्रशिक्षण कमान को दिया गया नाम। — **थिंक टैंक (Think Tank)**
- 8600 डी० डब्लू टन का पहला तेल वाहक टैंकर जिसका जलावतरण अभी हाल में किया गया। — **जवाहर लाल नेहरू**
- ईराक को व्यापक संहार क्षमता वाले हथियारों को नष्ट करने के सं० राष्ट्र के आदेश को मनवाने की चेतावनी देने के लिए खाड़ी में उतारे गये विमान वाहक जहाज का नाम। — **'अमेरिका'**
- भारतीय तकनीक द्वारा निर्मित द्वितीय मिसाइल बोट। — **आई० एन० एस० विभूति**
- मझगांव गोदी द्वारा निर्मित प्रथम मिसाइल बोट। — **आई० एन० एस० विपुल**
- भारत की स्वदेशी तकनीक द्वारा निर्मित टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र जिसका प्रक्षेपण चांदीपुर अन्तरिम टेस्ट मिसाइल रेंज से सफलतापूर्वक किया गया। — **नाग**
- पृथ्वी से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'आकाश' की मारक क्षमता। — **25 कि०मी०**
- पृथ्वी से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र *'त्रिशूल' की मार क्षमता है।* **9 कि०मी०**
- जमीन से जमीन तक मारने वाले प्रक्षेपास्त्र 'पृथ्वी' की मारक क्षमता है। — **250 कि० मी०**
- प्रथम बैलेस्टिक मिसाइल 'अग्नि' की मारक क्षमता है। —**2500 कि० मी०**

→ भारतीय तकनीक द्वारा निर्मित 'टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र' मारक क्षमता है। **3.4 कि० मी०**

→ नाभिकीय ईंधन से परिचालित सोवियत पनडुब्बी जिसे भारत ने जनवरी 88 में 3 वर्ष की लीज पर प्राप्त किया था। **— आई० एन० एस० चक्र**

→ भारत जर्मन आर्थिक सहयोग के तहत प्राप्त भारत का प्रमुख सागर अनुसन्धान पोत जिसमें हाइड्रोमैपिंग प्रणाली भी लगी है। **— सागरकन्या**

→ राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। **—गोवा में**

→ सीमा सुरक्षा बल (B.S.F.) के नव-नियुक्त महानिदेशक हैं। **— डी० के० आर्य (31 जनवरी, 1994)**

→ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार हनन का प्रस्ताव कब वापस किया। **— 9 मार्च, 1994**

→ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र 'नाग' का तीसरा परीक्षण किया गया। **— 29 व 30 जनवरी, 1994**

एफ—16 एक जानकारी

* एफ-16 श्रेणी तीन प्रकार की है एफ-16 'ए', एफ-16 'बी' और एफ-16 'सी'। इसे 'फाइटिंग फाकन' भी कहते हैं।
* एफ-16 अमेरिका की जनरल डायनेमिक्स और लाकहीड कम्पनियां बनाती हैं। पाक का एफ-16 सौदा एक सीट वाले 60 एफ-16 'ए' तथा 11 एफ-16 'बी' का है जिसे लाकहीड ने तैयार किया है।
* हवा से हवा में तथा हवा से ज़मीन पर युद्ध में काम करने वाले हल्के पर अतिआधुनिक इलैक्ट्रानिक युद्धक सुविधा सम्पन्न, मल्टी मोड राडार, फारवर्ड लुकिंग इन्फ्रारेड वीडियो से युक्त एफ-16 अति क्षमतावान लड़ाकू विमान है।
* एफ-16 चौबीस घण्टे लगातार उड़ान भर सकता है और उड़ान के दौरान ही ईंधन ले सकता है।
* एफ-16 की कुल उड़ान क्षमता 8000 घण्टे की तथा उड़ान जीवन 30 वर्षों की आंकी गयी है।

1. भारतीय स्थल सेना शक्ति (Indian Arms Forces)

1.	**कुल स्थल सेना**	—	11,00,000
2.	**कमाण्ड**	—	6 [पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, केन्द्रीय तथा प्रशिक्षण कमाण्ड (नव निर्मित)]
3.	**डिवीज़न**	—	5 परम्परागत
4.	**कोर**	—	10
5.	**आर्मड डिवीज़न**	—	2
6.	**मैकनाइज़्ड डिवीज़न**	—	1
7.	**पैदल एवं पर्वतीय डिवीज़न**	—	21 + 11 = 32
8.	**एयर बोर्न ट्रूप्स**	—	2 ब्रिगेड
9.	**स्वतन्त्र ब्रिगेड**	—	15
10.	**मुख्य युद्धक टैंक**	—	3200
11.	**तोपखाना दल**	—	2500
12.	**प्रमुख तोपें**	—	3860
13.	**प्रक्षेपास्त्र**	—	टाइगर, कैट, पृथ्वी, आकाश, एक्जोसेट सी ईगल, साम।
14.	**बख़्तरबन्द युद्धक वाहन**	—	900
15.	**सेना के सहायक अंग**	—	(अ) प्रादेशिक सेना (ब) बी० एस० एफ० (स) एन० सी० सी०।
16.	**स्थल सेना मुख्यालय (H.Q.)**	—	नई दिल्ली

2. भारतीय नौ-सेना बल (Indian Navy)

कुल नौ सैनिक : 50,000

जलयान			
1. विमान वाहक पोत	—	विक्रान्त (पूर्व एच० एम० एस० हार्मिस)	
2. क्रूज़र	—	फिजी क्लास (मैसूर)	
3. विध्वंसक	—	राजपूत क्लास (कशिन टाइप)	—3
	—	रनवीर क्लास (उन्नतकशिन टाइप)	—3
4. फ्रिगेट	—	गोदावरी क्लास (लैंडर डिज़ाइन)	—3
		नीलगिरी क्लास (लैंडर डिज़ाइन)	—6
		तलवार क्लास (विहटवी क्लास)	—2
		ब्रह्मपुत्र क्लास (लियोवर्ड क्लास)	—3
		ब्रिटिश ब्लैक स्वान क्लास क्रिस्टीनो	—1
5. पनडुब्बी	—	कुरसुरा (फाक्सट्राट क्लास)	—8
		सिन्धुघोष (किलो क्लास)	—8
		शिशुमार (टाइप 1500 क्लास)	—4
6. कारबेट	—	नानुचका क्लास	—4
		तरनतुल (वीर क्लास)	—5
7. लाइट फोर्सेस	—	पूर्व सोवियत ओ० एस० ए० I तथा II	
		क्लास प्रक्षेपास्त्र एफ० ए० सी०	—16
		एस० डी० बी० एम के 2/3 मार्क	—9
		मार्क क्लास गश्ती पोत	—2
8. सुरंग युद्धकला शक्ति	—	पूर्व सोवियत नाट्य क्लास	
		समुद्री सुरंग हटाने वाले	—12
		ब्रिटिश हैम क्लास तटीय सुरंग हटाने	
		वाले (बेसिन क्लास)	—4
		पूर्व सोवियत येवगेन्या क्लास तटीय	
		सुरंग हटाने वाले	—6
9. जल-थल शक्ति	—	पूर्व सोवियत पोल्नोसिनी क्लास	—10
		मगर (एल० एस० टी० क्लास)	—2
		एल० सी० यू०	—4
10. नौ वायुसेना	—	लड़ाकू	—4
		2 हमलावर स्क्वाड्रन 24 सी हैरियर के साथ।	
		2 मैरीटाइम रिकनाइसेंस स्क्वाड्रन	
		2 एंटीशिप स्क्वाड्रन	
		4 कोस्टगार्ड स्क्वाड्रन	
		6 ए० एस० डब्ल्यू स्क्वाड्रन	
		39 सी किंग	
		5 केए 25	
		11 ऐलोएटी III	
		8 केए 28	
		प्रशिक्षण/हल्के परिवहन	
		7 एचजेटी-16 किरण	
		9 बी.एन. आइलैंडर	

4 एम.डी.एच. 300
7 एफ-27
12 एलोएटी-हैलिकाप्टर
2 डेवॉन
15 बी.एन. डिफेंडर
34 डी.ओ. परिवहन के लिए

3. भारतीय वायुसेना बल (Indian Airforce)

कुल वायु सैनिक : 1,15,000

विमान :

लड़ाकू : कुल 13 स्क्वाड्रन

2 स्क्वाड्रन मिराज-2000 (4 विमान)
3 स्क्वाड्रन जगुआर (81 विमान)
3 स्क्वाड्रन मिग-23 (40 विमान)
5 स्क्वाड्रन मिग-27 (80 विमान)

हवाई सुरक्षा : कुल 19 स्क्वाड्रन

3 स्क्वाड्रन मिग-29 (63 विमान)
12 स्क्वाड्रन मिग-21 (250 विमान)
3 स्क्वाड्रन हाल अजीत (72 विमान)

रिकनाइसेंस : कुल 3 स्क्वाड्रन

1 स्क्वाड्रन जगुआर (12 विमान)
1 स्क्वाड्रन मिग-25 (6 विमान)
1 स्क्वाड्रन निर्माणाधीन

हेलीकाप्टर

9 स्क्वाड्रन चेतक (सेना के साथ सम्बद्ध) (180)
4 परिवहन स्क्वाड्रन चीता, एम० आई-17, एम० आई०-18 (190)
4 हमलावर स्क्वाड्रन एम.आई०-25 और एम० आई०-26 (40)

परिवहन : 14 स्क्वाड्रन (343 विमान)

प्रशिक्षण

40 मिग-21	13 मिग-23
5 जगुआर	7 मिराज-2000
60 एच० टी०-2	83 किरण
15 मारुत	8 मिग-29
44 पी०जेड०एल०टी०एस०-11	27 एच०एस-748
20 चेतक हेलीकाप्टर	

4. भारतीय सैन्य शक्ति एक नज़र में

	भारत
कुल सैन्य बल	12,62,000
थल सेना	11,00,000
युद्धक टैंक	3,150
तोपखाना	3,860
वायु सेना	1,10,000
लड़ाकू विमान	833
आक्रामक हैलीकाप्टर	125

परिवहन विमान	200
प्रक्षेपास्त्र	आकाश, एक्जोसेट सी ईगल, साम
नौ सेना	52,000
विमान वाहक पोत	2 (विराट, विक्रान्त)
पनडुब्बी	19
विध्वंसक	5
फ्रिगेट	20
मिसाइल क्राफ्ट	12
माइन वारफेयर	20

रक्षा मन्त्रालय की रिपोर्ट (2004)

रक्षा मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2003-2004)—8 नवम्बर, 2004 को रक्षा मन्त्रालय ने वर्ष 2003-2004 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में देश की सुरक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में कहा गया है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते बेशक अच्छे हो रहे हैं, पर वहां तेजी से होते सैन्य आधुनिकीकरण, पाकिस्तान के साथ उसके नज़दीकी रिश्ते और तिब्बत में बढ़ती ताकत को देखते हुए चीन के परमाणु और मिसाइल महत्त्वाकांक्षाओं पर निगरानी रखना अति आवश्यक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नेतृत्व में चल रहे मौजूदा मुद्दों से सीख लेकर चीन तीव्र सैन्य आधुनिकीकरण की नीति बना रहा है तथा स्वयं को राजनीतिक, आर्थिक और आन्तरिक रूप से सुदृढ़ करने तथा अपनी समग्र राष्ट्रीय शक्ति निर्मित करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्धों की तलाश में है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और चीन ने आपसी भरोसा बढ़ाने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। दोनों ही पक्ष सीमा मतभेद से जुड़े प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही वे सीमा विवाद हल होने तक अपने-अपने सीमा क्षेत्रों में शान्ति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने में लगे हैं।

पश्चिमी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में मन्त्रालय की रिपोर्ट में चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की अगुवाई में इराक के खिलाफ लड़ाई से इस्लामी आतंकवाद को लगातार बढ़ावा मिला है। इससे खाड़ी देशों में रहने वाले 35 लाख भारतीयों और तेल की सप्लाई को लेकर चिन्ता बढ़ी है। इराक, सऊदी अरब, तुर्की और स्पेन के नए क्षेत्र आतंकवादियों के निशाने पर हैं। मध्य एशिया में अस्थिरता पैदा करने के लिए धार्मिक कट्टरपंथियों की कोशिशें भी जारी हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर इण्डोनेशिया में धार्मिक कट्टरपंथियों की बढ़ती गतिविधियों और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े अलग-अलग आतंकी गुटों के प्रकट होने से इस क्षेत्र की पहचान इस्लामी कट्टरपंथियों के नए केन्द्र के रूप में होने लगी है जो भारत के लिए चिन्ता का विषय है। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की सांठगांठ से और परमाणु प्रक्षेपास्त्र का प्रसार किए जाने के प्रमाण भारत के लिए गम्भीर चिन्ता की बात है।

अफगानिस्तान के सन्दर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां विभिन्न संस्थाओं और संस्थानों के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन का काम चल रहा है लेकिन अलकायदा, तालिबान और अन्य आतंकी गुटों की गतिविधियों के कारण अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के साथ लगने वाली उसकी सीमा पर आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति कुछ हद तक खराब हुई है।

रिपोर्ट में आतंकवाद का देश की सुरक्षा के लिए प्राथमिक और सबसे तात्कालिक खतरा बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत आज जिन सुरक्षा चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है वैसा विश्व के कुछ देशों को ही सामना करना पड़ा है। भारत के सामने जिस तरह के खतरे हैं उसमें हमारे विरुद्ध परमाणु हथियारों के प्रयोग का खतरा भी शामिल है।

उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा मन्त्रालय ने अपनी विशेष रिपोर्ट में कहा है कि भारत के पास न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु निवारक क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमें न केवल सतर्कता और चौकसी बनाए रखनी होगी बल्कि सेनाओं को आतंकवाद, परम्परागत युद्ध तथा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सम्भावना सम्बन्धी सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा।

अग्नि-1 का सफल परीक्षण—4 जुलाई, 2004 को भारत ने मध्यम दूरी के पहले बैलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र का उड़ीसा तट के निकट व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाले अग्नि-एक शृंखला के पांचवें प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण सुबह दस बजकर दस मिनट पर किया गया। अग्नि शृंखला के पहले प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण 22 मई, 1989 को यहां से 14 किलोमीटर दूर चांदीपुर स्थित अन्तरिम परीक्षण रेंज से किया गया था। रक्षा विभाग के अनुसार यह प्रक्षेपास्त्र 700 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। इस प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण 25 जनवरी, 2002 को किया गया था। अग्नि का यह तीसरा परीक्षण है।

बेतवा युद्धपोत नौसेना बेड़े में शामिल—जुलाई, 2004 में आधुनिक मिसाइलों से लैस युद्धपोत बेतवा को नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल माधवेन्द्र सिंह ने कोलकाता में एक समारोह में यह पोत नौसेना की ओर से स्वीकार किया।

गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित यह निर्देशित मिसाइल युद्धपोत पी-16 ए वर्ग का दूसरा पोत है। इससे पहले इस वर्ग के तहत आई० ए० एन० एस० ब्रह्मपुत्र मिसाइल पोत का निर्माण भी गार्डन रीच ने ही किया था। बेतवा में स्वदेशी निर्मित शस्त्र प्रणालियों और सेंसर लगे हैं, जिनमें नौसेना की मारक क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी।

स्वदेशी तकनीक से बने इस आधुनिकतम युद्धपोत को स्वीकार कर नौसेना ने स्वदेशीकरण के प्रयासों को बढ़ावा दिया है। इस पोत को नौसैनिक डिज़ाइन महानिदेशालय ने डिज़ाइन किया। इससे पहले दिल्ली वर्ग के विध्वंसक पोत, गोदावरी वर्ग के फ्रिगेट और कोरा वर्ग के कार्वेट को भी नौसेना ने ही डिज़ाइन किया था।

'सारस' की उड़ान सफल—स्वदेशी तकनीक से विकसित नागरिक विमान 'सारस' की प्रथम प्रतिकृति की आधिकारिक उद्घाटन उड़ान 22 अगस्त, 2004 को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (हाल) के हवाई अड्डे से हुई। 14 सीटों वाला यह हल्का परिवहन विमान सुबह 8.21 बजे से 8.38 बजे तक हवा में तैरता रहा। इस विमान की दूसरी प्रतिकृति का निर्माण अगले वर्ष किया जाएगा।

इससे पूर्व 'सारस' 7 बार तीन घण्टे की आरम्भिक उड़ान भर चुका है। प्रथम उड़ान 29 मई, 2004 को हुई थी। इसे अधिकतम 550 कि० मी० प्रति घण्टे की गति से 7500 मी० की ऊंचाई तक उड़ान भरने की दृष्टि से बनाया गया है। 'सारस' के परियोजना निदेशक के अनुसार इस विमान की प्रथम प्रतिकृति का भार इसके वांछित भार से अधिक होने के कारण इस पर काफ़ी काम करना पड़ा है। उनके अनुसार इसकी द्वितीय प्रतिकृति में नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एन०ए०एल०) कनाडा में बनी शक्तिशाली प्रैट व ह्विटनी इंजन लगाए जाएंगे तथा 19 सीटों वाले 'सारस' के निर्माण पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा।

अर्जुन टैंक सेना में शामिल—7 अगस्त, 2004 को स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश की शान मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन को भारतीय सेना में विधिवत शामिल कर लिया गया। चेन्नई के पास आवडी स्थित भारी वाहन कारखाने में युद्धक वाहन अनुसन्धान एवं विकास संस्थान (सी०वी०आर०डी०ई०) द्वारा तैयार पांच अर्जुन टैंकों का पहला बेड़ा रक्षामन्त्री प्रणव मुखर्जी ने सेनाध्यक्ष जनरल एन० सी० विज को यहां एक समारोह में सौंपा। इस अवसर पर रक्षा राज्यमन्त्री बी० के० हांडीक भी उपस्थित थे।

अर्जुन टैंक ऐतिहासिक टी-90 एस-भीष्म टैंक को शामिल किये जाने के ठीक सात माह बाद सेना में शामिल किया गया है। भारतीय सेना के सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 1983 में शुरू अर्जुन टैंक परियोजना को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वर्ष 1994 में राजस्थान में पहले परीक्षण के दौरान कहा गया कि इसमें कई कमियां हैं। आलोचकों ने तो यहां तक कहा कि यह टैंक सेना के लिए उपयुक्त नहीं है। आलोचनाओं के बीच पूर्व रक्षा मन्त्री जार्ज फर्नांडीज ने संसद् में घोषणा की थी कि सेना के सुझावों के आधार पर रक्षा अनुसन्धान विकास संगठन (डी०आर०डी०ओ०) द्वारा अर्जुन टैंक में किये गये बदलावों को लेकर सेना ने सन्तोष जताया। इससे इस अत्याधुनिक युद्धक टैंक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। सेना ने 124 टैंकों का खरीद आदेश देकर अर्जुन के बड़े पैमाने पर उत्पादन का द्वार खोल दिया।

इस लक्ष्य को पाने को सी०वी०आर०डी०ई० के वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ जुट गये। दिन-रात की अथक मेहनत में उनका साथ कोलकाता की आर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओ०ए०एफ०बी०) के इंजीनियरों ने दिया। इस तरह सी०वी०आर०डी०ई० रिकार्ड समय में अर्जुन टैंक तैयार करने में सफल रहा। युद्धक टैंक अर्जुन सेना की आक्रमण शक्ति का मुख्य केन्द्र होगा। इस टैंक की संचालन क्षमता सबसे ज्यादा और लम्बी दूरी की मारक क्षमता तथा शानदार बचाव क्षमता है।

इसमें कम्प्यूटर नियन्त्रित एकीकृत फायर नियन्त्रण प्रणाली है। इसकी सटीक और त्वरित लक्ष्य भेदन क्षमता दिन-रात और हर मौसम में कम-से-कम समय में प्रदान करती है। इस टैंक में सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर विकसित कंचन प्रणाली लगायी गयी है।

इस टैंक में हाइड्रो गैस सस्पेंशन लगे हुए हैं जो टैंक चालक दल के सदस्यों तथा सैनिकों को आराम देते हैं ताकि उन्हें थकान से बचाया जा सके। इससे उनकी कार्य-क्षमता में विस्तार के साथ-साथ वाहन की स्थिरता और निशाना लगाने की अचूकता बढ़ती है।

अत्याधुनिक सेंसर युक्त अर्जुन में विशेष तौर पर विकसित किया गया सुरक्षा कवच 'कंचन' भी लगाया गया है।

अग्नि-2 का सफल परीक्षण—सतह से सतह पर दो हजार किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाली 'अग्नि-2' मिसाइल का 29 अगस्त, 2004 को उड़ीसा तट के निकट बंगाल की खाड़ी के इनर व्हीलर द्वीप से तीसरा सफल परीक्षण किया गया।

बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-2 में दो चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया। अत्याधुनिक नियन्त्रण, पुनः वापसी, बहुचरणीय और संचार तकनीकों से युक्त यह मिसाइल वहां तक प्रहार कर सकती है जहां तक युद्ध विमान भी नहीं पहुंच सकते। एक टन भार ले जाने में सक्षम अग्नि-2 शृंखला की मिसाइलों का यह तीसरा सफल परीक्षण है। इससे पूर्व 11 अप्रैल, 1999 व 17 जनवरी, 2001 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। वैज्ञानिक इस श्रेणी की मिसाइलों को विकसित करने के लिए 1983 से लगे हुए हैं।

महत्त्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम की इस मिसाइल की लम्बाई 19.1 मीटर है। अग्नि, मिसाइलों के सफल परीक्षण से भारत स्वदेशी तकनीकी पर आधारित बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता वाला विश्व का सातवां देश बन गया है। छः अन्य देश हैं—अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और इज़रायल।

अग्नि मिसाइलों की तैनाती शुरू—भारत ने परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाली अग्नि मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। इनमें सात सौ किलोमीटर दूर तक मार करने वाली अग्नि-I और दो हज़ार किलोमीटर दूर तक मार करने वाली अग्नि-2 मिसाइलें शामिल हैं। इसके साथ ही भारत जल्दी ही तीन हज़ार किलोमीटर से अधिक दूर तक मार करने वाली अग्नि-2 मिसाइलों का परीक्षण करेगा।

29 अगस्त को जब अग्नि-2 मिसाइल को उड़ीसा के व्हीलर्स द्वीप से बंगाल की खाड़ी में दागा गया तो संचालन की कमान डी०आर०डी०ओ० अधिकारियों के साथ सेना के अफसरों के भी हाथ में थी।

भारत के पास इन मिसाइलों की पूर्ण विकसित प्रणाली है और इनका उत्पादन शुरू हो चुका है।

ऐसी कुछ मिसाइलें सेना को सौंपी भी जा चुकी है। अग्नि-1 मिसाइल के लिए थल सेना ने 333 नाम के दो मिसाइल ग्रुपों की स्थापना की है। इसके अलावा 150 से 350 किलोमीटर वाली पृथ्वी मिसाइलों के लिए 355 नामक मिसाइल ग्रुप का गठन किया गया है। भारत मिसाइलनाशक मिसाइल बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसके साथ ही पूर्व चेतावनी देने वाले टोही विमानों के विकास पर भी काम चल रहा है। भारत में दुश्मन की तोपों का पता लगाने वाले रेडार का भी विकास हो रहा है और अगले साल इनका परीक्षण किया जाएगा।

'एजेटी' भी अब भारत में बनेगा—देश में ही इंटरमीडिएट जेट प्रशिक्षण विमान (आई०जे०टी०) का विकास करने के बाद हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब एडवांस्ड जेट ट्रेनर (ए०जे०टी०) का विकास करेगी। आशा है कि 2011 तक इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने 66 एजेटी हॉक विमानों के लिए ब्रिटिश एरोस्पेश से सौदा किया है। देश में बनने वाले इस विमान का नाम हिन्दुस्तान जेट ट्रेनर (एजेटी) रखा जा सकता है।

हॉक एजेटी विमान एक इंजन वाला है जबकि स्वदेशी एजेटी दो इंजन वाला होगा। इस विमान का डिज़ाइन और विकास काम शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी मिलने के 39 महीनों के भीतर इसका प्रोटोटाइप निकालने का भरोसा मोहंती ने जताया। उन्होंने कहा कि ए०एल०एच० ध्रुव को अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में आर्डर मिलने और एन०सी०ए० के विकास में एच०ए०एल० और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों का इतना भरोसा बन गया है कि वे एजेटी के सांझा विकास और उत्पादन की पेशकश के संकेत देने लगे हैं। हालांकि एच०ए०एल० को पूरा विश्वास है कि वह अकेले ही एजेटी का डिज़ाइन, विकास और उत्पादन कर सकेगी।

त्रिशूल का सफल परीक्षण—स्वदेशी तकनीक से निर्मित सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाले अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल का यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज अर्थात् एकीकृत परीक्षण रेंज से 15 सितम्बर, 2004 को सफल परीक्षण किया गया। आई०टी०आर० के सूत्रों ने बताया कि खासतौर पर भारतीय नौसेना के लिए तैयार किए गए इस प्रक्षेपास्त्र को सचल वाहन से अपराह्न दो बजकर 14 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया।

इसका परीक्षण प्रक्षेपण आई०टी०आर० से 13 सितम्बर को किया गया था लेकिन राडार प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण इसका परीक्षण रोकना पड़ा। त्रिशूल, रक्षा अनुसन्धान विकास संगठन (डी०आर०डी०ओ०) द्वारा विकसित पांच प्रक्षेपास्त्रों में से है जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं। यह एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसकी मारक क्षमता 9 से 12 किलोमीटर है और यह 15 किलोग्राम तक का मुखास्त्र ले जाने में सक्षम है।

अब देश में ही होगा राडार प्रणाली अवाक्स का निर्माण—राडार उत्पादन के स्वदेशीकरण की ओर पांच वर्ष बाद बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने पूर्व चेतावनी देने वाली राडार प्रणाली (अवाक्स) के देश में ही निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर 1800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसको पूरा करने के लिए सात वर्ष का समय तय किया गया है।

राडार प्रणाली में रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन (डी०आर०डी०ओ०) को हाल में मिली सफलताओं से उत्साहित होकर सुरक्षा मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना में डी०आर०डी०ओ० और वायुसेना मिल कर सहयोग करेंगे। समिति ने भारत और ब्राज़ील के बीच रक्षा सहयोग को भी मंजूरी दी है।

ज्ञातव्य है कि पिछली सरकार ने इज़रायल के साथ अवाक्स प्रणाली वाले फाल्कन राडारों के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का सौदा किया था। यह राडार भारत को 2007 से मिलने शुरू होंगे। लेकिन इनकी उपयोगिता को देखते हुए भारत अब इन्हें खुद ही विकसित कर रहा है।

टोही विमान 'ओरायन' के सौदे पर बात बढ़ी—अमेरिका के जो टोही विमान शीत युद्ध के दौरान हिन्द महासागर में भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर नज़र रखते थे, अमेरिका अब उन्हीं को भारत को सप्लाई करने पर बात कर रहा है। इन विमानों में मिसाइली हमले की क्षमता भी होगी।

अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी एक प्रकाशन के अनुसार इसके साथ ही अमेरिका भारत को पनडुब्बी दुर्घटनाओं की सूरत में राहत व बचाव कार्य में कारगर एक पोत भी बेचेगा। रोचक तथ्य यह है कि ऐसे ही टोही विमान इन दिनों पाकिस्तान नौसेना की सेवा में हैं। अमेरिका ने पिछले साल अपनी समुद्री टोही विमान पी-3 सी ओरायन भारत को बेचने की पेशकश की थी। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल रूस से करीब दो दशक पहले आयातित टी०यू०-142 और आई०एल०-38 टोही विमान हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और दुर्घटनाओं के कारण इनकी संख्या घट चुकी है।

अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी प्रकाशन जनता, विकास, सहभागिता-अमेरिका भारत के रिश्तों में बदलाव में भारत के साथ नौसैनिक टोही विमान के लिए चल रही बातचीत का खुलासा करते हुए कहा गया है कि लम्बी दूरी तक और काफ़ी अधिक समय तक आसमान में बने रहने की क्षमता रखने वाला यह विमान भारतीय नौसेना की टोही क्षमता में भारी इजाफा कर सकेगा। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वास्तव में अमेरिका पी-3-सी टोही विमानों की अत्यधिक उन्नत किस्म भारतीय नौसेना को सौंपेगा जिसे अमेरिकी अधिकारी 3 सी-प्लस की संज्ञा दे रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार भारत को जो किस्म बेची जाएगी उसमें नवीनतम एवियानिक्स अर्थात् इलेक्ट्रानिक्स और रेडार उपकरण लगे होंगे तथा इसमें नवीनतम सेंसर कमांड एवं कंट्रोल शस्त्र प्रणाली भी होगी। अमेरिकी अधिकारी इसे एक ऐसा समुद्री टोही विमान बताते हैं जो आक्रमण करने की क्षमता रखेगा। ऐसे विमान दो सौ किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक मिसाइलों से लैस होंगे जो समुद्र में इतनी दूर पर विचरते दुश्मन के किसी पोत को ध्वस्त कर देंगे। सूत्रों के अनुसार, भारत ये विमान सेकंड हैंड खरीदेगा। ये विमान अमेरिकी नौसेना के उपयोग में हैं लेकिन नौसेना इन्हें रिटायर करना चाहती है।

उड़ान के दौरान ही ईंधन भरने का करतब—इस वर्ष 72वें वायुसेना दिवस पर 8 अक्तूबर, 2004 को आसमान में ईंधन भरने वाले आई०एल०-78 टैंकर विमान जगुआर हमलावर विमानों में उड़ान के दौरान ही ईंधन भरने का करतब दिखाया गया। वायुसेना दिवस के अवसर पर इनके अतिरिक्त 150 मीटर की ऊंचाई पर पांच जगुआर लड़ाकू विमान तीर का निशान बनाते हुए गुज़रे।

लक्ष्य की परीक्षण उड़ान सफल—स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित विमान 'लक्ष्य' ने 11 अक्तूबर, 2004 को चांदीपुर समुद्र तट स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आई०टी०आर०) में 11 बजकर 53 मिनट पर सफल उड़ान भरी। ज्ञातव्य है कि इस विमान को वर्ष 2000 में रक्षा सेनाओं में शामिल किया जा चुका है।

मिग-27 में प्रयुक्त क्लेन विण्डो ग्लास हेतु निर्भरता समाप्त—मिग-27 में प्रयुक्त होने वाले क्लेन विण्डो ग्लास के लिए अब भारत को बाहरी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रूस से आयात किए जाने वाले क्लेन विण्डो ग्लास से

बेहतर ग्लास अम्बाला कैण्ट स्थित इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन एण्ड डेवलपमेण्ट फेसेलिटीज़ सेंटर (आई०डी०डी०सी०) के विशेषज्ञों ने बताया है। अब तक मिग-27 में रशियन क्लेन ग्लास का इस्तेमाल होता था, जिसमें मिग-27 के काकपिट से पायलट को 1.06 नैनोमीटर (वेव-लेंथ) तक की दूरी नज़र आती थी, जबकि आई०डी०डी०सी० में जो क्लेन विण्डो ग्लास बनाया गया, उसमें 1.54 नैनोमीटर तक की दूरी देखी जा सकती है। दुश्मनों की स्थिति को ज्ञात कर पाने में भी आई०डी०डी०सी० द्वारा विकसित क्लेन ग्लास कहीं ज्यादा सक्षम है।

उल्लेखनीय है कि 1.06 व 1.54 एन०एम० दूरी आंखों से नहीं देखी जा सकती इसलिए मिग-27 में ग्लास बहुत अहम भूमिका निभाएगा। रशियन ग्लास से अधिक उन्नत क्षमता वाले इस ग्लास को टेस्ट में एच०ए०एल० बंगलौर से पहली बार में पास कर दिया गया और फिर इसे विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए फ्रांस की थेल्स नामक कम्पनी में भेजा गया। वहां से भेजी गई रिपोर्ट में भी रशियन ग्लास की तुलना में इस ग्लास को बेहतरीन माना गया।

टफी व हंकी बख्तरबन्द गाड़ियों को सेना में शामिल करने की योजना—सेना के 'आर्मी टैक्नोलॉजी' सैंटर ने जो 'हंकी' व 'टफी' बख्तरबन्द गाड़ियां तैयार की हैं, उन्हें जल्द ही ट्रायल के बाद सेना में शामिल किए जाने की योजना है।

पूरी तरह से बुलेटप्रूफ ये बख्तरबन्द गाड़ियां अपने आप में पूरी एक सैन्य टुकड़ी से कम नहीं हैं। इसमें हैवी और मीडियम मशीन गन, आटो ग्रेनेड लांचर से लेकर कई तरह के हथियार चलाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये गाड़ियां रात में भी कई मील तक देख सकती हैं, अर्थात् इज़रायल से हासिल किए गए नाइट विज़न इमेजर इसमें लगे हुए हैं। ये इमेजर रात के अन्धेरे में भी बता सकते हैं कि कई मील दूर कोई हलचल हो रही है कि नहीं। राडार तो इसमें लगा ही है, अत्याधुनिक ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम इन्हें हर समय बताता रहता है कि वह कहां हैं ? सेटेलाइट से संचालित होने वाले इस सिस्टम से घने वनों में भी सैनिक भटक नहीं सकते। हंकी और टफी, जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है, दुश्मन की गोलियों को ही नहीं मिसाइल के हमले को भी झेल सकते हैं। जबकि ग्रेनेड तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। किसी मौसम और देश में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कारगर इन बख्तरबन्द गाड़ियों को तैयार करने में सेना के टेक्नोलॉजी सेंटर को एक-डेढ़ वर्ष लग गया।

नया सैन्य सिद्धान्त—भारत के पड़ोसी देशों से उत्पन्न होने वाले परमाणु खतरों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल एन० सी० विज ने 29 अक्तूबर, 2004 को एक नए सैन्य सिद्धान्त का सूत्रपात किया। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत आतंकवाद से लड़ने के लिए नई त्रिकोणीय रणनीति तय की गई है।

थल सेना के आंकलन के अनुसार भविष्य में होने वाले युद्ध छोटे लेकिन तेज़ होंगे और आतंकवाद की पृष्ठभूमि में ही यह युद्ध लड़े जाएंगे। नई युद्ध अवधारणा में इन सभी आपात् स्थितियों को ध्यान में रखा गया है।

थल सेना का यह नया युद्ध सिद्धान्त दो भागों में विभक्त है। इसके पहले हिस्से को सार्वजनिक किया गया है, लेकिन दूसरे हिस्से को अत्यन्त गोपनीय की श्रेणी में रखा गया है। पहले हिस्से में बदलते सुरक्षा परिदृश्य, आतंकवाद का असर, चुनौतियों का सामना करने के लिए ढांचागत व संगठनात्मक परिवर्तन, युद्ध प्रक्रिया को नेटवर्क आधारित बनाना और तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान (Joint operations) को सम्मिलित किया गया है।

थल सेना के अनुसार भारतीय थल सेना यद्यपि परमाणु हथियारों को युद्ध के हथियारों के रूप में नहीं देखती है, तथापि, यह क्षेत्र में सन्तुलन कायम रखने तथा अपनी रक्षा के लिए हैं।

चीतल हेलीकॉप्टर ने रिकॉर्ड बनाया—वायु सेना के चीतल हेलीकॉप्टर ने लेह के निकट सासरकांगड़ी में 2 नवम्बर, 2004 को 25,150 फीट की ऊंचाई पर उतरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके पूर्व 24,971 फीट का रिकॉर्ड बेल 407 हेलीकॉप्टर के नाम था।

चीतल हेलीकॉप्टर चीता हेलीकॉप्टर का विकसित रूप है, जिसमें बेहतर क्षमता वाला इंजन लगाया गया है।

स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र 'धनुष' का सफल परीक्षण—स्वदेश निर्मित कम दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र 'धनुष' का 7 नवम्बर, 2004 को बंगाल की खाड़ी से लगे उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से सफल परीक्षण किया गया। उड़ीसा के चांदीपुर प्रक्षेपण स्थल से 30 किलोमीटर दूर तटीय क्षेत्र में खड़े नौसैनिक पोत आई०एन०एस० 'सुभद्र' पर रखे एक स्थिर प्रक्षेपास्त्र से धनुष का प्रक्षेपण किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र 'धनुष' पृथ्वी—II का नौसैनिक संस्करण है। 500 किलोमीटर भार ढोने की क्षमता वाला यह प्रक्षेपास्त्र 8.56 मीटर लम्बा है और इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। इसका वज़न, 4,600 किलोग्राम है। इसे परम्परागत और परमाणु आयुध दोनों की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। यह 'धनुष' का तीसरा परीक्षण था। इसका पहला परीक्षण 11 अप्रैल, 2000 को किया गया था।

ब्रह्मोस का छठा सफल परीक्षण—भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई सुपरसॉनिक क्रूज़ मिसाइल

'ब्रह्मोस' का 3 नवम्बर, 2004 को उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से सफल परीक्षण किया गया। नौसेना के लिए तैयार इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के विध्वंसक 'आई०एन०एस० राजपूत' से किया गया। यह ब्रह्मोस का छठा परीक्षण था। ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 12 जून, 2001 को चांदीपुर समुद्र पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था।

जहाजरोधी मिसाइल 'ब्रह्मोस' ज़मीन, समुद्र और उप-समुद्रीय क्षेत्र पर भी निशाना साध सकती है। जहाज़ से चलाने के समय यह वायु की गति से दुगुनी रफ्तार से 14 कि०मी० की ऊंचाई तक उड़ान भरती है। बहुलक्ष्य भेदी क्षमता वाली यह मिसाइल चलते-फिरते प्लेटफॉर्म से भी दागी जा सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर और वज़न करीब तीन टन है। यह सतह के समानान्तर भी उड़ान भर सकती है, लेकिन इसी स्थिति में उसकी रेंज घटकर 120 कि०मी० ही रह जाती है। यह आठ मीटर लम्बी है और करीब 200 किलो पारम्परिक विस्फोटक ढो सकती है। मिसाइल में ठोस ईंधन के अलावा एक तरल ईंधन रामजेट प्रणाली भी है। यह पहली और एकमात्र क्रूज़ मिसाइल है जिसमें तरल राजमेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

तोप खोजी राडार का परीक्षण एक वर्ष के भीतर—देश में विकसित किए जा रहे तोप खोजी राडार (डब्ल्यू०एल०आर०) के नमूने का 2005 तक परीक्षण किए जाने की सम्भावना है और आशा है कि आगामी तीन वर्ष में यह राडार सेना में शामिल भी हो जाएंगे।

तोप खोजी राडार का उपयोग सीमा पार दुश्मन की तोपों की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ज्ञातव्य है कि कारगिल युद्ध के दौरान इस तरह के राडारों की अनुपस्थिति भारतीय थलसेना को काफ़ी खली थी, जबकि इसी तरह के राडार पाकिस्तानी थलसेना के पास मौजूद हैं।

इस कमी को पूरा करने के लिए 2002 में भारत ने अमेरिका से 8 शस्त्र खोजी राडार (एन०एन०टी०पी०क्यू०) खरीदने के लिए 14 करोड़ डॉलर का सौदा किया था। रक्षा सूत्रों के अनुसार, देश में ही इस प्रकार के राडार के विकास के प्रयासों को देखते हुए भविष्य में और अधिक क्रय एवं उत्पादन पर बल दिया जाएगा।

तोप खोजी राडार डब्ल्यू०एल०आर०

भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने एक ऐसे राडार की खोज की है जिसके द्वारा दुश्मन के तोपों की सटीक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। वीपंस लोकेटिंग राडार नामक यह यन्त्र सीमा पार जंगली या पर्वतीय इलाकों में छिपाकर चलायी जाने वाली तोपों की सटीक स्थिति बताने में पूरी तरह सक्षम है।

तोप खोजी इस राडार का विकास रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन (DRDO) की बेंगलोर स्थित प्रयोगशाला इलेक्ट्रोनिक्स शोध एवं विकास संस्थान (LRDE) ने किया है। रक्षा वैज्ञानिकों का दावा है कि देश में विकसित तोप खोजी राडार की क्षमता अमेरिकी ए०एन०टी०पी०क्यू-37 राडार के बराबर है। यह नई राडार 50 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी हमलावर तोप को देख सकता है। यह एक साथ ऐसी आठ हमलावर तोपों की सटीक स्थिति बता सकता है। इस तरह के तोप खोजी राडारों की विशेषकर सियाचिन और कारगिल इलाके में विशेष ज़रूरत महसूस की जाती है, क्योंकि वहां पाकिस्तानी सेना अपनी तोपें छिपाकर रखती हैं।

लाइट मिसाइल

भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों को स्वदेशी युद्धक टैंक 'अर्जुन' के लिए लेज़र निर्देशित लाइट मिसाइल का निर्माण करने में सफलता मिली है। यह मिसाइल नज़रों से दूर खड़े दुश्मन के टैंकों को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। इस मिसाइल का निर्माण युद्धक वाहन अनुसन्धान व विकास संस्थान ने किया है। यह मिसाइल छः किलोमीटर दूर नज़रों से ओझल दुश्मन के टैंक को ध्वस्त कर सकती है।

अग्नि को परमाणु अस्त्रों से लैस करने की मंजूरी

भारत सरकार ने एक अहम् फैसले में अब थल सेना को अग्नि मिसाइलों से लैस करने के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। थल सेना 150 कि०मी० की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइलों के लिए मिसाइल ग्रुप 222 और 333 का पहले ही गठन कर चुकी है। अब 700 से 1500 कि०मी० दूर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइलों के लिए दो ग्रुप बनाये जा रहे हैं। 'अग्नि-1' मिसाइलों के लिए 334 ग्रुप और 'अग्नि-2' मिसाइलों के लिए 335 मिसाइल ग्रुप का गठन करने की तैयारी जारी है। गौरतलब है कि 'अग्नि-2' मिसाइलों को परमाणु विस्फोटकों से लैस किये जाने की योजना है, जबकि 'पृथ्वी' मिसाइलों को केवल पारम्परिक विस्फोटकों से ही लैस किया जायेगा। सरकार ने थल सेना को 'पृथ्वी' मिसाइलों के लिए भी दो नयी इकाइयों के गठन के लिए मंजूरी दी है। 'पृथ्वी' मिसाइलों की नई इकाइयां 2005 से सक्रिय हो जायेंगी।

भारतीय प्रक्षेपास्त्र

पृथ्वी	
किस्म	सतह से सतह
मारक क्षमता	40 से 250 कि०मी०
युद्धाग्र भार	500 से 1000 कि०ग्रा०
परीक्षण	16 बार
कीमत	3 करोड़ रुपए प्रति नग
स्थिति	विकसित और तैनात
अग्नि—II	
किस्म	मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र
मारक क्षमता	2500 कि०मी० (3500 कि०मी० तक)
युद्धाग्र भार	1 टन
परीक्षण	3 से अधिक बार
कीमत	8 करोड़ रुपए प्रति नग
स्थिति	विकसित व प्रदर्शित, पर तैनात नहीं।
आकाश	
किस्म	सतह से हवा
मारक क्षमता	25 कि०मी०
युद्धाग्र भार	55 कि०ग्रा०
परीक्षण	5 से अधिक
कीमत	1 करोड़ रुपए प्रति नग
स्थिति	विकसित और तैनात
त्रिशूल	
किस्म	सतह से हवा
मारक क्षमता	500 मी० से 8 कि०मी०
युद्धाग्र भार	15 कि०ग्रा०
परीक्षण	30 से अधिक बार
कीमत	45 लाख रुपए प्रति नग
स्थिति	विकसित और तैनात
नाग	
किस्म	टैंकरोधी
मारक क्षमता	4 से 9 कि०मी०
परीक्षण	25 से अधिक बार
कीमत	25 लाख रुपए प्रति नग
स्थिति	विकसित और तैनात

प्रमुख देशों के रक्षा व्यय व सैन्य सन्तुलन

देश	**व्यय राशि (जी०डी०पी० %)**	**सैनिक (हज़ार में)**
भारत	2.3	1,298
चीन	2.5	2,270
पाकिस्तान	4.7	620
बांग्लादेश	1.1	137

देश	व्यय राशि (जी०डी०पी० %)	सैनिक (हज़ार में)
नेपाल	1.4	51
श्रीलंका	3.9	158
रूस	4.0	—
अमेरिका	3.4	1,414
ब्रिटेन	2.5	210
फ्रांस	2.5	260
जापान	1.0	240
जर्मनी	1.5	296

विश्व में जी०डी०पी० का सर्वाधिक रक्षा व्यय (23.5) इरिट्रिया करता है।

स्रोत : यू०एन०डी०पी० रिपोर्ट 2004

भारतीय वायु सेना अध्यक्ष

(Indian Chief of the Air Staff)

1.	एयर मार्शल सर थामस एम० हर्स्ट	1947-1950
2.	एयर मार्शल सर रोनाल्ड एल० चैपमैन	1950-1951
3.	एयर मार्शल सर जेराल्ड गिब्स	1951-1954
4.	एयर मार्शल एस० मुखर्जी	1954-1960
5.	एयर मार्शल ए० एम० इन्जीनियर	1960-1964
6.	एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह	1964-1969
7.	एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल	1969-1973
8.	एयर चीफ मार्शल ओ० पी० मेहरा	1973-1976
9.	एयर चीफ मार्शल एच० मूलगांवकर	1976-1978
10.	एयर चीफ मार्शल आर० एच० लतीफ	1978-1981
11.	एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	1981-1984
12.	एयर चीफ मार्शल एल० के० काले	1984-1985
13.	एयर चीफ मार्शल डी० ए० लाफान्टेन	1985-1988
14.	एयर चीफ मार्शल एस० के० मेहरा	1988-1991
15.	एयर चीफ मार्शल एन० सी० सूरी	1991-1993
16.	एयर चीफ मार्शल एस० के० कृष्ण कौल	1993-1995
17.	एयर चीफ मार्शल एस० के० संरीन	1996-1998
18.	एयर चीफ मार्शल यशवन्त टिपनिस	1999 से 2001
19.	एयर चीफ मार्शल कृष्णा स्वामी	2002-2004
20.	एयर चीफ मार्शल शिशीन्द्रपाल त्यागी	2005 से अब तक

भारतीय नौ सेना अध्यक्ष

(Indian Chief of Naval Staff)

1.	वाइस एडमिरल आर० डी० कदारी	1958-1962
2.	वाइस एडमिरल बी० एस० सोमन	1962-1966
3.	एडमिरल ए० के० चटर्जी	1966-1970
4.	एडमिरल एस० एम० नन्दा	1970-1973
5.	एडमिरल एस० एन० कोहली	1973-1976
6.	एडमिरल जे० एल० कंसेब्जी	1976-1979

7.	एडमिरल आर० एल० परेरा	1979-1982
8.	एडमिरल ओ० एस० डाउसन	1982-1984
9.	एडमिरल आर० एच० तहलियानी	1984-1987
10.	एडमिरल जे० जी० नाडकर्णी	1987-1990
11.	एडमिरल एल० रामदास	1990-1993
12.	एडमिरल वी० एस० शेखावत	1993-1996
13.	एडमिरल विष्णु भागवत	1996-1998
14.	एडमिरल सुशील कुमार	1998 से 2001
15.	एडमिरल माधवेन्द्र सिंह	2001-2004
16.	एडमिरल अरुण प्रकाश	2004 से अब तक

भारतीय थल सेना अध्यक्ष

(Indian Chief of the Army Staff)

1.	जनरल सर राय बचर	1948-1949
2.	जनरल के० एम० करियप्पा	1949-1953
3.	जनरल महाराजा राजेन्द्र सिंह	1953-1955
	भारतीय सेना के कमाण्डर-इन-चीफ	
1.	जनरल महाराजा राजेन्द्र सिंह	1955-1955
2.	जनरल एस० एम० श्री नागेश	1955-1957
3.	जनरल के० एस० थिमैय्या	1957-1961
4.	जनरल पी० एस० थापर	1961-1962
5.	जनरल जे० एस० चौधरी	1962-1966
6.	जनरल पी० के० कुमारमंगलम्	1966-1969
7.	जनरल एस० एच० एफ० जे० मानेकशा	1969-1972
8.	फील्ड मार्शल एस० एच० जे० मानेकशा	1972-1973
9.	जनरल जी० जी० बैबूर	1973-1975
10.	जनरल टी० एन० रैना	1975-1978
11.	जनरल ओ० पी० मल्होत्रा	1978-1981
12.	जनरल के० वी० कृष्णाराव	1981-1983
13.	जनरल ए० एस० वैद्य	1983-1986
14.	जनरल के० सुन्दरजी	1986-1988
15.	जनरल वी० एन० शर्मा	1988-1990
16.	जनरल एस० एफ० रोड्रिगज़	1990-1993
17.	जनरल वी० सी० जोशी	1993-1994
18.	जनरल शंकर राय चौधरी	1994-1997
19.	जनरल वेद प्रकाश मलिक	1997-2000
20.	जनरल एस० पद्मनाभन	2000-2002
21.	जनरल एन० सी० विज	2003-2005
22.	जनरल जे० जे० सिंह	2005 से अब तक

नोट—थल सेना अध्यक्ष के० एम० करियप्पा को वर्ष, 1986 में फील्ड मार्शल की उपाधि से अलंकृत किया गया।

भारतीय सर्वोच्च सेनापति (राष्ट्रपति)

एक नज़र

1.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद	1950-1962
2.	डॉ० सर्वपल्ली राधा कृष्णन	1962-1967
3.	डॉ० ज़ॉकिर हुसैन	1967-1969
4.	श्री वराह गिरि वेंकटगिरि	1969-1969 (कार्यवाहक)
5.	न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायत उल्ला	1969-1969 (कार्यवाहक)
6.	श्री वराह गिरि वेंकटगिरि	1969-1974
7.	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	1974-1977
8.	श्री बी० डी० जत्ती	1977-1977 (कार्यवाहक)
9.	श्री नीलम संजीवा रेड्डी	1977-1982
10.	ज्ञानी जैल सिंह	1982-1987
11.	श्री आर० वेंकटरमन	1987-1992
12.	डॉ० शंकर दयाल शर्मा	1992-1997
13.	श्री के० आर० नारायणन	1997 से 2002
14.	डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम	2002 से अब तक

पाकिस्तान की स्थिति

(एक नज़र में)

जनसंख्या वृद्धि दर (%)	=	1.98
शिशु मृत्यु दर (प्रतिहज़ार)	=	74.43
शहरी आबादी (%)	=	33
साक्षरता दर (%)	=	45.7
बेरोज़गारी (%)	=	8
जी.डी.पी.	=	318 अरब डॉलर (तुलनात्मक क्रय शक्ति के आधार पर)
वास्तविक विकास दर	=	5.5 प्रतिशत
औद्योगिक उत्पादन विकास दर	=	7.6 प्रतिशत
निर्यात	=	11.7 अरब डॉलर
आयात	=	12.51 अरब डॉलर
विदेशी मुद्रा व स्वर्ण भण्डार	=	11.67 अरब डॉलर
सैन्य खर्च लगभग	=	जी.डी.पी. का 4.9 प्रतिशत

भारत का बजट

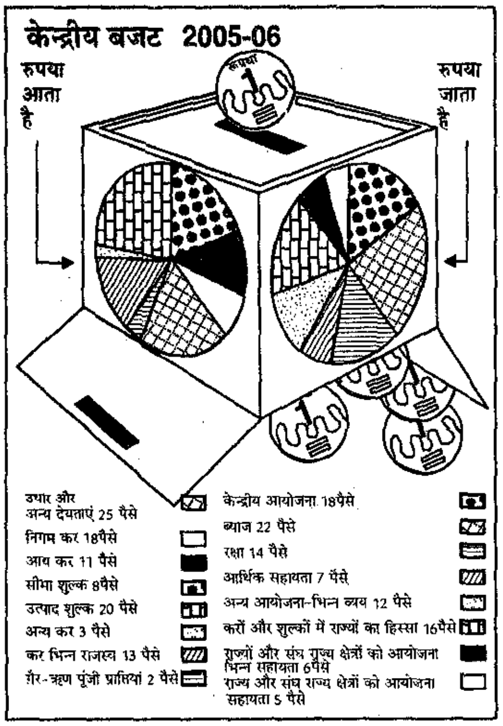

सामयिक व सामरिक जानकारी

भारत और पाकिस्तान की मिसाइलों की तुलना

भारत

मिसाइलें	**मारक क्षमता**
अग्नि-1	2500 किमी
अग्नि-2	3000 किमी
उन्नत किस्म	3500 किमी
पृथ्वी एसएस	150 किमी
पृथ्वी एसएस	250 किमी
ब्रम्होस	बाबर - 500 किमी

परमाणु मुखास्त्र

100 से 150

20 परमाणु बम, जिन्हें जगुआर या मिराज से गिराया जा सकता है।

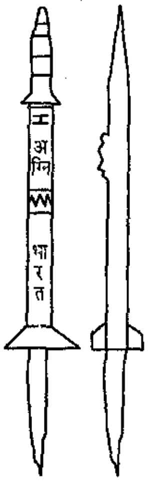

पाकिस्तान

मिसाइलें	**मारक क्षमता**
शाहीन-1	600 किमी
शाहीन-2	2500 किमी
गौरी-1	1500 किमी
गौरी-2	2300 किमी

परमाणु मुखास्त्र

कुल 25 से 50

20 बम जिन्हें एफ-16, शाहीन या गौरी से छोड़े जा सकते हैं।

सिन्धु जल समझौता

- विश्व बैंक द्वारा गठित सिन्धु बेसिन सलाहकार बोर्ड ने 1959 में एक 'इंडस बेसिन प्लान' प्रस्तुत किया। कुछ बदलावों के साथ भारत-पाकिस्तान के बीच यही प्लान : 'सिन्धु जल समझौता' बना।
- समझौते पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 1960 को रावलपिण्डी में हस्ताक्षर किए।
- इसमें तय किया गया कि सभी पूर्वी नदियों का पानी भारत तथा पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए होगा।
- पाक के लिए सिन्धु, झेलम तथा चेनाब और भारत के लिए व्यास, रावी तथा सतलुज के पानी की निर्बाध उपलब्धता पर सहमति बनी।
- इस सन्धि पर कभी कोई विवाद नहीं रहा, किन्तु हाल ही में चेनाब पर बन रही बगलिहार बांध परियोजना को पाकिस्तान ने सन्धि का उल्लंघन बताया है।

सियाचिन ग्लेशियर

- भारत के उत्तर-पश्चिम में कराकोरम की पहाड़ियों के निकट स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लम्बा ग्लेशियर (बर्फ की नदी) है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 17,800 से 24,000 फुट तथा लम्बाई 70 से लेकर 78 किलोमीटर तक आंकी गई है।
- जब 1984 में भारत को मालूम हुआ कि वहां पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई हैं तो भारतीय सेना ने 'आपरेशन मेघदूत' के ज़रिए वहां से पाक सैनिकों को खदेड़ा। तब से आज तक इस पर कब्ज़े के लिए रुक-रुक कर युद्ध चलता रहता है।
- इस समय सियाचिन ग्लेशियर के दो-तिहाई हिस्से पर भारत का कब्ज़ा है। इसके अलावा, इसके तीन में से दो दर्रों पर भी हमारे सैनिकों का नियन्त्रण है। 1984 से अब तक सियाचिन में प्रतिकूल मौसम के कारण दो हज़ार से ज़्यादा भारतीय सैनिकों की मौत हो चुकी है तथा इस अभियान पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं।

क्या है सिमी और इसका उद्देश्य

पूरा नाम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया

25 अप्रैल, 1977 को अलीगढ़ में स्थापना

देशभर में इस्लामी क्रान्ति लाने के लिए गठित किन्तु साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए बदनाम

जमात-ए-इस्लामी ए हिन्द की विद्यार्थी शाखा, सदस्यों की आयु 30 साल से कम, विशेष परिस्थितियों में आयु इससे ऊपर भी

हिजबुल सहित अनेक आतंकवादी संगठनों से सम्बन्ध, लादेन से भी सम्पर्क कश्मीर में आतंकवादियों के साथ इसके सदस्यों को भी प्रशिक्षण

समर्पित सदस्य (अंसार)—400

नियमित सदस्य (इखवान)—20,000

हिमायती—कई लाख, जो देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं

फैलाव—उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर

विद्यार्थी संगठन पर किसी विश्व विद्यालय में कोई शाखा नहीं साम्प्रदायिक तनाव में हाथ होने के सबूत

अनुच्छेद 370

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। संविधान ने इस राज्य को रक्षा, विदेश, मुद्रा और संचार को छोड़ अन्य मामलों में स्वायत्तता की गारन्टी दी है।
- 1952 में अस्तित्व में आई पहली जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने अपने को संविधान सभा घोषित कर दिया। संविधान सभा ने राज्य के लिए पृथक् संविधान बनाया, जो औपचारिक रूप से 26 नवम्बर, 1956 को लागू

हुआ। इसी संविधान सभा ने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की भी पुष्टि की।

- *पहले जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार का मुखिया प्रधानमन्त्री कहलाता था, लेकिन 1964 में इस पद का नामकरण मुख्यमन्त्री कर दिया गया और सदरे-रियासत की जगह राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी।* राज्य के संविधान के अनुसार, दूसरे राज्यों के लोग इस प्रदेश में ज़मीन-जायदाद नहीं खरीद सकते।

अक्साई चिन

- भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं को छूने वाला अक्साई चिन भारत के नियन्त्रण वाले कश्मीर का वह भूभाग है, जिस पर 1962 के हमले में चीन ने कब्ज़ा कर लिया था।
- लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला अक्साई चीन भारत के हिस्से के कश्मीर के कुल भूभाग के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर है।
- चीन ने गुपचुप और अवैध तरीके से अक्साई चीन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग (सं-219) का निर्माण कर लिया है। यह सड़क तिब्बत को चीन के शहर क्सिन जियांग से जोड़ती है।
- *अक्साई चीन में खेती योग्य भूमि अथवा जंगल आदि कुछ भी नहीं है।* कुल मिलाकर, इसे बर्फ का रेगिस्तान *कहा जा सकता है। लेकिन चीन के सन्दर्भ में भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अक्साई चीन बड़े महत्त्व का* क्षेत्र है।

मैकमोहन लाइन

- पूर्व में भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से माना जाता है।
- 1914 में भारत, चीन व ब्रिटेन के प्रतिनिधियों की कान्फ्रेंस शिमला में हुई थी। ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व हेनरी मैकमोहन ने किया था। उनके नाम पर भारत-चीन सीमारेखा का नाम मैकमोहन लाइन रखा गया।
- 3 जुलाई, 1914 को शिमला में हुए इस समझौते पर भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये थे। चीनी प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
- 1947 में भारत के स्वतन्त्र होने के बाद चीन ने पूर्वी और पश्चिमी कामेंग, चिनले और ऊपरी सुबनसीरी, लोहित और पूर्व व पश्चिम सियांग ज़िलों के अधीन आने वाले पूरे क्षेत्र पर अपना दावा किया था।
- सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन में 1962 में युद्ध भी हुआ था। चीन ने भारतीय क्षेत्र में आने वाले *कुछ हिस्से पर कब्ज़ा भी किया था।*

समूह-20 (जी-20)

- बीस राष्ट्रों के संगठन 'जी-20' यानी 'समूह-20' का स्थापना सम्मेलन 15-16 दिसम्बर, 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था।
- 'समूह-20' की स्थापना की संस्तुति दुनिया के सात शीर्ष औद्योगिक देशों के संगठन 'समूह-7' ने सितम्बर, 1999 में की थी। इसके 19 सदस्यों में भारत, अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका के वित्त मन्त्री शामिल हैं।
- 'समूह-20' के गठन का उद्देश्य विश्व के बड़े औद्योगिक देशों और बाज़ार के रूप में तेज़ी से उभरते राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व वित्तीय व्यवस्था से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर खुले और रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करना है। जी-20 की मन्त्रिस्तरीय बैठक 17 से 19 मार्च को नई दिल्ली में होगी।

नाटो (NATO)

- *यह एक सामरिक संगठन है। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनॉइज़ेशन है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् कम्युनिस्टों और पश्चिमी देशों के बीच चली होड़ में इसका जन्म हुआ।*
- *बारह देशों ने अमेरिका की अगुआई में 4 अप्रैल, 1949 को वाशिंगटन में उत्तरी अटलांटिक सन्धि पर* हस्ताक्षर किए और नाटो का गठन हुआ। इसके जवाब में सोवियत संघ ने सात अन्य कम्युनिस्ट देशों के साथ 14 मई, 1955 को वारसा सन्धि पर हस्ताक्षर किए।

- वर्तमान में नाटो के 26 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी तीन कमाण्ड हैं-एलाइड कमाण्ड अटलांटिक, एलाइड कमाण्ड चैनल और एलाइड कमांड यूरोप।
- नाटो की सिविलियन और मिलिट्री शाखाएं हैं। नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल सिविलियन शाखा के अन्तर्गत आती है। इस समय लॉर्ड रॉबर्ट्सन नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं।

रेडक्लिफ रेखा

- भारत व पाकिस्तान के बीच अधिकांशतः कृत्रिम सीमा रेखा है।
- इस सेवा को 1947 में सर साइरिल रैडक्लिफ (Sir Cyril Radcliff) ने चिन्हित किया था और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नामकरण 'रेडक्लिफ रेखा' है।
- यही रेखा भारत व पाक के बीच कटुता का एक प्रमुख कारण बनी हुई है।

स्वेज़ नहर

- मध्य सागर और लाल सागर को एक नहर द्वारा जोड़ने का विचार बहुत पुराना है। पहली नहर सम्राटों के काल में 2 हज़ार साल पहले बनाई गई थी।
- स्वेज़ नहर परियोजना का जनक फर्दिनेंद द लैसेप्स को माना जाता है। उन्होंने मिस्र की सरकार से इसके निर्माण के लिए व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया था।
- इस परियोजना के लिए यूरोपीय देशों ने आवश्यक धन जुटाया और इटली के इंजीनियर लुइगी नेगरैली के नक्शे को मान्यता दी गई।
- 25 अप्रैल, 1859 को नहर-निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 15 अगस्त, 1869 में यह काम पूरा हुआ। 17 नवम्बर, 1869 को इसे खोल दिया गया।
- इसकी लम्बाई 107 मील है और चौड़ाई पानी की सतह के ऊपर 235 फुट से लेकर 421 फुट है। इसके कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया।

फाइटिंग फाल्कन (F-16)

- एफ-16 अर्थात् फाल्कन-16 लड़ाकू विमान का विकास अमेरिकी कम्पनी जनरल डायनमिक्स ने किया था। बाद में इस कम्पनी को लॉकहीड मार्टिन ने खरीद लिया।
- अपेक्षाकृत हल्के और सरल कार्यप्रणाली वाले इस विमान में युद्ध सम्बन्धी सभी मिशन पूरा करने की क्षमता है। यह दुनिया के सबसे किफायती और उच्चतम कार्यक्षमता वाले विमानों में से एक है।
- एफ-16 प्रतिकूल मौसम में भी तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी निभाने में सक्षम होने की खूबी के कारण सैन्य जगत में 'इलेक्ट्रिक जेट' के नाम से लोकप्रिय है। वैसे, इसका आधिकारिक नाम 'फाइटिंग फाल्कन' है।
- छोटे आकार और लम्बी आयु वाला यह विमान परमाणु बम समेत सभी तरह के बम और प्रक्षेपास्त्र ले जाने की क्षमता रखता है। इस समय दुनिया में 4,500 से अधिक एफ-16 विमान हैं, जिनमें से अकेले अमेरिका के पास 2,500 और पाकिस्तान के पास 115 विमान हैं।

हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन (हिमतक्षेस) (Indian Ocean Rim Association for Regional Co-operation—IORARC)—मॉरीशस की पहल पर 5 मार्च, 1997 में भारत तथा तेरह अन्य देशों ने हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से "इण्डियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन" अर्थात् "हिन्द महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन" (हिमतक्षेस) के गठन की घोषणा की। इस **संगठन** में एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के वे देश शामिल हैं जो हिन्द महासागर के तट पर बसे हुए हैं। भारत के अतिरिक्त संगठन में शामिल देश हैं—आस्ट्रेलिया, मलेशिया, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ओमान, यमन, तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस। अप्रैल, 1999 में हिमतक्षेस की मोपुल बैठक में हिमतक्षेस में पांच अन्य राष्ट्रों-ओमान, थाईलैण्ड, संयुक्त अरब अमीरात, सेशल्स एवं बंगलादेश की सदस्यता के आवेदन स्वीकार कर लिए जाने से सदस्य राष्ट्रों की संख्या 14 से बढ़कर 19 हो गई है। इनके अतिरिक्त दो अन्य राष्ट्रों—मिस्र तथा जापान को 'डायलॉग पार्टनर' के रूप में आमन्त्रित करने का भी निर्णय किया गया है। मार्च, 1999 से मार्च, 2001 तक मौज़ाम्बिक हिमतक्षेस बैठकों का अध्यक्ष रहेगा। ओमान जिसे उपाध्यक्ष चुना गया था, अगला अध्यक्ष होगा (मार्च 2001 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान)

इस संगठन के निर्माण के विचार बीज दक्षिण अफ्रीका के गोरे विदेश मन्त्री पिक बोथा के मस्तिष्क की उपज है जिसको उन्होंने 1993 में अपनी भारत यात्रा के समय व्यक्त किया था। इस संगठन के मामले में कुछ भी अनोखा नहीं है।

हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों की संख्या करीब 47 है जो विश्व की 31 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन विश्व व्यापार में उनका हिस्सा केवल 10.7 प्रतिशत है तथा इनका सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) 6.3 प्रतिशत है। यदि यह संगठन कारगर हो जाए तो करीब 140 करोड़ लोगों की आबादी के लिए आर्थिक अन्त:क्रिया का माध्यम बन सकता है। मॉरीशस के प्रधानमन्त्री रामगुलाम के अनुसार **"हिमतक्षेस इस असन्तुलन को दूर करेगा तथा हिन्द महासागरीय देशों की अर्थव्यवस्था को एक छलांग भरने का अवसर देगा।"** चूंकि इन देशों के पास सब कुछ है—प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, बहुमूल्य खनिज, विशाल जनशक्ति, उन्नत कृषि, विकसित सेनाएं, उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी ज्ञान एवं औद्योगिक क्षमता, अत: हिन्द महासगर के देशों के बीच व्यापार व आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर, आर्थिक एकजुटता के आधार पर सभी क्षेत्रीय राज्यों के हित सुरक्षित रखे जा सकेंगे।

अरब लीग—इसका पूरा नाम 'लीग ऑफ अरब स्टेट्स' है। इसकी स्थापना 22 मार्च, 1945 को हुई थी। इसका मुख्य सचिवालय ट्यूनिशिया में है। इसके महासचिव **अम्र मोस्सा** हैं। अरब लीग की एक परिषद्, एक महासचिव और कुछ समितियां हैं। अरब लीग अपने आपको संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अन्तर्गत एक प्रादेशिक संगठन मानता है। संयुक्त राष्ट्र में इसका महासचिव प्रेक्षक की हैसियत से भाग लेता है। अरब लीग का मुख्य उद्देश्य अरब देशों के बीच परस्पर आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करना है। वर्तमान में 22 देश इसके सदस्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (IAEA)—यह जुलाई, 1957 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शान्ति एवं विकास कार्यों के लिए प्रेरित करना है। यह समय-समय पर परीक्षण करता रहता है कि परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग विध्वंसात्मक कार्यों में न किये जाए। इसके सदस्यों की संख्या 130 है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) (South Asean Association for Regional co-operation (SAARC)—दक्षिण एशिया के देशों में आपस में आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। इस क्षेत्र के सात देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश व मालद्वीप है। नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में सार्क का मुख्यालय है। इस संगठन की औपचारिक स्थापना दिसम्बर, 1985 में हुई। सार्क की संगठन का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशिया देशों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। सार्क के चार्टर में 10 अनुच्छेद हैं, जिसमें इसके संगठन, उद्देश्य, सिद्धान्त व अन्य व्यवस्थाओं का उल्लेख है। चार्टर के अनुसार वर्ष में एक बार सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन के आयोजन की व्यवस्था है तथा फैसलों को सर्व सहमति से करने का प्रावधान है।

दक्षिण पूर्व एशिया सन्धि संगठन (SEATO) (South East Asia Treaty Organization)—इस संगठन के माध्यम से अमेरिका ने प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र को अपनी तथाकथित 'सामूहिक सुरक्षा' नीति के तहत लाने का प्रयास किया। इसको पहले 'मनीला सन्धि' के नाम से सम्बोधित किया जाता था। इसकी स्थापना 1 सितम्बर, 1954 को की गई। वर्ष 1997 जून में इस संगठन का विघटन हो गया।

एशियान (ASEAN)

- यह एक सशस्त संगठन है। इसका पूरा नाम 'एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स' है। इसकी स्थापना 8 अगस्त, 1967 को हुई थी।
- थाईलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन्स एवं इण्डोनेशिया ने आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक क्षेत्रों के विरुद्ध एक सशस्त संगठन के रूप में इसका गठन किया गया था।
- दक्षिण पूर्व एशिया अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
- क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है।
- सदस्य देशों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करता है।
- इसका मुख्यालय जवनाती में है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल

- मानव अधिकारों के लिए संघर्षरत एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अन्तर्राष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संगठन है। यह राजनीतिक बन्दियों को न्याय दिलाने, राजनीतिक हत्याओं के खात्मे, मृत्युदण्ड, यातना और सभी तरह के मानव अधिकारों के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज़ उठाता है।
- ब्रिटिश वकील पीटर बेनेनसन ने 1961 में इसकी स्थापना की थी। आज़ादी का समर्थन करने वाले दो पुर्तगाली छात्रों को सात वर्ष की सज़ा का समाचार पढ़कर बेनेनसन को एमनेस्टी के गठन की प्रेरणा मिली थी।
- 1962 के मध्य तक भारत, अमेरिका, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, इज़राइल, बर्मा, नाईजीरिया, नार्वे, स्वीडन सहित कई देशों में इसकी शाखाएं बन गईं। उसी साल संगठन की एक सदस्य डायना रेड हाउस ने एमनेस्टी का मोमबत्ती और कंटीले तारों वाला लोगो डिज़ाइन किया।

हत्फ-3 व हत्फ-4

हत्फ-3 एवं 4—यह चीनी मिसाइल एम-11 पर आधारित है जो 1993 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुई थी। यह मिसाइल 1300 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह मिसाइल बड़े नाभिकीय हथियारों को ले जा सकती है और पाकिस्तानी सेना के पास ऐसी 84 मिसाइलें हैं जिन्हें उसने भारत को निशाना बनाकर तैनात कर रखा है। यह मिसाइल 500 किलोग्राम के नाभिकीय विस्फोटकों को 800 किलोमीटर तक ले जा सकने में सक्षम है। आमतौर पर यह धारणा है कि पाकिस्तान ने इसका विकास नहीं किया है, वरन् उसने चीन से लिए गये एम-9 को ही हत्फ-3 नाम दिया है और इसी में कुछ और सुधार कर उसे हत्फ-4 के नाम से भी लांच करने वाला है।

अमेरिका में भारतीय

- अमेरिका के सभी जातीय समूहों में भारतीय सबसे अधिक अमीर हैं। उन्होंने कई मामलों में गोरों और मूल निवासियों को भी पीछे छोड़ दिया है।
- अमेरिका में इस वक्त 30 लाख से अधिक भारतीय हैं। यह संख्या अमेरिका की आबादी की लगभग डेढ़ फीसदी है।
- अमेरिका में 38 फीसदी डॉक्टर और 12 फीसदी वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं।
- अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी (नासा) में 36 फीसदी वैज्ञानिक भारतीय हैं।
- आईटी के क्षेत्र में दुनिया भर में मशहूर कम्पनी माइक्रोसॉफ्ट के 34 फीसदी कर्मचारी भारतीय हैं। एक अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनी इंटरनेशनल बिजनेस मशींस (आईबीएम) के 28 फीसदी कर्मचारी भारतीय हैं।
- इंटेल कम्पनी में 17 फीसदी वैज्ञानिक भारतीय ही हैं। ज़ेराक्स कम्पनी के 13 फीसदी कर्मचारी भारतीय हैं।

हत्फ-1 प्रक्षेपास्त्र

हत्फ-1—हत्फ-1 500 किलोग्राम भार लेकर 80 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला एकल स्तरीय मिसाइल है। इसका उपयोग सौ किलोग्राम की भार के साथ 350 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है। हत्फ-1 के सम्बन्ध में कहा जाता है कि तीन लगातार असफल परीक्षण के बाद इसे बन्द कर दिया गया। परन्तु दो-चार की संख्या में इसका निर्माण कर रसायन हथियारों से इसे लैस करने की रपटें भी हैं। बहुत कम दूरी की मारक क्षमता वाले इस मिसाइल के भारत के रेगिस्तान तक भी नहीं पहुंचने के कारण इसे पारम्परिक तौर पर ही सीमा पर तैनात किया गया था। वर्ष 1992 में शुरू हत्फ-1 की क्षमता में सुधार की योजना को पूर्णरूप देते हुए पाकिस्तान ने फरवरी, 2000 में इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर सौ किलोमीटर कर इसके नये रूप हत्फ-1ए का सफल परीक्षण किया। पहले की अपेक्षा अब इसमें भार भी अधिक ढोया जा सकता है।

हत्फ-2

शडोज़ (हत्फ-2)—हत्फ-2 500 किलोग्राम का भार लेकर 280 किलोमीटर या 300 किलोग्राम का भार लेकर 450 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाला द्वि-स्तरीय मिसाइल है। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने फ्रांस की एरियन रॉकेट तकनीक प्राप्त कर चीन की मदद से हत्फ-2 को बनाया।

जनवरी, 89 में हत्फ-1 और हत्फ-2 का परीक्षण किया गया जिसकी घोषणा फरवरी में की गई। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि हत्फ-2 का परीक्षण 600 किलोमीटर की मारक क्षमता प्राप्त करने के योजनाबद्ध बहुस्तरीय रॉकेट के लक्ष्य प्राप्त करने का पहला कदम है।

हत्फ-5 गौरी

पाकिस्तान की सर्वाधिक घातक मिसाइलों में इस मिसाइल को गिना जाता है जो 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और जो 700 किलोग्राम तक के परम्परागत या नाभिकीय हथियार ले जा सकती है। लगभग 15 मीटर लम्बी इस मिसाइल को भी चीनी मिसाइल एम-11 का ही एक रूप माना जाता है। इस मिसाइल के निशाने पर ही भारत के अधिकतर शहर हैं। पाक ने अप्रैल, 1998 में इसका परीक्षण किया था। बाद में इसके दो और परीक्षण किये गये जिसमें इसकी क्षमता को बढ़ाया गया। इन परीक्षणों के दौरान इसके अपग्रेडड वर्जन को नाम गौरी-2 दिया गया है।

हत्फ-6

गज़नवी (हत्फ-6)—हत्फ के अगले चरण के क्रम में पाकिस्तान ने पिछले ही साल एक और मिसाइल परीक्षण किया जिसका नाम गज़नवी दिया गया। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसे चीनी मिसाइल एम-18 का ही विकसित रूप माना जाता है। गज़नवी 400 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जा सकती है।

टीपू व अब्दाली

टीपू और अब्दाली—पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल टेस्ट शृंखला के तहत दो और परीक्षण किये हैं। इसके तहत माना जाता है कि उसकी टीपू मिसाइल 4000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम है जबकि अब्दाली 3000 किलोमीटर तक की दूरी तक लक्ष्य भेद सकती है। अब्दाली को गौरी-3 के नाम से भी जाना जाता है।

एम-11

चीन निर्मित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो हत्फ श्रेणी प्रक्षेपास्त्र का उन्नत रूप है। 500 किलोग्राम विस्फोटक के साथ मारक क्षमता 450 से 650 किलोमीटर तक है।

अंज

पाकिस्तान निर्मित आज प्रक्षेप सतह से सतह में मार करने वाला है। इसकी प्रहारक क्षमता 62000 फुट है। इसकी तुलना भारत के आकाश प्रक्षेपास्त्र से की जाती है।

बख्तर शिकन

यह पाकिस्तान का टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 4 से 6 किलोमीटर तक होती है। इसकी तुलना भारतीय प्रथोपास्त्र 'नाम' से की जाती है।

बाबर (हत्फ-7)

पाकिस्तान का पहला क्रूज़ प्रक्षेपास्त्र जिसका परीक्षण 11 अगस्त, 2005 को किया गया। यह 500 किलोमीटर दूरी तक के ठिकानों का निशाना बना सकती है।

भारतीय परमाणु परीक्षण
आपरेशन शक्ति 98

	प्रक्रिया	परीक्षण तिथि	क्षमता	उद्देश्य
(1)	विखण्डन प्रक्रिया (Fission Device)	11 मई, 1998	15 किलोटन	छोटे परमाणु बम हेतु
(2)	ताप नाभिकीय प्रक्रिया (Thermo Nuclear Fussion Device)	11 मई, 1998	45 किलोटन	हाइड्रोजन बम हेतु
(3)	अल्प ऊर्जा उत्सर्जक प्रक्रिया (Low Yield Device & Sub Kilotonne Device)	11 मई, 1998	02 किलोटन	सामान्य परीक्षण
(4)	अल्प ऊर्जा उत्सर्जक प्रक्रिया	13 मई, 1998	03 किलोटन	माइक्रो परमाणु बम हेतु
(5)	अल्प ऊर्जा उत्सर्जक प्रक्रिया	13 मई, 1998	05 किलोटन	मिनी परमाणु बम हेतु

रक्षा पर खर्च करते प्रमुख देश

देश	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या (लगभग)	(अरब अमेरिकी डालर में) 2001	2000	1999
भारत	32,87,590	1 अरब	15.6	15.9	10.7
अमेरिका	93,72,610	28.5 करोड़	396.1	343.2	305.4
पाकिस्तान	8,03,940	13.8 करोड़	2.6	3.3	2.7
चीन	95,96,960	1.25 अरब	42.0	39.5	37.5
रूस	1,70,75,200	14.6 करोड़	60.0	56.0	55.0
ब्रिटेन	2,44,820	5.9 करोड़	34.0	34.5	34.6
इज़रायल	20,770	57.5 लाख	9.0	7.00	6.7
जापान	3,77,835	12.6 करोड़	40.0	45.6	41.1
फ्रांस	5,47,030	5.8 करोड़	25.4	27.0	29.5
जर्मनी	3,56,910	8.2 करोड़	21.0	23.3	24.7

संयुक्त राष्ट्र शान्ति अभियान में भारतीय सेना

संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चल रहे 15 शान्ति अभियानों में सबसे अधिक शान्ति सैनिक भेजे जाने वाले देशों में भारत एक है। भारत के कुल 2,378 शान्ति सैनिक शान्ति बहाली के अभियानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस समय अफ्रीका, एशिया, बाल्कन और पश्चिम एशिया में चल रहे अभियानों में विकासशील देशों के सर्वाधिक सैनिक सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा शान्ति अभियान सिएरा लियोन में चल रहा है, इसमें 10,137 सैनिक, 249 पर्यवेक्षक और 34 पुलिसकर्मी हैं। इन अभियानों में सबसे छोटा अभियान एड्रियाटिक सागर के तट पर विवादास्पद प्रेवलका प्रायद्वीप में क्रोशिया एवं युगोस्लाविया के बीच युद्धविराम की निगरानी में लगभग 27 पर्यवेक्षकों का समूह है। परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों में केवल तीन सदस्यों ने इन शान्ति अभियानों में शिरकत की है।

इनमें ब्रिटेन के 316, फ्रांस के 260 और रूस के 109 सैनिक शामिल हैं। चीन और अमेरिका सहित इन पांचों सदस्यों के करीब 1671 पुलिस और सैन्य पर्यवेक्षक शान्ति अभियानों में भेजे गए हैं। अधिकतर सैनिक बोस्निया और कोसोवो में तैनात हैं।

ताशकन्द समझौता

(10 जनवरी, 1966)

सन् 1965 के घमासान युद्ध के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तानाशाह राष्ट्रपति अयूब ने उजबेकिस्तान की राजधानी ताशकन्द में एक समझौते पर बाकायदा हस्ताक्षर किये। तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमन्त्री अलेक्सी कोसिजिन इस मौके पर बतौर मध्यस्थ मौजूद थे।

समझौते के मुख्य बिन्दु—

- दोनों देश सामान्य और शान्तिपूर्ण रिश्तों की बहाली और परस्पर समझदारी विकसित करेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के मुताबिक अच्छे पड़ोसियों जैसे रिश्ते कायम करने के वास्ते दोनों देश हर मुमकिन प्रयास करेंगे।
- दोनों मुल्क बल प्रयोग न करने और शान्तिपूर्ण तरीके से अपने मसले हल करने के प्रति वचनबद्ध हैं।
- दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि 24 फरवरी, 1966 तक अपनी-अपनी सेनाएं 5 अगस्त, 1966 की स्थिति पर लौटा ली जाएंगी और दोनों पक्ष युद्ध-विराम रेखा की हदों पर युद्ध-विराम के लिए सुनिश्चित शर्तों का पालन करेंगे।
- दोनों मुल्क इस बात पर राज़ी हैं कि वे एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में दखल न देने के सिद्धान्त पर कायम रहेंगे।
- दोनों देश अपने यहां हो रहे दुष्प्रचार को हतोत्साहित करेंगे और दोस्ताना रिश्तों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेंगे।
- दोनों मुल्क परस्पर राजनयिक रिश्तों के मामले में 'वियना सन्धि', 1961 का पालन करेंगे।
- दोनों देश आर्थिक, व्यापारिक, संचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों को बहाल करेंगे।
- दोनों मुल्क शरणार्थियों की समस्याओं पर वार्ता जारी रखेंगे।
- दोनों देश ऐसा संयुक्त निकाय (फोरम) गठित करेंगे जिससे वे अपनी हुकूमतों के कार्यक्रमों और लक्ष्यों के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकें।
- दोनों मुल्क अपने-अपने यहां जेलों में कैद दूसरे देश के सैनिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी की पक्की व्यवस्था करेंगे।

शिमला समझौता

(2 जुलाई, 1972)

सशस्त्र संघर्ष के ज़रिये पूर्वी पाकिस्तान के एक स्वतन्त्र देश 'बांग्लादेश' बन जाने के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में एक समझौते पर दस्तख़त किये। इसे 'शिमला समझौता' कहते हैं।

समझौते में मुख्य अंश—

- दोनों देशों के रिश्ते संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धान्तों और लक्ष्यों से तय होंगे।
- संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मुताबिक, दोनों मुल्क एक-दूसरे की राष्ट्रीय एकता, सम्प्रभुता और राजनीतिक स्वतन्त्रता का सदा सम्मान करते हुए बल प्रयोग या उसकी धमकी देने से बचेंगे।
- दोनों मुल्क अपने मसलों को शान्तिपूर्ण तरीके और परस्पर वार्ता के माध्यम से हल करेंगे। जब तक कोई मसला अन्तिम तौर पर हल नहीं हो जाता, कोई भी पक्ष एकतरफा तौर पर मौजूदा स्थिति को नहीं बदलेगा।
- दोनों पक्ष उकसावे या मदद के ऐसे कार्यों से गुरेज़ करेंगे जिनसे सौहार्दपूर्ण रिश्तों में खटास आने की सम्भावना हो।
- दोनों देश एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता और प्रभुसत्ता का सम्मान, एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलों में अहस्तक्षेप नीति और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व पर चलते हुए अच्छे पड़ोसी, दोस्त और स्थायी शान्ति की पूर्व शर्त पर कायम रहेंगे, जो आपसी बराबरी और हित में होगी।
- जिन मसलों ने पिछले 25 वर्षों से आपसी रिश्तों में खटास पैदा की हुई है, उन्हें परस्पर शान्तिपूर्ण वार्ता के ज़रिये हल किया जाएगा।

- दोनों देश अपनी-अपनी सेनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से वापस बुलाएंगे।
- दोनों देश युद्ध-बन्दियों की वापसी, कैद नागरिकों की रिहाई और वापसी और जम्मू-कश्मीर का अन्तिम हल तलाश करने की कोशिश करेंगे।
- जम्मू-कश्मीर में 17 दिसम्बर, 1971 में हुए युद्ध-विराम के परिणामस्वरूप वजूद में आयी नियन्त्रण रेखा का दोनों पक्ष बिना किसी पूर्वाग्रह के सम्मान करेंगे और कोई भी पक्ष मनमाने ढंग से इसे बदलने का प्रयास नहीं करेगा। दोनों देश इस सीमा रेखा का उल्लंघन करने के लिए ताकत का न तो इस्तेमाल करेंगे और न ही ऐसी धमकी देंगे।
- समझौते के लागू होने के तुरन्त बाद दोनों देशों की सेनाओं की वापसी शुरू हो जाएगी। यह वापसी 30 दिन में मुकम्मल हो जाएगी।
- समझौता दोनों देशों के अपने-अपने संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत अनुमोदित किया जाएगा।

लाहौर घोषणा

(21 फरवरी, 1999)

लाहौर बस यात्रा कर प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज़ शरीफ के साथ दस्तावेज़ पर दस्तखत किये, जिसे 'लाहौर घोषणा पत्र' कहा जाता है।

घोषणा पत्र के मुख्य अंश—

- दोनों देश जम्मू-कश्मीर सहित सभी मसलों को हल करने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करेंगे।
- दोनों मुल्क एक-दूसरे के अन्दरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे।
- दोनों पक्ष परस्पर बातचीत के बाद तय किये गये एजेंडे के त्वरित और सकारात्मक परिणामों के लिए वार्ता की प्रक्रिया तेज़ करेंगे।
- दोनों देश भविष्य में किसी दुर्घटना के कारण परमाणु हथियारों के प्रयोग की आशंका को खत्म करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाएंगे। साथ ही, दोनों पक्ष पारम्परिक और परमाणु मामलों से जुड़े मसलों पर परस्पर विश्वास बहाल करने के लिए वार्ता करते रहेंगे, ताकि गलतफहमी में टकराव होने की आशंका को टाला जा सके।
- दोनों मुल्क एशिया की जनता की चहुंमुखी प्रगति, सामाजिक उत्थान और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करने वाले कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेंगे।
- दोनों देश आतंकवाद, वह चाहे जिस भी रूप-स्वरूप में हो, की भर्त्सना करते हैं और उससे निपटने के लिए अपने दृढ़ संकल्प का इज़हार करते हैं।
- दोनों मुल्क भरसक प्रयास करेंगे कि समस्त मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा और संवृद्धि कायम रहे।

भारत-पाक

सहमति वाले तेरह मुद्दे

(2004)

- पाम्परिक व परमाणु हथियारों के मामले में परस्पर विश्वास के कदमों के लिए विशेषज्ञ स्तरीय बैठक। मिसाइल परीक्षणों की पूर्व सूचना सम्बन्धी समझौते पर विचार।
- मुनाबाओ-खोखरापार रेल लिंक पर बैठक।
- बीएसएफ और पाक रेंजर्स की अक्तूबर में छमाही बैठक।
- मादक पदार्थ नियन्त्रण पर अक्तूबर-नवम्बर में सहमति पत्र को अन्तिम रूप दिया जाएगा।
- नवम्बर, 2004 में दोनों देशों में तटरक्षकों की बैठक।
- संचार सम्पर्क के लिए सहमति पत्र का विचार।
- व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति का गठन।
- सर क्रीक में सीमा रेखा पर सम स्तरीय हिस्से में खम्भों का संयुक्त सर्वेक्षण।

- श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा से जुड़े सभी मसलों में बैठक।
- पर्यटक वीज़ा की नयी श्रेणी-समूह पर्यटन को बढ़ावा। नागरिक बन्दियों और मछुआरों के मुद्दे के कारगर और शीघ्र समाधान के लिए तन्त्र स्थापित करना।
- धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा सुलभ होगी।
- युवा राजनयिकों व प्रशिक्षुओं की एक-दूसरे के यहां अध्ययन यात्रा।

पाक आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र

विश्व में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए विभिन्न उग्रवादी संगठनों और इस्लामी संगठनों से जुड़े उग्रवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। खुफिया सूत्रों ने यह रहस्योद्घाटन किया है।

सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान स्थित इन प्रशिक्षण शिविरों से निकलने के बाद उग्रवादियों को हथियार और गोला-बारूद से लैस कर दुनिया के विभिन्न कोनों में तैनात कर दिया जाता है। इनमें जम्मू-कश्मीर भी शामिल है जहां उग्रवादी जेहाद (धर्म युद्ध) के नाम पर खूनखराबा कर रहे हैं। पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों में से कुछ प्रमुख शिविरों की सूची इस प्रकार है—

मरकज-ए-अब्दुल बिन मसूद (मुजफ्फराबाद), मरकज-ए-उल कुरा (चिलाबन्दी, मुजफ्फराबाद), मरकज-ए-अस्का (कोटली, मुजफ्फराबाद), मरकज-ए-तोएबा (कुन्नहार, पाक-अफगान सीमा) और गढ़ी हबीबुल्लाह (बालाकोट)। हज़ारों उग्रवादियों को प्रशिक्षण मुहैया कराने वाले इन शिविरों में कुख्यात अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का अक्सर आना-जाना होता है।

सूत्रों के अनुसार मरकज-ए-अब्दुल बिन मसूद शिविर में एक साथ दो हज़ार उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है जबकि मरकज-ए-उल-कुरा की प्रशिक्षण क्षमता एक हज़ार है। मरकज-ए-अस्का और मरकज-ए-तोइबा शिविरों में आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां एक साथ क्रमशः 500 और 300 उग्रवादियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है।

कश्मीरियों के अतिरिक्त इन शिविरों में लिट्टे छापामारों, चेचेन विद्रोहियों, बांग्लादेशियों, मिस्र, अफगानी, सूडानी, अमेरिकी नीग्रो, म्यांमार छापामारों, दक्षिण अफ्रीका के उग्रवादियों और ब्रिटेश मुस्लिमों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां विभिन्न उग्रवादी संगठनों के उग्रवादी प्रशिक्षण पाते हैं जिनमें लश्कर-ए-तोइबा, हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी और हरकत-उल-मुजाहिद्दीन प्रमुख हैं।

लश्करे तोइबा लाहौर स्थित मरकज-ए-दवाल-उल-इरशाद की उग्रवादी शाखा है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लश्करे तोइबा की पूरे विश्व में फैली गतिविधियों का संचालन ज़हीर-उर-रहमान लखाड़ी करता है जबकि अब्दुल रहमान भारत में संचालित अभियानों का प्रमुख है। दोनों लाहौर में हैं।

मरकज-ए-दवाल-उल-इरशाद की और शाखाएं भी हैं जिसमें लश्करे तोइबा, जेहाद, मरकज-ए-दवाल-उल-इरशाद, तुल्बा इरशाद-ए-दवाल-उल-इरशाद भी शामिल है। इस संगठन की मज़दूर और अध्यापक शाखा भी है।

इन संगठनों के वित्तीय स्रोतों की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि कई मध्य पूर्वी देश इनको मुख्य रूप से धन मुहैया कराते हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में मौलवियों द्वारा भी जेहाद के नाम पर धन एकत्र किया जाता है।

सूत्रों ने बताया कि विभिन्न देशों में स्थित मस्जिदों में शुक्रवार को होने वाली धर्मसभाओं में कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है जिनमें अमेरिका और अल्जीरिया भी शामिल हैं। अमेरिका में जिन शहरों में इमाम इस मुद्दे पर बहस करते हैं उनमें मियामी, लॉस एंजिलेस और शिकागो प्रमुख हैं।

इस बीच टाइम पत्रिका ने अपने ताज़ा अंक में कहा है कि पाकिस्तान में उग्रवादी संगठन इतने स्वतन्त्र हो चले हैं कि उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में वहां की सरकार विवश हो चली है।

पत्रिका कहती है कि पाकिस्तान की आलोचना होती रही है कि वह अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल लश्करे तोइबा और हरकत-उल-मुजाहिद्दीन जैसे इस्लामी उग्रवादी संगठनों को बर्दाश्त कर रही है।

पत्रिका ने आगाह कि अपहृत भारतीय विमान के बदले छोड़े गए तीन उग्रवादियों में से एक मौलाना मसूद अजहर को ढील देना जनरल मुशर्रफ के शासन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

यहां तक कि अजहर ने कराची में 'टाइम' पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि अपहरण की घटना को लेकर मीडिया ने पाकिस्तानी सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया है और सरकार चाहती है कि हम शान्त रहें।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन

(1) लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई)—यह श्रीलंका का प्रमुख आतंकवादी संगठन है और इसका नेता वी. प्रभाकरन है। 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते और भारतीय शान्ति सेना को श्रीलंका भेजे जाने का इस संगठन ने बड़ा जबरदस्त विरोध किया था।

(2) फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ)—इज़राइल से फिलीस्तीनी प्रान्त की मुक्ति के लिए इस संगठन को अहमद अल-शुकीरी ने बनाया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष यासर अराफात हैं।

(3) डाइरेक्ट एक्शन ग्रुप (एडी)—ट्राट्स्की और माओ की विचारधारा से प्रभावित फ्रांस के इस संगठन की स्थापना 1969 में मजदूर दिवस (1 मई) के दिन हुई थी। यह संगठन सीधी कार्रवाई में विश्वास रखता है।

(4) मोसाद—इस संगठन का प्रमुख कार्य विदेशों से इज़राइल सम्बन्धी सारी सूचनाओं को प्राप्त कर उनका विश्लेषण करना है। इसकी स्थापना 1950 में इज़राइल के तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेविड बेन गुरियां ने की थी।

(5) आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (आईआरए)—आयरलैंड के इस संगठन का प्रमुख कार्य बम-विस्फोट करना और राजनीतिज्ञों की हत्याएं करना है। इस भूमिगत आतंकवादी संगठन को 1939 में आयरिश सरकार ने ग़ैर-कानूनी घोषित कर दिया था।

(6) लेबनानी आर्म्ड रिवोल्यूशनरी फैक्शन (एलएआरएफ)—राजनीतिज्ञों की हत्या करने वाले इस संगठन की स्थापना 1979 में जॉर्ज इब्राहिम ने की थी।

(7) अल-फतह—यह संगठन 1959 में मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना में सक्रिय विद्यार्थी नेताओं का हाथ था, जिसमें यासर अराफात, अबू-जिहाद और सालाह खालाफ की प्रमुख भूमिका थी।

(8) एंग्री ब्रिगेड (एबी)—यह ग्रेट ब्रिटेन का खतरनाक संगठन है, जो अपनी विशेष शैली द्वारा की जाने वाली हत्याओं के लिए प्रसिद्ध है। 1972 में इसके ज्यादातर सदस्यों को पकड़ लिया गया था।

(9) जापानी लाल सेना—इस संगठन ने शहरी छापामार युद्ध एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति के अपने सिद्धान्तों का ऐलान कर के जापान के आतंकवाद की शुरुआत की। इसकी स्थापना 1969 में हुई।

(10) अबू निदाल संगठन—यह संगठन 1973 में अरब-इज़राइल युद्ध के समय अस्तित्व में आया। इस संगठन का विचार है कि इज़राइल के साथ कोई भी सम्बन्ध न रखते हुए अरब के लोगों को सशस्त्र क्रान्ति करनी चाहिए, तभी फिलीस्तीन की मुक्ति का मकसद पूरा होगा। इस संगठन का प्रमुख अबू निदाल है। 1976 में गठित ब्लैक जून नामक एक अन्य आतंकवादी संगठन का इसमें विलय भी हुआ है।

(11) 15 मई अरब संगठन—आधुनिक तरीकों से बम-विस्फोटों के लिए प्रसिद्ध इस संगठन की स्थापना 1979 में 'पॉपुलर फ्रन्ट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन' के असन्तुष्ट सदस्यों ने की थी। इस संगठन का कार्यक्षेत्र पश्चिमी यूरोप है। इसका प्रमुख नेता हुसैन-उल-उमारी-अबू-इब्राहिम है।

(12) आर्मेनियाई सीक्रेट आर्मी फॉर द लिबरेशन ऑफ आर्मेनिया (एएसएएलए)—मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विचारों से प्रभावित यह संगठन अमेरिका से घृणा करता है। 1975 में गठित इस संगठन की आस्था वैज्ञानिक समाजवाद में है।

(13) बादर मीनहाफ ग्रुप (बीएमजी)—जर्मनी का यह खूंखार आतंकवादी संगठन 'रेड आर्मी फैक्शन' के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो प्रमुख नेताओं एंड्रीज बादर और यूलिक मीनहाफ के नाम पर इसे बादर-मीनहाफ कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप में यह सबसे उग्र, खतरनाक और असरदार रहा है।

(14) जर्मन एक्शन ग्रुप—जर्मनी के इस अति-दक्षिणपंथी आतंकवादी संगठन की स्थापना मैनफ्रेड रेडर ने की थी।

(15) हागानाह—इसकी स्थापना 1920 में यहूदी राज्य की स्थापना के लक्ष्य से की गई थी। इसका संस्थापक कट्टरपंथी धार्मिक नेता जबेलिस्की था।

(16) अल-गामात अल-इस्लामिया

संक्षिप्त नाम—इस्लामिक ग्रुप (आईजी)

इतिहास—इस्लामिक कट्टरपंथियों का यह इजिप्टियन ग्रुप 1970 के अन्त में अस्तित्व में आया और तभी से यह अपनी गतिविधियों में संलग्न है। इस ग्रुप का संचालन और प्रबन्धन सुदृढ़ नहीं है और इसका कोई एक प्रमुख संचालक नहीं है। शेख उमर अबदुल्ला रहमान इस ग्रुप के सर्वमान्य और पूज्यनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। इस संगठन का एकमात्र

लक्ष्य होस्नी मुबारक की सरकार को मिस्र की सत्ता से बेदखल कर उसके स्थान पर अपनी विचारधारा से मेल खाती किसी इस्लामिक सरकार की स्थापना करना है।

गतिविधियां—इस आतंकी संगठन ने मिस्र के सैन्य बलों, महत्त्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों और इस्लामिक कट्टरता के विरोधी लोगों को अपना निशाना बनाया है। इस ग्रुप ने 1992 के बाद से मिस्र में आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी अपनी हिंसा का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। इस संगठन ने 1995 में इथोपिया के शहर अदीस अबाबा में राष्ट्रपति होस्नी मुबारक पर घातक जानलेवा हमला भी किया था, लेकिन किस्मत से वह बच गए थे।

(17) डोमेस्टिक फ्रन्ट फार द लिबरेशन ऑफ फिलीस्तीन

इतिहास—इस मार्क्सवादी ग्रुप का निर्माण 1969 में पीएफएलपी से अलग होने के फलस्वरूप हुआ। इसका मानना है कि फिलीस्तीनियों के राष्ट्रीय लक्ष्य केवल जनसमूह के आन्दोलनों द्वारा ही हासिल किए जा सकते हैं। यह संगठन 1993 में निर्धारित किए गए 'डिक्लरेशन ऑफ प्रिंसीपल्स (डीओपी)' का विरोधी है। 1991 में यह विभाजित होकर दो हिस्सों में बंट गया था। इनमें से एक अराफात समर्थक और दूसरा संगठन कट्टरपंथी नईफ हवतमाह का समर्थक था। **गतिविधियां**—यह संगठन इज़राइल में हुए बहुत से बम विस्फोटों और हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। यह इज़राइल और पीलएओ के बीच शान्ति समझौता होने के सख्त खिलाफ है। **ताकत**—दोनों संगठनों के सदस्यों की कुल संख्या 500 के लगभग है। **गतिविधि क्षेत्र**—सीरिया, लेबनान और इज़राइल अधिकृत क्षेत्रों में यह संगठन अपने कारनामों को अंजाम देता है। इसका मुख्य नेटवर्क इज़राइल में ही फैला है। **बाहरी मदद**—सीरिया व लीबिया से आर्थिक और आधुनिक हथियारों की मदद दी जाती है।

(18) हिजबुल्लाह

इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जैसे—पार्टी ऑफ गॉड इस्लामिक जेहाद, रिवोल्यूशनरी जस्टिस आर्गेनाइज़ेशन और इस्लामिक जेहाद फार द लिबरेशन ऑफ फिलीस्तीन।

इतिहास—लेबनान के शिया मुसलमानों द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई। यह संगठन लेबनान में ईरान की तरह एक इस्लामिक गणतन्त्र स्थापित करना चाहता है और वह इस क्षेत्र से ग़ैर-इस्लामी लोगों को निकाल बाहर करने का पक्षधर है। यह संगठन पूरी तरह पश्चिमी देशों और इज़राइल का विरोधी है। इसे ईरान समर्थित माना जाता है।

गतिविधियां—माना जाता है कि अमेरिका के खिलाफ हुए कई आतंकवादी हमलों के लिए यह संगठन ज़िम्मेदार है, जिनमें अक्तूबर 1983 और सितम्बर, 1984 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास और यूएस मेरीन बैरक में हुए बम विस्फोट भी शामिल हैं। इस ग्रुप के सदस्यों को लेबनान में अमेरिकी और अन्य पश्चिमी देशों के नागरिकों को बन्धक बनाने के लिए भी दोषी माना जाता है। इस ग्रुप ने 1992 में अर्जेंटीना में स्थित इज़राइली दूतावास में भी विस्फोट कराया था।

(19) हमास या इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट

इतिहास—इसकी स्थापना 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलीस्तीनी ब्रांच के धीरे-धीरे बढ़कर काफ़ी शक्तिशाली हो जाने के कारण हुई थी। इस ग्रुप के सदस्यों ने अपनी इज़राइल विरोधी नीति और उसकी धरती पर इस्लामिक फिलीस्तीनी राज्य की स्थापना की अपनी योजना को साकार करने की खातिर राजनीतिक दावपेचों के अलावा आतंकवादी गतिविधियों का भी सहारा लेने से कभी परहेज़ नहीं किया है। हमास भी एक पूरी तरह से संगठित संगठन नहीं है। इसके सदस्य मस्जिदों और समाजसेवी संगठनों के साथ काम कर नए सदस्यों की भर्ती, चन्दा इकट्ठा करना, गतिविधियों का संचालन करना और अन्य लोगों को अपने ग्रुप से जोड़ने के लिए योजनाएं बनाने और अभियान चलाने आदि का काम करते हैं। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी क्षेत्रों में यह ग्रुप काफ़ी मज़बूत है। यह राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है।

गतिविधियां—हमास ने अपने आधुनिक हथियारों की सहायता से इज़राइल के कई सैनिक और रहवासी ठिकानों को अपना निशाना बनाया है और सैंकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।

(20) आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप (जीआईए)

इतिहास—अल्जीरिया में सक्रिय इस इस्लामिक आतंकवादी संगठन का उद्देश्य है धर्म-निरपेक्ष अल्जीरियाई सरकार को सत्ता से बेदखल कर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। जीआईए ने अपनी हिंसक गतिविधियों की शुरुआत 1992 में की थी जब अल्जीरिया के लोगों ने यहां की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी 'इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट (एफआईएस) को दिसम्बर, 1991 में हुए आम चुनावों में जीत हासिल करने पर उसे अमान्य घोषित कर दिया था।'

गतिविधियां—इस संगठन द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य अधिकारियों, वरिष्ठ सरकारी अफसरों, पत्रकारों, अध्यापकों के अलावा विदेशी यात्रियों पर हमले किए गए हैं। 1993 में अल्जीरिया में रह रहे विदेशियों के खिलाफ अपने अभियान

की घोषणा करने के बाद से जीआईए अब तक करीब 100 प्रवासी नागरिकों की हत्या कर चुका है। इनमें से ज्यादातर यूरोपियन हैं। यह संगठन बम विस्फोटों के ज़रिए खून-खराबा करवाता है। साथ ही अपहरण करके अपने आदमियों को छुड़वाता है या फिर फिरौती की रकम वसूल करता है। जीआईए 1994 में फ्रांस के एक विमान का अपहरण भी कर चुका है। इसके अलावा 1995 व 96 के दौरान फ्रांस में हुए कई बम विस्फोटों में भी इसी का हाथ माना जाता है।

ताकत—पूरी जानकारी प्राप्त नहीं, लेकिन इस मज़बूत संगठन में सैंकड़ों से लेकर हज़ार के आसपास आदमी होने की सम्भावना है।

(21) रिवोल्यूशनरी आर्गेनाइज़ेशन 17 नवम्बर

इतिहास—ग्रीस में सैनिक शासन के विरुद्ध 17 नवम्बर से शुरू किए गए जबरदस्त विरोध और आन्दोलनों के बाद से 1975 में पूरी तरह स्थापित हुए इस मुख्यतः वामपंथी संगठन का नाम ही 17 नवम्बर के नाम से जाना जाने लगा। यह आतंकवादी संगठन ग्रीस, तुर्की और नाटो विरोधी है। इसके संकल्प हैं—अमेरिकी अड्डों को बेदखल करना, साइप्रस से तुर्की सेना को बाहर निकालना और ग्रीस का नाटो एवं यूरोपीय संघ के सम्बन्ध समाप्त करवाना। इस संगठन को सम्भवतः ग्रीस के कई अन्य उग्रवादी संगठनों का सहयोग प्राप्त है।

(22) अल जिहाद

इसे जिहाद ग्रुप वेनगार्डस ऑफ कान्क्वेस्ट, तालाह अल-फतेह, इन्टरनेशनल जस्टिस ग्रुप, वर्ल्ड जस्टिस ग्रुप नामों से भी जाना जाता है।

इतिहास—मिस्र का यह उग्रवादी संगठन 1970 से सक्रिय है। कई हिस्सों में विभाजित इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य जेहाद के ज़रिए मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के हाथों से सत्ता छीनकर देश में पूर्ण इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है।

गतिविधियां—इसके आतंकवादियों ने मिस्र की सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर उन्हें घायल किया है।

(23) द फिलीस्तीन इस्लामिक जेहाद (पीआईजे)

इतिहास—आतंकवादी संगठन पीआईजे की स्थापना 1970 में गाजा पट्टी में फिलीस्तीनी आतंकवादियों द्वारा की गई थी। यह संगठन वास्तव में कई छोटे-छोटे आतंकवादी गुटों का एक समुदाय है। पीआईजे एक इस्लामिक फिलीस्तीन राज्य की स्थापना और पवित्र युद्ध के ज़रिए इज़राइल को बरबाद करने के अपने अभियान के तहत पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। अमेरिका द्वारा इज़राइल को समर्थन दिए जाने के कारण वह भी पीआईजे के निशाने पर है। पीआईजे उदारवादी अरब सरकारों का भी विरोधी है।

गतिविधियां—पीआईजे के आतंकवादियों ने अक्तूबर, 1995 में अपने नेता फातही शकाकी की माल्टा में हत्या हो जाने के बाद अमेरिका और इज़राइल से प्रतिशोध लेने की धमकी दी थी। इसने इज़राइल में कई विस्फोटक कारनामों को अंजाम दिया है।

(24) हरकत-उल-अंसार

सन् 1993 में पाकिस्तान के दो राजनीतिक संगठन हरकत-उल जेहाद-उल-इस्लामिया तथा हरकत-उल-मुजाहिदीन के विलय के बाद अस्तित्व में आया।

उद्देश्य—कश्मीर-पाकिस्तान विलय तथा इस्लाम विरोधी ताकतों के साथ सशस्त्र संघर्ष करना।

गतिविधियां—कश्मीर में भारतीय फौजों तथा नागरिकों के विरुद्ध अनेक अभियानों को संचालन।

ताकत—पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में हरकत के कई हज़ार सशस्त्र आतंकवादी मौजूद। हल्की और भारी मशीन गनों के इस्तेमाल में माहिर। असाल्ट राइफलें, मोर्टार विस्फोटक तथा रॉकेट का भारी जखीरा 'कोर मिलिटेंट ग्रुप' खतरनाक 300 हथियारबन्द सदस्यों वाला जो आमतौर पर पाकिस्तान और विद्रोही कश्मीरी हैं।

गतिविधि क्षेत्र—आधार केन्द्र मुजफ्फराबाद। यहां से यह कश्मीर-म्यांमार, ताजिकिस्तान और बोस्निया तक में।

आर्थिक स्रोत—भारी हरकत आर्थिक अनुदान सऊदी अरब दूसरे खाड़ी देशों से। इसके अलावा धनी कश्मीरियों और पाकिस्तानियों से भी।

(25) जमात-उल-फुकरा

यह अपनी गतिविधियों में बहुत खूंखार है। फुकरा का नेतृत्व शेख मुबारक अली जिलानी के हाथों में हैं जोकि पाकिस्तान के है। यह संगठन हिन्दुओं को शत्रु नहीं मानता था बल्कि उन्हें अपने स्वाभाविक मित्रों के रूप में चिन्हित करता था। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद दूसरे आतंकवादी संगठनों के दबाव में उसे हिन्दुओं को भी अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया। यह संगठन 1980 में अस्तित्व में आया।

ताकत—आज इसकी क्षमता 3000 से ज्यादा लड़ाकू सैनिकों की है। अनुमान है कश्मीर में उसके 200 से ज्यादा लड़ा है सक्रिय संघर्ष में शामिल हैं।

गतिविधियां—कारगिल संघर्ष में जो मुजाहिदीन अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे, उनमें हमास के भी सदस्य थे। इसकी ज्यादातर गतिविधियां अमेरिका में चलती हैं। यह लोगों को ईसाई संस्कृति के विरुद्ध भड़काता है। अनुमान है कि अब तक यह 500 से ज्यादा मासूम ईसाइयों और 30 से अधिक पादरियों की हत्या कर चुका है।

आर्थिक स्त्रोत—इसके आय का स्त्रोत धर्म शक्ति मुसलमान है जो पूरे एशिया में इस्लाम का परचम देखना चाहते हैं।

(26) नेशनल इस्लामिक फ्रण्ट

मौजूदा कारगिल संघर्ष में एन० एल०एफ० के सदस्य पाकिस्तानी फौजों के साथ लड़ाई में तैनात रहे हैं। हालांकि आजकल सूडान में जो सरकार है उसमें इस संगठन के सदस्यों की काफ़ी बड़ी भागीदारी है। कश्मीर को लेकर इसका नज़रिया इस्लामिक संगठनों के साथ है। एन एल एफ के 250-300 सदस्यों के बारे में माना जाता है कि वह कश्मीर के अन्दर मौजूद हैं तथा यहां उग्रवाद भड़काने में आधार भूमिका निभा रहे हैं।

आर्थिक स्त्रोत—सूडान की सरकार और ओसामा बिन लादेन की कम्पनियों से एक मोटी रकम मिलती है।

(27) मुजाहिदीन-ए-खल्क आर्गेनाइज़ेशन

कारगिल संघर्ष में भी इस संगठन के लोग शामिल रहे हैं। कश्मीर में इस संगठन की गतिविधियां 6-7 साल से चल रही हैं। समझा जाता है कि इस समय 80-90 एम के ओ सदस्य घाटी में मौजूद हैं। इस संगठन की स्थापना 1960 में ईरानी व्यापारियों के पढ़े-लिखे बच्चों ने की थी।

ताकत—इसकी क्षमता 1500 से 1800 सशस्त्र सदस्यों की है।

गतिविधियां—आजकल वैसे यह संगठन अपनी गतिविधियों को लेकर अमेरिका के विरुद्ध ही केन्द्रित है।

आर्थिक स्त्रोत—फण्ट विरोधी इस्लामिक संस्थान, लोग और संगठन इसके धन स्त्रोत हैं।

(28) जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रण्ट—कश्मीर में सबसे ज्यादा इसी संगठन की घुसपैठ है। अच्छा खासा सशस्त्र दस्ता रखने के अलावा इसका एक व्यापक बौद्धिक तन्त्र है। जे.के.एल.एफ. की सक्रिय गतिविधियां इधर के कश्मीर में तो रहती ही हैं, यह पाक अधिकृत कश्मीर में भी सक्रिय रहता है।

ताकत—इसकी फौजी ताकत लगभग 5000 आतंकवादियों की है।

गतिविधियां—भारतीय सेनाओं को सबसे ज्यादा जे.के.एल.एफ. से ही प्रत्यक्ष तौर पर जूझना पड़ता है। कारगिल संघर्ष में इसकी भूमिका मुख्य पंक्तियों के घुसपैठियों में रही है।

(29) लश्कर-ए-तोएबा—इखावान-अल-मुसलमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) संगठन की नींव 1928 में मिस्र में हसन-अल-बनान ने डाली थी। इसी संगठन की कोशिश से 1941 में जमात-ए-इस्लामी का गठन हुआ।

जमात-ए-इस्लामी को भारतीय उपमहाद्वीप और सुदूर पूर्व एशिया में 'मुस्लिम ब्रदरहुड' फैलाने का जिम्मा सौंपा गया। जो लोग इसके मकसद में रोड़ा बने, उन्हें 'खुदा के दुश्मन' घोषित किया गया। इन खुदा के दुश्मनों से निपटने के लिए जमात ने कुछ 'मिलिटेंट समूहों' का गठन किया, 'लश्कर-ए-तोएबा' जमात-ए-इस्लामी का ऐसा ही संगठन है। इसका अस्तित्व 1974 से ही है। मगर इसे कश्मीर में 1995 के बाद भेजा गया जब जमात-ए-इस्लामी ने यह पाया कि जे.के.एल.एफ. बहुत ही 'साफ्ट' साबित हो रहा है।

ताकत—लश्करे तोएबा की निश्चित ताकत का ठीक-ठाक अनुमान तो नहीं है क्योंकि जिन तीन संगठनों के 'मिलिटेंट' आपस में अदल-बदल करते रहते है। ये संगठन हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल अंसार तथा लश्कर-ए-तोएबा। फिर भी इसके मिलिटेंटों की संख्या 3000 से 4000 के बीच मानी जाती है।

गतिविधियां—यह सभी तरह की आतंकवादी गतिविधियों में यकीन रखता है ताकि दहशत बनाई जा सके।

गतिविधि क्षेत्र—पहले इसकी गतिविधि का केन्द्र अफगानिस्तान था। आजकल कश्मीर है। मध्य एशिया और चीन के झियांग क्षेत्र में भी इसकी गतिविधियां चलती हैं।

आर्थिक स्रोत—इसकी आर्थिक ज़रूरतें जमात-ए-इस्लामी पूरी करता है।

(30) अलबदर

'इस्लामी जमात-ए-तालबा' अलबदर का पुराना और असली नाम है। इसकी नींव पूर्वी पाकिस्तान की '**मुक्ति वाहिनी**' से निपटने के लिए 1969 में डाली गयी थी जो बाद में इस्लामी शत्रुओं से निपटने के काम में लगाई गयी।

गतिविधि—इस्लाम के शत्रुओं से निपटना।

गतिविधियां केन्द्र—मुख्यत: कश्मीर, मध्यपूर्व और बोस्निया

आर्थिक स्रोत—इसकी अर्थव्यवस्था जमात-ए-इस्लामी सम्भालती है।

इन संगठनों के अलावा कारगिल के संघर्ष में जो आतंकवादी संगठन शामिल थे उनमें से कुछ प्रमुखों के नाम हैं—तहरीकुल जेहाद, तहरीकुल मुजाहिदीन, इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट, जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, अल उमर, मुस्लिम जांबाज़ फोर्स, अल फतह, इस्लामिक फ्लैगसिप, हिजबुल मोमिनीन तथा अल निज़ामे मुस्तफा इत्यादि। इन सभी संगठनों की क्षमता 1000 से 3000 लड़ाका सैनिकों की है।

अल-कायदा

बहुचर्चित अल-कायदा एक खुंखार आतंकवादी संगठन है। उसके एक उर्दू में प्राप्त मैनुअल में उसके संगठन के सिद्धान्त, सैन्य संगठन की ज़रूरतों एवं उसके निशान का उल्लेख है। विरोधी देशों से हमारी जंग सुकरात के तर्कों को नहीं जानती, प्लेटो के सिद्धान्तों को नहीं पहचानती और न ही अरस्तु की कूटनीति को जानती है। यह गोलियों की भाषा को समझती है। हत्याओं, विस्फोट और विनाश के सिद्धान्तों को पहचानती है। यह तोपों और मशीनगनों की कूटनीति को समझती है।

अल्लाह की तरह लौट रहे मुस्लिम युवकों को यह जान लेना चाहिए कि कुछ रीति-रिवाजों का पालन करना ही इस्लाम नहीं है, बल्कि यह धर्म और सत्ता, प्रार्थना और जेहाद, नैतिकता और लोकाचार, कुरान और तलवार का एक पूरा सिस्टम है। मैं इस महान् प्रयास को उन नौजवान मुस्लिम युवकों को समर्पित करता हूं, जो पाक हैं, जो अल्लाह में विश्वास करते हैं और उसके लिए ही लड़ रहे हैं।

सैन्य संगठन के सिद्धान्त

1. सैन्य संगठन का कमाण्डर और सलाहकार परिषद्, **2.** सैनिक, **3.** एक सुपरिभाषित रणनीति।

सैन्य संगठन की ज़रूरतें

1. नकली दस्तावेज़ और करन्सी, **2.** अपार्टमेन्ट्स और छुपने लायक अन्य जगह, **3.** संचार के साधन, **4.** आवागमन के साधन, **5.** सूचनाएं **6.** हथियार और गोला-बारूद **7.** परिवहन।

सैन्य संगठन के मिशन

(1) दुश्मन, उसकी ज़मीन, उसके ठिकानों और पड़ोसियों के बारे में सूचनाएं एकत्र करना।

(2) दुश्मन के कर्मचारियों का अपहरण तथा उसके दस्तावेज़, गुप्त सूचनाओं और हथियारों को कब्ज़े में लेना।

(3) दुश्मन के कर्मचारियों और विदेशी पर्यटकों की हत्या करना।

(4) दुश्मन द्वारा पकड़े गए जिहादी भाइयों को मुक्त कराना।

(5) ऐसी अफवाहें फैलाना और पर्चे बंटवाना, जो दुश्मन के खिलाफ लोगों को भड़का दें।

(6) मनोरंजन और अनैतिक गतिविधियों के ठिकानों को विस्फोट से उड़ाना।

(7) विदेशी दूतावासों और आर्थिक केन्द्रों को नष्ट करना।

(8) शहर में जाने वाले और शहर से आने वाले रास्तों पर पड़ने वाले पुलों को उड़ाना। अलकायदा के मैन्युअल में और भी क्या बातें हैं यह जानिए आगे प्रकाशित होने वाली कड़ियों में।

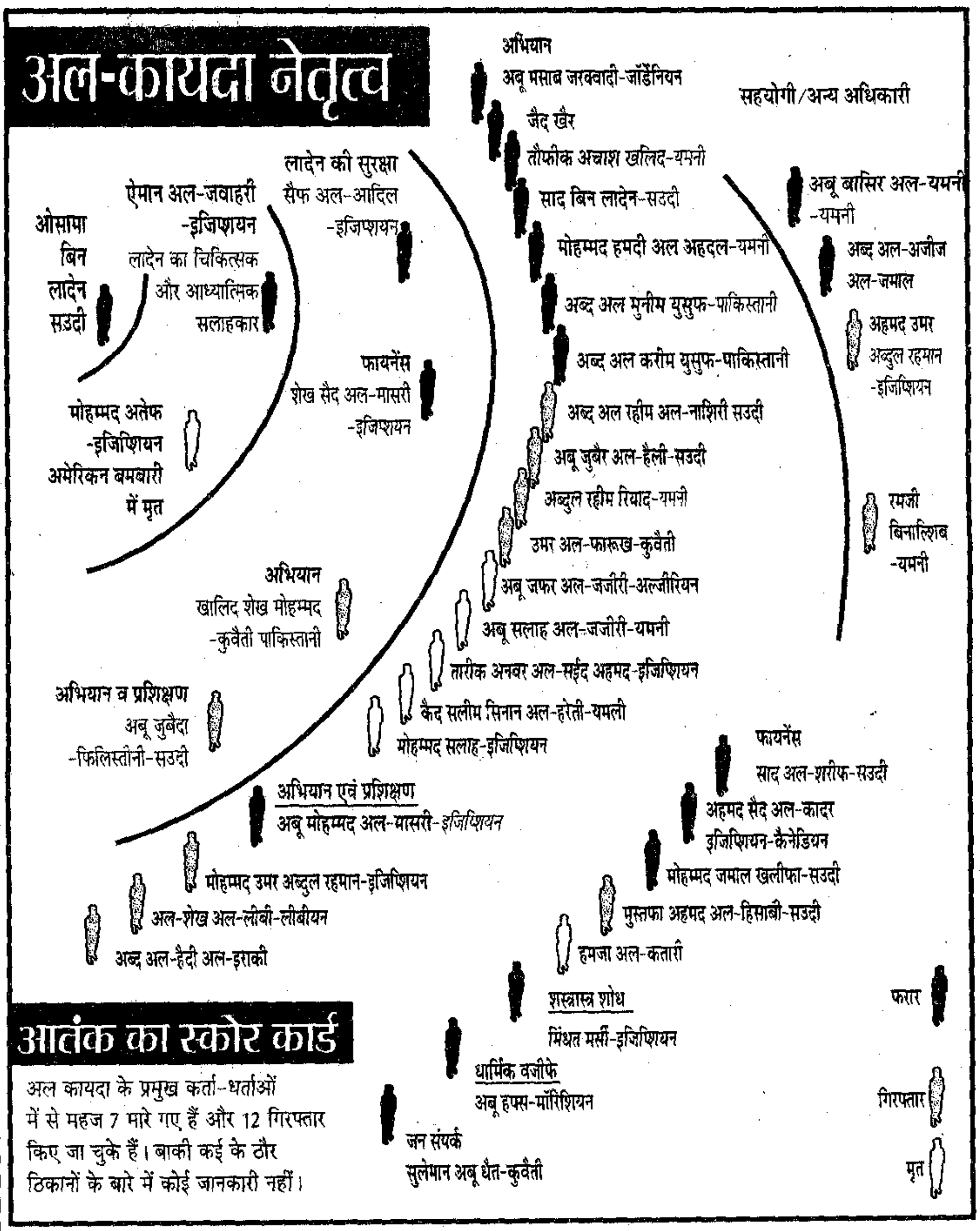
अल-कायदा नेतृत्व
ओसामा बिन लादेन सउदी
ऐमान अल-जवाहरी -इजिप्शयन
लादेन का चिकित्सक और आध्यात्मिक सलाहकार
लादेन की सुरक्षा
सैफ अल-आदिल -इजिप्शयन
मोहम्मद अतेफ -इजिप्शियन अमेरिकन बमबारी में मृत
फायनेंस
शेख सैद अल-मासरी -इजिप्शयन
अभियान
खालिद शेख मोहम्मद -कुवैती पाकिस्तानी
अभियान व प्रशिक्षण
अबू जुबैदा -फिलिस्तीनी-सउदी
अभियान एवं प्रशिक्षण
अबू मोहम्मद अल-मासरी-इजिप्शियन
मोहम्मद उमर अब्दुल रहमान-इजिप्शियन
अल-शेख अल-लीबी-लीबीयन
अब्द अल-हैदी अल-इराकी
अभियान
अबू मसाब जरक्वादी-जॉर्डेनियन
जैद खैर
तौफीक अत्ताश खलिद-यमनी
साद बिन लादेन-सउदी
मोहम्मद हमदी अल अहदल-यमनी
अब्द अल मुनीम युसुफ-पाकिस्तानी
अब्द अल करीम युसुफ-पाकिस्तानी
अब्द अल रहीम अल-नाशिरी सउदी
अबू जुबैर अल-हैली-सउदी
अब्दुल रहीम रियाद-यमनी
उमर अल-फारूख-कुवैती
अबू जफर अल-जजीरी-अल्जीरियन
अबू सलाह अल-जजीरी-यमनी
तारीक अनवर अल-सईद अहमद-इजिप्शियन
कैद सलीम सिनान अल-हेती-यमली
मोहम्मद सलाह-इजिप्शियन
सहयोगी/अन्य अधिकारी
अबू बासिर अल-यमनी -यमनी
अब्द अल-अजीज अल-जमाल
अहमद उमर अब्दुल रहमान -इजिप्शियन
रमजी बिनाल्शिब -यमनी
फायनेंस
साद अल-शरीफ-सउदी
अहमद सैद अल-कादर इजिप्शियन-कैनेडियन
मोहम्मद जमाल खलीफा-सउदी
मुस्तफा अहमद अल-हिसावी-सउदी
हमजा अल-कतारी
शस्त्रास्त्र शोध
मिधत मर्सी-इजिप्शियन
धार्मिक वजीफे
अबू हफ्स-मॉरिशियन
जन संपर्क
सुलेमान अबू धैत-कुवैती
फरार
गिरफ्तार
मृत
आतंक का स्कोर कार्ड
अल कायदा के प्रमुख कर्ता-धर्ताओं में से महज 7 मारे गए हैं और 12 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी कई के ठौर ठिकानों के बारे में कोई जानकारी नहीं।

पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के प्रशिक्षण कैम्प

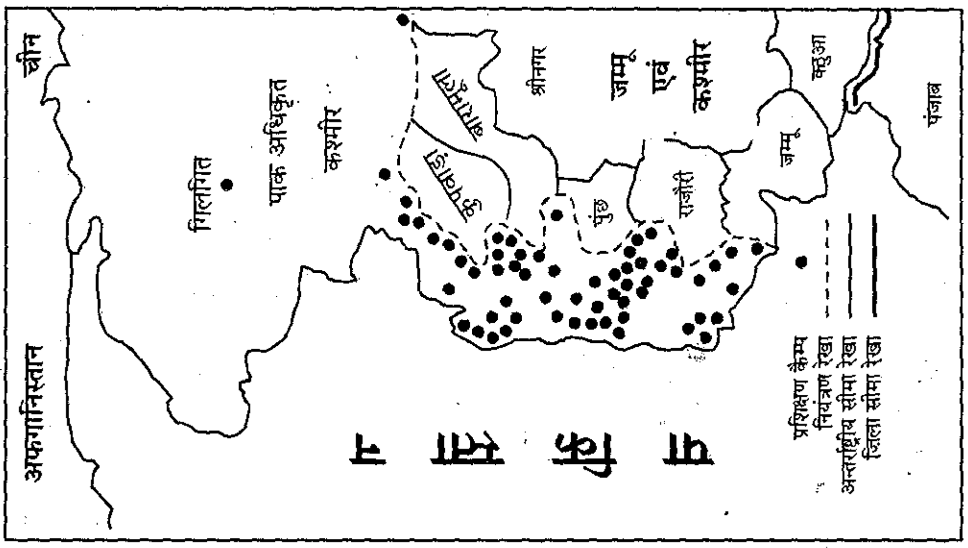

पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकवादियों के प्रशिक्षण कैम्प

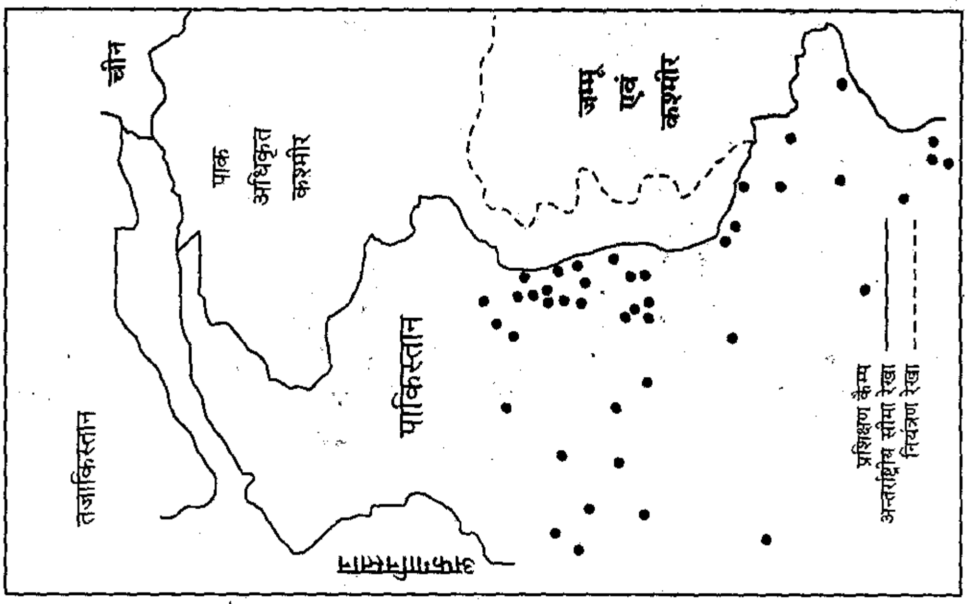

कश्मीर

घुसपैठ के नये रास्ते

पाक अधिकृत कश्मीर से	↔	भारत से
लोत	↔	बोर
डुडनियाल	↔	काठांवाली
केल	↔	माचल
गुथूर	↔	रोटा
खोजाबन्दी	↔	हथलंगा
जूरा	↔	रजवार
जनवे	↔	माचल
ढाकी	↔	सुंतवार
छितरियां	↔	बीझामा

घुसपैठ के पुराने रास्ते

पाक अधिकृत कश्मीर से	↔	भारत से
किरणवाली	↔	सूमाबन्दी
डुडनियाल	↔	कांठावाली
खोजाबन्दी	↔	बारा
रेवंद	↔	डुलांझा
धन्ना	↔	मेरीयां
तेजियां	↔	लश्दत
पछीबन	↔	आजादवाड़ा

जम्मू में घुसपैठ के नये रास्ते

लाहौरी गली
बलनोई
शाहपुर
गुटरियां
लाम सेक्टर
सौजान सेक्टर
नत खेरी (जौनरियां सेक्टर)

पाक अधिकृत में बने नये आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर	कुल कैंप 128

अब्दुल्ला बिन मसूद (मुजफ्फराबाद)
इब्नेतामिया (कोटू के नज़दीक)
खलिद बिन (मुजफ्फराबाद)
शम्शुल हक (मुजफ्फराबाद)
उम उल उरा (मुजफ्फराबाद)

पाकिस्तान में बने नये प्रशिक्षण शिविर	कुल कैंप 80

अतरशीशा ★ बदयानी ★ बकरीयाल
बतसाली ★ छाविन्दा ★ पसपुर
अबसपुर ★ जफरवाला

वर्षों से आतंकवाद से जूझ रहा है भारत

कई दशकों से अलग अस्तित्व की स्थापना व अधिक स्वायत्तता के लिए देश के विभिन्न भागों में सक्रिय चरमपंथी गुटों और आतंकी संगठनों ने अपनी 'मांगें' मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लिया और समय-समय पर आतंक फैलाने की कोशिश की। इन्दिरा गांधी द्वारा आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्रुद्ध आतंकियों ने षड्यन्त्र रच श्रीमती गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा हत्या करवा दी। इसके बाद 1991 में एक आत्मघाती तमिल महिला पूर्व प्रधानमन्त्री और देश के एक और लाल राजीव गांधी की हत्या का प्रमुख कारण बनी। देश ने आतंकी हिंसा में कई नेता खोए, जिसका दर्द वर्षों तक रहेगा।

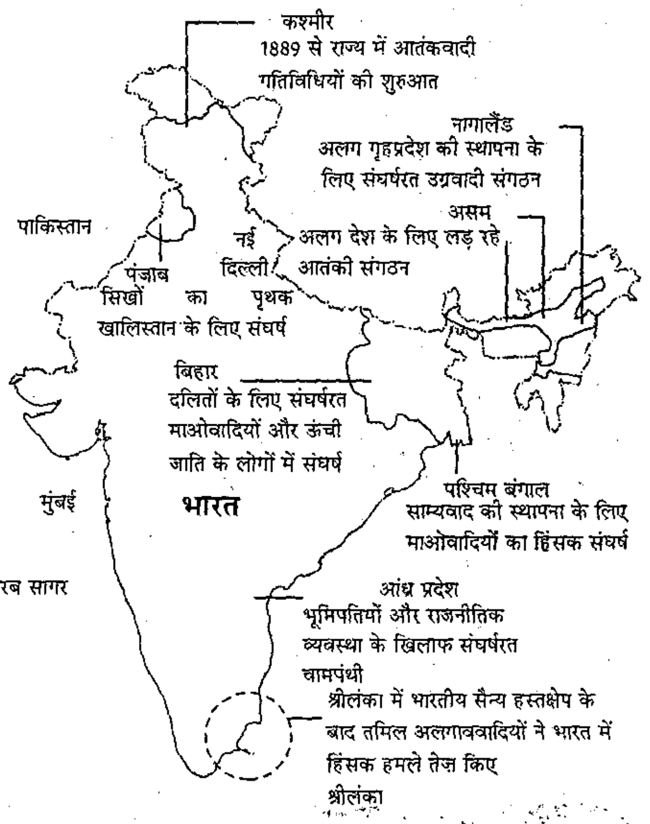

दुनिया की प्रमुख खुफिया एजेंसियां

दुनिया भर में अनेक छोटी-बड़ी खुफियां एजेंसियां काम कर रही हैं जिनके जासूस पल-पल की खबर अपने आकाओं को भेज रहे हैं। माडर्न टेक्नोलॉजी ने उनका काम आसान बना दिया है और वे कुछ भी कर गुजर जाने की क्षमता रखते हैं। कुछ बड़े देशों की गुप्तचर एजेंसियां तो इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वे किसी भी देश की सत्ता को बदलने में सक्षम हैं या फिर अपने दुश्मन देशों में अस्थिरता पैदा करने के काम को बखूबी अंजाम दे सकती हैं।

तीन-चार खुफिया एजेंसियां तो ऐसी हैं जिनका नाम बच्चा-बच्चा जानता है। इनमें सीआईए, एएफबी (केजीबी), आईएसआई, मोसाद वगैरह हैं। इस समय दुनिया में कितनी प्रमुख गुप्तचर एजेंसियां हैं जो एक-दूसरे देश में अपने-अपने देश के हितों के लिए काम कर रही हैं।

गुप्तचर एजेंसियों के इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार इस समय भारत सहित 47 देशों की 125 प्रमुख एजेंसियां गुप्तचरी का काम कर रही हैं। इनमें से एएफबी, बीएफबी, बीआईएस और बीएनडी के बारे में जानकारियां इस प्रकार हैं—

एएफबी—1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद केजीबी के स्थान पर एएफबी का गठन हुआ। इसमें केजीबी का ही ढांचा और अधिकतर कर्मचारी लिए गए हैं। पुराने सिद्धान्तों और नीतियों पर चलने की मन:स्थिति में कुछ बदलाव किया गया है। कुछ सालों बाद एसवीआरआरएफ (फॉरेन इंटेलीजेंस सर्विस ऑफ रशियन फेडरेशन) की स्थापना की गई।

बीएफबी—जर्मन खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो फॉर कांस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन, जर्मन काउंटर-इंटेलीजेंस सर्विस की स्थापना 1949 में तब हुई जब साथी देशों ने सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र इस तरह की संस्था की इजाज़त दी। इसकी स्थापना के पीछे एमआई-5 की इमेज को बेहतर बनाना था किन्तु पुलिस से अलग होने के कारण इसकी प्रशासनिक क्षमता जाती रही। इसके कारण संस्था का पहला प्रमुख ही संस्था छोड़ गया जिससे बीएफबी में बड़ा बदलाव किया गया। हेडक्वार्टर में 1000 और प्रत्येक फेडरेशन राज्य में हज़ारों कर्मचारियों के स्टॉफ के साथ बीएफबी को 1992 में पास कानून के तहत आठ विभागों में बांट दिया गया है।

बीआईएस—यह चेक गणराज्य की खुफिया एजेंसी है। इसका नाम है सिक्योरिटी इन्फारमेशन सर्विस, चेक काउंटर-इन्टेलिजेंस डिपार्टमेंट या बीआईएस। चेकोस्लाविया के विघटन से पहले की गुप्तचर संस्था, एफबीआईएस के स्वरूप बदलने के बाद इस संस्था का गठन 1 जनवरी, 1993 को एस०डेवटी की अध्यक्षता में किया गया। इसे एक साल तक ही काम करना था पर यह संस्था आज भी सक्रिय है।

मई, 1993 में डेवटी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के प्रभाव में उसे उसके अपार्टमेंट में परेशान किया गया। इससे गम्भीर बवाल खड़ा हो गया। ग्रीष्म 1993 में वालिस मामला भी बीआईएस पर हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थों, प्रभावशाली राजनीतिज्ञों तथा कुछ प्रशासनिक अफसरों के कारण कोजेनी षड्यन्त्र केस के बाद एस.डेवटी ने स्पष्ट कर दिया कि अब वे संस्था के गुप्तचरों को किसी निहित स्वार्थ के दबाव के आगे नियन्त्रण में नहीं रख सकते हैं। अब संस्था के गुप्तचर किसी के बारे में भी निष्पक्षता से सूचना एकत्र कर सकते हैं।

बीएनडी—जर्मन संघीय गुप्तचर सेवा या जर्मन फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस का गठन 1956 में सुधार के बाद अर्ध सरकारी संस्था के रूप में किया गया। सात हज़ार खुफिया और प्रशासनिक कर्मचारियों वाला यह तन्त्र सीधे-साधे चांसलर के नियन्त्रण में है। इसका पहला प्रमुख इस संस्था का संस्थापक आर गेलेन था। सन् 1968 में गेलेन के स्थान पर जी वेसेल को ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने 1972 में इसका पुनर्गठन किया और कामकाज को चार प्रमुख विभागों में बांटा।

इस खुफिया एजेंसी की कारगुज़ारियों में एक बड़ी सफलता शुरू-शुरू में ईस्ट जर्मनी और रूस में बीएनडी के एजेंट मुकर्रर करने में रही लेकिन 1961 में गुप्तचर प्रमुख एच. फैल्फ के कूच कर जाने से संस्था के खुफिया तन्त्र को बड़ा धक्का लगा। 1980 में इन्होंने लीबिया का डिप्लोमैटिक का कोड उजागर किया। हैम्बर्ग में एक उग्रवादी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का मूल्यांकन किया जा सका।

रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (रॉ)

कैबिनेट सचिवालय की रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (रॉ) भारत की सबसे शक्तिशाली इंटेलीजेंस एजेंसी है। रॉ, भारत की राष्ट्रपति शक्ति का सबसे प्रभावशाली तन्त्र है। भारत की घरेलू एवं विदेशी पॉलिसी में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह संस्था पाकिस्तान व अन्य पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर बारीक नज़र रखने के सन्दर्भ में काफ़ी प्रसिद्ध रही है। यह विंग प्रधानमन्त्री कार्यकाल के अन्तर्गत आता है तथा इसकी संरचना, रैंक व अन्य खर्चों की जानकारी गुप्त रखी जाती है। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु कई मामलों में रॉ की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। रॉ की स्थापना 1968 में पाकिस्तान की हरकतों को मद्देनज़र रखते हुए इंटेलीजेंस सर्विस के लिए विशेष ब्रांच के रूप में की गई। भारत सरकार को विश्वास था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शस्त्र सप्लाई करने तथा उन्हें ट्रेनिंग देने और शरण देने में सहायता करता है।

रॉ द्वारा किए गए मुख्य कार्यों में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए किए गए क्रियाकलाप शामिल हैं। 1981 में रॉ ने भारत के विभिन्न भागों में 30 प्रशिक्षण केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित किया। उच्च सैन्य सुरक्षा के साथ चकराता (देहरादून) तथा आर.के. पुरम (दिल्ली) में केन्द्र स्थापित किया। एलटीटीई पर रॉ की अच्छी रिपोर्ट रही। रॉकई जगह पर कार्यों के लिए असफल भी रही। आरोप है कि 1999 में हुए कारगिल युद्ध में घुसपैठियों का पूरा पता नहीं लगा पाई। जिस तरह भारत में पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी प्रसिद्ध है, वैसे ही पाकिस्तान में भारत की रॉ एजेंसी प्रसिद्ध है।

रॉ भारत की सबसे सतर्क इंटेलीजेंस एजेंसी मानी जाती है। भारत तथा भारत के बाहर होने वाले राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी नज़र रखती है जो किसी खतरे की सम्भावना होने पर तत्काल संकेत देती है। रॉ के कार्यों के लिए भारत सरकार का अपना अलग ही बजट है।

पाकिस्तान के शासक

शासक	कार्यकाल	हटने की वजह
लियाकत अली खान	अगस्त 1947-अक्तूबर 1951	हत्या
ख्वाजा नजीमुद्दीन	अक्तूबर 1951-अप्रैल 1953	बर्खास्त
मोहम्मद अली बोगरा	अप्रैल 1953-अगस्त 1955	इस्तीफा
चौधरी मोहम्मद अली	अगस्त 1955-सितम्बर 1956	इस्तीफा
एच.एस. सुहरावर्दी	सितम्बर 1956-अक्तूबर 1957	इस्तीफा
इस्माइल चुन्द्रीगर	अक्तूबर-दिम्बर 1957	इस्तीफा
मलिक फिरोज़ खान नून	दिसम्बर 1957-अक्तूबर 1958	सैन्य तख्ता पलट
सिकन्दर मिर्ज़ा	अक्तूबर 1958	सैन्य तख्ता पलट
मोहम्मद अयूब खान	अक्तूबर 1958-मार्च 1969	सैन्य तख्या पलट
याह्या खान	मार्च 1969-दिसम्बर 1971	सैन्य तख्ता पलट
जुल्फीकार अली भुट्टो	दिसम्बर 1971-जुलाई 1977	सैन्य तख्या पलट
जिया-उल-हक	जुलाई 1977-अगस्त 1988	हवाई दुर्घटना में मौत
बेनजीर भुट्टो	दिसम्बर 1988-अगस्त 1990	बर्खास्त
मोहम्मद खान जुनेजो	अगस्त 1990-नवम्बर 1990	बर्खास्त
नवाज शरीफ	नवम्बर 1990-अप्रैल 1993	बर्खास्त
बी.एस. मजारी	अप्रैल 1993-मई 1993	बर्खास्त
नवाज़ शरीफ	मई 1993-अक्तूबर 1993	इस्तीफा
बेनजीर भुट्टो	अक्तूबर 1993-नवम्बर 1996	बर्खास्त
मीराज़ खालिद	नवम्बर 1996-फरवरी 1997	इस्तीफा
नवाज़ शरीफ	फरवरी 1997-अक्तूबर 1999	सैन्य तख्ता पलट
मो. रफ़ीक तरार	जनवरी 1998-जून 2001	सैन्य तख्ता पलट
परवेज मुशर्रफ	जून 2001	अब तक

ऐसा है सार्क

राष्ट्राध्यक्ष मण्डल—सार्क संगठन में सर्वोच्च सत्ता देशों के राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्षों में निहित है। प्रस्तावित नीतियों का संयुक्त रूप से अनुमोदित कर वे ही उनके क्रियान्वयन का आदेश देते हैं। **परिषद्**—राष्ट्राध्यक्षों के बाद दूसरे क्रम पर आती है सार्क के सदस्य देशों के विदेश मन्त्रियों की परिषद्। यह परिषद् राष्ट्राध्यक्षों के अनुमोदन के लिए नीतियां निर्धारित करती है तथा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। इस्लामाबाद में हो रहे सार्क के शिखर सम्मेलन तक इस परिषद् की 23 बैठकें हो चुकी हैं। **स्थायी समिति**—सार्क देशों के विदेश सचिवों की यह समिति विभिन्न कार्य योजनाओं का समन्वय तथा उनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करती है। यह समिति सदस्य देशों के बीच सहयोग के नए क्षेत्र भी खोजती है तथा विभिन्न कार्यक्रमों की तिथियां निश्चित करती है। **तकनीकी समिति**—सार्क देशों द्वारा नामित प्रतिनिधियों से बनी इस समिति के अध्यक्ष बदलते रहते हैं। यह समिति पूर्व निर्धारित सहयोग के क्षेत्रों हेतु समन्वित कार्य योजनाएं बनाती है। इन कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपसमितियां होती हैं। अभी ऐसी 11 उपसमितियां निम्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं—1 कृषि, 2. संचार, 3. शिक्षा, संस्कृति एवं खेल, 4. पर्यावरण एवं मौसम विज्ञान, 5. लोक स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नियन्त्रण, 6. मादक पदार्थों के व्यवसाय की रोकथाम, 7. ग्रामीण विकास, 8. विज्ञान एवं तकनीकी, 9. पर्यटन, 10. आवागमन और 11. महिला विकास।

कब, कहां हुए सम्मेलन—**पहला**—ढाका में 8 दिसम्बर, 1985 को, **दूसरा**—बंगलौर 17 नवम्बर, 1986 को, **तीसरा**—काठमाण्डू 4 नवम्बर, 1987 को, **चौथा**—इस्लामाबाद 31 दिसम्बर, 1988 को, **पांचवां**—माले 23 नवम्बर, 1990 को, **छठा**—कोलम्बो 21 सितम्बर, 1991 को, **सातवां**—ढाका 11 अप्रैल, 1993 को, **आठवां**—नई दिल्ली 4 मई, 1995 को, **नौवां**—माले 14 मई, 1997 को, **दसवां**—कोलम्बो 31 जुलाई, 1998 को, **ग्यारहवां**—काठमाण्डू 4 जनवरी, 2002 को, **बारहवां**—इस्लामाबाद 4 जनवरी, 2004 को।

अणुशस्त्र एवं परमाणु शस्त्र

एक अन्य अध्ययन के अनुसार विश्व में 40 हज़ार 640 अणुशास्त्र हैं। प्रत्येक शस्त्र की क्षमता किसी भी शहर को एक ही झटके में समतल बनाने की है। एक ही शस्त्र से लाखों की हत्या की जा सकती है। यह शस्त्र इतना छोटा होता है कि इसे ट्रक के पीछे लाद कर ले जाया जा सकता है। आतंकवादियों के लिए इस तरह का अणु यन्त्र काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। रूस-अमेरिका सहमति के अनुसार प्रतिवर्ष 2000 अणुशस्त्रों को नष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इस कार्य की प्रगति काफ़ी धीमी है। स्टार्ट सन्धि के अनुसार परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण व संग्रह नहीं होना चाहिए। अणु शक्ति संयन्त्रों व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण होते रहना चाहिए। विश्व के कतिपय देशों के पास उपलब्ध सैंकड़ों टन प्लूटेनियम और उच्च किस्म का हज़ारों टन यूरेनियम को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। रासायनिक व जैविक हथियारों को भी इसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर दस वर्ष की अवधि में करीब 70 बिलियन डालर व्यय होंगे। यदि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है तो विश्व काफ़ी हद तक भय मुक्त हो सकता है। आतंकवादी हमलों का भय भी समाप्त हो सकता है। (स्त्रोत एलीमेन्ट न्यूक्लियर वेपन्स)

1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर परमाणु बमों के विस्फोट के पश्चात् अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु युद्ध का सामना करने के लिए सभी प्रकार के सत्तर हज़ार से अधिक परमाणु शस्त्रों का उत्पादन किया है। इन शस्त्रों को आवश्यकता के अनुसार सामरिक ठिकानों पर तैनात भी किया गया है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार इन शस्त्रों के निर्माण में पचास खरब डालर से अधिक का व्यय हुआ है। (स्त्रोत: बकिंग्स इंस्टीच्यूट प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक: एटोमिक ओडिट-1998)

अन्य विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के अनुसार फरवरी, 2003 तक विश्व के प्रमुख आठ देशों के पास व्यापक विनाशक किस्म के 21 हज़ार से अधिक परमाणु शस्त्रों का जखीरा हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार आठ देशों की स्थिति इस प्रकार है—

देश	संदिग्ध सामरिक परमाणु शस्त्र	असंदिग्ध सामरिक परमाणु शस्त्र	कुल परमाणु शस्त्र
चीन	250	120	370
फ्रांस	350	0	350
भारत	60	?	60
इज़राइल	100-200	?	200
पाकिस्तान	24-48	?	24-48
रूस	6000	4000	10,000
ब्रिटेन	180	5	185
अमेरिका	8646	2010	10656

(रूस के पास 15 हज़ार परमाणु शस्त्र होने तक का अनुमान है सेन्टर फोर डिफेन्स इन्फारमेशन, अमेरिका) स्रोत: सीडीआई न्यूक्लियर इस्यूज

संक्षिप्त नाम (संकेताक्षर)
(Abbreviation)

A.A.M.	—	एयर टू एयर मिसाइल
A.B.M.	—	एण्टी बालिस्टिक मिसाइल
A.E.C.	—	एटामिक एनर्जी कमीशन
A.H.Q.	—	आर्मी हेडक्वार्टर्स/ एयर हैडक्वार्टर्स
A.O.C.	—	एयर आफिसर कमाण्डिङ्ग
APEC	—	एशियन पेसिफिक इकानोमिक कॉर्पोरेशन
APPLE	—	एरियन पैसेन्जर पेलोड एक्सपेरीमेण्ट
A.S.T.	—	एण्टी सेटेलाइट

A.S.C.	—	आर्मी सर्विस कोर
ASEAN	—	एशोसिक्शन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स
AVSM	—	अति विशिष्ट सेवा मेडल
AWACS	—	एयर बोर्न वार्निङ्ग एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम
BARC	—	भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर
BHEL	—	भारत हैवी इलैक्ट्रिक्स लिमिटेड
BSF	—	बार्डर सिक्योरिटी फोर्स
C.B.I.	—	सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (भारत)
CBM	—	कांफीडेन्स बिल्डिंग मेजर
CENTO	—	सेन्ट्रल ट्रिटी आर्गनाइजेशन
C.G.S.	—	चीफ ऑफ दा जनरल स्टाफ
C-in-C	—	कमाण्डर इन चीफ
C.R.P.	—	सेण्टर रिजर्व पुलिस
C.T.F.	—	कास्टेण्ट टेक्नीकल फैक्टर
D.R.D.O.	—	डिफेन्स रिसर्च एम्ड डेवलपमेण्ट आर्गनाइजेशन
FERA	—	फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट (भारत)
F.M.	—	फील्ड मार्शल
GATT	—	जनरल ऐग्रीमेण्ट आन टैरिफ्स एण्ड ट्रेड
GHO	—	जनरल हेड क्वार्टर्स
GNP	—	ग्रास नेशनल प्रोडक्ट
GOC	—	जनरल आफिसर कमाण्डिग
HAL	—	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड
IAMC	—	इण्डियन आर्मी मेडिकल कोर
IAF	—	इण्डियन एयर फोर्स
IBRD	—	इण्टरनेशनल बैंक ऑफ रिकंट्रक्शन एण्ड डेवलपमेण्ट
ICBM	—	इन्टर कन्टीनेन्टल बेलिस्टिक मिसाइल
ICV	—	इण्डियन कम्बैड व्हीकल
INA	—	इण्डियन नेशनल आर्मी
INS	—	इण्डियन नेवल शिप
IPC	—	इण्डियन पैनल कोड
IRBM	—	इण्टरमीडियेट रेन्ज बैलिस्टिक मिसाइल
ISI	—	इण्टर सर्विस इण्टेलीजेन्स (पाक खुफिया एजेन्सी)
ISRO	—	इण्डियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन
ITBF	—	कण्डो-तिब्बतन बार्डर फोर्स
JCO	—	जूनियर कमीशण्ड आफिसर
MBT	—	मेन बैटल टैंक
MISA	—	मेन्टीनेन्स इण्टरनल सिक्योरिटी एक्ट (भारत)
NASA	—	नार्थ एटलांटिक स्पेश एसोसियेशन
NAM	—	नान एलाइन्यट मूवमेण्ट
NATO	—	नार्थ एटलान्टिक ट्रिटी आर्गनाइजेशन
NCO	—	नॉन कमीशण्ड आफिसर
NDA	—	नेशनल डिफेन्स अकादमी
NDF	—	नेशनल डिफेन्स फण्ड

NEFA	—	नार्थ ईस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी
NPT	—	न्यूक्लियर नान प्रोलिफिरेशन ट्रिटी
NSC	—	नेशनल सर्विस कोर
ONGC	—	आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन
POW	—	प्रिज़नर ऑफ वार
PVC	—	परम वीर चक्र
PVSM	—	परम विशिष्ट सेवा मेडल
Q.M.S.	—	क्वरार्टर मास्टर जनरल
RADAR	—	रेडियो डिटेक्टिङ्ग एण्ड रेजिङ्ग
RAW	—	रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ्ग
SALT	—	स्ट्रेटिजिकल आर्म लिमिटेशन टाक्स
SAM	—	सरफेस टू एयर मिसाइल
SDI	—	स्ट्रेटिजिक डिफेन्स इनीशियेटिव
SLV	—	सेटेलाइट लांच व्हीकल
SLBM	—	सबमैरीन लान्चड् बैलिस्टिक मिसाइल
SRBM	—	सार्ट रेन्ज बैलिस्टिक मिसाइल
SSM	—	सरफेस टू सरफेस मिसाइल
STARS	—	सेटेलाइट ट्रैफिक एण्ड रेन्जिग स्टेशन
START	—	स्ट्रेटिजिक आर्म रिडक्शन टाक्स
SONAR	—	साउण्ड नेवीगेशन एण्ड रेंजिंग
TA	—	टर्रोटोरियल आर्मी
TERLS	—	थुम्बा इक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन
TNT	—	ट्राइ नाइट्रो टालविन
TULF	—	तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट
U.K.	—	यूनाइटेड किंगडम
UNESCO	—	यूनाइटेड नेशन्स ऐजूकेशन साइन्टफिंक एण्ड कल्चरल आर्गनाइजेशन
UNO	—	यूनाइटेड नेशन्स आर्गनाइज़ेशन
U.S.A.	—	यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
U.S.S.R.	—	यूनियन सोवियत सोश्लिस्ट रिपब्लिक
VVF	—	विलेज वालेन्टियर फोर्स
WHO	—	वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइज़ेशन
ZITA	—	जीरो एनर्जी थर्मो न्यूक्लियर एसेम्बली आर आपरेट्स
ZIP	—	ज़ोनल इम्प्रूवमेंट प्लान

वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर
(Objective Type Questions & Answers)

प्रश्न 1. राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिप्राय है—
(क) एक व्यापक अवधारणा से।
(ख) एक सीमित अवधारणा से।
(ग) राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा से।
(घ) राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा से।
उत्तर—(क) एक व्यापक अवधारणा से है।

प्रश्न 2. रक्षा (Defence) का सम्बन्ध है—
(क) देश की सीमाओं से।
(ख) देश की रक्षा शक्ति से।
(ग) सामाजिक सुरक्षा से।
(घ) आर्थिक सुरक्षा से।
उत्तर—(ख) देश की रक्षा शक्ति से।

प्रश्न 3. "एक राष्ट्र केवल उसी सीमा तक सुरक्षित है, जब तक उसे अपने राष्ट्रीय हितों को बलिदान करने हेतु मजबूर होने का ख़तरा नहीं है।" यह कथन किसका है?
(क) मार्गेन्थो (ख) मैकाइवर
(ग) वाल्टर लिव मैन (ग) पैडल फोर्ड व लिंकन।
उत्तर—(ग) वाल्टर लिवमैन।

प्रश्न 4. राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाल तत्त्व है—
(क) राजनीतिक स्थिति (ख) सामाजिक स्थिति
(ग) मनोवैज्ञानिक स्थिति (घ) भौगोलिक स्थिति।
उत्तर—(घ) भौगोलिक स्थिति।

प्रश्न 5. "राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्त्वों का अध्ययन करना अनिवार्य है।" यह कथन है—
(क) नेपोलियन (ख) मार्गेन्थो
(ग) सरदार के० एम० पन्निकर (घ) फ्रैड्रिक।
उत्तर—(ग) सरदार के० एम० पन्निकर।

प्रश्न 6. "किसी भी राष्ट्र की रक्षा में उसकी सशस्त्र सेनायें, औद्योगिक व तकनीकी आधार, आर्थिक व्यवस्था एवं नागरिकों का मनोबल भी शामिल होता है।" यह कथन किसका है?
(क) जोन जे० क्लार्क (ख) जे० बन्दोवाध्याय
(ग) एस० एस० खेरा (घ) वाल्टर लिवमैन।
उत्तर—(ग) एस० एस० खेरा।

प्रश्न 7. राष्ट्रीय रक्षा की उपमा दी जा सकती है—
(क) दोनों हाथों से (ख) दोनों आंखों से
(ग) दोनों कानों से (घ) इसमें से कोई नहीं।
उत्तर—(क) दोनों हाथों से।

प्रश्न 8. "एक राष्ट्र की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित की जाती है।" कथन किसका है?
(क) डॉ० ब्राऊमैन (ख) के० एम० पन्निकर
(ग) नेपोलियन (घ) उक्त में से कोई नहीं।
उत्तर—(ग) नेपोलियन।

प्रश्न 9. 'किसी राष्ट्र विशेष की स्थलाकृति वहां पर लड़े जाने वाले अभियानों को नियन्त्रित करती है।' कथन किसका है ?
(क) मेजर श्यामलाल (ख) काल्सन
(ग) के० पी० मिश्र (घ) मेजर भरुच।
उत्तर—(घ) मेजर भरुच।

प्रश्न 10. भारत-पाकिस्तान से लगी सीमा की कुल लम्बाई है—

(क) 1761 कि० मी० (ख) 4096 कि० मी०
(ग) 3310 कि० मी० (घ) 3439 कि० मी०।

उत्तर—(ग) 3310 कि० मी०।

प्रश्न 11. भारत-पाकिस्तान के बीच निर्धारित सीमा रेखा को कहा जाता है—

(क) मैक मोहन रेखा (ख) रेडक्लिफ रेखा
(ग) डूरेण्ड रेखा (घ) उत्तर रेखा।

उत्तर—(ख) रेडक्लिफ।

प्रश्न 12. भारत-चीन के बीच निर्धारित सीमा रेखा को कहा जाता है—

(क) रेडक्लिफ लाइन (ख) तिब्बत लाइन
(ग) डूरेण्ड लाइन (घ) मैक मोहन लाइन।

उत्तर—(घ) मैक मोहन लाइन।

प्रश्न 13. भारत-चीन के बीच सीमा रेखा की कुल लम्बाई है—

(क) 3310 कि० मी० (ख) 3439 कि० मी०
(ग) 4096 कि० मी० (घ) 1781 कि० मी०।

उत्तर—(ख) 3439 कि० मी०।

प्रश्न 14. भारत की सीमा रेखा किस पड़ोसी देश से सबसे लम्बी मिलती है?

(क) पाकिस्तान से (ख) चीन से
(ग) नेपाल से (घ) बांग्लादेश से।

उत्तर—(घ) बांग्लादेश से।

प्रश्न 15. भारत व नेपाल के बीच कुल सीमा रेखा की लम्बाई है—

(क) 1761 कि० मी० (ख) 587 कि० मी०
(ग) 1643 कि० मी० (घ) 3116 कि० मी०

उत्तर—(क) 1761 कि० मी०।

प्रश्न 16. म्यांमार (बर्मा) व भारत की सीमा रेखा की कुल लम्बाई है—

(क) 587 कि० मी० (ख) 1643 कि० मी०
(ग) 1761 कि० मी० (घ) 4096 कि० मी०

उत्तर—(ख) 1643 कि० मी०।

प्रश्न 17. किस पड़ोसी देश की भारत से सीमा रेखा लम्बाई सबसे कम है—

(क) नेपाल (ख) बर्मा
(ग) भूटान (घ) चीन।

उत्तर—(ग) भूटान (587)।

प्रश्न 18. किसी राष्ट्र की जनसंख्या को प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है—

(क) दो भागों में (ख) तीन भागों में
(ग) चार भागों में (घ) पांच भागों में।

उत्तर—(क) दो भागों में।

प्रश्न 19. "किसी स्थान का भूगोल वहां होने वाली लड़ाइयों के स्वरूप को तय करता है।" कथन है—

(क) जनरल कुलर (ख) नेपोलियन
(ग) क्लाज़विट्ज (घ) जनरल वेलन

उत्तर—(घ) जनरल वेलन का।

प्रश्न 20. 'युद्ध राज्य की नीति को लागू करने का एक साधन मात्र है।' कथन है—

(क) मागेन्यो (ख) क्लाज़विट्ज
(ग) नेपोलियन बोनापार्ट (घ) हिटलर एडाल्फ।

उत्तर—(ख) क्लाज़विट्ज का।

प्रश्न 21. "Boundary is a Line, Frontier is a zone" परिभाषा किसकी है—

(क) ए० ई० मूडी (ख) ई० एच० कार
(ग) जे० आर० बी० प्रेस्कॉट (घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर—(ग) जे० आर० बी० प्रेस्कॉट।

प्रश्न 22. "यदि विदेशनीति रक्षा का एक आवश्यक तत्त्व है तो आन्तरिक राजनीति भी युद्धों को नियमित करने में एक बड़ा निर्णयात्मक तत्त्व है।" कथन है—

(क) डॉ० के० पी० मिश्रा (ख) के० एम० पन्नीकर
(ग) यू० आर० घई (घ) डॉ० हरवीर शर्मा।

उत्तर—(ख) के० एम० शर्मा।

प्रश्न 23. भारत में समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है—

(क) राष्ट्रपति (ख) प्रधान मन्त्री
(ग) रक्षा मन्त्री (घ) विदेश मन्त्री।

उत्तर—(क) राष्ट्रपति।

प्रश्न 24. रक्षा मन्त्री की अन्तर्सेना समिति का अध्यक्ष होता है—

(क) थल सेना अध्यक्ष (ख) रक्षा मन्त्री
(ग) प्रधान मन्त्री (घ) वरिष्ठ सेना अध्यक्ष।

उत्तर—(ख) रक्षा मन्त्री।

प्रश्न 25. स्वाधीनता से पूर्व भारत में कितनी देशी रियासतें थी?

(क) 535 रियासतें (ख) 565 रियासतें
(ग) 562 रियासतें (घ) 526 रियासतें।

उत्तर—(ख) 565 रियासतें।

प्रश्न 26. जूनागढ़ किस राज्य में स्थित है—

(क) जम्मू-कश्मीर में (ख) राजस्थान में
(ग) गुजरात में, (घ) पंजाब में।

उत्तर—(ग) गुजरात में।

प्रश्न 27. जूनागढ़ रियासत का भारत में कब विलय हुआ?

(क) 15 अगस्त 1947 (ख) 29 नवम्बर 1947
(ग) 9 नवम्बर 1947 (घ) 26 जनवरी 1950।

उत्तर—(ग) 9 नवम्बर 1947।

प्रश्न 28. हैदराबाद रियासत का भारत में विधिवत विलय हुआ—

(क) 11 सितम्बर 1948 (ख) 26 जनवरी 1950
(ग) 26 जनवरी 1948 (घ) 26 नवम्बर 1950।

उत्तर—(ख) 26 जनवरी 1950।

प्रश्न 29. गोवा राज्य किस सागर के तट पर स्थित है?

(क) हिन्द महासागर (ख) अरब सागर
(ग) लाल सागर (घ) प्रशान्त सागर।

उत्तर—(ख) अरब सागर।

प्रश्न 30. गोवा पर किसका अधिकार बना हुआ था—

(क) पुर्तगालियों का (ख) डचों का
(ग) फ्रांसीसियों का (घ) अंग्रेज़ों का

उत्तर—(क) पुर्तगालियों का।

प्रश्न 31. गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया?

(क) 19 दिसम्बर 1961 (ख) 26 जनवरी 1950
(ग) 15 अगस्त 1947 (घ) 30 मई 1987।

उत्तर—(घ) 30 मई 1987।

प्रश्न 32. कश्मीर में युद्ध विराम समझौता कब हुआ?

(क) 1 जनवरी 1949 (ख) 21 अप्रैल 1948
(ग) 17 अगस्त 1947 (घ) 5 दिसम्बर 1948।

उत्तर—(क) 1 जनवरी 1949।

प्रश्न 33. भारत-चीन युद्ध कब लड़ा गया?

(क) 1962 में (ख) 1954 में

(ग) 1965 में (घ) 1948 में।

उत्तर—(क) 1962 में।

प्रश्न 34. पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ?

(क) भारत-पाकिस्तान के बीच

(ख) भारत-बांग्लादेश के बीच

(ग) भारत-नेपाल के बीच

(घ) भारत-चीन के बीच।

उत्तर—(घ) भारत-चीन के बीच।

प्रश्न 35. कराकोरम दर्रा किन दो देशों के बीच है—

(क) भारत-पाक (ख) पाक-चीन

(ग) भारत-चीन (घ) भारत-नेपाल।

उत्तर—(ग) भारत-चीन।

प्रश्न 36. 1965 के युद्ध के दौरान पाक शासक थे—

(क) जनरल जिन्ना (ख) जनरल अयूब खां

(ग) याहियां खां (घ) जुल्फिकार अली भुट्टो।

उत्तर—(ख) जनरल अयूब खां।

प्रश्न 37. 1965 के युद्ध में पाक द्वारा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को कब्जा करने के लिए अभियान चलाया था—

(क) 'ग्राण्ड सलाभ आप्रेशन' (ख) जेहाद आपरेशन

(ग) काबाइली आपरेशन (घ) स्यालकोट आपरेशन।

उत्तर—(क) 'ग्राण्ड सलाल आपरेशन'।

प्रश्न 38. किस युद्ध के बाद ताशकन्द समझौता हुआ?

(क) 1965 के युद्ध (ख) 1962 के युद्ध

(ग) 1971 के युद्ध (घ) कारगिल के युद्ध।

उत्तर—(क) 1965 के युद्ध के बाद।

प्रश्न 39. भारत-पाक (1971) युद्ध के बाद कौन-सा समझौता हुआ?

(क) ताकशन्द समझौता (ख) शिमला समझौता

(ग) कश्मीर समझौता (घ) दिल्ली समझौता।

उत्तर—(ख) शिमला समझौता।

प्रश्न 40. बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में कब मान्यता मिली?

(क) 3 दिसम्बर 1971 (ख) 2 दिसम्बर 1971

(ग) 6 सितम्बर 1971 (घ) 3 जुलाई 1972।

उत्तर—(ग) 6 सितम्बर 1971।

प्रश्न 41. खालिस्तान की मांग किस राज्य ने उठायी?

(क) हरियाणा (ख) पंजाब

(ग) राजस्थान (घ) गुजरात।

उत्तर—(ख) पंजाब।

प्रश्न 42. सुभाष घोसिंग किस आन्दोलन का नेता है?

(क) बोडोलैण्ड (ख) झारखण्ड

(ग) गोरखालैण्ड (घ) माओवादी।

उत्तर—(ग) गोरखालैण्ड।

प्रश्न 43. सप्त भगिनी (Seven Sisters) के नाम से जाने जाते हैं—

(क) पूर्वोत्तर राज्य (ख) अरुणाचल

(ग) उत्तरी क्षेत्र के राज्य (घ) पूर्वी क्षेत्र के राज्य।

उत्तर—(क) पूर्वोत्तर राज्य।

प्रश्न 44. इसाक व मुइया गुट किस राज्य के आन्दोलनकारी नेता हैं?

(क) असम (ख) मेघालय

(ग) नागालैण्ड (घ) मणिपुर।

उत्तर—(ग) नागलैण्ड।

प्रश्न 45. नक्सलवाड़ी गांव किस राज्य में स्थित है ?

(क) पश्चिम बंगाल (ख) तमिलनाडू

(ग) मेघालय (घ) मध्य प्रदेश।

उत्तर—(क) पश्चिम बंगाल।

प्रश्न 46. कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर के विलय की घोषणा की थी—

(क) 12 अक्तूबर 1947 (ख) 26 जनवरी 1948

(ग) 26 अक्तूबर 1947 (घ) 1 जुलाई 1948।

उत्तर—(ग) 26 अक्तूबर 1947।

प्रश्न 47 'आई० एस० आई०' का अभिप्राय है—

(क) भारत का खुफिया तन्त्र (ख) पाक खुफिया एजेन्सी

(ग) आतंकवादी संगठन (घ) कोई भी नहीं।

उत्तर—(ख) पाक खुफिया ऐजेन्सी।

प्रश्न 48. 'लाहौर समझौता' में समझौते के बाद युद्ध हुआ—

(क) कश्मीर का युद्ध (ख) 1965 का युद्ध

(ग) 1971 का युद्ध (घ) कारगिल का युद्ध।

उत्तर—(घ) कारगिल का युद्ध।

प्रश्न 49. श्रीनगर-लेह मार्ग किस दर्रे से होकर निकलता है?

(क) जोज़ीला दर्रे से (ख) नाथूला दर्रे से

(ग) शिपकी दर्रे से (घ) बोलन दर्रे से।

उत्तर—(क) जोज़ीला दर्रे से।

प्रश्न 50. सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, कश्मीर के—

(क) पूर्वी सीमान्त पर (ख) पश्चिमी सीमान्त पर

(ग) उत्तरी पश्चिमी सीमान्त पर (घ) उत्तरी पूर्वी सीमान्त पर।

उत्तर—(ग) उत्तरी पूर्वी सीमान्त पर।

प्रश्न 51. सियाचिन विवाद का मुख्य मुद्दा सीमा रेखा किस बिन्दु से आगे है—

(क) 24503 (ख) एन० जे० 9842

(ग) 24280 (घ) ए० जी० पी० एल०।

उत्तर—(ख) एन० जे० 9842।

प्रश्न 52. किसी राष्ट्र की सुरक्षा व हितों के लिए ज़रूरी है—

(क) तर्कसंगत रक्षा नीति (ख) परमाणु नीति

(ग) धर्म नीति (घ) राजनीति।

उत्तर—(क) तर्कसंगत रक्षा नीति।

प्रश्न 53. 'ब्रह्मोस' क्या है?

(क) अन्तरिक्ष यान (ख) भारतीय प्रक्षेपास्त्र

(ग) रॉकिट लॉन्चर (घ) भारतीय टैंक।

उत्तर—(ख) भारतीय प्रक्षेपास्त्र।

प्रश्न 54. पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता है—

(क) 500 कि० मी० (ख) 100 कि० मी०
(ग) 40 से 250 कि० मी० (घ) 1000 कि० मी०।

उत्तर—(ग) 40 से 250 कि० मी०।

प्रश्न 55. टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र का नाम है—

(क) त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र (ख) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र
(ग) अग्नि प्रक्षेपास्त्र (घ) नाग प्रक्षेपास्त्र।

उत्तर—(घ) नाग प्रक्षेपास्त्र।

प्रश्न 56. 'चिनाक' क्या है—

(क) टैंक रोधी रॉकेट (ख) सतह से सतह में मारक प्रक्षेपास्त्र
(ग) बहु-उद्देश्यीय प्रक्षेपास्त्र (घ) आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र।

उत्तर—(ग) बहु-उद्देशीय प्रक्षेपास्त्र।

प्रश्न 57. दुनिया का सर्वोच्च ऊंचा युद्ध क्षेत्र है—

(क) सियाचिन क्षेत्र (ख) बटालिक क्षेत्र
(ग) कारगिल क्षेत्र (घ) द्रास क्षेत्र।

उत्तर—(क) सियाचिन क्षेत्र।

प्रश्न 58. भारत के स्थल सीमा की कुल लम्बाई है—

(क) 12500 किमी० (ख) 14200 किमी०
(ग) 15200 किमी० (घ) 7516.5 किमी०

उत्तर—(ग) 15200 किमी०।

प्रश्न 59. भारतीय परमाणु नीति के कितने सिद्धान्त हैं?

(क) पांच सिद्धान्त (ख) आठ सिद्धान्त
(ग) दस सिद्धान्त (घ) सात सिद्धान्त।

उत्तर—(ख) आठ सिद्धान्त।

प्रश्न 60. परमाणु अप्रसार सन्धि (N.P.T.) कब प्रभावी हुई?

(क) 1 जून 1968 (ख) 5 अप्रैल 1970
(ग) 18 मई 1974 (घ) 5 मार्च 1970।

उत्तर—(घ) 5 मार्च 1970।

प्रश्न 61. भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया?

(क) 13 जून 1974 (ख) 11 मई 1974
(ग) 17 मई 1974 (घ) 13 मई 1974।

उत्तर—(ग) 17 मई 1974 (पोखरन में)।

प्रश्न 62. M. T. C. R. क्या है?

(क) Missile Technology Control Regime
(ख) Missile Technology Control Room
(ग) Missile Technology of China
(घ) Missile Technology of Russia.

उत्तर—(क) Missile Technology Control Regime

प्रश्न 63. I. C. B. M. क्या है?

(क) Inter Continental Ballestic Missile
(ख) Inter Control Big Missile
(ग) Inter Command Bari Missile
(घ) None of these.

उत्तर—(क) Inter Continental Ballestic Missile.

प्रश्न 64. 'MIND' क्या है ?

(क) Minimum India's Development
(ख) Minimum Nuclear Deterrence
(ग) Multiple Inter Nuclear Development
(घ) None of these.

उत्तर—(ख) Minimum Nuclear Deterrence.

प्रश्न 65. 'C^4' से क्या मतलब है—

(क) Command and Control
(ख) Control, Command & Computer
(ग) Command, Control, Communication and Computer
(घ) None of these.

उत्तर—(ग) Command, Control, Communication and Computer

प्रश्न 66. सी० टी० बी० टी० (C.T.B.T.) क्या है ?

(क) भारतीय प्रक्षेपास्त्र प्रणाली (ख) चीन प्रक्षेपास्त्र प्रणाली
(ग) व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (घ) अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली।

उत्तर—(ग) व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि।

प्रश्न 67. भारत ने 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किये—

(क) थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण (ख) लो थील्ट परीक्षण
(ग) फिजन परीक्षण (घ) उपर्युक्त तीनों।

उत्तर—(घ) उपयुर्क्त तीनों।

प्रश्न 68. हिरोशिमा में गिराये गये बम का नाम था—

(क) फैटमैन (ख) लिटिन ब्वाय
(ग) शान्ति दूत (घ) विस्फोट।

उत्तर—(ख) लिटिल ब्वाय।

प्रश्न 69. नागासाकी में गिराये गये बम को जाना जाता है—

(क) लिटिल ब्वाय (ख) यंग मैन
(ग) फैट मैन (घ) ओल्ड मैन।

उत्तर—(ग) फैट मैन।

प्रश्न 70. 'मिसाइल मैन ऑफ इण्डिया' के नाम से जाना जाता है—

(क) श्री संथानम (ख) डॉ० के सुब्रह्मण्यम्
(ग) डॉ० होमीगीर भाभा (घ) डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम।

उत्तर—(घ) डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम।

प्रश्न 71. 'आप्रेशन शक्ति' के नाम से जाना गया—

(क) प्रथम पोखरण परीक्षण (ख) कारगिल युद्ध
(ग) द्वितीय पोखरन परीक्षण (घ) 1971 का युद्ध।

उत्तर—(ग) द्वितीय पोखरण परीक्षण।

प्रश्न 72. भारत की परमाणु नीति का प्रमुख उद्देश्य है—

(क) शक्ति स्पर्धा बनाये रखना (ख) शक्ति सम्पन्न होना
(ग) वीटो पावर प्राप्त करना (घ) शान्ति, सहयोग, सुरक्षा व विकास।

उत्तर—(घ) शान्ति, सुरक्षा, सहयोग व विकास।

प्रश्न 73. 'अप्सरा' व 'पूर्णिमा' के नाम से जाना जाता है—

(क) भारतीय प्रक्षेपास्त्र (ख) भारतीय पनडुब्बी
(ग) भारतीय वायुयान (घ) परमाणु अनुसन्धान रियेक्टर।

उत्तर—(घ) परमाणु अनुसन्धान रियेक्टर।

प्रश्न 74. भारत में रूस के सहयोग से स्थापित परमाणु अनुसन्धान रियेक्टर है—

(क) साइरस (ख) पूर्णिमा
(ग) कहुटा (घ) अप्सरा।

उत्तर—(क) साइरस।

प्रश्न 75. भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया ?

(क) 11 मई 1974 (ख) 18 मई 1978
(ग) 18 मई 1974 (घ) 13 मई 1998।

उत्तर—(ग) 18 मई 1974।

प्रश्न 76. F.M.C.T. क्या है ?

(क) फन्डामेण्टल मिसाइल कन्ट्रोल एक्ट
(ख) फिसाइल मेटीरियल कट ऑफ ट्रिटी
(ग) फस्ट मिसाइल कन्ट्रोल टेक्नोलॉजी
(घ) इसमें कोई नहीं।

उत्तर—(ख) फिसाइल मेटीरियल कट ऑफ ट्रिटी।

प्रश्न 77. IAEA क्या है ?

(क) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेन्सी
(ग) अन्तर्राष्ट्रीय एशिया, यूरोप व अफ्रीका
(घ) उपर्युक्त में कोई नहीं।

उत्तर—(क) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी।

प्रश्न 78. अमेरिका ने भारतीय परमाणु क्षमता को कब स्वीकार किया—

(क) जून 1998 (ख) मई 2005
(ग) जुलाई 2005 (घ) 7 व 11 मई 2001।

उत्तर—(ग) जुलाई 2005।

प्रश्न 79. रक्षा मन्त्रालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है—

(क) रक्षा मन्त्री (ख) रक्षा सचिव
(ग) सर्वोच्च सेनापति (घ) स्थल सेना अध्यक्ष।

उत्तर—(ख) रक्षा सचिव।

प्रश्न 80. रक्षा मन्त्रालय के अधीन मुख्य विभागों की संख्या होती है—

(क) आठ विभाग (ख) चार विभाग
(ग) बारह विभाग (घ) दस विभाग।

उत्तर—(क) आठ विभाग।

प्रश्न 81. भारतीय संविधान की किस धारा के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति का अधिकार प्राप्त होता है ?

(क) धारा 54 (5) (ख) धारा 55 (4)
(ग) धारा 52 (3) (घ) धारा 53 (2)।

उत्तर—(घ) धारा 53 (2)।

प्रश्न 82. "The Essence of civil defence is of citizen by the citizen." की परिभाषा किसने दी ?

(क) वाई० एम० राज (ख) के० एम० श्रीवास्तव
(ग) सेठ ड्रकर (घ) जे० एफ० सी० फुलर।

उत्तर—(ग) सेठ ड्रकर।

प्रश्न 83. नागरिक रक्षा संगठन को कितने स्तरों पर विभक्त किया गया—

(क) तीन स्तर (ख) चार स्तर
(ग) पांच स्तर (घ) सात स्तर।

उत्तर—(क) तीन स्तर (स्वयं सेवी, अर्धसरकारी व सरकारी)।

प्रश्न 84. रेड क्रास किस संगठन में गिना जाता है ?

(क) अर्ध सरकारी संगठन में (ख) स्वयं सेवी संगठन में
(ग) सरकारी संगठन में (घ) इसमें से कोई नहीं।

उत्तर—(ख) स्वयं सेवी संगठन में।

प्रश्न 85. ''सैन्य कूटयोजना जनरल की वह योजना है जिसके द्वारा वह भौगोलिक रुकावटों पर विजय करता है।'' यह कथन है—

(क) सवेरस्की का (ख) जनरल वेवल का
(ग) फुलर का (घ) निडिल हार्ट का

उत्तर—(क) सवेरस्की का।

प्रश्न 86. "The geography of Land determines the Course of a battel."यह कथन है—

(क) जनरल फुलर (ख) जनरल जोमिनी का
(ग) जनरल वेवल का (घ) सवेरस्की का

उत्तर—(ख) जनरल वेवल का।

प्रश्न 87.भारत को प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है—

(क) सात क्षेत्रों में (ख) आठ क्षेत्रों में
(ग) पांच क्षेत्रों में (घ) दस क्षेत्रों में

उत्तर—सात क्षेत्रों में।

प्रश्न 88. भारत में प्रमुख पर्वतीय शृंखलायें हैं—

(क) सात शृंखलायें (ख) आठ शृंखलायें
(ग) चार शृंखलायें (घ) पांच शृंखलायें

उत्तर—(क) सात शृंखलायें।

प्रश्न 89. हिन्द महासागर की लम्बाई लगभग—

(क) 10200 किमी० (ख) 10500 किमी०
(ग) 10300 किमी० (घ) 10400 किमी०

उत्तर—(घ) 10400 किमी०।

प्रश्न 90. क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हिन्द महासागर का स्थान है—

(क) दूसरा (ख) तीसरा
(ग) पहला (घ) चौथा

उत्तर—(ख) तीसरा।

प्रश्न 91. हिन्द महासागर का कौन-सा द्वीप सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है ?

(क) डियामोमार्सिया (ख) अण्डमान
(ग) निकोबार (घ) लक्षद्वीप

उत्तर—(क) डियामोमार्सिया द्वीप।

प्रश्न 92.''जो भी देश हिन्द महासागर को नियन्त्रित करेगा वह एशिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करेगा।'' कथन किसका है ?

(क) के० एम० पान्नीकर (ख) नेपोलियन
(ग) अलफ्रेड महान् (घ) मामेन्थो

उत्तर—(ग) अलफ्रेड महान।

प्रश्न 93. डियामोमार्सिया द्वीप पर किसका अधिकार है ?

(क) सोवियत संघ का (ख) इंग्लैण्ड का
(ग) अमेरिका का (घ) फ्रांस का

उत्तर—(ग) अमेरिका का।

प्रश्न 94. निःसन्देह भारत का भविष्य सामुद्रिक शक्ति पर निर्भर होगा। हिन्द महासागर के नियन्त्रण तथा भारत के भविष्य मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। कथन है—

(क) के०वी० वैध (ख) के० एम० पन्नीकर
(ग) एन० कृष्णन् (घ) ए० टी० महान्

उत्तर—(ख) के० एस० पन्नीकर।

प्रश्न 95. डियामोमार्सिया मूल रूप से अधीन था—

(क) इंग्लैण्ड के (ख) मालद्वीप के
(ग) भारत के (घ) मारीशस के

उत्तर—(घ) मारीशस के।

प्रश्न 96. डियामोमार्सिया अमेरिका की किस कमाण्ड का हिस्सा है—

(क) उत्तरी कमाण्ड (ख) केन्द्रीय कमाण्ड
(ग) पूर्वी कमाण्ड (घ) पश्चिमी कमाण्ड

उत्तर—(ख) केन्द्रीय कमाण्ड का।

प्रश्न 97. भारत का हिन्द महासागर से व्यापार होता है लगभग—

(क) 100 प्रतिशत (ख) 50 प्रतिशत
(ग) 75 प्रतिशत (घ) 80 प्रतिशत

उत्तर—(घ) 80 प्रतिशत।

प्रश्न 98. डियामोमार्सिया द्वीप भारतीय सीमा से लगभग दूर स्थित है—

(क) 1030 किमी० (ख) 1130 किमी०
(ग) 1250 किमी० (घ) 1500 किमी०

उत्तर—(ख) 1130 किमी०।

प्रश्न 99. मारीसॅस से ब्रिटेन ने डियामोमार्सिया कब खरीदा?

(क) 12 अप्रैल 1964 (क) 10 अप्रैल 1965
(ग) 18 अप्रैल 1967 (घ) 15 अप्रैल 1966

उत्तर—(ग) 10 अप्रैल 1967।

प्रश्न 100. डियोमोमार्सिया में किस देश का सामरिक अड्डा है?

(क) अमेरिका (ख) फ्रान्स
(ग) ब्रिटेन (घ) मारीसॅस

उत्तर—(क) अमेरिका।

प्रश्न 101. हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किये जाने की घोषणा हुई।

(क) 1971 में (ख) 1972 में
(ग) 1970 में (घ) 1973 में

उत्तर—(क) 1971 में।

प्रश्न 102. डियोमोमार्सिया द्वीप का क्षेत्रफल है—

(क) 14 मील लम्बाई व 4 मील चौड़ाई (ख) 13 मील लम्बाई व 4 मील चौड़ाई
(ग) 20 मील लम्बाई व 5 मील चौड़ाई (घ) 15 माल लम्बाई व 8 मील चौड़ाई

उत्तर—(ख) 13 मील लम्बाई तथा 4 मील चौड़ाई।

प्रश्न 103. हिन्द महासागर से प्रति शक्तिशाली राष्ट्रों की बढ़ती रुचि का कारण—

(क) व्यापारिक महत्व (ख) संसाधन सम्पन्न आर्थिक क्षेत्र
(ग) सामरिक दृष्टि से संवेदनशील (घ) उपर्युक्त सभी तत्त्व।

उत्तर—(घ) उपर्युक्त सभी तत्त्व।

प्रश्न 104. 'द्विशषू' सिद्धान्त को लेकर किन राष्ट्रों का बंटवारा हुआ?

(क) भारत-पाकिस्तान (ख) पाकिस्तान-बंगलादेश
(ग) उत्तरी व दक्षिणी कोरिया (घ) पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी

उत्तर—(क) भारत व पाकिस्तान का।

प्रश्न 105. सियाचिन-विवाद किन दो राष्ट्रों के बीच है ?

(क) भारत व चीन (ख) भारत व पाकिस्तान
(ग) भारत व बंगलादेश (घ) चीन व पाकिस्तान

उत्तर—(ख) भारत व पाकिस्तान।

प्रश्न 106. तुलबुल परियोजना तनाव किन राष्ट्रों के बीच है ?

(क) पाकिस्तान-चीन (ख) भारत-बंगलादेश
(ग) भारत-पाकिस्तान (घ) भारत -नेपाल

उत्तर—(ग) भारत-पाकिस्तान।

प्रश्न 107. सरक्रीक विवाद किन राष्ट्रों के बीच है ?

(क) भारत-म्यांमार (ख) भारत व चीन
(ग) भारत-भूटान (घ) भारत व पाकिस्तान

उत्तर—(घ) भारत व पाकिस्तान।

प्रश्न 108. 'बाबर' (हल्फ-7) नामक प्रक्षेपास्त्र है—

(क) बंगलादेश का (ख) पाकिस्तान का
(ग) चीन का (घ) अफगानिस्तान का

उत्तर—(ख) पाकिस्तान का।

प्रश्न 109. नेहरू-लियाकत अली समझौता हुआ वर्ष—

(क) 1950 में (ख) 1955 में
(ग) 1951 में (घ) 1960 में

उत्तर—(क) 1950 में।

प्रश्न 110. भारत-पाक सिन्धु जल सन्धि कब सम्पन्न हुई ?

(क) 1950 में (ख) 1960 में
(ग) 1955 में (घ) 1970 में

उत्तर—(ख) 1960 में।

प्रश्न 111. किस धारा के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया ?

(क) 230 धारा (ख) 370 धारा
(ग) 730 धारा (घ) 270 धारा

उत्तर—(ख) 370 धारा।

प्रश्न 112. ताशकन्द समझौता किस युद्ध के बाद हुआ ?

(क) 1971 के युद्ध (ख) 1965 के युद्ध
(ग) 1999 के युद्ध (घ) 1964 के युद्ध

उत्तर—(ख) 1965 के युद्ध।

प्रश्न 113. 'शिमला समझौता' किस लड़ाई के बाद हुआ ?

(क) 1971 की लड़ाई में (ख) 1999 की लड़ाई में
(ग) 1948 की लड़ाई में (घ) 1965 की लड़ाई में

उत्तर—(क) 1971 की लड़ाई में।

प्रश्न 114. 'मुक्तिवाहिनी' सेना किसने खड़ी की थी ?

(क) पश्चिमी पाकिस्तान ने (ख) कश्मीर ने
(ग) पूर्वी पाकिस्तान ने (घ) उपर्युक्त में तीनों नहीं

उत्तर—(ग) पूर्वी पाकिस्तान ने।

प्रश्न 115. भारत-पाक के बीच कटुता का प्रमुख कारण—

(क) रेडक्लिफ रेखा (ख) तुलबुल विवाद
(ग) सरक्रीक समस्या (घ) सभी समस्यायें

उत्तर—(घ) सभी समस्यायें।

प्रश्न 116. ताशकन्द समझौता सम्पन्न हुआ—

(क) दिसम्बर 1965 (ख) 24 फरवरी 1966
(ग) 18 दिसम्बर 1965 (घ) 10 जनवरी 1966

उत्तर—(घ) 10 जनवरी 1966।

प्रश्न 117. शिमला समझौता भारत-पाक बीच सम्पन्न हुआ—

(क) 10 जुलाई 1972 (ख) 2 जुलाई 1972
(ग) 18 जुलाई 1972 (घ) 7 जुलाई 1972

उत्तर—(ख) 2 जुलाई 1972 को।

प्रश्न 118. लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर हुए—

(क) 12 फरवरी 1916 (ख) 12 फरवरी 1999
(ग) 21 फरवरी 1999 (घ) 10 जनवरी 1999

उत्तर—(घ) 10 जनवरी 1999।

प्रश्न 119. इस्लामिक बम अवश्य बनाना होगा किसने कहा ?

(क) जनरल जियाउलहक (ख) परवेज मुशर्रफ
(ग) बेनज़ीर भुट्टो (घ) जुल्फिकारअली भुट्टो

उत्तर—(घ) जुल्फिकार अली भुट्टो।

प्रश्न 120. सियाचिन में 1984 में चलाये गये सैनिक अभियान का नाम था—

(क) आपरेशन विजय (ख) आपरेशन क्रान्ति
(ग) आपरेशन मेघदूत (घ) आपरेशन टोपाज

उत्तर—(ग) आपरेशन मेघदूत।

प्रश्न 121. 1965 के युद्ध के समय भारतीय प्रधानमन्त्री थे—

(क) श्री जवाहर लाल नेहरू (ख) श्री लाल बहादुर शास्त्री
(ख) श्रीमती इन्दिरा गान्धी (घ) श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

उत्तर—(ख) श्री लाल बहादुर शास्त्री।

प्रश्न 122. 1965 के युद्ध के बाद ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर किये—

(क) शास्त्री व अयूब खां (ख) शास्त्री व याहिया खां
(ग) शास्त्री व भुट्टो (जुल्फिकार) (घ) नेहरू व जिन्ना

उत्तर—(क) शास्त्री व अयूब खां।

प्रश्न 123. 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे—

(क) जनरल के० एम० करिप्पा (ख) जनरल मानेक शाह
(ग) जनरल संकट राय चौधरी (घ) जनरल जे० एन० चौधरी

उत्तर—(घ) जनरल जे० एन० चौधरी।

प्रश्न 124.1965 के युद्ध में किस देश ने मध्यस्थता की ?

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका ने (ख) सोवियत संघ ने
(ग) इंग्लैण्ड ने (घ) फ्रान्स ने

उत्तर—(ख) सोवियत संघ ने।

प्रश्न 125. 'सलाल जल विद्युत् परियोजना' का समझौता कब हुआ ?

(क) 1968 में (ख) 1977 में
(ग) 1980 में (घ) 1979 में

उत्तर—(क) 1978 में।

प्रश्न 126. पाकिस्तान की पहली क्रूज़ मिसाइल का परीक्षण कब हुआ ?

(क) 14 अगस्त 2003 (ख) 11 अगस्त 2005
(ग) 12 अगस्त 2002 (घ) 13 अगस्त 2004

उत्तर—(ख) 11 अगस्त 2005।

प्रश्न 127. 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के किस जनरल ने आत्मसमर्पण किया ?

(क) जनरल टिक्का खां (ख) जनरल याहिया खां
(ग) जनरल अयूब खां (घ) जनरल नियाज़ी

उत्तर—(घ) जनरल नियाज़ी।

प्रश्न 128. 'आपरेशन टोपैक' के तहत आतंकवाद फैलाने का अभियान चलाया था—

(क) जनरल याहिया खाँ ने (ख) जनरल परवेज़ मुर्शरफ ने
(ग) जुल्फिकार अली भुट्टो ने (घ) जनरल जिया उल हक ने

उत्तर—(घ) जनरल जिया उल हक ने।

प्रश्न 129. 'आपरेशन विजय' के तहत किस युद्ध को जीता गया ?

(क) कारगिल युद्ध (ख) बंगलादेश युद्ध
(ग) 1965 का युद्ध (घ) 1948 का युद्ध

उत्तर—(क) कारगिल युद्ध।

प्रश्न 130. भारत-चीन के बीच एक मध्यवर्ती (Buffer) राष्ट्र था—

(क) नेपाल (ख) भूटान
(ग) तिब्बत (घ) कश्मीर

उत्तर—(ग) तिब्बत।

प्रश्न 131. पंचशील समझौता किसके साथ सम्पन्न हुआ ?

(क) भारत व चीन (ख) भारत-पाक
(ग) चीन व नेपाल (घ) भारत व नेपाल

उत्तर—(क) भारत व चीन।

प्रश्न 132. पंचशील समझौता सम्पन्न हुआ—

(क) 1951 में (ख) 1954 में
(ग) 1952 में (घ) 1948 में

उत्तर—(ख) 1954 में।

प्रश्न 133. 'कराकोरम' हाईवे का निर्माण कर रहे हैं—

(क) भारत व चीन (ख) पाकिस्तान व नेपाल
(ग) चीन व पाक (घ) चीन व तिब्बत

उत्तर—(ग) चीन व पाक।

प्रश्न 134. चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया—

(क) 21 अगस्त 1950 (ख) 13 अगस्त 1950
(ग) 20 अक्तूबर 1950 (घ) 7 अक्तूबर 1950

उत्तर—(घ) 7 अक्तूबर 1950।

प्रश्न 135. तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का नाम है—

(क) मैकमोहन रेखा (ख) तिब्बत रेखा
(ग) अरुणाचल रेखा (घ) पूर्वी क्षेत्र रेखा

उत्तर—(क) मैक मोहन रेखा।

प्रश्न 136. कोलम्बो सम्मेलन किस युद्ध विराम के लिए बुलाया गया ?

(क) भारत-श्रीलंका संघर्ष (ख) भारत-चीन संघर्ष
(ग) भारत-पाक संघर्ष (घ) भारत-नेपाल

उत्तर—(ख) भारत-चीन संघर्ष।

प्रश्न 137. 1962 के युद्ध के समय भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे—

(क) जनरल जे० एन० चौधरी (ख) जनरल मानेक शाँ
(ग) जनरल थापा (घ) जनरल के० एम० करिप्पा

उत्तर—(ग) जनरल थापा।

प्रश्न 138. जनवरी 2001 में भारत-चीन सम्बन्ध सुधारने में किस चीनी नेता ने पहल की ?

(क) चाऊ एन-लाई (ख) ली फंग

(ग) जियांग जेमिन (घ) जू रोंग्जी

उत्तर—(ख) ली फंग ने।

प्रश्न 139. भारत-चीन मतभेद का प्रमुख कारण रहा—

(क) कश्मीर समस्या (ख) सीमा विवाद

(ग) तिब्बत की समस्या (घ) पाक-चीन गुप्त सन्धि

उत्तर—(घ) पाक-चीन गुप्त सन्धि।

प्रश्न 140. भारत-चीन युद्ध में भारत की सहायता व हस्तक्षेप किया—

(क) अमेरिका ने (ख) सोवियत संघ ने

(ग) नेपाल ने (घ) श्रीलंका ने

उत्तर—(क) अमेरिका ने।

प्रश्न 141. 'नाथूला दर्रा' किन दो देशों के बीच है—

(क) भारत-नेपाल (ख) भारत-भूटान

(ग) भारत-चीन (घ) भारत-पाकिस्तान

उत्तर—(ग) भारत-चीन।

प्रश्न 142. चीन-पाकिस्तान का कौन-सा नौ सैनिक अड्डा विकसित कर रहा है—

(क) कच्छ (ख) कराची

(ग) तुलबुल (घ) ग्वादर

उत्तर—(घ) ग्वादर द्वीप।

प्रश्न 143. संसार की छत किसे कहा जाता है ?

(क) कश्मीर को (ख) सियाचीन को

(ग) तिब्बत को (घ) चीन को

उत्तर—(ग) तिब्बत को।

144. संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है—

(क) चीन (ख) अमेरिका

(ग) भारत (घ) रूस

उत्तर—(क) चीन।

145. चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के नम्बर में आता है—

(क) दूसरे (ख) तीसरे

(ग) पहले (घ) चौथे

उत्तर—(ख) तीसरे।

146. चीन को आज़ादी कब मिली—

(क) 2 अक्तूबर, 1948 (ख) 1 अक्तूबर, 1945

(ग) 1 अक्तूबर, 1949 (घ) 2 अक्तूबर, 1942

उत्तर—(ग) 1 अक्तूबर, 1949।

147. चीन के प्रधानमन्त्री का नाम है—

(क) हो जिनटाओ (ख) माओ त्से तुंग

(ग) चाऊ-एन-लाई (घ) वेन जिया बाओ

उत्तर—(घ) वेन जिया बाओ।

148. तिब्बत की राजधानी है—

(क) ल्हासा (ख) बीजिंग

(ग) तपांग (घ) लोगंजू

उत्तर—(ख) ल्हासा

149. 34 वर्षों बाद किस भारतीय प्रधानमन्त्री ने दिसम्बर 1988 में चीन की यात्रा की और सम्बन्धों को नयी दिशा दी—

(क) श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ख) श्री नरसिंह राव

(ग) श्री इन्द्रकुमार गुजराल (घ) श्री राजीव गान्धी

उत्तर—(घ) श्री राजीव गान्धी।

150. सर्वप्रथम बांग्लादेश को मान्यता किसने दी—

(क) पाकिस्तान ने (ख) भारत ने
(ग) चीन ने (घ) संयुक्त राष्ट्र संघ ने

उत्तर—(ख) भारत ने।

151. बांग्लादेश को राष्ट्र के रूप में राजनैतिक मान्यता मिली—

(क) 06 दिसम्बर, 1971 को (ख) 10 दिसम्बर, 1971
(ग) 30 जनवरी, 1972 (घ) 11 दिसम्बर, 1971

उत्तर—(क) 6 दिसम्बर 1971।

152. भारत व बांग्लादेश के मध्य 25 वर्षीय मित्रता व सहयोग सन्धि हुई—

(क) 15 मार्च, 1972 (ख) 19 मार्च, 1972
(ग) 6 फरवरी, 1972 (घ) 17 फरवरी, 1972

उत्तर—(ख) 19 मार्च 1972।

153. बांग्लादेश के प्रथम प्रधान थे—

(क) बेगम खालिदा जिया (ख) शेख हसीना
(ग) इजायुद्दीन अहमद (घ) शेख मुजीबुर्रहमान

उत्तर—(घ) शेख मुजीबुर्रहमान।

154. बांग्लादेश तीन ओर से घिरा हुआ है—

(क) भारत से (ख) भूटान से
(ग) नेपाल से (घ) म्यांमार से

उत्तर—(क) भारत से।

155. फरक्का विवाद किन देशों के बीच तनाव का कारण है—

(क) भारत-पाक (ख) चीन-भारत
(ग) भारत-बांग्लादेश (घ) भारत-नेपाल

उत्तर—(ग) भारत-बांग्लादेश।

156. न्यू मूर द्वीप विवाद किन देशों के बीच तनाव का कारण बना—

(क) भारत-नेपाल (ख) भारत-श्रीलंका
(ग) भारत-पाकिस्तान (घ) भारत-बांग्लादेश

उत्तर—(घ) भारत व बांग्लादेश।

157. बांग्लादेश घुसपैठ किस राष्ट्र के लिए एक चुनौती है—

(क) भारत के लिए (ख) नेपाल के लिए
(ग) भूटान के लिए (घ) म्यांमार के लिए

उत्तर—(क) भारत के लिए।

158. तीन बीघा विवाद किन दो देशों के बीच रहा—

(क) भारत-पाकिस्तान (ख) भारत-बांग्लादेश
(ग) भारत-नेपाल (घ) भारत-चीन

उत्तर—(ख) भारत-बांग्लादेश।

159. पूर्वोत्तर राज्यों के आतंकवादियों के शिविर स्थापित हैं—

(क) पाकिस्तान में (ख) बांग्लादेश में
(ग) भूटान में (घ) म्यांमार में

उत्तर—(ख) बांग्लादेश में।

160. पिरदीवाह काण्ड (2001) क्या था—

(क) बी० एस० एफ० के 16 जवानों की हत्या (ख) बी० डी० आर० से मुठभेड़

(ग) असम में घुसपैठ (घ) सीमा विवाद

उत्तर—(क) बी० एस० एफ० के 16 जवानों की हत्या।

161. बांग्लादेश की राजधानी है—

(क) राजशाही (ख) ढाका

(ग) सिलहट (घ) चटगांव

उत्तर—(ख) ढाका।

162. भारत-बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ ?

(क) 29 सितम्बर, 1977 (ख) 20 अप्रैल, 1976

(ग) 18 अप्रैल, 1975 (घ) 26 सितम्बर, 1977

उत्तर— (घ) 26 सितम्बर 1977।

163. चकमा शरणार्थी समस्या का सम्बन्ध है—

(क) पाकिस्तान से (ख) म्यांमार से

(ग) बांग्लादेश से (घ) भूटान से

उत्तर—(ग) बांग्लादेश से।

164. शिमला समझौता कब सम्पन्न हुआ—

(क) 3 जुलाई, 1972 (ख) 10 जुलाई, 1971

(ग) 14 जुलाई, 1972 (घ) 14 दिसम्बर, 1971

उत्तर—(क) 3 जुलाई 1972।

165. श्रीलंका को स्वतन्त्रता कब प्राप्त हुई—

(क) वर्ष 1947 में (ख) वर्ष 1950 में

(ग) वर्ष 1948 में (घ) वर्ष 1949 में

उत्तर—(ग) वर्ष 1948 में

166. भारत-श्रीलंका शान्ति समझौता कब सम्पन्न हुआ?

(क) 30 जून, 1987 (ख) 29 जुलाई, 1987

(ग) 30 मई, 1987 (घ) 29 जुलाई, 1978

उत्तर—(ख) 29 जुलाई 1987।

167. लिट्टे (LTTE) का अर्थ है—

(क) Liberation Tigers of Tamil Elem (ख) Little Tamil Tiger Elem

(ग) Light Tank and Tamil Elem (घ) None of these

उत्तर—(क) Liberation Tigers of Tamil Elem.

168. तमिल समस्या के समाधान हेतु भारत ने श्रीलंका में शान्ति सेना भेजी—

(क) जुलाई 1985 (ख) जुलाई 1986

(ग) जुलाई 1987 (घ) जुलाई 1988

उत्तर—(ग) जुलाई 1987।

169. 'हिन्द महासागर का मोती' किस द्वीप को कहा जाता है?

(क) श्रीलंका को (ख) दियागोमार्सिया को

(ग) मॉरीशस को (घ) भारत को

उत्तर—(ग) श्रीलंका को।

170. तमिल-सिहंली विवाद किससे सम्बन्धित है—

(क) नेपाल से (ख) भूटान से

(ग) श्रीलंका (घ) म्यांमार से

उत्तर—(ग) श्रीलंका से।

171. 29 जुलाई, 1987 श्रीलंका-भारत समझौते में भारतीय प्रधानमन्त्री थे—

(क) श्रीमती इन्दिरा गान्धी (ख) श्री राजीव गान्धी

(ग) श्री नरसिंह राव (घ) डॉ० मनमोहन सिंह

उत्तर—(ख) श्री राजीव गान्धी।

172. जुलाई 1987 के श्रीलंका-भारतीय समझौते में श्रीलंका की ओर से हस्ताक्षर किये—

(क) श्रीमती भण्डारनायके (ख) श्री प्रेमदासा

(ग) डी० वी० विजय तुंगे (घ) श्री जुलियस जयबर्द्धने

उत्तर—(घ) श्री जुलियस जयबर्द्धने को।

173. "Indian Peace keeping Force" ने सहयोग दिया—

(क) नेपाल को (ख) श्रीलंका।

(ग) अफ़गानिस्तान को (घ) म्यांमार को

उत्तर—(ख) श्रीलंका को।

174. प्रभाकर का सम्बन्ध है—

(क) श्रीलंका के लिट्टे से (ख) पाक आॅई-एस-आई से

(ग) नेपाल के माओवादी से (घ) नक्सलवादी गुट से

उत्तर—(क) श्रीलंका के लिट्टे से।

175. भारत एवं चीन के बीच Buffer state के रूप में स्थित है —

(क) बांग्लादेश (ख) भूटान

(ग) तिब्बत (घ) नेपाल

उत्तर—(घ) नेपाल।

176. विश्व में एकमात्र हिन्दू राष्ट्र है—

(क) नेपाल (ख) मॉरीशस

(ग) श्रीलंका (घ) भारत

उत्तर—(क) नेपाल

177. भारत एवं नेपाल के बीच 'शान्ति एवं मैत्री सन्धि' हुई—

(क) 14 जुलाई, 1955 (ख) 30 जुलाई, 1950

(ग) 10 जुलाई, 1950 (घ) 15 जनवरी, 1950

उत्तर—(ख) 30 जुलाई 1950 को।

178. आधुनिक नेपाल के निर्माता के रूप में जाना जाता है—

(क) गिरजा प्रसाद कोईराला को (ख) महाराजा वीरेन्द्र विक्रमशाह

(ग) ज्ञानेन्द्र वीर विक्रमशाह (घ) पृथ्वी नारायण शाह

उत्तर—(घ) पृथ्वी नारायण शाह को

179. भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित देश सामरिक देश से अप्रत्यक्ष महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील है—

(क) भूटान (ख) चीन

(ग) म्यांमार (घ) नेपाल

उत्तर—(घ) नेपाल

180. 1962 के भारत-चीन युद्ध में नेपाल ने नीति अपनायी—

(क) तटस्थता (ख) सहभागिता की

(ग) दूरस्थ (घ) सहयोग की

उत्तर—(क) तटस्थता की

181. जनवरी 1966 में नेपाल के प्रधानमन्त्री बने—

(क) शेर बहादुर देउबा (ख) सूर्य बहादुर थापा

(ग) भट्टाराई (घ) गिरजा प्रसाद कोईराला

उत्तर—(ख) सूर्य बहादुर थापा

182. वर्ष 1972 में राजा महेन्द्र के निधन के बाद राजा बने—

(क) जीतेन्द्र वीर विक्रमशाह (ख) वीरेन्द्र वीर विक्रमशाह

(ग) दीवेन्द्र वीर विक्रमशाह (घ) ज्ञानेन्द्र वीर विक्रमशाह

उत्तर—(ख) वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह

183. नेपाल भारत व चीन के साथ सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्ध विकसित करना चाहता है—

(क) घनिष्ठता सिद्धान्त (ख) सहयोग सिद्धान्त

(ग) समदूरी सिद्धान्त (घ) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(ग) समदूरी सिद्धान्त

184. माओवादी संगठन सक्रिय है—

(क) चीन में (ख) भारत में

(ग) नेपाल में (घ) श्रीलंका में

उत्तर—(ग) नेपाल में

185. नेपाल में सक्रिय रूप से शिकंजा कस रहा है—

(क) पी० डब्लू० जी० (ख) आई० एस० आई०

(ग) पाकिस्तान (घ) माओवादी संगठन

उत्तर—(ख) आई० एस० आई

186. नेपाल से भारत के प्रान्त सटे हुए हैं—

(क) पांच (ख) सात

(ग) चार (घ) तीन

उत्तर—(ग) चार (उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम)

187.'महाकाली सन्धि' से किन देशों को नया आयाम मिला—

(क) भारत-नेपाल (ख) भारत-बांग्लादेश

(ग) भारत-पाकिस्तान (घ) भारत-म्यांमार

उत्तर—(क) भारत-नेपाल

188. नेपाल का ऐसा नरेश कौन था, जिसने एक दिन भी शासन नहीं किया—

(क) पृथ्वी नारायण शाह (ख) महेन्द्र विक्रमशाह

(ग) रण बहादुर शाह (घ) वीरेन्द्र वीर विक्रमशाह

उत्तर—(घ) वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह।

189. शारदा वैराज समझौता भारत ने किया—

(क) बांग्लादेश के साथ (ख) नेपाल के साथ

(ग) पाकिस्तान के साथ (घ) भूटान के साथ

उत्तर—(ख) नेपाल के साथ।

190. भारत-नेपाल सम्बन्धों में तनाव का कराण है—

(क) भारत द्वारा उत्पीड़न (ख) माओवादी गतिविधियां

(ग) नेपाल-चीन मैत्री (घ) पाकिस्तानी (हस्तक्षेप)

उत्तर—(ग) नेपाल-चीन मैत्री।

191.'महाकाली नदी सन्धि' में भारतीय प्रधानमन्त्री ने हस्ताक्षर किये—

(क) वी० पी० सिंह (ख) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(ग) नरसिंह राव (घ) श्री इन्द्रकुमार गुजराल

उत्तर—(घ) श्री इन्द्र कुमार गुजराल।

192. संसद् में कहा था 'नेपाल पर किया गया विदेशी आक्रमण का अर्थ होगा भारत पर किया गया आक्रमण।'

(क) श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने (ख) पं० जवाहर लाल नेहरू ने

(ग) श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने (घ) श्री राजीव गान्धी ने

उत्तर—(ख) पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने।

193. नेपाल के नरेश ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह ने सत्ता सम्भाली—

(क) 4 जून, 2001 को (ख) 1 जून, 2002
(ग) 4 जून, 2002 (घ) 2 जून, 2001

उत्तर—(क) 4 जून 2001 को ।

194. अफ़गानिस्तान का एक राज्य है —

(क) पूर्वी एशिया (ख) पश्चिमी एशिया
(ग) मध्य एशिया (घ) दक्षिण एशिया

उत्तर—(ग) मध्य एशिया।

195. अहमद शाह दुर्रानी ने वर्ष में पृथक् अफ़गानिस्तान राज्य की स्थापना की।

(क) 1745 में (ख) 1747 में
(ग) 1748 में (घ) 1750 में

उत्तर—(ख) 1747 में।

196. 1978 में किस सेना ने विद्रोह कर मार्क्सवादी पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना की ?

(क) अहमद शाह ने (ख) बुरहानुद्दीन ने
(ग) हेकमतयार ने (घ) नूर तराकी ने

उत्तर—(घ) नूर तराकी ने।

197. लेफ्टीनेण्ट जनरल नजीबुल्ला वर्ष में राष्ट्रपति बने—

(क) 1986 में (ख) 1988 में
(ग) 1987 में (घ) 1985 में

उत्तर—(क) 1986 में।

198. 1988 के समझौते के अनुसार वर्ष में सोवियत संघ की सेनायें वापस लौटीं—

(क) 1988 में (ख) 1989 में
(ग) 1990 में (घ) 1991 में

उत्तर—(ख) 1989 में।

199.1 फरवरी, 1989 में के नेतृत्व में सैन्य परिषद् का मान किया गया—

(क) नूर तराकी (ख) अहमदशाह दुर्रानी
(ग) मुलबुद्दीन हेकमतयार (घ) नजीबुल्लाह

उत्तर—(घ) नजीबुल्लाह।

200. एरियाना के नाम से आरम्भ में जाना जाता था—

(क) श्रीलंका (ख) नेपाल
(ग) अफ़गानिस्तान (घ) भारत

उत्तर—(ग) अफ़गानिस्तान।

201. 27 सितम्बर 1996 को बिना किसी प्रतिरोध के काबुल शहर पर कब्ज़ा कर लिया—

(क) अमेरिका ने (ख) रूसी सेनाओं ने
(ग) इंग्लैण्ड ने (घ) ताकिबान ने

उत्तर—(घ) ताकिबान ने।

202. सोवियत संघ ने अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए 27 दिसम्बर 1979 को अपनी सेनायें तैनात कर दीं। —

(क) पाकिस्तान में (ख) अफ़गानिस्तान में
(ग) पोलैण्ड में (घ) नेपाल में

उत्तर—(ख) अफ़गानिस्तान में।

203. अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को यूनाइटेड अरब अमीरात ने केवल मान्यता दी—

(क) पाकिस्तान (ख) इराक
(ग) बांग्लादेश (घ) कुवैत

उत्तर—(क) पाकिस्तान।

204. नवम्बर 2001 में उत्तरी गठबन्धन ने के सहयोग से तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका। —

(क) रूस के (ख) पाकिस्तान के
(ग) अमेरिका के (घ) अलकायदा के

उत्तर—(ग) अमेरिका के।

205. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व का सबसे अविकसित देश—

(क) पाकिस्तान (ख) अफ़गानिस्तान
(ग) अफ्रीका (घ) ऑस्ट्रेलिया

उत्तर—(ख) अफ़गानिस्तान

206. अफ़गानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं—

(क) हामिद करजाई (ख) हाजी अब्दुल कादिर
(ग) मोहम्मद ज़हीर शाह (घ) इसमें से कोई नहीं

उत्तर—(क) हामिद करज़ाई।

207. बमियान घाटी के अधीन कर दी गयी —

(क) अमेरिका (ख) यूनेस्को
(ग) इंग्लैण्ड (घ) फ्रान्स

उत्तर—(ख) यूनेस्को।

208. अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है—

(क) पशुधन (ख) व्यापार
(ग) कृषि (घ) ऊर्जा संरक्षण

उत्तर—(ग) कृषि।

209. 11 अगस्त, 2003.................ने अन्तर्राष्ट्रीय 5000 शान्ति सैनिक दल की कमाण्ड अपने हाथ में ले ली। —

(क) सीटो ने (ख) सेण्टो ने
(ग) नाटो ने (घ) अमेरिका ने

उत्तर—(ग) 'नाटो'।

210. "आधुनिक युद्ध युद्धकला की अपेक्षा आर्थिक तत्त्व से अधिक प्रभावित होता है। कथन है"

(क) जी ग्रोथर (ख) सर जॉन सीमन
(ग) जे० एफ० सी० फुलर (घ) जनरल जोयिनी

उत्तर—(क) जी ग्रोथर का।

211. "वित्त रक्षा की चौथी भुजा है वह तीन भुजाओं की अपेक्षा यह किसी भी प्रकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।" कथन है—

(क) जे० एफ० सी० फुलरा (ख) सर जॉन सीमन
(ग) चाणक्य (घ) मैक्यावली

उत्तर—(ख) सर जॉन सीमन।

212. "आधुनिक युद्ध रण क्षेत्र में न लड़े जाकर देश के खानों व कारखानों में लड़े जाते है" कथन है—

(क) जी ग्रोथर (ख) हिटलर
(ग) जे० एफ० सी० फुलर (घ) नेपोलियन

उत्तर—(ग) जे० एफ० सी० फुलर।

213. किसी भी देश की वित्त व्यवस्था उसके संचालन में काम करती है—

(क) सहयोगी भुजा (ख) शक्ति का
(ग) हथियार का (घ) रीढ़ की हड्डी

उत्तर—(घ) रीढ़ की हड्डी।

214. युद्ध के समय अतिरिक्त धनराशि जुटाने के लिए कर व्यवस्था की कितनी विधियां उपयोग की जाती हैं—

(क) चार (ख) दो
(ग) पांच (घ) तीन

उत्तर—(ख) दो (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष)।

215. युद्ध के समय वित्त व्यवस्था को जुटाने के लिए कितने प्रकार से ऋण (कर्ज़) लिया जाता है—

(क) दो (ख) चार
(ग) तीन (घ) पांच

उत्तर—(क) दो (आन्तरिक एवं बाह्य)।

216. जब धन मात्रा में अधिक बढ़ जाता है तथा वस्तुएं कम उत्पादन के कारण घट जाती हैं, तो उस स्थिति को मुद्रा स्फीति (Inflation of Money) कहा जाता है'' उक्त परिभाषा है—

(क) सर जोन सीमन की (ख) जी ग्रोथर की
(ग) जे० एफ० सी० फुलर की (घ) केमरर की

उत्तर—(घ) केमरर की।

217. युद्ध के समय संसाधनों की लाभबन्दी (Mobilization) अधिकांश इसके प्रभाव डालती है—

(क) अनुकूल (ख) समकूल
(ग) प्रतिकूल (घ) कोई नही

उत्तर—(ग) प्रतिकूल।

218. युद्धकालीन वित्त व्यवस्था से सम्पूर्ण राष्ट्र का ढांचा प्रभावित होता है—

(क) प्रत्यक्ष (ख) अप्रत्यक्ष
(ग) परोक्ष (घ) कोई नहीं

उत्तर—(क) प्रत्यक्ष।

219. युद्ध के दौरान विकास के साथ-साथ-की प्रक्रिया में भी तेज़ी आती है—

(क) प्रगति (ख) विनाश
(ग) सुरक्षा (घ) आक्रमण

उत्तर—(ख) विनाश।

220. युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्र की शक्ति की परीक्षा होती है —

(क) सैनिक (ख) आर्थिक
(ग) राजनयिक (घ) समस्त

उत्तर—(घ) समस्त।

221. युद्ध की लागत का अनुमान मुख्य रूप से दो तत्त्वों के आधार पर लगाया जाता है। पहला-मानवशक्ति तथा—

(क) कूटनीतिक शक्ति (ख) मनोवैज्ञानिक शक्ति
(ग) भौतिक शक्ति (घ) राजनीतिक शक्ति

उत्तर—(ग) भौतिक शक्ति

222."The Real Cost of war" पुस्तक की रचना की है:—

(क) अर्मत्य सेन (ख) जे० के० हार्सफील्ड
(ग) जे० एफ० सी० फुलर (घ) जी ग्रोथर

उत्तर—(ख) जे० के० हार्सफील्ड।

223. दुनिया भर से सबसे अधिक रक्षा खर्च कर रहा है—

(क) अमेरीका (ख) रूस
(ग) चीन (घ) पाकिस्तान

उत्तर—(क) अमेरिका।

224. वास्तविकता यह है कि युद्ध की लागत प्रत्येक देश की इतनी अधिक है कि कुल बजट का अधिकांश भाग में लगाया जाता है—

(क) रक्षा उपकरणों व हथियारों (ख) विज्ञान व तकनीकी प्रगति
(ग) संसाधन जुटाने (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(क) रक्षा उपकरणों व हथियारों।

225. भारत की तुलना में चीन तथा .... का रक्षा बजट बहुत अधिक है—

(क) बांग्लादेश (ख) पाकिस्तान
(ग) श्रीलंका (घ) नेपाल

उत्तर—(ख) पाकिस्तान।

226. युद्ध के समय किसी देश द्वारा, जिन साधनों को युद्ध की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गतिशील बनाना होता है वह है वित्तीय संसाधन तथा —

(क) वास्तविक संसाधन (ख) प्रगति संसाधन
(ग) उत्पादन संसाधन (घ) कोई नहीं

उत्तर—(क) वास्तविक संसाधन।

227. "*आर्थिक दृष्टिकोण से युद्ध में आधुनिक साधनों की व्यवस्था गतिशीलता के सन्दर्भ में एक आवश्यकता है।*" कथन है—

(क) जनरल फुलर (ख) आर० के०
(ग) राबिन्स (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(ग) राबिन्स।

228. वित्तीय संसाधन के अन्तर्गत साधन आते हैं कराधान, ऋण प्रणाली, मुद्रास्फीति तथा........... —

(क) दान लेना (ख) ऐच्छिक चन्दा
(ग) भूमि अधिग्रहण (घ) कोई भी नहीं

उत्तर—(ख) ऐच्छिक चन्दे।

229. भारत-पाक के तुलनात्मक रक्षा बजट में सकल घरेलू उत्पादक ज़्यादा खर्च करता है—

(क) दोनों बराबर (ख) भारत
(ग) पाकिस्तान (घ) कोई नहीं

उत्तर—(ग) पाकिस्तान।

230. वित्तीय व्यवस्था करना सरकार का एक कार्य है—

(क) महत्त्वपूर्ण (ख) साधारण
(ग) सामान्य (घ) असामान्य

उत्तर—(क) महत्त्वपूर्ण।

231. किसी भी देश का रक्षा बजट उसके भौगोलिक आकार एवं ....को ध्यान में रखकर तय किया जाता है—

(क) सामरिक परिवेश (ख) शैक्षिक परिवेश
(ग) राजनीतिक परिवेश (घ) मनोवैज्ञानिक परिवेश

(क) सामरिक परिवेश।

232. भारतीय स्थल सेना की सैनिक संख्या 11 लाख के मुकाबले पाकिस्तान की सैनिक संख्या है—

(क) 6.35 लाख सैनिक (ख) 6.56 लाख सैनिक
(ग) 6.48 लाख सैनिक (घ) 5.65 लाख सैनिक

उत्तर—(घ) 5.65 लाख सैनिक।

233. पाकिस्तान के सुरक्षित सुरक्षा बल 5.216 लाख के मुकाबले भारत का सुरक्षित सुरक्षा बल है —

(क) 9 लाख सैनिक (ख) 10 लाख सैनिक
(ग) 12 लाख सैनिक (घ) 15 लाख सैनिक

उत्तर—(ग) 10 लाख सैनिक।

234. पाकिस्तान का रक्षा व्यय 2004-05 में अपने जी० डी० पी० का प्रतिशत रहा—

(क) 4.5 प्रतिशत (ख) 5.4 प्रतिशत
(ग) 4.7 प्रतिशत (घ) 4.32 प्रतिशत

उत्तर—(ग) 4.7 प्रतिशत।

235. भारत का रक्षा व्यय 2004-2005 में अपने जी० डी० पी० का कुल प्रतिशत रहा—

(क) 2.3 प्रतिशत (ख) 2.46 प्रतिशत
(ग) 3.2 प्रतिशत (घ) 4.26 प्रतिशत

उत्तर—(क) 2.3 प्रतिशत।

236. ब्रह्मोस सुपर सोनिक प्रक्षेपास्त्र के मुकाबले पाकिस्तान ने प्रक्षेपास्त्र तैनात किया है—

(क) गौरी प्रक्षेपास्त्र (ख) शाहीन प्रक्षेपास्त्र

(ग) गज़नवी प्रक्षेपास्त्र (घ) बाबर (हत्फ-VII) प्रक्षेपास्त्र

उत्तर—(घ) बाबर (हत्फ-VII) प्रक्षेपास्त्र

237. पाकिस्तान क्रूज़ प्रक्षेपास्त्र बाबर के मुकाबले शक्तिशाली है, भारतीय प्रक्षेपास्त्र—

(क) अरन प्रक्षेपास्त्र (ख) ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र

(ग) आकाश प्रक्षेपास्त्र (घ) अग्नि-III प्रक्षेपास्त्र

उत्तर—(ख) ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र।

238. अमेरिका द्वारा भारत की परमाणु शक्ति सम्पन्नता को मानने से सबसे ज्यादा बुरा लगा—

(क) चीन को (ख) पाकिस्तान को

(ग) इंग्लैण्ड को (घ) रूस को

उत्तर—(ख) पाकिस्तान को।

239. सामरिक शस्त्र परिसीमन सन्धि (SALT-I) प्रथम प्रभावी हुई —

(क) मई 1972 में (ख) मई 1975 में

(ग) जून 1971 में (घ) मई 1972 में

उत्तर—(ग) जून 1971 में।

240. सामरिक शस्त्र परिसीमन सन्धि दो (SALT-II) प्रभावी हुई—

(क) वर्ष 1972 में (ख) वर्ष 1947 में

(ग) वर्ष 1979 में (घ) वर्ष 1975 में

उत्तर—(ग) वर्ष 1979 में।

241. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि है—

(क) SALT-I (ख) (SALT-II)

(ग) CTBT (घ) START

उत्तर—(ग) CTBT ।

242. रासायनिक हथियार निषेध सन्धि प्रभावी हुई—

(क) अप्रैल 1997 से (ख) जून 1983 से

(ग) अप्रैल 1993 से (घ) अप्रैल 1987 से

उत्तर—(क) अप्रैल 1997 से ।

243. 'आप्रेशन विजय' का सम्बन्ध है—

(क) पूर्वोत्तर राज्यों के अभियान से (ख) कारगिल युद्ध से

(ग) 1971 के युद्ध से (घ) 1965 के युद्ध से

उत्तर—(ख) कारगिल युद्ध से।

244. पाकिस्तान का प्रमुख बन्दरगाह है—

(क) सिन्धु (ख) सियाचिन

(ग) ग्वादर (घ) कराची

उत्तर—(घ) कराची।

245. तुलबुल नौ सैनिक परियोजना का सम्बन्ध है—

(क) चीन से (ख) पाकिस्तान से

(ग) म्यांमार से (घ) नेपाल से

उत्तर—(ख) पाकिस्तान से।

246. सरक्रीक विवाद का सीधा सम्बन्ध है—

(क) चीन के साथ (ख) बांग्लादेश के साथ

(ग) पाकिस्तान से (घ) म्यांमार के साथ

उत्तर—(ग) पाकिस्तान से।

247. सी० बी० एम० (C.B.M.) से अभिप्राय है—

(क) विश्वास करने के उपाय (ख) कन्टीनेण्टल बैस्टिक मिसाइल
(ग) करेण्ट बैलेस्टिका मिसाइल (घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर—(क) विश्वास करने के उपाय (Confidence Building Measures) ।

248. NZ-9842 का सम्बन्ध है—

(क) पाकिस्तान का कोड नम्बर (ख) पर्वत की एक शृंखला
(ग) सियाचिन सीमा रेखा (घ) सियाचिन की चोटी

उत्तर—(ग) सियाचिन सीमा रेखा।

249. 7 जुलाई, 2005 को कहा भीषण विस्फोट आतंकवादियों ने —

(क) इंग्लैण्ड में (ख) अयोध्या में
(ग) अमेरिका में (घ) मिस्र में

उत्तर—(क) इंग्लैण्ड में।

250. पाकिस्तान की वास्तविकता विकास दर प्रति है—

(क) 5.6 प्रतिशत (ख) 5.5 प्रतिशत
(ग) 6.5 प्रतिशत (घ) 5.4 प्रतिशत

उत्तर—(ख) 5.5 प्रतिशत।

251. भारत की वास्तविक विकास दर प्रतिशत है—

(क) 7.8 प्रतिशत (ख) 5.8 प्रतिशत
(ग) 8.5 प्रतिशत (घ) 8.3 प्रतिशत

उत्तर—(घ) 8.3 प्रतिशत।

252. अमेरिका ने पाकिस्तान को युद्ध विमान देने घोषणा की—

(क) मिग-29 विमान (ख) एफ-16 विमान
(ग) मिराज-2000 विमान (घ) मिग-27 विमान

उत्तर—(ख) एफ-16 विमान।

253. वर्ष 2005-2006 का भारत का रक्षा बजट है—

(क) 65000 करोड़ (ख) 77000 करोड़
(ग) 83000 करोड़ (घ) 75000 करोड़

उत्तर—(ग) 83000 करोड़।

254. भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का प्रतिशत है—

(क) 12 प्रतिशत (ख) 15 प्रतिशत
(ग) 8 प्रतिशत (घ) 16 प्रतिशत

उत्तर—(घ) 16 प्रतिशत।

255. विश्व भर में रक्षा मे जो राशि व्यय होती है उसमें भारत का अंश है—

(क) 1.5 प्रतिशत (ख) 2.3 प्रतिशत
(ग) 1.78 प्रतिशत (घ) 2.4 प्रतिशत

उत्तर—(क) 1.5 प्रतिशत मान।

256. चीन की तुलना में भारत का जी० डी० पी० रक्षा बजट अनुपात है—

(क) 40 प्रतिशत (ख) 50 प्रतिशत
(ग) 30 प्रतिशत (घ) 60 प्रतिशत

उत्तर—(ख) आधा यानि 50 प्रतिशत।

257. पाकिस्तान की तुलना में भारत का जी० डी० पी० में रक्षा बजट अनुपात —

(क) 30 प्रतिशत (ख) 50 प्रतिशत
(ग) 40 प्रतिशत (घ) 20 प्रतिशत

उत्तर—(ग) 40 प्रतिशत।

258. आज भी अल्पविकसित एवं ग़रीब देशों की श्रेणी में —

(क) चीन (ख) नेपाल
(ग) भारत (घ) पाकिस्तान

उत्तर—(घ) पाकिस्तान।

राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रश्न
(Important Questions)

1. **राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा कीजिए तथा किसी राष्ट्र की सुरक्षा में राष्ट्रीय हितों की भूमिका को समझाइए।**
2. **"राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं।" समीक्षा कीजिए।**
3. रक्षा एवं सुरक्षा के अन्तर को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित सारभूत कारकों के अध्ययन, मनन एवं चिन्तन की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए।
4. राष्ट्रीय शक्ति या सत्ता क्या है ? इसके मूल तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
5. राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त्त एवं अमूर्त्त तत्त्वों का विश्लेषण कीजिए। क्या कोई एक या दो तत्त्व स्वयं में राष्ट्रीय शक्ति के परिचायक हो सकते हैं ? उदाहरण देते हुए व्यक्त कीजिए।
6. भारत के विशेष, सन्दर्भ में राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्वों पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
7. "विश्व की सत्ता पद्धति में जो भी परिवर्तन हुए हैं वे दोनों महाशक्तियों के ही कारण हुए।" समीक्षा कीजिए।
8. किसी भी देश की सुरक्षा समस्याओं के सन्दर्भ में सत्ता पद्धतियों के विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
9. "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सत्ता या शक्ति के लिए संघर्ष का ही एक रूप है।" समीक्षा कीजिए।
10. "भारत की थलीय एवं समुद्री सीमाएं उसे सुरक्षा भी देती थीं और उस पर आक्रमण के मार्ग भी।" उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
11. भारतीय सीमान्त में विभिन्न प्रकार के भू-भाग होने के कारण उसकी सुरक्षा योजना में कठिन समस्याएं आती रही हैं। इस कथन पर सोदाहरण विवेचना कीजिए।
12. कूटनीतिक दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्र भारत के लिए सर्वाधिक महत्त्व का है ? विवेचना कीजिए।
13. भारत की वर्तमान अवस्थिति, भू-भाग एवं सीमान्त ने ब्रिटिश भारत के मुकाबले कठिन सुरक्षा समस्याएं उत्पन्न की हैं। इस कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिए।
14. "जो कोई हिन्द महासागर पर नियन्त्रण करेगा उसी का एशिया पर प्रभुत्व होगा। यह सागर सात समुद्रों की कुंजी है। इक्कीसवीं शताब्दी में विश्व का भविष्य इसी सागर में निश्चित होगा।" इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
15. हिन्द महासागर में महाशक्तियों, चीन, पाश्चात्य औद्योगिक देशों तथा महासागर के तटीय देशों के कूटनीतिक उद्देश्य क्या हैं ? विवेचना कीजिए और बताइए कि भारत बिना अपने सुरक्षा हितों को हानि पहुंचाए महाशक्तियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा को कैसे रोक सकता है ?
16. "भारत का अस्तित्व निःसन्देह हिन्द महासागर पर कारगर नियन्त्रण पर ही निर्भर करता है। समीक्षा कीजिए।
17. भारत की भावी सामुद्रिक नीति पर एक निबन्ध लिखिए।
18. "हिन्द महासागर में शक्ति संघर्ष के फलस्वरूप न केवल भारत अपितु अन्य तटवर्ती देशों की सुरक्षा को भी सीधे खतरा उत्पन्न हो गया है।" विवेचना कीजिए।
19. स्वतन्त्रता से पूर्व ब्रिटिश शाही नौ सेना के लिए हिन्द महासागर को एक झील के रूप में ही परिवर्तित कर दिया गया था। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
20. "जिन कारकों पर किसी भी देश की रक्षा नीति आधारित होती है उनमें भौगोलिक कारक अपेक्षाकृत अधिक स्थिर एवं स्थायी रूप वाला होता है।" भारत के सन्दर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए।
21. "भारतीय गणतन्त्र की भौगोलिक अवस्थिति उसकी सुरक्षा को निःसन्देह प्रभावित करती है।" व्याख्या कीजिए।

22. विश्व मानचित्र पर भारत की भौगोलिक अवस्थिति के कूटनीतिक महत्त्व की विवेचना कीजिए।
23. ''आधुनिक शस्त्र टेकनालोजी ने सैनिक सत्ता की उपयोगिता पर निःसन्देह अपना प्रभाव डाला है।'' विवेचना कीजिए।
24. स्वतन्त्रता से पूर्व भारत की सुरक्षा एवं रक्षा के सन्दर्भ में ब्रिटिश नीति का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
25. स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत की तात्कालिक सुरक्षा समस्याओं पर एक निबन्ध लिखिए।
26. ''राष्ट्रीय रक्षा में देश के प्राकृतिक संसाधनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।'' विवेचना कीजिए।
27. भारत के आर्थिक संसाधनों पर एक निबन्ध लिखिए।
28. भारत ने अणुशक्ति के उत्पादन में क्या-क्या महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं ?
29. भारत एक 'धनी' देश है, परन्तु उसके निवासी 'निर्धन लोग' हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा आर्थिक संसाधनों को विकसित करने के लिए जो कदम उठाये गए हैं, उनका वर्णन करें।
30. ''आज ऊर्जा संकट ने विश्व में एक गम्भीर रूप धारण कर लिया है।'' इस सन्दर्भ में भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।
31. ''हमारे राष्ट्र रूपी शरीर के लिए परिवहन धमनियों एवं शिराओं के समान है। उसके ऊपर निर्भर है सर्वक्षेत्रीय विकास और रक्षा-क्षमता भी।''
इस कथन के आधार पर भारत की परिवहन प्रणाली के गुण-अवगुण का उल्लेख कीजिए।
32. ''देश की रक्षा के लिए यातायात सुविधाओं का विकास करना नितान्त आवश्यक है।'' भारत की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कथन की व्याख्या कीजिए।
33. शान्ति एवं युद्ध काल में रेल यातायात के कूटनीतिक महत्त्व की विवेचना काजिए।
34. रक्षा की दृष्टि से भारत में प्रमुख यातायात के साधनों के महत्त्व की तुलनात्मक समालोचना कीजिए।
35. औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास ने भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु किस सीमा तक योगदान दिया है ? विशिष्ट उदाहरण देते हुए विवेचना कीजिए।
36. यद्यपि भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है तथापि उसे भारी मात्रा में हथियारों का आयात करने को बाध्य होना पड़ता है। रक्षा आवश्यकताओं की आत्म-निर्भरता की ओर भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए कि हम भविष्य में उत्कृष्ट आयुध प्रणालियों के आयात से कैसे बच सकते हैं ?
37. रक्षा के सन्दर्भ में मानव शक्ति एक मूल संसाधन है। युद्ध एवं शान्ति दोनों को अपने समक्ष रखते हुए भारतीय मानव शक्ति की समीक्षा कीजिए।
38. ''जन शक्ति मूल संसाधन है। मानव उपयोगिता तथा लाभ के लिए अन्य साधनों को परिवर्तित करने का यह एक अत्याज्य साधन है। यह साधन भारत के पास प्रचुर मात्रा में है।'' युद्ध एवं शान्तिकाल के लिए भारत की जनसंख्या समस्या के गुण-दोषों पर प्रकाश डालिए।
39. ''जन शक्ति किसी देश की सबसे शक्तिशाली और महत्त्वपूर्ण शक्ति होती है।'' समीक्षा कीजिए।
40. ''जन शक्ति का सामर्थ्य उसके उत्पादन क्षमता एवं प्रवीणता पर निर्भर करता है, जो तकनीकी, वैज्ञानिक प्रबन्धात्मक तथा संघटनात्मक क्षेत्रों में हो सकती है।'' विवेचना कीजिए।
41. राष्ट्र की आण्विक नीति तथा N.P.T. के सन्दर्भ में व्याख्या करें।

42. युद्ध काल में जन शक्ति या श्रम शक्ति में वृद्धि हेतु अपनाये जाने वाले उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालिये।
43. रक्षा के सन्दर्भ में जनशक्ति का मूल संसाधन है। युद्ध एवं शान्ति काल दोनों को अपने समक्ष रखते हुए भारतीय जन शक्ति की समीक्षा कीजिए।
44. ऐसा दोषारोपण किया जाता है कि भारत अपनी त्रुटिपूर्ण रक्षा नीति के ही कारण सन् 1962 में चीन के हाथों पराजित हुआ। इस कथन के पक्ष में या विपक्ष में अपने विचार लिखिए।
45. आज भारत की सामाजिक एकता तथा राजनीतिक अखण्डता को बाह्य स्रोतों की अपेक्षा आन्तरिक स्रोतों से अधिक खतरा है। विवेचना कीजिए।
46. ''आज भारत के कुछ विशिष्ट अंचलों में आन्तरिक सुरक्षा की अति गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है।'' समीक्षा कीजिए।
47. भारत चारों ओर ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो तुलनात्मक रूप में भारत से अधिक अस्थिर हैं। इस सन्दर्भ में भारतीय सुरक्षा हेतु इस शताब्दी के अन्तिम दशक की कूट योजना प्रस्तावित कीजिए।
48. बदलते परिवेश में भारत व अमेरिकी सम्बन्धों की सामरिक समीक्षा करें।
49. दक्षिण एशिया के बदलते समीकरण में भारत की रक्षा नीति की विवेचना करें।
50. भारत-अमेरिकी नाभिकीय समझौते के लाभ एवं हानि की सविस्तार समीक्षा करें।

UNIVERSITY PAPER—2006

B.A. PART–III (K.U.K.)

NATIONAL DEFENCE AND SECURITY

PAPER : DEFENCE STUDIES–I

Option No. – A

Time : Three Hours] **[Maximum Marks : 60**

नोट— कुल **पाँच** प्रश्न करो। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. 'नेशनल-डिफेन्स' की परिभाषा दो तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के आर्थिक तत्वों का वर्णन करो। 2 + 10
2. 'आर्थिक लाभबन्दी' की परिभाषा लिखो तथा इसके विभिन्न उपायों का वर्णन करो। 2 + 10
3. भारत की सुरक्षा नीति का वर्णन करो। 12
4. C.B.M.S. के सन्दर्भ में भारत-पाक सम्बन्धों का वर्णन करो। 12
5. 'नागरिक सुरक्षा' की परिभाषा दो तथा इसके उपायों का वर्णन करो। 2 + 10
6. भारत में उग्रवाद की समस्या एवम् समाधानों का वर्णन करो। 12
7. भारत में नागरिक एवम् सैन्य सम्बन्धों का वर्णन करो। 12
8. 'भारतीय सुरक्षा एवम् हिन्द महासागर में गहरा सम्बन्ध है।' इस कथन की पुष्टि करो। 12
9. निम्नलिखित पर नोट लिखो—

   (अ) युद्ध की लागत (ब) गोआ की समस्या। 6 + 6
10. निम्नलिखित के उत्तर लिखो—

    (क) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के कितने सदस्य हैं ?

    (ख) 'अनिल-काकोदकर' कौन है ?

    (ग) 'अग्नी' क्या है ?

    (घ) कौन-सा राष्ट्र N.P.T. का सदस्य होते हुए भी उसकी शर्तों का उल्लंघन कर रहा है ?

    (ङ) हमारी किस राष्ट्र से 'सर-क्रीक' की समस्या है ?

    (च) वर्तमान भारतीय रक्षा बजट की कुल कितनी राशि है ? 2 × 6

UNIVERSITY PAPER—2006

B.A. PART–III (M.D.U.)

DEFENCE STUDIES

Option (i)

National Defence and Security

Time : Three Hours] **[Maximum Marks : 70**

नोट— किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
परीक्षार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने प्रश्न-पत्र की पूर्णतया जाँच कर लें कि उनके पास प्रश्न-पत्र पूर्ण एवं सही है अथवा नहीं। परीक्षा के उपरान्त इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी।

1. राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा दीजिए तथा बताइये कि किसी देश की सुरक्षा में भौगोलिक तत्त्वों (Geographical Factors) का क्या योगदान है ? 14

2. स्वतन्त्रता प्राप्ति से वर्तमान तक भारत की रक्षा नीति (Defence Policy) पर प्रकाश डालिए। 14

3. भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों पर एक विस्तृत नोट लिखिए। 14

4. "हिन्द महासागर भारतीय सुरक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करता है।" इस कथन की विवेचना करते हुए समझाइये। 14

5. 'आर्थिक गतिशीलता' (Economic Mobilization) से आपका क्या अभिप्राय है ? एक राष्ट्र युद्ध के लिए साधनों को किस प्रकार गतिशील करता है ? 14

6. 'सीमा और सीमान्त' से आप क्या समझते हैं ? भारत के उत्तरी, उत्तर-पूर्वी और पश्चिमी सीमान्तों की सुरक्षा समस्याओं का वर्णन कीजिए। 14

7. नागरिक अधिकारियों की सहायता से स्थल सेना के सैन्य दलों के कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए। 14

8. किसी देश की सुरक्षा में उस देश की आर्थिक तथा औद्योगिक शक्ति का काफ़ी योगदान होता है। भारत के सन्दर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। 14

9. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए— 7, 7

(अ) भारत की सुरक्षा में परिवहन एवं संचार के साधनों का महत्त्व

(ब) मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति (D.C.C.)

(स) नागरिक प्रतिरक्षा (Civil Defence) का महत्त्व एवं आवश्यकता।

10. निम्नलिखित के सही उत्तर दीजिए— प्रत्येक 2

(अ) तारापुर परमाणु विद्युत् गृह (Nuclear Power Plant) किस राज्य में स्थित है ?

(*i*) उत्तर प्रदेश (*ii*) महाराष्ट्र
(*iii*) तमिलनाडु (*iv*) कर्नाटक।

(ब) भारतीय समुद्री रेखा की कुल लम्बाई है—

(*i*) 3,500 मील (*ii*) 3,525 मील
(*iii*) 3,535 मील (*iv*) 3,545 मील।

(स) सर्वप्रथम 'पंचशील' शब्द का प्रयोग किसने किया ?

(*i*) पं० जवाहर लाल नेहरू (*ii*) श्री लाल बहादुर शास्त्री

(*iii*) श्रीमती इन्दिरा गाँधी (*iv*) श्री राजीव गाँधी।

(द) भारत-चीन के मध्य सीमा रेखा को कहते हैं—

(*i*) मैक-मोहन रेखा (*ii*) डुरण्ड रेखा

(*iii*) रेडक्लिफ रेखा (*iv*) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

(इ) अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है ?

(*i*) बगदाद (*ii*) काबुल

(*iii*) ढाका (*iv*) तेहरान।

(फ) नेपाल किन देशों के मध्य एक बफर स्टेट (Buffer State) है ?

(*i*) चीन व बांग्लादेश (*ii*) भारत व चीन

(*iii*) भारत व पाकिस्तान (*iv*) भारत व बांग्लादेश।

(ग) निम्नलिखित (abbreviations) को विस्तार से लिखिए—

(*i*) N.A.T.O. (*ii*) P.O.K.

UNIVERSITY QUESTION PAPER—2007

B.A. PART—III (M.D.U.)
DEFENCE STUDIES
Opt. (*i*) Paper
International Defence and Space Security

Time Allowed : Three Hours **Maximum Marks : 70**

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

परीक्षार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने प्रश्न-पत्र की पूर्णतया जांच कर लें कि उनके पास प्रश्न-पत्र पूर्ण एवं सही है अथवा नहीं। परीक्षा के उपरान्त इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी।

1. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय रक्षा में भेद बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 14
2. भारत की परमाणु नीति (Nuclear Policy) का वर्णन कीजिए। 14
3. भारत और बांग्लादेश के सम्बन्धों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 14
4. युद्ध की वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं ? क्या इसका आकलन किया जा सकता है ? 14
5. भारत की सुरक्षा के सम्बन्ध में हिन्द महासागर के सामरिक महत्त्व (Strategic Importance) की विवेचना कीजिए। 14
6. "भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है।" विवेचना कीजिए। 14
7. भारत में सैन्य-असैन्य (Civil-Military) सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए। 14
8. सीमा और सीमान्त से आप क्या समझते हैं ? भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी सीमान्तों की सुरक्षा समस्याओं का वर्णन कीजिए। 14
9. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए— 7,7
   (अ) युद्ध की आर्थिक गतिशीलता
   (ब) आधुनिक युद्धों में 'नागरिक प्रतिरक्षा' का महत्त्व।
   (स) कश्मीर समस्या।
10. निम्नलिखित के सही उत्तर दीजिए— (प्रत्येक 2)

(*i*) शिमला समझौता कब हुआ ?
(अ) 22 जुलाई, 1972 (ब) 2 जुलाई, 1972
(स) 12 जुलाई, 1972 (द) 12 जुलाई, 1972.

(*ii*) 'Lighting War' नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं ?
(अ) लिडिल हार्ट (ब) नेपोलियन
(स) हिटलर (द) डी० के० पालित।

(*iii*) भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन हैं ?
(अ) जनरल जे० जे० सिंह (ब) जनरल वी० पी० मलिक
(स) जनरल एन० सी० विज (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

(*iv*) भारत का क्षेत्रफल कितना है ?
(अ) 1269640 वर्ग मील (ब) 2269640 वर्ग मील
(स) 3269640 वर्ग मील (द) 2169640 वर्ग मील।

(*v*) कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ ?
(अ) 26 अक्तूबर, 1947 (ब) 27 अक्तूबर, 1947
(स) 28 अक्तूबर, 1947 (द) 15 अगस्त, 1947.

(*vi*) भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरन में हुआ—
(अ) 18 मई, 1974 (ब) 18 जून, 1974
(स) 13 मई, 1974 (द) 28 मई, 1974

(*vii*) निम्नलिखित Abbreviations को विस्तार से लिखिए—
(अ) C.T.B.T. (ब) L.O.C.

UNIVERSITY QUESTION PAPER—2007

B.A. PART-III (K.U.K.)

NATIONAL DEFENCE AND SECURITY

PAPER—DEFENCE STUDIES-I **237**

Option : 1 (A)

Time Allowed : Three Hours **Maximum Marks : 60**

नोट : किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिये। **सभी** प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में भेद बताते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न तत्त्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2 + 10
2. "भारत की 'भौगोलिक स्थिति' उसकी सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्त्वपूर्ण है।" विवेचना कीजिए। 12
3. स्वतन्त्रता प्राप्ति से वर्तमान तक भारतीय रक्षा नीति पर प्रकाश डालिए। 12
4. नागरिक प्रतिरक्षा को परिभाषित करते हुए, इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व को समझायें। 12
5. भारत के सैनिक-नागरिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए। 12
6. 1947 से लेकर आज तक भारत को किन-किन सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ा ? संक्षेप में वर्णन कीजिए। 12
7. युद्ध की वित्त व्यवस्था के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए। 12
8. भारत-पाक सम्बन्धों पर एक विस्तृत नोट लिखिये। 12
9. भारतीय परमाणु नीति का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। 1
10. वस्तुनिष्ठ प्रश्न—
    (i) भारत के परमाणु कार्यक्रम के पिता कौन हैं ?
    (ii) ब्राह्मोस क्या है ?
    (iii) भारतीय सुरक्षा सेनाओं की 'चीफ ऑफ स्टाफ' समिति का अध्यक्ष कौन है ?
    (iv) भारतीय तट रेखा की कुल लम्बाई क्या है ?
    (v) भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ किया ?
    (vi) सी० टी० बी० टी० शब्द का पूर्णरूप लिखिये। 6 × 2 =

UNIVERSITY QUESTION PAPER—2008

B.A. PART—III (K.U.K.)
DEFENCE STUDIES
(National Defence & Security)
PAPER—I Opt. (A)

Time : Three Hours] **[Maximum Marks : 60**

नोट : किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. राष्ट्रीय सुरक्षा के तत्त्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 12
2. सन् 1999 से अब तक भारत की सुरक्षा समस्याओं का वर्णन कीजिए। 12
3. भारत की परमाणु नीति पर विस्तृत नोट लिखिए। 12
4. नागरिक रक्षा के उपाय क्या हैं ? वर्णन कीजिए। 12
5. भारत की सुरक्षा में हिन्द महासागर की महत्ता पर एक निबन्ध लिखिए। 12
6. भारत की भू-स्त्रातेजिक स्थिति पर नोट लिखिए। 12
7. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत-पाक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। 12
8. पूर्ण गतिशीलता के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। 12
9. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर नोट लिखिए :
   (क) भारत का रक्षा बजट
   (ख) युद्ध की लागत
   (ग) आर्थिक गतिशीलता। 6 + 6 = 12
10. निम्नलिखित के उत्तर लिखिए :
   (क) "India's Defence Problem" पुस्तक के लेखक कौन हैं ?
   (ख) भारत के रक्षा सचिव कौन हैं ?
   (ग) भारत चीन सीमा का नाम क्या है ?
   (घ) वायु सेना अध्यक्ष का पद (रैंक) लिखिए।
   (ङ) भारत के प्रथम रक्षामन्त्री कौन थे ?
   (च) एन० एस० जी० (NSG) का संकेताक्षर लिखिए। 6 + 2 = 12

UNIVERSITY QUESTION PAPER—2009

B.A. PART—III (K.U.K.)

National Defence and Security **236**

Paper : Defence Studies—I

Option : A

Time Allowed : Three Hours] **[Maximum Marks : 60**

नोट— कोई पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा और तत्त्व का वर्णन करें। 12
2. भारत की आन्तरिक सुरक्षा समस्याओं को संक्षेप में वर्णन करें। 12
3. भारत के परमाणु विकास के मूलाधारों का वर्णन करें। 12
4. भारत में असैनिक और सैनिक सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए। 12
5. "नागरिक रक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व" पर एक निबन्ध लिखें। 12
6. "हिन्द महासागर में शक्ति-संघर्ष" पर एक नोट लिखें। 12
7. 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद के भारत-पाक सम्बन्ध का वर्णन करें। 12
8. राष्ट्रीय रक्षा के लिए आर्थिक लाभबंदी से आपका क्या अभिप्राय है ? 12
9. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर नोट लिखिए—
   (क) पाकिस्तान एवं आंतकवाद
   (ख) भारत के लिए परमाणु विकल्प
   (ग) भारत की रक्षा नीति। 6 + 6 = 12
10. निम्नलिखित के उत्तर लिखिए—
    (क) 'नाग' से आप क्या समझते हैं ?
    (ख) आई० एस० आई० का पूर्ण रूप लिखें।
    (ग) भारत के रक्षा-मंत्री कौन हैं ?
    (घ) अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं ?
    (ङ) 'राष्ट्रीय प्रतिरक्षा' (Rastriya Pratiraksha) पुस्तक के लेखक कौन हैं ?
    (च) भारत-पाक सीमा का नाम क्या है ? 6 × 2 = 12

UNIVERSITY QUESTION PAPER—2009

B.A. PART—III (K.U.K.)

National Defence and Security 236

Paper : Defence Studies—I

Option : A

Time Allowed : Three Hours] **[Maximum Marks : 60**

नोट— कोई **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा और तत्त्व का वर्णन करें। 12
2. भारत की आन्तरिक सुरक्षा समस्याओं को संक्षेप में वर्णन करें। 12
3. भारत के परमाणु विकास के मूलाधारों का वर्णन करें। 12
4. भारत में असैनिक और सैनिक सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए। 12
5. "नागरिक रक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व" पर एक निबन्ध लिखें। 12
6. "हिन्द महासागर में शक्ति-संघर्ष" पर एक नोट लिखें। 12
7. 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद के भारत-पाक सम्बन्ध का वर्णन करें। 12
8. राष्ट्रीय रक्षा के लिए आर्थिक लाभबंदी से आपका क्या अभिप्राय है ? 12
9. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर नोट लिखिए—

   (क) पाकिस्तान एवं आंतकवाद

   (ख) भारत के लिए परमाणु विकल्प

   (ग) भारत की रक्षा नीति। 6 + 6 = 12

10. निम्नलिखित के उत्तर लिखिए—

    (क) '*नाग*' से आप क्या समझते हैं ?

    (ख) आई० एस० आई० का पूर्ण रूप लिखें।

    (ग) भारत के रक्षा-मंत्री कौन हैं ?

    (घ) अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं ?

    (ङ) 'राष्ट्रीय प्रतिरक्षा' (Rastriya Pratiraksha) पुस्तक के लेखक कौन हैं ?

    (च) भारत-पाक सीमा का नाम क्या है ? 6 × 2 = 12